अटल बिहारी वाजपेयी

मेरी संसदीय यात्रा

सं. डॉ. ना.मा. घटाटे

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने १५ अगस्त, १९९८ को ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था—'एक गरीब स्कूल मास्टर के बेटे का भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचना भारतीय लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है।' पिछली अर्द्धसदी से भी अधिक समय से स्वयं श्री वाजपेयी भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना रचनात्मक योगदान देते रहे हैं।

श्री वाजपेयी संसद में रहे हों या संसद के बाहर, भारतीय राजनीति को प्रभावित करते रहे हैं। श्री वाजपेयी का बोला हुआ हर शब्द खबर माना जाता रहा है। उनके भाषण मित्रों द्वारा ही नहीं, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों द्वारा भी गंभीरता से सुने जाते हैं। भारतीय जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलू पर पूरे अधिकार के साथ बोलना वाजपेयीजी के लिए सहज-संभव-साध्य रहा है। उनकी उदार दृष्टि और तथ्यपरक आँकड़े लोगों को मानसिक स्तर पर संतुष्टि देते रहे हैं। उनकी सोच हरदम रचनात्मक और देश-हित में सबसे बेहतर विकल्प तलाशने व उद्घाटित करनेवाली रही है। उनका सबसे बड़ा योगदान 'संसद में संवाद' की स्थिति बनाए रखना, उसके स्तर को ऊँचा उठाना माना जाता है।

श्री वाजपेयी का चिंतन दूरगामी है। देश-हित उनके लिए सर्वोपरि है। यह तथ्य इन भाषणों को पढ़कर पाठकों के सामने बार-बार उजागर हो आता है। अगर उनके समसामयिक प्रस्ताव, योजनाएँ, आशंकाएँ पूरी गंभीरता से स्वीकारी जातीं, उन्हें अमल में लाया जाता, तो देश की दशा इस तरह चिंता का विषय न बनी होती; इसका भी अनंत बार आभास इन भाषणों को पढ़कर होता है।

अपने प्रधानमंत्रित्व काल में श्री वाजपेयी की राष्ट्रीय प्राथमिकताएँ क्या हैं और उनको पूरा करने की योजनाएँ क्या हैं, यह भी प्रधानमंत्री के रूप में अब तक संसद में दिए गए उनके कुछ थोड़े से भाषणों से स्पष्ट हो जाता है।

'मेरी संसदीय यात्रा' के इन चार खंडों में चालीस से भी अधिक वर्षों में श्री वाजपेयी द्वारा संसद में दिए गए भाषण कालक्रम और विषयवार संकलित हैं।

इन संकलनों में लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के रूप में किया गया राष्ट्रीय उद्बोधन, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में दिए गए महत्त्वपूर्ण भाषण, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के न्यूयॉर्क सम्मेलन में दिया गया भाषण, श्री वाजपेयी को 'सर्वश्रेष्ठ सांसद सम्मान' समर्पण समारोह अवसर के सभी भाषण और श्री वाजपेयी का आधार भाषण भी संकलित हैं।

मेरी
संसदीय
यात्रा

१

राष्ट्रीय स्थिति

अटल बिहारी वाजपेयी

मेरी संसदीय यात्रा

राष्ट्रीय स्थिति

संपादक

डॉ. ना. मा. घटाटे

प्रभात प्रकाशन, दिल्ली

प्रकाशक • **प्रभात प्रकाशन**
४/१९ आसफ अली रोड,
नई दिल्ली-११०००२

संस्करण • २०१४

मूल्य • सात सौ पचास रुपए (प्रति खंड)
तीन हजार रुपए (चार खंडों का सैट)

मुद्रक • नरुला प्रिंटर्स, दिल्ली

MERI SANSADIYA YATRA (Speeches in Parliament)
by Shri Atal Bihari Vajpayee • *Ed.* Dr. N.M. Ghatate Rs. 750.00
Published by Prabhat Prakashan, 4/19 Asaf Ali Road, New Delhi-2
Vol. I Rs. 750.00 ISBN 81-7315-277-2
Set of Four Vols. Rs. 3000.00 ISBN 81-7315-281-0

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

एक परिचय

भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेता हैं जो सार्वजनिक जीवन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए सुविख्यात हैं।

आपका जन्म २५ दिसंबर, १९२४ को ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुआ। आपके पिता का नाम श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। एक भरे-पूरे परिवार के सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी ने विक्टोरिया (अब लक्ष्मीबाई) कालेज, ग्वालियर और डी.ए.वी. कालेज, कानपुर में अपनी पढ़ाई पूरी की। आपने राजनीति शास्त्र से एम.ए. तक की पढ़ाई की है। आप १९४२ के स्वतंत्रता आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे और कुछ दिन जेल में रहे थे। आपने एक पत्रकार के रूप में अपना जीवन शुरू किया। आपने १९४७-५० के दौरान 'राष्ट्र धर्म'; १९४८-५० के दौरान 'पाञ्चजन्य' (साप्ताहिक); १९४९-५० के दौरान 'स्वदेश' (दैनिक) तथा १९५०-५२ के दौरान 'वीर अर्जुन' (दैनिक तथा साप्ताहिक) के संपादक के पदों को सुशोभित किया।

१९५१ में आप जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे तथा १९६८-७३ के दौरान आप इसके अध्यक्ष रहे। आप १९७७ में जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। जनता पार्टी की सरकार में १९७७-७९ की अवधि के दौरान आपने विदेश मंत्री के पद को सुशोभित किया। आप १९८० में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे तथा १९८०-८६ के बीच आप इसके अध्यक्ष पद पर आसीन रहे। आप १९८०-८४ तथा १९८६-९१ में भारतीय जनता संसदीय दल के नेता थे। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य के रूप में आप १९५७ से लगातार संसद सदस्य रहे हैं। १९९१-९६, दसवीं लोकसभा में आप नेता प्रतिपक्ष रहे। ग्यारहवीं लोकसभा के गठन के तुरंत बाद आप १६ मई, १९९६ से २८ मई, १९९६ तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। जून १९९६ से फरवरी १९९८ तक ग्यारहवीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे। मार्च १९९८ में बारहवीं लोकसभा के गठन के बाद से आप पुनः भारत के प्रधानमंत्री हैं।

सन् १९८५ को छोड़कर आप पिछले ४१ वर्ष के लंबे कालखंड में संसद के किसी न किसी सदन के सदस्य रहे। चार दशकों से भारतीय संसद में अपनी गौरवपूर्ण उपस्थिति से आप देश और संसद की गरिमा की श्रीवृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देते रहे हैं।

श्री वाजपेयी १९६६-६७ के दौरान सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के; १९६९-७० और

१९९१-९२ के दौरान लोक लेखा समिति; तथा १९९०-९१ के दौरान याचिका-समिति के अध्यक्ष रहे। १९६५ में पूर्वी अफ्रीका गए संसदीय सद्‌भावना मिशन के, १९८३ में यूरोपीय संसद में संसदीय शिष्ट मंडल के; कनाडा (१९६६), जांबिया (१९८०), आइल ऑफ मैन (१९८४) में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में संसदीय शिष्टमंडल के; जापान (१९७४), श्रीलंका (१९७५), स्विट्जरलैंड (१९८४) में आयोजित अंतर संसदीय यूनियन सम्मेलन में भारतीय शिष्टमंडल के तथा १९८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४ और ९६ में संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा में भारतीय शिष्टमंडल के आप सदस्य रहे हैं। अनेक अवसरों पर आप राष्ट्रीय एकता परिषद के सदस्य रह चुके हैं। फरवरी १९९४ में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के विशेष आग्रह पर आपने जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया अपितु प्रतिपक्ष के नेता द्वारा सरकार का पक्ष प्रस्तुत किए जाने की यह घटना अपने-आप में वहां उपस्थित सभी राष्ट्र प्रमुखों के लिए आश्चर्य और भारत के लोकतंत्र के प्रति निष्ठा और विश्वास का अवसर बनी।

१९९५ में संयुक्त राष्ट्र की ५०वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित विशेष सत्र में भी वाजपेयी जी ने देश के दल का नेतृत्व किया। विदेश मामलों की समिति के चेयरमैन के रूप में भी वाजपेयी जी ने १९९७ में बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। १९४२ में आपको ब्रिटिश हुक्मरानों ने जेल भेजा। आपातकाल के पूरे दौर में १९७५ से ७७ तक आप जेल में रहे। राष्ट्र के प्रति आपकी समर्पित सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने १९९२ में 'पद्म विभूषण' से विभूषित किया। १९९३ में कानपुर विश्वविद्यालय ने फिलॉसफी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। १९९४ में 'लोकमान्य तिलक' पुरस्कार दिया गया। १९९४ में 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' चुना गया और गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। २६ नवंबर, १९९८ को सुलभ इंटरनेशनल फाउंडेशन ने वर्ष ९७ के सबसे ईमानदार व्यक्ति के रूप में चुना। उपराष्ट्रपति श्री कृष्णकांत ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया।

श्री वाजपेयी १९६५-७० के दौरान अखिल भारतीय स्टेशन मास्टर्स एंड असिस्टेंट स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के तथा १९६८-८४ के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं तथा अभी आप १९७६ से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्मभूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष पद को शोभायमान कर रहे हैं।

श्री वाजपेयी को 'कैदी कविराज की कुंडलियां', 'न्यू डाइमेंशंस ऑफ एशियन फॉरेन पॉलिसी'; 'मृत्यु या हत्या', 'जनसंघ और मुसलमान' और 'मेरी इक्यावन कविताएं' नामक पुस्तकें लिखने का श्रेय प्राप्त है। १९९२ में प्रकाशित 'संसद में तीन दशक' के तीन खंडों को समाहित करते हुए और उनमें सम्मिलित होने से रह गए और उसके बाद आपने सन् ५७ से अब तक लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी महत्वपूर्ण भाषण दिए हैं, वे सब 'मेरी संसदीय यात्रा' के इन चार खंडों के प्रकाशन के साथ ही पुस्तक रूप में पाठकों तक आ चुके हैं। 'अटलजींचे आह्वान' नाम से मराठी में आपके सार्वजनिक मंचों, सदन और पार्टी बैठकों के चुनिंदा संभाषणों का संग्रह कई वर्ष पहले प्रकाशित-हो चुका है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में

१९५७-१९६२ दूसरी लोकसभा
बलरामपुर (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व

*

१९६२-१९६७ राज्यसभा
उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व

*

१९६७-१९७१ चौथी लोकसभा
बलरामपुर (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व

*

१९७२-१९७७ पांचवीं लोकसभा
ग्वालियर (म.प्र.) का प्रतिनिधित्व

*

१९७७-१९७९ छठी लोकसभा
नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व
जनता सरकार में भारत के विदेश मंत्री

*

१९७९-१९८४ सातवीं लोकसभा
नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व

*

१९८६-१९९१ राज्यसभा
मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व

*

१९९१-१९९६ दसवीं लोकसभा
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व
सदन में प्रतिपक्ष के नेता

*

१९९६-१९९८ ग्यारहवीं लोकसभा
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व
१६ से २८ मई, १९९६ तक भारत के प्रधानमंत्री
तदनंतर फरवरी, १९९८ तक प्रतिपक्ष के नेता

*

१९९८-१९९९ बारहवीं लोकसभा
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व
भारत के प्रधानमंत्री

*

संप्रति नवंबर १९९९ से तेरहवीं लोकसभा
लखनऊ (उ.प्र.) का प्रतिनिधित्व
भारत के प्रधानमंत्री

राष्ट्रपति श्री आर. वेंकटरमण से पद्मविभूषण से अलंकृत होने का गौरवपूर्ण क्षण। (१९९१)

प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए श्री वाजपेयी। (१९९६)

प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए श्री वाजपेयी। (१९९८)

अपने मंत्रिमंडल के साथ प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी। (१९९८)

देश की भावी पीढ़ी (विद्यार्थी) की जिज्ञासाएं सुनते प्रधानमंत्री। (१९९८)

भारत के परमाणु वैज्ञानिकों डॉ. आर. चिदंबरम् और डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के साथ पोखरण में परमाणु विस्फोट योजना पर चर्चा। (१९९८)

सीमा के प्रहरियों से प्रधानमंत्री की भेंट। (१९९८)

लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम संदेश। (१९९८)

काश्मीर की वादियों में प्रधानमंत्री का उद्‌बोधन। (१९९८)

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति डॉ. नेल्सन मंडेला और श्रीमती मंडेला से प्रधानमंत्री के रूप में मुलाकात।

नामीबिया में महात्मा गांधी स्ट्रीट के नामपट्ट का अनावरण करते प्रधानमंत्री। (१९९८)

संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव कोफी अन्नान के साथ। (१९९८)

संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में प्रधानमंत्री के रूप में संबोधन। (१९९८)

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ श्रीनगर में विचार-विमर्श। (१९६८)

मॉरीशस के प्रधानमंत्री श्री नवीनचंद्र रामगुलाम से प्रधानमंत्री के रूप में मंत्रणा। (१९९८)

संपादकीय

श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस उपलब्धि का श्रेय निश्चय ही उन हजारों ज्ञात और अज्ञात पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है, जिनके पांच दशक के श्रम और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया।

श्री वाजपेयी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्रीय मंच पर स्वाधीनता के परवर्ती युग में अन्य सभी नेताओं की अपेक्षा अधिक लंबे समय से विद्यमान हैं। उनका संसदीय जीवन १९५७ से आरंभ हुआ था और चार दशक से भी अधिक समय से वे भारतीय राजनीति को संसद और संसद के बाहर प्रभावित करते रहे हैं। उनका प्रत्येक सार्वजनिक कथन समाचार बन जाता है और उनके भाषण को समर्थक और आलोचक पूरे ध्यान से सुनते हैं। उनके भाषणों में काव्यात्मकता है, विद्वता और सौम्यता का संगम है। उनकी जिह्वा पर सरस्वती का वास है। उनके आलोचना के प्रहार कभी भी किसी को घायल नहीं करते। राजनीति जैसे कठोर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में रहते हुए भी वह अजातशत्रु हैं।

अटल जी की अप्रतिम वक्तृत्व कला, प्रत्युत्पन्नमति और व्यंग्य तथा चुटकियां श्रोताओं को मंत्र-मुग्ध कर देती हैं। उनकी गंभीरता, धैर्य, दूरदृष्टि और तथ्यों-आंकड़ों से परिपुष्ट तर्क-शैली से मन अभिभूत हो जाता है। उन्होंने भारतीय जीवन के लगभग सभी पहलुओं को अधिकारपूर्वक उद्घाटित किया है। उनकी चिंता और चिंतन की परिधि में अंतरराष्ट्रीय समस्याएं, भारत की विदेश नीति, कृषि, रक्षा, समाज-सुधार, उद्योग, शिक्षा, पंचवर्षीय योजनाएं, केंद्र-राज्य संबंध, रेलवे, वित्त, बैंकिंग, व्यक्ति, दल, अराजकता और भ्रष्टाचार का दलदल, सभी समाहित रहे हैं।

अटल जी आलोचना अथवा चेतावनी का अवसर आने पर दो टूक बातें कहने से कभी नहीं चूके। हितकर कहने के लिए सदा आग्रही रहे हैं और हित को ओझलकर 'प्रीतिकर' कहने में कभी रुचि नहीं ली। दूसरी ओर प्रतिपक्षी की तर्कसंगत बात को सहर्ष स्वीकार किया।

अटल जी का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहा है। राष्ट्रीय हित उनके समक्ष सर्वोपरि रहा है। संसद में वाद-विवाद का उच्च स्तर स्थापित करने और सदन की गरिमा और शिष्टाचार की रक्षा में सदा अग्रणी रहे। उन्होंने हमेशा जनसाधारण की अपेक्षाओं को पहचाना है। उनमें विचार के संप्रेषण की अपार क्षमता है। राष्ट्र के प्रति उनकी सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने १९९२ में उन्हें 'पद्मविभूषण' अलंकरण से अलंकृत किया। १९९४ में प्रधानमंत्री ने उन्हें 'सर्वश्रेष्ठ सांसद सम्मान' से सम्मानित किया। उसी वर्ष 'लोकमान्य तिलक पुरस्कार' से भी

पुरस्कृत किया गया।

कार्यकर्ताओं को साल-दर-साल काम के लिए प्रोत्साहित करने के मामले में वह अद्वितीय हैं। गंभीर से गंभीर परिस्थितियों को अपनी व्यंग्यात्मक टिप्पणियों से सहज बना देने की उनकी कला स्पृहणीय है।

राजनेता सिर्फ आज की बात सोचते हैं जबकि राजनीति-विशारद पीढ़ियों का विचार करते हैं। अटल जी विशारदों की श्रेणी में आते हैं—यह तथ्य उनके भाषणों से असंदिग्ध रूप से स्पष्ट हो जाता है। उनके भाषणों को पढ़कर मन में यह विचार उठे बिना नहीं रहता कि काश! उनके सुझावों, चेतावनियों और प्रस्तावों पर समय रहते ध्यान दिया गया होता, तो देश इस संकटपूर्ण राजनीतिक-आर्थिक दुरावस्था में न उलझा होता!

मैं अटल जी से सन् १९५७ से परिचित हूं। वह पहली बार लोकसभा के सांसद होकर आए थे और मैं कानून का अध्ययन करने दिल्ली आया था। उसी साल हमारी चार दशक लंबी मित्रता की शुरुआत हुई थी। एक व्यक्ति के रूप में वह अत्यंत संवेदनशील और उदारमना हैं। सहायता और सहयोग चाहनेवाले को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। वे बहुत कम बोलते हैं, परंतु जो बोलते हैं वह हृदय को स्पर्श करता है।

अपने पिता से अटल जी का गहरा और आत्मिक जुड़ाव रहा है। वह उनसे बेहद प्रभावित रहे हैं। अटल जी ने पिता की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से १९९७ में ग्वालियर के अपने छोटे से घर में एक न्यास (ट्रस्ट) की स्थापना की है। यहां बच्चों के लिए पुस्तकालय और वाचनालय शुरू किया गया है। यह न्यास असहाय महिलाओं की मदद का पुण्य कार्य भी कर रहा है। न्यास के उद्घाटन के अवसर पर अटल जी ने कहा था : "मेरे पिता शिक्षा के लिए समर्पित व्यक्ति थे। वह संस्कृत के विद्वान् थे और हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में धाराप्रवाह बोलने में समर्थ थे। आप संक्षेप में मुझे उनका लघु-संस्करण मान सकते हैं।" अटल जी इस ट्रस्ट से कितना भावनात्मक लगाव रखते हैं, इसका पता इसी बात से चलता है कि जब भी वह वहां जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, पढ़ते-पढ़ाते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री होने के नाते वह बहुत व्यस्त रहते हैं, फिर भी समय निकालकर वहां जाते हैं, ट्रस्ट के काम-काज में, उसकी गतिविधियों में गहरी दिलचस्पी लेते हैं।

अटल जी के लोकसभा में आते ही उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का परिचय सदन में दिखाई देने लगा था। अगस्त १९५७ की बात है। लोकसभा अध्यक्ष श्री अनंत शयनम् आयंगार विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आए थे। मैंने उनसे पूछा कि संसद में सबसे अच्छा वक्ता कौन है? उन्होंने कहा—दो हैं—श्री अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में और प्रो. हीरेन मुखर्जी अंग्रेजी में।

विदेश नीति हमेशा से ही अटल जी का पसंदीदा विषय रहा है। इस विषय पर अटल जी के प्रांजल हिंदी में दिए गए धाराप्रवाह भाषणों से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने अभिभूत होते थे कि वे उनके सवालों का जवाब हिंदी में ही देते थे। एक बार सदन में पंडित जी की जनसंघ पर आलोचनात्मक टिप्पणी सुनते ही अटल जी ने प्रत्युत्तर में कहा : "मैं जानता हूं पंडित जी रोजाना शीर्षासन करते हैं। वे शीर्षासन करें। मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मेरी पार्टी की तस्वीर उलटी न देखें।" यह सुनना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सदन में ठहाका मारकर हंसने लगे।

सातवें दशक में भारतीय जनसंघ का प्रभाव हर क्षेत्र में बढ़ रहा था; परंतु इसी दशक में पार्टी पर भीषण वज्राघात हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो

गई। पार्टी ने अटल जी को दीनदयाल जी की जगह अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। श्रद्धांजलि भाषण में अटल जी ने कहा : "दीनदयाल जी ने ज्योंति जलाई, हम उसको ज्वाला कर देंगे।" इस उद्‌बोधन ने कार्यकर्ताओं को स्फूर्ति दी।

आठवां दशक भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण याद किया जाता है। १९७१ में लोकसभा के चुनाव हुए। जनसंघ सांसदों की संख्या ३५ से घटकर २२ रह गई। मैंने अटल जी से पूछा : "इंदिरा जी की क्या प्रतिक्रिया है?" वह हंसकर बोले : "अभी तो हमारी तरफ बहुत प्यार से देखती हैं।" दिल्ली में जनसंघ पांचों सीट हार गई थी। उसके तुरंत बाद दिल्ली नगर निगम के चुनाव थे। चुनाव प्रचार आरंभ करते हुए वाजपेयी जी ने कहा : "आप चाहते थे कि कांग्रेस देश पर शासन करे। आपने उसे वोट दिया। अब कम-से-कम हमें झाड़ू मारने का मौका तो दीजिए।" उनकी इस साफगोई से जनसंघ के पक्ष में हवा बंधी और लोगों ने नगर निगम में जनसंघ को बहुमत दिलवाया।

१९७१ में भारत-पाक युद्ध के दौरान अटल जी ने सारे देश का दौरा किया और जगह-जगह अपने भाषणों से जनता का मनोबल बढ़ाने में मदद की। १६ दिसंबर को पूर्वी बंगाल (बंगला देश) स्वतंत्र हुआ। अटल जी एक आम सभा को संबोधित करने ग्वालियर गए। मैं भी उनके साथ था। वहां के निवासी और सांसद होने के कारण उनका कार्यकर्ताओं से निकट का संबंध था। जनसंघ विधायक श्री शीतला सहाय ने अपनी चिंता प्रकट की : "अटल जी, अब तो इंदिरा गांधी विधानसभा का चुनाव तुरंत कराएंगी और इस जीत का पूरा लाभ उठाएंगी।" अटल जी उस समय कुछ नहीं बोले। लेकिन आम सभा में कांग्रेस को चेतावनी दी : "जवानों की चिताओं पर चुनाव की रोटी सेंकने की कोशिश न करें!"

दूसरे दिन जब सरकार ने लोकसभा में घोषणा की कि सभी पार्टियों की सहमति से युद्धविराम का निर्णय किया गया है तो अटल जी ने विरोध करते हुए कहा : "यह शस्त्र-संधि है, युद्धविराम नहीं है।" और पूरे आवेश में भाषण किया। श्रीमती गांधी बाद में अटल जी को सदन की लॉबी में मिलीं तो बोलीं : "आप तो अभी से चुनाव के चक्कर में दिखाई देते हैं।"

१९७५-७६ की आपात् स्थिति के काले डेढ़ वर्ष के दौरान अटल जी की आवाज को अवैध ताला लगाकर जेल में सींखचों के पीछे बंद कर दिया गया। बंगलोर में अटल जी की गिरफ्तारी के बाद मैं उनसे मिलने गया था। उस समय वहां उनके साथ सर्वश्री आडवाणी जी, श्यामानंद मिश्र और मधु दंडवते भी नजरबंद थे। अटल जी को जेल के कपड़ों में देखकर मुझे अजीब-सा लगा। हठात मेरे मुंह से निकला : "यह क्या है?"

अटल जी के चेहरे पर चिरपरिचित मृदु मुस्कान तैर आई। बोले : "बस, इंदिरा गांधी कपड़े पहनाएगी, इंदिरा गांधी खाना खिलाएगी। हम अपनी जेब से कानी कौड़ी भी खर्च नहीं करेंगे।"

मैंने अटल जी को बताया कि नजरबंदी और आपात् स्थिति को चुनौती देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैवियस कार्पस) याचिका का मसविदा तैयार किया गया है, लेकिन विरोधी दलों के बीच इस विषय पर मतभेद है कि हमें न्यायालय जाना चाहिए या नहीं। कुछ नेताओं का कहना है कि न्यायालय का द्वार नहीं खटखटाना चाहिए क्योंकि १९४२ में भी ऐसे हालात से सामना होने पर यही नीति अपनाई गई थी।

"यह १९४२ नहीं, १९७५ है।" अटलजी ने तलखी के साथ कहा। फिर बोले : "हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। न्यायपालिका हमारी है। अगर हम आज न्यायालय के द्वार नहीं खटखटाएंगे तो कल को न्यायाधीशों को यह कहने का अवसर मिल सकता है कि आप फरियाद

तो करते। हम आपके साथ न्याय करते। इसलिए हमें न्यायपालिका को कसौटी पर कसकर देखना चाहिए। यह न्यायालय की भी अग्नि परीक्षा है।"

अटल जी सामूहिक निर्णय में विश्वास करते हैं। किसी भी सार्वजनिक मुद्दे पर व्यक्तिगत राय भले ही कुछ रखते हों, निर्णय वही मानते रहे हैं जिस पर सब मिल-जुलकर पहुंचे हों।

उस दिन न्यायालय में जाने की बात पर सहमति व्यक्त करने के तुरंत बाद बोले : "इस संदर्भ में मैं आडवाणी जी, श्याम बाबू, दंडवते जी और अन्य नेताओं से भी विचार-विमर्श करूंगा।"

संयोग से अटल जी द्वारा विचार-विमर्श के बाद सभी ने न्यायालय में जाने का निर्णय लिया। उन सबकी ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं कर्नाटक उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी गईं। एक परंपरा स्थापित हो गई। देखते ही देखते लगभग सभी उच्च न्यायालयों में हजारों याचिकाएं दाखिल कर दी गईं।

एक के बाद एक उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अवैध और अनीतिपूर्ण नजरबंदी को हर हाल में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन उच्चतम न्यायालय के पांच वरिष्ठ न्यायाधीशों ने ४ : १ के अनुपात से नौ उच्च न्यायालयों के निर्णयों को पलटकर निकृष्टतम निर्णय दिया। उसने जहां एक ओर 'न्याय' को ही कलंकित किया, वहीं दूसरी ओर उससे लोकतंत्र की मूल भावना के विपरीत संप्रभु जनता गुलाम बन गई और सेवक (सरकार) स्वामी बन गए।

१९७७ के ऐतिहासिक चुनाव के बाद भारतीय जनसंघ के जनता पार्टी में विलय का प्रस्ताव कार्यकर्ताओं के गले नहीं उतर रहा था। अटल जी ने कार्यकर्ताओं को समझाया : "आपात्काल के घोर अंधेरे में जनसंघ का दीपक रोशनी का केंद्र था। अब सूर्योदय हो गया है, दीपक बुझाने का समय आ गया है।"

जनता सरकार में अटल जी विदेश मंत्री थे। उनके कार्यकाल में भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों में अभूतपूर्व सुधार हुआ। इसका कारण समझना सरल है। जब वे पाकिस्तान गए तो उन्होंने कहा : "अब हिंदुस्तान पाकिस्तान को सिर्फ हॉकी के मैदान में हराएगा।" वर्षों से लटका हुआ सलाल प्रश्न हल किया। बंगला देश के साथ फरक्का गंगा जल बंटवारा समझौता संपन्न हुआ। नेपाल यात्रा के दौरान कहे गए उनके शब्द सुनकर कौन भारतीय या नेपाली अभिमान की भावना से नहीं भर उठेगा! अटल जी ने कहा था : "दुनिया में कोई दो देश इतने निकट नहीं हो सकते जितने भारत और नेपाल हैं। इतिहास ने, भूगोल ने, संस्कृति ने, धर्म ने, नदियों ने हमें बांधा है।"

संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 'वसुधैव कुटुंबकम्' का सर्वोच्च आदर्श रखा। जनता सरकार के आकस्मिक पतन के बाद विदेश नीति पर बातचीत करते समय उन्होंने मुझसे कहा था : "यदि मुझे पूरी अवधि का अवसर मिलता तो शायद भारत-चीन का सीमा संघर्ष और पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद समाप्त हो जाता।"

आठवें दशक के अंतिम वर्षों में श्रीमती गांधी की सरकार फिर से बनी और अटल जी विपक्ष में बैठे। उत्तर प्रदेश में हरिजनों पर अत्याचार की घटना हुई। अटल जी ने उन क्षेत्रों की पद यात्रा करने का फैसला किया। मैंने उनसे पूछा : "आपकी यात्रा कितने दिन चलेगी?" अटल जी बोले : "जब तक लक्ष्य नहीं मिलता, तब तक यात्रा करेंगे।"

मैं १९७१ से अटल जी के हर चुनाव में प्रचारक रहा हूं। उनके लिए चुनाव में काम करना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय रहा है। १९९१ के लोकसभा चुनावों में अटल जी लखनऊ से उम्मीदवार थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव भी साथ ही होने थे। अटल जी की जीत निश्चित

है, ऐसा उनके प्रतिद्वंद्वी भी मान रहे थे। इसीलिए अन्य पार्टियों के विधायकी के उम्मीदवार मतदाताओं से आग्रह कर रहे थे कि आप ऊपरवाला (लोकसभा का) वोट अटल जी को भले ही दे देना लेकिन नीचेवाला (विधानसभा का) वोट हमें देना।

अटल जी ने जब यह सुना तो एक आम सभा में बोले : "अगर आप ऊपर का कुर्ता बीजेपी को देंगे और नीचे की धोती किसी और को तो मेरी दशा क्या होगी?" भाजपा के कई नेता लखनऊ में प्रचार कार्य के लिए आना चाहते थे ताकि अटल जी अन्य जगह ज्यादा समय दे सकें। जब मैंने वहां के कार्यकर्ताओं से उनकी राय जाननी चाही तो एक कार्यकर्ता ने कहा : "हमें तो लड्डू खाने की आदत हो गई है। आप पकौड़े क्यों खिलाना चाहते हैं।"

मेरे जीवन के कुछ उल्लेखनीय कामों में से एक काम रहा है अटल जी के संसद में दिए गए भाषणों का संपादन करना। जब पहली बार मैंने उनके भाषणों के संकलन तैयार किए थे, तब अटल जी ने अपनी अति व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर न केवल काम की प्रगति पर नजर रखी बल्कि छपने जा रहे डेढ़ हजार पृष्ठों के प्रूफ भी एक बार देखे। अटल जी के साथ काम करना एक अभूतपूर्व आनंददायक अनुभव रहा। मुझे एक रोचक घटना याद आती है। एक बार जब वह गौर से पांडुलिपि पढ़ रहे थे, मैंने कहा : "अटलजी, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं खपाना पड़ता।" अटल जी ने पलटकर मुझसे पूछा : "मुझे या तुम को?"

अटल जी के भाषणों का पहला रूप 'संसद में तीन दशक' शीर्षक से १९९२ में प्रकाशित हुआ। उसे तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल ने लोकार्पित किया। उन दिनों अटल जी विपक्ष के नेता बन चुके थे, इसलिए मैंने अपने संपादकीय में लिखा था—'यात्रा जारी है।'

गैर-हिंदीभाषी लोगों की मांग पर १९९६ में अंग्रेजी में 'फोर डिकेड्स इन पार्लियामेंट' का भी प्रकाशन हुआ। इसका विमोचन तत्कालीन उपराष्ट्रपति माननीय श्री के.आर. नारायणन ने किया। उसकी प्रस्तावना में मैंने लिखा था कि यह यात्रा अब खत्म होने को है और भाजपा अब राष्ट्रीय विकल्प बन चुकी है और उस पुस्तक के प्रकाशन के कुछ ही महीनों बाद केंद्र में भाजपा को अटल जी के नेतृत्व में पहली बार सरकार बनाने का गौरवपूर्ण अवसर मिला।

गुजराल सरकार के गिरने के बाद २५ दिसंबर, १९९७ को अटल जी के जन्म दिवस पर ही आम चुनाव की घोषणा हुई। मैंने उन्हें अवसरानुकूल उपहार देने का मन बनाया। मेरे उपहार की पन्नी हटाने के बाद अटल जी देर तक हंसते रहे। मैंने उन्हें 'यस प्राइम मिनिस्टर' पुस्तक की प्रति उपहार में दी थी। इस घटना को तीन महीने भी न बीते थे कि अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हो गए। अटल जी आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नैया को खे रहे हैं, उसका नेतृत्व कर रहे हैं।

मैं अटल जी का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री की अतिव्यस्त दिनचर्या के बावजूद इस पुस्तक की रूपरेखा और प्रस्तुति की तैयारी में रुचि ली, इसके अवलोकन के लिए समय निकाला और संसद जैसी संस्था पर पिछले चार दशक से भी अधिक के नितांत निजी अनुभवों को स्मृति के कोठार से निकालकर कागज पर उकेरा। यह महत्वपूर्ण सामग्री 'कुछ कहना है' शीर्षक से इसी खंड में दी गई है। इस ग्रंथ की शुरुआत उस महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक लेख से हो रही है।

यह श्री वाजपेयी के उन सभी भाषणों का संग्रह भर नहीं है जो उन्होंने १९५७ से अगस्त १९९८ तक संसद में दिए हैं। यहां उनके केवल महत्वपूर्ण भाषणों को ही संग्रहीत किया गया है। यह काम चार खंडों में संपन्न हुआ है—राष्ट्रीय स्थिति, आंतरिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और विदेश नीति। सभी विषयों को सुदूर से निकट काल-क्रमानुसार और विषयवार प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक खंड

के बाद संदर्भ के लिए निर्देशिका (इंडेक्स) भी दी गई है। वाजपेयी जी के अंग्रेजी भाषण और बहस के दौरान अंग्रेजी में कहे गए वाक्यों को भी हिंदी में इसलिए अनूदित किया गया है ताकि एकरूपता बनी रहे।

इनके साथ ही खंड दो के आरंभ में प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण और खंड के अंत में अटल जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद सम्मान समर्पण समारोह के अवसर पर उनकी प्रशस्ति में दिए गए महत्वपूर्ण भाषण और अटल जी का आभार भाषण संकलित है। खंड चार के अंत में वाजपेयी जी द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिवेशनों में दिए गए भाषण भी संकलित किए गए हैं।

इस ग्रंथ के संदर्भ में युवा पत्रकार श्री वीरेंद्र जैन का मैं हृदय से आभारी हूं जिन्होंने इसके संपादन और प्रकाशन में, पहले भी और अब भी, रचनात्मक सहयोग प्रदान किया। उनके सहयोग से मेरे लिए यह श्रमसाध्य कार्य बहुत ही सहज और सरल बन गया।

मैं श्रीमती नमिता कौर भट्टाचार्य का भी कृतज्ञ हूं जिन्होंने कुछ दुर्लभ चित्रों को उपलब्ध कराया और बहुमूल्य सुझाव दिए। पुस्तक को पाठकों तक पहुंचाने में वाजपेयी जी के निजी सहायकों और अन्य सहयोगियों से जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग मिला उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

कहना न होगा, इस उत्तम प्रयास में अगर कोई चीज छूट गई हो या कोई गलती रह गई हो तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं।

२३.१२.९८

—ना.मा. घटाटे

अनुक्रमणिका

४. धन्यवाद प्रस्ताव

५. रक्षा

६. नजरबंदी और संकटकाल

७. गृह

आत्मकथ्य

अटल बिहारी वाजपेयी

कुछ कहना है

दिन जाते देर नहीं लगती। देखते-देखते ४२ वर्ष बीत गए। फिर भी लगता है, जैसे कल ही की बात हो।

वह १९५७ का साल था। लोकसभा का दूसरा आम चुनाव होने जा रहा था। पार्टी (भारतीय जनसंघ) जड़ें जमाने में लगी थी। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी की छत्रछाया उठ चुकी थी। न ख्यातनाम नेतृत्व था, न विस्तृत जनाधार। चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल था। कौन गांठ से खर्च कर जमानत जब्त कराए। फिर भी चुनाव तो लड़ना ही था। पार्टी के संदेश को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का इससे अच्छा अवसर कब आएगा।

मुझे तीन चुनाव क्षेत्रों से लड़ाने का फैसला किया गया। एक—लखनऊ, दूसरा—मथुरा और तीसरा—बलरामपुर। लखनऊ से मैं लोकसभा का उपचुनाव लड़ चुका था। जीतने का तो सवाल ही नहीं था। हां, वोट अच्छे मिले थे। पार्टी का हौसला बढ़ा था। लखनऊ से फिर से लड़ाने का तय हुआ। मथुरा में कोई ढंग का उम्मीदवार नहीं मिल रहा था। जिन्हें ठीक-ठाककर मुश्किल से लड़ने को तैयार भी किया गया, वे सब विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। एक—खर्चा कम था। दूसरे—जमानत बचने की आशा थी और तीसरे—यदि तुक्का भिड़ गया तो जीतने की संभावना भी हो सकती थी। किंतु लोकसभा के लिए उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था। मुझ पर नजर पड़ी। थोड़ा-बहुत नाम हो गया था। भाषण सुनने लोग आने लगे थे। क्यों न मुझे लड़ा दिया जाए! मेरे नाम पर चुनाव लड़ने-भर के लिए धन भी इकट्ठा हो जाएगा।

जहां तक बलरामपुर में लड़ने का सवाल है, वहां पार्टी की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। स्वर्गीय प्रताप नारायण तिवारी ने पहले राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में; और बाद में भारतीय जनसंघ के पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते बलरामपुर क्षेत्र में अच्छा संगठन खड़ा किया था। नौजवान, किसान, कर्मचारी, अध्यापक, दुकानदार काफी संख्या में पार्टी से जुड़े थे। पार्टी की दृष्टि में बलरामपुर से जीतने की संभावना थी। मैं लखनऊ और मथुरा में नामांकन पत्र दाखिल करके बलरामपुर पहुंच गया।

इससे पहले मैं बलरामपुर कभी नहीं गया था। न मुझे उसके भूगोल का ज्ञान था, न इतिहास का। गोंडा से गोरखपुर के लिए जो छोटी लाइन जाती थी, बलरामपुर का स्टेशन उसी पर स्थित था। रेलगाड़ी आधी रात को गोंडा से चलती थी और ब्राह्म मुहूर्त में बलरामपुर पहुंचती थी। मैं छोटी लाइन से सुपरिचित था। ग्वालियर और भिंड के बीच तो और भी छोटी लाइन थी। गाड़ियां आराम से चलती थीं और पहुंचने में काफी समय लेती थीं। उसी टिकट पर, उन्हीं पैसों में, लंबी यात्रा का आनंद मिलता था। मैं गोंडा में गाड़ी में चढ़ा और संकरी-सी बर्थ पर बिस्तर बिछाकर सो गया। आंख खुली तो गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी थी। खिड़की खोलकर देखा तो सैकड़ों कौए स्टेशन पर लगे पेड़ों पर कांव-कांव कर रहे थे। सारा आकाश गूंज रहा था। मैंने पूछा—यह कौन सा स्टेशन है? उत्तर मिला—कौवापुर।

कौवापुर और ईंटिआठोक के बीच में स्थित बलरामपुर स्टेशन नेपाल जानेवाले यात्रियों के

लिए विश्राम स्थल का काम करता है। नगर घाघरा के किनारे बसा है। बलरामपुर एक छोटी सी रियासत थी। १९४७ में उत्तर प्रदेश का अंग बनी। भारतीय जनसंघ के रूप में लोगों को कांग्रेस का एक नया विकल्प मिला। लोग आकृष्ट हुए। जनसंघ की राष्ट्रवादी विचारधारा ने उन्हें प्रभावित किया। राजतंत्र समाप्त हो गया था, किंतु जमींदारी कायम थी। काफी जमींदार मुसलमान थे, जो आर्थिक उत्पीड़न के साथ धार्मिक भेदभाव भी करते थे। अपने चुनाव दौरे में मुझे अनेक ऐसे क्षेत्र मिले, जहां घड़ियाल और शंख बजाना मना था। स्वतंत्रता के बाद इस स्थिति में परिवर्तन हुआ था, किंतु परिवर्तन की लहर दूरदराज के क्षेत्रों तक नहीं पहुंची थी। जमींदारों से आतंकित छोटे और मझोले किसान भारतीय जनसंघ के साथ जुड़े। नतीजा यह हुआ कि मैं बलरामपुर से लोकसभा के लिए निर्वाचित कर लिया गया। वहां कुल ४८२८०० मतदाता थे, जिनमें से २२६९४८ मतदाताओं ने मताधिकार का उपयोग किया। मुझे ११८३८० मत मिले। कांग्रेस के श्री हैदर हुसैन लगभग १०००० मतों से चुनाव हार गए। यदि कांग्रेस का उम्मीदवार हिंदू होता तो शायद मैं चुनाव न जीत पाता। श्री हैदर हुसैन लखनऊ के नामी वकील थे। लेकिन उनके लिए बलरामपुर में लोगों से संपर्क बनाए रखना सरल नहीं था। वे कांग्रेस के बल पर चुनाव जीतते थे। कांग्रेस-विरोधी भावना बढ़ रही थी। अतः मुझे चुनाव में सफलता मिली।

किंतु मुझे दो अन्य चुनाव क्षेत्रों से भारी पराजय का सामना करना पड़ा। मथुरा में तो मेरी जमानत जब्त हो गई। ऐन वक्त पर कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनसंघ के समर्थक भी निर्दलीय उम्मीदवार राजा महेंद्र प्रताप के साथ चले गए। राजा साहब के लिए लोगों के दिल में बड़ा आदर था। वे स्वतंत्रता के संघर्ष में भाग ले चुके थे। विदेश में गठित स्वतंत्र भारत की सरकार के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके थे। उनके द्वारा स्थापित प्रेम आश्रम शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा था। वे कांग्रेस विरोधी भावना का भरपूर लाभ उठाने में सफल हुए। उनका जाट होना भी उनके लिए सहायक बना। मुझे यह अफसोस जरूर रहा कि पार्टी की स्थानीय इकाई को या तो मुझे वहां से लड़ने के लिए विवश नहीं करना चाहिए था, और जब मैदान में उतार दिया था तो फिर सभी वोट मेरे पक्ष में डलवाने के बारे में दृढ़ रहना चाहिए था। गैरकांग्रेसवाद की लहर में पार्टी के कट्टर समर्थकों का बह जाना उचित नहीं कहा जा सकता।

लखनऊ में पार्टी को अच्छा जनसमर्थन मिला। कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार श्री पुलिन बिहारी बैनर्जी को ६९५१९ वोट मिले, जबकि मेरे मतों की संख्या ५७०३४ थी। यदि कम्युनिस्ट उम्मीदवार कुछ अधिक वोट ले जाते तो कांग्रेस को हराया जा सकता था। ऐसा लगता है कि जनसंघ को हराने के लिए वामपंथ की ओर झुकाव रखनेवाले मतदाताओं ने भी कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया।

१९५७ में लोकसभा के चुनाव में मुझे मिलाकर जनसंघ के ४ सदस्य चुने गए थे। पार्टी को हरदोई से सुरक्षित सीट पर विजय प्राप्त हुई थी। दो अन्य सदस्य श्री उत्तम राव पाटिल और श्री प्रेमजी भाई आसर महाराष्ट्र से चुने गए थे। महाराष्ट्र में विपक्षी दल संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए संयुक्त संघर्ष कर रहे थे। जनसंघ उस संघर्ष में शामिल था। चुनाव भी संयुक्त रूप से लड़ने का तय हुआ था। श्री उत्तम राव पाटिल धूलिया से और श्री प्रेमजी भाई आसर रत्नागिरी से चुने गए थे। श्री पाटिल एडवोकेट थे। श्री प्रेमजी भाई आसर व्यापारी। इस तरह जनसंघ के चारों सदस्य, एक दृष्टि से पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते थे।

१९५७ के प्रारंभ में यह आशंका थी कि चुनाव समय पर होंगे या नहीं। एक वर्ष पहले राज्यों

का पुनर्गठन हुआ था, भाषावार राज्य बने थे। कई क्षेत्रों में अशांति का वातावरण था, **किंतु चुनाव** समय पर हुए। लगभग २० करोड़ मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया। लोकसभा के साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए। कांग्रेस को ४७.८ प्रतिशत वोट मिले और उसकी सदस्य संख्या में पिछले चुनाव की तुलना में ७ की वृद्धि हुई। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी को ८.९ प्रतिशत वोट मिले और उसकी सदस्य संख्या १६ से बढ़कर २७ हो गई। प्रजा समाजवादी दल को कम्युनिस्ट पार्टी की तुलना में अधिक वोट मिले। किंतु वह १९ स्थानों पर ही विजय प्राप्त कर सकी। भारतीय जनसंघ अपनी अखिल भारतीय मान्यता बनाए रखने में सफल रहा। अनेक दल अपनी मान्यता खो बैठे। हिंदू महासभा, परिगणित जाति फेडरेशन तथा राम राज्य परिषद ३ प्रतिशत वोट न मिलने के कारण अपनी मान्यता कायम नहीं रख सके। भारतीय जनसंघ ६ प्रतिशत वोट प्राप्त करने में सफल हुआ था। हिंदू महासभा के अध्यक्ष श्री निर्मलचंद चटर्जी और जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु घनश्याम देशपांडे चुनाव हार गए। उड़ीसा में गणतंत्र परिषद का प्रादुर्भाव हुआ। तमिलनाडु (मद्रास) में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का उदय एक महत्वपूर्ण घटना थी। बंबई प्रदेश को पुनर्गठित कर पृथक महाराष्ट्र की मांग करनेवाली संयुक्त महाराष्ट्र समिति और पृथक गुजरात के लिए संघर्षरत महागुजरात परिषद ने लोकसभा के चुनाव में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की।

चुनाव के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो मंत्रिमंडल बना उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्री गोविंद वल्लभ पंत, श्री मोरारजी देसाई तथा श्री जगजीवराम जैसे मूर्धन्य नेता शामिल थे। श्री कृष्ण मेनन भी बिना विभाग के मंत्री थे। प्रतिपक्ष में आचार्य कृपलानी, श्रीपाद अमृत डांगे, श्री नारायण गणेश गोरे, प्रो. हीरेन मुखर्जी तथा श्री मीनू मसानी जैसे कुशल सांसद तथा राजनेता उपस्थित थे। श्रीमती विजया राजे सिंधिया उन दिनों कांग्रेस में थीं। उनके अलावा श्रीमती सुचेता कृपलानी, कु. पार्वती कृष्णन्, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा सदन में बड़ी सक्रिय थीं और चर्चा में महत्वपूर्ण योगदान देती थीं।

भारतीय जनसंघ के हम चारों सदस्य संसद में पहली बार आए थे। हममें से कोई विधानसभा का भी सदस्य नहीं रहा था। विधायी कार्य के लिए सर्वथा नए थे। न कोई पूर्व अनुभव था न कोई अनुभवी सदस्य ही सहायता के लिए उपलब्ध था। संख्या कम होने के कारण सभी सदस्यों को सदन में पिछली बैंचों पर स्थान मिले थे। लोकसभा अध्यक्ष की नजर खींचना टेढ़ा काम था। विभिन्न विषयों पर चर्चा में समय पार्टियों के संख्याबल के अनुसार मिलता है। छोटे दलों के सदस्यों को बोलने के लिए पहले भी समय नहीं मिलता था, अब भी नहीं मिलता।

विदेश नीति मेरा प्रिय विषय रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा उन दिनों एक महत्वपूर्ण घटना होती थी। प्रधानमंत्री नेहरू जी विदेशमंत्री भी थे। जब विदेश मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा होती तो सदन खचाखच भर जाता। दर्शक दीर्घा में भारी भीड़ जुटती। कूटनीतिज्ञों के कक्ष में बैठने की जगह न रहती। प्रमुख विरोधी दल के नाते कम्युनिस्ट नेता अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति और उसके संबंध में भारत की नीति पर चर्चा आरंभ करते। प्रजा-समाजवादी दल भी अपनी बात कहता। किंतु भारतीय जनसंघ के लिए बोलने का समय पाने में बड़ी कठिनाई होती। पार्टी के हिस्से में मुश्किल से दो-चार मिनट आते। बहस लंबी खिंच जाती। प्रधानमंत्री द्वारा बहस का उत्तर दिए जाने का समय निश्चित होता।

एक बार तो समय न मिलने के कारण मुझे विरोध स्वरूप सदन त्याग करना पड़ा था। फिर भी जो समय मिलता उसका जनसंघ सदस्य पूरा लाभ उठाने का प्रयास करते।

विदेश नीति पर मेरे पहले भाषण ने ही सदन का ध्यान आकृष्ट किया था। सदन में अंग्रेजी छाई रहती थी। विदेश नीति पर तो अधिकांश भाषण अंग्रेजी में ही होते थे। समाजवादी दल के श्री बृजराज सिंह जरूर हिंदी में बोलते थे। मेरी प्रांजल भाषा और धाराप्रवाह शैली सदस्यों को पसंद आती थी। २० अगस्त, १९५८ को प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने पूरी बहस का उत्तर देते हुए अंग्रेजी भाषण को समाप्त करने के बाद अध्यक्ष से हिंदी में कुछ कहने की अनुमति मांगी। सदस्यों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। जब नेहरू जी ने मेरा नाम लेकर हिंदी में बोलना शुरू किया तो पुनः सदस्यों ने प्रसन्नता प्रकट की। नेहरू जी का भाषण इस प्रकार था :

"कल जो बहुत से भाषण हुए उनमें से एक भाषण श्री वाजपेयी जी का भी हुआ। अपने भाषण में उन्होंने एक बात कही थी और यह कहा था, मेरे ख्याल में, कि जो हमारी वैदेशिक नीति है, वह उनकी राय में सही है। मैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने यह बात कही। लेकिन एक बात उन्होंने और भी कही और कहा कि बोलने के लिए वाणी होनी चाहिए लेकिन चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए। इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। आप यह तो जानते हैं कि दूसरी महफिलों में यह बात चल सकती है और खाली दुनिया की महफिलों में यह नहीं चल सकती। कम से कम जहां तक हमारी वैदेशिक नीति का संबंध है, कभी-कभी हम जोश में आ सकते हैं और कभी धोखा भी हो सकता है, लेकिन मेरी इच्छा यही रही है कि हम कम से कम बोलें, कम से कम दखल दें। लेकिन मुश्किल यही है कि जब हम नहीं बोलते तो और साहिबान कहते हैं कि तुम तो ठंडे हो गए हो, तुम डर गए हो। श्री खाडिलकर साहब ने कहा कि औरों के हाथों में तुमने लगाम दे दी है, तुम्हें घुड़सवारी खुद ही करनी चाहिए। लेकिन मैं बिल्कुल सहमत हूं और मैंने एक बार कहा भी था, शायद यहीं कहा था या कहीं और कहा था कि कुछ दिन के लिए जो फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह दुनिया के हैं, कोई छह महीने के लिए चुप हो जाएं तो दुनिया का बहुत भला होगा, दुनिया का बहुत कल्याण होगा, किसी को कोई हानि नहीं होगी।

"एक बात श्री वाजपेयी ने कही थी और कुछ आचार्य कृपलानी जी ने भी इसकी चर्चा की थी कि वह जो शिखर सम्मेलन की चर्चा हुई उसका जो जवाब हमने जल्दी दिया उससे कुछ लोगों पर यह असर हुआ कि हम बहुत लालायित थे उसमें जाने के लिए, उसमें भाग लेने के लिए। मैं बतलाना चाहता हूं कि वाकयात क्या हुए।

"हमने बार-बार कहा है और कई वर्षों से हमारी यही नीति चली आ रही है कि हमें अगर किसी कॉन्फ्रेंस में कहीं बुलाया जाय तो हमारी कोई खास इच्छा नहीं होती है उसमें जाने की, लेकिन अगर हमारे जाने से कुछ लाभ की आशा हो, अगर लोग हमें बुलाएं, सब लोग करीब-करीब, तो हम जाने को तैयार हैं। उस वक्त अगर हम ऐंठें और कहें कि हम नहीं जाएंगे तो यह एक निकम्मी बात है। हो सकता है कि हमारे जाने से कोई लाभ न हो, लेकिन इन्कार करना भी शोभा नहीं देता है। कोरिया के मामले में तथा इंडोचीन के मामले में हम इसीलिए फंसे और हमारे लिए 'न' कहना नामुमकिन हो गया था और न कहना खासतौर पर इसलिए भी मुश्किल हो गया था कि सब लोगों ने मिलकर कहा कि तुम जाओ। और दूसरा कोई देश इस काम के लिए तैयार नहीं था या मौजूं नहीं था। मौजूं से मेरा मतलब यह नहीं है कि यह मुल्क ही सबसे अच्छा है, लेकिन हम उन सब बहुत कम मुल्कों में से हैं जिन पर थोड़ा-बहुत भरोसा दोनों पक्ष प्रकट करते हैं। तो इस तरह की चीज हो जाती है। इसीलिए हम कोरिया गए, इसीलिए हम इंडोचीन गए।

"अब इस मामले में हमने अपनी स्थिति साफ कर दी है। और सम्मेलन हुआ करते हैं

या यह जो शिखर सम्मेलन की बात है इसके बारे में भी हम अपने विचार प्रकट कर चुके हैं। बात यह है कि इस शिखर सम्मेलन के बारे में मेरे पास श्री खुश्चेव का तार आया था और ऐसे मौके पर तार आया जबकि हालत बहुत नाजुक थी और लड़ाई होकर कुछ शांति हुई थी। उस वक्त जरा सा इधर-उधर कुछ हो जाता तो लड़ाई छिड़ सकती थी। मैं नहीं जानता कि लोगों के दिमागों में क्या था, लेकिन जब अंग्रेजी फौजें और अमरीकन फौजें वहां भेजी गईं तो जाहिर था कि उसका नतीजा भयानक हो सकता था और कोई बड़ी लड़ाई हो सकती थी और हो सकता था कि उसके जवाब में कोई और बड़ा जवाब दे देता। लेकिन सोच-समझकर शायद यह समझा गया हो कि हम इस कदम को उठा सकते हैं और लड़ाई नहीं होगी। यह एक जुआ था। लेकिन उसी के साथ यह भी ध्यान में था कि शायद हो जाए और उसके लिए तैयारी भी पूरी थी।

"अगर एक भी कदम जो भड़कानेवाला होता, उठ गया होता तो फिर यकीनन आप २४ घंटे के अंदर पचासों शहर बिल्कुल खत्म होते देखते। दोनों तरफ यह हालत थी और यहां तक नौबत आ पहुंची थी। जहां एक दफा लड़ाई का निश्चय हो गया, बटन दब गया तो फिर पहले से ही सारे नक्शे मौजूद थे और फौजों को मालूम था कि उन्हें यहां से उस शहर को जाकर खत्म करना है, यहां-यहां एटम बम फेंकना है। उस वक्त सलाह-मश्विरा थोड़ा होना था, उस वक्त तो बटन दबने की देरी थी और हर वक्त यह बोझ दिमाग के ऊपर था कि कहीं यह न हो जाए। उस समय श्री खुश्चेव का तार मेरे पास आया और वह वही तार था जो उन्होंने दूसरे देशों को भेजा था, ३० जो बड़े मुल्क हैं, और उस तार में यह कहा गया था कि शायद, अधिक से अधिक दो या तीन दिन में कॉन्फ्रेंस हो और शायद जेनेवा में इसे करने का सुझाव दिया गया था।

"मैं पेच में पड़ गया। दो-तीन दिन में तो वहां पहुंचना भी असंभव मालूम देता था सिवाय इसके कि उसी वक्त दूसरी सुबह यहां से चल देता, लेकिन दो या तीन दिन की जो चर्चा थी उससे एक असर होता था कि मामला गंभीर है और मामला अगर कुछ तरफ झुक जाए तो लड़ाई हो सकती है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि हमारे जवाब से मामले की गंभीरता बढ़ सकती थी या कम हो सकती थी, लेकिन हमारे पास वक्त की कुछ तंगी थी। इन बातों को देखकर मैंने निश्चय किया कि मुझे फौरन जवाब दे देना चाहिए। वैसे तो जवाब पहले से ही दिया हुआ था और उसको ही मैंने दोहरा दिया और वह यह था कि ऐसे मौके पर अगर सब लोग चाहें और समझें और अगर हम भी समझें कि हमारे जाने से हम कुछ खिदमत कर सकते हैं तो हम जाने को तैयार हैं।

"तो ये दोनों बातें पूरी होनी चाहिए थीं। यह तो हमारा जवाब था और इसको मैंने दोहरा दिया। इसमें अगर किसी को संदेह हुआ हो कि हम तैयार बैठे थे तथा वहां जाने के लिए लालायित थे, वह कोई ठीक मालूम नहीं देता है। मेरी कोई खास इच्छा वहां जाने की नहीं है और मेरी तबियत इन बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंसिस से बहुत घबराती है। मेरी तबियत घबराती इसलिए है कि जो ढंग हो गया है वह ऐसा है कि अगर १०, १५ या २० आदमी मिलते हैं तो उनके पीछे २००, ३०० या ४०० सेक्रेट्रीज वगैरह भी आते हैं और उनके पीछे ६०० या ७०० तस्वीर खींचनेवाले चले आते हैं। और मूवी कैमराज वाले भी होते हैं। ऐसे मौकों पर मेरा दिमाग नहीं चलता है, कि हर वक्त, फ्लश लाइट्स और मूवी कैमराज आपके पीछे चल रहे हैं और आप काम कर रहे हैं और दुनिया के मसले हल कर रहे हैं। तो ऐसे मौकों पर जाने की मेरी इच्छा नहीं होती है। हां, मैं समझता हूं कि अगर चार आदमी मिलें, बातचीत करें तो कुछ न कुछ गलतफहमियां दूर हो सकती हैं,

कुछ लाभ हो सकता है एक-दूसरे को।

"पिछले दो-चार-पांच या सात बरस में मुझे दुनिया में फिरने का, दूसरे देशों में जाने का मौका मिला है और मैं बहुत सारे देशों में गया हूं और उन देशों में गया हूं जो दो गिरोहों में बंटे हुए हैं और एक-दूसरे के विरुद्ध हैं। दोनों जगह मैं गया हूं और दोनों ही जगह मेरा अच्छा स्वागत हुआ है। जहां-जहां भी मैं गया, हिंदुस्तान के नाम की वजह से समझिए, भारत की प्रतिष्ठा की वजह से चाहे समझिए, वहां बहुत अच्छा स्वागत हुआ और बहुत प्रेम से हुआ। मैंने देखा कि कितना हमारे देश का वहां आदर है। फिर वहां की गवर्नमेंट की चाहे कुछ भी राय हो और उस राय का असर भी लोगों पर होता है, लेकिन भारत क्या कहता है इसका भी असर वहां की जनता पर होता है, कम से कम इसलिए कि गलत या सही यह वहां विचार हुआ और लोग समझने लगे कि हम शांति और अमन चाहते हैं और हम गुस्से में आकर एक-दूसरे को बुरा-भला नहीं कहते। हम सोच-समझकर ठंडे दिल से बात करते हैं। इसलिए हमारा होना कभी-कभी ऐसे गिरोहों में कुछ लाभदायक भी सिद्ध हो सकता है।

"ये मेरे विचार थे जो मैं आपके सामने रखना चाहता था।"

मुझे इस बात का हमेशा खेद रहेगा कि मैं तीसरी लोकसभा का सदस्य नहीं चुना गया। १९६२ से १९६७ का कालखंड स्वतंत्र भारत के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण था। इस बीच देश ने दो लड़ाइयां देखीं। दो प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे। चीन के आक्रमण ने श्री नेहरू जी को मर्मांतक पीड़ा पहुंचाई थी। उसके विश्वासघात ने उन्हें अंतरतम तक हिला दिया था। वे पुनः अपनी पुरानी जीवंत मुद्रा में नहीं दिखाई दिए। उन्हें देखकर लगता था कि जैसे उन्हें किसी ने उनके आभामंडल से अलग कर दिया है। श्री लालबहादुर शास्त्री दिल के दौरे से दिवंगत हुए। वे दिल के मरीज रह चुके थे। किंतु जिन परिस्थितियों में उनका निधन हुआ उनमें यह आशंका करना स्वाभाविक था कि उन पर ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भारी दबाव डाला गया और उनका दिल उस दबाव को सहन नहीं कर सका।

तीसरी लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत थोड़ा सा घटा। उसकी सदस्य संख्या ३७१ से कम होकर ३६१ रह गई। कम्युनिस्ट पार्टी के बल में २ सीटों की वृद्धि हुई। भारतीय जनसंघ ने ऊंची छलांग लगाई। उसके सदस्यों की संख्या ४ से १४ हो गई। स्वतंत्र पार्टी ने २२ सीटें जीतकर प्रतिपक्ष में दूसरा स्थान प्राप्त किया। प्रजा समाजवादी दल ने ७ स्थान खोए। उसके एक दर्जन सदस्य रह गए।

तीसरी लोकसभा की विशेषता यह थी कि आचार्य कृपलानी, लोहिया तथा मसानी जैसे महारथी उपचुनावों में जीतकर आए। देश में गैरकांग्रेसवाद की हवा बह रही थी। विद्रोही दल मिलकर उपचुनाव लड़े थे। दुर्भाग्य से भारतीय जनसंघ के नेता श्री दीनदयाल उपाध्याय, जो जौनपुर से उपचुनाव लड़े थे, सफल नहीं हुए। उनकी कमी संसद में लगातार खलती रही।

तीसरी लोकसभा के चुनाव में मेरी हार सर्वथा अप्रत्याशित थी। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र की ५ साल तक अच्छी देखभाल की थी। संसद में, संसद के बाहर, मैंने बलरामपुर का प्रभावशाली प्रतिनिधित्व किया था। प्रतिपक्ष के सदस्य के नाते मैंने सरकार को अपनी कड़ी आलोचना का निशाना बनाया था। भारतीय जनसंघ के प्रवक्ता के रूप में पार्टी को पुष्ट किया था और पृथक पहचान बनाने में सफलता पाई थी। पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव से विरोधी परेशान थे। उन्होंने मुझे चुनाव में हराने का षड्यंत्र किया। सांप्रदायिकताविरोधी समिति की अध्यक्षा को हरियाणा से हटाकर

मेरे विरुद्ध बलरामपुर में लड़ाने का फैसला किया गया। उन्हें सभी वाममार्गियों का समर्थन प्राप्त था। उनका यह भी दावा था कि उन्हें नेहरू जी का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने चुनाव क्षेत्र में पहुंचते ही भारतीय जनसंघ और विशेषतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध जहर उगलना शुरू कर दिया। संघ फासिस्ट है, संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार जर्मनी गए थे और यह कि नाजी पार्टी के नक्शे पर रा. स्व. संघ का गठन किया जा रहा है। इन बे-सिर-पैर की बातों का जनता पर प्रभाव पड़ा हो, ऐसा नहीं था, किंतु कांग्रेसजनों को लड़ने का एक मुद्दा मिल गया था। वे आक्रामक रुख अपना रहे थे। उनके पास साधनों की कमी नहीं थी। जिला और स्थानीय अधिकारियों को धौंस देकर, दिल्ली तक पहुंच है, यह डर दिखाकर, चुनाव को प्रभावित करने के उचित-अनुचित हथकंडे अपनाए गए। यहां तक कि कांग्रेस के समर्थन में ब्राह्मणों के नाम एक अपील भी निकाली गई। क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का योजनाबद्ध प्रयास हुआ। मतदान के दिन बलरामपुर नगर में छुरेबाजी की घटना करके जनसंघ के मतदाताओं, विशेषकर औरतों को, जो बड़ी संख्या में सवेरे से ही मतदान केंद्रों पर एकत्र हो गए थे; डरा-धमकाकर घर भेजने का षडयंत्र रचा गया। कुछ क्षेत्रों में मतदान रोकना पड़ा। जो मतदाता घर चले गए थे उनमें से अधिकांश लौटकर नहीं आए।

फिर भी मुझे विजय की आशा थी। कारण, मुझे व्यापक जनसमर्थन प्राप्त था। चुनाव प्रचार के लिए नेहरू जी को लाने के बाद भी कांग्रेस उम्मीदवार की स्थिति में सुधार नहीं हुआ था। वस्तुतः नेहरू जी के भाषण के इस वाक्य ने कि जनसंघ में कुछ अच्छे लोग हैं, मुझे सहायता ही दी। संभव है कि नेहरू जी ने जो कुछ कहा, वह मुझे लक्षित करके नहीं कहा था, किंतु ग्रामीण मतदाता तो यही समझे कि नेहरू जी का इशारा मेरी ओर था। यह प्रायः सभी ने स्वीकार किया कि यदि मैं बलरामपुर से चुनाव न लड़ता तो नेहरू जी वहां तक आने का कभी कष्ट न उठाते। बलरामपुर नगर को छोड़कर सभी जगह पार्टी के पक्ष में अच्छा मतदान होने की खबरें थीं।

किंतु अनेक स्थानों से मिली एक शिकायत से मेरा माथा ठनका था। शिकायत यह थी कि कांग्रेस के समर्थकों ने मतदाताओं में भ्रम पैदा करने के लिए यह प्रचार शुरू कर दिया था कि यदि वे लोकसभा के चुनाव में मुझे वोट देना चाहते हैं तो उन्हें गुलाबी मतपत्र पर दीपक पर मोहर लगानी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव उन दिनों साथ होते थे। हर मतदाता को दो पत्र दिए जाते थे। दोनों के रंग अलग-अलग होते थे। मेरी लोकप्रियता देखकर कांग्रेसजनों ने मतदाताओं को गलत रंग के मतपत्र पर मुझे वोट देने के लिए कहा। मतदान केंद्रों पर तैनात कुछ अधिकारी भी इसी भ्रम को बढ़ाने में सहायक हुए। जब वोटों की गिनती हुई तो इस सोची-समझी और गहरी साजिश का परिणाम सामने आ गया।

मैं २००० वोटों से चुनाव हार गया। मुझे १००२०८ वोट मिले। जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को १०२२६० वोट प्राप्त हुए। आश्चर्य की बात यह थी कि मेरे नीचे उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव लड़ रहे भारतीय जनसंघ के ५ उम्मीदवारों में से ४ उम्मीदवार अच्छे मतों से विजयी हुए। तुलसीपुर से सरदार बलदेव सिंह ६००० से अधिक मतों से जीते। बलरामपुर सुरक्षित सीट से श्री सुखदेव प्रसाद को कांग्रेस की तुलना में २००० वोट अधिक मिले। उतरौला से श्री सूरजलाल गुप्त भी अपने कांग्रेसी प्रतिद्वंद्वी से ४५०० मतों से आगे रहे। सादुल्ला नगर से श्री अवध नारायण सिंह भी चुनाव जीत गए। जनसंघ ने विधानसभा की केवल एक सीट हारी, किंतु वह हार भी केवल ५५ वोटों से हुई। शायद ही किसी चुनाव क्षेत्र में ऐसा हुआ हो कि कोई पार्टी ५ विधानसभा की सीटों में से ४ सीटें अच्छे वोटों से जीत जाए, किंतु उसका लोकसभा का प्रत्याशी चुनाव हार जाए।

ऐसा दो स्थितियों में हो सकता है। एक—विधानसभा के उम्मीदवारों ने केवल अपने लिए वोट मांगे हों और लोकसभा के उम्मीदवार की उपेक्षा कर दी हो। दूसरे—मतदाता मतपत्र के रंग के बारे में भ्रमित कर दिए गए हों और यह समझते हुए कि वे लोकसभा के उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं, उनका वोट विधानसभा के उम्मीदवार को मिल गया हो। इस बात की तो बिल्कुल संभावना नहीं थी कि विधानसभा के उम्मीदवार केवल अपने लिए वोट मांगते। सच्चाई यह है कि वे मेरे भरोसे चुनाव की नदी पार करना चाहते थे। लेकिन हुआ यह कि वे तो पार हो गए और मैं मंझधार में डूब गया। चुनाव परिणाम आने के बाद अनेक मतदाता मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि उन्होंने तो मुझे वोट दिया था फिर मैं हार कैसे गया। स्पष्टतः कांग्रेस मतदाताओं में भ्रम पैदा करने में कामयाब हुई।

संसद सदस्यों और विधायकों से यह आशा की जाती है कि वे अपने चुनाव क्षेत्रों की अच्छी तरह देखभाल करें, उनमें निरंतर जाते रहें और लोगों के सुख-दुख में शामिल हों। यह आशा उचित भी है। मैं पहली बार लोकसभा का सदस्य चुना गया था। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र की पूरी चिंता की थी। मतदाताओं से निकट संपर्क रखा था। बलरामपुर का नाम उजागर किया था। किंतु हारने के बाद मैंने निश्चय किया कि अब मैं बलरामपुर से अधिक संपर्क नहीं रखूंगा। मैं कांग्रेस उम्मीदवार को पूरा काम करने का अवसर देना चाहता था। लेकिन मैं वहां से पुनः चुनाव लड़ने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ था। मुझे अपनी हार का बदला लेना था। अगले आम चुनाव के पहले कांग्रेस के कतिपय वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे कहा कि मैं बलरामपुर की सीट छोड़ दूं और कहीं और से चुनाव लड़ लूं। उनका यह तर्क था कि मैं तो और कहीं से भी चुनाव जीत सकता हूं, किंतु बलरामपुर से विजयी कांग्रेस उम्मीदवार के लिए अब क्षेत्र छोड़ना अप्रतिष्ठाकारक होगा। मैंने उनके सुझाव को स्वीकार नहीं किया। मैं बलरामपुर से पुनः लड़ा और विजयी हुआ। मैं ३१,००० से अधिक मतों से जीता। मुझे १४२४४६ मत मिले, जबकि कांग्रेस की उम्मीदवार को ११०७०४ वोट प्राप्त हुए। मेरे साथ विधानसभा के भी ४ उम्मीदवार विजयी हुए।

संसद के इतिहास में ६ मई, १९६१ का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। उस दिन संसद के दोनों सदनों की पहली बार संयुक्त बैठक हुई। इस तरह की बैठक की संविधान में व्यवस्था है। वित्त और धन संबंधी मामलों को छोड़कर दोनों सदनों के अधिकार बराबर हैं। मुझे दोनों सदनों का सदस्य रहने का सुअवसर मिला है। राज्यसभा राज्यों का सदन है, जबकि लोकसभा के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं और सारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। सारे देश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के सदस्य भी करते हैं, किंतु वे राज्यों के भी प्रतिनिधि होते हैं। कुछ मामलों में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार हैं, जो लोकसभा को नहीं हैं।

क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों सदनों के बीच मतभेद दहेज जैसी अपेक्षाकृत छोटी सी समस्या को लेकर हुआ! लेकिन सच्चाई यह है कि दहेज कोई छोटी समस्या नहीं है। उसका संबंध सामाजिक ढांचे से है, पुरानी मान्यताओं से है, परंपराओं से है और धार्मिक विश्वासों से भी है। एक रूढ़िवादी समाज में जब कोई सामाजिक सुधार किया जाता है तो वह बड़े विवाद का विषय बन जाता है। हिंदू कोड बिल को लेकर देश में जो बवंडर मचा था वह सबको विदित है।

वस्तुतः दहेज के प्रश्न पर विचार के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन इसलिए अधिक आश्चर्यजनक बन गया क्योंकि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा ने अधिक प्रगतिशील रवैया

अपनाया। राज्यसभा अधिक परिपक्वों और बुजुर्गों का सदन माना जाता है। दूसरे इस सदन की उपयोगिता ही 'ब्रेक' लगाने में समझी जाती है, किंतु दहेज के मामले में राज्यसभा तेजी से आगे बढ़ने के पक्ष में थी।

दोनों सदनों का बहुमत इस राय का था कि दहेज एक साभाजिक बुराई है, इसका निराकरण होना चाहिए। उनमें इस बात पर भी मतभेद नहीं था कि इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए कानून की आवश्यकता है। मतभेद का मुख्य मुद्दा यह था कि कानून को कितना कड़ा बनाया जाए। राज्यसभा कड़े कानून के पक्ष में थी। अनेक सदस्य इस राय के थे कि लड़की के विवाह में यदि उसका पिता या अन्य संबंधी स्वेच्छा से धन और आभूषण देना चाहते हैं तो उसे दहेज की परिधि से मुक्त रखा जाना चाहिए। किंतु बहुमत ठहरौनी के विरुद्ध था। ठहरौनी से अभिप्राय उस दहेज से है जो विवाह के पूर्व शर्त के रूप में दिया जाता है। शादी के पहले यह ठहरा लिया जाता है कि लड़कीवाला लड़के के बदले में कन्या के साथ क्या-क्या तथा कितना-कितना देगा। संक्षेप में, दूल्हे का दाम कितना होगा। कानून इस तरह के दहेज को रोकना चाहता था, किंतु कुछ सदस्यों को डर था कि अगर शादी के अवसर पर उपहार या भेंट देने की कानून में छूट दी गई तो दहेज के लिए दरवाजा खुल जाएगा और कानून बनाने के उद्देश्य पर ही पानी फिर जाएगा। इस डर को सरकार द्वारा प्रस्तुत एक संशोधन ने और भी पुष्ट कर दिया। सारा विवाद मुख्यधारा से संबद्ध एक स्पष्टीकरण पर केंद्रित हो गया। स्पष्टीकरण इस प्रकार का था :

"शंकाओं के निवारण के लिए एतत् द्वारा घोषित किया जाता है कि विवाद में किसी पक्षकार को उस विवाह के समय नकदी, आभूषण, कपड़ों या अन्य वस्तुओं के रूप में दिए गए किन्हीं उपहारों को इस धारा के अर्थ के अंदर दहेज उस अवस्था में न समझा जाएगा जिसमें कि वे उक्त पक्षकारों के विवाह के लिए प्रतिफल के रूप में दिए जाते हैं।"

सरकार ने स्पष्टीकरण को रद्द करने की मांग नहीं मानी। उसका कहना था कि कन्या के विवाह में यदि स्वेच्छा से धन, आभूषण आदि दिए जाते हैं तो उन्हें कैसे रोका जा सकता है। मैंने एक मध्यम मार्ग निकालने का सुझाव दिया। मैंने विवाह के अवसर पर दिए जानेवाले उपहारों को २ हजार रुपए के मूल्य तक सीमित रखने का सुझाव दिया। १९६० में २ हजार एक बड़ी रकम थी। अब तो वह भूंजी भांग जैसी मालूम होती है। कुछ सदस्यों ने ५१ रुपए रखने का सुझाव दिया। मेरा संशोधन गिर गया। स्पष्टीकरण को हटाने का संशोधन भी अस्वीकृत हो गया। उसके पक्ष में १९२, विपक्ष में २३० मत आए।

विधेयक में दहेज लेना और देना दंडनीय बनाए गए थे। ६ मास तक के कारावास का प्रावधान था। किंतु इसके साथ दहेज मांगना भी एक अपराध की श्रेणी में रखा गया जिसकी सजा भी ६ मास तक की हो सकती थी। विचित्र बात यह थी कि दहेज मांगने के साथ 'प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से' शब्द जोड़ दिए गए थे। प्रत्यक्ष रूप से दहेज मांगने का सबूत तो दिया जा सकता है, किंतु 'अप्रत्यक्ष' को कैसे प्रमाणित किया जाएगा? क्या इसका दुरुपयोग नहीं होगा? मैंने संशोधन रखा कि 'प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से' यह शब्दावली निकाल दी जाए। सदन ने उसे स्वीकार नहीं किया। कुछ सदस्य चाहते थे कि दहेज के मामले में पुलिस को हस्तक्षेप करने का अधिकार होना चाहिए। किंतु सरकार इस बात पर अड़ी रही कि कोई अदालत दहेज संबंधी किसी अपराध का तब तक नोटिस नहीं लेगी जब तक राज्य की या उसके द्वारा नियुक्त पदाधिकारी की पूर्व मंजूरी नहीं ली जाती।

निस्संदेह दहेज-विरोधी कानून काफी कमजोर बना था। किंतु संतोष का विषय यह था कि

दोनों सदन अपने मतभेद मिटाकर समाज सुधार की दिशा में एक ठोस कदम उठाने में समर्थ हुए। अब तो दहेज ने एक दानव का रूप धारण कर लिया है। सैकड़ों नव-वधुएं दहेज की वेदी पर प्रतिवर्ष बलि हो रही हैं। दहेज के लोभी बहू पर मिट्टी का तेल डालकर, आग लगाकर, हत्या करने में भी संकोच नहीं करते। कानून काफी कठोर कर दिया गया है। फिर भी दहेज संबंधी अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आवश्यकता है कानून का दृढ़ता और ईमानदारी से पालन कराने की। साथ ही जन-जागरण भी जरूरी है। मैंने अपने भाषण में इस बात पर बल दिया था। मैंने कहा था :

> "आवश्यकता इस बात की है कि देश की आर्थिक प्रगति की जाए, शिक्षा का प्रचार किया जाए, जात-पांत के बंधन तोड़े जाएं और लड़के-लड़कियां उन्मुक्त भाव से विवाह करें, शादियां परमात्मा के यहां से नहीं, आपस में तय हों, तभी दहेज खत्म हो सकता है।"

चार दशक बीत गए। न अपेक्षित आर्थिक प्रगति हुई, न सबको साक्षर बनाने का सीमित लक्ष्य ही पूर्ण किया जा सका। जात-पांत के बंधन टूटने के बजाय और कस गए हैं। अंतरजातीय विवाहों की संख्या बहुत कम है। लड़की देना अब भी हेठी का काम समझा जाता है। पढ़े-लिखे लोग भी बराती बनकर उच्छृंखल होने का अधिकार पा लेते हैं। हम जैसे-जैसे आधुनिक बनते जा रहे हैं, वैसे-वैसे मानवीय गुणों और मूल्यों को भूलते जा रहे हैं। यह स्थिति हमें कहां ले जाएगी, शायद ही कोई जानता हो।

मैं राज्यसभा का सदस्य दो बार निर्वाचित हुआ। पहली बार १९६२ में, दूसरी बार १९८६ में। १९६२ में हमारे दल (भारतीय जनसंघ) के सदन में दो ही सदस्य थे। फिर भी सभापति डॉ. राधाकृष्णन ने मुझे प्रथम पंक्ति में स्थान दिया था। कोई चर्चा ऐसी नहीं होती थी जिसमें पार्टी का दृष्टिकोण रखने का अवसर न मिलता हो। डॉ. राधाकृष्णन बड़ी शालीनता और गरिमा के साथ सदन की कार्यवाही का संचालन और नियंत्रण करते थे। बाद में डॉ. जाकिर हुसैन ने अध्यक्ष पद संभाला। उन्हें प्रश्नकाल के बाद होनेवाले होहल्ला से बड़ी कोफ्त होती थी। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण वहां बोलने के लिए अधिक समय मिलता है। परंपरा के अनुसार गैरसरकारी प्रस्ताव या विधेयक पर तो सदस्य जितनी देर चाहे बोल सकता है। कम्युनिस्ट सदस्य श्री भूपेश गुप्त ने एक प्रस्ताव पर ६ घंटे का भाषण करके नया कीर्तिमान स्थापित किया था।

१९८६ में जब मैं दूसरी बार राज्यसभा का सदस्य चुना गया तब सदन का गठन और उसका स्वरूप परिवर्तित हो चुका था। वरिष्ठों की तुलना में तरुणों की संख्या बढ़ गई थी। नव युव प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के कारण युवक कांग्रेस से संबंधित अनेक नौजवान राज्यसभा के सदस्य बन गए। प्रतिपक्ष संख्या में कम, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक प्रभावी था।

प्रश्न यह है कि संविधान के निर्माताओं ने जब राज्यसभा के गठन का निर्णय किया तब उनका लक्ष्य क्या था? क्या वह लक्ष्य पूरा हुआ है? संविधान परिषद में हुई चर्चा में उड़ीसा के एक सदस्य श्री लोकनाथ मिश्र ने कहा था कि राज्यसभा, उसके वर्तमान स्वरूप में अनावश्यक होगी। किंतु उसे स्वीकार नहीं किया गया। श्री अनंतशयनम् आयंगार ने राज्यसभा रखने के पक्ष में तीन तर्क दिए। एक, लोगों में राजनीति में भाग लेने के लिए भारी उत्साह है और इसके लिए उन्हें अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। उन्हें अपनी प्रतिभा के उपयोग का अवसर मिलना चाहिए। दूसरे—लोकसभा द्वारा जल्दी में बनाए गए किसी भी कानून पर राज्यसभा द्वारा 'धीरे चलो' का अंकुश लगाया जा सकता है। तीसरे—राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा जबकि लोकसभा स्थायी नहीं

होगी। श्री आयंगार ने कहा कि देश की प्रगति के लिए दूसरा सदन आवश्यक है।

जहां तक अधिक लोगों को राजनीति में भागीदारी का अवसर प्रदान करने का प्रश्न है, राज्यसभा इसमें सफल हुई है। किंतु, लोकसभा की जल्दबाजी पर अंकुश लगाने का उद्देश्य तो पूरी तरह विफल हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भले ही राज्यसभा के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं, किंतु वे अपने-अपने दल के प्रतिनिधि के रूप में ही काम करते हैं। वे दल के अनुशासन में बंधे होते हैं, सदन में भी दलों द्वारा निर्धारित नीतियों का ही प्रतिपादन करते हैं। इस स्थिति में अंकुश की गुंजाइश ही कहां है। प्रारंभ में यह पद्धति जरूर थी कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा अपने वरिष्ठ सदस्यों को जो आयु के साथ-साथ अनुभव में भी बड़े होते थे; उन्हें राज्यसभा में भेजकर सम्मानित किया जाता था। अब तो उसका भी पालन नहीं हो रहा है। कहने भर के लिए राज्यसभा वरिष्ठों का सदन रह गया है। दोनों सदनों के गठन, आयुवर्ग की दृष्टि से उनके सदस्यों के वर्गीकरण में कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता। हां, इतना अंतर अवश्य है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए २५ वर्ष की आयु चाहिए जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु ३० वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है।

मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को राज्यसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते समय अधिक सावधानी से काम लेना चाहिए। दलों के वयोवृद्ध नेता राज्यसभा की सदस्यता से सम्मानित किए जा सकते हैं। किंतु उनका अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से भी योग्य होना आवश्यक है। यदि राजनीतिक दल सदस्यों का चयन करते समय समाज के विभिन्न वर्गों के योग्य व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करें तो इससे दल को भी शक्ति मिलेगी और राज्यसभा का रूप भी अधिक निखरेगा। सुरक्षा सेनाओं के अवकाशप्राप्त अधिकारी, शिक्षा शास्त्री, वैज्ञानिक, उद्योगपति, रचनात्मक कार्यकर्ता अपने योगदान से राज्यसभा के वाद-विवाद को अधिक उपयोगी बना सकते हैं।

१९८४ के आम चुनाव में, जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी जघन्य हत्या के बाद हुआ था, प्रतिपक्ष को भारी पराजय का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के पक्ष में बही सहानुभूति की लहर ने प्रतिपक्ष के खेमे उखाड़ दिए थे। भारतीय जनता पार्टी को, वोटों के प्रतिशत की दृष्टि से, वही जनसमर्थन मिला था जो उसे १९७१ में प्राप्त हुआ था। किंतु ७१ में पार्टी की लोकसभा में २२ सीटें आई थीं, जबकि १९८४ में सीटें घटकर केवल दो रह गईं। मैं भी चुनाव हार गया। अन्य विरोधी दलों को भी उत्तर में सहानुभूति लहर के कारण भारी क्षति उठानी पड़ी। लोकदल के लोकसभा में केवल ३ सदस्य निर्वाचित हुए। जनता पार्टी की संख्या भी एक दर्जन तक नहीं पहुंच पाई। भारतीय जनता पार्टी और लोकदल की तुलना में उसकी संख्या अधिक होने का कारण यह था कि सहानुभूति लहर का जितना प्रभाव उत्तर में हुआ था उतना दक्षिण में नहीं हुआ।

यह धारणा सही नहीं है कि यदि मैं ग्वालियर जाने के बजाय अपने पुराने क्षेत्र नई दिल्ली से ही लड़ता तो मैं चुनाव में विजयी होता। सहानुभूति लहर का असर दिल्ली में भी था। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकसभा का एक भी स्थान नहीं ले सकी थी। नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र की स्थिति अपेक्षाकृत अच्छी थी। १९८० में जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सभी लोकसभा सीटें हार गई थी, तब भी नई दिल्ली की सीट पार्टी को प्राप्त हुई थी। शायद उसी आधार पर यह कहा जाता है कि १९८४ की हवा में भी मैं नई दिल्ली की सीट को बरकरार रख सकता था।

यह धारणा भी सही नहीं है कि मैं सुरक्षित सीट की तलाश में ग्वालियर गया था। सचाई

यह है कि पार्टी के दायित्व के कारण मुझे नई दिल्ली के चुनाव क्षेत्र की ओर जितना ध्यान देना चाहिए था, मैं नहीं दे सका था। मतदाताओं से संपर्क टूट गया था। संगठनात्मक दृष्टि से नई दिल्ली के कुछ क्षेत्र हमेशा से दुर्बल रहे हैं। नई दिल्ली सीट को जीतने के लिए कठोर परिश्रम करने और अधिक समय देने की आवश्यकता थी। सारे देश में चुनाव अभियान के दायित्व को भली-भांति निभाते हुए नई दिल्ली में अधिक समय देना और अधिक श्रम करना संभव नहीं था। अतः ग्वालियर जाने का सुझाव आया।

मैं वहां से पहले भी चुनकर आ चुका था। उन दिनों लोकसभा में ग्वालियर का प्रतिनिधित्व श्री शेजवलकर करते थे। वे पुनः चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक नहीं थे। पूर्व महाराजा गुना से चुनकर आए थे। निर्णय करने के पूर्व मैंने उनसे एक दिन लॉबी में पूछा था कि क्या वे ग्वालियर से लड़ने का विचार कर रहे हैं? उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया था। किंतु ऐन वक्त पर उन्होंने ग्वालियर से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। मुझे इतना भी समय नहीं मिला कि मैं किसी अन्य क्षेत्र से नामजदगी पर्चा दाखिल कर पाता। मुझे ग्वालियर में बांध रखने की यह रणनीति किस गुप्त और चतुरतापूर्ण ढंग से बनी, इसकी पूरी कहानी जनता दल के गठन के बाद प्रकाश में आई।

वस्तुतः सारी योजना के पीछे दोहरी चाल थी। पहली—मैं ग्वालियर में ही बंध जाऊं और कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करने के लिए सारे देश का दौरा न कर सकूं। दूसरे—चुनाव परिणाम कुछ भी हों, कांग्रेस के एक गुट का राजनीतिक उद्देश्य पूरा होता था। यदि मैं हारता तो प्रतिपक्ष दुर्बल होता। यदि कहीं श्री माधव राव सिंधिया पराजित हो जाते, जिसकी संभावना बहुत कम थी, तब भी उनका सीमित स्वार्थ पूरा होता। किंतु श्री सिंधिया के परास्त होने की कोई संभावना नहीं थी। वे ग्वालियर से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। ग्वालियर राज परिवार के प्रति लोगों में अब भी बड़े आदर का भाव है। अपने पिता के एकमात्र पुत्र होने के कारण इस प्रभाव का उन्हें हमेशा लाभ मिला है। राजमाता विजया राजे सिंधिया का भी कुछ कम प्रभाव नहीं है। राजमाता के महिमामय व्यक्तित्व और सिद्धांतों के प्रति उनकी निष्ठा ने लोगों को पार्टी की ओर आकृष्ट किया है। पुराने जनसंघ और नई भारतीय जनता पार्टी को ग्वालियर क्षेत्र में जो सफलता मिलती रही है उसमें राजमाता सिंधिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से बड़ी मात्रा में सहायक रहा है।

मैं नहीं जानता कि यदि १९८४ में ग्वालियर में मेरी जगह राजमाता विजया राजे सिंधिया चुनाव लड़ने का फैसला करतीं और उनकी टक्कर उनके पुत्र श्री माधव राव सिंधिया से होती तो क्या चुनाव परिणाम निकलता! लेकिन इस तरह की कोई टक्कर हम लोग टालना चाहते थे। मां और पुत्र के बीच में जो खाई पैदा हो गई है, वह कम से कम मुझे तो कभी अच्छी नहीं लगी। राजनीतिक मतभेद होना एक बात है, किंतु उसकी वजह से मां और पुत्र के सहज, स्वाभाविक और ममतापूर्ण संबंधों में कटुता आ जाना बिल्कुल दूसरी बात है।

यह ठीक है कि राजमाता सिंधिया ने मुझसे कहा था कि मैं नामांकन पत्र भरने के लिए ग्वालियर अकेला न जाऊं, वह भी मेरे साथ चलना चाहेंगी। किंतु मैंने इसके लिए उन्हें कष्ट देना उचित नहीं समझा। मुझे यह भी डर था कि यदि उन्होंने मेरे साथ ही नामजदगी पर्चा भर दिया तो आगे उसे वापस लेने में कठिनाइयां होंगी। बाद में जब कुछ मित्रों ने श्री माधव राव सिंधिया से पूछा कि वे मेरे खिलाफ क्यों खड़े हुए, तो उन्होंने यह उत्तर दिया कि मैंने पर्चा भरने के बाद उन्हें यह चुनौती दी थी कि वे मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर देख लें, उन्हें अपनी औकात का पता लग जाएगा। यह बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी है। राजनीतिक विरोधियों के प्रति अशिष्टता का व्यवहार

करना मेरे स्वभाव में नहीं है। श्री सिंधिया के प्रति तो मेरा सहज स्नेह और सम्मान का भाव रहा है। उन्हें जनसंघ का सदस्य मैंने ही बनाया था।

यह स्पष्ट है कि श्री सिंधिया पर ग्वालियर से लड़ने के लिए दबाव डाला गया और एक कांग्रेस जन के नाते उनके सम्मुख वहां से लड़ने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था। ऐन वक्त पर नामजदगी पर्चा भरकर मेरे साथ जो व्यवहार किया उसे मैं वचनभंग की संज्ञा तो नहीं दूंगा, किंतु उस आचरण को पारस्परिक संबंधों की कसौटी पर कसने पर उचित भी नहीं ठहरा पाऊंगा। 'युद्ध और प्रेम में सब कुछ जायज है' यह माननेवाले कुछ भी कहें और समझें किंतु यह तथ्य निर्विवाद है कि मुझे हराने के लिए उन्हें अंतिम क्षण में मैदान में उतारा गया। सहानुभूति की लहर और श्री सिंधिया का व्यक्तिगत प्रभाव दोनों के कारण चुनाव में मेरी पराजय सुनिश्चित थी। यदि राजा द्वार पर आकर वोट की याचना करे तो उसे 'न' कहना कठिन होता है। किंतु यदि इंदिरा लहर न होती तो राजा के प्रति आदर और आत्मीयता की भावना रखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी को व्यापक समर्थन मिलता। जम्मू में डॉ. कर्ण सिंह को, जो कांग्रेस के विरुद्ध खड़े थे, उनका भूतपूर्व महाराजा होना विजयी नहीं बना सका।

१९८४ में ग्वालियर में कांग्रेस ने मेरे साथ जो कुछ किया, लगभग उसी तरह का व्यवहार १९९१ में विदिशा में कांग्रेस के साथ हो गया। मुझे ऐन वक्त पर विदिशा से अपना नामजदगी पर्चा भरना पड़ा। कांग्रेस के उम्मीदवार और उनके समर्थक इस घटनाक्रम से इतने खिन्न हो गए कि उन्होंने पत्थरों से मेरा स्वागत कर डाला। मुझे बाहरी बताकर मेरे खिलाफ प्रचार किया।

मैंने १९९१ में लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ा और दो सीटों पर क्यों खड़ा हुआ, इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। मैं उन दिनों राज्यसभा का सदस्य था। मैंने घोषणा कर दी थी कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लडूंगा। राज्यसभा में मेरा कार्यकाल अभी बाकी था। किंतु मुझे पार्टी ने लड़ाने का फैसला कर लिया। पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की इच्छुक थी। चुनाव अभियान को तीव्र गति देने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को वहां से लड़ाना जरूरी था जो अधिक जनसमर्थन जुटाने में सहायक होता। डॉ. मुरली मनोहर जोशी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण चुनाव न लड़ने का निर्णय कर चुके थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया या श्री लालकृष्ण आडवाणी को उनकी जीती हुई सीटों से हटाने का प्रश्न ही नहीं था। इसलिए पार्टी की नजर मुझ पर पड़ी। ज्योतिषियों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। मेरी जन्मपत्री देखकर ज्योतिषियों ने कहा...बताया जाता है कि मेरे ग्रह उच्च हैं और मुझे लड़ाना लाभदायक रहेगा। पार्टी को लखनऊ से लड़ने के लिए एक अच्छे उम्मीदवार की आवश्यकता भी थी। मेरा लखनऊ से पुराना संबंध रहा है। मैं पहले वहां तीन बार चुनाव लड़ चुका था। इसलिए मुझे वहां से लड़ाने का फैसला हुआ।

किंतु जब तय हुआ कि श्री आडवाणी नई दिल्ली के साथ-साथ गांधीनगर (गुजरात) से भी चुनाव लड़ें तो मुझे भी दो स्थानों से लड़ने के लिए कहा गया। नई दिल्ली की सीट उतनी सुदृढ़ नहीं है, यह पहले ही पता था। किंतु लखनऊ से पार्टी की विजय सुनिश्चित थी। यदि कांग्रेस किसी चोटी के फिल्म अभिनेता को लखनऊ से लड़ाती तो उसके लिए भी वहां से जीतना सरल नहीं होता। सारा उत्तर प्रदेश राम लहर से आप्लावित था। प्रतिपक्ष विभाजित ही नहीं, बदनाम भी हो चुका था। अयोध्या में कारसेवकों पर हुई ज्यादतियों ने लोगों को विक्षुब्ध कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रतिपक्ष ने जो रैलियां आयोजित कीं उनमें अल्पसंख्यक समुदाय

के लोगों का बड़ी संख्या में आना और उनके सम्मुख भड़कानेवाले भाषण देना भाजपा के लिए और भी सहायक हुआ। यदि अयोध्या में कारसेवकों पर गोली न चलती और बहुसंख्यक समुदाय की भावना को चोट पहुंचानेवाले भाषण न दिए जाते तो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इतनी सफलता न मिलती। भाजपा विरोधी वोटों का विभाजन भी सफलता में सहायक हुआ।

लोकसभा में दसवें आम चुनाव के बाद सदन की जो स्थिति बनी, उसमें भारतीय जनता पार्टी ११९ स्थान प्राप्त करके मुख्य विरोधी दल के रूप में प्रतिष्ठित हुई। २२७ स्थान प्राप्त कर कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। राष्ट्रपति वेंकटरमण ने जब कांग्रेस संसदीय दल के नेता श्री नरसिंह राव को सरकार बनाने के लिए बुलाया तो सदन में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं था। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए कहने से पहले भारतीय जनता पार्टी से भी विचार-विनिमय करना चाहिए था। किंतु शायद राष्ट्रपति पिछले डेढ़ साल की अस्थिरता से इतने खिन्न हो गए थे कि उन्होंने किसी अन्य दल से परामर्श करने तक की आवश्यकता नहीं समझी।

वस्तुतः १९९०-९१ का कालखंड भारतीय राजनीति के इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता के कालखंड के रूप में याद किया जाएगा। आम चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई, किंतु राष्ट्रीय मोर्चा को, जिसमें जनता दल शामिल था, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्टों ने सरकार में शामिल न होते हुए उसे बाहर से ही समर्थन देना तय किया। इसके बल पर श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए निमंत्रित किया। यदि १९८४ में कांग्रेस को इंदिरा लहर ने भारी बहुमत दिया था तो १९९० के चुनाव में भ्रष्टाचार-विरोधी लहर ने जिसका प्रतीक बोफोर्स था, कांग्रेस को धराशायी कर दिया।

गैर-कांग्रेसी दलों ने चुनाव में यह वादा किया था कि वे १९७९ के इतिहास की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे और मिलकर चलेंगे। लोगों ने इसी भरोसे पर वोट भी दिए। किंतु राष्ट्रीय मोर्चा विशेषतः जनता दल अपनी एकता बनाए नहीं रख सका। पहले दिन ही आपस में जो अविश्वास पैदा हो गया वह अंत में सरकार ही ले डूबा। १९७९ का कलंकपूर्ण इतिहास, आश्वासनों के बावजूद, दोहराया गया। कांग्रेस ने श्री चंद्रशेखर के नेतृत्व में जनता दल से अलग हुए गुट को समर्थन देकर केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार के दूसरे ऐतिहासिक प्रयोग पर पानी फेर दिया। किंतु इसके लिए कांग्रेस से अधिक गैर-कांग्रेसी नेता दोषी थे।

१९७९ की तरह इस बार भी किसी सैद्धांतिक प्रश्न या नीतिगत मामले को लेकर जनता दल में फूट नहीं पड़ी। सत्ता के अमर्यादित लोभ ने पार्टी में फूट डाल दी। मंडल आयोग की सिफारिशों को तो केवल फूट को वैचारिक जामा पहनाने और विरोधियों को मात देने के लिए शस्त्र के रूप में प्रयुक्त किया गया। यह कार्य भी इतनी जल्दबाजी में और इतने फूहड़ ढंग से हुआ कि सरकार के समर्थक दलों को न तो पूरी तरह विश्वास में लिया गया और न देश के भीतर, विशेषकर नौजवानों में अनुकूल राय बनाने का प्रयत्न किया गया। इसके बावजूद यदि पहले दिन ही यह घोषणा कर दी जाती कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ आर्थिक पिछड़ापन भी देखा जाएगा और सामाजिक दृष्टि से अग्रणी समझे जानेवाले वर्गों के नौजवानों को भी उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार नौकरियों में कुछ सुरक्षित स्थान दिए जाएंगे तो आरक्षण विरोधी आंदोलन उतना जोर नहीं पकड़ता।

उत्तर में पहली बार हुई आत्मदाह की घटनाओं ने पूरे समाज को दहला लिया। नौजवानों को संदेह हुआ कि पिछड़े वर्गों के लिए २७ प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा सामाजिक न्याय की

भावना से नहीं, सत्ता कायम रखने की लालसा से प्रेरित है।

आरक्षण का मामला इतना नाजुक है कि उसे बहुत संभालकर हाथ लगाने की जरूरत है। रोजगार के घटते हुए अवसरों और नौजवानों की बढ़ती हुई अपेक्षाओं में संतुलन कायम रखना ऊंचे दर्जे की नीतिमत्ता की मांग करता है। यह कार्य न तो जाति द्वेष को हवा देकर पूरा किया जा सकता है और न इसे वोट की राजनीति से जोड़कर ही इसका संतोषजनक हल निकाला जा सकता है। एक ओर पिछड़े वर्ग के नौजवानों में सामाजिक अन्याय के विरुद्ध रोष की भावना बढ़ रही है और दूसरी ओर अगड़े वर्ग के नौजवान अधीर होते जा रहे हैं। इस प्रश्न पर एक राष्ट्रीय आम सहमति के आधार पर ही कोई हल निकाला जा सकता है। किंतु गृहकलह में फंसा जनता दल सारे मामले में ऐसा उलझकर रह गया कि उसकी सरकार भी चली गई और आरक्षण का प्रश्न भी न्यायालय में लटका रह गया।

जनता दल के आंतरिक कलह और वामपंथी दलों को उनकी शक्ति से अधिक महत्व देने की नीति के कारण अयोध्या का प्रश्न सुलझने के बजाय और उलझ गया। श्री आडवाणी की रथयात्रा संयुक्त सरकार को गिराने के लिए नहीं थी। उनका उद्देश्य अयोध्या में श्रीराम मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में व्यापक राष्ट्रीय जन समर्थन जुटाना था। इस उद्देश्य में उसे सफलता भी मिली। जैसे-जैसे रथ आगे बढ़ता गया यह बात स्पष्ट होती गई कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का प्रश्न बहुसंख्यक समाज के अंतर्मन को बड़ी गहराई तक छूनेवाला प्रश्न है। पिछले ४० साल के कांग्रेस के शासनकाल में सेकुलरवाद के नाम पर जो नीतियां अपनाई गई हैं और जो आचरण किए गए हैं उनसे हिंदुओं के मन में, सही या गलत, यह भावना पैदा हुई है कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा। शाहबानो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पहले स्वागत और बाद में उस फैसले को पलटने के लिए संविधान में किया गया संशोधन लोगों के हृदय में कांटे की तरह चुभ गया। काश्मीर और पंजाब में देश की एकता और अखंडता को दी गई चुनौतियों ने भी हिंदू मानस को उद्वेलित किया। कांग्रेस तथा वामपंथी दलों की वोट की राजनीति ने उनके मन पर विपरीत ही प्रभाव डाला। रथयात्रा इस सारे असंतोष का कारण बन गई।

यदि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह अयोध्या के प्रश्न को टालने के बजाय ईमानदारी से हल करने की कोशिश करते तो कोई हल निकल सकता था। किंतु उन्होंने स्वयं को परस्पर विरोधी दबावों में उलझ जाने दिया और इस प्रश्न पर बहुसंख्यक समाज की तीव्र भावना को समझने से इन्कार कर दिया। मुस्लिम मतदाताओं ने जनता दल को व्यापक समर्थन दिया था। मुस्लिम धार्मिक नेता भी बड़ी मात्रा में उसके साथ जुड़े थे। यदि जनता दल का नेतृत्व उन्हें यह समझाने का प्रयत्न करता कि उन्हें इस प्रश्न पर समझौते का रुख अपनाना चाहिए तो उसे सफलता मिलती। किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह वोटों के समीकरण में ही लगा रहा। उसका गणित था कि अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग मिलकर इतना बड़ा वोट बैंक बनाते हैं कि जिसके बल पर चुनाव का मैदान मारा जा सकता है। किंतु उसने यह नहीं सोचा कि राम मंदिर के निर्माण का प्रश्न पिछड़े वर्गों को भी प्रभावित कर सकता है और वे अलग ढंग से मतदान कर सकते हैं।

जनता दल की फूट के कारण राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ७ नवंबर को गिर गई। राष्ट्रपति भवन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। श्री वेंकटरमण ने नेताओं से विचार विमर्श आरंभ किया। राष्ट्रपति से कहा गया कि वे दलबदल को बढ़ावा न दें। किंतु राष्ट्रपति के सम्मुख रास्ता क्या था? यदि जनता दल टूट जाता है और टूटे हुए गुट को कांग्रेस समर्थन का आश्वासन देती

है और उस समर्थन के बल पर वह सरकार बनाने का दावा करता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उनके लिए नए आम चुनाव का विकल्प खुला हुआ था, किंतु उनके सामने यह प्रश्न भी था कि क्या इतनी जल्दी चुनाव कराना उचित होगा? क्या चुनाव से राजनीतिक स्थिरता आएगी? क्या किसी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा?

अब यह एक सर्वविदित तथ्य है कि नवंबर, १९९० के प्रथम सप्ताह में जब जनता सरकार का पतन सन्निकट था और जनता दल का एक गुट कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने के लिए प्रयत्नशील था, तब राष्ट्रपति श्री वेंकटरमण एक राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता का अनुभव कर रहे थे और इस संबंध में विभिन्न दलों से अनौपचारिक चर्चा भी कर रहे थे। उन्हें देश के भविष्य के बारे में गहरी चिंता थी। राजनीतिक स्थायित्व के अभाव में देश में विद्यमान संकटों से कैसे पार पाया जाएगा? राष्ट्रीय सहमति के अभाव में विभिन्न चुनौतियों का कैसे सामना किया जाएगा?

राष्ट्रीय सरकार के गठन के सुझाव का मैंने सार्वजनिक रूप से स्वागत किया था। बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी उससे सहमति जताई किंतु बात आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि अन्य दल इसके लिए तैयार नहीं हुए। इस बार मुख्य बाधा कम्युनिस्टों और भाजपाइयों को साथ बैठाने की नहीं थी। वह अध्याय तो नवंबर, १९९० में ही समाप्त हो गया था। श्री मधु लिमये का यह तर्क भी काम नहीं आया था कि अगर पोलैंड में 'सोलिडेरिटी' नामक संगठन, जिसे एक दृष्टि से रोमन कैथोलिक चर्च का विस्तार ही माना जाता है, कम्युनिस्टों के साथ सरकार बना सकता है तो भारत में भाजपा और कम्युनिस्ट, एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर काम क्यों नहीं कर सकते? इस बार अन्य बाधाएं थीं। जनता दल और भाजपा के संबंधों में कटुता आ गई थी। जनता दल का कांग्रेस-विरोधी रुख और तीखा हो गया था। इस स्थिति में क्या राष्ट्रीय सरकार का गठन व्यावहारिक होगा? युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता समझ में आ सकती है, किंतु शांतिकाल में उसका गठन कहां तक उचित होगा? फिर अगले चुनाव में क्या होगा? क्या सरकार में शामिल दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे? यदि नहीं, तो क्या अलग-अलग चुनाव लड़ने की तैयारी सरकार के साथ रहते हुए ही शुरू नहीं हो जाएगी? मिली-जुली सरकार का प्रयोग न १९७७-७९ में सफल हुआ न १९९० में। एक राष्ट्रीय सरकार उनसे किस रूप में भिन्न होगी?

एक प्रश्न जिस पर उस समय भी दबे स्वरों में चर्चा हुई थी और जिसको लेकर आज भी काफी गलतफहमी फैली हुई है, वह यह है कि राष्ट्रपति श्री वेंकटरमण स्वयं प्रधानमंत्री बनना चाहते थे और राष्ट्रीय सरकार के गठन की सारी कवायद इसी दृष्टि से की गई थी।

भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता के नाते मैं उन दिनों इस मामले पर हुई सभी चर्चाओं में शामिल था। श्री वेंकटरमण के साथ हुई अपनी वार्ताओं के आधार पर मैं दृढ़तापूर्वक यह कह सकता हूं कि राष्ट्रीय सरकार के गठन का सुझाव रखते समय स्वयं उसका प्रधानमंत्री बनने का विचार उनके मन को छू तक नहीं गया था। सत्य तो यह है कि चर्चा के दौरान यदि कभी यह कहा गया कि ऐसी सरकार का नेतृत्व करने के लिए आपसे अधिक उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है, तो उन्होंने उसे तत्काल अस्वीकार कर दिया। उनका कहना था कि राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस प्रकार के विचार को पास तक नहीं फटकने देना चाहिए। जब कभी नेतृत्व का प्रश्न आया, और सत्य तो यह है कि राष्ट्रीय सरकार के गठन का सुझाव इस ठोस स्थिति तक कभी पहुंचा ही नहीं, श्री वेंकटरमण ने डॉ. शंकर दयाल शर्मा

का नामोल्लेख किया। इस मामले को लेकर, जिन्होंने श्री वेंकटरमण पर महत्वाकांक्षी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति के साथ बड़ा अन्याय किया है। उन्हें या तो तथ्यों की जानकारी नहीं है या वे किसी पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं। यदि वेंकटरमण चाहते तो एक और टर्म के लिए राष्ट्रपति चुने जा सकते थे। किंतु वे स्वेच्छा से, मुस्कराते हुए जिस तरह राष्ट्रपति भवन का तामझाम छोड़कर चले गए वह दूसरों के लिए उदाहरण है।

१९९० और १९९१ की तरह मैं आज भी इस मत का हूं कि इस विशाल और वैविध्यपूर्ण देश को सुदृढ़ और समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय समस्याओं पर एक आम राय बनाना जरूरी है। कोई एक दल या दल समूह केवल शासन और प्रशासन के भरोसे न तो देश को एक रख सकता है और न विकास के तकाजों को ही पूरा कर सकता है। भले ही सरकार संयुक्त न हो, किंतु राष्ट्रीय मानस तो विभक्त नहीं होना चाहिए। 'संवो मनांसि जानताम्' का यही संदेश है।

नेहरू जी से लेकर इंद्रकुमार गुजराल तक सभी प्रधानमंत्रियों को मुझे निकट से देखने का अवसर मिला। इन सभी प्रधानमंत्रियों में नेहरू जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने संसद पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। लोकतंत्र के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध, नेहरू जी के लिए संसद की संस्था एक पवित्र मंदिर की तरह थी, जिसकी गरिमा कायम रखने के विषय में वे पूर्णतः सजग थे। वे न केवल स्वयं संसद में नियमित रूप से उपस्थित होते थे बल्कि अन्य मंत्रियों को भी संसदीय कार्य को पूरी गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करते थे। प्रश्नकाल हो या अन्य विषयों पर चर्चा, नेहरू जी की उपस्थिति जहां आवश्यक होती, वहां वे अवश्य उपस्थित रहते और सदस्यों की बातों को ध्यान से सुनते। सदन के नेता के नाते अपनी जिम्मेदारी भलीभांति निबाहते और अध्यक्ष को भी उनके दायित्व के निर्वहन में सहयोग देते। नेहरू जी की उपस्थिति मात्र से सदन का स्वरूप बदल जाता था, उसमें अधिक गरिमा तथा गंभीरता आ जाती थी।

नेहरू जी स्वभाव से लोकतंत्रवादी थे किंतु कुछ हठी भी थे। जिस बात को ठीक समझते थे उस पर अड़ जाते थे। सदन को साथ लेकर चलने की उनमें अपूर्व क्षमता थी। आवश्यकता पड़ने पर सदन की भावनाओं के अनुरूप आचरण करने में उन्हें संकोच नहीं होता था।

मुझे वह प्रसंग अभी तक याद है जब नेहरू जी के विशेष सहायक श्री एम.ओ. मथाई ने संसद सदस्यों के आचरण के विरुद्ध कुछ बातें कही थीं, जिससे सदन में बड़ा रोष था। श्री मथाई के कथन पर प्रायः सभी पक्षों के सदस्यों को आपत्ति थी। उनके विरुद्ध विशेषाधिकार के उल्लंघन की सूचनाएं दी गईं, सदन की अवमानना का मामला उठाया गया। मेरे प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया। जब उस पर बहस होने लगी तो नेहरू जी ने अपने विशेष सहायक को बचाने के लिए जो कुछ कहा उसका निचोड़ यह था कि "मामला विशेषाधिकार के उल्लंघन का नहीं, इंप्रोप्राइटी, अनौचित्य का है।" लेकिन नेहरू जी की बात सदस्यों के गले नहीं उतरी। कांग्रेस के सदस्य भी श्री मथाई के आम व्यवहार से संतुष्ट नहीं थे। चारों ओर से मांग होने लगी कि श्री मथाई के मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाए। नेहरू जी ने सारी स्थिति तत्काल भांप ली। सदन का तेवर देखकर वे समझ गए कि अब श्री मथाई की सफाई में कुछ कहना बेकार है। उन्होंने मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपना स्वीकार कर लिया। उस समय नेहरू जी ने सदन में जो कुछ कहा, वह आनेवाले प्रधानमंत्रियों के लिए दिशा-सूचक है। उन्होंने कहा कि जब सदन का एक बड़ा भाग यह अनुभव करता है कि किसी मामले में कुछ होना चाहिए तो बहुसंख्या

द्वारा उसकी भावनाओं को ठुकरा देना ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी कोई बात यहां नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों को लगे कि किसी मामले पर पर्दा डाला जा रहा है या उसे लोगों की नजरों से छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस छोटी सी घटना से नेहरू जी के व्यक्तित्व के अनेक उत्कृष्ट पहलू उजागर हो जाते हैं।

नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री के पद पर श्री लालबहादुर शास्त्री का निर्वाचित होना भारतीय लोकतंत्र के वैशिष्ट्य और अंतर्विरोध दोनों को प्रकट करता है। कहां राजसी ठाठ-बाट में पले नेहरू जी और कहां निपट निर्धनता के पालने में झूले श्री लाल बहादुर शास्त्री! कहां इंग्लैंड के कैंब्रिज विश्वविद्यालय में पश्चिमी शिक्षा तथा संस्कार प्राप्त बैरिस्टर और कहां काशी विद्यापीठ में शास्त्री की उपाधि अर्जित करनेवाले श्री लालबहादुर शास्त्री! किंतु इतनी असमानता के होते हुए भी नेहरू जी का उत्तराधिकार शास्त्री जी ने संभाला, जो भारतीय समाज की आंतरिक शक्ति और उसके लचीलेपन को प्रकट करता है।

प्रधानमंत्री बनने से पहले शास्त्री जी अनेक पदों पर भलीभांति कार्य करके अपनी योग्यता से सभी को प्रभावित कर चुके थे। मुझे वह प्रसंग अभी तक याद है जब रेल मंत्री के नाते शास्त्री जी ने रेल बजट हिंदी में प्रस्तुत किया। इसके विरोध स्वरूप अनेक सदस्य, जिनमें डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी शामिल थे, सदन से उठकर चले गए। बाद में डॉ. मुखर्जी ने यह स्पष्ट किया था कि उनका इरादा न तो शास्त्री जी का अपमान करने का था और न ही हिंदी में बजट पेश करने का विरोध करने का था।

भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में शास्त्री जी के व्यक्तित्व ने भारी ऊंचाइयां प्राप्त कर लीं। यदि वे जीवित रहते तो भारतीय राजनीति की दिशा को ही परिवर्तित कर देते।

ताशकंद में शास्त्री जी का दुखद देहावसान जिन परिस्थितियों में हुआ, उस पर पड़ा रहस्य का पर्दा अब लगभग हट गया है। इस आशंका का कोई आधार नहीं मिला है कि शास्त्री जी की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी, शास्त्री जी के विशेष सहायक श्री सी.पी. श्रीवास्तव द्वारा लिखित शास्त्री जी की जीवनी से मुझे यह जानकर बड़ी राहत मिली कि उस रात ताशकंद में शास्त्री जी को चिंतातुर करने में मेरा कोई हाथ नहीं था। बात यह थी कि जब ताशकंद समझौते की खबर दिल्ली पहुंची तो प्रेस ने मुझसे उस पर प्रतिक्रिया मांगी। मैंने समझौते की कड़ी आलोचना की और उसे समर्पण बताया। यह सूचना शास्त्री जी क़ो ताशकंद में पहुंचा दी गई। बाद में जब दिल का दौरा पड़ने से शास्त्री जी के निधन का समाचार आया तो मेरे मन में यह अपराध-बोध जागा कि शायद मेरी कठोर प्रतिक्रिया का भी उनके मन पर गहरा असर हुआ होगा। किंतु श्री श्रीवास्तव ने ताशकंद की उस दुर्भाग्यपूर्ण रात का जो विवरण दिया है, उससे मेरे मन का भारी बोझ उतर गया है।

भारत-पाक युद्ध के दिनों में शास्त्री जी ने यह प्रबंध किया था कि प्रतिपक्ष के नेताओं को प्रतिदिन सायंकाल मोर्चे पर होनेवाली घटनाओं से अवगत रखा जाए। आवश्यकता होने पर शास्त्री जी स्वयं संपर्क करके उचित जानकारी देते रहते थे। शास्त्री जी के आकस्मिक निधन ने नए प्रधानमंत्री के चयन की समस्या देश के सामने खड़ी कर दी। उस पद के अनेक दावेदार थे। कांग्रेस अध्यक्ष श्री कामराज ने फिर एक बार निर्णायक भूमिका अदा की। वे श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में पहले ही अपना मन बना चुके थे। कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता भी श्री मोरारजी देसाई जैसे सशक्त व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते थे। इंदिरा जी उनके इशारों पर चलेंगी, यह सोचकर उन्होंने उनसे योग्य तथा अनुभवी नेताओं को ताक पर रखकर इंदिरा जी को देश की बागडोर सौंप दी।

नेहरू जी के मन में कहीं न कहीं यह भाव अवश्य रहा होगा कि उनका उत्तराधिकार उनकी पुत्री इंदिरा गांधी संभालें, किंतु यदि उनके मन में ऐसी इच्छा थी, तो भी उन्होंने इसके लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए जान पड़ते। इंदिरा जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाना उन्हें जरूर पसंद आया होगा और अपरोक्ष रूप से उन्होंने इसमें सहायता भी दी होगी, किंतु इंदिरा जी को कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपने में अन्य कांग्रेसी नेताओं का अधिक हाथ दिखाई देता है, जो इंदिरा जी के माध्यम से नेहरू जी को प्रभावित करना चाहते थे।

केरल की प्रथम निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध मुक्ति संघर्ष में कांग्रेस की भागीदारी तथा बाद में कम्युनिस्ट सरकार को भंग करने का केंद्र का निर्णय इंदिरा जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनानेवाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की रणनीति को स्पष्ट करता है।

अपने पिता के विपरीत श्रीमती गांधी संसद से दूर-दूर ही रहती थीं। प्रारंभ में तो वह इतनी चुप रहती थीं कि उन्हें गूंगी गुड़िया तक कह दिया गया था, किंतु यह उनके साथ अन्याय था। वह कम बोलने में विश्वास करती थीं। सबकी बातें सुनने के बाद अपना मन स्थिर करतीं और सबसे अंत में उसे प्रकट करतीं।

इंदिरा जी की तुलना में मोरारजी देसाई का व्यक्तित्व बिल्कुल उलटा था। वह औरों की पूरी बात सुनने से पहले ही अपना मंतव्य प्रकट कर देते थे। उनकी कुछ निश्चित धारणाएं थीं, निर्धारित मत थे, जिन्हें प्रकट करने में वह कृपणता या संकोच से काम नहीं लेते थे। इंदिरा जी इस मामले में अधिक चतुर थीं। सदन में आकर समय गंवाने के बजाय वह अपने कमरे में बैठकर सत्ता की चाभियां घुमाती थीं। देश-विदेश में क्या हो रहा है, संसद में क्या चल रहा है, विरोधी दलों की आंतरिक स्थिति क्या है...इस सब पर उनकी पैनी नजर रहती। उन्होंने १४ वर्ष शासन कर विश्व को चमत्कृत कर दिया और विरोधियों को कई बार पछाड़ा।

जब-जब मैं श्रीमती इंदिरा गांधी से मिला, मुझे लगा कि वह किसी अज्ञात आशंका से आक्रांत हैं। कहीं न कहीं उनके मन में असुरक्षा का गहरा भाव बैठा हुआ था। सब पर नजर रखना, खुलकर बात न करना, यह सोचना कि सारी दुनिया उनके विरुद्ध किसी षडयंत्र में रत है, ऐसी मनःस्थिति का परिचायक है, जिसका गहरा विश्लेषण किए बिना इंदिरा जी के व्यक्तित्व और व्यवहार को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता।

राष्ट्रपति पद के लिए श्री नीलम संजीव रेड्डी का नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भी उन्हें चुनाव में हरवाना, इंदिरा जी की इसी मनःस्थिति का परिणाम था। वह समझती थीं कि यदि श्री रेड्डी राष्ट्रपति हो गए तो वे उन्हें अधिक दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रहने देंगे। बाद की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि श्रीमती गांधी को राष्ट्रपति रेड्डी से कोई खतरा नहीं था और यह सब उनके मन का वहम था।

लोकसभा के लिए अपना चुनाव रद्द होने के बाद यदि इंदिरा जी त्यागपत्र देकर कांग्रेस का नेतृत्व संभालतीं तो उन्हें चुनौती देनेवाला पार्टी में कोई नहीं था। किंतु उन्हें स्वयं पर विश्वास नहीं था, इसी की परिणति आपातस्थिति लागू किए जाने में हुई। अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने लोकतंत्र का गला घोंटना स्वीकार किया। इतिहास इसके लिए उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। बाद में वह पुनः सत्ता में आने में अवश्य सफल हुई किंतु उनकी कीर्ति में जो कालिख लग गई थी, वह मिटी नहीं।

बंगला देश के निर्माण में इंदिरा जी की भूमिका सदैव ही सराही जाएगी। जिस दृढ़ता तथा

नीतिमत्ता से उन्होंने पाकिस्तान को परास्त करने की व्यूहरचना का नेतृत्व किया, जिसके अंतर्गत पाकिस्तानी सेना को ढाका में हथियार डालने के लिए मजबूर होना पड़ा, वह गर्व और गौरव से भरा हुआ प्रसंग है। इस सफलता में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम का भी महत्वपूर्ण योगदान था, यद्यपि स्वतंत्र बंगला देश के निर्माण का सारा श्रेय इंदिरा जी को ही दिया जाता है। चीन के हाथों जब भारत अपमानित हुआ था तो उसका सारा दोष उस समय के रक्षामंत्री श्री कृष्ण मेनन के ऊपर डाल दिया गया था। श्रेय और दोष का वितरण करने में घटनाचक्र कब किसके साथ अन्याय करेगा, कोई नहीं कह सकता।

मैं भी उन लोगों में शामिल था जिन्होंने इंदिरा जी के बंगला देश के मामले में सफल नेतृत्व के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थी, किंतु यह धारणा गलत है कि मैंने किसी वक्त उन्हें 'दुर्गा' के विशेषण से संबोधित किया था। मैंने उनकी तारीफ जरूर की थी किंतु 'दुर्गा' नहीं कहा। इस तथ्य को मैं एक से अधिक बार स्पष्ट कर चुका हूं, किंतु प्रचलित धारणा इतनी बद्धमूल है कि अभी भी लोग मेरी इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि मैंने उस संकटकाल में सारे राजनीतिक मतभेदों को ताक पर रखकर सरकार को पूर्ण सहयोग दिया था और इंदिरा जी को दुर्गा के रूप में वर्णित किया था। जब श्रीमती पुपुल जयकर इंदिरा जी की जीवनी लिख रही थीं तो वह उसमें इस बात का उल्लेख करना चाहती थीं कि मैंने इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, किंतु मेरे मना करने पर उन्होंने उल्लेख तो नहीं किया किंतु इस बात की गहरी छानबीन जरूर की कि मैंने इंदिरा ज़ी को दुर्गा कहा था या नहीं। संसद की कार्यवाही और उस समय के समाचार पत्रों को देखने के पश्चात उन्हें यह विश्वास हो गया था कि मैंने इंदिरा जी को दुर्गा नहीं कहा।

प्रश्न यह है कि फिर यह समाचार फैला कैसे? मुझे लगता है कि उस समय किसी और नेता ने इंदिरा जी को दुर्गा के रूप में वर्णित किया था और कुछ पत्रों ने उनके कथन को मेरे नाम से छाप दिया था। वे पत्र कौन से हैं, इसका भी अभी तक ठीक-ठीक पता नहीं लगा है।

इंदिरा जी के साथ संसद में मेरी नोक-झोंक होती रहती थी, किंतु राजनीतिक मतभेदों को उन्होंने कभी व्यक्तिगत संबंधों में बाधक नहीं बनने दिया। उनकी निर्मम, त्रासद, क्रूर हत्या ने एक ऐसे व्यक्तित्व को हमारे बीच में से असमय ही उठा लिया जिन्हें योग्य पिता की योग्य पुत्री के नाते ही नहीं, अपनी निजी योग्यता, कुशलता, निर्णय-क्षमता तथा कठोरता के कारण याद किया जाएगा।

श्री राजीव गांधी बड़ी दुखद परिस्थिति में प्रधानमंत्री बने। उन्हें शासन चलाने का कोई अनुभव नहीं था। राजनीति में उनकी रुचि भी नहीं थी। वह विमान-चालक का दायित्व हंसी-खुशी और जिम्मेदारी के साथ निभाते थे। एक बार जहाज से उतरकर मैंने देखा कि एक नौजवान हैलमेट पहने हुए नीचे खड़ा है और मुझे देखकर नमस्कार करके मुस्करा रहा है। मैं पहचान नहीं पाया कि वह प्रधानमंत्री के पुत्र श्री राजीव गांधी थे। एक अन्य अवसर पर ज़ब वह परिवार के साथ विमान से कहीं दिल्ली से बाहर जा रहे थे तो विमान के रवाना होने में अप्रत्याशित देर हो गई। वह चाहते तो सोनिया जी और बच्चों के साथ घर लौट सकते थे किंतु उन्होंने हवाई अड्डे के विश्राम कक्ष में समय बिताने का फैसला किया। वह बच्चों के साथ खेलते रहे, गप्पें लड़ाते रहे। किंतु प्रधानमंत्रित्व ने उनके इस सहज और सरल स्वभाव को काफी बदल दिया।

श्री राजीव गांधी शिष्टाचार के बारे में पूरी तरह सजग थे। जब भी मिलते बड़ी गर्मजोशी से मिलते, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और अपने दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास करते, किंतु अनुभव की कमी और सही सलाह न मिलने के कारण उनसे अनेक भारी भूलें हुईं। मैंने उन्हें

पायलट के रूप में, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में निकट से देखा। चुनाव में पराजित होने के बाद उन्होंने बड़ी हिम्मत से काम लिया। प्रतिपक्ष के नेता के नाते वह सरकार को परेशानी में डालने का कोई भी मौका चूकते नहीं थे, किंतु अनुभव की कमी के कारण कभी-कभी उनके निर्णय अनौचित्य की सीमा को छूने लगते थे। जम्मू-काश्मीर की स्थिति के अध्ययन के लिए सर्वदलीय संसदीय समिति के सदस्य के रूप में उन्होंने श्रीनगर में जो व्यवहार किया उससे उन्हें पसंद करनेवाले सभी लोगों को अच्छा नहीं लगा। इसी प्रकार नामीबिया की स्वतंत्रता के समारोह में उपस्थित होकर उन्होंने न केवल प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को वरन स्वयं को भी बड़ी कठिन परिस्थिति में डाल दिया। उन्हें यह स्वीकार करने में काफी समय लगा कि वह अब सत्ता में नहीं हैं और जिस रचनात्मक राजनीति की वह सत्ता में होते हुए विरोधियों से अपेक्षा करते थे, वह उन्हें करनी है।

श्री नरसिंह राव ने १९९१ में चुनाव नहीं लड़ा था। नई दिल्ली से नाता तोड़कर, अपना पुस्तकालय समेटकर वे घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। किंतु नियति का चक्र नई दिशाओं में चल रहा था। चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। पार्टी में मतभेदों के कारण श्री नरसिंह राव को नेता चुन लिया गया। वे प्रधानमंत्री बन गए। वे किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य न होने के बावजूद प्रधानमंत्री बन गए। बाद में लोकसभा का चुनाव जीतकर आए। उनकी सरकार अल्पमत में थी। किंतु, वे उसे पांच साल तक चलाने में सफल हुए। सरकार को स्थायित्व देने के लिए क्या-क्या हुआ, इसकी कहानी अभी अधूरी है। समय आने पर कोई लिखेगा। अल्पमत सरकार को पूरे पांच वर्ष चलाना अपने में एक उपलब्धि कही जा सकती है। नरसिंह राव जी को इसका श्रेय जाता है।

नरसिंह राव जी ने जब शासन का भार संभाला तो अर्थव्यवस्था गहरे संकट से घिरी हुई थी। देश का सोना विदेश में गिरवी रखने की नौबत आ गई थी। विदेशी मुद्रा का संकट अनियंत्रित हो रहा था। साम्यवाद की विफलता और सोवियत रूस के विघटन ने विश्व के इतिहास में एक अविश्वसनीय अध्याय जोड़ दिया था। श्री नरसिंह राव ने बड़ी कुशलता से देश की अर्थव्यवस्था को नई आवश्यकताओं, तकाजों के अनुरूप ढाला और विरोध के बावजूद आर्थिक सुधारों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया। अनेक सुधार अप्रत्याशित थे। उन्हें अपनाना लीक से हटकर बड़े साहस का परिचय देना था। किंतु, श्री नरसिंह राव ने साहस जुटाया और धीरे-धीरे विरोध को हजम करते हुए, आर्थिक सुधारों पर एक आम राय बनाने में काफी हद तक सफलता पाई। आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया आरंभ हुई उससे पीछे जाना अब कठिन दिखाई देता है।

श्री नरसिंह राव ने चुनाव में पराजित होने के बाद जिन परिस्थितियों में सत्ता छोड़ी उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक लंबे राजनीतिक जीवन का इस तरह दुखद अंत होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। यदि वे राजनीति में न आते और साहित्य की साधना में समय बिताते तो उनकी लेखनी मां सरस्वती का भंडार भरने में महत्त्वपूर्ण योगदान देती। तेलुगु, उर्दू, हिंदी तथा अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार है। हाल में ही अंग्रेजी में लिखी गई उनकी आत्मकथात्मक पुस्तक काफी चर्चा का विषय बनी है।

मैंने नरसिंह राव जी के रूप में एक अच्छा मित्र पाया। कठोर से कठोर आलोचना को वे बड़े धैर्य के साथ सुनते हैं और कटुता का कड़वा घूंट पीकर संतुलन बनाए रखते हैं। मेरी पुस्तक 'मेरी इक्यावन कविताएं' के प्रकाशन-विमोचन के अवसर पर श्री नरसिंह राव ने जो भाषण दिया

वह श्रोताओं के हृदय को हिला गया। थोड़े से समय में काव्य पुस्तक के पन्नों को पलटकर उन्होंने ऐसी पंक्तियां ढूंढ़ निकालीं जो कवि की मनःस्थिति को सही रूप में प्रस्तुत करती हैं। वे पंक्तियां इस प्रकार हैं : *इतना काफी है अंतिम दस्तक पर खुद दरवाजा खोलूं।*

१९९६ के आम चुनाव में कांग्रेस की पराजय हुई और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा ने १६ जून, १९९६ को मुझे सरकार बनाने के लिए बुलाया। इसके अतिरिक्त उनके सामने कोई और विकल्प नहीं था। जो दल मिलकर चुनाव नहीं लड़े, इतना ही नहीं, जिन्होंने एक-दूसरे के विरुद्ध उम्मीदवार खड़े किए थे; वे मोर्चा बनाकर जब सरकार बनाने का निमंत्रण दिए जाने पर जोर देने लगे तो राष्ट्रपति को उसे अमान्य करना पड़ा। संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने के लिए इतना लालायित था कि उसे कांग्रेस का समर्थन लेने में भी संकोच नहीं हुआ। सत्ता की लालसा ने गैर-कांग्रेसवाद की धज्जियां बिखेर दीं। मुझे सरकार बनाने का आमंत्रण देने के लिए डॉ. शंकर दयाल शर्मा की बड़ी छिछली आलोचना की गई। उन पर जातिवादी होने का आरोप भी लगाया गया। संयुक्त मोर्चा और उसमें शामिल घटक दलों के नेताओं ने मेरी शपथ विधि का बहिष्कार किया। इसे निष्कृट राजनीति का उदाहरण ही कहा जाएगा।

अपने अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए मैंने कोई गलत काम नहीं किया। सदस्यों के क्रय-विक्रय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सत्ता की चादर को मैंने १३ दिन बाद बेदाग वापस रख दिया। इसके लिए विरोध में शामिल डी.एम.के. के नेता ने मेरी सदन में प्रशंसा की। कांग्रेस के समर्थन से और भाजपा विरोधी गठबंधन के नाम पर, संयुक्त मोर्चा, सरकार बनाने में सफल हुआ। श्री देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने बाहर से समर्थन दिया। सरकार लोकसभा में विश्वास का मत पाने में सफल हो गई।

देवगौड़ा सरकार को पांच साल का समर्थन देने का आश्वासन देने के बाद भी कांग्रेस ने उसे नौ महीने में ही अपदस्थ कर दिया। आरोप यह लगाया कि श्री देवगौड़ा कांग्रेस में फूट डालने का प्रयास कर रहे थे। मैंने राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा से पहले ही कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता के बाहर रहती है तो यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। हुआ भी यही। कांग्रेस के हाथों एक बार धोखा खाने के बाद भी संयुक्त मोर्चा ने कांग्रेस की सहायता से दूसरी बार सरकार बनाने में संकोच नहीं किया।

श्री गुजराल, जो विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री बने। दूल्हा बदल गया, बाराती सब वही थे। कांग्रेस के बल पर सरकार बनी, किंतु ज्यादा दिन चली नहीं। जैन कमीशन में डी.एम.के. के विरुद्ध कुछ टिप्पणियों का बहाना लेकर कांग्रेस ने डी.एम.के. को सरकार से हटाने की मांग रख दी। संयुक्त मोर्चे के लिए इस मांग को मानना संभव नहीं था। उसे इस्तीफा देना पड़ा। सरकार गिर गई। सरकार के गठन के समय कांग्रेस ने राष्ट्रपति को यह आश्वासन दिया था कि वह पूरे पांच साल संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन करेगी। राष्ट्रपति भवन से इस आशय की विज्ञप्ति भी प्रकाशित हुई थी। लेकिन, कांग्रेस ने वचन का पालन नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि १८ महीने के बाद ही देश को आम चुनाव का सामना करने को बाध्य होना पड़ा। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़े दल के रूप में उभरना, राष्ट्रवादी और लोकतंत्रवादी दलों के साथ मिलकर उसका सरकार बनाना; ये इतनी ताजी घटनाएं हैं जिन पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। १९७५ और ७६ के छोटे से कालखंड को छोड़कर लोकतंत्र की व्यवस्था अक्षुण्ण रही है। बालिग मताधिकार, निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, बहुदलीय पद्धति तथा स्वतंत्र प्रेस हमारे लोकतंत्र के आधार हैं। लोग चुनाव के माध्यम से सरकार बदलते हैं। १९७७ में तो लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री को भी चुनाव में परास्त कर दिया था। १९८० में आपातकालीन ज्यादतियों के विरुद्ध जनरोष के ज्वार पर सत्ता के सिंहासन तक पहुंची जनता पार्टी की सरकार को, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आशीर्वाद प्राप्त था, अपदस्थ कर दिया गया था। १९८९ में मतदाताओं ने राजीव गांधी की सरकार को, जिसे उन्होंने ५ वर्ष पूर्व ही लोकसभा की ५१७ सीटों में से ४१५ सीटें देकर भारी-भरकम बहुमत प्रदान किया था, उसे भी हटा दिया। राज्यों में भी लोगों ने सरकारें बदली हैं और मताधिकार की निर्णायक शक्ति का प्रकटीकरण किया है।

क्या इसका अर्थ यह है कि भारतीय लोकतंत्र ऊपर से जितना जीवंत दिखाई देता है भीतर से भी वह उतना ही सबल और शक्तिशाली है? क्या लोकतंत्र की सभी संस्थाएं अपने दायित्व का भलीभांति पालन कर रही हैं? क्या देश में लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों की रक्षा हो रही है? क्या लोकतंत्र की जड़ें गहरी जम गई हैं?

इन प्रश्नों का उत्तर खोजते समय बड़ी निराशा होती है। संसद में वाद-विवाद कम, शोर-शराबा ज्यादा होता है। चुनाव धन-शक्ति और गुंडा-शक्ति के, बड़े पैमाने पर प्रयोग के कारण दूषित हो गए हैं। दलीय पद्धति दल-बदल की अनैतिक प्रवृत्ति के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। न्यायपालिका की निष्पक्षता पर उंगलियां उठने लगी हैं। चुनाव आयोग आरोपों-प्रत्यारोपों के घेरे में आ गया है। राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। लोकतंत्र का बाहरी ढांचा बरकरार है, किंतु उसे भीतर ही भीतर घुन खाए जा रहा है।

लोकतंत्र ५१ बनाम ४९ का खेल नहीं है। हमारी चुनाव पद्धति तो ऐसी है जिसमें विजयी पार्टी और विजयी उम्मीदवार के लिए ५१% वोट प्राप्त करना भी आवश्यक नहीं है। वेस्ट मिनिस्टर पद्धति में अल्पमतों के बल पर बहुमत प्राप्त करने का दोष तो पहले ही विद्यमान है, दलों की बहुलता और उससे भी बढ़कर, चुनाव में उम्मीदवारों की अत्यधिकता के कारण वोटों का भारी विभाजन विचित्र स्थिति को जन्म दे रहा है। ३०-३५% वोटों के बल पर पार्टियां सरकार बना रही हैं और उससे भी कम वोट लेकर लोकसभा और विधानसभा में सांसद, विधायक चुने जा रहे हैं। यह पद्धति बुनियादी तौर पर दोषपूर्ण है।

भारत में वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली के अनुसार प्रतिपक्ष के नेता को विशेष दर्जा दिया जाता है, उसे मंत्रिपरिषद के सदस्यों के समकक्ष वेतन-भत्ते और सुविधाएं दी जाती हैं। ब्रिटेन की परंपरा का पालन करते हुए भारत में भी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष को जाता है। यहां तक कि उपाध्यक्ष का पद भी प्रतिपक्ष को देने की परंपरा का, जैसे-तैसे ही सही, पालन किया जा रहा है। किंतु, इन व्यवस्थाओं और परंपराओं के मूल में प्रतिपक्ष का समादर करने की जो भावना निहित है, वह देश में अभाव के रूप में ही दिखाई देती है। समादर तो दूर रहा, यहां प्रतिपक्ष के प्रति सहिष्णुता दिखाने की भी मानसिकता नहीं है। प्रतिपक्ष को शत्रु पक्ष समझा जाता है। न केवल समझा जाता है बल्कि इस आशय की सार्वजनिक घोषणाएं भी की जाती हैं। बढ़ती हुई असहिष्णुता लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है।

वेस्ट मिनिस्टर पद्धति के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में पहले से ही विद्यमान अनेक

भेद और अधिक तीव्र हो उठे हैं। जाति-उपजाति, उपासना पद्धति, भाषा और रहन-सहन के आधार पर बंटा हुआ समाज और भी बिखर रहा है। सांप्रदायिकता खुलकर खेल रही है। जातिवाद का जहर जन-जीवन को जीर्ण कर रहा है। संयोजक तत्व विभाजक तत्वों में बदल रहे हैं। राजनीति सत्ता का खेल मात्र बनकर रह गई है। येन-केन-प्रकारेण सत्ता हथियाना और हथियाने के बाद जैसे भी हो उसे बनाए रखना, यही राजनीति का चरम लक्ष्य रह गया है। सत्ता के लोभ से प्रेरित होकर राजनीतिक दल विघटन को बढ़ावा देने में भी संकोच नहीं करते, यहां तक कि राष्ट्र विरोधी तत्वों से भी सांठ-गांठ करने से भी बाज नहीं आते।

लोकतंत्र की सफलता के लिए दलीय पद्धति का सुदृढ़ होना बहुत आवश्यक है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में ब्रिटेन की तरह द्विदलीय पद्धति तो व्यावहारिक नहीं जान पड़ती। किंतु, यह जरूरी है कि जो भी दल हों, वे नीतियों और कार्यक्रमों पर आधारित हों, लोकतांत्रिक तरीकों से चलें, उनमें नियमित रूप से सदस्यता हो, अनिवार्यतः संगठनात्मक चुनाव हों, और वे अपने सुनिश्चित घोषणा पत्र के आधार पर मतदाताओं के समक्ष जाकर उनका समर्थन प्राप्त करें। ऐतिहासिक कारणों से कांग्रेस का स्वरूप एक राजनीतिक मंच का अधिक और एक राजनीतिक दल का कम रहा है। साम्यवादियों से लेकर संप्रदायवादियों तक ने कांग्रेस की छत्रछाया में बैठकर राजनीति की है। वह समय के अनुसार जितनी बदली है, उतनी ही पूर्ववत रही है। समाजवादी समाज की रचना से लेकर उन्मुक्त अर्थव्यवस्था की नई मंजिल तक पहुंचने में उसे भले ही ६० साल का समय लगा हो, किंतु, वैचारिक दृष्टि से उसने यह यात्रा बड़ी सरलता से पूरी कर ली है। उसका लचीलापन उसके लिए गुण हो सकता है, किंतु अन्य दलों के लिए वह बड़ी कठिनाई का कारण बना है। व्यवहारवाद और अवसरवाद के बीच में विभाजक रेखा बड़ी बारीक है।

'जैसी बहे बयार, पीठ तब तैसी दीजें'—आराम से जिंदगी जीने का कारगर नुस्खा हो सकता है। किंतु उससे नवस्वाधीन राष्ट्र को नवनिर्माण के लिए कठोर परिश्रम करने की ओर प्रेरित नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ जीवन मूल्यों में गहरी प्रतिबद्धता आवश्यक है।

देश मिली-जुली सरकारों के दौर में प्रविष्ट हो गया है। दो बड़े दलों के रूप में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के उभरने के साथ ही क्षेत्रीय दल भारतीय राजनीति का अटूट अंग बन गए हैं। केंद्र में भी वे भविष्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

मिली-जुली सरकार का गठन सरल है, किंतु उसे चलाना बहुत कठिन है। जब तक सरकार में शामिल सभी दल अपनी-अपनी सीमाओं को नहीं समझेंगे, तब तक यह प्रयोग सफल नहीं होगा और देश राजनीतिक अस्थिरता का शिकार होता रहेगा। अस्थिरता में न तो आर्थिक विकास ही होगा और न कानून और व्यवस्था की स्थिति ही संतोषदायक रहेगी। समय आ गया है जब राजनीतिक व्यवस्था और चुनाव प्रणाली के बारे में गहराई से चिंतन किया जाए और परिस्थिति के अनुरूप उसमें संशोधन, परिवर्धन और परिवर्तन किया जाए। राष्ट्र की स्वतंत्रता, अखंडता और भारतीय समाज की समरसता को बनाए रखने के लिए सभी दलों को भविष्य की चुनौतियों के बारे में मिलकर विचार करना चाहिए।

मकर संक्रांति १९९९

अटल बिहारी वाजपेयी

विश्वास प्रस्ताव

हमें सदन का विश्वास चाहिए

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा मंत्रि-परिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पेश करते हुए मेरे हृदय में मिली-जुली भावनाएं हैं। बरबस मेरा ध्यान २८ मई, १९९६ की ओर जाता है। उस दिन, इसी सदन में, इसी स्थान से, मैंने उस समय की अपनी सरकार के लिए विश्वासमत की मांग की थी। तब से अब तक नदियों में बहुत-सा पानी बह गया है। लोकतंत्र की सरिता अबाध गति से बहती रहे, यह आवश्यक है। लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि वह सरिता अविश्वास के भंवर में फंसकर अपना प्रवाह खो रही है। तब मैंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि मैं अल्पमत में था और अम्पायर मुझे कहते कि आप मैदान से बाहर चले जाइए, उससे पहले ही मैंने मैदान छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जो घटनाचक्र चला, उस पर इस देश को गंभीरता से विचार करना होगा। १९८९ से विश्वासमत के भंवर में पड़े हुए लोकतंत्र का चित्र हमें चिंतित करता है।

२१ दिसंबर, १९८९ को फिर विश्वास मत हुआ था। सरकार केवल ग्यारह महीने चली। ७ नवंबर, १९९० को पुनः विश्वास मत हुआ। १९९० में नए प्रधानमंत्री ने विश्वासमत लिया, किंतु पांच वर्ष सरकार चलने की बजाय पांच महीने सरकार चली। लोकसभा भंग हो गई। १९९१ के चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला। कांग्रेस की अल्पमत की सरकार बनी। प्रारंभ में हमने उसे सहयोग दिया। बाद में वह अल्पमत बहुमत में कैसे बदला, इस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। मामला अदालत में है। वह सरकार अस्थिरता के भंवर में तो नहीं थी, लेकिन उस सरकार की नाव को भ्रष्टाचार के मगरमच्छों ने क्षत-विक्षत कर दिया। इसीलिए कांग्रेस चुनाव में हारी। कांग्रेस की ऐसी पराजय पहले कभी नहीं हुई थी। १९७७ में इमर्जेंसी के अपराधों के कारण कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, फिर भी कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। लेकिन उस समय सबसे बड़ा दल होने का स्थान कांग्रेस ने खो दिया। भारतीय जनता पार्टी बढ़ते हुए जन-विश्वास के आधार पर सबसे बड़े दल का दर्जा प्राप्त करने में सफल हुई। लेकिन चुनाव में कांग्रेस की पराजय के बाद

※ अपने मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए लोकसभा में २७ मार्च, १९९८ को दूसरे प्रधानमंत्रित्व काल के अवसर पर पहला भाषण।

फिर एक अस्थिरता का दौर चला। संख्या कम होने के कारण हमने अपने-आप को अलग कर लिया। लेकिन २८ मई, १९९६ को इस सदन में भाषण करते हुए मैंने कहा था कि जनता का विश्वास प्राप्त करके हम पुनः आएंगे और आज हम फिर यहां उपस्थित हैं⋯(व्यवधान)

उस समय की परिस्थिति में और आज की परिस्थिति में जमीन-आसमान का अंतर है। इस बीच अस्पृश्यता की राजनीति विफल हो गई और अलग-थलग करने के प्रयासों पर पानी फिर गया। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं और अपने मित्र दलों के सहयोग से हम सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभरे हैं⋯(व्यवधान) बहुमत से थोड़ा कम है। हमने इस बात पर पर्दा नहीं डाला। हम राष्ट्रपति जी के पास दावा पेश करने के लिए नहीं गए। राष्ट्रपति महोदय ने हमें स्वयं विचार-विमर्श के लिए बुलाया और हमने उनसे कहा कि संख्या थोड़ी कम है। उन्होंने कहा—मैं और दलों से विचार-विमर्श करूंगा और उन्होंने विचार-विमर्श किया। हमारे साथ जो दल थे, जिन दलों के समर्थन का हम दावा कर रहे थे, उनके बारे में राष्ट्रपति महोदय ने दस्तावेज मांगे। अलग-अलग बातें कीं। तेलुगुदेशम् के नेताओं से उनकी चर्चा हुई और वे इस परिणाम पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। कांग्रेस की अध्यक्षा और कांग्रेस के संसदीय दल की नेत्री, श्रीमती सोनिया गांधी, भी राष्ट्रपति जी से मिलने गई थीं और श्रीमती सोनिया गांधी ने उनसे कहा कि हम दावा नहीं कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा दावा करता, इसका तो सवाल ही नहीं था। चुनाव में सबसे ज्यादा चोट उन्हें ही लगी है।

कांग्रेस का भी एक सदस्य बढ़ा है। संयुक्त मोर्चा की संख्या तो आधी रह गई है। उन्होंने भी कहा है, हम सरकार बनाने में रुचि नहीं रखते। तब राष्ट्रपति महोदय ने मुझे सरकार बनाने के लिए कहा। एक समय-सीमा निर्धारित की और वह समय-सीमा २९ तारीख को समाप्त हो रही है। मैं विश्वास का मत प्राप्त करने के लिए आपके सामने खड़ा हूं।

मैं सदन के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि विश्वासमत प्राप्त करने का सिलसिला एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, यह कब तक चलेगा? विश्वास का मत मुझे प्राप्त करना है इसलिए मैं यह प्रश्न खड़ा कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। आज हर देशवासी के मन में, हर लोकतंत्र प्रेमी के मन में यह सवाल उठ रहा होगा और उठना भी चाहिए कि आखिर देश राजनैतिक अस्थिरता के भंवर में क्यों फंस गया है? जैसा मैंने कहा, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। हम आशा करते थे कि चुनाव के बाद दो-टूक फैसला होगा। यह ठीक है कि आज जनादेश किसी के पक्ष में है तो वह भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दलों के पक्ष में है। कांग्रेस और संयुक्त मोर्चा के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है।⋯(व्यवधान) हमारे विरोधी दल आपस में भी लड़कर आए थे, इसलिए मैंने राष्ट्रपति महोदय से कहा था कि आप और दलों को बुलाकर पूछ लीजिए। जिम्मेदारी लेने से पहले हम चाहते हैं कि और दलों को आप मौका दें। कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। आज मैं फिर उस बात को दोहराता हूं। अगर हमारे विरुद्ध सब दल इकट्ठे होते हैं और स्थिर सरकार देने में सफल होते हैं तो आगे आएं। इकट्ठे तो पिछली बार भी हो गए थे। कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन दे रही थी। कुछ महीने समर्थन दिया और फिर समर्थन वापस ले लिया, और देवगौड़ा जी मुश्किल में फंस गए⋯(व्यवधान) उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि वह कांग्रेस पार्टी को तोड़ना चाहते थे। मैं नहीं जानता कि इसमें सच्चाई क्या है? फिर मेरे मित्र श्री इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी ने थोड़े महीने बाद फिर समर्थन वापस ले लिया। अब कांग्रेस पर भरोसा कौन करेगा? लेकिन अब अगर नए विश्वास की सृष्टि हुई है

और कुछ नई शुरुआत की आकांक्षा है तो मैं कहूंगा कि देश को स्थिर सरकार की आवश्यकता है। ईमानदार सरकार की आवश्यकता है। और इस आवश्यकता को, इस सरकार की आवश्यकता को हम पूरा करेंगे।...(व्यवधान)

राष्ट्रपति की दो कसौटियां

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने जब हमें बुलाया तो उनके सामने दो कसौटियां थीं। उन्होंने दो बातों पर गंभीरता से विचार किया—भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और भारतीय जनता पार्टी और मित्र दलों का गठबंधन सबसे शक्तिशाली गठबंधन था। लेकिन एक और विशेषता थी कि यह गठबंधन चुनाव के पूर्व हुआ था, चुनाव के बाद नहीं। हम इस गठबंधन को लेकर मतदाता के पास गए थे। चुनाव के पूर्व जो गठबंधन होते हैं, उनमें विचारों की समानता होती है। इसलिए राष्ट्पति महोदय ने चुनाव के पूर्व गठबंधन के तथ्य को अधिमान दिया और हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया। चुनाव में हम जनता के सामने दो प्रमुख लक्ष्य लेकर गए थे। देश को राजनैतिक स्थिरता देना और देश को स्वच्छ शासन और प्रशासन देना। यह गठबंधन चुनाव के पूर्व था, इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह गठबंधन केवल सत्ता के लिए था। लोकतंत्र में सत्ता में भागीदारी स्वाभाविक है, आवश्यक है, लेकिन चुनाव-पूर्व गठबंधन में और चुनाव के बाद के गठबंधन में जो गुणात्मक परिवर्तन है, उसको समझा जाना चाहिए। राष्ट्रपति महोदय ने समझा और उन्होंने हमें सरकार बनाने के लिए बुलाया।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह ये चुनाव परिणाम आए हैं, उनका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहता हूं। तमिलनाडु में सुश्री जयललिता के नेतृत्व में ए.आई.ए.डी.एम.के. की वापसी ने चुनाव दृश्य के पर्यवेक्षकों को आश्चर्य में डाल दिया। कर्नाटक में श्री हेगड़े के नेतृत्व में लोकशक्ति के साथ हमारा गठबंधन परिणाम लाया है। उड़ीसा में श्रद्धेय बीजू बाबू के सुपुत्र श्री नवीन पटनायक ने बीजू जनता दल का उदय करके राजनीति की तस्वीर ही बदल दी। पश्चिम बंगाल में ममता जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस तथा मार्क्सवादी दलों को मूल से हिला दिया।... (व्यवधान)

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आप माननीय सदस्यों से कहिए कि वे टोका-टाकी न करें, नहीं तो हम भी इनके लीडर्स को बोलने नहीं देंगे। इसके बाद शरद पवार जी को बोलना है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : गुजरात में सिद्धांतहीन गठबंधन परास्त हुआ और जनता ने पुनः हमें अपना विश्वास दिया। कुछ प्रदेशों में हमें अपेक्षा के अनुसार सफलता नहीं मिली। हम असफलताओं के कारणों पर गहराई से विचार कर रहे हैं। कुछ दलों के साथ हमारा गठबंधन इस चुनाव को लेकर ही नहीं हुआ, इससे पहले भी हम उनके साथ मिलकर काम करते रहे हैं, सरकार चलाते रहे हैं। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन केवल सत्ता के बंटवारे के लिए नहीं है। पंजाब में सैकड़ों साल से हिंदू और सिखों के बीच में जो भाईचारा चला आ रहा है, उसे मजबूत करने के लिए है।

अब पंजाब में सरसों की पीली फसल के ऊपर रक्त के लाल धब्बे नहीं दिखाई देंगे। पंजाब की शामों में गिद्धा सुनाई देता है। अभी बैसाखी का त्योहार आ रहा है। पूरा पंजाब मस्ती में

झूमेगा।...(व्यवधान) पंजाब में आतंकवाद को परास्त करने का कांग्रेस श्रेय लेती है, लेकिन जनता इस दावे को स्वीकार नहीं करती। अगर स्वीकार करती तो पंजाब में कांग्रेस की पराजय क्यों होती? हिमाचल प्रदेश में हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं... (व्यवधान) हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा विकास पार्टी की मिली-जुली सरकार चल रही है। अब हरियाणा और पंजाब के बीच में पारस्परिक सहयोग की चर्चा होती है, विवाद के मसले नहीं उलझाए जा रहे। जहां-जहां हमारी सरकारें हैं, भारतीय जनता पार्टी की, वहां दारू बंद कर दी गई है। जनता की मांग पर उस पर पुनर्विचार किया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्रात्मक सरकार है। और प्रदेशों में भी यह दारूबंदी का प्रयोग कई रूपों में से निकला है। लोग एक प्रयोग करते हैं, फिर उससे सीखते हैं, फिर दूसरी नीति बनाते हैं। लेकिन जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, उनका विचार करके सरकार अगर नीति में परिवर्तन करे तो फिर उसके लिए श्रेय दिया जाना चाहिए। मुझे विश्वास है, भजनलाल जी जरूर इसके लिए वाहवाही कर रहे होंगे।

हमने सरकार बनाने का दावा नहीं किया था

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि बहुमत प्राप्त करने में कमी रहने के कारण हमने सरकार बनाने का दावा नहीं किया था, लेकिन आज हम सदन में बहुमत में हैं और अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। लेकिन मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि बहुमत और अल्पमत, यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन क्या लोकतंत्रीय पद्धति बहुमत और अल्पमत के खेल में अटककर रह जाएगी? क्या अस्थिरता का कभी न समाप्त होनेवाला दौर चलता रहेगा? पिछले १८ महीने की अनिश्चितता ने, अस्थिरता ने किस तरह से देश को कठिनाइयों में डाला है, विशेषकर आर्थिक मोर्चे पर, उसका उल्लेख मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा कर चुके हैं। उन्होंने स्थिति का यथार्थ चित्रण किया है। स्थिति चिंताजनक है। १८ महीने की अनिश्चितता के कारण, अदूरदर्शी नीतियों के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। खाद्यान्न का उत्पादन घटा है, निर्यात घटा है, सरकारी आमदनी घटी है, वित्तीय घाटा बढ़ा है। इसे रोकने के उपाय करने पड़ेंगे। उसके लिए केंद्र में स्थिर, सक्षम और ईमानदार सरकार की जरूरत है। अगली शताब्दी की चुनौतियों का सबको सामना करना पड़ेगा।

यह अकेले एक दल का या अनेक दलों के गठबंधन का सवाल नहीं है। आप जब इधर थे, तब आपकी कठिनाइयां हम देख रहे थे। और जब-जब उन कठिनाइयों से निकलने के लिए हमारी सहायता की आवश्यकता हुई, हमने कभी इन्कार नहीं किया, हमने कभी अस्वीकार नहीं किया। आखिर दल देश के लिए है, राष्ट्र सर्वोपरि है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को आहत कर रही है, बल्कि सबसे बड़े लोकतंत्र के नाते वह विश्व में हमारी छवि को भी धूमिल कर रही है।

राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के माध्यम से मैंने अपनी सरकार की प्राथमिकताओं और उसकी नीतियों पर प्रकाश डाला है। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण से अगर किसी का मतभेद है तो वह मतभेद कहां है और क्यों है, हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हमारा कार्यक्रम राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का कार्यक्रम है। यह सर्वस्पर्शी कार्यक्रम है। यह देश के सभी भागों और समाज के सभी अंगों के उत्थान के लिए है। इसलिए हमने इसे न्यूनतम कार्यक्रम कहा। हमने इसे राष्ट्रीय एजेंडा का नाम दिया है। हम चाहेंगे कि वह गंभीर चर्चा का विषय बने। इस एजेंडे में हम

जन-आकांक्षाओं और सरकार की करनी के बीच जो फासला बढ़ा है, उसे कम करना चाहते हैं। भारत एक बहुदलीय लोकतंत्र है, हमें इस पर गर्व है और हम लोकतंत्र की इस विशेषता को वर्धमान करने के लिए कटिबद्ध हैं। स्वाधीनता के बाद ऐतिहासिक कारणों से केंद्र में और राज्यों में भी एक दल का वर्चस्व रहा, जिसके कारण अनेक विकृतियां आईं। कुछ लाभ भी हुए थे। लेकिन स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि मुख्यमंत्री केंद्र से नामजद होने लगे। प्रदेशों की स्वायत्तता व्यवहार में घटने लगी। क्षेत्रीय अपेक्षा और आवश्यकताओं के प्रकटीकरण का उचित माध्यम नहीं मिला। आज यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अलग-अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय दल सत्ता की बागडोर संभाल रहे हैं और राष्ट्र के विकास में अखिल भारतीय दृष्टिकोण विकसित करते हुए योगदान दे रहे हैं। ये सब हमारी बधाई के अधिकारी हैं, हमारे अभिनंदन के अधिकारी हैं।

शक्तिशाली केंद्र और शक्तिशाली राज्य इनमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। हम चाहेंगे कि राज्यों को और अधिक स्वायत्तता मिले। हम चाहेंगे कि मुख्यमंत्री छोटी सी बात के लिए, थोड़ा सा अनुदान लेने के लिए, छोटी सी योजना पूरी कराने के लिए नई दिल्ली तक दौड़ लगाने का सिलसिला बंद कर दें। साधनों का बंटवारा इस तरह से होना चाहिए कि राज्य अपने पैरों पर खड़े हो सकें, विकास की जिम्मेदारियां निभा सकें। मित्रो, इसके लिए राजनीति में जो नकारात्मकता आ गई है, जो एक छुआछूत की भावना आ गई है, उसे दूर करने की जरूरत है। पिछली बार केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से अलग रखने के लिए जो गठबंधन बना, वह गठबंधन टूट गया, बिखर गया।

देश के सामने नए चुनाव की चुनौती

अध्यक्ष महोदय, देश के सामने नए चुनाव की चुनौती आ गई। अब क्या फिर वही परिदृश्य दोहराया जाएगा? पुराने राजनीतिक दल पहले जहां खड़े थे, भले ही वहां खड़े हों, लेकिन जनता आगे बढ़ गई और हमारे साथ काम करनेवालों की संख्या भी निरंतर आगे बढ़ रही है। आज सारे देश का प्रतिनिधित्व इधर है। हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। देश में अनेक विभिन्नताएं हैं। बहुदलीय होने के साथ-साथ यह देश बहुभाषी और बहुधर्मी भी है। इस देश में अलग-अलग जनजातियों का निवास है। वे संख्या में कम हैं, इसलिए अपने अस्तित्व के बारे में चिंतित हैं। कभी-कभी उत्तर-पूर्व में बसे हुए लोग न केवल भौगोलिक दूरी अनुभव करते हैं, बल्कि भावनात्मक दृष्टि से भी अपने को उपेक्षित पाते हैं। इस स्थिति को बदलना पड़ेगा और हम बदलने के लिए कटिबद्ध हैं। लेकिन यह काम आम सहमति के आधार पर ज्यादा अच्छी तरह हो सकता है, केवल सरकार के भरोसे नहीं। विविधता हमारी संस्कृति की समृद्धि का परिचायक है, हमारी दुर्बलता की देन नहीं। सभी भाषाओं के साहित्य का अध्ययन कीजिए, तो कहीं न कहीं एक स्वर की झनक सुनाई देती है, एक झलक दिखाई देती है। अनेक कारणों से जो संख्या में कम हैं भाषा के कारण, धर्म के कारण या अपनी नस्ल के कारण, वैसे तो हम सभी एक ही नस्ल के हैं, उनके मन में आशंकाएं पैदा होती हैं। हम उन आशंकाओं से परिचित हैं और उन आशंकाओं के निराकरण के लिए पूरी कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं अधिक विस्तार से नहीं बोलना चाहता। अनेक मसले हैं जिन पर चर्चा होगी। मुझे उत्तर में अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। कुछ प्रश्नों पर इस देश में हमेशा सहमति रही है और व्यापक आम सहमति रही है। मैं खासतौर से विदेश नीति के क्षेत्र का उल्लेख करना चाहूंगा। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल

को हमारे पड़ोसी देश ने उठाने का फैसला किया, तो उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। इस पर हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र बड़ा विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है, और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता है जो देश के अंदर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाधाएं उत्पन्न होती हैं।

लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं हैं, बड़े चतुर आदमी हैं। यह मत समझिए कि वे केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए आपको भेज रहे हैं, बल्कि उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और हमारे खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बंटाने के लिए वाजपेयी जी को भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है। मैंने इस पर विश्वास नहीं किया। हम एक-दूसरे की सदाशयता पर भरोसा करते हैं।

मेरे मित्र श्री गुजराल यहां बैठे हैं। जब मैं थोड़ी देर के लिए विदेश मंत्री बना था तब वे मास्को में हमारे राजदूत थे—हमारे मायने मेरे नहीं, देश के राजदूत थे। उस समय से हम एक-दूसरे को जानते हैं। १९७७ में भी इमर्जेंसी के बाद, देश में एक परिवर्तन आया था, आमूल परिवर्तन आया था। बड़े-बड़े स्तंभ ढह गए थे। तंबू उखड़ गए थे। बरसों से सत्तारूढ़ दल लोगों का विश्वास खो चुका था। उस समय भी विदेश नीति आम सहमति के आधार पर चली थी।

मुझसे एक विदेशी राजनीतिज्ञ ने पूछा कि विदेश मंत्री महोदय, आप जहां बैठते हैं, वहां क्या परिवर्तन हुआ है, साउथ ब्लाक में क्या परिवर्तन होनेवाला है? मैंने कहा कि मंत्री बदल गया है, और कोई परिवर्तन होनेवाला नहीं है। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे। साउथ ब्लाक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते-जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक-झोंक भी हुआ करती थी। मैं नया था और पीछे बैठता था। कभी-कभी तो बोलने के लिए मुझे वाक्आउट करना पड़ता था, लेकिन धीरे-धीरे मैंने जगह बनाई। मैं आगे बढ़ा। और जब मैं विदेशमंत्री बन गया, तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा कि यह चित्र कहां गया? कोई उत्तर नहीं मिला। वह चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में यह भावना पनपे?

ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मेरे मतभेद नहीं थे। मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभरकर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया कि आपका एक मिला-जुला व्यक्तित्व है और आप चर्चिल भी हैं, चेंबरलिन भी हैं। वह नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंक्वेट में मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना है। लोग बोलना बंद कर देंगे। क्या एक राष्ट्र के नेता, हम आपस में मिलकर काम नहीं कर सकते? क्या एक राष्ट्र के नेता, हम सब, आनेवाले संकटों का सामना नहीं कर सकते?

एक शताब्दी खत्म हो रही है, दूसरी शताब्दी दरवाजे पर खड़ी है। अगर हमें छोड़कर आप कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हम जो प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग को आप सफल होने दें, यह मैं आपसे अनुरोध जरूर करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना प्रस्ताविक भाषण समाप्त करता हूं। चर्चा में जो मुद्दे उठाए जाएंगे, उनका मैं उत्तर के रूप में जवाब दूंगा। धन्यवाद।

हमारा कोई गुप्त एजेंडा नहीं

अध्यक्ष महोदय, मैंने ज़ो प्रस्ताव पेश किया था, उस पर हुई चर्चा अब समाप्त होने जा रही है। जैसा मैंने प्रारंभ में स्पष्ट किया था, राष्ट्रपति महोदय के निर्देशानुसार मुझे सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना है।

जिन सदस्यों ने प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया और जो चुप होकर चर्चा सुनते रहे, वे भी हमारे धन्यवाद के अधिकारी हैं।

इससे पहले कि मैं चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों में से कुछ का उत्तर दूं, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सदन को हमें थोड़ी और गंभीरता से चलाना होगा। कभी-कभी उत्तेजना समझ में आ सकती है, तुर्की-बतुर्की जवाब, यह संसद का एक अभिन्न अंग है। जंग और विरोध के लिए काफी गुंजाइश है, लेकिन सदन को देखनेवालों को ऐसा नहीं लग्ना चाहिए कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि शिष्ट और शालीन ढंग से बर्ताव नहीं कर रहे। दुनिया इस सदन को देख रही है, और इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि सदन के चलने का, इस सदन में सदस्यों के आचरण का और चुनावों के परिणामों का क्या संबंध है। लेकिन इतना जरूर है कि ५४३ के सदन में जो मेंबर ११वीं लोकसभा के बाद पुनः चुनकर आए हैं, उनकी संख्या केवल २५१ है, २८८ नए सदस्य चुनकर आए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां हमारे व्यवहार से या हमारी कथनी से मतदाताओं का विश्वास इस सीमा तक पहुंच जाता है कि वे हमें दोबारा इस सदन में भेजने लायक नहीं समझ पाते।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा में बहुत से मुद्दे उठाए गए हैं। विरोध पक्ष के नेता ने, और भी अनेक सम्मानित सदस्यों ने, यह आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष का कोई हिडन एजेंडा है—मैं नहीं जानता, उनका क्या अभिप्राय है। हमारा एजेंडा जगजाहिर है, उजागर है। वह नेशनल एजेंडा है, हम उससे बंधे हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, और किसी एजेंडे से हमारा संबंध नहीं है।

जब तक यह सरकार रहेगी और जब तक मैं इसका प्रधानमंत्री रहूंगा, मैं आपको आश्वासन

** अपने मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद लोकसभा में २८ मार्च, १९९८ को प्रधानमंत्री के रूप में चर्चा का उत्तर।*

देता हूं, इसी नेशनल एजेंडा के हिसाब से सरकार चलेगी। सभी दल और सत्ता पक्ष के गठबंधन में शामिल दल भी अलग-अलग घोषणापत्रों पर चुनाव लड़े। यह कोई नई बात नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन सब मिलकर चुनाव लड़े थे, यह भी सत्य है। मिलकर चुनाव के मैदान में कूदे थे, मिलकर जनता के पास गए थे, मिलकर उनसे समर्थन की आशा की थी, अनुरोध किया था।

जब हमारी संख्या इतनी हो गई कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, ऐसा हमें लगा, तो फिर हमने एक मिला-जुला कार्यक्रम तैयार किया। क्या संयुक्त मोर्चा के समय में ऐसा नहीं हुआ था? उस समय हमने किसी हिडन एजेंडा की बात नहीं की। १९७७ में भी, किसी माननीय सदस्य ने उसका उल्लेख किया था, जब कई राजनैतिक दल साथ आए, क्योंकि इमर्जेंसी के चंगुल से लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते थे, सब दलों ने अपने-अपने कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंगों को छोड़ा, अंशों को छोड़ा। मैं अलग-अलग दलों का नाम लेकर कि उन्होंने क्या छोड़ा, इसमें जाना नहीं चाहता।

भारत को एटम बम बनाना चाहिए

भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एटम बम का निर्माण करना चाहिए, यह बात हम पहले से कहते रहे हैं। लेकिन जब जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में एक मिली-जुली सरकार बनी तो फिर एटम बम के मामले में मतभेद था, हमने उसे छोड़ दिया। और भी दलों ने अपने कुछ कार्यक्रमों के पूर्व अंश छोड़े। वह सरकार नहीं चली, तो किसी कार्यक्रम के मुद्दे को लेकर नहीं चली, ऐसा नहीं हुआ। वह सरकार और कारणों से नहीं चली। इस समय भी यह नेशनल एजेंडा तैयार हुआ है, इसकी आलोचना हो, इसके विविध पहलुओं पर टिप्पणियां की जाएं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका स्वागत करेंगे। सचमुच में जो एजेंडा बना है, वह सब दलों की राय से बना है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमने अपनी राय को थोपा नहीं है। हम अकेले फैसले नहीं करते, मिलकर फैसले करते हैं। सामूहिक सूझबूझ से निर्णय लिए जाते हैं। इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए।

जो मुद्दे छूट गए, विभिन्न दलों ने जिन मुद्दों को छोड़ दिया, उन मुद्दों का सवाल उठाकर, मुझे आश्चर्य है कि उन मुद्दों से आजकल हमारे उधर बैठे हुए मित्रों को बड़ा प्रेम हो गया है। जब हम धारा ३७० की बात करते थे, तो हमें कहा जाता था कि आप धारा ३७० की बात क्यों कर रहे हैं? और जब आज हम बात नहीं कर रहे तो हमको उलाहना दिया जा रहा है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। 'चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का।'...(व्यवधान) हमारी नीति दोहरी नीति नहीं है। जैसे भी हो, आलोचना करना, निशाना बनाना, यह नीति दोहरी नीति है।...(व्यवधान) अब हमारे जोगी जी दिखाई नहीं देते।...(व्यवधान) वह गंगा जल की पवित्रता का, तीर्थ स्थानों की महानता का इस तरह से स्मरण कर रहे थे जैसे सचमुच में वह नाम के जोगी नहीं हैं, वास्तव में जोगी हैं।...(व्यवधान) इस अविश्वास को आधार बनाकर काम नहीं चलेगा।...(व्यवधान)

श्री शरद पवार (बारामती) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक सचिव ने एक सर्कुलर में भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा उद्धृत किया है।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : वह अधिकारी भी उसी गलतफहमी का शिकार हैं, जिसके आप शिकार

हैं।...(व्यवधान) यह बात स्पष्ट की जा चुकी है।...(व्यवधान)

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आप इसके लिए क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कृपया आप बैठ जाएं।

श्री वाजपेयी : वह सर्कुलर हमने देखा है। वह अनावश्यक है, आपत्तिजनक है और हमने जवाब तलब किया है। लेकिन वह जिस विषय से संबंधित है, हमारे नेशनल एजेंडा में उसका उल्लेख है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सर्कुलर में नाम नहीं लिया जाना चाहिए। लिया गया है तो वह गलत है और उसको तत्काल परिष्कृत किया गया है, उसको तत्काल ठीक किया गया है।

एक बात और भी कही गई है कि हमें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है।...(व्यवधान) इस सदन के लिए मैं नया नहीं हूं।...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर (तेनाली) : हमने नहीं कहा है, बाबा बाल ठाकरे जी ने कहा है।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : जहां आवश्यकता पड़ी है, अपने मित्रों से मतभेद करके भी, मैंने जो ठीक बात समझी है, वही की है। क्या कोई मुझे पीछे से चला सकता है? सच्चाई यह है कि कोई चलाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है और न हम रिमोट कंट्रोल से चलनेवाले हैं। मगर यह रिमोट कंट्रोल केवल हमारे संबंध में कहा जाता है, जब कि और जगह भी रिमोट कंट्रोल चलते हैं।...(व्यवधान) मगर उनका रिमोट कंट्रोल अच्छा है, हमारा ठीक नहीं है। फिर वही, चित भी मेरी पट भी मेरी।...(व्यवधान)

यह सदन सर्वोपरि है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यह ठीक है कि जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हम उनसे संपर्क रखते हैं, उनका परामर्श लेते रहते हैं, लेकिन जो भी निर्णय होते हैं, वे हमारे अपने निर्णय होते हैं। निर्णय कोई थोपे नहीं जाते और न किसी का निर्णय थोपा जाना हम पसंद करेंगे, इस बारे में किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

सत्ता के दो केंद्र

चर्चा में यह भी कहा गया है कि दोहरी नीतियां हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि सत्ता के दो केंद्र हैं। क्या दो केंद्र इतने पास-पास होते हैं। आडवाणी जी जब हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जोशी जी ने इसका उल्लेख किया है, तो पार्टी का प्रधानमंत्री-पद के लिए उम्मीदवार कौन होना चाहिए, इस बारे में पार्टी में चर्चा होने से पहले, कोई फैसला होने के पहले, आडवाणी जी ने ऐलान कर दिया मेरे नाम का। यह मुंबई की घटना है।...(व्यवधान) बाद में पार्टी ने उसकी पुष्टि की। अब आप कहेंगे कि...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रिमोट कंट्रोल...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : आप अगर इस खामख्याली का मजा लूटना चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना आप भी जानते हैं कि कोई मुझे मुखौटा बनाकर मेरा उपयोग करे, यह तो मेरे आज तक के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के साथ मेल नहीं खाता है। लेकिन कोई मुझे मुखौटा बनाकर उपयोग करना भी नहीं चाहता है। इस तरह का कोई प्रयास नहीं है। और फिर मेरे और आडवाणी जी के बीच में भेद पैदा करने की कोशिश करना, यह जो प्रयास है, इतना सरल नहीं है। इसमें सफलता नहीं मिलेगी। आप यह विचार अपने मन में से निकाल दें।

हमारे गठबंधन में छोटे-छोटे दल हैं। संगमा जी सदन में नहीं हैं। उन्होंने ठीक कहा, एक-एक व्यक्ति का भी···

कुछ माननीय सदस्य : सदन में हैं।

श्री वाजपेयी : माफ कीजिए। संगमा जी ने ठीक कहा, बहुत-सी बातें उन्होंने अच्छी कही हैं। मेरी उनकी खूब पटरी जमती थी। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि छोटी-छोटी पार्टियां और इनके कारण लोकतंत्र के विकास में बाधा हो रही है। हमें राजनीति के इस दौर से गुजरना था। यह राजनीति का स्थायी चित्र नहीं है। यह स्थायी भाव नहीं है। लेकिन इसमें से बिना गुजरे भी मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। यह संक्रमण-काल है और संक्रमण-काल में जहां नए गठबंधन हो रहे हैं, वहां बिखराव भी हो रहे हैं। कुछ समय के बाद राजनीति अपना खोया हुआ संतुलन पा लेगी—ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन शर्त यह है कि हम लोगों ने, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है और जो बड़े दलों से जुड़े हैं और जिन्होंने इस देश का लंबा कालखंड देखा है, वे अगर छोटे दलों का शोषण करने के बजाय उन्हें नए समीकरणों से रास्ते पर ला सके, तो देश की तस्वीर बदल सकती है। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि एक दल के लगातार रहनेवाले वर्चस्व के कारण कई क्षेत्रों में यह भावना पैदा हुई है कि उनकी कोई सुननेवाला नहीं है। यह बहुधर्मी देश है, बहुभाषी देश है और बहुजातीय देश है। छोटी-छोटी इकाइयां भी अपना अस्तित्व रखना चाहती हैं, जड़ों की तलाश हो रही है। अभी मॉरीशस के प्रधानमंत्री जी यहां आए थे। वे आजमगढ़ भी गए। अपने पुरखों का गांव ढूंढ़ने के लिए, अपने पुरखों की जन्म स्थली को तलाश करने के लिए जब वे आजमगढ़ पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मॉरीशस के प्रधानमंत्री के पूर्वज बरसों पहले वहां गए थे। लेकिन इस धरती को देखने की उनकी आकांक्षा है कि किस वातावरण में उनके पुरखे रहते थे, किस वातावरण में वे जन्मे थे। इस भावना की कद्र होनी चाहिए।··· (व्यवधान) हम तो चाहते हैं कि यह आना-जाना और बढ़े। १९७७ में जब विदेश मंत्री के नाते मुझे अवसर मिला था तो मैंने पासपोर्ट देने के नियम सरल कर दिए थे। विदेश यात्रा को और भी सरल बना दिया था। अभी खाड़ी देशों में हम एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में गए थे। ३० लाख भारतीय खाड़ी देशों में हैं। जो अधिकांश मुस्लिम देश हैं, वहां भारतीय काम कर रहे हैं। वे पैसा कमा रहे हैं, वहां की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं और कमाकर थोड़ा सा अपने घर भेज रहे हैं, जिससे उनके घर को भी थोड़ा लाभ पहुंच रहा है। हम चाहते हैं कि यह आना-जाना बढ़ना चाहिए। जनता के स्तर पर हमारे संबंध और विकसित होने चाहिए। श्री गुजराल इस दिशा में प्रयत्न करते रहे हैं। यद्यपि जिस तरह का उत्तर मिलना चाहिए उस तरह का उत्तर नहीं मिला, फिर भी हम लगातार प्रयास करते रहे।

महोदय, मैंने एक बार पाकिस्तान के एक नेता से कहा था कि हम इतिहास से झगड़ा कर कर सकते थे, मगर भूगोल नहीं बदल सकते। रहेंगे तो हम साथ ही साथ। हां, हम यही कर सकते हैं कि दोस्ती से रहें या दुश्मनी से रहें। फिर हम दोस्ती क्यों न करें, दुश्मनी की क्या जरूरत है। लेकिन उस विषय पर मैं यहां विस्तार से नहीं जा रहा। किसी सदस्य ने श्री जार्ज फर्नांडीज के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि क्या चीन और तिब्बत के बारे में भारत सरकार की नीति बदल गई है? कोई नीति नहीं बदली। सरकारें बदलने.से राष्ट्रहितों में परिवर्तन नहीं होते हैं। कुछ नीतियां ऐसी हैं जो एक सरकार को दूसरी सरकार से उत्तराधिकार में मिलती हैं। विदेश मंत्री के नाते मैं सबसे पहले चीन से संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम उठाने के लिए गया

था। उस समय मेरा विरोध हुआ था और हमारे पड़ोसी ने भी गलती की कि वियतनाम से बखेड़ा मोल ले लिया। इसलिए मुझे अपनी यात्रा जल्दी खत्म करके वापस आना पड़ा था। लेकिन उस समय जो समझौता हुआ, कि सीमा के सवाल पर बातचीत चलेगी, मगर बार्डर पर ट्रिनक्वैलिटी मेनटेन की जाएगी, वह अभी तक मेनटेन हो रही है। आज भी चीन से सीमा के बारे में जो प्रश्न हैं, उनके बारे में बातचीत हो रही है। बातचीत अच्छे वातावरण में हो रही है और अन्य क्षेत्रों में हमारे संबंधों का विकास हो, इस बात की कोशिश भी हो रही है। हमने तो पाकिस्तान को भी सुझाव दिया था। अभी प्रधानमंत्री के नाते नहीं, प्रतिपक्ष के नेता के नाते दिया था कि आप कश्मीर के मसले को थोड़े दिन के लिए अलग रख दीजिए तथा अन्य क्षेत्रों में, व्यापार में, आर्थिक सहयोग में मिलकर काम करने के लिए दरवाजे खोल दीजिए। कुछ सामान हम पैदा करते हैं, जिसकी पाकिस्तान में जरूरत है और कुछ सामान पाकिस्तान में है, जो हमारे लिए आवश्यक है। हम एक-दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं--चाहे वह बिजली की आवश्यकता हो, अनाज की आवश्यकता हो। लेकिन अभी वह वातावरण नहीं बना है। वातावरण बनेगा, मुझे ऐसा भरोसा है। मैं पहले भी दोहरा चुका हूं और आज फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा।

अंतरराष्ट्रीय संबंध

जहां तक अंतरराष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, उसमें सरकार बदलने से न कोई परिवर्तन हुए हैं, न परिवर्तन होंगे। श्री गुजराल साहब विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के नाते लगातार प्रतिपक्ष से संपर्क रखते रहते थे। आखिर सी.टी.बी.टी. के सवाल पर जो सारे देश की एकता प्रकट हुई, उसके मूल में यही था। इसी तरह से संपर्क करके, आपस में विचार-विमर्श का रास्ता बनाया गया। इसका दुनिया-भर में असर होता है। यह सवाल पार्टी का सवाल नहीं है, इसलिए मैं सहयोग का आमंत्रण करता हूं। जब मैं आम सहमति की बात करता हूं तो किसी कमजोरी के कारण नहीं करता, किसी मजबूरी के कारण नहीं करता। हमारी संख्या कम है, सरकार कैसे चलेगी, इस कारण नहीं करता। सरकार चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। ४० साल हमने बिना सरकार के गुजारे हैं। लेकिन जब हम प्रतिपक्ष में थे तब भी हम आम सहमति पर जोर देते थे। आज सत्ता पक्ष में हैं तो आम सहमति की धारणा को हम व्यवहार में लाना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, यह इतना बड़ा देश है, इतना प्राचीन देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी विविधताएं हैं तो क्या यह देश बिना आम सहमति के चल सकता है, आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। मुद्दों पर मतभेद होंगे और मतभेद लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। चुनाव हो गए, अब हम क्या करें? किसको जनादेश मिला, इस पर बहस हो रही है। मैंने कल भी कहा था कि यदि कोई जनादेश का दावा कर सकता है तो हम कर सकते हैं। मैंने कहा था, यदि कोई कर सकता है तो, मैंने यह नहीं कहा कि हमें जनादेश मिल गया, आपकी अब जरूरत नहीं है। इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि स्पष्ट बहुमत मिलता तब भी, और मैं तो यहां तक जाने के लिए तैयार हूं कि यदि दो-तिहाई बहुमत मिल जाए तब भी इस देश को आम सहमति के आधार पर चलाना पड़ेगा। जिनके हाथ में पहले सत्ता थी, वे भी चलाते रहे। यह व्याघात कब पड़ा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन व्याघात पड़ा। वह सिलसिला चलना चाहिए, वह सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और सहयोग के वातावरण में देश की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। यह प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा--मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एजेंडा के कुछ मुद्दों को लेकर टीका-टिप्पणियां हुई हैं। मेरे मित्र श्री चिदंबरम् ने कहा कि एजेंडा है लेकिन प्रोग्राम नहीं है। मैं दोनों का इतना बारीक अंतर नहीं समझ सकता। मैं कहना चाहता हूं कि एजेंडा में प्रोग्राम का समावेश भी है। कौन से कानून बनेंगे, इसका उल्लेख है, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, इनका निर्देश है। उन्होंने एक उदाहरण दिया—रिवर वाटर के बारे में।

उन्होंने कहा कि यह तो जनरल बात है कि वाटर-पालिसी बनेगी। लेकिन आप करेंगे क्या, यह तो आपने बताया नहीं। हमने इसमें बताया है कि मैकेनिज्म होना चाहिए, जल्दी कैसे होना चाहिए। अब शायद उनकी मंशा यह थी कि कावेरी का जो विवाद चल रहा है और जिस पर गतिरोध पैदा हो गया है, उसके बारे में हम सत्ता में आते ही ऐलान कर देते। उसका क्या नतीजा होता? बरसों तक क्यों ऐलान नहीं हुआ? जो पहली सरकारें थीं, वे जरूर किसी कठिनाई का अनुभव कर रही थीं। इसलिए ऐसे सवालों पर नीति की बात हो सकती है। जहां तक व्यवहार का सवाल है, वह सबको मिलकर नीति बनानी होगी। इससे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु प्रभावित हैं। सबको एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी एवार्ड हो गया है, लेकिन एवार्ड पर अमल नहीं हुआ है। मैं सत्ता संभालते ही यह घोषित नहीं कर सकता कि हमारी सरकार एवार्ड को लागू करेगी। पानी में भी आग लग सकती है। पानी का मामला और टेढ़ा होनेवाला है। पानी की समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह विश्व की समस्या बन गई है। हो सकता है कि अगला विश्व तनाव पेट्रोल पर न हो, पानी को लेकर हो। जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। जल की मात्रा घट रही है। जल का धरातल नीचे आ रहा है। हमें अपने-अपने चुनाव-क्षेत्र में इसकी अनुभूति होती है। लोगों की कठिनाइयां देखकर परेशानी होती है। संगमा जी, हमने यह आश्वासन नहीं दिया है कि हम हर बात पांच साल में कर देंगे। केवल पानी के संबंध में हमारा आश्वासन है कि पांच साल के भीतर हर जगह अच्छा पानी पीने के लिए मिले, यह हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन और भी मामलों में हमने अपनी दिशा का संकेत दिया है।

संविधान का रिव्यू

हमारे नेशनल एजेंडा में एक सुझाव है कि संविधान का रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। इस पर कठोर टिप्पणी हुई है। प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्रों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। यह सुझाव देनेवाले हम पहले नहीं हैं। बरसों से इस संबंध में मंथन चल रहा है, बुद्धिजीवी विचार कर रहे हैं और अपनी राय का प्रकटीकरण भी कर रहे हैं। वे बुद्धिजीवी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों या प्रेरित हों, ऐसा भी नहीं है। डॉ. कर्ण सिंह, डॉ. एल.एम. सिंघवी, श्री सोली सोराबजी, प्रो. रशीदुद्दीन खां, श्री बी. के. नेहरू, श्री एस. एल. शकधर, प्रो. मधु दंडवते, जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर, जस्टिस खन्ना, जनरल के.वी. कृष्णा राव, ये सब इस विचार को व्यक्त कर चुके हैं कि आखिर हमारे संविधान को ५० साल हो गए हैं, इस पर एक बार दूसरी नजर डालने की जरूरत है। नया संविधान लिखने का सवाल नहीं है, लेकिन क्या हम यह मानकर चलें कि संशोधन तो होते रहे हैं। कल कहा गया कि संशोधन अलग है, रिव्यू अलग है। संशोधन तो अमल में लाना पड़ता है। रिव्यू के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उस पर हम अमल करें या न करें, यह हमारे लिए खुला हुआ होगा, लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं, जिन पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

हमने चुनाव की एक विशेष पद्धति अपनाई है। क्या यह ठीक है? अभी सुझाव आ रहा है और संसद के सदस्य इस बात से सहमत होंगे, अगर यह बात मान ली जाए तो एक बार चुनी हुई संसद पांच साल तक रहेगी, सरकार आए या जाए, मगर लोकसभा नहीं जाएगी। ऐसा कई देशों में है।...(व्यवधान) आडवाणी जी कह रहे हैं, संगमा जी ने भी शायद कहा था कि अभी जो चुनाव की पद्धति है, उसमें एक विचित्रता है। कभी वोट बढ़ जाते हैं और सीटें घट जाती हैं और कभी सीटें बढ़ जाती हैं और वोट घट जाते हैं, मगर गाड़ी चल रही है। यह भी सुझाव आया है कि ५०% से कम वोट मिलें तो वह जीता हुआ नहीं माना जाएगा। वह जनता का सचमुच में अपने को प्रतिनिधि घोषित नहीं कर सकता। १५% वोट मिलें तो आप कहेंगे कि आपको भी कम मिले हैं। अगर परिवर्तन होगा तो वह हम पर भी लागू होगा।

ऐसे भी देश हैं जो कहते हैं कि अगर फर्स्ट बैलट में न हो तो आप दूसरा बैलट करिए। अधिक रिप्रेजेंटेटिव, चुनी हुई संस्था होनी चाहिए। यह खर्चे का सवाल है। और भी कई प्रश्न हैं। मैं उन सबमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। अगर विशेषज्ञों की कोई समिति बनती है, निष्पक्ष लोगों की समिति बनती है जिसमें पुराने राष्ट्रपति वेंकटरमण जी का भी नाम है, मैंने सारे नाम नहीं लिए हैं, उसमें नानी पालखीवाला हैं, डॉ. फारूख अब्दुल्ला हैं, सबकी सलाह है कि इस तरह का कमीशन बना दिया जाए, वह देख ले कि क्या संशोधन होने चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हम संविधान को तोड़ने जा रहे हैं या नए संविधान की रचना करने जा रहे हैं, इस तरह का अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है।

शिक्षा पर खर्च

अध्यक्ष महोदय, श्री संगमा जी ने शिक्षा के बारे में एक मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि जी.डी.पी. का ६% शिक्षा पर व्यय होना चाहिए—यह निर्णय तो बहुत पहले हो चुका है, आप इसमें ग्रैजुअली क्यों जोड़ रहे हैं। निर्णय बहुत पहले हुआ था मगर उस पर अमल नहीं हुआ। आज जो खर्च हो रहा है, वह ३% से ज्यादा नहीं है और हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। तीन से एकदम छह की छलांग लगाने में थोड़ी-सी कठिनाई है और इसलिए ग्रैजुअली की बात कही है। लेकिन ग्रैजुअली का मतलब उसको लटकाना नहीं है, जल्दी से जल्दी ६% के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उन्होंने ट्राइबल्स का मामला भी उठाया था। वह मामला दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली में जब कांग्रेस का शासन था, तब भी ट्राइबल्स का कोई शेड्यूल नहीं बना। दिल्ली में ट्राइब्ज होंगे, मगर शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की सूची तैयार करनी पड़ेगी। वह सूची अभी तक तैयार नहीं हुई है। लेकिन इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और दिल्ली में जो ट्राइब्ज रहते हैं, या ट्राइब्ज से संबंधित लोग रहते हैं, उन्हें नौकरियों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस संबंध में दिल्ली सरकार से बात करूंगा। इसका मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर-पूर्व की ओर हमारी सभी सरकारों ने विशेष ध्यान दिया है। उत्तर-पूर्व की स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ है, लेकिन और सुधार की आवश्यकता है।

पैकेज घोषित कर दिए जाते हैं, लेकिन अमल में नहीं आते। कमेटी बनती है, लक्ष्मीचंद जैन कमेटी बनी थी, उसके बाद शुक्ला कमेटी बनी, मगर किसी की सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ। अब जो नार्थ-ईस्ट काउंसिल है, उसका अध्यक्ष पहले गवर्नर हुआ करता था, अब प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन उसका अध्यक्ष होगा और मैं उसे यह विशेष जिम्मेदारी सौंप रहा हूं कि इस

संबंध में उत्तर-पूर्व की सहायता के लिए जितनी घोषणाएं हुई हैं, उन सब घोषणाओं पर जल्दी से जल्दी अमल करने की कोशिश करें। अगर साधनों की कमी है तो वह केंद्र सरकार के पास आएं। हम अधिकाधिक साधन जुटाने का प्रयास उनके लिए करेंगे।

यह देश बदल क्यों नहीं रहा है?

अध्यक्ष महोदय, हम इस तात्विक चर्चा में तो बहुत रुचि लेते हैं कि विदेशी सहायता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए तो किन शर्तों पर मिलनी चाहिए। लेकिन जब सहायता मिल जाती है, सस्ता कर्जा मिल जाता है तो हम उसे अमल में लाने में विफल रहते हैं। इस देश की सबसे बड़ी विफलता इंप्लीमेंटेशन की स्टेज पर है। अच्छे-अच्छे विचारों की कमी नहीं है। कागज पर आकर्षक योजनाओं का अभाव नहीं है और शासन-तंत्र में आपको ऐसे पुराने अफसर मिल जाएंगे, जिनको सुनकर लगेगा कि इनसे अधिक तो और कोई इस विषय का ज्ञाता नहीं है और कुछ मात्रा में वे ज्ञाता होते भी हैं। लेकिन व्यवहार? यह देश बदल क्यों नहीं रहा है? परिगणित जातियों, परिगणित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के लोग, कम संख्यावाले लोग, अल्पसंख्यकों की स्थिति में ठोस परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? साधनों की कमी एक कारण हो सकता है। मगर कई केस मैंने ऐसे देखे हैं और अभी तीन-चार दिन में ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला है कि केंद्र से रुपया दे दिया गया, पावर्टी एलीविएशन के लिए रुपया दे दिया गया, करोड़ों रुपया दे दिया गया।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (इलाहाबाद) : हजारों करोड़!

श्री वाजपेयी : हजारों करोड़ रुपया है, जोशी जी कह रहे हैं, वह पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। और परिणाम क्या हुआ? यह स्थिति है, इस स्थिति को बदलना होगा। कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से सौंपी जाएगी, उसकी निगरानी होगी और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे रास्ते पर लाने की कोशिश की जाएगी। इस देश की पूंजी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। संसद-सदस्यों के नाते हमें एक करोड़ रुपया मिलता है···(व्यवधान) बड़ी रकम नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर वह रकम ठीक तरह से खर्च की जाए, ठेकेदार के हाथ में न जाए, अफसर की जेब में न जाए, कोई देखनेवाला हो और इसमें गैर-सरकारी संस्थाएं योगदान दे सकती हैं। अगर एक करोड़ रुपए में मैं लखनऊ में इतने काम करा सकता हूं तो फिर हजारों करोड़ रुपए से इस देश की बुनियादी समस्याएं क्यों नहीं हल की जा सकतीं, यह मैं समझने में असमर्थ हूं।

एक छोटी सी घटना मेरे ध्यान में लाई गई है। १९९४-९५ में नेशनल टी.बी. कंट्रोल प्रोजेक्ट बना था। यह पायलट प्रोजेक्ट था। १९९७ से प्रोजेक्ट काम करने लगा। वर्ल्ड बैंक से इसके लिए ७५० करोड़ का कर्जा आना था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य टी.बी. का उन्मूलन था। मगर इस प्रोजेक्ट में इतनी देर लगाई गई है, इतनी लंबी लालफीताशाही चली है कि प्रोजेक्ट पर अमल नहीं हुआ और टी.बी. वापस आ रही है। टी.बी. के उन्मूलन के लिए जो प्रोजेक्ट बना था, हम उस पर भी अमल नहीं कर सके, हम उसे भी व्यवहार में नहीं ला सके। कोई सरकार इस स्थिति को कैसे बर्दाश्त कर सकती है, और समाज को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।

धन अगर गांव में जाता है, धन अगर जिला परिषद में जाता है तो वह केवल वहां के अधिकारी या वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसकी जानकारी सारे गांव

को होनी चाहिए, सब लोगों को होनी चाहिए। किस तरह से यह धन खर्च किया जा रहा है, इस पर नजर रखनी चाहिए। देश में लूट का वातावरण पैदा हो गया है। इस वातावरण को बदलना होगा। जब हम ईमानदारी की बात करते हैं तो ऊपर तक ईमानदारी होनी ही चाहिए। जनता के जो राहत के काम हैं, आवास योजना बहुत अच्छी योजना है, रोजगार योजना बहुत अच्छी योजना है, लाखों की तादाद में छोटे-छोटे मकान बनाए जा सकते हैं, धन निकाला जा सकता है। बड़े-बड़े शहरों में जो सरकारी जमीन है उस पर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं, कब्जा करके फ्लैट बनाने के लिए लोगों को बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। सरकारी अफसर उनके साथ मिले हुए हैं, और लोगों के पास झुग्गी-झोंपड़ियों में सिर छिपाने के अलावा और कोई जगह नहीं है। इसे तो बदलना पड़ेगा और इसलिए आवश्यक होगा तो हम कानून में संशोधन करेंगे, आवश्यक होगा तो नया कानून लाएंगे। लेकिन सरकारी जमीन पर, जो सार्वजनिक जमीन है, उस पर किसी भू-माफिया को या अनुचित मुनाफा कमानेवालों को कब्जा करने की छूट नहीं दी जाएगी।

यह कैसे रोका जाए, यह कठिन समस्या जरूर है, लेकिन देश जिन समस्याओं में उलझा हुआ है, सबके सहयोग से ये समस्याएं हल की जा सकती हैं, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

मैं अपने वायदों पर अमल करने के लिए आपसे समर्थन मांगता हूं। आप मेरे प्रस्ताव के समर्थन में मत दें, ऐसी अपील करते हुए मैं समाप्त करता हूं।

हम स्थायी सरकार देंगे

मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सभा मंत्रि-परिषद में अपना विश्वास व्यक्त करती है।"
इससे पहले कि मैं सदन से विश्वास की मांग करूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति, जिनकी आज पुण्यतिथि है, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा...(व्यवधान)

जब मैं सदन में पहली बार आया तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। कई वर्ष मैंने उन्हें काम करते हुए देखा। मैं उधर बैठता था।...(व्यवधान) अभी भी उधर की याद भूला नहीं हूं। लेकिन मैं काफी पीछे बैठता था, क्योंकि संख्या बहुत कम थी। आज जो परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे अपनी संख्या बढ़ाती हुई, अपना प्रभाव बढ़ाती हुई पहले प्रमुख विरोधी दल बनी और आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनाव के बाद उभरी। यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ है, यह परिवर्तन इतिहास की बदलती हुई प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है।

हाल में जो चुनाव हुए, उनमें जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया। समय है कि उस जनादेश पर गहराई से विचार किया जाए, गंभीरता से विचार किया जाए। हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं। अन्य दलों की जो स्थिति है, उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है।...(व्यवधान) जब लोकसभा का विसर्जन हुआ, कांग्रेस पार्टी के २६० सदस्य इस सदन में थे। आज उनकी संख्या घटकर १३६ रह गई है। यह जनादेश का परिणाम है। इस परिणाम को स्वीकार किया जाना चाहिए। आत्ममंथन होना चाहिए। करीब-करीब आधी संख्या रह गई है। वाम मोर्चा ५७ से ५२ पर आ गया है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी वोटों की दृष्टि से उनकी शक्ति घटी है। बिहार में भी घटी है।...(व्यवधान) बिहार में जनता दल पहले ५६ था इस सदन में, और अभी ४४ है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने समता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा और लोकसभा के चुनाव में उसे भारी सफलता मिली। कांग्रेस की संख्या केवल यहीं कम नहीं हुई, अनेक विधानसभाओं में कांग्रेस ने जन-विश्वास खो दिया है। वहां अन्य दलों की सरकारें बनी हैं। यह परिवर्तन क्यों हुआ? यह किस बात का संकेत है?...(व्यवधान)

यह बात भी ध्यान देने की है कि आज मेरी सरकार के प्रति अविश्वास प्रकट करने के

** अपने मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए लोकसभा में २७ मई, १९९६ को प्रधानमंत्री के रूप में पहला भाषण।*

Same situation on 12-12-2018

लिए जो दल एक हो रहे हैं, वह चुनाव में अलग-अलग लड़े थे। एक-दूसरे के विरुद्ध लड़े थे।...(व्यवधान) एक-दूसरे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए लड़े थे। चुनाव के पहले कोई गठबंधन नहीं हुआ।...(व्यवधान) आज भी गठबंधन का कार्यक्रम नहीं है। सरकार पहले बनेगी और उसका कार्यक्रम बाद में बनेगा।...(व्यवधान) गठबंधन का आधार क्या है, इसकी भावात्मक भूमिका क्या है? कितने दिनों से विवाद चल रहा है, राष्ट्रपति महोदय ने मुझे क्यों बुलाया? कुछ लोगों की नींद हराम हो गई।...(व्यवधान) कुछ लोगों ने राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया, जो नहीं होने चाहिए थे। मगर चुनाव के बाद जो परिस्थिति बनी, उसमें राष्ट्रपति जी और क्या कर सकते थे। क्या वह कांग्रेस को बुलाते, जो चुनाव हार गई, जिसने जनादेश खो दिया, जिसके शासन को लोगों ने ठुकरा दिया? क्या वह एक भानुमति के कुनबे को बुलाते, जो तब तक कुनबा बना नहीं था।

राष्ट्रपति ने अगर सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को बुलाया तो एक संवैधानिक परंपरा के अनुसार आचरण किया, लोकतंत्र की मर्यादा के अनुसार...(व्यवधान)

मुझे ३१ तारीख तक विश्वास मत प्राप्त करने का समय दिया है। ३१ तारीख के पहले आज २७ तारीख है। हम अगर चाहते तो ३१ तारीख तक रुक सकते थे, ३० तारीख को यह प्रस्ताव ला सकते थे। हमें जो निर्देश दिया गया है, वह उसके अनुसार होता, लेकिन हम २७ तारीख को आपके सामने विश्वास मत लेकर खड़े हैं, क्योकि लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है और येन-केन-प्रकारेण बहुमत बनाना, यह हमारा ढंग नहीं है। इस सदन की दीवारें...(व्यवधान)

श्री शिवाजी कांबले (उस्मानाबाद) : सदन के नेता बोल रहे हैं और यह उनको हर बात में इंटरप्ट कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : एकाध टोका-टाकी का मैं बुरा नहीं मानता, मगर रोका-राकी नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज प्रस्ताव लेकर आया हूं। अभी तीन दिन बाकी हैं, लेकिन पिछली लोकसभा इस बात की साक्षी है और सदन का रिकार्ड गवाह है कि किस तरह से रात ही रात में अल्पमत बहुमत में बदला था। जब मतदाता सो रहे थे, थककर चूर थे, तब लोकतंत्र की लाज लुट रही थी। तब ईमान का सौदा हो रहा था। तब पार्लियामेंट के मेंबर्स की खरीद-फरोख्त का बाजार खुला हुआ था। मामला अदालत में है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमने देखा कि अल्पमत किस तरह से बहुमत में बदला है। वह रास्ता हमारे लिए भी खुला था। मगर हमने उस पर जाने से इन्कार कर दिया। अनैतिक तरीके अपनाकर, भ्रष्टाचार का सहारा लेकर, ईमान का सौदा करके सरकार में आना या सरकार में बने रहना, ऐसा पाप हमारे हाथों से कभी नहीं होगा, यह हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं।

लोकतंत्र की एक नैतिक व्यवस्था है, अपने मूल में एक नैतिक व्यवस्था है। पुरानी सरकार के सामने रास्ता खुला था कि वह ईमानदारी से गठबंधन करते। विरोधी दलों को तोड़ने की जरूरत नहीं थी। दल-बदल कानून की धज्जियां उड़ाने की जरूरत नहीं थी। ईमानदारी से बना हुआ गठबंधन, ईमानदारी से जो कुछ हो खुले में हो, जो कुछ हो सबके सामने हो। पारदर्शी प्रामाणिकता से दल अगर साथ आते हैं तो कार्यक्रम के आधार पर आएं, हिस्सा-बांट के आधार पर नहीं। बैंकों में लाखों रुपया जमा किया जाए, इसको लेकर नहीं। अगर देश सचमुच में एक मिली-जुली सरकार के दौर में पहुंच गया है तो लोगों का पुराना अनुभव १९७७ का और १९८९ का फिर से न दोहराया

जाए, क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है, यह संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है?

कांग्रेस का इतिहास

कांग्रेस का यह इतिहास रहा है कि वह समर्थन देती है और फिर वापस लेती है। यह त्रावणकोर से चलनेवाला सिलसिला है। अब अगर कांग्रेस के चिंतन में परिवर्तन होता है, हम इसका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक का इतिहास कुछ और कहानी कहता है। जो मिली-जुली सरकारें बनती हैं, वे भी ऐसे मुद्दों पर टूट जाती हैं जिन मुद्दों का राष्ट्र-जीवन के साथ गहरा संबंध नहीं। अभी हमें मिलकर काम करने की कला को सीखने की जरूरत है। यह अलग-अलग दलों के साथ आने पर लागू होने की बात नहीं है। यह दल के भीतर भी लागू होने की बात है। पता नहीं इस देश पर कैसा अभिशाप है। पता नहीं हम किस रोग से पीड़ित हैं। जब कभी संकट की घड़ी आती है तो यह देश एक हो जाता है, लेकिन जैसे ही संकट की घड़ी टली, हम एक-दूसरे को गिराने के, एक-दूसरे का महत्व कम करने के अनावश्यक, अप्रासंगिक मामले खड़े करने में लग जाते हैं।

मैं इसका अपवाद नहीं हूं। मेरी पार्टी भी अपवाद नहीं है। यह काम कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। हमने करने की कोशिश की, लेकिन हम सफल नहीं हुए। यह तो सबको मिलकर फैसला करना पड़ेगा। मैं नहीं जानता, कल के बाद कौन सा राजनैतिक नक्शा बनेगा। लेकिन एक बात साफ है कि चाहे एक दल की सरकार हो और चाहे बहुदलीय सरकार हो, सरकार को मर्यादा में रहना चाहिए। उस सरकार को जनता के हित के प्रति समर्पित होना चाहिए। उस सरकार का हर आचरण, हर नीति पारदर्शी प्रामाणिकता से प्रभावित होनी चाहिए। यह तो नहीं हुआ। पिछले पांच साल में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्या आगे ऐसा होगा, इसका विश्वास है?

अगर यूनाईटेड फ्रंट कोई कार्यक्रम लेकर आए और कार्यक्रम के साथ ही विश्वास दिलाए कि राजनैतिक महत्वाकांक्षा के कारण, सत्ता की कुर्सी के कारण पुराने कटु अनुभव दोहराने नहीं दिए जाएंगे तब तो जनता को थोड़ा आश्वासन मिल सकता है, अन्यथा लोग बड़े दुखी हैं। अस्थिरता की आशंका है। देश के भविष्य के बारे में चिंता है। पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैंने जो शब्द कहे थे—मैं उस समय राज्यसभा का सदस्य था—यह २९ मई का मेरा भाषण है। मैंने कहा था, मैं उद्धृत कर रहा हूं कि "नेहरू जी स्वतंत्रता के सेनानी और संरक्षक थे, आज वह स्वतंत्रता संकटापन्न है। संपूर्ण शक्ति के साथ हमें उसकी रक्षा करनी होगी। जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता के वह नायक थे, आज वह भी विपदग्रस्त है। हर मूल्य पर हमें उसे कायम रखना होगा। जिस भारतीय लोकतंत्र की उन्होंने स्थापना की, उसे सफल बनाया, आज उसके भविष्य के प्रति भी आशंकाएं प्रकट की जा रही हैं। हमें अपनी एकता से, अनुशासन से, अपने आत्मविश्वास से लोकतंत्र को सफल करके दिखाना है। नेता चला गया, अनुयायी रह गए। सूर्यास्त हो गया। तारों की छाया में हमें अपना मार्ग ढूंढ़ना है। यह एक महान परीक्षा का काल है। यदि हम सब अपने को एक ऐसे महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर सके जिसके अंतर्गत भारत सशक्त हो, समर्थ और समृद्ध हो और स्वाभिमान के साथ विश्व-शांति की स्थापना में अपना योग दे सके तो हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने में सफल होंगे।" मैं अपना उद्धरण समाप्त करता हूं।

पचास साल में हमने प्रगति की है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। चुनाव के दौरान

वोट मांगते हुए सरकार की नीतियों पर कठोर से कठोर प्रहार करने के लिए और पुरानी सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए मेरे पास बहुत सामग्री थी। हर जगह मैंने यही कहा कि मैं उन लोगों में नहीं हूं जो पचास साल की उपलब्धियों पर पानी फेर दें। ऐसा करना देश के पुरुषार्थ पर पानी फेरना होगा। ऐसा करना देश के किसान के साथ अन्याय होगा, मजदूर के साथ ज्यादती करना होगा, आम आदमी के साथ भी वह अच्छा व्यवहार नहीं होगा। जो सवाल आज मन में उठता है और उठना चाहिए—आजादी को पचास साल होने आए हैं। हम जयंती मनाने जा रहे हैं—आज देश की स्थिति क्या है? हम पिछड़ क्यों गए हैं? प्रगति की दौड़ में जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, वे हमसे भी आगे बढ़ गए हैं। जो देश हमारे बाद जन्मे थे, वे हमें पीछे छोड़ गए हैं। दुनिया के गरीबतम देशों में हमारी गणना है। बीस फीसदी से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में गांव का उल्लेख है, जहां पीने का पानी नहीं है। हम प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं कर सके। लड़कियों की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। लड़की का जन्म लेना तो इस देश में अभी तक एक अभिशाप है। क्या सरकारी कदम उठाकर, समाज में जागृति फैलाकर सब लोगों का मूल कष्ट दूर नहीं किया जा सकता? यह तो ऐसा काम है जिसमें दलबंदी के लिए कोई स्थान नहीं है।

हम पिछड़ क्यों गए?

हम देश का नक्शा नहीं बदल सकते। देश में साधनों की कमी नहीं है। साधन बढ़ाए भी जा सकते हैं, लेकिन जो साधन हैं, उनका ठीक उपयोग नहीं हो रहा है। जनता के ऊपर टैक्स लगाकर जो धन इकट्ठा किया जाता है, उसका लाभ जनता तक नहीं पहुंचता है। आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। कहां जाता है? किसकी जेब भरी जाती है? किसकी तिजोरियों में वह रकम जाती है? विदेशी बैंकों में धन जाने का सिलसिला अभी तक क्यों कायम है? उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? हम विदेशी पूंजी के लिए प्रयत्नशील हैं, विदेशी पूंजी आए। अगर विदेशी पूंजी आती है, अच्छे ढंग की टेक्नालाजी के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए, आयात-निर्यात को बढ़ाने के लिए, तो कोई आपत्ति नहीं करेगा। मुझे विश्वास है कि हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी आपत्ति नहीं करेंगे। लेकिन क्या देश के भीतरी साधनों का अधिकतम उपयोग हो रहा है?

क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय रोग बन गया है? मुझे याद है, स्वर्गीय राजीव गांधी ने एक भाषण में कहा था कि मैं दिल्ली से एक रुपया भेजता हूं, मगर जहां वह रुपया पहुंचता है, वहां पहुंचते-पहुंचते १९ पैसे रह जाते हैं। मैंने उनसे कहा, यह चमत्कार कैसे होता है? वे हंसकर कहने लगे, जब रुपया चलता है, तो घिसता है, हाथ में लगता है, जेब में जाता है, छोटा हो रहा है, रुपए को पहचानना मुश्किल है। रुपया अंतर्ध्यान हो सकता है। देश के सिक्के की स्थिति अच्छी नहीं है। सरकारी खर्चा बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है। उसको कम करना होगा और कम करने के लिए आम सहमति चाहिए, सर्वदलीय सहयोग चाहिए, कोई एक दल यह काम नहीं कर सकता। हां, हमारे पुराने प्रधानमंत्री, नरसिंह राव जी अगर अपने को स्थिर करने के बाद इस दिशा में थोड़ा प्रयत्न करते, तो सफल होते। लेकिन वे कुछ ऐसे कामों में उलझे रहे कि ये समस्याएं ध्यान नहीं खींच सकीं।

हमारा विदेशी व्यापार घट गया है। शताब्दी के प्रारंभ में १०% था। फिर बाद में २.५% रह गया और अभी ०.५% है। यह वस्तुस्थिति है, यह आलोचना के लिए नहीं है। दुनियावाले हमें

अलग-अलग पार्टियों के रूप में नहीं देखते हैं। हमारे पड़ोसी हममें भेद नहीं करते। हम कभी विफल होते हैं, दुनिया हंसती है। हमारे पड़ोसी हम पर छींटाकशी करते हैं। थोड़ा-बहुत हम लड़ें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लड़ना चाहिए। 'मुंडे-मुंडे मतिर्भिन्ना', लेकिन अपनी बात हमें निर्भीकता से कहनी चाहिए। लेकिन कुछ जीवन-मूल्य ऐसे हैं, जिनके साथ समझौता नहीं हो सकता। उसमें है—राजनेताओं की ईमानदारी का सवाल। हमें बेदाग नेतृत्व चाहिए, हमें निष्कलंक नेतृत्व चाहिए। आपको मालूम है, यह भ्रष्टाचार फैलते-फैलते नीचे किस हद तक गया है? हमारे बिहार प्रदेश में जानवरों का चारा खा लिया गया...(व्यवधान) जांच हो रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। कोई सीमा नहीं है।

अभी मुझे एक मुख्यमंत्री ने कहा कि जब उन्हें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति करनी थी, तो उनके पास ऑफिसर आए, जो एक करोड़, दो करोड़ और पांच करोड़ रुपए देकर अध्यक्ष पद लेना चाहते थे। मैंने उनसे यह नहीं पूछा कि उन्होंने किसको छांटा, किसकी नियुक्ति की, मगर मैं उनके कथन पर विश्वास करता हूं। आज देश में बिजली की कमी है। हम विदेशी पूंजी को निमंत्रण दे रहे हैं, समझौते कर रहे हैं, मगर घर के भीतर बिजली कितनी पैदा होनी चाहिए, इसका प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं।

मुझे बताया गया कि कोई मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, मगर राय नहीं बनी और राय इसलिए नहीं बनी, क्योंकि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा इतनी तीव्र हो गई है कि देश का हित गौण हो गया है, देश का हित पीछे चला गया है। आठवीं योजना के अंतर्गत ३३ हजार मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य था। अभी तक मुझे जो आंकड़े मिले हैं, उनके अनुसार हम १३ हजार मेगावाट तक बिजली जोड़ सके, क्षमता नहीं जोड़ सके। अभी उत्तर प्रदेश की शिकायत हो रही है, जब मैं बिहार में चुनाव के दौरे में गया था तो बिहार के लोगों ने, नीतिश जी ने बताया कि हफ्ते में ४ दिन बिजली नहीं रहती है। मैं नहीं जानता...(व्यवधान) हमारे पूर्वज प्रार्थना करते थे—'तमसो मा ज्योतिर्गमय'—हम अंधेरे से प्रकाश की ओर जाएं। और उनके योग्य उत्तराधिकारी हम लोगों को प्रकाश से अंधेरे की ओर ले जाने की तैयारी में हैं। क्या ये चीजें हमारे मर्म को स्पर्श नहीं करतीं? क्या ये दलगत राजनीति की मांग करती हैं?

हमारा शासन बेदाग रहा, रहेगा

हमने तो १० दिन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिस पर अंगुली उठाई जा सके और अगर हमें पांच साल मिले तो हम ऐसा शासन देकर जाएंगे जिसमें एक भी दाग ढूंढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन शासन तंत्र जैसा हमें उत्तराधिकार में मिला है, इसमें व्यवस्था का सवाल है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि हम चुनाव-सुधार के काम को हाथ में लेंगे, यह मामला बरसों से लटक रहा है। चुनाव में खर्चा कहां से आएगा? चुनाव लड़ने के लिए अगर काला धन लिया जाएगा तो फिर चुनाव के बाद उस काले धन से मुक्ति नहीं है। इसे बदलने की जरूरत है।

गोस्वामी कमेटी बनी थी। स्टेट फंडिंग का तय हो गया, सिफारिश सामने आ गई। लोकसभा के पिछले अधिवेशन में जब पुरानी सरकार थी तो गृह मंत्री श्री चह्वाण ने विरोधी दलों के नेताओं की बैठक में आकर कहा कि सरकार ने सिद्धांततः पब्लिक फंडिंग का प्रस्ताव मान लिया है, केबिनेट के पास गया है, हम चुनाव के पहले लागू कर देंगे। उस प्रस्ताव का क्या हुआ? केबिनेट की मीटिंग हुई या नहीं हुई? बहुत बड़ी सिफारिश नहीं है, उससे सारी चुनाव प्रणाली के दोष दूर

हो जाएंगे, यह मैं दावा नहीं करता। उसके भी कई पहलू हैं। मगर एक कदम था, उसको उठाना चाहिए था। कभी-कभी कुछ मित्रों को ऐसा लगता है कि जो वर्तमान भ्रष्ट प्रणाली है, महंगी प्रणाली है, उसमें स्वार्थ है, यह चलने दो, यह तो नहीं होना चाहिए। काले धन से चुनाव नहीं लड़े जाने चाहिए, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए, कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। हम इसमें साथ देने के लिए तैयार हैं। अगर हम स्वयं कदम उठाएं तो आपको साथ देने के लिए तैयार होना चाहिए। बरसों से लोकपाल बिल धूल खा रहा है। क्या प्रधानमंत्री जी कानून के ऊपर हैं? अगर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे, अगर प्रधानमंत्री से किसी को शिकायत हो तो वह कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए? बरसों तक इसी बात पर चर्चा होती रही कि लोकपाल की परिधि में प्रधानमंत्री आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यह ठीक है कि उस दिन नरसिंह राव जी ने कहा था कि मैंने क्लियरेंस दे दी है। प्रधानमंत्री का समावेश कर लें। लेकिन मैंने पूछा—बिल कहां है, बिल नहीं आया। सदन स्थगित होने के बाद कुछ मामलों पर अध्यादेश जारी करने के लिए यह सरकार तैयार हो गई। ऐसे मामलों पर जिनका संबंध वोट बढ़ाने से था, वोट-बैंक की राजनीति से था। लेकिन इस मामले में नहीं।

निर्णय न करना भी एक निर्णय है

इस मामले में भी अध्यादेश लाया जा सकता था। उस दिन मेरे मित्र इस बात की शिकायत कर रहे थे कि अदालतें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रही हैं। शायद कामरेड इंद्रजीत गुप्त थे, जुडिशियल एक्टीविज्म की बात उन्होंने कही। अगर प्रधानमंत्री अपना काम न करें और एग्जीक्यूटिव फैसले न करें, मामले को लटकाएं और जब प्रधानमंत्री से पूछा जाए कि आप निर्णय क्यों नहीं करते, तो उनका उत्तर यह हो कि निर्णय न करना भी एक निर्णय है। मैं समाचारपत्रों में जो कुछ छपा है, उसके आधार पर कह रहा हूं। अगर वह ठीक नहीं छपा है तो नरसिंह राव जी उसे ठीक कर देंगे। निर्णय न लेना भी एक निर्णय है। अब यह कर्मयोग की स्थिति है। कैसे देश चलेगा? लेकिन निर्णय नहीं लिए गए। कभी-कभी तो सरकार इस बात की प्रतीक्षा में रही कि निर्णय टाल दो, नए विवाद खड़े होंगे, झंझट मोल लेना क्या ठीक है? कोर्ट फैसला कर देगा। अब कोर्ट ऐसे मामलों में भी फैसला करने लगा है जो एग्जीक्यूटिव के मामले हैं, जो संसद के द्वारा तय होने चाहिए। संसद अपने दायित्व का पालन क्यों नहीं कर सकती? एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकती? लेकिन इसके लिए एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका ईमानदार होनी चाहिए, चुस्त होनी चाहिए, मामले लटकाए नहीं जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा होना चाहिए। हम करना चाहते हैं। जो भी आएगा उसे ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो कोई १२ दिन रहेगा, कोई छह महीने रहेगा। यह इस देश की जनता के साथ अन्याय होगा। लोगों ने अपना कर्तव्य किया है। अगर अब त्रिशंकु संसद है तो इसके लिए मतदाता दोषी नहीं है। शायद हम मतदाता के पास ठीक ढंग से अपनी बात नहीं कह सके। कभी-कभी तो मतदान की कमी देखकर यह चिंता होती थी कि क्या लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठ रहा है? कोई भी सरकार आए, क्या होगा। ऐसा ही चलेगा। 'कोउ नृप होहि, हमें का हानि', मंथरा ने कहा था। इस देश में अब सब जगह मंथरा की बात दोहराई जाएगी। जोड़-तोड़ कर सरकारें बनाई जाएंगी। सरकारें बनें तो कार्यक्रम के आधार पर बनें और देश को यह आश्वासन देने के बाद बनें कि अब लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अन्याय के खिलाफ गुहार लगाने की जगह न मिले।

लेकिन इसका तो कोई नक्शा दिखाई नहीं देता है।

हम अपनी नीतियों के साथ उभरे

राष्ट्रपति महोदय ने हमें बुलाया, क्योंकि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं, अपनी विचारधारा के साथ उभरे हैं, अपने कार्यक्रम और नीतियों के साथ उभरे हैं। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में हमने कुछ अपनी नीतियों का विवेचन किया है। ममता जी को उसमें केवल एक बात पर आपत्ति है। मुझे लगता है कि बाकी का सारा अभिभाषण उन्हें स्वीकार है। और भी मित्रों से मैं पूछना चाहूंगा कि उस अभिभाषण में कौन-सी बात एतराज के लायक है। क्या इस बात का ध्यान रखकर कि जो भी फैसले होने चाहिए वह आम सहमति से होने चाहिए, एक न्यूनतम कार्यक्रम पर देश को लाया जाए और फिर बाकी के मामले छोड़कर हम उसके लिए जुट जाएं—क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं, जिन पर विचार करने की जरूरत है।

हमारे खिलाफ सबसे बड़ा आरोप क्या है—हम सांप्रदायिक हैं। हम सेकुलरवादी नहीं हैं। इसलिए सेकुलरवाद के जितने भी रक्षक हैं—आओ इकट्ठे हो जाओ, लाठी-डंडे संभाल लो और भाजपा को सत्ता से हटाओ।

लोकतंत्र संख्या का खेल है और संख्या हमारे पक्ष में नहीं है। हम जन-समर्थन प्राप्त करने में सफल हुए हैं। सबसे ज्यादा हमें जन-समर्थन मिला है।

श्री सुरेश कलमाड़ी (पुणे) : केवल २०%।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : कलमाड़ी साहेब, काय म्हणतात मल ऐक् नाहि चेत। कलमाड़ी साहब क्या कहते हैं, यह दूसरों को समझना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, इस पहलू पर भी विचार होना चाहिए। कभी हम इस सदन में दो रह गए थे। पहली बार जब चुने गए थे, तब चार थे।

एक माननीय सदस्य : वह दिन भी एक दिन आएगा।

श्री वाजपेयी : आएगा तो हम उसका सामना करेंगे। आज हम इतनी बड़ी संख्या में बैठे हैं कि आपके साथ कोई तुलना नहीं हो सकती है। हम विजयी हुए हैं। हम में विनम्रता है। पराजय में तो आत्ममंथन होना चाहिए।

श्री मृत्युंजय नायक : आप यू.पी. में आए थे तो बाद में क्या हुआ था?

श्री वाजपेयी : आप सारे देश में थे। अब क्या हो रहा है? इस स्थिति से आप संतुष्ट हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है, और मैं इसमें नहीं पड़ना चाहता।

इस देश में इस समय लोगों के विचारों में मंथन चल रहा है, चिंतन की दिशाएं बदल रही हैं। लोग पुरानी मान्यताओं को फिर से कसौटी पर कस रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब संविधान के निर्माताओं ने शादी-ब्याह के एक कानून बनाने की सिफारिश की और यह कहा कि राज्य उसकी तरफ ध्यान देंगे तो क्या वह सांप्रदायिक कारणों से प्रेरित थे? क्या यह साप्रंदायिक मुद्दा है? क्रिमिनल लॉ एक है तो सिविल लॉ एक क्यों नहीं हो सकता? गोआ में अभी भी सिविल लॉ एक है। अगर मुस्लिम मित्रों को उसमें कठिनाई है तो वह कठिनाई आकर बता सकते हैं। यह कह सकते हैं कि हमें थोड़ा समय अपने समाज को तैयार करने के लिए चाहिए। यह नहीं कहा जा रहा है। और दल भी इस बात के लिए उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा-बहुत

संशोधन करो। वक्त बदल रहा है। इस्लामिक देशों में पर्सनल लॉ में संशोधन हो रहे हैं। यहां थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। मेहर इनक्वालिटी का मामला है, लेकिन अगर नहीं होता, मान लीजिए बात नहीं मानी जाती है तो हम यह बात कह रहे हैं कि संविधान में लिखिए कि इसकी सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की है। ऐसे में हमें कठघरे में खड़ा किया जाएगा, हमें संप्रदायवादी कहा जाएगा। इस सवाल का सांप्रदायिकता के साथ क्या संबंध है?

मुझे बहुत दुख हुआ, प्रधानमंत्री के रूप में नरसिंह राव जी उत्तर प्रदेश में भाषण करने के लिए कहीं गए थे और वह मुस्लिम समाज के सम्मुख भाषण कर रहे थे, जैसा कि अखबारों में छपा, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं—उन्होंने कहा कि मेरी क्या औकात है जो मैं इस तरह का कानून बनाऊं। आपकी राय के खिलाफ कानून बनाऊं? भारत का प्रधानमंत्री इस भाषा में बोले, मुझे पसंद नहीं है। अगर प्रधानमंत्री की औकात नहीं है तो इस देश में किसकी औकात है? वे सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं।

श्री पी. वी. नरसिंह राव (बहरामपुर) : मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री मुझे क्यों गलत उद्धृत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कहा वह था—श्रीमती इंदिरा गांधी के दिनों से ही, भारत सरकार की स्पष्ट घोषणा थी, इस सदन में कि जनता के एक वर्ग का, जनता के किसी वर्ग का निजी कानून बिना उनसे सलाह किए, बिना उनकी सहमति लिए और उनकी सहमति के विरुद्ध बदला नहीं जाएगा—यह है जो मैंने उस बैठक में कहा था।

हिंदू समाज गतिशील है

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जिस समुदाय में, जिस बिरादरी में परिवर्तन लाना है, उसको तैयार किया जाना चाहिए। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। यह लोकतंत्र के लिए सहज है, स्वाभाविक है। मगर किसी के हाथों में वीटो नहीं दिया जाना चाहिए। हिंदू समाज गतिशील है। हिंदू समाज में परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। स्मृतियां बदली हैं। और आज जिस स्मृति के आधार पर काम कर रहे हैं, वह हमारा संविधान है और इसके निर्माता हैं डॉ. अंबेडकर। जड़ समाज नहीं है।

डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क : मुस्लिम पर्सनल लॉ के निर्माता नहीं हैं।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। मैं इस विषय को लेकर ज्यादा विस्तार से नहीं बोलना चाहता हूं। हमारे पड़ोसी देश से...

श्री कमरुल इस्लाम (गुलबर्गा) : मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस विषय पर ज्यादा नहीं बोलें। इस्लामिक लॉ डिवाइन लॉ है। पर्सनल लॉ को इस सदन में जबर्दस्ती नहीं लाया जा सकता है। इस पर किसी जाति का इतना दबाव नहीं डाला जा सकता है। वही कांस्टीट्यूशन हमें परमिशन देता है।

श्री वाजपेयी : ठीक है।

श्री कमरुल इस्लाम : यह अलौकिक कानून है। यह बदला नहीं जा सकता। इस्लामिक कानून भी अलौकिक कानून है, उसे कोई नहीं बदल सकता।

श्री आई. डी. स्वामी (करनाल) : आपको संविधान को स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देने जा रहा था। पूर्व में हमारे पड़ोसी देश से बड़ी संख्या में गैरकानूनी तौर पर लोग आ रहे हैं। सीमा पर उचित प्रबंध नहीं है। पूछताछ

का भी तरीका नहीं है। अगर कोई रोजगार के लिए आए और रोजगार कमाने के बाद वापस चला जाए, वह एक स्थिति अलग है। ऐसे लोगों के लिए वर्क परमिट का भी इंतजाम किया जा सकता है, लेकिन चोरी छिपे आए। अंधेरे में आए, नदियों के रास्ते आए, झाड़ के झुरमुट में छिपकर आए और लाखों की संख्या में आए, यह गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। यह हमारे गृह मंत्रालय की नहीं है। लोग आ रहे हैं, यह पुरानी रिपोर्ट है।...(व्यवधान) अब उनका इस बात के लिए आवाज उठाना कि उनका आना रोका जाना चाहिए, वह सीमावर्ती क्षेत्रों में जनसंख्या का स्वरूप बदल रहा है, असंतोष पैदा हो रहा है, तनाव बढ़ रहे हैं। दिल्ली में जो पुराने रिक्शेवाले थे, वे शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के आने से किराया कम मिलने लगा है, क्योंकि आनेवाले...(व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : यह हिंदू-मुस्लिम दोनों के लिए होना चाहिए।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इसके परिणाम होते हैं। अब यह कहा जाए कि अल्पसंख्यकों के वोट का सवाल है, इस पर मत बोलो, चुप रहो। और पार्टियां क्यों नहीं बोलती हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। कोई देश इस तरह से बड़े पैमाने पर इल्लीगल इमिग्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह ठीक है कि पूरी तरह से रोकना मुश्किल है, लेकिन यह समस्या है और इसकी रोकथाम होनी चाहिए। अगर हम आवाज उठाते हैं तो देश-हित में उठाते हैं, वोट के लिए नहीं उठाते हैं। यह बात लोगों के गले के नीचे उतरनी चाहिए।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : प्रत्येक बात में आप मुस्लिम समाज का नाम बलि के बकरे की तरह ले रहे हैं। आप हमेशा सिर्फ अल्पसंख्यकों का संदर्भ देते हैं। यदि कोई बात है तो यह सभी पर लागू होनी चाहिए।...(व्यवधान)

श्री कमरुल इस्लाम : इसके लिए निश्चित मापदंड अपनाए जाने चाहिए। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : प्रधानमंत्री महोदय, आपने शुरुआत बहुत अच्छी की। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप इसे ठीक लाइन पर रखेंगे और आप अपने भाषण को विश्वास प्रस्ताव तक ही सीमित रखेंगे...(व्यवधान) आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी विरोधाभासी बिंदुओं को नहीं उठाया है। आपको इन्हें यहां भी नहीं लाना चाहिए। यही अच्छा रहेगा। मैं केवल आपसे आग्रह कर रहा हूं...(व्यवधान) तब हमें प्रस्ताव पर बोलनेवाले अपने वक्ता बदलने पड़ेंगे...(व्यवधान) यही अच्छा है कि आप इससे बचें।

सुश्री ममता बनर्जी : यह तरीका ठीक नहीं है।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री संतोष मोहन देव की सलाह को हमेशा ही वजन देता रहा हूं। जब करीमगंज में बंगला देश से आनेवालों के सवाल को लेकर एक बड़ा भारी प्रदर्शन हुआ था, उनको इसकी रिपोर्ट मिली होगी। वह हमारी पार्टी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं था। वह लोगों में व्याप्त आशंका का प्रकटीकरण था। लाखों की संख्या में लोग आ गए, क्योंकि उनके मन में यह भाव है कि यह आना रुकना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में आना हमारे भविष्य को खतरे में डालेगा। और उस दिन मैंने अपने भाषण में कहा था और मैंने इनको बताया और इन्होंने मुझको कहा कि आपने ठीक कहा। मैंने कहा कि हिंदू-मुलसमान का सवाल नहीं है...(व्यवधान)

लेकिन इस प्रश्न की गंभीरता बढ़ जाती है, आयाम बढ़ जाता है जब यह बात ध्यान में रखी जाती है कि संख्या में वृद्धि के साथ दुष्परिणाम होने लगते हैं। देश के विभाजन का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास हमारे सामने है। इसे रोका जाना चाहिए। इस प्रश्न पर एक राय होनी चाहिए। एक राय करने की हम जिम्मेदारी ले सकते हैं अगर सहयोग मिले।

अब मैं एक और प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : माईग्रेट्स के नाम पर मासूम बेगुनाह शहरियों पर जुल्म ढहाया जाता है।

श्री वाजपेयी : यह गलत है।

श्री जी. एम. बनातवाला : आपने अपने साथ एक ऐसी पार्टी भी रखी है, जिसके प्रेजीडेंट ने यह कहा है और अपने केडर को मुसलमानों पर छोड़ दिया कि ढूंढ़-ढूंढ़ कर उनको निकालो और उन बेगुनाहों पर जुल्मो-सितम ढहाओ।

श्री वाजपेयी : किसने छोड़ दिया। यह गलत है।...(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : सारी बातें आप अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जो हकीकत है उससे मुंह मोड़ लिया जा रहा है।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो विदेशी हैं, जो बिना अनुमति के आते हैं, कानून का उल्लंघन करके आते हैं, कार्यवाही सिर्फ उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए। भारत के नागरिक चाहे वे किसी भी धर्म के हों, संप्रदाय के हों, जो यहां के नागरिक हैं और विशेषकर बंगाली जो पहले से ही यहां बसे हुए हैं और बंगाली मुसलमानों को भी—बंगाली मुसलमान हमारे देश में बड़ी संख्या में हैं—उनको निकालने का सवाल नहीं है, उनको निकालने के पक्ष में हम नहीं हैं...(व्यवधान)

श्री जी. एम. बनातवाला : बंगाली बंगाली बोलने से डर गया है। बंबई में यह हाल हुआ है कि बंगाली अपनी बंगाली जुबान नहीं बोल सकता है...

श्री मोहन रावले (मुंबई, दक्षिण मध्य) : मुंबई के मुसलमानों ने शिवसेना का समर्थन किया है...(व्यवधान)

श्री बी. एल. शर्मा प्रेम (पूर्वी दिल्ली) : दिल्ली का एक भी उदाहरण आप बताओ... (व्यवधान)

श्री प्रियरंजनदास मुंशी : महोदय, मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा कि वे अपने मुख्य विषय पर आएं।...(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : अध्यक्ष महोदय, क्या एक पक्ष के बारे में यहां कोई गलत बात की जाएगी? उनको अगर ऐसा ही बात करनी है तो नाम लेकर बोलें। हकीकत कुछ और है। उनका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ऐसे ढंग से उन्होंने बात इस सदन में कही है, यह इस सदन की अवमानना है। यह मैं उनको बताना चाहता हूं।...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले : यह बात कार्यवाही से निकालनी चाहिए।

श्री बीजू पटनायक (आस्का) : प्रधानमंत्री महोदय, आपने प्रतिपादन करने की अपनी लाइन पर बड़ी अच्छी शुरुआत की। हम में से अनेक ने सोचा कि हमें चलकर आपसे मिलना चाहिए, लेकिन उसी दौरान आपने ऐसे बिंदुओं को छुआ कि हमें मिलने से रोक दिया। क्या आप महसूस करते हैं कि आपने क्या कर दिया है और क्यों कर दिया है? जब आप धर्मनिरपेक्षता एवं गैर-धर्मनिरपेक्षता पर बोले, आप गैर-धर्मनिरपेक्षता की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, और क्यों? यह आपकी प्रवृति नहीं थी। 'आपने ऐसा क्यों किया?'...(व्यवधान)

श्री लालमुनि चौबे (बक्सर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम नाइक : अध्यक्ष जी, बंबई शहर का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं। सारे बंबई शहर में और सारे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोट पाकर मैं आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि

बंबई शहर-जैसा स्वस्थ, दंगामुक्त शहर हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। हमने बंगालियों को नहीं दबाया है। बंगाल से जो विदेशी आए हैं, उनको हमने निकाला है। और उनको निकालना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है।...(व्यवधान)

सांप्रदायिकता बनाम जातीयता

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता था कि इस तरह का विवाद पैदा हो। लेकिन मैं उदाहरण दे रहा था कि आखिर हम कैसे नॉन सेकुलर हैं। किसलिए हमें नॉन सेकुलर कहा जाता है? यही कुछ मुद्दे हैं जो हम उठाते हैं और देश के हित में उठाते हैं। उनसे किसी का मतभेद हो सकता है। अब सांप्रदायिकता के साथ देश के भीतर जातीयता का जहर जिस तरह से फैलाया जा रहा है, वह क्या सांप्रदायिकता से कम घातक है? लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी बात करने से गठबंधन में कठिनाई पैदा होती है। उसकी बात करने से सत्ता की प्राप्ति में बाधा होती है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठ नेता और मेरे पुराने सहयोगी श्री बीजू पटनायक ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है और मैं चाहता हूं कि सेकुलरिज्म के बारे में जरा खुला दिमाग रखकर और गंभीरता से विचार हो। मुझे याद है...(व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी एक से ज्यादा मौके पर यह स्पष्ट कर चुकी है कि हम संविधान की, सेकुलर की निष्ठा से बंधे हुए हैं... (व्यवधान) राज्य सेकुलर होना चाहिए। भारत में राज्य हमेशा सेकुलर रहा है। भविष्य में भी सेकुलर ढांचे को कोई खतरा पैदा नहीं होगा। यह बात हमें समझनी चाहिए...(व्यवधान)...

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : आपकी पार्टी में कितने मुसलमान एम.पी. जीतकर आए हैं?...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : यह इसकी कोई कसौटी नहीं है। इस तरह के सवाल मत पूछिए...(व्यवधान)

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी) : भारतीय जनता पार्टी ने संविधान बचाने का एकता परिषद में जो वायदा किया था और कहा था कि संविधान की रक्षा करेंगे, उसका क्या हुआ?...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : उसके बारे में मैं इस स्थिति में नहीं बोल सकता...(व्यवधान)

श्री लालमुनि चौबे : सीतामढ़ी से आनेवाले सांसद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वहां दंगे करानेवाले लोग कौन थे, सबसे बड़े दंगाई वे खुद हैं और वे भी यहां खड़े होकर बोल रहे हैं। जितने दंगाई यहां जीतकर आए हैं, वे सेकुलरिज्म को बर्बाद होने देना नहीं चाहते। ये खुद दंगे कराते हैं, मेरे पास लिस्ट है और सीतामढ़ी के दंगों की सारी जिम्मेदारी वहां के सांसद पर है...

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, भारत का जन्म कोई पिछले पचास साल में नहीं हुआ है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। १९४७ में भी किसी नए राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ था। पांच हजार वर्ष पुरानी संस्कृति और सभ्यता का यह राष्ट्र है। इसलिए जब संविधान परिषद बैठी थी और सेकुलरवाद या सेकुलरवाद की भावना के प्रश्न पर चर्चा हो रही थी, उस समय भी सेकुलर का अर्थ क्या है, इसके बारे में अलग-अलग राय थी। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने सेकुलर शब्द संविधान में नहीं रखा। संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द उस समय आया, जब देश में इमर्जेंसी लगी थी और कई लोग जेलों में बंद थे। विचार व्यक्त करने की आजादी नहीं थी। उस समय संविधान में संशोधन किया गया। उससे पहले धारणा यह थी कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं

होना चाहिए, होगा भी नहीं, मगर प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया और भारत को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के साथ-साथ सेकुलर एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक भी घोषित कर दिया गया। उस पर जो बहस हुई थी, वह मैंने ध्यान से पढ़ी है।

यह अनेकांतवादी देश है

कांग्रेस के हर वक्ता ने विशेषकर सरदार स्वर्ण सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि हमारा सेकुलरिज्म पश्चिम के सेकुलरिज्म से भिन्न होगा। उन्होंने कहा था कि यह बहु धर्मों का देश है और सेकुलरिज्म का अर्थ है कि किसी भी धर्म के माननेवाले के साथ भेदभाव न हो और सब धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाए। हम इस व्याख्या को स्वीकार करते हैं और हृदय से स्वीकार करते हैं। यह हिंदू चिंतन का निचोड़ है। यह हमारी अस्मिता है क्योंकि भारत में अनेक मत हैं, अनेक मतांतर हैं। केवल एक पुस्तक नहीं है, एक पैगंबर नहीं है। यहां ईश्वर को माननेवाले भी हैं और ईश्वर की सत्ता को नकारनेवाले भी हैं। यहां किसी को सूली पर नहीं चढ़ाया गया और न किसी को पत्थर मारकर दुनिया से उठाया गया। यह सहिष्णुता इस देश की मिट्टी में है—एकम् सद्विप्रा बहुधा वदंति। अब तो दर्शन उससे भी आगे चला गया है। यह अनेकांतवादी देश है।... (व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक ने मुझे यह मामला उठाने से रोका है, लेकिन आप मुझे उत्तेजित कर रहे हैं। यही तो मुश्किल है। अयोध्या की घटना तो बाद में हुई है, लेकिन हमें तो पहले से ही संप्रदायवादी कहा जा रहा है। पहले से ही सेकुलर विरोधी कहा जा रहा है, क्योंकि आपका प्रचार राजनैतिक है। वह तथ्यों पर आधारित नहीं है।...(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : आप यह बात बंद करो, आगे बोलो।

श्री मुनव्वर हसन (कैराना) : अगर आप सांप्रदायिक नहीं हैं तो आपने कितने मुसलमानों को एम. पी. बनाया?...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह प्राचीन देश है। इसकी एक जीवनधारा है। वह संप्रदायवाद से जुड़ी नहीं है। वह जीवनधारा सहस्रों साल से चली आ रही है। उसके निर्माण में सबने योगदान दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो विवादग्रस्त हैं, जो चर्चा को उत्तेजना देते हैं। मगर चर्चा एक व्यवस्था से होनी चाहिए। चर्चा एक तरीके से होनी चाहिए। मुझे बार-बार टोका जाएगा तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सकता। क्योंकि आप संख्या में ज्यादा हैं, इसलिए ये फैसला करके आए हैं कि मुझे भी बोलने नहीं देंगे।...(व्यवधान)

श्री लालमुनि चौबे : अगर इसी तरह से चलता रहा, अगर यही परंपरा चलती रही तो आपको भी बोलने नहीं दिया जाएगा।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, समय आ गया है जब हम पुरानी मान्यताओं को बदलती हुई मानसिकता के परिवेश में देखें। सांप्रदायिकता एक तरह की नहीं होती और अगर एक तरह की सांप्रदायिकता को उत्तेजन दिया जाएगा तो दूसरी तरह की सांप्रदायिकता पनपेगी, इस तथ्य को अभी तक समझा नहीं गया है।

इस देश में कभी मजहबी राज्य की मांग नहीं उठी। इस देश में कभी मजहब के आधार पर, मत-भिन्नता के आधार पर उत्पीड़न की बात नहीं उठी, न उठेगी, न उठनी चाहिए। और अगर

उठेगी तो हम उसका विरोध करेंगे, हम आपको आश्वासन देना चाहते हैं। भारत सेकुलर रहना चाहिए। हम अपने पड़ोसी देशों की तरह से मजहबी राज्य नहीं बनेंगे। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमारी कोई जड़ें नहीं हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि हमारे कोई जीवन-मूल्य नहीं हैं? यह पांच हजार साल की सभ्यता और संस्कृति जो हमें विरासत में मिली है और जिस पर हमें गर्व है, अभिमान है, वह सभ्यता और संस्कृति किस तरह से हमारे जीवन को बनाती रही है। आज जीवन की धारा क्या है?

पं. नेहरू ने कहा था...

मुझे याद है देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भाषण करने के लिए गए थे। दीक्षांत समारोह था। उनके भाषण का एक अंश मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं :

"मैं कह चुका हूं कि मुझे अपनी विरासत एवं अपने पूर्वजों पर बड़ा गर्व है, जिन्होंने भारत को ज्ञान एवं सांस्कृतिक उत्कर्ष पर पहुंचाया। इस अतीत के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? क्या आप इसमें अपने आप को हिस्सेदार महसूस करते हैं, और इसका वारिस महसूस करते हैं, और किसी बात पर गर्व महसूस करते हैं, जो उतनी ही आपसे संबधित है, जितनी मुझसे, या इससे अलग महसूस करते हैं? क्या यह उस अजनबी सरसराहट—जो यह महसूस करने से आती है कि हम इस विशाल खजाने के वारिस हैं, न्यासी हैं—की बिना समझदारी से ही है? आप एक मुसलमान हैं और मैं एक हिंदू। हम अलग-अलग धार्मिक विश्वास रख सकते हैं और कोई भी धार्मिक विश्वास न रखें, उससे हमारी विरासत समाप्त नहीं होती, जो आपकी भी उतनी ही है, जितनी मेरी। अतीत हमें एक सूत्र में बांधता है, जबकि वर्तमान और भविष्य हमें विभाजित करता है।"

ये नेहरू जी के विचार हैं।

अपने अंतिम दस्तावेज में नेहरू जी ने जो कुछ लिखा है और जो आज पाठ्य पुस्तकों का विषय बन गया है, पाठ का विषय बन गया है, सबको फिर से पढ़ने की जरूरत है। नेहरू जी पर कोई पुरातनपंथी होने का आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन नेहरू जी ने उस विश्वास की बात की है, जो शताब्दियों से हमें मिला है और इस बात की भी तारीफ की है कि हम अपने दिमाग खुले रखते हैं, हम खिड़कियां खुली रखते हैं। मगर यह भी कहा है कि हम अपने पांव पर मजबूती से खड़े रहते हैं। इस कामन इनहेरिटेंस, कल्चरल इनहेरिटेंस इसकी स्वीकृति है? क्या जो अतीत है, उसमें अभिमान है?

बहुत से विदेशी यहां आए, लोगों को शरण मिली। हमने निर्दोष आनेवालों को, उजड़कर आनेवालों को वापस नहीं भेजा। भारत माता की गोद में सबको जगह मिली। जो अपना देश छोड़कर उत्पीड़न का शिकार हो यहां आए, उन्हें जगह मिली। भारत में पहली मस्जिद हिंदू राजा की अनुमति से केरल में बनी, भारत में पहली चर्च भी केरल में बनी, वह भी अनुमति से। यह हमारे रक्त में है। यह जीवन की घुट्टी है। मजहंब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबको छूट होनी चाहिए। सबके साथ बराबर व्यवहार होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बराबर व्यवहार नहीं हो रहा है। इसलिए कठिनाई पैदा हो रही है। इसलिए लोगों के मन में शंकाएं उठ रही हैं। उन शंकाओं का आप निराकरण नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो वोट की राजनीति में पड़े हैं। लेकिन मैं आज यह कहना चाहता हूं कि आवश्यकता इस बात की है कि इन प्रश्नों पर

भी एक राय बनाई जाए। जब शाहबानो का मामला था और सुप्रीम कोर्ट में गया और फैसला हुआ, तो एक राय बन सकती थी, कदम उठाए जा सकते थे, नहीं उठाए गए।

बहुसंख्यकों में भय

अध्यक्ष महोदय, इस पर गंभीर बहस नहीं हुई, होनी चाहिए। एक कटु सत्य हम समझ रहे हैं। इस देश में हिंदू बहुत संख्या में हैं, मगर उनमें एक माइनिरिटी कैंप कांपलेक्स-जैसा विकसित हो रहा है। माइनिरिटी में अगर कांपलेक्स हो तो मैं समझ सकता हूं कि जो संख्या में कम हैं, वे संरक्षण की बात करें। संरक्षण मिलना चाहिए। यह राजधर्म है और इसलिए जहां हम राष्ट्र की सुरक्षा पर बल देते हैं, वहां इस बात पर भी बल देते हैं कि देश के भीतर हर नागरिक की जान, माल, इज्जत की और धर्म की हिफाजत होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ यह भी कहने की जरूरत है कि भारत के हर नागरिक की जान, माल और इज्जत की रक्षा होनी चाहिए।

मैं उल्लेख कर रहा था, विदेशों से जो उत्पीड़ित होकर भारत आए, आज जो कश्मीर की घाटी से उत्पीड़ित होकर और भागों में आए हैं, उनकी वेदना कैसे भूली जा सकती है। बड़ी संख्या में हिंदू और मुसलमान भी आतंकवाद से पीड़ित हैं। मगर उनको बसाने, उनके घाव पर मरहम रखने को, कोई पार्टी उनके लिए नहीं बोलेगी। बोलेंगे तो हम बोलेंगे और इसलिए हम संप्रदायवादी करार दिए जाएंगे। वे भी भारत के नागरिक हैं। उनका तो कोई अपराध नहीं है।

कश्मीर में सूफी विचारधारा का विकास हुआ। जब हिंदू और मुसलमान साथ आए, जब चिंतक मिले तब सूफी विचारधारा पनपी। मुझे मालूम है कि जब सोमनाथ मंदिर के लिए यात्री जाते हैं तो उसमें मुसलमान किस तरह से योगदान देते हैं। यात्रियों को कंधे पर ले जाते हैं और सोमनाथ में मिलनेवाली जो पूजा की रकम है⋯(व्यवधान) अमरनाथ में।

सुश्री ममता बनर्जी : सोमनाथ नहीं, वह अमरनाथ है।⋯(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : मुझे सारे नाथ एक ही दिखाई देते हैं⋯(व्यवधान) उसमें मुसलमान भाइयों को हिस्सा मिलता है। यह परंपरा कौन तोड़ना चाहता है? इसका योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है। सीमा के पार से भी हो रहा है। आखिर चरार-ए-शरीफ को आग की भेंट क्यों चढ़ाया गया? उन आतंकवादियों को यह पसंद नहीं था कि कश्मीर की घाटी में, केसर की क्यारियों में सूफी मत फैले। वे नहीं चाहते कि भारत के लोग, अलग-अलग समाज के लोग, अलग-अलग धर्म के लोग, जातियों के लोग मिलकर रहें। चुनाव के बाद जो दृश्य बनाए गए, उसमें कुछ क्षेत्रों में यह उम्मीद की जा रही है कि भारत कमजोर हो जाएगा, भारत में अस्थिरता आ जाएगी और भारत अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों से डिग जाएगा। मैं ऐसी बाहरी ताकतों को और भीतरी शक्तियों को चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी परिवर्तन आएंगे, वे परिवर्तन हम हजम करेंगे। जो भी परिवर्तन आएंगे, उन्हें हम सहन करके अपने को उनके अनुसार ढालेंगे। मगर हम भारत के राष्ट्रीय हितों की पूरी तरह से रक्षा करेंगे।

देश की कुछ नीतियां हैं जिन पर आम सहमति है। पुरानी सरकार ने भी बनाए रखी। नेहरू जी के जमाने से बनी हैं। मैंने जब विदेश नीति पर पहला भाषण दिया तो मैंने कहा कि यह गुटनिरपेक्षता की नीति पंडित जी आपकी नीति नहीं है। अगर आप न होते तो भी भारत को गुटनिरपेक्षता की नीति पर ही चलना था। देश किसी गुट में जाने की भूल नहीं कर सकता। भारत कोई इतना छोटा देश नहीं है कि कोई उसको जेब में रख ले और हम उसके पिछलग्गू हो जाएं।

अपनी आजादी के लिए लड़े, दुनिया की आजादी के लिए लड़े, और हम किसी गुट में चले जाएं? गुटों से अलग रहने की नीति सही नीति थी और देश उस पर चलता रहा। मगर आज नए संकट खड़े हो रहे हैं। शीतयुद्ध की समाप्ति के कारण। हमारे चारों तरफ का सुरक्षा का वातावरण बिगड़ रहा है। इस संक्रमण काल में दबाव बढ़ने की आशंका है, आर्थिक दबाव भी और सुरक्षा के मामले में दबाव भी। जहां तक मेरी सरकार का संबंध है, हम उन दबावों के सामने झुकेंगे नहीं, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि इसमें सारे सदन का और सारे देश का मुझे सहयोग मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, अपने भाषण को उपसंहार की ओर ले जाते हुए मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।

पिछड़ों का आरक्षण

इस सदन में और देश के भीतर भी इस सवाल पर एक आम राय है कि समाज में परिगणित जाति के, परिगणित जनजाति के, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, उनके साथ ऐतिहासिक कारणों से, समाज-व्यवस्था के दोषों के परिणामस्वरूप न्याय नहीं हुआ। उन्हें बराबरी के अवसर नहीं मिले और इसीलिए वे दौड़ में पिछड़ते गए। समाज के बाकी के वर्गों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सके। संविधान के निर्माताओं ने इस सवाल पर गौर किया था और परिगणित जातियों, परिगणित जनजातियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए भी, जो शिक्षा और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षण का प्रबंध किया था। आरक्षण के संबंध में जब भी फैसले हुए, सर्वसम्मति से फैसले हुए। इस सवाल पर एक आम राय रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में फैसले के बाद पिछड़े वर्ग से संबंधित आरक्षण पर यह निर्णय हुआ है कि जिन राज्यों में ५०% से ज्यादा आरक्षण पहले से चल रहा है, वहां तो चलता रहे, लेकिन अन्य राज्यों में पिछड़े वर्ग के लिए ५०% से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। डॉ. अंबेडकर ने भी संविधान परिषद में इस बात का समर्थन किया था कि आरक्षण की सीमा ५०% रहनी चाहिए। ५०% स्थान प्रतियोगिता के लिए छोड़ दिए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्रीमिलेयर की भी चर्चा की और यह चाहा कि कोई कमेटी बने जो क्रीमिलेयर की पहचान करे। जो पिछड़े हुओं में भी अधिक पिछड़े हुए हैं उनकी पहले चिंता करे, उनका पहले ध्यान करे। बिहार के स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर गरीबों के साथ अति गरीब की बात करते थे। पिछड़े वर्ग में जो साधनसंपन्न हैं, जिनके पास जमीन है, जिनका गांव में प्रभाव है, वे तो अपनी उन्नति आप करने में समर्थ हैं, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, उनके लिए कोई आरक्षण की मदद की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई प्रदेशों में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया। अलग-अलग कारण दिए गए हैं और उस निर्णय को निष्फल कर दिया जाए, इस बात का प्रयास किया गया है। इस संबंध में सब दलों से परामर्श करके, समाज के विभिन्न वर्गों से चर्चा करके एक निश्चित और स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस समस्या का एक और पहलू है। हम सामाजिक न्याय से प्रतिबद्ध हैं। जिनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ, उनके साथ न्याय होना चाहिए, जल्दी न्याय होना चाहिए। समाज में जो भेदभाव है, वह दूर होना चाहिए। इसलिए कानून की भी सहायता ली गई है। लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि विषमता दूर करते हुए सामाजिक कटुता पैदा न की जाए, जातीयता

को न भड़काया जाए। आज जाति के सवाल पर देश बंटा हुआ दिखाई देता है। यह जातिवाद का जहर समाज के हर वर्ग में पहुंच रहा है। यहां तक कि सेनाएं भी इससे अछूती बची हैं, ऐसा विश्वासपूर्वक नहीं कहा जा सकता। यह स्थिति सबके लिए चिंताजनक है। अगर हम इसकी ओर ध्यान नहीं देंगे तो सांप्रदायिकता के अभिशाप से तो देश पहले से ग्रसित है ही, और एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी, जो समाज के ढांचे को क्षति पहुंचाएगी, गांव-गांव में समस्या पैदा करेगी। हमें सामाजिक समता भी चाहिए और सामाजिक समरसता भी चाहिए।

पंचायती-राज संस्थाओं का निर्माण करके, उनका विकास करके और पंचायतों में सबकी भागीदारी करके और विशेषकर महिलाओं को उनका अधिकार देकर हमने जो कदम उठाया है, उस कदम का अगर सुपरिणाम प्राप्त करना है, तो उसके साथ इस संबंध में भी दृष्टिकोण में परिवर्तन की आवश्यकता है।

मुझे विश्वास है कि सदन इस सवाल पर गौर करेगा और इस संबंध में एक सर्वसम्मत नीति निर्धारित की जाएगी, जो सामाजिक न्याय को पुष्ट करे, मगर सामाजिक समरसता को भंग न होने दे। समरसता का अर्थ यह नहीं है कि कुरीतियों को सहन किया जाए। समरसता का अर्थ यह नहीं है कि दबे हुए, पिछड़े हुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाए। समरसता का अर्थ यह है कि हम सब भारत माता के पुत्र-पुत्रियां हैं, हमें मिलकर अपनी समस्याओं को हल करना है। एक-दूसरे के प्रति करुणा, संवेदना का भाव रखना है। कोई सुधार अगर उसके मूल में करुणा नहीं है, कोई सुधार अगर उसके मूल में संवेदना नहीं है, तो कानून की दृष्टि से थोड़ा-बहुत लाभ पहुंचा सकता है, मगर समाज में स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकता। जरूरत है कि समाज में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए कदम उठाए जाएं।

थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नहीं रहूंगा

अध्यक्ष महोदय, इस कोलाहल के बाद सदन मुझे शांति से सुनने के लिए मन बना सके तो मैं बहुत आभारी होऊंगा। मेरे प्रस्ताव पर हुई चर्चा में जिन्होंने भाग लिया है, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। यह सदन शांतिपूर्ण चर्चा के लिए, संयमपूर्ण चर्चा के लिए और तर्कपूर्ण चर्चा के लिए है। कुछ मित्रों का प्रयत्न था कि कोई चर्चा न हो, तत्काल वोट ले लिए जाएं और वे यहां से निकलते ही कुर्सी पर जाकर बैठ जाएं···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसा ही होगा।

श्री वाजपेयी : उधर से आवाज आ रही है कि ऐसा ही होगा और आवाज कांग्रेस के बेंचों से आ रही है। हमारे और मित्र थोड़ा सा सावधान रहें। अध्यक्ष महोदय, संसद में मैंने ४० साल गुजारे हैं। ऐसे क्षण बार-बार आए हैं। सरकारें बनी हैं, बदली हैं, नई सरकारों का गठन हुआ है, लेकिन लोकतंत्र···(व्यवधान)

लेकिन हर कठिन परिस्थिति में से भारत का लोकतंत्र बलशाली होकर निकला है और मुझे विश्वास है कि इस परीक्षा में से भी बलशाली होकर निकलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने ४० साल आलोचना की है। आज अधिकांश आलोचना सुननी पड़ी है। मराठी में एक कहावत है—'निंदकाचे घर असावे शेजारी' निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, निंदा करनेवालों को पास में रखना चाहिए, नहीं तो चापलूस बिगाड़ देंगे। अगर निंदक रहेगा तो बिना साबुन और पानी के सफाई करता रहेगा। जिन मित्रों ने···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है, उनको मैं विशेष रूप में धन्यवाद देना चाहता हूं। समता पार्टी के श्री जार्ज फर्नांडीज, शिवसेना के श्री सरपोतदार, अकाली दल के नेता बरनाला जी और हरियाणा विकास पार्टी के जयप्रकाश जी, इन सबने प्रस्ताव का समर्थन किया है। जिन्होंने आलोचना की है, मैं उनकी आलोचना का उत्तर दूंगा, मगर मैं विशेष रूप से श्री मुरासोली मारन का उल्लेख करना चाहूंगा।

अपने प्रिय मित्र श्री मुरासोली मारन के लिए कृतज्ञता का एक विशेष शब्द है मेरे

** अपने मंत्रिमंडल के प्रति विश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद लोकसभा में २८ मई, १९९६ को प्रधानमंत्री के रूप में चर्चा का उत्तर।*

पास···(व्यवधान) निश्चित मुद्दों पर हमारे मतभेदों के बावजूद, उन्होंने काफी गंभीरता से खरीद-फरोख्त के मुद्दे को साफ-साफ और तथ्यों के साथ रखा, यह स्पष्ट करते हुए कि हमने अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए सूटकेसों का उपयोग नहीं किया।

वास्तव में उन्होंने कुछ सदस्यों द्वारा आधारहीन एवं राजनीति से प्रेरित आरोप को खत्म कर दिया है। मुझे इस पर भी प्रसन्नता है कि श्री थिरु मारन ने, राज्य के हित में संसाधनों को बनाए रखने के हमारे प्रयासों को नोट किया है।

केंद्र बनाम राज्य

हमारी सदा से राय रही है कि केंद्र मजबूत नहीं हो सकता यदि राज्य कमजोर हैं। श्री थिरु मारन हमारे एक राष्ट्र, एक व्यक्ति, एक संस्कृति की वकालत से विचलित हैं। मुझे खुशी है कि वे हमारे एक राष्ट्र के भाव में हिस्सेदार हैं। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारी एक व्यक्ति-एक संस्कृति की व्याख्या को उन्होंने गलत लिया है। मैं यह स्पष्ट रूप से कहता हूं कि भाजपा एकरूपता की बात नहीं करती। हम भारत के बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुजातीय चरित्र को पहचानते हैं। यह दृष्टिकोण कोई और नहीं, भारत के महानतम कवि सुब्रह्मणियम भारती की कविता से प्रदर्शित होता है। कविता का शीर्षक है 'एन थाई', अर्थात मेरी माता। मैं इसे तमिल में पढ़ना चाहूंगा। वह कहते हैं :

मुघाघु कोडी मुगमुडाइयाल
वूर मोइम्बरम् आन डरुडइयाल
इवाल चैप्पोमोझी पाओ इनट्टुडाइयाल
एनिल सिंधानाई ऑन्डरुडाइयाल।

श्री एन. बी. एन. सोम : तमिल में कविता पढ़ने के लिए धन्यवाद।

श्री वाजपेयी : यह पहली बार नहीं है। मैंने संयुक्त राष्ट्र में अपने उद्बोधन के समय भी तमिल में कुछ पढ़ा था।

इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है :

"तीस कोटि मुखमंडलवाली है मेरी मां,
एक है उसकी काया और आत्मा
भाषाएं वह अठारह बोलती है,
किंतु एक है उसका चिंतन।"

अध्यक्ष महोदय, मुझ पर आरोप लगाया गया है—और यह आरोप मेरे हृदय में घाव कर गया है—आरोप यह है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। और मैंने पिछले १० दिन में जो कुछ किया है, वह सत्ता के लोभ के कारण किया है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उल्लेख किया था कि मैं ४० साल से इस सदन का सदस्य हूं। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा है, मेरा आचरण देखा है। जनता दल के मित्रों के साथ मैं सत्ता में भी रहा हूं। कभी हम सत्ता के लोभ से गलत काम करने के लिए तैयार नहीं हुए। यहां पर श्री शरद पवार जी बैठे हुए हैं। जब मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह जी भाषण कर रहे थे तो श्री शरद पवार यहां नहीं थे। उस समय श्री जसवंत सिंह जी कह रहे थे कि श्री शरद पवार ने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे साथ सरकार बनाई। सत्ता के लिए बनाई थी या महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई थी, यह अलग बात है। मगर उन्होंने अपनी पार्टी तोड़कर हमारे

साथ सहयोग किया था। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बार-बार इस चर्चा में एक स्वर सुनाई दिया कि वाजपेयी तो अच्छा है, मगर पार्टी ठीक नहीं है।

कई माननीय सदस्य : यह सही बात है।

वाजपेयी अच्छा, पार्टी बुरी!

श्री वाजपेयी : तो अच्छे वाजपेयी के लिए क्या करने का इरादा रखते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं नाम लेना नहीं चाहता। मैं शरद जी का भी नाम नहीं लेना चाहता। लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा।

'न भीतो मरणातस्मि केवलम् सुचितो यशः।' भगवान राम ने कहा था कि मैं मृत्यु से नहीं डरता। अगर डरता हूं तो बदनामी से डरता हूं, लोकापवाद से डरता हूं। ४० साल का मेरा राजनीतिक जीवन खुली किताब है। लेकिन जनता ने जब भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में समर्थन दिया तो क्या जनता की अवज्ञा होनी चाहिए? अब राष्ट्रपति ने मुझे सरकार बनाने के लिए बुलाया और कहा कि कल आपके मंत्रियों की शपथ-विधि होनी चाहिए और ३१ तारीख तक आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए, तो क्या मैं मैदान छोड़कर चला जाता? मैं पलायन कर जाता? क्या यह तथ्य नहीं है कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं? अब जो और तर्क दिए जा रहे हैं, मैं उन पर आऊंगा। क्या मैं राष्ट्रपति महोदय से कहता कि नहीं, पहले मुझे जरा बात कर लेने दो। जब वह कह रहे हैं कि कल शपथ-विधि होगी और मुझे समय दे रहे हैं ३१ तारीख तक का, तो मैंने कहा कि ३१ तारीख तक जो समय दिया जा रहा है, उसका मैं सदुपयोग करूंगा। अन्य दलों से चर्चा करूंगा, उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। एक कॉमन प्रोग्राम के आधार पर आगे बढ़ सकें, इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या आपत्ति की बात है? इसमें कौन सा सत्ता का लोभ है? और फैसला केवल मेरा अकेले का नहीं था, फैसला पार्टी का था।

अध्यक्ष महोदय, जब एक बार ३१ तारीख शक्ति-परीक्षण के लिए तय हो गई और शक्ति-परीक्षण संसद में ही हो सकता है, राष्ट्रपति भवन में या राजभवन में हो, इसका तो हमने कभी प्रतिपादन नहीं किया, तो सदन की बैठक बुलाना जरूरी था। सदन की बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूरी था। हम तो कोई और भी काम रख सकते थे। कम से कम राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद देने का काम तो रख ही सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं होने दिया और मैंने भी संदेह पैदा हो, इसलिए इस बात पर जोर नहीं दिया। जल्दी से जल्दी पहला अवसर, और इसलिए २७ और २८ तारीख को, आज फैसला होने जा रहा है। हम बल दे सकते थे कि हमें ३१ तक का समय दिया गया है। हम कुर्सी पर बैठे रहेंगे।...(व्यवधान)

कमर के नीचे वार अनुचित

अध्यक्ष महोदय, कमर के नीचे वार नहीं होना चाहिए। नीयत पर शक नहीं होना चाहिए। मैंने यह खेल नहीं किया है। मैं आगे भी नहीं करूंगा। लोकतंत्र एक व्यवस्था है। और अब गिनाया जा रहा है कि आपको कितने परसेंट वोट मिले। हमने जो वेस्टमिस्टर की पद्धति अपनाई है, उसमें वोट नहीं गिने जाते हैं, प्रतिशत नहीं देखा जाता है। उसमें सीटें देखी जाती हैं। दोनों काम साथ

नहीं हो सकते। ये कोई लिस्ट पद्धतिवाला प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नहीं है और मैं इस पद्धति के दोषों को पहले से ही इंगित करता रहा हूं। कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि किसी दल को देश में बहुमत न हो, वह दल अधिक सीटें लेने में सफल हो जाए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि वोट ज्यादा हों और सीटें कम हों। एक परसेंट वोट के अंतर से केरल में संयुक्त सरकार बनी। एक सरकार हट गई। एक परसेंट वोट का फर्क था। अब ये जो सीटों का अंतर है, इसको मानकर चलना पड़ेगा। अब इस समय आपके वोट कितने हैं। तो फिर मैं गिनाता हूं आपके अलग-अलग वोट कितने हैं और वह गिनती आपके लिए घाटे की गिनती होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं हम तो इकट्ठे हो रहे हैं। किसलिए इकट्ठे हो रहे हैं? क्या देश में स्थिर सरकार देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? जवाबदेह सरकार देने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं? मैं फिर उसको दोहराना नहीं चाहता। आपका अभी तक कार्यक्रम नहीं बना है। जिस कार्यक्रम को लेकर आप जनता के पास नहीं, गए। जिस जनादेश की बात आप कर रहे हैं, परसेंट वोट की बात कर रहे हैं, वह अलग-अलग प्रदेशों में मिला है। अलग-अलग कारणों से मिला है। तमिलनाडु में हमारा तो कोई झगड़ा डी.एम.के. से नहीं था। लड़ाई तो कांग्रेस से थी और यह स्थिति आंध्र में हुई। आंध्र में हम तो लड़ाई में कहीं नहीं थे, लड़ाई कांग्रेस के साथ हो रही थी और कह रहे हैं जनादेश हमारे खिलाफ चला गया है। यह कैसा जनादेश है? आप कहिए, आप कह रहे हैं, दबे-दबे कह रहे हैं, साफ-साफ कहिए, खुलकर कहिए कि हम किसी भी कीमत पर आपको सत्ता में नहीं आने देंगे। यह भाषा ठीक नहीं है। इस भाषा के पीछे जो भावना है, वह और भी गलत है। हिटलर का हौवा खड़ा किया जा रहा है इस सदन में, फासिस्टवाद पैदा हो रहा है। इस तरह से यहां जो पहली बार सदन में आए हैं, जिन्हें सदन की मर्यादा का भी पता नहीं है, वे इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैं ४० साल से पार्लियामेंट में हूं। हम दल के रूप में काम कर रहे हैं। लोकतंत्र के आधार पर काम कर रहे हैं। हम चुनाव लड़ते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : २० साल से हम भी विधानसभा में हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहकर सुनें।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, ये हमको मर्यादा सिखाएंगे।

जनादेश कांग्रेस के खिलाफ है

श्री वाजपेयी : जनादेश कांग्रेस के खिलाफ है। कांग्रेस की संख्या आधी रह गई है। अलग-अलग क्षेत्रों में, अलग-अलग ढंग से लोगों ने अपनी राय प्रकट की है। अब इकट्ठे आ रहे हैं और कांग्रेस का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं और कांग्रेस समर्थन देने को तैयार है। कल मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नांडीज ने जो कुछ कहा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। अगर आप चाहें तो फैसला कर सकते हैं कि भई हमने एक-दूसरे को गाली दी होगी, मगर चलो छोड़ो, आज तो सबको मिलकर बी.जे.पी. को गाली देनी है। अगर यह सामूहिक निर्णय है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इस तरह का निर्णय नकारात्मक होगा, इस तरह का निर्णय प्रतिक्रियात्मक होगा, इस तरह का निर्णय केवल हमें रोकने के लिए होगा और यह लोकतंत्र को स्वस्थ बनानेवाली परंपरा नहीं डालेगा। यह आज मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं। हम तो प्रतिपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, जब मैं राजनीति में आया, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एम.पी. बनूं। मैं पत्रकार था और यह जिस तरह राजनीति चल रही है, वह मुझे नहीं आती। मैं तो छोड़ना चाहता

हूं, मगर राजनीति मुझे नहीं छोड़ती है।

फिर मैं विरोधी दल का नेता हुआ। आज प्रधानमंत्री हूं और थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री भी नहीं रहूंगा। प्रधानमंत्री बनते समय मेरा हृदय आनंद से उछलने लगा हो, ऐसा नहीं हुआ। जब मैं सब कुछ छोड़-छाड़कर चला जाऊंगा तब भी मेरे मन में किसी तरह की मलिनता होगी, ऐसा होनेवाला नहीं है। लेकिन फिर मैं कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूं।

आज हमारे ऊपर कुछ दूसरे आरोप लगाए जा रहे हैं, आरोपों की झड़ी लगाई जा रही है कि आपने अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को छोड़ दिया। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राम मंदिर की चर्चा नहीं है, धारा ३७० का उल्लेख नहीं है, शादी-ब्याह के संबंध में समान कानून बनाने का कोई उल्लेख नहीं है। आपने तो स्वदेशी का भी परित्याग कर दिया। ये सारी बातें इस तरह से कही गईं, जैसे कहनेवाले हमारे इस परित्याग से बड़े दुखी हैं। जब कि वे इन बातों की आलोचना करते रहे हैं। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं, क्योंकि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं। धारा ३७० को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, फिर देश की एकता कैसे कायम रखेंगे। शादी-ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी हो मगर आप कैसे कह सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो देश की एकता को तोड़नेवाले होंगे। अगर हम कहते हैं कि नहीं, यह हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है···(व्यवधान) और इसलिए नहीं है कि हमारे पास बहुमत नहीं है···(व्यवधान)

हम बहुमत चाहते थे

हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं। आज हमें जो जनमत मिला है, अगर आपको जनमत ने अस्वीकार कर दिया है, तो हमें भी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। हम तो बहुमत चाहते थे लेकिन बहुमत हमें नहीं मिला। अब जब कि हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे हैं तो हमारा प्रयास है कि आम सहमति से कोई चीज बने, और इसलिए हमने विवाद की बातों का उल्लेख नहीं किया। इस पर आपको क्या आपत्ति है?

अभी युनाइटेड फ्रंट बनने जा रहा है···(व्यवधान) बन गया है तो अच्छी बात है, अभी उसका कार्यक्रम बननेवाला है···(व्यवधान) वह भी बन गया तो क्या मार्क्सिस्ट पार्टी की जो विचारधारा है, मार्क्सिस्ट पार्टी के जितने कार्यक्रम हैं उन्हें क्या ज्यों का त्यों, पूरे का पूरा उसमें समाविष्ट कर लिया गया है? अगर कर लिया गया है तो फिर मार्क्सिस्ट पार्टी सरकार से दूर क्यों हो रही है? जब संयुक्त मोर्चा बनता है, अनेक दल निकट आते हैं···(व्यवधान)

जब अनेक दल निकट आते हैं तो हरेक को कुछ न कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। १९७७ में भी हम धारा ३७० को समाप्त करने के समर्थक थे—यहां रामविलास पासवान जी बैठे हैं। १९७७ में हम एटम बनाने के हक में थे। लेकिन जब हमने देखा कि लोकतंत्र पर संकट है तो हमने फैसला किया कि बाकी सारी बातें ऐसे समय एक तरफ रखने की जरूरत है और लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है—इमर्जेंसी के कारण लोकतंत्र खतरे में पड़ा था, देश एक जेलखाने में बदल गया था। हमने कहा कि सब मिलकर चलें और आनेवाले अधिनायकवाद को रोकें। लेकिन उस समय हमें किसी ने नहीं कहा कि आप धारा ३७० को कहां छोड़ आए।

किसी ने नहीं कहा और ठीक ही नहीं कहा। जब आप संयुक्त मोर्चा बनाएंगे तो हरेक पार्टी को थोड़ा-थोड़ा अपना छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा अपने विचारों को, कार्यक्रमों को अलग रखना पड़ेगा।

राष्ट्रपति ने अगर ३१ तारीख तक का समय दिया तो इसलिए दिया क्योंकि राष्ट्रपति को मालूम था कि मेरा बहुमत नहीं है। लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में उन्होंने बुलाया और ३१ तारीख तक का समय दिया। और दलों से बात करो, विचार-विनिमय करो, इस बात का प्रयत्न करो कि कोई स्थिर सरकार बन जाए, स्थायी सरकार बन जाए। यह और देशों में भी होता है, और यह होने लगा था।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुडा) : यह हुआ क्यों नहीं?

श्री वाजपेयी : इसलिए कि आपने सबसे ज्यादा टांग अड़ाई।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यह क्यों नहीं स्वीकारते कि आप अकेले पड़ गए हैं।

श्री वाजपेयी : हम अकेले नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, आप हैं।

श्री वाजपेयी : हमारे समर्थन में, हमारे साथ अकाली दल है जो अभी चुनाव जीतकर आया है...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह भी भाजपा समर्थक नहीं, कांग्रेस विरोधी हैं, इसलिए वह आपके साथ हैं।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : फिर आप क्यों हमारे साथ नहीं हैं?

कुछ माननीय सदस्य : क्या आप कांग्रेस समर्थक हैं?...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अपने सदस्यों से कहें कि वे उचित व्यवहार करें। आप यदि यहां ४० साल से हैं तो मैं भी २५ साल से यहां हूं। मैं भी सम्मान का अधिकार हूं...(व्यवधान) माननीय प्रधानमंत्री जी, जो पूरे समय कहते रहे हैं, वह सोचते हैं, क्या यह हमारा पवित्र कर्तव्य है कि उन्हें सत्ता में बनाए रखें। यही है जो हम कल से खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्यों का बहुमत आपका समर्थन नहीं कर रहा है तो क्या यह सदस्यों का दोष है? मेरी अपनी समझ है, नीतियां हैं, मान्यताएं है। वह सारे समय आरोप लगाते रहे हैं, जैसे कि हम किसी गठबंधन में बंधने जा रहे हैं। क्या यह उन्हें उचित लगता है, बिना बहुमत के सत्ता में रहना? क्या यही ढंग है, जिस तरह आप कहने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री वाजपेयी : कल से मैं आलोचना सुन रहा हूं और जरा-सी आलोचना इनसे सहन नहीं हो रही है।...(व्यवधान) अगर मतदाता ने किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है तो क्या मेरा दोष है? हमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम करने का अवसर दिया, क्योंकि लोग परिवर्तन चाहते थे। क्या यह भी हमारा दोष है?

श्री बसुदेव आचार्य : बिना बहुमत पाए?

अध्यक्ष महोदय : कृपया टोका-टाकी न करें।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिमी बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कल उसका उल्लेख किया था। किस तरह से सीटें घटी हैं, किस तरह से वोट घटे हैं, वह बात अलग है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन केवल यह सरकार है जो दो-तिहाई बहुमत से फिर सत्ता में लौटी है। कृपया यह मत भूलिए। यह सत्ता में पांचवीं बार आई है। यह एक रिकार्ड है।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है श्री सोमनाथ जी। कृपया प्रधानमंत्री को बोलने दीजिए।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह बात मेरी समझ में नहीं आती ।...(व्यवधान)

सुश्री ममता बनर्जी (दक्षिण कलकत्ता) : मैं उनके बीच में दखल नहीं देना चाहती, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। लेकिन मेरे पास उनके लिए कुछ जवाब आरक्षित हैं जो श्री सोमनाथ बोल

चुके हैं।

श्री वाजपेयी : दो दल अलग-अलग चुनाव लड़े थे, एक-दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़े थे। वे अब साथ आने के बाद यह कह रहे हैं कि मैंडेट बी.जे.पी. के खिलाफ मिला है और उसके लिए ८२% लोगों ने वोट दिया है। यह विचित्र तर्क दिया जा रहा है।

श्री बीजू पटनायक : इस तर्क का जवाब है।

श्री वाजपेयी : आप यूनाइट कर चुके हैं, यह बहुत अच्छी बात है।

बीजू पटनायक : आपके सामने है।

श्री वाजपेयी : हमारे सामने नहीं है।...(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : मैं श्री वाजपेयी जी से एक प्रश्न कर सकता हूं?...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : वे आपको सुन नहीं सकते। आप उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपको नहीं सुनेंगे।

श्री बीजू पटनायक : आप क्या चाहते हैं? आप ३१ तारीख तक का समय चाहते हैं? लेकिन आप इस समय का क्या करेंगे?...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : थोड़ा धैर्य धारण कीजिए।...(व्यवधान) मगर इतनी चर्चा चली। पहले तो आप चर्चा ही नहीं चाहते थे और चर्चा चली, तो सदस्यों ने रुचि ली और अच्छी बहस हुई, और निर्णय का वक्त आ जाएगा, आ गया। अभी भी आपको परेशानी हो रही है। इतनी जल्दी है सत्ता में जाने की। मुझे वह दिन भी याद है जब जनता पार्टी को तोड़कर आप चौ. चरण सिंह जी को साउथ ब्लाक ले गए थे और उनकी कुर्सी के पीछे खड़े होकर...(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : कृपया तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत मत कीजिए। मैंने तीन लैटर्स चौ. चरण सिंह के सामने जला दिए। यह बीजू पटनायक ने किया। मैंने जनता पार्टी को नहीं तोड़ा। ...(व्यवधान) आप यह सब कैसे कह सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : बीजू जी, कृपया आप बैठिए। प्रधानमंत्री को अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए।

हमने सिखों की वकालत की

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना बहुमत बनाने के लिए जो समय मिला था, मैंने उसका उपयोग किया। मैंने अनेक दलों से अलग-अलग बातें कीं। कुछ दल हमारे साथ आए हैं। कुछ दलों ने अपनी कठिनाई प्रकट की है। कुछ दलों का कहना है कि आपके साथ आने में हमें एक ही आपत्ति है कि हमारे कुछ वोट जाने का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण, अगर वोट जाते हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि हर राजनैतिक दल को वोटों की चिंता करनी है, लेकिन यह वोटों का खेल किस सीमा तक जाएगा, किस हद तक जाएगा? क्या इसके सामने देश-हित की उपेक्षा की जाएगी? हम अगर मायनारिटी की बात करते हैं, उन्हें पूरा संरक्षण मिलना चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तो हमें कहा जाता है कि जो कुछ कहते हैं, उस पर आचरण नहीं करते। आखिर सदन में बातचीत हो सकती है। चर्चा हो सकती है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार बनी हैं वहां आचरण हो सकता है और आप हमें केंद्र में समय देकर देखें, हम सारी बातों को अमल में लाकर दिखा देंगे। यह मेरी समझ में नहीं आया कि आज जो सबसे बड़ी मायनारिटी है, उसकी बात तो सब करते हैं, लेकिन जो दो प्रतिशत है, उसकी कोई चिंता

नहीं करता। अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा किसी को नहीं है?

अध्यक्ष महोदय, मुझे वह दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद, मेरा एक भा.ज.पा. का कार्यकर्ता, मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका, क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे। उसके केश कटे हुए थे। दाढ़ी कटी हुई थी। मैंने कहा कि तुम वही हो? तुमने यह क्या रूप बनाया है, रात में क्यों आए हो, छिपकर क्यों आए हो, चोरी-छिपे क्यों आए हो? उसने कहा कि मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता हूं। मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता हूं। इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है और मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है। मैं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा कहने के लिए आया हूं। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी। चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख-विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता हथिया ली। हमने ऐसा नहीं किया।...(व्यवधान)

श्री एलियास आजमी (शाहबाद) : आप मुसलमान विरोधी भावना भड़काकर यहां पर बैठे हैं...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : दोनों गलत हैं।...(व्यवधान) मगर आप सिखों पर हुए अत्याचार की निंदा नहीं करते हैं...(व्यवधान)

श्री एलियास आजमी : बिलकुल करते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : सिखों को टाडा में किसने बंद किया।...(व्यवधान) उनको मैंने छुड़वाया है।...(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस (सीतापुर) : जो कांग्रेसी थे, उन्होंने ही भाजपाई बनकर सिखों को लखनऊ में लूटा।...(व्यवधान)

श्री एलियास आजमी : मैंने दर्जनों को अपनी आंखों से देखा है। कांग्रेस और भाजपाई साथ-साथ थे।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह जी इस मामले में न बोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके शासन काल में किस तरह से उत्तरांचल की मांग करनेवाली महिलाओं के साथ, जो कि दिल्ली प्रदर्शन करने आना चाह़ती थीं, बलात्कार हुआ, जिसकी पुष्टि कोर्ट ने कर दी। उसके बाद मुलायम सिंह जी...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह कितने शर्म की बात है।...(व्यवधान) लड़कियों को नंगा किया गया। यहां पर ये सब बैठे हुए हैं।...(व्यवधान)

मुख्तार अनीस : प्रधानमंत्री जी, आप सूरत की चर्चा करिए जहां भाजपा के लोगों ने मुसलमानों की औरतों को नंगा किया है।...(व्यवधान)

श्री एलियास आजमी : कांग्रेस का राज है।...(व्यवधान) कांग्रेस के राज में ऐसा किया गया।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, ये सभी मित्र कल से लेकर आज तक बोलते रहे।...(व्यवधान) अब मेरी बारी आई है।...(व्यवधान) ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, लेकिन यह होने वाला नहीं है। अगर यह संख्या के आधार पर करने का प्रयास करेंगे तो हमें विचारों की यह लड़ाई सदन के बाहर ले जानी पड़ेगी।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप जिस क्षेत्र में चाहें, जिस मैदान में चाहें, हम तैयार हैं।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जहां से मैंने आरंभ किया था वहां अपने भाषण को ले जाना चाहता हूं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए। न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर। न राजनीति दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए हैं। जब कभी भी आवश्यकता पड़ी, संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की। उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष लेने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा। पाकिस्तानी मुझे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में कभी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वह हर जगह अपनी सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। यह हमारी परंपरा नहीं है, यह हमारी प्रकृति नहीं है। मैं चाहता हूं कि यह परंपरा बनी रहे, यह प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा। सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर यह देश रहेगा। इस देश का लोकतंत्र अमर रहेगा। क्या यह आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? यह चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा, उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। यह कटुता बढ़नी नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता, युनाइटेड फ्रंट ने श्री देवगौड़ा को किस आधार पर अपना चौथे नंबर का नेता चुना है। वे युनाइटेड फ्रंट की फर्स्ट च्वाइस होनेवाले हैं।...(व्यवधान)

आर.एस.एस. की निंदा अनुचित

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस चर्चा में ऐसे संगठनों का नाम लिया गया, उन्हें यहां घसीटने की कोशिश की गई जो स्वतंत्र संगठन हैं, जो राष्ट-निर्माण के, चरित्र-निर्माण के कामों में लगे हैं। मेरा इशारा, मेरा उल्लेख आर.एस.एस. से है। आर.एस.एस. के विचारों से किसी का मतभेद हो सकता है लेकिन आर.एस.एस. पर जिस तरह के आरोप लगाए गए, उस तरह के आरोपों की कोई आवश्यकता नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के, और दलों के लोगों के दिलों में भी आर.एस.एस. के रचनात्मक कार्य के लिए आदर है, सहयोग है। अगर वे दुखियों की बस्ती में जाकर काम करते हैं, अगर वे जाकर आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रसार करते हैं तो इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए। इसलिए उनको पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री इंद्रजीत गुप्त : नाथूराम गोडसे कौन थे?...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : युनाइटेड फ्रंट में भी आप जिन्हें नेता बनाने जा रहे हैं, देवगौड़ा जी भी आर.एस.एस. की अच्छाइयों से परिचित हैं और आर.एस.एस. की प्रशंसा कर चुके हैं।...(व्यवधान) अभी आर.एस.एस. की ट्वैंटिएथ एनीवर्सरी हुई थी। आर.एस.एस. की ओर से...(व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : तब तो वाजपेयी जी, उनको आपका समर्थन करना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : मैं अपने दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : उनके प्रोवोक करने में क्यों आ रहे हैं। आप टाइम देखिए, क्या होता है। उनको जो बोलना है, बोलने दीजिए, उनके प्रोवोकेशन में मत आइए।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि मैं भी निर्वाचित होकर आया हूं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ हूं। राष्ट्रपति के निर्देश के कारण और निर्देश के आधार पर मैं विश्वास मत लेकर आया हूं। अब अगर चर्चा होती है और उसमें बीजू पटनायक-जैसे वरिष्ठ नेता मुझे

टोकते हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि इस देश में जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अंतःकरण से भारत का भला चाहते हैं और जो आर.एस.एस के संपर्क में आए हैं, वह जानते हैं कि यह संगठन देशहित में सेवा के लिए समर्पित है और अभी··· (व्यवधान)

श्री इंद्रजीत गुप्त : और नाथूराम गोडसे कौन था, उसने देश के हित में क्या काम किया?

श्री वाजपेयी : मैं इसका ताजा उदाहरण देता हूं। मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा कि चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक डे परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, उनमें आर.एस.एस. भी था। उसमें कम्युनिस्ट नहीं थे। कम्युनिस्ट जो थे···(व्यवधान) मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में, वह भी प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे, जब पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी तो आर.एस.एस. के स्वयंसेवक लोग यहां कंट्रोल करते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। किसी ने ···(व्यवधान) किसी ने···(व्यवधान)

अभी इमर्जेंसी के खिलाफ बंगलोर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसको सेकिंड फ्रीडम स्ट्रगल की संज्ञा दी गई थी, उसमें श्री देवगौड़ा उपस्थित थे। उन्होंने जो भाषण दिया था, उसका अंश मेरे पास है, मैं कोट कर रहा हूं : आर.एस.एस.···(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : देवगौड़ा जी का जो बयान निकला है, वह गलत है। देवगौड़ा जी ने डिनाइ किया है। हम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से यह कहना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री ने कहा है देवगौड़ा जी के संबंध में, जो अखबार में निकला है, वह सही नहीं है। आर.एस.एस. कम्युनल आर्गेनाइजेशन है और इससे देवगौड़ा जी का कोई संबंध नहीं है। आर.एस.एस. इनके लिए पूज्य हो सकती है, हमारे लिए आर.एस.एस. एक कम्युनल आर्गेनाइजेशन है और आर.एस.एस. का···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं बंगलोर में आयोजित एक समारोह का उल्लेख कर रहा हूं। समारोह में अन्य लोगों के अलावा श्री देवगौड़ा भी उपस्थित थे। वह इमर्जेंसी के खिलाफ आयोजित समारोह था। उस समारोह की तारीख २६ जून, १९९५ थी। अगर श्री देवगौड़ा जी का बयान गलत होता तो वह उसका खंडन करते। क्या सब अखबारों में गलत बयान छपता?··· (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, इस बयान का कोई खंडन नहीं आया है। श्री देवगौड़ा अगर बयान को गलत समझते, अगर यह मिसरिपोर्टिंग हुई होती तो खंडन भेज सकते थे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया···(व्यवधान)

मैं यहां किसी की कृपा से नहीं आया हूं और किसी की कृपा से नहीं बोलूंगा। इस चर्चा में आर.एस.एस. का नाम मैंने नहीं लिया। इस चर्चा में आर.एस.एस. का नाम कामरेड श्री इंद्रजीत गुप्त ने लिया।

श्री इंद्रजीत गुप्त : जरूर लिया है।

श्री वाजपेयी : उन्होंने आर.एस.एस. के साथ हमारे संबंधों का भी निरूपण किया। अब आर.एस.एस. के बारे में क्या राय है और अगर श्री देवगौड़ा-जैसे व्यक्ति की राय है···(व्यवधान) अभी तक क्या हुआ था? अध्यक्ष महोदय, बीच में कहा गया कि यह गलत है और उस समय

मैंने निवेदन किया था कि १९७७ के बारे में २६.६.९५ का फंक्शन है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आर.एस.एस. के बारे में श्री देवगौड़ा ने जो कुछ कहा है, वह इस प्रकार है :

"राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक निष्कलंक संगठन है। अपने ४० वर्ष के राजनैतिक जीवन में मैंने एक बार भी आर.एस.एस. की आलोचना नहीं की है।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इसे पूर्ण जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान आर.एस.एस. की सक्रिय भूमिका के संबंध में कोई दो राय नहीं हैं। श्री गौड़ा ने आगे कहा :

"लोग जो आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी के साथ थे, जिन्होंने उनकी प्रशंसा की, जिन्होंने आपातकाल की प्रशंसा की, वे आज हमारे साथ हैं, लेकिन आर.एस.एस. एकमात्र बेदाग और अडिग संगठन है। दूसरे कभी इस रास्ते, कभी उस रास्ते पर झूलते रहे हैं।"

अध्यक्ष महोदय, यह मैं श्री देवगोड़ा की निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं। उन्होंने आर.एस.एस. का सही मूल्यांकन किया, इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। और आप चाहते हैं कि उनकी प्रशंसा भी इस सदन में न सुनी जाए। किसी एक अखबार में नहीं छपा, तमाम अखबारों में छपा और जैसा मैंने कहा, उस समय किसी ने खंडन नहीं किया।

एकला चलो रे–हो जाओ इकट्ठे रे!

अध्यक्ष महोदय, एक और बात इस चर्चा में क़ही गई, उसका उत्तर देना चाहूंगा। यह कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त नहीं है। काउ-बेल्ट का समर्थन है। काउ-बेल्ट जिसे कहा जाता है, उसको इस तरह से सदन में उल्लिखित करना, किस क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं? हरियाणा में हम जीते हैं। हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है और यह ठीक है कि केरल और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं, मगर हमारा संगठन है। पश्चिम बंगाल में भी हमें १० % से थोड़े कम वोट मिले हैं, अगर आप वोट की बात करते हैं तो १०% वोट की बात करिए। इस सदन में एक-एक व्यक्ति की पार्टियां हैं और वह हमारे खिलाफ जमघट करके हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें प्रयास करने का पूरा अधिकार है। यहां एक व्यक्ति की पार्टी है। एकला चलो रे और चलो एकला अपने चुनाव क्षेत्र से और दिल्ली में आकर हो जाओ इकट्ठे रे। किसलिए इकट्ठे हो जाओ? देश के भले के लिए? स्वागत है। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीछे चालीस साल की साधना है, यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की है, हम लोगों में गए हैं, हमने संघर्ष किया है। यह पार्टी ३६५ दिन चलनेवाली पार्टी है। यह कोई चुनाव में कुकुरमुत्ते की तरह से खड़ी होनेवाली पार्टी नहीं है। आज हमें अकारण कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि हम थोड़ी ज्यादा सीटें नहीं ले सके हैं। हम मानते हैं कि हमारी कमजोरी है, हमें बहुमत मिलना चाहिए था। राष्ट्रपति ने हमें अवसर दिया, हमने उसका लाभ उठाने की कोशिश की है। हमें सफलता नहीं मिली, वह अलग बात है, लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिए। मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा

सहयोग देंगे, यह आपको आश्वासन देना चाहता हूं। मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे, वह सरकार किस कार्यक्रम पर बनेगी, वह सरकार कैसे चलेगी, मैं नहीं जानता।

जहां तक दलितों का सवाल है, शेड्यूल्ड कास्ट्स के टोटल मेंबर्स ७७ हैं। उनमें से २९ बी.जे.पी. के हैं। सी.पी.आई. (एम) के ५ मेंबर हैं, सी.पी.आई. का एक मेंबर है, कांग्रेस के १५ मेंबर हैं, जनता दल के ७ मेंबर हैं और सबसे ज्यादा हमारे मेंबर हैं। एसटीज में भी कुल सदस्य ४१ हैं और बी.जे.पी. के ११ सदस्य हैं।...(व्यवधान) हमारा जनाधार नहीं है। हमें लोगों का व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है। अगर आप हमें छोड़कर सरकार बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वह सरकार टिकाऊ होगी, मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं दिखाई देते।...(व्यवधान) पहले तो उसका जन्म लेना कठिन है, जन्म लेने के बाद जीवित रहना कठिन है और यह सरकार अंतर्विरोधों में घिरी हुई देश का कितना लाभ कर सकेगी, यह एक प्रश्नवाचक चिह्न है। हर बात के लिए आपको कांग्रेस के पास दौड़ना पड़ेगा और जब आप उन पर निर्भर हो जाएंगे, अभी तो मैं नहीं जानता, पहले चर्चा हुई थी, कुछ शर्तें लगाई जा रही हैं। फिर चर्चा हुई कि कैबिनेट को-आर्डिनेटिंग कमेटी बनानी पड़ेगी। फ्लोर पर भी हम लोग को-आर्डिनेशन करते हैं। उसके बिना तो सदन नहीं चलता। आप सारा देश चलाना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या-बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वह जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं।

विश्वास प्रस्ताव : असहमति

गुजराल सरकार कब तक? • २२ अप्रैल, १९९७
देवगौड़ा का दोष क्या था? • ११ अप्रैल, १९९७
गैर-भाजपावाद भी पनप रहा है! • १२ जून, १९९६

गुजराल सरकार कब तक ?

अध्यक्ष महोदय, मैंने आज दिन भर हुई चर्चा को बड़े ध्यान से सुना। चर्चा में रोशनी कम थी, कभी गर्मी ज्यादा थी तो कभी हास-परिहास ज्यादा था। नए प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विश्वास के प्रस्ताव पर गंभीरता के वातावरण में चर्चा होनी चाहिए। आखिर दस महीने के बाद देश को नए प्रधानमंत्री की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम दावा करते हैं कि भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। वह संख्या की दृष्टि से है भी, लेकिन राजनैतिक अस्थिरता इस देश के बारे में कोई सही संदेश नहीं देती है।

आज कांग्रेस के मित्रों ने मुंह खोला लेकिन बात साफ-साफ नहीं हुई। यह कहना कि वह उस दिन इसलिए नहीं बोले क्योंकि वे देवगौड़ा जी का लिहाज़ कर रहे थे, यह बात किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगी। देवगौड़ा जी को आपने अपना निशाना बनाया था और सारा विरोध देवगौड़ा जी तक केंद्रित कर दिया था। राष्ट्रपति महोदय को लंबी चार्जशीट देने के बाद भी और मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि जो पार्टी पिछले पचास साल से किसी न किसी रूप में शासन से संबद्ध रही है, क्या उसे इस तरह का आचरण करने की छूट दी जा सकती है? क्या जनता के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ३० मार्च का रहस्य अभी तक उद्घाटित नहीं हुआ है। अभी श्री संतोष मोहन देव कह रहे थे कि हमें जिस दिन सबसे ज्यादा लाभ होगा, हम उसी दिन खेलेंगे। यह कोई क्रिकेट का खेल नहीं है। यह देश की ९० करोड़ जनता की तकदीर के साथ खिलवाड़ करना है। आपने इसमें कैसे समर्थन दिया था? हमने पहले भी कहा था और आज फिर दोहराते हैं कि यह ठीक है कि चुनाव में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन जिस तरह की सरकार बनी, उसके लिए भी जनादेश नहीं था। अभी जो संयुक्त मोर्चे का नया रूप नए प्रधानमंत्री के साथ आया है, वह भी टिकाऊपन का आश्वासन नहीं देता। प्रधानमंत्री बदल गए। श्री चिदंबरम् जी मंत्रिमंडल में नहीं हैं। उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया। बस एक बात छोड़ दी कि मैं सरकार में क्यों शामिल नहीं हुआ हूं? पहले टी.एम.सी. संयुक्त मोर्चे में शामिल थी, आज भी शामिल है, शासन में भागीदार थी, आज नहीं है। इससे मोर्चा दुर्बल होता है या शक्तिशाली होता है। मार्क्सवादी

** गुजराल मंत्रिमंडल के विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में २२ अप्रैल, १९९७ को नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाषण।*

कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका में कोई अंतर नहीं है। वह बाहर से समर्थन करेंगे, सत्ता में भागीदार नहीं बनेंगे। देश में एक नई चातुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित हो रही है और कम्युनिस्ट उसमें नए ब्राह्मण हैं जो विधान देंगे, जो निर्देश देंगे कि किसको छुआ जाए, किसको न छुआ जाए, इसका निर्धारण करेंगे, कौन अस्पृश्य है, कौन स्पृश्य है, इसके बारे में फैसले देंगे, फतवे देंगे, मगर एक साथ बैठकर, कैबिनेट की एक टेबल पर बैठकर आदान-प्रदान नहीं करेंगे, खाना-पीना नहीं करेंगे, क्योंकि वह नई व्यवस्था के ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय भी हैं जो समझते हैं कि राज करना हमारा अधिकार है और इस सदन में खड़े होकर, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में खड़े होकर, फासिस्ट भाषा बोलते हैं कि हम इस पार्टी को आने नहीं देंगे। आप रोकनेवाले कौन हैं, अगर देश की जनता ने तय कर लिया है कि हम वहां आएं तो आप रोक नहीं सकते। और यह भाषा जब मैं ऐसे माननीय सदस्य के मुंह से सुनता हूं जिस पर देश की सुरक्षा का भार है, मगर जिसके साथ केवल १७ सांसद हैं। यह भाषा लोकतंत्र की भाषा नहीं है। हम आपकी कृपा से नहीं आए।

रक्षा मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव : हम भी आपकी कृपा से नहीं आए।

श्री वाजपेयी : हमने कभी नहीं कहा। हम यह भाषा कभी नहीं बोलते। श्री चंद्रशेखर जी ने मर्यादा में रहकर सारी बहस को एक ऊंचे धरातल पर रखने की कोशिश की। यह सबसे ऊंचा लोक-प्रतिनिधि संस्थान है। शब्दों के प्रयोग में तो शालीनता होनी चाहिए। मैंने पसंद नहीं किया। हमारे अकाली दल के मित्र के मुंह से जो निकल गया था, उन्होंने उसे वापस लिया। हम अपने सदस्यों को हमेशा रोकते हैं। एक स्थान तो ऐसा होना चाहिए जहां गहरे मतभेद भी शालीन भाषा में प्रकट हो सकें और यह ऐसा ही स्थान है। लेकिन आप चुनौतियां दे गए।

अध्यक्ष महोदय, यह संयुक्त मोर्चा दस महीने पहले जितना शक्तिशाली था, आज उतना शक्तिशाली नहीं है। आप कहेंगे कि आपको क्या चिंता है? हमें चिंता यह है कि कहीं दस महीने बाद फिर से विश्वास का प्रस्ताव न आ जाए। टी.एम.सी. शामिल नहीं है, सी.पी.एम. अलग है और कांग्रेस भी सत्ता के बाहर है। कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने जिस तरह के भाषण दिए हैं, उससे सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान खड़े होने चाहिए। अगर जनता ने गठबंधन के लिए वोट दिया था तो अल्पमत सरकार के लिए वोट नहीं दिया था। गठबंधन ऐसा हो सकता था, होना चाहिए था और आज राष्ट्रपति जी का नाम लिया गया। इसलिए मैं उनके नाम का उल्लेख कर रहा हूं। हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि आप कांग्रेस को इस बात के लिए तैयार करिए, संयुक्त मोर्चे को इस बात के लिए तैयार करिए कि मिली-जुली सरकार बनाएं। १४२ का दल बाहर है, सी.पी.एम. बाहर है, टी.एम.सी. बाहर है। अगर ये सब जोड़ दिया जाए तो २१५ होते हैं। हम २०४ हैं जिनमें बी.जे.पी., शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, समता पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। हमारा तो सरकार में शामिल होने का सवाल ही नहीं है और बी.एस.पी. भी अलग है। इस प्रकार यदि २०४ और २१५ जोड़ दिए जाएं तो ४१९ सत्ता से दूर हैं। ५४६ के सदन में ४१९ सदस्य सत्ता से अलग हैं। यह सत्ता कैसे टिकेगी? इसमें तो अस्थिरता अंतर्भूत है, अंतर्निहित है। जब संयुक्त मोर्चा बना तो कांग्रेस ने समर्थन देने का फैसला किया, वातावरण अच्छा था। आज वातावरण कटुता भरा हो गया है। श्री देवगौड़ा की बलि चढ़ाई गई है। नेता को छोड़ दिया। 'सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्द्धम् त्यजत् पंडिता'—जब सब कुछ जाता दिखाई दे तो आधे को छोड़ देना चाहिए—ऐसा शास्त्र वचन है। श्री देवगौड़ा जाते हैं, जाने दीजिए, सत्ता रहनी चाहिए। लेकिन सत्ता में दरारें पड़ रही हैं। इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

ऐसी मिली-जुली सरकार क्यों नहीं बन सकती थी कि जिसमें एक विचारवालों की भागीदारी हो? हमने भी बाहर रहकर सत्ता का समर्थन करने का, सरकार का समर्थन करने का प्रयोग किया है। अपने अनुभव के आधार पर हम कह रहे हैं कि सत्ता में भागीदारी आवश्यक है। बाहर के समर्थन मात्र से काम नहीं चलेगा। जो बाहर से समर्थन देते हैं, थोड़े दिनों में उनकी कठिनाइयां सामने आएंगी, उनके मन में परेशानियां पैदा होंगी। सत्ता में हिस्सेदारी में क्या आपत्ति होनी चाहिए? पहले भी कांग्रेस ने समर्थन दिया था और समर्थन वापस लिया। मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि कांग्रेस ऐसा ही करती रही है। मैं एक अलग धरातल पर अपनी बात रख रहा हूं। कानून ने अस्पृश्यता खत्म कर दी। मगर राजनीतिक अस्पृश्यता पनप रही है, बढ़ रही है। मैं शरद पवार के वक्तव्य का स्वागत करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा कि हम राजनीतिक अस्पृश्यता में विश्वास नहीं करते। मगर हमारे मित्र करते हैं और इसलिए मैंने कहा कि नई जाति और वर्णव्यवस्था के ब्राह्मण अगर कम्युनिस्ट हैं तो हमारे कुछ दल जो सत्ता में रहना चाहते हैं और किसी को आने नहीं देना चाहते, वह क्षत्रिय हैं। कांग्रेस वैश्य है और नए शूद्र हम हैं। हम अस्पृश्य हैं, हमें छुओ मत। लेकिन हम इस देश के ही वासी हैं। लोकतंत्र में हमारी निष्ठा है। हम चुनाव लड़कर आते हैं। जब इस सदन में दो रह गए थे तब भी हमने मर्यादाएं नहीं तोड़ीं और आज हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं तो इसलिए नहीं कि हम संप्रदायवाद को बढ़ावा देते हैं। आपकी लड़ाई में संप्रदायवाद का मसला कितना मसला था? जो कांग्रेस पार्टी ने चार्जशीट लगाई है, उसमें क्या-क्या कहा था?

कांग्रेस के अभियोग का योग

अभियोग नंबर एक—कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। कांग्रेस को उस पर चिंता है। अभियोग नंबर दो—अर्थव्यवस्था दिशाहीन है जिसके परिणामस्वरूप कीमतें बढ़ी हैं और बेरोजगारी में वृद्धि हुई है। अभियोग नंबर तीन में जरूर सांप्रदायिकता का उल्लेख है। सांप्रदायिक संकट और गहरा हुआ है। अभियोग नंबर चार—सरकार के व्यवहार में सामंजस्य की कमी है। अभियोग नंबर पांच—मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को पूरी तरह उपेक्षित कर दिया गया है, जो किसी भी संसदीय स्वरूप की सरकार के लिए बनाए रखना आवश्यक है। आगे जाकर पत्र में यह भी कहा गया है कि देवगौड़ा सरकार ने आवश्यक राष्ट्रीय मुद्दों को पीछे फेंक दिया है। आगे यह भी कहा गया कि कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो चुके हैं। पत्र में गृहमंत्री के उस बयान का सहारा भी लिया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता है, अव्यवस्था है और उत्तर प्रदेश विनाश की ओर जा रहा है। मामला इतने अभियोग लगाकर ही नहीं रुका। उसमें राष्ट्र की सुरक्षा के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी देवगौड़ा सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। पत्र में कहा गया है कि संवेदनशील रक्षा के मामलों तथा सुरक्षा की आवश्यकताओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का मनोबल टूट रहा है और सरकार के जो अलग-अलग आर्गन्स हैं, ये हतोत्साहित हो रहे हैं। सरकार में न सामंजस्य है, न सरकार की कोई दिशा है, न राज चलाने की इच्छाशक्ति है, जिससे दिशाहीनता की स्थिति पैदा हो गई है।

यह अभियोग-पत्र है। यह सहयोगी दल का अभियोग पत्र है। कांग्रेस के अध्यक्ष अपनी शिकायतें लेकर, अगर नेता को बदलने की मांग भी थी तो उसे लेकर स्टीयरिंग कमेटी में नहीं

गए, युनाइटेड फ्रंट के नेताओं के पास नहीं गए। राष्ट्रपति के पास जाने की क्या जरूरत थी? राष्ट्रपति को इस सारे विवाद से अलग रखा जा सकता था। बजट सत्र चल रहा था। कांग्रेस पार्टी कभी भी कटौती प्रस्ताव लाकर सरकार को चुनौती दे सकती थी। मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नांडीज नहीं बैठे हैं। बजट सत्र के प्रारंभ में उनका सुझाव था कि अविश्वास का प्रस्ताव लाएं। हमने उन्हें कहा कि थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए।

समर्थन वापसी ३० को ही क्यों?

अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि कांग्रेस स्वयं अपना अविश्वास प्रस्ताव ला सकती थी। सदन में फैसला हो सकता था। राष्ट्रपति जी को लपेटने की क्या जरूरत थी। उससे सदन की गरिमा बढ़ती और लोकतंत्र पुष्ट होता। लेकिन आपके संबंध इतने बिगड़ गए कि सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच गए! बात करने का सिलसिला भी नहीं चला! ठीक है अगर श्री देवगौड़ा जी से संबंध बिगड़ गए थे तो पूरा मंत्रिमंडल तो था। श्री देवगौड़ा जी को छोड़कर सब वापस आ गए। मैं उन्हें दोष नहीं देता। उन्हें आखिर देश की देखभाल करनी है। अपने इस दायित्व को वह कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ३० तारीख को समर्थन वापस क्यों लिया? यह प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। और जिस ढंग से वापस लिया, उस ढंग को क्यों अपनाया? इस सवाल का जवाब आना अभी बाकी है। मुझे चिंता हो रही है जिस तरह के भाषण आज कांग्रेस के मेंबरों ने किए हैं, सरकार टिकाऊ होनी चाहिए, देश की प्रगति के लिए यह आवश्यक है। लेकिन हमें नहीं लगता कि इस स्थिति में टिकाऊ सरकार बनेगी। अगर बनेगी तो मिली-जुली सरकार का रूप बदलना पड़ेगा। रूप बदलने के लिए आप तैयार नहीं हैं। मतभेदों को ताक पर रखकर मिलकर काम करें, यह कठिन है। आखिर तो राजनीति सत्ता का खेल है, उसमें भागीदारी होनी चाहिए। मैं समझता था कि आज कांग्रेस के सदस्य बोल रहे हैं, वे थोड़ी-सी रोशनी डालेंगे कि क्यों ३० तारीख चुनी गई···(व्यवधान) २९ क्यों नहीं? ३० मार्च के बाद भी रुक सकते थे। इस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। और पारदर्शिता तथा विश्वास की बातें हो रही हैं···(व्यवधान) हमें नहीं मालूम, हम तो आपसे पूछ रहे हैं। आपने शासन का भार संभाला है और आपने समर्थन देने का फैसला किया है। लेकिन हम उत्तर चाहते हैं, देश उत्तर चाहता है।

अगर देवगौड़ा जी का आखिरी भाषण कोई संकेत है तो मैं थोड़ा सा उसमें जाना चाहूंगा। देवगौड़ा जी ने इस आरोप का खंडन किया कि वह कांग्रेस को बांटना चाहते थे। किसी ने खड़े होकर नहीं कहा कि हां वह कांग्रेस को बांटना चाहते थे, इसलिए संकट पैदा हुआ है। कहते हैं कि हम देवगौड़ा जी का लिहाज कर गए। उन्हें प्रधानमंत्री के पद से हटाने में लिहाज नहीं किया और सदन में सही जवाब देने में लिहाज कर गए। देवगौड़ा जी ने यह कहा कि जिस दिन कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया, मैंने उसके दूसरे दिन संयुक्त मोर्चे में शामिल सभी दलों को एकत्र करके पूछा और उन दलों ने कहा था—नहीं, नहीं। आप त्यागपत्र दें यह जरूरी नहीं है। आप पहले सदन में जाइए। हम इसकी जांच-पड़ताल जरूर करेंगे कि कौन कहां है? इस आश्वासन पर देवगौड़ा जी सदन में आए थे। वह तो समर्थन वापस लेते ही इस्तीफा देने के लिए तैयार थे, ऐसा उनका कहना है और इस्तीफा दे भी देना चाहिए था। लेकिन उन्हें आश्वासन दिलाया गया कि चिंता मत करो, और उस दिन जिस तरह से देवगौड़ा जी के भाषण पर तालियां पीटी जा रही थीं तो मुझे लगा कि यह सचमुच में वास्तविक समर्थन है। उस दिन दासमुंशी ने भी कहा था—आई डिड नॉट

एक्यूज एंटायरली। ये दासमुंशी जी के शब्द हैं। अगर पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ चार्जशीट थी तो फिर देवगौड़ा जी को अकेले निशाना क्यों बनाया गया? अगर कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी तो क्या उसके लिए गृहमंत्री जिम्मेदार नहीं हैं? कामरेड इंद्रजीत गुप्त वापस आ गए, गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। आप संतुष्ट हैं। कानून और व्यवस्था पहले से बिगड़ी है कि सुधरी है। पिछले तीन हफ्तों में देश की हालत में बिगाड़ हुआ है या सुधार हुआ है। आपने सुरक्षा का मामला भी नहीं छोड़ा। रक्षा मंत्री बैठे हैं। क्या रक्षा मंत्री अपने कर्तव्य-पालन में विफल रहे, क्या राष्ट्रीय रक्षा के तकाजों को नहीं देखा गया? वह आरोप किसी छोटी अदालत में नहीं लगाया गया, राष्ट्रपति जी के यहां लगाया गया। वह चार्जशीट कहां गई। चार्जशीट के बाद, क्या सब कुछ जैसे का तैसा चलेगा—ऐसी आप आशा करते हैं।

युनाइटेड फ्रंट ने देवगौड़ा को बलि चढ़ा दिया। लेकिन बुनियादी ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देवगौड़ा जी के बारे में कहा गया कि वे एक घायल सिपाही थे, लेकिन उन्हें किसने घायल किया? हमने तो नहीं किया। अपने हाथों भी वे घायल नहीं हुए। आप उनके समर्थक थे और वे उनकी फौज के सिपाही थे—क्या आप दोनों ने मिलकर या दोनों ने अलग-अलग उन्हें घायल किया? उस दिन कितनी पीड़ा से, कितनी वेदना से वे बोले। मैं मानता हूं कि जिस तरह से केसरी जी का उल्लेख उस दिन हुआ, वैसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन उनका उल्लेख करने से बच कैसे सकते हैं।

राष्ट्रपति जी को कांग्रेस-अध्यक्ष ने एक पत्र लिखा, कांग्रेस-अध्यक्ष पद पर केसरी जी हैं। अगला अध्यक्ष बनने की शायद आप तैयारी कर रहे हैं। अब बनेंगे या नहीं, मैं नहीं जानता और आगे क्या होगा, वह भी मैं नहीं कह सकता। इसकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। लेकिन देवगौड़ा जी ने उस दिन जो कुछ कहा, उसे मैं आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूं :

"...अब मैं किन परिस्थितियों के अधीन प्रधानमंत्री बना? एक ओर सी.बी.आई. द्वारा जांच थी...(व्यवधान)...एक ओर सी.बी.आई. द्वारा जांच...(व्यवधान)

कर्नल राव राम सिंह (महेंद्रगढ़) : जांच क्या है?...(व्यवधान)

श्री एच. डी. देवगौड़ा : अनेक केस हैं, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता...(व्यवधान) पिछले दस महीनों में किसी राजनैतिक नेता के विरुद्ध एक भी केस का आदेश मैंने नहीं दिया है। ये सभी केस पूर्व मुद्दे थे...(व्यवधान)

कर्नल राव राम सिंह : प्रधानमंत्री जी, राजेश पायलट के पत्र का क्या है? राजेश पायलट जी अभी यहां दिखाई दिए थे। प्रश्न यह था, राजेश पायलट का पत्र क्या है?

श्री एच. डी. देवगौड़ा : पिछले दस महीनों में मैंने किसी के विषय में भी सी.बी.आई. द्वारा जांच बैठाने या जांच जारी रखने का एक भी आदेश नहीं दिया। लेकिन, मैंने दखल भी नहीं दिया ...(व्यवधान) मैंने किसी केस में दखल नहीं दिया है, अपने मुख्यमंत्री के केस में भी नहीं। मेरी अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा इसमें लगी हुई है। सब कुछ ठीक दिशा में चल रहा है या नहीं, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता।"

ये चीफ मिनिस्टर कौन हैं, जिनका उल्लेख पूर्व प्राइम मिनिस्टर ने किया, जिनका नाम लिया? जिनके बारे में पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने इंटरफेयर नहीं किया। इसका मतलब है कि जब वे प्रधानमंत्री थे, उस दौरान उनसे इंटरफेयर करने के लिए कहा गया था, मगर उन्होंने इन्कार कर दिया—क्या इसलिए नाराजगी हुई, क्या इसलिए उन्हें हटाने का षडयंत्र किया गया?

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, मैं ऐसा महसूस करता हूं कि अटल जी ठीक बोल रहे थे और निश्चित तौर से उन्होंने जो कुछ कहा, उस भावना को लेना चाहिए। उनकी पार्टी के लोग भी बहुत से केसों में फंसे हुए हैं। उन्होंने किसी भी मामले में हस्तक्षेप न करने की बात कही थी, अपने दिल से कही थी, उस दिन वे अपने दिल से बोले थे, इसलिए उसे इस संदर्भ में इधर-उधर मोड़ना वाजिब बात नहीं है।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई तोड़मोड़ नहीं कर रहा हूं बल्कि शब्दों का सीधा-सादा अर्थ निकाल रहा हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिन पर आरोप है और जिनकी जांच हो रही है, उसमें उनकी ही पार्टी के एक मुख्यमंत्री भी हैं—यही मैं कह रहा हूं—मगर यादव जी, आपको तो मुझसे थोड़ा ज्यादा पता होना चाहिए। आप कृपा करके सदन को बता दीजिए कि वह मुख्यमंत्री कौन हैं?

श्री शरद यादव : अटल जी, यह बात आप भी जानते हैं कि लालू प्रसाद जी हमारे अध्यक्ष हैं। फाडर स्कैम की इन्क्वायरी चल रही है और इन्क्वायरी के कोई नतीजे नहीं आए हैं। उसके पहले ही शक कर देना, उसके पहले ही किसी चीज का इशारा करना, वाजिब नहीं है।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूं।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : जब आडवाणी जी पर आरोप लगा, हम में से किसी भी मेंबर ने कुछ नहीं कहा। जब वे बरी हो गए, तब भी हम में से किसी मेंबर ने कुछ नहीं कहा। आज मैं कह रहा हूं, इन्क्वायरी चल रही है और अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ है। उसके पहले यदि आप कोई मोटिव रखेंगे तो यह वाजिब नहीं है।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : मेरे मित्र श्री शरद यादव, श्री लालू प्रसाद यादव जी की श्री आडवाणी जी के साथ तुलना न करें। आडवाणी जी पर आरोप लगा, आडवाणी जी ने लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी। पार्लियामेंट आने से मना कर दिया और कहा कि जब तक आरोप हटेगा नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपके मुख्यमंत्री यह घोषणा कर रहे हैं कि यदि मुझे जेल में भी भेज दिया जाएगा, तो भी मैं वहां से मुख्यमंत्री का काम चलाऊंगा।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अटल जी, आप ऐसा मत समझिए। इस पार्टी में भी लोग थे। मैं भी सदन में था। आप कम्पेरिजन की बात करते हैं। हमने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन हमें भी फंसाया गया। आज बिहार के जो सच्चे लोग हैं, उनके बारे में दूध का दूध और पानी का पानी जब आपके सामने आएगा तब आप मानेंगे। इसलिए उसके पहले कोई ऐसी बात करना ठीक नहीं है। हां, यह ठीक है, हम लोग हजार वर्ष में पहली बार आए हैं। इसलिए आपकी और हमारी तुलना कैसे हो सकती है। आपकी जुबान बहुत बढ़िया है, यह पूरा सदन और हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक ऐसी बात मत कहिए। और अपने आप निष्कर्ष मत निकालिए। अगर हमारे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएं, तो आप कहिए। मैं आपको नहीं रोकूंगा।

आप ये जो कम्पेरिजन और तुलना करने की बात कह रहे हैं, हमारी और आपकी तुलना नहीं हो सकती है। क्योंकि हम जब बोलेंगे तो हमारी बात नहीं छपेगी और आपकी पूरी की पूरी बात छपेगी।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : यह आप क्या बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : हम सब जानते हैं। आप भी इस सदन में बोले और मैं भी इस सदन में

बोला। मेरी पांच लाइनें नहीं छपीं और आपका पूरा भाषण देश के सभी अखबारों में छपा। हम में और आप में जरूर अंतर है और बहुत अंतर है। आप जो वर्ण-व्यवस्था की बात कर रहे थे···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : हां, यह फिर वही वर्ण-व्यवस्था की बात आ गई···(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अटल जी, आप वर्ण और प्रवांह के आदमी हैं इसलिए आप मौज में हैं। हम में और आप में जरूर अंतर है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी और आपकी तुलना नहीं हो सकती।···(व्यवधान)

श्री रामकृपाल यादव (पटना) : आप अमीर हैं और हम लोग गरीब हैं।···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : मुझे अफसोस है कि इस सारे विवाद में मीडिया को घसीटा जा रहा है। यह तरीका ठीक नहीं है। कभी-कभी मेरा वक्तव्य भी नहीं छपता और आपका पूरा छप जाता है। (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : जो आपने कहा वाजपेयी जी, मैं उस बारे में कहना चाहता हूं। कृपया एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लें।···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : हां, मैंने जो कहा, वह ठीक कहा। मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं स्थान ग्रहण नहीं कर रहा हूं।···(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : लेकिन अदालत ने जब मुजफ्फरनगर की घटना से मुझे बरी कर दिया और निर्दोष साबित कर दिया तो उस मामले को रोजाना क्यों कहते रहे···(व्यवधान) अगर यह बात निकली तो और बातें भी निकलेंगी। आप ऐसा मत समझिए, और बातें भी निकलेंगी। मुजफ्फरनगर की घटना के संबंध में अदालत का जो जजमेंट आया, उसमें हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं था। उसके बाद भी आप बोलते रहे और रोजाना बोला जाता रहा। अगर ऐसी बात है तो एक-एक फाइल देखी जाए। इन सारी बातों का पता चल जाएगा।···(व्यवधान)

नए प्रधानमंत्री से मेरा आग्रह

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं तो नए प्रधानमंत्री से सिर्फ इतना आश्वासन चाहता हूं कि जिनके खिलाफ अभियोग है, सी.बी.आई. जांच कर रही है या जांच करने लायक केस है, उनकी ठीक तरह से जांच हो। मामले जहां अदालत में हैं, वहां किसी तरह का दबाव डालने का प्रयास न किया जाए। किसी मामले पर लीपापोती नहीं होनी चाहिए। मैं इतना-सा आश्वासन फिर चाह रहा हूं और इसलिए मैंने बीच में आज सबेरे जब प्रधानमंत्री जी भाषण कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 'विच हंटिंग' नहीं होनी चाहिए तो मैंने पूछा था कि क्या विच हंटिंग हो रही है? अगर नहीं हो रही तो फिर यह कहने की जरूरत ही नहीं थी कि नहीं होनी चाहिए। यह तो स्वाभाविक है और अगर हंटिंग होगी तो उसे रोकने के लिए भी अदालत है। न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए और दोषी छूटना नहीं चाहिए, यह न्याय का तकाजा है। कोई कितना भी बड़ा हो। लेकिन श्री देवगौड़ा जी ने उस दिन जो कुछ कहा, उसको मैंने आपके सामने उद्धृत कर दिया है और वे शब्द स्वयं बोलते हैं। वे संकेत देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न का और उल्लेख करूंगा—सांप्रदायिकता का। सेकुलरवाद खतरे में है। इसलिए जो भी सेकुलरवाद के हामी हैं, वे सब इकट्ठे हो जाएं। इकट्ठे होने के बाद आपस में लड़ते भी जाएं। फिर जब इकट्ठे हों तो सेकुलरवाद का नाम लें। यह कब तक चलेगा। हम

बढ़ रहे हैं और जो सेकुलरवाद की जरूरत से ज्यादा दुहाई दे रहे हैं, सेकुलरवादी तो देश को होना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था, यह देश हमेशा सेकुलरवादी रहेगा। लेकिन इस सवाल पर कोई आत्ममंथन है? कोई अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखने को तैयार है कि यह हो क्या रहा है?

हमारे कांग्रेस के मित्र ज्यादा ध्यान से सुनें। गाडगिल साहब उनके प्रवक्ता हैं। मैं उनकी किताब में से उद्धृत कर रहा हूं। कुछ लंबे उद्धरण हैं। मगर मैं अपने को रोक नहीं सकता। इसलिए मैं उद्धृत कर रहा हूं। इस पुस्तक का शीर्षक है '१९९६ मैंडेट इट्स मीनिंग एंड मैसेज'—वी.एन. गाडगिल। मैं उद्धृत करता हूं :

"आज, १९९६ के लोकसभा चुनावों में पराजय के बाद मैं यह मांग नहीं कर रहा हूं कि हमें धर्मनिरपेक्षता पर पुनः विचार करना चाहिए। मेरा आग्रह है कि हमें धर्मनिरपेक्षता की कांग्रेस की संकल्पना के सरोकारों का पुनः परीक्षण करना चाहिए। यह मुझमें और श्री वाजपेयी में मूलभूत अंतर है। श्री वाजपेयी चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता पर पुनः विचार होना चाहिए। यद्यपि ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। मेरी मांग धर्मनिरपेक्षता पर पुनर्विचार नहीं है। श्री वाजपेयी धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस चाहते हैं। मेरी मांग सीमित है। मैं मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के अंदर बहस चाहता हूं क्योंकि मेरी दृष्टि में, हमारी हार का मूल और सबसे मुख्य कारण धर्मनिरपेक्षता की कांग्रेसी संकल्पना की संदेहपूर्ण एवं अस्पष्ट प्रकृति है।"

श्री पी.आर. दासमुंशी (हावड़ा) : यह गाडगिल का दृष्टिकोण है, कांग्रेस का दृष्टिकोण नहीं है। मैं आपकी अनेक पुस्तकें उद्धृत कर सकता हूं जो भाजपा का दृष्टिकोण नहीं है...(व्यवधान)

श्री इलियास आजमी (शाहबाद) : ४० साल तक वोट दिया...(व्यवधान)...एक बार वोट नहीं दिया...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : ठीक है, आप उन्हें त्याग दें। मैं ध्यान नहीं देता। आप ऐसा करने के लिए फिट हैं। कृपया मुझे दखल मत दीजिए। श्री गाडगिल का परित्याग मत करिए। वह आपके प्रवक्ता हैं। सुनो, श्री गाडगिल क्या कहते हैं :

"कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी धर्मनिरपेक्षता की कांग्रेसी संकल्पना के विषय में पूर्णरूपेण भ्रमित हैं।"

श्री गाडगिल यहां ही नहीं रुकते, वह आगे कहते हैं :

"कांग्रेस की हार का दूसरा कारण धर्मनिरपेक्षता की कांग्रेसी संकल्पना की संदेहपूर्ण एवं अस्पष्ट प्रकृति है। क्या इसका अर्थ धर्मनिरपेक्षता या सर्वधर्म समभाव है? धर्मनिरपेक्षता शब्द एक प्रभाव डालता है कि कांग्रेसी किसी भी धर्म के विरुद्ध हैं। दूसरे शब्दों में कांग्रेस नास्तिक है। इसके परिणामस्वरूप हिंदू व मुसलमान दोनों ही धर्मनिरपेक्षता—सेकुलरिज्म की संकल्पना से अलग हट गए। यदि धर्मनिरपेक्षता से कांग्रेस का अर्थ सर्वधर्म समभाव है, न तो हिंदू ही और न मुसलमान इसे कांग्रेस पार्टी के व्यवहार और कार्य में पाता है। मेरे अधिकांश मुस्लिम मित्र कहते हैं कि अयोध्या का ताला कांग्रेस शासन में तुड़वाया गया, शिलान्यास भी कांग्रेस शासन के दौरान हुआ और मस्जिद भी कांग्रेस शासन के दौरान तोड़ी गई। क्या यह धर्मनिरपेक्षता है? दूसरी ओर हिंदू कहते हैं कि हज-यात्रा के लिए मुस्लिमों को हवाई किराए में छूट दी गई, जिसके रु. ६८ करोड़ राष्ट्र को चुकाने पड़े, लेकिन उसी तरह की छूट हिंदू तीर्थ यात्रियों को रेल किराए में नहीं दी गई जब वे पशुपतिनाथ मंदिर, नेपाल जाते हैं। क्या यह कांग्रेसी धर्मनिरपेक्षता है? इसलिए यह आवश्यक है कि धर्मनिरपेक्षता की कांग्रेसी संकल्पना के सरोकारों पर पुनः विचार किया जाए। इसमें

अब और अधिक सचाई नहीं है कि भाजपा केवल ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अयोध्या की कारसेवा में हजारों दलितों ने भाग लिया। भाजपा ने २९ अनुसूचित जाति की सीटें तथा १४ आदिवासी सीटें जीती हैं। क्या इन तथ्यों से हम कोई सबक नहीं सीखने जा रहे हैं?"

अध्यक्ष महोदय, एक और पैराग्राफ है, मैं उद्धृत करता हूं :

"धर्मनिरपेक्षता की कांग्रेसी संकल्पना राजनीति से धर्म को अलग करने पर आधारित है। लेकिन कांग्रेस ने राजनीति को जातिवाद से अलग करने के लिए स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। धर्मनिरपेक्षता को शायद सांप्रदायिकता से अधिक जातिवाद से खतरा है। श्री रामविलास पासवान को यह कहते हुए रपट दी गई है कि संयुक्त मोर्चा सरकार पहली सरकार है जिसमें ऊंची जाति के एक भी मंत्री को नहीं लिया गया है। इसलिए प्रश्न खड़ा होता है : क्या धर्मनिरपेक्षता की कांग्रेसी संकल्पना में जातिवाद उतना ही खतरनाक नहीं है, जितनी सांप्रदायिकता?"

जब कुछ कांग्रेसी यह कहते हैं कि महाराष्ट्र में सरकार 'जोशी', 'महाजन' और ब्राह्मणों की सरकार है, बजाय इसके कि यह भाजपा-शिवसेना सरकार है, क्या कांग्रेसी वास्तव में दावा कर सकते हैं कि वे धर्मनिरपेक्ष हैं?

आपका कोसना हमारा प्रचार

ये हमारे विचार नहीं हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, ये उनके विचार हैं। थोड़ा इस पर मंथन कीजिए, आत्मालोचन कीजिए।···(व्यवधान) जिस अनुपात में आपका कोसना बढ़ रहा है उसी अनुपात में हमारा प्रभाव बढ़ रहा है, शक्ति बढ़ रही है। यह सेकुलरवाद की पराजय नहीं हो रही। सर्वधर्म निरपेक्षता सर्वधर्म समभाव, यह सही अनुवाद है। सेकुलरिज्म का सही अनुवाद सर्वधर्म समभाव संप्रदाय-निरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता नहीं। यह देश कभी अधार्मिक नहीं हो सकता, धर्म-विरोधी नहीं हो सकता। इसको समझना चाहिए···(व्यवधान)

कृषि मंत्री श्री चतुरानन मिश्र : क्या आप एक मिनट यील्ड करेंगे?

श्री वाजपेयी : हां, पंडित जी महाराज, आप जरूर बोलिए।

श्री चतुरानन मिश्र : सर्वधर्म समभाव तो आप ठीक बात बोल रहे हैं। लेकिन क्या उसमें यह अलाउड है कि किसी की मस्जिद तोड़ें और रोज-रोज धमकी दें कि यहां मंदिर तोड़ेंगे? हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि मथुरा का, बनारस का आपके मुताबिक आप जो सिद्धांत दे रहे हैं, उसी में हो रहा है और वही सर्वधर्म समभाव है?

श्री वाजपेयी : जो प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, पंडित जी महाराज, उस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है। हम कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि अयोध्या में जो कुछ हुआ वह एक दुर्घटना थी, वह एक हादसा था···(व्यवधान)

आप इस सच्चाई से इन्कार नहीं कर सकते कि देश में कुछ धर्मस्थान ऐसे हैं जिनके बारे में विवाद है। आपने अभी प्रस्ताव पास किया। एक कानून बनाया। उसमें भी आपने अयोध्या को छोड़ दिया। काशी और मथुरा का समावेश है, अयोध्या का नहीं है।···(व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : काशी और मथुरा का है लेकिन उसके खिलाफ आप वहां थपथपाते हैं।

श्री वाजपेयी : आपने अयोध्या क्यों छोड़ा? जो थपथपाते हैं उन्हें थपथपाने दीजिए मगर आप सांप्रदायिकता को थपथपाने का गुनाह मत कीजिए। एक तरह के संप्रदाय को बढ़ावा देकर दूसरे

तरह के संप्रदाय से नहीं लड़ सकते, यह ध्यान रखिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं नए प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि देश आम सहमति के आधार पर चलना चाहिए, मुठभेड़ की भावना से नहीं, संघर्ष की भावना से नहीं। देश में विदेश नीति के सवाल पर आम सहमति बहुत पहले से रही है और श्री गुजराल ने विदेश मंत्री के नाते से आम सहमति से आगे बढ़ने का प्रयास किया है, उसको पुष्ट करने का प्रयास किया है। उन्हें सफलता भी मिली है। पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधरें, हम भी यह चाहते हैं। हम इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कि कहीं हमारी उदारता को पड़ोसी हमारी दुर्बलता न समझें, उसका अनुचित लाभ उठाने की कोशिश न करें। ताली दोनों हाथों से बजती है। लेकिन जहां तक देश को चलाने का सवाल है, अगर नए प्रधानमंत्री आम सहमति के आधार पर सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं तो हम उन्हें अपने रचनात्मक सहयोग का आश्वासन देते हैं और हम चाहेंगे कि देश आगे बढ़े। मतभेदों के बावजूद आगे बढ़े, सत्ता के संघर्षों के बावजूद आगे बढ़े और उसे आगे बढ़ाने का एक ही तरीका है कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधता, इतना पुराना देश अगर चलेगा तो आम सहमति के आधार पर ही चलेगा और प्रधानमंत्री अगर उस रास्ते पर जाना चाहते हैं तो हमें बहुत दूर नहीं पाएंगे। धन्यवाद।

देवगौड़ा का दोष क्या था?

अध्यक्ष महोदय, चर्चा समाप्ति पर है। मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। मेरे सहयोगी मित्र श्री जसवंत सिंह, श्री प्रमोद महाजन और सुश्री उमा भारती हमारे दृष्टिकोण को प्रभावशाली ढंग से सदन के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि घड़ी की सुई घूम गई है। हम जहां से चले थे वहीं पहुंच गए हैं। १० महीने के भीतर यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई, इस पर गहराई से विचार होना चाहिए। राजनीतिक दांवपेंच अपनी जगह हैं। लेकिन लोकतंत्र का खेल किस स्तर पर खेला जाए, किस मर्यादा के भीतर चले, इस पर थोड़ा चिंतन करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इस समय जो टकराहट हो रही है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अभी तक किसी ने यह आरोप क्यों नहीं लगाया कि हमारी वजह से आप दोनों लड़ रहे हैं। इस बात का श्रेय लेने का तो प्रयास किया गया है कि हमसे लड़ने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अगर हमसे लड़ने के लिए दोनों इकट्ठे हुए थे तो आपस में क्यों लड़ रहे हैं? अभी गृह मंत्री जी ने जो प्रश्न पूछा, वह बड़ा सटीक प्रश्न था और मैं आशा करता था कि इस चर्चा में नरसिंह राव जी भाषण करेंगे, श्री शरद पवार अपना मुंह खोलेंगे, श्री अंतुले अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, लेकिन सब मौन धारण करके बैठे हैं। उनका मौन उनकी वाणी से भी अधिक मुखर है।

मैं उन सारे वक्तव्यों में नहीं जाना चाहता कि पहले जब विश्वास प्रस्ताव पेश हो रहा था तब शरद पवार जी ने क्या कहा था, नरसिंह राव ने किन शब्दों में आश्वासन दिलाया था कि कुछ भी हो जाए, हम समर्थन वापस नहीं लेंगे, यह समझौता टूटेगा नहीं, लेकिन समझौता टूट गया। पहले समर्थन दिया गया और फिर वापस लिया गया। अब यह प्रश्न उठाया गया कि ऐसा क्यों किया गया है। इसके अलग-अलग स्पष्टीकरण मिल रहे हैं। अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधिकृत तौर पर कोई बात कहता और सदन के सामने, देश के सामने सारे तथ्य आते। एक प्रश्न और भी है कि ३० मार्च की तिथि क्यों चुनी गई? क्या ३० मार्च तक सब ठीक था और ३० मार्च को बिगड़ गया? हमारे कांग्रेस के मित्र कहेंगे कि नहीं, भूमिका तो हम पहले से

---

* *देवगौड़ा सरकार के प्रति विश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में ११ अप्रैल, १९९७ को नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाषण।*

बना रहे थे, हमने तो ४ तारीख और १६ तारीख का प्रस्ताव पास किया था, लेकिन उसके बाद आपने समर्थन वापस लेने का फैसला ३० तारीख को किया—क्यों? कांग्रेस के नेताओं को पता न हो कि उस समय देश में किस तरह से सम्मेलन आयोजित हो रहे थे, किस तरह से महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही थीं। अगर समय अधिक नहीं मांगा जाता तो शायद इस प्रस्ताव पर हमें ७ तारीख को चर्चा करनी पड़ती। पहले ७ तारीख तय हुई थी और अगर उस दिन चर्चा होती तो हमारे प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री या तो सम्मेलन में होते या सम्मेलन स्थगित करना पड़ता।

अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और कांग्रेस पक्ष के साथ विदेश मामलों के बहुत से जानकार हैं। यह छोटी सी बात ध्यान में क्यों नहीं आई? या ३० तारीख के पीछे कोई और रहस्य है। रहस्य का उद्घाटन होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी मौन है तो हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, थोड़ा सा अंधकार कम कीजिए, यह ३० तारीख क्यों चुनी गई?

मुझे यह सुनकर भी ताज्जुब हुआ और मैं युनाइटेड फ्रंट के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि आपको दो चिट्ठी मिलीं और आपने उन दो चिट्ठियों के बाद कांग्रेस पार्टी से कोई वार्ता नहीं की, चर्चा नहीं की, यह अच्छी बात नहीं है। जिस दल के समर्थन पर आपकी सरकार का अस्तित्व है, उस दल की, अगर शिकायतें होती हैं तो उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपको याद होगा कि जिस दिन मैंने विश्वास का प्रस्ताव पेश किया था तो मैंने कहा था कि कम से कम फ्लोर को-आर्डिनेशन के लिए आपस में बात करनी पड़ती है। सचमुच कांग्रेस तो स्टीयरिंग कमेटी में होनी चाहिए थी। आज जो प्रस्ताव दिया जा रहा है कि को-आर्डिनेशन कमेटी बनेगी उसमें कांग्रेसवाले आ सकते हैं और चाहें तो कांग्रेस के नेता उसके अध्यक्ष हो सकते हैं। सचमुच में इस प्रस्ताव पर पहले विचार होना चाहिए था। संकट पैदा होने के बाद नहीं। लेकिन मैं जानता हूं कि इसके मूल में एक कारण था और वह कारण था गैर-कांग्रेसवाद। कांग्रेस के समर्थन के बिना सरकार चलाना असंभव है। इसलिए समर्थन ले लो, मगर कांग्रेस के साथ सहयोग किया जा रहा है, यह दिखाओ मत। यह दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस से लड़कर आए हैं। हम जीवन-भर कांग्रेस से लड़ते रहे हैं। हम कांग्रेसवाद में विश्वास रखते हैं और इसलिए जरा दूरी रखो। लाभ उठाओ, मगर उनका सहयोग मत लो। यह जो मूल भावना है, इसने सहयोग को सफल नहीं होने दिया। इसने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी कि आज कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और युनाइटेड सरकार का अस्तित्व खतरे में पड़ गया।

अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से यह कांग्रेसवाद है, उसी तरह से एक गैर-भाजपावाद पनप रहा है और यह भी अपना एक स्थान बनाने का प्रयास कर रहा है। चुनाव के बाद जो जनादेश आया, उसमें किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला। यह ठीक है, मगर यह भी जनादेश नहीं था कि जो सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी उपेक्षा कर दो। नंबर दो पर कांग्रेस थी १४४ मेंबरों की। उसके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? अगर गठबंधन होना है, अगर संयुक्त सरकार चलनी है, तो उसका क्या स्थान होना चाहिए? सार्वजनिक क्षेत्र से अस्पृश्यता खत्म हो रही है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अस्पृश्यता का जन्म होता जा रहा है। जनता का जो जनादेश था, उसका अर्थ ठीक नहीं निकाला गया।

यह देश सेकुलरवादी है, सेकुलरवादी था और सेकुलरवादी रहेगा। इसको कोई बदल नहीं सकता। और क्या सेकुलरवाद इतना दुर्बल है कि वह जरा सी बात में खतरे में पड़ जाता है और क्या सेकुलरवाद बचेगा तो इस राजनीतिक जोड़तोड़ से बचेगा? भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती

हुई शक्ति, उसका बढ़ता हुआ प्रभाव, आप जरा आत्मचिंतन करें यह कोई सेकुलरवाद के दुर्बल होने का प्रतीक नहीं है, परिचायक नहीं है। उसके और कारण हैं जिनमें मैं इस समय विस्तार में जाना नहीं चाहता। लेकिन आप चुनाव हार रहे हैं। कांग्रेस की संख्या आधी रह गई है। यदि पांच साल का कांग्रेस का क्रियाकलाप देखें तो वह इतना निकृष्ट नहीं था कि उसको मतदाता इतनी सजा देते, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा निर्णायक साबित हुआ। संख्या आधी रह गई। अब दोष हमें दिया जा रहा है। लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, तो आप कह रहे हैं कि सेकुलरवाद खतरे में पड़ रहा है।

युनाइटेड फ्रंट आपकी क्या मदद करता है? युनाइटेड फ्रंट तो एक ऐसा मोर्चा है जो पूरे का पूरा, आपका समर्थन करना तो अलग रहा, वह स्वयं के अपने कैंडिडेट खड़ा करने के बारे में आपस में समझौता नहीं करता। एक-दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। जहां युनाइटेड फ्रंट है ही नहीं, वहां कांग्रेस की मदद कैसे करेंगे? कांग्रेस के मित्र भी जरा आत्ममंथन करके देखें कि क्यों प्रभाव घट रहा है! उसके लिए दूसरे को दोष देने से काम नहीं चलेगा। हम चुनाव नहीं चाहते लेकिन चुनाव के अलावा और कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। मतदाता भी चुनाव नहीं चाहता। लेकिन लोकतंत्र में, अंत में जाकर किसका दरवाजा खटखटाया जाए, अगर राजनेता विफल हो जाएं, अगर राजनैतिक दल अपनी सीमाओं को और अपनी मर्यादाओं को न समझें और अगर सिद्धांत के ऊपर सत्ता का संघर्ष हावी हो जाए।

लड़ाई मिथ्या अभिमान की है

कहा गया है कि यह सम्मान की लड़ाई है। सम्मान नहीं, यह मिथ्या अभिमान की लड़ाई है। सत्ता का खुला संघर्ष है। आप कहेंगे कि सत्ता के लिए लड़ाई कोई बुरी बात नहीं। मैं मानता हूं कि हमारे कांग्रेस के मित्रों के लिए सत्ता से बाहर रहना बहुत कठिन काम है। बहुत मुश्किल काम है। हमारी बात छोड़ दीजिए, हम तो ४० साल से यही धंधा करते रहे हैं, मगर हमारे कांग्रेस के मित्रों की आदतें बिगड़ी हुई हैं। वे सत्ता के बिना नहीं रह सकते। आपने उन्हें शासन के स्तर पर शामिल नहीं किया और उन्हें निर्णय लेने की संस्था के स्तर पर भी शामिल नहीं किया, उनका उपयोग नहीं किया, जिससे उनकी शिकायतें इकट्ठी होती रहीं। लेकिन मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा कि जब युनाइटेड फ्रंट ने मायावती को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने से इन्कार कर दिया था, उस दिन अगर आप समर्थन वापस ले लेते तो आपको एक मुद्दा मिल सकता था, जिस मुद्दे को लोग पहचानते और जिसके लिए आपको साधुवाद देते। मगर उस दिन इस प्रस्ताव में उसका बड़ा वर्णन है कि आपके अध्यक्ष गए, उन्होंने कहा कि दलित कन्या को आप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते मगर वापस लौट आए और चुप बैठ गए। उस समय समर्थन वापस नहीं लिया गया।

अब मैं आता हूं कि ३० तारीख में क्या खास बात थी। क्या किसी ज्योतिषी से सलाह ली गई थी? क्या शुभ मुहूर्त निकाला गया था? यह बात अभी तक मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है। आप बजट अधिवेशन में रुक सकते थे। सारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती जा रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ।

आदरणीय नरसिंह राव जी यहां बैठे हैं। मैं अगर एक घटना का उल्लेख करूं तो मैं समझता हूं कि वे उसको गलत नहीं समझेंगे। हम लोग कहीं दोपहर का भोजन कर रहे थे। वह सरकारी भोजन था। उस भोजन में स्वीट डिश के रूप में तरबूज खाने को दिया गया। वह तरबूज फीका

था। श्री नरसिंह राव जी के पास बैठनेवाले किसी मित्र ने शिकायत की कि ऐसा तरबूज क्यों दिया गया है जो फीका है, यह बेमौसमी है। अगर मेरे सुनने में गलती नहीं हुई तो श्री नरसिंह राव जी ने कहा कि बजट अधिवेशन में अगर समर्थन वापस लेने का प्रस्ताव आ सकता है तो हर मौसम में तरबूज क्यों नहीं आ सकता। यह जो बेमौसमी निर्णय है, उसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे रहस्य क्या है? क्या वर्तमान घटनाचक्र से हम कुछ सीखने के लिए तैयार हैं? ठीक है, जनता के पास जाएंगे, जनता निर्णय करेगी, लेकिन इस देश में मिलकर काम करने के गुण को विकसित करने की आवश्यकता है। एक पार्टी के भीतर भी संघर्ष होते हैं, लेकिन संघर्ष सीमा में होने चाहिए। यह टूटना और जुड़ना, फिर इकट्ठे होना और फिर अलग-अलग रास्ते पर चले जाना, इसकी कोई सीमा होनी चाहिए। अगर और देशों में मिली-जुली सरकारें सफल हो सकती हैं तो यहां क्यों नहीं हो सकतीं। हम भी अपने ढंग से प्रदेशों में मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक-दूसरे के प्रति विश्वास, पारदर्शी विश्वास परमावश्यक है। अब यदि कांग्रेस को यह डर लग रहा था कि देवगौड़ा जी कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं फिर तो उन्होंने आत्म रक्षा में जो कदम उठाया, उसे उठाना जरूरी था। लेकिन मैं नहीं समझता कि देवगौड़ा जी कांग्रेस को तोड़ना चाहते थे, और अगर तोड़ना चाहते थे तो क्या आप अपने को टूटने देते या आपके कुछ लोग टूटने को तैयार बैठे थे? मेरे पास इसका उत्तर नहीं है। लेकिन विश्वास के वातावरण में ऐसा नहीं हो सकता। चुनाव के बाद जो जनादेश था, उसका गलत अर्थ निकालने के बहुत से दुष्परिणाम हुए। उसका सही अर्थ निकालने की आवश्यकता है। वह कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनादेश नहीं था। वह किसी पार्टी के हक में जनादेश नहीं था, बहुमत नहीं था, यह बात सच है। लेकिन जो अर्थ निकाले गए, उससे अनर्थ हुआ है और दस महीने बाद देश फिर आम चुनाव के रास्ते पर आ खड़ा हुआ है। हमें आशा करनी चाहिए कि चुनाव के बाद स्थायी सरकार आएगी। हमें यह भी आशा करनी चाहिए कि चुनाव के बाद देश सही रास्ते पर चलेगा, लेकिन इस प्रयोग का एक लाभ हुआ है। क्षेत्रीय दलों ने पहली बार दिल्ली में आकर एक भूमिका निभाई है, रचनात्मक भूमिका निभाई है। वे अभी तक एक क्षेत्र तक सीमित थे। वे जीतकर आए हैं और उनका दृष्टिकोण अखिल भारतीय हुआ है। उनके सामने देश की तस्वीर आई है। हमें भी उनके साथ संपर्क बढ़ाने का मौका मिला है। यह एक शुभ संकेत है, यह एक अच्छी घटना है। इसलिए देश की राजनीति में सब दल चाहे राष्ट्रीय हों, चाहे क्षेत्रीय हों, यदि कार्यक्रम में एकता है और आप भी मानते हैं कि आपके बीच में सिद्धांतों में एकता नहीं है लेकिन कार्यक्रम की एकता है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता।

प्रधानमंत्री जी ने सुबह बहुत सी उपलब्धियां गिनाईं। अब अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को देखें तो उसमें तीन महीने के भीतर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ, छह महीने के भीतर जो काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। उस सबको गिनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कार्यक्रम के आधार पर कुछ दल इकट्ठे होते हैं तो उनकी सफलता के लिए विश्वास का वातावरण बहुत ही आवश्यक है। इस विश्वास के अभाव के कारण ही यह संकट पैदा हुआ है। हम इससे शिक्षा लें, इससे पाठ पढ़ें और भविष्य में इस तरह का प्रयोग करते समय ऐसी भूलें न की जाएं, कम से कम इतना तो आज की घटना से सीखें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

गैर-भाजपावाद भी पनप रहा है!

अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। १५ दिन पहले इस तरह के एक प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। मैं समझता था कि इस बार चर्चा का रूप कुछ भिन्न होगा। देश के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं, उन्हें भी विवाद के दौरान उठाया जाएगा। अब सदन की बैठक जुलाई में होगी। आपने जीरो ऑवर में सार्वजनिक हित के मामलों को उठाने की अनुमति दी, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक प्रश्न ऐसा है जो अगले सत्र की बैठक के लिए टाला नहीं जा सकता है। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह जी ने कल उसका उल्लेख किया था। जेनेवा में डिसआर्मामेंट कान्फ्रेंस चल रही है, थोड़े दिनों में समाप्त होने वाली है, सी.टी.बी.टी का प्रश्न वहां उपस्थित है। भारत को इस मामले में दो-टूक फैसला करना पड़ेगा। इस सवाल पर एक राष्ट्रीय सहमति रही है। हम यह कहते रहे हैं कि हम ऐसे विश्व की रचना चाहते हैं जिसमें किसी देश के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं रहें। ऐसी दुनिया नहीं चल सकती कि कुछ देशों के पास न्यूक्लियर हथियार हों और कुछ देशों को न्यूक्लियर विज्ञान में प्रगति करने से भी रोक दिया जाए। इसलिए पुरानी सरकार ने भी कहा था और नई सरकार ने भी इस बात को दोहराया है कि इस मामले में हमारे ऑप्शन खुले रहने चाहिए। मैं युनाइटेड फ्रंट के मैनीफेस्टो से उद्धृत कर रहा हूं :

"संयुक्त मोर्चा सरकार सार्वभौम परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए कार्य करना जारी रखेगी और लक्ष्य की प्राप्ति तक परमाणु विकल्प खुले रखेंगे।"

लेकिन मेरे ध्यान में भारत के विदेश सचिव द्वारा जेनेवा में दिए गए एक भाषण का अंश लाया गया है जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हथियार भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं। अगर हथियार सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं तो ऑप्शन खुले रखने का क्या मतलब है? मैं नए विदेश मंत्री श्री गुजराल से कहूंगा कि वह इस बारे में तथ्यों का पता लगाएं। मेरे पास अधिकृत सूचना है और उस सूचना के आधार पर मैं अपनी टिप्पणी कर रहा हूं। अगर वह सूचना गलत होगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर ऑप्शन खुला है तो फिर इस तरह का वक्तव्य नहीं

** मोर्चा सरकार के विश्वास प्रस्ताव के विरोध में शून्य काल में लोकसभा में १२ जून, १९९६ को नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाषण और वाद-विवाद।*

दिया जाना चाहिए था। लेकिन मैं उस बात की ओर फिर से इंगित कर रहा हूं कि हमें थोड़े दिन में फिर फैसला करना है।

विदेश एवं जल-संसाधन मंत्री श्री इंद्रकुमार गुजराल : दखल देने के लिए मुझे खेद है। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं वह मेरी सूचना है और मैं जानना चाहूंगा कि वह कहां से उद्धृत कर रहे हैं।

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : वह किसके वक्तव्य उद्धृत कर रहे हैं?

श्री वाजपेयी : सभापति जी, यह परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारत के फॉरेन सेक्रेटरी का वक्तव्य है जो २१.३.१९९६ को डिसआर्मामेंट कान्फ्रेंस में दिया गया। मैं उसका एक अंश उद्धृत कर रहा हूं :

श्री गुजराल : मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य को पता है कि हम पहली जून को सत्तारूढ़ हुए।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : आप कह चुके हैं कि आप नीति को जारी रखे हुए हैं।

श्री वाजपेयी : मैं फिर उद्धृत करना चाहता हूं :

"माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत का प्रत्यक्ष अनुभव अलग है। हम विश्वास नहीं करते कि परमाणु अस्त्रों की प्राप्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है।"

हमेशा के लिए भारत को सुरक्षा के साधन से वंचित किया जा रहा है।

श्री गुजराल : फिर दखल देने के लिए मुझे खेद है। मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत सम्मान करता हूं। अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उनके साथ रहने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। एक समय वह विदेश मंत्री थे और मैं राजदूत था और अन्य अनेक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में भी।

एक बात—मैं किसी को बचा नहीं रहा हूं और मुझे बचाव करता हुआ माना भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह मेरा दूत नहीं था—लेकिन जो वह उद्धृत कर रहे हैं उसका मुझ पर यह प्रभाव पड़ा, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं शायद यह एक सामान्यीकृत वक्तव्य है और हम इस पर विश्वास करते हैं और मैं इसे दोहरा रहा हूं कि संपूर्ण विश्व से परमाणु अस्त्र गायब होने चाहिए, वे समाप्त होने चाहिए, क्योंकि परमाणु अस्त्रों को सुरक्षा के हथियार के रूप में प्रयोग करने की जरूरत नहीं है।...(व्यवधान)

यह एक विज्ञप्ति है, उतनी ही पुरानी जितने पं. जवाहरलाल नेहरू स्वयं।

श्री पी.वी. नरसिंह राव (बहरामपुर) : यह संसार के सभी देशों की सामान्य धारणा है कि परमाणु अस्त्र विश्व-सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं हैं। यह समय-समय पर असंख्य बार, ठीक पं. जवाहरलाल नेहरू के दिनों से ही कहा जाता रहा है। महात्मा गांधी ने भी यह कहा। इसलिए उस भावना से यदि यह एक सामान्य वक्तव्य है तो इस पर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि यह किसी विशेष संदर्भ में और किसी देश के विशेष संदर्भ में है तो वह एक अलग मामला है, और उसकी तह तक जाया जा सकता है।

श्री गुजराल : इस वक्तव्य को दिए जाने के कुछ समय बाद, पंद्रह दिन के लिए जब हमारे मित्र प्रधानमंत्री थे, यह वक्तव्य रिकार्ड में था। क्या इसके विषय में उन्होंने कोई कदम उठाया? ...(व्यवधान)

श्री नरसिंह राव : हमें इसके साथ बॉलीबॉल नहीं खेलनी चाहिए। हमें ढूंढना चाहिए, यदि उस समय नीति के साथ लाइन में कुछ है, यदि नहीं है, हम इसकी पड़ताल कर सकते हैं। सामान्य

रूप में उसने कहा है और मैंने इसकी व्याख्या कर दी है।···(व्यवधान)

श्री गुजराल : यदि आप मुझे निर्णय लेने के लिए अगले दो सप्ताह दे रहे हैं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन उन बातों का मुझ पर आरोप मत लगाइए जिन पर आप कुछ कार्यवाही कर सकते थे।···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा।

अध्यक्ष महोदय : हमें उन्हें ध्यान से सुनने का धैर्य रखना चाहिए।···(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : यह आरोप बांटने का प्रश्न नहीं है। यह सरकार और इस सरकार के माननीय विदेश मंत्री, विस्तृत परीक्षण प्रतिबंध संधि और निरस्त्रीकरण के विषय में, कह चुके हैं कि वे नरसिंह राव सरकार जैसी नीति को ही रखनेवाले हैं। और यदि यह नरसिंह राव सरकार की नीति है, मैं कहूंगा कि यह दस या पंद्रह दिन का प्रश्न नहीं है, यह बहस का मुद्दा नहीं है। माननीय विदेश मंत्री···

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका क्या निर्णय था?

श्री जसवंत सिंह : प्रश्न यह है कि निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन में यह स्पष्ट करते हुए / घोषणा करते हुए कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु अस्त्रों की आवश्यकता नहीं है, एक आधिकारिक वक्तव्य दिया गया। माननीय मंत्री को इस तरह की जल्दी नहीं दिखानी चाहिए।··· (व्यवधान)···क्या माननीय विदेश मंत्री, एक उच्च प्रमुखता के राष्ट्रीय मुद्दे पर, मुझसे वाक्‌युद्ध करना चाहते हैं? उन्होंने पूछा, 'पंद्रह दिन तक आप क्या कर रहे थे?' उनका प्रारंभिक वाक्य था कि यह हमारी नीति नहीं है। अगले वाक्यों में उन्होंने कहा कि हम पिछली सरकार की नीतियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। यह बहस का मुद्दा नहीं है···(व्यवधान) यह मौलिक तथा संसदीय प्रक्रिया है।

श्री गुजराल : मैं एक बात कहना चाहता हूं।

श्री जसवंत सिंह : यह ढंग नहीं जिस तरह से उन्हें भारत के परमाणु विकल्प पर बोलना चाहिए था। क्या विदेश मंत्री अब देश के समक्ष अति महत्वपूर्ण विकट सुरक्षा के प्रश्न का इस लापरवाही से उत्तर देने जा रहे हैं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जसवंत सिंह, आपने अपना विषय रख दिया है। अब कृपया आप बैठ जाइए।···(व्यवधान)···आप इस तरह का शोर क्यों मचा रहे हैं? यह बहुत गंभीर बहस है।

श्री गुजराल : आग्रह, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं और आग्रह करने से पहले मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि श्री वाजपेयी का मैं बहुत अधिक सम्मान करता हूं। कह चुका हूं और मैं ऐसा करता रहूंगा क्योंकि यह नीति की निरंतरता है, क्योंकि सरकार निरंतर चलनेवाली होती है, क्योंकि वह एक मंत्री थे।···(व्यवधान) भारत को क्या हो गया है जो गत दो माह में विभिन्न सरकार आ गईं। मार्च में न तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी और न ही हमारे प्रधानमंत्री सत्ता में थे और न ही कोई और सत्ता में था। कुछ वक्तव्य दिया गया। यह बिना संदर्भ के पढ़ा जा रहा है। यदि वक्तव्य विशेष रूप से इतना प्रमुख था, मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ने पहला अवसर क्यों नहीं दिया और जेनेवा को पकड़कर उस कदम का पीछा क्यों नहीं किया।···(व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह : कृपया अपनी नीति बताएं। शिकायत यह है···(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, क्या यह सरकार विस्तृत परीक्षण अप्रसार संधि पर अपनी नीति बताएगी?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री गुजराल को अपना विषय पूर्ण करने दें। (व्यवधान)

श्री गुजराल : अध्यक्ष महोदय, हमने पहली जून को कार्यभार संभाला। सामान्य रूप से हमने एक वक्तव्य दिया और मैं उसे दोहराता हूं कि भारत की विदेश नीति का महान तत्व है निरंतरता और वही इसकी ताकत है। मुझे खेद है कि इस बहस में मुझे अपनी विदेश नीति के बिंदुओं को स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें कुछ ऐसे तत्व हैं जो इसमें सदा रहेंगे। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और मैं मास्को में राजदूत था, हमने क्या किया? क्या यह पं. जवाहरलाल नेहरू की नीति या श्रीमती इंदिरा गांधी की नीति की निरंतरता नहीं थी? जब श्री नरसिंह राव विदेश मंत्री बने और मैं तब भी राजदूत था, क्या यह निरंतरता नहीं थी? निरंतरता भारतीय विदेश नीति की आवश्यक शक्ति है और ऐसी ही रहेगी।

जहां तक परमाणु नीति का संबंध है, यह कार्यक्रम बताते हैं और मैं दोहराता हूं :

"संयुक्त मोर्चा सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए कार्य करता रहेगा और इस लक्ष्य की प्राप्ति तक परमाणु विकल्प खुले रखेंगे। मैं सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे पर जोर डालूंगा।"

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं एक बिंदु को फिर दोहराना चाहूंगा कि इस देश की जनता के मस्तिष्क में जरा सा संदेह भी पैदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश देख रहा है, यह सरकार सब कुछ करेगी यह देखने के लिए कि इस देश की सुरक्षा बिल्कुल भी न गड़बड़ाए...(व्यवधान)

श्री प्रमोद महाजन : (मुंबई, उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, हमने उन्हें पूरे ध्यान से सुना है। वे हमें गड़बड़ा रहे हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने पर संयम रखें। यह ढंग नहीं है। विपक्ष के नेता बोल रहे हैं, कृपया उन्हें सुनें।

श्री वाजपेयी : लेकिन मैंने अपना कर्तव्य समझा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं।

श्री वाजपेयी : जैसा मैंने कहा, जेनेवा सम्मेलन २८ तारीख को समाप्त हो रहा है और उसके पहले आपको फैसला करना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, करेंगे।

श्री वाजपेयी : दो ही फैसले हो सकते हैं—या तो आप कान्फ्रेंस में सी.टी.बी.टी. का विरोध करें या कान्फ्रेंस से बाहर आ जाएं और बाहर आकर अपना विरोध प्रकट करें। इस समय राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए।

मुझे अभी बड़ा ताज्जुब हुआ जब नरसिंह राव जी नॉन-एलाइनमेंट की बात करने लगे। हमारे घोषणापत्र में नॉन-एलाइनमेंट नहीं था, यह कांग्रेस घोषणापत्र है जो इस बार प्रकाशित हुआ है, इसमें कहीं नॉन-एलाइनमेंट नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन . एक शब्द भी नहीं है...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर आपको याद हो, जब मैं विश्वास मत के प्रस्ताव पर बोल रहा था, तब मैंने कहा था कि भारतीय जनसंघ के दिनों से हम नॉन-एलाइनमेंट पालिसी के समर्थक रहे हैं क्योंकि जब पूरी दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी, दो समूहों में बंटी हुई थी, तो भारत के लिए इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि हम शांति की बात करते और दोनों गुटों

के बीच में मतभेद घटाने का प्रयास करते और हमने यही किया। लेकिन आज नरसिंह राव जी ने अचानक जो कहा, भारतीय जनता पार्टी से हर बात पर मतभेद है, इनको समर्थन देने के लिए यह बताना जरूरी नहीं है···(व्यवधान)

श्री नरसिंह राव : ये रहें या न रहें, हम तो आप पर फिदा हैं।···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : कांग्रेस के साथ हमारे बुनियादी मतभेद रहे हैं। हम कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे हैं। हम और उधर बैठनेवाले मिलकर कांग्रेस को हराने के लिए मोर्चा बनाते थे।

अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि कांग्रेस के दुशासन से जब-जब लोगों ने मुक्ति चाही तो सभी गैर-कांग्रेसी दलों को एक साथ आने का वातावरण बना। दल साथ आए तो कांग्रेस चुनाव में हार गई। लेकिन इस बार कांग्रेस को हराने के लिए साथ आने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कांग्रेस वैसे ही हार गई। अब मोर्चा कांग्रेस नहीं बन रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो हाशिए पर जा रही है। अब एंटी बी.जे.पी., भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सब इकट्ठे हो रहे हैं। (व्यवधान)···यह जहां विचारों की भिन्नता को प्रकट करता है, वहीं हमारी बढ़ती हुई शक्ति और प्रभाव को भी दिखाता है।

१९९६ का मैंडेट क्या है?

अब हमने तमिलनाडु में भी अपना अकाउंट खोला है। वहां विधानसभा में हमारा एक मेंबर जीतकर आया है और वह कन्याकुमारी से जीतकर आया है। नागरकोईल में हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे, वहां हमें अच्छे वोट मिले हैं। लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन चर्चा यह हो रही है कि १९९६ का मैंडेट क्या है? क्या जनादेश है, क्या उसका संदेश है? यह सच है कि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। मगर हमें सबसे अधिक सीटें मिली हैं, यह भी सच है। लोग देश में सरकार देखना चाहते हैं। मिली-जुली सरकार बनाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। हम भी अपने ढंग से प्रयास कर रहे थे···(व्यवधान) लेकिन हमारे प्रयास में और आपके प्रयास में एक बुनियादी अंतर है। यह कहना काफी नहीं है कि कोलिशन का युग आ गया है। यह बात १९७७ में भी कही गई थी, यह बात १९८९ में भी कही गई थी। लेकिन कोलिशन पश्चिम बंगाल में चल रहा है, केरल में चल रहा है। कोलिशन की सरकार वहां ज्यादा सफल होती है, जहां एक बड़ी पार्टी होती है और उसके साथ छोटी-छोटी पार्टियां सहयोग करके बहुमत लाने की स्थिति में बनती हैं। अगर हमारा कोलिशन होता तो आपके कोलिशन से ज्यादा टिकाऊ होता, ज्यादा स्थिर होता।···(व्यवधान) अब यह जो कोलिशन बना है, इसमें सबसे बड़ी पार्टी की संख्या क्या है? ४४-४५, उसके भी अधिकांश सदस्य एक प्रदेश से आते हैं, सब इकट्ठे हो गए हैं।

सेकुलरवाद की रक्षा करने के लिए सब इकट्ठे हो गए हैं, भाजपा को दूर रखने के लिए और बातें कर रहे हैं जनादेश की। आप पहले चुनाव मिलकर नहीं लड़े, आपने कोई साझा कार्यक्रम नहीं रखा, अब चुनाव के बाद आप इकट्ठे हो गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन कल बहिन सुषमा ने एक बड़ा करारा सवाल पूछा था कि क्या जनादेश, कांग्रेस के साथ मिलने का भी जनादेश है? ···(व्यवधान)

श्री राम नाइक (मुंबई, उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, हमने नरसिंह राव जी को शांति से सुना। एक शब्द भी नहीं बोला···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यदि शांति हो जाए, तो मैं बोलूं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उस दिन जब इस चर्चा के लिए समय देने का वक्त आया तो यह कहा गया था कि चर्चा किस बात पर होगी। सरकार ने कोई कहानी नहीं की है। और सरकार ने कोई विवादग्रस्त फैसले नहीं किए हैं। लेकिन आज के समाचारपत्रों में एक समाचार बड़ी प्रमुखता से छपा है। सी.बी.आई. एक स्पेशल लीव पेटीशन लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई। हाई कोर्ट ने सी.बी.आई. को निर्देश दिया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चे के सदस्यों की खरीद के मामले में जो शिकायत उसे प्राप्त हुई है, उस शिकायत को एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज किया जाए। लेकिन सी.बी.आई. ने ऐसा नहीं किया। सी.बी.आई. ने उसका रूप बदल दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चे के जो सांसद थे, उनके खिलाफ गंभीर आरोप थे। उनके खिलाफ आरोप सत्यता पर आधारित थे।

सांसदों को खरीदने का मामला

१९९३ में जब सरकार अविश्वास प्रस्ताव का सामना कर रही थी, गिरने से डर रही थी तो मेंबरों को खरीदा गया। उनको धन दिया गया। एक दिन धन दिया गया। दिल्ली के एक बैंक में धन जमा किया गया। यह मामला हमने उस समय भी उठाया था। झारखंड मुक्ति मोर्चे के एक सदस्य ने सबके सामने आकर प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि हमें धन दिया गया था।···(व्यवधान) अब यह मामला अदालत में है। क्या सी.बी.आई. जिस तरह से शिकायत करनेवाला अपना मामला दर्ज कराना चाहता है, उस तरह से दर्ज करने से इन्कार कर सकती है और उसका सारा रूप बदल सकती है? यहां बड़े-बड़े वकील बैठे हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी यहां बैठे हुए हैं। हर नागरिक को अपनी शिकायत, जिस रूप में वह चाहता है, दर्ज कराने का अधिकार है।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जो मामला अदालत में है, मैं उसको यहां उठाकर किसी व्यक्ति के अधिकारों पर अंकुश नहीं लगाना चाहता। मैं तो सरकार की आलोचना करने जा रहा था कि हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसे सी.बी.आई. को अमल में लाना चाहिए था और जो कंप्लेंट थी, उसे एफ.आई.आर. के रूप में दर्ज करना चाहिए था। लेकिन सी.बी.आई. ने कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लिक्विडिशन लेकर जाएंगे। जब मेरी सरकार चल रही थी तब यह मामला आया था। इस पर लॉ मिनिस्टर की राय ली गई थी। लॉ मिनिस्टर की राय थी कि सरकार के सी.बी.आई. को सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है और सी.बी.आई हाई कोर्ट के आदेश का पालन करे, एफ.आई.आर. ठीक तरह से दर्ज करे, जिससे आगे की कार्यवाही चल सके। आखिरी दिन था। मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं पूरी फाइल देख सकूं। मैंने अपने नोट में लॉ मिनिस्टर की राय का हवाला दिया और नई सरकार पर मामला छोड़ दिया। क्या नई सरकार के लिए जरूरी था कि वह सी.बी.आई. को सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाजत देती? हाई कोर्ट का निर्णय पर्याप्त होना चाहिए था। हाई कोर्ट ने सी.बी.आई. के खिलाफ स्ट्रक्चर पास किए। हाई कोर्ट का आरोप है कि सी.बी.आई. ने उसको अंधेरे में रखा। मेरे पास जजमेंट है। मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं। क्या जरूरत थी सुप्रीम कोर्ट में जाने की? और सुप्रीम कोर्ट में जाने का नतीजा क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की कॉपी है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और कहा कि हाई कोर्ट में वापस जाइए और सी.बी.आई. को वापस आना पड़ा है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, देवगौड़ा जी कह रहे हैं कि हमने फैसला नहीं किया। क्या यह महत्वपूर्ण मामला नहीं था? अगर इस फैसले के पीछे यह भावना देखी जाए जो आपको

राजनैतिक दृष्टि से समर्थन दे रहे हैं और जिनके बल पर आपकी सरकार टिकी हुई है, आप उनको बचाना चाहते हैं, आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं···(व्यवधान) मुझे इस सवाल का उत्तर दीजिए। ···(व्यवधान) अगर मैं उस दिन फैसला करता तो मुझे कहा जाता कि आज २८ तारीख को आपकी सरकार जा रही है। आपको अलविदा कहा जा रहा है। आपने ऐसा फैसला क्यों किया···(व्यवधान) अब मैं तो सरकार में नहीं हूं। अब मुझे जवाब चाहिए।

यूरिया घोटाला

अध्यक्ष महोदय, यूरिया के घोटाले में जो तथ्य सामने आए हैं वे तो चौंकनेवाले हैं। पांच साल हम घोटालों से जूझते रहे। एक के बाद एक घोटाले उजागर होते रहे। भ्रष्टाचार चुनाव में प्रमुख मुद्दा था। कांग्रेस पार्टी को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। मगर किसी ने कल्पना की थी कि जब चुनाव हो जाएंगे, नई सरकार बनेगी तो अब तक के घोटालों में सबसे बड़ा घोटाला यूरिया घोटाले के रूप में सामने आ जाएगा?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, उस दिन यह मामला उठाया गया था। कल जब विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई तो यूरिया घोटाला उठाया गया था। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि वह इस बारे में तथ्य इकट्ठे करेंगे, सदन के सामने रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि वह इस चर्चा में उन तथ्यों का उद्घाटन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जो जनमानस को आंदोलित कर रहे हैं। बोफ़ोर्स के घोटाले की बड़ी चर्चा हुई है और एक हवाला की भी बड़ी चर्चा हुई है। लेकिन दोनों घोटालों में जो धनराशि है, वह अगर जोड़ भी ली जाए, तो यह यूरिया घोटाला उन दोनों को भी मात कर देता है। उनसे भी पार चला जाता है। देश को यूरिया की जरूरत है। कल बरनाला साहब यूरिया की कमी की सदन में शिकायत कर रह थे। यूरिया की कमी है, इसलिए यूरिया मंगाया जाए। इस परिस्थिति का लाभ उठाकर यह घोटाला किया गया। इस घोटाले की सबसे बड़ी विशेषता है कि कोई मिडिलमैन नहीं है। स्विस बैंक में सीधे धन जमा किया गया है। सरकार की ओर से जमा किया गया है। पूरे का पूरा धन, पूरी की पूरी धनराशि गायब हो गई, अंतर्ध्यान हो गई।

अध्यक्ष महोदय, मैं जांच के लिए विवरण में जान-बूझकर जाना नहीं चाहता किंतु मैं पहलुओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरानी कहावत के अनुसार इस मामले में कोई कुत्ता नहीं भौंका है। अगर पहरा देनेवाला कुत्ता नहीं भोंके तो समझना चाहिए कि वह चोरों को जानता है और शामिल है। अधिकारियों को फरवरी में पता लग गया था कि टर्किश कंपनी यूरिया देने के वचन का पालन नहीं करेगी, फिर भी उन्होंने कार्यवाही नहीं की। वे मई मास का इंतजार करते रहे। तब तक सारा धन इधर-उधर हो चुका था। इस यूरिया के कांड में कुछ ऐसे भी मामले हैं, जिनकी सी.बी.आई. जांच नहीं कर सकती है। ये श्री रामकृष्णन कौन हैं? क्या ये प्रॉपर चैनल से आए? वे सर्वेसर्वा कैसे बन गए? उन्हें वहां किसने बैठाया? उनका गॉड फादर कौन है? वे जेल में पड़े हैं। उन्हें जेल में होना भी चाहिए। मगर जो इस घोटाले से गैर-सरकारी अधिकारी लोग जुड़े हुए हैं, जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये संजीवी राव कौन हैं? मैं नहीं जानता। लेकिन उनका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में कई घंटियां बजती हैं। मैंने उन लोगों की सूची निकाली जिन्हें आउट ऑफ टर्म पेट्रोल पंप दिए गए थे। उनका नाम इसमें है। गैस एजेंसी के आउट ऑफ टर्म अलाटमेंट में भी उनका नाम है। चीनी मिल का

लाइसेंस पानेवालों में भी उनका नाम है। आंध्र प्रदेश में आई.पी.एल. प्रोडेक्स के एकमेव एजेंट के रूप में भी वे जाने जाते हैं। उनको पूरी सोल एजेंसी दे दी गई। जो मैंने सुना है, जो मेरे पास तथ्य हैं, उनके आधार पर मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्रीकृष्णा इम्पैक्स की पृष्ठभूमि क्या है? उनका रिकार्ड क्या है? एन.एफ.एल. से उनका कितना पुराना रिश्ता है? ये कितनी बार अपने कांट्रैक्ट्स का उल्लंघन कर चुके हैं? यह भी जानना जरूरी है कि टर्किश फर्म का रिकार्ड क्या है? लंदन में बैठे हैं कोई पिंटो। ये कौन हैं? अमेरिका में रुइया ब्रदर्स की असलियत क्या है? इस मामले में सबसे ज्यादा धक्का देनेवाली बात यह है कि जिस तरह से पैसा दिया गया, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसकी अनुमति क्यों दी? ३८ मिलियन डॉलर का हस्तांतरण हुआ है, न कोई सिक्योरिटी, न कोई परफॉरमेंस गारंटी, न इंश्योरेंस। क्या यह देश के लोगों के खिलाफ खिलवाड़ नहीं है? १३३ करोड़ रुपए का यूरिया मंगाया जा रहा है और एक दाना यूरिया नहीं आया। पैसे कहां गए, पता नहीं। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था, अपराधी पकड़े जाएं। उनको सजा देना ही काफी नहीं है। यह १३३ करोड़ रुपए भारत के खजाने में वापस आना चाहिए और इसके लिए जितनी भी कड़ी कार्रवाई करनी हो, करनी चाहिए।

बड़े से बड़े व्यक्ति को इस मामले में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। सी.बी.आई. कह रही है कि अधिकारियों ने साजिश की। यह बात हो सकती है, लेकिन बैंक क्या कर रहा था? क्या इन सारे पहलुओं की सी.बी.आई. जांच कर सकती है? हमें इससे कुछ लेना-देना नहीं है कि किस योग्य पिता का योग्य पुत्र इस मामले में फंसा हुआ है। हमें तो धन वापस चाहिए। सभी लेन-देन बैंक के माध्यम से हुआ है और इसके निशान भी हैं।

यूनाइटेड फ्रंट का कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय, अगर एक के बाद एक घोटालों के प्रकाश में आने का सिलसिला चलेगा तो देश में राजनैतिक स्थिरता नहीं होगी। मैंने युनाइटेड फ्रंट का कार्यक्रम देखा। बहुत सी बातें हमारे कार्यक्रम की हैं या कार्यक्रम से मिलती-जुलती हैं। कुछ मुद्दों पर मतभेद भी हो सकता है। आप इकट्ठे आए हैं और कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया है···(व्यवधान) लेकिन देश को स्थायी सरकार भी चाहिए और देश को जवाबदेह सरकार भी चाहिए। अगर सरकार स्थायी है और भ्रष्ट है, अगर मेंबरों को खरीदकर सरकार बहुमत बनाती है या अन्य दलों को लालच देकर उनका समर्थन प्राप्त करती है तो संख्या से स्थायित्व नहीं होगा। उनके आधार पर लोकतंत्र कैसे चलेगा? यह प्रोग्राम जो आपने बनाया है, इसको अमल में कौन लाएगा? अमल में लाने का तंत्र कैसा है, वह तंत्र किस सीमा तक बिगड़ गया है?

आज सबेरे सत्ता पक्ष के सदस्य कह रहे थे और वह बहुत ठीक बात कह रहे थे कि राज्यों में जो बिजली बोर्ड हैं, उनकी हालत देखो। देश में बड़ा भारी बिजली का संकट आनेवाला है। देश के कई भागों में बिजली और पीने का पानी नहीं है। लेकिन बिजली बेची जा रही है।··· (व्यवधान) दिल्ली कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है। हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा है।···(व्यवधान) मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं, मैं देश के हित की बात कर रहा हूं। आज इसलिए मैंने सुरक्षा का सवाल उठाया है, जब कि इसे आज उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। पेट्रोल के माध्यम से हर साल ६ हजार करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है।

रेलवे का आधुनिकीकरण होना चाहिए। लेकिन धन कहां है? खेती में कैपीटल इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। जो भी धन है, वह सबसिडी में जा रहा है। यह जरूरी है, मगर खेती का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कैपीटल इन्वेस्ट नहीं होगा। क्या इन प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है?

राजा बनाम आचार्य

सेकुलरवाद पर बहस हो रही है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि सेकुलरवाद को हम राष्ट्रीय बहस का विषय बनाना चाहते थे और इसमें हम सफल भी हो गए।...(व्यवधान) पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव जी का भाषण मैंने बड़े ध्यान से सुना है। कभी उन्होंने मजाक में मुझे गुरु बनाया था। मैं मजाक में कह रहा हूं जो उस समय मैंने कहा था कि आज गुरु की जरूरत नहीं है, आज गुरुघंटाल की जरूरत है। जैसा मैंने पहले कहा है कि सेकुलरवाद इस देश की घुट्टी में है। इस देश में कभी थियोक्रैसी नहीं रही। जैसा पश्चिम में चर्च और राज्य के बीच में झगड़ा रहा है, वैसा यहां कभी नहीं रहा। यहां राजा शासन करता था और आचार्य ज्यादा से ज्यादा अनुशासन के बारे में उपदेश देता था। यहां कभी आचार्यों ने सत्ता हथियाने की कोशिश नहीं की है। यह देश बहुधर्मी देश है। अगर यहां इस्लाम न भी आया होता, ईसाइयत का प्रवेश न भी हुआ होता, तब भी यह देश सर्वधर्म समभाव की भावना को लेकर आगे बढ़ता। इस्लाम आया, बड़ी प्रसन्न्ता की बात है। हमारे सिख बंधु अपने पंथ पर चल रहे हैं। ईसाई ईसाइयत पर हैं। मजहब के आधार पर भेदभाव करो, किसी ने यह मांग नहीं की। पाकिस्तान बनने के बाद भी किसी ने यह मांग नहीं की कि भारत को एक थियोक्रैसी घोषित कर दिया जाए। पाकिस्तान में क्या स्थिति है, मैं बताना नहीं चाहता। बंगला देश में किस तरह की व्यवस्था चल रही है, हम उनकी नकल नहीं करना चाहते, लेकिन दुनिया हमें उपदेश न दे। इस बात को भी हम न भूलें कि अगर भारत सेकुलर है तो उसके पीछे भी एक क़ारण यह है कि भारत में ८२% हिंदू हैं। इसलिए हम इनफिलट्रेशन का सवाल उठाते हैं, बड़ी संख्या में आनेवालों पर आपत्ति करते हैं। वोट के लिए नहीं करते। वहां हमें अभी वोट मिले भी नहीं हैं। लेकिन क्या यह प्रश्न नहीं है, क्या इस प्रश्न की उपेक्षा कर दी जानी चाहिए? क्या इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जाना चाहिए?

सेकुलरवाद पर डिबेट हमारे कांग्रेस के मित्र भी चाहते हैं और श्री गाडगिल ने जो वक्तव्य दिया, वह सबके ध्यान में आना चाहिए। गाडगिल साहब ने जो कुछ कहा है, उसका निचोड़ यह है कि हम तो हिंदुओं से भी गए और मुसलमानों से भी गए। 'न खुदा ही मिला न विसाले-सनम, न इधर के रहे, न उधर के रहे।' दोष हमें दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दो स्कूलों के बीच फंस गए। कांग्रेस ने अपनी स्थिति ऐसी क्यों बनाई? सिलसिला शुरू हुआ शाहबानो प्रकरण से। मैं पुराने इतिहास में जाना नहीं चाहता। सेकुलरवाद पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सेकुलरवाद की भारतीय अवधारणा क्या है, ईंडियन कन्सेप्ट क्या है, इसके बारे में दिमाग साफ होना चाहिए। इस बारे में कोई नहीं कहता है।

मैंने जैसा कि पहले कहा कि आप भारत को मजहब राज्य घोषित कर दें या मुसलमानों को या गैर-हिंदुओं को सेकिंड क्लास सिटिजन बना दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। यह इस देश की मिट्टी में नहीं है, यह इस देश के वातावरण में नहीं है, संस्कृति में नहीं है, प्रकृति में नहीं है। अगर कोई इस प्रकृति को बदलने की कोशिश करेगा, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि शरद यादव जी यहां नहीं हैं, कट्टर हिंदू, उदार हिंदू, यह विवाद हमारे देश में बहुत पहले से चलता आ रहा है। मगर

हिंदू समाज कभी जड़ समाज नहीं रहा, गतिशील समाज रहा है। बुराइयां आई हैं, लेकिन बुराइयों से लड़ा है। यहां नए-नए समाज-सुधारक पैदा हुए। उन्होंने पुरानी कुरीतियों पर प्रहार किया। मंदिर के सामने खड़े होकर मंदिर को चुनौती दी, देवता को चुनौती दी। धीरे-धीरे समाज बदला। अगर पराधीनता का काल न आता और बाद में अंग्रेज अपनी 'राज करो और बांटो' की नीति पर नहीं चलते तो आज देश की तस्वीर कोई दूसरी होती, होनी चाहिए। जो दलित हैं, पीड़ित हैं वे किसी भी वर्ग के हों, मैं समझ सकता हूं।

धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग

अब मांग हो रही है कि मजहब के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। यह संविधान के निर्माताओं ने नहीं सोचा था। रिजर्वेशन केवल दलितों को दिया गया। मैंने संविधानसभा की सारी बहस पढ़ी है। हमारे सिख बंधुओं के संबंध में एक अपवाद किया गया था। उस समय के हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने कहा था कि यह अपवाद जरूरी है, क्योंकि पंजाब बंट गया है और सिख अपने स्थान से वंचित हो गए हैं। उन्होंने किसी के बारे में कभी यह कल्पना नहीं की थी कि मजहब बदलने के बाद भी रिजर्वेशन होना चाहिए।

अगर आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन करना है तो फिर सबके लिए कर दीजिए। फिर उसमें सवर्ण भी आना चाहिए। गरीब ब्राह्मण ने क्या बिगाड़ा है। लेकिन हम गरीब ब्राह्मण की बात नहीं करते हैं।

कर्नाटक में एक ब्राह्मण सम्मेलन हुआ था। मुझे कर्नाटक के एक विशेष नेता ने निमंत्रण दिया कि हम कर्नाटक में ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, आप आइए। मैंने कहा, मैं ब्राह्मण हूं आपको कैसे याद आया, मैं तो आज तक ब्राह्मण सम्मेलन में नहीं गया। मैंने उनसे कहा कि मैं हिंदू सम्मेलन में जाता हूं तो मेरी आलोचना होती है और आप ब्राह्मण सम्मेलन तक पहुंच गए। और अगर ब्राह्मण सम्मेलन में जाना शुरू कर दूंगा तो कल कान्यकुब्ज ब्राह्मण सम्मेलन में जाना पड़ेगा और फिर कान्यकुब्ज कितने बीघा के हैं, बिस्वा के हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा।

गाडगिल साहब ने एक बात और कही है। जहां सेकुलरिज्म पर चर्चा होनी चाहिए, वहां कास्टिज्म पर भी चर्चा होनी चाहिए। जातिवाद को जगाया जा रहा है। एक तरफ जाति प्रथा को खत्म करने की बात हो रही है। जातिविहीन समाज बनाएंगे, इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। और आज हम सब ऐसे हो रहे हैं कि जाति और भी स्थिर बने, जिससे जाति एक राजनैतिक तत्व में परिणत हो जाए। अगर मजहब के नाम पर लोगों की भावनाएं भड़काना गलत है और मैं मानता हूं कि गलत है तो जाति के नाम पर नहीं है? लेकिन जो जाति के आधार पर खड़े हैं, उनके साथ आपका गठबंधन है। कांग्रेस को उन्हें समर्थन देने में आपत्ति नहीं है। खाली भारतीय जनता पार्टी से विरोध है। भारतीय जनता पार्टी लोगों की सेवा करते हुए आगे बढ़ रही है। देश में दो बड़ी पार्टियां होंगी, होनी चाहिए। क्षेत्रीय दलों का अलग स्थान रहेगा। क्षेत्रीय दल केंद्र की सरकार में आ गए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। वे दिल्ली से सारे देश को देखें और अपने प्रदेश की समस्याएं अखिल भारतीय परिप्रेक्ष्य में हल करने का प्रयास करें। दिल्ली कई बार प्रदेशों की उपेक्षा कर देती है। दिल्ली से दूर तो दिल से दूर—यह स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब तो संचार के साधन हो गए हैं। मगर पूर्वोत्तर राज्यों में जाने के लिए जितनी हवाई सेवाएं होनी चाहिए, हमने नहीं दी हैं। वहां पहुंचने में कितना समय लगता है। क्या यह राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक चीज नहीं

है? मुस्लिम भाइयों की शिक्षा और बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया जाए। हमने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की, नहीं तो सब पर लागू हो जाती।

युनिवर्सल सिविल कोड

सभापति महोदय, यहां युनिवर्सल सिविल कोड के नाम पर बहुत गलत ढंग से पेश करने की कोशिश की जा रही है। नरसिंह राव ने रस्मों का उल्लेख किया, परिपाटियों का उल्लेख किया है। वहां शादियां ऐसे होती हैं, वहां उत्तराधिकार ऐसे होता है, ऐसे देशों में कई-कई प्रथाएं प्रचलित हैं, कई रस्में प्रचलित हैं। लेकिन अगर सबका एक विवाह, तलाक और उत्तराधिकार का कानून बन जाए, यह संविधान निर्माताओं की मंशा थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी राय दी है। थोपने का सवाल नहीं है। यदि सब राजनीतिक दल कहने लगें कि हां, इस तरह के कानून की आवश्यकता है तो वातावरण बनेगा। आप तो उसका विरोध करते हैं। आखिर महिलाओं को समान अधिकार होने चाहिए। अगर यह मांग होती है तो इस पर आपत्ति क्या है? हिंदू कानून किसी पर थोपने का इरादा नहीं है। मुझे मुस्लिम पर्सनल लॉ की एक बात पसंद है। शादी से पहले लड़की से सार्वजनिक रूप से पूछा जाता है कि तुम शादी के लिए हां कहती हो या न कहती हो। हिंदुओं में ऐसा नहीं है। कन्या गाय की तरह है। गाय की रस्सी जिसके हाथ में दे दी जाती है, उसी तरह कन्या भी उसके साथ चली जाएगी।

सुश्री ममता बनर्जी : उसको रुपया भी नहीं देना पड़ता है।

श्री वाजपेयी : अब समय बदल रहा है। अब ८२% लोग बदल रहे हैं तो बाकी के लोग भी बदलें और उनके बदलने की मांग करना, इसमें आपत्तिजनक क्या है?

सुश्री ममता बनर्जी : उनको डॉवरी नहीं चाहिए।

श्री वाजपेयी : डॉवरी तो बंद होनी चाहिए। आपने कानून तो बनाया मगर वातावरण नहीं बनाया, और थोड़े समय में ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की भूख जाग रही है, और कुछ मात्रा में नए आर्थिक सुधारों के कारण जो अनलिमिटेड कन्ज्यूमरिज्म पैदा हो रहा है, वह भी डॉवरी को बढ़ाने का एक कारण है। क्या नेता इसमें आदर्श नहीं रखेंगे? क्या भ्रष्टाचार चलेगा? क्या घोटाले चलेंगे? तो जो परिवर्तन आप देश में लाना चाहते हैं, अभी तो सत्ता का चेहरा बदला है मगर सत्ता का चरित्र बदलना चाहिए, इस बात की बहुत आवश्यकता है। मगर ऊपर अगर प्रामाणिकता है, ऊपर अगर ईमानदारी है, कोई दाग नहीं है तो यह भावना नीचे तक पहुंचेगी और फिर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करेगा। आज तो सब पैसा बनाने में लगे हैं, लूटने में लगे हैं। ये घोटाले दबाने से काम नहीं चलेगा। यह कहने से भी काम नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचार की तुलना में और मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हैं। हम और अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों को देखें, मगर भ्रष्टाचार अगर चलता रहा और घोटाले अगर उद्घाटित होते रहे और मीडिया में छाए रहे तो और किसी मामले में लोग सुनेंगे नहीं, राजनेताओं को कटघरे में खड़ा करेंगे और राजनेताओं पर अविश्वास बढ़ता जाएगा।

सचमुच में देश एक संकट में से निकल रहा है और इस संकट में से अगर रास्ता निकालना है तो एक आम सहमति के बिना रास्ता नहीं निकलेगा। मैं तो प्रधानमंत्री के इस आश्वासन का स्वागत करता हूं कि भ्रष्टाचार के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा, लेकिन केवल घोषणा काफी नहीं है, व्यवहार चाहिए, आचरण चाहिए। कभी-कभी मैं ताज्जुब करता हूं कि आदमी

को कितना धन चाहिए! 'सब ठाठ पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा।' कुछ बचनेवाला नहीं है। लेकिन इस तरह से धन के पीछे लोग पड़े हैं और सत्ता का भी लोभ इसलिए है कि सत्ता की प्राप्ति से धन प्राप्त करना सरल हो जाता है। लेकिन इकानामिकल रिफार्म्स आए हैं, लिबरलाइजेशन है तो उसके साथ प्रामाणिकता चाहिए। पब्लिक सेक्टर के शेयर बेचने में भी अगर धांधली हो और अगर प्राइवेटाइजशेन में कारखाने सस्ते दाम पर अपने मित्रों को दे दिए जाएं, कौड़ी के मोल बेच दिए जाएं, मैं लखनऊ से आता हूं, मैं उदाहरण जानता हूं। प्राइवेटाइजेशन का भी यही उपयोग? लिबरलाइजेशन का भी यही उपयोग?

उद्योगपतियों का रुख

उद्योगपतियों को भी समझना चाहिए कि उन्हें देश के साथ न्याय करना है। केवल मुनाफा कमाना उनका लक्ष्य नहीं हो सकता। उनको एक ट्रस्टी के रूप में बर्ताव करना चाहिए। विदेशों में धन ले जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। वह समझ रहे हैं कि छूट हो गई और कौन कितना लिबरल है। जब हम सत्ता में आए थे तो हमारी भी प्रशंसा कर रहे थे, आज आपकी ज्यादा कर रहे हैं और जब दोनों नहीं थे तो जो थे उनकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। देश में परिश्रम का पुरस्कार होना चाहिए, देश में प्रतियोगिता होनी चाहिए, कम से कम नियंत्रण होना चाहिए, कम से कम प्रतिबंध होना चाहिए। हम प्रारंभ से इसकी बात करते रहे हैं।

हमने किसी संकट के कारण नए आर्थिक सुधारों का समर्थन नहीं किया, स्वागत नहीं किया। हम कोटा-परमिट राज के पहले से खिलाफ हैं, लेकिन अभी लिबरलाइजेशन स्टेट्स में नहीं पहुंचा है। अधिकारी अभी भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मंत्रियों में भी ज्यादा से ज्यादा फैसले करें, ऐसा विचार है। आपने अच्छा फैसला किया है कि डिस्क्रिशनरी कोटा खत्म कर दिया जाए। दिल्ली में मकानों के अलाटमेंट में घोटाला हुआ। मकान बने थे सरकारी कर्मचारियों के लिए और मिलने चाहिए थे सरकारी कर्मचारियों को। आपने तो अबॉलिश कर दिया। मगर जिन्होंने करोड़ों कमाए उनका क्या होगा? करोड़ों कमाए गए, यह जगजाहिर था, सारी दुनिया जानती थी। यह स्थिति बदलनी चाहिए। यह गठबंधन, यह स्थिति बदल सकेगा, मुझे संदेह है। एक तो आपके पास शक्ति नहीं है और दूसरे जिनका आपने समर्थन लिया है और जिनके भरोसे आप टिके हैं, पता नहीं वे कब आपको संजीवनी देना बंद कर दें, पता नहीं कब आपको अधर में छोड़ दें।

नरसिंह राव जी ने आज जो भाषण दिया है वह बड़ा अर्थपूर्ण है। पहला हिस्सा हमारे लिए था, दूसरा आपके लिए है। याद रखिए। लेकिन उन्हें भी कांग्रेस की पराजय से शिक्षा लेनी चाहिए। एक महान संगठन, स्वतंत्रता के लिए जूझनेवाला संगठन, जिसके साथ संबंध रखने में नौजवान के रूप में भी हम लोग गर्व का अनुभव करते थे, आज किस स्थिति में पहुंच गया है, क्या यह विचार-मंथन की चीज नहीं है, क्या यह गहराई से सोचने का मुद्दा नहीं है? लेकिन मैं नहीं समझता कि आज गहराई से सोचने का वातावरण है। सत्ता की दौड़ लगी है और इसलिए हमने फैसला किया है कि हम इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे और यह देखेंगे कि सरकार किस तरह से चलती है। जब सरकार बनी थी तब भी मैंने कहा था कि जो काम अच्छे होंगे उनमें हम साथ देंगे। हम केवल विरोध के लिए विरोध नहीं करेंगे। आपको हमारे समर्थन की जरूरत नहीं है। हम तो सेकुलर विरोधी हैं! हमारा समर्थन लेकर आप क्या करेंगे।

सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

अविश्वास प्रस्ताव

विश्वास का संकट क्यों पैदा हुआ?

अध्यक्ष महोदय, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

वर्तमान सरकार २१ जून, १९९१ को बनी थी। दो वर्ष से अधिक का समय बीत गया, जब सरकार बनी तब बहुमत में नहीं थी, आज भी बहुमत में नहीं है। लेकिन सदन में बहुमत दिखाने में सफल हुई है। सरकार चल रही है, अगर कांग्रेस के मित्र चाहें तो इसे एक बड़ी उपलब्धि मान सकते हैं।

जब सरकार का गठन हुआ तो देश बारहमासी, छहमासी सरकारों से तंग था। उसे स्थिरता की तलाश थी। आर्थिक संकट के कारण जो मुख्य रूप से पुरानी कांग्रेस सरकारों की देन थी, लोग राहत चाहते थे। लोगों को आशाएं थीं कि नरसिंह राव जी वयोवृद्ध नेता हैं, ज्ञानवृद्ध नेता हैं, अनुभववृद्ध नेता हैं, उनके नेतृत्व में गठित सरकार, क्योंकि पार्टी श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद अपने को नेतृत्वहीन अनुभव करती थी, देश को सही रास्ते पर लाएगी। लोग समझते थे कि परिवारवाद समाप्त हो रहा है। अब राजनीति एक नई करवट लेगी। लोगों को सरकार से आशाएं थीं। इस आशावाद में लोग यह भी भूल गए कि प्रधानमंत्री पहले भी सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। इस बात को भी विस्मृत कर दिया गया कि जब दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद निर्दोष व्यक्तियों का कत्लेआम हुआ था तो गृह मंत्रालय की बागडोर श्री नरसिंह राव के हाथ में थी। लोग सेंट किट्स का मामला भी भूल गए।

प्रधानमंत्री ने सारे देश को आम सहमति के आधार पर चलाने की बात कही। अर्थ संकट से निकलने के लिए प्रयास किए गए। लेकिन यह स्थिति ज्यादा दिन नहीं चली।

तिरुपति में जब लोगों ने देखा, और मैं नहीं जानता कि तिरुपति में अधिवेशन करना राजनीति को धर्म से जोड़ने का प्रयास था या नहीं, लेकिन तिरुपति में जब लोगों ने देखा कि सरकार के पूर्व विदेश मंत्री जो बोफोर्स के मामले में एक प्रेमपत्र ले जा रहे थे और भूल गए थे कि वह पत्र किसने दिया है, लेकिन जिसको देना है, उसको देना नहीं भूले; वह विदेश मंत्री नहीं रहे। मगर तिरुपति के अधिवेशन में विदेश नीति पर प्रस्ताव पास करके उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। लोगों

** राव सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में लोकसभा में २७ जुलाई, १९९३ को भाषण।*

का माथा ठनका।

अध्यक्ष महोदय, कल कांग्रेस के मित्रों ने आर्थिक सुधारों की चर्चा की थी। आर्थिक सुधारों के कारण स्थिति में जो थोड़ा सुधार हुआ है, उसका उन्होंने उल्लेख किया है मगर जो काला पक्ष है, अंधेरा पक्ष है उसकी चर्चा नहीं की है। विदेशी कर्ज बढ़ रहा है। मैं आंकड़े देकर अपने भाषण को गरिष्ठ नहीं बनाना चाहता हूं। लेकिन आंकड़े स्पष्ट हैं कि देश कर्ज में डूबा हुआ है। स्थिति यह है कि कर्ज का ब्याज अदा करने के लिए हमें ऋण लेना पड़ेगा। यह बात कही जाती है कि विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है, इसमें सच्चाई है। लेकिन आर्थिक स्थिति में जो गिरावट आई है, उसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। कर्जा बढ़ा है, आयात बढ़ा है, निर्यात निराशाजनक है। कस्टम ड्यूटी कम कर दी गई है, एक्साइज ड्यूटी कम नहीं हुई है। स्वदेशी उद्योग-धंधे संकट में हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य दिया है कि अगर बाहर का खाद हमें सस्ता मिलता है तो हम देश में बननेवाली खाद क्यों खरीदेंगे? तो क्या देश के भीतर कारखानों को बंद हो जाने देंगे?

प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव : साथ-साथ मैंने कहा कि देश के जो कारखाने हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको इकानामिकल बनाने के लिए अलग से हमारा प्रयास चलता रहा है और चलते रहेंगे।

श्री वाजपेयी : अगर कोई कारखाना घाटे में है तो उसे बंद करने का रास्ता अंतिम होना चाहिए। अगर उसमें सुधार किया जा सकता है, उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, लागत कम की जा सकती है, तो क्या इसका प्रयत्न नहीं होना चाहिए? यह कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं, मजदूर सड़कों पर जा रहे हैं।

वित्त मंत्री ने १६ दिसंबर, १९९१ को इसी सदन में कहा था कि नई आर्थिक नीति से न तो बेरोजगारी बढ़ेगी और न कारखाने बंद होंगे। यह आशावाद पूरा नहीं हुआ है। मैं उद्योग संबंधी संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट देख रहा था। सरकार ने वालिंटियर रिटायरमेंट पर काफी धनराशि खर्च की है। इस पर शायद ७०० करोड़ रुपया खर्च करने का इरादा है। लेकिन वैकल्पिक रोजगार कहां है? मजदूरों को फिर से ट्रेनिंग देकर किसी उपयोगी धंधे में लगाया जाए, इस मामले में सरकार विफल रही है।

अध्यक्ष महोदय, देश में जो उद्योग का आधार है वह दृढ़ नहीं हुआ है, पनबिजली के उत्पादन में कमी हुई है, क्रूड आयल के उत्पादन में कमी हुई है, उर्वरक के उत्पादन में कमी हुई है। क्रूड का उत्पादन घट रहा है, पेट्रोल का आयात बढ़ रहा है। २२ हजार करोड़ रुपए हम प्रतिवर्ष पेट्रोल के लिए विदेशी मुद्रा के रूप में खर्च कर रहे हैं। अब अगर पनबिजली के उत्पादन में कमी है, क्रूड आयल का उत्पादन घट रहा है, उर्वरक का उत्पादन घट रहा है तो वित्त मंत्री किस सुनहले आर्थिक चित्र की रचना करना चाहते हैं, यह समझना मुश्किल है।

अध्यक्ष महोदय, डंकल प्रस्तावों की देश में बड़ी चर्चा है। परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए जा रहे हैं। खाद्य मंत्री, कृषि मंत्री यहां नहीं हैं। वाणिज्यमंत्री तो संसद से ही विदा हो गए। उन्हें किस मुश्किल में डाल दिया गया। सचमुच में वे मेरे पुराने साथी हैं, सहानुभूति होती है। क्या उन्हें कहीं से लाने का प्रबंध नहीं किया जा सकता था? मगर किसी को मझधार में छोड़ना है तो छोड़ दो। अपनी एकाकी नैया पार लगनी चाहिए। लेकिन मैं डंकल प्रस्तावों की बात कर रहा था। जाखड़ साहब का बयान अलग है, पुराने वाणिज्यमंत्री का बयान अलग है। दोनों परस्पर विरोधी वक्तव्य

दे रहे हैं, प्रधानमंत्री तो कुछ बोलते ही नहीं।

श्री मृत्युंजय नायक (फुलबनी) : इसके बाद बोलेंगे।

श्री वाजपेयी : हां, कल तो बोलना पड़ेगा। कल तो प्रधानमंत्री को अपना मौन तोड़ना पड़ेगा। लेकिन यह नीति संबंधी सवाल है। क्या आर्थिक सुधारों पर एक आम सहमति का विकास नहीं किया जा सकता था? क्या इसके लिए प्रयत्न किया गया? मैं नहीं समझता कि हमारी बायीं ओर बैठनेवाले मित्र देश की आर्थिक प्रगति नहीं चाहते या आर्थिक संकट से देश को उबारना नहीं चाहते, लेकिन अगर परिकल्पनाओं में अंतर है तो उस पर चर्चा हो सकती थी।

अध्यक्ष महोदय, हमने इस आशा से नई अर्थ नीति का स्वागत किया था कि उसमें अनावश्यक नियंत्रण हटेंगे, देर लगानेवाली दीवारें ढहेंगी, पुरुषार्थ को खुलकर खेलने का मौका मिलेगा, हम बदले हुए विश्व की चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। लेकिन हुआ क्या? प्रतिभूति घोटाला! शायद वित्त मंत्री को याद होगा, बजट पर बोलते हुए मैंने कहा था और चेतावनी दी थी। उस समय जब शेयरों के भाव उछल रहे थे तो सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक आत्मप्रशंसा में आत्मविभोर होकर गदगदायमान मुद्रा में शेयरों की ऊंची छलांग को उनींदी आंखों से देख रहे थे। उसे आर्थिक सुधार की सफलता कहा जा रहा था। उस समय मैंने चेतावनी दी थी कि देश का पुरुषार्थ अगर पिंजड़े से बाहर आ जाए, अगर टाइगर केस के बाहर आ जाए तो उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि वह टाइगर कहीं मैन-ईटर में न बदल जाए और वही हो गया। वह मैन-ईटर एक के बाद एक शिकार करता जा रहा है।

पांच हजार करोड़ का प्रतिभूति घोटाला

अध्यक्ष महोदय, यह जो पांच हजार करोड़ रुपए के प्रतिभूति प्रवंचन का मामला है, इस समय वह एक संसदीय समिति के पास है। इसलिए मैं उसमें विस्तार में जाना नहीं चाहता, बल्कि मैं उस संसदीय समिति के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं। अभी तक वे अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन कर रहे हैं। पुरानी सरकारों के जमाने में, केवल संसद का ही अवमूल्यन नहीं हुआ बल्कि संसदीय समितियों की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न लग गया था। मेरे मित्र शंकरानंद जी यहां विराजमान हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी मौजूद है। प्रतिपक्ष उसमें शामिल नहीं हुआ, वह हमने गलती की, लेकिन मामले पर पूरी लीपापोती कर दी गई। अब बोफोर्स के मामले में जो रहस्योद्घाटन हो रहे हैं, उनके प्रकाश में उस संसदीय समिति की रिपोर्ट कहां ठहरती है।

वर्तमान संसदीय समिति से हम आशा करते हैं कि भले ही उसमें अलग-अलग दलों के सदस्य हों लेकिन संसदीय समिति की जो परंपराएं हैं, उसमें सदस्य दलबंदी से ऊपर उठकर काम करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करने का प्रयास करते हैं। मैं आशा करता हूं कि वह परंपरा अब भी कायम रहेगी और संसदीय समिति मामले की सतह तक नहीं, मामले की गहराई तक पहुंचेगी।

अध्यक्ष महोदय, यह अविश्वास प्रस्ताव देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित नहीं है। मैंने पहले भी आर्थिक स्थिति की चर्चा की थी। आज जो प्रश्न जनमानस को उद्वेलित कर रहा है, वह उच्च पदस्थ लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार का मामला है।

दुनिया के अन्य देशों में आज क्या हो रहा है? मुझे याद है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार

कहा था कि 'करप्शन इज ए ग्लोबल फिनोमिनन'। शायद वे देश को बचाना चाहती थीं, बाहर के हमलों से कि भारत में करप्शन ज्यादा है। उन्होंने कहा कि यहां भी है और सब जगह है। लेकिन आज उस ग्लोबल फिनोमिनन के खिलाफ एक ग्लोबल चैलेंज दिया जा रहा है। जापान में, इटली में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, मैक्सिको में सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करने का एक अभियान चल रहा है। इटली में दो उद्योगपतियों ने आत्महत्या कर ली। सैकड़ों जेल में बंद हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में अनेकों कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। जापान में ४५ साल से राज करनेवाली पार्टी चुनाव में हार गई। उस पार्टी ने जापान को युद्ध में पराजय के बाद फिर से खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाही थी। लेकिन वहां भ्रष्ट राजनेताओं, बेईमान उद्योगपतियों और माफिया के सरगनाओं में अपवित्र गठबंधन हो गया था। सालों साल देश को शोषित करने की प्रक्रिया चलती रही, आखिर में लोग खड़े हो गए और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में बगावत हो गई।

ब्रिटेन में एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। फ्रांस और जर्मनी के उदाहरण भी हैं। यह कहकर काम नहीं चलेगा कि भ्रष्टाचार की बात मत करो या भ्रष्टाचार को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा रहा है या उससे राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। स्कैम में कौन दोषी है? और स्कैम के साथ जो जुड़े हुए मामले आ रहे हैं, जिन पर शायद संसदीय समिति भी पूरी तरह से विचार नहीं कर सकेगी, ये ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग आरोपों के घेरे में क्यों आ रहे हैं? देश में यह वातावरण कैसे बन गया है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाए और कितने भी बड़े व्यक्ति के खिलाफ कह दे, तो उसकी बात पर विश्वास करनेवाले ज्यादा हो गए हैं। विश्वसनीयता पर यह आंच क्यों आई? यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य का दिन है कि देश को यह नाजुक निर्णय करने की घड़ी देखनी पड़ रही है कि हमारे प्रधानमंत्री सही बात कह रहे हैं या एक सट्टेबाज सही बात कह रहा है? मैं कहना चाहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री पर विश्वास करता हूं, लेकिन केवल मेरा विश्वास पर्याप्त नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों का विचार क्या है। यह विश्वसनीयता इतनी कम कैसे हो गई? लेकिन कम हो गई और इसका कारण यह है कि पिछले दो साल में एक नहीं, अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने लोगों के मन में अविश्वास का निर्माण किया है। आज देश में विश्वास का संकट है। यह विश्वास का संकट क्यों पैदा हुआ? यह बात कहते हुए मेरे हृदय में पीड़ा होती है। लेकिन आज इन बातों पर चुप नहीं रहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है—३० साल पहले का वह जमाना जब श्री जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे। उन दिनों श्री केशव देव मालवीय केंद्र में खान और ईंधन के मंत्री थे। उनका सिराजुद्दीन एंड कंपनी से कुछ लेनदेन था। सिराजुद्दीन एंड कंपनी के घर और दफ्तर की तलाशी ली गई थी। आरोप था कि वह आयकर और सीमा शुल्क की चोरी कर रहे हैं। तलाशी में उनके यहां से जो कागज-पत्र मिले, उनमें कुछ केंद्रीय मंत्रियों को दिए गए धन का उल्लेख था। कलकत्ता के एक दैनिक पत्र ने ६ फरवरी को यह समाचार प्रकाशित किया। संसद में सवाल हुए, प्रधानमंत्री ने जांच का आश्वासन दिया। श्री मालवीय ने कांग्रेस संसदीय दल की कार्यकारिणी में यह स्वीकार किया कि उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के लिए एक विधानसभा के उम्मीदवार को १० हजार रुपए देने के लिए सिराजुद्दीन से सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री ने एटार्नी जनरल की राय ली, सुप्रीम कोर्ट के एक जज श्री दास को नियुक्त किया। मालवीय जी को शिकायत रही कि दास की रिपोर्ट मुझे दिखाई नहीं जा रही है। मुझे अपने वकील को लेकर जज के सामने नहीं जाने दिया जा रहा है। नेहरू जी ने कहा—इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने संतोष के लिए जांच करवा रहा हूं। और

रिपोर्ट आई, मालवीय जी को जाना पड़ा। यह ३० साल पहले की बात है। १० हजार रुपए की रकम और मंत्री जी का त्यागपत्र और अब ३० साल बाद, यहां तो करोड़ों-अरबों रुपयों का मामला है, त्यागपत्र कोई देता नहीं।

प्रधानमंत्री से कोई त्यागपत्र मांगता नहीं। यह काम हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों से त्यागपत्र नहीं मांगते और प्रधानमंत्री से उनका दल त्यागपत्र नहीं मांगता। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है।

लेकिन हम कहां से कहां पहुंच गए हैं? अध्यक्ष महोदय, १० हजार की रकम। मगर नेहरू जी ने समझौता नहीं किया। आज हम में से कितने हृदय पर हाथ रखकर यह कह सकते हैं कि राजनीतिक जीवन में अशुद्धता नहीं बढ़ रही है। राजनैतिक नेताओं का और अपराधियों का गठबंधन हो गया है। उस गठबंधन का पता लगाने के लिए श्री राजेश पायलट की अध्यक्षता में कोई समिति गठित हुई है, ऐसा समाचार छपा है। अभी तक जो गठबंधन साबित हुए हैं, उनके आधार पर क्या कोई कार्यवाही की गई?

हर्षद मेहता प्रकरण में चुप्पी

हर्षद मेहता ने आरोप लगा दिया। उस आरोप का खंडन करने में इतना समय क्यों लिया गया? अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री उस समय कहां थे। अलग-अलग बयान दिए जा रहे हैं, अलग-अलग तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं। इससे संदेह बढ़ा है। यह नहीं होना चाहिए था। दूसरे दिन यह बात दो-टूक रूप में कही जानी चाहिए थी कि हर्षद मेहता प्रधानमंत्री से नहीं मिला, रुपए लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह नहीं कहा गया। पहले चुप्पी धारण की गई। शायद सोचा गया कि मामला तूल नहीं पकड़ेगा। भ्रष्टाचार के मामले देश में तूल पकड़ जाते हैं, यह हमें समझना होगा। यह ठीक है कि भ्रष्टाचार व्यवस्था का अंग बन गया है, जीवन का एक ढर्रा कायम हो गया है। लेकिन इस देश में जब कभी परिवर्तन हुए हैं और दो बार परिवर्तन हो चुके हैं, अब देश तीसरे परिवर्तन के लिए तैयार है, उसमें भ्रष्टाचार एक मुख्य मुद्दा रहा है। गुजरात में नवनिर्माण का आंदोलन, सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करने का जयप्रकाश का आह्वान परिवर्तन का कारण बना था। यह ठीक है कि वह परिवर्तन अल्पकालिक रहा। लेकिन लोग परिवर्तन चाहते हैं। १९८९ में भी फिर बोफोर्स का मुद्दा मुख्य मुद्दा बना। आज फिर भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्रीय एजेंडे में सबसे शीर्ष स्थान पर आ गया है। आप कहेंगे इसका आम आदमी से क्या संबंध है? आम आदमी से संबंध है। आम आदमी की भावना से बड़ा गहरा संबंध है। उसे दिन-प्रतिदिन के काम में रिश्वत का सामना करना पड़ता है। बिना पैसा दिए काम नहीं होता है। जहां राष्ट्रपति राज है उन प्रदेशों में आज थोक में तबादले किए जा रहे हैं और लोग धन कमा रहे हैं, ऐसी शिकायतें हैं। तबादला एक उद्योग बन गया है। उत्तर प्रदेश में रिश्वत को रिश्वत नहीं कहते, सुविधा-शुल्क कहते हैं। और जब आदमी इससे पीड़ित होता है, यह ठीक है कि वह समझौता करता है, उसे काम निकालना है। झगड़ा करके काम भी खटाई में डाले, वह इतनी परेशानी मोल नहीं ले सकता। मगर चीज उसको चुभती है। वह दफ्तर में जाता है, वह थाने में जाता है, वह कचहरी में जाता है, वह अदालत में जाता है। यह सर्वग्रासी, सर्वव्यापी उसे छूता है। इसलिए जब ऊपर भ्रष्टाचार की चर्चा होती है या भांडा फोड़ा जाता है तो चाहे वह हल चलानेवाले किसान हों या मुरादाबाद में बर्तन बनानेवाले कारीगर या लखनऊ के मेरे चुनाव क्षेत्र में चिकन का काम करनेवाली गरीब

महिलाएं हों, वह जब सुनते हैं कि भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ा जा रहा है और किसी राजनेता को कठघरे में खड़ा करने की तैयारी हो रही है तो उनके मुरझाए हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। यह बात अलग है कि वह मुस्कान बार-बार आंसुओं में बदल जाती है।

क्या भ्रष्टाचार के सवाल पर गहराई से विचार नहीं होना चाहिए? छोड़ दें हम हर्षद मेहता के मामले को। मैं यह कहना चाहूंगा कि हर्षद मेहता के आरोपों को बल नहीं मिलता, अगर प्रधानमंत्री के दो सहयोगी, पता नहीं वे किस तरह के सहयोगी हैं, वे सार्वजनिक रूप से यह मांग न करते कि हर्षद मेहता को राजनीतिक संरक्षण दे दिया जाना चाहिए। मैं नहीं जानता शरद पवार ने किन परिस्थितियों में यह मांग की। कहते हैं उन पर आरोप लगनेवाला था, बचाव में यह मुद्रा अपनाई। श्री अर्जुन सिंह पेरिस गए थे और वहां से आते-आते वक्तव्य तैयार, संरक्षण प्रदान करो। अब अगर प्रधानमंत्री के सहयोगी कह रहे हैं कि उस सट्टेबाज को संरक्षण मिलना चाहिए तो आम आदमी क्या सोचेगा? क्या उन मंत्रियों से प्रधानमंत्री ने पूछा? कैसी पार्टी है, कैसा मंत्रिमंडल है? यह परस्पर विरोधी बातें संदेहों को पुष्ट करती हैं। इससे पहले भी आरोप लगे और भ्रष्टाचार हुए। जोड-तोड़ कर कायम किया गया बहुमत, देश के साथ न्याय नहीं कर सकता।

गैर-जरूरी इंजनों का सौदा क्यों?

सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव खरीदे जा रहे हैं। एक संसदीय समिति कहती है कि खरीदने की आवश्यकता नहीं है; भेल से काम चल सकता है, चितरंजन लोकोमोटिव से काम चल सकता है। संसदीय समिति के अध्यक्ष कांग्रेस के सदस्य हैं और उसमें कांग्रेस का बहुमत है। रिपोर्ट सर्वसम्मत है और उसके उद्धरण मेरे पास हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फाइनांस कमिश्नर ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। दो पुराने चेयरमैनों की बात नहीं सुनी गई। जो इंजन हमें नहीं चाहिए, उनका सौदा कर लिया गया। मैं नहीं जानता कि क्या इसमें हेरा-फेरी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन जब संसदीय समिति की सर्वसम्मत रिपोर्ट इस तरह से अस्वीकार कर दी जाती है तो आज के वातावरण में यह संदेह होना स्वाभाविक है कि इसमें कुछ गोलमाल है। वातावरण इतना कैसे बिगड़ गया? आज राजनेताओं की विश्वसनीयता का हाल यह कैसे हुआ? मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं। हम कहां पहुंच गए हैं, हम कहां जा रहे हैं? इसके लिए तो हम राजनीति में नहीं आए।

आजादी के लिए जिन्होंने जीवन और जवानी जेलों में बिताई, वे आज कटघरे में खड़े हैं। यह दुर्दिन भी देखना था, मगर यह दुर्दिन आ गया है। इसलिए आज साहस के साथ फैसला करना होगा। आज दो-टूक फैसला करना होगा। यह भ्रष्टाचार का अध्याय बंद होना चाहिए और उसके लिए कई कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी। मगर माफ कीजिए, यह सरकार नहीं उठाएगी।

कांग्रेस सरकार चुनाव-पद्धति में सुधार करने के लिए कोई अर्थपूर्ण कदम नहीं उठा सकी। बरसों से चुनाव-पद्धति में सुधार का प्रश्न लोगों के सामने है। १९७७ में भी यह बात कही गई। क्या काले धन के बिना चुनाव लड़ा जा सकता है? काला धन कहां से आता है? हम सब जानते हैं कि वह कहां से आता है। जो हमें काला धन देकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार करते हैं, वे चुनाव के बाद उस काले धन के बदले में हमसे अनुग्रह चाहते हैं; लोकतंत्र कलंकित हो रहा है, आम आदमी की आस्था डिग रही है, नेताओं पर उंगलियां उठ रही हैं। क्या हम चुनाव-पद्धति बदल नहीं सकते? क्या इनको गंभीरता से नहीं ले सकते? दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक

सलेक्ट कमेटी का निर्माण हुआ था। कहां हैं उनकी सिफारिशें। सत्ता पक्ष की उसमें रुचि नहीं है। उसे ईमानदारी से पैसा इकट्ठा करके, चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। चुनाव का खर्चा बढ़ता जा रहा है।

धवल राजनीति काले धन से संभव नहीं

अध्यक्ष महोदय, मैंने १९५७ में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था और मेरे पास दो जीपें थीं। एक मैं लखनऊ से ले गया था, पार्टी ने एक मुझे दी थी और एक बलरामपुरवालों ने। पैसा इकट्ठा करके जीप मुझे नहीं दी थी, जीप में पेट्रोल डालकर चलाने-भर के लिए प्रबंध किया था। अब दो जीपों से क्या कोई लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है? कानून ने सीमा लगाई है। क्या यह मजाक नहीं है? क्या गलत हिसाब नहीं दिया जाता? क्या हम अपने संसदीय जीवन का आरंभ उससे नहीं करते? क्या वह चीज खलती नहीं है? क्या वह हमारी आत्मा को कचोटती नहीं है? जब बड़ा भ्रष्टाचार का मामला हो जाएगा, तभी हम जागेंगे और थोड़ी देर जागने के बाद फिर सो जाएंगे? यह नासूर बन रहा है। इसको रोकना चाहिए। काले धन से लड़ा हुआ चुनाव धवल राजनीति का सृजन नहीं कर सकता।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस के मित्र यह समझते हैं कि मैं ऐसी बात कर रहा हूं जिस पर टोका-टाकी जरूरी है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।...(व्यवधान) हां, यही मैं कह रहा हूं। यह मैंने पहले ही कहा है। मैं भी इसी व्यवस्था का अंग हूं। लेकिन हम सब मिलकर व्यवस्था को क्यों न बदलें? और व्यवस्था को बदलने के लिए सबसे पहले इस सरकार को क्यों न बदलें? आखिर इस सरकार को दो साल हो गए, इस दिशा में तो कोई कदम नहीं उठाया गया है। एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं। अभी मैं इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव की चर्चा कर रहा था। कहीं गोल्ड स्टार है। कहीं न कहीं परिवारवाला जुड़ा हुआ है। यह मामला क्या है? बड़ी कठिन कसौटी है। इस पर आज नए ढंग से विचार करने की आवश्यकता है।

भारतीय जनता पार्टी ने बंगलोर के अधिवेशन में एक फैसला किया है कि हम चुनाव के लिए धन चैक के रूप में लेंगे।...(व्यवधान) अब मेरे मित्र इंद्रजीत गुप्त क्या कह रहे हैं? क्या पहले नहीं लेते थे? वह इसका उत्तर भी जानते हैं। इस प्रतिक्रिया की आशा मैं नहीं करता हूं। यह सबके फैसले का विषय है। क्यों नहीं अब नया आरंभ किया जा सकता। जब जागे तभी सबेरा। हम तय करें। पार्टी का खर्चा उम्मीदवार के खर्चे में नहीं जोड़ा जाता। पार्टी अनाप-शनाप खर्चा कर सकती है।

यह धन कहां से आता है? यह सार्वजनिक जीवन को भ्रष्ट कर रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गलत रास्ते पर डाल रहा है। यह रोका जाना चाहिए। इसका आरंभ हो सकता है। क्या सचमुच में आरंभ करने की इच्छा शक्ति है? क्या हम कोई नया अध्याय जोड़ सकते हैं? या राजनीति इसी तरह से सत्ता के पीछे जोड़-तोड़ से चलेगी?

इसको बदलने की आवश्यकता है। आज सार्वजनिक जीवन की शुद्धता का सवाल फिर से हमारे सामने बड़ी गंभीरता के साथ खड़ा हुआ है। इसका कोई हल निकाला जाए। लेकिन हल कैसे निकले, कौन निकालेगा?

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि देश में राजनीतिक स्थिरता जरूरी है। उस स्थिरता के लिए यह भी जरूरी है कि जो कुछ चल रहा है, चलने दो। स्थिरता जरूरी है। लेकिन आज

देश ऐसे मोड़ पर खड़ा हो गया है, जहां स्थिरता को बिना आंच पहुंचाए मूलगामी परिवर्तन हाथ में लिए जा सकते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था एक विकास के मार्ग पर खड़ी है। उसे अपने पैरों पर खड़े करने का एक साहसिक प्रयत्न होना चाहिए।

पंजाब में आतंकवाद खून की होली खेलता रहा। मगर पंजाब के बहादुर किसानों ने हल को नीचे नहीं रखा, परिश्रम करने में कोई कोताही नहीं की। राष्ट्रपति शासन रहा, फौजें बुलाई गईं, मगर पंजाब की जनता अपने-अपने काम में जुटी रही। आतंकवाद से भी लड़ती रही और देश के अन्न-भंडार को भी भरती रही। मुझसे कई विदेशियों ने पूछा—पंजाब आपके अन्न का भंडार है, पंजाब में आतंकवाद चल रहा है और आप कानून भी पास नहीं कर पा रहे हैं, क्या होगा? हमने कहा--आतंकवाद भी काबू में आएगा और पंजाब का किसान हल भी नहीं रखेगा। हल के सामने बंदूक को परास्त होना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : समस्या किसने हल की? कांग्रेस ने।

श्री वाजपेयी : मैं इस सवाल की आशा करता था।

श्री मदनलाल खुराना : पैदा किसने की?

पंजाब बनाम काश्मीर

श्री वाजपेयी : आप अगर यह कह रहे हैं कि समस्या हल किसने की, तो हमारे खुराना जी ठीक कह रहे हैं कि समस्या पैदा किसने की···(व्यवधान) पैदा करने के बाद वह ऋषि की मुद्रा में छोड़कर चले गए। इसमें हम न जाएं। पंजाब की जनता को बधाई देनी होगी। मैं पंजाब के सिखों को बधाई देना चाहता हूं, जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहे, डटे रहे। आप अगर यह कहें कि सरकार ने स्थिति सुधारी तो काश्मीर में खुराना जी ठीक कह रहे हैं कि समस्या किसने पैदा की।···(व्यवधान) वे कह रहे हैं कि हमको इसी तरह से भ्रष्टाचार करने दो, हम कश्मीर में भी स्थिति सुधार देंगे।

अध्यक्ष महोदय, काश्मीर की जो स्थिति बिगड़ी है, उसमें भी सार्वजनिक जीवन की अशुद्धता का बड़ा हाथ है। जम्मू-काश्मीर के विकास के लिए ७२ हजार करोड़ रुपए केंद्र से गए हैं। गरीब की स्थिति नहीं सुधरी है। लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई हैं। वह पैसा हजम कर लिया गया है। कश्मीर का जो नौजवान बिगड़ा है, उसमें यह भी एक कारण है। यह भ्रष्टाचार विघटन को जन्म देता है। यह भ्रष्टाचार सारे जीवन को अपवित्र करता है। यह भ्रष्टाचार आर्थिक नीतियों के रास्ते में भी रुकावट है। इसलिए नियंत्रण, रेगुलेशंस जितने कम हों, उतना अच्छा है। हमारे बायीं ओर के मित्र इस बात को समझें, अगर कोटा-परमिट राज चलेगा, तो आदमी का शोषण होगा। यह ठीक है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में राज्य का दायित्व है। इस संबंध में हम सरकार की नीति से सहमत नहीं हैं। यह देश विकासशील है, यहां ३०% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। यहां ऐसी सरकार चाहिए जो उनकी चिंता करे। उनको सहानुभूति से देखे, जो उनके साथ संवेदना रखे। यह देश करुणा के लिए प्रसिद्ध रहा है। मगर आज करुणा की धारा सूख रही है। लेकिन वह एक अलग पहलू है, मैं उसमें विस्तार में जाना नहीं चाहता। लोग दुखी हैं, इसलिए भ्रष्टाचार का मामला उठता है। इसका निराकरण होना चाहिए, दोषी को दंड दिया जाना चाहिए। यह नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास केंद्र के एक राज्य मंत्री का इंटरव्यू है। वह राज्य मंत्री इस सरकार

में शामिल हैं। उनका इंटरव्यू दूरदर्शन के प्रोग्राम के लिए लिया गया। दूरदर्शन में एक प्रीतीश नंदी शो होता है, उस शो के लिए राज्य मंत्री महोदय का इंटरव्यू लिया गया। उसका कैसेट है और उसकी अक्षरशः रिपोर्ट है। जस्टिस रामास्वामी के प्रकरण के बाद यह इंटरव्यू लिया गया। आप शायद इशारे से समझ गए होंगे कि वह राज्य मंत्री कौन हैं। उनसे सवाल पूछा गया था—

"क्या आप महसूस नहीं करते कि उच्च सदस्यों में भ्रष्टाचार पर आपकी पार्टी की स्थिति और नैतिकता पर यह बिना सोचे-समझे बोला गया है?"

श्री भारद्वाज की स्वीकारोक्तियां

उत्तर कुछ बड़ा है, मैं पूरा पढ़ना नहीं चाहता। उसका एक अंश मैं उद्धृत कर रहा हूं। श्री भारद्वाज जी कह रहे हैं –

"घोटाले के मामले में क्या? आपके कितने मंत्री उसमें हैं? मैं कितने ही लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो कृष्णमूर्ति के साथ घूमा करते थे, और झूठी अकड़ दिखाया करते थे। चतुर्वेदी और यह हर्षद मेहता प्रत्येक के बेडरूम में हुआ करते थे। भाग्य से, मैं योजना मंत्री था। नहीं तो वह मेरे घर भी आते। उन्होंने लोगों को, राजनैतिक लोगों को काफी धन दिया।"

अध्यक्ष महोदय : आप एक सूची दे सकते हैं। आप इसे उद्धृत नहीं कर सकते।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : मैं तो भारद्वाज जी को उनकी स्पष्टवादिता के लिए बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का अंदर का स्वास्थ्य कैसा है, इसका पता लगता है। मंत्रिमंडल बंटा हुआ है, पार्टी विभाजित है, एक-दूसरे के विरुद्ध तलवार ताने हुए लोग—यह कैसे देश को एक नई दिशा दे सकते हैं? अगर देश को पुनर्निर्माण के लिए प्रेरित किया जाना है तो प्रेरणादायक नेतृत्व चाहिए। निष्कलंक, निस्वार्थ नेतृत्व चाहिए। प्रखर किंतु उदार राष्ट्रवाद पर आधारित नीतियां, सबको साथ लेकर चलने की तैयारी, जो प्रारंभ में प्रधानमंत्री ने बताई थी। श्री राजीव गांधी के साथ भी यही ट्रैजिडी थी। उनका बंबई का भाषण अलग था और बाद में उनके द्वारा किए गए काम अलग थे। मैं नहीं जानता यह कौन सा अभिशाप है, लेकिन मैं आपको भारद्वाज जी के पास फिर से वापस ले जाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। ऐसा नहीं कर सकते।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : नहीं अध्यक्ष महोदय, यह बहुत आवश्यक है। मैं इसको आथेंटिकेट करके रखने को तैयार हूं। अच्छा थोड़ा सा बता देता हूं :

"प्रश्न : आपकी पार्टी में भी लॉबी है, जिनके अर्जुन सिंह जैसे केस, शरद पवार जैसे केस के निर्णय लेने के रास्ते में अपने निहित स्वार्थ हैं?

उत्तर : अर्जुन सिंह आज मेरे निश्चित शत्रु हैं। मैं उनकी मुकदमेबाजी में लिप्त नहीं हूं। वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। वह शिवशंकर, फोतेदार और भजनलाल के मित्र हैं। यह बहुत धनवान लोगों का बड़ा गुट है। वे देख चुके हैं कि मैं केवल एक राज्य मंत्री ही रह गया, पहले मुझे वे किनारे पर रखने में सफल हो गए, क्योंकि मानते थे, यदि वह वहां रहा तो वह इसकी अनुमति नहीं देगा। मैं उन्हें कभी सफल होने नहीं देता, कभी नहीं। मैंने राजीव गांधी से कहा कि भजनलाल आपकी मां को गाली दे रहा था, जबकि मैं उनका बचाव कर रहा था। १९८८ में अपने सारे मंत्रिमंडल को लाकर वह संजय गांधी की नजर में कुछ आगे बढ़ गया। खुले आम मंत्रिमंडल में, और वर्तमान प्रधानमंत्री के सामने उसने मुझे डांटा। 'आप क्या कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों

बोलते हैं?' मैंने कहा हम सीढ़ी को ही धोखा दे रहे हैं। बूटा सिंह एक अकाली था और शिवशंकर वास्तव में जेल में था। मैंने दिल्ली में उन्हें आश्रय दिया, लेकिन ये सभी आज मेरे शत्रु हैं, जिनकी मैंने मदद की। क्योंकि उनके द्वारा इकट्ठे किए धन में मैं सम्मिलित नहीं हुआ, इतना अधिक धन कि आप कल्पना नहीं कर सकते।"

अध्यक्ष महोदय, लोग क्या कहते हैं।

श्री नितीश कुमार : भारद्वाज जी का लाइ डिक्टेटर से टेस्ट करवा दीजिए।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : राजनीतिक विरोधी क्या कहते हैं, बात यहीं तक सीमित नहीं है। बात इससे भी आगे बढ़ी हुई है। पानी नाक तक पहुंच गया है। हम एक बड़ी विषम परिस्थिति में, विषम चक्र में फंसे हुए हैं। इसमें से देश को निकालना बहुत जरूरी है। इसके बारे में विचार होना चाहिए। आने-जानेवाली सरकारें यदि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं, अगर नेता अपनी चिंता करें, केवल अपने परिवार की चिंता करें तो इस देश का क्या होगा?

मैं जानता हूं कि मैंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कठोर हैं। आमतौर पर मैं ऐसी बातें कहने का आदी नहीं हूं। लेकिन आज मेरे सब्र का प्याला भी लबालब भर गया है। ३० साल मैंने इस संसद में गुजारे हैं। मैंने एक के बाद दूसरे प्रधानमंत्री देखे हैं, कभी मेरा दृष्टिकोण विघटनात्मक नहीं रहा। कभी मैंने विरोध के लिए विरोध नहीं किया। लेकिन आज मुझे सच बात कहनी पड़ रही है। अगर मेरी बातों से किसी को चोट लगी हो, क्षमा चाहता हूं। लेकिन हम कोई ऐसा काम न करें कि आनेवाली पीढ़ी हमें क्षमा न करे। इसकी चिंता करके हम चलें, यही मेरा अनुरोध है।

सात सदस्यों की अस्मिता

अध्यक्ष महोदय, अविश्वास के प्रस्ताव पर मतदान के समय जो स्थिति हुई थी, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। सरकार विश्वास प्राप्त करने में सफल हो गई, जहां तक संख्या का सवाल था। लेकिन उस समय जो विवाद खड़ा हुआ, मेरी भी यह धारणा है, सारे सदन का यह विचार है, सदन के बाहर भी लोग यही सोचते हैं कि जिन सात सदस्यों की अस्मिता की समस्या आपके सामने है, उस पर आपको निर्णय करना है।

एक वोट विवाद का विषय बना हुआ है। हम लोगों ने स्वीकार किया है कि आपने निर्णय घोषित कर दिया है, जहां तक उसके मतदान के परिणामों का सवाल है, लेकिन वह मामला पूरी तरह तय नहीं हुआ था। इसलिए हम समझते थे और आपने सबको निमंत्रण दिया था कि आएं, अपनी बात कहें, अपने पक्ष को प्रस्तुत करें, लेकिन यहां पक्ष को प्रस्तुत करने का तो अवसर ही नहीं आया, वह पक्ष ही उड़ गया और उड़ा नहीं उसको उड़ाया गया।

अध्यक्ष जी, सारे मामले में आप लपेटे जा रहे हैं, यह मेरे लिए बहुत दुख का विषय है, क्योंकि अगर विवाद आपके सामने था और यह धारणा बनी, अब आप कहें कि धारणा गलत थी तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं स्वीकार कर लूंगा। लेकिन उस दिन जो चर्चा हुई, उसमें यह धारणा बनी कि आप इस मामले पर गौर कर रहे हैं...

अध्यक्ष महोदय : आप जैसे सीनियर मेंबर कोई बात बोलते हैं तो उसका देश-भर में परिणाम होता है। अगर किसी ने मुझे यहां पर कहा कि उन्होंने नहीं दिया है तो वह कागज ऑफिस में आया है, मेरे पास आया नहीं है। अगर कागज ऑफिस में आया है तो उसकी भी बात मैं सुनूंगा जिसके खिलाफ वह लिखा गया है। अब अगर वह है ही नहीं तो ये सारे मुद्दे सामने नहीं हैं और मैं ऑफिस में बैठकर क्या कर रहा हूं, उसकी अगर यहां चर्चा शुरू हो गई तो मुश्किल हो जाता है।

श्री अजित सिंह : उस कागज का सवाल नहीं है, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : मुंडा जी ने अपना मत दिया, नहीं दिया, यह बात जो है, मैं मुंडा जी से

** अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के समय सात सदस्यों की अस्मिता के बारे में विवाद पर लोकसभा में ३ अगस्त, १९९३ को नेता प्रतिपक्ष के रूप में टिप्पणी।*

भी पूछूंगा न।

श्री वाजपेयी : तो आपके विचाराधीन मामला हुआ न?

अध्यक्ष महोदय : अजित सिंह जी का लेटर अभी मेरे पास पहुंचा नहीं है।

श्री वाजपेयी : नहीं, सरकारी पार्टी यह कह रही है कि यद्यपि फैसला नहीं हुआ लेकिन वह औपचारिकता है, उसको पूरा कर लिया जाएगा।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन क्या बोल रहा है, उसका सवाल नहीं है।···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : महोदय, कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य बैठे हैं और श्री शुक्ला जी बड़ी सफाई दे रहे थे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। आप अविश्वास प्रस्ताव पर जीत गए। आपकी सरकार टिकी हुई है। यह जो तोड़-फोड़ आपने की थी, उसको अपने साथ जोड़ने की इसी समय क्या जरूरत थी?···(व्यवधान)

यादव जी यहां बैठे हुए हैं, उनका खुले दिल से स्वागत किया गया है, जैसे कोई बहुत बड़ा तीर कांग्रेस पार्टी ने मार दिया है। सचमुच में यह एक बहुत बड़ी लज्जा की बात है। अध्यक्ष महोदय, इसमें आप आ गए··(व्यवधान) यह सारे विवाद का एक ऐसा पहलू है, जो हमको बहुत पीड़ा पहुंचाता है।

राम का मंदिर विश्वास से बनेगा

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त करता है।"

अध्यक्ष महोदय, मेरा अविश्वास प्रस्ताव एक पंक्ति का प्रस्ताव है। मैंने उसमें कोई कारण नहीं बताए हैं। मैं जानता हूं कारण देना जरूरी नहीं है।

अध्यक्ष जी, संसदीय लोकतंत्र में प्रतिपक्ष अविश्वास का प्रस्ताव लाता रहता है। जब श्री नरसिंह राव जी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला था तो राष्ट्रपति के आदेश से वे विश्वास का प्रस्ताव लेकर यहां आए थे और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय भी उस विश्वास के प्रस्ताव के खिलाफ मत दिया था। आज विरोधी दलों के जो सदस्य बैठे हुए हैं, वे उस समय सदन से उठकर चले गए थे। किसी को संकट में डालने के लिए यह अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाया गया है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, कौन कहां खड़ा है, कौन कहां बैठा है, यह तस्वीर साफ होनी चाहिए। यह अविश्वास का प्रस्ताव कोई कर्मकांड नहीं है। पिछले कुछ दिनों में देश में ऐसी घटनाएं हुई हैं, ६ दिसंबर के बाद, ६ दिसंबर को और ६ दिसंबर के पहले, जिनके कारण हमारा देश एक बार फिर अपनी तकदीर के तिराहे पर आकर खड़ा हो गया है। ६ दिसंबर को अयोध्या में जो कुछ हुआ, उससे हम दुखी हैं।...(व्यवधान) उसके लिए हम खेद प्रकट कर चुके हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अगर बीच में टोका-टाकी होगी तो यह बहस ठीक तरह से नहीं चलेगी, क्योंकि बाद में इनको भी बोलना है।...(व्यवधान) अगर वहां से टोका-टोकी होगी तो इधर से रोका-राकी होगी।

अध्यक्ष महोदय, अभी जब मैं सदन में आ रहा था तो मैंने एक गुंबद के ऊपर यह लिखा देखा कि "वह सभा नहीं, जिसमें कोई वृद्ध न हो, वह वृद्ध नहीं जो धर्म का आचरण न करे और वह धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो और वह सत्य नहीं जो छल की ओर ले जाए।" आज सदन में मैं जो कुछ बोलूंगा, सच बोलूंगा और सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा।

** राव सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करते हुए १७ दिसंबर, १९९२ को लोकसभा में भाषण।*

मैं चाहता हूं कि आज यहां खुलकर बहस हो। अगर बहस में से ऐसा निकले कि हम दोष के भागीदार हैं, कितनी सीमा तक भागीदार हैं तो हम दोष मानने के लिए तैयार होंगे और तैयार हैं। हमने प्रधानमंत्री जी को वचन दिया था, मैं उनकी पीड़ा समझता हूं, अर्जुन सिंह जी नहीं समझेंगे। हमने प्रधानमंत्री को जो वचन दिया था, उस वचन का पालन करने का वहां पूरा प्रयत्न हुआ, मगर उस वचन का पालन नहीं किया जा सका। भारतीय जनता पार्टी, आर.एस.एस. और विश्व हिंदू परिषद के चोटी के नेता वहां कारसेवकों को रोकने की कोशिश करते रहे। वीडियो टेप्स इसके साक्षी हैं, उस समय अनेक पत्रकार वहां उपस्थित थे⋯(व्यवधान) पिटनेवाले पत्रकारों से, जो पिटे, उनसे हमने माफी मांगी है। पत्रकार पिटे हैं, उनके कैमरे तोड़े गए, क्योंकि कुछ कारसेवक यह नहीं चाहते थे कि वे जो कुछ कर रहे हैं, उसका रिकार्ड हो। अगर रिकार्ड हो ⋯(व्यवधान)

श्री चंद्रशेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, क्या इसी तरह से यह सदन चलेगा? क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का उनके लोगों पर कोई असर नहीं है, या वे सी.पी.एम. के लोग हों, जो कुछ हो, जब अटल जी बोल रहे हैं और सदन को फिर से चलाने के लिए अध्यक्ष महोदय, आपने निरंतर प्रयास किया, एक सहमति के आधार पर, इस संसदीय परंपरा को जीता रखने के लिए कोशिश हो रही है।⋯(व्यवधान)

श्री शरद यादव : आप लोग, मतलब यह है, क्या चाहते हैं, कौन मना नहीं कर रहा है। ⋯(व्यवधान) अरे, आप बड़े महापुरुष हैं।

श्री चंद्रशेखर : मैं ऐसे लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, अध्यक्ष जी, मैं आपसे बात कर रहा हूं।

श्री शरद यादव : अरे आप तो महान पुरुष हैं। आपको मैंने देखा है, कोई तारतम्य होता है, नियम होता है, लेकिन आपने जब देखा, तब खड़े होकर बीच में बोलना शुरू कर दिया।

श्री चंद्रशेखर : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की त्यौरियों से मेरे ऊपर तो कोई असर होनेवाला नहीं है। मैं एक सदस्य के नाते अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं। दूसरों की धारणा दूसरी है। उनका आचरण दूसरा है। मैं उनको नहीं कहता कि वे मेरे तरीके को अपनाएं। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर इस संसद को चलने देना है, तो कितनी भी अप्रिय बात हो उसको सुनने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। कुछ दूसरे लोग ऐसे हैं जो बिना संसद के भी देश को चला सकते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं चंद्रशेखर जी के ख्यालों से पूरी तरह से सहमत हूं और मैं सब लोगों से अपनी तरफ से विनती करता हूं कि आप जब कोई सदस्य यहां बोल रहे हों, तो कोई रुकावट पैदा न करें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यही तरीका है, जिस तरीके से हमारी संसद काम कर सकती है। बोलनेवालों को रोककर या हाउस को बंद करके काम नहीं कर सकते हैं और कृपया जो लोग इसमें मदद दे रहे हैं, उनके काम में रुकावट मत लाइए, मेरी फिर से आपसे अपील है।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने आदरणीय मित्र श्री चंद्रशेखर का आभारी हूं। उन्होंने अपने गुरु की सहायता का प्रयत्न किया है।

श्री चंद्रशेखर : ज्यादा कर नहीं पाऊंगा।

श्री वाजपेयी : वक्त ऐसा है कि गुरु शिष्य की सहायता करे, इसके बजाय अब शिष्य को

गुरु की सहायता के लिए आना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अगर चर्चा गंभीरता के वातावरण में होती है और यहां तथ्यों का अन्वेषण होता है, बंधी-बंधाई धारणाओं से नहीं, तो सर्वोत्तम होगा। अभी अयोध्या में क्या हुआ, इसकी सी.बी.आई. की जांच हो रही है। जांच के परिणाम अभी प्रकट नहीं हुए हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार के पास जो भी तथ्य हैं, उन्हें सरकार सदन के सामने रखे। हमारे पास जो तथ्य हैं, वे हम सदन में रख रहे हैं। मैं तो यहां तक, एक कदम आगे जाकर कारसेवकों से कहने के लिए तैयार हूं, जो छोटी संख्या में कारसेवक थे, क्योंकि कारसेवक वहां बड़ी संख्या में उपस्थित थे और उन्होंने इस तरह के काम में हिस्सा नहीं लिया, इस तरह के काम में हिस्सा लेनेवाले जो लोग थे, उन्हें स्वयं सामने आकर कहना चाहिए कि हमने तोड़ा और हम उसका दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। हम अपनी भूमिका की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।

मंदिर छल-छद्म से नहीं बनेगा

राम का मंदिर छल और छद्म से नहीं बनेगा। राम का मंदिर अगर बनेगा, तो एक नैतिक विश्वास के बल पर बनेगा। अगर ढांचा तोड़ने का इरादा होता, तो ढांचा तोड़ने के लिए वहां इतने कारसेवक इकट्ठे करने की जरूरत नहीं थी। अयोध्या में हर तीन महीने में मेले होते हैं। अगर छुपकर काम करना था, अगर चोरी से काम करना था, अगर योजना बनाकर तोड़ना था, तो इसके लिए कारसेवा की जरूरत नहीं थी। इसीलिए जो हुआ, हमको दुख है।

मैंने इस सदन में एक वायदा किया था, ५ दिसंबर को लखनऊ में भाषण करते हुए मैंने उस वायदे को दोहराया था। श्री कल्याण सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथपत्र दिया था। आडवाणी जी अपने दौरे में लगातार उस बात को कह रहे थे, विवादित ढांचे को क्षति नहीं पहुंचने दी जाएगी, यह हमारा भाषण था। इसलिए इस भाषण के साथ यह आशा भी थी, यह विश्वास भी था कि ६ दिसंबर से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण का जो मामला पड़ा है, उसका फैसला आ जाएगा।

हमने केंद्र सरकार से कहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार से कहा था, फैसला कैसा हो, यह तो हम नहीं कह सकते, मगर फैसला जल्दी हो, कब तक मुकदमा लटका रहेगा। केंद्र सरकार ने हमारे साथ मिलकर, उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर, अदालत में यह कहने से इन्कार कर दिया कि फैसला जल्दी होना चाहिए। जब कहा, बहुत देर हो गई। चह्वाण साहब ने उस दिन कहा, जब बहस हो रही थी। फैसला ११ तारीख तक के लिए टाल दिया गया। ६ तारीख से कारसेवा का आयोजन था, जो इकट्ठे हुए थे वे सोचते थे कि हमें कुछ काम करने का अवसर मिल जाएगा, नहीं मिला। फिर भी परिस्थिति पर काबू करने की कोशिश इस आशा से की गई कि ११ तक के फैसले के लिए रुका जाए। नेतृत्व की पूरी कोशिश रही। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरकार्यवाह वहां खड़े होकर कह रहे थे और अपनी भाषा में कह रहे थे, दक्षिण की भाषाओं में कह रहे थे कि अगर कोई स्वयंसेवक है, उसे ढांचे की तरफ नहीं जाना चाहिए। उसे तोड़ने में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। यह किसी को भ्रम में डालने की बात नहीं थी।

जो पत्रकार वहां गए, उन्होंने मुझे बताया कि जब वह ढांचा टूटा तो आडवाणी जी की शक्ल किस तरह की थी। वे आंसुओं से भरे हुए थे। इसीलिए उन्होंने त्यागपत्र भेज दिया कि जो कुछ हुआ है, उसका मुझे बहुत दुख है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया।

अब आप कहें कि यह सब नाटक था तो इससे देश में न तो शुद्ध राजनीति होती है और न सही सेकुलरवाद को बढ़ावा मिलता है।

मैं चाहता हूं सारे तथ्य लाए जाएं। हम तो सत्य को जानना चाहते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी संकट की बात है, बड़ी चुनौती है। हमारा संगठन अनुशासित संगठन समझा जाता था, उसकी यह छवि थी, जिसकी यह कीर्ति थी कि जो तय कर लेते हैं वैसा ही करते हैं। उस छवि को लेकर आज तो हमारे लिए भी कठिनाई पैदा हो गई है।

वह कौन ग्रुप है, वह कहां से आया है, किसने संगठित किया है, हम जानना चाहते हैं। मैं फिर इसको दोहराता हूं कि जिन कारसेवकों ने वहां ढांचा तोड़ने में हिस्सा लिया, वे सामने आएं और अपना जितना भी योगदान है, कहें, योगदान कर रहे हैं, उसमें उन्होंने जितना भी हिस्सा लिया है, उसको प्रकट करें। सजा मिलती है तो सजा भोगें। राम का मंदिर बिना त्याग के नहीं बनेगा, कम से कम इस तरह से नहीं बन सकेगा।

वहां ढांचा ही नहीं, मंदिर भी ढहा

लेकिन इस समस्या के और भी पहलू हैं। वहां केवल ढांचा नहीं तोड़ा गया, वहां एक मंदिर भी था। मस्जिद में नमाज नहीं होती थी। मस्जिद में प्रवेश बंद था। मगर मंदिर में पूजा होती थी, कोर्ट के आदेश से। अब कोई सदस्य कह सकता है कि वहां पहले मस्जिद थी, वहां मूर्तियां रखी गई। यह बात सही है। वहां मूर्तियां रखी गईं और मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि क्या मूर्तियां इस विश्वास के कारण वहां नहीं रखी गईं कि वह राम का जन्मस्थान है और वहां राम की मूर्ति होनी चाहिए? तब तो भारतीय जनसंघ नहीं था, विश्व हिंदू परिषद नहीं बनी थी, बजरंग दल का नामोनिशान नहीं था। मगर उस क्षेत्र के लोगों के दिल में एक भावना थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं, मुझे अफसोस है कि इस सवाल पर बहुसंख्यक समाज की भावनाएं कितनी गहरी हैं, कितनी तीव्र हैं, यह अभी भी नहीं समझा जा रहा है। मैं भी नहीं समझा था। आडवाणी जी जब रथ पर गए तो मेरी रिजर्वेशन थी। मैं अपने मन की बात कहता रहता हूं तो कुछ समाचारपत्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने दो चेहरे लगा रखे हैं। कभी वह नर्म चेहरा दिखाती है, कभी वह गर्म चेहरा दिखाती है।

अध्यक्ष महोदय, माफ करना, मैं मार्ग से भटक जाता हूं। मैंने कहा था इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जो जनसमर्थन मिला और फिर विरोधियों ने जो गलतियां कीं, उस समय के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह ने जिस तरह से इस आंदोलन से निपटने का फैसला किया, जिस तरह से सांप्रदायिकता जगाई गई, यह भी कह दिया गया कि एक वर्ग को अवैध हथियार रखने का अधिकार है···(व्यवधान)

श्री छोटे सिंह यादव (कन्नौज) : जो आदमी सदन में नहीं है उसका नाम लेकर यह कहा जा रहा है कि वह सांप्रदायिकता के लिए जिम्मेदार है, जबकि वही एक आदमी है जिन्होंने देश की रक्षा की। लेकिन ये लोगों को गुमराह करते हैं।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, सदन में तो आडवाणी जी भी नहीं हैं।···(व्यवधान)

इस चर्चा में अगर मुलायम सिंह का नाम लेने से हमारे मित्र को कष्ट होता है तो मैं कह सकता हूं कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो नाम से मुलायम मगर करनी से बड़े कठोर

थे।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आखिर स्थिति क्यों बिगड़ी? बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। मैं केंद्र सरकार का संकट भी समझता हूं और यह संकट कल्याण सिंह सरकार के सामने भी था। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएं और कुछ गलत काम कर बैठें तो उस भीड़ को कैसे काबू में लाया जाए···(व्यवधान) राजेश पायलट जी ने उस दिन ठीक बात कही थी कि आप इतने लोग इकट्ठे कर रहे हो, यह काबू से निकल जाएगा। मगर हमको ऐसा नहीं लगता था···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सबने कहा था।

श्री वाजपेयी : सबने नहीं कहा और आपके कहने-न-कहने का कोई अर्थ भी नहीं है।

केंद्र की भी तो कुछ जिम्मेदारी थी

अध्यक्ष महोदय, हमें भरोसा था। इसलिए हम कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी के भरोसे को ठेस पहुंची है तो हमें भी ठेस पहुंची है। कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया, आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया, मगर केंद्र सरकार की तरफ से कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अर्जुन सिंह जी ने कहा कि मैंने पहले चेतावनी दी थी। अगर आपने पहले चेतावनी दी थी तो आप मंत्रिमंडल छोड़कर अलग क्यों नहीं हो गए? क्योंकि आप समझते थे कि प्रधानमंत्री जी जिस राह पर चल रहे हैं, वह ठीक है। इसलिए एन.आई.सी. ने, सबकी तरफ से प्रधानमंत्री जी को अधिकार दे दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया, अपने हिसाब से किया, सोच-समझकर किया। मैं उस दिन शाम को उनसे मिला था और मैं यह कहने के लिए तैयार हूं, यद्यपि मेरे दल के सभी सदस्य इससे सहमत नहीं हैं और प्रधानमंत्री जी जिम्मेदारी से बच भी नहीं सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बात की पूरी कोशिश की कि वहां उस दिन गड़बड़ न होने पाए, कारसेवा हो जाए व ढांचा सुरक्षित रहे।

कारसेवा के लिए जो लोग गए थे, वे निर्माण के लिए आए थे, कारसेवा करना चाहते थे लेकिन उन्हें जब लगा कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया है और सरयू से बालू लेकर आओ, गड्ढे में डालो और फिर पानी लेकर आओ, बालू पर डालो, इससे वे बिगड़े। एक बार वह ऐसी कसरत कर चुके थे। मुझे लगता है कि उनमें एक ग्रुप ऐसा तैयार हो गया जिसने कहा, अब हम यह नहीं करेंगे और उन्होंने ढांचे पर धावा बोल दिया, ढांचा तोड़ दिया। यह बुरा हुआ।

लेकिन इसकी जो देश में प्रतिक्रिया हुई है और विदेश में जो प्रतिक्रिया हुई है, वह जरूरत से ज्यादा है। इसके लिए हमारा जो दृष्टिकोण है, इन समस्याओं की ओर देखने का और हमारी सरकार का जो रवैया है, वह भी कम मात्रा में दोषी नहीं है। हमने दुनिया को यह नहीं बताया कि यह विवादित ढांचा है। हम यही बात करते रहे कि वहां मस्जिद है। हमने यह नहीं कहा कि मस्जिद का ढांचा खड़ा है, मगर वहां एक मंदिर भी है जिसमें पूजा होती है और यह झगड़ा ५०० साल से चल रहा है। दुनिया में ऐसे उदाहरण हुए हैं। रूस ने वारसा पर कब्जा कर लिया था, एक चर्च बना ली थी। पहली लड़ाई के बाद पोलैंड स्वतंत्र हो गया और उन्होंने पहला काम यह किया कि उस चर्च को ढहा दिया। यह इतिहास है। श्री टायनबी यहां आए थे, जो हम लोगों को एक तरह से ताना दे गए कि आपने जिस तरह से मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों को रख रखा है, यह भारत में ही हो सकता है। हमने दुनिया में गलत प्रचार होने दिया। मैं प्रतिनिधि मंडल के रूप में हर साल युनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाता हूं। वहां भी चर्चा होती है। उन्हें

पता नहीं है कि झगड़े की जड़ क्या है, उन्हें पता नहीं है यह मंदिर था, उन्हें पता नहीं है कि जो अवशेष निकले हैं, इस बार गिराने में जो अवशेष निकले हैं, वे भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वहां पहले मंदिर था। यह पता होता, यह दुनिया को बताया जाता तो इतना बावेला न मचता। अगर उन्हें मालूम होता कि प्राचीन मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो वे मुसलमानों से जरूर कहते कि मामला सद्भावना से हल होना चाहिए।

आप एक बिल लाए। उसे कानून का रूप दिया। चह्वाण साहब यहां बैठे हुए हैं। ये बिल लाए कि १५ अगस्त, १९४७ से सारे धार्मिक स्थल जहां-जहां खड़े हैं, वहीं-वहीं खड़े रहेंगे। काल की गति थम जाएगी। परिवर्तन का चक्र रुक जाएगा। सेक्यूलरवाद खतरे में पड़ता है। वहीं रुक जाओ। एज यू वेयर। खड़े रहो। ये धर्मस्थान पीढ़ियों से खड़े हैं। शताब्दियों से खड़े हैं। पत्थर की शिलाएं और यह पत्थर के स्मारक भी कुछ कहते हैं। इनके साथ कहानियां जुड़ी हैं, यह भावनाओं को छूते हैं।

आपको भी यह मानना पड़ा इसीलिए आपने अयोध्या को अपवाद कर दिया, सत्य स्वीकार करना पड़ा। आप अयोध्या को भी शामिल कर सकते थे और कह सकते थे कि अयोध्या में जो स्थिति है वही रहेगी, हमने पास कर दिया, हम पार्लियामेंट हैं, जाओ। आपने यह नहीं किया। क्योंकि आप समझते हैं कि अयोध्या की अलग स्थिति है। राम मंदिर का मामला भिन्न है। मगर इतना कहने के बाद आपने किया क्या? अन्य दलों ने, जिन्होंने माना था कि ठीक है, अयोध्या का आप हल निकालिए, और कहीं झगड़े नहीं होने चाहिए। मैं भी इस मत का हूं कि अयोध्या का मामला अलग है। हजारों मस्जिद-मंदिर बनाए गए। यहां चौहान साहब मेरे मित्र बैठे हुए हैं, मैं इनके यहां अमरोहा में भाषण करने गया था, मैंने कहा कि उन दिनों में जो कुछ हुआ, वह दुर्भाग्य की बात है। जो शासक आए, मैं उन्हें इस्लाम का प्रतिनिधि नहीं मानता। मैं उस दिन श्री गुलाम नबी आजाद साहब का रेडियो पर भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में, बंगला देश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वह इस्लाम के हिसाब से नहीं है। फिर देश में जो मंदिर तोड़े गए, क्या वे इस्लाम के हिसाब से थे? वह भी इस्लाम के हिसाब से नहीं थे और इसलिए मैं औरंगजेब को या मंदिर तोड़नेवालों को इस्लाम का सही प्रतिनिधि नहीं मानता। इसीलिए हम आशा करते थे कि यहां रहनेवाले मुस्लिम बंधु कहेंगे कि उस समय ज्यादती हुई, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। वह अड़े रहना चाहते हैं। यह सिलसिला चल रहा है।

हिंदू मानस में बदलाव क्यों आया?

इस बीच देश में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने हिंदू मानस को, हिंदू मानसिकता को प्रभावित किया है, चाहे वह कश्मीर में पृथकतावादी आवाज हो, चाहे वह पंजाब में हिंसा और हथियार लेकर उतारू होनेवाले लोगों का आंदोलन हो, जो देश को तोड़ना चाहते हैं। चाहे असम में घुसपैठियों के कारण एक गंभीर परिस्थिति का उत्पन्न होना हो, बहुसंख्यक समाज के मन में यह भावना पैदा हो रही है कि हमारे देश में आखिर यह क्या हो रहा है।

शाहबानो के मामले ने इसको और भी बद्धमूल कर दिया। जब तक मामला नहीं उठा था, नहीं उठा था। हम भारतीय जनसंघ में कॉमन सिविल कोड की बात नहीं करते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भूतपूर्व सरसंघचालक परमपूज्य गुरू जी से हम लोगों की इस बारे में बड़ी चर्चा हुई थी। हम कहते थे कि यह संविधान का निर्देशक सिद्धांत है, धारा ४४ में लिखा हुआ है, शादी-

ब्याह के कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, यह देश की एकता को मजबूत करेगा। उन्होंने हम लोगों को समझाया कि अलग-अलग बिरादरियों के अलग-अलग शादी-ब्याह के कानून होते हैं। और फिर उन्होंने स्मृतियों का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि जब तक बिरादरी स्वयं न कहे या जब तक बिरादरी तैयार न हो, श्री गुरु जी किसी स्मृति का उल्लेख कर कहते थे कि ऐसे मामलों में राजा को दखल नहीं देना चाहिए। यह बात मैंने चंद्रशेखर जी से कही थी। हमने कहा कि ठीक है, हम मांग नहीं करेंगे। लेकिन संविधान के निर्माताओं की मंशा साफ थी। मैंने संविधान परिषद की बहसें बड़ी गहराई से पढ़ी हैं। मुस्लिम लीग के सदस्य, आज के सदस्य, पहले के सदस्य यही कहते रहे हैं कि शादी-ब्याह के कानून में हम किसी तरह का, भारत राज्य का, भारत गणराज्य का, संसद का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या नागरिकता एक नहीं होगी? क्या परिवार नियोजन भी इसलिए लागू नहीं किया जाएगा? क्या छोटे परिवार का नार्म, छोटे परिवार की कसौटी, धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर बदलेगी? परिवार नियोजन सबसे पहले समस्या है, मगर उसमें सबसे बड़ी बाधा यह है कि जो हिंदू नहीं करना चाहते, वह इसका आधार लेते हैं, कहते हैं, साहब चार-चार शादियां हो रही हैं। परिवार नियोजन का क्या मतलब? मैं जानता हूं, चार हो नहीं रही हैं। जो शादीशुदा हैं वे जानते हैं कि एक पत्नी का रखना मुश्किल है, चार-चार पत्नियों को कैसे रखेंगे।...(व्यवधान) मैं उनकी दशा देखता रहता हूं। नरसिंह राव जी कह रहे हैं कि अटल जी को कैसे मालूम। अध्यक्ष जी, आग जलाती है, यह जानने के लिए खुद आग में उंगली देने की जरूरत नहीं होती, दूसरों को जलता हुआ देखकर समझा जा सकता है।

हमने उस समय कॉमन सिविल कोड की मांग पर बल नहीं दिया। किंतु इस बीच में इंदौर की एक बूढ़ी महिला का केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। उसने एक फैसला दे दिया। उसके आधार पर कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आरिफ मुहम्मद साहब उस समय बलिदान हो गए। उन्होंने बड़ा सुंदर भाषण दिया, कांग्रेसवालों ने खूब तालियां बजाई और कहा कि नहीं, जो फैसला हुआ है वह ठीक हुआ है। सबके लिए एक शादी-ब्याह का कानून होना चाहिए। बाद में कांग्रेस पार्टी बदल गई। स्वर्गीय राजीव गांधी की राय बदल गई। आरिफ साहब का क्या हुआ, आप-हम जानते हैं। तब लोगों को लगा कि यह तुष्टिकरण की नीति है। क्या बहुसंख्यक समाज में प्रतिक्रिया नहीं होती है? घर में, घर के बाहर जो कुछ होता है, क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? अब दुनिया इतनी पास हो गई है कि घर में बैठकर सारी दुनिया में क्या हो रहा है, देखा जा सकता है। बेडरूम में बैठकर देखा जा सकता है।

शारजाह में क्या हुआ?

मैं शारजाह का उदाहरण देता हूं। शारजाह में केरल के लोग काम करने के लिए गए। उन्होंने वहां क्लब बनाया हुआ है। उन्होंने वहां एक नाटक किया। वह नाटक ऐसा है, जिसके लिए उन्हें केरल में पुरस्कार मिल चुका है। अच्छे लेखक का नाटक है, अच्छा नाटक है। मगर शारजाह में खबर फैल गई कि इस नाटक में मुहम्मद साहब का अपमान किया गया है। इसमें इस्लाम के खिलाफ बातें कही गई हैं। वह नाटक करनेवाले गिरफ्तार कर लिए गए। उन्हें छह-छह साल की सजा हुई है। वे जेल में पड़े हुए हैं। क्या इसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी? मैं नहीं जानता कि सरकारी स्तर पर इस मामले में क्या हुआ है।

और एक उदाहरण है। एक व्यक्ति हिंदुस्तान से काम करने के लिए विदेश गया। मैं देश का नाम नहीं लेता हूं। शारजाह तो क्रिकेट के कारण जबान पर आ गया। वह व्यक्ति अपने साथ 'सत्यार्थ प्रकाश' की एक प्रति लेकर गया। वह सत्यार्थ प्रकाश रोज पढ़ता है। धार्मिक व्यक्ति है, नौकरी के लिए गया था—चलो विदेश में ले जाएं। पुराने जमाने में रामायण ले जाते थे, वह आर्य समाजी है और वह सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रति लेकर गया। वहां अकेले में पढ़ते रहेंगे, कुछ बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। यह देश धर्म-विरोधी कभी नहीं हो सकता है। न यह देश अधार्मिक हो सकता है। सेकुलर का लोगों ने गलत अर्थ समझा। इसलिए भी सेकुलरवाद के प्रति लोगों के मन में अवज्ञा पैदा हो गई। उस दिन भी मैंने कहा था, मैं आज दोहराना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने १९६१ में रघुनाथ सिंह एम.पी. की किताब की भूमिका लिखी। पता नहीं कितने सदस्यों ने पढ़ी है। उस भूमिका में पंडित जी ने लिखा—मुझे लगता है कि सेकुलरवाद शब्द का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष करने से समस्याएं पैदा हो रही हैं, भ्रम पैदा हो रहे हैं। यह अनुवाद सही नहीं है। फिर उन्होंने कहा—सेकुलरवाद का एक ही अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव या पक्षपात नहीं करेगा। लेकिन अभी भी सेकुलरवाद का अनुवाद धर्मनिरपेक्ष किया जा रहा है।

श्री भोगेंद्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, अब जो सन् १९८२ के बाद अपना हिंदी का संविधान है, उसमें पंथनिरपेक्ष दिया गया है।

श्री वाजपेयी : अब बदला है। झा साहब आप ठीक कह रहे हैं, अब बदला है, मगर उसका उपयोग नहीं हो रहा है। आप रेडियो-टेलीविजन पर देख लीजिए कि किस शब्द का प्रयोग हो रहा है। उसे बदलना चाहिए। यह सेकुलर शब्द हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति को प्रकट नहीं करता है। वह दूसरे संदर्भ में प्रयुक्त हुआ था, लेकिन मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं।

सत्यार्थ प्रकाश रखना अपराध!

क्या देश के बाहर जो घटनाएं हो रही हैं, उसका असर नहीं होता है। मैं कह रहा था कि एक सज्जन सत्यार्थ प्रकाश की प्रति ले गए। हवाई अड्डे पर उनका सामान देखा गया, प्रति पकड़ ली गई और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। बड़े प्रयत्न करने के बाद, विदेश मंत्रालय जानता है, छुड़ाया गया। मैं नाम का उल्लेख जान-बूझकर नहीं कर रहा हूं। हम ऐसे देशों के साथ भी संबंध रखना चाहते हैं। हम उनकी नकल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे समाचार यहां आते हैं। क्या इससे कट्टरता नहीं बढ़ती है कि वे हमारे साथ क्या कर रहे हैं? वह ढांचा ढह गया, इसके लिए खेद कम हो गया तबसे जब से ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान में मिनिस्टर ने खड़े होकर, बुलडोजर का उपयोग करके मंदिर ढहा दिए। वहां मंदिर ढहाने का कौन सा प्रोवेकेशन है? यहां सरकार स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, गोलियां चला रही है। एक हजार से अधिक लोग मारे गए हैं। यह बात अलग है कि जब लाशें गिनने का मौका आता है, तो किस प्रदेश में कितने मरे ˙˙महाराष्ट्र में कितने मरे, और गुजरात में कितने मरे और पश्चिम बंगाल में कितने मरे, यह सवाल खड़ा होता है। अरे, मरनेवाला भारतीय है, यह नहीं भूलना चाहिए। शोक-संतप्त परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है।

भाजपा सरकारों को भंग कर दिया। आपने संगठनों पर अपराध से पहले ही प्रतिबंध लगा दिए, सजा दे दी। हत्या से पहले ही मृत्युदंड दे दिया। किसलिए? उनका क्या अपराध है? भारतीय

जनता पार्टी की सरकारों का यह रिकार्ड है कि अन्य सरकारों के जमाने में जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने रोका। आंकड़े बताएंगे। गृहमंत्री अगर आज सत्य बोलेंगे तो यह स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कम दंगे हुए और जहां-जहां दंगे हुए वहां सरकार ने, पुलिस ने उनको दृढ़ता से दबाया। यह भेदभाव नहीं किया कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। सबकी रक्षा हमारे लिए राजधर्म है। इसमें सांप्रदायिकता नहीं हो सकती। राजा सांप्रदायिकता के आधार पर फर्क नहीं कर सकता, करता है तो गलत है। वह राजधर्म का पालन नहीं करता। लेकिन आज जो हो रहा है, वह भेदभाव के आधार पर हो रहा है। बी.जे.पी. की सरकारें भंग कर दी गईं, क्यों? क्या वहां कानून-व्यवस्था टूट गई थी? हिमाचल में तो एक भी घटना नहीं हुई।...(व्यवधान)

श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : बड़े आदमी मरे।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : कोई नहीं मरा। मगर अर्जुन सिंह की रुचि भोपाल में है, पटवा से उनकी पटती नहीं है या ज्यादा पटती है, मैं नहीं जानता। मैं अपना अज्ञान प्रकट कर रहा हूं। अगर वह चाहें तो प्रकाश दे सकते हैं।

मानव संसाधन-विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह : मैं भी सत्य बोलूंगा।

श्री वाजपेयी : यह बहुत अच्छा है।...(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : इसका मतलब है कि आज तक जितने लोग बोले हैं, वे सच नहीं बोले हैं।...(व्यवधान)

भाजपा सरकारें क्यों भंग कर दी गईं?

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इसका यह मतलब नहीं है। कभी-कभी राजनीति के मेघों में सत्य का सूर्य छिप जाता है। मगर आज इन मेघों को हटाकर सबको सही बात कहने की जरूरत है। मैं देखता हूं कि कांग्रेस के नेता कितनी सच बातें करते हैं। वे अपने ऊपर दोष नहीं लेंगे, मुझे मालूम है। भाजपा की सरकारें क्यों भंग कर दी गईं? क्या इसलिए कि इन सरकारों में काम करनेवाले कुछ आर.एस.एस. के थे? इससे क्या हुआ? क्या वे अपने संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहे थे? क्या केंद्र से उन्हें जो निर्देश दिया गया था, उनका उल्लंघन हो रहा था?

अध्यक्ष महोदय, पटवा सरकार ने इंदौर में एक अवैध संगठन का दफ्तर बंद कर दिया, सील कर दिया तो दफ्तरवाले कोर्ट में गए। इंदौर के हाई कोर्ट ने कहा कि आप दफ्तर सील नहीं कर सकते। यह बात पटवा सरकार के पक्ष में जाती है या खिलाफ जाती है? मगर यहां दबाव पड़ रहा था और प्रधानमंत्री ने सोचा कि अगर संकट यह है कि लोग मुझे ही हटाना चाहते हैं या भाजपा की सरकारें हटाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारें जाती हैं तो जाने दो। "सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धमत्यजति पंडितः" इसका अर्थ यह है कि जब सब कुछ जाता हुआ दिखाई दे तो जितना बच सकता है उसको बचा लो। भले ही संविधान की अवहेलना हो, भले ही नीति के विरुद्ध काम हो।

अध्यक्ष महोदय, सरकारें तो गईं इसलिए कि वे भाजपा के लोगों द्वारा शासित थीं। लेकिन विधानसभा को क्यों तोड़ा गया? क्या उन्हें स्थगित नहीं रखा जा सकता था? क्या पहले विधानसभाएं स्थगित नहीं रखी गईं? इन विधानसभाओं को तोड़ने की क्या जरूरत थी? शिकायत

थी सरकारों से और उस शिकायत में भी कोई दम नहीं है। उन्हें कुछ काम करने देते, कुछ शिकायत का मौका तो देते। वह भी नहीं किया और विधानसभाएं भंग कर दीं। अब आज सरकारी फैसले के विरुद्ध लेख निकले हैं। मैं एक अंश उद्धृत करना चाहता हूं :

"विधानसभाएं भंग करना एकमात्र विकल्प नहीं था। जब पंजाब में पहली बार १९५१ में, राजस्थान में १९६७ में, बिहार में १९६९ में, उत्तर प्रदेश में १९७० में, उड़ीसा में १९७१ में, आंध्र प्रदेश और उ.प्र. में १९७३ में, गुजरात और उ.प्र. में १९७६ में, मणिपुर में १९७७ और १९८१ में, असम में १९७९ में, पंजाब में १९८३ और कश्मीर में १९८६ में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तब विधानसभाओं को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था, चूंकि कांग्रेस को यह रास आता था।"

इसका लेखक भाजपा का नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, इन सरकारों को भंग करने के बाद, जिस तरह के संपादकीय लिखे गए हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक पत्रों में संपादकीय लिखे गए हैं, वे सरकार की धज्जियां उड़ाते हैं। दैनिक जनसत्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, विशेषकर श्री आडवाणी जी से, उसको भी यह लिखना पड़ा :

"दबाव में कार्यवाही करने से प्रधानमंत्री की कोई कार्रवाई असरदार और विश्वसनीय नहीं होती। राव साहब अभी तक अपनी तरफ से सांप्रदायिक टकराव बचाने की कोशिश की राजनीति कर रहे थे, अगर अर्जुन सिंह की राजनीति चलती है तो राव साहब को संन्यास ले लेना चाहिए।"

अध्यक्ष महोदय, यह ऐसे संपादक की टिप्पणी है, जिसने अयोध्या के विवाद को हल करने में भूमिका निभाई है। हमारे प्रति उनकी टिप्पणियां बहुत कठोर हैं, लेकिन आपने विधानसभाएं भंग कर दीं और उन्हें विरुद्ध लिखने के लिए विवश कर दिया। आप इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़िए 'पोलिटिकल निहिलिज्म'।

श्री विलास मुत्तेनवार (चिमूर) : वह तो आपका ही मुखपत्र है।

श्री वाजपेयी : आपके मुंह में घी-शक्कर। हम अगर इतना बड़ा पत्र चला सकते तो हमारे बारे में जो भ्रम के बादल पैदा किए गए हैं, हम उन्हें छांट देते। हमारी शक्ति तो दो-तीन साप्ताहिक चलाने से ज्यादा नहीं है। लेकिन सत्य तो सत्य है और इसके एडिटर प्रभु चावला प्रधानमंत्री के कम समर्थक नहीं हैं। एन.आई.सी. में उनकी भूमिका को सब लोग जानते हैं। वह पत्र आज क्या लिख रहा है? मैं नहीं जानता कि प्रधानमंत्री के सामने ऐसे समाचार, ऐसी टिप्पणियां जाती हैं या नहीं जाती हैं, लेकिन जानी चाहिए। और भी अखबार हैं, मैं इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय के अंश पढ़ना चाहूंगा :

"इन राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं नहीं बिगड़ी थी, उनकी सरकारों के विरुद्ध किसी केंद्रीय कार्यवाही की चेतावनी रिमोट से दी गई थी। जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में ८०० व्यक्ति मारे गए, भाजपा के नियंत्रणवाले राज्यों में केवल २०० मौतें हुईं। तो भी राष्ट्रपति श्री शंकर दयाल शर्मा ने राज्यपालों की रपट स्वीकार कर ली कि उन्हें इन राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने पर शंका है। कुछ राजनेताओं से इनको हटाए जाने की मांग करवा कर, केंद्र ने स्वयं अपने आपको आपराधिक निष्क्रियता के आरोप के लिए खुला छोड़ दिया है। सूरत और मुंबई में हुआ हिंसा का तांडव भय पैदा करता है कि सत्ता के गलियारों से चेतना एवं संवेदनशीलता बिल्कुल समाप्त हो गई है, जो गुजरात और महाराष्ट्र के मंत्रियों को हटाने के लिए उचित है। श्री नरसिंह

राव का सुरक्षा छाता जो उन्हें बचाए हुए था, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में उपलब्ध नहीं था, जहां के हालात में कोई बदलाव नहीं आया था।"

अध्यक्ष महोदय, यह हमारी राय नहीं है, एक निष्पक्ष पत्र की राय है, इसको तौला जाना चाहिए। इसके प्रकाश में हमें थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।

संगठनों पर रोक का आधार क्या है?

अध्यक्ष महोदय, अब मैं 'बैन' पर आना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ संगठनों को बैन कर दिया गया। किस आधार पर बैन कर दिया गया? ६ दिसंबर से पहले वे संगठन ठीक थे, देश भक्त थे, अनुशासित थे, ६ दिसंबर की एक घटना के कारण उन पर बैन लगाया गया। ६ दिसंबर को क्या हुआ, तस्वीर अभी साफ नहीं है। आप कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं। सी.बी.आई. जांच हो रही है। लेकिन केंद्र ने फैसला कर दिया और इसलिए उनको बैन कर दिया। क्यों बैन किया? और आप कारण देखिए, बहुत हास्यास्पद कारण हैं।

मैं वह बिल देख रहा था जब १९६७ में अन-लॉफुल एक्टीविटीज एक्ट पेश किया गया। मैं इस सदन का सदस्य था। तब पेश करनेवाले थे यशवंत राव चह्वाण और आज हैं शंकर राव चह्वाण। ये दोनों महाराष्ट्र के हैं और दोनों की राशि मिलती है। दोनों चह्वाण हैं। लेकिन मैं श्री यशवंत राव के भाषण को पढ़ रहा था जो उन्होंने बिल को पेश करते हुए दिया था। बिल पर बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। संसद के वे दिन मुझे कभी-कभी याद आते हैं। यहां प्रो. रंगा थे, मधु लिमये जी थे, श्री हीरेन मुखर्जी थे, श्री कामत थे, डी.एम.के. के श्री मनोहरण थे, नाथपई थे और त्रिदेव चौधरी थे। जबर्दस्त बहस हुई। यशवंत राव चह्वाण आश्वासन देते रहे कि यह बिल आपके खिलाफ काम में नहीं आएगा। यह आपके लिए नहीं है। जो देश के किसी हिस्से को बाहर ले जाना चाहते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए हम अधिकार मांग रहे हैं।

मैंने भी भाषण दिया था। मैंने कहा था कि मुझे आशंका है आप एंटीग्रिटी में सबको ले आओगे, सबको लपेटोगे, विरोधियों को अवैध कर दोगे। आप जिन्हें अवैध करोगे, वे अंडरग्राउंड चले जाएंगे। आप गतिविधियां रोकना चाहते हैं, कैसे रोकोगे। गिरफ्तारी कर सकते हो। क्या गिरफ्तारी से विचारों की लड़ाई जीती जा सकती है?

लड़ाई मंदिर की नहीं, मानसिकता की है

महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस देश में जो कुछ हो रहा है वह मंदिर की लड़ाई नहीं है, वह एक मानसिकता की लड़ाई है। इस देश का राष्ट्रवाद क्या है, इस देश की जड़ें कहां हैं। यह देश किन जड़ों से पानी लेगा, किन जड़ों से जीवन ग्रहण करेगा। यह ठीक है कि इस देश में तरह-तरह के लोग आए, सदियों से आए, पीढ़ियां यहां बसी हैं, रह गई हैं, अलग-अलग राज्य थे मगर यह राष्ट्र एक रहा। कहीं आने-जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। तीर्थ-यात्रा के लिए परमिट लेकर नहीं जाते थे। यह देश एक था। किसके बल पर एक था? गंगा-यमुना संस्कृति की बात होती है। गंगा जहां यमुना से मिलती है, वहां संगम होता है, मगर संगम के बाद गंगा सबको समेटती हुई आगे बढ़ती है।

मैंने उस दिन नेहरू जी का उदाहरण दिया था, जब उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था कि आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूं, मगर इस देश की

जो सांस्कृतिक विरासत है वह आपको पुलकित करती है या नहीं। नेहरू जी का शब्द था 'थ्रिल'। स्थिति यह है कि इस अभागे देश में अभी भी वंदेमातरम् का विरोध हो रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? विरासत से जुड़ी छोटी-छोटी चीजें हैं, जिनका मजहब से कोई संबंध नहीं है। मैं अगर सरकारी समारोह में "सं गच्छध्वं सं वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्" कहूं तो यह मजहबी कर्मकांड कैसे होता है। हम लोग साथ चलें, साथ बोलें, साथ आचरण करें, क्या यह राष्ट्रीयता की भावना को व्यक्त नहीं करता है?

इस देश में कभी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं रहा। लेकिन अब उसके आसार दिखाई दे रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं इससे चिंतित हूं। हमने अपनी पार्टी से भी कहा है, मैं आपसे भी कहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि जामिया मिलिया में हाल में हुआ कांड और नौजवानों को प्रभावित नहीं करता है? मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन वह प्रभावित करता है। एक तरह की कट्टरता के साथ समझौता करके, उसे बढ़ावा देकर दूसरी तरह की कट्टरता रोक नहीं सकते। ढांचा ध्वस्त होने पर मुझे खेद है। मुझे ऐसे भी लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि ४०० साल का कलंक था, इसके अलावा उसको हटाने का कोई रास्ता नहीं था। यह भावना मुझे डराती है। ऐसे प्रश्नों का समाधान शांति से होना चाहिए, चर्चा से होना चाहिए, सवालों को लटका के नहीं रखा जाना चाहिए। वे नासूर बनते हैं। जब तक अयोध्या प्रकाश में नहीं आया था, नहीं आया था। सरदार साहब ने सोमनाथ बना दिया, हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू समारोह में गए थे, नेहरू जी प्रसन्न नहीं थे, लेकिन राजेंद्र बाबू गए। मंदिर बन गया। समस्याएं हल हो गईं। अयोध्या को लटकाकर रखा गया। अदालत में लटकाया। चालीस साल हो गए। अदालत जल्दी फैसला कर सकती थी। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट को सौंप दो, १४३ के अंतर्गत सौंप दो। उसमें भी देर हुई। फिर यह आशा थी कि ढांचा अलग कर दो और २.७७ एकड़ पर निर्माण शुरू हो जाए। जो तीन-चार साल मिलेंगे तो उसमें ढांचे का कोई हल निकाल लिया जाएगा। इसको भी स्वीकार नहीं किया गया। इस देश की बदलती हुई मानसिकता को समझने का प्रयत्न नहीं किया गया।

मुस्लिम इंडिया रहेगा तो हिंदू इंडिया भी आएगा

मेरे मित्र शहाबुद्दीन यहां बैठे हुए हैं। मैं उन्हें मित्र कह रहा हूं। मेरी पार्टीवाले इस शब्द को पसंद नहीं करेंगे। लेकिन, यह व्यवहार का एक सभ्य तरीका है। मैं विदेश मंत्री था तो शहाबुद्दीन हमारे मंत्रालय में काम करते थे। इनकी ख्याति थी कि ये प्रोग्रेसिव मुसलमान हैं, क्योंकि फेडरेशन से शायद संबंधित रहे थे। हम इन्हें एक देश में भेजना चाहते थे। मैं नाम नहीं लूंगा। उस देश ने कहा कि आप किसी और को भेजो। वह कट्टरपंथी देश था। यह शहाबुद्दीन साहब की ख्याति थी। फिर अपनी फॉरेन सर्विस छोड़ गए और वकालत करने चले गए। मेरे ऊपर, मेरी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि तुम लाए हो उसको, तुम जनता पार्टी में लाए हो। एक और सज्जन को लाने का मेरे ऊपर आरोप है। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन अब मिस्टर शहाबुद्दीन में जो परिवर्तन हो गया है वह चौंकानेवाला है—मुस्लिम इंडिया! अगर मुस्लिम इंडिया अखबार निकलेगा तो हिंदू इंडिया क्यों नहीं निकलेगा।...(व्यवधान) मामला इतना सरल नहीं है। मैं जानता हूं कि शहाबुद्दीन बहुत आर्टिकुलेट हैं और इस बात का अच्छा जवाब देंगे। पत्र में बहुत सारी सामग्री प्रकाशित करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर पत्र वातावरण को बिगाड़ रहा है।

शहाबुद्दीन साहब को याद होगा, १९८६ में बंबई में एक सार्वजनिक सभा में मैंने यह भाषण

दिया था कि अयोध्या का मामला हल हो सकता है। मैंने दो सुझाव दिए थे। मुस्लिम समुदाय अपनी स्वेच्छा से वह सारा ढांचा हिंदुओं को दे दे। यह कहकर दे दे कि इस स्थान के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी हैं। आप इसे राम का जन्मस्थान समझते हैं। आप मानते हैं कि यह जन्मस्थान था। आप कहते हैं कि इसके प्रमाण हैं। विश्वास बड़ी चीज है। हम इस देश में रहते हैं। आपके साथ रहते हैं। हमें साथ रहना है। अगर आप विश्वास करते हैं कि जन्म स्थान था तो हम आपको देते हैं। मैंने कहा था कि सुझाव का दूसरा खंड यह होना चाहिए कि हिंदू, पूरा ढांचा पाने के बाद यह कहें कि हमारा संघर्ष समाप्त हो गया। यह ढांचा तोड़ा नहीं जाएगा, यहां पूजा होती रहेगी किंतु स्थायी मंदिर कहीं और बनाया जाएगा। शहाबुद्दीन साहब ने इसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी कि आप इस पर बातचीत करें। वह चिट्ठी मेरे पास रखी हुई है। यह कोई हल नहीं था।

अयोध्या एक ट्रेजेडी है

अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करना चाहता हूं। अयोध्या एक ट्रेजेडी है। मैंने कहा कि देश तिराहे पर खड़ा है। यह दोषारोपण का समय नहीं है। आप हम पर जितना दोषारोपण करेंगे, हम उतना ही सुर्खरू होंगे। आप हमें जितना दबाएंगे हम उतना ही ऊपर उठेंगे। आप लोगों की मानसिकता नहीं समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की इस घोषणा ने कितना नुकसान किया है कि वहां मस्जिद बनेगी। इतनी जल्दी घोषणा करने की क्या जरूरत थी? क्या बाहरी दबाव में की गई? पहले यह तय क्यों नहीं कर लेते कि वह मंदिर था या मस्जिद थी। अब वह स्थान केंद्र के पास है। ऑर्केलाजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहिए कि आप वहां खोद कर देखो। पता लगाएं कि मंदिर था या नहीं। एक बार इस प्रश्न का निपटारा हो जाना चाहिए। चंद्रशेखर जी करना चाहते थे और राजीव गांधी जी का उन्हें सहयोग प्राप्त था। चंद्रशेखर जी ने वार्ता कराई। अच्छे वातावरण में वार्ता कराई और कई दस्तावेज इकट्ठे किए गए। कुछ परिणाम निकलनेवाला था। उनकी सरकार चली गई। कुछ परिणाम निकलने से पहले कहीं यह सरकार न चली जाए।...(व्यवधान) हमारा विश्वास था कि वहां मंदिर था। अगर यह सिद्ध हो जाए कि वहां मंदिर था और अदालत कह दे तो सबको मानना पड़ेगा।

मगर इसका प्रयत्न नहीं हुआ। मामले को लटकाए रखने का फैसला हुआ। आखिर शिलान्यास हमने तो नहीं किया था। वह तो कांग्रेस के जमाने में हुआ था। तब केंद्र में भी कांग्रेस थी और प्रदेश में भी कांग्रेस थी। अब राजीव गांधी के जमाने में किसी अच्छे काम का शिलान्यास हो जाए तो क्या उस काम को पूरा करना गलत है? हम उसको पूरा करना चाहते हैं। एक अच्छा काम पूरा करना चाहते हैं। क्या इसलिए आप जेल में बंद कर देंगे? क्या किया आडवाणी जी ने? आडवाणी जी को सबेरे जब लोकसभा की बैठक हो रही थी, गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप देखिए, कितने हास्यास्पद आरोप हैं। आडवाणी जी अपील कर रहे थे कि ढांचा नहीं टूटना चाहिए, टीवी में देख लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए। आपने ऐसी रिपोर्ट तैयार करवा दी कि आडवाणी जी कह रहे थे कि एक धक्का और दो। क्या यह आपकी विश्वसनीयता को बढ़ाता है, यह सरकार की क्रेडिबिलिटी को बढ़ानेवाली बात है? लोकसभा की बैठक हो रही है। वे विरोधी दल के नेता हैं। वे अयोध्या में उपस्थित थे। मैं भी उनसे सुनना चाहता था कि वहां क्या हुआ। मैं जानता हूं वे इतने ईमानदार आदमी हैं और इतने बड़े आदमी हैं कि अगर उनसे कहीं गलती हुई होगी तो वे मानेंगे।...(व्यवधान)

आप टोकिए मत, आप अगर भावनाओं को नहीं समझ सकते तो चुप रहें, मैं उन भावनाओं को प्रकट करना चाहता हूं। मैंने लगातार यह बात कही है और हमारे यहां बहुत लोग इस राय के हैं, यह मत समझें कि कुछ लिबरल हैं, कुछ हार्ड लाइनर हैं। कांग्रेस में लिबरल कौन है¨(व्यवधान) शायद मार्गरेट जी कह रही हैं कि वे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे क्या शिकायत करूं। मैं सचमुच में गुनहगार हूं। आप खड़े रहें, फिर मैं भी खड़ा हो जाऊं। मैंने तीस साल के संसदीय जीवन में ऐसा कभी नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है।

श्री वाजपेयी : मैं मित्रों को बता देना चाहता हूं कि मैं स्पीकर के पास गया था कि मैं त्यागपत्र देना चाहता हूं¨(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है।

श्री वाजपेयी : अगर संसद में नहीं बोल सकते और आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो यहां रहने का क्या लाभ? कभी-कभी हमारे यहां भी शोर-शराबा होता है, लेकिन वह ठीक नहीं है, वह नहीं होना चाहिए। आखिर हम एक देश के वासी हैं, हम लोकतंत्र से बंधे हैं। हमारी संस्कृति के धागे अटूट हैं। यह तो पासिंग फेस है, यह तो निकल जाएगा। मुझे विश्वास है इस संकट में से भी भारत शक्तिशाली होकर निकलेगा, भारत समृद्धशाली होकर निकलेगा। यह संकट है, इसमें थोड़ी सी ईमानदारी से चर्चा करने का मौका मिल जाए तो क्या फर्क पड़ता है।

आडवाणी जी को क्यों नहीं छोड़ा?

अध्यक्ष महोदय, हमने पहले दिन गड़बड़ नहीं की। कहा गया कि बी.जे.पी. वाले मुंह झुकाए, गर्दन नवाए बैठे थे। हम चुप बैठे थे, शांत बैठे थे। हम हुल्लड़ में शामिल होना नहीं चाहते थे, तब भी आलोचना का विषय थे। चुप्पी का गलत अर्थ लगाया गया। तो फिर सोचा कि कर-धर के बात करने का मौका ढूंढिए¨(व्यवधान) मगर वह भी पसंद नहीं आया। हम आपसे कहते रहे हैं कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। आज मुझे अपने साथियों को मनाने में बहुत कठिनाई हुई। आडवाणी जी नहीं छूटे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है आडवाणी जी को छोड़ने में? आप कहते हैं कि जमानत पर आ सकते हैं। आप छोड़ते क्यों नहीं? उनका एक यहां भाषण हो जाए तो आसमान ऊपर से तो नहीं गिर जाएगा। क्यों आपने जिद की है? साफ है, आप नहीं चाहते सामान्य स्थिति में बहस हो, आप नहीं चाहते वे अपनी बात कहें, आप नहीं चाहते कि अयोध्या का पूरा तथ्य उजागर हो। हम चाहते हैं अयोध्या में अगर हमारी गलती हुई है तो हम स्वीकार करेंगे। मगर और पार्टियां जो यहां बैठी हैं, वहां केंद्र की सरकार है, वे भी अपना दोष मानें। मैं विस्तार से उस पर नहीं बोलना चाहता। यह भी पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से मामला उलझाया, दो महीने किस तरह से कोई काम नहीं किया, साधुओं से किस तरह से परस्पर विरोधी बातें कहीं, उनमें फूट डालने की कोशिश की। यह ठीक है कि प्रधानमंत्री आखिरी दिन इस बात के लिए बहुत सचेत और सक्रिय थे कि ढांचा सुरक्षित रहना चाहिए। वहां केंद्रीय रिजर्व पुलिस भेजी गई थी, उसके दस्ते गए थे। वे क्या कर रहे थे। साढ़े १२ बजे केंद्र ने हस्तक्षेप करके वहां राष्ट्रपति शासन क्यों लागू नहीं कर दिया? अयोध्या की स्थिति में केंद्र ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? गृह मंत्री बताएं कि इंटेलीजेंस की क्या रिपोर्ट थी? जो सरकार वहां मौजूद थी, जो सरकारी अफसर वहां मौजूद थे, उनकी भूमिका क्या थी? ये बातें प्रकाश में आनी चाहिए। खाली

हमको दोष देकर बात नहीं बनेगी। दोष देकर आप तात्कालिक राजनैतिक लाभ उठा लें, मगर समस्या का समाधान नहीं निकलेगा।

एक नया अध्याय आरंभ करने की जरूरत है। अयोध्या एक चुनौती है जिसको अवसर में बदला जा सकता है। हम अवसर में बदलना चाहते हैं या नहीं, यह हमारी नीयत पर निर्भर करता है। यह सरकार ऐसा कर पाएगी, इसक़ा मुझे भरोसा नहीं है। हां, मुझे इसका भरोसा नहीं है क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि प्रधानमंत्री निर्णय नहीं ले पाते हैं या उनके सहयोगी उन्हें निर्णय नहीं लेने देते हैं? अगर धृतराष्ट्र को दुर्योधन और दुशासन ने सचमुच घेर रखा है—फिर अगर वे चाहें तो भी न्याय के पथ पर नहीं चल सकते हैं, वे चाहें तो भी सत्य के पथ पर नहीं चल सकते हैं। धन्यवाद।

भाजपा सरकारों का दोष क्या था?

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं सभी सदस्यों के भाषण सुन नहीं सका, यहां उपस्थित नहीं रह सका। लेकिन मैंने सबके भाषण देखने की कोशिश की है। चर्चा आरंभ करते हुए मैंने जो भावनाएं व्यक्त की थीं, मुझे खेद है कि चर्चा उनके अनुरूप नहीं हुई। आरोप-प्रत्यारोप सदन में होते रहे हैं, आगे भी होंगे। दोषारोपण सरल है, आत्म-निरीक्षण कठिन है। ६ दिसंबर की घटनाओं का भाष्य अगर इतना सरल होता जितना हमारे सामने बैठे हुए कुछ मित्रों ने करने की कोशिश की है तो दूसरी बात होती। मैं श्री पायलट को ढूंढ़ रहा हूं—चर्चा में एक के बाद एक मंत्री ऐसा लगता है कि मंत्रियों में होड़ लगी थी कि प्रधानमंत्री के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी प्रतिबद्धता कौन दिखाता है⋯(व्यवधान)

वे तो मंत्रिमंडल के सदस्य थे, वे तो निर्णयों में भागीदार थे।⋯(व्यवधान)

मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्या मैं टिप्पणी नहीं कर सकता? अब मैं एक छोटी सी बात का उल्लेख करूंगा, फिर बाद में गंभीर मामले पर आऊंगा।

श्री पायलट ने उस दिन खड़े होकर ऐसा रहस्योद्घाटन किया कि अयोध्या में ढांचा तोड़ा गया है और ढांचा तोड़नेवालों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग देने के लिए अहमदाबाद के पास सरखेज में एक कैंप लगाया गया था और फिर ब्रिगेडियर का नाम भी ले दिया। आपने वह नाम रिकार्ड में जाने नहीं दिया।⋯(व्यवधान)

दूसरे दिन अखबारों में था कि ढांचा टूट गया तो जरूर कोई साजिश होगी? ऐसे लोगों की साजिश होगी जिन्होंने ट्रेनिंग ली होगी। और ट्रेनिंग देनेवाला कोई मिलिट्री का अफसर था—मुझे दुख है, पायलट साहब जरा सच्चाई का पता लगा लेते। सरखेज में एक संस्था है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ट्रेनिंग देती रहती है और जो ब्रिगेडियर हैं वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। उन्हें कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने एक पद पर नियुक्त किया था। उन्होंने बयान जारी किया है। वे वाटर पॉल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए। मैं इसके लिए आलोचना नहीं कर रहा हूं। वे वहां ट्रेनिंग दे रहे थे। इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। रायफल ट्रेनिंग होती है, जूडो सिखाया जाता है। इसमें कोई आपत्ति

** राव सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर चली चर्चा के उपरांत लोकसभा में २१ दिसंबर, १९९२ को जवाब।*

की बात नहीं है। मैं ब्रिगेडियर पर आक्षेप नहीं कर रहा, न मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर आक्षेप कर रहा हूं। लेकिन उस सारे मामले का आप ठीक पता लगाते। आखिर आप कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। आप थोड़ा कम्युनिकेशन भी नहीं रख सकते?···(व्यवधान)

संचार मंत्रालय के राज्यमंत्री श्री राजेश पायलट : अटल जी, आज भी आप यह मानने को तैयार नहीं हैं कि प्री-प्लान था।···(व्यवधान)···आप यह आत्मा से कहिए कि प्री-प्लान था कि नहीं था? मैं आज भी मानने के लिए तैयार हूं।···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने जब पायलट साहब ने आरोप लगाया था और यहां से आवाज उठी थी कि अगर आरोप गलत हों तो पायलट साहब इस्तीफा दे दें। मैं इस्तीफा देने की मांग नहीं कर रहा हूं। वे मेरे मित्र हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सदन में इस तरह की सनसनी पैदा करने के खिलाफ मेरी शिकायत जरूर है। अयोध्या में जो कुछ हुआ, आपने उसकी जांच के लिए कमीशन बना दिया है। हमने कमीशन का स्वागत किया है, हम भी तथ्यों को जानना चाहते हैं। लेकिन तथ्य सामने आएं, कमीशन की जांच का परिणाम प्रकट हो, इससे पहले आप कमीशन को प्रभावित कर रहे हैं। यह एक बात है। दूसरी बात हमारे विरुद्ध देश में एक जहरीला वातावरण पैदा कर रहे हैं, जिसके पता नहीं क्या परिणाम हो सकते हैं। अयोध्या में जो कुछ हुआ, उसका हमें खेद है···(व्यवधान) प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि उन्हें विश्वास दिलाया गया था। मैं मानता हूं और मैंने पहले दिन भी कहा था। मैंने पहले दिन जो कहा था, अगर उस वातावरण को आधार बनाकर उस स्वीकृति को आधार बनाकर चर्चा होती तो हम कहीं पहुंच सकते थे। मगर दो-तीन दिन की चर्चा हमें किसी सही स्थान पर पहुंचने में मदद नहीं करेगी, यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं।

प्रधानमंत्री जी को विश्वास था कि यह जो कह रहे हैं उसका पालन होगा। हमको भी विश्वास था और इसमें प्रधानमंत्री जी भी शामिल हैं, और सारी सरकार शामिल है कि अयोध्या के मामले में ढांचे को सुरक्षित रखने का काम और २.७७ एकड़ पर कारसेवा का काम अलग कर दिया जाएगा, लखनऊ बेंच का फैसला आ जाएगा और कारसेवा करने के लिए जो लोग इकट्ठे होंगे, उनको अवसर मिल जाएगा। यह हमें विश्वास था। आप कहेंगे कि आपका विश्वास विश्वास है और हमारा विश्वास विश्वास नहीं है? आप कहेंगे कि आपका विश्वास विश्वास है और हमारा विश्वास साजिश है। विश्वास को नापने के लिए अलग-अलग गज कैसे हो सकते हैं? जो फैसला ११ दिसंबर को हुआ, वह अगर ६ दिसंबर से पहले हो जाता···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बेलापुर) : यह कैसे घटित हुआ?

श्री वाजपेयी : मैं बताना नहीं चाहता हूं। चटर्जी साहब कहेंगे कि अदालत का फैसला कैसे आ सकता है? वह बड़े वकील हैं और हर काम में कानूनी दांव-पेंच जानते हैं। हम साधारण आदमी हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि सरकार ने हमारी वह मांग भी नहीं मानी कि हम लखनऊ बेंच के सामने जाकर कहें, मिलकर कहें कि आप शीघ्र फैसला सुना दें। इतनी बात नहीं मानी।

अध्यक्ष महोदय, ये सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब मिलना चाहिए और मैं सोचता था कि चर्चा में इसके जवाब आएंगे। या तो यह कहिए कि अयोध्या में जो कुछ हुआ, जब तक उसकी जांच के परिणाम नहीं मिलते हैं, तब तक हम फतवे नहीं देंगे, हम फैसले नहीं देंगे, हम किसी को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव : अध्यक्ष महोदय, इस स्थिति में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। अटल जी की सूचना के लिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लखनऊ बेंच की कार्यवाही में केंद्र सरकार कोई पार्टी नहीं है। हमें पार्टी बनाया गया है, क्योंकि भूमि अधिग्रहण कानून केंद्रीय कानून है। केवल उस हद तक, हम संबंधित पार्टी नहीं हैं। कृपया यह नोट किया जाए···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, फिर प्रधानमंत्री कानूनी बातें कर रहे हैं। बात विश्वास की हो रही है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के साथियों को कठिनाई में डालना नहीं चाहता हूं। जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि फैसला जल्दी हो जाएगा, हाई कोर्ट को आपत्ति क्या हो सकती थी, दोनों सरकारें वहां जाकर कह सकती थीं, उसका असर होता।

अध्यक्ष महोदय, स्वामी जी ने अयोध्या के प्रश्न पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। मैं कहता हूं कि आप जांच होने दीजिए, परिणाम आने दीजिए। हम भी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ है? कम से कम मुझे जानकारी मिलेगी। मैं प्रधानमंत्री से जानना चाहता हूं···(व्यवधान)

श्री राम नाईक : आप खड़े होकर बोलिए। हमने आपकी बातें सुनी हैं, अब आप हमारी बातें सुनिए···(व्यवधान)···यह सब क्या है?

श्री वाजपेयी : श्री सोमनाथ चटर्जी, मैं झुकनेवाला नहीं।···(व्यवधान) मैं झुकने से इन्कार करता हूं।···(व्यवधान)

जिन पार्टियों का कोई दीन-धर्म नहीं है, जो एक दिन ३५६ को खत्म करने की बात करती हैं, तो दूसरे दिन उसका समर्थन करती हैं, उन पार्टियों को मैं मुंह नहीं लगाना चाहता हूं।

कल्याण सिंह जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविड दिए थे, उनका वह पालन नहीं कर सकी, इसलिए कल्याण सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया। आपने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, आपने कल्याण सिंह की सरकार को बर्खास्त कर दिया। यह बहुत बड़ा काम किया आपने। ···(व्यवधान) कल्याण सिंह की सरकार एक चुनी हुई सरकार थी। अगर कल्याण सिंह ने अदालत की मानहानि की है तो अदालत में मुकदमा पेश है, अदालत उनको सजा देगी। जहां तक वे जनता के सामने उत्तरदायी थे, उन्होंने अपना नैतिक दोष स्वीकार कर लिया, त्यागपत्र दे दिया। मगर आपने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, जैसा कि एक जनप्रतिनिधि सरकार को दूसरी जनप्रतिनिधि सरकार के साथ करना चाहिए।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, कल्याण सिंह सरकार को बर्खास्त करने के तो कारण बता दिए···(व्यवधान) यह जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल की सरकारें बर्खास्त की गईं, इनके कारण क्या हैं? एक सरकार को यह बहाना बनाकर तोड़ा गया कि उसके मंत्रियों ने कारसेवकों को विदाई दी। जब विदाई हुई, जब कारसेवक भेजे गए, तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कारसेवा बंद नहीं थी, वस्तुतः सुप्रीम कोर्ट ने कारसेवा करने की इजाजत दी थी···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मस्जिद तोड़ने के लिए नहीं।

श्री वाजपेयी : आप चुप रहिएगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसे बहस नहीं होगी।···(व्यवधान)

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : हमने श्री इंद्रजीत गुप्त की गालियां सुनी हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सब इस सदन का वातावरण न

बिगाड़ें।

श्री नितीश कुमार : नॉट डिसाइड, सर। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो शांति से सुन रहे हैं। जब प्रधानमंत्री की बात को सुन लिया तो अटल जी तो उनसे कम दोषी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत इंटेलीजेंटली डिस्टर्ब करते हैं।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, पूछा जा रहा है कि हम यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं? हमारे नेता जेल में बंद हैं, हमारी तीन सरकारें तोड़ दी गईं, विधानसभाएं भंग कर दी गईं, और···(व्यवधान)

श्री वीरेंद्र सिंह (मिर्जापुर) : पहले यह तो तय कर लीजिए कि सदन चलेगा कैसे?

भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगेगा?

श्री वाजपेयी : अब भारतीय जनता पार्टी को प्रतिबंधित करने की बातें हो रही हैं। आज मुझे यह बताया है कि कोई गृह राज्यमंत्री हैं रामलाल जी, राम के ऐसे लाल भी हैं, उन्होंने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को राजनैतिक दल के रूप में काम करने की छूट नहीं होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? और आप हमसे पूछ रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं? क्या हम आपमें विश्वास प्रकट करेंगे, आपको बधाइयां देंगे, हम आपकी पीठ थपथपाएंगे? अयोध्या में ६ तारीख को जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरह का व्यवहार देश में हो रहा है, उससे सावधान रहें। जो सरकार के साथ हैं, वे मेरे मित्र याद रखें, आज तो भारतीय जनता पार्टी निशाना है, मैं किसी रहस्य का उद्घाटन करना नहीं चाहता, जब बिहार में बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही थीं, तो कांग्रेस के नेता हमारे पास आए थे और कहते थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए, तो हम वहां की लालू सरकार भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे।

श्री इंद्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : और आपने क्या कहा?···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : हमने कहा कि हम इसमें विश्वास नहीं करते··प्रधानमंत्री जी कहते हैं—आर्टिकल ३५६ लॉ इज इन शैंबल्स।···(व्यवधान) खाली लखनऊ में? और हिमाचल में क्या हुआ? राजस्थान की सरकार क्यों तोड़ी गई?···(व्यवधान) क्या कारसेवकों को भेजना जुर्म है? उस समय तक ६ दिसंबर नहीं हुआ था। कारसेवक सारे देश से आ रहे थे। क्या संविधान की व्याख्या इस तरह से होगी? आर्टिकल ३५६ की भाषा देखिए। श्री सोली सोहराब जी ने कहा है, वे मेरे विचारों के वकील नहीं हैं :

"हमारे संविधान की धारा ३५६ के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए मूल शर्त यह है कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती।' तथ्य यह है कि मुख्यमंत्री, जो भाजपा शासित राज्य में सरकार की सहायता करता है, प्रतिबंधित संगठन से संबंधित है, संवैधानिक मशीनरी के फेल होने का निष्कर्ष तक स्वयं नहीं ले सकता।"

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : प्रतिबंध लागू नहीं हुआ था।···

श्री इंद्रजीत गुप्त : हू सेज सो?···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र कामरेड इंद्रजीत को भी कहना पड़ा, और मैं उनका आभारी हूं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : मोरल रिस्पांसिबिलिटी और कांस्टीट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी दो अलग चीजें हैं।

श्री वाजपेयी : इस समय मैं कांस्टीट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूं।

श्री इंद्रजीत गुप्त : मोरल रिस्पांसिबिलिटी भी मानते हैं आप?

श्री वाजपेयी : श्री इंद्रजीत गुप्त ने कहा कि जरा धीरे, थोड़ा धीरे चलो। लेकिन प्रधानमंत्री ज़ी को इस समय धीरे कौन चलने देगा? किसी की नजर मध्य प्रदेश के ऊपर लगी है। कोई हिमाचल प्रदेश में हिमालय की उत्तुंग शिखाओं पर फिर से राजभवन की सैर करने के सपने देख रहे हैं। क्या केंद्र ने कोई ऐसा निर्देश भेजा, जिसको इन तीनों सरकारों ने पालन करने से इन्कार किया है? क्या यह सच नहीं है, ये सरकारें संविधान के अनुसार चल रही थीं? क्या यह सच नहीं है, इन सरकारों ने यह सूचना दी थी, आप जो भी आदेश देंगे, हम उनका पालन करेंगे? फिर क्यों तोड़ा गया?

यूनियन की जड़ें हिल रही हैं!

अध्यक्ष महोदय, क्या यह संविधान के साथ धोखाधड़ी नहीं है? क्या यह संविधान के अनुच्छेद का दुरुपयोग नहीं है? प्रधानमंत्री जी बार-बार फेडरेशन कह रहे हैं। फेडरेशन नहीं है, हमारी कांस्टीट्यूशन में यूनियन है। मगर जो यूनियन है, जो फेडरेशन है, उसकी जड़ें हिल रही हैं। केवल अयोध्या में जो कुछ हुआ, उसके कारण और आपने जो कुछ किया है, उसके कारण नहीं? जो कांच के घरों में बैठे हैं, वे पत्थर फेंकने की भूल न करें।

अध्यक्ष महोदय, इन राज्यों में कौन-सी ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी? आशंका थी कि पैदा होगी। आशंका के आधार पर संविधान नहीं चलता, वह तथ्य चाहता है। यहां आशंका के आधार पर गला घोंट दिया गया। श्री अर्जुन सिंह जी की बात मैं समझ सकता हूं। वह तो आशा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री-पद की लाटरी निकलेगी। मैं चुरहट लाटरी की ओर संकेत नहीं कर रहा हूं।

मगर मेरी समझ में नहीं आता है कि शरदराव पवार जी ने किस तरह का भाषण दिया? मैं दुखी हूं उनके भाषण से। शायद उनका यह पहला भाषण था और वे सबको प्रभावित करना चाहते थे, लेकिन वे भूल गए कि वे भारत की लोकसभा में बोल रहे हैं और बंबई के शिवाजी पार्क में भाषण नहीं कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत की कि मध्य प्रदेश सरकार को कहा गया था कि सेना की मदद ले, उसने नहीं ली। तो क्या इस आधार पर किसी चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया जाएगा? अगर कोई राज्य सरकार बिना फौज को बुलाए परिस्थिति काबू कर ले।

रक्षामंत्री श्री शरद पवार : करे तो।

श्री वाजपेयी : हां, काबू कर तो लिया, मगर क्या फौज न बुलाना आधार बनाया जाएगा, सरकार बर्खास्त करने का? स्वयं शरद पवार जी बार-बार कहते रहे हैं कि देश के आंतरिक झगड़ों में फौज नहीं बुलानी चाहिए, फौज का कम से कम उपयोग होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार तोड़ दी गई। मगर दंगे बंबई में भी हुए और फौज के बुलाने के बाद भी हुए। लोग मारे गए। जिस तरह से लोग मारे गए, मेरे पास कहानियां हैं, मैं उनको कहना नहीं चाहता, क्योंकि उससे देश की छवि को बट्टा लगता है। मगर आपने कह दिया कि···(व्यवधान) बजरंग दल के लोग होमगार्ड के कपड़े पहनकर दंगा करने गए।···(व्यवधान)

श्री शरद पवार : ऐसी शिकायत आई है।

श्री वाजपेयी : क्या आपके पास कोई प्रमाण है? ऐसे ही सुनी-सुनाई बात कहना··· (व्यवधान)···वैसे ही सुरक्षा-बलों के खिलाफ उंगलियां उठ रही हैं। यह सबके लिए गंभीर चिंता का विषय है। अगर देश में सांप्रदायिकता का जहर फैलेगा, अध्यक्ष महोदय, अब ये कहेंगे कि जितना जहर फैला है, वह सब हमने फैलाया है। अगर हमने जहर फैलाया है तो हम भगवान शंकर के उपासक हैं, उस जहर को कंठ में धारण करके भी हम देश का कल्याण करेंगे, लेकिन यह बात इतनी सरल नहीं है, और जहर कौन पीएगा?

अध्यक्ष महोदय, दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, किस आधार पर?···(व्यवधान)···६ दिसंबर के पहले उनका क्या गुनाह था? अभी जाफर शरीफ साहब तकरीर फरमा रहे थे। उनका एक पुराना भाषण मेरे सामने है, १९ दिसंबर, १९८९ को लोकसभा में दिया गया। मैं उद्धृत कर रहा हूं, अगर गलती हो तो वे सुधार लें : उन्होंने कहा : "यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि मैं भी कभी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखा में गया हूं।"

श्री सी. के. जाफर शरीफ : मैं श्री वाजपेयी का आभारी हूं कि उन्होंने यह बिंदु अब उठाया, क्योंकि मैं इस पर दोपहर बाद बोलना चाहता था, लेकिन मैं इसके विषय में कह नहीं पाया था। मैं बिल्कुल स्पष्ट हूं जब मैंने इस सदन के पटल पर यह कहा कि मैं केवल तीन दिन शाखा गया हूं, जैसा वाजपेयी जी ने संदर्भ दिया। मेरा सहपाठी मुझे वहां ले गया। जब उन्हें पता चला कि मैं मुसलमान हूं, उन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर मैं कभी नहीं गया। २०.११.१९९२ के 'द हिंदुस्तान टाइम्स' में रपट है—श्री मलकानी जी ने ऐसा कहा है, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता कि मैं शाखा गया—लगता है उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मैं छह माह तक शाखा गया हूं।

श्री वाजपेयी : जाफर शरीफ साहब ने जो स्पष्टीकरण दिया है, मैं उसे मान रहा हूं। मैं उन पर दोषारोपण के लिए यह बात नहीं कह रहा हूं। यह बात मैंने विशेष संदर्भ में कही थी। उधर बहुत से ऐसे लोग हैं जो संघ की शाखा से जुड़े हुए हैं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, रक्षामंत्री शरद पवार आर.एस.एस. को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वे हमारे साथ सरकार में रह चुके हैं। उनके जमाने में विधानसभा में मांग हुई थी···(व्यवधान)

श्री शरद पवार : मैंने स्पष्टीकरण दिया है।···

सत्ता की लड़ाई में गांधी को न घसीटें

श्री वाजपेयी : जी हां, आज आपने स्पष्टीकरण दिया है। आपने पहले से ही पैंतरा ले लिया है। मगर आपने जो उस समय कहा वह बुद्धिमत्ता की बात थी, आपने सोच-समझकर कही थी, उस पर डटे रहिए।···(व्यवधान) आपके भाव से हम सहमत हैं। बात यह है कि विचारों की लड़ाई प्रतिबंधों से नहीं जीती जा सकती। आर.एस.एस. पर प्रतिबंध पहले भी लगाया था। मुझे दुख हुआ जब गांधी जी की हत्या का उल्लेख किया गया। जस्टिस कपूर कमीशन की रिपोर्ट मेरे पास है, मैं पढ़कर बताना नहीं चाहता। अध्यक्ष महोदय, सत्ता की लड़ाई में हम गांधी को न घसीटें। मैं सदन से पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी, यह कमीशन कहता है कि आर.एस.एस. का इसमें कोई हाथ नहीं था, आप पढ़ सकते हैं, सारी दुनिया जानती है, लेकिन मान लीजिए अगर गांधी की हत्या से जुड़े हुए लोग, जो इस सदन में या सदन के बाहर, देश में आकर कहते हैं कि उनकी हमने हत्या की, हमने गलती की और हम उस पाप का प्रायश्चित

करना चाहते हैं, तो क्या आप मौका नहीं देंगे?…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दिस इज नाट गोइंग ऑन रिकार्ड।…(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : नाथूराम गोडसे का आर.एस.एस. के साथ कोई संबंध नहीं था, वह आर.एस.एस. की आलोचना करता था, अपने पत्र में आर.एस.एस. के खिलाफ लेख लिखता था, यह दस्तावेज है। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर राजनीतिक लांछन लगाना चाहते हैं, एक-दूसरे पर लांछन लगाना चाहते हैं तो और बहुत से मसले हैं, गांधी जी को बीच में मत लाइए। गांधी ने देश को दिया है और आगे गांधी से हमें जो लेना है, यह स्वराज, यह स्वदेशी, यह स्वावलंबन, यह स्वभाषा और सही उद्देश्यों के लिए सही साधनों का उपयोग, यह गांधी ने हमको दिया है।…(व्यवधान) अब आप कहेंगे कि क्या आप गांधी को मानते हैं, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या आप गांधी को मानते हैं, तो यह बहस हमें कहां ले जाएगी? गांधी एक व्यक्तित्व है, उसको इस तरह से घसीटिए मत।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी, यू डू नॉट हैव टु रिप्लाई टु दैट।…(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं तेलुगुदेशम् को बधाई देनेवाला था कि उन्होंने तीन सरकारों को भंग करने का विरोध किया है।…(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, उस समय श्री शरद पवार जी ने महाराष्ट्र विधानसभा में जो भाषण दिया, वह भाषण बड़ा दूरदृष्टि से संपन्न था।

श्री अन्ना जोशी : आप उस समय महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर थे।…(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : आप उस समय वहां पर स्पीकर थे।

श्री अन्ना जोशी : उस समय श्री शंकर राव चह्वाण भी वहां पर थे।…(व्यवधान)

बी.जे.पी. से लड़िए, राम से नहीं

श्री वाजपेयी : मगर विचारों की लड़ाई इस तरह से नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री जी को याद होगा, मैंने उस दिन प्रधानमंत्री जी से कहा था, गृह मंत्री जी भी वहां बैठे थे, मैंने कहा था कि बी.जे.पी. से एक दिन आपको लड़ना है, मगर राम से मत लड़िए।…(व्यवधान) मगर बी.जे.पी. से लड़ने का भी यह तरीका नहीं है कि प्रतिबंध लगा दो, उसकी मान्यता समाप्त कर दो, उसको चुनाव लड़ने से वंचित कर दो। अरे, विचार का मुकाबला विचार से कीजिए, और मैं आपसे कह रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, चंद्रशेखर जी यहां बैठे हैं।…(व्यवधान) चंद्रशेखर जी इस बात को समझ रहे हैं, आडवाणी जी की गिरफ्तारी का उन्होंने विरोध किया है। अयोध्या में जो कुछ हुआ, उसके बारे में वे हमारी जी-खोलकर निंदा कर रहे हैं, मगर आडवाणी जी की गिरफ्तारी का उन्होंने विरोध किया है। सरकारें जिस तरह से भंग की गई हैं, उसका उन्होंने विरोध किया है। डी.एम.के., ए.डी.एम.के. के मेंबर बोले, बहुत से कांग्रेस के मेंबर भी मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी सरकारें भंग करना नहीं चाहते थे, मगर बाएं और दाएं बैठी हुई शक्तियों ने प्रधानमंत्री जी को मजबूर कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, अभी यह बैन लगाया गया है। बैन की क्या छीछालेदर हो रही है—'केरल हाई कोर्ट सस्पेंड्स बैन ऑन जमात', जमात को भी बैन कर दिया, हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अरे, क्या तीन संगठन काफी नहीं थे? सेकुलर दिखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि अगर तीन हिंदू संगठनों को रगड़ा दिया है तो एक घोंटा कुछ मुस्लिम संगठनों को भी दें। कोई समर्थक आपके सेकुलरवाद पर उंगली नहीं उठाता। उंगली उठती है, और हम उठाते हैं, क्योंकि आपका सेकुलरवाद

सही सेकुलरवाद नहीं है। वह तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर नहीं रखता है। यह वोट बैंक की चिंता करता है। यह शाहबानो के मामले में झुक गया। आपके सेकुलरवाद को मिजोरम में ईसाई सरकार बनने के नाम पर वोट मांगने में संकोच नहीं होता है। यह नहीं चलेगा।...(व्यवधान)

श्री विलास मुत्तमवार (चिमूर) : आपको वोट बैंक की चिंता नहीं रही?

श्री वाजपेयी : अब होने लगी है। यह खतरनाक खेल है। इसलिए आडवाणी जी ने कहा था, उस पर आपत्ति की गई थी, आडवाणी जी ने कहा था कि देश में जो कुछ हो रहा है, उससे मेरी पार्टी को लाभ होगा, मगर देश को नुकसान हो सकता है। लोगों ने कहा कि आप क्यों ऐसा काम करें, जो देश को नुकसान पहुंचाएगा? उन्होंने कहा, नहीं, हम नहीं करना चाहते, लेकिन यह खेल एकतरफा नहीं चलेगा। आप आडवाणी जी को यहां आने नहीं देते, बोलने नहीं देते। आडवाणी जी ने इस्तीफा दे दिया, इसको भी आप महत्व देने को तैयार हैं?

अध्यक्ष महोदय, बैन लगाया गया है, बैन की छीछालेदर हो रही है। बैन लगाने के आपने कारण नहीं दिए। अभी एक ट्रिब्युनल बनना है, ३० दिन आप रुक नहीं सकते थे? ट्रिब्युनल विचार कर सकता था। आप तो न्यायपालिका के बड़े पक्षधर हैं। आप कोई काम मनमानी से नहीं करना चाहते। आप अयोध्या में घंटों प्रतीक्षा करते रहे। मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को दोष नहीं देता हूं। आप कहेंगे, नूरा-कुश्ती हो रही है। मैं लखनऊ से जीता हूं, मगर अभी तक मुझे नूरा-कुश्ती समझ में नहीं आती। यह कुश्ती का कौन सा प्रकार है?

अध्यक्ष महोदय, कल्याण सिंह सरकार के सामने जो धर्म संकट था, वही धर्म संकट केंद्र सरकार के सामने भी था। कल्याण सिंह ने पहले कह दिया था कि साधु-संतों पर मैं गोली नहीं चलाऊंगा। कोई छिपी हुई बात नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो ऊपर चढ़े थे वे साधु-संत थे क्या?

श्री वाजपेयी : आपकी नजर कौन साधु है, कौन संत है, यह नहीं पहचान सकती।

अध्यक्ष महोदय, कल्याण सिंह ने अपने पत्ते रख दिए थे। मगर इसकी जांच होनी चाहिए कि वहां टियर-गैस का उपयोग क्यों नहीं हुआ? वहां रबड़ की गोलियां क्यों नहीं चलीं? वहां सारा शासन इस तरह बिखर कैसे गया? यह तो कल्याण सिंह का आदेश नहीं था...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब वहां से खबरें आईं कि ढांचा ढहाया जा रहा है, आप प्रदेश सरकार की चिंता किए बिना शासन अपने हाथ में ले सकते थे और पवार साहब को कह सकते थे कि फौज को दे दो। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप भी इसको ठीक नहीं समझते थे। वहां ऐसा करना बड़े भारी रक्तपात को निमंत्रण देना होता। चंद्रशेखर जी की राय अलग हो सकती है।

श्री चंद्रशेखर : वहां १२०० लोग मरे, कम से कम १२०० लोग नहीं मरते।

श्री इंद्रजीत गुप्त : २००० लोग मरे सारे मुल्क में।

श्री वाजपेयी : वह गलत हुआ है।

एक माननीय सदस्य : उनको वापस लाइए।

श्री वाजपेयी : कोई किसी को वापस नहीं लाता है। कामरेड, कौन किसको वापस लाता है? तियानमीन स्क्वेयर में जो चीनी टैंकों के नीचे दबकर चले गए, उन्हें कौन वापस लाएगा? पुराने कम्युनिस्ट देशों में लोकतंत्र की लड़ाई में जो बलिदान हो गए, उन्हें कौन वापस लाएगा? ये बातें न करिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, किस प्रकार का बैन लगाया गया? इस बैन की आवश्यकता क्या थी? आप

३० दिन रुक नहीं सकते थे? अब आप क्या करना चाहते हैं, इसका कल हमने स्वाद चखा। परसों जो कुछ हुआ पुरातत्ववेत्ताओं के साथ, वह भी इशारा है। क्या दिल्ली के हिमाचल भवन में पुरातत्ववेत्ताओं को प्रेस कांफ्रेंस बुलाने की अनुमति नहीं होगी? अयोध्या में और भी प्रमाण मिले हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि वहां मंदिर था, जिसे तोड़ा गया। आप इससे डरते क्यों हैं।...(व्यवधान) अगर ऐसे प्रमाण मिले हैं तो उन्हें चुनौती दीजिए। आप कोर्ट में जाइए .. (व्यवधान) आप मांग कीजिए कि कोर्ट देखे। सरकार कोर्ट बना सकती है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पहले आया था। प्रधानमंत्री जी को मालूम है, मंत्रिमंडल के और सदस्य भी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मामला भेजने की बात हो रही थी, धारा १४३ में हो या १३८ में। वह एक लाइन का रिफरेंस होना था, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना था—यह तय होना था कि क्या वहां पहले मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई।...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : आपने नहीं माना।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : हमने कहा कि एक पैकेज होना चाहिए, २.७७ एकड़ पर कारसेवा का प्रारंभ, सुप्रीम कोर्ट को मामला भेजना और ढांचे की पूरी रक्षा, आपने नहीं माना...(व्यवधान) आपने नहीं माना। अध्यक्ष महोदय, क्या अभी सरकार तैयार है? अयोध्या में क्या हुआ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि...(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : आप अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं।...(व्यवधान)

श्री के.पी. उन्निकृष्णन : आप जिस पैकेज का जिक्र कर रहे हैं, उसे स्पष्ट कीजिए। सदन को बताइए।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को कह चुका हूं कि साधु-संतों से और विश्व हिंदू परिषद से बहुत चर्चा हुई थी। श्री शरद पवार ने भी उसमें भाग लिया था।...(व्यवधान)

आप पैंकेज सुनना चाहते हैं और कहते हैं कि गलत काम किया। उसमें जो प्रस्ताव उभरे थे, वह प्रस्ताव इस रूप में उभरे थे कि मामला सुप्रीम कोर्ट की सलाह के लिए भेज दिया जाए। दूसरा, साधु-संत इस बात पर बल देते रहे कि २.७७ एकड़ पर हमें कारसेवा करने का अधिकार मिलना चाहिए। और सब इस राय के थे कि जो विवादित ढांचा है, उसकी पूरी रक्षा होनी चाहिए।

श्री शरद पवार : सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस करने की बात आप कहते हैं, यह बराबर है और ढांचे की रक्षा की बात कहते हैं, वह बराबर है। लेकिन २.७७ पर काम करने के लिए प्रस्ताव दिया था, वह किसी ने नहीं माना।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : मैं भी तो यही कह रहा हूं कि पैकेज आपने नहीं माना। मैं इस सदन को गुमराह नहीं करूंगा। अब मैं पुरानी चर्चा छोड़ता हूं। अब नई परिस्थिति पैदा हो गई है। ढांचा ढह गया है। उसके साथ जिन्होंने यह सोचकर ढांचा ढहाया कि मस्जिद ढहेगी, उन्होंने मंदिर भी ढहाया, जिसकी मुझे पीड़ा है और मुझे दुख है। वे जोश में यह भी भूल गए कि वहां मंदिर है, वहां पूजा हो रही है, आरती होती है, नमाज बंद है। यह बातें अगर आप बताते तो दंगा न होता। आपने नहीं बताया कि वह विवादित ढांचा था, जो मस्जिद कम था, मंदिर ज्यादा था।...(व्यवधान)

श्री शरद पवार : विश्व हिंदू परिषद ने इस बारे में यह कहा था कि कलंकित ढांचा है।

श्री वाजपेयी : मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या कहा था।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, साधु-महात्माओं और सरकार के बीच बातें होती थीं, शरद पवार जी और विहिप के मध्य बातें होती थीं। भारतीय जनता पार्टी उनमें नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम कि क्या बातें होती थीं।

श्री शरद पवार : यही प्राब्लम है कि आपको सब बातें नहीं पता लगतीं।

अयोध्या में अब क्या बनेगा?

श्री वाजपेयी : ठीक है, आपने थोड़ा निकलने का रास्ता दे दिया। अब सरकार क्या करना चाहती है? क्या इरादा है? इतना कन्फ्यूजन क्यों है? एक दिन कहती है वह ढांचा बनेगा, फिर से बनेगा। वहां एक गुंबद था, एक मेहराब जैसा था जो मस्जिद का हिस्सा था, दो गुंबद और थे जिनमें राम-लला विराजमान थे, कसौटी के स्तंभ थे, पत्थर लगा था, उसमें कई मूर्तियां, कलश, कमल आदि अंकित थे। क्या उसको फिर उसी रूप में खड़ा किया जाएगा। इस बारे में शरद पवार कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, क्या बनेगा···वहां···(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि अभी समय है, आप इस समस्या को तत्काल और स्थायी तौर पर हल करने का प्रयास करें। अगर हमें चुनाव में इसका लाभ उठाना होता तो हम साधु-महात्माओं को कहते कि अभी कारसेवा करने की जरूरत नहीं है, अभी चुनाव होनेवाले नहीं हैं, जरा रुक जाइए। साधु-महात्मा इस तरह से रुकनेवाले नहीं हैं। वे मंदिर निर्माण के साथ जुड़े हैं···(व्यवधान) वोट के साथ नहीं जुड़े हैं···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अयोध्या में गिराए गए ढांचे को उचित ठहरा रहे हैं।

श्री वाजपेयी : अब सरकार क्या करना चाहती है? सदन को विश्वास में ले, देश को विश्वास में ले। एक सुझाव यह है कि वहां इस समय और भी उत्खनन किया जाए, जिससे यह पता लग सके कि वहां सचमुच में मंदिर था या नहीं। प्रमाण हमारे पास हैं। जो पुरातत्व के अंश निकल रहे हैं, वे इसकी पुष्टि करते हैं कि मंदिर था। मुस्लिम नेता यह वादा कर चुके हैं···

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : हम कोई वादा नहीं करते हैं···(व्यवधान)···आपने धोखा दिया, अब कोई शार्टकट नहीं होगा, अब कानून फैसला करेगा और उसके सिवा कोई फैसला नहीं करेगा।

श्री वाजपेयी : अच्छा है, मेरे दोस्त शहाबुद्दीन जी ने भरी सभा में यह बात कह दी। इनका एक पत्र है मेरे पास ४ जुलाई, १९८७ का। यह पत्र प्रिंस अंजुम कदर को लिखा गया था जो कि शियाओं के नेता हैं। जो मस्जिद बनी हुई है उसका मुतबल्ली शिया संप्रदाय का है, वह मस्जिद शियाओं की थी, ऐसा दावा किया जाता है। बूटा सिंह जी को भी इन प्रयत्नों का स्मरण होगा कि शिया इस राय के हो गए थे कि यह झगड़ा खत्म होना चाहिए, अगर हिंदू बहुसंख्यक यह अनुभव करते हैं कि यहां राम का जन्म हुआ था, यह मंदिर था, जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो शिया उसको शिफ्ट कर सकते हैं। मगर शहाबुद्दीन साहब ने होने नहीं दिया, इन्होंने पत्र लिखा और आज खुलकर सामने आ गए :

"यदि कुछ विचारधाराओं के द्वारा बदलाव की अनुमति दी जाती है, तो भी बदलाव को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। एक ही झलक में, बदलाव पंडेरा का पिटारा खोल देगा। कृपया इस उपाय को पेश न करें···(व्यवधान) मैं आर.एस.एस. द्वारा प्रस्तावित बदलाव के उद्दंडतापूर्ण प्रस्ताव के पूरी तरह विरुद्ध हूं, जिसे आप स्वीकार करने की ओर झुकते-से लगते हैं। कृपया पुनः विचार करें।"

श्री सैयद शहाबुद्दीन : यह शरीयत के अनुसार और देश के सभी उलेमाओं की राय के अनुसार हो सकता है।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम भी यही कहते थे कि हम मस्जिद को तोड़ना नहीं चाहते, हम सम्मान के साथ उसे दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। राम जन्म स्थान से अलग।... (व्यवधान)...थोड़ा दूर जाकर वहां मस्जिद बने हम उसमें कारसेवा करने के लिए तैयार हैं, हम उसमें योगदान देने के लिए तैयार हैं...(व्यवधान)...लेकिन मस्जिद का निर्माण नहीं हो सका।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ (पोन्नानी) : मस्जिद शिफ्ट नहीं की जा सकती, लोकेशन बदली नहीं जा सकती।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, कल से हम यह सब सुन रहे हैं। संविधान की दुहाई दी जाती है। न्यायपालिका का सम्मान किया जाए, इस पर बल दिया जाता है। लेकिन बार-बार यह बात भी कही जाती है कि शादी-ब्याह का कानून एक नहीं हो सकता, क्योंकि वह शरीअत के खिलाफ है। और शरीअत डिवाइन लॉ है। मैं किसी की मान्यताओं पर कोई आंच नहीं लाना चाहता। लेकिन आपने इस बात को कभी सोचा कि अगर दूसरा समाज भी कुछ मान्यताओं पर इस तरह से अड़ गया तो क्या होगा? आखिर अयोध्या में जो मस्जिद है, उसका मुसलमान भाइयों के लिए क्या विशेष महत्व है? वह भी अनेक में से एक मस्जिद है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : वह मस्जिद बराबर है।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अयोध्या हिंदुओं के लिए तीर्थ है। अयोध्या एक है। पवित्र राम जन्मस्थान भी एक है। विश्वास का विषय है, कोई तर्क से या तथ्यों से यह सिद्ध नहीं कर सकता। हां, यह विश्वास है। अगर आपको यह विश्वास है कि जो कुछ शादी-ब्याह के बारे में तय किया गया है, वह खुदा ने तय करके भेजा है तो आप दूसरे के विश्वास को कैसे अनदेखा कर सकते हैं। फिर राम मर्यादा पुरुष हैं, राष्ट्र पुरुष हैं। उनके जन्मस्थान पर उनका ही मंदिर होना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपील करना चाहता हूं और जहां से मैंने आरंभ किया था, मैं वहीं समाप्त कर रहा हूं। मैंने कहा था कि देश तिराहे पर खड़ा है। एक तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर, एक तरह की कट्टरता को बढ़ावा देकर आप दूसरी तरह की कट्टरता से नहीं लड़ सकते। मगर आप यही कर रहे हैं।

आइए, हम एक नई शुरुआत करें। अयोध्या को, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि एक अवसर में बदला जा सकता है। आपने हमारी सरकारें तोड़ दीं, ठीक है। आप प्रतिबंध लगाएंगे तो हम लोगों के पास जाएंगे और आज जितनी संख्या है, उससे हम ज्यादा चुनकर आएंगे, आप यह याद रखिए। आपको इस देश के मूड का पता नहीं है और अगर आप समझते हैं कि हमारा सफाया हो जाएगा तो मैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाया हूं, मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप लोकसभा भंग कर दें और जनता के पास जाएं तो आपको पता चलेगा कि देश की जनता क्या निर्णय करती है।

तारापुर के तार क्यों टूटे?

अध्यक्ष महोदय, आजादी की ३६वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने लालकिले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए देशवासियों से अपील की कि वह थोड़ा आत्म-निरीक्षण करके देखें। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप आत्म-निरीक्षण की प्रक्रिया स्वयं से प्रारंभ करें।

अविश्वास के प्रस्ताव में खंडन-मंडन स्वाभाविक है, लेकिन आत्म-चिंतन की प्रक्रिया सत्तारूढ़ दल में शुरू हो गई है और इसका पता लगता है सूचना मंत्री श्री वसंत साठे के भाषण से। अभी हमारे कुछ कांग्रेस के मित्र शिकायत कर रहे थे कि प्रतिपक्ष अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाता है?

सच्चाई यह है कि अविश्वास प्रस्ताव के अलावा प्रधानमंत्री से दो-दो बातें करने का मौका अब सदन में नहीं मिलता है। यह कहा जा सकता है कि और मंत्री भी तो हैं, मगर स्वयं सूचना मंत्री कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक तंबू की तरह है जो एक खंभे पर खड़ी है। अब अगर बात होती है तो प्रधानमंत्री से होनी चाहिए, जो तंबू के नीचे दुबके बैठे हैं, उनसे बातचीत करने का कोई लाभ नहीं।

इतना ही नहीं, वसंत साठे जी ने कुछ और भी बातें गंभीरता से कही हैं।

एक माननीय सदस्य : नौकरी जाएगी उनकी।

श्री वाजपेयी : वह कहते हैं : "दिल्ली स्टडी ग्रुप द्वारा यहां कल 'लोकतंत्र इकाइयों को मजबूत करता है' विषय पर आयोजित चर्चा में भाग लेते समय उन्होंने कहा कि छिछले (उथले) समाधान न तो समस्याओं को सुलझाते हैं और न ही लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए आवश्यक आर्थिक वृद्धि संतुलन को सुनिश्चित करते हैं।"

'उथले' शब्द पर ध्यान दें। उन्होंने जोड़ा :

"उन्होंने महसूस किया कि इन मुद्दों पर मंत्रिमंडल में या कांग्रेस कार्य समिति में कोई विचार नहीं होता।"

जब उनसे अपने पर्यवेक्षणों को बताने के लिए कहा तो उन्होंने पलटकर कहा, "क्या मुझे

** केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में १६ अगस्त, १९८२ को भाषण और वाद-विवाद।*

सुना नहीं?"

पूछा गया, क्या उन्होंने स्वयं कोई 'विचार' किया? उन्होंने कहा—किया और यही बात है कि वह समस्याओं पर बोल रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान और बर्मा में क्या हो चुका है। उसी तरह की स्थिति भारत में भी पैदा हो सकती है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मर गया।

एक माननीय सदस्य : रहम कीजिए।

श्री वाजपेयी : श्री साठे ने इस भाषण का खंडन नहीं किया है। सच्चाई तो यह है कि दिल्ली से पूना जाने के बाद तिलक जयंती पर जो भाषण उन्होंने दिया, उसमें अपनी आशंका को स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। मैं सरकार पर आक्षेप लगाने के लिए उस भाषण का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन आज जो देश की परिस्थिति है, प्रधानमंत्री अपने हृदय पर हाथ रखकर बताएं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं?

एक माननीय सदस्य : बिल्कुल हैं।

श्री वाजपेयी : ढाई साल बीत गए, आधी अवधि समाप्त हो गई, क्या लेखा-जोखा लेने का वक्त नहीं आया है? जनता सरकार ने जो किया है, वह आज विवाद का विषय नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं है?

श्री वाजपेयी : ये सरकार में आ गए हैं, मगर अभी तक ये पूरी तरह समझ नहीं पाए कि सरकार में आ गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, महंगाई बढ़ने की चर्चा की जाती है, तो वित्त मंत्री कहते हैं कि यह वृद्धि सीजनल है। श्री प्रणव मुखर्जी जैसे सीजंड पार्लियामेंटेरियन सारी महंगाई को सीजनल बताएं, यह किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहां तक कि श्री फ्रेंक एंथनी स्वीकार कर चुके हैं।

श्री वाजपेयी : काश यह महंगाई मौसमी होती। लेकिन यह मौसमी नहीं है। यह अर्थ-नीतियों के परिवर्तन से जुड़ी है।

पिछले दो साल में जिस तरह से औद्योगिक नीति बदल गई है, लाइसेंस नीति में परिवर्तन किए गए, आयात-निर्यात व्यापार के मामले में रद्दोबदल किए गए, उस सबका कुल मिलाकर परिणाम यह हो रहा है कि आम आदमी पिस रहा है, विदेशी कर्जा बढ़ रहा है और स्वावलंबन के राष्ट्रीय लक्ष्य को हमेशा के लिए छोड़ा जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने जब सत्ता संभाली, तब विदेशी कर्जा १०,००० करोड़ रुपए के करीब था — मार्च, १९८० में विदेशी कर्जे की राशि १०,००० करोड़ रुपए थी। मार्च, १९८२ में यह बढ़कर १५,४५९ करोड़ रुपए हो गई। आई.एम.एफ. का ऋण अलग है, १९८३ में इस ऋण की राशि २०,००० करोड़ रुपए तक पहुंचेगी। २ बिलियन डॉलर हमें ब्याज का चुकाना पड़ेगा। ७ से ८ बिलियन डॉलर का हमारा व्यापार में घाटा होनेवाला है। हम देश को किधर ले जा रहे हैं?

एक माननीय सदस्य : तरक्की के रास्ते पर।

श्री वाजपेयी : आई.एम.एफ. लोन के साथ जो शर्तें लगी हैं, उनके अनुसार हम स्वावलंबन से हट रहे हैं। अब अनाज के मामले में भी हमें विदेशों की तरफ देखना है। ऐसी स्थिति में किस तरह से गुटनिरपेक्षता की नीति पर ईमानदारी से चला जा सकता है? प्रधानमंत्री ने अमेरिका में कहा कि अमेरिकावालों ने मान लिया है कि—वी आर ट्रुली नॉन-एलाइंड।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : जहां तक मुझे याद है, मैंने यह नहीं कहा। ये आपके शब्द हैं।

श्री वाजपेयी : ये मेरे शब्द नहीं हैं। यह समाचारपत्रों में छपा हुआ है।

श्रीमती गांधी : उनकी हरएक बात न मानिए।

श्री वाजपेयी : आपकी तरफ से कोई खंडन नहीं किया गया है। आपके पास इतना बड़ा दफ्तर है, मैडम।···(व्यवधान) और फिर मैं आपके प्रतिनिधि मंडल में नहीं था। मैं कहां से होता? विदेश मंत्री तक नहीं मैं।···(व्यवधान) लेकिन अगर अख़बारों में छपे हुए समाचार और भाषण का खंडन नहीं हुआ तो मेरे लिए इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है कि मैं उसको सही मानूं। अगर प्रधानमंत्री कहती हैं कि उन्होंने यह नहीं कहा तो वह बताएं कि उन्होंने क्या कहा।

श्रीमती गांधी : मैंने कहा कि—वी स्टैंड इरेक्ट।

श्री वाजपेयी : प्रधानमंत्री ने कहा—हम न इधर झुकते हैं न उधर झुकते हैं, हम सीधे खड़े रहते हैं। जब यही बात १९७७ और १९७८ में हमने कही थी तब आपने कहा था कि अमेरिका की तरफ झुकाव को छिपाने के लिए आप यह कह रहे हैं।

श्रीमती गांधी : आपने कहा था कि आप जेनुअनली नॉन-अलाइंड हैं।

श्री वाजपेयी : और आप कह रही हैं कि आप ट्रूली नॉन-अलाइंड हैं। फर्क क्या है? ···(व्यवधान)

श्रीमती गांधी : फर्क यह है कि नॉन-अलाइंड मूवमेंट हम पर विश्वास कर रहा है और हमारी तरफ देख रहा है और आप पर वह विश्वास नहीं करता था।

श्री वाजपेयी : नॉन-अलाइंड मूवमेंट किसी व्यक्ति की तरफ नहीं देखता, हिंदुस्तान की तरफ देखता है और यह संयोग की बात है कि प्रधानमंत्री आज आप हैं।···(व्यवधान) प्रधानमंत्री का समर्थन करने के लिए कैसे-कैसे माननीय सदस्य खड़े हो रहे हैं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया टोका-टाकी न करें।

प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा का परिणाम

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, अगर प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा के परिणामस्वरूप अमेरिका के साथ हमारे संबंधों में सुधार हुआ है तो कोई उसका विरोध नहीं करेगा। अगर सुधार हुआ है तो। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर प्रधानमंत्री ही दे सकती हैं। तारापुर के मामले में जो समझौता हुआ है, बार-बार प्रधानमंत्री कहती हैं कि हमने रिप्रोसेस करने का अधिकार नहीं छोड़ा। यह ठीक है कि अधिकार नहीं छोड़ा, मगर रिप्रोसेस करने का अवसर आपने छोड़ दिया है। अगर समझौता टूट जाता और समझौता तोड़ना अमेरिका के लिए अनैतिक होता, वह ३० साल तक हमें एनरिच्ड यूरेनियम देने के समझौते से बंधा हुआ है। उनसे कहना चाहिए था कि अगर आप समझौता तोड़ रहे हैं, हम कहीं और से पाएंगे। हम अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा करेंगे। मगर हमने क्या किया? अब हमें एनरिच्ड यूरेनियम फ्रांस से मिलेगा। मगर वाया अमेरिका मिलेगा। क्या फ्रांस से सीधा समझौता नहीं कर सकते थे?

श्रीमती गांधी : सीधा ही होगा।

श्री वाजपेयी : हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों को मिलकर फ्रांस के पास जाने की क्या जरूरत है?···(व्यवधान) तारापुर के स्पेयर्स का क्या होगा? स्पेयर्स के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहां

स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। हमें प्रयुक्त ईंधन हटाना पड़ेगा। कहां ले जाएंगे? हम फ्रांस से सीधे समझौता कर सकते थे। अमेरिका को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं थी।

यह ठीक है कि अमेरिका के रुख में भी परिवर्तन हुआ है। लेकिन अमेरिका के रुख में परिवर्तन केवल भारत के बारे में नहीं हुआ है, ब्राजील के बारे में हुआ है, साउथ अफ्रीका के बारे में हुआ है। लेकिन तारापुर का सवाल जिस तरह से हल होना चाहिए था, हल नहीं हुआ।

पाकिस्तान को मिलनेवाले हथियार के बारे में क्या फैसला हुआ? पालम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री से पूछा गया कि क्या अमेरिका ने कोई आश्वासन दिया है भविष्य के बारे में? प्रधानमंत्री ने कहा—मैंने आश्वासन मांगा ही नहीं। मांगा ही नहीं तो देने का क्या सवाल है? हथियार मिलते रहेंगे। आखिर अमेरिका के साथ गलतफहमी पैदा हुई तो पाकिस्तान को दिए जानेवाले हथियारों को लेकर हुई, वे तारापुर-समझौते से मुकर रहे हैं, इसको लेकर हुई। दोनों सवालों पर हम कहां पहुंचे? मैं इसमें ज्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे जरा घरेलू मामलों की चर्चा भी करनी है।

दिल्ली किसके अधीन है?

दिल्ली किस तरह से चल रही है? राज्यों में गड़बड़ हो रही है। उसके लिए कहा जाता है हम क्या करें? राज्य का विषय है। दिल्ली किसके अधीन है? दिल्ली पर सीधा केंद्र का शासन है। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि एकदम २४ घंटे के अंदर दिल्ली में बिजली की व्यवस्था ठीक करो। अगर उस आदेश का पालन कर दिया जाता तो दिल्लीवाले खुश होते। हमको भी संतोष होता कि प्रधानमंत्री के शब्द की कोई कीमत है। २४ घंटे बीत गए। घंटे दिन में बदल गए। दिन हफ्तों में परिवर्तित हो गए। दिल्ली में ऐसे इलाके हैं जहां पांच-पांच घंटे बिजली नहीं आती। मैं आंकड़े रख सकता हूं । डेसू पर खर्चा बढ़ रहा है। उत्पादन घट रहा है। यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आता।

अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि क्या दिल्ली में आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए सिविल सप्लाई कारपोरेशन नहीं बनाया गया? उसकी एक करोड़ ९० लाख की पूंजी थी। और एक करोड़ का घाटा हो गया। ८० लाख रुपए एक चीनी के सौदे में गोल-माल कर दिए गए। चीनी मद्रास में खरीदी गई ८५० रुपए क्विंटल के भाव से दिल्ली के लिए। दिल्ली में एक किलो भी नहीं आई। चीनी मद्रास में ही बेच दी गई ५५० रुपए क्विंटल के हिसाब से। ८० लाख का घाटा हुआ है। कोई है जवाबदेह इस बारे में?

दिल्ली में रेलों के तीन पुलों को चौड़ा करने की कोशिश की जा रही है—आजादपुर, नारायणा और एक पुल और है। उसके लिए मिट्टी की जरूरत थी। रेलवे मंत्रालय ने दिल्ली प्रशासन से कहा कि मिट्टी का इंतजाम करो। ८ हजार ट्रक मिट्टी चाहिए थी। इसी समय दिल्ली का नजफगढ़ नाला खोदा जा रहा है, मिट्टी निकाली जा रही है। दिल्ली प्रशासन ने कहा कि रेल के लिए हम मिट्टी नहीं दे सकते। आप अपना टेंडर निकालो, मिट्टी मंगाओ। नाले से मिट्टी निकालने के लिए अलग ठेका दिया गया। रेलवे ने अलग टेंडर दिए कि हमें मिट्टी चाहिए। दोनों ठेकेदार मिल गए। नजफगढ़ ड्रेन की मिट्टी रेलवे को दे दी गई और एक करोड़ दस लाख रुपया कमा लिया गया।⋯(व्यवधान) क्या कोई यह मान सकता है कि यह काम ठेकेदार बिना अफसरों से मिले हुए कर सकते हैं? क्या कोई यह मान सकता है कि अफसर यह काम बिना ऊपर के इशारे के कर सकते हैं?

प्रेस की स्वाधीनता की चर्चा हुई है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये अकेली नहीं हैं। बिल बिहार

में आया। बिहार की सरकार प्रेस काउंसिल में शिकायत लेकर आज तक नहीं गई। कुछ पत्रिकाएं ऐसी हो सकती हैं जो अनर्गल बातें लिखें। उनका ध्यान रखने का काम हमने प्रेस काउंसिल को सौंपा है। आवश्यकता हो तो प्रेस काउंसिल को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है। मानहानि का कानून है। बिहार की सरकार केवल एक मामले में अदालत में गई है और उस मामले में भी आठ बार एडजर्नमेंट लिया है बिहार की सरकार ने। अगर आप समझते हैं कि मानहानि हुई है तो मुकदमा चलाइए। मगर बिहार को छोड़िए। बिहार के मुख्यमंत्री बिना केंद्र के इशारे के इतना बड़ा काम नहीं कर सकते और अगर बिहार के मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम बिना केंद्र के इशारे के करने लगे हैं तो यह मानना पड़ेगा कि जिस एक खंभे पर यह तंबू खड़ा है, वह खंभा भी कुछ हिलने लगा है।

अरुण शौरी को कौन निकलवाना चाहता है?

मगर दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में इंडियन एक्सप्रेस ने जो कुछ लिखा है, उससे दिल्ली के दरबार में अभी नाराजगी है। और इंडियन एक्सप्रेस के मालिकों से कहा जा रहा है कि अरुण शौरी को निकाल दो। अगर अरुण शौरी को मैगसेसे अवार्ड नहीं मिलता तो अरुण शौरी को इंडियन एक्सप्रेस से निकालने का नोटिस मिल गया होता। इंडियन एक्सप्रेस के मालिक अरुण शौरी को निकालना नहीं चाहते। उन पर कौन दबाव डाल रहा है?

दिल्ली से एक हिंदी साप्ताहिक निकलता है। उस हिंदी साप्ताहिक ने राष्ट्रपति चुनाव के समय एक लेख प्रकाशित किया। लेख में ज्ञानी जैल सिंह की कुछ आलोचना थी। आप जानते हैं, उस पत्रकार को अब नौकरी से हटाया जा रहा है और राजनैतिक दबाव में हटाया जा रहा है। ग्वालियर में आंग्रे के खिलाफ जो कार्यवाही हुई है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, आंग्रे ने 'सूर्या' को खरीदा, वह उनका अपना फैसला है। 'सूर्या' में जो कुछ प्रकाशित हो रहा है मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन सूर्या को बात लिखने का अधिकार है या नहीं? अगर चोरी का आरोप होता तो राजमाता सिंधिया के खिलाफ होता है, आंग्रे के खिलाफ नहीं होता···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सिसवा कांड की काफी चर्चा हो चुकी है। शायद पहली बार इतना लज्जाजनक कांड हुआ है जिसमें कि महिलाओं पर बलात्कार करने में पुलिसवाले भी शामिल हैं। वहां की महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से आकर मिला था और शायद प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया था कि सी.बी.आई. उसकी जांच करेगी। लेकिन उसकी जांच शुरू नहीं की गई है। आज हालत यह है कि सिसवा में जाकर उन अभागी औरतों से कहा जा रहा है कि तुम्हें रुपया चाहिए तो रुपया ले लो, कपड़े चाहिए तो कपड़े ले लो, बर्तन चाहिए तो बर्तन ले लो, लेकिन यह मत कहो कि तुम्हारे साथ बलात्कार किया गया है। मेरे पास वहां के नागरिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठी आई है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं इसको पढ़कर सुना सकूं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में भूमिहीन हरिजनों पर अत्याचार ढाहे जा रहे हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है। इसलिए कि वे सरकार द्वारा नियुक्त मजूरी मांग रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि जो विशुद्ध सांप्रदायिक दंगे हैं, उन्हें दो बदमाशों के गिरोह के दंगे के रूप में पेश किया जा रहा है। अभी मुंगेर-जमालपुर में जो दंगा हुआ है उसमें १४ व्यक्ति मारे गए हैं–उसमें बच्चे मारे गए

हैं, औरतें मारी गई हैं, मैं पूछना चाहता हूं...(व्यवधान)

लालकिले से हां, सदन में ना!

मैं जानता हूं कि बिहार में राज्य सरकार है और उससे जवाब-तलब किया जा सकता है। मैं तो प्रधानमंत्री का ध्यान एक विशेष स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। उस गांव में पुलिस तैनात थी, होम गार्ड्स तैनात थे...(व्यवधान) प्रधानमंत्री लालकिले पर खड़े होकर कम्युनल राइट्स की, माइनारिटीज की बात कर सकती हैं, मैं सदन में खड़े होकर नहीं कह सकता...(व्यवधान) वहां पर वे सारे देश का जवाब देने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री को वहां पर कहना चाहिए था—मैं खाली यूनियन टेरीटरीज के लिए बोल रही हूं, राज्यों के लिए नहीं बोल रही हूं...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, १९ जून, १९८२ को उस गांव में ७ होम गार्ड्स तैनात थे और एक मजिस्ट्रेट तैनात थे। २० जून को तीन सिपाहियों ने अपने को बीमार घोषित करवा दिया। बंदूकें रखकर चले गए। बाकी के सिपाही भी चले गए। मजिस्ट्रेट भी चले गए। यह संयोग नहीं है। इसकी जांच होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि इसमें कहां तक सच्चाई है। कहीं दंगाइयों से ये लोग मिले तो नहीं हैं? उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहकर खत्म करना चाहता हूं।

१७ सितंबर, १९८१ को इसी सदन में प्रधानमंत्री ने बहस का जवाब देते हुए एक बात कही थी, मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूं :

"मैं अपने विरुद्ध लगे केसों में जाना नहीं चाहती। लेकिन मैं एक केस बताना चाहती हूं। मैं नहीं जानती कि आप इसके विषय में जानते हैं। मुझे इम्फाल, मणिपुर पूरे रास्ते गैर-जमानती वारंट पर जाना पड़ा। आप जानते हैं क्या आरोप था? मुझे एक व्यक्ति को उकसानेवाला माना गया था जो दो चूजे और छह अंडे चुरा चुका था। यह सबसे बड़ा आधार था, जिस पर जनता पार्टी के विरुद्ध लोकतंत्र एवं चरित्र..."

इन शब्दों से हम स्तब्ध रह गए। वह कौन था जो प्रधानमंत्री को ऐसे तुच्छ आरोप में इम्फाल तक घसीट ले गया? लेकिन बाद में मैंने तथ्य इकट्ठे किए। यह गलत है कि प्रधानमंत्री के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए गए...(व्यवधान) यह सत्य नहीं है...(व्यवधान)

पेट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री पी. शिवशंकर : वारंट जारी किया गया था।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : प्रधानमंत्री के विरुद्ध एक सम्मन जारी हुआ था...(व्यवधान) मैं पूर्ण रूप से ठीक हूं। यह ठीक नहीं है कि श्रीमती गांधी को सम्मन दिया गया...(व्यवधान)

श्री पी. शिवशंकर : मैं संसद की सदस्यता से त्यागपत्र देने को तैयार हूं...(व्यवधान)...मान लो आप गलत हैं, दो बिंदुओं...(व्यवधान) आप कहते हैं कि इम्फाल से...(व्यवधान) यह त्रिखा आयोग था जो सभी बातों की जांच कर रहा था। श्रीमती गांधी के विरुद्ध जमानती वारंट जारी नहीं किया, यदि आप कहते हैं तो ठीक है, तब मैं संसदीय सीट से त्यागपत्र देने को तैयार हूं।

श्री वाजपेयी : एक आरोपी की तरह।

श्री पी. शिवशंकर : यदि आप जो कहते हैं, ठीक नहीं है तो आप संसद सदस्यता से त्यागपत्र दे दें।

श्री वाजपेयी : मैंने जो पढ़ा है उसमें दो बातें हैं...(व्यवधान) प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। मैं कहता हूं कि यह एक सम्मन था, गैर

जमानती वारंट नहीं। मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए और मैं वहां प्रपत्र प्रस्तुत कर दूंगा⋯(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समापन करना चाहिए।

श्री वाजपेयी : जहां तक दूसरे बिंदु का मामला है, आप हमें बताइए कि इम्फाल से ये सम्मन उन्हें गवाही देने के लिए जारी किए गए थे या आरोपी के रूप में?

श्री पी. शिवशंकर : यदि आप उस समय वहां उपस्थित होते, तो देखते, उनसे पूरे दिन जिरह की गई, ठीक १० बजे से ६ बजे तक। वह गवाही नहीं थी⋯(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : श्री शिवशंकर ने चुनौती दी है। मैं वह चुनौती स्वीकार करता हूं। लेकिन इस मामले को हम कैसे तय करेंगे? सारा मुद्दा ही विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए और मैं इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं।

असंतोष का हल दमन नहीं

सभापति महोदय, मैं ज्ञानी जी के भाषण का जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उनकी तकरीर लाजवाब थी। उसका कोई जवाब नहीं दे सकता।

सभापति महोदय, मैं अभी मणिपुर से लौटा हूं। मणिपुर की हरी-भरी धरती पर इस समय खून के धब्बे पड़े हुए हैं। मणिपुर उत्तर-पश्चिम का सीमांत प्रदेश है। अभी तक मणिपुर में १३५ लोग पुलिस के साथ मुठभेड़ में या आपस में संघर्ष में मरे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत के किसी भाग में जो सीमा पर स्थित है, इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे, और वह संख्या बिहारशरीफ से ज्यादा है; तो यह सारे देश के लिए खतरे की घंटी है। मणिपुर केवल दिल्ली से दूर है, इसलिए हमारे दिल से दूर नहीं होना चाहिए। आज वहां राष्ट्रपति शासन है। मणिपुर के शासन के लिए केंद्र उत्तरदायी है। आज सबेरे दो नौजवान पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। मुझे उस स्थान पर जाने का मौका मिला था। भरी बस्ती के बीच में गोलियां चलीं, खून के दाग पड़े हैं। उनमें एक नौजवान ऐसा था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जिसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। आज वह जान लेने पर और जान देने पर उतारू क्यों हो गया?

एक माननीय सदस्य : आप यूनिवर्सिटी में दंगा कराना चाहते हैं?⋯(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, यह टोका-टाकी का मामला नहीं है। नासमझी से टोका-टाकी न संसद की मर्यादा को बढ़ाती है और न वाद-विवाद में योगदान देती है।

मैं एक गंभीर बात की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। मणिपुर में १४ लाख की आबादी में एक लाख पढ़े-लिखे लोग बेकार हैं। क्या वजह है कि विश्वविद्यालय से निकलकर नौजवान सीधे भूमिगत आंदोलन में शरीक हो जाता है, बंदूक लेकर मैदान में निकल पड़ता है?

पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट आज दावा कर रहा है कि उसे बहुमत प्राप्त है। क्या वजह है कि मणिपुर में उसे सरकार बनाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है? राष्ट्रपति राज लागू करने की क्या जरूरत है? चुनी हुई सरकार की तकदीर का फैसला विधानसभा में होगा या केंद्र के हाथ की कठपुतली बने हुए राज्यपालों की रिपोर्ट पर होगा?

** मणिपुर के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में ८ मई, १९८१ को भाषण और वाद-विवाद।*

असम में कांग्रेस (आई) का बहुमत नहीं था मगर सरकार बनाने के लिए दल के नेता को निमंत्रण दे दिया गया। वह सरकार हार गई, उसे न जनता का विश्वास प्राप्त है न विधानसभा का। वह सरकार असम में थोपी हुई है। लोकतंत्र को नापने के लिए क्या अलग-अलग गज होंगे? राज्यपाल मणिपुर में एक तरह से आचरण करेंगे और असम में दूसरी तरह से? केंद्र में बैठकर आप मणिपुर की विस्फोटक स्थिति नहीं देखेंगे? असम के नौजवान अतिरेक के रास्ते पर न चले जाएं, इसकी चिंता नहीं करेंगे? केवल दल का हित देखा जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय, फौज और पुलिस के बल पर लोगों के शरीर को मारा जा सकता है, मगर दिल पर राज नहीं किया जा सकता। मणिपुर में एक सरकार थी जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे : मंत्री, भ्रष्ट अफसर, बेईमान ठेकेदार लोगों का शोषण करने में निमग्न। नौजवान असंतोष की आग में जल रहा है। भारत की एकता को मणिपुर में चुनौती दी जा रही है। जिन परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा सेनाएं काम कर रही हैं, मुझे उनके साथ सहानुभूति है। मगर मणिपुर और असम की समस्या का हल दमन नहीं है, आतंक नहीं है। इसके लिए लोकतंत्र को सही मर्यादाओं पर दृढ़ रहना पड़ेगा, सत्ता के खेल को छोड़ना पड़ेगा। अगर मणिपुर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को सरकार बनाने के लिए बुला लिया जाए और वह सरकार विधानसभा में गिर जाए, तो आपको कोई दोष नहीं देगा। मगर आप पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं।

पिछली राज्य सरकार के समय जो २००० टन रेपसीड आयल मणिपर के लिए भेजा गया, वह कलकत्ता के बाजार में बिक गया। मणिपुर तक नहीं पहुंचा। वहां जो पेपर मिल लगनेवाली थी, उसका क्या हुआ? किसी भी नौकरी के लिए बिना रिश्वत के काम नहीं बन सकता है। बिजली पैदा करने के लिए लोकटक प्रोजेक्ट इतने बरसों से पड़ा हुआ है। इसलिए नौजवान बिगड़ रहे हैं। यह पार्टियों की लड़ाई तो यहां लड़ी जाएगी, मगर संकट पार्टियों की परिधि को पार कर गया है। यह संकट केवल राजनीतिक संकट नहीं है। यह विश्वास का संकट है। यह व्यवस्था का संकट है। क्या वजह है कि १५ महीने के भीतर देश फिर से तकदीर के तिराहे पर खड़ा हो गया है? क्या वजह है कि पंद्रह महीने के भीतर जादू उतर गया है? क्या वजह है कि विधानसभाओं में और लोकसभा में आपका बहुमत है, मगर देश में संतोष नहीं है? महंगाई बढ़ रही है। पिछले साल वह १८% बढ़ी। इन्हीं चार महीनों में वह उससे ज्यादा बढ़ गई है। जब बजट पेश किया गया था तब दावा किया गया था कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी। बंधी-बंधाई तनख्वाह पाने वाला, गरीब मजदूर किस तरह अपने जीवन का पालन करेगा?···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अमीर की बात कीजिए। गरीब की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती।

श्री वाजपेयी : इनके मुंह से तो कोई बात शोभा नहीं देती है। बूढ़ा होकर जो टोका-टाकी करता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

ज्ञानी जी कानून और व्यवस्था की बात कह रहे थे। वह आंकड़ों से साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली में अपराध कम हो गए हैं। क्या ज्ञानी जी को पता है कि दिल्ली के थानों में अपराधों को रजिस्टर नहीं किया जा रहा है? जनता पार्टी के राज में श्रीमती इंदिरा गांधी कहती थीं कि दिल्ली में शाम को औरत का अकेला चलना मुश्किल है। इंदिरा जी के राज में आज हालत यह है कि अच्छे-अच्छे मर्दों का शाम को अकेले निकलना कठिन है।···(व्यवधान) बसों में हमले हो

रहे हैं। रेलें लूटी जा रही हैं। हवाई जहाज की यात्रा भी अब निरापद नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को ले जानेवाला हवाई जहाज, और १५ दिन बाद वह ले जानेवाला था, बीच में कई उड़ानें भरनेवाला था, अगर वह हवाई जहाज तार काटनेवालों का शिकार हो गया तो फिर और हवाई जहाजों के तारों का क्या होनेवाला है? यह तो हवाई यात्रियों के लिए बड़ी चिंता की बात है।

सत्तापक्ष के सांसद का सदन में धरना?

यह संसद का सत्र कई बातों के लिए याद रखा जाएगा। उस दिन सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने लोकसभा के बीच में आकर धरना दिया। ऐसा तो संसद के ३३ साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वह विरोधी दल के सदस्य नहीं थे। वह प्रचार के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंटरी पार्टी की मीटिंग में मामला क्यों नहीं उठाया? वे अपना दुखड़ा लेकर अपने लीडर के पास नहीं गए। क्या यह विश्वास का संकट नहीं है? दल में, नेता में? फिर उन्हें यहां बोलने से रोका गया। यह गहरी बीमारी का लक्षण है।

मगर एक घटना इस सदन के बाहर हुई है। मंत्रिमंडल के एक सदस्य अपने कमरे में भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने पहरेदार को, सिक्योरिटीवाले को कहा कि तुम दरवाजे पर खड़े रहो। मैं भोजन कर रहा हूं, किसी को आने मत देना। उसी समय एक मंत्री पहुंच गए। सिक्योरिटीवाले ने रोका, साहब खाना खा रहे हैं, इस समय उन्होंने मना किया है। आप जानते हैं उन मंत्री ने क्या किया? उन्होंने सिक्योरिटीवाले को मारा, उसके पेट में घूंसा दिया। वह रास्ते में रोता हुआ मुझको मिला। मंत्री संतरी को मारेगा संसद भवन की परिधि में, यह कौन सी मर्यादा का पालन है? यह आचरण का कौन सा मानदंड स्थापित करना है? यह छोटी सी घटना नहीं है।...(व्यवधान)

मैं तो आरोप लगा रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं।

एक और मैं छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। हवा का रुख क्या है, यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार इमर्जेंसी की तरफ जा रही है, इसका आधार क्या है, यह मैं बताना चाहता हूं। बंबई में एक सभा का आयोजन किया गया था।...(व्यवधान)

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब से यह कहूंगा कि वाजपेयी जी पार्टी में प्रेजीडेंट भी हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, इनके कहे हुए शब्द बहुत दूर जाएंगे। तो वह अगर कहते हैं कि किसी मंत्री ने ऐसा किया तो उनका नाम बता दें, ताकि हम समझ सकें कि कौन थे।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम बता दूंगा। आप मुश्किल में पड़ेंगे।...(व्यवधान) नाम इसलिए पूछे जा रहे हैं कि उन सबको शक हो रहा है कि कहीं हमारे ऊपर तो इशारा नहीं किया है।...(व्यवधान) अच्छा मैं एक नाम बता देता हूं । भोजन करनेवाले मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह थे। उन्हें बुलाकर दूसरे मंत्री का नाम पूछ लीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरे आरोप को चुनौती दी जाएगी तो प्रिविलेज कमेटी को मामला भेज दिया जाए, मैं उस सिक्योरिटीवाले को पेश कर दूंगा।...(व्यवधान) मैं एक बात और... (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, श्रीमान वाजपेयी जी बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। यह प्रिविलेज कमेटी में जानेवाला मामला नहीं है। यह आपको या तो कहना नहीं चाहिए या तो कहिए कि मैंने सुनी-सुनाई बात कही है, या आपने अगर देखा है तो आप उसका नाम बता दें। ...(व्यवधान) मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी ने गलत कहा है, किसी मंत्री

ने ऐसी बात नहीं की। बिल्कुल किसी मंत्री ने ऐसा नहीं किया है। आपसे किसी ने झूठ कहा है। आप विश्वास मत करिए।

श्री वाजपेयी : मैं फिर दोहराता हूं कि सारा मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंप दीजिए, मैं उस सिक्योरिटीवाले को हाजिर करने के लिए तैयार हूं।

आपात्काल की तैयारियां!

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस आरोप को बलपूर्वक दोहराना चाहता हूं कि देश में योजनापूर्वक धीरे-धीरे आपात्स्थिति लागू करने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। संविधान में संशोधन करने के बाद यह स्थिति बनी है कि जब देश में आर्म्ड रिबैलियन न हो, देश में आपातस्थिति लागू नहीं की जा सकती। इसलिए विदेशी हाथ, विदेशी खतरे की बात बार-बार कही जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जजों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है? जैसे कैजुअल लेबर्स को चार-चार महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, वैसे ही उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस को भयभीत करने की कोशिश हो रही है। उड़ीसा में क्या हुआ? मैं इसका उल्लेख करना नहीं चाहता। वाराणसी में एक पत्रकार को किस तरह से हमले का निशाना बनाया गया, यह सारे सदन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।···(व्यवधान) ये इसका समर्थन कर रहे हैं।

अभी बंबई में एक ठोस घटना हुई। भारत सरकार की अफगानिस्तान के बारे में नीति की आलोचना करने के लिए हम चौपाटी पर एक जनसभा करना चाहते थे। उस जनसभा पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि चौपाटी पर आप सभा नहीं कर सकते, क्योंकि चौपाटी महाराष्ट्र सरकार की बपौती है।

यह सभा न करने के लिए दूसरा आधार जो दिया गया वह तो और भी हास्यास्पद था। कहा गया कि सोवियत संघ हमारा मित्र है, हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, हम उसकी नुक्ताचीनी नहीं कर सकते।···(व्यवधान)

मैं श्री साठे जी से, जो कि उसका समर्थन करनेवालों में हैं और सूचना मंत्री हैं, पूछना चाहता हूं कि क्या विदेश नीति पर हमारे और आपके बीच मतभेद की गुंजाइश नहीं है? क्या हमें अपने मित्रों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है? उन्होंने इसी बात पर हमारी सभा करने पर रोक लगा दी। फिर हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने वहां सभा करने की इजाजत दे दी। महाराष्ट्र की सरकार बेंच के सामने गई। इतवार को बेंच की बैठक हुई। जब महाराष्ट्र की सरकार ने देखा कि वह मामला हार जाएगी तो उसने कहा कि हम अपनी अपील वापस लेते हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि श्री वसंत साठे ने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का समर्थन कैसे किया? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने की तैयारी हो रही है? क्या विदेशी मित्रों से मित्रता रखने के लिए हमें बोलने की आजादी नहीं होगी इस देश में?

यह अफगानिस्तान की मित्रता की बात करते हैं। अफगानिस्तान की जनता के साथ धोखा करके, उनके साथ विश्वासघात करके मित्रता की बात करते हैं।

श्री प्रभुनारायण टंडन (दमोह) : आप तो अमेरिका से मित्रता की बात कीजिए। अफगानिस्तान की मित्रता की बात आप मत कीजिए।

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष जी, मैंने श्रीनगर में यह कहा कि वाजपेयी जी और उनके साथी

यहां पर सभा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं—पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ दोस्ती की बात करना चाहते हैं। यह देश-हित के खिलाफ है, इसलिए इस देश में यदि कोई यह कहे कि हम इस देश के जो दुश्मन हैं, उनके साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं तो यह राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। इसलिए यदि वहां की सरकार ने कोई कदम उठाया है तो उसके लिए मैं आपत्ति नहीं ले सकता। यह मेरा कहना है। आप जिया-उल-हक का समर्थन करना चाहते हैं, अमेरिका का समर्थन करना चाहते हैं। यह आप कहना चाहते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि सूचना मंत्री ने बाहर कुछ कहा और भीतर कुछ कह रहे हैं।...(व्यवधान)

हम वहां के सैनिक शासन का समर्थन नहीं करते। हमारा सवाल यह है कि इस देश में अपनी बात कहने का अधिकार होगा या नहीं? अगर हम आपकी हां में हां मिलाएंगे, तभी अधिकार होगा? अगर दिल्ली के दरबार में सलाम झुकाएंगे तभी बोलने का अधिकार प्राप्त होगा? यह रोल, यह भूमिका वसंत साठे अदा कर सकते हैं—हम नहीं कर सकते।

श्री वसंत साठे : जातिवाद को भड़काने का अधिकार चाहिए? अराष्ट्रीयता को भड़काने का अधिकार चाहिए—किस आजादी की बात आप कर रहे हैं वाजपेयी जी, और यह काम आपने किया है।...(व्यवधान)

ऑल इंडिया रेडियो है या ऑल इंदिरा रेडियो?

श्री वाजपेयी : ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज बुलेटिन जो १५ मिनट का होता है, उसमें १२ मिनट श्रीमती इंदिरा गांधी का गुणगान करने की इजाजत है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर ऑल इंदिरा रेडियो कर दो, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। कोई सुनेगा नहीं।

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष जी, बी.बी.सी. का नाम वाजपेयी ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन कर देना चाहिए।

श्री वाजपेयी : मुझे उम्मीद है, ऑल इंडिया रेडियो इस बहस की सही-सही रिपोर्ट प्रसारित करेगा। उपाध्यक्ष जी, अगर देश पर सचमुच में खतरा है तो क्या गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने की धमकी देना उचित है? क्या प्रधानमंत्री का जम्मू-कश्मीर में यह कहना उचित है...(व्यवधान)

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : गलत है—बिलकुल गलत है।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : प्रधानमंत्री ने जम्मू में जाकर कहा कि अगर केंद्रीय सरकार राज्य को मदद न दे तो राज्य सरकार आधे घंटे तक भी टिकी नहीं रह सकती है।

श्री एच.के.एल. भगत : गलत कह रहे हैं। उसको कंट्राडिक्ट किया जा चुका है।

श्री वाजपेयी : गैर-कांग्रेसी सरकारें भी उसी जनता ने चुनकर भेजी हैं जिस जनता ने इस सरकार का निर्माण किया है। उनके साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक संघर्ष चलेगा। लेकिन लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों की तकदीरों का फैसला राज्य विधानसभाओं में होगा, दिल्ली के दरबार में नहीं।

गृह मंत्री महोदय ने जनता पार्टी के झगड़े की बड़ी चर्चा की है। हममें झगड़ा हुआ और हम अलग-अलग हुए। लेकिन जनता पार्टी तो अलग-अलग पार्टियों से बनी थी। आपकी तो एक पार्टी है। आपका १५ महीने में क्या हाल हो गया है? त्रिपाठी जो भक्त थे, अभी विभक्त हो गए हैं। शुक्ल कृष्ण हो गए हैं। शुक्ल का अर्थ है श्वेत चांदनी, शुक्ल पक्ष। आज मैंने इनका भाषण

पूरा नहीं सुना लेकिन प्रधानमंत्री के सचिवालय से कहा गया कि श्री विद्याचरण शुक्ल का त्यागपत्र इसलिए लिया गया है कि उन्होंने शक्कर में गोलमाल किया था। ऑल इंडिया रेडियो ने भी यह रिपोर्ट दी। जब कि सारा सदन जानता है, दुनिया जानती है कि शक्कर के लिए राव वीरेंद्र सिंह जिम्मेदार हैं, विद्याचरण शुक्ल नहीं। अब तीसरा नंबर किसका है? इसीलिए बढ़-चढ़कर वफादारी की कसमें खाई जा रही हैं।

यह भी कहा गया है कि कल संसद ने एक नया इतिहास लिखा है। मैं कहूंगा कि एक नया इतिहास नहीं लिखा, बल्कि एक खतरनाक परंपरा कायम की है। अगर पुरानी संसद के निर्णयों को नई संसद बदलेगी तो वर्तमान संसद के निर्णयों को आनेवाली संसद भी बदल सकती है। हम समझते थे कि लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस (आई) की विजय हो गई है तो उसी दिन प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा की पुनःस्थापना हो गई। लेकिन कल आपने प्रस्ताव पास करके उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई नहीं है, अपनी विजय के रंग को फीका कर दिया है। १५ महीने के भीतर ही यह प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ गई। १५ महीने के भीतर ही दिल्ली में किसानों की रैली बुलाने की जरूरत पड़ गई। १५ महीने के भीतर ही नजरबंदी कानून और ज्ञानी जी कहते हैं कि बहुत कम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तब तो पता लगता है कि उस कानून की जरूरत ही नहीं थी। इससे उस कानून की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती, इस सरकार का दिमागी दिवालियापन साबित होता है।

एक माननीय सदस्य : किसी बात से चैन नहीं।

श्री वाजपेयी : जब आप बेचैन हैं तो हमें कैसे चैन हो सकता है?

मंत्रिमंडल है, मंत्री नहीं हैं

उपाध्यक्ष महोदय, १५ महीने हो गए मगर अभी तक केंद्र सरकार का पूरा निर्माण नहीं हुआ है। देश पर संकट है, मगर भारत का कोई रक्षा मंत्री नहीं। प्रधानमंत्री हरेक मंत्रालय का भार कैसे देख सकती हैं? कोई उद्योग मंत्री नहीं। श्री अंजैया चले गए। कोई श्रम मंत्री नहीं है। स्टील का कोई मंत्री नहीं है। अगर इतने लोगों में से कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो हम कुछ लोगों की सेवाएं अपोजिशन से उधार देने के लिए तैयार हैं।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय वाजपेयी जी का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं कि उनकी यह जो तकरीर थी, सारा जो झगड़ा था वह यही था। अब भी आ जाएं।

श्री वाजपेयी : ज्ञानी जी मुझे बुला रहे हैं। एक बार पहले भी बुला चुके हैं। मैं उधर आऊंगा जरूर, मगर जनता के कहने पर आऊंगा, आपके कहने पर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, बाबू जगजीवन राम जी कह रहे थे कांग्रेस के सदस्य भी चुनकर आए हैं और विरोधी दलवाले भी चुनकर आए हैं, दोनों चुनकर आए हैं, यह बात सही है। मगर एक बुनियादी अंतर है। आप लोग इंदिरा जी की कृपा से चुनकर आए हैं, और हम उनके विरोध के बावजूद चुनकर आए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सत्तारूढ़ दल में ऐसे लोग निकलें जो डंके की चोट पर खरी बात कहने का साहस जुटाएं। महाभारत में जब द्रोणाचार्य से पूछा गया, भीष्म पितामह से पूछा गया कि आप इतने विद्वान और बुद्धिमान हैं आप अन्याय का पक्ष क्यों ले रहे हैं तो भीष्म पितामह ने कहा 'अर्थस्य पुरुषोदासः।'... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो आज कुछ सूझता नहीं। यह महाभारत पढ़ते नहीं हैं, महाभारत

कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में विश्वास का संकट है इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। हम तो चाहते थे प्रधानमंत्री वापस आ जाएं, १४ तारीख को इस प्रस्ताव पर बहस हो जाए। पीठ पीछे हमारा प्रस्ताव लाने का कोई इरादा नहीं था। मगर आपने अधिवेशन बढ़ाने के हमारे सुझाव को क्यों नहीं माना। आज अधिवेशन समाप्त करने की आवश्यकता क्या है? क्या लोगों को बहस करने का भी मौका नहीं मिलेगा? आप बहस से इतना घबराते क्यों हैं?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों पर यह आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री विदेश गई हुई हैं, ऐसे समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का विरोधी दल प्रयत्न कर रहे हैं, यह आरोप निराधार है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब संसद का अधिवेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री विदेश क्यों गईं? ...(व्यवधान)

इस समय नई परंपराएं कायम हो रही हैं। अगर कोई मंत्री बाहर जाता था तो उससे कहा जाता था कि सदन की बैठक चलते हुए आप बाहर नहीं जाएंगे। मगर प्रधानमंत्री बाहर गई हैं...(व्यवधान) अब स्पीकर साहब भी बाहर जानेवाले हैं। नई परंपराएं कायम हो रही हैं, यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है।

हड़ताल के भयंकर परिणाम होंगे

सभापति जी, अभी हमने पंडित केशवदेव मालवीय का प्रवचन सुना। दस वर्ष वनवास में रहने के बाद वह पुनः सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं। किन परिस्थितियों में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने प्रतिपक्ष को बांटने का जो प्रयास किया है, वह निंदनीय है। यह सफल नहीं होना था। बांटो और राज करो, अंग्रेजों की इस नीति के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। सभापति जी, यह बांटने की प्रक्रिया केवल सदन के भीतर ही नहीं चल रही है, सदन के बाहर भी रेल मजदूरों को बांटने की कोशिश हो रही है। आम आदमी को रेल कर्मचारी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है, सेना को रेल कर्मचारियों के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश हो रही है। रेल कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार देश में ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो कल उसके काबू के बाहर जा सकती है।

सभापति जी, कौन प्रोग्रेसिव है, कौन रिएक्शनरी है, यह दर्शन का विषय है, इसके लिए हमें मालवीय जी का प्रमाणपत्र नहीं चाहिए। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। हमारी अलग-अलग विचारधाराएं हैं। मगर उस पार्टी की कौन सी विचारधारा है, यह समझने में मैं असमर्थ हूं, जिसमें पंडित केशवदेव मालवीय और श्री सी. सुब्रह्मण्यम एक साथ निवास करते हैं। यह पार्टी नहीं है, प्लेटफार्म है। यह सत्ता के लिए जुड़ा हुआ जमघट है।

सभापति जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि रेलवे हड़ताल के कारण जो गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है, उस पर हम विचार करें। यह प्रवचन आवश्यक नहीं था लेकिन मालवीय जी वैज्ञानिक समाजवाद में विश्वास करते हैं। साइंटिफिक सोशलिज्म, और वे एक ऐसी पार्टी में हैं जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का दावा करती है। साइंटिफिक सोशलिज्म का अर्थ है 'कम्युनिज्म'···(व्यवधान)

सभापति महोदय, मालवीय जी इधर आ जाएं लेकिन सभापति महोदय, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। पर उन्होंने जो यह मौका चुना दरार पैदा करने का, इसमें उन्होंने अच्छी राजनीति नहीं

** रेलवे हड़ताल के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में ९ मई, १९७४ को भाषण और वाद-विवाद।*

कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में विश्वास का संकट है इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। हम तो चाहते थे प्रधानमंत्री वापस आ जाएं, १४ तारीख को इस प्रस्ताव पर बहस हो जाए। पीठ पीछे हमारा प्रस्ताव लाने का कोई इरादा नहीं था। मगर आपने अधिवेशन बढ़ाने के हमारे सुझाव को क्यों नहीं माना। आज अधिवेशन समाप्त करने की आवश्यकता क्या है? क्या लोगों को बहस करने का भी मौका नहीं मिलेगा? आप बहस से इतना घबराते क्यों हैं?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों पर यह आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री विदेश गई हुई हैं, ऐसे समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का विरोधी दल प्रयत्न कर रहे हैं, यह आरोप निराधार है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब संसद का अधिवेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री विदेश क्यों गईं? ...(व्यवधान)

इस समय नई परंपराएं कायम हो रही हैं। अगर कोई मंत्री बाहर जाता था तो उससे कहा जाता था कि सदन की बैठक चलते हुए आप बाहर नहीं जाएंगे। मगर प्रधानमंत्री बाहर गई हैं...(व्यवधान) अब स्पीकर साहब भी बाहर जानेवाले हैं। नई परंपराएं कायम हो रही हैं, यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है।

हड़ताल के भयंकर परिणाम होंगे

सभापति जी, अभी हमने पंडित केशवदेव मालवीय का प्रवचन सुना। दस वर्ष वनवास में रहने के बाद वह पुनः सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं। किन परिस्थितियों में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने प्रतिपक्ष को बांटने का जो प्रयास किया है, वह निंदनीय है। यह सफल नहीं होना था। बांटो और राज करो, अंग्रेजों की इस नीति के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। सभापति जी, यह बांटने की प्रक्रिया केवल सदन के भीतर ही नहीं चल रही है, सदन के बाहर भी रेल मजदूरों को बांटने की कोशिश हो रही है। आम आदमी को रेल कर्मचारी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है, सेना को रेल कर्मचारियों के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश हो रही है। रेल कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार देश में ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो कल उसके काबू के बाहर जा सकती है।

सभापति जी, कौन प्रोग्रेसिव है, कौन रिएक्शनरी है, यह दर्शन का विषय है, इसके लिए हमें मालवीय जी का प्रमाणपत्र नहीं चाहिए। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। हमारी अलग-अलग विचारधाराएं हैं। मगर उस पार्टी की कौन सी विचारधारा है, यह समझने में मैं असमर्थ हूं, जिसमें पंडित केशवदेव मालवीय और श्री सी. सुबह्मण्यम एक साथ निवास करते हैं। यह पार्टी नहीं है, प्लेटफार्म है। यह सत्ता के लिए जुड़ा हुआ जमघट है।

सभापति जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि रेलवे हड़ताल के कारण जो गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है, उस पर हम विचार करें। यह प्रवचन आवश्यक नहीं था लेकिन मालवीय जी वैज्ञानिक समाजवाद में विश्वास करते हैं। साईंटिफिक सोशलिज्म, और वे एक ऐसी पार्टी में हैं जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का दावा करती है। साईंटिफिक सोशलिज्म का अर्थ है 'कम्युनिज्म'···(व्यवधान)

सभापति महोदय, मालवीय जी इधर आ जाएं लेकिन सभापति महोदय, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। पर उन्होंने जो यह मौका चुना दरार पैदा करने का, इसमें उन्होंने अच्छी राजनीति नहीं

** रेलवे हड़ताल के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में ९ मई, १९७४ को भाषण और वाद-विवाद।*

दिखाई। कल प्रधानमंत्री जी ने भी यह खेल खेलना चाहा था। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। उन्होंने शिकायत की थी कि जनसंघ के साथ अन्य दल क्यों मिल जाते हैं, वे अपना कथित सेक्युलरवाद क्यों छोड़ देते हैं। कल बाहर बांटने की नीति चली थी और आज सदन के अंदर पाटने का कुचक्र चल रहा है। मगर इससे समस्या हल नहीं होगी।

सभापति महोदय, समस्या इस से भी हल नहीं होगी कि राजनीतिक दल परिस्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं।

यह हड़ताल राजनीतिक कारणों से प्रेरित है, यह भी कहा गया और यह भी कहा गया कि जो पार्टियां चुनाव में हार गईं, वे गड़बड़ पैदा करना चाहती हैं।...(व्यवधान) सभापति जी, चुनाव में हम पहली दफा नहीं हारे हैं। हम तो हारते आए हैं। यह कोई छिपानेवाली बात नहीं है। आज के जो ज्वलंत प्रश्न हैं, उनको चुनाव की सफलता और विफलता के साथ जोड़ने की कोशिश गलत है। आज महंगाई रेल कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों के जीवन को दूभर बना रही है। आज विषमता रेलवे कर्मचारियों, रेल में काम करनेवाले कर्मचारियों और सरकारी संस्थानों में काम करनेवाले कर्मचारियों के जीवन में खाई पैदा कर रही है...

सभापति जी, आवश्यक वस्तुओं का अभाव है। क्या यह अभाव रेल कर्मचारियों को आंदोलित नहीं करता? क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि जितनी महंगाई आज बढ़ी है, उतनी महंगाई पिछले २६ साल में कभी नहीं बढ़ी थी? क्या यह सही नहीं है कि जितनी बेकारी अभी बढ़ी है उतनी पिछले २६ साल में कभी नहीं थी? क्या यह भी गलत है कि गरीबी हटाओ के नारे ने लोगों की अपेक्षाएं बढ़ाई हैं? अब अगर बढ़ी हुई अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वे मांग करते हैं तो इसमें राष्ट्र विरोधी काम कौन सा है।

सभापति महोदय, काम करने का अधिकार हमने माना है और काम करने के साथ-साथ काम न करने का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। राइट टु वर्क के साथ हड़ताल पर जाने का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। अब अगर रेल कर्मचारी नियम के अनुसार हड़ताल का नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद उनके नेताओं के साथ बातचीत चलती रहती है, तो आज यह शर्त लगाने की क्या जरूरत है कि जब तक हड़ताल का नोटिस वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक चर्चा नहीं होगी। यह नई शर्त क्यों लगाई गई है? उस दिन जब रेलवे पर यहां स्थगन प्रस्ताव आया था तो हमने उस दिन कहा था कि जार्ज फर्नांडीज और उनके साथियों को बातचीत के दौरान गिरफ्तार करना अनैतिक है। सभापति जी, अंग्रेजों ने कभी हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं किया था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके साथ बातचीत चलती हो और उन्हें जेल में बंद कर दिया।...(व्यवधान)

डॉ. कैलाश (बंबई, दक्षिण) : बातचीत के दौरान तोड़फोड़ करने के काम का प्लानिंग कर रहे थे। वह क्या साजिश नहीं? क्या उन्हें आप देश को बर्बाद करने देंगे?

श्री वाजपेयी : अभी ऐसा उदाहरण बाकी है जिसमें बातचीत चलती हो और मुख्य नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया हो। यह पहली घटना है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : अब अंग्रेजों की तारीफ होने लगी है।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : यह हमेशा नफरत करते आए हैं, आज नई बात नहीं है।

श्री वाजपेयी : यह असत्य है। लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं जिनसे अंग्रेजों के कुकर्म भी कुछ छोटे दिखते हैं...(व्यवधान)

सभापति जी, यह इनका जो शोरगुल है, यह मेरे समय में न जोड़ा जाए।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री वाजपेयी : सभापति जी, यह कहा जाता है कि जब बातचीत चल रही थी तो हड़ताल की तैयारियां भी चल रही थीं। हड़ताल की तैयारी चल रही थी, इस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। क्या यह सच नहीं है कि हड़ताल की तैयारी और हड़ताल को रोकने की तैयारी दोनों तरफ से साथ-साथ चल रही थी? लेकिन किस वातावरण में चल रही थी? आप गुप्त सूचनाएं भेज रहे थे, टेरीटोरियल आर्मी को मैदान में लाने के लिए तैयारी कर रहे थे। पुराने कर्मचारियों को बुला रहे थे और अपनी पूरी किलाबंदी कर रहे थे कि अगर हड़ताल हुई तो उसका सामना किया जा सके। कर्मचारी तैयारी कर रहे थे कि अगर बातचीत विफल हो जाए तो हड़ताल हो सके। लेकिन जब एक बार आप बातचीत में लगे हुए थे तो गिरफ्तार करने का मतलब क्या था?

श्री एल. एन. मिश्र : तैयारी की थी, इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया।

श्री वाजपेयी : तो काहे को गिरफ्तार किया।

श्री एल. एन. मिश्र : वह मैं बताऊंगा।

श्री पीलू मोदी : वह कौन सी महान गुप्त योजना थी? कृपया हम सबको भी बताओ। अभी बताओ।

श्री वाजपेयी : सभापति जी, उस दिन भी हमने तोता-मैना की कहानी सुनी थी। श्री जार्ज फर्नांडीज के भाषण अखबारों में नहीं छपे। जो गुप्तचर विभाग से प्राप्त किए गए हैं, जिनके बारे में, सभापति जी, संदेह है, उनके आधार पर सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। क्या ईमानदारी का तकाजा यह नहीं था कि श्री जार्ज फर्नांडीज जब दूसरे दिन बैठक में आते, तो उनके सामने उनके भाषण, जो आपकी दृष्टि में आपत्तिजनक थे, पढ़े जाते।

श्री रामसहाय पांडे : वह षडयंत्र था, आपको पूरी जानकारी नहीं है...(व्यवधान)

गाड़ी गई—गाड़ी आई

श्री वाजपेयी : यह नहीं किया गया। यहां पर कहा गया कि लखनऊ से आने के लिए उनके लिए हवाई जहाज भेजा जा सकता है। आपने बातचीत जरूर की, लेकिन बातचीत को अंतिम रूप देना आवश्यक था और आपने बातचीत जारी रखने की बजाय उन्हें जेल में बंद कर दिया। यह बड़ी गलती थी। उसी दिन शाम जब एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा हो रही थी तब रेल मंत्री ने घोषणा कर दी—जब तक स्ट्राइक का नोटिस वापस नहीं लिया जाएगा, चर्चा नहीं होगी।...(व्यवधान) क्या बिना बातचीत के दमन का तरीका अपनाकर, टेरीटोरियल आर्मी, जिसमें रेलवे इम्प्लाइज को भेजते समय वादा किया गया था कि उसका उपयोग रेलवे हड़ताल तोड़ने के लिए नहीं किया जाएगा, गाड़ियां चलवाकर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं? गाड़ियां कैसे चल रही हैं, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। कल हमारे कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट में कह रहे थे कि रेलवे स्ट्राइक है ही नहीं। आज कह रहे हैं कि रेलवे स्ट्राइक है, मगर गाड़ियां चल रही हैं। मैंने पता लगाया कि कल दिल्ली से कौन सी गाड़ी गई है। मुझे बतलाया गया कि यहां से असम मेल गई थी। गाड़ी ले जाने का तरीका क्या है। असम मेल यहां से गई और गाजियाबाद पर रुक गई और वही असम मेल शाम को वापस आ गई। कह दिया गया कि असम मेल गई थी। यह भी दावा किया कि वह वापस आ गई।...(व्यवधान) मैं साबित कर सकता हूं।

रेलवे कर्मचारियों से मेरा घनिष्ठ नाता रहा है। मैं आठ साल तक असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की एसोसिएशन से संबंधित रहा हूं। रेल कर्मचारी किन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, इस सदन के माननीय सदस्यों को इसकी थोड़ी सी अनुभूति होनी चाहिए। लाखों कर्मचारी चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, कड़कड़ाती सर्दी पड़े, चिलचिलाती धूप हो···

एक माननीय सदस्य : क्या किसान खेती का काम नहीं करते हैं?

श्री वाजपेयी : क्या आप इस बहस को किसानों की बहस में बदल देना चाहते हैं? जब हम रेल कर्मचारियों की बात करते हैं तब उन्हें किसान याद आता है। जब किसान को अधिक दाम देने की बात कही जाती है तब कहा जाता है कि जनसंघवाले किसानों को जाकर भड़काते हैं। फिर खुद ज्यादा दाम दे देते हैं। मेरा निवेदन है कि रेल कर्मचारी किस परिस्थिति में काम करता है, इस पर आप विचार करें। क्या यह सही नहीं है कि रेल कर्मचारी जिन परिस्थितियों में काम करता है, वे परिस्थितियां अन्य पब्लिक अंडरटेकिंग्स में होनेवाली परिस्थितियों से अधिक कठिन हैं। फिर भी वेतन में अंतर है? आज रेलवे कर्मचारी का कम से कम वेतन २१० रुपए है और पब्लिक अंडरटेकिंग्स में ३५० रुपए है।···(व्यवधान) मैं अलाउंस मिलाकर कह रहा हूं। क्या यह अंतर अब खलेगा नहीं? क्या कर्मचारी अपनी स्थिति की तुलना करके नहीं देखेंगे? एक ही ढंग के काम में लगे हुए कर्मचारी क्या परस्पर बैठकर यह चर्चा नहीं करेंगे कि हमें कम मिल रहा है और तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, यद्यपि एक ही ढंग का काम हम कर रहे हैं, एक देश के निर्माण में लगे हैं और एक ही सरकार के सेवक हैं?

रेल मंत्री से भूल हुई

अगर रेलवे मंत्री यह कहते हैं कि जॉब इवैलुएशन की मांग ठीक है, पैरिटी होनी चाहिए, हम सिद्धांत में इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण आज हम इसको नहीं मान सकते, तो रेलवे कर्मचारियों के नेता जरूर सहानुभूति के साथ इस मसले पर गौर करके या तो उन्हें रास्ता बतलाते कि किस तरह से रुपया प्राप्त किया जा सकता है या फिर यह कहते कि इस मांग को सिद्धांततः मान लीजिए और टुकड़ों में लागू कीजिए, हम एकमुश्त इस मांग पर अमल करने के लिए जोर नहीं देते। लेकिन यह तरीका नहीं अपनाया गया।

क्या रेल कर्मचारी इस बात को भूल सकते हैं कि १ अप्रैल, १९५० को कैपिटल एंड लार्ज ८२७ करोड़ था और १९७३-७४ में ४ हजार करोड़ हो गया, यानी पांच गुना बढ़ गया। इस बीच रेलवे में लाइनों की लंबाई दुगनी नहीं हुई है, वैगनों की संख्या दुगनी नहीं हुई है। स्पष्ट है कि रेलवे का विस्तार केवल लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। आखिर सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे लाइन चाहिए और उनको फैलाने की जरूरत होती है, राज्यों की मांगों पर रेलवे लाइनों का विस्तार होता है। कहा जाता है कि कच्चा माल ढोने के लिए कारखानों को रेलवे लाइनों की आवश्यकता है। रेलवे मंत्रालय घाटा सहकर भी इसका प्रबंध करता है। कुछ लाइनें राजनीतिक कारणों से डाली जाती हैं। क्या इन सब बातों के कारण जो घाटा होता है, उसको रेलवे कर्मचारियों को दिखाकर कहा जाएगा कि रेलें चूंकि घाटे में चलती हैं, इसलिए तुम्हारा वेतन नहीं बढ़ सकता, और कर्मचारियों की तुलना में तुम्हें कम वेतन लेना पड़ेगा?

मैं रेलवे कन्वेंशन कमेटी का मेंबर था। समय सीमित है, मैं आपको बीसों उदाहरण दे सकता हूं जिनमें रेलें व्यापारियों को, उद्योगपतियों को अपना नुकसान उठाकर फायदा पहुंचाती हैं। मैंने

रेलवे कन्वेंशन कमेटी में एक ऐसा मामला देखा कि लोग डैमरेज चार्जेज क्यों देना पसंद करते हैं। रेलवे वैगन में मंगाया गया माल जब नहीं उठाया जाता है, उसमें डैमरेज लगता है। मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि व्यापारी अपने गोडाउन में माल नहीं रखते, क्योंकि गोडाउन का किराया ज्यादा है, रेलवे डैमरेज कम है।

श्री एल.एन. मिश्र : पुरानी बात है।

श्री वाजपेयी : ऐसी नई-नई बातें भी हैं। एक नहीं बीसों बातें हो सकती हैं। अगर आप रेलवे कर्मचारियों के साथ बैठें और सोचें कि किस तरह से बेस्टफुल प्रैक्टिस की जा सकती है, किस तरह से आपकी उचित मांगें पूरी करने के लिए रुपया निकाला जा सकता है तो हड़ताल का दिया गया नोटिस रेल कर्मचारियों और रेल मंत्रालय के बीच में एक साथ मिलकर काम करने की भावना पैदा कर सकता था, जिससे रेलों की दक्षता बढ़ती, रेलों की आमदनी बढ़ती, रेलों का अपव्यय कम होता और रेलवे कर्मचारियों को संतुष्ट रखा जा सकता था। लेकिन किसी रचनात्मक राजनीति का परिचय नहीं दिया गया। रेलवे कर्मचारियों की सब श्रेणियां एक साथ आ गईं। इसका लाभ उठाकर रेलवे मंत्रालय अगर उनका सहयोग मांगता और लेन-देन की भावना से उनके साथ समझौता-वार्ता जारी रखता तो हड़ताल को न केवल टाला जा सकता था, बल्कि रेलवे व्यवस्था के अच्छे सुधार के लिए दरवाजा खोला जा सकता था। लेकिन, मुझे क्षमा किया जाए, ऐसा लगता है कि सरकार रेल मजदूरों को पाठ पढ़ाने के लिए तुली हुई है। कहीं न कहीं सरकार के दिमाग में यह बात है कि मजदूर बहुत सर पर चढ़ गए हैं। अब उन्हें जरा डंडे से ठीक किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह सही है।

श्री वाजपेयी : यह कांग्रेस के सदस्य बोल रहे हैं।...(व्यवधान) इसीलिए टेरीटोरियल आर्मी का आश्रय लिया जा रहा है, इसलिए ऐसी शर्तें लागू की जा रही हैं जिनमें रेलवे मजदूरों के नेताओं को अपमानित करने की भावना है। हड़ताल का नोटिस वापस लो तब बात होगी, इसके पीछे क्या है?

श्री के.डी. मालवीय : आपकी वजह से हो रहा है।

श्री वाजपेयी : श्री मालवीय को हम ही हम दिखाई देते हैं।

श्री के.डी. मालवीय : इंदौर में आपने क्या कहा था।

श्री वाजपेयी : मैंने इंदौर में क्या कहा था, यह चर्चा का विषय नहीं है, आप नई दिल्ली में क्या कर रहे हैं, इस पर बहस हो रही है। क्या रेलवे मजदूरों के नेताओं को अपमानित करना ही आपका उद्देश्य है? क्या रेल कर्मचारियों को बेइज्जत करके, मुंह में तिनका दबाकर, घुटनों के बल बिठाकर, सत्ता के सामने झुकाना आपका उद्देश्य है? यदि नहीं, तब फिर यह शर्त क्यों लगाई गई है कि तब तक बात नहीं होगी जब तक स्ट्राइक का नोटिस वापस नहीं होगा? जब स्ट्राइक करनेवालों की एक्शन कमेटी के ६० प्रतिशत मेंबर जेलों में हैं, तब किसी नई परिस्थिति पर वे कैसे विचार कर सकते हैं? उनको छोड़ा जाना चाहिए। स्ट्राइक का नोटिस वापस लेने की बात का परित्याग किया जाना चाहिए।

रेलवे में हड़ताल हो गई है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। आप दमन के तरीके अपना कर, कुछ दिन बाद थोड़ी मात्रा में उसे छिन्न-भिन्न कर सकते हैं, लेकिन जो हड़ताल हो गई है, वह हमारी रेल व्यवस्था को कितना अस्त-व्यस्त करेगी, इसका अनुमान लगाने का आज समय है। मालवीय जी ने रेडियो पर भाषण दिया और कहा कि रेलें नहीं चलेंगी तो कोयला नहीं जाएगा

और कोयला नहीं जाएगा तो स्टील फैक्टरीज का क्या होगा। लेकिन जिस दिन वह रेडियो पर भाषण कर रहे थे, उस दिन क्या उन्हें मालूम नहीं था कि आज रात को श्री जार्ज फर्नांडीज गिरफ्तार किए जानेवाले हैं...

एक माननीय सदस्य : उनकी हरकतें आपको मालूम थीं?

श्री वाजपेयी : मालूम होता तो रेडियो पर इस तरह का भाषण नहीं करते। इस हड़ताल का कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि आर्थिक क्षेत्र में इस हड़ताल के भयंकर दुष्परिणाम हमें भुगतने होंगे। अभी भी समय है और परिस्थिति को संभाला जा सकता है। हम बिना शर्त विदेशी दुश्मनों से बात करने को तैयार रहते हैं। नेहरू जी कहा करते थे कि किसी भी संघर्ष का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि जीत दोनों पक्षों की हो, पराजय किसी की न हो। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कभी दोहराया है? क्या रेल स्ट्राइक के बारे में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता? क्या महात्मा बुद्ध के आदेशों को आप केवल बुद्ध पूर्णिमा के दिन आचरण में लाएंगे? क्या जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसका ऐसा हल नहीं निकाला जा सकता है कि न तो रेल नेताओं की पराजय हो और न सरकार की पराजय हो, दोनों की विजय हो, दोनों का सम्मान रहे। मैं समझता हूं कि अगर समझौते का रास्ता निकालने की भावना उधर हो तो वह रास्ता निकल सकता है।

लेकिन सरकार को स्वीकार करना होगा कि उसने तीन बड़ी गलतियां की हैं। प्रधानमंत्री का यह कहना कि हम बोनस नहीं दे सकते, फिर यह कहना कि बोनस के मामले में बोनस रिव्यू कमेटी विचार कर सकती है, फिर हमारे शर्मा जी का कहना कि बोनस की मांग हमारी भी है और यह पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल कर देंगे। जिस बोनस के लिए शर्मा जी हड़ताल करना उचित समझते हैं, उसी बोनस के लिए दूसरे फेडरेशन द्वारा हड़ताल करना उचित क्यों नहीं है? शर्मा जी सिर्फ इतना ही कहते हैं कि बोनस रिव्यू कमेटी के लिए हम रुके हुए हैं। अगर उसने कह दिया कि बोनस नहीं मिलेगा तो शर्मा जी क्या करेंगे?

अपनी गलतियां सुधारिए

पहली गलती यह हुई कि प्रधानमंत्री ने जो पत्र मुख्यमंत्रियों को लिखा था, उसको प्रकाशित कर दिया गया। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि प्रकाशित कराना दूसरी बात है। यह प्रकाशन उनके द्वारा हुआ है जो नहीं चाहते थे कि कोई समझौता हो, जो चाहते थे संकट बढ़े। दूसरी गलती यह की गई कि श्री जार्ज फर्नांडीज को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरी गलती यह की गई कि यह शर्त लगा दी गई कि जब तक हड़ताल का नोटिस वापस नहीं लोगे, तब तक बातचीत आरंभ नहीं होगी। अभी भी समय है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें। आज के अविश्वास के प्रस्ताव का उद्देश्य यही है कि सरकारी पक्ष को यह समझाया जाए कि अभी भी स्थिति को सुधारा जा सकता है। लेकिन उसके लिए रचनात्मक राजनीति की आवश्यकता है, बदले की भावना की नहीं। अगर आप कर्मचारियों को पाठ पढ़ाने पर तुले हुए हैं, उनको मजा चखाने पर तुले हुए हैं तो संघर्ष होगा और उसके परिणाम सरकार को भी भुगतने पड़ेंगे, और कर्मचारियों को भी उनका सामना करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, हड़ताल तो शुरू हो गई है लेकिन अभी ऐसी स्थिति में वह नहीं पहुंची है कि गतिरोध में से रास्ता बाकी नहीं रह गया हो। रास्ते निकाले जा सकते हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव इसी दृष्टि से लाया गया है। हम जानते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। सारे तर्क हमारे साथ हैं,

लेकिन संख्या उनके साथ है। वे संख्या-बल पर फैसला चाहते हैं और वे फैसले यहीं हो सकते हैं, सदन में ही कराए जा सकते हैं। जहां तक आम आदमी का प्रश्न है, उसको यह नहीं समझाया जा सकता है कि हड़ताल से निपटने में सरकार ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। मैं बलपूर्वक कहता हूं कि आम आदमी से आप बाहर चलकर बात कर लें, कोई भी श्री जार्ज फर्नांडीज की गिरफ्तारी का समर्थन नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमने मांग की थी कि संकटकाल की स्थिति खत्म कर दी जाए। पाकिस्तान से मित्रता हो गई है, बंगला देश बन गया है, पाकिस्तान ने उसको मान्यता दे दी है, जीती हुई जमीन पाकिस्तान को वापस कर दी गई है, युद्धबंदी छोड़ दिए गए हैं, अब संकटकाल की स्थिति का क्या मतलब? असाधारण अधिकार जो आपने प्राप्त किए हुए हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। तब हमें कहा गया था कि नहीं, इमर्जेंसी रहेगी और अब हमें पता लग रहा है कि इमर्जेंसी किसलिए आप रखना चाहते थे। पाकिस्तान से निपटने के लिए नहीं, रेल मजदूरों की न्यायोचित मांगों और न्यायोचित आंदोलन को कुचलने के लिए। क्या रेल मजदूरों को मीसा में पकड़ना, भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लेना उचित है? क्या यह संकटकाल के उपबंधों का दुरुपयोग नहीं है? मुझे लगता है कि सरकार लोकतांत्रिक आंदोलन को अब दमन के अलावा और किसी तरह से सुलझाने का सामर्थ्य खो चुकी है, विश्वास खो चुकी है। अगर यह बात सच है तो देश पर एक गंभीर परिस्थिति आनेवाली है। अभी भी समय है, सरकार बुद्धिमत्ता का परिचय दे सकती है और इस हड़ताल से होनेवाले नुकसान को रोका जा सकता है। रेल मंत्री और रेल कर्मचारियों के नेता फिर से वार्ता की टेबल पर आकर सम्मानजनक समझौते का रास्ता निकाल सकते हैं। अगर रास्ता नहीं निकाला जाएगा तो जो भी गंभीर परिस्थिति पैदा होगी, उसका उत्तरदायित्व सरकार के कंधों पर होगा, किसी और के कंधों पर नहीं होगा।

देश में विश्वास का संकट है

सभापति जी, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे अविश्वास प्रस्ताव का संबंध श्री ब्रेजनेव के आगमन से किसी प्रकार नहीं है। श्री ब्रेजनेव सारे राष्ट्र के एक आदरणीय अतिथि के रूप में भारत आ रहे हैं। सारा देश चाहता है कि सोवियत रशिया के साथ हमारे मित्रता के संबंध और भी दृढ़ हों। लेकिन देश यह भी चाहता है कि यह मित्रता बराबरी और एक-दूसरे के प्रति समादर की भावना पर आधारित हो। यह खेद का विषय है कि आज सोवियत रूस और भारत के संबंध उस स्तर पर नहीं हैं, जिस स्तर पर अमेरिका और चीन के संबंधों का विकास हो रहा है। कारण यह है कि भारत न तो स्वावलंबी है, न आर्थिक मोर्चे पर अपनी समस्याओं को सफलता के साथ हल कर सका है। औद्योगिक दृष्टि से दुर्बल, विदेशों से अन्न पर निर्भर, सुरक्षा के लिए किसी महाशक्ति की कृपा का आकांक्षी देश कैसे मित्रता के संबंध कायम कर सकता है? उन्हीं संबंधों में हम भी बंधे हैं और हमारी मित्रता भी उतनी सीमा तक मर्यादित हो गई है।

सभापति जी, आज देश में विश्वास का संकट है। इसलिए हम अविश्वास का प्रस्ताव लाए हैं। यह विश्वास का संकट प्रकृति ने पैदा नहीं किया। सूखे के कारण अनाज के उत्पादन में केवल ४ फीसदी की क्षति हुई, यह सरकार स्वीकार कर चुकी है। यह संकट बंगला देश की मुक्ति के लिए भारत ने जो सशस्त्र संघर्ष किया, उसका भी दुष्परिणाम नहीं है। यह संकट मनुष्यकृत है। यह खेद का विषय है कि इस संकट के लिए दोषारोपण किया जाता है कभी प्रकृति पर, कभी विश्व की परिस्थिति पर, कभी विरोधी दलों पर और कभी सी.आई.ए. पर भी। सी.आई.ए. की चर्चा आजकल नहीं होती है—क्या कारण है?

श्री श्यामनंदन मिश्र : डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी भी खामोश हैं।

श्री वाजपेयी : डॉ. शर्मा का मौन बड़ा रहस्यमय है। क्या अमरीकी गुप्तचरों की गतिविधियां अब देश में नहीं चलतीं? क्या इसका अर्थ है कि अमरीकी गुप्तचर अपना बोरिया-बिस्तर बांध कर अतलांतिक महासागर पार कर अपने मैके वापस चले गए? यह कारण नहीं है—न केवल अमरीका, अपितु चीन, पाकिस्तान, रूस सभी देशों के गुप्तचर यहां सक्रिय हैं, उनकी गतिविधियों

** केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में २१ नवंबर, १९७३ को भाषण और वाद-विवाद।*

जमानती वारंट नहीं। मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए और मैं वहां प्रपत्र प्रस्तुत कर दूंगा···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको समापन करना चाहिए।

श्री वाजपेयी : जहां तक दूसरे बिंदु का मामला है, आप हमें बताइए कि इम्फाल से ये सम्मन उन्हें गवाही देने के लिए जारी किए गए थे या आरोपी के रूप में?

श्री पी. शिवशंकर : यदि आप उस समय वहां उपस्थित होते, तो देखते, उनसे पूरे दिन जिरह की गई, ठीक १० बजे से ६ बजे तक। वह गवाही नहीं थी···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : श्री शिवशंकर ने चुनौती दी है। मैं वह चुनौती स्वीकार करता हूं। लेकिन इस मामले को हम कैसे तय करेंगे? सारा मुद्दा ही विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाए और मैं इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूं।

असंतोष का हल दमन नहीं

सभापति महोदय, मैं ज्ञानी जी के भाषण का जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उनकी तकरीर लाजवाब थी। उसका कोई जवाब नहीं दे सकता।

सभापति महोदय, मैं अभी मणिपुर से लौटा हूं। मणिपुर की हरी-भरी धरती पर इस समय खून के धब्बे पड़े हुए हैं। मणिपुर उत्तर-पश्चिम का सीमांत प्रदेश है। अभी तक मणिपुर में १३५ लोग पुलिस के साथ मुठभेड़ में या आपस में संघर्ष में मरे। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भारत के किसी भाग में जो सीमा पर स्थित है, इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे, और वह संख्या बिहारशरीफ से ज्यादा है, तो यह सारे देश के लिए खतरे की घंटी है। मणिपुर केवल दिल्ली से दूर है, इसलिए हमारे दिल से दूर नहीं होना चाहिए। आज वहां राष्ट्रपति शासन है। मणिपुर के शासन के लिए केंद्र उत्तरदायी है। आज सबेरे दो नौजवान पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। मुझे उस स्थान पर जाने का मौका मिला था। भरी बस्ती के बीच में गोलियां चलीं, खून के दाग पड़े हैं। उनमें एक नौजवान ऐसा था जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जिसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। आज वह जान लेने पर और जान देने पर उतारू क्यों हो गया?

एक माननीय सदस्य : आप यूनिवर्सिटी में दंगा कराना चाहते हैं?⋯(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, यह टोका-टाकी का मामला नहीं है। नासमझी से टोका-टाकी न संसद की मर्यादा को बढ़ाती है और न वाद-विवाद में योगदान देती है।

मैं एक गंभीर बात की ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। मणिपुर में १४ लाख की आबादी में एक लाख पढ़े-लिखे लोग बेकार हैं। क्या वजह है कि विश्वविद्यालय से निकलकर नौजवान सीधे भूमिगत आंदोलन में शरीक हो जाता है, बंदूक लेकर मैदान में निकल पड़ता है?

पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट आज दावा कर रहा है कि उसे बहुमत प्राप्त है। क्या वजह है कि मणिपुर में उसे सरकार बनाने के लिए निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है? राष्ट्रपति राज लागू करने की क्या जरूरत है? चुनी हुई सरकार की तकदीर का फैसला विधानसभा में होगा या केंद्र के हाथ की कठपुतली बने हुए राज्यपालों की रिपोर्ट पर होगा?

** मणिपुर के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में ८ मई, १९८१ को भाषण और वाद-विवाद।*

असम में कांग्रेस (आई) का बहुमत नहीं था मगर सरकार बनाने के लिए दल के नेता को निमंत्रण दे दिया गया। वह सरकार हार गई, उसे न जनता का विश्वास प्राप्त है न विधानसभा का। वह सरकार असम में थोपी हुई है। लोकतंत्र को नापने के लिए क्या अलग-अलग गज होंगे? राज्यपाल मणिपुर में एक तरह से आचरण करेंगे और असम में दूसरी तरह से? केंद्र में बैठकर आप मणिपुर की विस्फोटक स्थिति नहीं देखेंगे? असम के नौजवान अतिरेक के रास्ते पर न चले जाएं, इसकी चिंता नहीं करेंगे? केवल दल का हित देखा जाएगा?

उपाध्यक्ष महोदय, फौज और पुलिस के बल पर लोगों के शरीर को मारा जा सकता है, मगर दिल पर राज नहीं किया जा सकता। मणिपुर में एक सरकार थी जिसके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे : मंत्री, भ्रष्ट अफसर, बेईमान ठेकेदार लोगों का शोषण करने में निमग्न। नौजवान असंतोष की आग में जल रहा है। भारत की एकता को मणिपुर में चुनौती दी जा रही है। जिन परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा सेनाएं काम कर रही हैं, मुझे उनके साथ सहानुभूति है। मगर मणिपुर और असम की समस्या का हल दमन नहीं है, आतंक नहीं है। इसके लिए लोकतंत्र को सही मर्यादाओं पर दृढ़ रहना पड़ेगा, सत्ता के खेल को छोड़ना पड़ेगा। अगर मणिपुर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को सरकार बनाने के लिए बुला लिया जाए और वह सरकार विधानसभा में गिर जाए, तो आपको कोई दोष नहीं देगा। मगर आप पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट को बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं।

पिछली राज्य सरकार के समय जो २००० टन रेपसीड आयल मणिपर के लिए भेजा गया, वह कलकत्ता के बाजार में बिक गया। मणिपुर तक नहीं पहुंचा। वहां जो पेपर मिल लगनेवाली थी, उसका क्या हुआ? किसी भी नौकरी के लिए बिना रिश्वत के काम नहीं बन सकता है। बिजली पैदा करने के लिए लोकटक प्रोजेक्ट इतने बरसों से पड़ा हुआ है। इसलिए नौजवान बिगड़ रहे हैं। यह पार्टियों की लड़ाई तो यहां लड़ी जाएगी, मगर संकट पार्टियों की परिधि को पार कर गया है। यह संकट केवल राजनीतिक संकट नहीं है। यह विश्वास का संकट है। यह व्यवस्था का संकट है। क्या वजह है कि १५ महीने के भीतर देश फिर से तकदीर के तिराहे पर खड़ा हो गया है? क्या वजह है कि पंद्रह महीने के भीतर जादू उतर गया है? क्या वजह है कि विधानसभाओं में और लोकसभा में आपका बहुमत है, मगर देश में संतोष नहीं है? महंगाई बढ़ रही है। पिछले साल वह १८% बढ़ी। इन्हीं चार महीनों में वह उससे ज्यादा बढ़ गई है। जब बजट पेश किया गया था तब दावा किया गया था कि थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी। बंधी-बंधाई तनख्वाह पाने वाला, गरीब मजदूर किस तरह अपने जीवन का पालन करेगा?...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अमीर की बात कीजिए। गरीब की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती।

श्री वाजपेयी : इनके मुंह से तो कोई बात शोभा नहीं देती है। बूढ़ा होकर जो टोका-टाकी करता है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

ज्ञानी जी कानून और व्यवस्था की बात कह रहे थे। वह आंकड़ों से साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली में अपराध कम हो गए हैं। क्या ज्ञानी जी को पता है कि दिल्ली के थानों में अपराधों को रजिस्टर नहीं किया जा रहा है? जनता पार्टी के राज में श्रीमती इंदिरा गांधी कहती थीं कि दिल्ली में शाम को औरत का अकेला चलना मुश्किल है। इंदिरा जी के राज में आज हालत यह है कि अच्छे-अच्छे मर्दों का शाम को अकेले निकलना कठिन है।...(व्यवधान) बसों में हमले हो

रहे हैं। रेलें लूटी जा रही हैं। हवाई जहाज की यात्रा भी अब निरापद नहीं है। अगर प्रधानमंत्री को ले जानेवाला हवाई जहाज, और १५ दिन बाद वह ले जानेवाला था, बीच में कई उड़ानें भरनेवाला था, अगर वह हवाई जहाज तार काटनेवालों का शिकार हो गया तो फिर और हवाई जहाजों के तारों का क्या होनेवाला है? यह तो हवाई यात्रियों के लिए बड़ी चिंता की बात है।

सत्तापक्ष के सांसद का सदन में धरना?

यह संसद का सत्र कई बातों के लिए याद रखा जाएगा। उस दिन सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य ने लोकसभा के बीच में आकर धरना दिया। ऐसा तो संसद के ३३ साल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। वह विरोधी दल के सदस्य नहीं थे। वह प्रचार के लिए ऐसा नहीं कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंटरी पार्टी की मीटिंग में मामला क्यों नहीं उठाया? वे अपना दुखड़ा लेकर अपने लीडर के पास नहीं गए। क्या यह विश्वास का संकट नहीं है? दल में, नेता में? फिर उन्हें यहां बोलने से रोका गया। यह गहरी बीमारी का लक्षण है।

मगर एक घटना इस सदन के बाहर हुई है। मंत्रिमंडल के एक सदस्य अपने कमरे में भोजन कर रहे थे। उन्होंने अपने पहरेदार को, सिक्योरिटीवाले को कहा कि तुम दरवाजे पर खड़े रहो। मैं भोजन कर रहा हूं, किसी को आने मत देना। उसी समय एक मंत्री पहुंच गए। सिक्योरिटीवाले ने रोका, साहब खाना खा रहे हैं, इस समय उन्होंने मना किया है। आप जानते हैं उन मंत्री ने क्या किया? उन्होंने सिक्योरिटीवाले को मारा, उसके पेट में घूंसा दिया। वह रास्ते में रोता हुआ मुझको मिला। मंत्री संतरी को मारेगा संसद भवन की परिधि में, यह कौन सी मर्यादा का पालन है? यह आचरण का कौन सा मानदंड स्थापित करना है? यह छोटी सी घटना नहीं है।...(व्यवधान)

मैं तो आरोप लगा रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं।

एक और मैं छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। हवा का रुख क्या है, यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार इमर्जेंसी की तरफ जा रही है, इसका आधार क्या है, यह मैं बताना चाहता हूं। बंबई में एक सभा का आयोजन किया गया था।...(व्यवधान)

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बड़े अदब से यह कहूंगा कि वाजपेयी जी पार्टी में प्रेजीडेंट भी हैं, विदेश मंत्री रहे हैं, इनके कहे हुए शब्द बहुत दूर जाएंगे। तो वह अगर कहते हैं कि किसी मंत्री ने ऐसा किया तो उनका नाम बता दें, ताकि हम समझ सकें कि कौन थे।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम बता दूंगा। आप मुश्किल में पड़ेंगे।...(व्यवधान) नाम इसलिए पूछे जा रहे हैं कि उन सबको शक हो रहा है कि कहीं हमारे ऊपर तो इशारा नहीं किया है।...(व्यवधान) अच्छा मैं एक नाम बता देता हूं । भोजन करनेवाले मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह थे। उन्हें बुलाकर दूसरे मंत्री का नाम पूछ लीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरे आरोप को चुनौती दी जाएगी तो प्रिविलेज कमेटी को मामला भेज दिया जाए, मैं उस सिक्योरिटीवाले को पेश कर दूंगा।...(व्यवधान) मैं एक बात और... (व्यवधान)

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, श्रीमान वाजपेयी जी बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। यह प्रिविलेज कमेटी में जानेवाला मामला नहीं है। यह आपको या तो कहना नहीं चाहिए या तो कहिए कि मैंने सुनी-सुनाई बात कही है, या आपने अगर देखा है तो आप उसका नाम बता दें। ...(व्यवधान) मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको किसी ने गलत कहा है, किसी मंत्री

ने ऐसी बात नहीं की। बिल्कुल किसी मंत्री ने ऐसा नहीं किया है। आपसे किसी ने झूठ कहा है। आप विश्वास मत करिए।

श्री वाजपेयी : मैं फिर दोहराता हूं कि सारा मामला प्रिविलेज कमेटी को सौंप दीजिए, मैं उस सिक्योरिटीवाले को हाजिर करने के लिए तैयार हूं।

आपात्काल की तैयारियां!

उपाध्यक्ष महोदय, मैं फिर इस आरोप को बलपूर्वक दोहराना चाहता हूं कि देश में योजनापूर्वक धीरे-धीरे आपात्स्थिति लागू करने का एक वातावरण बनाया जा रहा है। संविधान में संशोधन करने के बाद यह स्थिति बनी है कि जब देश में आर्म्ड रिबैलियन न हो, देश में आपातस्थिति लागू नहीं की जा सकती। इसलिए विदेशी हाथ, विदेशी खतरे की बात बार-बार कही जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जजों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है? जैसे कैजुअल लेबर्स को चार-चार महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, वैसे ही उन्हें एक्सटेंशन दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रेस को भयभीत करने की कोशिश हो रही है। उड़ीसा में क्या हुआ? मैं इसका उल्लेख करना नहीं चाहता। वाराणसी में एक पत्रकार को किस तरह से हमले का निशाना बनाया गया, यह सारे सदन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।···(व्यवधान) ये इसका समर्थन कर रहे हैं।

अभी बंबई में एक ठोस घटना हुई। भारत सरकार की अफगानिस्तान के बारे में नीति की आलोचना करने के लिए हम चौपाटी पर एक जनसभा करना चाहते थे। उस जनसभा पर रोक लगा दी गई और कहा गया कि चौपाटी पर आप सभा नहीं कर सकते, क्योंकि चौपाटी महाराष्ट्र सरकार की बपौती है।

यह सभा न करने के लिए दूसरा आधार जो दिया गया वह तो और भी हास्यास्पद था। कहा गया कि सोवियत संघ हमारा मित्र है, हम उसकी आलोचना नहीं कर सकते, अफगानिस्तान हमारा दोस्त है, हम उसकी नुक्ताचीनी नहीं कर सकते।···(व्यवधान)

मैं श्री साठे जी से, जो कि उसका समर्थन करनेवालों में हैं और सूचना मंत्री हैं, पूछना चाहता हूं कि क्या विदेश नीति पर हमारे और आपके बीच मतभेद की गुंजाइश नहीं है? क्या हमें अपने मित्रों की आलोचना करने का अधिकार नहीं है? उन्होंने इसी बात पर हमारी सभा करने पर रोक लगा दी। फिर हम कोर्ट में गए। कोर्ट ने वहां सभा करने की इजाजत दे दी। महाराष्ट्र की सरकार बेंच के सामने गई। इतवार को बेंच की बैठक हुई। जब महाराष्ट्र की सरकार ने देखा कि वह मामला हार जाएगी तो उसने कहा कि हम अपनी अपील वापस लेते हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि श्री वसंत साठे ने महाराष्ट्र सरकार के इस कदम का समर्थन कैसे किया? क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटने की तैयारी हो रही है? क्या विदेशी मित्रों से मित्रता रखने के लिए हमें बोलने की आजादी नहीं होगी इस देश में?

यह अफगानिस्तान की मित्रता की बात करते हैं। अफगानिस्तान की जनता के साथ धोखा करके, उनके साथ विश्वासघात करके मित्रता की बात करते हैं।

श्री प्रभुनारायण टंडन (दमोह) : आप तो अमेरिका से मित्रता की बात कीजिए। अफगानिस्तान की मित्रता की बात आप मत कीजिए।

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष जी, मैंने श्रीनगर में यह कहा कि वाजपेयी जी और उनके साथी

यहां पर सभा करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के लोगों के साथ नहीं—पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ दोस्ती की बात करना चाहते हैं। यह देश-हित के खिलाफ है, इसलिए इस देश में यदि कोई यह कहे कि हम इस देश के जो दुश्मन हैं, उनके साथ हम दोस्ती करना चाहते हैं तो यह राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। इसलिए यदि वहां की सरकार ने कोई कदम उठाया है तो उसके लिए मैं आपत्ति नहीं ले सकता। यह मेरा कहना है। आप जिया-उल-हक का समर्थन करना चाहते हैं, अमेरिका का समर्थन करना चाहते हैं। यह आप कहना चाहते हैं तो मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा खेद है कि सूचना मंत्री ने बाहर कुछ कहा और भीतर कुछ कह रहे हैं।···(व्यवधान)

हम वहां के सैनिक शासन का समर्थन नहीं करते। हमारा सवाल यह है कि इस देश में अपनी बात कहने का अधिकार होगा या नहीं? अगर हम आपकी हां में हां मिलाएंगे, तभी अधिकार होगा? अगर दिल्ली के दरबार में सलाम झुकाएंगे तभी बोलने का अधिकार प्राप्त होगा? यह रोल, यह भूमिका वसंत साठे अदा कर सकते हैं—हम नहीं कर सकते।

श्री वसंत साठे : जातिवाद को भड़काने का अधिकार चाहिए? अराष्ट्रीयता को भड़काने का अधिकार चाहिए—किस आजादी की बात आप कर रहे हैं वाजपेयी जी, और यह काम आपने किया है।···(व्यवधान)

ऑल इंडिया रेडियो है या ऑल इंदिरा रेडियो?

श्री वाजपेयी : ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज बुलेटिन जो १५ मिनट का होता है, उसमें १२ मिनट श्रीमती इंदिरा गांधी का गुणगान करने की इजाजत है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर ऑल इंदिरा रेडियो कर दो, क्योंकि उसकी विश्वसनीयता खत्म हो रही है। कोई सुनेगा नहीं।

श्री वसंत साठे : उपाध्यक्ष जी, बी.बी.सी. का नाम वाजपेयी ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन कर देना चाहिए।

श्री वाजपेयी : मुझे उम्मीद है, ऑल इंडिया रेडियो इस बहस की सही-सही रिपोर्ट प्रसारित करेगा। उपाध्यक्ष जी, अगर देश पर सचमुच में खतरा है तो क्या गैर-कांग्रेसी सरकारों को गिराने की धमकी देना उचित है? क्या प्रधानमंत्री का जम्मू-कश्मीर में यह कहना उचित है···(व्यवधान)

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : गलत है—बिलकुल गलत है।···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : प्रधानमंत्री ने जम्मू में जाकर कहा कि अगर केंद्रीय सरकार राज्य को मदद न दे तो राज्य सरकार आधे घंटे तक भी टिकी नहीं रह सकती है।

श्री एच.के.एल. भगत : गलत कह रहे हैं। उसको कंट्राडिक्ट किया जा चुका है।

श्री वाजपेयी : गैर-कांग्रेसी सरकारें भी उसी जनता ने चुनकर भेजी हैं जिस जनता ने इस सरकार का निर्माण किया है। उनके साथ हमारे मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक संघर्ष चलेगा। लेकिन लोकतंत्र में चुनी हुई सरकारों की तकदीरों का फैसला राज्य विधानसभाओं में होगा, दिल्ली के दरबार में नहीं।

गृह मंत्री महोदय ने जनता पार्टी के झगड़े की बड़ी चर्चा की है। हममें झगड़ा हुआ और हम अलग-अलग हुए। लेकिन जनता पार्टी तो अलग-अलग पार्टियों से बनी थी। आपकी तो एक पार्टी है। आपका १५ महीने में क्या हाल हो गया है? त्रिपाठी जो भक्त थे, अभी विभक्त हो गए हैं। शुक्ल कृष्ण हो गए हैं। शुक्ल का अर्थ है श्वेत चांदनी, शुक्ल पक्ष। आज मैंने इनका भाषण

पूरा नहीं सुना लेकिन प्रधानमंत्री के सचिवालय से कहा गया कि श्री विद्याचरण शुक्ल का त्यागपत्र इसलिए लिया गया है कि उन्होंने शक्कर में गोलमाल किया था। ऑल इंडिया रेडियो ने भी यह रिपोर्ट दी। जब कि सारा सदन जानता है, दुनिया जानती है कि शक्कर के लिए राव वीरेंद्र सिंह जिम्मेदार हैं, विद्याचरण शुक्ल नहीं। अब तीसरा नंबर किसका है? इसीलिए बढ़-चढ़कर वफादारी की कसमें खाई जा रही हैं।

यह भी कहा गया है कि कल संसद ने एक नया इतिहास लिखा है। मैं कहूंगा कि एक नया इतिहास नहीं लिखा, बल्कि एक खतरनाक परंपरा कायम की है। अगर पुरानी संसद के निर्णयों को नई संसद बदलेगी तो वर्तमान संसद के निर्णयों को आनेवाली संसद भी बदल सकती है। हम समझते थे कि लोकसभा के चुनाव में जब कांग्रेस (आई) की विजय हो गई है तो उसी दिन प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा की पुनःस्थापना हो गई। लेकिन कल आपने प्रस्ताव पास करके उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई नहीं है, अपनी विजय के रंग को फीका कर दिया है। १५ महीने के भीतर ही यह प्रस्ताव लाने की जरूरत पड़ गई। १५ महीने के भीतर ही दिल्ली में किसानों की रैली बुलाने की जरूरत पड़ गई। १५ महीने के भीतर ही नजरबंदी कानून और ज्ञानी जी कहते हैं कि बहुत कम लोगों को गिरफ्तार किया गया है, तब तो पता लगता है कि उस कानून की जरूरत ही नहीं थी। इससे उस कानून की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती, इस सरकार का दिमागी दिवालियापन साबित होता है।

एक माननीय सदस्य : किसी बात से चैन नहीं।

श्री वाजपेयी : जब आप बेचैन हैं तो हमें कैसे चैन हो सकता है?

मंत्रिमंडल है, मंत्री नहीं हैं

उपाध्यक्ष महोदय, १५ महीने हो गए मगर अभी तक केंद्र सरकार का पूरा निर्माण नहीं हुआ है। देश पर संकट है, मगर भारत का कोई रक्षा मंत्री नहीं। प्रधानमंत्री हरेक मंत्रालय का भार कैसे देख सकती हैं? कोई उद्योग मंत्री नहीं। श्री अंजैया चले गए। कोई श्रम मंत्री नहीं है। स्टील का कोई मंत्री नहीं है। अगर इतने लोगों में से कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलता है तो हम कुछ लोगों की सेवाएं अपोजिशन से उधार देने के लिए तैयार हैं।

श्री जैल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय वाजपेयी जी का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं कि उनकी यह जो तकरीर थी, सारा जो झगड़ा था वह यही था। अब भी आ जाएं।

श्री वाजपेयी : ज्ञानी जी मुझे बुला रहे हैं। एक बार पहले भी बुला चुके हैं। मैं उधर आऊंगा जरूर, मगर जनता के कहने पर आऊंगा, आपके कहने पर नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, बाबू जगजीवन राम जी कह रहे थे कांग्रेस के सदस्य भी चुनकर आए हैं और विरोधी दलवाले भी चुनकर आए हैं, दोनों चुनकर आए हैं, यह बात सही है। मगर एक बुनियादी अंतर है। आप लोग इंदिरा जी की कृपा से चुनकर आए हैं, और हम उनके विरोध के बावजूद चुनकर आए हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सत्तारूढ़ दल में ऐसे लोग निकलें जो डंके की चोट पर खरी बात कहने का साहस जुटाएं। महाभारत में जब द्रोणाचार्य से पूछा गया, भीष्म पितामह से पूछा गया कि आप इतने विद्वान और बुद्धिमान हैं आप अन्याय का पक्ष क्यों ले रहे हैं तो भीष्म पितामह ने कहा 'अर्थस्य पुरुषोदासः।'···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, इनको तो आज कुछ सूझता नहीं। यह महाभारत पढ़ते नहीं हैं, महाभारत

कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देश में विश्वास का संकट है इसलिए अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। हम तो चाहते थे प्रधानमंत्री वापस आ जाएं, १४ तारीख को इस प्रस्ताव पर बहस हो जाए। पीठ पीछे हमारा प्रस्ताव लाने का कोई इरादा नहीं था। मगर आपने अधिवेशन बढ़ाने के हमारे सुझाव को क्यों नहीं माना। आज अधिवेशन समाप्त करने की आवश्यकता क्या है? क्या लोगों को बहस करने का भी मौका नहीं मिलेगा? आप बहस से इतना घबराते क्यों हैं?...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, विरोधी दलों पर यह आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री विदेश गई हुई हैं, ऐसे समय अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे भारत की प्रतिष्ठा को कम करने का विरोधी दल प्रयत्न कर रहे हैं, यह आरोप निराधार है।

मैं पूछना चाहता हूं कि जब संसद का अधिवेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री विदेश क्यों गईं? ...(व्यवधान)

इस समय नई परंपराएं कायम हो रही हैं। अगर कोई मंत्री बाहर जाता था तो उससे कहा जाता था कि सदन की बैठक चलते हुए आप बाहर नहीं जाएंगे। मगर प्रधानमंत्री बाहर गई हैं...(व्यवधान) अब स्पीकर साहब भी बाहर जानेवाले हैं। नई परंपराएं कायम हो रही हैं, यह देश के लिए बड़े दुभार्ग्य की बात है।

हड़ताल के भयंकर परिणाम होंगे

सभापति जी, अभी हमने पंडित केशवदेव मालवीय का प्रवचन सुना। दस वर्ष वनवास में रहने के बाद वह पुनः सिंहासन पर आरूढ़ हुए हैं। किन परिस्थितियों में उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। लेकिन इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उन्होंने प्रतिपक्ष को बांटने का जो प्रयास किया है, वह निंदनीय है। यह सफल नहीं होना था। बांटो और राज करो, अंग्रेजों की इस नीति के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। सभापति जी, यह बांटने की प्रक्रिया केवल सदन के भीतर ही नहीं चल रही है, सदन के बाहर भी रेल मजदूरों को बांटने की कोशिश हो रही है। आम आदमी को रेल कर्मचारी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है, सेना को रेल कर्मचारियों के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश हो रही है। रेल कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर सरकार देश में ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश कर रही है, जो कल उसके काबू के बाहर जा सकती है।

सभापति जी, कौन प्रोग्रेसिव है, कौन रिएक्शनरी है, यह दर्शन का विषय है, इसके लिए हमें मालवीय जी का प्रमाणपत्र नहीं चाहिए। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता। हमारी अलग-अलग विचारधाराएं हैं। मगर उस पार्टी की कौन सी विचारधारा है, यह समझने में मैं असमर्थ हूं, जिसमें पंडित केशवदेव मालवीय और श्री सी. सुब्रह्मण्यम एक साथ निवास करते हैं। यह पार्टी नहीं है, प्लेटफार्म है। यह सत्ता के लिए जुड़ा हुआ जमघट है।

सभापति जी, आज आवश्यकता इस बात की है कि रेलवे हड़ताल के कारण जो गंभीर परिस्थिति पैदा हो गई है, उस पर हम विचार करें। यह प्रवचन आवश्यक नहीं था लेकिन मालवीय जी वैज्ञानिक समाजवाद में विश्वास करते हैं। साइंटिफिक सोशलिज्म, और वे एक ऐसी पार्टी में हैं जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का दावा करती है। साइंटिफिक सोशलिज्म का अर्थ है 'कम्युनिज्म'…(व्यवधान)

सभापति महोदय, मालवीय जी इधर आ जाएं लेकिन सभापति महोदय, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। पर उन्होंने जो यह मौका चुना दरार पैदा करने का, इसमें उन्होंने अच्छी राजनीति नहीं

** रेलवे हड़ताल के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में ९ मई, १९७४ को भाषण और वाद-विवाद।*

दिखाई। कल प्रधानमंत्री जी ने भी यह खेल खेलना चाहा था। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। उन्होंने शिकायत की थी कि जनसंघ के साथ अन्य दल क्यों मिल जाते हैं, वे अपना कथित सेक्युलरवाद क्यों छोड़ देते हैं। कल बाहर बांटने की नीति चली थी और आज सदन के अंदर पाटने का कुचक्र चल रहा है। मगर इससे समस्या हल नहीं होगी।

सभापति महोदय, समस्या इस से भी हल नहीं होगी कि राजनीतिक दल परिस्थिति का फायदा उठाना चाहते हैं।

यह हड़ताल राजनीतिक कारणों से प्रेरित है, यह भी कहा गया और यह भी कहा गया कि जो पार्टियां चुनाव में हार गईं, वे गड़बड़ पैदा करना चाहती हैं।···(व्यवधान) सभापति जी, चुनाव में हम पहली दफा नहीं हारे हैं। हम तो हारते आए हैं। यह कोई छिपानेवाली बात नहीं है। आज के जो ज्वलंत प्रश्न हैं, उनको चुनाव की सफलता और विफलता के साथ जोड़ने की कोशिश गलत है। आज महंगाई रेल कर्मचारियों और दूसरे कर्मचारियों के जीवन को दूभर बना रही है। आज विषमता रेलवे कर्मचारियों, रेल में काम करनेवाले कर्मचारियों और सरकारी संस्थानों में काम करनेवाले कर्मचारियों के जीवन में खाई पैदा कर रही है···

सभापति जी, आवश्यक वस्तुओं का अभाव है। क्या यह अभाव रेल कर्मचारियों को आंदोलित नहीं करता? क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि जितनी महंगाई आज बढ़ी है, उतनी महंगाई पिछले २६ साल में कभी नहीं बढ़ी थी? क्या यह सही नहीं है कि जितनी बेकारी अभी बढ़ी है उतनी पिछले २६ साल में कभी नहीं थी? क्या यह भी गलत है कि गरीबी हटाओ के नारे ने लोगों की अपेक्षाएं बढ़ाई हैं? अब अगर बढ़ी हुई अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए वे मांग करते हैं तो इसमें राष्ट्र विरोधी काम कौन सा है।

सभापति महोदय, काम करने का अधिकार हमने माना है और काम करने के साथ-साथ काम न करने का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। राइट टु वर्क के साथ हड़ताल पर जाने का अधिकार भी जुड़ा हुआ है। अब अगर रेल कर्मचारी नियम के अनुसार हड़ताल का नोटिस देते हैं और नोटिस देने के बाद उनके नेताओं के साथ बातचीत चलती रहती है, तो आज यह शर्त लगाने की क्या जरूरत है कि जब तक हड़ताल का नोटिस वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक चर्चा नहीं होगी। यह नई शर्त क्यों लगाई गई है? उस दिन जब रेलवे पर यहां स्थगन प्रस्ताव आया था तो हमने उस दिन कहा था कि जार्ज फर्नांडीज और उनके साथियों को बातचीत के दौरान गिरफ्तार करना अनैतिक है। सभापति जी, अंग्रेजों ने कभी हमारे राष्ट्रीय नेताओं के साथ ऐसा दुष्कर्म नहीं किया था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनके साथ बातचीत चलती हो और उन्हें जेल में बंद कर दिया।···(व्यवधान)

डॉ. कैलाश (बंबई, दक्षिण) : बातचीत के दौरान तोड़फोड़ करने के काम का प्लानिंग कर रहे थे। वह क्या साजिश नहीं? क्या उन्हें आप देश को बर्बाद करने देंगे?

श्री वाजपेयी : अभी ऐसा उदाहरण बाकी है जिसमें बातचीत चलती हो और मुख्य नेताओं को पकड़कर जेल में बंद कर दिया हो। यह पहली घटना है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : अब अंग्रेजों की तारीफ होने लगी है।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : यह हमेशा नफरत करते आए हैं, आज नई बात नहीं है।

श्री वाजपेयी : यह असत्य है। लेकिन आपके कर्म ऐसे हैं जिनसे अंग्रेजों के कुकर्म भी कुछ छोटे दिखते हैं···(व्यवधान)

सभापति जी, यह इनका जो शोरगुल है, यह मेरे समय में न जोड़ा जाए।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण जारी रखिए।

श्री वाजपेयी : सभापति जी, यह कहा जाता है कि जब बातचीत चल रही थी तो हड़ताल की तैयारियां भी चल रही थीं। हड़ताल की तैयारी चल रही थी, इस आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। क्या यह सच नहीं है कि हड़ताल की तैयारी और हड़ताल को रोकने की तैयारी दोनों तरफ से साथ-साथ चल रही थी? लेकिन किस वातावरण में चल रही थी? आप गुप्त सूचनाएं भेज रहे थे, टेरीटोरियल आर्मी को मैदान में लाने के लिए तैयारी कर रहे थे। पुराने कर्मचारियों को बुला रहे थे और अपनी पूरी किलाबंदी कर रहे थे कि अगर हड़ताल हुई तो उसका सामना किया जा सके। कर्मचारी तैयारी कर रहे थे कि अगर बातचीत विफल हो जाए तो हड़ताल हो सके। लेकिन जब एक बार आप बातचीत में लगे हुए थे तो गिरफ्तार करने का मतलब क्या था?

श्री एल. एन. मिश्र : तैयारी की थी, इसीलिए गिरफ्तार नहीं किया।

श्री वाजपेयी : तो काहे को गिरफ्तार किया।

श्री एल. एन. मिश्र : वह मैं बताऊंगा।

श्री पीलू मोदी : वह कौन सी महान गुप्त योजना थी? कृपया हम सबको भी बताओ। अभी बताओ।

श्री वाजपेयी : सभापति जी, उस दिन भी हमने तोता-मैना की कहानी सुनी थी। श्री जार्ज फर्नांडीज के भाषण अखबारों में नहीं छपे। जो गुप्तचर विभाग से प्राप्त किए गए हैं, जिनके बारे में, सभापति जी, संदेह है, उनके आधार पर सरकार ने उन्हें जेल में बंद कर दिया। क्या ईमानदारी का तकाजा यह नहीं था कि श्री जार्ज फर्नांडीज जब दूसरे दिन बैठक में आते, तो उनके सामने उनके भाषण, जो आपकी दृष्टि में आपत्तिजनक थे, पढ़े जाते।

श्री रामसहाय पांडे : वह षडयंत्र था, आपको पूरी जानकारी नहीं है···(व्यवधान)

गाड़ी गई—गाड़ी आई

श्री वाजपेयी : यह नहीं किया गया। यहां पर कहा गया कि लखनऊ से आने के लिए उनके लिए हवाई जहाज भेजा जा सकता है। आपने बातचीत जरूर की, लेकिन बातचीत को अंतिम रूप देना आवश्यक था और आपने बातचीत जारी रखने की बजाय उन्हें जेल में बंद कर दिया। यह बड़ी गलती थी। उसी दिन शाम जब एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा हो रही थी तब रेल मंत्री ने घोषणा कर दी—जब तक स्ट्राइक का नोटिस वापस नहीं लिया जाएगा, चर्चा नहीं होगी।···(व्यवधान) क्या बिना बातचीत के दमन का तरीका अपनाकर, टेरीटोरियल आर्मी, जिसमें रेलवे इम्प्लाइज को भेजते समय वादा किया गया था कि उसका उपयोग रेलवे हड़ताल तोड़ने के लिए नहीं किया जाएगा, गाड़ियां चलवाकर आप समस्या का समाधान कर सकते हैं? गाड़ियां कैसे चल रही हैं, मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूं। कल हमारे कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट में कह रहे थे कि रेलवे स्ट्राइक है ही नहीं। आज कह रहे हैं कि रेलवे स्ट्राइक है, मगर गाड़ियां चल रही हैं। मैंने पता लगाया कि कल दिल्ली से कौन सी गाड़ी गई है। मुझे बतलाया गया कि यहां से असम मेल गई थी। गाड़ी ले जाने का तरीका क्या है। असम मेल यहां से गई और गाजियाबाद पर रुक गई और वही असम मेल शाम को वापस आ गई। कह दिया गया कि असम मेल गई थी। यह भी दावा किया कि वह वापस आ गई।···(व्यवधान) मैं साबित कर सकता हूं।

रेलवे कर्मचारियों से मेरा घनिष्ठ नाता रहा है। मैं आठ साल तक असिस्टेंट स्टेशन मास्टरों की एसोसिएशन से संबंधित रहा हूं। रेल कर्मचारी किन कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, इस सदन के माननीय सदस्यों को इसकी थोड़ी सी अनुभूति होनी चाहिए। लाखों कर्मचारी चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, कड़कड़ाती सर्दी पड़े, चिलचिलाती धूप हो…

एक माननीय सदस्य : क्या किसान खेती का काम नहीं करते हैं?

श्री वाजपेयी : क्या आप इस बहस को किसानों की बहस में बदल देना चाहते हैं? जब हम रेल कर्मचारियों की बात करते हैं तब उन्हें किसान याद आता है। जब किसान को अधिक दाम देने की बात कही जाती है तब कहा जाता है कि जनसंघवाले किसानों को जाकर भड़काते हैं। फिर खुद ज्यादा दाम दे देते हैं। मेरा निवेदन है कि रेल कर्मचारी किस परिस्थिति में काम करता है, इस पर आप विचार करें। क्या यह सही नहीं है कि रेल कर्मचारी जिन परिस्थितियों में काम करता है, वे परिस्थितियां अन्य पब्लिक अंडरटेकिंग्स में होनेवाली परिस्थितियों से अधिक कठिन हैं। फिर भी वेतन में अंतर है? आज रेलवे कर्मचारी का कम से कम वेतन २१० रुपए है और पब्लिक अंडरटेकिंग्स में ३५० रुपए है।…(व्यवधान) मैं अलाउंस मिलाकर कह रहा हूं। क्या यह अंतर अब खलेगा नहीं? क्या कर्मचारी अपनी स्थिति की तुलना करके नहीं देखेंगे? एक ही ढंग के काम में लगे हुए कर्मचारी क्या परस्पर बैठकर यह चर्चा नहीं करेंगे कि हमें कम मिल रहा है और तुम्हें ज्यादा मिल रहा है, यद्यपि एक ही ढंग का काम हम कर रहे हैं, एक देश के निर्माण में लगे हैं और एक ही सरकार के सेवक हैं?

रेल मंत्री से भूल हुई

अगर रेलवे मंत्री यह कहते हैं कि जॉब इवैलुएशन की मांग ठीक है, पैरिटी होनी चाहिए, हम सिद्धांत में इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण आज हम इसको नहीं मान सकते, तो रेलवे कर्मचारियों के नेता जरूर सहानुभूति के साथ इस मसले पर गौर करके या तो उन्हें रास्ता बतलाते कि किस तरह से रुपया प्राप्त किया जा सकता है या फिर यह कहते कि इस मांग को सिद्धांततः मान लीजिए और टुकड़ों में लागू कीजिए, हम एकमुश्त इस मांग पर अमल करने के लिए जोर नहीं देते। लेकिन यह तरीका नहीं अपनाया गया।

क्या रेल कर्मचारी इस बात को भूल सकते हैं कि १ अप्रैल, १९५० को कैपिटल एंड लार्ज ८२७ करोड़ था और १९७३-७४ में ४ हजार करोड़ हो गया, यानी पांच गुना बढ़ गया। इस बीच रेलवे में लाइनों की लंबाई दुगनी नहीं हुई है, वैगनों की संख्या दुगनी नहीं हुई है। स्पष्ट है कि रेलवे का विस्तार केवल लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता। आखिर सुरक्षा की दृष्टि से रेलवे लाइन चाहिए और उनको फैलाने की जरूरत होती है, राज्यों की मांगों पर रेलवे लाइनों का विस्तार होता है। कहा जाता है कि कच्चा माल ढोने के लिए कारखानों को रेलवे लाइनों की आवश्यकता है। रेलवे मंत्रालय घाटा सहकर भी इसका प्रबंध करता है। कुछ लाइनें राजनीतिक कारणों से डाली जाती हैं। क्या इन सब बातों के कारण जो घाटा होता है, उसको रेलवे कर्मचारियों को दिखाकर कहा जाएगा कि रेलें चूंकि घाटे में चलती हैं, इसलिए तुम्हारा वेतन नहीं बढ़ सकता, और कर्मचारियों की तुलना में तुम्हें कम वेतन लेना पड़ेगा?

मैं रेलवे कन्वेंशन कमेटी का मेंबर था। समय सीमित है, मैं आपको बीसों उदाहरण दे सकता हूं जिनमें रेलें व्यापारियों को, उद्योगपतियों को अपना नुकसान उठाकर फायदा पहुंचाती हैं। मैंने

रेलवे कन्वेंशन कमेटी में एक ऐसा मामला देखा कि लोग डैमरेज चार्जेज क्यों देना पसंद करते हैं। रेलवे वैगन में मंगाया गया माल जब नहीं उठाया जाता है, उसमें डैमरेज लगता है। मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि व्यापारी अपने गोडाउन में माल नहीं रखते, क्योंकि गोडाउन का किराया ज्यादा है, रेलवे डैमरेज कम है।

श्री एल.एन. मिश्र : पुरानी बात है।

श्री वाजपेयी : ऐसी नई-नई बातें भी हैं। एक नहीं बीसों बातें हो सकती हैं। अगर आप रेलवे कर्मचारियों के साथ बैठें और सोचें कि किस तरह से बेस्टफुल प्रैक्टिस की जा सकती है, किस तरह से आपकी उचित मांगें पूरी करने के लिए रुपया निकाला जा सकता है तो हड़ताल का दिया गया नोटिस रेल कर्मचारियों और रेल मंत्रालय के बीच में एक साथ मिलकर काम करने की भावना पैदा कर सकता था, जिससे रेलों की दक्षता बढ़ती, रेलों की आमदनी बढ़ती, रेलों का अपव्यय कम होता और रेलवे कर्मचारियों को संतुष्ट रखा जा सकता था। लेकिन किसी रचनात्मक राजनीति का परिचय नहीं दिया गया। रेलवे कर्मचारियों की सब श्रेणियां एक साथ आ गईं। इसका लाभ उठाकर रेलवे मंत्रालय अगर उनका सहयोग मांगता और लेन-देन की भावना से उनके साथ समझौता-वार्ता जारी रखता तो हड़ताल को न केवल टाला जा सकता था, बल्कि रेलवे व्यवस्था के अच्छे सुधार के लिए दरवाजा खोला जा सकता था। लेकिन, मुझे क्षमा किया जाए, ऐसा लगता है कि सरकार रेल मजदूरों को पाठ पढ़ाने के लिए तुली हुई है। कहीं न कहीं सरकार के दिमाग में यह बात है कि मजदूर बहुत सर पर चढ़ गए हैं। अब उन्हें जरा डंडे से ठीक किया जाना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : यह सही है।

श्री वाजपेयी : यह कांग्रेस के सदस्य बोल रहे हैं।...(व्यवधान) इसीलिए टेरीटोरियल आर्मी का आश्रय लिया जा रहा है, इसलिए ऐसी शर्तें लागू की जा रही हैं जिनमें रेलवे मजदूरों के नेताओं को अपमानित करने की भावना है। हड़ताल का नोटिस वापस लो तब बात होगी, इसके पीछे क्या है?

श्री के.डी. मालवीय : आपकी वजह से हो रहा है।

श्री वाजपेयी : श्री मालवीय को हम ही हम दिखाई देते हैं।

श्री के.डी. मालवीय : इंदौर में आपने क्या कहा था।

श्री वाजपेयी : मैंने इंदौर में क्या कहा था, यह चर्चा का विषय नहीं है, आप नई दिल्ली में क्या कर रहे हैं, इस पर बहस हो रही है। क्या रेलवे मजदूरों के नेताओं को अपमानित करना ही आपका उद्देश्य है? क्या रेल कर्मचारियों को बेइज्जत करके, मुंह में तिनका दबाकर, घुटनों के बल बिठाकर, सत्ता के सामने झुकाना आपका उद्देश्य है? यदि नहीं, तब फिर यह शर्त क्यों लगाई गई है कि तब तक बात नहीं होगी जब तक स्ट्राइक का नोटिस वापस नहीं होगा? जब स्ट्राइक करनेवालों की एक्शन कमेटी के ६० प्रतिशत मेंबर जेलों में हैं, तब किसी नई परिस्थिति पर वे कैसे विचार कर सकते हैं? उनको छोड़ा जाना चाहिए। स्ट्राइक का नोटिस वापस लेने की बात का परित्याग किया जाना चाहिए।

रेलवे में हड़ताल हो गई है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। आप दमन के तरीके अपना कर, कुछ दिन बाद थोड़ी मात्रा में उसे छिन्न-भिन्न कर सकते हैं, लेकिन जो हड़ताल हो गई है, वह हमारी रेल व्यवस्था को कितना अस्त-व्यस्त करेगी, इसका अनुमान लगाने का आज समय है। मालवीय जी ने रेडियो पर भाषण दिया और कहा कि रेलें नहीं चलेंगी तो कोयला नहीं जाएगा

और कोयला नहीं जाएगा तो स्टील फैक्टरीज का क्या होगा। लेकिन जिस दिन वह रेडियो पर भाषण कर रहे थे, उस दिन क्या उन्हें मालूम नहीं था कि आज रात को श्री जार्ज फर्नांडीज गिरफ्तार किए जानेवाले हैं…

एक माननीय सदस्य : उनकी हरकतें आपको मालूम थीं?

श्री वाजपेयी : मालूम होता तो रेडियो पर इस तरह का भाषण नहीं करते। इस हड़ताल का कुछ भी हो, लेकिन एक बात साफ है कि आर्थिक क्षेत्र में इस हड़ताल के भयंकर दुष्परिणाम हमें भुगतने होंगे। अभी भी समय है और परिस्थिति को संभाला जा सकता है। हम बिना शर्त विदेशी दुश्मनों से बात करने को तैयार रहते हैं। नेहरू जी कहा करते थे कि किसी भी संघर्ष का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि जीत दोनों पक्षों की हो, पराजय किसी की न हो। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कभी दोहराया है? क्या रेल स्ट्राइक के बारे में इस सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता? क्या महात्मा बुद्ध के आदेशों को आप केवल बुद्ध पूर्णिमा के दिन आचरण में लाएंगे? क्या जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसका ऐसा हल नहीं निकाला जा सकता है कि न तो रेल नेताओं की पराजय हो और न सरकार की पराजय हो, दोनों की विजय हो, दोनों का सम्मान रहे। मैं समझता हूं कि अगर समझौते का रास्ता निकालने की भावना उधर हो तो वह रास्ता निकल सकता है।

लेकिन सरकार को स्वीकार करना होगा कि उसने तीन बड़ी गलतियां की हैं। प्रधानमंत्री का यह कहना कि हम बोनस नहीं दे सकते, फिर यह कहना कि बोनस के मामले में बोनस रिव्यू कमेटी विचार कर सकती है, फिर हमारे शर्मा जी का कहना कि बोनस की मांग हमारी भी है और यह पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल कर देंगे। जिस बोनस के लिए शर्मा जी हड़ताल करना उचित समझते हैं, उसी बोनस के लिए दूसरे फेडरेशन द्वारा हड़ताल करना उचित क्यों नहीं है? शर्मा जी सिर्फ इतना ही कहते हैं कि बोनस रिव्यू कमेटी के लिए हम रुके हुए हैं। अगर उसने कह दिया कि बोनस नहीं मिलेगा तो शर्मा जी क्या करेंगे?

अपनी गलतियां सुधारिए

पहली गलती यह हुई कि प्रधानमंत्री ने जो पत्र मुख्यमंत्रियों को लिखा था, उसको प्रकाशित कर दिया गया। मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहना चाहता हूं कि प्रकाशित कराना दूसरी बात है। यह प्रकाशन उनके द्वारा हुआ है जो नहीं चाहते थे कि कोई समझौता हो, जो चाहते थे संकट बढ़े। दूसरी गलती यह की गई कि श्री जार्ज फर्नांडीज को गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरी गलती यह की गई कि यह शर्त लगा दी गई कि जब तक हड़ताल का नोटिस वापस नहीं लोगे, तब तक बातचीत आरंभ नहीं होगी। अभी भी समय है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें। आज के अविश्वास के प्रस्ताव का उद्देश्य यही है कि सरकारी पक्ष को यह समझाया जाए कि अभी भी स्थिति को सुधारा जा सकता है। लेकिन उसके लिए रचनात्मक राजनीति की आवश्यकता है, बदले की भावना की नहीं। अगर आप कर्मचारियों को पाठ पढ़ाने पर तुले हुए हैं, उनको मजा चखाने पर तुले हुए हैं तो संघर्ष होगा और उसके परिणाम सरकार को भी भुगतने पड़ेंगे, और कर्मचारियों को भी उनका सामना करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, हड़ताल तो शुरू हो गई है लेकिन अभी ऐसी स्थिति में वह नहीं पहुंची है कि गतिरोध में से रास्ता बाकी नहीं रह गया हो। रास्ते निकाले जा सकते हैं। यह अविश्वास प्रस्ताव इसी दृष्टि से लाया गया है। हम जानते हैं कि इसका भविष्य क्या होगा। सारे तर्क हमारे साथ हैं,

लेकिन संख्या उनके साथ है। वे संख्या-बल पर फैसला चाहते हैं और वे फैसले यहीं हो सकते हैं, सदन में ही कराए जा सकते हैं। जहां तक आम आदमी का प्रश्न है, उसको यह नहीं समझाया जा सकता है कि हड़ताल से निपटने में सरकार ने बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। मैं बलपूर्वक कहता हूं कि आम आदमी से आप बाहर चलकर बात कर लें, कोई भी श्री जार्ज फर्नांडीज की गिरफ्तारी का समर्थन नहीं करेगा।

अध्यक्ष महोदय, हमने मांग की थी कि संकटकाल की स्थिति खत्म कर दी जाए। पाकिस्तान से मित्रता हो गई है, बंगला देश बन गया है, पाकिस्तान ने उसको मान्यता दे दी है, जीती हुई जमीन पाकिस्तान को वापस कर दी गई है, युद्धबंदी छोड़ दिए गए हैं, अब संकटकाल की स्थिति का क्या मतलब? असाधारण अधिकार जो आपने प्राप्त किए हुए हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। तब हमें कहा गया था कि नहीं, इमर्जेंसी रहेगी और अब हमें पता लग रहा है कि इमर्जेंसी किसलिए आप रखना चाहते थे। पाकिस्तान से निपटने के लिए नहीं, रेल मजदूरों की न्यायोचित मांगों और न्यायोचित आंदोलन को कुचलने के लिए। क्या रेल मजदूरों को मीसा में पकड़ना, भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हिरासत में लेना उचित है? क्या यह संकटकाल के उपबंधों का दुरुपयोग नहीं है? मुझे लगता है कि सरकार लोकतांत्रिक आंदोलन को अब दमन के अलावा और किसी तरह से सुलझाने का सामर्थ्य खो चुकी है, विश्वास खो चुकी है। अगर यह बात सच है तो देश पर एक गंभीर परिस्थिति आनेवाली है। अभी भी समय है, सरकार बुद्धिमत्ता का परिचय दे सकती है और इस हड़ताल से होनेवाले नुकसान को रोका जा सकता है। रेल मंत्री और रेल कर्मचारियों के नेता फिर से वार्ता की टेबल पर आकर सम्मानजनक समझौते का रास्ता निकाल सकते हैं। अगर रास्ता नहीं निकाला जाएगा तो जो भी गंभीर परिस्थिति पैदा होगी, उसका उत्तरदायित्व सरकार के कंधों पर होगा, किसी और के कंधों पर नहीं होगा।

देश में विश्वास का संकट है

सभापति जी, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे अविश्वास प्रस्ताव का संबंध श्री ब्रेजनेव के आगमन से किसी प्रकार नहीं है। श्री ब्रेजनेव सारे राष्ट्र के एक आदरणीय अतिथि के रूप में भारत आ रहे हैं। सारा देश चाहता है कि सोवियत रशिया के साथ हमारे मित्रता के संबंध और भी दृढ़ हों। लेकिन देश यह भी चाहता है कि यह मित्रता बराबरी और एक-दूसरे के प्रति समादर की भावना पर आधारित हो। यह खेद का विषय है कि आज सोवियत रूस और भारत के संबंध उस स्तर पर नहीं हैं, जिस स्तर पर अमेरिका और चीन के संबंधों का विकास हो रहा है। कारण यह है कि भारत न तो स्वावलंबी है, न आर्थिक मोर्चे पर अपनी समस्याओं को सफलता के साथ हल कर सका है। औद्योगिक दृष्टि से दुर्बल, विदेशों से अन्न पर निर्भर, सुरक्षा के लिए किसी महाशक्ति की कृपा का आकांक्षी देश कैसे मित्रता के संबंध कायम कर सकता है? उन्हीं संबंधों में हम भी बंधे हैं और हमारी मित्रता भी उतनी सीमा तक मर्यादित हो गई है।

सभापति जी, आज देश में विश्वास का संकट है। इसलिए हम अविश्वास का प्रस्ताव लाए हैं। यह विश्वास का संकट प्रकृति ने पैदा नहीं किया। सूखे के कारण अनाज के उत्पादन में केवल ४ फीसदी की क्षति हुई, यह सरकार स्वीकार कर चुकी है। यह संकट बंगला देश की मुक्ति के लिए भारत ने जो सशस्त्र संघर्ष किया, उसका भी दुष्परिणाम नहीं है। यह संकट मनुष्यकृत है। यह खेद का विषय है कि इस संकट के लिए दोषारोपण किया जाता है कभी प्रकृति पर, कभी विश्व की परिस्थिति पर, कभी विरोधी दलों पर और कभी सी.आई.ए. पर भी। सी.आई.ए. की चर्चा आजकल नहीं होती है—क्या कारण है?

श्री श्यामनंदन मिश्र : डॉ. शंकर दयाल शर्मा जी भी खामोश हैं।

श्री वाजपेयी : डॉ. शर्मा का मौन बड़ा रहस्यमय है। क्या अमरीकी गुप्तचरों की गतिविधियां अब देश में नहीं चलतीं? क्या इसका अर्थ है कि अमरीकी गुप्तचर अपना बोरिया-बिस्तर बांध कर अतलांतिक महासागर पार कर अपने मैके वापस चले गए? यह कारण नहीं है—न केवल अमरीका, अपितु चीन, पाकिस्तान, रूस सभी देशों के गुप्तचर यहां सक्रिय हैं, उनकी गतिविधियों

** केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में २१ नवंब[illegible] १९[illegible] [illegible]ो भाषण और वाद-विवाद।*

में वृद्धि भी हुई है, लेकिन आजकल उनके बारे में चर्चा नहीं होती।

हमारे सत्तारूढ़ कांग्रेस के मित्र बलि के बकरों की तलाश करते रहते हैं। अपनी विफलताओं पर परदा डालने के लिए बहाना ढूंढ़ते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब जनता इन बहानों से समझनेवाली नहीं है। मैं उद्धृत करना चाहता हूं—प्रधानमंत्री जी के कुछ शब्दों को : "समय हमारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। लाखों लोग रोटी, कपड़ा और मकान पाने के लिए हम पर दबाव डाल रहे हैं।"

यह किस प्रधानमंत्री का भाषण है? यह भाषण तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का ही है, लेकिन यह १९७३ का भाषण नहीं है, यह १९७० का भाषण है। लोकसभा को भंग करते समय ऑल इंडिया रेडियो से देश के नाम उन्होंने जो प्रसारण किया था, आज उन्हें उन्हीं के शब्दों में याद दिलाने की आवश्यकता है। मुझे खेद है वे इस समय सदन में नहीं हैं, फिर भी मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"हमारा लक्ष्य केवल सत्ता में बने रहना नहीं है। हम बहुसंख्यक जनता को बेहतर जीवन-स्तर पाने की कामना और एक समतामूलक समाज-व्यवस्था की उनकी चाहना सत्ता के माध्यम से पूरी करना चाहते हैं। वर्तमान स्थिति में हम महसूस करते हैं कि जनता से किए गए वायदों और अपने पूर्वघोषित कार्यक्रमों के साथ हम आगे नहीं जा सकते।"

इसलिए लोकसभा का जीवन १४ महीने पहले समाप्त कर दिया गया, देश को मध्यावधि चुनाव की विभीषिका में डाला गया। जनता ने प्रधानमंत्री का समर्थन किया। अब प्रधानमंत्री के पास चुनाव के समय किए गए वायदों को पूरा न करने का क्या औचित्य है? आज शिकायत की जा रही है कि जनता हिंसा कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने स्वयं हिंसा के लिए उभारा—मैं फिर उद्धृत करना चाहता हूं :

"श्रीमती गांधी ने आज चेतावनी दी कि यदि बढ़ती हुई आर्थिक और सामाजिक असमानता को जल्दी ही कम नहीं किया गया तो जनता हिंसा का सहारा ले लेगी।"

यह ६ नवंबर, १९७० को चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक में दिया गया भाषण है। (व्यवधान)···उस समय प्रगति कम हो रही थी, इसलिए कहा जा रहा था कि अगर प्रगति नहीं हुई तो जनता हिंसा को अपनाएगी। आज जनता हिंसा को अपना रही है तो जनता को दोष दिया जा रहा है, विरोधी दलों पर लांछन लगाए जा रहे हैं। प्रगति कम क्यों हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? अच्छी बातों के लिए सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी लेने को तैयार हैं तो इस देश में भूख का जो तांडव दिखाई देता है, कमर-तोड़ महंगाई का जो दृश्य दिखलाई देता है, बढ़ते हुए बेकारों की संख्या दिखलाई देती है, चोटी से लेकर एड़ी तक भ्रष्टाचार फलता-फूलता दिखलाई देता है, उसकी जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री जी नहीं बच सकतीं।

सभापति जी, मैं कुछ छोटी तस्वीरें आपके सामने रखना चाहता हूं।

भूखों को रोटी चाहिए, टेलीविजन नहीं

१५ अगस्त, १९७३—स्वतंत्रता की जयंती पर टेलीविजन पर इंटरव्यू के लिए एक विद्वान को आमंत्रित किया गया, वे विद्वान नेत्रहीन हैं, उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं—उनका नाम है श्री वेद मेहता। जब टेलीविजन पर उनके साथ इंटरव्यू हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि देश की स्थिति के बारे में कुछ कहिए। पूछनेवाला समझता था कि वे आज की स्थिति में नेतृत्व का गुणगान शुरू

कर देंगे। उन्होंने नेतृत्व के बारे में एक वाक्य कहा—"ऐसा लगता है कि आज देश में कोई नेतृत्व नहीं है।" उसी समय टेलीविजन का बटन बंद कर दिया गया और इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया। देखनेवालों के सामने अंधेरा छा गया—यह है हमारे देश में टेलीविजन का उपयोग। क्या इस टेलीविजन के माध्यम से हम लोकतंत्र को बलशाली बनाना चाहते हैं? आज भूखे लोगों को रोटी चाहिए, टेलीविजन नहीं। जब पूना में मांग की गई तो चौहान साहब कहने लगे कि हम रोटी भी दे रहे हैं और टेलीविजन भी दे रहे हैं। लेकिन दुख यह है कि रोटी ऐसी दे रहे हैं, जिससे भूख नहीं मरती और टेलीविजन ऐसा है, जिससे दिमाग की भूख नहीं मिटती। जब प्रधानमंत्री जी सूचना मंत्री थीं तो उन्होंने चंदा कमेटी का निर्माण किया था। उस चंदा कमेटी मे सिफारिश की थी कि ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन पब्लिक कारपोरेशन के अधीन होने चाहिए, लेकिन सूचना मंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो निर्णय किया, वह प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ठुकरा दिया···

श्री श्यामनंदन मिश्र : अब तो चंदा साहब भी गुजर गए।

श्री वाजपेयी : अब मैं एक दूसरा दृश्य आपके सामने रखना चाहता हूं—यह १४ अगस्त, १९७२ का दृश्य है। देश की स्वाधीनता की रजत जयंती मनाई जा रही थी। हमारे कांग्रेसी मित्र दिल्ली में एक मशाल जुलूस निकालना चाहते थे। उस जुलूस के लिए पर्याप्त लोग इकट्ठे नहीं कर सके, इसलिए होम-गार्ड्स को सरकारी आदेश दिया गया कि कांग्रेस पार्टी के जुलूस में मशालें लेकर शामिल हो जाएं···

श्री चंद्रजीत यादव : यह बिलकुल गलत है।

श्री वाजपेयी : मैं इसको साबित करने के लिए तैयार हूं।

श्री चंद्रजीत यादव : मैं आपको चुनौती देता हूं—साबित कीजिए।

श्री वाजपेयी : सभापति जी, मेरे पास पत्र-व्यवहार मौजूद है···

श्री चंद्रजीत यादव : दिल्ली के लाखों लोग कांग्रेस के साथ चलने के लिए तैयार हैं। मैं चुनौती दे रहा हूं, साबित कीजिए।

श्री वाजपेयी : सभापति जी, इस संबंध में पार्लियामेंट में एक प्रश्न हो चुका है···

एक माननीय सदस्य : जो चैलेंज दिया गया है, अगर यह साबित हो जाए तो क्या होगा?

श्री वाजपेयी : अगर यह चीज गलत होगी तो मैं त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं। श्री चंद्रजीत यादव इसको गलत साबित करें।

श्री चंद्रजीत यादव : मैं आपके चैलेंज को गलत साबित करने के लिए तैयार हूं। आपका चैलेंज स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

श्री वाजपेयी : सभापति जी, इस संबंध में एक प्रश्न हो चुका है। मंत्री महोदय इसका उत्तर हां में दे चुके हैं। उस समय जनसंघ के एक सदस्य श्री कंवरलाल गुप्ता पत्र-व्यवहार कर चुके हैं और पत्र-व्यवहार में यह चीज मानी जा चुकी है। लेकिन यदि वे इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं कल प्रमाण देने के लिए प्रस्तुत हूं···(व्यवधान)···

मैं एक तीसरी तस्वीर पेश करना चाहता हूं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर तीन वरिष्ठ जजों को ताक पर रखने के बाद जो नियुक्ति हुई, वह काफी विवाद का विषय बन चुकी है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। उस नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन ने विज्ञान भवन में एक सम्मेलन करना चाहा। बार एसोसिएशन ने विज्ञान भवन लेने के लिए

सरकार को लिखा, लेकिन विज्ञान भवन सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन को नहीं दिया गया। कुछ वकीलों से दरख्वास्त लेकर और यह कहकर कि उनकी दरख्वास्त पहले आई है, जब कि रिकार्ड साबित करता है कि उनकी दरख्वास्त बाद में आई, उन वकीलों को विज्ञान भवन दे दिया गया। वे वहां सम्मेलन नहीं कर सके, उन्होंने विट्ठल भाई पटेल हाउस में सम्मेलन किया। उन तिथियों में विज्ञान भवन खाली पड़ा रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन को मजबूर होकर अशोक होटल में सम्मेलन करना पड़ा।

इसके साथ में एक चीज और भी जोड़नेवाली है कि जिन वकीलों ने विट्ठल भाई पटेल हाउस में सम्मेलन किया था, उन्हें विधि मंत्री ने रात्रिभोज के लिए बुलाया और प्रधानमंत्री भी उस भोज में सम्मिलित हुईं तथा उन वकीलों की पीठ थपथपाई गई जो सरकार की हां में हां मिलाने वाले चीफ जस्टिस की नियुक्ति का समर्थन करते हैं। किंतु जो न्यायपालिका की स्वाधीनता बनाए रखने के लिए लड़ते हैं, उन्हें विज्ञान भवन से भी वंचित कर दिया गया।...(व्यवधान)

पुलिस की करतूत

मैं एक तस्वीर और पेश करना चाहता हूं। २४ अक्तूबर को दिल्ली में सेंट्रल फूड स्क्वैड के कुछ कर्मचारी दक्षिण दिल्ली की दुकानों पर मिलावट का सामान पकड़ने के लिए छापा मारने गए। दुकानदारों ने उन्हें मिलावट के नमूने नहीं लेने दिए। सेंट्रल फूड स्क्वैड में और दुकानदारों में झगड़ा हो गया। सेंट्रल फूड स्क्वैड के लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को खबर की। पुलिस का एक दल वहां आया, लेकिन पुलिस के उस दल ने सेंट्रल फूड स्क्वैड के कर्मचारियों की मदद करने के बजाय दुकानदारों से रिश्वत लेकर सेंट्रल फूड स्क्वैड के लोगों को हवालात में बंद कर दिया।...(व्यवधान) यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरे पास एक टेप-रिकार्डर मौजूद है। टेप-रिकार्डर में ए.एस.आई....(व्यवधान)

श्री वायलर रवि : यह व्यवस्था का मुद्दा है। क्या कोई सदस्य सदन में टेप-रिकार्डर ला जा सकता है।

श्री वाजपेयी : आप रूलिंग बाद में दीजिए, हमें बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : हम रूलिंग बाद में देंगे, आप कांटिन्यू कीजिए।

श्री वाजपेयी : इस टेप-रिकार्डर में पुलिस के असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, श्री जेठानंद मलिक, सेंट्रल फूड स्क्वैड के फील्ड असिस्टेंट श्री अहलूवालिया और डाक्टर विनोद का वार्तालाप मौजूद है।

सभापति महोदय : आप उन अफसरों के नाम ले रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं, अगर इस बात को हाउस में लाना है तो रूल्स के मुताबिक पहले स्पीकर साहब की अनुमति लेते। मैं आपके सामने रूल कोट कर रहा हूं।

श्री वाजपेयी : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है, मैं तो केवल बातचीत रख रहा हूं। क्या मैं किसी अफसर का नाम नहीं ले सकता?

सभापति महोदय : लेकिन हम टेप-रिकार्डर नहीं बजाने देंगे।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : यदि आप व्यवस्था दें, हम इसका विरोध नहीं करेंगे। लेकिन जो कुछ वाजपेयी जी कर रहे हैं, वास्तव में सदन को, अधिकारियों की गलतियों के विषय में जानकारी लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि उन्हें सरकार द्वारा कठोर

दंड दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है।

श्री बी.पी. मौर्य : मेरा इस पर एक ही व्यवस्था का प्रश्न है कि इस सदन में केवल चुने हुए सदस्यों की आवाज ही सुनी जा सकती है। अगर टेप-रिकार्डर को इस तरह सुना जाएगा तो फिर इस तरह से 'बाहर' की बहुत सी आवाजें सुनी जाएंगी।

सभापति महोदय : हम टेप-रिकार्डर यूज नहीं कर रहे हैं।

श्री मधु दंडवते : व्यवस्था के प्रश्न के बारे में मेरे दो मुद्दे हैं। वाजपेयी जी ने केवल पदों का जिक्र किया है, किसी का नाम नहीं लिया है।

सभापति महोदय : नाम लिए हैं।

श्री वसंत साठे (अकोला) : वाजपेयी जी टेप-रिकार्डर सभा-पटल पर रख रहे हैं क्या?

श्री मधु लिमये : जहां तक टेप-रिकार्डर का सवाल है, हमारे नियमों में कोई ऐसी बात नहीं है जो टेप-रिकार्डर पर रोक लगा दे।...(व्यवधान) दोनों में क्या फर्क है।

सभापति महोदय : रवि बाबू ने इस प्रश्न को उठाया है। मैंने कहा है कि मैं बाद में निर्णय दूंगा। अभी मैंने निर्णय नहीं दिया है। फिर बहस किस बात पर हो रही है। लिमये जी के जो मुद्दे हैं, उनको मैंने समझ लिया है।

श्री वाजपेयी : मामला गंभीर है। मेरा निवेदन है कि इस मामले के ऊपर आप जल्दी में कोई निर्णय न दें और इसको इस तरह से हल्के ढंग से न लें।...(व्यवधान) अभी मुझे चुनौती दी गई है। इसीलिए मैं यह लाया हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह : टेप-रिकार्डर पर आपका रूलिंग क्या है। इसको आप अपने पास रखिए।

सभापति महोदय : आप फोर्स न करें। अभी मैं अपना निर्णय नहीं दूंगा।

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, जो बातचीत हुई और जो इस टेप-रिकार्डर में सुरक्षित है, उसके कुछ अंश, जिनके बारे में पुराने स्वास्थ्य मंत्री जी को भी पता है, मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। इससे पता लगेगा कि सारी चीज क्या है। एक ही मेरा उद्देश्य है कि इस देश में भारत की राजधानी में पुलिस का प्रशासन कितना भ्रष्ट हो गया है, यह इसका सबूत है।

सभापति महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री वाजपेयी : रूलिंग देंगे तो झगड़ा हो जाएगा। कोई रूल टेप-रिकार्डर लाने से मना नहीं करता है। आप रूल को उद्धृत करिए।

सभापति महोदय : आप इसको हटा दीजिए।...(व्यवधान) आप हमारे काम को और पेचीदा बना देते हैं इस तरह से बीच में बोलकर।

श्री वाजपेयी : कौन सा रूल है, बताइए। इस समय आप चेयर पर बैठे हैं, लेकिन आप नियमों के ऊपर नहीं हैं। मुझे नियम बताइए, कौन सा नियम मुझे टेप-रिकार्डर लाने से रोकता है।

श्री वसंत साठे : उन्हें सदन की कार्यवाही संचालित करने के लिए सभी अधिकार प्राप्त हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

सभापति महोदय : परमिट भी नहीं करता है इसको लाने के लिए।

श्री श्यामनंदन मिश्र : अगर कोई नियम आपको अधिकार नहीं देता है, तो हम आपके रूलिंग को कैसे मानेंगे?

श्री वसंत साठे : अगर रूल नहीं है तो रेजीडुअरी पावर्स चेयर के पास हैं।

सभापति महोदय : जो सवाल उठाया गया है, उसके बारे में रूल ३८९ है, जो इस तरह से है :

"इन नियमों में सभी मामले विशेष रूप से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं और इन नियमों की विस्तृत कार्यवाही करने से संबंधित सभी प्रश्नों को इस तरह से लेना चाहिए, जैसा कि समय-समय पर अध्यक्ष महोदय निर्देश देते रहे हों।"

श्री वाजपेयी : रेजीडुअरी पावर्स का इस तरह से उपयोग करके आप ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं, जिसकी नियमों के साथ कोई संगति नहीं है।

सभापति महोदय : इसको हटा दीजिए और फिर बोलिए। मेरी रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके इसको हटा दीजिए।

श्री वाजपेयी : यह हटाया नहीं जाएगा।

सभापति महोदय : इसको हटाना होगा।

श्री वाजपेयी : यह हटेगा नहीं। जरा मुझे सुन लीजिए। एक किताब लाना सदन में या कोई कागज-पत्र प्रमाण के लिए लाना और सदन में कोई बातचीत टेप की हुई लाना, उसमें कोई रेखा नहीं खींची जा सकती है। टेप-रिकार्डर को मैंने अभी तक बजाया नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको बजाऊंगा।

सभापति महोदय : इसको आप हटा दें।

श्री वाजपेयी : यह हटाया नहीं जाएगा, यह मेरे साथ जाएगा।

सभापति महोदय : किताब लाना या अखबार लाना दूसरी चीज है, लेकिन टेप-रिकार्डर लाना, कैमरा लाना, बंदूक लेकर चले आना, पिस्तौल लेकर चले आना दूसरी बात है। इसको एलाउ नहीं किया जा सकता है।

श्री बी.पी. मौर्य : इसमें टाइम बम हो सकता है।

श्री वाजपेयी : आपने उस दिन देखा कि स्पीकर महोदय सदन में एक घड़ी लेकर आए थे। वह घड़ी उन्हें विदेश में मिली थी। घड़ी दिखाई जा सकती है। तब किसी ने व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया था। क्या फर्क है।

सभापति महोदय : किस परपज के लिए इसको यहां लाए हैं, दिखाने के लिए लाए हैं?

श्री वाजपेयी : इसीलिए लाया हूं कि मुझे चुनौती दी जाती है। मैं इसको नीचे रख देता हूं।...जो बातचीत हुई पुलिस अफसर, सेंट्रल फूड स्क्वैड के अधिकारी तथा एक प्रतिष्ठित नागरिक के बीच, उसके दो-तीन अंश मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। पुलिस अधिकारी यह कह रहे हैं :

"प्रत्येक एस.एच.ओ. अपने सहायकों, जेठानंद जैसे पुलिस अधिकारियों से तीन या चार जुए के केस पकड़ने की और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने की अपेक्षा करता है।

"मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि यदि यहां मैं कोई केस नहीं पाता..."

'यहां' का मतलब दक्षिण दिल्ली।

"मैं उन्हें सदर बाजार या अन्य क्षेत्र में पा सकता हूं और मुझे कुछ केस पंजीकृत करने चाहिए..."

अर्थात अगर साउथ दिल्ली में कोई मामला नहीं है तो सदर बाजार का मामला साउथ दिल्ली

में लाकर रजिस्टर किया जा सकता है।

एक और हिस्से को देखिए :

"मैं गड्डी पर बैठा हूं और मैं ईश्वर की शपथ के साथ कह सकता हूं कि यदि मैं अकेला होता तो मैंने उस दिन चार सौ–पांच सौ रुपए बना लिए होते। मेरे बच्चों की दिवाली मन गई होती"...(व्यवधान)

पुलिस अफसर कह रहा है कि अगर इस दीवाली की पूर्व संध्या को मैं जाता, तो मैं चार-पांच सौ रुपया कमा लाता। मेरे बच्चे अच्छी तरह से दीवाली मनाते।...(व्यवधान)

एक और अंश इस प्रकार है :

"आप जानते हैं सब-इंस्पेक्टर के साथ हमारा झगड़ा पैसे पर होता है। मैं सारा काम करता हूं और मैं अठन्नी का हिसा लूंगा। वह..."

'वह' का अर्थ उसका बड़ा अधिकारी।

"मेरे काम में दखल देने का कोई अधिकार नहीं रखता, क्योंकि मुझे डी.एस.पी. और एस. एच.ओ. ने नियुक्त किया है और उसे एस.पी. ने। डी.एस.पी. और एस.एच.ओ. दोनों मुझसे प्रसन्न हैं और यदि वे किसी व्यक्ति की टांग भी तोड़ने को कहें तो मैं तोड़ दूंगा।"

उनसे यह पूछा गया कि क्या आपने सेंट्रल फूड स्क्वैड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसे वैन में धकेला गया, और उसे चार घंटे तक पुलिस चौकी में गिरफ्तार रखा गया? जब यह मामला चर्चा में आया तो पुलिस अफसर क्या कहता है?

"जेठानंद गिरफ्तारी का अर्थ समझता है और यदि वह ('वह' का अर्थ उसका बड़ा अधिकारी) कहता है किसी से कि 'आप पुलिस के अधीन हैं' तब वह उसे लॉकअप में रख देगा, और उसे जमानत पर छोड़ भी सकता है। जेठानंद धारा ४६ समझता है और निश्चित रूप से रोजनामचा में चढ़ाएगा कि उसे धारा ५४ के अधीन गिरफ्तार किया गया है। वह मूर्ख है...यह सत्य है कि यदि वह कहता है कि वह गिरफ्तार किया गया है, वह धारा ५४ के अधीन गिरफ्तार होना चाहिए। अब उसे धारा ५४ के अधीन कार्यवाही से अपनी मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए। डॉ. राधाकृष्णन् को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।..."

उस पुलिस अफसर को यह भी पता नहीं है कि आज राष्ट्रपति कौन है। वह समझता है कि आज भी डॉ. राधाकृष्णन् ही राष्ट्रपति हैं।...(व्यवधान)

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, यह बड़ा गंभीर मामला है। यह टेप अब जरूर सुनाया जाए।...(व्यवधान)

श्री नरेंद्र कुमार साल्वे : बड़े बेवकूफ, इतने नासमझ आदमी का क्वोटेशन दिया है। इसको एक्सपोज कर दिया जाए।

श्री वाजपेयी : माननीय सदस्य उसको नासमझ कह रहे हैं। आज पुलिस ने शाहदरा में विद्यार्थियों पर गोली चलाई है। अब वे लोग समझदार हो जाएंगे।

श्री मधु लिमये : जेठानंद को टेबल पर रखा जाए।

श्री वाजपेयी : इस संबंध में आप यह ध्यान में रखें कि सरकार मिलावट के विरुद्ध एक बड़ा अभियान आरंभ कर रही है। कानून में परिवर्तन किए जा रहे हैं कि जो मिलावट करेगा, उसे आजन्म कैद की सजा दी जाएगी। लेकिन यह मिलावट विरोधी कानून किस तंत्र के द्वारा अमल में आएगा? फूड इंस्पेक्टर नमूने लेने जाएंगे, दुकानदार झगड़ा करने लगेंगे, पुलिस बुलाई

जाएगी, पुलिस दुकानदारों का साथ देगी और फूड इंस्पेक्टर को हवालात में बंद कर देगी। गृह मंत्रालय ने अभी तक उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। जांच भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पुलिस अफसर उस इलाके के लोगों को धमका रहा है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ गवाही दी, तो तुम्हें देख लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से गृह मंत्री महोदय के पास भेजा था, मगर उनकी आशाएं पूरी नहीं हुईं और जो कार्यवाही होनी चाहिए थी, वह नहीं की गई।

गेहूं पकड़ा—गेहूं बेचा

मैं एक और तस्वीर पेश करना चाहता हूं। सोनीपत जिले के एक गांव में एक बड़े किसान के कब्जे से एक हजार बोरे गेहूं के बरामद किए गए। वह गेहूं वेयरहाउस में जमा कर दिया गया। लेकिन जिसका गेहूं था, उसकी बड़ी ऊंची सिफारिश थी। उसने जोड़-तोड़ बिठाकर यह आदेश करवा लिया कि वह गेहूं महाराष्ट्र की एक फर्म को ढाई रुपए किलो के हिसाब से बीज के नाते बेच दिया जाए। जो गेहूं खुले बाजार में ६-७ रुपए किलो बिक सकता था, जो पुलिस ने जब्त किया था और वेयरहाउस में रखा गया था, वह हरियाणा में श्री बंसीलाल के नेतृत्व में चलनेवाली सरकार के अंतर्गत ढाई रुपए किलो के हिसाब से बीज के रूप में महाराष्ट्र की एक फर्म को बेच दिया गया।

ये तस्वीरें क्या कहती हैं। ये हिंदुस्तान का कौन सा चित्र पेश करती हैं। ये तस्वीरें विरोधी दलों ने नहीं बनाई हैं। इन तस्वीरों के लिए हम प्रकृति को दोष नहीं दे सकते। इन तस्वीरों के लिए जिन्हें दोष दिया जाना चाहिए, वे आज कटघरे में खड़े हैं।

इस सदन में बार-बार इस बात की दुहाई दी जाती है कि सत्तारूढ़ दल के साथ प्रचंड बहुमत है। क्या यह कहने की आवश्यकता है? अगर बहुमत न होता तो हमें यह अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत न थी। इन लोगों का बहुमत है, लेकिन यह बहुमत देश में जरूरी और सामाजिक परिवर्तन क्यों नहीं ला पा रहा है?

प्रधानमंत्री ने १९७२ में जो जीत अर्जित की...

सभापति महोदय : अब माननीय सदस्य समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, शोर-शराबे में जो समय गया है, उसको मेरे समय में न जोड़िए। अभी मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं।

मैं कह रहा था कि बंगला देश के निर्माण के बाद देश में जो आशाएं जगी थीं, आत्मविश्वास से भरे हुए भारत का जो रूप उभरा था, जो प्रतिभा अंतरराष्ट्रीय रंगमंच पर उजागर हुई थी, उस प्रतिभा को किसने धूमिल किया।

खाद्य के मोर्चे पर सरकार विफल रही। उसने अनाज का व्यापार हाथ में लेने की गलती की, किसान को कम दाम देने की भूल की। इससे कृत्रिम अभाव पैदा हो गया। चावल के बारे में नीति में सुधार करने की कोशिश हुई है, लेकिन वह सुधार भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नियंत्रण में, भ्रष्टाचार में, काले धन में सत्तारूढ़ दल का एक निहित स्वार्थ हो गया है।

इस सदन में यह मांग की जाती रही है कि बड़े-बड़े नोटों का चलन रोक दिया जाए। इस सदन में मांग की जाती रही है कि वैभव और विलास की तथा उपयोग की जो वस्तुएं बनती हैं, उनका उत्पादन ३०% बढ़ा है और जिनके खर्च में काला धन प्रयुक्त होता है, उनके उत्पादन पर

नियंत्रण लगाया जाए, लेकिन सरकार ऐसा करने में सफल नहीं हुई है। बड़े प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रो. एम.वी. दांडेकर ने कहा है कि काला धन एक क्षण के लिए काला रहता है और जैसे ही वह सत्तारूढ़ दल के हाथ में पहुंच जाता है, वह सफेद हो जाता है। प्रो. दांडेकर ने यह भी कहा है कि जिस दिन काला धन समाप्त हो जाएगा, उस दिन सत्तारूढ़ कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी।

आर्थिक क्षेत्र में काला धन और राजनैतिक क्षेत्र में काली राजनीति। यह है गत ढाई वर्ष की कहानी। आज संविधान एक खिलवाड़ बनाया जा रहा है। राज्यपालों को रबर की मुहर के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में संकट पैदा हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन स्थापित हो जाता है। संविधान कहता है कि संकट वैधानिक हो, तभी अनुच्छेद ३५६ का उपयोग किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कोई वैधानिक संकट नहीं था। मगर कांग्रेस पार्टी में संकट पैदा हो गया तो धारा ३५६ के अंतर्गत राष्ट्रपति राज लागू कर दिया गया। संकट टल गया तो राष्ट्रपति राज समाप्त कर दिया गया। क्या संविधान इस तरह के मजाक की वस्तु बनाया जाएगा?

पहले कहा गया था कि राष्ट्रपति राज इसलिए लागू किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभाव है। तो क्या अब अभाव समाप्त हो गया? कहा गया कि कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। तो क्या अब स्थिति सुधर गई? एक ही बात हुई है कि सत्तारूढ़ दल बिना शासन में आए चुनाव लड़ने का साहस नहीं कर सकता। अगर आप बराबर की लड़ाई चाहते तो आप भी प्रतिपक्ष में थे, आप भी सत्तारूढ़ नहीं थे, हम भी सत्तारूढ़ नहीं थे, और चुनाव हो सकता था। लेकिन आप इस तरह चुनाव लड़ नहीं सकते।

इस सरकार की नीतियां न तो प्रोडक्शन ओरिएंटेड हैं न डिस्ट्रिब्यूशन ओरिएंटेड हैं, ये सिर्फ इलैक्शन ओरिएंटेड हैं। आर्थिक क्षेत्र में सस्ती लोकप्रियता के लिए नीतियां अपनाई जाती हैं। बड़े उद्योगपतियों के दबाव में आकर नीतियां छोड़ दी जाती हैं। राजनीतिक क्षेत्र में वोटों पर नजर रख कर निर्णय किए जाएंगे।

मुस्लिम लीग : कहीं गठबंधन, कहीं विरोध

वोटों के लिए राष्ट्रीय एकात्म परिषद को ठप किया जा सकता है, वोटों के लिए राष्ट्रीय एकात्म परिषद को पुनर्जीवित किया जा सकता है। वोटों के लिए मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठबंधन किया जा सकता है और वोटों के लिए यू.पी. में मुस्लिम लीग का विरोध किया जा सकता है। सांप्रदायिकता बढ़ रही है, सरकार को इसकी चिंता नहीं है। अगर उ.प्र. में मुस्लिम लीग हमारे कांग्रेसी मित्रों का साथ देने को तैयार हो जाए तो केरल की तरह वहां भी लीग देशभक्त हो जाएगी। लेकिन क्योंकि लीग मुसलमानों के वोट काट रही है, इसलिए इन्हें लीग पसंद नहीं है।

भ्रष्टाचार से निपटने के लिए भी सरकार के अलग-अलग मापदंड हैं। पंजाब में अकाली मंत्रियों के खिलाफ जांच कमीशन बनाया गया, क्योंकि एक कम्युनिस्ट एम.एल.ए. ने मंत्रियों के विरुद्ध आरोपपत्र दिया। जांच होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चौधरी बंसीलाल के विरुद्ध कितने एम.एल.ए. और कितने सांसदों ने अभियोग पत्र दिए। उनके विरुद्ध जांच क्यों नहीं हो सकी? बंसीलाल जी के राज्य में—कल यह मामला उठाने की अध्यक्ष महोदय ने आज्ञा दी थी, हरिजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। १४००० हरिजन दिल्ली में गिरफ्तारी के लिए अपने को पेश कर चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार बंसीलाल जी को रास्ते पर नहीं ला सकती! क्या इसलिए

कि आज चोटी से लेकर एड़ी तक जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसमें वह सहायक हैं?

मुझे खुशी है कि श्री ललित नारायण मिश्र यहां आ गए हैं। मैं बड़े मर्यादित शब्दों का प्रयोग करता हूं। उनके विरुद्ध विरोधी दलों ने आरोपपत्र दिया है। उन्हीं के अपने दल के सदस्यों ने भी आरोपपत्र दिया है। उसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या सार्वजनिक नेताओं का जीवन निष्कलंक नहीं होना चाहिए। क्या भारत के कर्णधार ऐसे नहीं होने चाहिए, जिन पर कोई उंगली नहीं उठा सके?

टाटा को 'न', मोटर को 'हां'

मुझे खेद है कि इस देश में सीमेंट की फैक्टरी कायम करने के लिए लाइसेंस नहीं मिल सकता। मीठापुर के प्रोजेक्ट के लिए टाटा को पांच साल प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर छोटी मोटर कार प्रधानमंत्री के पुत्र बनानेवाले हैं तो उसके लिए लेटर ऑफ इंटेंट इशु करने में देर नहीं लगती है। यह क्या बात है? और अब वह मोटर चलेगी कैसे। पेट्रोल कहां है?

प्रधानमंत्री ने चुनाव के बाद चैंबर ऑफ कामर्स में भाषण दिया था। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उनके पुत्र के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। लेकिन आज देश में बसों की जरूरत है या छोटी कार की? हमें टी.वी. की जरूरत है या पीने के पानी की? आवश्यकता की वस्तुओं की जरूरत है या विलास और वैभव की चीजों की?

सारे देश में आज असंतोष फैल रहा है। हर वर्ग पीड़ित है। लोकतंत्र पर से लोगों की आस्था उठ रही है। यह एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, इसलिए सत्तारूढ़ दल में ऐसे व्यक्ति निकल रहे हैं जो लिमिटिड डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं। क्या हम लोकतंत्र की लड़ाई हार गए? क्या हम जनता की इच्छा से, उसका सहयोग जगाकर, भारत के भाग्य का निर्माण नहीं कर सकते? यह काम कौन करेगा। जिस नेतृत्व से आशा थी वह विफल हो गया, उस नेतृत्व को त्यागपत्र दे देना चाहिए। अपना स्थान छोड़कर किसी और व्यक्ति के लिए जगह खाली कर देनी चाहिए।

राष्ट्रपति राज : लोकतंत्र पर आघात

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन मंत्रिपरिषद में अपने विश्वास के अभाव को प्रकट करता है।

महोदय, यह प्रस्ताव मैं खेद के साथ उपस्थित कर रहा हूं। कुछ ही दिन पहले यह मंत्रिमंडल गठित हुआ है। आज राष्ट्रपति महोदय ने मंत्रिमंडल की नीतियों पर प्रकाश डाला है। स्पष्ट है कि इस अविश्वास प्रस्ताव की सूचना मंत्रिमंडल की अन्य नीतियों के स्पष्ट होने से पहले ही दे दी गई थी और इसलिए प्रस्ताव के साथ जो मैंने कारण दिए हैं, उनमें केवल राजस्थान की स्थिति का संकेत किया है। नए मंत्रिमंडल ने और उसके सदस्यों ने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेने के बाद जो पहला काम किया, वह था राजस्थान में संविधान पर आघात करना। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। विधानसभा को स्थगित कर दिया गया। आम चुनाव के द्वारा राजस्थान की जनता अपने लिए जिस प्रकार का शासन चाहती थी, उसे उस शासन से वंचित कर दिया गया।

राजस्थान में जो कुछ हुआ है वह लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव के द्वारा जनता ने जो मत दिया है, उसकी खुली अवहेलना है। वस्तुतः यह बड़ी दुखदाई बात है कि जब देश के अन्य प्रदेशों में ठीक ढंग से मंत्रिमंडल बने हैं, तो केवल राजस्थान और उसके साथ उत्तर प्रदेश में भी मंत्रिमंडल के निर्माण में न तो संविधान के अक्षर की, न उसकी भावना का ख्याल किया गया है और न चुनाव के परिणामों द्वारा जनता ने जो अपना निर्णय दिया है, उसका समादर किया गया।

राजस्थान में जो कुछ हुआ, उसकी देश में व्यापक प्रतिकिया हुई है। राजनीतिक दलों को छोड़ कर जिन व्यक्तियों का राजनीति के साथ संबंध नहीं है, जो स्वतंत्रचेता हैं, आवश्यकता पड़ने पर जो विरोधियों की भी आलोचना करते हैं, उन्होंने भी राष्ट्रपति शासन घोषित करने के केंद्रीय सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा की है। समाचारपत्रों ने एक स्वर से इस कदम को अलोकतांत्रिक और अवैधानिक ठहराया। प्रश्न यह है कि आम चुनावों के तुरंत बाद जब जनता ने कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान में उत्साह से भाग लेकर लोकतंत्र में अपनी गहरी

** केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में १८ मार्च, १९६७ को भाषण और वाद-विवाद।*

आस्था प्रकट की है तो राजस्थान में इस प्रकार का दुखदायी दृश्य क्यों उपस्थित हुआ?

राजस्थान के राज्यपाल का फैसला संदेहास्पद

गड़बड़ वहां से शुरू हुई जब राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने यह निर्णय लिया कि विधानसभा में जो सबसे बड़ा दल है, उसे वे मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण देंगे। प्रश्न यह है कि मंत्रिमंडल बनाने के लिए किसी दल को निमंत्रण देते समय राज्यपाल चुनाव के निर्णय को ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे। यह भी प्रश्न है कि निमंत्रण देते समय केवल राजनीतिक दलों की संख्या देखी जाएगी या जो निर्दलीय रूप से चुनकर आए हैं, उन सदस्यों की भी गणना की जाएगी? राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को राज्यपाल द्वारा निमंत्रण देने का कोई औचित्य नहीं था। राजस्थान में कांग्रेस को केवल ३०% मत मिले हैं, जबकि कांग्रेस के विरुद्ध ७०% जनता ने अपना अभिमत प्रकट किया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को चुनाव में परास्त कर दिया है।

श्री रामशेखर प्रसाद (छपरा) : उनका नंबर कितना है?

श्री वाजपेयी : मैं उस पर भी आ रहा हूं। क्या केवल सीटें गिनी जाएंगी? क्या चुनाव के द्वारा जनता ने जो राय प्रकट की है, जो राय प्रकट हुई है उसे दृष्टि से बिलकुल ओझल कर दिया जाएगा? यदि सीटों का ही विचार करना है, तब भी क्या यह सच नहीं है कि राजस्थान में जितने गैर-कांग्रेसी सदस्य निर्वाचित हुए थे, उन्होंने अपने को एक दल के रूप में संगठित किया? उन्होंने अपना एक नेता चुना। उन्होंने एक न्यूनतम कार्यक्रम निर्धारित किया। राजस्थान के राज्यपाल के लिए यह रास्ता खुला हुआ था कि वह जनमत का समादर करते और जो नया दल गठित हुआ था। उसके नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाते। एक दिन उन्होंने घोषणा भी कर दी थी कि वे किसे मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, इसकी जनता को सूचना देंगे। लेकिन जब पत्रकार गए तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि कल जो विरोधी दल के नेता आए थे, उनमें से एक नेता जाते-जाते मुझे ऐसी बात कह गए जिस बात का कि मैं आदी नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल से विरोधी दल की ओर से क्या बात कही गई? केवल इतना कहा गया कि हम आशा करते हैं कि आप निष्पक्षता से निर्णय करेंगे। कल भी हमने आपसे कहा कि आप अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप निष्पक्ष दृष्टि से कार्य करेंगे। इसमें बुरा मानने की कौन सी बात थी? लेकिन शायद राज्यपाल के दिल में चोर था, संभवतः इसी कारण वह अपना संतुलन खो बैठे और दूसरे दिन उन्होंने जो निर्णय दिया, वह संसदीय इतिहास में और कम से कम भारत के इतिहास में बड़ा विचित्र माना जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि कांग्रेस दल की और गैर-कांग्रेसी दलों की शक्ति का विचार करते समय जो निर्दलीय सदस्य चुने गए हैं, मैं उनकी गिनती करने की आवश्यकता नहीं समझता। जब तक निर्दलीय सदस्य चुनाव लड़ते हैं, जब तक निर्दलीय सदस्यों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, जब तक वे विजयी होकर विधानसभा में और संसद में आ सकते हैं, तब तक कोई उनके अस्तित्व को नकार नहीं सकता। क्या यह सच नहीं है कि १९६२ में इसी राजस्थान में निर्दलीय सदस्यों के सहयोग से ही कांग्रेस सत्तारूढ़ हो सकी थी? जो नियम १९६२में लागू किया गया, वह १९६७ में लागू करने के लिए राज्यपाल तैयार नहीं हैं।

सन् १९६२ में निर्दलीय सदस्यों को जोड़ने से कांग्रेस का बहुमत बनता था, सन् १९६७ में निर्दलीय सदस्यों को जोड़ने से कांग्रेस अल्पमत में होती है, इसलिए राज्यपाल महोदय ने संविधान की अवहेलना करके एक विचित्र निर्णय दिया, जिसकी परिणति इसमें हुई कि कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया। राजस्थान में इसकी प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। जनता में रोष जागना भी आवश्यक था। जब संविधान की अवहेलना की जाएगी और जनमत को ठुकराया जाएगा, तथा जब राज्यपाल ऐसा आचरण करेंगे जिसमें से पक्षपात की गंध आती होगी, तो लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से अपना रोष प्रकट करने से नहीं रोका जा सकता। भारत गणराज्य है। हम एक लोकतंत्र हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन का अधिकार जनता से छीन नहीं सकते।

मैं पूछना चाहता हूं कि जयपुर में दफा १४४ लगाने की क्या जरूरत थी? मुझे कांग्रेस सदस्यों के अज्ञान पर बड़ा दुख होता है, और यही कारण है कि इस अज्ञान का लाभ उठाकर मंत्रिमंडल ने ऐसा कदम उठाया है, जिसके कारण मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा बहुत गिरी है। राजस्थान में हमारे कांग्रेस के सदस्यों को जनता को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। स्पष्टतः दफा १४४ लगाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोकने की चेष्टा की गई है। विरोधी दलों के नेताओं को जेल में बंद करके जनता को नेतृत्वहीन किया गया, और इससे जयपुर में असंतोष ने और भी उग्र रूप लिया।

जयपुर में गोलीकांड

जयपुर में ७ मार्च को गोली चली। मुझे संतोष है कि केंद्र सरकार ने उस गोलीकांड की हाई कोर्ट के जज द्वारा जांच कराने के संबंध में सहमति दी है। क्या गोली चलाना जरूरी था? कमीशन इसकी जांच करेगा, लेकिन तथ्यों को सदन के सामने रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। आकाशवाणी से घोषणा कर दी गई कि जयपुर में दफा १४४ हटाई जा रही है, लेकिन सड़कों पर तैनात जो पुलिस थी, उसको खबर नहीं थी। रेडियो पर दफा १४४ हटाने की घोषणा सुनकर भीड़ सड़कों पर इकट्ठी होने लगी।

अध्यक्ष महोदय, यह समझकर कि दफा १४४ वापस ले ली गई है, लोग सड़कों पर निकले और पुलिस ने उनको तितर-बितर करने के लिए बल-प्रयोग किया, जिसकी परिणति गोलीकांड में हुई। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ७ मार्च के बाद जयपुर में पूरी शांति रही। जयपुर को छोड़कर सारे राजस्थान में आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चला।

विरोधी दलों पर आरोप यह लगाया गया है कि वे सरकार बनाने का निर्णय विधानसभा के भीतर न लेकर सड़कों पर लेना चाहते थे। मैं इस आरोप का दृढ़तापूर्वक खंडन करता हूं। विरोधी दल केवल जयपुर में ही सक्रिय नहीं हैं, सारे राजस्थान में प्रभाव रखते हैं। सारे राजस्थान में शांति रही, क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि विरोधी दल मामले को सड़कों पर ले जाने के हामी नहीं थे? यदि राजस्थान सरकार और पुलिस संयम से काम लेती, तो जयपुर में गोली चलाने की नौबत नहीं आती।

बस्तर में हुए गोलीकांड का इस सदन में समर्थन किया गया था। पांडे कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। उस पर और प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं है। ७ नवंबर को दिल्ली में जो गोली चली, उसका भी पूर्व सदन में समर्थन हुआ था। गृहमंत्री बतलाएं कि दिल्ली पुलिस ने उस गोली कांड के बारे में जो जांच की है, उसका निर्णय क्या है? जयपुर में ७ मार्च और दिल्ली में ७ नवंबर को शासन की विफलता जनता की भावनाओं को कुचलने की उसकी तत्परता ही दिखाती है।

कांग्रेस के नेता श्री सुखाड़िया ने जब देखा कि बहुमत उनके साथ नहीं है और उन्होंने राज्यपाल को इस आशय की सूचना दी कि मैं मंत्रिमंडल नहीं बना सकता, तब राज्यपाल का कर्तव्य था—संयुक्त दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाते। उनको क्यों नहीं बुलाया गया? इसके लिए जवाब दिया गया कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति पैदा हो गई। ७ मार्च के बाद राजस्थान में क्या हुआ? कौन सी नई परिस्थिति पैदा हुई? श्री सुखाड़िया ७ मार्च से पहले मंत्रिमंडल बनाने के लिए तैयार थे, तब तो उन्होंने कानून और व्यवस्था का हवाला नहीं दिया। तब वे समझते थे कि लोभ से, लालच से, भय से, आतंक से, उचित और अनुचित तरीके अपनाकर, वह गैर-कांग्रेसी सदस्यों को अपनी ओर तोड़ लेंगे और मंत्रिमंडल बनाने में सफल हो जाएंगे। जब उनकी आशाओं पर पानी फिर गया तो उन्होंने कानून और व्यवस्था का हवाला देकर मंत्रिमंडल बनाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। राज्यपाल महोदय के लिए रास्ता खुला हुआ था। वे गैर-कांग्रेसी दलों को बुलाकर मंत्रिमंडल बनाने के लिए कह सकते थे। लेकिन राज्यपाल यदि ऐसा करते तो आज की परिस्थिति पैदा न होती। उन्होंने विरोधी दलों को सरकार बनाने का मौका देने के बजाय केंद्र को लिख दिया कि राजस्थान में परिस्थिति ऐसी है, जिसमें संविधान काम नहीं कर सकता और राष्ट्रपति का शासन लागू किया जाना चाहिए।

राज्यपाल की रिपोर्ट उद्‌घाटित की जाए

मैं चाहूंगा कि राजस्थान के राज्यपाल की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाए। केरल के मामले में इस प्रकार की परंपरा अपनाई जा चुकी है। कहा जाता है कि राज्यपाल ने सिफारिश की थी कि विधानसभा भंग कर दी जाए। लेकिन केंद्रीय सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। विधानसभा को भंग नहीं किया गया, केवल मूर्छित किया गया है। राजस्थान की विधानसभा बेहोश कर दी गई है। पता नहीं कौन हनुमान संजीवनी लेकर आएंगे और उस मूर्छित विधानसभा को होश में लाएंगे। शायद संजीवनी गृह मंत्रालय की किसी आलमारी में बंद है।

गृह-कार्य मंत्री श्री यशवंत राव चह्वाण : आपकी मदद लेंगे।

श्री वाजपेयी : श्री यशवंत राव आज उस आलमारी की रक्षा कर रहे हैं। खेद का विषय है कि राज्यपाल ने पक्षपातपूर्ण आचरण किया। केंद्रीय सरकार ने उस पक्षपात के साथ अपने को जोड़ा। केंद्रीय सरकार के लिए मार्ग खुला हुआ था। राज्यपाल को सलाह दी जा सकती थी कि वह अपनी रिपोर्ट पर पुनर्विचार करें, बदलती हुई परिस्थिति, शांतिपूर्ण परिस्थिति को देखते हुए जो सिफारिश की, उस पर फिर से सोचें। लेकिन केंद्र ने भी अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि जहां भारत के अन्य सभी प्रदेशों में जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें काम कर रही हैं, वहां केंद्र के गृह मंत्री ने राजस्थान का भाग्य-सूत्र अपने हाथ में ले लिया है।

मुझे आश्चर्य है कि गृह मंत्री महोदय ने कहा कि विधानसभा इसलिए नहीं बुलाई जा सकी, क्योंकि विरोधी दलों ने विधानसभा के सामने एक प्रचंड प्रदर्शन करने की घोषणा की थी।

शिक्षा राज्य-मंत्री प्रो. शेर सिंह : तैयारी की थी, घोषणा नहीं।

श्री वाजपेयी : आपको उनकी तैयारी का पता लग गया और उसके आधार पर आपने संविधान की हत्या कर दी! क्या प्रदर्शन की घोषणा मात्र से विधानसभा स्थगित कर दी जाएगी, जनता को लोकतंत्रीय अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा? लोकतंत्र में प्रदर्शन चलेंगे, प्रदर्शन चलने चाहिए और अगर प्रदर्शन के आधार पर सरकारें न बननेवाली हों तब तो फिर कांग्रेस के

हमारे मित्र किसी प्रदेश में गैर-कांग्रेसी सरकार को चलने नहीं देंगे।

प्रश्न राजस्थान का ही नहीं है। केंद्रीय सरकार और गैर-कांग्रेसी सरकारों का प्रश्न भी इसके साथ जुड़ गया है। कल मैंने कहा था कि कांग्रेस का सत्ता पर से एकाधिकार समाप्त हो गया है। अन्य प्रदेशों में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने हैं। क्या केंद्रीय सरकार उनको चलने देगी?

श्री यशवंत राव चह्वाण : जरूर।

श्री वाजपेयी : राजस्थान एक इंगित है, एक इशारा है जो केंद्रीय सरकार की नीयत के बारे में शक पैदा करता है। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने प्रदेशों में गैर कांग्रेसी सरकारें बन सकी हैं और चल रही हैं तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश को को ही क्यों अलग किया गया?

सरकार-सरकार में अंतर

आप अंतर देखिए। गैर-कांग्रेसी सरकारें जहां बनी हैं या जब वहां इन सरकारों के बनने की घोषणा हुई है तो जनता ने दीये जलाए। लेकिन जब राजस्थान में कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल के लिए बुलाया गया तो वहां चिताएं जलीं। जब गैर-कांग्रेसी दलों ने सत्ता के सूत्र संभाले तो माताओं और बहनों ने उनके माथे पर तिलक की रोलियां लगाईं और जब राजस्थान में जनता द्वारा तिरस्कृत कांग्रेस दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया तो माताओं और बहनों के माथे की रोलियां पुंछ गईं।

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : धिक्कार।

श्री वाजपेयी : गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनने से जनता प्रसन्न होती है और कांग्रेस को जब मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया जाता है तो जनता रुष्ट होती है। क्या यह परिवर्तन केवल विरोधी दलों ने किया है? अगर आप ऐसा समझते हैं तो अभी आप दीवार पर लिखे हुए को पूरी तरह से पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं।

राजस्थान में जो कुछ हुआ है उसने चौथे चुनाव के बाद लोकतंत्र की प्रक्रिया को जो बल मिला था, उसको आघात पहुंचाया है। उसने लोकतंत्र के ढांचे के लिए खतरा पैदा कर दिया है और उसके लिए यह मंत्रिमंडल निंदा का अधिकारी है।

भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि राष्ट्रपति के सामने विधानसभा के सदस्यों को लाया गया हो और गिनती करके दिखाई गई कि बहुमत किसके साथ है।

एक माननीय सदस्य : वे दबाव में थे।

श्री वाजपेयी : कोई अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त रखकर ऐसी बात नहीं कर सकता। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर जैसा कि गृहमंत्री कहते हैं कि उन्हें संख्या से कोई संबंध नहीं है, संख्या किधर ज्यादा है, किधर कम है, इसकी वह चिंता नहीं करते हैं...

श्री यशवंत राव चह्वाण : मैंने कभी नहीं कहा। संख्या के बारे में आप कह रहे थे, मैंने नहीं कहा था।

श्री वाजपेयी : जब विरोधी दल के सदस्य राष्ट्रपति जी के सामने आए और हमने कहा, देख लीजिए ९३ सदस्य हैं तो आपने कहा था कि ९३ हैं या कितने हैं, इससे हमारा मतलब नहीं है और आपने राष्ट्रपति शासन इसलिए लागू किया है कि वहां शांति और व्यवस्था का सवाल है...

श्री यशवंत राव चह्वाण : सही बात है।

क्योंकि वे मुझे उद्धृत कर रहे थे, मैं सिर्फ अपनी बात स्पष्ट करना चाहता था। मैंने कहा

था : किसके साथ कितने लोग हैं, यह मामला राज्यपाल के विचार के लिए है, भारत सरकार के विचार के लिए नहीं। मैं सिर्फ इसके संवैधानिक पक्ष की ओर इशारा कर रहा था। यह मसले के गुण-दोष पर किसी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति नहीं था।

श्री वाजपेयी : अच्छी बात है कि गृह मंत्री ने यह मुद्दा स्पष्ट कर दिया कि बहुमत किसके साथ है और किसके साथ नहीं है, इसका निर्णय राज्यपाल करेंगे, लेकिन अगर राज्यपाल निर्णय करने में गलती कर दें तो उसकी अपील कहां है?

श्री यशवंत राव चह्वाण : सदन के पास।

श्री वाजपेयी : सदन की बैठक नहीं होने दी गई।

श्री यशवंत राव चह्वाण : शांति पैदा करें तब तो।

श्री वाजपेयी : परस्पर विरोधी बातें कही जा रही हैं। मैं एक दूसरी चीज कहना चाहता हूं। राजस्थान में जो कुछ हुआ है, वह अन्य किसी प्रदेश में भी हो सकता है। जिस तरह से राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन राज्यपाल गलती कर सकता है। तब क्या केंद्रीय सरकार का काम है आंख मूंदकर राज्यपाल के निर्णय को पुष्ट करना? यदि ऐसी बात है तो फिर जनता के सामने कौन सा रास्ता रहेगा?

मैंने संविधान देखा है और मैं चाहूंगा कि संविधान इस दिशा में सुधारा जाए। हम राष्ट्रपति पर अभियोग लगा सकते हैं, राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को इम्पीच करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

एक माननीय सदस्य : वह डिसमिस होंगे।

श्री वाजपेयी : आखिर जनता के लिए कौन सा रास्ता है। विधानसभा भंग कर दी जाएगी। केंद्र राज्यपाल की सलाह पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को समाप्त कर देगा, लेकिन यह सदन किसी राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग नहीं लगा सकता है। इस दिशा में संविधान में संशोधन करना जरूरी है।

राष्ट्रपति से चूक हुई

मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि राज्यपाल की जो भी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय सरकार ने राष्ट्रपति के सामने जो सिफारिश रखी, राष्ट्रपति के पास उस सिफारिश को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। संविधान की धाराओं की मेरी यह व्याख्या नहीं है। मैंने विधि-विशेषज्ञों को भी इस संबंध में अपनी राय प्रकट करने के लिए कहा और अनेक विधि-विशेषज्ञ ऐसे हैं जो इस मत के हैं कि इन मामलों में राष्ट्रपति को केवल केंद्रीय सरकार की नीति पर चलने की आवश्यकता नहीं है, वह स्व-विवेक से भी काम ले सकते हैं, अपने डिस्क्रीशन से भी काम ले सकते हैं। मुझे खेद है कि राष्ट्रपति महोदय ने राजस्थान के मामले में स्व-विवेक से काम नहीं लिया और यदि स्व-विवेक से काम लिया—मुझे जानकारी नहीं, लेकिन अगर लिया—तो उनसे ऐसा निर्णय हुआ जिस निर्णय से संविधान की मर्यादाओं की रक्षा नहीं हुई।

अभी समय है, राजस्थान में लोकतंत्र के चक्र को पीछे घुमाने की जो कार्यवाही की गई है उसे रोका जा सकता है। क्या राजस्थान में शांति नहीं है? क्या केन्द्रीय सरकार वहां मरघट की शांति चाहती है? इस देश में मरघट की शांति पैदा नहीं होने दी जायेगी। अगर संविधान की हत्या की जाएगी, अगर केन्द्रीय सरकार लोकतंत्र का गला घोंटने पर उतारू है, तो शांतिपूर्ण तरीकों में

अपनी पूरी निष्ठा रखते हुए भी हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ेगे। हम नहीं चाहते कि यह मामला सड़कों पर तय हो। लेकिन आम आदमी से इतना कहना ही काफी नहीं है। आम आदमी को यह कहना भी जरूरी है कि उसे सड़कों पर निकलने की नौबत ही नहीं आने दी जायेगी।

अगर राजस्थान में विरोधी दलों को सरकार बनाने के लिए बुला लिया जाता, तो क्या बिगड जाता? कहा जाता है कि अगर विरोधी दल चाहते तो वे विधानसभा में शक्ति-परीक्षा कर सकते थे। तो क्या श्री सुखाड़िया विधानसभा में शक्ति-परीक्षण नहीं कर सकते थे, जो बात विरोधी दलों पर लागू होती है, क्या वह श्री सुखाड़िया पर लागू नहीं होती है? जो बात हम पर लागू होती है, क्या वह कांग्रेस पर लागू नहीं होती है? लेकिन श्री सुखाड़िया को समय दिया गया लोगों को तोड़ने और अपनी ओर फोड़ने का।

निर्दलीय सदस्यों के बारे में निर्णय लेने के लिए राज्यपाल को १२ दिन लगे। अगर 'सिंगल लार्जेस्ट पार्टी' के नाते कांग्रेस को बुलाना था, तो चुनाव-परिणाम के तुरंत बाद बुला सकते थे। राज्यपाल १२ दिन क्या करते रहे? क्या 'इंडिपेंडेंट्स नॉट टु बि काउंटेड', इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उन्हें १२ दिन जरूरी थे? या वह भविष्य की चिंता कर रहे थे, तारों की तरफ देख रहे थे, ज्योतिषियों से विचार-विनिमय कर रहे थे? जो कुछ राजस्थान में हुआ, वह अच्छा नहीं हुआ। उसे ठीक किया जाना चाहिए।

श्री यशवंत राव चह्वाण : हम भी नहीं समझते कि अच्छा हुआ। हम भी नाराज हैं।

श्री वाजपेयी : आप गलत काम भी करते हैं और नाराज भी हैं। जो कुछ किया, आपने किया। अभी भी उसे बदलने का मौका है। राजस्थान में शांति है। क्या गृह मंत्री स्वयं जाकर देखेंगे कि राजस्थान में क्या स्थिति है? लेकिन यह शांति ज्यादा रहेगी, ऐसा समझकर वह न चलें। शायद इसी के भरोसे बैठे हैं। राजस्थान की विधानसभा का बहुमत दिल्ली आया था, राष्ट्रपति के सामने उपस्थिति हुआ था। वहां पर बहुमत किसके साथ है, यह प्रकट हो गया है। जो एक बहाना लिया गया था बहुमत की सरकार को न बनने देने का और अल्पमत की सरकार को थोपने का, वह बहाना, यानी शांति और व्यवस्था का बहाना भी अब नहीं है। हो सकता है कि राज्यपाल महोदय न मानते हों, लेकिन केंद्रीय सरकार को इस संबंध में स्वतंत्र रीति से मत निश्चित करना होगा और अगर राज्यपाल महोदय संविधान के अंतर्गत निर्धारित अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो उन्हें राजस्थान से हटाना होगा।

राज्यपालों की नियुक्ति

नए राज्यपालों की नियुक्ति करते समय केंद्रीय सरकार इस बात का ध्यान रखे कि १९६७ के चुनावों के बाद राज्य की परिस्थिति बदल गई है। कई राज्यों में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल काम कर रहे हैं। कांग्रेस के दलीय स्वार्थों की पूर्ति करनेवाले व्यक्ति राज्यपाल-पद पर नियुक्त नहीं किए जाने चाहिए। अगर किए गए, तो प्रधानमंत्री के इन आश्वासनों की कोई कीमत नहीं होगी कि हम राज्यों के साथ संबंध अच्छे रखना चाहते हैं। केवल घोषणा काफी नहीं है, आचरण होना चाहिए और राजस्थान में जो आचरण हुआ, उससे सभी गैर-कांग्रेसी दलों और मंत्रिमंडलों में एक संदेह पैदा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। उत्तर प्रदेश में भी अगर राज्यपाल जनमत का समादर करते और विरोधी दलों के संयुक्त दलों को मंत्रिमंडल बनाने के लिए निमंत्रण देते, तो

उत्तर प्रदेश में संविधान की मर्यादा का पालन होता। लेकिन वहां भी कांग्रेस को मौका दिया गया। ४२५ सदस्यों के सदन में १९८ जीतनेवाली कांग्रेस को निमंत्रण देने की क्या आवश्यकता है?

एक माननीय सदस्य : इस बारे में दो मापदंड नहीं हो सकते।

श्री वाजपेयी : दो मानदंड तो आप अपना रहे हैं। राजस्थान में राज्यपाल ने इंडिपेंडेंट्स को नहीं जोड़ा और उत्तर प्रदेश में इंडिपेंडेंट्स जोड़े जा रहे हैं।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : हरियाणा को देख लीजिए।

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि मंत्रिमंडल का यह कर्म उसे निंदा का अधिकारी बनाता है। आम चुनावों के बाद देश की जो परिस्थिति है, समस्याओं की जो जटिलता है, गंभीरता है, उसे हल करने के लिए सभी दलों का सहयोग जरूरी है। एक दृष्टि से यह अच्छी बात हुई है। गैर-कांग्रेसी दल जगह-जगह सत्तारूढ़ हुए हैं। ऐसा लगता है कि जनता ने सभी दलों को एक साथ कसौटी पर कसने का फैसला कर लिया है। लेकिन अगर इस परिस्थिति का लाभ उठाया जाए, तो देश की समस्याओं को हल करने के लिए ऐसा वातावरण बन सकता है, जो अब तक नहीं था। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू करके केंद्रीय सरकार ने सारे वातावरण को विकृत कर दिया है।

इसलिए यह केंद्रीय सरकार हटनी चाहिए, सदन को इस सरकार को बाहर फेंक देना चाहिए, ठुकरा देना चाहिए। इसीलिए मैंने यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है और मैं आशा करता हूं कि यह सदन इसको स्वीकार करेगा।

राजस्थान के संकेत

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ १५ मिनट बचे हैं। यदि श्री वाजपेयी १० मिनट में अपनी बात समाप्त कर सकें, तो वे अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर भाषण दिए हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने प्रस्ताव का समर्थन किया है, मैं उनका भी आभारी हूं और जिन्होंने विरोध किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं।

यह पूछा गया है कि क्या राजस्थान का प्रश्न इतना बड़ा प्रश्न था कि जिसके ऊपर नए मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया जाता। कांग्रेस के सदस्यों के लिए राजस्थान एक छोटा-सा मसला हो सकता है, लेकिन हमारे लिए राजस्थान इस बात की कसौटी है कि क्या केंद्र सरकार न्यायप्रियता से, निष्पक्षता से जनता के निर्णय का समादर करेगी, क्या केंद्र सरकार गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल के साथ, जैसी वह घोषणा करती है, सहयोग का आचरण करेगी।

राजस्थान की घटनाएं इस बात का संकेत देती हैं कि गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई कारण नहीं था कि राजस्थान में गैर-कांग्रेसी सरकार न बनने दी जाती। अब कहा जाता है कि हमने अनेक प्रांतों में गैर-कांग्रेसी सरकार बन जाने दी। अगर एक राजस्थान में नहीं बनी तो क्या हुआ? यह कहना वैसे ही हुआ, जैसे कि यह कहना कि हमारे दामन पर एक ही दाग लगा है तो इससे क्या हुआ? बाकी का दामन तो साफ है। क्या माथे पर कलंक का एक टीका पर्याप्त नहीं है? क्या एक प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या काफी नहीं है?

सभापति जी, गृह मंत्री जी ने राजस्थान के राज्यपाल के पक्ष में बहुत सी बातें कही हैं। उनसे इस बात की आशा भी की जाती है। लेकिन एक बात वह स्पष्ट नहीं कर सके कि राजस्थान

में ऐसा क्यों हुआ कि हर बार राज्यपाल का निर्णय कांग्रेस के हक में और गैर-कांग्रेसी दलों के खिलाफ गया? जब उन्होंने एक मंत्रिमंडल बनाने का फैसला कर लिया तब भी उन्होंने कांग्रेस ही को बुलाया। क्या यह सच नहीं है कि केरल में १९ सदस्योंवाले प्रजा समाजवादी दल को भी मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया गया था? उस समय तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का सवाल खड़ा नहीं हुआ था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी। लेकिन कांग्रेस के हित में उसे निमंत्रण देना उस समय शायद उचित समझा गया। इसलिए केरल के गवर्नर ने अलग तरीका अपनाया, राजस्थान के गवर्नर अलग तरीका अपना रहे हैं। फिर जब श्री सुखाड़िया ने मंत्रिमंडल बनाने से इन्कार कर दिया तब राज्यपाल महोदय ने गैर-कांग्रसी दलों को मंत्रिमंडल बनाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? वह कहते हैं कि हम हिंसा को बढ़ावा देना नहीं चाहते। गृह मंत्री ने भी कहा कि जयपुर में शांति हो जाने दीजिए, संविधान अपनी गति से चलने लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं जयपुर में अशांति हुई या संविधान का उल्लंघन हुआ? हम घोड़े के आगे गाड़ी रखने की गलती न करें। जयपुर में शांति थी। लेकिन राज्यपाल के गलत निर्णय ने लोगों को असंतुष्ट किया। आज तो जयपुर में पूरी शांति है। दफा १४४ तक हटा ली गई है। अब राज्यपाल महोदय किस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह किस पंचांग से परामर्श ले रहे हैं? अब राजस्थान में पूरी शांति स्थापित होने में कौन सी देर रह गई है? लेकिन क्या केंद्रीय सरकार ने अपने सारे दायित्व राज्यपाल को सौंप दिए हैं? क्या राज्यपाल महोदय इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर बैठे हैं? क्या राज्यपाल महोदय जब तक नहीं चाहेंगे, तब तक राजस्थान की जनता को अपना शासन चलाने के अधिकार से वंचित रखा जाएगा? इस मामले में केंद्र की भी जिम्मेदारी है।

न्याय की तलाश में विधायकों का दिल्ली आना व्यर्थ गया

सभापति जी, राजस्थान के विधायक बड़ी आशा लेकर दिल्ली में आए थे। अगर उन्हें यह मामला जयपुर की सड़कों पर तय करना होता तो वह राष्ट्रपति भवन का दरवाजा खटखटाने के लिए न आते। उन्हें आशा थी, केंद्र न्याय करेगा। जब तक देश में यह आशा जीवित है तब तक भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा नहीं है। लेकिन आपने उनकी आशाओं को ठुकरा कर केंद्र के प्रति भी लोगों के विश्वास की भावना को कम कर दिया है। सारे देश को केंद्राभिमुख होना चाहिए। कम से कम केंद्र से न्याय मिलना चाहिए और कहीं अन्याय होता है तो केंद्र को उस अन्याय का निराकरण करना चाहिए। मुझे यह सुनकर बड़ा खेद हुआ, जब एक कांग्रेस के मेंबर ने कहा कि विधानसभा के जो ९३ सदस्य आए थे, वे जोर-जबर्दस्ती से लाए गए थे। यह कहकर उन्होंने जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान नहीं किया, हमारे राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा को भी खतरे में डाला। सभापति जी, क्या राष्ट्रपति भवन में ९३ विधायक पुलिस के पहरे में गए थे? यह बात गलत है। मेरे पास ९३ विधायकों का फोटो है। यह फोटो मेरे घर पर खींचा गया था। वहां पत्रकार मौजूद थे। फोटोग्राफर मौजूद थे। क्या यह फोटो पुलिस के घेरे में खींचा गया था? सभापति जी, मैं इस फोटो को टेबल पर रखने की इजाजत चाहता हूं।

सभापति जी, हम आशा करते थे, राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो कुछ राजस्थान में गलती की गई है, उसको सुधारा जाएगा। लेकिन हमारी वह भी आशा पूरी नहीं हुई। आज भी हम आशा करते थे कि इस विवाद का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री महोदया या गृह मंत्री महोदय यह घोषणा करेंगे कि अब जयपुर में स्थिति सामान्य हो गई है, इसलिए संविधान की प्रक्रिया को लागू करने का मौका

दिया जाएगा। महारानी साहिबा के कथन को गलत मत समझिए। श्री खाडिलकर ने मेरे कथन को भी कल गलत समझने की गलती की थी। अपने भाषण में मैंने कोई धमकी नहीं दी थी। मैंने केवल एक चेतावनी दी थी। एक मित्रतापूर्ण चेतावनी, जो देश के हित में है और जो लोकतंत्र के हित में है।

आखिर राजस्थान की जनता के धैर्य की भी एक सीमा है। राजस्थान की जनता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई जारी रखेगी। लोकतंत्र में हिंसा के लिए जगह नहीं हो सकती। हमें हिंसात्मक आंदोलनों से बचना होगा। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई का हम जनता का अधिकार नहीं छीन सकते। विशेषकर जब तक राजस्थान में खुला अन्याय होता है और केंद्र द्वारा उस अन्याय पर मोहर लगाई जाती है। अभी समय है, केंद्र की निष्पक्षता में जनता के विश्वास को डिगने से रोका जा सकता है। अभी समय है, गैर-कांग्रेसी सरकारों के मन में संदेह की किरण पैदा होने से रोकी जा सकती है। प्रधानमंत्री की केवल घोषणा ही काफी नहीं है कि वह गैर-कांग्रेसी सरकारों के साथ सहयोग करना चाहती हैं। सहयोग की कसौटी है राजस्थान। अगर राजस्थान में गैर-कांग्रेसी सरकार बनने दी जाएगी तो हम समझेंगे, केंद्र के इरादे अच्छे हैं। नहीं तो हमें अपना निर्णय लेने के लिए विवश होना पड़ेगा।

हमारे मतभेद उजागर हैं

सभापति महोदय, मैं एक बात कहकर खत्म कर दूंगा। कांग्रेस सदस्यों की ओर से इस बात की टीका-टिप्पणी की गई है कि कम्युनिस्ट और जनसंघ या और पार्टियों को मिलाकर सरकारें बना रहे हैं। यह आलोचना कम से कम कांग्रेसी सदस्यों के मुंह से शोभा नहीं देती। हम अपने मतभेदों के बारे में प्रामाणित हैं, यहां अलग-अलग पार्टियों में बैठे हैं, मगर कांग्रेस खुद ही एक ऐसी पार्टी है, जिसमें कम्युनिस्ट भी हैं, सोशलिस्ट भी हैं, और...

श्री यशवंत राव चह्वाण : जनसंघी भी हैं।

श्री वाजपेयी : अगर आप यह मानकर चलते हैं कि आपके भीतर जनसंघी भी हैं, तो यह मानना होगा कि कांग्रेस एक नहीं है, चूं-चूं का मुरब्बा है और केवल सत्ता ने कांग्रेस को बांध रखा है।

हम अगर सरकारें बना रहे हैं तो जनता की सेवा करने के लिए सरकारें बना रहे हैं, हम सत्ता हथियाने के लिए सरकारें नहीं बना रहे हैं। हम न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर सरकारें बना रहे हैं और जब तक जनता की सेवा कर सकेंगे, हम उन सरकारों में रहेंगे, नहीं तो हम सरकारों को छोड़कर बाहर निकल आएंगे। मगर हमारा स्वरूप कांग्रेस पार्टी-जैसा नहीं है। इसलिए कांग्रेस की पराजय हुई है। कांग्रेस को हवा का रुख पहचानना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं सदन से यह अपील करना चाहता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे और इस सरकार को अपदस्थ कर दे।

अध्यक्ष महोदय, एक बात और। क्या गृह मंत्री को मालूम है कि राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी अभी भी फाइलें लेकर सुखाड़िया के पास जाते हैं? क्या इस बात की वह जांच कराने के लिए तैयार हैं? अगर वह बात साबित हो जाएगी तो क्या वह अपने चीफ सेक्रेटरी को वापस बुलाने के लिए तैयार हैं?

श्री यशवंत राव चह्वाण : जरूर बुलाएंगे।

श्री वाजपेयी : राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, उसे कोई भी शोभाजनक नहीं मान सकता। राष्ट्रपति राज इसलिए लागू किया गया है कि सुखाड़िया फिर से अपना बहुमत प्राप्त कर लें। हम यह बात कभी होने नहीं देंगे। जब तक यह केंद्र सरकार रहेगी तब तक इस तरह की धांधलियां होंगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करे और इस शासन को अपदस्थ करे। धन्यवाद।

धन्यवाद प्रस्ताव

भारत और एटमी हथियार

सभापति महोदय, पिछले लगभग ढाई घंटे से हम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण पर सत्ता-पक्ष के दो माननीय सदस्यों के भाषण सुन रहे थे। दो घंटे का समय काफी लंबा होता है। मैं आशा करता था कि वर्तमान सरकार भले ही ख्यालों की दुनिया में रहती हो, मगर हमारे सत्ता-पक्ष के सदस्य, जिन्हें कुछ ही महीनों में हमारे साथ जनता के द्वार पर जाकर दस्तक देनी है, थोड़ा यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर अपनी बात कहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

सरकार ने राष्ट्रपति महोदय के मुंह से कहलवाया है कि "पिछले वर्ष की हमारी आशावादिता और विश्वास सही सिद्ध हुए। हमारी कल्पनाएं काफी हद तक साकार हुई हैं और अब यह विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि देश में अपेक्षित बदलाव आने लगा है।" देश में बदलाव तो आ रहा है। देश और भी बदलाव के लिए अपने को तैयार कर रहा है, मगर वह सरकार द्वारा अपेक्षित बदलाव है, यह कहनेवाली सरकार के बारे में अब मैं क्या कहूं, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रदेशों में चुनाव हुए थे और उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की है कि चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में हुए, लेकिन उन चुनाव-परिणामों से सरकार क्या नतीजे निकाल रही है, सत्ता-पक्ष ने कौन से निष्कर्ष निकाले हैं, इसका संकेत न तो राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में है, जो सरकार द्वारा लिखा गया एक प्रबंध है, और न अभी जो हमारे मित्र बोले, इतने लंबे भाषण किए, उनके भाषणों में भी कोई संकेत आए। एक के बाद एक प्रदेश ने सत्ता-पक्ष को क्यों अस्वीकार कर दिया? कर्नाटक और महाराष्ट्र कांग्रेस के गढ़ समझे जाते थे।

प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश से आते हैं। संसद में कांग्रेस का बहुमत, जब चार साल पहले सरकार बनी, तो दक्षिण के प्रदेशों से आए हुए संसद-सदस्यों के बल पर बनी। जो अल्पमत में आए थे, बाद में वे किस तरह से बहुमत में परिवर्तित हो गए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन एक के बाद एक प्रदेश का चले जाना, क्या इसके पीछे मतदाता कोई इशारा नहीं दे रहा है? क्या मतदाता सत्ता-पक्ष से कुछ कहना नहीं चाहता? अगर आर्थिक सुधारों में सब कुछ ठीक है, तो फिर लोग

---

* *राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में २५ अप्रैल, १९९५ को भाषण।*

क्यों बिगड़ रहे हैं? सत्ता-पक्ष से क्यों दूर जा रहे हैं? फिर सत्ता में यह चर्चा क्यों चल रही है कि हमें आर्थिक सुधारों को मानवीय चेहरा पहनाना होगा। तो अभी तक कौन सा चेहरा था? मानवीय चेहरे का अभिप्राय क्या है? तो क्या नीतियों में कोई दोष था या कार्यान्वयन में गलतियां हुईं। कोई आत्ममंथन नहीं है। कोई गिरेबां में मुंह डालकर देखने का प्रयास नहीं है। अगर सत्ता पक्ष इस स्थिति से संतुष्ट है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर मेरे मित्र श्री अय्यर उड़ीसा और मणिपुर की विजय पर अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, तो मुबारक। लेकिन जो प्रदेश सत्ता-पक्ष के प्रभाव से मुक्त हो गए, उनकी जनता क्या कहना चाहती है?

यह ठीक है कि कांग्रेस को, जहां तक वोटों का सवाल है, महाराष्ट्र में अधिक वोट मिले। लेकिन सीटें कम मिलीं। हमारे चुनाव की पद्धति ऐसी है कि इसमें कभी सीटें बढ़ जाती हैं तो वोट घट जाते हैं और कभी वोट बढ़ जाते हैं तो सीटें घट जाती हैं। मगर इस क्रम को हम झेल रहे हैं। पिछले ५० साल से हम इसी के भीतर रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन बुनियादी सवाल यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात की जनता ने कांग्रेस को क्यों अस्वीकार किया? क्या विरोधी दलों के कारण? बिहार में कांग्रेस की जो हालत हुई है, वह बहुत दयनीय है। हम बिहार में कांग्रेस से आगे बढ़ गए। कर्नाटक में कांग्रेस इतनी घट गई कि हमारे सदस्यों की संख्या उससे ज्यादा है। यह पराजय नहीं है। यह तो जैसे पूरी पार्टी का सफाया कर दिया है। लोगों ने मानो कह दिया कि हमें यह पार्टी नहीं चाहिए।

कांग्रेस का इतना पुराना इतिहास है। अब क्या अवसान का काल आ गया है? अगर अवसान का काल आ गया है तो जो सत्ता में बैठे हैं और सत्ता का समर्थन कर रहे हैं, वह क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या चुनाव की पराजय एक गहरे आत्म-मंथन के लिए प्रेरित नहीं करती? मैं फिर उसी शब्द को दोहराना चाहता हूं कि क्या चुनाव-परिणाम गहरे आत्ममंथन के लिए प्रवृत्त नहीं करते? अगर देश में सब कुछ ठीक है और हर बाग में हरियाली है, चारों तरफ फूल खिले हैं, कोयल कूक रही है तो फिर सत्ता-पक्ष में यह जो मतभेद उभर रहा है, जो गृह-कलह हो रहा है, जो कल गृहयुद्ध में बदल सकता है और जिसका परिणाम गृह-दाह हो सकता है, उसका क्या कारण है? उसका औचित्य क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए। आप हमें जितना संप्रदायवादी कहेंगे, हम जनता का उतना ही ज्यादा विश्वास प्राप्त करते जाएंगे, क्योंकि सांप्रदायिकता की भाषा बदल रही है। इसको आप समझिए। एक तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर आप दूसरी तरह की सांप्रदायिकता से नहीं लड़ सकते।

शिवसेना बनाम मुस्लिम लीग

हमने शिवसेना से गठबंधन क्यों किया, इस पर आपत्ति है और आप मुस्लिम लीग के गले में बरसों से जो गलबहियां डाले बैठे हैं, उस पर कुछ नहीं। अब अय्यर जी कहेंगे कि क्या मतलब है, शिवसेना और मुस्लिम लीग का क्या मुकाबला? आप रिमोट कंट्रोल की बात कर रहे हैं। मैं स्वर्गीय संजय गांधी का नाम नहीं लेना चाहता। स्वर्गीय संजय गांधी के रिमोट कंट्रोल को जिन्होंने बर्दाश्त किया, वे आज महाराष्ट्र के तथाकथित रिमोट कंट्रोल पर अंगुली उठा रहे हैं। हम सब कांच के घर में बैठे हैं। मगर इस स्तर पर आलोचना क्यों होनी चाहिए? मुझे गोडसे का नाम लेने में आपत्ति है। श्री अय्यर विद्वान आदमी हैं। उन्हें सारे देश के इतिहास का पता होना चाहिए। गोडसे की पृष्ठभूमि का भी पता होना चाहिए। गोडसे आर.एस.एस. का विरोधी था। गोडसे

आर.एस.एस. की अपने अखबार में आलोचना करता था। गांधी जी की हत्या की जांच हुई और दो-दो बार हुई। सब जांचों में यही निकला कि उस हत्या में आर.एस.एस. का कोई हाथ नहीं था। क्या आप दुनिया को यह कहना चाहते हैं कि गांधी जी के हत्यारे अब भारत में सत्ता में आ रहे हैं? अभी हम गुजरात में जीते हैं, कल नई दिल्ली में भी जीत सकते हैं।

हम गांधी के प्रति आदर प्रकट करते हैं। आप कहेंगे कि यह आदर नहीं, दिखावा है। तब तो फिर किसी बहस की गुंजाइश ही नहीं है। तब तो हमारे और आपके बीच में कोई मिलन-भूमि ही नहीं है। अगर यह अविश्वास इतना गहरा है तो फिर काहे की आम सहमति? ब्रॉड कॉन्सेंसस का क्या मतलब है? ब्रॉड कॉन्सेंसस इसी आधार पर हो सकता है कि भले ही विचारों में मतभेद हो, मगर ईमानदारी पर अंगुली न उठाई जाए।

मैं १९५७ से इस पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ हूं। मैंने नेहरू से लेकर नरसिंह राव तक सभी प्रधानमंत्री देखे हैं। आज सत्ता-पक्ष जिस संकट में है, उस संकट से उबरना मुश्किल है। जरूरत है कि आज सही ढंग से आत्मनिरीक्षण किया जाए और देश की समस्याओं के बारे में एक सही दृष्टिकोण अपनाया जाए। राष्ट्रपति का अभिभाषण एक कैटलॉग मालूम होता है। सरकार ने यह किया, सरकार ने वह किया, यह योजना है, इसके लिए यह किया। ठीक है, अगर आपने यह सब कुछ किया है तो फिर चुनाव में आपकी हालत खराब क्यों हुई? अब आप कहेंगे, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है, हम चुनाव में भले ही हारें मगर हम जो सही बात समझते हैं, करते जाएंगे। यह भी आत्मविश्वास के साथ नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गड़बड़ है, नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए, झगड़े हो रहे हैं।

कट मोशन—कहां हैं रंगा जी—वह कट मोशन नहीं है, क्विट मोशन है। हम नरसिंह राव से इस्तीफा मांगें, समझ में आ सकता है। अब सत्ता-पक्ष के सदस्य शामिल हो गए, बहुत अच्छी बात है। अगर नाव के खिवैया ही नाव को डुबाने में तुले हुए हैं तो कोई नहीं बचा सकता। लेकिन आइए, पूरी तरह डूबने से पहले जरा कुछ साफ बातें हो जाएं, स्पष्टवादिता की बातें हो जाएं। नहीं हो रही हैं। हम बहस के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में आप किस तरह की सरकार का समर्थन कर रहे हैं, किसलिए कर रहे हैं? नारायण दत्त तिवारी को आप न छोड़ने के लिए तैयार हैं, न बलि चढ़ाने को तैयार हैं, क्योंकि आपको मुलायम सिंह सरकार का समर्थन करना है।

ईरान के राष्ट्रपति लखनऊ में

हमें खुशी है ईरान के राष्ट्रपति हमारे देश में आए थे। ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। ये संबंध और भी दृढ़ होने चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रपति रफसंजानी लखनऊ गए, आपको मालूम है, लखनऊ में क्या हुआ? उन्हें लखनऊ भेजने का फैसला किसने किया, क्यों किया, मैं नहीं जानता। लखनऊ मेरा चुनाव क्षेत्र है, मगर ईरान के राष्ट्रपति मेरे चुनाव क्षेत्र में जाएं, उनका वहां सार्वजनिक सम्मान किया जाए और मुझे उसके लिए निमंत्रण न दिया जाए, यह कौन सा लोकतंत्र है? क्या यह सारा मामला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया गया था? मगर मुझे नहीं बुलाया गया। सारा समारोह मुलायम सिंह की सरकार का प्रदर्शन था। हवाई अड्डे से लेकर इमामबाड़े तक झंडे लगाए गए, लेकिन केवल ईरान के झंडे थे, भारत का झंडा नहीं था। इमामबाड़े में ईरान के झंडे लगे थे, हमारा तिरंगा नहीं लगा था। वहां एक सज्जन ने भाषण दिया। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के सामने मुलायम सिंह को कहा कि ये सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये हमारे होनेवाले

प्रधानमंत्री हैं।···(व्यवधान)

श्री भोगेंद्र झा (मधुबनी) : जहां तक तथ्य का मामला है, जो राष्ट्राध्यक्ष आए थे, वे हमारे अतिथि थे। लेकिन वाजपेयी जी ने जो कहा कि ईरान का झंडा था, भारत का झंडा नहीं था, क्या सरकारी पक्ष इस तथ्य को मान लेता है या खंडन करता है?···तथ्य के बारे में जो हो, हां या नहीं, कह दें।···(व्यवधान)

प्रो. राणा सिंह रावत : इनको देश की कहां चिंता है, ये तो अपनी चिंता में लगे हुए हैं।···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : वहां मौलाना कल्बे सादिक मौजूद थे। वे शियाओं के बड़े नेता हैं और उनका सम्मान है, इज्जत है। मेरा उनके साथ कई बार मिलना हुआ है। उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति के सामने यह कहा कि हमारे यू.पी. के चीफ मिनिस्टर 'डायनामाइट' हैं, जो न केवल उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मगर हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री भी हैं। समारोह में कांग्रेस के नेता गए थे। ईरान के राष्ट्रपति के साथ गए थे। उनमें से किसी को नहीं बोलने दिया गया। सलमान खुर्शीद थे। अभी हमारे मणि शंकर जी सलमान खुर्शीद के साथ मुझे मिलाकर बड़ी तारीफ कर रहे थे, सलमान खुर्शीद एक तो मुझे छोड़ गए, मेरे बिना ही लखनऊ चले गए, मगर वहां उनकी ऐसी इज्जत अफजाई हुई कि उन्हें ईरान के राष्ट्रपति के सामने बोलने नहीं दिया गया। सैयद सिब्ते रज़ा थे, वह नहीं बोल पाए, अम्मार रिजवी थे, हमारे सहयोगी, साथी हैं, वह उनके साथ जहाज में गए थे और मुलायम सिंह ने कहा कि आप अलग बैठिए। वहां धक्का-मुक्की भी हुई, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। यह क्या है? और सबसे आपत्ति की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति के सामने खुले रूप में कहा कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है और एक पार्टी है, जो अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करना चाहती है और इस बात में हम आपकी मदद मांगते हैं। इसका क्या मतलब है? हम ईरान के राष्ट्राध्यक्ष को निमंत्रण दे रहे हैं, हमारे घरेलू मामलों में दखल देने के लिए? इसलिए उनको लखनऊ भेजा गया था? क्या लखनऊ के कार्यक्रम पर केंद्र सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था? विदेश मंत्रालय ने कुछ भी नहीं देखा था? क्या यह राजकीय समारोह नहीं था? इसकी लखनऊ के लोगों पर क्या प्रतिक्रिया होगी, लखनऊ के लोगों पर, बाहर के लोगों पर? मैं नहीं समझता कि आपको इसका अंदाज है, यही रोना है।

चुनाव का मुद्दा था भ्रष्टाचार

इस चुनाव के दौरान जो परिणाम आए, उनका अयोध्या से तो कोई संबंध नहीं था। अयोध्या तो मुद्दा नहीं था, मुद्दा था भ्रष्टाचार। मुद्दा था राजनीति का अपराधीकरण, मुद्दा था महंगाई। राष्ट्रपति महोदय ने भी अपने अभिभाषण में माना है, सच्चाई को मानना पड़ा है। हमारे मित्र ने भी उल्लेख किया है कि महंगाई बढ़ रही है। २५% महंगाई बढ़ गई, खाद्यान्न वस्तुओं में महंगाई १००% तक बढ़ गई।

लेकिन अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं है, भ्रष्टाचार के बारे में, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या है ही नहीं। क्यों और कैसे भ्रष्टाचार का निवारण होगा? सार्वजनिक जीवन में शुद्धता कैसे आएगी? लोग भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। लोग अस्थिरता का खतरा मोल लेंगे, मगर बेईमानों को अब सत्ता में नहीं रहने देंगे, और यह होना भी चाहिए। यही जापान में हुआ, यही इटली में हुआ। इटली में भ्रष्ट मंत्री जेल में पड़े हैं, कुछ जहर खाकर मर गए। जापान में

वहां की जनता ने अस्थिरता का खतरा मोल लिया है, मगर ईमानदार सरकार को उन्होंने वोट दिया है। हमें दोनों का समन्वय करना है। सरकार स्थिर भी होनी चाहिए और जवाबदेह भी होनी चाहिए। मगर स्थिरता अनैतिकता पर टिकी नहीं होनी चाहिए। जवाबदेही का तो कोई निशान नहीं दिखाई देता। क्या भ्रष्टाचार समस्या नहीं है, क्या उसको दूर नहीं किया जाना चाहिए?

बोफोर्स की रिपोर्ट कहां है?

अभी बोफोर्स की रिपोर्ट आनी बाकी है। शुक्ला जी हैं या नहीं? विरोधी दलों की बैठक बुलाकर उन्होंने कहा कि सारा मामला पक गया है, रिपोर्ट आनेवाली है। कहां है रिपोर्ट? मगर रिपोर्ट आएगी। नए आर्थिक सुधारों के साथ जो भ्रष्टाचार के आरोप जुड़ गए हैं, आखिर बैंकिंग स्कैम हुआ आर्थिक सुधारों के जमाने में। चीनी का स्कैंडल हुआ है। पब्लिक अंडरटेकिंग्स के शेयर्स जिस तरह से बेचे जा रहे हैं, वह क्या है? पब्लिक अंडरटेकिंग्स किसी सेठ या पूंजीपति द्वारा खड़ा किया हुआ उद्योग नहीं है, यह भारत की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। नेहरू जी पब्लिक उद्योग के कारखानों को नए मंदिर कहा करते थे और अब उनके शेयर गलत ढंग से बेचे जा रहे हैं। जो उद्योग थोड़ी सी पूंजी लगाने के बाद ठीक ढंग से चल रहे हैं, उनको भी बेच दो। अब पैंडुलम दूसरी तरफ घूम गया है।

मैं लखनऊ से निर्वाचित हुआ हूं। लखनऊ में इस तरह के कारखानों का सौदा किया जा रहा है। जिन प्राइवेट हाथों में कारखाने बेचे जा रहे हैं, उससे धन कमाया जा रहा है। मजदूर कहां जाएगा, मजदूर सड़कों पर निकलेगा।

गरीबी बढ़ी है। गरीबी की रेखा के नीचे जिंदगी बितानेवाले बढ़े हैं। विषमता बढ़ी है। भारत और इंडिया की खाई बढ़ी है। इसलिए आपको चिंता हो रही है कि गरीबी-उन्मूलन के लिए कौन सी योजनाएं अपनाई जाएं। ८-९ योजनाओं का उल्लेख है। योजनाएं अपनी जगह पर हैं। वे कागज पर बहुत अच्छी हैं। उनके लिए हाथ में पूंजी नहीं है। वित्त मंत्री जी यहां नहीं हैं। वित्त मंत्री जी ने इस बार बजट पेश करने में कमाल कर दिया। उस पर अलग चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि यह अर्थ-विशेषज्ञ डॉक्टर मनमोहन सिंह का बजट नहीं है, यह तो कांग्रेस की डूबती हुई नैया को बचैय्या चाहिए, इसलिए ऐसा बजट लाया गया है। ठीक है, चुनाव का साल है लेकिन समस्याएं इतनी सरल नहीं हैं। देश में यह धारणा पैदा होने देना कि वह विदेशी दबाव में काम कर रहा है, बहुत घातक है।

जब नई लोकसभा चुनी गई थी और प्रारंभ में चर्चा हुई थी तो उस दिन मैंने अपने भाषण में यही कहा था कि देश में अगर यह भावना पैदा हो गई कि उसके स्वाभिमान को ठेस लग रही है तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा, और यह भविष्य के लिए भी अच्छा नहीं होगा। राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं है। पेटेंट बिल अटक गया। प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि यदि आपका विधेयक अटक जाए तो आपकी मदद करे। अब राज्यसभा में क्या करेंगे? श्री चिदम्बरम् यहां बैठे हुए हैं। वह अपने विषय के अच्छे ज्ञाता हैं। मुझे जानकार लोग बताते हैं कि पेटेंट बिल को पास करने में इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। कई देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। कई देश अपनी कठिनाइयां बता रहे हैं। इस मामले में सरकार द्वारा बुलाई गई बैठक में मैं नहीं गया था। उस बैठक में सरकार का कहना था कि हमारा ऑब्लिगेशन है। हमने तय किया है कि अभी पास होना चाहिए। यह अच्छा ऑब्लिगेशन है, किसका दबाव है। क्यों

ऑब्लिगेशन है? इसके क्या परिणाम होंगे, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, लेकिन देश में यह भावना पैदा हो रही है कि इतना सब होने के बाद हमारी हालत सुधर नहीं रही है। यह आपको ठीक करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि आत्ममंथन की सच्ची प्रक्रिया अगले चुनाव के बाद शुरू होगी, लेकिन मुझे इसके साथ देश की भी चिंता है। भारतीय जनता पार्टी को आप जो चाहें कह सकते हैं। सबको बोलने की आजादी है, लेकिन अगर देश में विचारों की उग्रता पनपने लगी है तो उसका मूल कारण कहां है, यह भी सोचा जाना चाहिए।

अयोध्या, झारखंड, लद्दाख, जम्मू-काश्मीर

अभी शास्त्री जी अयोध्या के बारे में बात कर रहे थे। अब तो कोई आंदोलन नहीं है। आप अयोध्या की समस्या बातचीत से हल करिए। यदि कोई और रास्ता है तो उससे हल करिए। मामला लटका हुआ है। उसे कोर्ट के भरोसे छोड़ दिया है। पहले भी छोड़ दिया था। किसी किस्म के फैसले नहीं हो रहे हैं। इस सरकार की विशेषता है, अनिर्णय, 'शांतता, कोर्ट चालू आहे!' यह एक मराठी नाटक है, ज्यादा बात मत करो, अदालत जारी है। मामले लटके हुए हैं। पेटेंट बिल लटक गया है या गले में अटक गया है। अयोध्या का मामला लटक गया है। अब उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। फिर कोई उपद्रव हो जाएगा तो दोष दिया जाएगा। और बलि के बकरे ढूंढ़े जाएंगे। केवल अयोध्या का मामला लटका नहीं है, झारखंड स्वायत्त परिषद का मामला लटका हुआ है। वह कहां तक बनी है, कितनी बनी है, बनेगी या नहीं बनेगी, क्या अधिकार होंगे, वित्तीय व्यवस्था क्या होगी, इनका कोई उत्तर नहीं है। लद्दाख का मामला बरसों से लटक रहा है। सारी चिंता काश्मीर घाटी की है। लद्दाख की उपेक्षा, जम्मू का तिरस्कार, इससे भी सांप्रदायिकता पनपती है। लद्दाख में बौद्ध हैं, जम्मू में हिंदू हैं, इन शब्दों में बात करने का वक्त आ गया है। दोनों उपेक्षित हैं। उनको यह लगता है कि सारी चिंता काश्मीर घाटी के मुसलमानों की है, हमारी नहीं है। किसी सरकार के बारे में इस तरह के संदेह पैदा हों, यह ठीक नहीं है। मगर लद्दाख में आपने मान लिया है कि वहां एक परिषद होगी—बनाने में देरी क्या है? जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है। उसके निराकरण में विलंब क्यों होना चाहिए।

मैं मानता हूं कि काश्मीर की घाटी की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। अंत में आतंकवाद को परास्त होना पड़ेगा। अंत में पाकिस्तान के बहकावे में आए उन नौजवानों को समझना होगा कि उनका हित भारत के साथ रहने में है। भारत के अभिन्न भाग के रूप में जम्मू-काश्मीर विकसित हो सकता है। जम्मू-काश्मीर आगे बढ़ सकता है। दुनिया के मुस्लिम देशों की समझ में यह बात आ रही है, लेकिन हम अपनी राजनीति यहां कर रहे हैं। जम्मू-काश्मीर के चुनाव की बातें हो रही हैं। हम भी चुनाव चाहते हैं। हम तो १९५२ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार हम ऐसा चुनाव लड़े थे, जिसमें हमारे उम्मीदवारों की नामजदगी के पर्चे रद्द कर दिए गए थे। अब ऐसा काम नहीं चलेगा। १९७७ में जनता की सरकार थी, तो सब लोगों ने माना कि काश्मीर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए। किसी ने पाकिस्तान में जाने की बात नहीं की, किसी ने भारत से अलग होने की बात नहीं की। अगर हम स्वतंत्र चुनाव कराते रहते, तो काश्मीर में जो परिस्थिति पैदा हुई है, वह परिस्थिति पैदा न होती। पाकिस्तान लाख प्रयत्न करता और सिर पटक के मर जाता, लेकिन काश्मीर के नौजवानों को गुमराह नहीं कर सकता था। जो धन गया है, वह ठीक तरह से खर्च नहीं हुआ। सरकारें यहां से बदली गईं, हस्तक्षेप किया गया। मगर अब चुनाव की तैयारी है। क्या

ये राज्यपाल रहेंगे, अगर चुनाव कराना है तो पहले इन्हें बदलें। चुनाव से पहले एक जनरल एमनेस्टी होनी चाहिए। एक आम रिहाई होनी चाहिए। आज प्रशासन कहां है? कौन मतदान केंद्रों की रक्षा करेगा? कौन मतदाता को सुरक्षा का आश्वासन देगा। इसके बारे में सभी को विश्वास में लेने की जरूरत नहीं है। मगर चह्वाण साहब और पायलट साहब की पटती नहीं थी, तो प्रधानमंत्री जी ने काश्मीर का विभाग अपने पास ले लिया। हम तो समझते थे कि पूरी सरकार प्रधानमंत्री जी के पास है। विशेष रूप से काश्मीर का विभाग लिया है, नई बात कौन सी हुई है। वही ऑफिसर चला रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय दबाव में न आएं

सरकार को अंतरराष्ट्रीय दबाव में आने से इन्कार कर देना चाहिए। कहिए कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। सारे देश में चुनाव हुए हैं। बिहार में थोड़ी सी गड़बड़ी के बावजूद चुनाव हुए हैं। हम काश्मीर में भी चुनाव चाहते हैं। मगर पाकिस्तान अगर हथियार के बल पर काश्मीर में गड़बड़ी करना चाहता है, तो चुनाव कराना मुश्किल होगा। जब भी चुनाव होगा, बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक आएंगे। पारदर्शी प्रामाणिकता का परिचय देना पड़ेगा। लेकिन घोषणाएं की जा रही हैं, तैयारी है। उसके बारे में हमें विश्वास में लेने की आवश्यकता नहीं है, तो अच्छा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि काश्मीर में चुनाव की परिस्थिति है। यह समस्या हल करने का तरीका नहीं है।

चरार-ए-शरीफ में आतंकवादी बैठे हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। कब से बैठे हैं? उनमें कुछ विदेशी भी हैं। मिशनरीज हैं। हमने उनको घुसने कैसे दिया और बैठने कैसे दिया? सरकार कहती है, अगर सीमा पार चले जाएं छोड़कर, तो हम उन्हें सीमा पार करा देंगे, जैसे तड़ी पार होता है। आतंकवादी के साथ यह व्यवहार है? सुरक्षा बल का क्या मनोबल है। आतंकवादी भीतर हैं और सुरक्षा बल बाहर हैं। ठीक है, चरार-ए-शरीफ की रक्षा होनी चाहिए। मगर यह तरीका नहीं है। काश्मीर के मामले में भारत का पक्ष बहुत सबल है। मगर जिस सबलता के साथ उसे अंतरराष्ट्रीय पंचायत में रखना चाहिए, हम रख नहीं रहे हैं। हमारे मन में कहीं न कहीं अपराध बोध है। कहीं न कहीं यह भावना है कि काश्मीर में मुसलमान ज्यादा हैं और काश्मीर का कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा कि जो हमें भी पसंद हो, पड़ोसी को भी पसंद हो, काश्मीर की घाटी के लोगों को भी पसंद हो। मुझे खुशी है कि यह धारणा अब बदल रही है। देश में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हैं जो काश्मीर को भारत से अलग करने के लिए तैयार बैठे थे। राष्ट्र की एकता, अखंडता के साथ समझौता नहीं हो सकता, यही राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में भी कहा है। लेकिन बातें व्यवहार में आनी चाहिए, बातें व्यवहार में नहीं आ रही हैं।

श्री अय्यर ने भारतीय जनता पार्टी की आणविक हथियारों के संबंध में जो नीति है, उसकी बड़ी कठोर आलोचना की है। उन्हें अपना दृष्टिकोण रखने का पूरा अधिकार है, उन्हें हमारे दृष्टिकोण से असहमत होने का पूरा हक है, लेकिन हम समझते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए, विशेषकर हमारे पड़ोस में जिस तरह की हथियारबंदी हो रही है, उसमें भारत एटमी हथियार बनाने के अपने विकल्प को नहीं छोड़ सकता और हम इसी आधार पर एन.पी.टी. पर दस्तखत करने से इन्कार कर रहे हैं, क्योंकि यह भेदभाव पर आधारित संधि है। फिर मिसाइलों का क्या होगा? अग्नि और पृथ्वी का क्या होगा? अब अगर वाशिंगटन में स्टेट डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी

कहता है कि चिंता मत करो, भारत का जो अग्नि और पृथ्वी का प्रोग्राम है वे दोनों प्रोग्राम 'हाइबरनेशन' में हैं यानी निद्रा में निमग्न हैं, तो सरकार को स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी लाल किले पर खड़े होकर कहते हैं कि हम अग्नि का प्रोडक्शन करेंगे, पृथ्वी को डिपलॉय करेंगे। कहां डिपलॉय करेंगे, क्या हैदराबाद में करेंगे? हैदराबाद में नहीं, जालंधर में डिपलॉय करने की जरूरत है। अब पाकिस्तान मारक शस्त्र ले रहा है, मिसाइल्स ले रहा है। हमारा पड़ोसी चीन है। उसके साथ भी हमारे विवाद हैं। हम आत्मरक्षा के मामले में अपने पैरों पर खड़े न हों, यह कैसे हो सकता है? हम एटमी युद्ध नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सारे एटमी हथियार बर्बाद कर दिए जाएं, खत्म कर दिए जाएं। हम ऐसा विश्व चाहते हैं जिसमें एटमी हथियार न हों, मगर क्या ऐसे विश्व की रचना भारत से शुरू होगी? या जिनके पास हथियारों का अंबार लगा है, उनसे शुरू होगी?

वे अपने हथियार हटाने या घटाने को तैयार नहीं हैं। डियगोगार्शिया में अब अमेरिका को अपना अड्डा रखने की क्या जरूरत है? वे अपने हथियारों के प्रति सजग हैं और अपनी सुरक्षा के तकाजे के प्रति भी सजग हैं। वार्सा संधि भंग हो गई, एटलांटिक संधि कायम है। उसमें रशिया भी शामिल हो रहा है, उसको भंग नहीं किया जा रहा। हमें वे उपदेश दे रहे हैं जिनके पास पहले से एटमी हथियार हैं। हम पाकिस्तान के साथ हथियारों की दौड़ में नहीं पड़ना चाहते लेकिन अगर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री एटमी हथियारों की धमकी दें तो क्या हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहें।

स्वदेशी का मजाक मत उड़ाइए

स्वदेशी का, स्वावलंबन का संकुचित अर्थ मत लीजिए और परमात्मा के लिए इन शब्दों का मजाक न उड़ाइए। क्या यह ९० करोड़ का देश विदेशी मदद से ही आगे बढ़ सकता है? कल अगर मदद कम हो गई, बंद हो गई तो क्या होगा? वे हमारे लाभ के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने मुनाफे के लिए आ रहे हैं। इसमें हमारा भी लाभ है। लेकिन देश के भीतर यह भाव बना रहना चाहिए कि हम अपने बल पर आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास साधन हैं, लोग हैं। हमारे पास योग्य वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं और हम अपने बल पर भी आगे बढ़ सकते हैं। यही स्वावलंबन की भावना है। इससे किसका विरोध हो सकता है? लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है, क्योंकि हम कह रहे हैं स्वावलंबन, इसलिए अय्यर साहब इस तरह से स्वावलंबन और स्वदेशी शब्दों का उच्चारण कर रहे थे कि जैसे उनके लिए सब कुछ विदेशी ठीक है। हमारे लिए ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहले से कंट्रोल और परमिट हटाने की बात करती रही है। मैंने वे दिन देखे हैं जब पब्लिक सेक्टर को कमांडिंग हाइट्स पर ले जाने की बात करते थे। इस सदन में मैंने अशोक होटल बनाए जाने का समर्थन सुना था। तब मैं पीछे बैठता था। कहा गया था कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र में होटल बनाया जाएगा तो उससे मुनाफा होगा और वह मुनाफा फिर जनता की भलाई की योजनाओं में लगाया जाएगा। वह होटल घाटे में चल रहा है, जनता की गाढ़ी कमाई का और पैसा खा रहा है। लेकिन पब्लिक सेक्टर को मैं अभी भी महत्व का स्थान देता हूं क्योंकि कुछ पब्लिक सेक्टर बहुत अच्छे चल रहे हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनकी पीठ थपथपाने की जरूरत है।

एक गरीब देश में, एक विकासशील देश में राज्य की एक भूमिका होगी। हरेक को बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। बाजार की शक्तियां बड़ी कठोर शक्तियां होती हैं, बेरहम शक्तियां

होती हैं। गरीब का क्या होगा, बेरोजगार का क्या होगा, विधवा का क्या होगा, वृद्ध का क्या होगा, छोटे किसान का क्या होगा, जिसका छोटा उद्योग बंद हो गया है, उस कारीगर का क्या होगा? क्या उसके लिए राज्य की भूमिका नहीं चाहिए? हां, राज्य ऐसा चाहिए जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और जो करुणा की भावना से भरा हो—ऐसा राज्य चाहिए। आप न भ्रष्टाचार-मुक्त शासन दे सकते हैं, न शासन में करुणा ला सकते हैं, न दया ला सकते हैं। मानवीय चेहरे से नहीं, मानवीय अंतःकरण से प्रारंभ करना पड़ेगा और इसकी कमी है। आवश्यकता इस बात की है कि आत्ममंथन हो और इसके लिए अधिक समय नहीं है, कुछ ही महीने बाकी हैं। एक लहर चल रही है और वह परिवर्तन की लहर है। वह तर्क नहीं मान रही, वह तथ्य नहीं मान रही। कहीं-कहीं हमें आशा से अधिक सफलता मिली है और आपको आशा से अधिक विफलता मिली है। लोकतंत्र की चक्की धीमे चलती है, लेकिन बारीक पीसती है और वह पीस रही है, उसको समझना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण इस अनुभूति का कोई प्रमाण नहीं देता, कोई संकेत नहीं देता। इसलिए राष्ट्रपति के प्रति गहरा आदर रखते हुए भी हम धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते।

सभापति जी, वैसे मैं श्री अय्यर की इस बात से सहमत हूं कि भाषण हुआ था फरवरी १३ को और बहस हो रही है अप्रैल २५ को। अगर इस तरह भाषण होना है और इसी तरह का भाषण होना है तो इससे न तो संसद की गरिमा बढ़ती है और न राष्ट्रपति को संतोष होता है। यह कर्मकांड अगर ठीक तरह से हम नहीं कर सकते हैं तो इसे बंद कर दें।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

अभिभाषण : अवसर की गरिमा

अध्यक्ष महोदय, मैं आरंभ से आरंभ करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने २४ फरवरी को सदन के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित किया। वे प्रतिवर्ष ऐसा करते हैं। लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। इस मामले में उनकी स्थिति ब्रिटेन की महारानी की तरह है। लेकिन ब्रिटेन की महारानी को कम से कम संसद-सदस्यों का पूरा सम्मान तो मिलता है। यहां तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टोका-टाकी होती है। कभी-कभी बहिष्कार होता है। कभी स्थिति इससे भी ज्यादा बिगड़ जाती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं १९५७ से राष्ट्रपति के अभिभाषणों को सुन रहा हूं और उस दिन बैठे-बैठे सेंट्रल हॉल में सोच रहा था कि क्या राष्ट्रपति का अभिभाषण जरूरी है? क्या यह कर्म-कांड बनकर नहीं रह गया है? क्या हम उस अवसर की गरिमा की रक्षा करने में समर्थ होते हैं? क्या राष्ट्रपति के अभिभाषण को टोका-टाकी का विषय बनाया जाना चाहिये? ठीक है, हमारे राष्ट्रपति अमरीका के राष्ट्रपति की तरह सारे राष्ट्र को संबोधित नहीं करते हैं। उनकी संवैधानिक स्थिति भिन्न है, लेकिन हमारे राष्ट्रपति किस कठिनाई में पड़ जाते हैं, इस पर थोडा-सा विचार करें। पहले उन्होंने श्री वी.पी. सिंह की सरकार द्वारा लिखा हुआ भाषण पढ़ा, बाद में श्री चंद्रशेखर की सरकार द्वारा लिखा हुआ भाषण पढ़ा और फिर अभी श्री नरसिंह राव की सरकार का लिखा भाषण पढ़ा। अब पता नहीं कि आज क्या हो जाए''(व्यवधान) मैं जानता हूं, होगा नहीं। अब राष्ट्रपति को फिर एक नया भाषण पढ़ने के लिए तैयार होना, मैं समझता हूं कि इस स्थिति पर विचार होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, प्रदेशों में तो स्थिति और भी खराब है। राज्यपाल जब विधानमंडलों के अधिवेशन में भाषण देने के लिए आते हैं तो हाथापाई के लिए तैयार होकर आते हैं। उन्हें सदन में घुसने से रोका जाता है, उन्हें बोलने से रोका जाता है, उनके ऊपर कागज फेंके जाते हैं, दस्तावेज उनके सिर पर उछाले जाते हैं। अनेक राज्यपाल तो भाषण का पहला परिच्छेद पढ़ते हैं और अंतिम परिच्छेद पढ़ते हैं और वापस चले जाते हैं। यह स्थिति ठीक नहीं है। क्या आवश्यकता है उन्हें इस मुसीबत में डालने की?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर मामला उठा रहा हूं। यह पुरानी परंपराओं को फिर से स्थापित

** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में ९ मार्च, १९९२ को भाषण।*

करने, और आवश्यक हो तो नई परंपराएं डालने का मौका है। लोकतंत्र को हम उपहास का विषय न बनाएं। नई पीढ़ी के सामने गलत आदर्श न रखें। अगर हम किसी अवसर की मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते, तो उस अवसर को टाल दें। आप एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं, इस संबध में एक आचार-संहिता बना सकते हैं। इस समय देश में ऐसी स्थिति है कि कोई न कोई दल कहीं न कहीं शासन में है, और इसलिए इस तरह व्यवहार की मर्यादा तय करना कठिन नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति का भाषण मैं पढ़ रहा था—जरूरत से ज्यादा लंबा है। छोटी-छोटी बातों का समावेश किया गया है। अब राष्ट्रपति के मुंह में छोटी बात रखने की क्या जरूरत है? इसमें ३०वां परिच्छेद बाद में जोड़ा गया, जल्दी में जोड़ा गया लगता है। पूरा भाषण छोटे-छोटे पैराग्राफ में है मगर यह जो ३०वां परिच्छेद है, यह एक लंबा पैरा है ओर मुझे ऐसा लगता है, (व्यवधान) और यह शिक्षा की नीति से संबंधित है। हो सकता है कि शिक्षा मंत्री कहीं व्यस्त हों, हो सकता है कुकड़ेश्वर से चित्रकूट की यात्रा कर रहे हों और उन्हें समय न मिला हो इस परिच्छेद को देखने का। यह पढ़ने में अच्छा नहीं लगता और यह पूरे भाषण में ठीक नहीं बैठता। लेकिन ऐसा लगता है कि अभिभाषण होना है, हरेक मंत्रालय का एक न एक नोट जाना है, भेज दो। इस तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण को नहीं लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब बनी तो यह आशा की गई थी और सरकार ने भी यह उद्घोषणा की थी और सरकार का जो अल्पमत का स्वरूप था, उसमें भी यह आवश्यक था कि देश को एक आम सहमति के आधार पर चलाया जाएगा। अगर स्पष्ट बहुमत होता तो भी हम जिन संकटों में आज फंसे हैं, चाहे वह संकट देश की एकता और अखंडता के लिए हो और चाहे वह आर्थिक संकट हो, जब तक उन संकटों से लड़ने के लिए एक समान मानसिकता, एक दृढ़ संकल्प पैदा नहीं किया जाएगा, उन संकटों से पार पाना मुश्किल है। इसलिए हमें लगा कि सरकार अल्पमत में है, सबको साथ लेकर चलेगी, आम सहमति का विकास करेगी। कुछ दिनों इसका प्रयास हुआ, लेकिन बाद में स्थिति बदल गई।

मेघालय में दल-बदल

स्व. श्री राजीव गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं उस इतिहास में पूरी तरह जाना नहीं चाहता। आज आम सहमति विकसित करने की कोशिश नहीं हो रही है, जो सहमति हुई भी है या बनी है, उसके अनुसार आचरण नहीं हो रहा है। आखिर मेघालय में क्या हुआ? प्रतिपक्ष के साथ बैठकर, अध्यक्ष महोदय, अगर आपको स्मरण होगा, मैं आपको इस विवाद में घसीटना नहीं चाहता, यह तय हुआ था कि वहां की सरकार की तकदीर का फैसला विधानसभा पर छोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं हुआ। दल-बदल करके वहां कांग्रेस की सरकार बना दी गई। क्या यह जरूरी था? मेघालय देश का एक महत्वपूर्ण भाग है। अखिल भारतीय राजनीति में, अगर मूल्यों की राजनीति की जानी है और अगर सर्वानुमति से इस देश के संकटों पर विजय पानी है, तो क्या मेघालय में जो किया गया, वह जरूरी था? जरूरी नहीं था।

पंजाब के जो नए मित्र चुनकर आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन पंजाब में चुनाव कराने का केवल इतना तो उद्देश्य नहीं हो सकता था कि पंजाब से कांग्रेसवाले लोकसभा में चुनकर आ जायें और सरकार का संख्या-बल थोड़ा सा बढ़ जाये। उद्देश्य और गहरे थे। हम

लोकतंत्र के तकाजे को पूरा करना चाहते थे और इसीलिए पहले चर्चा चली कि पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। फिर चर्चा चली कि अलग लड़ेंगी। एक स्तर पर कहा गया कि कांग्रेस वहां सरकार बनाने में रुचि नहीं रखती। वहां पर ऐसी सरकार बननी चाहिए जो आतंकवाद का मिलकर मुकाबला कर सके। दुर्भाग्य से अकाली दल ने चुनावों का बहिष्कार किया, उन्होंने ठीक फैसला नहीं किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, मैं कांग्रेस को, इतनी भारी-भरकम विजय के लिए, बधाई देना चाहता हूं। कांग्रेस अगर चाहती तो अमरेन्द्र सिंह को सरकार में शामिल होने के लिए बुला सकती थी और हमारी बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को भी सहयोग के लिए निमंत्रण दे सकती थी। क्या पंजाब की स्थिति आज इस आवश्यकता की मांग नहीं करती? देश की स्वाधीनता के बाद, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्रिमंडल में शामिल करने में संकोच नहीं हुआ था।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : अटल जी, पंजाब में जो वोटिंग हुई है, उसमें अकालियों ने इलैक्शन में हिस्सा नहीं लिया और लोगों ने वहां अपनी मर्जी से वोट डाले हैं। अमरेन्द्र सिंह की पार्टी को सिर्फ तीन सीटें वहां मिली हैं। अकालियों की बात कैसे आप कर रहे हैं?

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष जी, मैं वोटों का सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप टोकेंगे तो मैं कुछ ऐसे सवाल खड़े कर सकता हूं जिन्हें खड़ा करना ठीक नहीं होगा।

वहां यह नहीं होना चाहिए, यह मेरा सुझाव है और अपने दृष्टिकोण को आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें किसी की पसंद का सवाल नहीं है।

प्रधानमंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव : मैं जानता हूं, आप जो यहां सुझाव दे रहे हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता, आज मेरी मजबूरी है। उसका जवाब मैं खुले आम नहीं दे सकता। आपको उसका बाद में जवाब बताऊंगा।

श्री वाजपेयी : यही तो मुश्किल है।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : सारे मैम्बर्स के साथ, यह बड़ा अन्याय है।

मजबूरी नहीं, मजबूती बताइए

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री अपनी मजबूरी बता रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि छुपाने की कोई बात नहीं है। यहां प्रधानमंत्री जी अपनी मजबूरी बता रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी अपनी मजबूती बताएं।

अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को स्वीकार किया जाना चाहिए कि अगर किसी दल के साथ स्पष्ट बहुमत हो, तो बहुत अच्छा है। दो-तिहाई बहुमत हो, तो और भी अच्छा है, संविधान बदलने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन पिछले १० साल का संसदीय जीवन का हमारा अनुभव इस बात का साक्षी है कि केवल संख्या-बल पर इस देश को चलाया नहीं जा सकता। संख्या-बल यहां फैसले कर सकता है, मगर इस देश के ८० करोड़ लोगों को अनुप्राणित नहीं कर सकता है।

दुर्भाग्य से समस्याएं इतनी उलझ गई हैं और कांग्रेस पार्टी इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। अभी प्रधानमंत्री जी या उनके किसी सहयोगी ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को दोष दिया, चंद्रशेखर की सरकार को दोष दिया, कुछ मात्रा में वे दोषी हैं भी, लेकिन उससे पहले जो कुछ हुआ था और जिसके कारण आज हम दिवालियापन के द्वार पर खड़े हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। किस स्वाभिमानी व्यक्ति को यह स्थिति अच्छी लग सकती है? आज कर्जे के बिना काम नहीं चल सकता है। कर्जे के साथ शर्तें लगी हैं, लगेंगी—

"रहिमन कर पर कर करौ कर तर करो न कोय
जा दिन कर तर कर करौ ता दिन मरणा होय।"

रहीम ने कहा है कि देने के लिए हाथ ऊपर रखें। अगर देने के लिए हाथ ऊपर हैं, तो सब ठीक है और अगर हाथ लेने के लिए नीचे हैं, तो वह दिन मरण के समान है। यह सत्य है। यह बात अलग है कि इस स्थिति का सामना करने के लिए सारे देश को संगठित किया जा सकता था, अनुप्राणित किया जा सकता था, जो नहीं किया गया।

एक चीज प्रधानमंत्री जी पूछते हैं, वह ठीक पूछते हैं कि और रास्ता क्या है? मैं अपने वामपंथी मित्रों से कहूंगा कि बार-बार यह कहना कि देश को बेच दिया, देश को बेच दिया, अच्छा नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस प्राचीन और महान देश को कौन बेच सकता है? किसमें इतनी शक्ति है? और अगर हमारे रहते हुए, इस देश को बेच दिया जाए, तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं हैं। यह कहना और यह चेतावनी देना कि हम इस देश को बेचने नहीं देंगे, ठीक है। कोई इस देश को बेच नहीं सकता है। यह देश का मनोबल बनाए रखने का तरीका है? इस देश को हतबल करके आप इस देश का मनोबल नहीं बढ़ा सकते हैं।

प्रधानमंत्री नई राह सुझाएं

लेकिन मुझे प्रधानमंत्री जी से शिकायत है, वे एक नए विकल्प की खोज के लिए अब प्रयत्न क्यों नहीं करते? ठीक है, उस समय उनके पास समय नहीं था, उन्होंने जल्दी में शपथ ली, रुपए का अवमूल्यन, सोने की वापसी, तत्काल कोई कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन अब तो समय है। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी का पेंडुलम एक सिरे से दूसरे तक चला जाए और ऐसी स्थिति तक पहुंच जाए कि हम फिर अपने को कठिनाई में अनुभव करने लगें।

अध्यक्ष महोदय, साम्यवाद विफल हो गया है, मगर यह समझने का कोई कारण नहीं है कि पूंजीवाद सफल हो गया है। अमरीका आज स्वयं संकट में है। वित्त मंत्री तो अर्थशास्त्री हैं, वे उस दिन हमारे ऊपर बांहें चढ़ाकर कह रहे थे—

"सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।"

अरे, आप हम से लड़ेगें? लड़ना है इस संकट से और लड़ना है इस तरीके से कि इस देश का स्वाभिमान, इस देश की सर्वप्रभुता भी बनी रहे और विकसित और विकासशील दोनों देशों के सामने भारत एक नया रास्ता दिखाए। लेकिन अगर हम खुद रास्ता भूल गए या भटक गए तो क्या होगा? इसलिए प्रधानमंत्री अगर सबको बिठाते कि इस प्रकार के संकट हैं, कैसे हल करें, सरकार ने कुछ तात्कालिक कदम उठाए हैं, मगर दूरगामी उपाय होने चाहिए, आइए, बैठिए, विचार करिए। ऐसा नहीं हुआ है।

होना चाहिए था। मैं नहीं जानता तीसरा रास्ता है या नहीं, लेकिन हमने कोशिश नहीं की। तीसरा रास्ता खोजा जाना चाहिए।

जो विदेशी कंपनियां यहां आना चाहती हैं, वे मुनाफे के लिए आना चाहती हैं। किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि वे हमारा उद्धार करने के लिए आना चाहती हैं। हम किसको आने दें, किस सीमा तक आने दें, किस क्षेत्र में आने दें, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अभी तो दरवाजे खोले जा रहे हैं। कोई भी विश्व बैंक का अधिकारी

आता है, वित्त मंत्री से मिल सकता है। दरवाजे खुले हुए हैं, आ जाइए। अगर दरवाजा बंद है तो खिड़की से भी घुसने की इजाजत है। ऐसा पहले नहीं था। पहले अगर विश्व बैंक के, आई.एम. एफ. के अधिकारी आते थे तो हमारे किसी सचिव से, सचिवालय में किसी अधिकारी से मिलते थे। लेकिन अब संबंध बड़े घनिष्ठ हो गए हैं। यह घनिष्ठता हमें कहां ले जाएगी?

देश को, जो बुनियादी परिवर्तन किए गए हैं और मैं मानता हूं कि कुछ परिवर्तन आवश्यक थे, उनके लिए तैयार नहीं किया गया। हमने सरकार की अनावश्यक नियंत्रण हटाने की नीति का समर्थन किया है। हमने नौकरशाही द्वारा जो अवरोध खड़े किए जाते हैं, उनको हटाने का भी समर्थन किया है। प्रगति के लिए प्रतियोगिता जरूरी है। यह यूरोप के कंम्युनिस्ट देशों से स्पष्ट हो गया है। लेकिन प्रतियोगिता में मोनोपोली भी बन सकती है। अगर राज्य की मोनोपोली गलत है तो व्यक्तियों की मोनोपोली भी हमारे लिए कठिनाई पैदा करेगी, यह हमें समझना चाहिए।

लघु उद्योगों को बढ़ावा दें

आज छोटे उद्योग समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कहां जाना है। जोर दिया जा रहा है ऐसी नीतियां अपनाने पर जिसमें छोटे किसान का क्या होगा पता नहीं, उसके मन में भविष्य के बारे में आंशकाएं पैदा हो गई हैं। सरकारी कारखाने घाटे में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले चेतावनी दी थी कि पब्लिक सैक्टर में सिद्धांततः कोई बुराई नहीं है। एक पिछड़े हुए देश में स्टेट का इंटरवैंशन होना चाहिए, करना पड़ता है। वह जरूरी है। लेकिन जहां जरूरी है, वहां होना चाहिए और उसको सफल बनाने के लिए पूरा प्रबंध होना चाहिए। हमने पब्लिक सैक्टर में कारखाने खोल दिए, मगर प्रौफेशनल मैंनेजमेंट की तैयारी नहीं की। हमने मैनेजीरियल स्टाफ डेवलप नहीं किया। हमने आई.ए.एस. अधिकारियों के भरोसे उद्योगों को छोड़ दिया। वे आई.ए.एस. अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, इसे हमें निकट से देखने का मौका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मिला है।

कारखाना चलाने में उनका स्टेक क्या है? अगर कारखाना घाटे में चलता है, बीमार हो जाता है, अस्पताल में भर्ती हो जाता है तो वे दूसरे कारखाने के मैनेंजिंग डायरेक्टर होकर चले जाते हैं। उनकी नौकरी सुरक्षित है। यह कब तक चलेगा? कारखाना लेने के नाम पर भी भ्रष्टाचार हुआ और अब कारखाना प्राइवेट हाथों में देने के नाम पर भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक कारखाना ले लिया गया था। सीमेंट बनाता था। कहा गया कि चल नहीं सकता। पुरानी सरकार ने ले लिया था। मजदूरों ने आंदोलन किया। मजदूरों ने कहा कि हम कारखाना चलाने को तैयार हैं। मामला अदालत में गया। अदालत ने सरकार का कारखाना लेने का फैसला रद्द कर दिया। अब वह कारखाना चल रहा है, अच्छा चल रहा है और मजदूरों के सहयोग से चल रहा है। इसे प्राइवेट हाथों में देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या इस तरह से हर कारखाने के विषय में विवेक के साथ विचार करने के लिए शासन तैयार है?

मैंने पिछले बजट पर भाषण करते हुए पश्चिम बंगाल की एक जूट फैक्टरी का उदाहरण दिया था। मजदूर ७-८ करोड़ रुपए देने का तैयार हैं जो उनकी जमा पूंजी है। वे कहते हैं कि आप चलाइए, कुछ अपनी दीजिए। जहां कारखाना बिना बंद किए कोई रास्ता नहीं है, वहां भी मजदूरों का सहयोग लेना चाहिए। उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐगजिट पॉलिसी ठीक है, मगर यहां कोई सोशल सिक्युरिटी का सिस्टम नहीं है। मजदूरी से निकलते ही

आदमी सड़क पर चला जाएगा, भूखों मरेगा। उसका कहीं न कहीं प्रबंध होना चाहिए। ये सब प्रश्न ऐसे हैं जो मिलकर, बैठकर तय होने चाहिए। ये प्रश्न राजनीति के प्रश्न नहीं होने चाहिए। तत्काल तो चुनाव ही नहीं होनेवाले हैं।

मगर कांग्रेस से मुझे शिकायत है। क्या अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए शिवसेना को तोड़ना जरूरी था?

"काय शरद राव तुम्ही सांगा काय सांगायचे ते?"

रक्षा मंत्री श्री शरद पवार : आपसे दूर करने की जरूरत थी।

श्री वाजपेयी : सिर्फ दो मैम्बर?

श्री अशोक आनंदराव देशमुख : बी.जे.पी. ने भी शिवसेना को तोड़ने में साथ दिया था और उन्होंने तुरन्त ही गोपीनाथ मुंडे को विरोधी पक्ष का नेता बना दिया।

श्री वाजपेयी : अगर लाभ है तो बहुत ही छोटा है, बहुत ही तात्कालिक लाभ है। जनता दल टूट गया, अपने कारणों से टूट गया, मगर मुझे मालूम है कि सत्ता-पक्ष से जुड़े हुए स्वामी, भू-स्वामी और गृहस्वामी उस विभाजन को बढ़ाने में अपनी भूमिका खेलने में लगे हुए थे। आपका बहुमत हो जाये, अच्छी बात है, मगर याद रखिए, केवल बहुमत समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है।

देश आज एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, बाहर का संकट, भीतर विघटन। आर्थिक क्षेत्र में नई नीतियां अपनाने का आपका संकल्प, मगर उस संकल्प के पीछे इच्छा-शक्ति नहीं, जन-बल नहीं। देश जिसे कहते हैं एक सॉफ्ट स्टेट है, बन गया है। कौन त्याग करेगा, कौन कुर्बानी करेगा? टेलीविजन के कारण एक उपभोक्ता संस्कृति पैदा हो रही है और जिसे मध्यम वर्ग कहते हैं, वह उस संस्कृति के पीछे दौड़ रहा है। अगर उसके सामने कठिनाई का जीवन रखने का कोई निश्चय है तो आदर्श रखना पड़ेगा। सारे देश में उस तरह के जीवन-मूल्यों के प्रति निष्ठा पैदा करनी पड़ेगी। यह हम नहीं कर पाये, इसका मुझे दुख है। इस दुख को हम प्रकट करना चाहते हैं।

आजादों को आजाद रहने दें

डंकल प्रस्ताव हमें स्वीकार नहीं हैं। वर्तमान स्वरूप में डंकल प्रस्ताव स्वीकार किये भी नहीं जा सकते हैं। सरकार स्पष्ट करे कि समझौता वार्ता के बाद डंकल प्रस्ताव में संशोधन की, परिवर्तन की गुंजाइश है या नहीं? अगर प्रस्ताव अपरिवर्तनीय हैं तो उन्हें अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर गुंजाइश है तो बात करिए। पश्चिमी देशों की भी अपनी समस्याएं हैं। अमेरीका में सबसिडी चल रही है, जापान की अपनी कठिनाइयां हैं, यूरोप के देश अपने-अपने किसानों से जूझ रहे हैं और अपने-अपने किसानों की समस्याओं से निपटना चाहते हैं, उबरना चाहते हैं।

हमारे मन में एक कॉम्पलैक्स भी है, ये नेतृत्व को समझना चाहिये। हम इतने दिनों तक गुलाम रहे हैं। आज इंटरडिपेंडेंस का युग है सचमुच में। इंडिपेंडेंस और इंडिपेडेंस के बाद इंटरडिपेंडेंस, उसमें हमारे हितों की रक्षा हो, यह प्रबंध करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर यह बात कह दी जाएगी कि देश को बेचा जा रहा है, तो लोग बिगड़ जाएंगे। अब बेचा जा रहा है या नहीं बेचा जा रहा है, सचमुच में कौन बेच रहा है, इसमें गहराई से जाने के बजाय अगर देश में एक भावोन्माद पैदा करना हो तो देश को बेचा जा रहा है, देश को बेचा जा रहा है, यह कहा

जा सकता है, यह कहना सरल है, मगर यह मंहगा पड़ेगा। मैं इसके खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं। अगर देश को सचमुच में बेचा जा रहा है तो यह सरकार, यह संसद, यह सारा ढांचा आज कोई मतलब नहीं रखता है। वह सर्वोपरि सवाल है, वह सर्वप्रथम सवाल है, लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जिनके हाथ में शासन की बागडोर है, वे देश को बेच रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि देश के जीवन में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण क्षण कभी नहीं आयेगा कि लोकतंत्र के मार्ग से ऐसी सरकार चुनकर आएगी जो देश को बेचेगी। ऐसा नहीं होगा। आखिर में तो जनता के पास जाने का दरवाजा खुला हुआ है। जो बेचेंगे, उनको जनता कटघरे में खड़ा करेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह भावनाओं का सवाल नहीं, मिलकर कोई रास्ता निकालिए, कोई तीसरा विकल्प। पेंडुलम दूसरी तरफ पूरी तरह मत घूमने दीजिए, कहीं न कहीं संतुलन चाहिए और कहीं न कहीं नीतियों में सामंजस्य चाहिए।

प्रधानमंत्री आम सहमति की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन शायद उनकी पार्टी उन्हें नहीं करने दे रही है। अब वे पार्टी के अध्यक्ष हो गए हैं। वह पार्टी को समझाएं। यह सत्ता का खेल, क्या एक बार फिर देश के भाग्य के साथ खिलवाड़ करेगा? मैं साक्षी रहा हूं, १९५७ से मैं यह खेल देख रहा हूं। हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, हमारी संस्थाओं की क्या स्थिति हो गई है? अब चीफ इलैक्शन कमिश्नर के खिलाफ अभियोगपत्र तैयार है। मैं तो समझता था कि चीफ इलैक्शन कमिश्नर से कहा जाएगा कि आपने बहुत अच्छी सेवाएं की हैं, अब आप पधारो। अब अगर सरकार कहे कि हम तो चाहते हैं कि वह पधारें मगर वह पधारते ही नहीं, तो यह स्थिति बड़ी हास्यास्पद है। उनको जाने के लिए तैयार करिए।

सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ पहले ही मुकदमे की बात हो रही है। अब चीफ इलैक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी मुकदमा, याद रखिए, यह देश किसी दिन इस पार्लियामेंट के मेंबरों के खिलाफ खुली अदालत में मुकदमा चलाएगा। यह ठीक नहीं है। इसलिए जिन प्रश्नों पर आम सहमति हो सकती है, अभी समय है, आज का वोट तो हो जाएगा, मुझे पता लगा है कि आपने पूरा इंतजाम कर लिया है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आनेवाला कल फिर इस सवालों के साथ हमारे दरवाजे पर दस्तक देकर खड़ा रहेगा और आनेवाले सवालों का हम ठीक उत्तर दे सकें, इसलिए राजनीति को एक नया रूप, राजनीति की शैली को एक नई शैली देने की जरूरत है, और हम उसी को व्यक्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी आपका धन्यवाद। आपने अध्यक्षीय अभिभाषण के व्यवधान के संबंध में जो सुझाव दिए हैं, उन पर अमल बजावनी करने की कोशिश की जाएगी।

राष्ट्रीय संकट : केवल चर्चा ?

सभापति जी, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति का अभिभाषण चुनावों के तत्काल बाद होता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस अवसर की गरिमा को बनाए रखें। अनेक सदस्यों ने, अभी श्री सुनील दत्त जी बोल रहे थे, उससे पहले जसवंत सिंह जी ने इस बात का उल्लेख किया था कि उस दिन केंद्रीय कक्ष में जो सदस्य राष्ट्रपति को सुनने के लिए एकत्र हुए थे, वे उनका अभिभाषण सुनने से वंचित रहे। इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

ऐसे अवसर पर रिहर्सल किए जाते हैं, प्रबंध कई बार देखे जाते हैं। हम ऐसे अवसर पर भाग लेने के लिए विदेशी मेहमानों को बुलाते हैं। ऐसे समय लाउडस्पीकर ठीक काम न करें तो ऐसा लगता है कि हम अपने दायित्व का भली-भांति निर्वाह नहीं कर रहे हैं।

उस दिन और एक घटना हुई। कुछ माननीय सदस्य, मैं नहीं जानता, वे किस दल से संबंधित थे या किस सदन के थे, शायद अपनी बात कहना चाहते थे और उस बात के बारे में वह बड़ी उग्रता से अनुभव करते थे, राष्ट्रपति जी को उनका भाषण रोककर अपना भाषण सुनाना चाहते थे। लेकिन इसके लिए तो वहां गुंजाइश नहीं रहती है। इस तरह के दृश्य न तो राष्ट्रपति के भाषण को हमें सुनने देते हैं, न जो सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी बात लोगों तक पहुंचती है। अच्छा तरीका तो यह है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के पहले अगर कुछ माननीय सदस्यों को कुछ कहना है और अगर किसी बात पर वह तीव्रता से अनुभव करते हैं तो राष्ट्रपति जी से मिल सकते हैं, भाषण के बाद उन्हें जाकर अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन यह बीच में टोका-टाकी, अगर हम इसे टाल सकें तो यह बहुत अच्छा होगा।

सभापति महोदय, मैं तो चाहता हूं यह बात प्रदेशों तक जाए। जब राज्यपाल संबोधित करते हैं तो राज्यपाल चुनी हुई सरकारों के लिखे हुए भाषण को पढ़ते हैं। वह संवैधानिक प्रमुख हैं। कभी-कभी तो भाषण पढ़ने के लिए किसी को राज्यपाल का पद खोना पड़ता है।···(व्यवधान) लेकिन उस भाषण में शोर-शराबा हो, हाथापाई हो, कभी-कभी तो राज्यपाल भी उस हाथापाई में फंस जाते हैं। यह तो भारतीय लोकतंत्र के गौरव को बढ़ानेवाली घटना नहीं है। इसके बारे में एक

※ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में १८ जुलाई, १९९१ को भाषण।

आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है और मैं समझता हूं कि इस लोकसभा के चुनाव के बाद अगर इस दिशा में हम कुछ ठोस कदम उठा सकें और यह कदम उठाने का उपयुक्त अवसर है, क्योंकि, अगर कांग्रेस पार्टी यहां सत्ता चला रही है तो अनेक प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है, और हम अगर यहां विपक्ष में बैठे हैं तो हम अनेक प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं। यह बात जनता दल पर भी, मार्क्सवादी दल पर भी लागू होती है। अगर हम सब मिलकर कुछ नई परंपराएं डाल सकें तो लोकतंत्र सबल होगा और लोकतंत्र सफल होगा।

सभापति जी, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रीय संकट की चर्चा की गई है। संकट केवल आर्थिक नहीं है, संकट राजनैतिक भी है, सामाजिक भी है और सबसे बढ़कर देश इस समय एक गहरे राजनैतिक संकट का सामना कर रहा है।

मैं अपने भाषण में आर्थिक संकट की चर्चा ज्यादा करना चाहता हूं। सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं और चर्चा इस बात पर हो रही है कि वे कदम ठीक हैं या गलत हैं। जैसे रुपए का अवमूल्यन किया गया है, टुकड़ों में किया गया है। ऐसा लगता है जैसे दबे पांव कुछ किया जा रहा है। सोना बाहर भेजा गया है, वह भी किश्तों में भेजा गया है और उसके बारे में भी ऐसा लगता है जैसे देश का सोना स्मगल करके, सबकी नजर बचाकर, आंख चुराकर भेजा गया है। क्या इसकी आवश्यकता थी?

रुपए का अवमूल्यन क्यों?

मेरा निवेदन है कि रुपए का अवमूल्यन सही है या गलत है, इस सवाल पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। मगर बुनियादी सवाल यह है कि रुपए का अवमूल्यन करने की नौबत क्यों आई? देश ऐसे आर्थिक भंवर में क्यों फंस गया, कैसे फंस गया कि हमें रुपए का अवमूल्यन करना पड़ रहा है, सोना बेचना पड़ रहा है और विदेश से सहायता के लिए जी-तोड़ कोशिश करनी पड़ रही है?

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में इसका थोड़ा सा उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि—

"सरकार स्वीकार करती है कि देश अभूतपूर्व आर्थिक संकट में है। यह अपने साधनों से ज्यादा खर्च कर रहा है और कमजोर विकल्प अपना रहा है। परिस्थितियां हम पर हावी हैं।"

इसी अभिभाषण में आगे कहा गया है—

"देश को कठोर और असुखकर आर्थिक निर्णयों के लिए अपने-आप को तैयार करना चाहिए।"

हम जितना कमाते रहे हैं, उससे ज्यादा खर्च करते रहे हैं। यह कैसे हुआ है, इस परिस्थिति तक हम कैसे पहुंचे? क्या नीतियां गलत थीं या उन नीतियों का कार्यान्वयन ठीक नहीं हुआ है या अर्थ-व्यवस्था को हमने ऐसे व्यक्तियों के हवाले कर दिया, जिनके लिए राष्ट्र का हित सर्वोपरि नहीं था?

क्षमा कीजिए, मैं जानता हूं कि मैं कठोर बात कह रहा हूं। आखिर जो नीतियां बनाई गईं, वे देश को दिवालिएपन के दरवाजे पर खड़ा कर देंगी, क्या इसकी अनुभूति नहीं हो सकती थी? ठीक है, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में थोड़ा-बहुत पोपुलरिज्म चलता है—थोड़ा-बहुत, मगर थोड़ा, बहुत नहीं। अगर प्रेय के पीछे दौड़ें, और श्रेय को पूरी तरह से छोड़ दें और देश को इस स्थिति पर पहुंचाएं, तो सोचना चाहिए कि कहीं-न-कहीं गलती हुई है।

मैं जानता हूं कि यह दोषारोपण का समय नहीं है। प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं हैं, वे जब संकट की चर्चा करते हैं तो पुरानी दो सरकारों का उल्लेख तो करते हैं, मगर दो से पहले जो उनकी अपनी सरकार थी, उसका उल्लेख नहीं करते हैं। उसका उल्लेख भी होना चाहिए। आखिर जो पुरानी सरकारें थीं, श्री वी.पी. सिंह जी की सरकार तो थोड़े समय रही और चंद्रशेखर जी की सरकार तो कांग्रेस के समर्थन से आई थी और उसी के समर्थन पर टिकी थी, वह भी दोषी हैं। यह बात सही है कि चंद्रशेखर जी ने कुछ महत्वपूर्ण और साहसी कदम उठाए थे। अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जब चंद्रशेखर जी ने ऑफिसरों को बुलाया और कहा—क्या हो रहा है, देश में यह स्थिति कैसे पहुंच गई? तो ऑफिसरों ने कहा—साहब, यह तो पहुंच गई है, Now the situation can not be retrived.—अब स्थिति को सुधारा नहीं जा सकता? क्या अफसरों की इसमें भूमिका नहीं है? क्या नीति-निर्धारक दोषी नहीं थे? अंधाधुंध कर्ज लेना, अनाप-शनाप खर्च करना और फिर देश को आर्थिक संकट में फंसा देना, यह ऐसी स्थिति है जिस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए।

विदेशी ऋण

अब हम विदेशी ऋण के लिए आई.एम.एफ. से बात कर रहे हैं। किन शर्तों पर कर रहे हैं, कितना ऋण हम लेना चाहते हैं और अभी तक जो ऋण लिया है, उसकी शर्तें क्या हैं? उस दिन मेरे मित्र श्री इंद्रजीत गुप्त ने यह सवाल खड़ा किया था। मैंने प्रधानमंत्री जी के उत्तर को भी देखा है। वह शर्तें बताने को तैयार नहीं हैं। आई.एम.एफ. हमसे क्या चाहता है, हम उसकी बात कहां तक मानने को तैयार हैं?

अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि आज के वित्त मंत्री और आई.एम.एफ. के अधिकारियों के बीच, मैनेजिंग डॉयरेक्टर के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उसकी प्रतियां सभा-पटल पर रखी जानी चाहिए। इससे पहले जो सरकारें थीं, उनके वित्त मंत्री ने आई.एम.एफ. से जो व्यवस्था की थी, जो प्रबंध किया था, उनसे संबंधित पत्रों को भी सभा-पटल पर रखा जाना चाहिए।

हम देश से आशा करते हैं कि देश पेट पर पट्टी बांधे, देश त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहे, देश नए टैक्सों का बोझा उठाए। देश में अपार सहन-शक्ति है। किसी भी संकट के समय यह देश उस संकट का सामना करने के लिए आगे नहीं आएगा—ऐसा मैं नहीं मानता हूं। इस सरकार के कारण नहीं, इस सरकार के बावजूद आएगा, क्योंकि इस देश की जनता अपने देश को प्यार करती है और अपने स्वाभिमान की रक्षा करना जानती है।

लेकिन अगर हम देश का समर्थन चाहते हैं, इसमें अधिकांश गरीब लोग हैं, तो क्या उनको विश्वास में लेना जरूरी नहीं है? क्या इस सदन को विश्वास में लेना जरूरी नहीं है? इस तरह से सोना भेजने की क्या आवश्यकता है? आई.एम.एफ. क्या शर्तें लगा रहा है, इसको छिपाने की क्या जरूरत है? मगर आप पर्दा डाल रहे हैं। कोई बात तो है कि ऐसी पर्देदारी है! मगर हमसे क्या पर्देदारी?

अध्यक्ष महोदय, हमें कर्जा वापस करना है। मैं पूछता हूं दस साल में एक-एक साल के हिसाब से कितने कर्ज की राशि वापस करनी है? यह देश और सदन को बताया जाना चाहिए। हम अपनी जनता को नहीं बता रहे हैं, हम संसद को अंधेरे में रख रहे हैं। मगर आई.एम.एफ. में जो ३० देशों के प्रतिनिधि हैं, वे सारी स्थिति जानते हैं। वे देश भी सारी स्थिति जानते हैं। प्रश्न

यह है कि सरकार ने कितना कर्जा लिया है, कुल लोन कितना है, कमर्शियल लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ी? शॉर्ट-टर्म लोन क्यों लिया? किस स्तर पर लिया गया?

मेरी जानकारी है कि स्टेट बैंक ने भी लोन लिया। स्टेट बैंक तो विदेशी ऋण के मामले में तस्वीर में नहीं आता है। यह काम तो रिजर्व बैंक का है। फिर स्टेट बैंक को तस्वीर में क्यों लाया गया? प्राइवेट कंपनियों ने कितना लोन लिया, पब्लिक अंडरटेकिंग ने कितना लोन लिया और डिफेंस का लोन कितना है, इसकी तो चर्चा ही नहीं होती है। डिफेंस के मद में भी लोन लिया जाता है। कुल मिलाकर देनदारी कितनी है और किन शर्तों पर कर्जा लिया गया है, इसको बताना चाहिए। इस कर्ज को लौटाने के बारे में सरकार के दिमाग में कौन सा नक्शा है? मैं चाहूंगा कि सरकार इस बारे में सदन को विश्वास में ले।

अध्यक्ष महोदय, एक बात बड़ी विचित्र है। विदेशी कर्जा कैसे वापस होगा, हमारे नए वित्त मंत्री इस चिंता में सूख-सूखकर कांटा हो रहे हैं। वे पहले ही काया से कमजोर हैं और अब उन्हें रात-दिन चिंता खा रही है। मैं जानता हूं कि उनकी चमड़ी राजनीतिक नेता जैसी मोटी नहीं है, वे नए-नए फंसे हैं इस धंधे में। वे रात-भर जगते हों तो इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, वे सूख-सूखकर कांटा हो रहे हैं, मगर सारे देश में जो शेयर बाजार है, वह फल-फूल कर कुप्पा हो रहा है। शेयरों के दाम किस तरह से बढ़े, कितने बढ़े, इसका मतलब है कि देश में धन है। वह वैध रूप से कमाया हुआ धन है। एक ओर कंपनियों के शेयरों की कीमतें बढ़ रही हैं और दूसरी ओर देश में आर्थिक संकट है! मुझे ऐसा लगता है कि जो अर्थ-व्यवस्था को उदार करने की बातें हुई हैं, उससे यह पूंजी बाहर आ रही है, वह मैदान में आने के लिए बेचैन है। शायद वह प्रोत्साहन की तलाश में थी, लेकिन अर्थ-व्यवस्था में अंतर्विरोध है। इसको वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री स्पष्ट करें, यह मैं चाहता हूं।

देश छोड़ा, कुबेर हुए

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, देश में पूंजी है, प्रतिभा है, परिश्रम है। मगर देश का शासन जिस तरह से चला है, शायद उसमें कोई कमी रह गई है, उसमें कोई दोष है। विदेशों में जो भारतीय जाते हैं, वे स्वयं को समृद्ध करते हैं और जिन देशों में बसे हुए हैं, उनकी समृद्धि में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अमरीका में भारतीय गए थे, किसान के नाते, प्रोफेशनल के नाते और छोटे व्यापारी के नाते। वे ५० बिलियन अमेरिकन डॉलर कमाने की स्थिति में आ गए हैं, कमा चुके हैं। ब्रिटेन में जो भारतीय हैं उनको देखकर वहां के लोगों में ईर्ष्या हो रही है। भारतीय जहां जाता है, वहां लक्ष्मी की साधना में लग जाता है और लक्ष्मी की साधना बड़ी सफलता के साथ करता है। मगर इस देश में आते ही ऐसा लगता है कि इस देश में रहनेवालों की प्रतिभा कुंठित हो जाती है।

हम घाटे की अर्थ-व्यवस्था को लेकर जूझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर नीतियां बदली जाएं, एक नया अध्याय आरंभ किया जाए—और इस नए अध्याय को आरंभ करने के लिए जरूरी है कि नेता निष्कलंक होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। सरकारी अफसर एकाउंटेबल होना चाहिए। उद्योगपतियों से कह देना चाहिए कि उचित मुनाफा ठीक है, मगर अंधाधुंध मुनाफा कमाने की छूट नहीं होगी—तो देश की स्थिति बदल सकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से नहीं हूं, किसी और को भी वह रवैया नहीं अपनाना

चाहिए कि आई.एम.एफ. का नाम आते ही बचाओ-बचाओ की मुद्रा में आ जाएं, हमें बचाओ, आई.एम.एफ. आ रहा है। आई.एम.एफ. कोई हौवा नहीं है। भारत एक प्राचीन और विशाल देश है। कोई भारत को खरीद ले, यह संभव नहीं है। मैंने कहा था—जब चंद्रशेखर जी हमारे प्रधानमंत्री थे—कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई खरीद नहीं सकता, और मैं आज के प्रधानमंत्री के लिए भी वही बात कहने को तैयार हूं। इस देश का प्रधानमंत्री, चुना हुआ प्रतिनिधि, भले ही सत्ता-पक्ष संख्या में थोड़ा कम-ज्यादा हो, इसका अधिक महत्व नहीं है, मगर वह भारत का प्रधानमंत्री है, कोई उसे खरीद नहीं सकता। हां, वह खुद बिक जाए तो बात अलग है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता, मगर आई.एम.एफ. हमें खरीद ले, यह नहीं हो सकता। आई.एम.एफ. इतने बड़े देश को हजम नहीं कर सकता, इतने बड़े देश को कोई नहीं निगल सकता।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : लेकिन यह जापान में हुआ है।

श्री वाजपेयी : अगर शर्तें लगाई जा रही हैं तो हमें अधिकार है कि हम उन शर्तों के गुण-दोष के बारे में विवेचन करें। मगर हम आई.एम.एफ. का नाम आते ही भेड़िया आया, भेड़िया आया कहने लगें, यह ठीक नहीं है। यह समझना गलत है, अध्यक्ष महोदय, कि दुनिया के धन-कुबेर भारत में पूंजी लगाने के लिए अपनी लार टपका रहे हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। उनके लिए और भी अच्छे चरागाह, हरे चरागाह हैं। हिंदुस्तान के तो हवाई अड्डे पर आते ही होश उड़ जाते हैं लोगों के। आखिर सोवियत रूस का बाजार है, कम्युनिस्ट चीन में परिवर्तन आया है, पूर्वी यूरोप के देश हैं, जिन्हें पूंजी की जरूरत है, जो आकर्षक शर्तें पेश कर रहे हैं। यह ठीक है कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी का पुराना अनुभव है, हम दूध के जले हैं, हम ईस्ट इंडिया कंपनी के छले हैं, लेकिन देश अगर आत्मविश्वास से काम नहीं लेगा तो इस संकट में से हमारे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा।

विदेशी मुद्रा-संकट के तीन पहलू

अध्यक्ष महोदय, यह जो विदेशी मुद्रा का संकट है, इसके तीन पहलू हैं। चोरी-छिपे सोना लाना, बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी। हमारे वित्त राज्यमंत्री ने १२ जुलाई, १९९१ को पार्लियामेंट को बताया था कि जनवरी और जून के बीच २९२६ किलोग्राम, लगभग ३ टन सोना कस्टम द्वारा पकड़ा गया, जिसका दाम १०२ करोड़ रुपया है। सभी इस बात को जानते हैं कि जितना सोना स्मगल होकर देश में आता है, उसका दो-ढाई प्रतिशत सोना ही पकड़ा जाता है, बाकी का निकल जाता है। यदि हम अनुमान लगाएं कि कितना विदेशी सोना देश में चोरी-छिपे लाया जा रहा है तो हमारा अनुमान है कि साल-भर में २०० टन सोना देश में चोरी-छिपे लाया जा रहा है। पिछले दस सालों में १९८१-८२ से १९९०-९१ की कालावधि में सोने का भाव ३६ करोड़ रुपए प्रति टन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि दस वर्षों में हमने ७२०० करोड़ रुपए का सोना अपने देश में चोरी-छिपे आने दिया। इसको अगर अमेरिकन डॉलर में देखें तो ३६ बिलियन होता है।

अब यह जो विदेशी मुद्रा-संकट है, इसका एक और पहलू है, और वह है ओवर इन्वाइसिंग और अंडर इन्वाइसिंग। सरकार अनेक आर्थिक सुधारों के प्रस्ताव लेकर आई है, मगर इस संबंध में अभी तक कोई ठोस बात सरकार ने नहीं कही है।

तात्कालिक संकट को टालने के लिए हमने विदेश से कर्ज ले लिया, ठीक है, ले लिया। आगे क्या होगा? इस बात की क्या गारंटी है कि देश फिर से उसी ढर्रे पर नहीं चला जाएगा, जिस

ढर्रे पर चलकर हम यहां पहुंच गए हैं? विनाश के कगार पर पहुंच गए हैं। सोने की तस्करी रोकनी चाहिए। मैं इसके लिए ठोस उपाय भी दूंगा कि किस तरह से रोक सकते हैं। इसके अलावा और भी उपाय आने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हम विदेशों से प्लांट लाते हैं, औद्योगीकरण के लिए इक्विपमेंट्स लाते हैं, स्पेयर्स लाते हैं, रॉ-मैटीरियल लाते हैं, हम इनका इम्पोर्ट करते हैं। १९८१-८२ और १९९०-९१ के बीच में हमने २ लाख, २९ हजार, ६४० करोड़ की कीमत के प्लांट, इक्विपमेंट्स और कच्चा माल तथा अन्य सामान आयात किया। आमतौर पर यह समझा जाता है कि इंपोर्टर्स लगभग १० परसेंट का ओवर-इन्वाइसिंग करते हैं। हथियार की खरीद में जो कमीशन लिया जाता है, वह भी इस ओवर इन्वाइसिंग का हिस्सा है। अगर १० परसेंट का हिसाब लगाया जाए, और मैंने तमाम उद्योगपतियों से बात की है, १० परसेंट कोई ऊंचे ढंग का आकलन नहीं है। १० परसेंट के हिसाब से अगर ओवर इन्वाइसिंग हो रही है तो पिछले १० साल में हमने २२ हजार, ९६४ करोड़ रुपया विदेशों में छोड़ दिया है। अगर अमेरिकन डॉलर में इसका हिसाब लगाएं तो फिर ११.४ बिलियन होता है।

तीसरा तरीका है अंडर-इन्वाइसिंग का। हम यहां से माल भेजते हैं। १९८१-८२ और १९९०-९१ के बीच हमारा एक्सपोर्ट १ लाख, ५७ हजार, ६५५ करोड़ का हुआ। आमतौर पर यह माना जाता है कि एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट का औसतन १० परसेंट बाहर जमा करता है। किंतु एक्सपोर्ट के मामले में कुछ कैन्नालाइज्ड एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ एक्सपोर्ट ईमानदारी के भी होते हैं। हम अगर ५ परसेंट अंडर-इन्वाइसिंग रख लें तो ५ परसेंट के हिसाब से अंडर-इन्वाइसिंग से होनेवाला घाटा ७८८३ करोड़ रुपए होता है। यदि यू.एस. डॉलर में देखें तो ३.९ बिलियन है। अगर इन सबको जोड़ लें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस बीच हमने १ लाख, २ हजार, ८४७ करोड़ इस विकृत पद्धति के द्वारा खोया है। मैं मानता हूं कि इसमें रि-साइकिलिंग ऑफ मनी होता है। इसलिए मान लीजिए २५ परसेंट अगर मार्जिन निकाल लें तब भी जो पूंजी बाहर गई, वह यू.एस. डॉलर में ३९ बिलियन आंकी जा सकती है। १९८१ से पहले का, ७० का दशक, ६० का, ५० से ७० का दशक जोड़ लें तो यह रकम ५६ बिलियन डालर होती है। इसे रोका जाना चाहिए। अगर यह रोका नहीं गया और हमने कर्जा लेकर आज काम चला लिया तो हमें तात्कालिक राहत मिल सकती है, लेकिन हम इस संकट में फिर से फंस जाएंगे।

विकराल है काले धन की रफ्तार

अभी तो चुनाव नहीं हैं। चुनाव लड़ने के लिए देश में काला धन काफी है। ९० हजार करोड़ का काला धन प्रति वर्ष पैदा होता है। उस दिन प्रश्नोत्तर काल में यह सवाल हुआ था कि काले धन के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। काला धन किस तरह से समाप्त हो, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में उल्लेख किया है। लेकिन उसकी जेनेरेशन रोकनी चाहिए। जो काला धन है, वह वैध सर्कुलेशन में किस तरह से आए, उसका किस तरह से उपयोग हो, कई योजनाओं के सुझाव दिए जा रहे हैं, मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं इस समय काले धन की बात नहीं कर रहा हूं।

हमें सोचना होगा कि सोने का स्मगलिंग किस तरह से रोकना है, अंडर-इन्वाइसिंग और ओवर-इन्वाइसिंग किस तरह से बंद करना है।

सोने के बांड के बारे में सुझाव दिया गया है। सरकार चाहे तो बांड जारी कर सकती है या अन्य उपाय अपना सकती है। देश में सोने की बड़ी मांग है, यद्यपि जगत-जननी सीता को सोने के मृग का मोह करने के लिए अपहरण का शिकार होना पड़ा था। अब तो सीता सदन में आ गई हैं, मगर रावण भी यहां मौजूद है। अब अपहरण का कोई खतरा नहीं है। सच्चाई यह है कि हमने, भारतीय जनता पार्टी ने, सीता और रावण दोनों को साथ ला दिया है। इसके कारण सामने बैठी वानर सेना में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए।

सोने का मोह बड़ा प्रबल है और घरेलू उपयोग के लिए थोड़ा सोना चाहिए। वे तस्करी से अपनी आवश्यकता पूरी न करें, इसके लिए कोई प्रबंध किया जाए। इसके लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। अगर आवश्यकता हो, वित्त मंत्री जी रुचि रखते हों तो और सुझाव हैं। अगर कोई बुनियादी परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं।

इन्वाइसिंग को रोकें

अंडर-इन्वाइसिंग और ओवर-इन्वाइसिंग को रोकने के लिए सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे इंपोर्ट ओवर-इन्वाइसिंग का प्रश्न है। उद्योग और वाणिज्य के प्रतिनिधियों को बुलाया जाए और हम जिन प्लांट्स, इक्विपमेंट, स्पेयर्स और रॉ-मैटीरियल का इंपोर्ट करते हैं, उसका अंतरराष्ट्रीय भाव क्या है, इसका पता लगाएं। विदेशों के चैंबरों से संपर्क करें, लगातार भाव की तालिका प्रकाशित करें, निगरानी रखी जाए कि किस कीमत पर प्लांट लाया जा रहा है और किस कीमत पर स्पेयर खरीदे जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस बुराई को काफी हद तक रोका जा सकता है। अभी तक इसका प्रयत्न नहीं हुआ है। अगर हम चाहें तो विदेशों के चैंबरों से सहयोग लें और जो अधिकृत विक्रेता हैं, उनसे संपर्क स्थापित करके प्रमाणपत्र भी ले सकते हैं।…(व्यवधान)

शायद वहां कोई सदस्य कह रहे हैं कि इससे गड़बड़ी बढ़ जाएगी। अगर व्यक्ति बेईमान है तो व्यवस्था लाख सुधारी जाए, कहीं न कहीं छेद रहेगा। मैं यह मानकर नहीं चलता हूं कि देश में लोग बेईमान हैं। इस देश के नागरिकों की ईमानदारी पर भरोसा होना चाहिए, हमें उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि उसे गलत कदम उठाने की जरूरत न पड़े।

एक्सपोर्ट अंडर-इन्वाइसिंग को रोकने का भी सुझाव है। कोई फॉरेन कंसलटेंसी नियुक्त की जा सकती है जो हमारे द्वारा मंगाए जा रहे माल की कीमत का बाजार-भाव पता लगाए। यह काम समय-समय पर होना चाहिए। जो एक्सपोर्टर्स हैं, उन्हें मजबूत करना चाहिए कि वे वास्तविक कीमतों पर निर्यात करें।

अन्य विकासशील देश भी इम्पोर्ट में ओवर-इन्वाइसिंग की और एक्सपोर्ट में अंडर-इन्वाइसिंग की समस्या से ग्रस्त हैं। हमारा पड़ोसी इंडोनेशिया है। उसने कस्टम का सारा काम एक स्विस कंपनी को दे दिया है। मैं उसकी वकालत नहीं कर रहा हूं। मगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। मैं तो यह चाहता हूं कि सरकार विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए, जिससे ५० बिलियन डॉलर बच सकता है।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बदली है। उसमें विकासशील देशों के लिए पश्चिम से सहायता प्राप्त करना और भी कठिन हो गया है। इस तथ्य को हमें समझना चाहिए। अभी बहुत दिन नहीं हुए, दिल्ली में दिसंबर ९० की बात है। जर्मनी के एक प्रोफेसर आए थे। प्रोफेसर हार्टमट एल्सेन हेंस

आए थे। उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण पर अभी मेरी नजर पड़ी। उन्होंने बड़ी ब्लंट बातें कही हैं। वे ब्लंट बातें हमारे लिए चुनौती भी हैं और चेतावनी भी। यह ठीक है कि उन्होंने सहायता प्राप्त करनेवाले देशों के बारे में कहा है। लेकिन जो भाषण में भाव है, उसको समझने की जरूरत है। मैं उसका हिस्सा उद्धृत कर रहा हूं : "लेकिन इस सहायता की विशिष्टता प्रतिबंध होंगे। यह अपेक्षाकृत कठिन शर्तों पर दी जाएगी, क्योंकि दक्षिण के पास अब उत्तर के एक शक्ति गुट से दूसरे शक्ति गुट के प्रति निष्ठा बदलने की धमकी का विकल्प नहीं है। यह तर्क कि यदि आप हमें हमारी शर्तों पर सहायता नहीं देते तो हम दूसरी जगह से उसे प्राप्त कर लेंगे, अब काम नहीं करेगा।"

अहितकर सहायता ठुकरा दें

यह विकासशील देशों के लिए प्रच्छन्न धमकी है। वे कहते हैं कि अब आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, झक मारकर हमारे पास ही आना पड़ेगा। हम झक मारने की स्थिति में न आएं। यह ठीक है कि हम एड नहीं ले रहे हैं, ट्रेड पर जोर दे रहे हैं। यह भी ठीक है, हमने कर्ज लिया है और कर्ज के लिए किस्तें दे रहे हैं। सोना दिया—जिस तरह से दिया, उस पर मतभेद हो सकते हैं—लेकिन अगर कर्ज किस्त देनी है तो हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर उस कर्ज की किस्त को दे, यह सारा देश चाहेगा और हम भी चाहेंगे। यह ठीक है कि देने के बाद हम पूछेंगे कि भगवन! यह हालत क्यों पैदा की? हम यह भी कहेंगे कि भविष्य में यह हालत नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह न समझें कि स्वावलंबन की बात करते हुए और व्यवहार में स्वावलंबन का परित्याग करके हम इस देश के भविष्य को बना सकते हैं। जो सहायता हमें मिले, वह अगर हमारे हितों के अनुकूल हो तो उसको हम लें, जो हितों के अनुकूल नहीं है तो उसको ठुकरा दें। उसके साथ देश में एक संकल्प पैदा करें।

अध्यक्ष महोदय, सरकार को विश्वास का मत मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जैसा आडवाणी जी ने अपने भाषण में कहा, यह दिहाड़ी पर काम कब तक चलेगा। रोज-रोज खोदोगे, रोज-रोज पानी पियोगे, रोज-रोज पकाओगे, रोज-रोज खाओगे। जरा भोजन का पक्का इंतजाम करो, क्योंकि देश मुसीबत में है। इस संकट को अगर एक बार आप बहुमत में होते, मैं प्रधानमंत्री जी से सहमत हूं, तो भी अकेले हल नहीं कर सकते थे। लेकिन देश जिन-जिन मुसीबतों में फंसा है, मैं सबकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा, मैं केवल आर्थिक संकट पर नजर डालना चाहता हूं। इतना जरूर कहूंगा कि देश युद्ध जैसी स्थिति में है। मैं युद्ध की स्थिति नहीं कह रहा, युद्ध-जैसी स्थिति है, जो युद्ध से भी ज्यादा भयानक है। युद्ध में दुश्मन साफ दिखाई देता है। यहां पर्दे के पीछे से वार कर रहा है, हमें उसने सस्ती लड़ाई में फंसा दिया है। हम आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं। राजनैतिक अस्थिरता है। इस समय देश में एक राष्ट्रीय संकल्प जागृत होना चाहिए। यह राष्ट्रीय संकल्प हम सब मिलकर जागृत कर सकते हैं, मगर प्रतिपक्ष को अंधेरे में रखकर नहीं। इसके लिए हमें विश्वास में लिया जाना जरूरी है, देश को विश्वास में लिया जाना जरूरी है। अगर यह सरकार इस तरह से चलती है तो इस संकट से हम उबरेंगे, इसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद।

पृथकतावादियों को केंद्र से अभय

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के लिए उन्हें धन्यवाद देने का जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके साथ अपने को संबद्ध नहीं कर सकूंगा। मैं राष्ट्रपति जी को अलग से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने, इंडियन पोस्टल विल के संबंध में, जो उनके हस्ताक्षर के लिए गया है, जो रवैया अपनाया है, हम उसकी सराहना करते हैं और हम आशा करते हैं कि सरकार राष्ट्रपति जी की आपत्तियों को ध्यान में रखकर उस विधेयक में उचित संशोधन करेगी। जब उस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही थी, सारा प्रतिपक्ष एक था, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुनी। संचार मंत्री अर्जुन सिंह ने तो उस विधेयक की चर्चा के दौरान मुंह खोलने की भी जरूरत नहीं समझी। सारा भार संतोष मोहन देव के ऊपर डालकर संतोष कर लिया।

प्रधानमंत्री बार-बार यह बात कहते हैं कि हम प्रतिपक्ष को साथ लेकर चलना चाहते हैं। क्या यह केवल उन्हीं मामलों में साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिनमें मुसीवत में फंस जाते हैं या और मामलों में भी उन्हें प्रतिपक्ष की सलाह और सहयोग की आवश्यकता है? पोस्टल बिल के सवाल पर सारे विरोधी दल एक राय के थे। हमने संशोधन प्रस्तुत किए, मगर उन्हें ठुकरा दिया गया। मैं मानता हूं कि राष्ट्रपति जी ने जो आपत्तियां की हैं उन्हें, इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो शीत-युद्ध चल रहा है, उसका एक मुद्दा नहीं बनाया जाएगा। पोस्टल बिल का गुण और दोष के आधार पर मूल्यांकन होना चाहिए। मैं राष्ट्रपति महोदय को उनके रवैए के लिए बधाई देना चाहता हूं।

जहां तक अभिभाषण का प्रश्न है, यह भाषण जरूरत से ज्यादा लंबा है, उबाऊ है, रसहीन है, गंधहीन है, प्रेरणाहीन है। मैं तुलना कर रहा था राष्ट्रपति के पुराने भाषण से, जो उन्होंने १७ जनवरी, १९८५ को दिया था। वह आम चुनाव के बाद का भाषण था, था तो वह भी राष्ट्रपति का अभिभाषण ही—लेकिन, भाषण छोटा था, प्राणवान था, आत्मविश्वास से परिपूर्ण था। वह आठ पेज का भाषण था। वर्तमान भाषण १९ पेज का है। जैसे-जैसे कारगुजारियां कम होती जा रही हैं,

** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राज्यसभा में २ मार्च, १९८७ को भाषण और वाद-विवाद।*

पन्ने बढ़े हैं, परिच्छेदों में वृद्धि होती जा रही है।

आप दोनों भाषणों को पढ़ें तो पता लग जाएगा कि देश की परिस्थिति में कितना भारी परिवर्तन हो गया है। आज मैं कांग्रेस के एक सदस्य का भाषण सुन रहा था। दो साल पहले प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली तो इस देश की जनता के मन में आशाओं के छोटे-छोटे दीपक जले थे। चुनाव का परिणाम कुछ भी रहा हो, हमें पराजय देखनी पड़ी, लेकिन भारत की जनता ने जिस संगठित शक्ति के साथ लोकतांत्रिक तरीके से चुनौती का उत्तर दिया, उसका सामना किया, उस पर हमने और सारी दुनिया ने बधाई दी। लेकिन आज सारी दुनिया पूछ रही है कि दो साल के भीतर क्या हो गया है? हम किधर जा रहे हैं? हर वर्ग में और हर क्षेत्र में असंतोष क्यों व्याप्त हो रहा है? क्या प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों ने कभी इस बात पर सोचा?

पंजाब में नरसंहार

पंजाब में कल १४ लोग मारे गए हैं। उनमें तीन आतंकवादी भी हैं। ग्यारह निर्दोष लोग मारे गए हैं। इन निर्दोष लोगों को मारने का सिलसिला कब तक चलेगा? सर्वदलीय अभियान की बात राष्ट्रपति ने पिछले साल भी अपने अभिभाषण में कही थी। मैं उद्धृत करना चाहता हूं : "यह जरूरी है कि सभी धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्री ताकतें हमारे संविधान में शामिल राष्ट्रीयता, धर्म-निरपेक्षता, लोकतंत्र और समाजवाद के उन मूल्यों पर जो भारत की एकता का आधार है, रक्षा के लिए मिलकर एक जन-अभियान चलाएं।"

पूरा साल बीत गया, वह जन-अभियान नहीं चला। जिस तरह की बैठक अभी चंडीगढ़ में आयोजित की गई है, क्या वह पहले नहीं की जा सकती थी? विरोधी दल कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर पंजाब के गांव-गांव में जाने के लिए तैयार थे। लेकिन कांग्रेस का दिमाग साफ नहीं था। पंजाब की कांग्रेस एक भाषा बोल रही थी। केंद्र में बैठा नेतृत्व दूसरी भाषा बोल रहा था।

मैं एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करना चाहता हूं। पंजाब की राजनैतिक परिस्थिति बिगड़नी शुरू हुई शिरोमणि गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव में श्री तोहड़ा की विजय के साथ। श्री तोहड़ा की विजय में केंद्र के कुछ नेताओं की क्या भूमिका थी? क्या आप सचमुच में बरनाला का समर्थन करना चाहते हैं? एक व्यक्ति तिहाड़ जेल में बंद था। वह चुनाव के एक दिन पहले छोड़ दिया गया। उसे पंजाब ले जाया गया वोट डालने के लिए। दूसरा मतदाता कनाडा से आया था···

श्री हरवेंद्र सिंह हंसपाल (पंजाब) : श्रीमान, मैं एक बात कहना चाहता हूं। उसको कोर्ट ने छोड़ा था।

श्री वाजपेयी : क्या सरकार ने उसे जमानत पर छोड़ने के लिए कहा था?

श्री हरवेंद्र सिंह हंसपाल : मुझे यही कहना है कि उसको कोर्ट ने छोड़ा।

श्री वाजपेयी : उपसभाध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति जो कनाडा में जाकर बस गया है, अभी तक प्रबंधक कमेटी का मेंबर बना हुआ है। वह वोट डालने के लिए दिल्ली आया। वह विदेशी हो गया है। उसे पंजाब जाने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति की आवश्यकता थी। वह अनुमति कैसे दी गई? तीसरा मेंबर बारामूला में फंसा हुआ था, बर्फ में धंसा हुआ था। उसके लिए निकलना मुश्किल हो रहा था। प्रधानमंत्री सचिवालय से टेलीफोन गया। उस व्यक्ति को बारामूला से तोहड़ा के पक्ष में वोट डालने के लिए लाया गया। तोहड़ा विजयी हो गए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। यह तरीका पंजाब की परिस्थिति के साथ निपटने का नहीं है।···(व्यवधान) मैं जो

कुछ कह रहा हूं, गंभीरता के साथ कह रहा हूं।

श्री हरवेंद्र सिंह हंसपाल : श्रीमान, जब सीक्रेट बैलट है तो सरकार के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाना गलत है। सरकार ने वोट डलवाए, इसके लिए इनके पास प्रूफ क्या है?

पंजाब को सत्तासीनों ने बिगाड़ा

श्री वाजपेयी : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं उस चुनाव में केंद्रीय सरकार के कुछ नेताओं की भूमिका की जांच की मांग कर रहा हूं। अगर मैं गलत साबित हूंगा तो मुझे खुशी होगी। लेकिन पंजाब में आप राजनीति मत करिए। एक बार राजनीति ने पंजाब को बिगाड़ा है। माफ कीजिए, धर्म ने पंजाब को इतना नहीं बिगाड़ा है, जितना सत्ता के प्यासे राजनीतिज्ञों ने बिगाड़ा। सी.जी.पी. सी. के चुनाव के बाद गुरुद्वारों पर कब्जा कर लिया गया। मैं अपनी बात कर रहा हूं तो भी आपकी बात कर रहा हूं। हम सब गुनहगार हैं, दोषारोपण का समय नहीं है। हर एक जरा अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखे। आज बरनाला की तारीफ की जा रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम लेकर उसकी कभी तारीफ नहीं की जाती। यह एक असाधारण स्थिति है। बरनाला का असली इम्तिहान होना अभी बाकी है। उन्होंने थोड़ी सी दृढ़ता दिखाई, हम भी उसके प्रशंसक हैं। हंसपाल जी बैठे हुए हैं। बरनाला जनता के समर्थन पर चुने गए हैं और हमने भी उनका साथ दिया है, मगर बरनाला सरकार अपने-आपको पंथक सरकार कहती है। वे पंथक कमेटी से लड़ाई करना चाहते हैं और उसका ही रूप धारण किए हुए हैं। उनकी नीतियों और व्यवहार में भेदभाव है। इस सारे भेदभाव को बनाए रखते हुए सारे पंजाब की जनता को आतंकवाद से लड़ने के लिए कैसे संगठित किया जाएगा, इस पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। हमने मांग की थी और सचमुच मांग की थी और केंद्रीय सरकार ने इस सदन में प्रस्ताव पास कर दिया, लेकिन यह प्रस्ताव अलमारी में पड़ा हुआ है, उस पर अमल नहीं हुआ। केवल भारतीय जनता पार्टी, फौज की मदद ली जाए, इसकी मांग नहीं कर रही है, हम चाहते हैं कि पंजाब पुलिस, पैरा मिलिटरी फोर्स आतंकवाद को दबा सकें और निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं को रोक सकें, अगर ऐसा होता है तो हमें खुशी होगी। लेकिन अगर इसके लिए सीमावर्ती जिलों में सेना की आवश्यकता पड़े तो सेना को बुलाने में संकोच क्यों होना चाहिए? मेरे पास कम्युनिस्ट नेता सत्यपाल डांग का लेख है। मेरे पास समय नहीं है कि उसको पूरा उद्धृत करूं, लेकिन उसका कुछ अंश यहां पर पढ़ना चाहता हूं :

"फिर भी यह सब, जब बेहद जरूरी हो, नागरिक अधिकारियों द्वारा सेना के इस्तेमाल को वर्जित नहीं करता और वह भी वहीं तक, जहां तक उसका उपयोग बेहद अनिवार्य हो—फ्लैग मार्च, गश्त या किसी अन्य कार्यवाही तक हो सकता है।"

श्री डांग ने आगे यह भी कहा है कि ब्लू स्टार के समय सेना को पंजाब में बुलाया गया और उस पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये सारे आरोप सही नहीं हैं। उनका कहना है कि सेना ने जो काम किया, उसका भी सही मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

मैं पूंछना चाहता हूं कि पंजाब में आतंकवाद का उन्मूलन करने के लिए जन-अभियान के अलावा सरकार के पास कौन सा और ठोस क़दम है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वे संविधान में संशोधन करेंगे। उन्होंने पहले भी संविधान में संशोधन करने के बाद—उस पर अमल नहीं किया

और अब क्या फिर संविधान में संशोधन होगा? सर्वप्रथम सरकार को पंजाब के निर्दोष लोगों की हत्या रोकनी चाहिए अन्यथा जन-अभियान को जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिलेगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हुक्मनामे जारी किए जा रहे हैं, उन पर आपत्ति होनी स्वाभाविक है। हम धर्म-स्थानों से राजनीति का नियंत्रण नहीं होने दे सकते। यहां मैं जब धर्म की बात कहता हूं तो मेरे मन में 'रिलीजन' है। धर्म का एक व्यापक अर्थ है। इस समय मैं इसकी व्याख्या नहीं करना चाहता। साठे साहब यहां विराजमान हैं। महाराष्ट्र के लोग शब्द की खाल खींचने में माहिर हैं। वे बाल की खाल निकालते हैं और खाल से बाल निकालते हैं। यह सब केवल पंजाब तक सीमित नहीं है। अभी मुस्लिम मशावरात का एक बयान मेरी नजरों के सामने आया है। नौ फरवरी को यह बयान नई दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। इसमें कहा गया है कि कुछ राज्यों में चुनाव होनेवाले हैं और इन राज्यों में मुसलमान इस तरह से काम करें, वोटिंग करें जिससे मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम डिगनिटी, मुस्लिम सिक्योरिटी, इनका विस्तार किया जाए।

"मशावरात के महासचिव अहमद अली कासिमी द्वारा जारी वक्तव्य कहता है कि तीन राज्यों, जहां चुनाव हो रहे हैं, जम्मू एवं काश्मीर, प. बंगाल और केरल में मुसलमान जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं। जम्मू एवं काश्मीर में वे ६४ प्रतिशत हैं, २२ व २१ प्रतिशत क्रमशः प. बंगाल और केरल में हैं। मशावरात ने सभी मुसलमानों का आह्वान किया है कि वे उम्मीदवारों को उनकी नीतियों और··को ध्यान में रखकर वोट दें।"

पालिसीज में उन्होंने कोई आर्थिक विषयों की बात नहीं की है। आखिरी पैरा मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"मशावरात मुस्लिम समुदाय से अपील करता है कि वे अपने निर्वाचन-क्षेत्र में सावधानीपूर्वक एक उम्मीदवार को चुनें और उसके लिए एक होकर मजबूती से वोट दें, ताकि उनकी पसंद का उम्मीदवार न सिर्फ विजयी हो, यह भी पता चले कि सिर्फ मुसलमानों के समर्थन से निर्वाचित हुआ है।"

मुशावरात में कौन-कौन हैं?

इस मुशावरात में कौन सी संस्थाएं शामिल हैं? किन तथाकथित सेक्युलर दलों के कौन नेता शामिल हैं? बोहरों के एक नेता हैं, बहुत आदरणीय नेता हैं, मैं उनकी शान के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मगर बोहरा समाज में जो प्रगति और कट्टरपन है, इसमें एक संघर्ष चल रहा है और स्थिति यहां तक बिगड़ जाती है कि अगर उनके गुरु की बात कोई न माने, सय्यदाना साहब की बात कोई न माने तो उसे कब्रिस्तान में दफ्न होने का अधिकार भी नहीं मिलता। एक मौका आ गया है, हिम्मत के साथ फैसला करिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक उल्लेख आया है। मैं नहीं जानता, क्यों किया गया है। मगर सचमुच उल्लेख किया गया है। गांधी जी की हत्या के बाद जो परिस्थिति पैदा हुई थी उसकी तरफ इशारा है, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा गया है। अप्रैल १९४८ में हमारी संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें सरकार से कहा गया था कि वह भारत के राजनीतिक जीवन में फिरकापरस्ती को खत्म करने के लिए कदम उठाए। इससे सिर्फ दो महीने पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उस समय हमारे संविधान-निर्माताओं के दिमाग में दर्दनाक हत्याओं की याद अभी ताजा थी।

संविधान सभा के प्रस्ताव का उल्लेख कर दिया। बात अधर में छोड़ दी। क्या ऐसे राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, जिनके द्वार हर भारतीय के लिए खुले नहीं होंगे? यह काम तो चुनाव कमीशन कर सकता है। जो एक संप्रदाय तक सीमित हो वह धर्म का काम करे, सांस्कृतिक काम करे, लेकिन जिन्होंने केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है, मरी हुई मुस्लिम लीग को जिंदा कर दिया है, जो हैदराबाद में लोकसभा की सीट जीतने के लिए मजलिसे-इतिहादुल मुसलमीन का समर्थन ले रहे हैं, उसके व्यक्ति को हैदराबाद का मेयर बना रहे हैं, वे जब सांप्रदायिकता से लड़ने की बात करते हैं तो खोखलापन नजर आता है। कथनी और करनी में कोई तो समानता होनी चाहिए। एक तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर आप दूसरे तरह की सांप्रदायिकता से नहीं लड़ सकते।

इस समय हिंदी समाज में जो प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं वे मेरे मन में चिंता जगा रही हैं। हिंदुओं ने अगर अपनी उदारता छोड़ दी, हिंदू अगर संकीर्ण हो गया, संकुचित हो गया, तो इस देश का भविष्य अंधकार में मिल जाएगा। मगर हिंदू के मन में आज एक प्रतिक्रिया पैदा हो रही है, क्योंकि राजनीतिक दलों को वोटों की चिंता है। पंजाब का मामला भी वोटों ने बिगाड़ा।

सुभाष घीसिंग को प्रश्रय किसने दिया?

पंजाब में सांप्रदायिकता को कुछ सीमा तक दोष दे सकते हैं, लेकिन गोरखालैंड में क्या हो रहा है। श्री सुभाष घीसिंग तो हिंदू हैं, वहां हिंदू, सिख, मुसलमान का सवाल नहीं है। केंद्र सरकार ने परिस्थिति को इस तरह से मिसहैंडल किया है कि श्री सुभाष घीसिंग बिना बनाए हुए, सब गोरखाओं के, नेपालियों के नेता बन गए हैं। उन्हें एकमात्र प्रवक्ता बना दिया गया है। मैं अभी सिलीगुड़ी गया था। वहां आल्टरनेट डेज पर बंद हो रहा है, मजदूर भूखों मर रहे हैं, कार्य-व्यवहार अस्त-व्यस्त है। थाने पर हमला हुआ, सिपाही मार दिए गए। घीसिंग को दिल्ली बुलाया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। किस बात पर बातचीत की गई थी? क्या बातचीत के पहले यह शर्त नहीं लगाई जा सकती थी कि वह हिंसा का परित्याग करें? क्या पश्चिम बंगाल की मार्क्सिस्ट सरकार के लिए सरदर्द पैदा करना, इतना ही काफी है? यह तरीका नहीं है देश की एकता और अखंडता को बचाने का।

एक बार इस तरीके के कारण देश गहरी मुसीबत में फंसा था। हम समझते थे कि नए प्रधानमंत्री आए हैं, नए रास्ते पर चलेंगे—श्री फिरोज गांधी के रास्ते पर चलेंगे। थोड़ा चले भी। प्रधानमंत्री की स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं ठीक होती हैं। आज सवेरे ही मुझे उनसे मिलने का मौका मिला था। एक विषय पर मैंने चर्चा की, मैंने देखा कि उनका जो स्पांटेनियस रीएक्शन था, वह ठीक था। मैं नहीं जानता कि उस मामले में क्या होगा। उसका मैं उल्लेख यहां नहीं कर रहा हूं। कौन उन्हें सलाह देता है। किस तरह से वह काम करने लगे हैं? एक-एक करके अपने वायदे भूलते जा रहे हैं।

राष्ट्रपति के पुराने भाषण मे जो १७ मार्च, १९८५ का भाषण है, राष्ट्रपति जी ने घोषणा की थी—

"सरकार स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के लिए प्रतिबद्ध है। वह चुनाव-सुधारों पर राजनीतिक दलों से विस्तार से विचार-विमर्श करने की इच्छुक है और उनके सहयोग का स्वागत करेगी।"

दो साल बीत गये, कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। इलेक्शन ने विरोधी दलों को और सत्तारूढ़

दल को, किसी बैठक के लिए नहीं बुलाया है। क्या वर्तमान चुनाव प्रणाली में सत्तारूढ़ दल का निहित स्वार्थ है? धन-शक्ति बढ़ रही है, गुंडा-शक्ति बढ़ रही है।

अभी हरियाणा में एक उप-चुनाव हुआ था। मुख्यमंत्री जहां से लड़ रहे हैं, वहां का तो उप-चुनाव हो गया, बाकी की सीटें खाली पड़ी हैं। सब सीटों पर उप चुनाव क्यों नहीं करवाये गये? मुख्यमंत्री का कोई विरोध नहीं था, विरोधी दल चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। ९२ प्रतिशत से ज्यादा पोलिंग हुआ है, वोट गिरे हैं। किसने वोट डाले हैं ९२ प्रतिशत, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं यह मामला उठाऊंगा, तो कई मेंबर खड़े हो जायेंगे और कहेंगे कि आप इलेक्शन पेटीशन दाखिल करिए।

उपसभाध्यक्ष जी, यह मामूली बात नहीं है, इसके लिए थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। अब क्लीन पॉलिटिक्स की बात नहीं हो रही है। वही पुराना ढर्रा फिर से आ रहा है।

आरक्षण का मामला अधर में कब तक रहेगा?

७ मार्च, १९८५ को प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में भाषण दिया था कि रिजर्वेशन का सवाल बहुत उलझा सवाल है, नाजुक सवाल है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह सवाल 'हाथ से निकला जा रहा है।' नौकरियों में और शिक्षा-संस्थाओं में रिजर्वेशन के मामले में प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव के बाद मैं इस पर विरोधी दलों की सलाह लूंगा और एक कानसेंसस निकालूंगा। आपको याद है कि मध्य प्रदेश में और गुजरात में अचानक रिजर्वेशन का प्रतिशत बढ़ा दिया गया था। दंगे हुए। गुजरात में उन दंगों को सत्ता-पक्ष ने सांप्रदायिक रूप दिया। सोलंकी को जाना पड़ा। दो साल बीत गये, रिजर्वेशन का वह सेंसटिव इशु अभी भी पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री को समय नहीं है या किसी ने उनको सलाह नहीं दी है कि इस विषय पर विरोधी दलों से मिलकर कोई कानसेंसस निकालिए, कोई आम राय निकालिए। अभी केरल में करुणाकरण की सरकार ने चुनाव के पहले १५ परसेंट निजर्वेशन का क्वांटम बढ़ा दिया, गरीबी के आधार पर। मुस्लिम लीग ने धमकी दी तो उसे वापस ले लिया। नायर सर्विस सोसायटी ने कहा कि अगर आप इसको वापस लेंगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कहने लगे कि अभी आ जाओ, चुनाव के बाद देखा जाएगा। क्या रिजर्वेशन भी वोट हथियाने का औजार है, या पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने का साधन है? क्या हर चीज को वोट से जोड़ा जाएगा? इसका नतीजा क्या होगा? और फिर हम एकता की बात करें, फिर हम अखंडता की दुहाई दें। एकता और अखंडता को बचाने का यह तरीका नहीं है।

उपसभाध्यक्ष जी, चीन के बारे में मुझे चिंता है। पाकिस्तान के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। मैं समझता हूं कि अभी पिछले कुछ दिनों में जो तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, उस स्थिति को टाला जा सकता था। मैं इन दिनों अहमदाबाद में था। पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि क्या भारत और पाकिस्तान में लड़ाई होगी? मैंने कहा कि दोनों देशों के नेता बुद्धिमान हैं, वे लड़ने की गलती नहीं करेंगे। लेकिन बाद में लगा कि शायद मेरा मूल्यांकन सही नहीं है। लड़ाई होते-होते टल गई। प्रधानमंत्री को जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री जुनेजो बंगलौर में मिले थे तो क्या उस समय सारी स्थिति को साफ नहीं किया जा सकता था? हम राजस्थान में एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसके बारे में पाकिस्तान को पता था। दोनों देशों में यह प्रबंध भी है कि हम एक-दूसरे को जानकारी दें। फिर गलतफहमी कहां पैदा हो गई? क्या दिल्ली से संपर्क करने से गलतफहमी दूर नहीं हो सकती थी? श्री जुनेजो के बंगलौर आने से पहले हमारे सचिव

पाकिस्तान की यात्रा कर चुके थे, यह मामला दोनों देशों के बीच में उठाया जा सकता था।

पंजाब में अब कौन सक्रिय है?

मैं कई दिनों से महसूस कर रहा हूं कि पाकिस्तान पर यह आरोप नहीं लगाया जा रहा कि वह पंजाब के आतंकवादियों को शरण दे रहा है या हथियार दे रहा है। क्या यह मामला बातचीत से हल हो गया है? हो गया है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। लेकिन फिर भी चलते-चलते राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक वाक्य कह दिया गया है पंजाब के संबंध में, जो इस प्रकार है : "ये अराष्ट्रवादी तत्व विदेशी सूत्रों के इशारे व नियंत्रण में काम कर रहे हैं।" ये विदेशी सूत्र कौन हैं? इनके नाम लीजिए, इनका थोड़ा परिचय दीजिए। अगर पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से अब हमारे संबंध सुधरे हैं, इस सवाल पर खुली चर्चा हो रही है, तो कौन हैं? अमरीका है? अगर अमरीका है तो क्या वरीयता के आधार पर यह मामला अमरीका से उठाया गया? कनाडा के विदेश मंत्री हमारे देश में थे, उनके साथ इस सवाल पर क्या संतोषजनक वार्ता नहीं हुई है? कब तक हम दूसरों पर दोषारोपण करते रहेंगे। अगर घर की स्थिति बिगड़ेगी तो पड़ोसी जरूर उसका लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम घर की स्थिति को बिगड़ने क्यों देते हैं? क्या घर की स्थिति को ठीक रखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सीमा पर पिछला तनाव हुआ और तनाव में गोली तो कोई नहीं चली, मगर रक्षा मंत्री शहीद हो गए। रक्षा मंत्री जी का कद छोटा कर दिया गया है। मेरा मतलब अरुण सिंह जी से है।

जब तनाव था तब रक्षा मंत्री नहीं बदले गए। जब सिचुएशन डिफ्यूज हो गई तो श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को रक्षा मंत्रालय सौंप दिया गया। यह कैसी स्थिति है कि जब तनाव होता है तो हमारे प्रधानमंत्री दूसरा रक्षा मंत्री ढूंढ़ते हैं। शांति के काल में तो रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास रहना चाहिए।

श्री एन.के.पी. साल्वे (महाराष्ट्र) : तफसील तो बताइए कि यहां जिस वक्त तनाव चरम सीमा पर पहुंचा था, तो उस वक्त कौन रक्षा मंत्री थे और जब तनाव कम हुआ, तो कौन रक्षा मंत्री थे?

श्री वाजपेयी : आप यह देखेंगे कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को रक्षा मंत्री बनाने की घोषणा उस समय की गई जब तनाव अपने उतार पर था। मैं एक सवाल और उठाना चाहता हूं। क्या शांतिकाल में प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री रहेंगे, अगर तनाव का काल आता है तो दूसरे को रक्षा मंत्री बनाएंगे? क्या इससे प्रधानमंत्री की छवि उजागर होती है?

श्री एन.के.पी. साल्वे : एक बात तो पक्की हो गई कि छोटा इनको नहीं किया है, जब तकलीफ में आए तब इनको लेकर आए।

श्री वाजपेयी : उपसभाध्यक्ष जी, बजट पेश होनेवाला था, बजट की तैयारी हो रही थी, अरुण सिंह जी अच्छा काम कर रहे थे, प्रधानमंत्री के पास रक्षा मंत्रालय था तो बदलने की जरूरत क्या थी। अब उन्होंने कहा कि डायर नैसैसिटी थी। आज वे सदन में नहीं हैं, मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं कि डायर नैसैसिटी क्या थी? क्या प्रधानमंत्री देश की रक्षा का भार नहीं संभाल सकते?

क्या बजट के सत्र के अवसर पर वित्त मंत्री बदलना जरूरी है? क्यों बदला गया, यह अभी रहस्य है, हम इस रहस्य की खोज में लगे हैं। जब हमारे हाथ में कुछ लग जाएगा तो हम सदन के सामने रखेंगे। मगर एक बात साफ है कि यह निर्णय जितना ऊपर से निर्दोष दिखाई देता है,

उतना है नहीं।

अब मैं चीन के बारे में एक बात कहकर खत्म कर दूंगा। दो साल पहले जब भाषण हुआ था हमारे राष्ट्रपति जी का, तो उन्होंने १७ जनवरी, १९८५ को कहा था :

"चीन से हमारे संबंधों में सुधार नजर आता है। हमें सीमा के सवाल का हल देखने के लिए अध्यवसाय करना होगा।"

अब दो साल में हालत बदल गई। इस बार राष्ट्रपति जी ने जो कुछ कहा है, उसको भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"मेरी सरकार चीन के साथ सीमा के सवाल को न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करती रहेगी। यह सवाल हमारे संबंधों के पूर्ण सामान्यीकरण के लिए निर्णायक बना हुआ है।"

अरुणाचल, तमिलनाडु का दुख

अगर दो साल पहले संबंध सुधर गए थे तो बिगड़ क्यों गए? सीमा पर तो बातचीत चल रही है, सात चक्र हो चुके हैं, १९७९ में चीन के साथ समझौता हुआ था कि जब तक सीमा का प्रश्न बातचीत से हल किया जाएगा तब तक सीमा पर यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, शांति बनाए रखी जाएगी। चीन ने उस समझौते को क्यों तोड़ा? अरुणाचल में चीन ने पहली बार कब प्रवेश किया? उसके बारे में तत्काल संसद को, देश को विश्वास में क्यों नहीं लिया गया? कुल मिलाकर चीन ने अरुणाचल में कितनी घुसपैठ की है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि चीन के रवैए में यह परिवर्तन क्यों हुआ? अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बदल रही है। उस परिस्थिति पर, बदली हुई परिस्थिति पर हमें नजर रखनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें, मगर भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान के मित्र हैं तो भारत भी मित्रविहीन नहीं है। भारत को आत्मविश्वास के साथ अपनी विदेश नीति का संचालन करना चाहिए।

मैं दो दिन मद्रास में था। तमिलनाडु के लोग दुखी हैं कि श्रीलंका की समस्या की ओर नई दिल्ली को जितना ध्यान देना चाहिए, नई दिल्ली ध्यान नहीं दे पा रही है। प्रधानमंत्री कहते हैं, कभी जयवर्द्धने ने हमको फाक्स कर लिया, हमको धोखा दे दिया, कभी जो मिलिटेंट्स हैं, वह हमारी बात नहीं सुनते। जाफना में लोग फंसे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, बीमारी में दवा नहीं है। वे हमारे रक्त का रक्त हैं, हमारे मांस का मांस हैं। हम श्रीलंका में सैनिक हस्तक्षेप करें, इसका सवाल पैदा नहीं होता, मगर कुछ मानवता के भी तकाजे हैं। क्या जाफना में फंसे हुए लोगों को हम किसी तरह से मदद नहीं कर सकते? केंद्र सरकार इस सवाल पर विचार करे, उसे पूरे प्रतिपक्ष का समर्थन मिलेगा। लेकिन श्रीलंका के बारे में कोई निश्चित नीति नहीं है। जरूरत से ज्यादा सलाहकार हैं, सलाहकार भी बदले जाते हैं। मद्रास में मुझसे जो मिलने आए थे, कहने लगे—हमारी समझ में नहीं आता, दिल्ली में जाकर किस से बात करें, क्योंकि पहले सलाहकार थे श्री जी. पार्थसारथी, आजकल वह नहीं हैं, पहले भंडारी जी थे, वह जा रहे थे कोलंबो, लेकिन रास्ते में मद्रास रोक लिया गया और बाद में वे कांग्रेस के दफ्तर में पाए गए। अब वह कांग्रेस पार्टी के सलाहकार हो गए हैं। कभी नटवर सिंह जी नक्शे में हैं, कभी चिदम्बरम् जी फैसले करते हैं।

नाजुक मामले हैं, प्रधानमंत्री को सही और तर्कसंगत सलाह की जरूरत है, वह सलाह नहीं

मिल रही है और इसलिए समस्याएं उलझती जा रही हैं। दो साल पहले जो तस्वीर थी, वह तस्वीर बदल गई है, यह तस्वीर दुख देनेवाली तस्वीर है। लेकिन यह आपकी करनी का परिणाम है। एक-एक करके लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन मत होने दीजिए।

आज एक प्रश्न पूछा गया सभापति जी, इलाहाबाद में कितनी जगह खाली हैं जजों की? जवाब है कि ११ जगह खाली हैं। कब से खाली हैं? १९८४ से। क्या जज बनाने लायक एडवोकेट नहीं हैं वहां? या वहां के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्री में एक राय नहीं हो रही है? लाखों मुकदमे पड़े हैं, किंतु जजों की नियुक्ति नहीं कर सकते। नियुक्ति में भी भेदभाव करेंगे? ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन का दुरुपयोग करेंगे? इलेक्शन कमीशन एक खिलौना बना दिया गया है। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए?

हरियाणा में चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? बंगाल की सरकार पहले चुनाव कराना चाहती थी, उनसे कहा गया कि हम इकट्ठा चुनाव कराएंगे, रुको। अब तीन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा में चुनाव नहीं होंगे। कमीशन कहता है हरियाणा में कानून व व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं नहीं समझता, मुख्यमंत्री बंसीलाल इस बात को मानेंगे। स्थिति सामान्य है। इलेक्टोरल रोल नहीं बने तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। मगर चुनाव नहीं रोका जाना चाहिए। पुराने इलेक्शन कमिश्नर को आपने गवर्नर बना दिया, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पुरस्कृत कर दिया। एक-एक करके लोकतांत्रिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके आप लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते।

अब समय आ गया है कि सत्तारूढ़ पक्ष पुनरावलोकन करे अपनी नीतियों का, आत्मालोचन करे अपने व्यवहार पर। विरोधी दलों को साथ लेने की बात किसी के गले के नीचे नहीं उतरेगी। चुनाव में भारी विजय के बाद आपने कहा था कि विरोधी दलों का सफाया कर दिया है। १०+२+३—हमने मान लिया। आपको ४०० से ज्यादा सीटें लोकसभा में मिल गईं। अब देश की समस्या को हल करके दिखाइए। मगर देश की समस्याएं एक पार्टी के भरोसे हल नहीं होंगी। एक व्यक्ति कितना भी लोकप्रिय हो जाए, उलझी हुई समस्याओं में से रास्ता नहीं निकाल सकता। इसके लिए पोलिटिकल कॉन्सेंसस चाहिए। श्री राजीव गांधी जब आए थे तो हमें इसकी आशा बंधी थी, लेकिन शायद उन्होंने सोचा कि इसमें पार्टी का हित-साधन नहीं होगा, पुरानी लकीर पर वापस चलो। इसके खतरनाक परिणाम होंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

प्रधानमंत्री धमका रही हैं!

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान ने राष्ट्रपति महोदय के ऊपर संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का दायित्व डाला है। राष्ट्रपति जी निष्ठापूर्वक दायित्व का पालन करते हैं। बजट अधिवेशन के प्रारंभ में वे कई घोड़ों की बग्घी पर आते हैं, उनके सिर पर एक चमकता हुआ छत्र होता है, चौबदार हाजिरी देते हैं, बिगुल बजते हैं और राष्ट्रपति महोदय लिखा-लिखाया भाषण पढ़कर अपने निवास-स्थान को लौट जाते हैं।

कुछ मित्रों ने इसे अनावश्यक कर्मकांड कहा है। मुझे तो यह सारा दृश्य प्रहसन-सा प्रतीत होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण ही नहीं, उस पर होनेवाली यह चर्चा, चर्चा करनेवाला यह सदन, यह संसद कुछ अर्थों में बेमानी, व्यर्थ, जनजीवन से कटा हुआ, वास्तविकता से दूर का दृश्य दिखाई देता है।

यह लोकसभा है किंतु यह लोकशक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यहां तक कि सही-सही रूप में उसे प्रतिबिंबित भी नहीं करती। यह सदन राजशक्ति का एक आकर्षक अलंकरण मात्र बनकर रह गया है। प्रतिपक्ष इतना दुर्बल है कि शोर मचाने-भर में समर्थ है। सत्ता-पक्ष इतना भारी-भरकम है कि अपने ही बोझ के नीचे दबा जा रहा है।

१९७१ में सत्ता-पक्ष को दो-तिहाई से अधिक बहुमत मिला। किंतु उस बहुमत से देश को क्या मिला? आम आदमी ने क्या पाया?

राजाओं के जेब खर्चे की समाप्ति और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को प्रगति की परम उपलब्धि मानकर चलनेवाला शासनारूढ़ दल तीन साल बाद ही बुंदेलखंड के चुनावों को जीतने के लिए पुराने राजाओं की तरफ चला गया। सुरक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम को मुरादाबाद में यह स्वीकार करना पड़ा कि बैंक राष्ट्रीयकरण विफल हो गया है, क्योंकि उससे जिनको लाभ मिलना चाहिए था, उनको लाभ नहीं मिला।

प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के चुनावों को विधानसभा के चुनावों से अलग करके चुनावों को

** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में २७ फरवरी, १९७४ को भाषण।*

न केवल अधिकाधिक खर्चीला बना दिया है, बल्कि सत्ता-पक्ष को चुनावों में ऐसा रवैया अपनाने के लिए विवश किया है जिसे न स्वस्थ कहा जा सकता है और न राष्ट्रीय एकता के लिए हितकर। उत्तर प्रदेश के चुनावों में प्रधानमंत्री जी द्वारा बार-बार यह कहना कि यदि लोगों ने सत्ता-पक्ष को वोट नहीं दिया तो उनके प्रदेश की प्रगति रुक जाएगी, राजनैतिक ब्लैकमेल के अलावा कुछ नहीं है।

२३ दिसंबर, १९७३ को धेनकनाल में भाषण करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा : लोगों ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो उन्हें केंद्रीय सहायता से वंचित होना पड़ेगा। इस आशय का एक तार श्री पटनायक ने चुनाव आयोग को भेजा है। बाद में वह पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है। प्रधानमंत्री जी की ओर से उसका कोई खंडन नहीं किया गया है। इस प्रकार की धमकियां चुनाव को न केवल मखौल बना देती हैं, केंद्र के विरुद्ध भी भावनाएं भड़काती हैं। इससे राष्ट्र की एकता पर कुठाराघात हो सकता है। हम सबल केंद्र चाहते हैं, लेकिन केंद्र की सबलता संविधान से आती है, किसी दल के सत्ता पर एकाधिकार से नहीं आती। यदि केंद्र का व्यवहार न्यायपूर्ण नहीं रहा, यदि दलगत आधार पर प्रदेशों के साथ भेदभाव या पक्षपात किया गया तो प्रदेशों में केंद्र विरोधी भावनाएं उभर सकती हैं और यह देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात होगी।

इस सरकार ने दिल्ली कारपोरेशन के हाथ से गंदी बस्तियों की सफाई का काम छीन लिया है। ऐसा क्यों किया गया है, मैं यह समझने में असमर्थ हूं। इससे पहले डी.टी.यू. कारपोरेशन से हटाकर एक स्वायत्त निगम को दे दी गई। यह सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि दिल्ली कारपोरेशन में जनसंघ का बहुमत है और सत्तारूढ़ दल उस बहुमत को सहन करने के लिए तैयार नहीं है।

चुनाव के समय योजनाओं की घोषणा क्यों?

चुनाव के पूर्व उत्तर प्रदेश में नई परियोजनाओं के शिलान्यासों की जो बाढ़ आई, उसने केंद्रीय सरकार के पक्षपाती स्वरूप को बेनकाब कर दिया है। ५५० करोड़ की योजनाएं—चुनाव के समय उन योजनाओं का शुभारंभ या उद्घाटन या शिलान्यास क्या मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं था? क्या यह सत्ता का दुरुपयोग नहीं है?

५५० करोड़ की योजनाएं चुनाव के अवसर पर प्रारंभ करनेवाला दल इस बात का सबूत देता है कि वह ४ साल १० महीने सोता रहा और चुनाव की पराजय सम्मुख देख अचानक सक्रिय बन गया।

२९ दिसंबर, १९७३ को सूपू, कनारा में भाषण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था :

"देश की अर्थव्यवस्था का बुरा समय समाप्त हो गया है, अगले माह से आगे सभी चीजें सुधरने लगेंगी। खाद्य पदार्थों की कमी अब एक भूतकाल की बात रह जाएगी।"

यह प्रधानमंत्री का २९ दिसंबर का भाषण है। उनके आर्थिक सलाहकार कौन हैं, यह मैं समझने में असमर्थ हूं। कौन उन्हें तथ्यों से अवगत कराता है, यह भी एक रहस्य का विषय है। स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ी है। संकट गंभीर रूप ले रहा है। अन्न का अभाव विस्फोटक स्थिति पैदा कर रहा है। फसल अच्छी हुई है किंतु गलत नीतियों ने कृत्रिम अभाव पैदा कर दिया है।

हमारी अर्थव्यवस्था त्रिदोषों से ग्रस्त है। ये त्रिदोष हैं—मुद्रा-स्फीति, काला धन और भ्रष्टाचार। रुपए के मूल्य में निरंतर गिरावट पैदा हो रही है। इससे एक भयावह परिस्थिति का निर्माण हो रहा

है। वित्तमंत्री ने २७ नवंबर, १९७३ के उत्तर में बताया है कि १९४७ के उपभोक्ता मूल्यों के सूचकांक को आधार मानकर लगाए गए हिसाब के अनुसार रुपए की क्रय शक्ति १९५० में ९९ पैसे, १९६० में ८० पैसे, १९७० में ४४ पैसे और १९७३ में ३६ पैसे रह गई है। अभी भी बाजार में रुपए के बदले १०० पैसे मिलते हैं। लेकिन सौ पैसे की कीमत ३६ पैसे है। हमारे विद्यार्थियों को अब नया गणित सीखना पड़ेगा कि एक रुपया बराबर सौ पैसे और सौ पैसे बराबर ३६ पैसे। यदि इस गति से रुपए की कीमत गिरती है और मुद्रा-स्फीति बढ़ती है तो आम आदमी का जीवन अधिक दुखी होने से नहीं बचाया जा सकता। अंधाधुंध नोटों की भरमार मुद्रा-स्फीति का मुख्य कारण है। १९६५-६६ में जनता के पास ४,५२९ करोड़ के नोट थे और १९७१ में वह १०,०६१ करोड़ के हो गए। इसकी तुलना में विकास की दर निरंतर गिरी है। १९६९-७० में विकास की दर ५.३ प्रतिशत थी, ७०-७१ में ४.२ प्रतिशत, ७१-७२ में १.७ प्रतिशत और ७२-७३ में ०.६ प्रतिशत विकास की दर है।

काला धन हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। काले धन की एक समानांतर अर्थ व्यवस्था देश में चल रही है। जो चुनाव देश में लड़े जाते हैं वे काले धन से लड़े जाते हैं। कोई भी दल उससे मुक्त नहीं है। इस संसद का, लोकतंत्र का सारा भवन झूठ पर खड़ा है। पार्लियामेंट का मेंबर, असेंबली का मेंबर पहला जो काम करता है, वह झूठा हिसाब दाखिल करता है। सत्यमेव जयते का नारा लगाकर हम यहां एकत्र हुए हैं, मगर हम सबके मूल में असत्य छिपा हुआ है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने १२ हजार रुपए का अपने चुनाव क्षेत्र का व्यय का हिसाब दिया है! १२ हजार रुपए में कोई चुनाव लड़ सकता है? मगर हिसाब दिया गया है।

श्री एस.ए. शमीम (श्रीनगर) : व्यवस्था के बिंदु पर श्री वाजपेयी 'संपूर्ण सदन' कह चुके हैं। उन्होंने कोई अपवाद नहीं छोड़ा है। वह अपने लिए बोल सकते हैं। वह उनके लिए बोल सकते हैं, जिन्हें वे जानते हैं।...

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड भेजा जा चुका है। व्यवस्था की कोई बात नहीं।

श्री एस.ए. शमीम : महोदय, क्या आप मुझे स्पष्टीकरण का अवसर देंगे? उन्होंने संपूर्ण सदन कहा है। वह एक माननीय अपवाद छोड़ सकते थे। और वह मैं स्वयं हूं।

भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा?

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार एक भयंकर रूप धारण कर रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। जब प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने मंत्रिमंडल में एक ऐसे सज्जन को शामिल किया है, जिन्हें दस साल पहले श्री जवाहरलाल नेहरू ने 'संसदीय लोकतंत्र के उच्च सिद्धांत, जिनके द्वारा मंत्री का कार्यालय शासित होता है' के आधार पर...(व्यवधान) श्री जवाहरलाल नेहरू कह...(व्यवधान)

श्री के.पी. उन्निकृष्णन : वास्तवकिता उजागर कीजिए। वह त्यागपत्र दे चुके हैं।

श्री वाजपेयी : जब उन्होंने रिजाइन किया तब उन्होंने भी यह कहा कि मैं कुछ मूल्यों में विश्वास करता हूं और उन मूल्यों की रक्षा के लिए त्यागपत्र दे रहा हूं। क्या आज उन मूल्यों का अवमूल्यन हो गया है? क्या आज उन मूल्यों की कीमत नहीं रही? क्या मंत्री के आचरण के मापदंड बदल गए?

श्री डी. एन. तिवारी (गोपालगंज) : क्या कोई आदमी पीछे चलकर अच्छा नहीं हो सकता है?

श्री वाजपेयी : हां, अगर आपका यह कहना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। प्रधानमंत्री को शिकायत है कि विरोधी दल आर्थिक कठिनाइयों का लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार की गलत और अदूरदर्शी नीतियों से उत्पन्न जन-असंतोष को मुखरित और संगठित करना हमारा धर्म है, और हम उस धर्म का पालन करेंगे। किंतु जिन्होंने १९७३ की राष्ट्रीय विजय को दलगत सफलता के लिए प्रयुक्त करने में संकोच नहीं किया, उनके मुंह से ऐसा आरोप शोभा नहीं देता। जो कांच के घर में बैठे हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर फेंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को ताज्जुब है कि जो सबसे अधिक गरीब हैं वे तो चुप हैं, किंतु जिनकी हालत बेहतर है वे आंदोलन कर रहे हैं। मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं :

"बहुत गरीब न तो शिकायत कर रहे थे, न असहयोग, न हड़ताल, लेकिन वह जनता जो कुछ अच्छी हालत में थी, सब कुछ कर रही थी।"

दमन नहीं, दशा सुधारना सीखिए

क्या इसको समझने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता है? जो बिल्कुल गरीब हैं वे मूक हैं, बिखरे हुए हैं, शताब्दियों से कुचले हुए हैं, वे नहीं लड़ सकते। वे सड़क पर ठिठुर कर मर सकते हैं, कपड़े की दुकान नहीं लूट सकते। वे भूख से जान दे सकते हैं, पर अन्न के गोदाम नहीं लूट सकते। इसके विपरीत जिनकी दशा अपेक्षाकृत अच्छी है, जो जागृत हैं, संगठित हैं, वे परिवर्तन के नए रास्ते अपनाएंगे। जो बिल्कुल गरीब है वह भाग्य के भरोसे बैठा है। मगर जिसमें थोड़ी सी भी जागृति आई है, वह अपने भाग्य को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा है। यही कारण है आज छात्र, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर जूझ रहे हैं। दमनचक्र की बजाय सरकार को उनकी मनोदशा को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

दिल्ली के जूनियर डॉक्टर क्या मांग रहे हैं? कल डॉ. कर्ण सिंह ने अपने लंबे भाषण में आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की। जो डॉक्टर उनके घर के बाहर बैठे हैं, उनकी मानवता का भी उन्होंने एक दृश्य उपस्थित किया। मगर यह सरकार स्वयं हृदयहीन हो गई है। वह जूनियर डॉक्टरों से ठीक से बात तक नहीं करती। वह किस तरह से काम के घंटों में लगन से, परिश्रम से मरीजों की देखभाल करते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। वे ५०० रुपए वेतन मांग रहे हैं, सिटी अलाउंस मांग रहे हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मांग रहे हैं। क्या उन्हें ६५० रुपए देना उनके ऊपर बड़ा भारी अहसान हो गया है? सरकार क्या चाहती है, यहां तक बताने के लिए तैयार नहीं है। वह हड़ताल को तोड़ने पर आमादा है। इसमें से बगावत के बीज निकलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा, मुझे अफसोस है प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं हैं। बाद में आकर कहेंगी कि मैं कमरे में बैठकर भाषण सुन रही थी। रायबरेली में वहां के विद्यार्थियों को इसलिए पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्योंकि रायबरेली के फिरोज गांधी मेमोरियल कालेज की छात्र यूनियन का उद्घाटन करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाने की गलती की। विद्यार्थी पकड़े गए, रात में पकड़े गए, हथकड़ी लगाकर उन्हें कोतवाली ले जाया गया, पीटा गया। कभी आपने सुना है कि विद्यार्थियों पर यह शर्त लगाई जाए कि हर तीसरे दिन कोतवाली में आकर हाजिरी दें? विद्यार्थी न हो गए, अपराधी हो गए। वे मांग क्या कर रहे हैं? यही कि कालेज में प्रोफेसर समय पर नियुक्त होना चाहिए, लाइब्रेरी से १५ हजार रुपए की किताबें गायब हैं, उनका हिसाब मिलना चाहिए। लाइब्रेरी-फीस १५ रुपए ली जाती है, जिसमें से ३ रुपए की रसीद तक नहीं

दी जाती है। वह कहते हैं कि रसीद दी जानी चाहिए। मेडीकल के लिए, मैगजीन के लिए जो रुपया इकट्ठा किया जाता है, उसका सदुपयोग होना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के जूनियर इंजीनियर भी कोई चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे हैं। समान काम के लिए समान वेतन मांग रहे हैं। ५० परसेंट पदोन्नति मांग रहे हैं। मगर उन्हें भी दबाया जा रहा है।

गुजरात एक चेतावनी है, चुनौती है

उपाध्यक्ष महोदय, दमन आंदोलन में आग का काम करते हैं। गोलियां चलाकर लोगों को मारा जा सकता है, मगर गोलियां चलाकर लोगों के दिलों पर राज नहीं किया जा सकता। गुजरात एक चेतावनी है, गुजरात एक चुनौती है। चेतावनी उन भ्रष्ट सत्तालोलुपों के लिए जो अनैतिक तरीके अपनाकर हुकूमत हथिया लेते हैं, जो जनता की अपेक्षाओं और शासन की उपलब्धियों में बढ़ती हुई खाई को नजरअंदाज करना चाहते हैं। गुजरात चुनौती है उन सबके लिए, जो शांतिपूर्ण मार्ग से इस देश में परिवर्तन करना चाहते हैं।

गुजरात के जन-विद्रोह को पूंजीपतियों द्वारा प्रेरित बताकर प्रधानमंत्री ने न केवल इतिहास को बदलनेवाली नई शक्तियों को समझने में अपनी अनभिज्ञता प्रकट की, अपितु गुजरात की जनता का अपमान भी किया है। भाड़े के लोग प्रधानमंत्री की जय-जयकार के लिए भले ही जमा किए जा सकें, उन्हें कोई पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार नहीं कर सकता। गांधीवादी विचारक प्रो. अमृतानंद के शब्दों में :

"हम गुजरात की लोकप्रिय हो रही लहर की व्याख्या एक स्वानुशासित और अहिंसक विरोध-प्रदर्शन का आंदोलन के रूप में कर सकते हैं, जो अलोकप्रिय नेतृत्व पर आधारित भ्रष्ट एवं अक्षम व्यवस्था-पद्धति के विरुद्ध है।"

उपाध्यक्ष महोदय, बंगला देश की विजय का लाभ उठाकर और राजनीतिक स्थिरता का नारा देकर विधान सभाओं के चुनाव जीत लिए गए। किंतु प्रधानमंत्री राज्यों में एक ईमानदार और सक्षम प्रणाली, जिसका आधार सस्ता लोकप्रियतावाद नहीं, चीप पॉपुलरिज्म नहीं, रेडिकल रियलिज्म, क्रांतिकारी यथार्थवाद हो, ऐसी प्रणाली नहीं दे सकीं। परिणाम सामने हैं। गुजरात जल रहा है, महाराष्ट्र में चिंगारियां सुलग रही हैं और सारा भारत क्रांति के कगार पर खड़ा है।

प्रधानमंत्री गुजरात की विधानसभा को भंग करने के लिए तैयार नहीं हैं, किंतु जब केरल में ऐसा ही मास अफसर्च हुआ था और प्रथम कम्युनिस्ट सरकार अपदस्थ कर दी गई थी, तब विधानसभा भंग कर दी गई थी या नहीं की गई थी? तब प्रधानमंत्री कांग्रेस की अध्यक्षा थीं। मगर जो विधानसभा भंग की गई उसमें कम्युनिस्टों का बहुमत था, इसलिए उसको भंग कर दिया गया। गुजरात की विधानसभा को इसलिए भंग नहीं किया जा रहा है···(व्यवधान)

श्री के.पी. उन्निकृष्णन : केरल में इस तरह से एक अकेले विधायक पर भी आक्रमण नहीं किया गया था। अब आप फासीवाद का बचाव कर रहे हैं।

श्री वाजपेयी : क्योंकि कांग्रेस बहुमत में है। यह दोहरा मापदंड, यह दुरंगी राजनीति, यह नग्न सत्तावाद ही आज का सबसे बड़ा अभिशाप है। इसके चलते मुस्लिम लीग केरल में असांप्रदायिक हो जाती है और उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक बन जाती है। शिवसेना का बंबई में समर्थन किया जाता है और शेष भारत में उसके विरोध का ढोंग रचा जाता है। पांडिचेरी में संगठन कांग्रेस को गले लगाया जाता है और उत्तर प्रदेश में दुरदुराया जाता है। कम्युनिस्टों के साथ प्यार और तकरार का

नाटक एक साथ चलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री दिल्ली में साप्रंदायिकता के विरुद्ध भाषण देती हैं किंतु उत्तर प्रदेश में खुलेआम उन्होंने मुस्लिम सांप्रदायिकता को भड़काया। हरदोई में १४ फरवरी को भाषण देते हुए उन्होंने कहा, मैं नेशनल हेराल्ड से उद्धृत कर रहा हूं :

"प्रधानमंत्री ने कहा कि उस केस की तरह सभी मुसलमानों को स्वयं विभाजित नहीं होना चाहिए। ऐसे में वे कमजोर हो जाएंगे और अपने भाग्य-निर्धारण के योग्य नहीं रहेंगे।"

क्या मतलब है इसका? क्या यह राष्ट्रीय एकता की अपील है?

श्री एस.ए. शमीम : वह आपसे बचने के लिए कहा।

श्री वाजपेयी : मुसलमानों को यह कहना कि अपनी इच्छानुसार वोट न दें, पार्टियों के प्रोग्राम के अनुसार वोट न दें, मुसलमान के नाते वोट दें, एक साथ वोट दें, यह अलगाव को बढ़ानेवाली बात नहीं है?

इतना ही नहीं, उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि दिल्ली में मुस्लिम लीग की जो शाखा खुली है, उसके संयोजक एक मुस्लिम नौजवान को जनसंघ ने पैसा दिया है। प्रधानमंत्री को मालूम होना चाहिए कि दिल्ली में मुस्लिम लीग हाल में नहीं बनी, १९६८ में बनी थी। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि उसके कर्ता-धर्ता मिर्जा मुहम्मद उस्मान थे, जो प्रधानमंत्री की पार्टी के टिकट पर कारपोरेशन के मेंबर चुने गए थे, बाद में मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। प्रधानमंत्री जनसंघ के विरुद्ध अपना आरोप साबित करें या उन्हें उस आरोप को वापस ले लेना चाहिए।

सत्ता, सत्ता के लिए?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करना चाहता हूं। आकर्षक नारे लगाकर, पानी की तरह पैसा बहाकर, शासनतंत्र का खुला दुरुपयोग कर सत्ता पर कब्जा करना असंभव नहीं है। लेकिन सत्ता किसलिए? क्या सत्ता सत्ता के लिए या सत्ता समाज-परिवर्तन के लिए? क्या सत्ता केवल उपभोग के लिए? क्या सत्ता कालपात्र में दबाए गए इतिहास में अपना नाम लिखाने-भर के लिए या सत्ता दूसरों के नाम कटवाने-भर के लिए? क्या सत्ता मात्र अहम की संतुष्टि के लिए? सत्ता का प्रयोजन क्या केवल यही है? क्या सत्ता किसी बंदरगाह, किसी नहर, किसी विश्वविद्यालय का नाम अपने नाम पर रखने के लिए?

आजादी के २५ साल बाद भी भारतीय समाज जड़ता में, अंधविश्वास में, कुरीतियों में, छुआछूत में डूबा हुआ है। हमने समाज को बदलने के लिए क्या किया है? भारत की प्रधानमंत्री एक महिला हैं। किंतु करोड़ों महिलाएं नारकीय जीवन बिता रही हैं, उनके मुख पर घूंघट पड़े हैं, बुरखे लटके हैं। शारदा कानून ने बाल विवाह बंद कर दिए। किंतु प्रतिवर्ष लाखों बच्चों के पालने में विवाह होते हैं। दहेज के विरुद्ध कानून बना है, किंतु दहेज बढ़ गया है। दहेज के अभाव में जवान लड़कियां जान तक दे बैठती हैं। अच्छे-अच्छे घरों में पर्याप्त दहेज न होने के कारण बहुओं के साथ आज भी दुर्व्यवहार होता है।

अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, किंतु हरिजन जिंदा जलाए जाते हैं। उनकी महिलाओं का शरीर सार्वजनिक रूप में गरम चिमटे से दागा जाता है। क्या प्रधानमंत्री इन कुरीतियों के विरुद्ध जेहाद नहीं छेड़ सकतीं? क्या वे हिंदुओं, मुसलमानों से नहीं कह सकतीं कि उन्हें वक्त के साथ बदलना होगा? क्या वे मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन की बात पर दृढ़ता से नहीं अड़ सकतीं?

मगर उन्हें वोट चाहिए।

श्री एस.ए. शमीम : आपको क्या दर्द है?

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, पहले इनको बदलना जरूरी है।

जितना समय, जितनी शक्ति, जितने साधन प्रधानमंत्री ने एक प्रदेश में अपनी पार्टी को चुनाव जिताने पर लगाया, उतना यदि वह सामाजिक क्रांति का सूत्रपात करने में लगातीं तो देश का नक्शा बदला हुआ नजर आता। लेकिन अफसोस है कि प्रधानमंत्री ने मिले हुए समय को खो दिया। आज खतरे की घंटी बज रही है। हम सबके लिए बज रही है। एक व्यवस्था टूट रही है। एक प्रणाली अस्त-व्यस्त हो रही है। यह केवल एक दल का प्रश्न नहीं है, सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था आज दांव पर लगी हुई है।

पुराने मूल्य ठुकरा दिए गए हैं, किंतु नए मूल्य अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं। पुराने श्रद्धा केंद्र ढह चुके हैं, नए श्रद्धा केंद्र हम खड़े नहीं कर सकते हैं। पुराना युग मर रहा है, लेकिन नया युग जन्म नहीं ले रहा। देश आज चौराहे पर खड़ा है। यह निर्णय की घड़ी है। चुनाव, वोट, सत्ता की राजनीति, इनकी सीमाएं हैं। लेकिन उन सीमाओं को तोड़कर अगर हम नहीं निकल सकते हैं तो महान भारत की रचना का स्वप्न कभी साकार नहीं कर सकते।

प्रधानमंत्री ने जन-अपेक्षाओं का जो ज्वार जगाया है, वह आज उनके सिंहासन को हिला रहा है। यदि समय रहते वह नहीं संभलतीं तो उनकी भी वही गति होगी, जो चिमन भाई पटेल की गुजरात में हुई।

आवाहन महानता का, और प्रदर्शन?

सभापति जी, राष्ट्रपति महोदय ने जिन शब्दों के साथ अपना अभिभाषण समाप्त किया है, मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं "...महानता इस राष्ट्र का आवाहन कर रही है—वह महानता हमें परंपरागत शक्ति संचय द्वारा नहीं, बल्कि आत्मिक बल से प्राप्त होती है।"

राष्ट्रपति महोदय के ये शब्द स्वयं में बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनमें निहित भाव अंतःकरण को आह्लादित और अनुप्राणित करने की क्षमता रखते हैं। आत्मबल से प्राप्त होनेवाली महानता का आवाहन एक ही वाक्य में भारत के उज्ज्वल अतीत और उज्ज्वलतर भविष्य की झांकी प्रस्तुत कर देता है। भारत को महान बनना है, इसमें संदेह नहीं है। महानता हमारी नियति है, यह भी निर्विवाद है। हमारी महानता हथियारों के अंबारों पर निर्भर नहीं होगी, यह भी एक ध्रुव सत्य है। लेकिन पता नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण में महानता का आवाहन खोखला क्यों जान पड़ता है। मालूम नहीं आत्मबल का उल्लेख पाखंड क्यों प्रतीत होता है।

संभव है इसका एक कारण यह हो कि जब महानता के आवाहन का उल्लेख हो रहा था, तब केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रपति महोदय के ही सम्मुख विदेशी राजनीतिज्ञों की साक्षी में इस सदन का सबसे बड़ा विरोधी दल प्रधानमंत्री को लोकतंत्र की हत्यारिणी और फासिस्ट कह रहा था। आवाहन महानता का हो रहा था और प्रदर्शन उच्छृंखलता का किया जा रहा था।

मार्क्सवादी मित्रों ने उस दिन जो कुछ किया, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। उनका आचरण आपत्तिजनक था। पश्चिम बंगाल में चुनावों में धांधली के समाचार भी मिले हैं। पश्चिम बंगाल में ही क्यों, अन्यत्र भी ऐसे तरीके अपनाए गए जिनके चलते चुनावों को सर्वथा निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। किंतु यदि किसी दल को इस बारे में अपना रोष या आक्रोश प्रकट करना था तो उसका स्थान राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण नहीं था। उस दल के सदस्य अभिभाषण के बाद इस सदन में आकर अपनी बात कह सकते थे। जनतंत्र में कहीं न कहीं तो मर्यादा की लक्ष्मण-रेखा खींचनी पड़ेगी।

किंतु क्या सत्तारूढ़ दल ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं किया है? क्या उसका आचरण आदर्श रहा है? उस दिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के मध्य में ही सत्तारूढ़ दल ने अपने को

** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में २१ मार्च, १९७२ को भाषण।*

उजागर कर दिया। जब मार्क्सवादी सदस्य सदन से उठकर जाने लगे तो उनके अभिवादन में तालियां बजानेवाले पिछली बेंचों पर बैठनेवाले ही नहीं थे। उनमें इस सदन की नेत्री, प्रधानमंत्री भी शामिल थीं। वे तालियां कह रही थीं—अच्छा हुआ, बला टली। बहुत अच्छा हुआ, मुसीबत मिटी। तालियां बजानेवालों के चेहरों पर विषाद या ग्लानि की छाया नहीं थी। उनके चेहरों पर सात्विक आक्रोश का आवेग भी नहीं था। एक अभिमानपूर्ण मुस्कान थी, ऐसी अभिमानपूर्ण मुस्कान जो विरोध का आदर करना तो दूर रहा, उसे सहन करने की भी सहिष्णुता नहीं रखती।

आह्वान महानता का, और आचरण लघुता का, इसके और दो उदाहरण मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक चुनाव के पहले का है, दूसरा बाद का। एक विजय की लालसा का है, दूसरा विजय के उन्माद का।

दिल्ली के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों ने मेयर लाला हंसराज गुप्त के अभिनंदन का समारोह आयोजित किया। यह समारोह राष्ट्रपति भवन में होना था। समारोह की स्वीकृति ली जा चुकी थी, निमंत्रण-पत्र बंट गए थे, तैयारियां पूर्ण हो गई थीं और कार्यक्रम २८ फरवरी को होना था। अचानक कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया और कहा गया कार्यक्रम चुनाव के बाद २० मार्च को होगा। लेकिन जब २० मार्च निकट आया तो कहा गया, कार्यक्रम अप्रैल में होगा। किंतु अप्रैल की कोई तिथि नहीं दी गई। समारोह का आयोजन करनेवाले समझ गए कि सरकार को यह कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में हो, यह पसंद नहीं है। यदि ऐसा था तो कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में आयोजित ही क्यों किया गया? यदि आयोजित कर लिया गया था, उसकी स्वीकृति दे दी गई थी तो क्या वह कार्यक्रम यदि राष्ट्रपति भवन में हो जाता तो राष्ट्रपति भवन की पवित्रता को कलंग लग जाता? महानता की कसौटी पर इस आचरण को भी कसना होगा।

दूसरी घटना चुनाव के बाद की है। जयपुर में जैन समाज ने नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया। उसमें अनेक दलों के सदस्य शामिल हुए। बाद में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से जवाब-तलब किया गया कि जैन समाज के सांप्रदायिक मंच पर क्यों गए? जनसंघ के विधायकों के साथ क्यों बैठे? क्या जैन समाज का मंच सांप्रदायिक मंच है? मुस्लिम लीग के साथ गलबहियां डालकर केरल में प्रेम की पींगें भरनेवाले जैन समाज को सांप्रदायिक कहें, इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? जहां तक जनसंघवालों के साथ बैठने का प्रश्न है, क्या विरोध अब इस निकृष्ट और निम्न सीमा तक जाएगा? क्या सामाजिक क्षेत्र से अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के बजाय हम राजनीतिक क्षेत्र में नई अस्पृश्यता का श्रीगणेश करना चाहते हैं? क्या हमारा हृदय इतना संकुचित और संकीर्ण हो जाएगा?

राष्ट्रपति जी ने ठीक कहा है—महानता आह्वान कर रही है। किंतु महानता लाने का काम वे नहीं कर सकते जिनमें स्वयं महानता का अभाव है। राष्ट्रपति जी ने ठीक कहा है—महानता आत्मबल से प्राप्त होगी। किंतु आत्मबल जगाना उनके बूते का नहीं है, जिन्होंने चुनाव जीतने के लिए आत्मबल के अतिरिक्त हर बल का उपयोग किया है।

क्या यह आश्चर्य की बात नहीं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हुई हिंसा तथा ज्यादती का औचित्य यह कहकर सिद्ध किया जा रहा है कि मार्क्सवादियों ने भी तो इस प्रकार की हिंसा और जोर-जबर्दस्ती का आश्रय लिया था। मेरे मित्र स्टीफेन इस सदन में मौजूद हैं—मुझे खेद है मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उन्हें समझने में कठिनाई जरूर होगी, लेकिन उनके भाषण का एक अंश मैं रखना चाहता हूं। उन्होंने मार्क्सवादियों को संबोधित करते हुए कहा था :

"जब आप पत्थर फेंकने शुरू करते हैं तो आपको पत्थर खाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप चाकू घोंपना शुरू करते हैं तो आपको वापस चाकू खाने के लिए तैयार रहना चाहिए।"

मुझे उनका यह भाषण सुनकर खेद हुआ। इससे अधिक खेद मुझे प्रो. हीरेन मुखर्जी के भाषण का अंश पढ़कर हुआ। प्रो. हीरेन मुखर्जी कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व किसी पार्टी की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। शायद वातावरण का असर ऐसा है कि उन्हें भी यह बात कहनी पड़ी। मैं उन्हीं के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं : "जब कुछ निश्चित लोगों द्वारा हिंसा का प्रयोग किया गया तब वह सही था, लेकिन जब हिंसा का प्रयोग कुछ दूसरे लोगों द्वारा किया गया तब वह सही नहीं था।"

श्री स्टीफेन और प्रो. मुखर्जी, दोनों ने एक ही बात कही है कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ ठीक हुआ, क्योंकि मार्क्सवादियों के विरुद्ध वही हथकंडे अपनाए गए जो मार्क्सवादियों ने पहले अपने विरोधियों के विरुद्ध अपनाए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि हिंसा का उत्तर हिंसा से दिया जाएगा? क्या हत्या का जवाब हत्या से दिया जाएगा? क्या आग को आग से बुझाया जाएगा? क्या महात्मा और मार्क्स के अनुयाइयों में कोई अंतर नहीं होगा? शिव को पूजते-पूजते शिव बनने की बात तो शास्त्रों में कही गई है, किंतु मार्क्सवादियों से लड़ते-लड़ते मार्क्सवादियों की सारी बुराइयां अपने में स्वीकार करने का दृश्य अभी दिखाई दे रहा है।

सभापति जी, यदि हिंसा को हिंसा से जीतने की बात है तो राष्ट्रपति के भाषण में आत्मबल की चर्चा करना बेकार है। यदि ईंट का जवाब पत्थर से देना है तो आत्मबल की दुहाई देना व्यर्थ है। पशुबल की पूजा करनेवालों को आत्मबल का राग अलापना शोभा नहीं देता। यह पाखंड बंद होना चाहिए। चुनाव जीत लिए गए, सत्ता पर एकाधिकार कर लिया गया, अब आत्मबल का अलख जगाने की क्या आवश्यकता है?

सभापति जी, राष्ट्रपति जी ने बंगला देश के संदर्भ में कहा है कि बंगला देश के साढ़े सात करोड़ लोगों की आजादी और जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। तब संसार के लोग आगा-पीछा कर रहे थे। क्या भारत सरकार स्वयं आगा-पीछा नहीं कर रही थी? क्या आठ मास तक वह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी रही? क्या यह सच नहीं है कि अपनी गिरफ्तारी से पूर्व ही शेख मुजीबुर्रहमान ने नई दिल्ली को संदेश भिजवाया था कि यदि भारत अविलंब मान्यता देने को तैयार हो तो वह बंगला देश को स्वाधीन घोषित कर देंगे। यह जानकारी मुझे बंगला देश के एक नेता से प्राप्त हुई है, और मैं चाहूंगा कि सरकार इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे।

श्रेय उन्हें, कलंक किसे?

चुनाव के दौरान बंगला देश की मुक्ति का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री जी को देने का प्रयास हुआ। यदि मुक्ति का पूरा श्रेय उनको है तो कार्यवाही में विलंब से जो लाखों लोगों की जान गईं और हजारों बहनों की इज्जत लूटी गई, उसका कलंक कौन लेगा? चुनाव में मुजीब की रिहाई का श्रेय सरकार ने लूटा, जबकि प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि शेख मुजीबुर्रहमान जीवित हैं या मृत। यहां तक कि जब समाचार आया कि मुजीब को लेकर हवाई जहाज अज्ञात स्थान को रवाना हो गया है तो उन्होंने लखनऊ में कहा कि पता नहीं, वह जिंदा भी हैं या नहीं।

चूंकि अब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, सरकार को यह स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए कि उसने बंगला देश में कार्यवाही करने में देर कर दी। गलतियां सबसे होती हैं, बड़े लोग

बड़ी गलतियां करते हैं। किंतु महानता का आवाहन करनेवालों को उन्हें स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए।

भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, जनरल कुमारमंगलम राजनीति में नहीं हैं, और न उनकी गणना प्रधानमंत्री के विरोधियों में की जा सकती है। उनका भी कहना है कि भारत ने बंगला देश में देर कर दी। एक लेख में उन्होंने लिखा है :

"गत वर्ष की घटनाओं, यथा शरणार्थियों की भारी संख्या, उनके पुनर्वास की महंगी कीमत, गत आठ महीनों में मारे गए निर्दोष लोगों की विशाल संख्या, अनियमित सैनिकों से शस्त्र वापस लेने का प्रश्न, सीमा के दोनों ओर गलत हाथों में शस्त्रास्त्र चले जाने की समस्या आदि पर जब मैं विचार करता हूं तो मैं अब भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अप्रैल में कार्यवाही करना स्वयं हमारे लिए उपयुक्त रहता।"

जनरल कुमारमंगलम के विचार राजनीति से प्रेरित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने एक विचार रखा है, एक दृष्टिकोण रखा है, उस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

सभापति जी, बंगला देश में कार्यवाही करने में देर की गई है। इसका उत्तर यह कहकर दिया जा सकता है कि बंगला देश ने अपनी आजादी स्वयं अर्जित की है, हमने उसे तश्तरी में रखकर उन्हें भेंट नहीं किया है। मैं बंगला देश की जनता के त्याग और बलिदान तथा पराक्रम को कम करके देखना नहीं चाहता। यदि बंगला देश के निवासी स्वयं स्वाधीनता की आवाज न उठाते और उसके लिए संघर्ष न छेड़ते तो हम लोग इच्छा होने पर भी उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते थे। किंतु यह भी एक तीखा तथ्य है कि बिना भारतीय सेनाओं के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बंगला देश आजाद नहीं हो सकता था। इससे भी तीखा एक और तथ्य है कि बिना सोवियत समर्थन के हम इस युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे।

युद्ध विराम किसके दबाव में?

यह भी एक कटु सत्य है कि एकतरफा युद्ध विराम के मूल में सोवियत दबाव काम कर रहा था। यदि सोवियत दबाव नहीं था तो यह बताया जाए कि युद्ध विराम में इतनी जल्दी क्यों की गई? क्या इस भय के कारण कि यदि युद्ध लंबा चला तो कोई तीसरी शक्ति कूद पड़ेगी? मैं जानना चाहता हूं कि युद्ध विराम का विचार सरकार के दिमाग में कब उपजा? ढाका के पतन और एकतरफा युद्ध विराम के बीच जो समय बीता, उसमें साउथ ब्लाक में, मास्को में, वाशिंगटन में क्या हुआ? कौन से तार खटके? कौन सी नसें दबाई गईं?

युद्ध विराम का औचित्य ठहराने के लिए यह कहना कि हम पाकिस्तान की जमीन नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एकतरफा लड़ाई बंद कर दी, हास्यास्पद है। ज़मीन तो हम बंगला देश की भी नहीं चाहते थे। किंतु वहां हमने तब तक लड़ाई बंद नहीं की, जब तक पाकिस्तानी सेना ने हथियार नहीं डाल दिए। यह नीति पश्चिम में क्यों नहीं अपनाई गई? हमारी बहादुर सेना शक्करगढ़ पर अंतिम प्रहार करने के लिए तैयारी कर रही थी, किंतु उसी समय से युद्ध विराम लागू हो गया।

आज कहा जाता है कि संकट अभी पूरी तरह टला नहीं है। यह भी कहा जाता है कि जनता को जागते रहना चाहिए। किंतु प्रश्न यह है कि पाकिस्तान को नया संकट पैदा करने लायक छोड़ा क्यों गया? पश्चिम में उसकी पराजय के लिए पग क्यों नहीं उठाए गए? यदि पाकिस्तान पुनः शरारत करता है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी, जिसने लड़ाई बंद करने में जल्दबाजी

दिखाई। जनरल मानेक शॉ ने कहा है कि यदि लड़ाई पांच दिन और चलती तो पाकिस्तान २५ साल के लिए ठंडा पड़ जाता।

सभापति जी, लड़ाई के मैदान में सेनाएं खरी उतरीं, किंतु कूटनीति के क्षेत्र में नेतृत्व की परीक्षा बाकी है। मैं चाहता हूं कि सरकार युद्धबंदियों की वापसी और जीते हुए क्षेत्रों को लौटाने के बारे में अपना मौन भंग करे, इस सदन को विश्वास में ले, देश को और अधिक अंधकार में न रखे।

जब से पाकिस्तानी राष्ट्रपति मास्को से लौटे हैं, यह चर्चा चल पड़ी है कि क्रेमलिन चाहता है कि भारत युद्धबंदियों की वापसी के प्रश्न को अन्य भारत-पाक सवालों के साथ न जोड़े। मैं नहीं जानता इसमें कहां तक सच्चाई है। लेकिन अगर यह सच है तो यह बड़ी गंभीर बात है और इस बात का संकेत है कि युद्ध के दौरान अपने ताश के सारे पत्ते भारत के पक्ष में रखनेवाला रूस अब पुनः ताश खेलने की तैयारी कर रहा है और ताशकंद की ओर आगे बढ़ रहा है।

युद्ध की धमकी, शांति का आलाप

जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार युद्धबंदियों की वापसी तभी हो सकती है जब शांति की संधि हो जाए। किंतु शांति की संधि तो दूर, पाकिस्तान सेसेशन ऑफ एक्टिव हॉस्टिलिटीज के लिए भी तैयार नहीं है। श्री भुट्टो ने प्रधानमंत्री के युद्ध न करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। वह काश्मीर पर आत्मनिर्णय की रट लगाए जा रहे हैं। कभी युद्ध की धमकी देते हैं, कभी शांति का राग अलापते हैं। एक सांस में ठंडा और गर्म उगलते हैं। भारत को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। युद्धबंदियों की वापसी का प्रश्न अन्य सवालों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। अन्य सवाल हैं :

एक तिहाई काश्मीर की वापसी, काश्मीर पर पाकिस्तान के आक्रमण की समाप्ति, युद्ध में और विस्थापितों की देखभाल पर जो खर्चा हुआ है, उसका हर्जाना, निष्क्रांत संपत्ति का निपटारा और ३०० करोड़ रुपए के पुराने ऋण की अदायगी। इसके साथ ही पाकिस्तान को बंगला देश के पुनर्निर्माण का खर्चा भी उठाना होगा।

श्री भुट्टो इस समय कठिनाई में हैं। वे चाहते हैं कि भारत उनको कठिनाई में से निकाले। हमने उन्हें कठिनाई में नहीं फंसाया। वे स्वयं कठिनाई में फंसे हैं। लेकिन उन्हें कठिनाई में से निकालने के लिए भारत स्वयं को कठिनाई में नहीं डाल सकता। आज पाकिस्तानी राष्ट्रपति मानवता की बात कर रहे हैं। भुट्टो और मानवता? दोनों में दूर का भी नाता नहीं है। जब बंगला देश में मानवता की हत्या की गई तब श्री भुट्टो याह्या खान के साथ ही थे। आज वे स्वयं को दूध का धुला साबित करना चाहते हैं। श्री भुट्टो भविष्य में क्या कर सकते हैं, इसको समझने के लिए उन्होंने अतीत में क्या-क्या किया था, इसको स्मरण कर लेना काफी है।

प्रश्न यह नहीं है कि हमें युद्धबंदियों को छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या हम युद्धबंदियों को छोड़ सकते हैं? क्या हम सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं? क्या बिना शांति की स्थायी संधि किए हम केवल भुट्टो को बचाने के लिए युद्धबंदियों के सवाल को अलग करके देख सकते हैं? भारत को पूरा अधिकार है कि युद्धबंदियों के सवाल को स्थायी शांति की संधि के साथ जोड़े। यह हमारी सुरक्षा का मामला है। अंतरराष्ट्रीय कानून भी हमारे पक्ष में हैं। सरकार को परीक्षा की इस घड़ी में कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए। युद्ध के मैदान में जो जीता

गया है, उसे वार्ता की टेबल पर नहीं गंवाया जा सकता।

पाकिस्तानी युद्धबंदी भारत और बंगला देश दोनों के ही युद्धबंदी हैं। उन्होंने संयुक्त कमान के सम्मुख आत्मसमर्पण किया है। पाकिस्तान के साथ युद्धबंदियों के बारे में वार्ता द्विपक्षीय नहीं होगी, त्रिपक्षीय होगी। जब तक पाकिस्तान बंगला देश को मान्यता नहीं देता, ढाका उसके साथ वार्ता कैसे कर सकता है।

रूस को समझाइए

जेनेवा कन्वेंशन १९४९ का आर्टिकल ११९ हमें तथा बंगला देश को अधिकार देता है कि जिन बंदियों के विरुद्ध अभियोग है, उन पर मुकदमे चलाएं और सजा पूरी होने तक उन्हें अपनी कैद में रखें। यदि श्री भुट्टो वस्तुतः संबंधों को सामान्य बनाना चाहते हैं तो उन्हें संकेत के तौर पर एक छोटा सा काम करना चाहिए। उन्हें जनरल टिक्का खां को बंगला देश को सौंप देना चाहिए जिससे हलाकू और हिटलर को मात करनेवाले उस कसाई को कटघरे में खड़ा किया जा सके। यदि श्री भुट्टो ऐसा नहीं करते हैं तो समझ लेना होगा कि उनके शांति-प्रयास एक धोखा हैं। जैसे ही युद्धबंदी रिहा हुए और पाकिस्तान की धरती पर पहुंचे, श्री भुट्टो का रंग बदल जाएगा। हमें सोवियत रूस को भी समझाना चाहिए कि पाकिस्तान को चीन और अमरीका के चंगुल में जाने से रोकने के लिए वह भारत की कीमत पर इस्लामाबाद से संबंध सुधारने का प्रयास न करे। यह १९७२ है, १९६५ नहीं। सरकार ताशकंद की पुनरावृत्ति नहीं होने देने की घोषणा से बंधी हुई है। सरकार को अपने वचनों से मुकरने नहीं दिया जाएगा। जनता जवानों के बलिदान पर पानी नहीं फिरने देगी।

चुनाव परिणामों ने प्रधानमंत्री के हाथों में असाधारण शक्ति और अधिकार रख दिए हैं। ब्रिटेन के एक पत्र ने उन्हें भारत की साम्राज्ञी के रूप में पेश किया है। अब स्थिति यह है कि सारी सत्ता नई दिल्ली में केंद्रित हो गई है। प्रदेशों के मुख्यमंत्री नई दिल्ली के इशारों पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री दिल्ली के दरबार में दरबानों से अधिक हैसियत नहीं रखते। लाला दुर्गादास एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं। उन्होंने मंत्रिमंडल में परिवर्तन की जो चर्चा हो रही है, उस पर टिप्पणी करते हुए कुछ लिखा है, उसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं। वह कहते हैं :

"नौकरशाही का ऊपरी तबका कयास लगा रहा है कि प्रधानमंत्री सचिवालय से अनुमति (निकासी) के लिए, महत्वपूर्ण मामलों के निर्णय लेने का मालिक कौन होगा?"

प्रधानमंत्री का सचिवालय एक समानांतर मंत्रिमंडल बन गया है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब सारी सत्ता दो हाथों में केंद्रित हो तो इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। किंतु संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से इसे स्वस्थ विकास नहीं माना जा सकता। मंत्री जनता के प्रतिनिधि हैं। वे इस सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। लेकिन उनके सचिवों के संबंध में यह बात नहीं कही जा सकती।

शिखर पर खड़ी प्रधानमंत्री और उनके चरणों में पड़े उनके सहयोगियों के बीच एक खाई पैदा हो गई है। एक पॉवर गैप है। उसे कैसे भरा जाएगा? क्या यह स्थिति एक व्यक्ति की तानाशाही के कायम होने की खतरनाक संभावनाओं से भरी हुई नहीं है? प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसा कोई खतरा नहीं है। उन्हीं के शब्दों को मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"हमारे (कांग्रेस के) पास भी बहुत वर्ष पहले उसी तरह की ताकत थी। तब फासीवाद बढ़

सकता था, यदि बढ़ने दिया गया होता तो, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया।"

यदि फासिज्म को आना होता तो पहले भी आ सकता था। लेकिन तब नहीं आया। लेकिन तब और अब में एक अंतर है। तब साध्य के साथ साधनों की पवित्रता पर भी बल दिया जाता था। उस समय यह भरोसा था कि जैसी भी स्थिति हो, कुछ जीवन-मूल्यों की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। यह विश्वास था कि कैसी भी उत्तेजना हो, कमर के नीचे वार नहीं किया जाएगा। आज स्थिति सर्वथा भिन्न है। प्रधानमंत्री के प्रशंसक तथा विरोधी दोनों इस बात को जानते हैं कि अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रधानमंत्री कुछ भी कर सकती हैं। इसी में उनकी सफलता का रहस्य है। लेकिन इसी में लोकतंत्र के विनाश के बीज छिपे हुए हैं।

आज नई दिल्ली की हवा में घुटन है, उन्मुक्त सांस लेना सरल नहीं है। विरोध की आवाज उठाना बगावत समझा जाता है। जिसे देखो वही कमिटमेंट का बिल्ला लगाए घूम रहा है। किसके लिए कमिटमेंट? एक व्यक्ति के लिए या एक दल के लिए...

श्री शशिभूषण : सोशलिज्म...

श्री वाजपेयी : या सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए। मेरे मित्र श्री शशिभूषण कहते हैं कि प्रतिबद्धता चाहिए। सोशलिज्म के लिए। कौन सा सोशलिज्म? एक सोशलिज्म कम्युनिस्ट देशों में भी है, लेकिन वहां व्यक्तिगत स्वाधीनता नहीं है। दुनिया में अनेक महान ऐसे देश हैं जिनमें जाने पर पहली बात यह कही जाती है कि अगर सरकार की आलोचना करनी है तो होटल के कमरे में बैठकर मत करो, बाग में जाकर करो। हो सकता है कि होटल के कमरे में ऐसे यंत्र लगे हों जिनसे बातचीत को रिकार्ड किया जा सकता है। दुनिया में ऐसे समाजवादी देश भी हैं, जहां साहित्यकारों पर मुकदमे चल रहे हैं, जहां कोई अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, जहां सरकार की आलोचना नहीं की जा सकती, हम कैसा समाजवाद चाहते हैं, यह स्पष्ट होना चाहिए।

गरीबी हटाने चलीं, प्रतिपक्ष हटा दिया

प्रधानमंत्री गरीबी हटाने चली थीं, किंतु उन्होंने प्रतिपक्ष को हटाने में सफलता पाई है, जबकि गरीबी जहां की तहां है। महंगाई बढ़ रही है। बेकारी काबू के बाहर जा रही है। विकास की दर गिर रही है। अन्न के मामले में आत्मनिर्भरता के बावजूद औद्योगिक क्षेत्र में मंदी है।

प्रश्न यह है कि गरीबी कैसे हटेगी? अभी प्रधानमंत्री जी एफ.आई.सी.सी.आई. के अधिवेशन में बोलने के लिए गई थीं। मैंने उनका भाषण पढ़ा है। उसका एक अंश मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :

"मैं अवश्य स्वीकार कर सकती हूं कि कुल मिलाकर रास्ता स्पष्ट नहीं है। आपके सहयोग से हम रास्ता बना सकते हैं और एक गुणात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।"

रास्ता स्पष्ट नहीं है। हम नया रास्ता बना सकते हैं। यदि इसका अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री बंधी-बंधाई लकीर पर नहीं चलना चाहतीं तो इसी में से संतोष निकाला जा सकता है। लेकिन यदि इसका अर्थ यह है कि क्या करना है, यह साफ नहीं है, और अगर कुछ नहीं किया गया और विरोध की आवाज उठी, तो अगर उसे यह कहकर दबाने की कोशिश की जाएगी कि यह प्रतिक्रियावाद की आवाज है, तो फिर यह लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरे का सूचक है।

क्या देश में आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर मतभेद नहीं होगा? क्या गरीबी हटाने का एक

ही मार्ग हो सकता है? क्या समृद्धि लाने के रास्ते अलग-अलग नहीं हो सकते? क्या लोकतंत्र में प्रामाणिक मतभेदों के लिए गुंजाइश नहीं होगी? जो भी विरोध करेगा, वह प्रतिक्रियावादी है और जो हां में हां मिलाएगा, वह प्रगतिवादी है, यह कौन सी कसौटी है? व्यक्तियों को नापने का यह कौन सा गज है? क्या यह कांग्रेस पार्टी की शब्दावली है? मेरे मित्र श्री चंद्रजीत यादव, यदि यह शब्दावली बोलें, तो समझ सकता हूं, लेकिन यह शब्दावली लोकतंत्र में नहीं चल सकती।

श्री शशिभूषण : जनसंघ में नहीं चल सकती।

श्री हुकुमचंद कछवाय (मुरैना) : इनकी समझ में नहीं आएगा।

श्री वाजपेयी : पता नहीं, किसकी समझ में आ रहा है, किसकी समझ में नहीं।

कुछ करके दिखाइए

प्रधानमंत्री जी ने एफ.आई.सी.सी.आई. की सभा में यह भी कहा कि हमें तीन-चार साल में कुछ करके दिखाना होगा, अन्यथा हम सभी को उखाड़ फेंका जाएगा। अभी से उखाड़ फेंकने की बात शुरू हो गई है। अभी तो प्रधानमंत्री चुनाव में जीती हैं। अब तो उन्हें कुछ करने का अवसर मिला है। अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। उद्योगपतियों से यह कहने का क्या अर्थ है कि अगर कुछ नहीं किया तो उखाड़ फेंका जाएगा? जनता ने प्रधानमंत्री और उनके दल को कुछ करने की शक्ति दी है। अब वे कुछ करके दिखाएं।

लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा। तीन-चार साल का समय लंबा है। जनता इतनी देर तक प्रतीक्षा नहीं करेगी। एक साल के भीतर कुछ करके दिखाना होगा। तीन काम हैं : बेरोजगारों को रोजगार, बेजमीनों को जमीन और बेघरों को घर। यदि इस दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं हुआ, तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, परिणाम भयंकर होंगे। किंतु परिणाम लोकतंत्र के लिए भयंकर नहीं होंगे। जिनके हाथ में सत्ता है, उनके लिए परिणाम भयंकर हो सकते हैं। जहां तक लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है, हम उसकी रक्षा के लिए लड़ेंगे और किसी भी कुर्बानी को बड़ा नहीं समझेंगे।

सत्तारूढ़ दल को प्रचंड बहुमत मिल गया, फिर भी दल-बदल का खेल जारी है। अब तो दल-बदल समाप्त हो जाना चाहिए। स्थिरता की बात करनेवालों को राजनीति में कुछ स्थिरता का समावेश करना चाहिए। आज भी प्रतिपक्ष से लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूं कि जब तक दल-बदल को रोकने का कानून नहीं बनता, सत्तारूढ़ दल को ऐलान कर देना चाहिए कि न तो वह दल-बदल को प्रोत्साहन देगा और न वह दल-बदल करनेवाले किसी व्यक्ति को अपने दल में प्रवेश देगा। यदि दल-बदल में सत्तारूढ़ दल का कोई निहित स्वार्थ नहीं है, तो उसे स्वयं पर इस प्रकार की रोक लगाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

राजनीति पर पूंजी हावी हो गई है। चुनाव इतने खर्चीले हो गए हैं कि कोई व्यक्ति अपने बलबूते पर चुनाव नहीं लड़ सकता। लक्ष्मीपुत्रों की कृपा के बिना कोई भी दल चुनाव नहीं लड़ सकता। इस बार के चुनाव में इतना ही नहीं कि पूंजीपतियों से पैसे लिए गए, पूंजीपतियों को यह भी कहा गया कि इस दल को पैसा मत देना, अगर उसको पैसा दिया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा!

श्री शशिभूषण : फिर भी ले लिया।

श्री वाजपेयी : हम चुनाव जीतने के लिए किस सीमा तक जा सकते हैं, यह इसकी थोड़ी सी झलक है। आवश्यक है कि चुनाव कानून में क्रांतिकारी संशोधन किए जाएं। चुनाव कानून में

संशोधन के लिए एक कमेटी बनी थी। उसने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। हम पश्चिमी जर्मनी का तरीका अपना सकते हैं, जहां चुनाव का अधिकांश व्यय सरकार वहन करती है। यह व्यवस्था महंगी है। लेकिन लोकतंत्र भी कोई सस्ती प्रक्रिया नहीं है। यदि लोकतंत्र को पूंजी के प्रभाव से विकृत होने से रोकना है तो इस दिशा में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यह ठीक है कि जिनके पास सत्ता है, वे धन जितना चाहें बटोर सकते हैं; जिनके पास धन है, वे धन जितना चाहे बांट सकते हैं। लेकिन इससे जनमत का स्पष्ट प्रकटीकरण नहीं होगा। यह भी आवश्यक है कि ऐसी स्वस्थ परंपराएं डाली जाएं जिसमें चुनाव दो दलों के बीच में हो, दल और सरकार के बीच में न हो। चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी से नहीं लड़े, हम सरकार से लड़े। हेलीकाप्टर, वायुयान, ऑल इंडिया रेडियो पर प्रभात से लेकर रात्रि तक प्रधानमंत्री के नाम का पारायण, सिनेमा के पर्दे पर प्रचार की परिसीमा, प्रतिपक्ष में बैठनेवाले दल इसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मैं जानता हूं यदि इसके लिए सत्तारूढ़ दल में से ही आवाज उठती है—और उठेगी—तो स्वस्थ परंपराएं डाली जा सकती हैं। क्या ऑल इंडिया रेडियो पर सब दलों को समय नहीं दिया जा सकता? क्या वाहनों की सुविधा सब दलों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती? लोकतंत्र परंपराओं से चलता है। आज आपके हाथ में सारी शक्ति आ गई। मोनोपली हर क्षेत्र में खराब है। मगर सत्ता की मोनोपली खराब नहीं है, उसका हमारे मित्र स्वागत करेंगे? लेकिन इतनी सत्ता आई है तो जिम्मेदारी भी आई है कि कुछ अच्छी परंपराएं डालिए।

सभापति जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री के विरुद्ध १०२ विधायकों ने राष्ट्रपति जी को एक स्मृति पत्र पेश किया। संसद-सदस्यों ने भी उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की। मगर जांच नहीं कराई जा रही है। पंजाब में अकाली दल के मंत्रियों के विरुद्ध जांच आरंभ हो गई। बंदोकर के खिलाफ प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से निंदात्मक शब्द कहे...

एक माननीय सदस्य : सदन में उन्होंने इसका खंडन किया कि नहीं कहे उन्होंने ऐसे शब्द।

श्री वाजपेयी : अगर खंडन किया तो मैं अपनी बात वापस लेता हूं। मैं सदन में नहीं था। मुझे पता नहीं। लेकिन चौधरी बंसीलाल के खिलाफ सब प्रमाण और भ्रष्टाचार के तथ्य राष्ट्रपति को समर्पित करने के बाद भी जांच न करने का कारण क्या है? क्या कारण है कि भ्रष्टाचार हरियाणा की परिधि को पार करके नई दिल्ली को भी स्पर्श करने लगा है? मेरा निवेदन है कि जो सत्ता मिली है, उसमें भ्रष्टाचार के लिए गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। अपने भी दल का व्यक्ति हो तो उसके विरुद्ध प्रधानमंत्री को कठोर रवैया अपनाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

डॉ. कैलाश (बंबई, दक्षिण) : कुछ बजट पर भी बोलिए।

श्री वाजपेयी : यह बजट नहीं है। उनको यही पता नहीं कि किस चीज पर चर्चा हो रही है। वह कह रहे हैं कि बजट पर बोलो। यह बजट नहीं है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है।

कोष बटोरने में दोष

सभापति जी, मैं एक वाक्य कहकर समाप्त कर दूंगा। मेरे पास शिकायतें आई हैं कि आंध्र में नेशनल डिफेंस फंड एकत्र करने में अनियमितता बरती गई है। मुझे आंध्र में नेशनल डिफेंस फंड की ऐसी रसीदें दिखाई गईं जिन पर कोई नंबर नहीं था। रुपया इकट्ठा किया जा रहा है। बिना नंबर की रसीदें बांटी जा रही हैं। रुपया राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जा रहा है या किसी के व्यक्तिगत कोष में जा रहा है? मैंने ऐसी भी रसीदें देखीं कि जिन पर डॉ. संजीव रेड्डी के दस्तखत हैं, वह

काट दिए गए, ब्रह्मानंद रेड्डी के दस्तखत हैं, उन्हें भी काट दिया गया और फिर आज के मुख्यमंत्री नरसिंह राव के दस्तखत की मोहर है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा निधि वसूल करने जाते हैं और नई रसीदें नहीं छपा सकते? मैंने इस संबंध में पत्र लिखा वित्तमंत्री श्री चह्वाण को। उन्होंने उत्तर दिया कि यह मामला मेरे अधीन नहीं है, प्रधानमंत्री जी के अधीन है। और प्रधानमंत्री जी को पत्र का उत्तर देने का समय नहीं है। मैं जानता हूं उनके ऊपर बहुत बोझ है। मगर नियति ने, भाग्य ने लोकतंत्र के भविष्य को बनाने और बिगाड़ने का भार भी प्रधानमंत्री के हाथों में रख दिया है। आज वह कसौटी पर कसी जा रही हैं। देखें यह सरकार खरी उतरती है या नहीं?...(व्यवधान)

श्री के. सूर्यनारायण (इलुरु) : उनके ध्यानाकर्षण के लिए...

श्री वाजपेयी : मैं विचलित होनेवाला नहीं...

श्री के. सूर्यनारायण : आपके माध्यम से मैं उन्हीं की सूचना उनको बताना चाहता हूं...

सभापति महोदय : वह विचलित नहीं हो रहे हैं...

श्री वाजपेयी : उनको बोलना हो तो बाद में बोलें। उन्होंने मेरे विचार की धारा तोड़ दी है। वह शायद आंध्र की सफाई दे रहे थे। मगर मैं आंध्र को छोड़कर नई दिल्ली में आ गया हूं। मुख्यमंत्री का विचार मत कीजिए, प्रधानमंत्री की चर्चा कीजिए। भाग्य ने उनके हाथ में असाधारण अधिकार रख दिए हैं। लोकतंत्र को बनाने और बिगाड़ने की क्षमता उनके पास आ गई है। वह कसौटी पर कसी जा रही हैं। यह सरकार परीक्षा में से गुजर रही है। चुनाव में कौन दल हारा, इसका बड़ा महत्व नहीं है। हम लोकतंत्रवादी हैं, चुनाव का निर्णय स्वीकार करते हैं। लेकिन आज किसी दल का भविष्य दांव पर नहीं लगा है, लोकतंत्र का भविष्य दांव पर लगा है। यदि हम लोकतंत्र को चिरस्थायी बना सके तो फिर राष्ट्रपति का महानता का आवाहन कुछ सार्थकता रख सकता है। यदि आत्मबल की केवल बात ही करनी है और आत्मबल का आचरण नहीं करना है तो यह पाखंड राष्ट्र का निर्माण नहीं करेगा, यह पाखंड राष्ट्र के विनाश का मार्ग प्रशस्त करेगा।

हालात के प्रति वक्तव्य मौन

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री पद से हटते ही मुर्झाई हुई प्रतिभा किस तरह से खिल जाती है और रुद्ध वाणी किस तरह से मुखर हो जाती है, यह कल हमने श्री बलिराम भगत और आज डॉ. के. आर. वी.राव के भाषणों को सुनकर समझा। यदि मंत्रिमंडल से मुक्ति इतनी स्वास्थ्यदायक और परिणामकारक हो तो प्रधानमंत्री को चाहिए कि वह अपने कुछ और साथियों को भी खुली हवा में सांस लेने और हृदय की बात निसंकोच रूप से सदन में कहने का अवसर दें। अच्छा होता यदि श्री गुलजारी लाल नंदा को हम रेलवे के बारे में सुनते। लेकिन ऐसा लगता है कि रेल गाड़ी काफी पटरी से उतर गई है और अभी तक पटरी पर वापस नहीं आ सकी है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के कुछ सम्मानित सदस्यों के भाषणों को सुनकर मुझे लगा कि शायद पूरे देश में यह पहला आम चुनाव हुआ है। इससे पहले भी देश में चुनाव हो चुके हैं। इससे पहले जो चुनाव हुए थे, उनमें भी जनता ने अपना निर्णय दिया था। सत्ताधारी दल के सदस्य इस बात को न भूलें कि १९६२ के पूर्व इस सदन में आज जितनी उनकी संख्या है, उससे ज्यादा संख्या थी। स्पष्ट है कि जनता के निर्णय का स्वागत करना होगा। जो विजयी हुए हैं, उन्हें हमें अभिनंदन देना चाहिए। लेकिन विजय अगर उन्माद को जन्म देती है तो कल यह विजय विनाश का कारण बननेवाली है, इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। विजय में से विनम्रता पैदा होनी चाहिए। विजय उत्तरदायित्व का भार कंधों पर रखती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी बात स्पष्ट है कि इस चुनाव में सरकारी साधनों का जैसा खुला दुरुपयोग हुआ है, वैसा अभी तक नहीं हुआ था···(व्यवधान)

श्री कृष्ण चंद्र पांडे (खलीलाबाद) : मानीराम में हारने के बाद भी श्री टी.एन. सिह मुख्यमंत्री बने रहे। उनकी ओर से सत्तर जीपें चल रही थीं। फिर भी १६०९०६ वोटों से वह हारे। सरकारी साधनों का वहां खुलकर दुरुपयोग हुआ। और उलटे हम पर माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि हमने साधनों का दुरुपयोग किया।

श्री वाजपेयी : इनके वक्ता बोल रहे हैं, वे जवाब दे सकते हैं। लेकिन बहुमत कितना

** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में ३१ मार्च, १९७१ को भाषण और वाद-विवाद*

उतावला बनाता है, यह इसका परिचायक है। अगर विरोधी को सुनने की सहिष्णुता और शालीनता नहीं है···(व्यवधान)

श्री शंभू नाथ (सैदपुर) : झूठ बात नहीं सुन सकते हैं।

श्री वाजपेयी : आपको सुनना पड़ेगा। झूठ या सत्य का फैसला आप करेंगे?

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं माननीय सदस्यों से अपील करती हूं कि वे श्री वाजपेयी को बोलने दें। मैं श्री वाजपेयी से कहूंगी कि यह जो हुल्लड़ होना शुरू हुआ था, वह हम लोगों ने नहीं किया। वह पिछली लोकसभा में दूसरे माननीय सदस्यों ने किया था।

श्री वाजपेयी : अब तो नई लोकसभा बन गई है। नए युग का आरंभ हो गया है। क्या प्रधानमंत्री पुरानी लोकसभा का हवाला देकर हुल्लड़ का समर्थन कर रही हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस देश में आम चुनाव पहले भी हुए हैं। उन आम चुनावों में जनता ने अपना निर्णय दिया था। लेकिन इस चुनाव में जितना सरकारी साधनों का, प्रचार के तंत्रों का, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो का भी समावेश हो जाता है, और पूंजी की शक्ति का दुरुपयोग हुआ, इतना दुरुपयोग पहले कभी नहीं हुआ था। आवश्यकता है कि लोकतंत्र में स्वस्थ परंपराएं विकसित की जाएं। सत्तारूढ़ दल प्रचंड बहुमत में है। उस पर यह जिम्मेदारी है कि वह ऐसी परंपराएं डाले, जिससे ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन किसी एक दल के प्रचार के साधन न बनें। इस तरह की सिफारिश चंदा कमेटी ने की थी, लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं किया गया। आज उस पर गंभीरता से फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

हमारा संविधान इलेक्शन कमीशन पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वह देखे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों। लेकिन इस चुनाव में जो मतदाता-सूचियां बनीं, वे दोषपूर्ण थीं, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। मैं यह नहीं कहता कि इससे केवल हमको क्षति पहुंची है। कहीं-कहीं सत्तारूढ़ दल को भी क्षति पहुंची होगी। यह प्रश्न किसी दल के लाभ का नहीं है। चुनाव के लिए यह आवश्यक है कि मतदाता सूचियां शुद्ध हों, उनमें सभी अधिकारी व्यक्तियों के नाम आएं और जो भी अपने मत का प्रयोग करना चाहता है, उसको वह अवसर दिया जाए।

इलेक्शन कमिश्नर तीन हों

मतगणना की पद्धति ऐन वक्त पर बदल दी गई। चुनाव आयोग ने उसके बारे में किसी से परामर्श नहीं किया। मुझे बताया गया कि सत्तारूढ़ दल से भी परामर्श नहीं हुआ। प्रश्न सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल का नहीं है। अगर मतगणना की पद्धति बदलनी है, तो सभी दलों को विश्वास में लिया जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने हमें यह आश्वासन भी दिया था कि वह एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन करेंगे, जिसमें इस पद्धति के परिवर्तन के संबंध में सुझाव लेंगे, लेकिन इस तरह की बैठक नहीं हो सकी। हमारी मांग है कि केवल एक व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर नहीं होना चाहिए। संविधान के निर्माताओं की मंशा थी कि इलेक्शन कमीशन में तीन सदस्य हों। चुनाव का काम बड़ा है। सारे देश के चुनाव का संचालन एक गुरुतर भार है। वह एक व्यक्ति के बूते का काम नहीं है। इसलिए एक त्रि-सदस्यीय इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति आवश्यक है, ताकि इस चुनाव में जो अनियमितताएं हुई थीं, भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति का अवसर न मिले।

'गरीबी हटाओ' का नारा लगाकर चुनाव जीतना सरल है, लेकिन नारे से गरीबी को हटाना संभव नहीं है।···(व्यवधान) क्या मैं समझूं कि अभी तक देश में जो सरकार थी—और वह संयुक्त

कांग्रेस की सरकार थी—क्या वह गरीबी हटाना नहीं चाहती थी? क्या गरीबी हटाना कोई नया अन्वेषण या खोज है? यदि सरकारी पार्टी यह कहे कि तेईस साल तक गरीबी हटाने के हमारे प्रयत्न विफल हो गए, यदि वह अपनी विफलता स्वीकार करे और यह आश्वासन दे कि भविष्य में हम ईमानदारी से गरीबी हटाना चाहते हैं, तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन तेईस साल के सारे कार्य-कलाप को इतिहास की दृष्टि से शून्य बनाना संयुक्त कांग्रेस के लिए कोई शोभा की बात नहीं है। राष्ट्रपति का अभिभाषण और वित्त मंत्री का भाषण, दोनों सदन के सामने हैं और हम केवल घोषणा ही नहीं, अपितु उसको कार्यान्वित करने के ढंग, इन दोनों पर एक साथ विचार कर सकते हैं। राष्ट्रपति महोदय ने जो समस्याएं अपने अभिभाषण में उठाई हैं, हम आशा करते हैं कि वित्त मंत्री महोदय का बजट-भाषण उन समस्याओं के ठोस समाधान के संबंध में सरकार की नीति और कार्यक्रम का उल्लेख करेगा।

रोजगार को मूलभूत अधिकार बनाएं

यह कहा जा रहा है कि गरीबी हटनी चाहिए। देश में शायद ही कोई ऐसा दल हो, जो गरीबी को बनाए रखना चाहता है। लेकिन गरीबी हटाने के लिए जो पहला कदम है जिसकी ओर राष्ट्रपति महोदय ने संकेत भी किया है, वह है अधिक से अधिक रोजगार की व्यवस्था करना। मैं एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं। सरकारी पार्टी को दो-तिहाई बहूमत प्राप्त है। हम संविधान का संशोधन करके रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल करें। सरकार हर व्यक्ति के लिए रोजगार का प्रबंध करने का उत्तरदायित्व ले, और जिसको वह रोजगार नहीं दे सकती, थोड़े समय के लिए उसकी आजीविका चलाने का प्रबंध वह करे। हम संविधान में संशोधन के विरोधी नहीं हैं। अगर इस दिशा में संविधान का संशोधन किया गया, तो हम उसका समर्थन करेंगे। रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए।

लेकिन वित्त मंत्री महोदय ने केवल ५० करोड़ रुपया रोजगार के लिए रखा है। ५० करोड़ रुपया तो लोगों को रोजगार देने की योजना बनाने पर ही खर्च हो जाएगा।

श्रीमती इंदिरा गांधी : योजना बन चुकी है।

श्री वाजपेयी : अगर कोई योजना बन चुकी होती, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण और वित्त मंत्री के बजट-भाषण में उसका कोई उल्लेख होता। अगर कोई ठोस योजना है, तो प्रधानमंत्री महोदया अपने जवाब में बताएं। सदन को जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्रीमती इंदिरा गांधी : पहले भी बता चुकी हूं।

श्री वाजपेयी : इस योजना के लिए ५० करोड़ रुपया बहुत कम है। अपर्याप्त है। अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने का जो उद्देश्य है, वह इससे पूरा नहीं किया जा सकता।

मैं डॉ. वी. के.आर.वी. राव से सहमत हूं कि एक नेशनल मिनिमम होना चाहिए—रोजगार हम किस मजूरी पर देना चाहते हैं, यह निश्चित किया जाए। आज हर एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आय क्या हो यह तय हो और न्यूनतम आय तय करना ही काफी नहीं है। अगर विषमता घटानी है, तो सरकार यह स्पष्ट करे कि कम से कम आमदनी और अधिक से अधिक आमदनी में और कम से कम खर्च और अधिक से अधिक खर्च में कितना अंतर होना चाहिए—१ और १०० का अंतर या १ और ५० का अंतर या १ और २० का अंतर? एक व्यक्ति की दैनिक आमदनी तीस पैसे हो और दूसरा तीस हजार रुपया प्रतिदिन खर्च करे। इंडियन एयरलाइंस

कारपोरेशन में काम करनेवाले एक कर्मचारी का वेतन १६५ रुपए महीना हो और देश में अधिक से अधिक तनख्वाह दस हजार रुपए महीना हो, यह विषमता को मिटाने का तरीका नहीं है। अभिभाषण में समाजवाद शब्द है या नहीं, इसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि समाजवाद को आचरण में लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए जाते हैं या नहीं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में यह बताएं कि इस सरकार की दृष्टि में न्यूनतम और अधिकतम आय में कितना अंतर होना चाहिए। यह विषमता को हटाने की कसौटी है और इस कसौटी पर सरकार खरी उतरी है या नहीं, यह हम देखना चाहते हैं।

आप देखिए कि बेरोजगारी के संबंध में राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में क्या कहा गया है : "शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।" क्या अभी तक केवल ध्यान दिया जा रहा था और अब विशेष ध्यान दिया जाएगा? क्या बेरोजगारी कोई भगवान है कि उसका ध्यान करने से समस्या हल हो जाएगी? क्या यह ध्यान-योग का पाठ पढ़ाया जा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी गंभीर रूप धारण कर रही है, यह सच है। लेकिन शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी की भयंकरता को हम कम करके देखने का प्रयत्न न करें।

उसके लिए जहां बंद पड़े कारखानों को चलाने की जरूरत है, इस पर भी विचार होना चाहिए कि जिन कारखानों में आज एक पारी चल रही है, आगे वहां दो-तीन पारियां चल सकती हैं। एक ओर कारखानों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा है और दूसरी ओर शिक्षित, प्रशिक्षित लोग बेरोजगार पड़े हैं। अगर हम कारखानों को पूरी क्षमता से चला सकें तो फिर हम बेरोजगारी की समस्या को, कम से कम जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी समस्या को काफी हल कर सकते हैं।

कृषि पर भी ध्यान दें

मुझे यह भी देखकर आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं हुआ है कि कृषि पर आधारित बिजली से चलनेवाले छोटे उद्योग-धंधों का देश में जाल बिछाया जाएगा। जब तक कृषि पर आधारित उद्योग विकसित नहीं होंगे, तब तक ग्रामीण क्षेत्र में सबको रोजगार नहीं दे सकते। सरकार के पास इसकी कोई योजना है या नहीं? अगर योजना है तो उसे अमल में लाने की आवश्यकता है, उसके लिए विशेष निधि रखने की आवश्यकता है।

भूमि-सुधार आवश्यक हैं। भूमि को जोतनेवाला भूमि का मालिक होना चाहिए।…(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह शायद मुझे पहली बार सुन रहे हैं। जो लोकसभा में पहली बार आए हैं उन्हें थोड़ा समय लगेगा, जरा धैर्य का परिचय दें। लेकिन देश में जितने लोग भूमि पर निर्भर हैं, वह संख्या हमें घटानी होगी। परती पड़ी हुई जमीन को खेती लायक बनाकर भूमिहीनों में वितरित किया जाएगा, इसमें कोई मतभेद नहीं है। अगर २३ साल में यह काम नहीं हुआ तो सत्तारूढ़ दल के अंदर जिन बड़े-बड़े जमींदारों का प्रभाव है, वह इसके लिए जिम्मेदार हैं। उसके लिए विरोधी दल जिम्मेदार नहीं हैं। योजनाएं बनाकर आप भूमि बांटिए। जो सरकारी जमीन पड़ी है, उसे खेती के योग्य बनाकर उसका वितरण करिए। लेकिन भूमि पर भार ज्यादा है, भूमि कम है। प्रयत्न होने पर भी हम, इच्छा होने पर भी, सबको जमीन नहीं दे सकते। हमें भूमि पर से लोगों को हटाकर कारखानों पर लगाना होगा। कृषि पर आधारित उद्योग-धंधों का विकास करना होगा। इसके संबंध में ठोस योजना बनाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में बढ़ते हुए मूल्यों की चर्चा की है। वित्त मंत्री महोदय ने भी उसका उल्लेख किया है। मगर दोनों भाषणों में बढ़ते हुए मूल्यों के कारण जो गंभीर परिस्थिति पैदा हो रही है, उसके समाधान का कोई रास्ता नहीं दिखाया गया। श्री यशवंत राव चह्वाण ने अपने बजट-भाषण में क्या कहा, उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"हम सर्वसाधारण के काम में आनेवाली अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में उचित अंश तक स्थिरता लाने के लिए शक्तिशाली कदम उठाने का विचार कर रहे हैं।"

यह विचार कब तक चलेगा? यह विचार कब तक पूरा होगा? मूल्यों को अगर हम स्थिर नहीं कर सके तो फिर हम देश की अर्थ-व्यवस्था के विकास को संतुलित नहीं रख सकते। रेलवे में घाटा है। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है, उसमें घाटा है। राज्य सरकारें जो बजट पेश कर रही हैं, वह घाटे का बजट है। अब अगर मुद्रा-स्फीति की जाएगी या घाटे का बजट छोड़ा जाएगा तो दाम बढ़ेंगे और फिर विकास के लिए हमें पूंजी कहां से मिलेगी? आज हम इस गंभीर परिस्थिति में अपने को जकड़ा हुआ पाते हैं। राज्यों में अधिक टैक्स लगाकर रुपया इकट्ठा करने की इच्छा नहीं है। केंद्र सरकार भी कर-भार बढ़ाने में संकोच से काम लेगी। फिर रास्ता बचता है फिजूलखर्ची को रोकने का। सरकारी खर्चे में कमी करने का। इसके संबंध में भी बजट-भाषण में किसी तरह का संकेत नहीं दिया गया।

मूल्य स्थिर कैसे हों?

मूल्यों को स्थिर तब तक नहीं रखा जा सकता जब तक सरकार एक ओर तो उत्पादन बढ़ाने और दूसरी ओर बढ़े हुए उत्पादन का ठीक तरह से वितरण करने के संबंध में कोई ठोस और प्रभावशाली नीति न बनाए। आज मिट्टी के तेल की कमी है। आज देश में कोयले की कमी है। यह कमी किसी आयात-निर्यात की नीति में दोष होने के कारण नहीं है। यह वितरण में जो त्रुटियां हैं, उसके कारण कमी है। अब अगर वितरण में त्रुटियां हैं, और आप उन्हें ठीक करने का प्रबंध नहीं करेंगे, बढ़े हुए उत्पादन को ठीक तरह से बांटने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो मूल्य बढ़ेंगे और बढ़े हुए मूल्यों के साथ कर्मचारियों की महंगाई-भत्ता बढ़ाने की मांग बढ़ेगी।

यह सवाल आनेवाला है कि केंद्र और राज्यों के कर्मचारियों के महंगाई-भत्ते समान होने चाहिए। इसके लिए राज्यों के पास साधन नहीं है। राज्यों को साधन केंद्र से मिलने चाहिए और केंद्र के सामने भी साधनों की समस्या है। लेकिन अगर सारा ध्यान इस बात पर दिया जाएगा कि बिना मूल्यों को स्थिर किए हुए हम लोगों को महंगाई-भत्ता देने का विचार करें तो फिर महंगाई-भत्ता बढ़ाने की मांग को आप रोक नहीं सकते।

हमने दिल्ली में एक सुपर बाजार खोला था लोगों की सहायता करने के लिए, लेकिन उसमें पिछले चार सालों में ७५ लाख रुपए का घाटा हुआ। घाटे पर सुपर बाजार चलाना, सरकारी कारखानों में भारी क्षति उठाना, जितना रुपया लगा है उसके ब्याज की दर पर भी लाभ न प्राप्त करना, क्या यह साधन जुटाने का तरीका है? क्या यह समाजवाद लाने का तरीका है? सार्वजनिक क्षेत्र का अंधाधुंध विस्तार करके जो साधन हमें चाहिए, वे साधन हम नहीं जुटा सकते। जितना भी सार्वजनिक क्षेत्र आज है, उसे हम ठीक तरह से चला कर दिखाएं, क्षमता बढ़ाएं और लोगों को अधिकाधिक परिश्रम करने के लिए प्रेरित करें। उसके साथ-साथ न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर उनकी वेतन की मांग भी पूरी होनी चाहिए। लेकिन एक बात देशवासियों से साफ कहनी

होगी कि गरीबी केवल सरकार के प्रयत्न से नहीं हट सकती। इसके लिए जनता को भी परिश्रम करना है। लोग तो यह समझते हैं कि प्रधानमंत्री के पास कोई जादू की छड़ी है, उसे घुमाया और गरीबी गई। चुनाव समाप्त हो गए हैं। अब मैं चुनाव की राजनीति को यहां पर नहीं लाना चाहता। लेकिन ५० करोड़ देशवासियों को कठोर से कठोर परिश्रम करने के लिए, राष्ट्रीय समृद्धि में भागीदार बनने के लिए जब जगाया जाएगा, कर्मप्रवृत्त किया जाएगा, तभी नए युग को लाने का नारा सफल हो सकता है।

श्री क.ना. तिवारी (बेतिया) : प्रधानमंत्री हमारे यहां गई थीं तो उन्होंने कहा कि गरीबी जादू की छड़ी से नहीं हटाई जा सकती।

श्री वाजपेयी : चुनाव के पहले ही कहा था या बाद में कहा था?

उपाध्यक्ष महोदय, गरीबी हटाने के लिए रचनात्मक, प्रभावशाली उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है। कम से कम हम तो यह आश्वासन देना चाहते हैं कि सरकार अगर कोई ठोस रचनात्मक कदम उठाएगी तो उसके लिए हमारा सहयोग मिलेगा। सत्तारूढ़ दल एक हवा की लहर पर चढ़कर सिंहासन पर पहुंचा है। जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के पूरा न होने पर जो लहर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकती है, वह धरती तक भी ला सकती है, यह किसी को भी भूलना नहीं चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक वाक्य और रखा गया है, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। आज प्रातःकाल हमने पूर्वी बंगाल की स्थिति के संबंध में एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। पूर्वी बंगाल की स्थिति मतभेद का विषय नहीं है। लेकिन केवल प्रस्ताव पास करके हमारा उत्तरदायित्व समाप्त नहीं होता। राष्ट्रपति महोदय ने अपने भाषण में कहा था :

पूर्वी बंगाल को मान्यता दो

"जब कभी शांति को खतरा होगा, स्वतंत्र देशों की स्वाधीनता नष्ट होगी और उपनिवेशवाद को उसके पुराने या नए रूप में लाने की कोशिश की जाएगी, इस सरकार की आवाज उठेगी।"

पूर्वी बंगाल में हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, वह एक नया उपनिवेशवाद का तांडव देख रहे हैं। वहां की जनता के साथ, वहां के नेता शेख मुजीबुर्रहमान के साथ हमारा समर्थन है और मैं इस मांग को दोहराना चाहता हूं जो श्री इंद्रजीत गुप्त ने रखी है कि शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में गठित पूर्वी बंगाल की सरकार अगर मान्यता के लिए भारत के पास आती है, तो उसे मान्यता देने में हमें किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए।

हम शेख मुजीबुर्रहमान का अभिनंदन करना चाहते हैं। मजहब के आधार पर राष्ट्रीयता नहीं चलेगी—यह पूर्वी बंगाल का सबसे पहला पाठ है··(व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा गांधी : आपको इसे सीखना चाहिए।

श्री वाजपेयी : हमने दो राष्ट्रों के सिद्धांत में कभी विश्वास नहीं किया, यह सर्वथा गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, देश का बंटवारा हुआ, हमारी पार्टी उस वक्त थी भी नहीं। अपने जन्म के पहले ही हमने अगर देश का बंटवारा कर दिया, यदि हम इतने शक्तिशाली थे, तो इस अपराध को स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं। हमारे जन्म के पहले ही बंटवारा हुआ और जो बंटवारा करने के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी तरफ मैं उंगली उठाना नहीं चाहता हूं। लेकिन पूर्वी बंगाल की समस्या हम सबको नई दृष्टि से विचार करने के लिए प्रेरित कर रही है। आर्थिक असंतुलन का प्रश्न हमारे

देश में भी गंभीर रूप धारण कर रहा है।

मैं चाहता हूं कि सरकार एक दूसरे राज्य-पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति करे। मांग उठ रही है—तेलंगाना की, मांग उठ रही है—गोवा की, उन्हें राज्य का दर्जा दिया जाए। हमारे मणिपुर और त्रिपुरा के बंधु आज आंदोलित हैं, इस प्रश्न को टुकड़ों में हल करने के बजाय एक नया राज्य-पुनर्गठन आयोग नियुक्त करके आर्थिक संतुलन, भाषाई एकता और भौगोलिक लगाव के आधार पर विचार करना चाहिए। पुनर्गठन के प्रश्न पर राजनीतिक दबाव में आकर राज्य की मांग को पूरा करने के बजाय एक कमीशन को सौंपकर उसके सुझावों के आधार पर निर्णय करना ज्यादा अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हम पर एक ताना कसा जा रहा है—गठबंधन के बारे में। हमने गठबंधन किया था और उस गठबंधन के लिए हमें अफसोस नहीं है। हमें यह संतोष है कि हमने उनके साथ गठबंधन नहीं किया जो देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार हैं। हमने उनके साथ गठबंधन किया, जिनकी निष्ठा देश के बाहर नहीं है। लोकतंत्र में, राष्ट्रीयता में, आर्थिक और सामाजिक न्याय में विश्वास करनेवालों के साथ हमने गठबंधन किया। देश की समस्याओं पर सबका सहयोग लेने की आवश्यकता हमें ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी पड़ेगी। लेकिन जनता का जो निर्णय है, वह हमें स्वीकार है, और इस संसद में विरोधी दल के नाते हम अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। धन्यवाद।

यह अराजकता का आरंभ है

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि श्री हनुमंतइया सदन में विराजमान हैं। कल उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को असाधारण कहा था। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि किस अर्थ में उन्होंने अभिभाषण को असाधाण कहा था। लेकिन एक बात साफ है कि राष्ट्रपति जी के केवल इस अभिभाषण को असाधारण कहकर श्री हनुमंतइया ने यह मान लिया है कि राष्ट्रपति के अब तक जो भी अभिभाषण हुए हैं, वे नितांत साधारण थे।

राष्ट्रपति वही हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करनेवाली सरकार भी वही है, उस सरकार की प्रधानमंत्री भी वही हैं। फिर यह भाषण असाधारण कैसे हो गया? एक कारण मुझे जरूर दिखाई देता है कि सत्तारूढ़ दल में विभाजन के बाद यह भाषण दिया गया है। क्या इसका अर्थ यह है कि अगर राष्ट्रपति महोदय को फिर से कोई असाधारण भाषण देना होगा, तो सत्तारूढ़ दल का फिर एक नया विभाजन करना होगा?

सच्चाई यह है कि राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण अयथार्थवादी है। वह देश की दशा का अपूर्ण, अवास्तविक, एकांगी तथा कुछ मात्रा में विकृत चित्र पेश करता है। उनके अभिभाषण से लगता है मानो देश की वाटिका में सब कुछ सुहावना, सुंदर और सुमधुर है। लेकिन परिस्थिति इसके प्रतिकूल है।

राष्ट्रपति जी कहते हैं कि देश "गतिमान हो गया है।" उन्होंने यह भी कहा कि "लोगों में बड़ी ताकत आई है और जोश पैदा हुआ है। विचार, रुख और आदतों में भी तेजी से परिवर्तन हो रहा है।" राष्ट्रपति जी जिसे गतिशीलता कहते हैं, वह अराजकता का आरंभ मात्र है। लोगों में कैसी ताकत आई है, यह हमने पंजाब और हरियाणा में देखा। पंजाब में गणतंत्र दिवस के पवित्र अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ और हरियाणा में गुरुद्वारों को भग्न और भ्रष्ट किया गया। लोगों में कैसा जोश पैदा हुआ है, यह चौधरी रणवीर सिंह से पूछना चाहिए—जो इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, जिनका मकान ध्वस्त कर दिया गया।

पश्चिमी बंगाल में जो कुछ हो रहा है, क्या वह लोगों के जोश और उत्साह का प्रमाण है? राजनैतिक हत्याएं, महिलाओं का अपमान, न्यायपालिका की अवहेलना, पुलिस की निष्क्रियता,

---

** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में २६ फरवरी, १९७० को भाषण।*

उपकुलपतियों का घेराव, रेलवे स्टेशनों पर हमले, छात्रों की उद्दंडता—यदि ये जोश के लक्षण हैं, तो देश को जोश की जरूरत नहीं, होश की जरूरत है।

प्रधानमंत्री ने कलकत्ता के अपने एक भाषण में कहा था : "फ्रस्ट्रेशन लीड्ज टु प्रोग्रेस।" यह एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन है। अगर फ्रस्ट्रेशन से प्रोग्रेस होती है, तब तो अधिकाधिक प्रगति करने के लिए अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक फ्रस्ट्रेटिड बनाना होगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रधानमंत्री के इस नए सिद्धांत की झलक दिखाई देती है। अभिभाषण में कहा गया है कि देश में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे लोकतंत्रीय ढांचे के अंतर्गत हो रहे हैं। लोकतंत्र केवल ढांचा नहीं है, लोकतंत्र एक प्राण भी है, एक भावना भी है। क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि पिछले सात-आठ महीनों में देश में लोकतंत्र दुर्बल हुआ है? लोकतंत्र केवल जोड़-तोड़ के आधार पर बहुमत बनाकर जैसे-तैसे चलनेवाली सरकार का नाम नहीं है। लोकतंत्र सोचने, आचरण करने, व्यवहार करने, और जीवन बिताने का एक तरीका है। लोकतंत्र मर्यादाओं और परंपराओं के आधार पर चलता है। आज मर्यादाएं टूट रही हैं, और परंपराएं उपहास का विषय बनाई जा रही हैं, अनुशासनहीनता अलंकृत की गई है, अमर्यादित आचरण पुरस्कृत किया जा रहा है, विश्वासघात की पूजा हो रही है और सत्ता के संघर्ष में साधनों की पवित्रता ताक पर रख दी गई है।

विधायकों की खरीद-फरोख्त

हाल में उत्तर प्रदेश में एक-एक विधायक को खरीदने के लिए पचास-पचास हजार रुपए की बोली लगाई गई। यह बोली किसने लगाई, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। और प्रधानमंत्री और उनके समर्थक काफी अक्लमंद हैं।

बैंक राष्ट्रीयकरण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद देश में न्यायपालिका को जनता की दृष्टि में गिराने का जो योजनाबद्ध प्रयास हुआ है, वह लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकता। अन्य मामलों की तरह से प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका की प्रतिष्ठा पर आघात करने के अभियान में भी नेतृत्व किया है। इंदौर में श्रीमती गांधी ने कहा है, मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं :

"इससे जाहिर होता है कि जो लोग बदलाव लाना चाहते हैं या कुछ नया कर दिखाना चाहते हैं, उनके रास्ते में किस तरह की अड़चनें खड़ी कर दी जाती हैं।"

संक्षेप में, उनका अभिप्राय यह था कि सर्वोच्च न्यायालय प्रगति के मार्ग में रोड़ा है। प्रगति क्या है, क्या नहीं है, इसका निर्णय संसद करेगी। लेकिन प्रगति के आधार पर उठाए गए कदम संविधान के अंतर्गत हैं या नहीं, इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय प्रगति के मार्ग में बाधा नहीं हो सकते। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे निर्णयों से बचना चाहते हैं, तो कानून बनाते हुए हमें अधिक सावधानी से काम लेना चाहिए। लेकिन अपनी जल्दबाजी के लिए सर्वोच्च न्यायालय को दोष देना न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने का तरीका नहीं है।

जब एक बार प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, तो फिर श्री खाडिलकर क्यों पीछे रहते? उन्होंने कहा, मैं उनके शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं :

"ऐसे फैसलों से न्यायपालिका की प्रतिष्ठा बढ़ नहीं जाती।"

सांको पांजा की तरह से सुप्रीम कोर्ट को एक पनचक्की समझकर अपनी जुबान की तलवार चलाते हुए श्री खाडिलकर ने कहा :

"ऐसे फैसलों को आम लोग और ज्यादा तिरस्कार की दृष्टि से देखेंगे।"

क्या किसी राज्यमंत्री को इस तरह का भाषण करना चाहिए? क्या यह न्यायपालिका की अवहेलना करने का प्रयास नहीं है? जिन्हें जिम्मेदार व्यक्ति समझा जाता है, वे अगर इस तरह के गैर-जिम्मेदार भाषण देंगे तो फिर जन-साधारण को संयम में कैसे रखा जा सकता है?

उत्तर प्रदेश में बैंक-कर्मचारियों के एक तथाकथित नेता ने कहा, मैं उनके शब्द उद्धृत कर रहा हूं :

"हम बैंक उद्योग में शांति की गारंटी नहीं दे सकते, जब तक समूचे बैंक उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का घोषित नहीं कर दिया जाता।"

न्यायपालिका को बदनाम करने के प्रयत्नों में यदि उन तत्वों का हाथ हो, जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते, या जो संविधान को भीतर से तोड़ना चाहते हैं, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री और उनके समर्थक जब न्यायपालिका को गिराने का प्रयत्न करते हैं, तो लोकतंत्र के भविष्य के संबंध में स्वाभाविक आशंका पैदा होती है।

किंतु यह पहला ही अवसर नहीं है, जब प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के संबंध में अपनी अनावश्यक अधीरता प्रकट की है। पहले वह सर्विसिज के कमिटिड होने की बात कह चुकी हैं। क्या अर्थ है सर्विसिज के कमिटिड होने का? क्या दल और सरकार के बीच में कोई विभाजन-रेखा नहीं रहनी चाहिए? क्या प्रधानमंत्री उस लक्ष्मण-रेखा का उल्लंघन करना चाहती हैं? यदि वह उसका उल्लंघन करना चाहती हैं, तो फिर लोकतंत्र की सीता की रक्षा नहीं की जा सकती। क्या सर्विसिज की कमिटमेंट का मतलब यह है कि अधिकारी अपनी बुद्धि, अपने तथ्य और अपने विवेक को ताक पर रख दें और प्रधानमंत्री की हां में हां मिलाएं?

मतभेद प्रकट करना गुनाह नहीं

यह ठीक है कि संसद जो भी निर्णय करेगी, वह निर्णय हमारे अधिकारियों को निष्ठा के साथ कार्यान्वित करना चाहिए। लेकिन जब तक निर्णय नहीं होते, तब तक अधिकारियों को इस बात की छूट होगी या नहीं कि वे अपनी राय निर्भीकता और स्वतंत्रता के साथ प्रकट कर सकें? किंतु देश में आज एक ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, मानो मतभेद प्रकट करना एक गुनाह है। यह लोकतंत्र को मजबूत करने का तरीका नहीं है।

लोकतंत्र का एक आधार है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रधानमंत्री प्रेस की स्वतंत्रता को भी पसंद नहीं करतीं। बंबई के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने कुछ समाचारपत्रों में काम करनेवाले संपादकों और संवाददाताओं को बुलाया और इस बात की शिकायत की कि बंबई अधिवेशन की ठीक तरह से पब्लिसिटी नहीं हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं आपके मालिकों को बुलाकर दस मिनट में आपको ठीक कर सकती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, भारत के पत्रों में प्रधानमंत्री के भाषण और उनकी तस्वीरें जितना स्थान लेती हैं उतना स्थान दुनिया के किसी लोकतंत्रवादी देश के प्रधानमंत्री को नहीं मिलता। फिर भी प्रधानमंत्री उससे संतुष्ट नहीं हैं। शायद वह चाहती हैं—एकोऽहं द्वितीयो नास्ति। एक मैं हूं, दूसरा और कोई नहीं है। मेरे समान कौन है? यह भावना तानाशाही को जन्म देती है। प्रधानमंत्री को

इस भावना के प्रति सावधान रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्वीकार करता हूं कि बैंकों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है, उससे एक नई और नाजुक परिस्थिति पैदा हो गई है। उस परिस्थिति पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा। यदि सार्वजनिक हित के लिए हम किसी संपत्ति को या किसी उद्योग को लेने का निर्णय करते हैं और उसके अधिग्रहण के बदले में हमें उतना मुआवजा देना पड़ता है, जितना सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है तो फिर उस सम्पत्ति को लेने का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हमने जमींदारी-उन्मूलन किया तो मेरे दल ने कहा कि जमींदारों को केवल पुनर्वास के लिए सहायता मिलनी चाहिए। जमींदारों को कार्ड भी दिए गए थे। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने देश को पुनः उसी स्थिति में खड़ा कर दिया, जिस स्थिति में हम १९६४ में थे···(व्यवधान)

श्री शशिभूषण (खरगोन) : १९४६।

श्री वाजपेयी : १९४६ में।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें ऐसा तरीका निकालना होगा कि जिससे व्यक्तिगत संपत्ति को सार्वजनिक हित में लेने के कार्य को वित्तीय दृष्टि से सुगम बना सकें। किंतु उसके लिए मैं मूल अधिकारों में से सम्पत्ति के अधिकार को निकालने के खिलाफ हूं। संविधान के निर्माताओं ने मूल अधिकारों को समझ-बूझकर रखा था। संपत्ति संबंधी अधिकार को मूल अधिकारों में से निकालने का अर्थ होगा आम आदमियों, विशेषतः गरीब किसानों को, जिनकी प्रति वर्ष लाखों एकड़ जमीन उद्योग और नगरों के विकास के लिए ली जाती है, सरकार की मनमानी पर छोड़ देना। प्रश्न केवल मुट्ठी भर धन-कुबेरों का नहीं है, प्रश्न करोड़ों साधारण आदमियों का भी है।

मैं मानता हूं संपत्ति का अधिकार समाज-सापेक्ष होता है। परिस्थितियों के अनुसार संपत्ति के अधिकार पर मर्यादाएं लगाई जाती हैं। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने जिन बातों को ध्यान में रखकर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार में रखा था, आज उनमें कोई मौलिक परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। यह आश्चर्य की बात है कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्य सम्पत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में से निकालने के प्रश्न पर दो भाषाओं में बोल रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष श्री जगजीवन राम जी ने कहा कि हम सम्पत्ति का अधिकार छीनना नहीं चाहते हैं। लेकिन कल श्रीमती सावित्री श्याम ने कहा कि संविधान में से यह अधिकार निकाल देना चाहिए। श्री जगजीवन राम और श्रीमती सावित्री श्याम—राम और श्याम की यह जोड़ी अलग-अलग स्वरों में बोले, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मेरी मांग है कि संपत्ति संबंधी अधिकार को मूलभूत अधिकारों में से निकालने के प्रश्न पर सरकार जनमत-संग्रह करे। यह संविधान में एक मौलिक परिवर्तन की बात है। देश का जन-जीवन इससे प्रभावित होगा। इस संबंध में कोई भी निर्णय करने से पहले इस सवाल पर जनता की राय ली जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : पार्लियामेंट क्या है?

श्री वाजपेयी : पार्लियामेंट क्या है, मैं इसकी भी चर्चा करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद मूलभूत अधिकारों को न तो कम किया जा सकता है न समाप्त किया जा सकता है। मेरे मित्र श्री नाथ पै एक विधेयक पेश करके संसद के उस अधिकार की पुनः स्थापना करना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि उनका विधेयक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तब तक कायम रहेगा जब तक

स्वयं न्यायालय उस निर्णय को किसी मामले में बदल न दे।

यह विवाद व्यर्थ है कि संसद बड़ी है या सर्वोच्च न्यायालय बड़ा है। दोनों अपने-अपने क्षेत्र में बड़े हैं। हम कानून बनाने में बड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय कानून की व्याख्या करने में बड़ा है, किंतु दोनों से बड़ा है भारत का संविधान। दोनों को संविधान की सीमा में रहना है। संविधान कोई जड़ वस्तु नहीं है। संविधान को बदलती हुई परिस्थिति का प्रतिबिंब होना पड़ेगा। संविधान में उसके संशोधन की व्यवस्था की गई है। मगर उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी बातें हैं जो दो-तिहाई बहुमत से बदली नहीं जा सकतीं। उदाहरण के लिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या संसद दो-तिहाई बहुमत से भारतीय गणतंत्र को राजतंत्र घोषित कर सकती है? नहीं घोषित कर सकती। क्या संसद दो-तिहाई बहुमत से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को महारानी इंदिरा गांधी घोषित कर सकती है? नहीं कर सकती। संसद दो-तिहाई बहुमत से छुआछूत का कानूनन प्रचलन नहीं कर सकती है। न हम दो-तिहाई बहुमत से जन्म, जाति, वंश या मजहब के आधार पर भेदभाव करनेवाली समाज-व्यवस्था या राज्य की रचना कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना बदलने का कोई प्रावधान नहीं। इसलिए हमें संविधान के मूलभूत अधिकारों को कम करने या उन अधिकारों को समाप्त करने के पहले गंभीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

जरूरी नहीं था बैंक राष्ट्रीयकरण

बैंक राष्ट्रीयकरण को एक क्रांतिकारी कदम माननेवाले महानुभावों से मेरा निवेदन है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण इतना क्रांतिकारी कदम नहीं है जितना वह समझते हैं। अभी मलेशिया ने बैंकों का आंशिक राष्ट्रीयकरण किया है। क्या हमारे मित्र मलेशिया के चरणचिह्नों पर चलना चाहते हैं? बैंकों के राष्ट्रीयकरण मात्र से शोषणहीन समाज की स्थापना संभव नहीं है। ताइवान में, स्पेन में, फ्रांस और इटली में बैंक सरकार चला रही है। लेकिन जिस तरह की समाज-रचना हम चाहते हैं, उसका दिग्दर्शन उन देशों में नहीं होता। हमने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध किया था। इसलिए नहीं कि निजी बैंकों के ढांचे तथा ऋण देने की नीतियों से हम सहमत थे। इनमें परिवर्तन की गुंजाइश थी। वह परिवर्तन होना चाहिए था। लेकिन हमारी मान्यता थी कि इसके लिए राष्ट्रीयकरण करना अनिवार्य नहीं है, अपरिहार्य नहीं है। स्वयं प्रधानमंत्री ने बंगलौर अधिवेशन में कहा था कि या तो तीन-चार बैंक लेने पड़ेंगे या सामाजिक नियंत्रण के कानून को अधिक मजबूत करना पड़ेगा। स्वयं उनका दिमाग बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में स्पष्ट नहीं था। यह बात अलग है कि जब उन्होंने श्री मोरारजी भाई को मंत्रिमंडल से निकालने का फैसला कर लिया तो श्री मोरारजी भाई के निष्कासन को उचित सिद्ध करने के लिए उन्होंने १४ बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया।

मोरारजी भाई ने बाद में कहा—मुझे मंत्रिमंडल से बैंगन और आलू की तरह से निकाल फेंका गया। मैंने श्री मोरारजी भाई से कहा—आप किचन-कैबिनेट से और क्या आशा कर सकते हैं। किचन-कैबिनेट से अगर आलू और बैंगन का सफाया नहीं होगा तो और क्या होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जो बैंक सरकार ने हाथ में ले लिए हैं, उन्हें फिर से निजी हाथों में देने की आवश्यकता नहीं है। अब राष्ट्रीयकरण को सफल करके दिखाना होगा। अगर राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी विभागों की तरह से चलनेवाले हैं तो आज जनता में जो अशाएं और अपेक्षाएं जगाई गई हैं, वे इस सरकार से जवाब मांगेंगी। अभी तक बैंकों की ऋण देने की नीति में परिवर्तन नहीं

हुआ है···(व्यवधान)

श्री शशिभूषण : सुप्रीम कोर्ट से फुरसत ही नहीं मिली।

श्री वाजपेयी : सुप्रीम कोर्ट तो बाद में आया है। अगर स्टेट बैंक चाहता तो पहले ही अपनी नीतियों में परिवर्तन कर सकता था। खेती के लिए, छोटे उद्योगों के लिए नए कर्ज की आवश्यकता है और अगर राष्ट्रीयकृत बैंक इस कर्ज की आवश्यकता को पूरा कर सकें, विकास की गति को बढ़ा सकें और अपने उद्घोषित उद्देश्यों को पूरा कर सकें तो फिर आज जो आशंकाएं हैं, वे बहुत दूर तक समाप्त हो जाएंगी। लेकिन सरकार के हाथों में अधिकाधिक शक्ति एकत्र करने का जो दुष्परिणाम होता है, उसके प्रति भी हमको आंखें मूंदकर नहीं चलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, भारतीय जनसंघ राष्ट्रीयकरण का सिद्धांत-रूप में विरोधी नहीं है। अगर जनहित में राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता है तो राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है, लेकिन हम राष्ट्रीयकरण को राष्ट्र के समस्त रोगों की रामबाण औषधि नहीं मानते। अब प्रधानमंत्री जी कह रही हैं कि राष्ट्रीयकरण कोई जादू का डंडा नहीं है, जिससे सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तो क्या यह जादू का डंडा कांग्रेस की कपालक्रिया करने के लिए चलाया गया था?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि देश के सामने राष्ट्रीयकरण ही मुख्य प्रश्न नहीं है। राष्ट्रीयकरण के बारे में मतभेद हो सकते हैं। इंग्लैंड में लेबर पार्टी राष्ट्रीयकरण करती है, कंजर्वेटिव पार्टी राष्ट्रीयकरण को समाप्त करती है, लेकिन लेबर और कंजर्वेटिव पार्टियां लोकतंत्र को कमजोर न होने दिया जाए—इस बारे में एकमत हैं। आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता लाते हुए भी हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है, जिससे लोकतंत्र पर आघात लगे। सरकार कहती है कि उसका उद्देश्य लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद में अगर लोकतंत्र समाजवाद से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, तो उतना महत्वपूर्ण जरूर है जितना समाजवाद है। अगर समाजवाद आया और लोकतंत्र समाप्त हो गया तो समाजवाद लाने की हमारी स्वाधीनता भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन इस ढंग से करने होंगे कि लोकतंत्र की भावना को किसी प्रकार की चोट न लगने पाए।

भारतीयकरण नारा नहीं है

सभापति जी, यह बड़े खेद का विषय है कि प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं हैं। लेकिन आजकल प्रधानमंत्री जी भारतीय जनसंघ के भारतीयकरण कार्यक्रम से बड़ी नाराज हैं। जहां जाती हैं, हम पर बरसती हैं, बिना पैसों का हमारा प्रचार करती हैं। हम इसके लिए उनके आभारी हैं। लेकिन शायद या तो उन्होंने भारतीयकरण को ठीक से समझा नहीं है या वह जान-बूझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। भारतीयकरण का संबंध केवल मुसलमानों से नहीं है, भारतीयकरण के अंतर्गत देश की ५२ करोड़ जनता आती है। भारतीयकरण एक नारा नहीं है, यह राष्ट्रीय पुनर्जागरण का मंत्र है। भारतीयकरण का एक ही अर्थ है—भारत में रहनेवाले सभी व्यक्ति, चाहे उनकी भाषा कुछ भी हो, मजहब कुछ भी हो, उनका प्रदेश कुछ भी हो, वह भारत के प्रति अनन्य अविभाज्य, अव्यभिचारी निष्ठा रखें। भारत पहले आना चाहिए, बाकी का सब बाद में। क्या यह कोई आपत्ति की बात है?

सभापति महोदय, ५२ करोड़ के इस देश में ब्राह्मण मिलते हैं, हरिजन दिखाई देते हैं, सिख पहचाने जा सकते हैं, जैन अलग से विराजमान हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, प्रदेशों के आधार पर

बंटे हुए लोग हैं, भिन्न-भिन्न भाषाएं बोलनेवाले व्यक्ति हैं, लेकिन संपूर्ण भारत के प्रति निष्ठा रखनेवाले व्यक्तियों की संख्या उंगली पर गिनने लायक है। प्रधानमंत्री बड़े भोलेपन से कहती हैं—जो भारतीय हैं, उनका भारतीयकरण कैसा? तो मैंने कहा—जो राष्ट्र का है उसका राष्ट्रीयकरण कैसा? सभापति महोदय, हम सब इंसान हैं। मगर कवि, दार्शनिक हमसे कहते हैं—इंसान बनो। हम सब मानव हैं लेकिन हमसे कहा जाता है कि मानव बनो, केवल नाम से नहीं, हृदय से, बुद्धि से, संस्कार से, ज्ञान से। भारतीय हम सब हैं, भारत में पैदा हुए हैं, लेकिन भारत के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए। अभी चंडीगढ़ में क्या हुआ? कल बेलगांव में क्या होनेवाला है? पश्चिम बंगाल में माओ-त्से-तुंग को अपना राष्ट्रपति बतानेवाले माओ के मानसपुत्र गीता और गीतांजलि को तिलांजलि देकर माओ की लाल पुस्तिका घुमा रहे हैं। क्या उनका भारतीयकरण करने की आवश्यकता नहीं है?

सांप्रदायिकता बनाम सेक्यूलरवाद

सभापति जी, देश में मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर सेक्यूलरवाद को मजबूत नहीं किया जा सकता। सेक्यूलरवाद का नारा कोई कांग्रेस पार्टी का नारा नहीं है, यह इस देश की संस्कृति में से निकला हुआ मंत्र है। क्या भारत की स्वाधीनता के बाद भारत को हिंदू राज घोषित नहीं किया जा सकता था? पाकिस्तान ने किया, लेकिन हमने नहीं किया। क्यों? इसलिए कि हमारी संस्कृति उसकी इजाजत नहीं देती। स्वयं हिंदुत्व में उपासना की अनेकों पद्धतियां हैं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा--एक किताब को मानो, एक व्यक्ति में ईमान लाओ, नहीं तो दोखज में जाना पड़ेगा। सत्य एक है, लेकिन विद्वान लोग भिन्न-भिन्न रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। परमात्मा एक ही है, लेकिन उसकी प्राप्ति के अनेकानेक मार्ग हो सकते हैं। लेकिन आज सेक्यूलरिज्म का मतलब हो गया है—हिंदू विरोधी। नान-एलाइनमेंट की तरह इस सरकार के सेक्यूलरिज्म को भी संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। यह संदेह दूर करना होगा। मुझे अपने हिंदुत्व पर अभिमान है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूं या इस्लाम से मेरा कोई झगड़ा है। लेकिन जब मजहब के साथ राजनीति को मिलाया जाता है, जब उसके आधार पर सत्ता हथियाने की कोशिश की जाती है, जब आप पृथकता को बढ़ावा देते हैं, जब आप रब्बात के सम्मेलन में जाने का फैसला करते हैं, तब सांप्रदायिकता बढ़ती है। यह सांप्रदायिकता दुधारी तलवार की तरह से है। एक तरफ सांप्रदायिकता को आग जलाकर दूसरी तरफ आप सांप्रदायिकता को शांत नहीं कर सकते। हर एक को अपने गिरहबान में मुंह डालकर देखना चाहिए। राष्ट्र की एकता को अगर मजबूत करना है तो वह राजनीतिक सौदेबाजी के आधार पर नहीं हो सकती। हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है, ये विविधताएं हमारे जीवन में समृद्धि की द्योतक हैं, लेकिन विविधता के मूल में एकता निवास करती है।

इस एकता को बलशाली बनाने का नाम भारतीयकरण है।

प्रधानमंत्री को नाराज नहीं होना चाहिए। हमारे मित्र श्री मधोक ने कहीं कह दिया कि प्रधानमंत्री का भी भारतीयकरण करना चाहते हैं, तो वह नाराज हो गईं। अगर हम उन्हें छोड़ दें तब भी वह नाराज और अगर उनको जोड़ दें तब भी वह नाराज। प्रधानमंत्री को भारतीयकरण के खिलाफ शिकायत यह थी कि वह अकेले मुसलमानों के लिए है, तो श्री मधोक जी ने कहा कि उसमें मुसलमानों का ही नहीं, सभी का समावेश है और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। इस

पर प्रधानमंत्री बिगड़ गईं। नेहरू जी जब बिगड़ते थे तब अच्छा भाषण दिया करते थे। इसलिए हम कभी-कभी नेहरू जी को छेड़ा करते थे।···(व्यवधान) मगर हम प्रधानमंत्री को छेड़ने की गलती नहीं कर सकते। लेकिन वह तो वैसे ही बिगड़ा करती हैं। मुझे दुख है कि प्रधानमंत्री जी इस समय यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने एक सभा में कहा कि भारतीय जनसंघ को मैं पांच मिनट में ठीक कर सकती हूं। क्या किसी लोकतंत्रीय प्रधानमंत्री की यह भाषा हो सकती है? क्या किसी लोकतंत्रीय सरकार की यह नीति होगी कि पुलिस के जरिए या फौज का उपयोग करके हमें ठीक किया जाएगा? हम दिल व दिमाग की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उस लड़ाई में हमारे साथ आइए। अगर जनता आपके साथ जाएगी तो हमारी पराजय होगी। लेकिन याद रखिए, भारतीयकरण की बात लोगों के दिलों में घुस रही है। हमने जो भारतीयकरण का व्यापक रूप प्रस्तुत किया है, कोई समझदार आदमी उससे मतभेद नहीं रख सकता···(व्यवधान) लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जनसंघ को पांच मिनट में ठीक कर सकती हूं तो मैंने उत्तर दिया—पांच मिनट में आप अपने बाल भी ठीक नहीं कर सकती हैं, हमें क्या ठीक करेंगी।

आर्थिक क्षेत्र में भारतीयकरण

आर्थिक क्षेत्र में भारतीयकरण का अर्थ है एक स्वावलंबी भारत की रचना करना। जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब हम स्वदेशी के मंत्र का जागरण करते थे, लेकिन आज हमारे यहां विदेशी पूंजी, विदेशी साधन, विदेशी तकनीकी ज्ञान, विदेशी प्रेरणा, विदेशी प्रतिभा का बोलबाला है। स्वावलंबी होने के बजाय हम परावलंबी हो गए हैं। रूस और अमरीका पर हमारी निर्भरता एक खतरनाक स्थिति तक पहुंच गई है। इसका परिणाम हमें राजनीतिक क्षेत्र में भी भुगतना पड़ रहा है। अमरीका के दबाव में आकर हमें अपने रुपए की कीमत घटानी पड़ी। रूस के दबाव में आकर हमें ताशकंद समझौता करना पड़ा। हमारे जवानों ने अपने बलिदान से जिस भूमि को जीता, उस भूमि को हमें अपने शत्रु के हाथों में सौंपना पड़ा।

हमारा निवेदन है कि सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्रांतिकारी परिवर्तन करे। सभी प्रकार की विदेशी सहायता बंद की जानी चाहिए—चाहे वह रूस की हो या अमरीका की हो या अन्य किन्हीं देशों की हो। अगर हमें विदेशी मुद्रा चाहिए तो हम दुनिया के बाजार में जाकर अपनी शर्तों पर विदेशी मुद्रा लेंगे। अगर हमें टेक्नोलाजी चाहिए तो वह भी हम खरीदेंगे। चीन को कोई सहायता नहीं देता है। सभी देशों ने चीन को सहायता देना बंद कर दिया है। चीन सहायता लेता भी नहीं है। लेकिन फिर भी चीन प्रगति कर रहा है। हम विदेशी सहायता पर इतना निर्भर हो गए हैं कि अपने पैरों पर खड़े होने की हमारी शक्ति ही कुंठित हो रही है। अगर राष्ट्र के स्वाभिमान को जगाकर हम स्वावलंबन की भावना पैदा करें, यदि इस देश के लोगों में बलिदान करने की ज्योति जगाई जाए तो आर्थिक क्षेत्र में जितने भी कठोर कदम उठाने आवश्यक होंगे, हम उनका समर्थन करेंगे। हम उन कदमों की मांग करेंगे। लेकिन आज स्वावलंबन का चित्र इस सरकार के सामने नहीं है।

राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं करता है। चौथी पंचवर्षीय योजना में हमारी निर्भरता विदेशों पर कम नहीं होती है, बल्कि बढ़ती है। भारतीय जनसंघ ने सरकार के सामने एक स्वदेशी योजना का खाका रखा है। प्रोफेसर सुब्रह्मण्यम स्वामी कई साल तक हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे जो कि हमारे आग्रह पर भारत लौटकर आए हैं, उन्होंने

एक स्वदेशी योजना तैयार की है, जो कि बिना विदेशी सहायता के १०% विकास की दर बढ़ाने का दावा करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद को उस योजना पर विचार करना चाहिए।

विदेशी गठबंधन की जांच हो

यह भी आवश्यक है कि विदेशों के साथ हम जो गठबंधन करते हैं, उनके बारे में भी हम पुनर्विचार करें। हम पिछले २२ सालों से विदेशों से गठबंधन करते आ रहे हैं। उनकी जरूरत घट नहीं रही है, बल्कि बढ़ रही है। निजी क्षेत्र में और सार्वजनिक क्षेत्र में फारेन कोलोब्रेशंस का क्या हाल है, इसका कुछ-कुछ पता आडिटर्स की रिपोर्ट से लगता है। हमारी मांग है कि एक उच्चाधिकारसंपन्न आयोग होना चाहिए, जो विदेशों के साथ किए गए सभी समझौतों की जांच करे कि क्या ये समझौते आवश्यक थे? क्या ये देश के लिए हितकर शर्तों पर किए गए थे? क्या उनके परिणामस्वरूप हमारी अर्थ-व्यवस्था को, हमारे उद्योगों को वास्तव में बल मिला है? जब तक इस तरह के कमीशन की रिपोर्ट नहीं आती, विदेशी गठबंधन की प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने की आवश्यकता है।

यह भी जरूरी है कि कम्युनिस्ट देशों के साथ रुपए के आधार पर हमारा जितना व्यापार चल रहा है, उस सारे व्यापार को सरकार अपने हाथ में ले ले। वह व्यापार सरकारी स्तर पर होता है। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सारा व्यापार।

श्री वाजपेयी : सारे विदेशी व्यापार के संबंध में भी हमारा कहना है कि आयात-निर्यात के व्यापार में जो अनियमितताएं हैं, उनकी जांच के लिए भी एक कमीशन बनना चाहिए। सरकार राष्ट्रीयकरण करने से पहले एक केस बनाए, मामला तैयार करे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में अभी भी मामला तैयार नहीं किया गया है। देश को इस बात से परिचित किया जाना चाहिए कि आयात-निर्यात के व्यापार में क्या धांधलियां हो रही हैं। इस बात का भी निर्णय होना चाहिए कि क्या व्यक्तिगत हाथों से निकालकर व्यापार को सिर्फ सरकार के हाथों में रख दिया जाए। हमें स्वामित्व का फैलाव करना चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को स्वामित्व में शामिल करने की व्यवस्था का विकास करना चाहिए। पूंजीवाद के स्थान पर राज्यवाद—यह हमारी कठिनाइयों का पर्याय नहीं है। मुझे खुशी है कि सरकार ने ज्वाइंट सेक्टर को विकसित करने की बात कही है—एक मिला-जुला सेक्टर जिसमें व्यक्तिगत प्रयत्न भी हों और सरकार को भी भाग मिले। स्वामित्व का अगर हम विकेंद्रीयकरण कर सकें तो वार्षिक शक्ति के केंद्रीयकरण के दोषों से हम बच सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात कहकर मैं समाप्त कर दूंगा।

राष्ट्रपति महोदय ने चंडीगढ़ के संबंध में निर्णय का उल्लेख किया है। चंडीगढ़ के प्रश्न को लेकर जो अभी परिस्थिति उत्पन्न हुई, वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन जैसा कि अन्य व्यक्तियों ने भी कहा है, सरकार इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। मामले को लटकाए रखना, यह इस सरकार की कुशलता है। मदारी की तरह से सवालों के सांपों को वह पिटारी में बंद रखती है और समझती है कि सवालों के सांप अगर पिटारी में बंद हैं तो वह समाप्त हो गए। लेकिन जैसे ही पिटारी खुलती है, सवालों के सांप अपने फन फैलाकर खड़े हो जाते हैं। मुझे दुख है कि चंडीगढ़ का निर्णय किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर नहीं किया गया। आज जो सीमा-विवाद है, उसका निर्णय

होना चाहिए, लेकिन निर्णय करने से पहले कुछ सिद्धांत तय होने चाहिए···(व्यवधान)···ये सिद्धांत सरकार को तय करने हैं।···(व्यवधान)···अरे हमने तो नहले पर दहला मारा है। हम मांग करते हैं कि सीमा विवादों का निर्णय कमीशन द्वारा नहीं, ट्रिब्यूनल के द्वारा होना चाहिए। इसी तरह की बात आज पाटिल जी ने भी कही है। शाह कमीशन बना, लेकिन उसकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई। महाजन कमीशन बना, लेकिन उसकी रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है···(व्यवधान) इसलिए पहले आप सिद्धांत तय कीजिए।

गांव एक यूनिट होगा या तहसील यूनिट होगी अथवा जिला यूनिट होगा, भाषा के साथ भौगोलिक संबद्धता, प्रशासनिक सुविधा इन सबका विचार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अब आप देखिए कि फाजिल्का हरियाणा को दे दिया। चौ. रणधीर सिंह को इसके लिए बधाई है। उन्होंने भूख-हड़ताल की थी। चार दिन की थी। अगर ज्यादा दिन की करते तो शायद असर दिखलाई देता। लेकिन एक तरफ तो फाजिल्का का फैसला कर दिया और दूसरी तरफ कमीशन बना दिया। अगर आपको कमीशन ही बनाना है तो फाजिल्का का फैसला क्यों, और अगर फाजिल्का का फैसला कर दिया तो कमीशन क्यों? अब फिर एक मदारी की पिटारी खुलेगी, फिर सीमा-विवाद खड़े होंगे, फिर कठिनाइयां पैदा होंगी और कमीशन जो निर्णय देगा, उसको माना नहीं जाएगा। अतः कमीशन नहीं, ट्रिब्यूनल होना चाहिए। वह सिद्धांतों के आधार पर काम करेंगे और उनके निर्णय हर एक को मान्य होंगे। मुझे दीख रहा है कि बेलगांव के सवाल पर कठिनाइयां पैदा होनेवाली हैं और प्रधानमंत्री फिर बंदर-बांट करेंगी। सवालों को हल करने का उन्होंने एक नया तरीका निकाला है, जिसमें सिद्धांत ताक पर रखे जाते हैं। राजनीतिक सूझ-बूझ और नीतिमत्ता में मानना पड़ेगा कि वह बड़ी चतुर हैं, लेकिन यह सब देश की कीमत पर हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप सिद्धांत तय कीजिए। जैसे नदी विवादों के बारे में ट्रिब्यूनल बना है और उसको विवाद सौंप दिया जाता है और उसका निर्णय मान्य होना चाहिए। अगर इस तरह से निर्णय किया गया तो चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, बेलगांव के प्रश्न पर उसकी पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। मैं समझता हूं कि सरकार इस संबंध में कोई उचित निर्णय करेगी।

सभापति महोदय, आपने मुझे इतना समय दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं।

प्रभुसत्ता का सौदा न करें

महोदया, आज प्रातःकाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता श्री भूपेश गुप्त ने, जो मेरे दुर्भाग्य से इस समय सदन में मौजूद नहीं हैं, यह सुझाव रखा था कि हमें युद्ध विराम रेखा के आधार पर काश्मीर का बंटवारा मान लेना चाहिए। मैं इस सुझाव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरी दृष्टि में यह एक बड़ा घातक सुझाव है जो आक्रामक को बल प्रदान करेगा, हमारी प्रभुसत्ता को सौदे का विषय बना देगा और शेष काश्मीर पर भारत के अधिकार को कमजोर करेगा। श्री भूपेश गुप्त ने यह तो कहा कि सन् १९५६ में स्वर्गीय नेहरू जी ने इस आशय का प्रस्ताव पाकिस्तान के सामने रखा था, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उस प्रस्ताव के बारे में पाकिस्तान की प्रतिक्रिया क्या थी। पाकिस्तान ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था और उसके बाद नेहरू जी ने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया था और संसद में कहा था कि अब वह प्रस्ताव भारत की ओर से खुला हुआ नहीं है।

मुझे आश्चर्य है कि ताशकंद घोषणा पर दस्तखत होने के बाद ही इस तरह की बातें कही जा रही हैं। ताशकंद घोषणा हमें इस बात से नहीं रोकती कि हम पाकिस्तान से कहें कि जम्मू और काश्मीर के जिस हिस्से पर वह कब्जा जमाए बैठा है उसे खाली कर दे, और सचमुच में हमें इस बात पर बल देना चाहिए था। अगर हम इस बात पर बल देते रहते तो शेष काश्मीर पर दावा करने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती। मगर हम राजनीति के ऐसे खिलाड़ी हैं कि अपने सभी पत्ते पहले मेज पर रख देते हैं और हमारा प्रतिपक्षी, हमारा विरोधी, उन पत्तों का लाभ उठाता है और आगे के लिए अपनी मांग जारी रखता है। आखिर जिस जम्मू और काश्मीर के भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है, उस पर पाकिस्तान का अधिकार क्या है सिवाए इसके कि उसने बल-प्रयोग के द्वारा उस भाग पर कब्जा कर रखा है। आज शांति के लिए हम उस भाग को छोड़ दें तो भी शांति होनेवाली नहीं है। पाकिस्तान के दांत समूचे जम्मू और काश्मीर पर, खासकर काश्मीर की घाटी पर लगे हैं। इस तरह के सुझाव हमारी स्थिति को कमजोर करेंगे और पाकिस्तान को हमारे खिलाफ एक प्रचार का साधन दे देंगे।

श्री भूपेश गुप्त ने कहा कि ताशकंद घोषणा की एक ही नेचुरल कारोलरी यह है कि हम

---

* *राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राज्यसभा में १ मार्च, १९६६ को भाषण।*

एक-तिहाई काश्मीर पाकिस्तान को दें और पाकिस्तान को एक-तिहाई काश्मीर देने की नेचुरल कारोलरी यह है कि हम अक्साइचिन चीन को दे दें। यह बात उन्होंने कही नहीं, मगर यह बात जरूर उनके मन में होगी। और मैं मार्क्सवादी कम्युनिस्टों की ईमानदारी की तारीफ करूंगा कि वे खुलेआम कहने लगे हैं कि हमें अक्साइचिन चीन को देकर समझौता कर लेना चाहिए।

आक्रमण के सामने समर्पण करना आक्रमण को मिटाने का तरीका नहीं है। जो भूमि हमारी है, कानून से, विधान से, उस पर हम इसलिए अधिकार छोड़ दें कि दूसरे ने बल-प्रयोग से उस पर कब्जा कर लिया है, तो हम भारत की अखंडता की, सार्वभौम सत्ता की रक्षा नहीं कर सकेंगे।

ताशकंद में राष्ट्रीय हित नजरंदाज हुए

महोदया, मुझे आश्चर्य हुआ कि ताशकंद में हमारे नेताओं ने यह सुझाव क्यों नहीं रखा कि हम हाजीपीर, कारगिल और तिथवाल से वापस जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना इन क्षेत्रों में नहीं आएगी और इस क्षेत्र को 'डिमिलिटराइज्ड जोन' बना दिया जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि हमने ताशकंद में राष्ट्र के हित की रक्षा की चिंता नहीं की। और आज वह घोषणा ऐसे लोगों को बल प्रदान कर रही है, जो किसी भी कीमत पर चीन और पाकिस्तान से समझौता चाहते हैं। हमें ऐसे प्रस्तावों के प्रति सावधान रहना होगा।

भारतीय जनसंघ की स्थिति इस बारे में स्पष्ट है। हम जम्मू-काश्मीर का एक-तिहाई भाग पाकिस्तान को देने का विरोध करते रहे हैं, आज भी विरोध करते हैं और आगे भी विरोध करते रहेंगे। हम अपनी सार्वभौम सत्ता को किसी तरह से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर कोई ऐसा करेगा तो हम डटकर उसका मुकाबला करेंगे।

महोदया, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने वियतनाम के बारे में अपने विचार प्रकट किए। मैं बड़ी विनम्रता से, लेकिन दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि भारत सरकार वियतनाम की स्थिति के बारे में एक भी शब्द ऐसा न बोले, एक भी कदम ऐसा न उठाए जिससे कम्युनिस्ट चीन को ताकत मिले। वहां जो कुछ हो रहा है हमें पसंद नहीं हो सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कभी-कभी चुप भी रहना पड़ता है। हमें चुप रहने की कला का अभ्यास करना चाहिए।

जिन प्रश्नों का हमारे हितों के साथ सीधा संबंध है, दूरगामी दृष्टि से जो स्थिति हमारे विरुद्ध जा सकती है, उस पर अपना मत व्यक्त करते समय हमें बड़ी सावधानी की जरूरत है। हां, सरकार की रोडेशिया के संबंध में जो नीति है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं और हमें ब्रिटेन पर दबाव डालना चाहिए कि वह रोडेशिया में बल-प्रयोग करे। अफ्रीकी देश हमसे पहल की आशा करते हैं, हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और हम राष्ट्रमंडल के अगुवा बनने का भी दावा करते रहे हैं। रोडेशिया का मसला ऐसा है जिस पर हम चुप बैठने की गलती न करें। वहां पर हमें बोलना चाहिए। ब्रिटेन को बल-प्रयोग करने के लिए विवश करना हमारे हित में जाएगा। इस संबंध में सरकार को विचार करना चाहिए।

महोदया, जयंती शिपिंग कम्पनी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कंपनी के पुराने मैनेजिंग डायरेक्टर ने २४ पृष्ठों का एक मेमोरेंडम स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी को पेश किया था। इस मेमोरेंडम में मांग की गई थी कि जयंती शिपिंग कंपनी के सारे मामले को सी.बी.आई. को जांच के लिए सौंप दिया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। कंपनी की स्थिति यह है कि २ करोड़ की उसकी पेड-अप कैपिटल है और ढाई करोड़ का उस पर कर्ज हो गया

है। जिन परिस्थितियों में जयंती शिपिंग कंपनी को कर्जा दिया गया, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। सरकार ने रास्ते से अलग जाकर जयंती शिपिंग कंपनी को कर्जा दिया, लेकिन कंपनी ने उस कर्जे का ठीक तरीके से लाभ नहीं उठाया। भारत को जहाज देने के बारे में भी कंपनी आनाकानी करती रही। विदेशी मुद्रा कमाने के लिए कंपनी अपने जहाजों को विदेशी माल ढोने के लिए देती रही है। यह जरूरी है कि जयंती शिपिंग कंपनी के मामने के बारे में उच्चस्तरीय जांच की जाए। आज के दैनिक पत्र में भी निकला है कि कंपनी के और भी डायरेक्टर इस्तीफा दे रहे हैं।

इतनी बड़ी कंपनी के प्रति सरकार उपेक्षा की नीति नहीं अपना सकती। एक रचनात्मक सुझाव यह हो सकता है कि शिपिंग कॉरपोरेशन जयंती शिपिंग कंपनी को अपने अधिकार में ले ले और उसके जहाजों को देश के हित में चलाए।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय : नाम का विवाद

महोदया, शिक्षा मंत्री जी चले गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि काशी हिंदू विश्वविद्याय कब तक आर्डिनेंस के जरिए चलता रहेगा? विश्वविद्यालय की स्वायत्तता बहाल होनी चाहिए और विश्वविद्यालय के लिए कानून बनना चाहिए। यदि नाम में से 'हिंदू' शब्द हटाने के बारे में देश में मतभेद है, तो सरकार को बहुमत का स्वागत करना चाहिए और हिंदू शब्द को निकालने का विचार छोड़ देना चाहिए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां चिरकाल तक आर्डिनेंस चलता रहे। जहां तक हिंदू विश्वविद्यालय का बजट है, वह नेपाल के बजट से ज्यादा है। इस विश्वविद्यालय के संचालकों के हाथ में काफी अधिकार और शक्ति है, जिसका ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार को एक विधेयक लाना चाहिए, जिससे आर्डिनेंस की जगह कानून को दी जा सके।

एक बात मैं सूचना मंत्री जी से भी कहना चाहता हूं। वे भी चले गए हैं। ऑल इंडिया रेडियो किस तरह से काम करता है, उसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी वे अपने विभाग के बारे में बड़ी बात कह रहे थे और कह रहे थे कि पी.आई.बी. सभी दलों के साथ न्याय करता है। मैं समझता हूं कि आकाशवाणी भी उन्हीं के अंतर्गत आती है। अभी जब परसों श्री सावरकर जी का देहांत हुआ था तो ऑल इंडिया रेडियो ने उनके देहांत की खबर पहली खबर के रूप में नहीं दी। प्रधानमंत्री जी ने कहीं भाषण दिया—प्रतिदिन वह भाषण देती हैं—और वह प्रतिदिन रेडियो द्वारा दोहराया जाता है। उस दिन भी प्रधानमंत्री जी के भाषण की खबर पहले दी गई और श्री सावरकर जी की मृत्यु की खबर बाद में दी गई। ऑल इंडिया रेडियो ने यह भी नहीं कहा कि हमें यह घोषणा करते हुए दुख होता है कि श्री सावरकर जी हमारे बीच से उठ गए हैं। क्या रेडियो में इतना भी सौजन्य नहीं है, और इतना भी शिष्टाचार नहीं है? श्री सावरकर जी के विचारों से मतभेद हो सकता है, मगर देश के लिए उन्होंने जो त्याग और बलिदान किया है, वह अनुपम है, अद्वितीय है। ऑल इंडिया रेडियो इस तरह की गलती भविष्य में न करे, इस दृष्टि से सरकार को सजग होना चाहिए। धन्यवाद।

हिंदी का हक हासिल कैसे हो?

महोदया, मुझे खेद है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के समय हमारे दल के सदस्य उपस्थित नहीं रह सके। हमारी इच्छा थी कि २६ जनवरी, सन् १९६५ के बाद राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण अंग्रेजी में न करते। यदि तेलुगु भाषा में बोलने में उन्हें कुछ कठिनाई थी और हम इस तर्क से सहमत नहीं हैं कि हमारा संविधान उन्हें तेलुगु भाषा में बोलने से रोकता है, तो वे उपराष्ट्रपति जी से अपना भाषण पढ़ने के लिए कह सकते थे। इससे हमारे राष्ट्रपति जी उस परेशानी से भी बच जाते, जो आंखों की कमजोरी के कारण बाद में उनको हुई। अगर अभिभाषण उपराष्ट्रपति जी द्वारा पढ़ा जाना है, तो हिंदी का भाषण पहले पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारी अनुपस्थिति से कोई यह अर्थ लगाने की भूल न करे कि हम राष्ट्रपति जी के प्रति सम्मान और आदर की भावना रखने में किसी से कम हैं। यदि हमारे देश में कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसके प्रति सभी देशवासी, चाहे वे किसी भी दल के हों, किसी भी वर्ग के हों, आदर रखते हैं, तो वह व्यक्तित्व हमारे राष्ट्रपति जी का है। हम कामना करते हैं कि उनकी आंखों का ऑपरेशन सफल हो और वे पूर्ण स्वस्थ होकर हमारा मार्गदर्शन करें।

मद्रास में भाषा के नाम पर जो उपद्रव हुए हैं, उनकी उच्चस्तरीय अदालती जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के एक सदस्य ने भी आज यह मांग की है और मैं समझता हूं कि मेरे मित्र अण्णादुरै जी भी इस मांग से सहमत होंगे कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि उपद्रवों के पीछे किसकी प्रेरणा थी, किसकी योजना थी, और किसकी तैयारी थी। भावनाओं का भड़कना मैं समझ सकता हूं और हमें भड़की हुई भावनाओं को शांत करने पर विचार करना चाहिए। लेकिन इस उपद्रव के दौरान कुछ ऐसे कांड हुए हैं, जिनको केवल भावनाओं का परिणाम कहकर नहीं टाला जा सकता। पांडिचेरी स्थित अरविंद आश्रम पर हमला किया गया। जिस कमरे में योगी अरविंद २५ वर्ष तक तपस्या करते रहे, उसकी खिड़कियां तोड़ी गईं, महिलाओं और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। अरविंद आश्रम पर आक्रमण का क्या कारण था? अरविंद आश्रम कोई सरकारी संस्था नहीं है। अरविंद आश्रम पांडिचेरी में हिंदी भाषा का प्रतीक भी नहीं है। मगर अरविंद आश्रम पर हमला हुआ और आश्रम के निवासियों ने यह आरोप लगाया है कि यद्यपि यहां के पुलिस आफिसर, सरकारी

---

* *राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राज्यसभा में ४ मार्च, १९६५ को भाषण।*

अधिकारी जानते थे कि कोई इस तरह की घटना होगी, मगर उन्होंने पूरा प्रबंध नहीं किया। १२ तारीख के लिए वहां आम हड़ताल का नारा दिया गया था, लेकिन ११ तारीख को पांडिचेरी में पुलिस गायब थी और उपद्रवकारियों ने ११ तारीख को रात में ही आश्रम पर हमला किया। इस बात की जांच होनी चाहिए कि पुलिस का बंदोबस्त पूरा क्यों नहीं था।

अरविंद आश्रम के विरोधी

माताजी कहती हैं कि अरविंद आश्रम से विरोध रखनेवाले चार तत्व हैं। एक तो मिलिटेंट कैथोलिक्स हैं। उन्होंने सभी कैथोलिकों को शामिल नहीं किया। वे कहती हैं कि कुछ लड़ाकू कैथोलिक हैं, जो अरविंद आश्रम को सहन करने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरे कम्युनिस्ट हैं, जिन्हें वह आश्रम फूटी आंखों नहीं भाता। लेकिन माताजी ने यह बुद्धिमानी की है कि उन्होंने कम्युनिस्टों में, बाएं और दाएं की बात नहीं की, जो हमारी सरकार कर रही है। और हमारे मित्र श्री अण्णादुरै क्षमा करें, माताजी ने डी.एम.के. का भी नाम लिया है और उन्होंने यह कहा है :

"डी.एम.के. ऐसे किसी व्यक्ति को बर्दाश्त करना नहीं चाहता जो उत्तर भारत से यहां आकर बसने के लिए प्रेरित करे।"

चौथे कुछ ऐसे लोग हैं जो यथास्थितिवादी हैं और किसी भी परिवर्तन को पसंद नहीं करते। उन्होंने मिलकर आक्रमण किया।

उपद्रवों के अंतर्गत और भी अधिक घटनाएं हुईं, गांधी जी की मूर्तियां तोड़ी गईं, राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ और डॉ. राधाकृष्णन की अंग्रेजी पुस्तकों की लाइब्रेरी अग्नि की भेंट चढ़ा दी गई। ये प्रवृत्तियां देश के लिए घातक हैं। दक्षिण में अगर भाषा के प्रश्न पर कुछ गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों के दिल में शक है तो उसे दूर करने के लिए सरकार अवश्य कदम उठाए और किसी भी उचित कदम में हम शासन का साथ देंगे, लेकिन उपद्रवकारियों के साथ, हुल्लड़बाजों के साथ, हिंसा और हत्या करनेवालों और सत्ता को चुनौती देनेवालों के साथ समझौता करने का परिणाम अच्छा नहीं होगा।

महोदया, श्री अण्णादुरै ने यह सुझाव रखा है कि हमारा केंद्र बहुभाषी होना चाहिए। १४ भाषाओं में यहां राजकाज चले। मैं इस सुझाव के खिलाफ नहीं हूं लेकिन मैं यह नहीं समझ सका कि १४ भाषाओं में राजकाज चलाने की तिथि को, तारीख को वह आगे क्यों बढ़ाना चाहते हैं और वह अंग्रेजी को क्यों बनाए रखना चाहते हैं। सभी प्रांतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, इस संबंध में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वे हमारी भाषाएं हैं, वे हमारी अपनी हैं, उनमें हमारी आत्मा का प्रतिबिंब है, वे हमारी आत्माभिव्यक्ति का साधन हैं, कोई उनमें छोटी या बड़ी नहीं, बहुत सी भाषाएं जो संविधान में लिखी नहीं हैं, वे भी हमारी भाषाएं हैं—मैं इस सदन में सिंधी भाषा की वकालत करता रहा हूं, मेरा एक विधेयक सदन के सामने पेश है—लेकिन क्या अब भी हमारी सभी भारतीय भाषाएं विकसित नहीं हैं? अगर बंगाल में बंगला में, केरल में मलयालम में, आंध्र में तेलुगु में, कर्नाटक में कन्नड़ में राजकाज चल सकता है तो सब १४ भाषाओं में केंद्र में राजकाज क्यों नहीं चल सकता? क्या श्री अण्णादुरै ने १४ भाषाओं के लिए जो प्रेम प्रकट किया है, वह अंग्रेजी को बनाए रखने के लिए है? १४ भाषाओं में काम चले तो व्यावहारिक कठिनाइयां आएंगी और हमें उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, मगर उसके लिए अंग्रेजी की वकालत की जाए, यह मैं नहीं समझ सकता।

श्री अण्णादुरै को तमिल भाषा का अभिमान है। मैं उनके अभिमान की कद्र करता हूं। मगर उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें भी हिंदी भाषा का अभिमान है। हमने दिल्ली में तमिल मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए मगर मद्रास में हिंदी मुर्दाबाद के नारे लगे। हिंदी ने मद्रास का क्या बिगाड़ा है? मद्रास के लोग इस शासन के खिलाफ हो सकते हैं, किंतु मद्रास के लोगों को हिंदी भाषा का विरोध नहीं करना चाहिए। मैं अगर दिल्ली में तमिल मुर्दाबाद का नारा लगाऊं तो मेरे मित्र श्री अण्णादुरै को कैसा लगेगा? मगर उन्होंने हिंदी मुर्दाबाद के नारे लगाए, हिंदी का अपमान हुआ, और वह चाहते हैं कि भावनाएं न भड़कें। अगर हमें सभी भाषाओं की कद्र करनी है तो उन भाषाओं में हिंदी भी आती है, केवल तमिल नहीं। तमिल समृद्ध भाषा है मगर एक क्षण के लिए भी मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि हिंदी एक समृद्ध भाषा नहीं है।

अदालत में हिंदी

१९५० ई. में जब संविधान बना उससे पहले मध्य भारत के उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में हिंदी में काम होता था। जयपुर में, उदयपुर में अदालत की भाषा हिंदी थी। हिंदी सभी प्रकार के भावों को प्रकट कर सकती है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भाषा को काम में लाए बिना, क्या किसी भाषा का उपयोग किए बिना, भाषा का विकास किया जा सकता है? क्या किसी को पानी में उतारे बिना तैरना सिखाया जा सकता है? अगर आज अंग्रेजी समृद्ध है तो इसलिए कि अंग्रेजी में राजकाज, शिक्षा-दीक्षा, अदालती कामकाज, संस्कार, शताब्दियों से चलता आया है। और यदि हमारी भाषाएं कुछ कम विकसित हैं तो इसलिए कि अंग्रेजी की तुलना में इनको विकसित होने का मौका नहीं दिया। एक बार अंग्रेजी हट जाए तो हमारी भाषाएं विकसित होंगी। भाषा की प्रतिष्ठा पहले की जाती है, उसका प्रचलन बाद में होता है। यदि इजरायल हिब्रू भाषा को कब्र से खोदकर खड़ा कर सकता है, उसमें राजकाज चला सकता है, उस भाषा में विज्ञान के नए से नए अनुसंधान कर सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि हम अपनी १४ भाषाओं को विकसित करके इस लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जनता का राज न बना सकें।

महोदया, सरकार को इस बात की आदत पड़ गई है कि वह प्रश्नों को टाले, लटकाए रखे, उन्हें और पेचीदा बनाए और फिर इस बात का प्रयत्न करे कि प्रश्न सुलझ जाएं। यह आदत सरकार को छोड़नी होगी। यह स्थिति खतरनाक है और नेतृत्व की कमजोरी प्रकट करती है। गोआ का प्रश्न लीजिए। गोआ में आम चुनाव हुए, वहां की जनता ने निर्णय दे दिया है कि वह महाराष्ट्र में मिलना चाहती है। गोआ की विधानसभा ने प्रस्ताव स्वीकार किया, मगर केंद्रीय सरकार अभी उसमें बाधक बनकर बैठी है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं—समस्याएं किस तरह से उलझती हैं, गोआ इसका उदाहरण है—कि अगर तीन महीने के भीतर गोआ को महाराष्ट्र में मिलाने का फैसला नहीं हुआ तो गोआ में कैथोलिकों और गैर-कैथोलिकों के बीच में संघर्ष होगा। उस संघर्ष के बीज बोए जा रहे हैं, पार्टी के हित के लिए उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी भी स्थिति में इस प्रकार की नीति का समर्थन नहीं किया जा सकता। जो कुछ करना है, वह सरकार को अविलंब करना चाहिए जिससे कि समस्याएं और उलझने न पाएं।

महोदया, आज के अखबारों में उड़ीसा की बड़ी चर्चा है। सी.बी.आई. की रिपोर्ट छप गई और मंत्रिमंडल की उपसमिति की सिफारिशें भी सामने आ गईं, और उनके संदर्भ में हम जब प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया वक्तव्य देखते हैं तो हमें लगता है कि उड़ीसा के सारे मामले पर

लीपा-पोती करने की कोशिश की गई है। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने मंत्रियों को—श्री विरेन मित्र और श्री पटनायक को—इस बात के लिए दोषी ठहराया कि उन्होंने अनौचित्य किया—मैं अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करूं, अगर श्री अण्णादुरै आपत्ति न करें कि उन्होंने 'इंप्रोप्राइटी' से काम किया—लेकिन कहा कि अदालती जांच की जरूरत नहीं है, जांच आयोग नियुक्त किया जाए, इसकी आवश्यकता नहीं है और मामला बंद कर देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि यह किस नीति के, सिद्धांत के आधार पर किया गया? जब आपने मान लिया कि श्री विरेन मित्र और श्री पटनायक अनौचित्य के दोषी हैं, तो एक तरह से आपने स्वीकार कर लिया कि उनके खिलाफ प्राइमाफेसी केस है, उनके खिलाफ ऐसा मामला है जिसमें कुछ सच्चाई है। आखिर, मंत्रिमंडलीय उपसमिति यह तो तय नहीं कर सकती थी कि जो भी सर्कुलर निकाला गया, जो भी आदेश दिया गया और उनसे जो श्रीमती मित्रा को लाभ हुआ—लाखों रुपयों का लाभ हुआ और जितना उनको लाभ हुआ उतना ही सरकारी खजाने का घाटा हुआ—वह लाभ किस नीयत से दिया गया, वह आदेश किस नीयत से जारी किया गया। यह फैसला करना उपसमिति के लिए संभव नहीं था, यह फैसला तो कोई अदालत ही कर सकती है। और मैं चाहूंगा कि एक जांच आयोग नियुक्त किया जाए, जिसके सामने सारा मामला आए।

श्री पटनायक ने उपसमिति के निर्णय को चुनौती दी है। वे कहते हैं कि उपसमिति की दृष्टि में जो अनौचित्य है, जो इंप्रोप्राइटी है, वह हमारी दृष्टि से अनौचित्य नहीं है, हमने जो कुछ किया वह जनहित में किया और हमने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। जब यह चुनौती दी जा रही है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल को उसे स्वीकार करना चाहिए। आखिर में तो उस समिति के सदस्य सभी कांग्रेसी हैं और उन पर यह आरोप लग सकता है कि पार्टी के हितों को ध्यान में रखकर उन्होंने केवल त्यागपत्र देकर श्री विरेन मित्र को, श्री पटनायक को सस्ते में छूट जाने दिया।

श्री भूपेश गुप्त : उपसभापति महोदया, प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था कि सदन में एक कैबिनेट मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए। इन्हें यहां होना चाहिए, क्योंकि···

उपसभापति महोदया : श्री वाजपेयी बोलना जारी रखेंगे।

श्री वाजपेयी : मुझे खुशी है महोदया, कि आप मुझे सुनना चाहती हैं, मगर कोई मंत्री भी तो होना चाहिए।

उद्योग मंत्री श्री टी.एन. सिंह : मैं सुन रहा हूं। बहुत प्रेम से सुन रहा हूं आपकी स्पीच।

श्री वाजपेयी : आपका प्रेम तो ठीक है, मगर वह प्रेम जवाब में प्रकट नहीं होगा। इसलिए जिन्हें जवाब देना है, उनको तो यहां होना चाहिए।

मैं यह कह रहा था कि मंत्रिमंडल की उपसमिति का फैसला जनता को संतोष नहीं दे सकता। भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी का कोई पारिवारिक मामला नहीं है। यदि सार्वजनिक जीवन में ऊंचे मानदंड स्थापित किए जाने हैं तो मंत्रियों को न केवल संदेह से परे होना चाहिए बल्कि वे संदेह से परे हैं, यह दिखाई भी देना चाहिए। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम जांच आयोग कायम कर देते तब भी क्या होता? स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह कैरों को इस्तीफा देना पड़ा—इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन, सरदार प्रताप सिंह कैरों पर भ्रष्टाचार का लांछन लग गया तब उन्होंने इस्तीफा दिया। मगर श्री विरेन मित्र और श्री पटनायक, ये तो मंत्रिमंडलीय उपसमिति के निर्णयों को चुनौती दे रहे हैं और वे श्री अतुल्य घोष से अच्छे आचरण का सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप में सत्ता से अलग हट गए, उन्हें भी इस बात का मौका दिया जाए

कि वे अपनी निर्दोषिता प्रमाणित कर सकें। मैं समझता हूं, मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने इस देश के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, और श्री विरेन मित्र और श्री पटनायक के प्रति भी, अन्याय किया है कि अदालती जांच कायम नहीं की। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है—सारा मामला एक जांच आयोग के सामने जाए। श्री नंदा ने उस दिन कहा था कि अगर एक सदस्य भी किसी मंत्री के खिलाफ आरोप लगाए तो हम जांच के लिए तैयार हैं। लेकिन, आरोप ही नहीं लगाए गए हैं बल्कि उन आरोपों में मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने भी पाया है कि कुछ दम है, और इसलिए मेरा निवेदन है कि जांच आयोग की नियुक्ति से कम से हमारा संतोष नहीं होगा।

महोदया, श्री अतुल्य घोष का नाम आया तो मैं एक और बात कह दूं। अभी राष्ट्रीय रक्षा परिषद का पुनर्गठन हुआ है, उसमें कुछ नए सदस्य शामिल किए गए हैं जिनमें श्री अतुल्य घोष भी एक हैं। उस परिषद में श्री मोरारजी भाई देसाई नहीं हैं, श्री जगजीवन राम नहीं हैं, आचार्य कृपलानी नहीं हैं। श्री अतुल्य घोष लिए गए हैं।

श्री लोकनाथ मिश्र : क्योंकि वे लोग सिंडीकेट में नहीं हैं।

श्री वाजपेयी : मैं नहीं समझता, क्या परिषद का पुनर्गठन सही दिशा में हुआ है? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व यहां पहले से ही ज्यादा है और ऐसे व्यक्ति को लेना किसी भी प्रकार परिषद की प्रतिष्ठा को बढ़ानेवाला नहीं होगा। मुझे खुशी है, प्रधानमंत्री जी आ गए हैं···

श्री भूपेश गुप्त : अब जब प्रधानमंत्री आ गए हैं, तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कल उन्होंने यहां तक कहा कि सदन में कैबिनेट मंत्री को उपस्थित रहना चाहिए। लेकिन आज जब दोपहर में हम बैठे थे तो कोई नहीं आया और मैंने ध्यान दिलाया···(व्यवधान) मैडम, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि श्री शास्त्री बदलाव के लिए अपने सहयोगियों से अपनी बात मनवाएं।

प्रधानमंत्री शास्त्री की अदृढ़ता

श्री वाजपेयी : महोदया, कल एक बात कही गई थी और मैं उसे दोहराना चाहता हूं। शास्त्री जी को प्रधानमंत्रित्व का भार संभाले हुए आठ महीने से अधिक हो गए। जिस सद्भावना के वातावरण में उन्होंने सत्ता संभाली थी, वह वातावरण बिगड़ता जा रहा है। जनता में, विरोधी दलों में, यह धारणा घर करती जा रही है कि प्रधानमंत्री को जिस प्रकार दृढ़ होना चाहिए, मंत्रिमंडल के और अपने दल के वरिष्ठ सदस्यों के सामने, वह उतने दृढ़ नहीं हो पाते। यदि यह धारणा बढ़ती रही तो देश का क्या होगा, इसकी आशंका करते हुए मैं थर्रा उठता हूं। मद्रास में एक तूफान उठा। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल के सदस्य उस तूफान के सामने अपने पैर दृढ़ रखकर खड़े नहीं हो सकते तो भाषा के सवाल को लेकर हम कोई भी समझौता कर लें, देश की एकता की रक्षा नहीं होगी। हम चाहें न चाहें, आज कांग्रेस दल इस स्थिति में है कि उसके हाथ में भारत को बनाने और बिगाड़ने की जिम्मेदारी आ गई है। प्रधानमंत्री जी एक क्षण के लिए भी यह न सोचें कि वे काशी विद्यापीठ में पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े, इसलिए वे अपनी बात मनवा नहीं सकते। वे एक क्षण के लिए भी यह न सोचें कि शरीर से उनका कद छोटा है और वे ताड़ के वृक्ष की तरह से बड़े नहीं हैं, इसलिए···(व्यवधान)

श्री भूपेश गुप्त : श्री अतुल्य घोष ने कभी किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं किया।

श्री वाजपेयी : ···अपनी बात दृढ़ता से नहीं कह सकते। भाषा के विवाद में उनकी चुप्पी को मैं दोष नहीं देता—यद्यपि उसे दोष दिया जा रहा है। कई पक्षों की बात सुनकर, शांत चित्त से

समस्याओं का हल करना, यह कोई बुरी बात नहीं। लेकिन यह धारणा पैदा होने देना कि फैसला मुख्यमंत्रियों के हाथ में हो—भारत के भविष्य का निर्णय मुख्यमंत्री करेंगे—या कांग्रेस दल के दो-तीन सदस्य हैं जो सिंडीकेट के नाम से जाने जाते हैं, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों कहा जाता है, वे फैसला करेंगे, तो यह स्थिति बड़ी घातक है। हम चाहते हैं कि इस संकट काल पर विजय प्राप्त कर हम देश की एकता की, अखंडता की रक्षा करते हुए, आर्थिक विकास के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। किंतु यदि नई दिल्ली की सत्ता दुर्बल हो गई और मुख्यमंत्रियों ने सभी फैसले करने का भार अपने ऊपर ले लिया तो फिर एकता को बनाए रखना मुश्किल होगा। आज तो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के हैं—कल और पार्टियों के मुख्यमंत्री आएंगे तब क्या होगा? अंततोगत्वा केंद्रीय सरकार को, संसद को, फैसला करना पड़ेगा। मुख्यमंत्रियों से विचार-विनिमय करने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हर एक नीति को अमल में उन्हीं के द्वारा लाया जाएगा। लेकिन यह धारणा बल पकड़नी चाहिए कि जो भी फैसले होंगे, नई दिल्ली से होंगे, निश्चय ही वे सबके साथ विचार करके होंगे, लेकिन जो फैसले होंगे उनको दृढ़ता के साथ लागू किया जाएगा। अल्पमत को साथ लेकर चलना चाहिए, लेकिन अल्पमत के हाथ में विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। किसी एक प्रांत के हाथ में, किसी एक वर्ग के हाथ में किसी भी समस्या के बारे में हम वीटो नहीं दे सकते हैं। यह लोकतंत्र का एक रहस्य है, जिसका हमें ध्यान रखना होगा।

कोलंबो प्रस्ताव

महोदया, चीन ने कोलंबो प्रस्ताव नहीं माने और वह इस दावे को दोहरा रहा है कि हमें भारत की ९० हजार किलोमीटर भूमि चाहिए। इस स्थिति में अब भी कोलंबो प्रस्तावों के साथ बंधा रहने का क्या अर्थ है? सरकार यह ऐलान कर सकती है कि चूंकि कम्युनिस्ट चीन ने कोलंबो प्रस्तावों को नहीं माना, अब हम कम्युनिस्ट चीन से तब तक बात नहीं करेंगे जब तक वह हमारी सारी भूमि खाली नहीं कर देता है और वहां से चला नहीं जाता है। कोलंबो प्रस्ताव एक सुविधा थे और कोलंबो शक्तियों का अब भी यह कहना कि हम इन प्रस्तावों को मानें और चीन हठवादिता पर अड़ा रहे, तो यह उचित मालूम नहीं देता है। इस संबंध में भारत सरकार को कड़ा रवैया अपनाना चाहिए और कहना चाहिए कि हम आक्रमणकारी को उसके आक्रमण के फल का उपभोग नहीं करने देंगे। हम चीन से तब तक आगे बातचीत नहीं करेंगे, जब तक कि वह हमारी सारी भूमि को खाली करके नहीं चला जाता है। इस तरह का कदम सरकार की ओर से उठना चाहिए। धन्यवाद।

शरणागत को शरण दें

उपसभापति जी, उपराष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति जी के कर्तव्यों का पालन करते हुए जो अभिभाषण दिया है उसमें न तो कोई रंग है, न रस है; भाषण में न स्पष्टता है न दृढ़ता है; भविष्य के बारे में उसमें न कोई निर्संदिग्ध दिशा-निर्देश है और न जो लक्ष्य रखे गए हैं उनकी पूर्ति का कोई उद्दाम संकल्प ही प्रकट किया गया है। शायद इसका कारण यह है कि नई दिल्ली की राजनैतिक परिस्थिति बड़ी नाजुक है और उपराष्ट्रपति जी के भाषण पर उसका असर हुआ है। हमारे राष्ट्रपति जी अस्वस्थ हैं। और उपराष्ट्रपति जी उनका भार संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी दुर्बल हैं। कोई उप-प्रधानमंत्री नहीं है। मंत्रियों में इस बात पर विवाद है कि किसका नंबर एक है, किसका दूसरा, किसका तीसरा और किसका चौथा।

उत्तराधिकार का संघर्ष पूरे जोर पर चल रहा है। नित्य नए-नए गठबंधन हो रहे हैं। शतरंज पर नई चालें चली जा रही हैं। इसका परिणाम देश पर अच्छा नहीं हो रहा है। जनता निराशा में जी रही है, प्रशासन ढीला हो रहा है और विदेशों में भारत की जो छवि है, वह धूमिल पड़ती जा रही है। आज जबकि चीन का संकट टला नहीं है और पाकिस्तान से किसी भी क्षण संघर्ष की आशंका बढ़ रही है, नई दिल्ली में यह जो राजनैतिक अस्थिरता और अविश्वास का वातावरण चल रहा है, उसको दूर करना चाहिए। एक उप-प्रधानमंत्री की हमें आवश्यकता है। वह कौन हो, यह तय करना कांग्रेस पार्टी का काम है। लेकिन उत्तराधिकार के संघर्ष को लंबा चलाकर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्र के सामने जो संकट हैं, उनका उल्लेख तो किया गया है, किंतु उन पर विजय कैसे प्राप्त की जाएगी, इस संबंध में कोई मार्ग निर्देश नहीं किया गया है। चीन के संकट की चर्चा की गई है। लेकिन चीन के प्रति हमारी नीति क्या है, हम कोलंबो प्रस्तावों से कब तक बंधे रहेंगे, इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है। कोलंबो प्रस्ताव हमें छूट देते हैं कि हम अपनी सेनाएं नेफा में अंतरराष्ट्रीय सीमा तक भेजें, मगर अभी तक सेनाएं भेजी नहीं गई हैं। इस संबंध में श्रीमती भंडारनायके के पत्र को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उससे और भी

** राष्ट्रपति की अस्वस्थता के चलते उपराष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान राज्यसभा में १३ फरवरी, १९६४ को भाषण।*

आशंकाएं पैदा हो गई हैं। क्या सरकार ने श्रीमती भंडारनायके को यह आश्वासन दिया है कि भारत की सेनाएं मेकमोहन रेखा तक नहीं जाएंगी। इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। यह भी बताया जाना चाहिए कि हम अपनी सेनाएं कब, कहां भेजेंगे। कहा जाता है कि रक्षा प्रयत्न प्रबलता के साथ चल रहे हैं, देश को तैयार किया जा रहा है। दो वर्ष में हमने देश को कितना तैयार किया है, इसकी कसौटी यह है कि नेफा में हम अपनी सेनाएं कब भेजते हैं। जब नेफा में हमारी सेनाएं थीं, तब हम चीन के आक्रमण का सफलता के साथ प्रतिकार नहीं कर सके। बरफ पिघल रहा है, वसंत की ऋतु आ गई है, कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि चीन फिर सीमा पर गड़बड़ नहीं करेगा। इस स्थिति में नेफा में हमारी सेना का सीमा तक जाना बहुत आवश्यक है; कोलंबो प्रस्ताव भी हमें इस बात की अनुमति देते हैं। फिर हम अपनी सेनाएं क्यों नहीं भेज रहे हैं?

कोलंबो प्रस्ताव बेअसर

चीन ने कोलंबो प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए। हम कब तक उसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा करते रहेंगे? यद्यपि कोलंबो प्रस्तावों में चीन की सेनाओं द्वारा लद्दाख के क्षेत्र को खाली करने का कोई विधान नहीं है और यह घोषणा करते हुए भी कि हम आक्रामक को उसके आक्रमण के फलों का उपभोग नहीं करने देंगे; सरकार ने कोलंबो प्रस्ताव स्वीकार कर लिए। मैं समझता हूं कि वह कोलंबो देशों के लिए एक कंसेशन था। लेकिन कोलंबो देश चीन से अपने प्रस्ताव को मनवा नहीं सके। हमें वह कंसेशन वापस ले लेना चाहिए। हमें स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिए कि जब तक चीन की सेनाएं लद्दाख के क्षेत्र को भी नहीं खाली कर देंगी, तब तक हम चीन से किसी भी तरह की वार्ता नहीं करेंगे। कोलंबो देशों से भी हमें कहना चाहिए कि वे चीन को मनाने में व्यर्थ अपना समय नष्ट नहीं करें। उन्हें भारत के न्यायपूर्ण पक्ष का समर्थन करना चाहिए। अभी मोरक्को और ट्यूनिशिया में सीमा संबंधी विवाद हुआ था। यूनाइटेड अरब रिपब्लिक के प्रेसीडेंट नासिर उस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहते थे। मगर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को हल करने की उनकी इच्छा ने उन्हें मोरक्को को आक्रामक कहने से नहीं रोका। भारत और चीन के विवाद को कोलंबो देश शांति से सुलझाना चाहते हैं। विवादों को शांति से सुलझना चाहिए, यह भावना मैं समझ सकता हूं। लेकिन अगर आक्रमण के प्रश्न पर तटस्थता में विश्वास करनेवाले देश चुप रहेंगे तो तटस्थता के साथ जो नैतिक बल है, वह खत्म हो जाएगा और गुटनिरपेक्षता एक अवसरवाद के रूप में जनता के सामने आएगी।

आज सारे देश का और सदन का ध्यान पूर्वी पाकिस्तान से आनेवाले हिंदुओं की ओर लगा है। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह कहने के अलावा कि उन्हें बसाया जाएगा, और किसी नीति का दिग्दर्शन नहीं किया गया है। जब देश का विभाजन हुआ था तो हमने पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं को आश्वासन दिया था कि उनकी जान, माल और इज्जत की रक्षा के प्रति हम कभी उदासीन नहीं रहेंगे। उन आश्वासनों को अमल में लाने का अवसर आया है! १९५० में जब पूर्वी पाकिस्तान में दंगे हुए, तब स्वर्गीय डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और भविष्यवाणी की थी कि नेहरू-लियाकत अली पैक्ट पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकेगा। आज उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। मगर आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में सरदार पटेल की तरह का भी कोई मंत्री नहीं है जो कहे कि अगर पाकिस्तान अपने पूर्वी भाग में हिंदुओं की रक्षा नहीं करेगा तो उन हिंदुओं को बसाने के लिए पाकिस्तान को जमीन देनी पड़ेगी। हमारे प्रधानमंत्री

श्री नेहरू जी ने भी उस समय घोषणा की थी कि अगर पाकिस्तान सीधी तरह से नहीं मानेगा तो और रास्ते अपनाए जाएंगे—अदर मेथड्स विल बी अडाप्टेड। आज तो प्रधानमंत्री जी यह घोषणा करने की स्थिति में नहीं हैं। मगर पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं का क्या होगा?

पूर्वी पाकिस्तान के हिंदू क्या करें?

उनके सामने इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि वे मर जाएं या जबर्दस्ती अपना धर्म छोड़ दें, या बेघर-बार बनकर भारत माता की गोद में चले आएं। मगर उनके आने के लिए भी दरवाजे नहीं खोले गए हैं—हफ्ते में दो दिन उन्हें आने के सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, बाकी पांच दिन नहीं। राजशाही का हमारा कार्यालय बंद कर दिया गया। क्या आनेवाले शरणार्थी अब माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए ढाका जाएंगे? कौन उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा? जो हिंदू भारत में आना चाहते हैं उनकी रक्षा का कोई इंतजाम नहीं है, आनेवालों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। कल रात मुझे त्रिपुरा से एक तार मिला है। मैं आपकी अनुमति से उसे पढ़ना चाहता हूं : "एक लाख शरणार्थी सीमा पार करके आ चुके हैं। रोजाना हजारों की संख्या में आ रहे हैं। अभी ६ तारीख की शाम पाकिस्तानी पुलिस ने चार हजार शरणार्थियों के हुजूम पर तीन तरफ से घेर कर गोलियां बरसाईं तो सैकड़ों मारे गए। कई घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हजारों पाक सीमा में ही छेंक लिए गए। उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं।"

नेहरू-लियाकत समझौते के अंतर्गत उन्हें भारत तक सुरक्षित लाने की व्यवस्था की गई थी। अगर पाकिस्तानी उस समझौते का पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो जो हिंदू आना चाहते हैं उन्हें भारत तक सुरक्षित लाने के लिए हमें फौज भेजने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम उन हिंदुओं को पाकिस्तान में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी का यह कहना ठीक नहीं है कि उनके प्रति हमारा केवल नैतिक दायित्व है और कोई संवैधानिक-कानूनी दायित्व नहीं है। हम उनको दिए गए आश्वासनों के साथ बंधे हुए हैं। वे आश्वासन राजनैतिक हैं, वे आश्वासन ऐतिहासिक हैं। देश का बटवारा इसी आधार पर हुआ था कि दोनों देशों के अल्पसंख्यकों के साथ न्याय किया जाएगा। हमने उस आश्वासन का पालन किया है। पाकिस्तान ने उस आश्वासन का पालन नहीं किया। एक दृष्टि से पाकिस्तान के कायम रहने का सारा आधार ही खत्म हो गया है।

हमने अपने देश में पवित्र अग्नि को लेकर आए हुए पारसियों को आश्रय दिया। तिब्बत से आए हुए बेघर-बार बंधु हमारे देश में रहते हैं। क्या पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए हमारे हृदय में उतनी भी मानवता नहीं? उनके प्रति हम क्या करने जा रहे हैं? कहा जाता है, हम क्या कर सकते हैं? पहला काम तो हम यह कर सकते हैं कि जो भी आना चाहते हैं, उन्हें आने दें और उनको बसाने की पूरी जिम्मेदारी लें। अभी तक, जो पहले के पुरुषार्थी आए हुए हैं वे सियालदा की सड़कों पर पड़े हैं। उन्हें भी अभी बसाया नहीं जा सका। आवश्यकता हो तो केंद्रीय वित्त मंत्री नए बजट में एक रिहैबिलिटेशन लेवी लगा सकते हैं। सारा देश उन अभागे भाइयों को बसाने के लिए कुछ कर देने में संकोच नहीं करेगा।

लेकिन शासन का दृष्टिकोण इस संबंध में बदलना चाहिए। एक बड़ी चिंता की बात यह हुई कि पूर्वी पाकिस्तान के दंगों की प्रतिक्रिया कलकत्ते में हुई। कलकत्ते में भी झगड़े हुए। ये झगड़े नहीं होने चाहिए और हमें पाकिस्तान की नकल नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर कलकत्ते की

पुलिस और पाकिस्तानी तत्व जरा संयम से काम लेते तो कलकत्ते में रक्तपात रोका जा सकता था। कलकत्ते के दंगों का आरंभ विद्यार्थियों के एक जुलूस से हुआ। जुलूस शांतिपूर्ण था और उस जुलूस से पहले कलकत्ते में कोई उपद्रव नहीं हुआ। लेकिन उस जुलूस पर हमला किया गया, उस पर सोडा वाटर की बोतलें फेंकी गईं। तीन विद्यार्थियों को छुरा मार दिया गया और पुलिस ने दीन-बंधु एंड्रूज कालेज में घुसकर एक विद्यार्थी को गोली से मार डाला, इसके बाद ही दंगे की आग भड़की।

पाकिस्तान को आगाह करो

इस बात की जांच होनी चाहिए कि कलकत्ते के उपद्रव में पाकिस्तानी तत्वों का कितना हाथ था? क्या यह सच है कि कलकत्ते में दंगे आरंभ होने से पहले तरह-तरह की अफवाहें फैलाई गई थीं? क्या यह सच है कि पाकिस्तानी तत्वों ने अपने मकान और अपनी जायदाद का पहले से ही बीमा करा लिया था? क्या यह सच है कि जब दंगाग्रस्त क्षेत्र से कुछ मुसलमानों को एक ट्रक से हटाया जा रहा था तो उस ट्रक से बम फेंका गया और एक बम प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय के सामने फटा? बाद में उस ट्रक की पुलिस ने तलाशी ली तो बम बरामद हुए। किंतु जब ट्रक आगे चली तो उसमें आग लग गई। यह सब कैसे हुआ? ये ऐसे तथ्य हैं जिनसे जनता के मन में भ्रम पैदा होता है। उस भ्रम का निराकरण करना बहुत जरूरी है। केंद्रीय सरकार द्वारा इस बारे में जांच होनी चाहिए। कलकत्ते के उपद्रव के संबंध में यह धारणा पैदा होने देना कि जो कुछ किया वह सब हिंदुओं ने किया, और पाकिस्तान के साथ सांठ-गांठ करनेवाले तत्वों ने कुछ नहीं किया, यह सच्चाई के खिलाफ होगा। कलकत्ते में जो कुछ हुआ, वह लज्जाजनक है। हमारे देश में हर एक नागरिक के जीवन की, सम्मान की रक्षा की जानी चाहिए। लेकिन एक बात साफ समझ ली जानी चाहिए कि अगर हम पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो भारत में सांप्रदायिक शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। आखिर इस देश में इंसान रहते हैं और उनके हृदय में भावना है। कलकत्ते की पुलिस में ऐसे लोग थे जिनके घरवाले पूर्वी पाकिस्तान में कत्ल कर दिए गए। हम उनसे कैसे आशा कर सकते हैं कि वे अपने कर्तव्य का दृढ़ता के साथ पालन कर सकेंगे। फिर भी हमें मानवीय दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करनी है। जितनी दृढ़ता के साथ कलकत्ते में उपद्रव दबा दिए गए, उतनी ही दृढ़ता के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी कदम उठाया जाना चाहिए।

हमने इस प्रश्न पर विश्व के जनमत को प्रशिक्षित तथा जागृत करने के लिए कोई बात नहीं की। पूर्वी पाकिस्तान की घटनाओं पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान ने काश्मीर का सवाल संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। पूर्वी पाकिस्तान में हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, उसकी ओर हमने किसी विश्व संगठन का ध्यान नहीं खींचा।

भारत में जो पाकिस्तानी रहते हैं, जिनकी संख्या का हमें पता है, हम क्यों नहीं उनसे भारत छोड़कर जाने के लिए कहते? असम में पाकिस्तानी अवैध रूप से घुस रहे हैं और घुस आए हैं। उनको निकालने में हमने कमी कर दी है, क्योंकि इससे पूर्वी पाकिस्तान में दंगे हो जाएंगे। दंगे तो पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे हैं। फिर भी हम असम से पाकिस्तानियों को निकालने में ढिलाई कर रहे हैं। ८ से १० लाख तक पाकिस्तानी असम में बसे हुए हैं। पश्चिमी बंगाल में उनकी संख्या ४ लाख है। सारे देश में सन् १९६१ की जनगणना के अनुसार ५० लाख पाकिस्तानी रह रहे हैं।

उनसे कहा जा सकता है कि वे भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। जो भारत के नागरिक हैं, मजहब के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मगर पाकिस्तानियों को दो देशों की नागरिकता का उपभोग करने की छूट नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान पर कूटनीतिक और आर्थिक दबाव डालना चाहिए। हमें शिलांग में पाकिस्तान के कार्यालय को बंद कर देना चाहिए। हमें बेरूबाड़ी के समझौते को तोड़ देना चाहिए। हमें पाकिस्तान से कह देना चाहिए कि अगर पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ न्याय नहीं करेगा तो भारत की शक्ति में जो भी कदम होगा, वह उठाएगा।

नेतागण पूर्वी पाकिस्तान जाएं

गैर-सरकारी तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कुछ नेताओं को पूर्वी पाकिस्तान जाना चाहिए। कठिनाई यह है कि यह सरकार न तो सरदार पटेल की भाषा में बात कर सकती है और न यह सरकार गांधी जी के कदमों पर ही चल सकती है। शांति और अहिंसा का उपदेश देनेवाले क्यों नहीं ढाका और खुलना जाते और वहां के हिंदुओं की स्थिति देखते? प्रोफेसर हुमायूं कबीर जा सकते हैं; जनरल शहनवाज खां जा सकते हैं, हमारे श्री फखरुद्दीन अली अहमद जा सकते हैं और पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों से कह सकते हैं कि अगर तुम पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के साथ न्याय नहीं करोगे तो हम भारत में मुसलमानों के साथ न्याय की मांग कैसे कर सकते हैं? मगर गांधी जी का नाम लेनेवाले गांधी जी के कदमों पर चलने के लिए तैयार नहीं हैं। पूर्वी पाकिस्तान में महिलाओं की क्या स्थिति हो रही है? क्यों नहीं डॉ. सुशीला नायर वहां जातीं, क्यों नहीं गवर्नर पद्मजा नायडू जातीं? श्रीमती इंदिरा गांधी भी थोड़ा समय निकालकर वहां जा सकती हैं।

श्री जोसफ मथेन (केरल) : आप भी वहां क्यों नहीं जाते?

श्री वाजपेयी : मैं जाने के लिए तैयार हूं अगर कोई चलने को तैयार हो, मगर हमारे जनरल सेक्रेटरी को तो पश्चिम बंगाल से ही निकाल दिया गया, पूर्वी पाकिस्तान में कौन जाने देगा। हम सरकारी आधार पर इस बात का प्रयत्न करें और इस समस्या को सुलझाने के लिए गंभीरता से आगे बढ़ें।

उपसभाध्यक्ष जी, पूर्वी पाकिस्तान के दंगों को काश्मीर के साथ जोड़ा गया। काश्मीर की जनता के साथ नई दिल्ली न्याय नहीं कर रही है। काफी वर्षों के बाद काश्मीर से मिली-जुली आवाज उठी कि केंद्रीय सरकार को वहां पर हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम काश्मीर की जनता के साथ बेइंसाफी करेंगे। काश्मीर की वर्तमान सरकार वहां की जनता का विश्वास खो चुकी है। अब मौका है केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करने का। जो सरकारी अफसर हमने भेजे थे, एक को जम्मू-काश्मीर का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाकर भेजना चाहते थे और एक को इन्फारमेशन डायरेक्टर बनाकर। जब वे श्रीनगर पहुंचे तो उनसे कहा गया कि किसी कागज को हाथ मत लगाना। और वे अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर वापस आ गए। वहां पर केवल कुछ अफसरों को भेजने का सवाल नहीं है। जम्मू-काश्मीर की जनता का जो विश्वास डिग गया है, उसको फिर से जमाना होगा और इसके लिए कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। मैं श्री तारिक के सुझाव का स्वागत करता हूं कि संसद के सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल जम्मू-काश्मीर जाए और जम्मू-काश्मीर की स्थिति का अध्ययन करे। संसद को भी एक विशेष समिति नियुक्त करनी चाहिए

और इस बात की जांच करनी चाहिए कि ऋण के रूप में, अनुदान के रूप में, जम्मू-काश्मीर राज्य को अब तक जो धन राशि दी गई है, वह किस तरह से खर्च की गई। पी.ए.सी. और एस्टीमेट कमेटी यह काम नहीं कर सकती। इसके लिए संसद की एक विशेष समिति नियुक्त होनी चाहिए।

भारत की जनता को सुरक्षा परिषद में ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने जिस तरह से भाषण दिया, उससे बड़ा धक्का लगा है। चीन के आक्रमण के समय ब्रिटेन जिस तरह से हमारी सैनिक सहायता पर आया और उससे जो सद्‌भावना हुई थी, मित्रता के जो बंधन दृढ़ हुए थे, उन्हें वर्तमान रवैये से गहरा धक्का लगा है। पाकिस्तान और भारत दोनों राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं और ब्रिटेन राष्ट्रमंडल का प्रमुख है। दो राष्ट्रमंडलीय देशों के झगड़े में ब्रिटेन को तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए। वह पाकिस्तान को आक्रमणकारी भी नहीं कहता। वह बदली हुई परिस्थिति को स्वीकार करने से इन्कार करता है। वह पूर्वी पाकिस्तान के दंगों के लिए भी पाकिस्तान को दोष देना नहीं चाहता। ब्रिटेन के प्रतिनिधि ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों के लिए बहुत बुरा काम किया है। यदि यह रवैया जारी रहा तो भारत में यह आवाज उठेगी कि हमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अपने संबंध तोड़ने चाहिए। काश्मीर हमारे लिए राजनीति की शतरंज का मोहरा नहीं है। यह हमारे लिए शीतयुद्ध का एक अंग भी नहीं है। ऐसा लगता है कि ब्रिटेन की वर्तमान सरकार फूट डालो और शासन करो की साम्राज्यवादी नीति से अभी तक अपने को पूरी तरह अलग नहीं कर सकी है। भारत की जनता, अमरीका के प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद में क्या कहते हैं, इस बात की प्रतीक्षा कर रही है।

भारत-पाकिस्तान कभी एक होंगे

हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से झगड़ा न रहे। देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो पाकिस्तान से लड़ाई चाहती है। श्री देवकीनंदन नारायण यहां नहीं हैं। मगर उन्होंने श्री गोलवलकर का नाम लिया और कहने लगे कि वे अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत की बात तो मैं भी करता हूं। अखंड भारत की बात करना कोई जुर्म नहीं है। मैं सपना देखता हूं कि भारत और पाकिस्तान कभी एक होंगे। अगर जर्मनी के एक होने का सपना देखा जा सकता है; अगर कोरिया और वियतनाम के एक होने का सपना देखा जा सकता है, तो भारत के एक होने का सपना क्यों नहीं देखा जा सकता? मगर यह सपना जोर और जबर्दस्ती से पूरा नहीं होगा। इस सपने को पूरा करने के लिए फौज काम में नहीं लाई जाएगी। यह लड़ाई के जरिए प्राप्त नहीं किया जाएगा। यह हृदय-परिवर्तन से प्राप्त होगा। पाकिस्तान की जनता जब चाहेगी तभी यह सपना पूरा होगा। उन्हें किसी के भाषण को संदर्भ से तोड़कर, मरोड़कर, सदन में पेश नहीं करना चाहिए। मैं वह समय देखता हूं जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एक लचीला महासंघ बनेगा और रक्षा की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से और वैदेशिक संबंध की दृष्टि से हम निकट आ जाएंगे। आज तो यह सपना ही है, मगर यथार्थ कितना भी कटु हो, हम सपना देखना तो नहीं छोड़ सकते। जो 'जय जगत' का नारा लगाते हैं, वही अखंड भारत के सपने पर आपत्ति करते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आ सकता। लेकिन जब तक पाकिस्तान अलग है, हमें पाकिस्तान के प्रति दृढ़ नीति अपनानी होगी। कमजोर नीति को उदारता नहीं समझा जाता। उसके गलत अर्थ लगाए जाते हैं। जब हम चीन से संघर्ष में फंसे हैं, हम पाकिस्तान से झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहते। मगर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दो-तीन महीने में पाकिस्तान से संबंध और भी बिगड़ेंगे और उस समय हमें सतर्क रहना

होगा, देश के भीतर काम करनेवाले पाकिस्तानी तत्वों पर नजर रखनी होगी और कम्युनिस्ट पार्टी के उस हिस्से पर भी नजर रखनी होगी, जो चीनपरस्त है और चीनपरस्त होने के कारण आज पाकिस्तानपरस्त हो रहा है।

मुझे खेद है कि कलकत्ता के दंगों के संबंध में जो बातें कही गईं, वे एकतरफा हैं और एकतरफा बातें यह बताती हैं कि हम ऐसा प्रचार करना चाहते हैं जो प्रचार न तो सत्य पर आधारित है और न राष्ट्र के हितों के लिए काम में आ सकता है। ऐसे प्रचार से हमको सावधान रहना चाहिए।

भ्रष्टाचार का निर्मूलन

उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहकर अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा। अभी गृह मंत्री जी ने घोषणा की है, आज प्रश्नोत्तर काल में भी उसकी चर्चा हुई थी कि दो साल के भीतर भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जाएगा; मैं नहीं जानता कि किन ज्योतिषियों से विचार-विमर्श करके, किस पंचांग को देखकर उन्होंने दो साल का समय निर्धारित किया है। यह समय डेढ़ साल क्यों नहीं हो सकता? यह समय तीन साल क्यों नहीं हो सकता? भ्रष्टाचार का निराकरण आवश्यक है, लेकिन इस समय जो नाटकीय कदम उठाए जा रहे हैं, वे भ्रष्टाचार नहीं मिटा सकते। दिल्ली में हमने एक नाटक देखा। कसमें खिलाई गईं। रामलीला मैदान में हरिजन बंधुओं को इकट्ठा किया गया, झाड़ू लगानेवालों को, और प्रधानमंत्री जी को वहां ले जाया गया, और उन हरिजन बंधुओं को कसम खिलाई गई कि वे रिश्वत नहीं लेंगे। हरिजन बंधु कितनी रिश्वत लेते हैं? और क्या रिश्वत इसलिए ली जाती है कि लेनेवालों ने कसम नहीं खाई है? क्या कसम खाने के बाद वे रिश्वत नहीं खाएंगे?

अभी दिल्ली में एक घटना हुई। एक ठेकेदार थे। वे कहीं अपना गलत काम करने के लिए रिश्वत देने लगे। जिन अफसर को रिश्वत लेनी थी उन्होंने कहा कि मैं तो रिश्वत नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने कसम खाई है। फिर थोड़ी देर में वह बोले कि मेरी पत्नी ने कसम नहीं खाई है। तो क्या पतियों के साथ पत्नियों को भी कसमें खिलाई जाएंगी? क्या गांठ बांधकर, वेदी पर बैठा कर शपथ ली जाएगी? और अगर पत्नियों को कसमें खिला दी गईं तो बच्चे तो बच ही जाएंगे। फिर उनके नाम पर रिश्वतें ली जाएंगी। मुझे एक और आशंका है कि जब तक लोगों ने कसमें नहीं खाई थीं, तब तक दो-चार रुपए में काम हो जाता था। अब कोई भी चार रुपए में काम करनेवाला नहीं है, क्योंकि दो-चार रुपए अगर कोई देगा तो वे कहेंगे कि हमने कसम खाई है। भला वे चार रुपए के लिए कसम क्यों तोड़ेंगे? अगर सौ-पचास रुपए दें तो कसम तोड़ भी सकते हैं। इस तरह रिश्वत के साथ काम की कीमत भी मिल जाएगी और देनेवाले को यह बड़ा महंगा पड़ेगा। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार को मिटाने का यह तरीका नहीं है। भ्रष्टाचार को अगर मिटाना है तो ऊंचे क्षेत्रों से शुद्धाचरण आदर्श रखा जाना चाहिए। भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है कि जैसे बड़े लोग आचरण करते हैं, बाकी लोग वैसा ही अनुकरण करते हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि मंत्री स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं है। उसकी जांच कैसे होगी? आंध्र के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, मगर पंजाब के मुख्यमंत्री चिपके हुए हैं। क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान आंध्र में होना चाहिए? पंजाब में नहीं होना चाहिए? पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया?

पंजाब के गृह मंत्री ने विरोधी दल पर आरोप लगाया कि वे विदेशी शक्तियों के साथ साजिश

कर रहे हैं। जब मैंने सदन में कहा कि अगर यह आरोप साबित नहीं किया गया तो मैं भूख-हड़ताल करूंगा; तो वे पलट गए और कहने लगे कि मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा था तो दूसरे दिन उसका खंडन कर सकते थे। यदि विदेशी शक्तियों के साथ साजिश करने का आरोप लगाया जाता है तो फिर उसे साबित किया जाए और अगर साबित न किया तो कम से कम उसका खंडन करके उसे खत्म किया जाए। मगर पंजाब के गृह मंत्री यह भी नहीं कर सकते।

दास कमीशन के सामने—मैं उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि जांच हो रही है—जो तथ्य आ रहे हैं वे बड़े गंभीर हैं। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों को अगर आश्रय देगी, तो विजिलेंस कमीशन की घोषणाएं भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकतीं। आवश्यकता इस बात की है कि जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनकी जांच की जाए, खुली जांच की जाए और जांच के दौरान वे अपने पद से इस्तीफा दे दें। अगर जांच में वे निदोष साबित हो जाएं तो अपने पद पर ससम्मान वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर भ्रष्टाचार के निराकरण का मतलब यह है कि छोटी-छोटी मछलियों को फांसा जाए और बड़े-बड़े मगरमच्छ जाल में से निकल जाएं तो जनता में विश्वास पैदा नहीं हो सकता।

दिल्ली की जनता और देश की जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही है कि दिल्ली में जो एक को-ऑपरेटिव स्टोर चलता है, जिसने गुड़ में मुनाफाखोरी की थी और जिस को-ऑपरेटिव स्टोर के संचालक कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, जिनके विरुद्ध जांच हो रही है, उस जांच का परिणाम क्या होगा? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानेवाली है? यह एक मामला है जो सबके सामने है। यह कसौटी है कि उस पर गृह मंत्रालय क्या करता है। गृह मंत्रालय कठोर कार्यवाही कर सकता है। भ्रष्टाचार के निराकरण का प्रश्न किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है, उसके सहयोग से देश में ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है कि हमारा सार्वजनिक जीवन और हमारा शासन शुद्ध हो, भ्रष्टाचार से रहित हो। मगर इसका प्रारंभ केंद्र से होना चाहिए, नई दिल्ली से होना चाहिए। लेकिन नई दिल्ली में आज कदम उठाने की, दृढ़तापूर्ण कदम उठाने की स्थिति नहीं दिखाई देती—यह स्थिति बदली जानी चाहिए, यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

राष्ट्रीय एकता के नए संकट

अध्यक्ष महोदय, कल राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने जो यह घोषणा की है कि चीन के साथ समझौता केवल इसी आधार पर हो सकता है कि चीन भारत का क्षेत्र खाली कर दे, इसमें लेन-देन का कोई प्रश्न नहीं उठता, मैं उस घोषणा का स्वागत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिलहाल पेकिंग न जाने के संबंध में जो निर्णय किया है, उसका भी मैं समर्थन करता हूं। जब तक चीन के रवैये में, चीन के दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं होता, चीन के साथ वार्ता करने का कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए भी मैं प्रधानमंत्री जी के भाषण में इस प्रश्न का कोई उत्तर न खोज सका कि अगर चीन भारत की भूमि पर से अपने आक्रमण को नहीं हटाता तो हम भारत की भूमि को मुक्त करने के लिए कौन-से कदम उठाने जा रहे हैं। यदि आज सैनिक कार्रवाई करना संभव नहीं है तो कम से कम यह तो संभव है कि सीमा पर जो चौकियां हैं, वहां पुलिस की जगह अपनी फौज तैनात करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में यह बताया है कि काला पानी तथा गरबियान की चैक पोस्ट पर अभी सिविल पुलिस लगी हुई है, वहां हमारी फौज के जवान तैनात नहीं किए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि ये चौकियां पूरे साल काम नहीं करतीं, कुछ महीने ही काम करती हैं और बाद में पुलिस के सिपाही वापस चले आते हैं। जब चीन के जवान तकलाकोट में बारहों महीने चौकियों पर काम कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि हम भी वहां पुलिस की जगह फौज के जवान न रखें और बारह महीने वहां पर सीमा की देख-भाल का इंतजाम न करें।

इसके साथ यह भी प्रश्न है कि क्या सैनिक कार्रवाई को छोड़कर हम ऐसे और कोई कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जिनसे पता लगे कि हम चीन के आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस दिन उप-विदेश मंत्री ने राज्यसभा में बताया था कि पेकिंग में हमारा जो इंडियन मिशन है, उसके राजदूत के पर्सनल असिस्टेंट के साथ बड़ा अपमानजनक व्यवहार किया गया। हमने एक विशेष चिट्ठी भेजी है। पर क्या केवल इतना ही पर्याप्त है? क्या हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार हमारे राजदूत के साथ किया जाएगा? चीन का हमारे प्रति जो भी आचरण है, उसके विरोध-स्वरूप हमें पेकिंग से अपने राजदूत को वापस बुला लेना

---

* *राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में २१ फरवरी, १९६१ को भाषण।*

चाहिए और जब तक हम उन्हें वापस नहीं बुलाते, तब तक चीन में हमारे राजदूत और उनके कर्मचारियों पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसी प्रकार के प्रतिबंध नई दिल्ली स्थित चीनी राजदूतावास के कर्मचारियों पर भी लगने चाहिए।

तिब्बत-नीति का आधार

दोनों देशों के अधिकारियों ने जो वार्ता की है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि तिब्बत के संबंध में हमने जो नीति अपनाई है, वह नीति ऐतिहासिक तथ्यों से स्पष्ट नहीं होती। चीन ने भी, तिब्बत संधियां कर सकता है, इस अधिकार की पुष्टि की है। हमने भी इसका उल्लेख किया है कि तिब्बत को अंतरराष्ट्रीय संधियां करने का अधिकार था। तो फिर हम तिब्बत पर चीन के अधिकार को सौ फीसदी किस तरह से स्वीकार कर सकते हैं? जो तथ्य हमने रखे हैं, जो संधियां हमने उद्धृत की हैं, उनसे इस बात की पुष्टि होती है कि तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में जीवित रहने का अधिकार था। अगर आज सरकार किन्हीं कारणों से इतना आगे बढ़ने को तैयार नहीं है तो कम से कम तिब्बत में मानव अधिकारों के उल्लंघन का जो प्रश्न है, जिसे थाईलैंड और मलाया ने राष्ट्रसंघ में उठाया है, हमें उसके समर्थन में तो उन्हें आश्वासन देना चाहिए। यह प्रस्ताव कैसा बने, इसके संबंध में भारत सरकार की राय जानने की कोशिश की गई है। मानव अधिकारों के उल्लंघन का प्रश्न शीतयुद्ध का प्रश्न न बने, इसके लिए प्रयत्न किया जा सकता है, मगर भारत सरकार इस बात का संकेत दे कि वह प्रस्ताव किस रूप में होना चाहिए। लेकिन अब तिब्बत के मानव अधिकारों के प्रश्न पर चीन की शक्ति को देखते हुए हम चुप बैठे रहें, यह ठीक नहीं होगा।

इसके साथ ही विश्व के जनमत को भी हमें सीमा-विवाद के प्रश्न पर अपनी ओर करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कल ऐसा वाद-विवाद में कहा गया कि चीन हमें हमारे पड़ोसियों से अकेला कर रहा है, अलग कर रहा है। नेपाल और बर्मा ने चीन के साथ समझौता किया है, हमें कोई शिकायत नहीं है, वे समझौता करें। मगर उन्हें हमारे अनुभव से लाभ उठाना चाहिए। चीन का आज तक का सारा इतिहास समझौतों को तोड़ने का इतिहास है। चीन के प्रधानमंत्री नई दिल्ली में आकर कह गए कि हम भूटान और सिक्किम के साथ भारत के संबंधों का सम्मान करेंगे। उसका टेप-रिकार्डर भी मौजूद है। मगर पेकिंग रिव्यू ने संबंधों के पहले 'प्रापर' शब्द लगा दिया, उचित शब्द लगा दिया। नेपाल और बर्मा अगर आज चीन के इरादों को न समझते हुए और भयभीत होकर, जिसके लिए भारत सरकार भी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती, चीन पर आंख मूंदकर विश्वास करेंगे तो उन्हें भविष्य में संकट का सामना करना पड़ सकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम चीन के इरादों से पड़ोसियों को परिचित कराएं, विश्व में प्रचार करें, विशेषकर ब्रिटेन में, जहां चीन के साथ जो हमारा सीमा-विवाद है, उसके संबंध में बड़ी गलतफहमियां हैं। ब्रिटेन के लोग बहुत कानूनदां बनते हैं। अब हमारी रिपोर्ट से हमारा पक्ष कानून की दृष्टि से भी बड़ा प्रबल हो गया है। इस रिपोर्ट का दुनिया के अन्य देशों में भी प्रचार किया जाना चाहिए। अफ्रीका के नए देश जो स्वतंत्र हो गए हैं, उनको भी हम चीन के इरादों से परिचित कराएं और उनकी आजादी का स्वागत करते हुए चीन के विस्तारवाद के रूप में जो नया साम्राज्यवाद पैदा हो रहा है, उससे उनको सावधान करें, इस बात की आवश्यकता है।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में राष्ट्रीय एकता के लिए जो नए संकट पैदा हो गए हैं, उनका

कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कल प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में कहा कि राष्ट्रीय एकता पंचवर्षीय योजनाओं से भी अधिक महत्व रखती है। इस संबंध में दो मत नहीं हो सकते। लेकिन सवाल यह है कि पिछले १३ सालों में इस देश में राष्ट्रीय एकता को पुष्ट करने के लिए हमने क्या कदम उठाए हैं। एकता की अपीलें करने से अथवा सांप्रदायिकता के विरुद्ध भाषण करने से एकता पैदा नहीं हो सकती। जबलपुर में जो कुछ हुआ, उससे हर एक भारतीय का सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन केवल गुस्सा प्रकट करके और ऊपर से लीपा-पोती करके या किसी पर दोषारोपण करके हम यह समझें कि यह समस्या हल हो गई है, तो हम बड़ी भूल कर रहे हैं। जबलपुर कांड कोई रोग नहीं है, रोग का प्रकटीकरण मात्र है। कल कुछ सदस्यों ने कहा कि एक लड़की पर कुछ लोगों ने बलात्कार किया, तो लोगों ने यह बात क्यों देखी कि लड़की किस मजहब की थी और लड़के किस मजहब के थे। मैं उनसे सहमत हूं। अपराध अपराध है, बुराई बुराई है, कौन सा अपराध कौन सा मजहब माननेवाले करते हैं, यह नहीं देखा जाना चाहिए। मगर क्या हमने पिछले १३ सालों में ऐसा वातावरण पैदा किया है कि हम सवालों को हिंदू-मुस्लिम के रूप में न सोचें या इसके विपरीत हमने एक ऐसी फिजा बनाई है कि हम हिंदू-मुसलमान के रूप में अब भी सोच रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यह संसद और सरकार इस पृथकता की भावना को पैदा करने के लिए जिम्मेदार है।

सिविल कोड बनाएं

संविधान में लिखा हुआ है कि सभी जातियों के लिए एक सिविल कोड होना चाहिए, फिर क्या हम सिविल कोड नहीं बना सकते? क्या शादी-विवाद का कानून संप्रदायों के लिए अलग-अलग होना चाहिए? क्या दो शादियां करना एक संप्रदाय के लिए बुरा है, दूसरे संप्रदाय के लिए बुरा नहीं है? ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कि अगर किसी हिंदू को दूसरी शादी करनी होती है, तो वह हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरी शादी करता है। क्या यह चीज हमारे देश में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर सकती है?

अभी हमारी सरकार ने हिंदू मठों और मंदिरों की संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए कमीशन बनाया है। मैं इस कमीशन का स्वागत करता हूं, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केवल मठों और मंदिरों की संपत्ति का ही दुरुपयोग होता है? मस्जिदों और गिरजाघरों की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होता? क्या सेकुलर स्टेट में सबके लिए एक-सा कानून नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं इस कमीशन का कार्यक्षेत्र बढ़ाया जाता है। क्यों नहीं आप इस चीज को भूल जाते हैं कि यह हिंदू है और यह मुसलमान है? हिंदू होंगे पूजा-पाठ के लिए और मुसलमान होंगे रोजा-नमाज के लिए, लेकिन जहां तक राज्य का संबंध है, शासन का संबंध है, किसी को हिंदू-मुसलमान नहीं माना जाएगा। हमें एक भारतीय समाज की रचना करनी है, मगर हिंदुओं के लिए अलग कोड बनाकर, हिंदू मठों और मंदिरों के लिए अलग कमीशन बनाकर इस एकता को नहीं पैदा कर सकते, जिसको पैदा करने की हम घोषणाएं करते हैं।

यह मेरी अपनी बात नहीं है। समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई है कि केंद्र के एक मंत्री हैं, मैं नहीं जानता कि यह समाचार कहां तक सही है, इन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है कि नौकरियों में मजहब के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी इस बात का खंडन करें। कौन है वह मंत्री जो रिलिजन के हिसाब से सर्विसेज में रिजर्वेशन चाहता है? अगर सर्विसेज में

मजहब के हिसाब से रिजर्वेशन होगा तो देश में राष्ट्रीयता की भावना कभी पैदा नहीं हो सकती। क्या आप नौकरी देंगे तो किसी का मजहब पूछेंगे? अगर आप मजहब पूछेंगे तो यह भेदभाव और यह सांप्रदायिकता सर्विसेज में भी फैल जाएगी। जिस व्यक्ति को मजहब देखकर, काबिलियत न देखकर, नौकरी में रखा जाएगा, वह नौकरी में जाने के बाद भी भेदभाव बरतेगा। अगर एक व्यक्ति भेदभाव बरतेगा तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, फिर दूसरे भी बरतेंगे, और फिर एक विषम चक्र चलेगा और देश को एकता के सूत्र में बांधने का हमारा स्वप्न खंडित हो जाएगा। मैं समझता हूं कि इस मंत्री का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा मांगा जाना चाहिए। वह हमारी सेकुलर डिमाक्रेसी में विश्वास नहीं करता। उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने हैदराबाद में हरिजन बंधुओं को परामर्श दिया कि यह रिजर्वेशन ठीक नहीं है, यह खत्म होना चाहिए, यह स्वास्थ्य की निशानी नहीं है। किंतु हरिजनों तथा वनवासियों के लिए रिजर्वेशन हम समझ सकते हैं, क्योंकि वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक दृष्टि से उनके साथ अन्याय किया गया है, मगर मजहब के आधार पर रिजर्वेशन का क्या सवाल है? किंतु यह आवाज उठाई जा रही है और मैं चाहता हूं कि एकता की दुहाई देने वाले इसके बारे में अपनी राय प्रकट करें, जिससे पता लग सके कि कौन कहां पर खड़ा है। मेरा निवेदन है कि अगर आप विनाशकारी शक्तियों से लड़ना चाहते हैं तो पार्टी से ऊपर इस सवाल को उठाकर देखिए, उससे लड़ने के लिए मैं आपके साथ हूं। अगर हिंदू सांप्रदायिकता अपनाते हैं तो उसका विरोध होना चाहिए, उससे लड़ा जाना चाहिए, मगर आप एक संप्रदाय की सांप्रदायिकता को बर्दाश्त कर लें, यह ठीक नहीं है।

होली, दीवाली, दशहरा और पाठ्यक्रम

कुछ समय से इस तरह के संगठित प्रयत्न हो रहे हैं कि सांप्रदायिकता को पैदा किया जाए और जब से केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया गया है, यह सांप्रदायिकता और बढ़ रही है। मैं क्या बताऊं, आज कहा जा रहा है कि अगर स्कूल की किताबों में हमारे विद्यार्थियों को दीवाली, दशहरा और होली के बारे में पाठ पढ़ाया जाएगा तो हमारा मजहब खतरे में पड़ जाएगा। यह मांग की जा रही है कि इस तरह के पाठ किताबों से निकाल दिए जाएं। मैं पूछता हूं कि क्या यह मांग ठीक है? होली, दशहरा और दीवाली हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं, उनसे किसी मजहब का संबंध नहीं है। अगर कोई होली नहीं मनाना चाहता है तो घर बैठ सकता है, मगर हम होली मनाएंगे, हम गाएंगे। जब वसंत की बयार बहेगी, नई फसल घर आएगी तो हम फागुन के गीत गाएंगे। और अगर धोखे से किसी पर रंग गिर गया तो क्या खून बहाया जाएगा? यह चीज ऐसी है जिस पर साफ बात होनी चाहिए। हमारा सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय क्या कर रहा है? इस समय समस्या है एक संस्कृति विकसित करने की, किंतु यहां तो अलग-अलग संस्कृतियों की बातें हो रही हैं।

और हमारा दुर्भाग्य है कि जब से पाकिस्तान बना है, ऐसे प्रयत्न हो रहे हैं कि देश में पंचमार्गी भेजकर, हमारे यहां सांप्रदायिक उत्तेजना उत्पन्न करके राष्ट्रीय एकता को विघटित किया जाए। जबलपुर कांड के संबंध में बहुत-सी बातें कही गई हैं। मैं नागपुर टाइम्स का एक उद्धरण सदन के सामने रखना चाहता हूं। नागपुर टाइम्स कांग्रेस का समर्थक कहा जाता है। नागपुर टाइम्स का कहना है कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि जबलपुर कांड में पाकिस्तान के पंचमार्गियों का क्या हाथ है?

नागपुर टाइम्स ने प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पर टिप्पणी करते हुए कहा है :

जबलपुर की गड़बड़ियों पर प्रधानमंत्री नेहरू का वक्तव्य, जो जनता उनसे आशा कर रही होगी, उससे भिन्न नहीं है। उन्होंने लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध की निंदा की और कहा कि "बाद में जो घटनाएं हुई हैं वे दर्शाती हैं कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है।"

हिंसा गलत है, यह कानून की प्रक्रिया के खिलाफ हमारे अधैर्य और संयम के अभाव को दर्शाती है। सामान्य रूप से, घटनाओं पर नेहरू जी की प्रतिक्रिया वैसी ही है, जैसी वह होनी चाहिए।

फिर भी, यह आशा थी कि नेहरू जी के पास जबलपुर की घटनाओं के बारे में अब तक सामने आई बातों से ज्यादा तथ्य होंगे, सिर्फ हिंसा के बारे में जानकारी नाकाफी है।

देशद्रोही सक्रिय

मस्जिदों में हथियार जमा करना, पुलिस के खिलाफ हमला और जबलपुर व सागर की घटनाओं के एक घंटे के अंदर ही पाकिस्तान रेडियो से उसके बारे में विस्तृत और तत्काल प्रसारण, ये तथ्य हैं जो देश के बिल्कुल केंद्र में योजनाबद्ध देशद्रोही गतिविधियों की तरफ इशारा करते हैं।

असहाय लड़की के साथ छेड़खानी किए जाने से बेइज्जत हुए लोगों के लिए प्रवचनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन सरकार उन देशद्रोहियों के साथ क्या करने जा रही है, जो देश में गड़बड़ी करने की तैयारी कर रहे हैं और जिनके सीमा पार हमारे गैर-मित्र पड़ौसी से बेतार के संपर्क हैं? जनता प्रधानमंत्री से इस सवाल का जवाब चाहेगी।

जबलपुर के दंगों की निंदा होनी चाहिए, वहां के दंगों की जांच के लिए हाई कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक समिति बननी चाहिए। जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, हिंसा की है, हत्या की है, उन्हें दंड मिलना चाहिए। मगर मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीय एकता का प्रश्न पार्टी का प्रश्न नहीं है। उनको चाहिए कि वह एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन करें। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जो बाधाएं खड़ी हैं, उनके निराकरण का प्रयास करें। समस्या की तह में जाकर देखें और समझें, फिर सांप्रदायिकता, चाहे वह किसी की भी हो, उसके मुकाबले के लिए सारे देश को तैयार करें, सारा देश उनकी बात का आदर करेगा। लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि एक की सांप्रदायिकता को उछाला जाए और दूसरे की को दबाया जाए।

अभी कम्युनिस्ट पार्टी के एक सदस्य ने प्रस्ताव रखा है कि मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और गिरजाघरों का जो राजनैतिक उपयोग होता है, उस पर रोक लगाई जाए। क्या कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव के समर्थन के लिए तैयार है?

श्री त्यागी (देहरादून) : तैयार है।

श्री वाजपेयी : अगर तैयार है तो इस प्रस्ताव को पास करिए। सांप्रदायिकता किसी भी रूप में हो, उसे कुचल दीजिए। हम आपके साथ हैं। लेकिन सांप्रदायिकता के नाम पर आप एक संप्रदाय के तुष्टीकरण की नीति अपनाएं, इसका आज असर नहीं होगा। अगर चिनगारी गिरेगी तो आग भड़केगी। अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। हम नहीं चाहते कि वह हो। लेकिन क्या हम जबलपुर की घटनाओं को रोक सके? कल हमारे मित्र श्री अशोक मेहता ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सके। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियां फिर से पैदा न हों, इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।

राष्ट्रीय प्रतिष्ठा दांव पर

उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने श्री चाऊ एन लाई को जो पत्र भेजा है और जिसमें उन्हें दिल्ली आने की दावत दी गई है, उससे एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है। यह पत्र ५ तारीख को भेजा गया और उसके बाद ८ तारीख को संसद की बैठक आरंभ हुई। ईमानदारी का तकाजा था कि राष्ट्रपति के भाषण में कुछ ऐसे संकेत दिए जाते, जिनसे यह पता लगता कि सरकार ने चीन के संबंध में अपनी नीति को बदलने का फैसला कर लिया है।

राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के अधिष्ठाता हैं। वर्ष में एक बार वह संसद के सामने भाषण देते हैं। उनके भाषण से कम से कम शासन की नीति में परिवर्तन का संकेत मिलना चाहिए था। किंतु राष्ट्रपति जी से कहलवाया गया कि चीन ने हमारी सामान्य सीमा पर एकतरफा कार्य किया है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है और यह भी कि मेरी सरकार उचित शर्तों के साथ और उचित अवसर पर शांतिपूर्ण बातचीत और इसके साथ ही दृढ़ता से देश की प्रतिरक्षा की तैयारी की नीति का अनुसरण कर रही है। जब राष्ट्रपति जी संसद के सदस्यों के सामने यह भाषण दे रहे थे, उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री ने चीनी प्रधानमंत्री को दिल्ली आने का निमंत्रण दे दिया था। मुझे भय है कि राष्ट्रपति जी को गलत स्थिति में डाल दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री ने संसद के प्रति ईमानदारी से काम नहीं लिया है। श्री चाऊ एन लाई को उनका निमंत्रण सरकार की अब तक की उद्घोषित तथा संसद द्वारा पुष्ट नीतियों के सर्वथा प्रतिकूल है। बम के धड़ाके की तरह से यह नीति का परिवर्तन सर्वथा अप्रत्याशित, अनावश्यक और असम्मानजनक है।

कल जब यहां स्थगन-प्रस्ताव रखा गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी हरदम यह नीति रही है कि हम रास्ता निकालने के लिए हर किसी से मिलने के लिए तैयार रहते हैं। इस संबंध में उन्होंने पिछले चालीस साल का भी हवाला दिया। मैं इतने पुराने अरसे में नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ उनसे यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने श्री चाऊ एन लाई का रंगून आने का निमंत्रण क्यों ठुकराया था? उन्होंने उस समय यह कहा था :

"इन सिद्धांतों पर किसी समझौते पर कैसे पहुंच सकते हैं, जब कि तथ्यों पर इतने अधिक

** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में १७ फरवरी, १९६० को भाषण।*

मतभेद हैं।"

उन्होंने यह भी कहा था अपने १६ नवंबर के पत्र में :

"जबकि मैं किसी उपयुक्त समय और स्थान पर मिलने को तैयार हूं, फिर भी मैं महसूस करता हूं कि हमें अंतरिम समझौते पर पहुंचने के अपने तात्कालिक प्रयासों पर केंद्रित होना चाहिए जो वर्तमान तनाव को कम करने और स्थिति को और ज्यादा गंभीर होने से रोकेगा। उसके बाद, जरूरी प्रारंभिक कदम उठाए जा सकते हैं और बैठक का समय और स्थान निश्चित किया जा सकता है।"

उन्होंने यह भी लिखा था :

"यह जरूरी है कि कुछ प्रारंभिक कदम उठाए जाएं जो हमारी बातचीत का आधार बने।"

मैं पूछना चाहता हूं कि २६ दिसंबर और ५ फरवरी के बीच में कौन से प्रमुख कदम उठाए गए हैं, कौन सा अंतरिम समझौता किया गया है, क्या बातचीत के लिए कोई आधार निश्चित किया गया है? मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री अगर रंगून जाते और चीन के प्रधानमंत्री अगर दिल्ली आते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है।

एक राष्ट्र के नाते हम प्रतिष्ठा की इतनी छोटी बातों को लेकर नहीं चल सकते। सवाल यह है कि अगर उस समय यह शर्त लगाई गई थी कि प्रेलिमिनरी स्टेप लिए जाने चाहिए, अंतरिम एग्रीमेंट होना चाहिए, तब बात होगी, और अगर उस समय यह शर्त ठीक थी और इसलिए प्रधानमंत्री रंगून नहीं गए, तो आज भी यह शर्त ठीक है। और अगर प्रधानमंत्री जी समझते हैं कि हमारी यह शर्त गलत थी तो वह साफ शब्दों में यह बात कहें। वह नीति बदल सकते हैं, उनके साथ सदन का बहुमत है, देश की जनता भी उनसे प्यार करती है। अगर उनको परिवर्तन करना था तो वह सदन को और देश की जनता को अंधेरे में न रखते। राष्ट्रपति जी के भाषण से इस बात के संकेत मिलने चाहिए थे कि सरकार की नीति में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन मुझे यह देखकर दुख हुआ कि इस प्रकार के परिवर्तन का कोई संकेत नहीं दिया गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस बीच में क्या उन्हें कोई संकेत मिले हैं, क्या श्री पार्थसारथी पेकिंग से कोई संदेश लेकर आए हैं, क्या सोवियत नेताओं ने उन्हें कोई आश्वासन दिया है, वह कौन सा दबाव है, वह किस का प्रभाव है, जिसमें आकर प्रधानमंत्री ने श्री चाऊ एन लाई को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया है? मुझे लगता है कि सारे तथ्य हमारे सामने नहीं रखे गए और हो सकता है, उसी कारण हम चाऊ-एन-लाई को दिल्ली बुलाने के निमंत्रण का विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी को इस सदन को विश्वास में लेना चाहिए। ५ फरवरी को उन्होंने जो पत्र लिखा है, उसमें भी उन्होंने कहा है :

"दोनों के दृष्टिकोणों में मैं कोई सामान्य आधार नहीं देखता।"

उन्होंने यह भी कहा है :

"यद्यपि आप द्वारा सुझाए गए आधार पर कोई बातचीत संभव नहीं है फिर भी मैं समझता हूं कि मिलना हमारे लिए लाभदायक हो सकता है।"

पहले उन्होंने कहा था कि जब तक इंटेरिम एग्रीमेंट नहीं होगा, मिलना यूजफुल नहीं रहेगा। अब वह कहते हैं कि मिलना हैल्पफुल हो सकता है। किस आधार पर कहते हैं? हमें बताया जाए, समझाया जाए। हम समझने के लिए तैयार हैं। लेकिन मालूम होता है कि कोई आधार नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री के एक प्रवक्ता ने समाचारपत्रों के संवाददाताओं से कहा कि हमने इसलिए बुलाने का निमंत्रण दिया है, क्योंकि दुनिया हमें कह रही थी कि तुम मिलने तक

के लिए तैयार नहीं। वर्ल्ड ओपीनियन हमारे खिलाफ हो रही थी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक्सटर्नल एफेयर्स मिनिस्ट्री दुनिया की राय की चिंता करती है, मगर इस निमंत्रण का देश की चालीस करोड़ जनता पर क्या मनोवैज्ञानिक असर होगा, इसकी चिंता नहीं की गई। दुनिया की चिंता करने से पहले देश का विचार करना चाहिए और मुझे दुख है कि यह निमंत्रण जनता की भावनाओं के अनुकूल नहीं है। मेरा निवेदन है कि सरकार की चीन संबंधी नीति धीरे-धीरे बदलती जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी अपने ऊंचे आसन से फिसलते जा रहे हैं। इस सदन के सामने उनके दो रूप आए हैं। एक दिन सदन में खड़े होकर उन्होंने 'नेशन इन आर्म्ज' की चर्चा की थी। राज्यसभा में उन्होंने चर्चिल के 'ब्लड, टायल एंड टीयर्ज' के शब्दों को दोहराया था। उनके दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप ऐसे राष्ट्र नायक का है, जो स्वाभिमान से भरकर, आत्मसम्मान के साथ आक्रमण का मुकाबला करना चाहता है और दूसरा ऐसे दुर्बल व्यक्ति का चित्र है, जो देश के स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहा है। एक चित्र के ऊपर ब्रिटेन को विजय दिलानेवाले चर्चिल की छाया है तो दूसरे चित्र के ऊपर संतुष्टीकरण की नीति अपनाकर हिटलर का हौसला बढ़ानेवाले चैंबरलेन की छाया है। मैं जब ये शब्द कहता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन ये दोनों चित्र हमारे सामने आए हैं। ऐसा लगता है कि एक विभक्त व्यक्तित्व—एक डिवाइडिड पर्सनेलिटी—हमारे सामने है।

'नेशन इन आर्म्ज'

जब प्रधानमंत्री ने 'नेशन इन आर्म्ज' की चर्चा की थी तो मैंने उन्हें बधाई दी थी। मैंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि देश का सम्मान आपके हाथों में सुरक्षित है। मगर उनके नए पत्र से यह विश्वास हिल गया है और मैं चाहता हूं कि वह इस विश्वास को फिर से प्रतिष्ठापित करें। इसके लिए उनको यह स्पष्टीकरण करना चाहिए कि आखिर वह श्री चाऊ-एन-लाई से किस आधार पर बात करने जा रहे हैं। पहले कहा जाता था कि मिलने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन किस आधार पर मिलना होगा? अब कहा जाता है कि हम मिल सकते हैं और बात भी करेंगे, मगर समझौते की बात नहीं करेंगे। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि बात कहां खत्म होगी और समझौते की बात कहां से शुरू होगी। अगर श्री चाऊ-एन-लाई नई दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली के मौसम पर चर्चा करने नहीं आ रहे हैं। धान पैदा करने की चीनी पद्धति क्या है, इसको समझाने के लिए भी वह नहीं आ रहे हैं। इसके लिए तो एग्रीकल्चर फेयर में चाइनीज पैविलियन काफी है। इसके लिए श्री चाऊ-एन-लाई को पेकिंग से नई दिल्ली आने का कष्ट देने की आवश्यकता क्या है? हमें अपने को धोखे में नहीं रखना चहिए। स्पष्ट है कि चीन से सीमा संबंधी विवाद के बारे में बात होगी। किस आधार पर बात होगी? मैं प्रधानमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह इस मसले पर कहां तक जाने के लिए तैयार हैं। मेरे हृदय में आशंका है कि शायद हम अक्साईचिन के इलाके को चीन को सौंपकर शांति को खरीदना चाहते हैं।

श्री च.द. पांडे (नैनीताल) : बिल्कुल नहीं।

श्री वाजपेयी : अगर यह बात नहीं है तो मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से, उस पत्र के कारण संसद के सदस्यों और देश की जनता के मन में जो भ्रम उत्पन्न हो गया है, संदेह पैदा हो गए हैं, उनका निराकरण करें।

होना तो यह चाहिए था कि हमारे प्रधानमंत्री और सरकार शीत ऋतु का लाभ उठाकर चीनी

आक्रमणकारियों को भारत की भूमि से खदेड़ने की कोशिश करते, लेकिन यहां तो समर्पण की सामग्री संजोई जा रही है। उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि हम भारत की भूमि पर विदेशी सेना को बर्दाश्त न करेंगे। मैं उनकी इस घोषणा का स्वागत करता हूं, लेकिन काश्मीर की ४२ हजार वर्गमील भूमि पाकिस्तान के कब्जे में है। काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मगर गुलाम काश्मीर में जिस देश की सेना है, वह भारत नहीं है। काश्मीर में विदेशी सेना मौजूद है और लद्दाख और लांगजू में भी विदेशी सेना मौजूद है। अगर देश में पाकिस्तान के साथ सैनिक गठबंधन करने की बातें होती हैं, मैं उनका समर्थक नहीं हूं, लेकिन अगर होती हैं—तो उसके मूल में यह भावना है कि भारत सरकार की सुरक्षा-नीति और विदेश-नीति अपने राष्ट्र के हितों का संवर्द्धन करने में असफल साबित हो गई है। जब हमें अपनी कमजोरी का अहसास होता है, तो हम इधर-उधर आंखें फैलाते हैं। दूसरों के साथ गठबंधन करने की बातें बंद हो जाएंगी, अगर सरकार शक्ति के साथ, साहस के साथ, जो भारत की भूमि विदेशियों के कब्जे में है, उसे मुक्त करने के लिए कदम उठाएगी। लेकिन मालूम ऐसा पड़ता है कि देश के सामने जो परिस्थितियां हैं, उसका दृढ़तापूर्वक सामना करने का सामर्थ्य और साहस सरकार के भीतर नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चीनी सेना को लद्दाख और लांगजू के क्षेत्र से निकालकर बाहर नहीं कर सकते, तो कम से कम वह उनके साथ कोई ऐसा समझौता तो न करें, जो राष्ट्र के लिए अपमानजनक हो और जिससे राष्ट्र की जनता का मनोबल टूट जाए।

चाऊ-एन-लाई का स्वागत?

प्रधानमंत्री जी ने श्री चाऊ-एन-लाई को लिखा है कि अगर वह आएंगे तो उनका सरकारी स्वागत होगा। सरकार स्वागत कर सकती है और अगर आवश्यकता हो तो फौज के जवान हवाई अड्डे पर इकट्ठे किए जा सकते हैं, दिल्ली के स्कूलों के छोटे-छोटे बच्चों को सड़कों पर खड़ा किया जा सकता है, मगर यह जनता का स्वागत नहीं होगा। जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है—छोटी सी पार्टी है—हम श्री चाऊ-एन-लाई को नई दिल्ली बुलाने का विरोध करते हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इस विरोध को प्रकट भी करेंगे।

एक माननीय सदस्य : ब्लैक फ्लैग्ज?

श्री वाजपेयी : इस संबंध में मैं एक बात और कह दूं। हमारे यहां बहुत से विदेशी मेहमान आते हैं। उनके स्वागत का हमने एक तरीका बना रखा है। समय आ गया है कि उस तरीके में परिवर्तन किया जाए। किसी के स्वागत के लिए कितनी भीड़ जाती है मानो यह मापदंड हो गया है इस बात का कि हम तटस्थता की नीति पर कितना चलते हैं और चलना चाहते हैं कि नहीं। मैं समझता हूं कि यह बात ठीक नहीं है। मैं चाहता हूं और देश की बहुसंख्यक जनता यह चाहती है कि हम किसी गुट के साथ शामिल न हों, मगर जो विदेशी मेहमान आते हैं, उनके स्वागत का हमने ऐसा तरीका अपना रखा है कि लोगों की जो भीड़ जमा होती है, उसको देखकर विदेशी समाचारपत्र और संवाददाता और उस देश के रहनेवाले इस बात का अनुमान लगाते हैं कि भारत किधर झुक रहा है, मानो हम कोई टाइट रोप डांसिंग कर रहे हैं और अगर छुट्टी का दिन नहीं है, भीड़ अगर नहीं आई, भले ही हम दफ्तर की छुट्टी कर दें और स्कूलों के लड़कों को भी लाने की कोशिश करें, अगर फिर भी लोग नहीं आए, तो यह समझा जाता है कि हम किसी गुट की तरफ झुक रहे हैं। मैं समझता हूं कि समय आ गया है जब विदेशी मेहमानों के स्वागत की पद्धति

में परिवर्तन किया जाना चाहिए। कितने लोग आते हैं, यह हमारी विदेश नीति की तटस्थता का मापदंड नहीं हो सकता। होना भी नहीं चाहिए। और मैं चाहूंगा कि इस पद्धति को बदलने के बारे में विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विवाद में भ्रष्टाचार की भी चर्चा हुई है। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार का नाम सुनते ही अगर हम बिगड़ जाएं तो इससे कोई परिस्थिति सुधरनेवाली नहीं है। अगर हम बिगड़ते हैं, तो लोग समझते हैं कि भ्रष्टाचार जरूर है, जिससे हमें गुस्सा आता है। शेषं कोपेन पूरयेत। संस्कृत की एक कहावत है कि जब तर्क काम नहीं देता, तो व्यक्ति गुस्सा हो जाता है।

पंडित कृ.चं. शर्मा (हापुड़) : और जोर-जोर से बोलता है।

श्री वाजपेयी : यह क्रोध, यह गुस्सा तर्क का स्थान नहीं ले सकता। भ्रष्टाचार की अगर चर्चा है, तो समझना चाहिए कि भ्रष्टाचार जरूर है। यत्र-यत्र धूमः तत्र-तत्र वहिनः, अगर धुंआ है, तो आग होनी चाहिए। प्रश्न यह है कि हम भ्रष्टाचार के सवाल को यहां पर कानून के चश्मे से न देखें। हो सकता है कि बहुत-सी चीजें कानून की पकड़ में न आएं, मगर उचित अनुचित और भले बुरे के अंतर्गत आ जाएं। अब कहा जाता है कि हर एक का प्रमाण लाइए, जिन्होंने कतिपय आरोप लगाए हैं, और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि श्री सी.डी. देशमुख के साथ उनका जो पत्र-व्यवहार हो रहा है उसको वह प्रकाशित कर दें, उसे सदन की मेज पर रख दें। मैं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त करने के पक्ष में हूं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि वह आयोग इलेक्शन कमीशन जैसा नहीं होना चाहिए। उस आयोग के साथ उसकी प्रासीक्यूटिंग मशीनरी भी अलग होनी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन जैसा वह आयोग हुआ और नीचे मामलों की जांच-पड़ताल करने और प्रमाण इकट्ठा करने, गवाह जुटाने के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं हुई तो वही बात होगी जो राजस्थान में नाथद्वारा कांड में हुई थी। केवल ऊपर आयोग नियुक्त कर देने से काम नहीं चलेगा। राज्यों और केंद्र के प्रशासन की मशीनरी से अलग उस आयोग की एक प्रासीक्यूटिंग मशीनरी भी होनी चाहिए जो उन आरोपों की जांच करे, तथ्य इकट्ठा करे तथा प्रमाण लाए। मैं समझता हूं कि ऐसे एक आयोग को नियुक्त करने की आज आवश्यकता है।

बंबई प्रांत का विभाजन

उपाध्यक्ष महोदय, एक और बात कहकर मैं समाप्त कर दूंगा। केंद्रीय सरकार ने बंबई प्रांत के विभाजन का जो निर्णय किया है, सबने उसका स्वागत किया है। अच्छा होता अगर यह निर्णय पहले लिया जाता और जो कटुता उत्पन्न हो गई है, वह होने न पाती। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। हम ठीक राह पर आ गए हैं। लेकिन हमारा निवेदन है कि जिस ढंग से यह काम किया जा रहा है, उससे मालूम पड़ता है कि बंबई को बांटने का मामला केवल कांग्रेस पार्टी का घरेलू मसला है और इसको इस ढंग से हल किया जा रहा है कि जो और भी लोग हैं, उनके मन में भी कुछ नए प्रश्न, कुछ नई शंकाएं खड़ी हो रही हैं। अभी बंबई और मैसूर का सीमा संबंधी विवाद ठीक तरह से हल नहीं हुआ। गुजरात को सहायता मिलना आवश्यक है मगर वह किस रूप में दी जाए, इसका विचार होना चाहिए। अगर महाराष्ट्र की यह भावना हो कि गुजरात को सहायता देने के लिए उससे चौथ वसूल की जा रही है जिसे मराठी में खंडनी कहते हैं, कि गुजरात का अलग प्रांत बन रहा है, इसलिए महाराष्ट्र को चौथ देनी होगी तो यह ठीक नहीं है। जो कुछ

सहायता देनी है, वह केंद्रीय सरकार को देनी चाहिए और महाराष्ट्र की जनता को और विरोधी दलों को भी विश्वास में लेकर बंबई को बांटने के संबंध में निर्णय करना चाहिए।

महा दिल्ली का नारा निरर्थक

लेकिन बंबई के साथ-साथ अब पंजाब के बटवारे की भी आवाज उठाई जा रही है। कल दिल्ली के एक सदस्य बोले थे जिन्होंने महा दिल्ली की बात कही और साथ ही साथ यह भी कहा कि दिल्ली में कोई रिसपांसिबिल गवर्नमेंट नहीं है। मैं तो उन्हें जिम्मेदार आदमी समझता था, लेकिन उन्होंने बात तो बिल्कुल गैर-जिम्मेदारी की कही। अगर देश में सभी विधान सभाएं भंग कर दी जाएं और केवल संसद ही उनका शासन चलाए और देश में यूनिटरी फार्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए तो भी मैं समझता हूं कि लोकतंत्र रहेगा। यह आवश्यक नहीं है कि हर जगह विधान सभाएं होनी चाहिए। और दिल्ली में तो इसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिज्ञ हैं जो अपना विचार करते हैं, जो जनता की भलाई और देश के कल्याण की चिंता नहीं करते, वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को बांट दो, भले ही उत्तर प्रदेश बंटने के लिए तैयार न हो, हरियाणा को भी अलग कर दो और महा दिल्ली बना दो और बाद में उसके सिंहासन पर हमको प्रतिष्ठित कर दो। मैं समझता हूं कि महा दिल्ली के निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है। हरियाणा की जो समस्या है, हरियाणा की जो उपेक्षा की जा रही है, उस पर विचार होना चाहिए, पंजाब को बांटने की आवश्यकता नहीं है, बड़ा बनाने की आवश्यकता है। हिमाचल को पंजाब में मिलाया जा सकता है। जो भाषा की समस्या है उसका हल पंजाब के बटवारे से नहीं निकलेगा।

छोटे-छोटे राज्य हमारे देश की आर्थिक प्रगति में सहायक नहीं हो सकते। जैसे-जैसे हम विकास करते जा रहे हैं और जैसे-जैसे देश में औद्योगीकरण हो रहा है, ये जो राज्यों की सीमाएं हैं, ये अपना महत्व खोती जा रही हैं। और प्लानिंग तो एक ऐसा केंद्रीय विषय है, जिससे अधिकाधिक अधिकार केंद्रीय सरकार के हाथ में जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी भाषा-भाषी वर्ग को इस बात का अनुभव नहीं होना चाहिए कि उसकी भाषा को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसकी भाषा को मिटाने की कोशिश की जा रही है और अगर ऐसी भावना पंजाब में है तो मैं समझता हूं कि गलत है। पंजाबी भी हमारी भाषा है। पंजाबी भी हमें पढ़नी चाहिए। पंजाबी हम बोलते हैं, पंजाबी को सीखने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और पंजाबी के साथ-साथ पंजाब में हिंदी का भी बराबर का स्थान होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि भाषा के विवाद को राजनीतिक क्षेत्र में लाने की आवश्यकता है और इसलिए महा दिल्ली के निर्माण का सवाल ही पैदा नहीं होता। राजनीतिक क्षेत्र में जो असंतुष्ट नेता हैं, वे महा दिल्ली का नारा लगा रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उस नारे का कोई महत्व नहीं होगा। पंजाब की परिस्थिति और बंबई की परिस्थिति अलग-अलग है। पंजाब की परिस्थिति में बंबई की परिस्थिति को लागू करना ठीक नहीं होगा। पंजाब की अलग समस्या है। उसके निराकरण के लिए प्रयत्न होना चाहिए, लेकिन बंबई के साथ जोड़कर उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे सामने विदेशी आक्रमण का संकट है, जब हमें निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करना है तब हम छोटे-छोटे राज्यों की मांग लेकर खड़े नहीं हो सकते, और मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मांगों के प्रति सरकार ठीक प्रकार का रवैया अपनाएगी। धन्यवाद।

राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण किया गया है, उसे देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक बल शासन ने अभी तक जो कुछ किया है, उसकी ओर दिया गया है, जब कि यह सदन और राष्ट्र की जनता, आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं, उनका निराकरण किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में मार्ग-दर्शन की आशा करती थी। राष्ट्र-जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के जो परिणाम हुए हैं, वे हमारे सामने हैं। और मुझे यह देखकर बड़ा खेद हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए जो नए-नए संकट खड़े हो रहे हैं, उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

कुछ ही दिन हुए, हमारे सुरक्षा मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि भारत शत-प्रतिशत सुरक्षित नहीं है। किसी देश का सुरक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त करे, तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर, जो कि सर्वोपरि है, ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट है, वह हमारे पड़ोसी से है और वह पड़ोसी आणविक शस्त्रों की मांग कर रहा है। वे शस्त्र किसके विरुद्ध काम में लाए जाएंगे, इसके संबंध में किसी को संदेह नहीं है। किंतु प्रश्न यह है कि जहां तक परंपरागत हथियारों का प्रश्न है, क्या हमारा सैनिक बल, हमारी शस्त्र-सज्जा किसी भी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है? मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी बड़े युद्ध की आशंका नहीं है, किंतु पाकिस्तान के नेता अपनी जनता का ध्यान वहां की गिरती हुई आर्थिक स्थिति से दूर करने के लिए किसी भी समय काश्मीर के सवाल पर अंतरराष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को निमंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन चाहती है कि जहां तक पाकिस्तान के आक्रमण का सवाल है, भारत सौ फीसदी सुरक्षित है। इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए।

जहां तक काश्मीर का सवाल है, बार-बार यह आश्वासन दिए जाने के बाद भी कि सरकार

---

* *राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में १४ फरवरी, १९५८ को भाषण।*

तब तक काश्मीर के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ, या किसी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि काश्मीर का एक-तिहाई भाग, जो कि वैधानिक दृष्टि से भारत का अभिन्न अंग है, भारत को प्राप्त नहीं हो जाता है। हम समाचारपत्रों में देख रहे हैं कि काश्मीर की समस्या के संबंध में सुरक्षा परिषद ने अपने जिन प्रतिनिधि को कराची और नई दिल्ली भेजा है, उनसे वार्ता की जा रही है, अनेक दिनों से वार्ता की जा रही है, अनेक घंटों से वार्ता की जा रही है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि जिस सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के अंतर्गत डॉ. ग्राहम से इतनी देर तक, इतनी लंबी वार्ता करने का क्या दुनिया यह अर्थ नहीं लगाएगी कि हमने किसी-न-किसी रूप में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है?

ऐसा संकेत दिया गया है कि डॉ. ग्राहम को यह बताया गया है कि जब तक कि पाकिस्तान का आक्रमण समाप्त नहीं होगा, भारत कोई बात नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि डॉ. ग्राहम को यह बात कहने में इतना अधिक समय नहीं लगना चाहिए था। कई घंटे बात हुई। मैं यह तो नहीं मान सकता कि मौसम के बारे में बात करने में या तबियत का हाल-चाल पूछने में इतना समय लगा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक काश्मीर के प्रश्न पर हम संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य विदेशी शक्ति से बातचीत करते रहेंगे, तब तक काश्मीर की जनता के मन में अस्थिरता की भावना उत्पन्न होती रहेगी। उस अस्थिरता की भावना को उत्पन्न करने के लिए काश्मीर के जेल से छोड़े गए भूतपूर्व मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं हैं। इस बारे में नई दिल्ली में जो कुछ षडयंत्र चल रहे हैं, उन्हें भी मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं। इसके लिए जिम्मेदार वह सरकार है, जिसने काश्मीर के घरेलू प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की शतरंज का एक मोहरा बना दिया। उस गलती को स्वीकार किया गया है यह निहायत खुशी की बात है, किंतु अभी भी वह गलती किसी न किसी रूप में चल रही है। जब हम डॉ. ग्राहम से बातें करते हैं, तो जो काश्मीर को भारत में मिलने देने के विपक्ष में हैं, उन्हें काश्मीर की घाटी में यह प्रचार करने का मौका मिलता है कि अभी काश्मीर का भविष्य पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। अगर हम अस्थिरता को समाप्त करना चाहते हैं, तो हमारे सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम काश्मीर के सवाल पर किसी भी विदेशी शक्ति से बात करना बंद कर दें और संयुक्त राष्ट्र संघ को स्पष्ट शब्दों में सूचित कर दें कि तुमने काश्मीर के सवाल पर हमारे साथ न्याय नहीं किया, इसलिए हम यह सवाल सुरक्षा परिषद से वापस लेते हैं। यदि यह कहा जाए कि जो प्रश्न सुरक्षा परिषद में ले जाया जाता है, वह वापस नहीं लिया जा सकता, तो मेरा निवेदन यह है कि हम वहां पर बातचीत करने से तो इन्कार कर सकते हैं। पाकिस्तान अगर चाहे, तो वह वहां पर शिकायत ले जाए, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, काश्मीर के प्रश्न पर हमें किसी भी प्रकार की बातचीत करने से इन्कार कर देना चाहिए।

शेख अब्दुल्ला ने पैंतरा बदला

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि शेख अब्दुल्ला के विचारों में जो आकस्मिक परिवर्तन हुआ है, जो बड़ा दुखदायी है, यद्यपि वह अप्रत्याशित नहीं है, मेरी पार्टी—भारतीय जनसंघ ने उसकी चेतावनी पहले से दी थी और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जब कभी काश्मीर के सवाल पर हमारी सरकार जो नई घोषणाएं करती है, जिन्हें करने का आग्रह इसी सदन में खड़े होकर स्वर्गीय डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी किया करते थे, तो मुझे लगता है कि यदि प्रारंभ में ही हमने

ऐसी सही नीति अपनाई होती, तो इस प्रकार का बलिदान हमें न देना पड़ता। और यह जो नया संकट खड़ा हो गया है, न वह खड़ा होता। लेकिन जो भी संकट खड़ा हुआ, वह इसलिए खड़ा हुआ है कि हमने काश्मीर को पूरी तरह से भारत में मिलाया नहीं। हमने जनमत-संग्रह का प्रस्ताव रखा और शेख अब्दुल्ला ने काश्मीर की जनता के मत को भारत के पक्ष में खड़ा करने के लिए अपनी कीमत मांगी और जब वह कीमत हम पूरी नहीं दे सके, तो राष्ट्रवादी शेख अब्दुल्ला संप्रदायवादी के रूप में हमारे सामने आ गए। आज भी यदि शेष भारत और काश्मीर के बीच में खाई रखी जाएगी, तो फिर उस खाई का कोई लाभ उठाएगा, फिर से नया संकट खड़ा होगा। हमें उस खाई को पूरी तरह से पाट देना चाहिए। भारत के संविधान को पूर्ण रीति से काश्मीर पर लागू करना चाहिए। काश्मीर के विकास के लिए हम केंद्र से करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। यह आवश्यक है, क्योंकि काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। उसके विकास का उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है। किंतु यह रुपया ठीक तरह से खर्च होता है या नहीं, इसकी जांच करने का ऑडिटर जनरल को अधिकार होना चाहिए। काश्मीर की संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पास किया है, मगर उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है। अभी तक हमारा ऑडिटर जनरल काश्मीर के हिसाब-किताब की जांच नहीं कर सका। काश्मीर में जो भी चुनाव होते हैं, वे भारत के चुनाव-आयुक्त की देखरेख में नहीं होते। यदि हमारे चुनाव आयुक्त इस योग्य हैं, इतने निष्पक्ष हैं कि उन्हें सूडान में चुनाव कराने के लिए बुलाया जा सकता है और वह सूडान जा सकते हैं, तो श्रीनगर में उनको बुलाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान अपने नागरिकों को जहां मूलभूत अधिकार प्रदान करता है, वहां जम्मू-काश्मीर की जनता को उन अधिकारों से भी वंचित रखा गया है।

सुप्रीम कोर्ट को पूरे अधिकार नहीं हैं कि वह वहां के नागरिकों की अपीलों को सुन सके। ये बातें हैं जो भारत और काश्मीर की जनता के बीच में भेद पैदा करती हैं, जो द्वैत की भावना जगाती हैं। इस द्वैत की भावना का लाभ उठाकर शेख अब्दुल्ला का विकृत रूप हमारे सामने आ गया है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अद्वैत को स्थान दें। जम्मू-काश्मीर और शेष भारत के बीच में किसी तरह का भेद नहीं रहना चाहिए। हां, अगर किसी दृष्टि से जम्मू-काश्मीर की जनता के कुछ विशेष अधिकारों की रक्षा का प्रश्न है तो देश को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। जहां तक मुआवजे का सवाल है या जम्मू-काश्मीर में भारत के लोग आकर जमीन खरीदें, यह सवाल है, इनके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इस विवाद के हल के लिए जो पक्ष आज तक भारतीय जनसंघ प्रस्तुत करता रहा है, अब और भी पार्टियां उसी की ओर आ रही हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि काश्मीर में जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, उसके प्रति हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए और सरकार को यथार्थवादी नीति अपनानी चाहिए।

पंजाब सरकार अक्षम है

राष्ट्र की एकता को लेकर देश के और भी भागों में संकट खड़े हो रहे हैं। पंजाब की परिस्थिति हमारे सामने है। पंजाब में जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी देशभक्त उसके प्रति उपेक्षा की दृष्टि नहीं अपना सकता। भाई-भाई के बीच संघर्ष हो, इससे बढ़कर कष्ट की और शोक की बात और कोई नहीं हो सकती। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है और पंजाब का वर्तमान शासन उस परिस्थिति को नियंत्रण में रखने में पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। भारत के

संविधान ने राष्ट्रपति महोदय को कुछ संकटकालिक अधिकार प्रदान किए हैं। मैं समझता हूं कि पंजाब की परिस्थिति आज यह तकाजा करती है कि उन संकटकालिक अधिकारों का पंजाब में प्रयोग किया जाए, पंजाब के मंत्रिमंडल को भंग कर दिया जाए और वहां पर राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया जाए। जो शासन माताओं और बहनों के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता और नहीं कर सका, जो शासन विभिन्न संप्रदायों के बीच न्याय की तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर नहीं रख सका, जो शासन न्यायाधीशों द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी कार्यान्वित नहीं कर सकता, जो शासन सांप्रदायिकता की भावना से प्रेरित है, जो शासन जनता से दूर चला गया है, वह लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। पंजाब की जनता ऐसे शासन से छुटकारा चाहती है। केंद्र को समय रहते पंजाब की परिस्थिति को सुधारने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए अन्यथा पंजाब की परिस्थिति काबू से बाहर हो सकती है। पंजाब में जो भी कुछ हो रहा है, उसके लिए भी सरकार की अदूरदर्शी नीतियां जिम्मेदार हैं। कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए अकाली दल के साथ एक समझौता किया था। उस समझौते के परिणाम आज पंजाब में दिखाई दे रहे हैं।

तमिलनाडु विघटन की राह पर

उपाध्यक्ष महोदय, आज पंजाब में ही नहीं, तमिलनाडु में भी एक विघटन की परिस्थिति उत्पन्न है। हमारा शासन विघटनकारी मनोवृत्तियां तोड़ने में असमर्थ साबित हुआ है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि देश के टुकड़े-टुकड़े होने का खतरा बढ़ रहा है। कहीं भाषा के नाम पर, तो कहीं पंथ के नाम पर राजनैतिक सत्ता की प्राप्ति के प्रयत्न किए जा रहे हैं, उन्हें हथियार बनाया जा रहा है। अगर हम इन विघटनकारी मनोवृत्तियों का सामना नहीं कर सके तो मुझे शंका है कि हम राष्ट्र की एकता को, जो सभी प्रकार के विकास के कार्यों के लिए आवश्यक है, उसको कायम रखने में सफल नहीं होंगे।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश की आर्थिक स्थिति के संबंध में जो भी विचार व्यक्त किए गए हैं, उनसे सर्वसाधारण का समाधान नहीं हो सकता। आज हमारे सामने एक आर्थिक संकट खड़ा है। देश के अनेक भागों में भुखमरी फैल रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में भूख से मृत्यु की घटनाएं हुई हैं और जब वे घटनाएं उत्तर प्रदेश के खाद्य मंत्री के सामने रखी गईं तो उन्होंने कहा कि मरनेवाला इसलिए नहीं मरा कि उसको खाना नहीं मिला, मगर इसलिए मरा कि उसने आम की गुठली का भोजन किया था। लेकिन गुठली का भोजन वह ही करता है जिसके घर में भोजन नहीं होता। जब उनसे पूछा गया कि क्या उस मरनेवाले व्यक्ति के घर में अनाज था, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मरने के बाद अनाज नहीं मिला। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आसपास कोई सस्ते अनाज की दुकान थी, तो उन्होंने उत्तर दिया, कोई दुकान नहीं थी। सूखे के कारण देश के भिन्न-भिन्न भागों में जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, उसका सामना करने के लिए अगर प्रभावकारी और पूर्ण उपाय नहीं अपनाए गए तो वह भुखमरी बड़े पैमाने पर फैल सकती है। केंद्र सरकार, यह विषय राज्य सरकारों का है, यह कहकर छुटकारा नहीं पा सकती। संपूर्ण देश एक है और महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के दौरे में अपने भाषण में कहा था कि अगर एक भी व्यक्ति भूख से मर जाए तो यह शासन के लिए बड़ी अप्रतिष्ठा की बात होगी। एक नहीं, अनेक मौतें भूख के कारण हो चुकी हैं। अन्न की भी कमी है और लोगों के पास अन्न खरीदने की ताकत की भी कमी है और शासन इस परिस्थिति का सामना करने में सफल

नहीं हुआ है।

आवश्यकता इस बात की है कि हम दूरगामी और अल्पकालिक दोनों तरह के उपाय अपनाएं। नई दिल्ली में बैठकर अन्न-उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करने से काम नहीं चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री कभी-कभी कह देते हैं कि अन्न की पैदावार ७० फीसदी बढ़ सकती है मगर यह नहीं बताते कि बढ़ कैसे सकती है, बढ़ाने का उपाय क्या है। आंकड़े जब तक गांव से तैयार नहीं होंगे, जब तक एक-एक किसान की आवश्यकताओं का, असुविधाओं का पता नहीं लगाया जाएगा और जब तक एक परिवार के, एक ग्राम के, एक तहसील के, एक जिले के और एक प्रांत के लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाएंगे, तब तक अन्न की पैदावार नई दिल्ली में बैठकर नहीं बढ़ाई जा सकती। पहली पंचवर्षीय योजना में जो आंकड़े रखे गए थे, जांच के बाद वे गलत साबित हुए हैं, और मुझे लगता है कि आंकड़ों से खेल किया जा रहा है।

आंकड़ों से भूखे पेट नहीं भरेंगे

राष्ट्रपति के अभिभाषण में अनेक आंकड़े दिए गए हैं। मगर भूखे लोगों का पेट आंकड़ों से नहीं भर सकता। सरकार कहती है कि अन्न की पैदावार बढ़ रही है और इसका दावा भी करती है, लेकिन इसके विपरीत भूख से लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। भूख से मरनेवालों को अनाज चाहिए, आंकड़े नहीं चाहिए। अगर देश में अनाज है तो लोगों के पास उसे खरीदने की ताकत चाहिए। मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ के जिले, विंध्य प्रदेश के इलाके और बिहार के उत्तरी भागों में जाकर स्वयं देखा है कि सैकड़ों लोग सूखाग्रस्त इलाकों से अपना बोरिया-बिस्तर बांधकर काम की खोज में दूसरे प्रांतों में चले गए हैं, जैसे जनसंख्या का निष्क्रमण हो रहा हो। यह परिस्थिति बड़ी गंभीर है और सरकार को इस संबंध में जितना जागरूक होना चाहिए, सरकार ने उतनी जागरूकता का परिचय नहीं दिया। अन्न की समस्या सबसे प्रमुख समस्या है। आज हम विचार करें तो बाहर से अन्न मंगाने के लिए हमें विदेशी मुद्रा का भी उपभोग करना पड़ रहा है। उसके कारण विदेशी मुद्रा का भी संकट हमारे सामने खड़ा हो गया है। उस संकट के और भी कारण हैं और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस संकट के कारणों की जांच के लिए सरकार को एक उच्च अधिकार संपन्न आयोग नियुक्त करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अगर विदेशी मुद्रा के संकटों के कारणों की जांच की जाए तो मूंदड़ा कांड में जो सनसनीखेज तथ्यों का रहस्योद्घाटन हुआ है, उससे अधिक नहीं तो मिलते-जुलते सनसनीखेज तथ्य जरूर प्रकट होंगे।

१९५६ में बहुत अधिक विदेशी वस्तुओं का आयात करने के लिए लाइसेंस दिए गए। मुझे अभी पता लगा है कि १९५६ में एक फर्म को जर्मनी से चांदी जड़ी हुई सिलवर-प्लेटें मंगाने के लिए लाइसेंस दिए गए। ये चाय पीने की प्लेटें और कप थे। लेकिन सामान अब आया है। अगर १९५६ में ये लाइसेंस न दिए जाते, अगर चांदी से जड़ी और मढ़ी हुई प्लेटें और कप हमारे देश में न आते तो देश कोई भूखों नहीं मर जाता। हम सोच-समझकर दूरदर्शिता के साथ राष्ट्र का विकास कर रहे हैं। हमने योजना बनाई है। उस योजना में हमने इतनी अधिक विदेशी सहायता की आशा की है, जितनी प्राप्त नहीं हो सकती। जिस आयात-नीति का निर्धारण करना चाहिए था, नहीं किया गया और उसके परिणाम आजँ दिखाई दे रहे हैं। अभी भी ७०० करोड़ रुपए की कमी है। यह कमी कैसे पूरी की जाएगी।

अभी दो दिन हुए, हमारे वित्त मंत्री ने राज्यसभा में अल्प बचत योजना की सफलता के संबंध

में जो आंकड़े दिए हैं, उनसे पता चलता है कि अल्प बचत योजना उतने अंशों में सफल नहीं हो रही है। पिछले साल अप्रैल से लेकर जनवरी तक ३७ करोड़ ४ लाख रुपया एकत्र हुआ। आज जनता के पास बचत के लिए जितना धन चाहिए, वह नहीं है। महंगाई बढ़ रही है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और इस कारण सरकारी कर्मचारियों की वेतन और भत्तों की मांग बढ़ रही है। उस मांग को भी हमें पूरा करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजना में सरकार को क्या परिवर्तन करने हैं, क्या संशोधन करने हैं, उनके संबंध में कोई निश्चित राय नहीं मालूम देती। कहा जाता है कि 'कोर ऑव द प्लान' को पूरा किया जाएगा, कभी कहा जाता है कि 'हार्ड कोर ऑव द प्लान' को पूरा किया किया जाएगा। परंतु योजना का मर्म क्या है और मर्म का भी मर्म क्या है, यह आज देश की जनता के लिए समझना संभव नहीं है। मुझे तो कभी-कभी संदेह होता है कि सरकार भी इसे ठीक से समझती है या नहीं।

योजना किसी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। अगर हमको ऐसा दिखाई देता है कि बाहरी सहायता कम है और जो रुपया हम अंदर से एकत्र कर सकते हैं, उससे पूरा काम नहीं होगा तो हमको योजना की काट-छांट करने में संकोच नहीं करना चाहिए। योजना में हमने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, यदि हम समझते हैं कि हम उनको पूरा नहीं कर सकेंगे तो आज ही हमको व्यावहारिक दृष्टि से योजना में काट-छांट कर देनी चाहिए। ऐसा करने में हमें किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। लेकिन भाषण इस प्रकार के दिए जाते हैं कि जो भी परिस्थितियां हों, हम योजना को पूरा करेंगे। आज अवस्था यह है कि परिस्थितियां बिगड़ गई हैं, बाहरी सहायता जिस परिमाण में मिलनी चाहिए वह नहीं मिल रही है, अंदर के साधन एकत्र करने के लिए जितने टैक्स लगाए जा सकते थे, लगा दिए गए हैं। अब अधिक टैक्स नहीं लगाए जा सकते। जो आगे बजट आ रहा है, यदि उसमें और टैक्स लगाए गए तो जनता में असंतोष पैदा हो जाएगा, और जब जनता में असंतोष पैदा हो जाएगा तो योजना के लिए उत्साह कहां से आएगा, और जब तक जनता में योजना की सफलता के लिए उत्साह पैदा नहीं होगा तब तक योजना सफल नहीं हो सकती, क्योंकि नौकरशाही के बलबूते पर कोई निर्माण-कार्य सफल नहीं हो सकता। हम अपनी योजनाओं की सफलता के लिए जिस मशीनरी पर निर्भर करते हैं, वह जनता की प्रतिनिधि नहीं है। वह जनता की भावनाओं का ठीक प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यदि हम चाहते हैं कि हम योजना को सफल करें और उसके लिए आवश्यक जन-सहयोग प्राप्त करें तो हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और योजना के निर्धारण और कार्यान्वयन में प्रत्येक स्तर पर जनता का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि इस दृष्टि से प्रयत्न किए जाएंगे तो सारा देश उन प्रयत्नों में सरकार का साथ देने के लिए तैयार होगा। राष्ट्र के विकास की समस्या किसी एक दल की समस्या नहीं है। योजना की सफलता के लिए सब लोग सहयोग कर सकें, इसके लिए सरकार को उचित वातावरण उत्पन्न करना चाहिए और मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि सरकार ऐसा वातावरण उत्पन्न नहीं कर सकी है। भिन्न-भिन्न समस्याओं के बारे में उसका दृष्टिकोण जनता की भावनाओं के अनुकूल नहीं है। धन्यवाद।

युद्ध में जीते, संधि में हारे

सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति को उनके पुनः निर्वाचन पर बधाई देता हूं। यह ठीक है कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सभी प्रमुख दलों से विचार-विनिमय करने की लोकतंत्रीय परंपरा का श्रीगणेश नहीं किया है, किंतु एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हो गया तो फिर वह किसी दल के या किसी दिशा के या किसी प्रांत के नहीं हैं, वह संपूर्ण भारतीय गणराज्य के हैं। डॉ. राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित करके हमने स्वयं को ही गौरवान्वित किया है। संभव है, मेरे ये शब्द मेरे कतिपय मित्रों को पसंद न हों··

कुछ माननीय सदस्य : पसंद हैं, पसंद हैं···

श्री वाजपेयी : मैं विरोधी दल में खड़ा हूं, लेकिन विरोध के लिए विरोध मेरा उद्देश्य नहीं हो सकता। इस सदन में भारतीय जनसंघ के सदस्यों की संख्या यद्यपि कम है, किंतु हमारे सामने स्वर्गीय डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का आदर्श है, और हम इस बात का प्रयत्न करेंगे कि उससे अनुप्राणित होकर राष्ट्र-निर्माण के महान यज्ञ में अपना भी योगदान दें।

डॉ. मुखर्जी का स्मरण आते ही मुझे काश्मीर का स्मरण हो आता है, और काश्मीर का स्मरण आते ही मुझे श्रीनगर के उस सरकारी अस्पताल का स्मरण आता है जिसके कोने में, पुलिस के पहरे में, डॉ. मुखर्जी को एकता के लिए अपना बलिदान देना पड़ा था। उनकी मृत्यु को चार वर्ष हो गए, किंतु उस पर जो रहस्य का पर्दा पड़ा था, वह अभी भी उठाया नहीं गया। समय के सहलानेवाले हाथों ने घाव को भर दिया है, मगर दर्द अभी बाकी है। और जब कभी प्रधानमंत्री महोदय या सुरक्षा मंत्री महोदय काश्मीर समस्या के संबंध में आजकल वही बातें दोहराते हैं, जिन्हें स्व. डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी चार साल पूर्व इस सदन में खड़े होकर दोहराते थे, तो मुझे लगता है कि यदि प्रारंभ से ही काश्मीर के प्रश्न पर यही नीति अपनाई गई होती तो हमको डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के महान जीवन की कीमत न चुकानी पड़ती।

काश्मीर के बारे में सरकार की नीति दुर्बल और ढुलमुल रही है। हम सुरक्षा परिषद में शिकायत लेकर गए, किंतु हमने प्रारंभ से ही पाकिस्तान को आक्रमणकारी घोषित कराने पर बल

** राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान लोकसभा में १५ मई, १९५७ को संसदीय जीवन का पहला भाषण।*

नहीं दिया। हमारी सेनाएं जब विजय पर विजय प्राप्त करती जा रही थीं, और आक्रमणकारी अपने पैर सिर पर रखकर भाग रहा था, तो हमने उन विजय-वाहिनियों के पैरों में युद्ध विराम रेखा की जंजीर डाल दी। युद्ध के मैदान में जो कुछ जीता गया था, वह नई दिल्ली के प्रासाद में खो दिया गया। हम लड़ाई में जीत गए पर संधि में हार गए और आज काश्मीर का एक-तिहाई भाग आक्रमणकारी के कब्जे में है। वह कैसे मुक्त होगा, उसका क्या तरीका है, सरकार की क्या नीति है? वेदों में भगवान के स्वरूप का वर्णन करने के लिए 'नेति नेति' का उपयोग किया गया है। परमेश्वर यह नहीं है, परमेश्वर वह नहीं है।

काश्मीर, गोआ, पूर्वी बंगाल : एक-सा हाल

कभी-कभी मुझे लगता है कि काश्मीर और गोआ और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं की समस्या के बारे में भी सरकार की जो नीति है, उसे 'नेति-नेति' के शब्दों में ही अच्छी तरह से प्रकट किया जा सकता है। क्या काश्मीर के एक-तिहाई भू-भाग को सेना के बल पर मुक्त कराएंगे? नहीं, नहीं। क्या हम उसे पाकिस्तान को तोहफे के रूप में पेश कर देंगे? नहीं नहीं। फिर हम क्या करेंगे?

गोआ में क्या हम पुलिस-कार्यवाही करेंगे? नहीं, नहीं। तो क्या फिर हम जनता को सत्याग्रह करने देंगे? नहीं, नहीं। तो फिर क्या हम गोआ को अत्याचारी पुर्तगाल के हाथों में छोड़ेंगे? नहीं, नहीं। यही बात पूर्वी बंगाल से हिंदुओं के निष्क्रमण के बारे में है। हम पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए तैयार नहीं कि वह देश के बटवारे के समय जो समझौता हुआ था उसका पालन करे, और भारत में मुसलमानों के साथ जिस तरह का समता और सम्मान का व्यवहार किया जा रहा है, पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ उसी तरह का व्यवहार करे। देश का विभाजन इस आधार पर हुआ था और यदि पाकिस्तान उस आधार को स्वीकार नहीं करता तो हमें अन्य उपायों को अपनाने पर विचार करना चाहिए। लेकिन हम पाकिस्तान पर न तो दबाव डालने के लिए तैयार हैं, न निष्क्रमणकारी हिंदुओं को बसाने के लिए भूमि मांगने के लिए तैयार हैं। हमारी नीति क्या है। 'नेति-नेति'। इसी से उसकी व्याख्या की जा सकती है।

मैं काश्मीर की समस्या के संबंध में अपनी बात कह रहा था। एक-तिहाई भू-भाग को मुक्त कराने के लिए हमारे प्रधानमंत्री वचनबद्ध हैं, अर्थात उसकी एक इंच भूमि भी आक्रमणकारी को न सौंपी जाए। कभी-कभी ऐसी खबरें आती हैं कि इस तरह के प्रस्ताव रखे गए हैं कि युद्ध विराम रेखा पर पाकिस्तान से समझौता कर लिया जाए। मुझे खुशी है कि अब तक प्रस्ताव नहीं है, और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिससे काश्मीर का विभाजन होगा, भारत की जनता स्वीकार नहीं करेगी। काश्मीर पूरी तरह से भारत में मिल चुका है और यदि काश्मीर की आज कोई समस्या होगी तो यही समस्या है, कि पाकिस्तान उस भू-भाग को कब खाली करने जा रहा है जो उसके अवैध अधिकार में है। प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पूर्व कहा था कि यदि दो बातें मान ली जाएं, एक—पाकिस्तान आक्रमणकारी है, और दो—एक-तिहाई भू-भाग भारत का है, तो हम पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार हैं। यदि ये दोनों बातें मान ली गई तो फिर बात करने के लिए क्या बचेगा? फिर बात करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। अगर बात कोई हो सकती है तो यही कि पाकिस्तान से पूछा जाना चाहिए कि वह काश्मीर के एक-तिहाई भू-भाग से अपना बिस्तर-बोरिया बांधकर कब जाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ऐसे चिह्न नहीं दिखाई

देते कि पाकिस्तान मान जाएगा। जो भू-भाग पाकिस्तान के पास है उसके मिलने की बात तो दूर रही, जो हिस्सा भारत में मिला है, आज उसी पर दांत लगे हैं।

एक संकट खड़ा हो रहा है। पाकिस्तान युद्ध की तैयारियां कर रहा है। अमरीकी हथियारों से सज्ज होकर भारत की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए संकट का कारण बन रहा है। मैं युद्ध का हामी नहीं। मैं भी शांति का समर्थक हूं, किंतु मरघट की शांति नहीं, जीवन की शांति का समर्थक हूं। काश्मीर के एक-तिहाई भू-भाग को पाकिस्तान को सौंपने से जो शांति होगी, वह स्थायी शांति नहीं होगी और मैं समझता हूं कि शांति के आवरण में हमारी दुर्बलता की नीति आगे नहीं चलनी चाहिए। हमें धर्मराज युधिष्ठिर के उदाहरण से शिक्षा लेनी चाहिए। युद्ध कोई नहीं चाहता मगर दूसरे लोग हम पर युद्ध थोप सकते हैं। धर्मराज युद्ध नहीं चाहते थे, उन्होंने युद्ध को टालने का बड़ा प्रयत्न किया, अनुनय-विनय की, शांति के संदेश भेजे, बंटवारा तक मान लिया, द्रोपदी का अपमान सहा, लेकिन युद्ध से उनको त्राण नहीं मिला। जो युद्ध से भागता है युद्ध उसके पीछे भागता है, और जो युद्ध के सम्मुख हिम्मत करके खड़ा हो जाता है, उसका सामना करने के लिए तैयार रहता है, वह अपने अधिकारों की भी रक्षा करता है और शांति की स्थापना करने में भी सफल होता है।

मुझे इस बात के लिए खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में पाकिस्तान की जंगी तैयारियों से भारत की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए जो संकट पैदा हो गया है, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह संकट वास्तविक है। पाकिस्तान ने अमरीकी सहायता लेकर और उस सहायता के संबंध में यह स्पष्ट करके कि वह सहायता भारत के विरुद्ध ली जाएगी, हमें एक विषम परिस्थिति में रख दिया है, और अमरीका ने भी पाकिस्तान को सहायता देकर भारत के विरुद्ध अमैत्रीपूर्ण कार्य किया है।

प्रधानमंत्री की असफल अमरीका-यात्रा

हम यह आशा करते थे कि प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा से अमरीका-की नीति में कुछ परिवर्तन होगा। किंतु बाद में जो चिह्न मिले हैं उनसे यह नीति अपरिवर्तित मालूम होती है और इस दृष्टि से प्रधानमंत्री की अमरीका-यात्रा को सफल नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम दूसरों को दोष दें, इससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें दोषारोपण नहीं, आत्मालोचन करना चाहिए।

मेरे कतिपय मित्रों ने विदेश-नीति की सफलता के लिए सरकार को अनेक बधाइयां दी हैं। मुझे खेद है कि मैं उनमें शामिल नहीं हो सकता। हमारी विदेश नीति का उद्देश्य था कि हम दुनिया के किसी भी शक्ति-गुट में नहीं मिलेंगे और विश्व-शांति के लिए प्रयत्न करेंगे। और उस विदेश नीति का संचालन इतनी कुशलता से किया गया है कि युद्ध स्वयं हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। और हमारे सामने शायद इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम किसी शक्ति-गुट में सम्मिलित हो जाएं। अगर इसको विदेश नीति की सफलता कहते हैं, तो फिर विफलता किसे कहते हैं, यह समझने में मैं असमर्थ हूं। फिर तो शायद 'विफलता' को शब्दकोश से ही निकाल देना पड़ेगा।

मैं काश्मीर की आंतरिक स्थिति के संबंध में भी कुछ निवेदन करना चाहता हूं। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो बख्शी गुलाम मुहम्मद के हाथ मजबूत नहीं करना चाहता, लेकिन बख्शी साहब के हाथ मजबूत करने का यह तरीका नहीं है कि उनकी गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाए। एक बात हमें भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि काश्मीर और शेष भारत की

एकता किसी एक व्यक्ति पर—फिर वह व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, या किसी दल पर—फिर वह दल कितना ही सबल हो, या किसी सरकार पर—वह सरकार चाहे कितनी ही लोकप्रिय हो, निर्भर नहीं छोड़ी जा सकती। व्यक्ति आएंगें और चले जाएंगे, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ जाएंगी, सरकारें कायम होंगी और बदल जाएंगी। उन पर भारत और काश्मीर के संबंध निर्भर नहीं करने चाहिए। हम सबकी सद्भावनाएं बख्शी साहब के साथ हैं, लेकिन काश्मीर के भीतर जिस तरह से शासन चलाया जा रहा है, उससे वहां की जनता संतुष्ट नहीं है। लोकतंत्र को अभी काश्मीर की भूमि में अपनी गहरी जड़ें जमानी हैं। हो सकता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसका हमारा पड़ोसी पाकिस्तान नाजायज फायदा उठाने का प्रयत्न करे, लेकिन...

श्री ल.ना. मिश्र (सहरसा) : यह जानते हुए भी कह रहे हैं।

श्री वाजपेयी : ...सत्य को केवल इसलिए नहीं छिपाया जा सकता कि कोई उसका नाजायज फायदा उठा सकता है। काश्मीर के बारे में चुप रहने की नीति का एक दुष्परिणाम हम भोग चुके हैं और अगर हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देना चाहते, तो हमें सत्य का सामना करना होगा।

काश्मीर में चुनाव में धांधली

अभी-अभी जम्मू-काश्मीर में चुनाव हुए थे। मैं चुनाव में जम्मू गया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस चुनाव में अनियमितताएं की गईं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा कि वोटर्ज-लिस्ट ऐसी बनाई गई—वे उर्दू में बनाई गई थीं—कि उसके अनेक पृष्ठों को पढ़ा नहीं जा सकता था और मजा यह कि जिसका पढ़ना प्रजा-परिषदवालों के लिए असंभव था, उसका पढ़ना नेशनल कान्फ्रेंसवालों के लिए संभव हो गया। जिस दिन मतदान हुए, तो पोलिंग स्टेशन कहां होंगे, इसकी पूर्व सूचना नहीं थी और कहीं-कहीं तो उसी दिन पोलिंग स्टेशन बदल दिए गए। जो मतों के बक्से थे—मत-पेटियां थीं, अनेक स्थानों पर उनको प्रीजाइडिंग आफिसर्ज के यहां रखा गया। प्रजा-परिषद के प्रधान, पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने चुनाव के संबंध में प्रीजाइडिंग आफिसर्ज के सामने आपत्तियां की थीं, मेरे पास उनके फोटो-चित्र मौजूद हैं, जिनको मैं सदन के टेबल पर रखने के लिए तैयार हूं। प्रीजाइडिंग आफिसर ने स्वीकार किया है कि एक स्थान पर जब गणना हो रही थी तो वहां एक बक्सा ही नहीं था।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य की वाकफियत के लिए यह बताना चाहता हूं कि यहां पर स्पीकर साहब ने रूल बनाए हैं कि अगर किसी सदस्य के पास कोई ऐसा दस्तावेज, कागज, फोटो वगैरह हो, जो कि वह यहां पेश करना चाहते हों, तो वह पहले दिखा लें, या कापी दे दें और फिर हाउस में उसका हवाला दें, ताकि पहले से यह देख लिया जाए कि ऐसी चीज की इजाजत देनी है या नहीं। इसलिए माननीय सदस्य को चाहिए कि वह किसी मौके पर इसका जिक्र कर दें, जबकि यह पहले देख लिया जाए कि उसकी इजाजत दी जाए या नहीं।

श्री वाजपेयी : मुझे स्वीकार है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि जम्मू-काश्मीर के चुनाव में प्रजा परिषद ने १७ उम्मीदवार खड़े किए और वे १७ उम्मीदवार १८ चुनाव-क्षेत्रों में खड़े थे। उन १८ चुनाव क्षेत्रों में से १२ चुनाव क्षेत्रों में जो बैलट-बाक्स थे, वे टूटे हुए पाए गए। ये अनियमितताएं ठीक नहीं हैं। मैं बख्शी साहब की कठिनाइयां समझता हूं, लेकिन काश्मीर को हमें लोकतंत्र के मार्ग पर आगे बढ़ाना है और इसके लिए यह आवश्यक है कि वहां ऐसा वातावरण पैदा किया

जाए, जिसमें सभी दल और भारत के प्रति निष्ठा रखनेवाले सभी पक्ष व स्वतंत्रता से कार्य कर सकें। मुझे विश्वास है कि इस दृष्टि से काश्मीर सरकार की नीति में जो अपेक्षित परिवर्तन हैं, वे शीघ्र ही दिखाई देंगे। प्रजा-परिषद तो नेशनल कान्फ्रेंस के साथ सहयोग करना चाहती है, लेकिन सहयोग एकतरफा नहीं हो सकता, उसके लिए उपयुक्त वातावरण होना चाहिए।

मैंने अभी इस बात का उल्लेख किया है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। भारत की स्वाधीनता और भारत के विभाजन के दस वर्ष बाद ही हमारे सामने बाहरी आक्रमण और आंतरिक विघटन का खतरा खड़ा हो गया है। युद्ध हमारा दरवाजा खटखटा रहा है। यदि छोटा-सा इजरायल ब्रिटेन और फ्रांस के इशारे पर आक्रमण कर सकता है, तो पाकिस्तानी नेता भी, जो दूसरों के इशारे पर चलते हैं और अपनी भूखी-नंगी जनता की आजादी को वाशिंगटन के बाजारों में नीलाम चढ़ाने के लिए तैयार हैं, भारत से टकराने का दुस्साहस कर सकते हैं। मैं आतंक पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन सन्नद्ध रहना चाहिए। यह ठीक है कि हम राष्ट्र-निर्माण के महान यज्ञ में लगे हैं, लेकिन यज्ञ की रक्षा के लिए शस्त्र-सज्जित सेना, जागरूक जनता और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान शासन होना चाहिए।

राज्यों का पुनर्गठन विघटनकारी

मैं एक बात और कहूंगा। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि राज्यों के पुनर्गठन के कारण पंचवर्षीय योजना की प्रगति कुछ मंद हो गई है। क्या इसका विचार पहले से नहीं किया जा सकता था? क्या प्रांतों का पुनर्गठन करना इस समय आवश्यक था? और यदि किया गया, तो उसे ठीक ढंग से क्यों नहीं किया गया? मुझे तो ऐसा लगता है कि यह पुनर्गठन नहीं किया गया है, विघटन किया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात की जनता की उपयुक्त मांगों को नहीं माना गया है। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूं, किंतु मैं महाराष्ट्र और गुजरात में घूमा हूं और मैं जानता हूं कि वहां की जनता के मन में अपने-अपने पृथक प्रांत के लिए कितनी प्रबल भावनाएं हैं। उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है, उनको दबाया नहीं जा सकता है। कल यहां जो धमकियां दी गईं, मैं उनको ठीक नहीं समझता। उनसे अपनी बात मनवाई नहीं जा सकती। वह सही तरीका नहीं है, लेकिन मैं गैर-महाराष्ट्रीय सदस्यों से—और विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के सदस्यों से, जिन्होंने द्विभाषी बंबई प्रदेश के निर्माण में पहल की, मैं उसकी कद्र करता हूं—निवेदन करूंगा कि उनकी भावना उच्च थी, लेकिन आज की परिस्थितियों का भी विचार होना चाहिए। विघटनकारी शक्तियां इस परिस्थिति का लाभ उठाएंगी और जनता को उभाड़ेंगी। आप चाहते हैं एकता पैदा करना, लेकिन उसका तरीका आपने ऐसा अपनाया है, जिससे विघटन बढ़ेगा। अभी परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। यह सदन फिर से विचार कर सकता है, और मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि जो परिस्थिति है, उसमें संयुक्त महाराष्ट्र और महागुजरात के निर्माण के संबंध में पुनर्विचार होना चाहिए।

मेरे एक मित्र ने पंजाब की समस्या का उल्लेख किया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं कि पंजाब की समस्या का स्थायी हल खोज लिया गया है। जो हल निकाला गया है, उसने परिस्थिति को और भी उलझा दिया है। भाषा की समस्या ठीक ढंग से हल नहीं की गई है और विघटन के बीज बो दिए गए हैं। धन्यवाद।

रक्षा

परमाणु परीक्षण : समय की जरूरत

महोदय, संसद सत्र के स्थगन के दौरान हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों की जानकारी सदन को देने के लिए मैं आज खड़ा हुआ हूं। भारत ने ११ मई को सफलतापूर्वक तीन भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। १३ मई को दो और भूमिगत परमाणु परीक्षण करने के साथ ही नियोजित परीक्षणों की यह प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे साथ उन वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सैनिकों को ढेरों बधाइयां दे, जिनकी उपलब्धियों ने हम में नए सिरे से राष्ट्रीय सम्मान और आत्मविश्वास भर दिया है।

महोदय, मैं अपने इस बयान के साथ इस अवसर पर सदन के समक्ष एक दस्तावेज भी प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका विषय है : 'भारत की परमाणु नीति का विकास।'

१९४७ में भारत का एक स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ। दुनिया के देशों के बीच जब उसने अपना सही स्थान प्राप्त करने के कदम बढ़ाए थे, तब परमाणु युग शुरू हो चुका था। हमारे उस समय के नेताओं ने यह महत्वपूर्ण फैसला किया कि भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलेगा। वह अपनी नीतियों और कार्यों में स्वतंत्र रुख अपनाएगा। हमने शीतयुद्ध के उदाहरण को अस्वीकार कर दिया और गुट-निरपेक्षता की कठिन डगर पर चलने का फैसला किया। हमारे नेताओं को यह भी लगा कि परमाणु हथियारों से रहित दुनिया से न केवल भारत की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि इससे दुनिया के अन्य देशों की भी सुरक्षा बढ़ेगी। इसीलिए हमारी विदेश नीति का आधार निशस्त्रीकरण को बनाया गया था और आज भी हमारी विदेश नीति का मूलाधार यही है।

पिछले पचास वर्षों में भारत ने सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए हमेशा पहल की है। आज हम प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्य तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पंडित नेहरू ने २ अप्रैल, १९५४ को लोकसभा को संबोधित करते हुए कहा था : "परमाणु रसायन और जैविक ऊर्जा और शक्ति का इस्तेमाल कभी महाविनाश के हथियारों का निर्माण करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।" उन्होंने सभी देशों से परमाणु हथियारों के निर्माण पर रोक लगाने तथा तैयार हथियारों को नष्ट करने के लिए विचार-विमर्श शुरू करने

** परमाणु परीक्षण पर २७ मई, १९९८ को लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में दिया गया भाषण और सदन के पटल पर रखा गया दस्तावेज।*

की अपील की थी। उन्होंने चाहा था कि जब तक ऐसा समझौता नहीं हो जाता, तब तक सभी देश परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाने का एक समझौता कर लें। लेकिन उनके इस आह्वान की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

१९६५ में भारत और कुछ गुट-निरपेक्ष देशों ने परमाणु अप्रसार के बारे में एक अंतरराष्ट्रीय समझौते का विचार दुनिया के सामने रखा। इस समझौते के तहत परमाणु हथियारों से लैस देशों से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को समाप्त करने की व्यवस्था की जानी थी, बशर्ते अन्य देश इस प्रकार के हथियारों का न तो विकास करने और न कहीं से प्राप्त करने को राजी हो जाएं। अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच इस सामंजस्य को स्वीकार नहीं किया गया। छठे दशक में हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताएं गहराती गईं। दूसरे देशों से हमने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की, लेकिन जिन देशों की ओर हमने देखा वे हमें अपेक्षित आश्वासन दे सकने में सफल नहीं हुए। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें यह स्पष्ट करना पड़ा कि हम परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे।

५ अप्रैल, १९६८ को लोकसभा में इस मामले पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इस सदन को आश्वासन दिया कि इस मामले में हम पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने हितों को देखते हुए ही कोई फैसला करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था और इस सदन ने एक राष्ट्रीय आम सहमति प्रदर्शित करके सरकार के फैसले को और मजबूत कर दिया था।

परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने का हमारा फैसला इन्हीं मूल उद्देश्यों के अनुरूप था। १९७४ में हमने अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन किया। उसके बाद की सभी सरकारें उसी फैसले और राष्ट्रीय इच्छा के अनुरूप भारत के परमाणु विकल्प को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाती रहीं। १९९६ में व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने के फैसले का मुख्य आधार यही था। इस फैसले को इस सदन की आम सहमति प्राप्त थी।

आठवें और नवें दशक में हमारे सुरक्षा परिदृश्य में गिरावट आनी शुरू हुई, क्योंकि इस दौरान परमाणु और मिसाइलों का प्रसार हुआ। हमारे पड़ोस में परमाणु हथियार बढ़े और उनको छोड़ने के अधिक आधुनिक साधन लगाए गए। इसके अलावा भारत को सीमा-पार से प्रेरित और पोषित आतंकवाद और अघोषित युद्ध का भी शिकार बनना पड़ा।

विश्व-स्तर पर हमें आज भी परमाणु हथियारों से लैस देशों द्वारा दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए निर्णयात्मक और वापस नहीं लिए जा सकनेवाले कदम उठाए जाने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। इसके उलटे हमने देखा है कि एन.पी.टी. बिना किसी शर्त के अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसका परिणाम यह है कि पांच देशों के पास परमाणु हथियार बने ही रहेंगे।

इन परिस्थितियों में सरकार को एक कठिन फैसला करना पड़ा। सही चुनाव करने की प्रक्रिया की कसौटी राष्ट्रीय सुरक्षा रही। ये परीक्षण इस देश की आत्मनिर्भरता, नीति-निर्धारण और उनके क्रियान्वयन की स्वतंत्रता के रास्ते पर चलने की हमारी नीतियों की सततता के ही प्रतीक हैं।

भारत अब परमाणु हथियारों से सन्नद्ध एक देश है। यह एक सचाई है। इसे कोई नकार नहीं सकता। हमें इसके लिए किसी से प्रमाण की आकांक्षा नहीं है। यह कोई ऐसा स्तर नहीं है जो कोई दूसरा हमें दे सकता हो। यह वैज्ञानिकों और इंजीनियरों द्वारा देश को सौंपी गई एक अक्षय निधि है। मानवता के छठे भाग से वासित इस देश का यह अधिकार है। हमारी बढ़ी हुई इस शक्ति ने

हमारी जिम्मेदारी के अहसास को और बढ़ा दिया है। हमारी इच्छा किसी के विरुद्ध इन हथियारों का इस्तेमाल करने की नहीं है। हमारी यह शक्ति किसी देश को धमकाने के लिए नहीं है। ये हथियार आत्मरक्षा के लिए हैं। ये हथियार यह सुनिश्चित करने के लिए हैं कि कोई दूसरा भारत को परमाणु हथियारों द्वारा डरा-धमका नहीं सके। हम किसी के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल होना नहीं चाहते।

पहले भी हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं। हमें इस बात का दुख है कि परमाणु हथियारों से लैस अन्य देशों ने इन प्रस्तावों के बारे में कभी रचनात्मक प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। वास्तव में यदि उनकी प्रतिक्रिया रचनात्मक रही होती तो भारत को परीक्षणों का यह कार्यक्रम शुरू नहीं करना पड़ता। हम परमाणु हथियारों के समापन के लिए विश्वव्यापी समझौता-वार्ता शुरू करने के लिए बढ़-चढ़कर प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। परमाणु हथियार सम्मेलन के आयोजन से उसी प्रकार इन हथियारों को समाप्त करने के बारे में समझौता किया जा सकता है, जैसा कि महाविनाश के जैव हथियार और रसायन हथियारों के समापन के लिए विश्वव्यापी समझौते किए जा सके।

भारत परंपरा से एक ऐसा देश रहा है जिसका दुनिया के प्रति नजरिया बेहद खुला रहा है। बहुराष्ट्रवाद के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का अनुमान संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों में भारत के सक्रिय योगदान से ही लगाया जा सकता है। यह प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। हाल के वर्षों में शुरू की गई आर्थिक उदारवाद की नीतियों से इस क्षेत्र और विश्व के अन्य देशों से हमारे संबंध बढ़े हैं। मेरी सरकार इन संबंधों को और गहरा तथा मजबूत बनाएगी।

हमारी परमाणु नीति आत्मनियंत्रण और खुलेपन की रही है। हमने न तो १९७४ में किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया था और न १९९८ में किया है। १९७४ में अपनी क्षमता के सफल प्रदर्शन के बाद हमने २४ वर्षों तक अपने को नियंत्रण में रखा। दुनिया के सामने अपने किस्म का यह अकेला उदाहरण है। आत्मनियंत्रण अपनी शक्ति से ही हो सकता है। यह अनिर्णयता और शंकाओं से नहीं आ सकता। भारत द्वारा हाल ही में की गई परीक्षण की शृंखला ने शंकाओं को दूर किया है। यह कार्यवाही हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनकी पूर्ति के लिए की गई न्यूनतम और संतुलित कार्यवाही थी।

इसके बाद सरकार ने स्वतः ही घोषणा कर दी थी कि वह स्वेच्छा से और भूमिगत परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगा रहा है। हमने इस इच्छा को औपचारिक घोषणा का रूप देने की दिशा में पहल भी की है।

यह सदन निश्चय ही इस बात से अवगत है कि भारत के लोगों और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से इस मामले में कैसी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। हमारे नागरिकों द्वारा इस बारे में खुलकर समर्थन हमारी शक्ति का स्रोत है। यह हमें बताता है कि हमारा फैसला उचित था। यह इस बात का भी संकेत है कि भारत के लोग ऐसा स्पष्ट नेतृत्व चाहते हैं जो सुरक्षा-जरूरतों को ठीक से समझ सकता हो। मैं इसे अपने पावन कर्तव्य के रूप में मानने का वचन देता हूं। विदेशों में रहनेवाले भारतीयों द्वारा इस मामले में दिए गए व्यापक समर्थन से हमें और मजबूती मिली है। उन्होंने एक स्वर से इस कार्यवाही का समर्थन किया है। मैं भारत और भारत के बाहर रहनेवाले निवासियों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। आनेवाले कठिन समय में हमें देश में और देश के बाहर रहनेवाले भारतीयों के समर्थन की आवश्यकता रहेगी।

आजादी के पचासवें वर्ष में आज हम अपने इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, जहां

एक नया इतिहास लिखा जाएगा। सरकार का यह फैसला उन्हीं नीतियों पर आधारित है, जिन पर पिछले पांच दशकों से हम चलते रहे हैं। ये नीतियां इसलिए सफलतापूर्वक चलती रही हैं, क्योंकि इन पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति है। अब जबकि हम एक नई सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं तो हमारे बीच इस आम सहमति का रुख बना रहना और भी जरूरी है। मैंने आज के अपने इस बयान और इसके साथ सदन में प्रस्तुत किए गए एक दस्तावेज के द्वारा इस सदन को यह बताने का भरपूर प्रयास किया है कि सरकार इस निर्णय पर कैसे पहुंची और भविष्य में हमारी नीतियों की दिशा क्या होगी।

हमारा यह फैसला और भावी नीतियां और कार्यक्रम ऐसे होंगे, जिनसे इस प्राचीन सभ्यतावाले देश की सूक्ष्मबोधता और बाध्यता के प्रति वचनबद्धता परिलक्षित होती हो, जिसमें जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण प्रदर्शित होता हो। लेकिन हमारा आत्मनियंत्रण किन्हीं शंकाओं, दुराशंकाओं से नहीं बल्कि कार्यों की सुनिश्चितता से प्रकट होगा। अब दुंदुभी बजाने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम सब अपने उन सपनों को साकार करने के लिए काम करें, जिससे कि अगली शताब्दी में भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में अपना उचित स्थान अर्जित कर सके।

भारत की परमाणु नीति का विकास

सदन के पटल पर रखा गया दस्तावेज

भारत सरकार ने ११ मई को एक बयान जारी करके पोकरण रेंज में तीन सफल भूमिगत परमाणु परीक्षण करने की घोषणा की थी। इसके दो दिन बाद सब-किलोटीन क्षमता के दो और परीक्षण करने के बाद सरकार ने परीक्षणों की नियोजित शृंखला पूरी हो जाने की घोषणा की। ११ मई को दोपहर बाद पौने चार बजे किए गए भूमिगत परीक्षण तीन अलग-अलग तरह के थे। इनमें से एक फिसन डिवाइस थी, दूसरी लो यील्डवाली सब-किलोटन क्षमता की डिवाइस थी और तीसरी थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस थी। १३ मई को दोपहर बाद बारह बजकर २१ मिनट पर किए गए दो अन्य परीक्षण सब-किलोटन रेंज के लो यील्डवाली डिवाइस थीं। इन परीक्षणों के परिणाम हमारे वैज्ञानिकों की आशाओं के अनुरूप रहे।

१९४७ में जब भारत को आजादी मिली और उसने दुनिया के देशों के बीच अपना सही स्थान प्राप्त करने की ओर कदम बढ़ाए थे, तब तक परमाणु युग का उदय हो चुका था। हमारे उस समय के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया कि भारत निर्भरता के रास्ते पर चलेगा। वह वचन और कर्म की आजादी का मार्ग अपनाएगा। हमने शीतयुद्ध के क्षितिज पर उठ रहे बादलों के उदाहरण को अस्वीकार कर दिया। हमने किसी गुट में शामिल होने की बजाय गुटनिरपेक्षता की कठिन डगर पर चलने का फैसला किया। इसके लिए राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाना जरूरी था। इस शक्ति को बढ़ाने के लिए हमें अपने संसाधनों, दक्षता, क्षमता, रचनात्मकता और अपने लोगों की समर्पण-भावना पर निर्भर रहना था। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस दिशा में शुरुआती प्रयास के रूप में विज्ञान का विकास और लोगों में वैज्ञानिक सोच जागृत की। ११ और १३ मई की उपलब्धियों की आधारशिला उन शुरुआती प्रयासों ने ही डाली थी। इन दोनों दिनों में जो कुछ संभव हुआ है, उसके पीछे परमाणु ऊर्जा विभाग और रक्षा-अनुसंधान और विकास संस्थान के वैज्ञानिकों के बीच उल्लेखनीय सहयोग रहा है। निशस्त्रीकरण हमारी विदेश नीति का मुख्य आधार रहा है और रहेगा। अपनी स्वतंत्रता के लिए अहिंसा और सत्याग्रह के अनोखे मार्ग पर चलनेवाले

देश के लिए यह एक स्वाभाविक रास्ता था और आज भी है।

परमाणु तकनीक के विकास ने भूमंडल की सुरक्षा की प्रकृति को बदल दिया है। हमारे नेताओं ने कहा था कि परमाणु हथियार युद्ध के हथियार नहीं हैं। ये महाविनाश के हथियार हैं। परमाणु हथियारविहीन विश्व से न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया के देशों की सुरक्षा बढ़ेगी। यह हमारी परमाणु नीति का प्रमुख आधार है। सभी देशों पर एक समान रूप से लागू नहीं होनेवाला और पक्षपातपूर्ण निशस्त्रीकरण हमें स्वीकार नहीं है। हम ऐसी कोई व्यवस्था स्वीकार नहीं कर सकते जो परमाणु हथियारसंपन्न और बिना परमाणु हथियारवाले देशों के बीच एक मनमाना भेद करती हो। भारत मानता है कि हर देश का यह संप्रभु अधिकार है कि वह अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय हितों के बारे में फैसले कर सके और अपने चुनाव के संप्रभु अधिकार लागू कर सके। हम सभी देशों को अपने सुरक्षा हितों के मामले में समान और कानूनी अधिकार के सिद्धांत के समर्थक हैं और इसे एक संप्रभु अधिकार मानते हैं। इसके साथ ही हमारे नेताओं ने शुरू से ही यह जान लिया था कि परमाणु टेक्नालाजी में आर्थिक विकास की अपार क्षमताएं हैं। वर्षों तक औपनिवेशिक शोषण के कारण तकनीकी रूप से पिछड़ गए देशों के तेजी से आगे बढ़ने के रास्ते में परमाणु टेक्नालाजी का महत्व और भी ज्यादा है। आजादी मिलने के एक वर्ष के अंदर ही परमाणु ऊर्जा अधिनियम १९४८ बनाए जाने के पीछे भी इसी सोच ने काम किया था। तब से अब तक परमाणु निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में किए गए अनेक प्रयास उसी सोच के अनुरूप और सततता के प्रतीक हैं।

पांचवें दशक में जमीन के ऊपर परमाणु परीक्षण किए गए और उन परीक्षणों से उठते हुए धुंए के गुबार परमाणु युग के साक्षात प्रतीक बन गए। तब भारत ने सभी परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाकर परमाणु हथियारों की दौड़ को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाने की अपील करने में पहल की। हाइड्रोजन बम के एक बड़े परीक्षण के बाद २ अप्रैल, १९५४ को लोकसभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था : "परमाणु रसायन और जैव ऊर्जा तथा शक्ति का इस्तेमाल महाविनाश के हथियार बनाने के लिए नहीं करना चाहिए।"

उन्होंने आग्रह किया कि परमाणु हथियारों पर रोक लगाने और उन्हें समाप्त करने के लिए बातचीत होनी चाहिए और तब तक परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का एक समझौता होना चाहिए। तब तक दुनिया में ६५ से भी कम परमाणु परीक्षण हुए थे। हमारी अपील की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। १९६३ में एक समझौता हुआ जिसके अंतर्गत वायुमंडल में परमाणु परीक्षण करने पर रोक लगाई गई, लेकिन तब तक अनेक देशों ने भूमि के अंदर परमाणु परीक्षण करने की तकनीक विकसित कर ली थी और इसका परिणाम यह हुआ कि परमाणु हथियारों की दौड़ निर्बाध गति से जारी रही। तब से अब तक तीन दशक गुजर जाने और २००० से भी अधिक परमाणु परीक्षण होने के बाद १९९६ में परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने संबंधी एक संधि हस्ताक्षरों के लिए तैयार हुई। इस संधि के मसौदे के बारे में ढाई वर्षों तक समझौता वार्ता चलती रही। इस बातचीत में भारत ने पूरी सक्रियता से भाग लिया। लेकिन संधि का अंतिम मसौदा जिस रूप में सामने आया उसमें बहुत सी खामियां थीं। यह संधि न तो व्यापक थी और न ही यह निशस्त्रीकरण के लिए थी।

१९६५ में भारत ने कुछ गुटनिरपेक्ष देशों के सहयोग से एक अंतरराष्ट्रीय अप्रसार समझौते का विचार सामने रखा था। इस समझौते के अंतर्गत परमाणु हथियारसंपन्न देशों को अपने परमाणु

हथियारों के जखीरे को समाप्त करने के लिए राजी होना था, जबकि अन्य देशों को यह वादा करना था कि वे न तो परमाणु हथियार खुद विकसित करेंगे और न ही किसी अन्य देश से ऐसे हथियार प्राप्त करेंगे। करीब ३० वर्ष पहले १९६८ में जब परमाणु अप्रसार संधि का मसौदा सामने आया तो अधिकारों और जवाबदेही के बीच का संतुलन उसमें नहीं थां। छठे दशक में हमारी सुरक्षा चिंताएं गहराती गईं, लेकिन परमाणु हथियारों से हम इतनी घृणा करते थे और उन हथियारों को पाने से बचने, की हमारी इच्छा इतनी ज्यादा थी कि हमने दुनिया के परमाणु हथियारों से संपन्न देशों से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी। जिन देशों की ओर हमने सहयोग और समझ की आशा से देखा उन्होंने महसूस किया कि जिस प्रकार का आश्वासन हम तब चाहते थे, वह वे दे पाने में सफल नहीं हो सकते थे। तब भारत ने स्पष्ट किया कि वह क्यों परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता।

५ अप्रैल, १९६८ को लोकसभा में परमाणु अप्रसार संधि पर चर्चा हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने सदन को आश्वासन दिया : "हम पूरी तरह देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण और स्वविवेक से निर्देशित होंगे।" उन्होंने परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति देश की वचनबद्धता को दोहराते हुए परमाणु अप्रसार संधि की खामियों का उल्लेख किया। उन्होंने सदन और देश को चेतावनी दी : "संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने से देश के सामने अनेक परेशानियां आ सकती हैं। इसका मतलब आर्थिक सहायता पर रोक लगना हो सकता है और मदद पर रोक लग सकती है। चूंकि हम सब मिलकर यह फैसला कर रहे हैं, इसलिए परिणामों का सामना करने में भी हमें मिलकर रहना होगा।" यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस सदन ने तब एक आम सहमति का रूप दिखाकर सरकार के फैसले को और मजबूत कर दिया था।

परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने का हमारा फैसला वचन और कर्म की आजादी की हमारी मूल धारणा के अनुरूप था। १९७४ में हमने अपनी परमाणु क्षमता का परिचय दिया था। उसके बाद की सभी सरकारें भारत के परमाणु विकल्प को सुरक्षित रखने के उस फैसले और राष्ट्र की इच्छा के अनुरूप सभी आवश्यक कदम उठाती रहीं। १९९६ में भारत द्वारा व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी.टी.बी.टी.) पर हस्ताक्षर नहीं करने के फैसले के पीछे भी यही विचार था। उस फैसले को इस सदन ने एक बार फिर सर्वसहमति से समर्थन दिया। तब हमारा दृष्टिकोण यह था कि सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने से भारत की परमाणु क्षमता बहुत निचले स्तर पर सीमित हो जाएगी और हमें यह स्वीकार नहीं था। हमारी आपत्तियां और भी बढ़ गईं, क्योंकि सी.टी.बी.टी. परमाणु अप्रसार प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकी थी। इस प्रकार दोनों ही तरह से हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के हल के लिए कुछ नहीं किया गया। इस विषय पर १९९६ में इस सदन में हुई चर्चा के दौरान तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्रकुमार गुजराल ने सरकार के दृष्टिकोण को अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया था।

आठवें और नवें दशक के दौरान परमाणु और प्रक्षेपास्त्रों के प्रसार से हमारे सुरक्षा पर्यावरण में उत्तरोत्तर गिरावट आती गई। हमारे पड़ोस में परमाणु हथियार बढ़े और इन हथियारों को फेंकने वाली आधुनिक प्रणालियां लगाई गईं। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में चोरी-छिपे परमाणु सामग्री प्रक्षेपास्त्रों, उससे जुड़ी तकनीकों को पाने का एक सिलसिला चलता रहा। इस बीच भारत को सीमा पार से प्रेरित और पोषित आतंकवाद और उग्रवाद तथा भाड़े के सैनिकों द्वारा छेड़े गए अघोषित युद्ध का शिकार होना पड़ा।

शीतयुद्ध की समाप्ति २०वीं सदी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने यूरोप के राजनीतिक नक्शे को बदल डाला लेकिन भारत की सुरक्षा समस्याओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे यूरोप में जो व्यवस्था आई, उसे दुनिया के अन्य हिस्सों में दोहराया नहीं गया।

दुनिया को परमाणु हथियार विहीन बनाने के लिए परमाणु हथियारों से लैस देशों द्वारा ऐसे कदम उठाए जाने के कोई संकत नहीं हैं जिन्हें प्रभावकारी और वापस नहीं लिए जाने लायक कहा जा सके। इसके स्थान पर परमाणु अप्रसार संधि को अनिश्चित काल के लिए बिना किसी शर्त के बढ़ा दिया गया है। इसका परिणाम यह है कि परमाणु हथियारों से लैस पांच देशों के पास परमाणु हथियार बने रहेंगे। ये वे ही देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। इनमें से कुछ देशों की ऐसी नीतियां हैं जो उन्हें पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की इजाजत देती हैं। ये देश अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को और आधुनिक बनाने के कार्यक्रम भी लागू कर रहे हैं।

इन परिस्थितियों में भारत के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचे थे। उसे ऐसे कदम उठाने थे जिससे कि कई दशकों में विकसित और सुरक्षित रखा गया परमाणु विकल्प आत्मनियंत्रण के कारण कहीं कमजोर नहीं होता जाए। विकल्प के कमजोर होने का हमारी सुरक्षा पर ऐसा बुरा प्रभाव पड़ता, जिसकी कि भरपाई कभी नहीं की जा सकती है। इस तरह सरकार के सामने फैसले की बहुत मुश्किल घड़ी थी। यह फैसला करने के लिए हमारे सामने एक ही दिशा-निदेशक था, और वह था राष्ट्रीय सुरक्षा। ११ और १३ मई को किए गए विस्फोट इस देश की आत्मनिर्भरता और वचन तथा कर्म की स्वतंत्रता के रास्ते पर चलने की नीतियों के अनुरूप थे। कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी रास्ते पर चलते-चलते हम ऐसे दोराहे पर पहुंच जाते हैं जहां हमें यह फैसला करना होता है कि अब किस ओर चलना है। १९६८, १९७४ और १९९६ हमारे परमाणु इतिहास के ऐसे ही पन्ने हैं। इन सभी क्षणों में हमने सही फैसले किए। इन फैसलों को करते समय हमें राष्ट्रीय हितों ने निर्देशित किया और राष्ट्रीय आम सहमति ने मदद की। १९९८ में जो कुछ संभव हुआ, उसकी जड़ें पुराने फैसलों में ही समाहित थीं। आज ऐसा इसलिए संभव हो सका है कि कल जो फैसले किए गए थे, वे सही थे और सही समय पर लिए गए थे।

दुनिया में आज आधुनिक तकनीकी का बड़ा तेजी से विकास हो रहा है। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि हम नए आयामों की पहचान करें, उनका परीक्षण करके उन्हें इस प्रकार सक्षम बनाएं जिससे कि हमारी दक्षता आधुनिकतम बनी रहे और हमारे आनेवाली पीढ़ियों के वैज्ञानिक और इंजीनियर अपने पूर्वजों द्वारा किए गए कार्यों को और आगे बढ़ा सकें। भारत द्वारा की गई पांच परीक्षणों की सीमित शृंखला का उद्देश्य इसी दिशा में किया गया एक प्रयास था। इन परीक्षणों ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है। इन परीक्षणों के द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े अलग-अलग क्षमतावाले और विभिन्न प्रकार की प्रक्षेपण-प्रणालियों के लिए परमाणु हथियारों के निर्माण की क्षमता की जांच करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन परीक्षणों ने हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की क्षमता में बहुत अधिक बढ़ोतरी की है। अब वे कंप्यूटरों द्वारा बिना परीक्षण के नए-नए तरह के हथियार बनाने में सक्षम हो गए हैं। इन परीक्षणों के आधार पर यदि जरूरी समझा गया तो वे भविष्य में सब-क्रिटिकल किस्म के परीक्षण भी कर सकने योग्य बन गए हैं। तकनीकी क्षमता की दृष्टि से देखा जाए तो अब हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के पास एक विश्वसनीय निवारक सुनिश्चित करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं।

हमारे पड़ोसियों या अन्य देशों के प्रति हमारी नीतियों में कोई अंतर नहीं आया है। भारत स्थिरता के साथ शांति को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। हम सभी मुद्दों को अपनी बातचीत और समझौते द्वारा हल करने के लिए वचनबद्ध हैं। ये परीक्षण किसी देश विशेष के विरुद्ध नहीं हैं। ये परीक्षण भारत की जनता को उनकी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से किए गए थे। इनका उद्देश्य यह बताना था कि पिछली सरकारों की ही तरह यह सरकार भी उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को हल करने में सक्षम और सुदृढ़ है। यह सरकार पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए व्यापक बातचीत का सिलसिला जारी रखेगी। हम परस्पर हितों के मामले में बातचीत का दायरा और बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। परस्पर विश्वास को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। हम इसके प्रति वचनबद्ध हैं। इन परीक्षणों के बाद और हमारी सुरक्षा संबंधी चिंताओं के प्रति पर्याप्त जागरूकता की कमी के कारण कुछ देशों को कुछ कदम उठाने के लिए प्रेरित किया गया है। हमें इस पर अफसोस है। हम द्विपक्षीय संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। हम बातचीत जारी रखने के लिए वचनबद्ध हैं और दुबारा विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारत की सुरक्षा को बनाए रखने और अन्य देशों के हितों में कोई तकरार नहीं है।

भारत परमाणु हथियारसंपन्न देश है। यह एक सचाई है। इसे नकारा नहीं जा सकता। हम इसके लिए किसी से प्रमाण नहीं मांग रहे। यह कोई ऐसा स्तर नहीं है जो कोई किसी को दे सकता है। यह हमारे इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा देश को सौंपी गई अक्षय निधि है। यह भारत का मानवता के छठे भाग का अधिकार है। हमारी बढ़ी हुई क्षमता ने हमारी जिम्मेदारी के अहसास को बढ़ा दिया है। इस शक्ति के कारण हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही बढ़ी है। दुनिया के प्रति अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए भारत कभी इन हथियारों का इस्तेमाल किसी पर हमला करने के लिए नहीं करेगा। हम इनका इस्तेमाल किसी दूसरे देश को डराने-धमकाने के लिए नहीं करेंगे। ये हथियार आत्मरक्षा के हथियार हैं। ये हथियार ये सुनिश्चित करने के लिए हैं कि कोई अन्य भारत को परमाणु हथियारों की धमकी देकर डराने-धमकाने का प्रयास नहीं करे। १९९४ में हमने प्रस्ताव किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा समझौता हो जिसके अंतर्गत दोनों देश कभी एक-दूसरे के खिलाफ अपनी परमाणु क्षमता का पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। सरकार इस अवसर पर आज फिर एक बार 'प्रथम इस्तेमाल नहीं' के समझौते के बारे में बातचीत के प्रस्ताव को दुहराती है। हम अन्य देशों से भी इस बारे में द्विपक्षीय या सामूहिक मंच पर बातचीत करने के प्रस्ताव को दुहराते हैं। भारत कभी भी हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होगा। भारत शीतयुद्ध के विचारों से सहमत नहीं है और न ही उसे फिर से बढ़ावा देना चाहता है। भारतीय विदेश नीति का मूल आधार रहा है कि परमाणु हथियारों से विहीन पृथ्वी से ही भारत और पूरी दुनिया की सुरक्षा बढ़ेगी। भारत आज भी अपनी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों के प्रति अटल बना हुआ है। भारत दुनिया के सभी देशों, और विशेष रूप से परमाणु हथियारों से लैस देशों से यह अनुरोध करना जारी रखेगा कि परमाणु हथियारविहीन पृथ्वी बनाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाएं।

भारत ने पहले भी इस दिशा में अनेक प्रयास किए हैं। १९७८ में भारत ने प्रस्ताव किया था कि विभिन्न देशों के बीच एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय समझौता करने के लिए बातचीत शुरू की जाए जिसके अंतर्गत किसी देश को किसी अन्य देश पर परमाणु हथियारों से हमला या धमकी देने पर रोक लग सके। इसके बाद १९८२ में एक और पहल की गई थी। इसके अंतर्गत परमाणु रोक

का आह्वान किया गया था। परमाणु रोक के अंतर्गत हथियारों के लिए फिसाइल सामग्री, परमाणु हथियारों और परमाणु हथियारों की प्रक्षेपण-प्रणालियों के निर्माण पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। १९८८ में हमने एक ऐसी कार्य योजना का प्रस्ताव किया था, जिसके अंतर्गत एक निश्चित समय-सीमा के अंतर्गत सभी परमाणु हथियारों को समाप्त किया जाना था। हमें इस बात का खेद है कि अन्य परमाणु हथियारसंपन्न देशों ने हमारे इन प्रस्तावों पर कोई रचनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यदि उनकी प्रतिक्रिया रचनात्मक रही होती तो भारत को इन परीक्षणों को करने की जरूरत ही नहीं होती। यही वह मोड़ है जहां परमाणु हथियारों के प्रति हमारा रुख अन्य देशों से अलग है। यह अलग रुख ही हमारे परमाणु सिद्धांत की आधारशिला है। इस सिद्धांत में हमें आत्मनियंत्रण रखने और महाविनाश के सभी हथियारों को समाप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करने की प्रेरणा निहित है।

हम इस दिशा में किए गए प्रयासों को समर्थन देते रहेंगे। ये प्रयास चाहे किसी देश विशेष द्वारा किए गए हों या गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा सामूहिक रूप से। गुटनिरपेक्ष देश परमाणु निशस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। इन देशों ने पिछले सप्ताह ही कार्टागेना में आयोजित मंत्री-स्तर की बैठक में अपने इस विश्वास को दोहराते हुए कहा है : "निशस्त्रीकरण सम्मेलन एक तदर्थ समिति का गठन करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे जो एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर परमाणु हथियारों के सम्मेलन सहित समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत परमाणु हथियारों को विभिन्न चरणों में पूरी तरह समाप्त करने के लिए बातचीत करे। ११३ गुटनिरपेक्ष देशों की यह सामूहिक आवाज विश्वव्यापी परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए एक निश्चित दिशा प्रदर्शित करती है। भारत इस बारे में हमेशा वचनबद्ध रहा है। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के एक सदस्य देश ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में रखा था। हमने इस प्रयास को बहुत महत्व दिया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने ८ जुलाई, १९९६ को सर्वसम्मति से दी गई अपनी सलाह में घोषणा की है। इसके लिए अच्छे इरादे से प्रयास करने की जिम्मेदारी है कि परमाणु निशस्त्रीकरण को सभी दृष्टिकोणों से कड़े अंतरराष्ट्रीय और प्रभावकारी नियंत्रण में लाने के लिए बातचीत को निर्णयात्मक स्तर पर लाया जा सके।"

इस मामले में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील करनेवाले देशों में भारत भी था। परमाणु हथियारों से संपन्न किसी भी देश ने इस निर्णय का समर्थन नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने इस फैसले के महत्व का अवमूल्यन करने का प्रयास किया है। भारत परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए समझौता करने हेतु बातचीत शुरू करने की अपील करनेवालों में सबसे आगे रहा है और आगे बना रहेगा। परमाणु हथियारों पर समझौता होने से इस चुनौती से भी उसी प्रकार निपटा जा सकेगा जिस प्रकार से महाविनाश के दो अन्य जैव और रसायन हथियारों से समझौता करके निपटा गया। भारत निशस्त्रीकरण के बारे में अपने व्यापक सार्वभौमिक और पक्षपातरहित दृष्टिकोण के प्रति वचनबद्धता के कारण इन दोनों समझौतों में शामिल होनेवाले मूल देशों में शामिल था। इन समझौतों के अनुरूप भारत जल्दी ही अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने की योजना अंतरराष्ट्रीय प्राधिकरण के समक्ष पेश करेगा। यह प्राधिकरण रासायनिक हथियारों पर रोक के काम की देखभाल करता है। हम जब भी वादे करेंगे उन्हें, पूरा करेंगे।

परंपरा से दुनिया के प्रति भारत का दृष्टिकोण बहुत खुला रहा है। बहुराष्ट्रवाद के प्रति हमारी मजबूत वचनबद्धता की भावना संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों में हमारे सक्रिय योगदान से परिलक्षित होती है। हाल के वर्षों में नई चुनौतियों को देखते हुए सार्क, हिंद महासागर के किनारे

बसे देशों के क्षेत्रीय सहयोग संगठन और आसियान क्षेत्रीय फोरम के सदस्य देश के रूप में हमने क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। हम ये प्रयास जारी रखेंगे। हाल के वर्षों में शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों ने क्षेत्रीय विश्व-स्तर पर हमारे संबंघों को बढ़ाया है, सरकार इन संबंधों को और गहन तथा मजबूत बनाने के लिए काम करेगी।

आत्मनियंत्रण और खुलापन हमारी परमाणु नीति की विशेषता रही है। इसने न तो १९७४ में किसी अंतरराष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन किया था और न १९९८ में किया है। हमने हाल के वर्षों में अपने सहयोगियों को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया था। १९७४ में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के बाद २४ वर्षों तक आत्मनियंत्रण बनाए रखना अपने-आप में अपने किस्म का एक अपूर्व उदाहरण है। आत्मनियंत्रण का आधार आत्म शक्ति होना चाहिए। यह अनिर्णयता तथा शंकाओं से नहीं आता है। आत्मनियंत्रण तभी वैध है, जबकि सभी शंकाओं का निवारण हो जाए। भारत द्वारा किए गए परीक्षणों की श्रृंखला से शंकाओं का निवारण हुआ है। इस दौरान जो कार्रवाई हुई है, वह बड़ी ही संतुलित थी। यह कार्रवाई उतनी ही की गई है जितनी कि हमारी सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम जरूरी थी। इसलिए सरकार के इस फैसले को पिछले पचास वर्षों से चली आ रही हमारी आत्मनियंत्रण की नीति की परंपरा के परिदृश्य में देखा जाना चाहिए।

इन परीक्षणों के बाद भारत ने स्वतः ही परीक्षणों पर रोक लगाने की एकतरफा घोषणा की है। हमने वादा किया है कि भारत अब और भूमिगत परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। सरकार ने इस घोषणा को औपचारिक वैधानिक रूप देने के लिए पहल करने की इच्छा भी व्यक्त की है। इस प्रकार सी.टी.बी.टी. के प्रति परमाणु परीक्षण नहीं करने की मूल जिम्मेदारियों को निभा दिया गया है। स्वतः यह घोषणा करके हमने विश्व-समुदाय के सामने इस मामले पर अर्थपरक विचार-विमर्श करने की हमारी इच्छा की गंभीरता प्रदर्शित कर दी है। देश की सुरक्षा-जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में आगे फैसले करेंगे।

भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि फिसाइल सामग्री के निर्माण को रोकने संबंधी संधि के बारे में जिनेवा-निशस्त्रीकरण-वार्ता में भाग लेने के लिए वह तैयार है। इस संधि का मूल उद्देश्य परमाणु हथियारों या परमाणु विस्फोटक डिवाइसों में इस्तेमाल के लिए फिसाइल सामग्री के भविष्य में उत्पादन पर रोक लगाता है। इन वार्ताओं में भारत का प्रयास रहेगा कि होनेवाली संधि का रूप व्यापक हो, वह पक्षपात रहित हो और उसमें शर्तों की प्रभावकारी जांच की व्यवस्था की गई हो। इन वार्ताओं में शामिल होते समय हम देश के पास परमाणु हथियारों की उपलब्धता की परिपूर्णता और विश्वसनीयता से परिपूरित होंगे।

भारत न तो परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करनेवाला देश है और न ही वह परमाणु सामग्री की आपूर्ति करनेवाले देशों का सदस्य, फिर भी उसने परमाणु सामग्री और संबद्ध तकनीक के निर्यात पर कड़ी रोक लगा रखी है। इसके बावजूद भारत परमाणु अप्रसार के लिए वचनबद्ध है। उसने इस क्षेत्र से निर्यात पर कड़े नियंत्रण लगा रखे हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में स्वदेश में विकसित किया गया ज्ञान और तकनीक किसी भी प्रकार से किसी अन्य के हाथ नहीं लगे। वास्तव में इस संदर्भ में भारत की भूमिका परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करनेवालों से कहीं ज्यादा बेहतर रही है।

भारत पहले भी अंतरराष्ट्रीय परमाणु अप्रसार व्यवस्था की खामियों के बारे में अपनी चिंताओं

को अभिव्यक्त करता रहा है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह इस व्यवस्था में शामिल होने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें उसकी सुरक्षा चिंताओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। विश्वव्यापी परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य की ओर हमारे पसंदीदा रास्ते पर चलकर हमारी चिंताओं को दूर किया जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया, अतः भारत को इस उभरती हुई व्यवस्था से अलग रहने को मजबूर होना पड़ा, क्योंकि वह कर्म की अपनी स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकता था। यही वह रास्ता था जिस पर हम पिछले तीस वर्षों से बिना डगमगाए चलते रहे हैं। भारत आनेवाले समय में जिन देशों को बातचीत की अपनी गंभीर इच्छा और इरादों के प्रति राजी करने का प्रयास करेगा, उनसे बातचीत के समय इसी रचनात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखेगा, जिससे कि एक-दूसरे की चिंताओं को संतोषप्रद तरीके से हल किया जा सके। उस समय भारतीय नेतृत्व के समक्ष चुनौती यह होगी कि वह भारत की सुरक्षा संबंधी जरूरतों और इस बारे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की उचित चिंताओं के बीच किस प्रकार संतुलन और तारतम्य स्थापित करता है।

यह सदन इस बात से अवगत है कि इस बारे में भारत के लोगों और दुनिया के विभिन्न भागों से किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिली हैं। भारतीय नागरिकों द्वारा खुलकर किया गया समर्थन सरकार की शक्ति का एक स्रोत है। यह केवल यही नहीं बताता कि सरकार का निर्णय सही था, बल्कि यह भी कहता है कि देश को एक ऐसा स्पष्ट नेतृत्व चाहिए जो देश की सुरक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा कर पाने में समर्थ हो। सरकार इसे एक पावन कर्तव्य के रूप में पूरा करने का वचन देती है। विदेशों में रहनेवाले भारतीयों से मिले व्यापक समर्थन से सरकार को बेहद प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। उन्होंने एक स्वर से सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया है। सरकार भारतीय नागरिकों और अप्रवासी भारतीयों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहती है और आशा करती है कि आनेवाले कठिन दिनों में वे सरकार का इसी प्रकार समर्थन जारी रखेंगे।

आजादी के पचासवें वर्ष में भारत इतिहास का निरूपण करनेवाले एक मोड़ पर खड़ा है। सरकार के इस फैसले का आधार भी हमारी कीर्ति के वे ही दीपस्तंभ रहे हैं, जिन्होंने पिछले पचास वर्षों में हमारे देश की दिशा निर्धारित की है। ये नीतियां लंबे समय से सफलतापूर्वक इसलिए चल रही हैं क्योंकि उन्हें आम सहमति प्राप्त रही है। हमारा यह फैसला और भावी कार्रवाइयां इस प्राचीन सभ्यतावाले देश की संवेदनशीलता और दायित्व के प्रति वचनबद्धता को परिलक्षित करती रहेंगी, इनमें जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण रहेगा। लेकिन आत्मनियंत्रण का उदय कर्म की सुनिश्चितता से होगा न कि शंकाओं और दुराशंकाओं पर आधारित होगा। गीता के तीसरे अध्याय के छठे श्लोक में इस भाव को जितनी अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है, उतना कहीं और नहीं है :

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मः कारणमुच्यते।
योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते।।

इस श्लोक का अर्थ है : कर्म लक्ष्य पर पहुंचने की प्रक्रिया है। कर्म उत्तेजना को परिलक्षित कर सकता है, लेकिन यदि वह सुनिश्चित और परिमापित हो तो वह स्थायित्व और शांति के उद्देश्य को प्राप्त करेगा।

बोफोर्स जांच : धमाके होते रहेंगे

उपसभापति जी, मैं बोफोर्स सौदे के संबंध में संसद की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा आरंभ करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अपने २७-२८ वर्ष के लंबे संसदीय जीवन में मैंने अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा आरंभ की है। मैंने अनेक बहसों में भाग लिया है। लेकिन आज मैं अपने को जिस विचित्र स्थिति में पाता हूं, वैसी स्थिति मेरे सामने कभी नहीं थी।

महोदया, भारतीय संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब संयुक्त समिति, संयुक्त सदनों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वह विभक्त सदनों का प्रतिनिधित्व करती है। यह पहला अवसर है, जब संयुक्त समिति में प्रतिपक्ष नहीं है।

श्री मिर्जा इर्शाद बेग (गुजरात) : आप रहे नहीं, हमने तो बुलाया था।

श्री वाजपेयी : यह पहला अवसर है जब संसदीय समिति की अध्यक्षता के लिए संसद के सामान्य सदस्यों में से कोई सदस्य नहीं चुना गया, मंत्रिपद पर बैठे हुए सज्जन से इस्तीफा दिलाया गया और उन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया।

यह पहला अवसर है जब संसदीय समिति के अध्यक्ष ने समिति के सदस्यों का नोट ऑफ डिसेंट देने का अधिकार अस्वीकार कर दिया, यदि बाहर शोर न मचता, यदि लोकसभा के अध्यक्ष का दरवाजा न खटखटाया जाता तो मेरे मित्र श्री अलादी अरुण को अपनी असहमति प्रकट करने के मूल लोकतांत्रिक अधिकार से भी वंचित कर दिया गया था।

इस्पात और खान मंत्री श्री माखनलाल फोतेदार : यह कब से आपके मित्र बने?

श्री वाजपेयी : जब से आपकी-इनकी मित्रता में थोड़ी सी खटास पैदा हो गई।

महोदया, यह पहला अवसर है, जब नोट ऑफ डिसेंट को नोट ऑफ डिसेंट के रूप में पेश नहीं किया गया, पोस्ट स्क्रिप्ट बना दिया गया। मैं अनेक संयुक्त समितियों का मेंबर रहा हूं। मैं नोट ऑफ डिसेंट देता रहा हूं। नोट ऑफ डिसेंट नोट ऑफ डिसेंट के रूप में देना चाहिए, पोस्ट स्क्रिप्ट के रूप में नहीं। यह एक नया आविष्कार है। सचमुच में विश्व के संसदीय विकास में यह भारत का अपना कंट्रीब्यूशन है। रिपोर्ट आएगी, नोट ऑफ डिसेंट नहीं होगा, खाली पोस्ट स्क्रिप्ट होगा।

** बोफोर्स तोप घोटाले पर राज्यसभा में ११ मई, १९८८ को भाषण।*

उसके बाद भी समिति के अध्यक्ष शांत नहीं बैठे, पोस्ट स्क्रिप्ट के बाद उन्होंने फिर अपनी टिप्पणी भी लगा दी। वह टिप्पणी क्या है? क्या नोट ऑफ डिसेंट के बाद कमेटी की ओर से कोई और टिप्पणी लगाई जाती है? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ।

महोदया, आप कल्पना कीजिए कि अगर हम सब लोग समिति में चले जाते और अलग-अलग नोट ऑफ डिसेंट लगाते तो अलग-अलग नोट ऑफ डिसेंट पोस्ट स्क्रिप्ट के रूप में पेश किए जाते और हमारे हर नोट ऑफ डिसेंट का जवाब भी रिपोर्ट में नत्थी किया जाता। यह स्थिति हास्यास्पद है।

महोदया, जिस तरह से संसदीय समिति का गठन हुआ, जिस तरह से उसके टर्म्ज ऑफ रेफ्रेंस निश्चित किए गए, जिस तरह से उसकी कार्यवाही चली और मैं श्री अलादी अरुण को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने समिति की कार्यवाही के संबंध में जो नोट ऑफ डिसेंट लगाया है, वह एक ओर हमारी आंखें खोलनेवाला है और दूसरी ओर संसदीय समिति की प्रतिष्ठा पर बट्टा लगाने वाला है। जिस तरह समिति के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें पूरे दस्तावेज नहीं दिए गए, दस्तावेज दिए गए तो उनमें से कुछ अंश निकाल लिए गए। कौन गवाह आनेवाला है, उसकी सूचना नहीं। सूचना दी गई कि अटर्नी जनरल आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं बोफोर्स के आफीसर। मैं चाहता हूं कि श्री अलादी अरुण इस पर विस्तार से प्रकाश डालें, मैं उसको उठाना नहीं चाहता। मगर ये ऐसे पहलू हैं जिन्होंने हमें व्यथित किया है, पीड़ित किया है। क्या जांच के लिए नियुक्त संयुक्त संसदीय समिति इस तरह से आचरण करेगी?

जिस तरह समिति ने गवाहियां लीं और जिस तरह समिति ने कुछ महत्वपूर्ण गवाहियां लेने से इन्कार कर दिया, जिस तरह से बोफोर्स के अधिकारियों के लिए लाल गलीचा बिछाया गया, जिस तरह से विन चड्ढा को सस्ता छोड़ दिया गया, कौन सी शर्तें लगाई थीं विन चड्ढा ने, किन शर्तों के आधार पर वे भारत आए मैं, इसको विस्तार से उठाना नहीं चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से समिति ने अंग्रेजी दैनिक 'हिंदू' में प्रकाशित दस्तावेजों को अनदेखा कर दिया, तब तक समिति की रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

हिंदू और हिंदुजा

महोदया, 'हिंदू' एक ऐसा पत्र है जो केवल दक्षिण भारत का ही पत्र नहीं है। वह भारत का राष्ट्रीय पत्र है। इसके मुख्य संपादक प्रधानमंत्री के मित्रों में गिने जाते हैं। वे विशेष साक्षात्कारों के लिए बुलाए जाते हैं। हम दूरदर्शन पर उनके दर्शन करते हैं, दूर से दर्शन करते हैं। उसने कुछ दस्तावेज छापे। वे दस्तावेज महत्वपूर्ण हैं और एक नया रहस्योद्घाटन है। यह दस्तावेज एक बार फिर बोफोर्स को कटघरे में खड़ा करता है और वह हिंदुजाओं को भी सारे मामले में लपेटता है। क्या समिति का यह दायित्व नहीं था कि जब नए दस्तावेज सामने आ गए हैं, नए प्रमाण सामने आ गए हैं, समिति उन प्रमाणों पर भी विचार करे। समिति अगर चाहती तो इसके लिए लोकसभा से अपनी कालावधि बढ़ाने की इजाजत ले सकती थी। लेकिन समिति जल्दी में थी। पता नहीं कौन-सी अदृश्य शक्ति उसे अनुप्राणित कर रही थी, उसे तत्काल कार्य समाप्त करने के लिए प्रेरित कर रही थी कि अगर कोई नया भंडाफोड़ हो गया, अगर स्वीडन से कहीं और कोई तथ्य सामने आ गया तो पता नहीं समिति का क्या होगा। इसलिए जल्दी-जल्दी, बोरिया-बिस्तर लपेटो, जैसे-तैसे रिपोर्ट सबमिट करो। लेकिन क्या इससे समिति की विश्वसनीयता पर प्रश्न-चिह्न नहीं लग

गया? बाकी की घटनाएं छोड़ भी दीजिए, इस एक ही मामले में मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है—यह संसदीय समिति है, हमारे सहयोगी यहां बैठे हैं, इस एक घटना ने संसदीय समिति को बेनकाब कर दिया है।

महोदया, कुछ काल से लोकतांत्रिक संस्थाओं का धीरे-धीरे क्षय हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। उस सिलसिले में एक कड़ी और जुड़ गई है। अभी तक ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी इस अवमूल्यन से बची हुई थी, कम से कम संसदीय लोकतंत्र की एक संस्था तो सुरक्षित थी, एक संस्था तो ऐसी थी जिस पर कोई दाग नहीं लगा था, लेकिन इस प्रतिवेदन के साथ वह संस्था भी लोगों के अविश्वास का विषय बन गई है।

महोदया, इस प्रतिवेदन के बाद जो समाचारपत्रों ने टिप्पणियां की हैं, मैं उनको पढ़कर समय नहीं लेना चाहता, बुद्धिजीवियों ने जो प्रतिक्रिया प्रकट की है, मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। मार्ग और संडे आब्जर्बर के ओपीनियन पोल से जो परिणाम निकले हैं, मैं उनकी ओर भी इशारा नहीं करना चाहता। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि देश का जनमानस इस संसदीय समिति के निष्कर्षों को स्वीकार नहीं करेगा।

महोदया, समिति नियुक्त की गई थी सच्चाई का पता लगाने के लिए कि किन्होंने दलाली ली है। दलाली ली है, यह निश्चित है। समिति यह पता लगाने के लिए नियुक्त की गई थी कि किन्होंने दलाली ली; पता लगाने के लिए, पर्दा डालने के लिए नहीं। समिति की जांच के बाद जो वास्तविक अपराधी हैं, वे कटघरे में खड़े होने चाहिए थे। मगर समिति ने यह काम इस तरह से किया कि समिति स्वयं ही कटघरे में खड़ी हो गई।

महोदया, समिति के गठन के पहले विरोधी दलों ने जो आशंकाएं प्रकट की थीं, वे आशंकाएं सही साबित हो गई हैं। हमने कहा था कि आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद जांच की जरूरत नहीं है। आडिट ब्यूरो ने जो तथ्य दिए हैं, उनके आधार पर और जो तथ्य छिपाए गए हैं, उनके आधार पर बोफोर्स का गला पकड़ो। जांच नहीं, बोफोर्स पर आंच लाओ। दबाव डालो। बोफोर्स से कहो कि तुम कहते थे कि कमीशन नहीं दिया जाएगा। आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट में बात आ गई है कि कमीशन दिया गया है। यह आडिट ब्यूरो स्वीडन का नेशनल ब्यूरो है। स्वतंत्र संस्था है। उसकी रिपोर्ट के बाद अलग समिति बनाने की जरूरत क्या थी?

जांच समिति आंच नहीं जगा सकी

महोदया, इस रिपोर्ट से यह सिद्ध हो गया है कि जांच समिति कुछ नहीं कर सकी है। एक कहावत है, "खोदा पहाड़ निकली चुहिया।" यहां तो चुहिया भी नहीं निकली, क्योंकि पहाड़ खोदा ही नहीं गया। पहाड़ की परिक्रमा मात्र करके प्रतिवेदन दे दिया गया।

महोदया, समिति के अध्यक्ष हैं—श्री शंकरानंद। मुझे एक पौराणिक कथा याद आती है। भगवान शंकर के दो पुत्र थे—एक कार्तिकेय और दूसरे गणेश। दोनों में होड़ लगी कि पिता का अधिक भक्त कौन है? उम्र में भले ही छोटा-बड़ा हो, लेकिन कुशाग्र बुद्धि कौन है। तय हुआ कि इसके लिए एक प्रतियोगिता होनी चाहिए। जो विश्व की परिक्रमा करके पहले वापस लौटेगा वह अधिक बड़ा होगा, अधिक श्रेष्ठ होगा। कार्तिकेय यह तय होते ही विश्व की परिक्रमा करने निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि हम विश्व की परिक्रमा करके अभी वापस आते हैं। गणेश जी ने परिक्रमा नहीं की। वे तो लंबोदर गजबदन ठहरे, विश्व की परिक्रमा का परिश्रम कैसे उठाते। मगर

दिमाग उनका बहुत तेज, कुशाग्र बुद्धि। कार्तिकेय घूम रहे थे। गणेश जी ने सोचा उन्हें घूमने दो, मैं तो शिव की परिक्रमा करके यह दावा कर दूंगा कि शिव में ही जब तीनों लोक व्याप्त हैं, तो खाली पृथ्वी की परिक्रमा का क्या महत्व है? मैंने तीनों लोक की परिक्रमा कर ली, यह हो जाएगा।

महोदया, बोफोर्स के आरोपों के पहाड़ की जब चर्चा हो रही थी और कार्तिकेय की तरह से जेठमलानी, जसवंत सिंह, अरुण शौरी, जार्ज फर्नांडिस, श्री इंद्रजीत विश्व की परिक्रमा कर रहे थे तो शंकरानंद ने सोचा कि पहाड़ की परिक्रमा करो और प्रतिवेदन दो।

महोदया, ३० सदस्यों की समिति, ४० से ज्यादा बैठकें, २०० घंटों की कार्यवाही, ५०० फाइलों की जांच-पड़ताल—कितना परिश्रम, कितना कष्ट, मगर परिणाम क्या! परिणाम क्यों नहीं निकला, इस सवाल पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। परिणाम नहीं निकला या संसदीय समिति परिणाम नहीं निकालना चाहती थी।

मुझे खेद है कि जांच समिति ने आवश्यकता से अधिक समय यह सिद्ध करने में लगा दिया कि तोप, बोफोर्स की तोप, अच्छी है। मान लिया कि तोप अच्छी है, तो क्या उसके साथ जो गोलमाल हुआ है, वह भी अच्छा है? असली सवाल तोप का नहीं है। नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट के बाद एक ही सवाल था कि बोफोर्स ने ६४ करोड़ रुपए की धनराशि किसको दी है? लेकिन समिति ने इसका जवाब ढूंढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय यह बताने पर वक्त लगाया कि बोफोर्स की तोप की मार ज्यादा है। हम जानते हैं मार ज्यादा है, तोप स्वीडन में चलती है, धमाका हिंदुस्तान में सुनाई देता है, तोप राजस्थान की सीमा पर दागी जाती है और दिल्ली दहल जाती है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब बोफोर्स के साथ समझौता हुआ तो उसका अपना एम्यूनिशन बनाने का प्रबंध नहीं था। इटली की एक कंपनी सैमेल को लाने की बात हो रही थी, और इस दृष्टि से फ्रेंच तोप बेहतर थी।

मैं पुराने सेनाध्यक्ष सुंदरजी को विवाद में लपेटना नहीं चाहता। उन्हें अपनी राय बदलने का अधिकार है। वे १५ दिन के भीतर भी अपनी राय बदल सकते हैं। अगर परिवेश बदलता है तो राय बदली जा सकती है। लेकिन अब बात कही जा रही है कि पाकिस्तान के पास राडार आ गया था। क्या यह राडार अमरीका का कोई नया आविष्कार है? क्या वह राडार पहले उपयोग में नहीं था? क्या पाकिस्तान और अमरीका के जो संबंध हैं, इसका अनुमान नहीं था? क्या दूरदृष्टि से इसका विचार नहीं किया जा सकता था? क्या फ्रेंच कंपनी से कहा गया कि नई परिस्थिति पैदा हो गई है, इसका आप तोड़ कैसे निकालेंगे? स्पष्ट है कि सरकार ने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया।

महोदया, यह कहा जाता है कि अगर बोफोर्स का करार रद्द कर दिया जाता तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरी निश्चित जानकारी है कि रक्षा मंत्रालय ने यह राय दी थी कि अगर सौदा रद्द कर दिया जाए तो सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ेगी; हां, ६-८ महीने के लिए हमें अपना प्रोग्राम बदलना पड़ेगा।

रक्षा मंत्रालय की यह राय रही है। यह राय मौखिक ही नहीं दी थी, यह राय रक्षा मंत्रालय ने लिखकर दी थी। लेकिन इस राय को अनसुना कर दिया गया, मगर क्यों?

बोफोर्स से सच्चाई उगलवाने का एक ही तरीका था। उससे कह दिया जाता कि तुमने समझौते की शर्तों को तोड़ा है, तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का ६४ करोड़ रुपया किसने डकारा है, तुम्हें उगलना होगा। अगर नहीं उगलोगे तो करार रद्द कर दिया जाएगा। मैं देख रहा हूं कि रक्षा मंत्रालय बोफोर्स से कड़े शब्दों में बात करता रहा है। जब वोहरा और

बनर्जी मिले, ये रक्षा मंत्रालय के ऑफीसर्स हैं, तो बोफोर्स के अधिकारियों से कड़े शब्दों में बात की गई थी। इस रिपोर्ट में रक्षा मंत्रालय की जिन चिट्ठियों का हवाला दिया गया है, उनसे भी ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्रालय सच्चाई जानना चाहता है, रक्षा मंत्रालय समझ रहा है कि जांच में कठिनाई क्या है। मैं रिपोर्ट से उद्धृत करना चाहता हूं। विदेश मंत्रालय का भी रवैया ऊपर से दृढ़ है। २१ अगस्त को इंडियन एंबेसेडर जो स्वीडन में हैं, उनका ऐडमैमायर है :

"स्वीडिश अधिकारी के वक्तव्य की जो गंभीरता बताई जा रही है, उसके दृष्टिगत स्वीडन की सरकार से आगे समय गंवाए बिना स्वीडिश नेशनल आडिट ब्यूरो की पूर्ण रिपोर्ट, उन हिस्सों सहित जिन्हें अब तक भारत सरकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है, देने का अनुरोध किया गया है। यह जानकारी संयुक्त संसदीय समिति के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जो भारतीय संसद द्वारा मामले की जांच के लिए गठित की जा रही है।"

कागज पर सरकार यह दिखाती है कि रक्षा मंत्रालय ने तो बड़ी कठोर बातें कही हैं। मैं पढ़ रहा था भटनागर की गवाही। भटनागर ने एक स्टेज पर कहा था कि हम बोफोर्स को धमकी देने लगे हैं कि सच्चाई बताओ। मगर बोफोर्स ने रक्षा मंत्रालय की धमकी नहीं सुनी। रक्षा मंत्रालय ने जिन सवालों को बोफोर्स से पूछा था, बोफोर्स ने उनका जवाब नहीं दिया। रक्षा मंत्रालय की धमकी से पड़ोसी देश विचलित हो जाते हैं, महाशक्तियां फिर से मामले पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती हैं। यह महान देश का रक्षा मंत्रालय है, यह बोफोर्स को धमकी है और बोफोर्स उसकी उपेक्षा करके चला जाए?

बोफोर्स पर हमने एहसान किया है

महोदया, बोफोर्स दुकानदार है, हम खरीदार हैं। बोफोर्स विक्रेता है, हम ग्राहक हैं। हमने बोफोर्स पर एहसान किया है १७०० करोड़ का रक्षा का सौदा करके। वह आयुध निर्माण कारखाना बंद हो रहा था, बस्तियों में मातम मचा था, उन्हें कांट्रैक्ट की जरूरत थी, हम लोगों ने उनको कांट्रैक्ट दिया। उन पर उपकार किया और उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, धोखाधड़ी की। हम उन पर दबाव नहीं डाल सके, क्यों नहीं डाल सके? मेरा आरोप है कि बोफोर्स का एक संपर्क था, रक्षा मंत्रालय से संपर्क था, स्वीडन में हमारे राजदूत से संपर्क था, वहीं कहीं न कहीं नई दिल्ली में बोफोर्स का कोई अदृश्य संपर्क था और जब-जब बोफोर्स मुसीबत में होता था, कोई उसकी पीठ थपथपाने निकल आता था कि चिंता मत करो, पट्ठे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा वरद हस्त तुम्हारे ऊपर है। कोई मुझसे यह नहीं पूछ रहा है कि अदृश्य संपर्क कौन सा था। क्या बोफोर्स का रवैया इस महान देश की प्रतिष्ठा के अनुकूल है? (घंटी) अभी तो गोला-बारूद इकट्ठा हो रहा है। अभी तोप को मार करने की स्थिति में तो आने दीजिए। इन्हें धराशायी करना है।

रक्षा मंत्री श्री के.सी. पंत : आपको एतराज तो नहीं है?

श्री वाजपेयी : हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये अफसर जो बोफोर्स की तोप को अच्छी बता रहे हैं वे यह भी कह रहे हैं कि तोप अच्छी है, लेकिन कमीशन भी लंबा दिया गया है। आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं।

महोदया, आडिट रिपोर्ट के बाद जैसा मैंने उल्लेख किया, ६४ करोड़ दिए गए, यह बात सिद्ध हो गई है। पहले कहा जाता था नो पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं की गई है। जब यह बात सामने आ गई कि पेमेंट की गई तो कहा जाने लगा कि पेमेंट की गई है, लेकिन मिडिल मैन कोई नहीं है।

आज सवेरे यह सवाल उठा था, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता कि मिडिल मैन की व्याख्या क्या है? मैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के ऐसे अनेक वक्तव्य बता सकता हूं जिनमें मिडिल मैन, एजेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव्स इन तीनों शब्दों का एक ही सांस में और एक ही साथ उपयोग हुआ है। अटार्नी जनरल भले ही एक संकीर्ण कानूनी व्याख्या अपनाएं, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कहा था, सत्ता संभालने के बाद कहा था कि अब सुरक्षा के सौदों में कोई मिडिल मैन नहीं होगा, क्या नीयत साफ थी? मिडिल मैन नहीं होगा, एजेंट नहीं होगा, लेकिन क्या कोई इन्कार कर सकता है कि एजेंट नहीं है। यह बात अलग है कि एजेंट कौन है, पता नहीं है। तीन कंपनियों के नाम दे दिए गए। लेकिन इन कंपनियों का पता नहीं बताया। कौन चला रहा है, कर्ता-धर्ता कौन है, इस पर प्रकाश नहीं डाला गया। इसका पता लगाने के लिए भारत की जांच करनेवाली तीन एजेंसियों को मैदान में लाया गया। कुमार कहां गए, कात्रे कहां गए, दूसरे कुमार कहां गए, तीसरे कुमार कहां गए? विश्व-भ्रमण करने गए मगर खाली हाथ लौट आए।

पनामा में दो कंपनियां हैं जिसमें तीन महिलाएं हैं, जिन्हें बोफोर्स से कोई लेना-देना नहीं है। वे कंसलटेंसी तो दे ही नहीं सकतीं। पता नहीं उनके साथ करार भी हुआ या नहीं। मैंने कहा था बोफोर्स इस तरह कंपनियों के नाम बताकर छूट जाएगा। एक कंपनी जरूर ए.ई. एंड ई. सर्विस की है। यह कंपनी किसकी है? यह लंदन में स्थित है। क्या स्वराज पाल से इसका कोई संबंध है? क्या यह सच है कि जब यह तय हो गया था कि मिडिल मैन नहीं होगा, एजेंट नहीं होगा और जब यह अक्तूबर में तय हो गया था, उसके बाद भी बोफोर्स ने इस कंपनी के साथ समझौता कर लिया। फिर तीन महीने में समझौता समेट लिया गया। १० करोड़ रुपए दे दिए। १० करोड़ रुपए कोई मामूली रकम नहीं होती। अगर १० करोड़ रुपए तिवारी जी को मिल जाते तो कुटीर-कुटीर में ज्योति जगा देते। रेगिस्तान में, शायद बड़े रेगिस्तान में, जलधारा प्रवाहित कर देते। मगर एक कंपनी १० करोड़ ले गई।

महोदया, यह विचित्र बात है। प्रधानमंत्री सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कि कोई मिडिल मैन नहीं होगा, यह बात बोफोर्स को बता दी गई और यह बात अक्तूबर तक उन तक पहुंच भी गई। लेकिन फिर भी एजेंट कायम रहे। इसका सबूत मिला इस संयुक्त कमेटी की रिपोर्ट में। रक्षा सचिव श्री भटनागर बड़े जोर से बखान कर रहे थे कि हम तोपों के दाम घटाने में सफल हुए। इसके लिए वे समिति का साधुवाद चाहते होंगे। लेकिन इस बड़ाई को बखानते हुए उन्होंने जो कुछ कहा, वह चौंकानेवाला है। उनका कहना है, मैं उद्धृत कर रहा हूं :

"बोफोर्स ने १० फरवरी को १६२० करोड़ रुपए मूल्य उद्धृत किए और २१ मार्च को कीमतें कम करके १४२७ करोड़ रुपए कर दिया, जिसका अर्थ है कि एक महीने और दस दिन की अवधि में लगभग २०० करोड़ रुपए की कमी हुई।"

एक महीने दस दिन के भीतर बोफोर्स की तोपों की कीमत दो सौ करोड़ कम हो गई। अब पहले जो कीमतें बताई गईं उनके बारे में क्या यह विचार किया जाए कि वे कितनी अनाप-शनाप थीं? लेकिन एक चमत्कार हो गया। एक महीने दस दिन के अंदर यह चमत्कार क्यों हुआ, इस पर भी भटनागर ने जो प्रकाश डाला है, वह सचमुच में देखने लायक है।

"प्रतियोगिता की तीव्रता ऐसी थी।"

ठीक है, कंपटीशन का लाभ उठाया गया, इस पर आपत्ति नहीं है। आगे श्री भटनागर कहते हैं :

"बातचीत के परिणामस्वरूप और एजेंटों को हटाने जैसी नई शर्तों के परिणामस्वरूप मूल्यों में भारी और अप्रत्याशित कमी आई है।"

बातचीत के परिणामस्वरूप और एजेंटों को हटाने जैसी नई शर्तों के परिणामस्वरूप!

२१ मार्च तक यानी १० फरवरी से २१ मार्च तक दो सौ करोड़ रुपए दाम घट गए और वे इसलिए घटे की नई शर्तें लगाई गई! नई शर्त थी इलीमिनेशन ऑफ एजेंट्स। क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले एजेंट्स थे, २१ मार्च तक एजेंट्स थे। कौन थे एजेंट्स, क्या उनके नाम संयुक्त समिति को बताए गए? हम चाहते हैं कि रक्षा मंत्री उनके नामों पर प्रकाश डालें। रक्षा सचिव ने मान लिया कि एजेंट्स थे, २१ मार्च तक थे। वे कौन थे? और जब दिसंबर में दोनों देशों, स्वीडन और भारत के प्रधानमंत्रियों के बीच में यह तय किया गया कि कोई मिडिल मैन नहीं होगा, एजेंट नहीं होगा तो यह जो २१ मार्च तक एजेंट्स थे, क्या यह सरकार की नीति का खुला उल्लंघन नहीं है? मैं चाहता हूं कि रक्षा मंत्री इस पर प्रकाश डालें कि रक्षा-सौदे में कोई एजेंट नहीं होगा, कोई बिचौलिया नहीं होगा, यह सत्ता संभालने के बाद, प्रधानमंत्री ने वह जो घोषणा की थी, इसके पीछे मुख्य प्रेरक तत्व क्या थे? क्या प्रधानमंत्री के सामने कुछ तथ्य आए थे, जिनसे उन्हें लगा कि रक्षा के सौदों में भारी धांधली हो रही है, इसलिए मिडिल मैन को, बिचौलियों को इन सौदों से अलग करना पड़ेगा, क्या यह सच है कि उससे पहले पश्चिम जर्मनी से जो पनडुब्बियां खरीदी गई थीं, उनमें दलाली और गोलमाल के समाचार निकले थे और उनसे प्रधानमंत्री चिंतित थे? लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने नीति बना दी, मगर उस पर अमल नहीं करा सके। आज भी एजेंट काम कर रहे हैं।

मार्कोनी ग्रुप की भूमिका क्या थी?

उस दिन मैंने मार्कोनी ग्रुप के बारे में प्रश्न किया था और रक्षा मंत्री जी ने जवाब दिया कि कोई एजेंट और बिचौलिए नहीं हैं। मैं दस्तावेज देना चाहता हूं और साबित कर सकता हूं कि मारकोनी ग्रुप का बिचौलिया है। कल कहेंगे कि मिडिल मैन का क्या मतलब है। क्या मतलब है मिडिल मैन का, इसी को जानने के लिए हम अटार्नी जनरल को बुलाना चाहते हैं। शब्दों के सही अर्थ निकाले जाने चाहिए। अर्थ ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट और सही हो, तभी यह बात सिद्ध हो सकती है कि कोई गोलमाल नहीं हुआ है, यह समिति इसको सिद्ध नहीं कर सकी।

महोदया, १७ अप्रैल, १९८७ को स्वीडिश रेडियो ने वह रहस्योद्घाटन किया था कि बोफोर्स सौदे में धन इधर से उधर हुआ है और ठेका लेने के लिए प्रमुख भारतीय राजनेताओं और सेना से संबंधित व्यक्तियों को रिश्वत दी गई है। अगर उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री संसद के सामने आकर, देश की जनता के सामने आकर यह कह देते कि हमारी नीति इस तरह के सौदों में किसी बिचौलिए को शामिल करने की नहीं है और यह जो रेडियो ने घोषणा की है यह गंभीर घोषणा है, इसने हमें चिंतित कर दिया है, हम सच्चाई का पता लगाएंगे, लेकिन यह नहीं कहा गया। यह कहा गया कि जो रेडियो का ब्राडकास्ट है वह फाल्स है, मिस्चीवियस है, बेसलैस है। बिना जांच के यह भी कह दिया गया कि यह भारत की सरकार को अस्थिर करने, डिस्टेबलाइज करने, डिग्रेड करने का एक षडयंत्र है। एक महान देश की शक्तिशाली सरकार, जो जनता के वोट से चुनी गई है, वह एक रेडियो के ब्राडकास्ट से डिस्टेबलाइज हो सकती है, इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों प्रकट की गई? उस दिन हमें लगा कि दाल में कुछ काला है। अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरी

दाल ही काली है।

इसके बाद २४ अप्रैल को बोफोर्स ने स्टाकहोम में हमारे राजदूत को एक पत्र दिया। उन्होंने मान लिया कि रुपया दिया गया है, उन्होंने मान लिया कि धन दिया गया है, उन्होंने मान लिया कि एक स्विस कंपनी इसमें शामिल है। वह आडिट रिपोर्ट आने से पहले की बात है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री कुछ बड़े कमांडरों की मीटिंग में गए और कहा कि मिडिल मैन नहीं है, कोई पेमेंट नहीं हुआ। क्या प्रधानमंत्री को एंबेसडर को दी गई बोफोर्स की रिपोर्ट का पता नहीं था? पता था तो उन्होंने इस तरह का बयान, इस तरह का भाषण कैसे दे दिया है? लेकिन यह बात लगातार कही जाती रही है, जिससे संदेह और मजबूत हुआ।

मार्टिन एडवो की टेपांकित स्वीकारोक्ति

महोदया, मुझे खेद है कि कमेटी ने स्टाकहोम में हमारे राजदूत श्री ओझा को गवाही के लिए नहीं बुलाया। मार्टिन एडवो का एक टेप मैंने सुना है, जिसमें मार्टिन एडवो कह रहे हैं कि सौदे के सिलसिले में मैं कई बार भारत गया और भारत के प्रधानमंत्री से मिला। उन्होंने एक बात और कही है कि मैं भारत से पाकिस्तान जाता था, क्योंकि मैं पाकिस्तान में एक कंपनी का डायरेक्टर हूं। पाकिस्तान के खिलाफ उसकी तैयारी को ध्यान में रखकर हम तोपें खरीद रहे हैं और तोपें खरीद रहे हैं उस बोफोर्स से जिसका कर्ताधर्ता पाकिस्तान में कंपनी का डायरेक्टर था। यह बात वह स्वयं कहता है, इसका टेप मैं सुना सकता हूं। क्या मार्टिन एडवो को बुलाने की जरूरत नहीं थी? क्या समिति के सामने प्रधानमंत्री को नहीं आना चाहिए था? जब स्वीडन के प्रधानमंत्री वहां की संसदीय समिति के सामने आ सकते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ सकते? मेरे मित्र अरुण सिंह को नहीं बुलाया...

अभी तक मेरे लिए यह रहस्य है, श्री अरुण सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया, उनकी योग्यता का मंत्री व्यक्तिगत कारण बताकर मंत्रि-परिषद से चला जाए यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती है और ऐसे मौके पर चला जाए जब उनके मित्र की नैया डांवाडोल थी। भ्रष्टाचार के आरोपों की जब-जब हिंदुस्तान में बौछार पड़ी, जब-जब बौछार बढ़ी, जब-जब स्वीडन से नए तथ्य सामने आए तो लीपापोती की प्रक्रिया शुरू हो गई। संसदीय समिति का गठन भी उसी के अंतर्गत हुआ। मामला सौंप दो संसदीय समिति को, यह महीनों तक जूझते रहेंगे। तूफान शांत हो जाएगा, मुंह पर ताले लग जाएंगे। लेकिन समिति बनाई गई थी तो समिति को सबको बुलाना चाहिए था। समिति की रिपोर्ट में लिखा गया है—हमने यह कह दिया था जिसको आना हो आए, कोई नहीं आया तो हमारी क्या गलती है? क्या संसदीय समितियां इस तरह से काम करती हैं? क्या पब्लिक नोटिस नहीं दिया जा सकता था? आपको केवल तथ्यों का पता लगाना था और आप तथ्यों का पता लगाने में सचमुच में रुचि रखते हैं, यह देश की जनता के गले के नीचे उतारना था। समिति इसमें भी विफल हुई है।

महोदया, समिति ने यह निष्कर्ष कैसे निकाला कि रुपए दिए गए। यह तो वह मानते हैं, लेकिन भारतीयों को नहीं दिए गए, न निवासी भारतीय को दिए गए, न प्रवासी भारतीयों को दिए गए। जब आपको मालूम ही नहीं है किसको दिए गए, तो किसको नहीं दिए गए, यह आपने कैसे पता लगा लिया?

उपसभाध्यक्ष महोदय, शंकरानंद जी बड़े विद्वान हैं, वेदों में ब्रह्म की व्याख्या यह कहकर की

गई है कि ब्रह्म वह नहीं है, यह नहीं है, नेति-नेति। लगता है कि शंकरानंद जी ब्रह्मज्ञानी हो गए हैं। भारतीय नहीं हैं, रेजीडेंट इंडियन नहीं हैं, फिर कौन हैं, यह हम नहीं जानते, यहां पर वह ब्रह्मज्ञानी नही रहते। वह मायाजाल में फंस जाते हैं।

मुझे तो दुख है, कमीशन लिया जाए, कमीशन दिया जाए, ६४ करोड़ की भारी रकम इधर से उधर हो जाए और कोई भारतीय उनका लाभ न उठाए, इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कमीशन लेना और देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कौन तीसरा आकर हमारे अधिकार पर डाका डालकर ६४ करोड़ की रकम लेकर चला गया। उसे पकड़ना जरूरी है। पकड़ेगा कौन? कोतवाल कहता है सबूत लाओ। नेशनल आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट सबूत नहीं है क्या? बोफोर्स जिस तरह से अपना स्टैंड बदलता रहा है, क्या वह प्रमाण नहीं है? हम सबूत कहां से लाएं। सरकार को पता लगाना है। कोतवाल घरवालों से यह नहीं कह सकता है कि हत्या हुई है यह तो मैं मानता हूं मगर सबूत तुम लाओ, और सरकार यही कह रही है। प्रधानमंत्री ने यही कहा। एक स्टेज पर तो उन्होंने कहा कि एवीडेंस की भी जरूरत नहीं है, खाली प्रूफ लाओ। प्रूफ हैं बोफोर्स के पास। आडिट ब्यूरो की रिपोर्ट के रूप में एक सबूत तो आया था। मैंने 'हिंदू' में प्रकाशित दस्तावेजों का उल्लेख किया है। यह 'पिटको' कौन है? यह 'पिटको' कब प्रकट हुई? इसके कितने अवतार हुए? पिटको का और हिंदुजा की कंपनी संगम का मामला क्या है—बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं...

उपसभाध्यक्ष महोदय, हिंदुजा कहते हैं कि ये दस्तावेज जाली हैं। अगर दस्तावेज जाली हैं तो फिर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। हम संयुक्त समिति से तो नहीं, हम तो रक्षा मंत्री से पूछेंगे कि ये जो 'हिंदू' ने दस्तावेज प्रकाशित किए हैं, जो फोटो कापियां हैं, उनके बारे में सरकार की क्या राय है? क्या इस मामले में 'हिंदू' से बात की गई? क्या इस मामले में हिंदुजा से बात की गई?

मैंने पढ़ा है, शायद सही हो, गलत तो नहीं होगा कि रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर मान लीजिए सही है, तो ज्यादा से ज्यादा यही साबित हुआ कि हिंदुजा और बोफोर्स का संबंध है। महोदय, दस्तावेज हिंदुजा और बोफोर्स का संबंध स्थापित करते हैं। हिंदुजा का और बच्चन का संबंध पहले से स्थापित है। बच्चन प्रधानमंत्री के मित्र हैं, इस तथ्य को कोई नहीं झुठला सकता। अब उसमें एक और कड़ी जुड रही है। स्वीडन में जो हमारे नए राजदूत भेजे जा रहे हैं, बड़ा सोच-समझकर उनका चयन किया गया। ये बच्चन परिवार के बचपन से मित्र हैं। सरकार को डर है कि पता नहीं स्वीडन से क्या निकल आएगा, कब निकल आएगा। स्वीडन के अफसर क्या कहते हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पब्लिक प्रोसीक्यूटर ने कहा कि हम सच्चाई पता नहीं लगा सके, क्योंकि भारत सरकार और स्वीडन सरकार ने हमारा सहयोग नहीं किया।

यह मत समझिए कि इस रिपोर्ट के बाद तोपों का मामला ठंडा हो गया। ये तोपें गरम रहेंगी। ये तोपें तब तक गरम रहेंगी जब तक अपराधियों को बेनकाब नहीं किया जाएगा। सच्चाई की खोज का काम चलेगा। सरकार की विश्वसनीयता कम हो गई है, यह बड़े दुख की बात है। एक संसदीय समिति लोगों की नजरों में गिर, गई यह हमको पीड़ा पहुंचानेवाली बात है। लेकिन याद रखिए, यह मामला दबेगा नहीं। अंततोगत्वा सत्य की जीत होगी—'सत्यमेव जयते, नानृतम।' धन्यवाद।

पनडुब्बी जांच का क्या हुआ?

महोदया, ११ मार्च, १९८७ को उस समय के रक्षा मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, पश्चिमी जर्मनी से खरीदी हुई पनडुब्बियों में जो ३० करोड़ की दलाली की सूचना मिली थी, उसकी जांच का आदेश डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट को दिया था। पिछले दिनों संसद में एक सवाल हुआ था, जिसके जवाब में बताया गया कि डायरेक्टोरेट ने यह जांच पूरी कर ली है, लेकिन उस रिपोर्ट के बारे में सदन को अभी तक विश्वास में नहीं लिया गया। बात केवल डायरेक्टोरेट के जांच की नहीं है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेज को भी उस जांच से संबद्ध किया जाएगा, यह उस समय के रक्षा मंत्री श्री अरुण सिंह ने घोषित किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि डिफेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वह इस बात का भी विचार करेगी कि किस तरह से ठेके के काम में एजेंट चाहे विदेशी हों, चाहे भारतीय हों, सक्रिय हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि इकोनोमिक इंटेलीजेंस ब्यूरो को भी इस जांच के साथ जोड़ा जाएगा।

अभी जो उत्तर दिए गए हैं, खेद का विषय है कि वह अतारांकित प्रश्न था, उन पर प्रश्न नहीं पूछे जा सकते थे। उनसे यह पता नहीं चलता कि जो जांच की गई है, जिस तरह की व्यापक जांच के बारे में आश्वस्त किया गया था, क्या वह उस तरह की जांच है? दूसरी बात, जैसा मैंने कहा, ११ मार्च, १९८७ को जांच का आदेश दिया गया था। यह एक विभागीय जांच है और रक्षा सचिव इस जांच को कर रहे हैं। हमारा यह सुझाव कि पनडुब्बियों की डील के मामले को भी पार्लियामेंट की संयुक्त समिति को सौंप दिया जाए, स्वीकार नहीं किया गया। यह कहा गया कि पहले रक्षा सचिव की जांच से अवगत हो जाया जाए, उसके बाद इस बारे में फैसला करेंगे। लेकिन इस बारे में भी संसद को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। रिपोर्ट कब मिली, इसका पता नहीं है। सरकार ने जैसे-तैसे माना है कि रिपोर्ट मिली है। हम जानना चाहते हैं कि रिपोर्ट सदन के सामने और संसद के सामने कब रखी जाएगी और हम यह भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की जांच का आदेश दिया गया था, क्या सचमुच में उसी तरह की जांच हुई है? धन्यवाद।

** पनडुब्बी-खरीद घोटाले पर राज्यसभा में ३० मार्च, १९८८ को चर्चा में हिस्सेदारी।*

पनडुब्बियों की खरीद और बिचौलिए

वित्त एवं वाणिज्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने विपक्ष के प्रतिष्ठित नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को आदर सहित नोट कर लिया है। एच.डी.डब्ल्यू. पनडुब्बियों के सौदे पर हिंदू में प्रकाशित फोटोस्टेट कापी का उल्लेख है और यह रक्षा सचिव द्वारा एच.डी.डब्ल्यू. के चेयरमैन के जवाब से संबंधित है। यह सही है कि एक अन्य दिन मेरे सम्मानीय सहयोगी श्री गढ़वी ने एक सवाल का जवाब दिया था कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और अंतिम सवाल था कि मामले की छानबीन के लिए उनके पास पर्याप्त और सक्षम अधिकारी नहीं हैं और (सी) भाग में श्री आडवाणी ने उल्लेख किया था। इस बात का उल्लेख किया गया था कि सरकार को दी गई जानकारी गलत है और शायद गलतफहमी का नतीजा है। अब, जवाब की अंतिम लाइन है कि : इस मुद्दे पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की सरकार से बातचीत चल रही है। अब श्री आडवाणी ने कहा है कि ग्लोबटेक के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया। मैं निश्चित रूप से मामले की जांच करूंगा, क्योंकि मेरे पास अभी जानकारी नहीं है और मैं निश्चित रूप से जांच करूंगा कि यह पत्र-व्यवहार हुआ था या नहीं। मैं पीछे जाऊंगा और निश्चित रूप से फाइल देखूंगा और यदि जवाब में किसी सुधार की जरूरत हुई तो···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह सवाल को करेक्ट करने का मामला नहीं है। आपने सदन को अंधेरे में रखा है। आपने तथ्यों को छिपाया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मुद्दा है कि मेरे पास अभी तथ्य नहीं हैं। मैं कथित रूप से लिखे गए पत्र के बारे में नहीं जानता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, मैं फाइल देखूंगा कि सवाल में किसी सुधार की जरूरत है या नहीं···

.मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहूंगा, मैं बड़े आदर के साथ सारी बातों को सुनता रहा हूं। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मैं तो संसदीय स्वभाव का आदी हूं। मैं आग्रह करूंगा, जो भी कहें कृपया शांति से कहें और मुझे विश्वास है उनकी संसदीय वृत्ति पर। अगर उसमें कोई बात जानबूझ कर के नहीं···

श्री वाजपेयी : यह भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हमें संसदीय आचरण का पाठ पढ़ा रहे हैं।

---

* *पनडुब्बी-खरीद घोटाले पर राज्यसभा में ३१ अगस्त, १९८७ को वाद-विवाद।*

श्री नारायण दत्त तिवारी : जितनी आपको चिंता है भ्रष्टाचार की, उतनी हमें भी है।

श्री वाजपेयी : आपको उतनी चिंता नहीं है। महोदया, मुझे अफसोस है कि मुझे गुस्सा आ गया था। वह गुस्सा तिवारी जी के खिलाफ नहीं था। लेकिन तिवारी जी ने कहा कि सवाल के जवाब को करेक्ट कर दूंगा। यह मामला अगर इतना सरल होता तो इतनी उत्तेजना की आवश्यकता नहीं थी। संसदीय समिति के लिए जब प्रश्न सदन में विचाराधीन था तो उस समय भी हमने कहा था कि सबमेरीन के मामले संसदीय समिति को जांच के लिए सौंप दो। अब पता लगा कि क्यों नहीं सौंपा गया।

महोदया, यह मामला तथ्यों को दबाने का है। यह मामला है पनडुब्बियों की खरीद में बिचौलिए होने का और सरकार यह दावा करती रही है कि पनडुब्बियों की खरीद में कोई बिचौलिया नहीं था। यह साबित हो गया कि बिचौलिया था। पूरी सरकार की प्रामाणिकता पर प्रश्नचिह्न लग गया है, सवाल को सही करने का यह मामला नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं सम्मानित वाजपेयी जी का अत्यंत अनुगृहीत हूं कि वे अपनी संसदीय वृत्ति पर वापस लौट आए। और उनसे यह अपेक्षा भी थी। सम्मानित वाजपेयी जी को यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि इस सदन की परिपाटी है, यह २७ अगस्त का प्रश्न है, अगर प्रश्न में कोई सूचना अधूरी रह जाती है तो उसको सही करने का अधिकार संसद को हमेशा रहा है। इसमें मैं विश्वास करता, दिलाता हूं कि हमारा तनिक भी अभिप्राय नहीं है किसी प्रकार की जानकारी को दबाने का, न इसका कोई प्रश्न है। प्रश्न यह है कि हमारा जो इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उसको दो-तीन कार्य जांच के लिए दिए गए, उनको इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कर रहा है।

बोफोर्स : ब्रेडिन ने क्या बताया?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने हमें रक्षामंत्री श्री शिवराज पाटिल द्वारा १४ अगस्त १९८७ को सदन में दिये गये बयान के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया। १४ अगस्त का श्री शिवराज पाटिल का बयान १२ अगस्त को उन्होंने सदन में जो कुछ कहा, उसमें हुई भूल सुधार के लिए था—करेक्टिंग द रिप्लाई। श्री शिवराज पाटिल को कब पता लगा कि १२ तारीख को उनसे गलतबयानी हुई है? उन्हें यह अनुभूति कब हुई कि उनसे बड़ी भारी भूल हो गई है, ऐसी भूल जिसका परिमार्जन करने के लिए उन्हें १४ अगस्त को, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर, राज्यसभा में अचानक प्रकट होना पड़ा और सदन की बैठक जो ५ बजे समाप्त हो जानी चाहिए, उसको उनके वक्तव्य के लिए लंबा किया गया। ५ बजकर दो मिनट पर उन्होंने जवाब दिया और तीन मिनट पर बैठक स्थगित कर दी गई, जिससे किसी सदस्य को स्पष्टीकरण मांगने का मौका नहीं मिला।

आखिर जब श्री शिवराज पाटिल १२ तारीख को सदन में बोल रहे थे, तब उनके वरिष्ठ सहयोगी श्री कृष्णचंद्र पंत यहां मौजूद थे। अगर श्री पाटिल से कोई भूल हो रही थी तो पंत जी इशारा कर सकते थे, उसका तत्काल परिमार्जन हो सकता था। मगर पंत जी भी समझ रहे थे कि कोई भूल नहीं हो रही है, श्री पाटिल जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। १२ तारीख के बाद १३ तारीख को सदन की बैठक हुई थी। श्री पाटिल १३ तारीख को सदन में नहीं आए, १४ तारीख को भी १२ बजे तक नहीं आए, प्रश्नकाल के बाद नहीं आए, ५ बजे आए। इसका क्या रहस्य है?

पहला सवाल मेरा यह है कि यह उन्हें कब पता लगा कि उनसे भूल हो गई है? सचमुच कोई भूल नहीं हुई। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा है कि "१२ अगस्त, १९८७ के मेरे वक्तव्य के संबंध में लगता है कि कुछ क्षेत्रों में कुछ गलफहमी पैदा की गई है।"

सम क्वार्टर्स, सम मिस-अंडरस्टैंडिंग। क्या गलतफहमी है? किसके मन में गलतफहमी है।

श्री अरविंद गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र) : आप भी विदेश मंत्री रहे हैं। आप भी बोलते होंगे। यह डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है।

** बोफोर्स तोप-खरीद घोटाले पर राज्यसभा में २० अगस्त, १९८७ को वाद-विवाद।*

श्री वाजपेयी : १२ तारीख को बयान बिल्कुल स्पष्ट था, दो-टूक था। उससे किसी प्रकार का भ्रम पैदा होने की गुंजाइश नहीं थी। मैं उद्धृत करना चाहता हूं। यहां चर्चा हो रही थी। यह प्रश्न पूछे जा रहे थे कि बोफोर्स के श्री ब्रेडिन जब भारत आये तो क्या हुआ। श्री पाटिल ने पहली बार माना कि बोफोर्स का एक प्रतिनिधि मंडल आया था। श्री पाटिल ने यह भी माना कि उस प्रतिनिधि मंडल से बातचीत हुई थी। श्री पाटिल ने यह भी स्वीकार किया कि वह जानकारी देने को तैयार था। लेकिन श्री पाटिल ने कहा कि हमने प्रतिनिधि से कहा कि हमें जबानी जानकारी नहीं चाहिए, हमें लिखित जानकारी चाहिए। मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं—

"हमने कहा हमें लिखित में जानकारी दो और यदि आप लिखित में जानकारी नहीं देने जा रहे, तो हम जानकारी नहीं चाहते, जो हमारे लिए समस्या खड़ी कर सकता है।"

मैं मानता हूं कि श्री पाटिल का इसमें लक्ष्य केवल कांग्रेस पार्टी से नहीं था, सरकार से नहीं था। वह शायद यह कह रहे थे कि इससे सारा देश मुसीबत में फंस जाएगा। इसलिए श्री पाटिल ने कहा—जबानी जमा-खर्च से काम नहीं होगा, लिखकर लाइए।

महोदय, अभी कुलकर्णी जी कूटनीतिक क्षेत्र की बात कर रहे थे। क्या यह परंपरा नहीं है कि अगर विदेशों से और विदेशियों से बात हो तो बात जबानी भी होती है और बाद में लिखकर उसकी पुष्टि की जा सकती है। विदेशियों से बात करते समय हर चीज लिखकर ही होती है, ऐसा नहीं है। हमने उसी दिन समझ लिया था कि सरकार सच्चाई पर पर्दा डाल रही है...

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी : यही आपकी गलती होगी।

श्री वाजपेयी : कुलकर्णी जी, आप अब और ज्यादा गलती मत करिए। उस दिन श्री पाटिल ने एक बात कही, उस बात को दोहराया—

"हम जानकारी चाहते थे। हमें लिखित में जानकारी नहीं दी गई।"

उन्होंने बार-बार राइटिंग पर जोर दिया। इसका मतलब यह है कि बोफोर्स जबानी जानकारी देने को तैयार था। श्री पाटिल ने यही कहा और यही अर्थ निकाला गया। मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है—

"जब श्री पाटिल ने बोफोर्स की दलील दी—वह जो जानकारी मांगी गई है वह सिर्फ मौखिक रूप से देगी, लिखित में नहीं, तो श्री उपेन्द्र ने प्रत्युत्तर में कहा, क्या कोई इस ऊट-पटांग कहानी पर यकीन करेगा?"

आप इंडियन एक्सप्रेस को कह सकते हैं कि सरकार विरोधी है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं करेंगे। मेरे पास टाइम्स ऑफ इंडिया की भी रिपोर्ट है—

श्री राम अवधेश सिंह : यह तो राजीव गांधी जी की चिट्ठी है।

श्री वाजपेयी : टाइम्स ऑफ इंडिया का आजकल बड़ा प्रकाशन हो रहा है। उसमें है कि—

"बोफोर्स के वाइस-प्रेसीडेंट श्री ब्रेडिन के ३ जुलाई को भारत दौरे के संबंध में एक विपक्षी सवाल के जबाव में कहा गया कि श्री ब्रेडिन मौखिक रूप से नाम बताने को तैयार थे, पर सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया।"

क्या आपके शब्द अलग-अलग अर्थ रखते हैं और वह अर्थ दिन के साथ बदलते हैं? शब्द का जो अर्थ १२ तारीख को था, वह १४ तारीख को नहीं रहा। इसे समझनेवाले थे, वे सब भ्रम में थे। आप इतना बड़ा भ्रम पैदा करने में समर्थ हैं कि प्रतिपक्ष भी भ्रम में रह गया, समाचारपत्र गलत स्थिति में भटक गये। आपको भी भूल का पता उस दिन नहीं लगा। १३ तारीख को नहीं लगा,

१४ तारीख को दिन-भर नहीं लगा, शाम को आपको एकाएक इलहाम हो गया कि भयंकर भूल हो गई है, जिसका परिमार्जन करने के लिए सदन में जाना चाहिए।

महोदय, १४ तारीख को दोपहर में क्या हुआ? यह सच है कि शिवराज पाटिल सदन में इसलिए बयान देने के लिए आए कि इस दिन प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में कुछ पत्रकारों से जो बातचीत की और जिस प्रकार वार्ता के बारे में अलग विवरण प्रकाशित हुए हैं, उसमें यू.एन. आई. की रिपोर्ट के अनुसार या एक संवाद समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि बोफोर्स ओरली कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। अब बेचारे श्री शिवराज पाटिल करते क्या! उन्हें सदन में भागना पड़ा। चलिए वे १४ तारीख को शाम को आये। उन्होंने कहा कि मेरे वक्तव्य से भ्रम पैदा हो गया है। सम मिस अंडरस्टेंडिंग 'सम क्वाटर्स'। भ्रम आपका नहीं, केवल क्वार्टर्स का है। फिर श्री पाटिल ने अपने वक्तव्य में कहा—

"मामले की सच्चाई यह है कि श्री ब्रेडिन ने कोई विश्वसनीय संकेत नहीं दिया।"

यह कन्विसिंग इंडिकेशन क्या है? कन्विसिंग की कसौटी क्या है? क्या यह कसौटी बदलती रहती है? १२ तारीख को कन्विसिंग की कसौटी अलग थी। १४ तारीख को अलग हो गई। आप हमें विश्वास में लीजिए। बोफोर्स क्या बताना चाहते थे?

मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि यह सच है कि श्री ब्रेडिन जब आए और आपकी उनसे बातचीत हुई तो श्री ब्रेडिन ने कहा कि हम अपने बड़े अधिकारियों को स्वीडन से बुलाने के लिए तैयार हैं और हम लिखकर आपको जानकारी देते, मगर शर्त यह है कि वह लिखित सारी जानकारी एक बंद लिफाफे में बंद होकर केवल प्रधानमंत्री को दी जाएगी, और किसी को नहीं दी जाएगी। क्या यह सच है कि बोफोर्स के मामले में जो भी जानकारी आपके पास है उससे आपने सदन को अवगत नहीं किया है? क्या यह सच है कि आपने सदन को अंधेरे में रखा है? उस दिन प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए जो बातें कहीं उससे संदेहों का निराकरण नहीं हुआ, जैसा आपकी सफाई से संदेहों का निराकरण नहीं हुआ, उलटे संदेह मजबूत हो गए, पुराने संदेह को बल मिला और नए संदेह पैदा हो गए। प्रधानमंत्री की प्रेस वार्ता के बारे में अलग-अलग विवरण दिए हैं, यह मैं पहले ही कह चुका हूं। एक विवरण के अनुसार—

"शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने कहा कि बोफोर्स ने तोप-सौदे में कुछ जानकारी दी है, पर पूरा विवरण नहीं दिया है। स्वीडिस ऑडिट ब्यूरो की रिपोर्ट में भी कुछ संस्थाओं के नाम हैं, पर व्यक्तियों के नहीं।"

इंस्टीट्यूशंस के नाम हैं, यह आपको मालूम है। वे इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? इसके बारे में आपने अभी तक सदन को जानकारी क्यों नहीं दी?

प्रधानमंत्री ने कहा, "बोफोर्स हमें मौखिक रूप से कुछ बताने की इच्छुक थी, पर लिखित में नहीं।"

यह प्रेस ट्रस्ट का समाचार है। दूसरी एजेंसी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमको ओरली भी देने को तैयार नहीं थे। अब देशवासी किस पर भरोसा करें, कैसे भरोसा करें। उस दिन सदन में बड़े नाटकीय तरीके से बोफोर्स की एक चिट्ठी पेश कर दी गई। बोफोर्स ने और भी चिट्ठियां लिखी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार २४ अप्रैल की बोफोर्स की चिट्ठी, जो हमारे राजदूत को लिखी गई थी, उसको सदन के पटल पर रखेगी? क्या सरकार बोफोर्स से इस मामले में जो भी पत्र-व्यवहार हुआ है, उस सारे पत्र-व्यवहार को सदन के पटल पर रखकर सदन

को विश्वास में लेगी, देश को विश्वास में लेगी?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त करना चाहता हूं। अगर इसी तरीके से गलतबयानी की जाएगी, अगर परस्पर विरोधी वक्तव्य दिए जाएंगे, अगर संदेहों के निराकरण के नाम पर नए संदेहों को जन्म दिया जाएगा तो देशवासी एक ही निष्कर्ष निकालने के लिये मबूर होंगे कि सरकार नहीं चाहती कि असली गुनहगारों के चेहरे बेनकाब हों, क्योंकि सरकार भयभीत है कि अगर गुनहगारों के चेहरे बेनकाब होंगे तो खुद ही उसका चेहरा बेनकाब हो जाएगा।

महोदय, एक छोटा सा सवाल उठता है। १२ तारीख को वे जानकारी देने के लिए तैयार थे, लेकिन जबानी जानकारी देने के लिए तैयार थे, लिखकर देने के लिए तैयार नहीं थे, आज कह रहे हैं कि जबानी जानकारी देने के लिए भी तैयार नहीं थे। मैं यह जानना चाहता हूं कि जो भी जानकारी वे देने के लिए तैयार थे, वह आपने क्यों नहीं ली? और वह जानकारी क्या थी?

सुरक्षा सेवाओं की निष्ठा किस ओर!

उपाध्यक्ष महोदय, हम देश की सुरक्षा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सुरक्षा पर लगभग चार हजार करोड़ रुपया हमारा खर्च होनेवाला है, लेकिन लोकसभा में बहस के लिए केवल छह घंटे रखे गए हैं और मेरे हिस्से में केवल ९ मिनट आए हैं।...(व्यवधान) ९ मिनट में कोई सुरक्षा-जैसे महत्वपूर्ण विषय के साथ न्याय कैसे कर सकता है।

सुरक्षा का प्रश्न एक राष्ट्रीय प्रश्न है। हमें अपनी स्वतंत्रता को अमर बनाना है। हमारी सीमाएं अक्षुण्ण रहनी चाहिए। हम अपने देश में जिस जीवन-व्यवस्था का विकास कर रहे हैं, बिना विघ्न के हम उसका विकास करते रहें, ऐसी परिस्थिति का निर्माण होना चाहिए। इसका प्रमुख दायित्व हमारी सुरक्षा सेवाओं पर आता है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी सुरक्षा सेवाएं देश की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करती रही हैं। सारे देश को उनकी वीरता पर गर्व है। सारा सदन इस मामले में सुरक्षा सेवाओं के पीछे है।

प्रधानमंत्री ने जब से यह पद संभाला है, वह देश को बाहरी खतरे के प्रति लगातार जागरूक रखने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ अविश्वास की खाई पैदा हो गई है। यह खाई पैदा होना बड़ा खतरनाक है। अगर राष्ट्रीय संकटों के बारे में हमारा मतैक्य नहीं है, तो उन संकटों पर विजय प्राप्त करने के उपायों के बारे में सहमति कैसे प्राप्त की जा सकती है।

यह जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा सेवाओं को राजनीति से अलग रखें। लोकतंत्र में सरकारें बदलेंगी। सुरक्षा सेवाओं की निष्ठा देश के प्रति होनी चाहिए, किसी व्यक्ति या किसी दल के प्रति नहीं। इस संबंध में मुझे दो घटनाओं का उल्लेख करना है।

बंबई में मजगांव डाकयार्ड है। किसी समारोह में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री वहां गई थीं। उस डाकयार्ड का प्रबंध हमारी जलसेना करती है। उस समारोह में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल को भी निमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री भी बुलाए गए थे। प्रधानमंत्री जहां जाएं, स्वाभाविक है वहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री उपस्थित हों। किंतु बाद में डाकयार्ड के अधिकारियों से कहा गया कि राज्यपाल को दिया गया निमंत्रण वापस ले लिया जाना चाहिए। ऐसा क्यों किया

** रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर लोकसभा में ८ अप्रैल, १९८१ को हुई बहस में हिस्सेदारी।*

गया। क्या इसलिए कि वह राज्यपाल जनता पार्टी द्वारा नियुक्त थे?...(व्यवधान)

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : मुख्यमंत्री तो जनता पार्टी के नहीं थे।

श्री वाजपेयी : जी हां, मैं उस पर भी आता हूं।

फिर डाकयार्ड के अधिकारियों ने कहा—केवल राज्यपाल का निमंत्रण रद्द करना हमारे लिए संभव नहीं होगा, इसलिए हम मुख्यमंत्री को भी नहीं बुलाएंगे।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं यहां कुछ कहना चाहूंगी। मैं आपको यह समझाती हूं। इसमें थोड़ी गलतफहमी हो गई है।...

श्री वाजपेयी : किसको गलतफहमी हो गई है?

श्रीमती इंदिरा गांधी : गलतफहमी हमें हुई। ऐसा हुआ था कि जब शुरू में मुझे वहां जाने को कहा तो मैंने कहा कि समय कम है और अगर वह बहुत फार्मल फंक्शन होगा तो शायद वह हो न सके। इसलिए अगर ऐसा हो कि बिना किसी शोर-शराबे के और इंतजाम के, बस, मैं जाकर, करके आ जाऊं, यह निर्णय हुआ था। बाद में उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को बुला रहे हैं तो मैंने कहा कि इसके लिए तो मैं राजी हुई ही नहीं थी। अगर मुझे वे कहते कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बुलाया जा चुका है तो उस वक्त मैं फौरन कह देती कि रहने दो। लेकिन यह मेरे ध्यान में नहीं लाया गया और क्योंकि मैंने कहा कि बड़े फंक्शन में मैं नहीं आ सकती हूं, इसलिए यह थोड़ा हुआ, क्योंकि राज्यपाल हैं वह, इसलिए मैंने सोचा कि इंतजाम बढ़ेगा और इसलिए वैसे जैसे अपना डिपार्टमेंटल होता है, उस प्रकार से करने का सुझाव था।

एक माननीय सदस्य : अब आप एलिगेशन वापस ले लीजिए।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : प्रधानमंत्री ने कह दिया, अब मैं इसको छोड़ता हूं। मगर अच्छा होता अगर ऐसी घटना न होती।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं भी यही मानती हूं।

श्री वाजपेयी : दूसरी बात मैं जरा नाजुक कहना चाहता हूं।

श्री संजय गांधी हमारे बीच में नहीं हैं। हमारे मतभेद उनके साथ उसी दिन समाप्त हो गए जिस दिन वह दुर्घटना में ग्रस्त होकर हमारे बीच से उठ गए। मगर एक बात मुझे पसंद नहीं आई कि उनके अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए सुरक्षा सेनाओं के तीनों चीफ यूनीफार्म पहनकर, मेडल लगाकर क्यों गए?...(व्यवधान)

यह मानवता की बात कर रहे हैं। संजय गांधी की मृत्यु के बाद मैंने जो शोक-श्रद्धांजलि दी थी, वह आपमें से बहुत लोग नहीं दे सके। लेकिन जो गलत बात हुई है, उसको कहा जाएगा। आप मुझे कहने से रोक नहीं सकते।...(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह क्या बात हुई? अगर आप इनको नहीं बोलने देंगे तो हाउस कैसे चलेगा?...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति बिगड़ रही है। शीतयुद्ध हमारे दरवाजे पर आ गया है। यह परिस्थिति हमारे लिए और सारे संसार के लिए चिंता का विषय है। दुनिया में तनाव-शैथिल्य की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसे ठेस लगी है। घातक शस्त्रों की दौड़ तेजी के साथ आरंभ हो गई है। निशस्त्रीकरण के जो भी प्रयत्न हुए थे, उन पर पानी फिर गया है।

हम चाहते हैं संसार में शस्त्रों की दौड़ रुके, शस्त्र घटें, विशेषकर आणविक शस्त्रों का

निशस्त्रीकरण आगे बढ़े। हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, केवल उसी का प्रश्न नहीं है। दुनिया में और भी देश हैं, जो अणु क्लब में शामिल हो रहे हैं या शामिल हो गए हैं। हमने सही फैसला किया था कि हम नॉन-प्रॉलिफोरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वह संधि भेदभावमूलक है। लेकिन अगर आणविक शस्त्रों की दौड़ चलती रही, नए-नए देश उस दौड़ में शामिल होते रहेंगे तो फिर भारत जैसे लोकतंत्रवादी देश को जहां अंतिम फैसला जनता करती है, अपने सभी रास्ते खोलकर रखने पड़ेंगे।

कितना खतरा है, कहां से खतरा है?

उपाध्यक्ष महोदय, इस रिपोर्ट में जो कि १५५ पेज की रिपोर्ट है, अगर इसका पहला प्रश्न आप छोड़ दें और दूसरे प्रश्न का आधा छोड़ दें तो इस समय जो खतरे का एहसास है, यह पूरी रिपोर्ट उसको उद्‌घाटित नहीं करती। कितना खतरा है, कहां से खतरा है? प्रधानमंत्री ने किसी भाषण में कहा कि जो पुराने स्रोत थे, जहां से पहले खतरा आया था, वहां से भी आ सकता है, अन्य दिशाओं से भी खतरा आ सकता है। नए गठबंधन हो सकते हैं, जमीन से, आसमान से, समुद्र से हम खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक इस बारे में न संसद को विश्वास में लिया गया है और न ही देश को विश्वास में लिया गया है। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने विरोधी दलों के नेताओं के साथ भी इस संबंध में चर्चा करना उचित नहीं समझा है। आखिर हमें अगर देश की सुरक्षा करनी है तो सेनाओं के साथ-साथ उसमें संपूर्ण देशवासियों को लगाना होगा, और अगर इस बारे में एक अविश्वास की खाई पैदा होती है तो यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी।

इस रिपोर्ट के प्रथम पृष्ठ पर कहा गया—पिछले वर्ष से भारत के पासपड़ोस का सुरक्षा परिवेश बहुत ही तनावपूर्ण होता जा रहा है। और रिपोर्ट में आगे कहा गया है—अफगानिस्तान में १९७९ के अंत में जो घटनाएं घटीं, वह अनेक पूर्व घटनाओं की चरम परिणति के रूप में थीं। अफगानिस्तान में रूसी सेना के हस्तक्षेप से पहले ऐसी कौन सी घटनाएं हुईं जिनसे हस्तक्षेप का औचित्य सिद्ध होता है? क्या हस्तक्षेप, मेरा मतलब है इंटरफेयरेंस और इंटरवेंशन सेनाओं का प्रत्यक्ष जाना—यह एक ही स्तर पर रखनेवाली चीजें हैं। रूस ने अफगानिस्तान में सेनाएं भेज दीं। अमरीका सैनिक अड्डों को मजबूत कर रहा है, नए सैनिक गठबंधन कर रहा है, हमारे पड़ोस में नए घातक हथियार देने का फैसला करने जा रहा है। इन सारी परिस्थितियों में हमारी सुरक्षा नीति को हमारी विदेश नीति का संबल चाहिए, सहारा चाहिए। मुझे कहना पड़ता है कि यह सहारा प्राप्त नहीं हो रहा है। कोई अफगानिस्तान का सैनिक हल नहीं चाहता। अफगानों के लिए कोई अपनी जान देनेवाला नहीं है। हमारे देखते-देखते बहादुर अफगान गुलाम हो गए। गुरुदेव रवींद्रनाथ का काबुलीवाला हमारे देखते-देखते मर गया। गुरुदेव के देश ने कुछ नहीं किया। अगर रूसी सैनिक अफगानिस्तान में बने रहते हैं तो क्रिया-प्रतिक्रिया का ऐसा चक्कर चलता रहेगा जो हमारे लिए भी कल ज़ाकर खतरा बनेगा और आज भी खतरा बन रहा है। प्रधानमंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालें—रूसी सैनिक हस्तक्षेप से पहले अफगानिस्तान में ऐसी कौन सी घटनाएं हुईं, जिनके कारण रूसी हस्तक्षेप उचित था?

यह सुझाव आया था कि अफगानिस्तान में बाहरी हस्तक्षेप भी न हो और रूस की सेनाएं भी निकल जाएं, इसके लिए गुटनिरपेक्ष देश आगे आकर पहल कर सकते हैं, वहां सेना के दस्ते भेज सकते हैं, सीमा पर देख-रेख का इंतजाम कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम भारत सरकार के

उस प्रस्ताव को आगे क्यों नहीं बढ़ाया या बढ़ाया तो उस संबंध में रूस की क्या प्रतिक्रिया थी?

उपाध्यक्ष महोदय, सुरक्षा मंत्रालय में कोई नियोजन कमेटी है। मुझे नहीं मालूम वह कितने लंबे काल के बारे में नियोजन कर रही है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां बड़ी तेजी से बदल रही हैं, लेकिन हम एडहॉक फैसला करके नहीं चल सकते। दस-पंद्रह साल के प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग की जरूरत है। आज एक सवाल है कि हम अपना सैनिक बल कितना बढ़ाएं। सेना हमारे पास है। वायु सेना को कितना और बलवान किया जाए? समुद्र की ओर से भी संकट आ सकता है। हमारी सर्वोच्च सेनाओं की क्या आवश्यकताएं हैं? मैं थोड़े ही दिन सरकार में रहा हूं, इसलिए मैं ज्यादा अनुभवी होने का दावा नहीं कर सकता···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गलती से आ गए थे।

श्री वाजपेयी : जो लोग आपको लाए, वे ही हमको लाए थे। लेकिन आप आए तो ठीक था, हम आए तो गलती थी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज समय आ गया है कि हम इस बात पर विचार करें कि क्या किसी ऐसी संस्था की आवश्यकता है जो प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग कर सके, जो तीनों सेनाओं की शाखाओं की आवश्यकताओं और राष्ट्र के सामने चुनौतियों को समग्रता में देख सके।

उदाहरण के लिए टैंक का जवाब टैंक है, मगर रक्षा के मामलों को जो जानते हैं, वे कहते हैं कि टैंक का जवाब एंटी टैंक मिसाइल हैं। पांच साल बाद उसमें क्या अंतर आएगा, कहा नहीं जा सकता।

अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां भी बदल सकती हैं। सोवियत संघ आज हमारा मित्र है। हम उम्मीद करते हैं कि वह मित्र रहेगा, मगर हमें हर तरह की संभावनाओं पर विचार करना है। चीन और रूस के संबंध आज अच्छे नहीं हैं, लेकिन वे संबंध सुधर भी सकते हैं। चीन के आंतरिक परिवर्तन किस सीमा तक जाएंगे, कोई नहीं जानता। दस साल बाद, हम दशक की बात कर रहे हैं, दस साल में किस तरह की चुनौतियां आएंगी और उनका उत्तर देने के लिए हमारे सामने कौन से ऑप्शंस होंगे, केवल एक द्वार खुले रखना काफी नहीं है। इसका विचार जरूरी है। एक महान शक्ति पर आवश्यकता से अधिक निर्भर रहना खतरनाक है।

मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों पर विचार के लिए सरकार कमीशन ऑन डिफेंस बनाने का विचार कर सकती है···

एक माननीय सदस्य : बहुत कमीशंस बन चुके हैं।

श्री वाजपेयी : आज ही सबेरे आपने इकानामिक रिफार्म्स कमीशन का ऐलान किया है। अरे कुछ तो दिमाग से बोलो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार डिफेंस के बारे में एक व्हाईट पेपर प्रकाशित करने का विचार करे। पार्लियामेंट के मेंबरों को भी बहुत कुछ बताने की जरूरत है। सिक्योरिटी अलग है, सीक्रेसी अलग है। हमारे यहां हर बात, जो भी सेना से संबंधित है, गुप्त है। क्या खर्च हो रहा है, क्या सेना में अपव्यय नहीं हो रहा? इसे देखना होगा।

रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इस बजट में ७० करोड़ रुपया हमने उसके लिए रखा है। अभी तक हमने करोड़ों रुपया रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च किया है, इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि हमने रिसर्च और डेवलपमेंट में कितनी प्रगति की है? हमें देश को सैनिक साज-सामान के मामले में आत्मनिर्भर बनाना होगा। आवश्यकता पड़ी तो हम

जैगुआर लेने का निर्णय करते हैं। टैंकों की आवश्यकता हो तो हम दूसरे देशों में जाते हैं। विजयंत टैंक का विकास जैसा होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ?

भारत डॉयनामिक्स ने क्या बनाया?

१९७२ में हमने यह फैसला किया था कि 'एयरक्रॉफ्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट' शुरू करें और हम उम्मीद करते थे कि उसके अंतर्गत हमारी आवश्यकता पूरी होगी—मगर पूरी नहीं हुई। १९७० में हमने भारत डॉयनामिक्स लि. की स्थापना की थी, मगर उसमें क्या उत्पादन हुआ, इसकी जानकारी नहीं है। हम मिसाइल्स बाहर से ला रहे हैं। सिलिकोन के बारे में तो किसी अधिकारी को 'पद्मश्री' तक दे दिया गया। मगर मुझे बताया गया कि हम अभी तक सिलिकोन का आयात कर रहे हैं। अगर यह गलत है तो मैं मंत्री महोदय से यह चाहूंगा कि वे मुझे सही करें। राज्यसभा में एक प्रश्न हुआ था। पाटिल साहब जवाब दे रहे थे। एक ही दिन एक प्रश्न के दो उत्तर दिए गए।

श्री शिवराज पाटिल : उसे समझने की जरूरत है, वह साइंटिफिक मामला था।

श्री वाजपेयी : यही तो मुश्किल है कि सारी समझ उधर इकट्ठा हो गई है। इधर तो सब नासमझ हैं!

मेरा निवेदन है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हमें मजबूत करना है और ऐसी परिस्थिति पैदा करनी है कि हम अपनी आवश्यकताओं का सारा साज-सामान अपने ही देश में बना सकें। महाशक्तियों का ढंग यह है कि वे हमें उपकरण तो देती हैं, मगर उसके स्पेयर्स नहीं देती हैं। स्पेयर्स देती हैं तो दो हफ्ते के, तीन हफ्ते के। इसलिए जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो दो-तीन हफ्तों में ही समाप्त हो जाती है। न उनके पास हथियार रहते हैं और न हमारे पास हथियार रहते हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए यह कसौटी का काल है, इस भूखंड की सुरक्षा जुड़ी हुई है। देश का विभाजन हो गया, फिर भी हम सुरक्षा को टुकड़ों में नहीं देख सकते। दुर्भाग्य की बात है कि इस्लामाबाद और नई दिल्ली ने, दोनों ने, इस भूखंड में परिस्थितियों में जो गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, उसकी चुनौती को नहीं समझा और एक महत्वपूर्ण अवसर को हाथ से निकल जाने दिया। पाकिस्तान को हथियारों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान उन हथियारों से सोवियत संघ से नहीं लड़ सकता। पाकिस्तान की १६ डिवीजनें अफगानिस्तान की सीमाओं पर नहीं लगी हैं, वे हमारी सीमाओं पर लगी हैं। पाकिस्तान को आवश्यकता है राजनैतिक स्थिरता की, आर्थिक विकास की। मगर हम इस भूखंड के सारे देशों को अपने साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं, इस बात को हमें मान लेना चाहिए। मैं एक छोटी सी घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। वह छोटी घटना बड़ी न हो जाए, इसका मुझे डर है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति का इंटरव्यू

श्रीलंका के राष्ट्रपति हमारे देश में आए थे, राष्ट्रमंडल देशों से संबंधित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए। ऑल इंडिया रेडियो और टेलीविजन की ओर से उनका इंटरव्यू लेने का प्रबंध हुआ था। इंटरव्यू रिकार्ड कर दिया गया टेलीविजन के लिए, मगर वह इंटरव्यू दिखाया नहीं गया।

एक माननीय सदस्य : क्यों?

श्री वाजपेयी : यह तो सूचना मंत्री बता सकते हैं या प्रधानमंत्री जी को बताना होगा।

श्री इंद्रजीत गुप्त : आप बताइए न।

श्री वाजपेयी : क्योंकि शायद उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थीं जो नई दिल्ली को रुचिकर प्रतीत नहीं हुईं। क्या एक पड़ोसी राष्ट्र के अध्यक्ष, पड़ोसी राष्ट्र के नेता के साथ हमारा यह व्यवहार होगा। इस देश में विचारों की स्वतंत्रता है। हमें आलोचना सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसकी लंकावासियों के मन पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी? घटना छोटी है, मगर तनाव पैदा करती है। हमें अपने पड़ोसियों से व्यवहार करते समय आवश्यकता से अधिक चौकन्ना रहना है। वे आकार में छोटे हैं, जन-बल में छोटे हैं, शस्त्र-बल में छोटे हैं और आर्थिक प्रगति की दृष्टि में भी हमसे पीछे हैं। उनके मन में निराधार आशंकाएं भी हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें साथ लेकर चलें। यह ठीक है कि उन्हें साथ लेकर चलने के लिए हम राष्ट्र के महत्त्वपूर्ण हितों की बलि नहीं चढ़ा सकते, लेकिन राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए—स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग-काम का तरीका ऐसा हो सकता है कि पड़ोसी को छोटा बनाकर उसका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश न की जाए।

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : वाजपेयी जी, हम कभी ऐसा नहीं करते, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं अब अंतिम बिंदु पर आ गया हूं। १९७३ में भी श्री डी. पी. धर, जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमेन थे, उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा था। उस पत्र की पंक्तियां मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"हमें अपने मित्र एवं शत्रु की पहचान के लिए संपूर्ण अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को देखना चाहिए। क्या सबके साथ रुकावट की नीति हमारे राष्ट्रीय हित में है? दूसरी ओर यह लगता है कि आने वाले वर्षों में संयुक्त राज्य अमरीका हमारा सबसे शक्तिशाली शत्रु रहेगा।"

मैं नहीं जानता कि यह पत्र प्रधानमंत्री की अनुमति से लिखा गया था या नहीं, लिखा गया था। मगर उस समय हमारा दोस्तों और दुश्मनों का असेसमेंट यह था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि १९८१ में क्या असेसमेंट है? हम किसी देश को स्थायी तौर पर शत्रु मानकर चलें, क्या यह ठीक है? सबके साथ मैत्री संबंध स्थापित करने में क्या बुराई है? यह ठीक है कि जिससे हमारे हित अधिक मिलेंगे, उससे अधिक मित्रता होगी। एक बड़ी शक्ति के नाते और एक विशाल राष्ट्र के नाते हम रक्षा के सवाल को विदेश नीति से और गृह नीति से अलग नहीं कर सकते। ईरान के शाह ने सारे हथियार इकट्ठे किए, लेकिन जनता पलट गई तो उनका तख्ता भी पलट गया। हमारे पड़ोस में भी हथियार किसी को बचानेवाले नहीं हैं।

प्रधानमंत्री ने रैली में भाषण देते हुए कहा था कि किसान का एक बेटा फौज में है और एक बेटा किसान है। स्पष्टतः किसान और जवान दोनों जुड़े हुए हैं। हम रक्षा और विकास को अलग नहीं कर सकते। इसलिए रक्षा की दूरगामी योजना बनाते समय देश के पूर्ण विकास और उस विकास का लाभ अधिक से अधिक लोगों को कैसे मिले, इस पहलू की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में एक राष्ट्रीय मन बने और मैं चाहता हूं कि यह मन बने। इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री के ऊपर है कि वह कहां तक इस संबंध में तैयार हैं।

मैंने पिछले वर्ष कहा था कि सुरक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री को नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब मैं सोचता हूं कि कम से कम सुरक्षा मंत्रालय की मांगों पर तो उनके दर्शन हो जाते हैं।

पुलिस सेना का काम न करे

अध्यक्ष महोदय, मैं हाल ही में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र का दौरा करके आया हूं। अनेक समस्याएं वहां इसलिए उत्पन्न हुई हैं कि वह इलाका सीमा से लगा हुआ है। वहां जाकर मुझे लगा कि शायद हम उस सीमांत को भूल गए हैं—वह हमारा विस्मृत सीमांत हो गया है। इस सदन में और इस सदन के बाहर हम उस क्षेत्र में विदेशी हाथ होने की बात करते हैं, लेकिन उस क्षेत्र को हम किस तरह से विदेशी हस्तक्षेप और विदेशी प्रभाव से सुरक्षित करें, इसके बारे में जितनी गहराई से सोचा जाना चाहिए, हमने नहीं सोचा।

समस्या का एक पहलू आंतरिक है, मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन चीन, बर्मा और बंगला देश से लगा हुआ, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पूर्वांचल आज हमारे लिए एक विस्फोट का कारण बन रहा है। मैं उस पुरानी भूल में नहीं जाना चाहता जब हमने तिब्बत को चीन का भाग स्वीकार कर लिया। चीन के साथ हम अपने संबंध सामान्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसके साथ यह प्रयत्न भी होना चाहिए कि तिब्बत की खोई हुई स्वायत्त्ता तिब्बत को वापस मिल जाए।

आज बंगला देश और बर्मा में ऐसे क्षेत्र हैं जहां के बारे में समाचार मिलते हैं कि हमारे कुछ लोगों को वहां सैनिक शिक्षा दी जा रही है। ये क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं कि जहां उन सरकारों का भी वश न चलता हो। लेकिन यदि हम इन देशों के साथ अपने मैत्री संबंध बढ़ाएं तो ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है कि वहां से मिलनेवाली सहायता बंद हो जाए और अगर आवश्यकता पड़े तो भारत-जैसे मित्र देश की मदद लेकर वह अपने देशों में जो भारत विरोधी कार्यवाहियों के अड्डे बन गए हैं, उन अड्डों को साफ करने में आगे बढ़ें। मैं नहीं जानता, बर्मा में कुछ दिनों बाद स्थिति क्या होगी। यदि बर्मा गुटनिरपेक्षता के रास्ते से डगमगाता है और बर्मा में ऐसे तत्व जोर पकड़ते हैं जो विदेशियों द्वारा न केवल प्रभावित हैं, अपितु नियंत्रित हैं, तो हमारे लिए उस क्षेत्र में कठिनाई बढ़ेगी।

इस संबंध में जब पूर्वांचल की चर्चा हो रही है, तो चलते-चलते मैं एक बात कह दूं कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना का अधिकाधिक उपयोग करने की प्रवृत्ति को हमें दबाना चाहिए। कानून और व्यवस्था बनाए रखना पुलिस का काम है। सेना देश की सीमाओं की

---

* *रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर लोकसभा में १८ जुलाई, १९८० को हुई चर्चा में हिस्सेदारी।*

रक्षा के लिए है। सेना शत्रु का सामना करने के लिए है और उसका सफाया करने के लिए है। आज हम फ्लैग मार्च के लिए सेना को बुलाते हैं। आज उसका एकदम असर होता है। मगर कल वह असर उससे कम होगा, परसों और भी कम होगा। हम इस तलवार की धार को भौंथरा करने की गलती न करें। सेना सड़कों पर मार्च करने के लिए नहीं है। पुलिस अपना काम करे, सेना अपना काम करे। मैं जानता हूं कि अनिवार्य परिस्थितियों में फैसले लिए जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का अधिकाधिक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यह बात केवल पूर्वांचल पर लागू नहीं होती, सारे देश पर लागू होती है।

जब हम रक्षा मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर विचार करते हैं तो स्वाभाविक है कि हम यह प्रश्न पूछें कि आठवें दशक में हमारी रक्षा की आवश्यकताएं क्या होंगी? आवश्यकताओं को हमें उनकी समग्रता में देखना होगा। हमें इस बात का भी विचार करना होगा कि हमारे सामने खतरे क्या हैं, थ्रेट परसेप्शन क्या हैं? मैं वाद-विवाद में कल उपस्थित नहीं था लेकिन जो मैंने कार्यवाही की रिपोर्ट पढ़ी है, उससे मुझे लगता है कि हम समस्याओं को टुकड़ों में देख रहे हैं। देश की लोकसभा रक्षा मामलों संबंधी इस बहस को इन मुद्दों पर केंद्रित कर दे कि हम एटम बम बनाएं या न बनाएं? जैगुआर खरीदें या न खरीदें, तो यह ठीक नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि ये छोटे प्रश्न हैं, इन पर फैसले करिए। मेंबर राय प्रकट करें। ...(व्यवधान) प्रधानमंत्री अगर कहें कि ये बड़े प्रश्न हैं तो मैं मान लूंगा। ...(व्यवधान) यह प्रश्न अपनी जगह पर महत्वपूर्ण होते हुए भी सारे रक्षा के सवाल पर विचार करते समय ऐसे नहीं हैं कि ये प्रश्न सदन पर और बहस पर हावी हो जाएं।

डॉ. कर्ण सिंह (ऊधमपुर) : उल्लेख होना चाहिए।

श्री वाजपेयी : उल्लेख आवश्यक है। डॉ. साहब अवश्य उल्लेख करेंगे, मैं जानता था। मैं भी एटम बम का काफी उल्लेख किया करता था। मैं कल सदन में था नहीं, गाडगिल साहब ने कह दिया कि वाजपेयी देशाभिमान और एटम बम की बात करते थे, अब एटम बम की बात नहीं करते तो देशाभिमान कहां गया? क्या देशाभिमान एटम बम के साथ जुड़ा हुआ है?

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : आप ही जोड़ते थे।

श्री वाजपेयी : देशाभिमान के साथ नहीं जोड़ते थे। मगर हम जो पहले करते थे, क्या वही अब आपने करने का फैसला कर लिया है?

श्रीमती इंदिरा गांधी : नहीं, बिल्कुल नहीं।

पहले एटम बम कौन चलाएगा?

श्री वाजपेयी : अगर पाकिस्तान एटम बम का निर्माण करता है तो इस भूखंड में एक नई परिस्थिति पैदा होगी, उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। मैं उन लोगों में से हूं कि जो इस मामले में सारे दरवाजे खुले रखने के पक्ष में हैं। लेकिन सारी बहस को इस मुद्दे पर केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, इसलिए हम भी एटम बम बनाएं। चीन ने एटम बम बनाया, लेकिन हमने एटम बम का निर्माण नहीं किया और एटम बम से सुसज्जित चीन से उत्पन्न संकट का हम सामना करते रहे हैं। पाकिस्तान एटम बम बनाएगा तो हम भी बनाएंगे। फिर यह भी तय करना पड़ेगा कि पहले एटम बम कौन चलाएगा? हम तो नहीं चला सकते। चीन भी कह रहा है कि वह पहल नहीं करेगा। अगर हम पहले एटम बम नहीं चलाएंगे तो निर्णय करना

होगा कि पाकिस्तान के एटम बम के प्रहार के बाद हम एटम बम चलाएं तो एक सेकिंड स्ट्राइक कैपिसटी का हमें विकास करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इन सारे सवालों पर बहस हो, सही तरीके से बात रखी जाए। मैं उसमें और जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान का उल्लेख हुआ है बहस में। सवाल यह है कि पाकिस्तान का खतरा क्या उसके इरादों के कारण है या उसकी क्षमता के कारण है? पुराने अनुभव अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान को मिलनेवाले हथियार भारत के विरुद्ध काम में लाए गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान में रूस के सैनिक हस्तक्षेप से इस भूखंड की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है और हमें पाकिस्तान के पार थोड़ा देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान—ये तीनों उथल-पुथल से ग्रस्त हैं। इस उथल-पुथल के पीछे अगर बड़ी शक्तियां न होतीं तो शायद हमारे लिए यह उतनी चिंता का कारण नहीं था। लेकिन बड़ी शक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए सक्रिय हैं। चीन भी महाशक्ति होने के लिए दरवाजे खटखटा रहा है। लेकिन हम इस बात को न भूलें कि अपने बल पर हम भी एक शक्ति हैं, इस क्षेत्र में, और आत्मविश्वास के आधार पर रक्षा और विदेश नीति का समन्वय करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करें।

हमें कैसी नेवी चाहिए?

इस बहस में यह चर्चा की गई है कि हमें नौशक्ति की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हम पनडुब्बियां प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन प्राप्त करने से पहले ही देश में बहस शुरू हो गई। आज ही जैगुआर के बारे में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने कुछ कहा है। मेरा निवेदन है कि पुरानी सरकार जो फैसला करे, मैं नहीं कहता उन्हें बदलने का वर्तमान सरकार को अधिकार नहीं है, लेकिन इन मामलों में एक कंटिन्यूटी की आवश्यकता है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : देश के हित में हो, तभी।

श्री वाजपेयी : अगर राष्ट्रीय हितों का ध्यान नहीं रखा गया, इस देश के लोगों ने ऐसी सरकार चुन ली जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं कर सकती थी, उस सरकार को चलानेवाले कुछ प्रमुख लोग ऐसे थे··· (व्यवधान)

श्री मल्लिक एम.एम.ए. खां : आज के अखबार में उस सरकार को चलानेवाले का स्टेटमेंट है जिसमें ढाई करोड़ के असम को एक नेशन कहा गया है। तो ऐसी सरकार चलानेवालों को··· (व्यवधान)

श्री वाजपेयी : श्री नरसिंह राव जी वहां बैठे हुए हैं, आंध्र में आंध्र को राष्ट्र कहा गया है। तेलुगु में प्रदेश के लिए राष्ट्र शब्द है।

श्री पी.वी. नरसिंह राव : इसमें क्या है। होने को तो महाराष्ट्र भी है। ··· (व्यवधान)

श्री वाजपेयी : शब्दों पर लड़ाई न करिए। सभापति जी, आपको मुझे समय देना होगा। मैं टोका-टाकी करना पसंद नहीं करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत गंभीर बात की है। अगर उनका यह आरोप है कि जो पिछली सरकार थी··· (व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं बिल्कुल आरोप नहीं लगा रही हूं।··· (व्यवधान)

श्री वाजपेयी : सभापति जी, हमको तो बोलने नहीं देना चाहते हैं और प्रधानमंत्री को भी बोलने से रोक रहे हैं।

सभापति जी, मेरा निवेदन है कि हम जब नौसेना की बात करते हैं तो हमारा कंसेप्ट क्या

ब्ल्यू-वाटर-नेवी का है या हमें ऐसी नेवी चाहिए जो हमारी सीमाओं की रक्षा कर सके, हमारे तटीय व्यापारिक ढांचे को सुरक्षित रख सके? हिंद महासागर तो बड़ी शक्तियों का अखाड़ा बननेवाला है। हम उसे शांति का सागर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयत्न कर रहे हैं। उन प्रयत्नों में हमें तेजी लानी होगी, लेकिन हमें वस्तुस्थिति को समझना पड़ेगा। इस क्षेत्र को बड़ी शक्तियों का दंगल बनाने से कैसे रोकना है, इसकी ओर देखना चाहिए। जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान के बारे में चिंता प्रकट करते हैं और सरकार की नीति की आलोचना करते हैं, तो इसके मूल में भी यही भावना है कि अगर एक बड़ी शक्ति इस भूखंड में विस्तारवाद का परिचय देगी तो और शक्तियों को परिस्थिति का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। हमें इस भूखंड को बड़ी शक्तियों के प्रभाव से मुक्त रखना है। इसलिए जैसा मैंने निवेदन किया, विदेश नीति और रक्षा की नीति का मेल आवश्यक है। यह भी जरूरी है कि हम देखें कि रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में डिफेंस सर्विसेज में जो काम हो रहा है, वह ठीक है या नहीं।

सभापति जी, मेरा समय सीमित है।

सभापति महोदय : आपके लिए बहुत थोड़ा समय था, लेकिन १५-२० मिनट तो अभी हो गए हैं।

श्री वाजपेयी : अगर टोका-टाकी न होती तो मैंने अभी तक खत्म कर दिया होता। सभापति जी, दिल्ली से प्रकाशित यह मेरे पास एक अखबार है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन पेश की गई थी। करनेवाले शायद हमारे कोई एक्सपर्ट हैं। पत्र ने लिखा है :

"उसने वैमानिक निदेशालय में भ्रष्टाचार के बहुत से मामलों को सूचिबद्ध किया है। यद्यपि न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि आरोपों पर जाना उचित नहीं है और न ही इसमें आवश्यक विशेषज्ञता है।"

वैज्ञानिकों के अनुसंधान पर रोक?

कोर्ट का फैसला ठीक है। लेकिन अगर डिफेंस और रिसर्च में काम करनेवाले हमारे वैज्ञानिकों को लगता है कि उन्हें अनुसंधान करने से रोका जा रहा है तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी तक हम एंटी-टैंक मिसाइल नहीं बना सके हैं, क्यों नहीं बना सके हैं, इसकी चर्चा १९६० से चल रही है। बीच में दावा किया गया था कि मिसाइल बन गया। लेकिन पता लगा कि नहीं बना है। हम हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं, लड़ाकू हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं। कौन से जहाज खरीदें—इस पर बहस हो रही है। लेकिन हम अपने देश में इस तरह के जहाज क्यों नहीं बना सकते, अब तक क्यों नहीं बना पाए? रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग में जिस तरह से काम होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस तरह से काम नहीं हो रहा है? कहीं हमारे तरुण वैज्ञानिक निराश तो नहीं हो रहे हैं? कहीं ऐसे अफसर तो नहीं बैठे हैं जो विदेशों से सामान खरीदना चाहते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर रक्षा सामग्री खरीदने में उनके निहित स्वार्थ रहते हैं? इन सब बातों की जांच होनी जरूरी है।

अभी हम टैंक खरीदने जा रहे हैं। विजयंत टैंक जब हमने बनाया था, उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। उससे हम कितना आगे बढ़े हैं। अगर नहीं बढ़े हैं तो क्यों आगे नहीं बढ़ रहे हैं। फौज पर रुपया खर्च करने में यह सदन कभी कोताही नहीं करेगा लेकिन फौज की शक्ति संख्या में नहीं है, उसकी प्रभावशालिता में है और उसकी वह प्रभावशालिता बढ़नी चाहिए—जमीन पर, आसमान

में और समुद्र में। इस पर विचार करते हुए हम यह भी सोचें कि खतरा कहां से है और खतरे का किस तरह से सामना किया जा सकता है।

मगर मुझे अफसोस है, सभापति महोदय, एक बात कहकर मैं खत्म कर दूंगा। वाद-विवाद हो रहा है और प्रधानमंत्री जी सदन में बैठी हुई हैं। उनको बैठना पड़ रहा है। अगर कोई रक्षा मंत्री होता तो शायद वह अपना समय कुछ और महत्वपूर्ण कामों में लगा सकती थीं। छह महीने हो गए, इस देश का कोई रक्षा मंत्री नहीं है⋯मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस (आई) के पास कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो डिफेंस मिनिस्टर बन सके। मगर अभी तक रक्षा मंत्री नहीं है, पूरा समय देकर काम करनेवाला रक्षा मंत्री नहीं है।

मुझसे एक गलती हो गई थी—नरसिंह राव जी यहां बैठे हुए हैं, इसलिए मैं उसका स्पष्टीकरण कर दूं। मैं चुनाव सभा में भाषण देने के लिए उदयपुर गया था। वहां पर मैंने यही मुद्दा उठाया था, मैंने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री जी चाहें तो सुखाड़िया जी को रक्षा मंत्री बना सकती हैं। किसी समाचार समिति ने रिपोर्ट दी कि वाजपेयी ने कहा है कि नरसिंह राव को हटा देना चाहिए और सुखाड़िया जी को विदेश मंत्री बना देना चाहिए। मैंने उसका खंडन किया तो किसी ने छापा नहीं। विदेश मंत्री जी जरूर मुझसे नाराज होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश के पास पूरा समय देकर काम करनेवाला रक्षा मंत्री होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ऊपर से देखभाल करें⋯(व्यवधान) वे तो सारे मंत्रालयों की देखभाल कर रही हैं। मगर यह पार्टटाइम काम नहीं है और देश की रक्षा की समस्याओं को पार्टटाइम आधार पर हल नहीं किया जा सकता।

हमारी सेना भारतीय बने

उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। लेकिन यह खेद का विषय है कि १९४७ में जितना बड़ा भारत स्वाधीन हुआ था, आज उतना बड़ा भारत नहीं है। हम चीन और पाकिस्तान के चंगुल में भारत की भूमि को जाने से रोक नहीं सके, और जो भूमि चली गई है, उसे हम वापस लेने में अभी समर्थ नहीं हैं। यह सदन और सारा देश यह शपथ ले चुका है कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आक्रमणकारी के चंगुल में गई इंच-इंच भूमि को मुक्त नहीं कर लेंगे। लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि वह राष्ट्रीय उद्देश्य आज दृष्टि से ओझल किया जा रहा है। हम अपनी भूमि को वापस लेने के बारे में चिंतित नहीं हैं।

उपाध्यक्ष जी, इस रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि चीन और पाकिस्तान के बीच गठबंधन बढ़ रहा है। यह भी स्वीकार किया गया है कि पाकिस्तान ने १९७१ में जितनी उसकी सैनिक शक्ति थी, उतनी सैनिक शक्ति एकत्र कर ली है। स्पष्ट है कि कभी दोनों देश मिलकर हमारी अखंडता, स्वाधीनता के लिए संकट का कारण बनें, इस संभावना को रद्द नहीं किया जा सकता। स्पष्टतः हमारा लक्ष्य होना चाहिए उतनी सैनिक सामर्थ्य एकत्र करना, जो चीन और पाकिस्तान के सम्मिलित आक्रमण का सामना कर सके। मैं मानता हूं कि सैनिक शक्ति के साथ-साथ विदेश नीति का, कूटनीतिक प्रयत्नों का, संसार के वातावरण का भी असर होता है।

लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि सुरक्षा के मामले में किसी भी देश पर हमारी निर्भरता इतनी नहीं बढ़नी चाहिए कि वह देश इस निर्भरता का लाभ उठाकर हमारी नीतियों के निर्धारण में दखल देने लगे, उनको प्रभावित करने लगे।

सोवियत रूस के साथ हम मित्रता की संधि में बंधे हुए हैं। उस मित्रता की संधि में सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। लेकिन इसी प्रकार की संधि में इजिप्ट और सोवियत रूस भी बंधे हुए हैं। लेकिन इस समय इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सादात को जो अनुभव हो रहे हैं, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। सोवियत रूस जब चाहेगा तब हथियार देगा, जब चाहेगा हथियार देना बंद कर देगा। इजिप्ट के लिए जरूरी है कि वह अमरीका में शस्त्रों की खोज करे, अन्य स्रोतों को देखे। हमें भी हथियारों की आपूर्ति के लिए केवल रूस पर निर्भर नहीं करना चाहिए, हमें और द्वार भी खुले

** रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर लोकसभा में २६ अप्रैल, १९७४ को वाद-विवाद।*

रखने चाहिए।

श्री बी.वी. नायक : रूस को सादात साहब ने धोखा दिया है।

श्री वाजपेयी : किसने किसको धोखा दिया है, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन स्पष्ट बात यह दीख रही है कि जो सादात साहब रूस पर निर्भर करते थे, उन्हें अमरीका में हथियारों की खरीद के लिए बाजार में खड़े होना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य भारत की स्थिति को न आए, इसके लिए मैं चेतावनी दे रहा हूं।

रक्षा मंत्री श्री जगजीवन राम : कभी नहीं आएगा।

श्री वाजपेयी : हमें एक ही टोकरी में सारे अंडे रखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यह अच्छी रणनीति और अच्छी कूटनीति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि १९४७ के बाद स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात, हमारी सेना के गठन में, उसकी वेशभूषा में, उसकी परंपरा में, उसके व्यवहार में जो एक परिवर्तन, बुनियादी परिवर्तन होना चाहिए था वह परिवर्तन नहीं हुआ है। कभी-कभी ऐसा लगता है कि हमारी सेना अभी भी ब्रिटिश सांचे में ढली हुई है। हमारी सेना के कुछ दस्ते हैं, कुछ रेजीमेंट्स हैं, जो समारोह मनाते हैं इस बात का कि अंग्रेजों के नेतृत्व में अफ्रीका में किस मोर्चे पर लड़ते हुए उन्होंने कितनी सफलता प्राप्त की थी। ऐसे समारोह का क्या अर्थ है? राष्ट्रपति के बॉडी-गार्ड्स हैं, वे समारोह मनाते हैं उस दिन का जब किसी विदेशी वायसराय के अधीन उन्होंने उसकी रक्षा का भार संभाला था। अब उस दिन की वर्षगांठ भी वे स्वतंत्र भारत में और राष्ट्रपति भवन में बैठकर मनाते हैं। मैं मानता हूं कि सेना में परिपाटी का स्थान है, लेकिन परिपाटी को उस सीमा तक नहीं ले जाना चाहिए। कभी-कभी मुझे लगता है कि ब्रिटिश प्रभाव अभी भी बहुत ज्यादा हमारी सेना में है। अब तो सेना के बड़े-बड़े अफसर इंग्लैंड में रिटायर होने के बाद बसने का विचार करते हैं। एक बड़े अधिकारी हैं, जो कि तेहरान चले गए हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बड़े अफसर तेहरान चले गए हैं और उन्होंने तेहरान की नागरिकता भी स्वीकार कर ली है। वहां उन्होंने शादी भी कर ली। यहां उनकी पत्नी थी। उसको उन्होंने तलाक दे दिया और बाद में यहां आकर उस पत्नी को भी ले गए और तेहरान में जाकर बस गए। बड़े आफीसर हैं सेना के वे। मैं कोई व्यक्तिगत मामला नहीं उठा रहा हूं। मैं यह चाहता हूं कि सेना को स्वदेशी ढांचे में ढाला जाए, परंपरा में, प्रकृति में, प्रतिभा में, संस्कार में और स्वभाव में शत-प्रतिशत सेना हमारी भारतीय बने, शौर्य से भरी हुई, त्याग और बलिदान की भावना से परिपूर्ण। वह आज भी है, मैं इसमें कमी नहीं देखता, लेकिन उसकी प्रकृति में थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है।

हमारा सैन्य बल एक नहीं है!

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कभी-कभी मुझे लगता है कि हमारी सेना, हमारा सैन्य बल एक नहीं है। उसके अफसरों की दुनिया एक है और जवानों का संसार अलग है, उनकी वेशभूषा अलग है, उनका भोजन अलग है, यहां तक कि उनका मनोरंजन भी अलग है। जवानों के लिए विविध भारती का संगीत है, मगर अफसरों के लिए रॉक एंड रोल है। बाबूजी सामाजिक समता लाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। क्या सेना में इतनी खाई आवश्यक है? अनुशासन के लिए थोड़ी सी दूरी मैं समझ सकता हूं। लेकिन यह दूरी कर्तव्य-पालन की दृष्टि से होनी चाहिए। उसका

आधार अब चौड़ा नहीं होना चाहिए। उसका आधार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जवान तो पिसने के लिए हों और अफसर खाली हुक्म चलाने के लिए। मैं जानता हूं कि लड़ाई में हमारे जवानों और अफसरों ने मिलकर संघर्ष किया है, कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है और उसके लिए हम अपनी सेना का अभिनंदन करते हैं, लेकिन शांति में खाई इतनी चौड़ी अच्छी नहीं लगती है। यह जवानों के मन में थोड़ी कटुता पैदा कर सकता है, कहीं-कहीं कर रहा है। समय रहते इसको रोकने का प्रयत्न होना चाहिए।

एक आखिरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कहा गया कि हम अणु-शक्ति का उपयोग करेंगे शांति के लिए। यह सरकार की नीति है। मेरा उससे मतभेद है। वैसे जवाहरलाल जी कहा करते थे कि हम अणु-बम कभी नहीं बनाएंगे। शास्त्री जी ने थोड़ा उसमें संशोधन किया और कहा कि हम अभी नहीं बनाएंगे। अब क्या कहा जा रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। अगर अणु-शक्ति का उपयोग शांति के लिए किया जाना है, तो फिर अणु-शक्ति के बारे में इतनी गुप्तता की क्या जरूरत है। एक पर्दा डालकर रखा गया है। संसद को विश्वास में नहीं लिया जाता, देश को नहीं बताया जाता। हमारे जो अणु-शक्ति बनाने वाले कारखाने हैं, वे क्या कर रहे हैं, वे क्या शक्ति बना रहे हैं, यह पर्दादारी की क्या जरूरत है? शांति और गुप्तता साथ-साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान इसका लाभ उठा रहा है कि भारत अणु-बम बनाने में सक्षम है, अभी बना नहीं रहा है, मगर बना सकता है और यह दर्द दिखाकर वह अमरीका से अधिकाधिक मदद प्राप्त कर रहा है। तो कहीं ऐसा न हो कि हम अपनी नीति के कारण जो उसका लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ न ले सकें और जो नुकसान हमें उठाने पड़ सकते हैं, उन नुकसानों के हम भागीदार बन जाएं।

इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है।

लद्दाख में घुसपैठ

सभापति जी, सुरक्षा मंत्रालय का काम देश की रक्षा करना है और जहां तक विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने के प्राथमिक कर्तव्य का सवाल है, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा मंत्रालय अपने कर्तव्य को पूरा करने में सफल नहीं हुआ है। भारत की सीमाएं हमारे पड़ोसियों के लिए सहज आक्रमण का विषय बन गईं। ४२,००० वर्ग मील भूमि जम्मू-काश्मीर में पाकिस्तान के कब्जे में है। यह कहा जा सकता है कि जब पाकिस्तान ने जम्मू-काश्मीर पर आक्रमण किया तब हम तैयार नहीं थे, लेकिन यह तर्क चीन ने जो आक्रमण हमारे ऊपर किया है, उसके संबंध में लागू नहीं होता। लद्दाख जम्मू-काश्मीर का हिस्सा है। जम्मू-काश्मीर में युद्ध की स्थिति है। जम्मू-काश्मीर के आवागमन का नियंत्रण सुरक्षा मंत्रालय के हाथ में है। इससे जो बहुत से लोग जम्मू-काश्मीर जाते थे, उन्हें सुरक्षा मंत्रालय से परमिट प्राप्त करनी होती थी। कभी-कभी वह परमिट दिए जाने से रोक भी दिया जाता था। इसका मतलब यह है कि जम्मू-काश्मीर की सीमा और उसकी सुरक्षा का भार पूरी तरह से सुरक्षा मंत्रालय के ऊपर था। लेकिन चीनी आक्रमणकारी लद्दाख से घुस आया और सुरक्षा मंत्रालय को उसका पता भी नहीं लगा। हम गए थे जम्मू-काश्मीर की रक्षा करने पाकिस्तान से, मगर वह चीनी आक्रमण का विषय बन गया, और इसके लिए सुरक्षा मंत्रालय जिम्मेदार है। क्यों नहीं हमने लद्दाख की सीमा की पूरी व्यवस्था की।

यह कहा जा सकता है कि हमें चीन से आक्रमण की आशंका नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण को देखते हुए हमें लद्दाख की रक्षा का पूरा इंतजाम करना चाहिए था। यह सीमा की ही बात नहीं है। चीनी आक्रमणकारी ४०-५० मील भारत की भूमि में अंदर घुस आया।

लेकिन हमारे सुरक्षा मंत्रालय को पता नहीं लगा। मैं समझता हूं कि सुरक्षा मंत्रालय की सफलता का माप सुरक्षा मंत्रालय द्वारा निर्मित की जानेवाली वस्तुओं से नहीं लगाया जा सकता। उत्पादन में वृद्धि हो, यह बड़े आनंद की बात है। सुरक्षा मंत्रालय सब तरह का सामान तैयार करे इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन इस मंत्रालय का पहला काम देश की रक्षा करना है और

** रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों के अवसर पर बहस के दौरान लोकसभा में ९ अप्रैल, १९६० को भाषण।*

मैं जानना चाहता हूं कि जब चीनियों ने लौंगजू पर आक्रमण कर दिया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इट इज ए क्लिएर केस ऑफ एग्रेशन तो उसके बाद कर्मसिंह और उनके साथियों को चीनी सेना की गोलियों का शिकार बनने के लिए लद्दाख में क्यों भेज दिया गया? सरकार जानती थी कि सन् १९५७ में पता लग गया था कि चीन ने लद्दाख में घुसकर सड़क बनाई है तो फिर कर्मसिंह की पार्टी के साथ में कोई संरक्षण क्यों नहीं दिया गया? उनके पास हथियार नहीं थे और वे जमीन के नीचे खड़े थे और चीनी सेनाएं ऊपर पहाड़ की चोटियों पर बैठी हुई थीं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुरक्षा मंत्रालय ने कर्मसिंह और उनकी पार्टी के साथ रक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया, जिससे कि चीनी आक्रमण से वह बच सकते थे।

लद्दाख की रक्षा केंद्र का दायित्व

अब कहा जाता है कि यह राज्य का विषय है, लेकिन मैं समझता हूं कि लद्दाख के बारे में यह बात लागू नहीं होती है, क्योंकि जब से पाकिस्तान ने लद्दाख पर आक्रमण किया है, लद्दाख की रक्षा का भार केंद्रीय सरकार के जिम्मे है। पहले तो चीनी आक्रमण का पता नहीं लग सका और उन्हें ४० मील भारत की सीमा के अंदर आने से नहीं रोक सके और सबसे बड़ी गलती यह की गई कि कर्मसिंह और उनके साथियों को चीनी सेना द्वारा मारने के लिए छोड़ दिया गया। सुरक्षा मंत्रालय को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है कि जनरल थिमैया ने सन् १९५७ में इस बात की ओर संकेत किया था कि चीनी सेनाएं लद्दाख में घुस आई हैं। यह कहने के लिए मेरे पास एक आधार भी है। १४ दिसंबर, १९५९ के अमरीकी अखबार 'टाइम' में जनरल थिमैया और श्री मोरारजी देसाई के बीच हुई बातचीत को उद्धृत किया गया और सुरक्षा मंत्री ने जैसे उस दिन न्यूयार्क पोस्ट के संवाददाता को दी गई भेंट से इन्कार कर दिया था, अभी परमात्मा का शुक्र है कि वित्त मंत्री महोदय ने उस भेंट से इन्कार नहीं किया है और मैं यह भी नहीं जानता कि उन्होंने इसको पढ़ा नहीं होगा। मैं इसका एक अंश सभापति महोदय, आपके सामने रखना चाहता हूं :

"वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई गुस्से में मामले के तथ्यों को पाने के लिए निकल पड़े।"

लद्दाख के बारे में है।

"भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल के.एस. थिमैया से सवाल-जवाब के दौरान उसने पूछा कि पहले-पहल उन्हें सड़क की जानकारी कब हुई?" १९५७ में, "जनरल ने कहा और उन्होंने प्रस्ताव किया था।"

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : क्या मैं उस पत्रिका का नाम जान सकता हूं जिसमें से वह उद्धृत कर रहे हैं?

श्री वाजपेयी : यह 'टाइम' पत्रिका है। आप इसे पसंद नहीं कर सकते। पर यह यहां है।

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन : उन्हें मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ पत्रिका का नाम जानना चाहता था।

श्री वाजपेयी : महोदय, मैं आपको पत्रिका की पहले ही जानकारी दे चुका हूं। यदि माननीय सदस्य हिंदी नहीं समझते, तो मुझे उनके लिए बहुत दुख है।

" '१९५७ में' जनरल ने कहा और उन्होंने भारत की सुरक्षा की रक्षा के लिए प्रस्ताव पेश किए लेकिन उन्हें रक्षा मंत्री श्री मेनन द्वारा रद्द कर दिया गया। 'क्यों?' "

"क्यों?" यह इन्वर्टेड कामाज में लिखा हुआ है। श्री मोरारजी देसाई ने पूछा है कि ऐसा क्यों?

"क्यों? श्री देसाई ने पूछा। 'क्योंकि', थिमैया ने जवाब दिया, "उन्होंने कहा कि दुश्मन इस तरफ नहीं, दूसरी तरफ है।"

इसका अर्थ यह है कि सुरक्षा मंत्रालय ने हमारे जनरल थिमैया से कहा कि दुश्मन दूसरी तरफ है। अर्थात् दुश्मन चीन की तरफ नहीं है, बल्कि दुश्मन पाकिस्तान की तरफ है। मैं चाहता हूं कि सुरक्षा मंत्री इसका खंडन करें, यदि यह सही न हो। लेकिन अगर यह बात सच है तो सुरक्षा मंत्री चीनी आक्रमण के सामने देश को खुला छोड़कर रख देने के दोषी हैं। पाकिस्तान से आक्रमण की संभावना है। पाकिस्तान ने आक्रमण किया है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, मगर हमारे सुरक्षा मंत्री एक तरफ से आंखें बंद कर लें और केवल अपना ध्यान पाकिस्तान की तरफ लगाए रहें तो देश की सुरक्षा के साथ वह न्याय नहीं कर सकते। अभी भी, चीनी आक्रमण हो जाने के बाद, ऐसा लगता है कि हम चीनी आक्रमण की गंभीरता को नहीं समझे हैं।

अभी उस दिन जब एयर स्पेस के उल्लंघन की चर्चा चली थी और प्रश्न पूछा गया तो जहां तक पाकिस्तान द्वारा हमारे एयर स्पेस के उल्लंघन का सवाल है, सुरक्षा मंत्री ने बड़े विश्वास के साथ जवाब दिया मगर चीन की तरफ से आनेवाले हवाई जहाजों के बारे में वह कुछ नहीं बोले। बाद में राज्यसभा में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देखा है, सुना है, वे ऐसा कहते हैं कि हवाई जहाज चीन की तरफ से आए थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सेनाएं चीन की तरफ से आनेवाले हवाई जहाजों को सुन नहीं सकतीं या देख नहीं सकतीं और क्या हम उनको पहचान नहीं सकते या पहचान लेते हैं तो फिर हमारे सुरक्षा मंत्री महोदय यहां सदन में आकर उसको कहने में झिझकते क्यों हैं? आखिर इसका कारण क्या है? अब अगर हवाई जहाज हम पहचान नहीं सकते तो यह सुरक्षा मंत्री और सुरक्षा मंत्रालय की प्रशंसा के जो पुल बांधे गए हैं, ये कोई मतलब नहीं रखते। देश को स्वाधीनता प्राप्त किए १३ साल हो गए और इस सदन ने कभी भी सुरक्षा मंत्री जो भी धन की मांग करें, उससे उसने इन्कार नहीं किया। हमने सदा जो उन्होंने मांग की उसको उन्हें दिया है। गत वर्ष भी यह कहा गया था और सदन में किसी ने इस बात पर आपत्ति नहीं की कि सुरक्षा के ऊपर अधिक धन खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन उस दिन हमारे माननीय सदस्य श्री त्यागी ने सुरक्षा मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहा था कि भविष्य में चीनी हवाई जहाज भारत की सीमा का उल्लंघन करके नहीं आ सकेंगे, यह आश्वासन क्या आप दे सकते हैं तो उन्होंने कहा था कि रिसोर्सेज परमिटिंग!

चीन और पाकिस्तान एक साथ हमला कर सकते हैं

इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि कन्सिस्टेंट विद ऑवर लिमिटेड रिसोर्सेज। मैं जानना चाहता हूं कि यदि हमारे देश की सीमा में विदेशी हवाई जहाज घुस आते हैं तो वे किस देश के हवाई जहाज हैं, क्या इसका पता लगाने के लिए भी हमारे पास साधन नहीं हैं? अगर सुरक्षा मंत्रालय के पास साधन नहीं हैं तो वे इस सदन में आकर अधिक धन की मांग कर सकते हैं। जब भी उन्होंने कोई मांग की, हमने उसको स्वीकार किया और कभी भी रुपया देने से हमने इन्कार नहीं किया। देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि उत्तरी सीमाओं की उपेक्षा की गई है और आज भी उपेक्षा की जा रही है। चीनी आक्रमण हो जाने के बाद भी सुरक्षा मंत्रालय को अपने कर्तव्य का जिस तरह से पालन करना चाहिए था, वह नहीं कर

रहा है और मैं समझता हूं कि यह देश के लिए बड़ी गंभीर बात है। हमारी सीमाएं दोनों ओर से अतिक्रमण का विषय बन गई हैं।

एक भूतपूर्व रिटायर्ड मेजर जनरल शिवदत्त सिंह आर्मी में रह चुके हैं और मैं समझता हूं कि जो वह कहेंगे, वह अनुभव के आधार पर कहते होंगे। इसलिए मैं उनका उल्लेख करता हूं। उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि चीन और पाकिस्तान कभी एक साथ मिलकर हमारी सीमाओं पर हमला करें। अब पाकिस्तान को अमरीका से हथियार मिल रहे हैं और चीन को रूस के शस्त्रास्त्र प्राप्त हो रहे हैं…

श्री त्यागी : इसलिए दोनों मेल नहीं कर सकते हैं।

श्री वाजपेयी : मैं एक रिटायर्ड मेजर जनरल को यहां पर कोट कर रहा हूं लेकिन अब अगर त्यागी जी उनसे ज्यादा अधिकारपूर्ण वाणी में कहना चाहते हैं तो मुझे उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री जोकीम आल्वा : सभापति महोदय, क्या मैं एक बात जान सकता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि यह मेजर जनरल सिर्फ इस वजह से अखबार में आर्टिकल नहीं भेजते थे कि अखबार उनके नाम के आगे रिटायर्ड मेजर जनरल लिखना चाहता था और वे चाहते थे कि रिटायर्ड शब्द न लिखकर केवल मेजर जनरल ही लिखा जाए?

श्री वाजपेयी : मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र क्या कह रहे हैं और जो वह कह रहे हैं, उसको शायद वह भी नहीं जानते…

श्री जोकीम आल्वा : मैं सही बात कर रहा हूं। मेरा निवेदन यह है …

सभापति महोदय : आर्डर, आर्डर। इस प्रकार का कोई व्यवधान न होने दें। माननीय सदस्य अपने व्यवधान को नहीं समझते और कार्रवाई नहीं चलने देते। उनके खड़े होने और व्यवधान पैदा करने की कोशिशों का कोई अर्थ नहीं है। उन्होंने पहले ही अपना वक्तव्य दे दिया है।

श्री जोकीम आल्वा : मैं वक्तव्य नहीं दे रहा हूं।

सभापति महोदय : इस प्रकार के व्यवधान का कोई अर्थ नहीं है। बोल रहे माननीय सदस्य को जो वह कहना चाहते हैं बोलने का अधिकार है और माननीय सदस्य को उनके वक्तव्य के दौरान व्यवधान पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, हालत आज ऐसी हो रही है कि भविष्य में क्या होना है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सुरक्षा के मामले में हम कोई खतरा नहीं ले सकते और हमें सब प्रकार की संभावनाओं पर विचार करके इसके लिए तैयार रहना होगा और मुझे ऐसा दिखता है कि सुरक्षा मंत्रालय गंभीरता के साथ अभी भी इस सवाल पर विचार नहीं कर रहा है, क्योंकि इस बजट में केवल २९ करोड़ रुपए की अधिक मांग की गई है। मैं नहीं समझता कि चीन के आक्रमण से जो संकट पैदा हुआ है, उसकी गंभीरता को पहचानने का यह परिचायक है।

श्री चाऊ-एन-लाई भारत आ रहे हैं, बातचीत सफल हो जाए तो बड़े आनंद की बात है, लेकिन उन्होंने जो नया नोट भेजा है, वह कोई वार्ता की सफलता का संकेत नहीं करता। वह तो अब एवरेस्ट की चोटी मांग रहे हैं, अभी तक तो वह धरती मांग रहे थे, पर अब आसमान मांग रहे हैं। अभी तक जमीन मांग रहे थे, अब पहाड़ मांग रहे हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मांग रहे हैं। मैं नहीं समझता इस स्थिति में बात सफल होगी, और अगर दुर्भाग्य से बातचीत विफल हो गई तब क्या होगा? तब क्या ये २९ करोड़ रुपए पर्याप्त होंगे? क्या हमारे सुरक्षा मंत्रालय, हमारी

सरकार के पास इतनी सैनिक शक्ति है कि चीनी आक्रमणकारियों को भारत की भूमि से खदेड़ कर बाहर कर सके? इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिए, और इस संदर्भ में सुरक्षा मंत्रालय की मांगों को देखा जाना चाहिए।

नानावटी कांड

सभापति जी, जो रिपोर्ट रखी गई है ऑडिट की तरफ से, उसमें नानावटी कांड का भी उल्लेख है। मैं समझता हूं, उसके बारे में चर्चा करने में सुरक्षा मंत्री को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि दस हजार रुपया उनकी वकालत पर खर्च किया गया, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसमें एक बड़े सिद्धांत का सवाल पैदा होता है कि क्या सेना में काम करनेवाले सैनिक और अफसर सामान्य नागरिकों से अलग हैं? कमांडर नानावटी ने जो कुछ किया वह जल सेना के अफसर के नाते नहीं किया, एक व्यक्ति के नाते किया और व्यक्ति के नाते उन्होंने जो कुछ किया, उसका दंड उन्हें व्यक्ति के नाते भुगतने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि गलत परंपरा नहीं डाली जाएगी। पंजाब में डी.एस. गिल को पंजाब सरकार ने कोई सहायता नहीं दी, यद्यपि उन पर जो आरोप लगाया गया है वह उनके कर्तव्य की पूर्ति के संबंध में लगाया गया है, ऐसा कहा जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि श्री नानावटी के मामले में केंद्र को हस्तक्षेप करने के लिए सुरक्षा मंत्री ने अपने प्रभाव का उपयोग नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री ने उस दिन कहा कि एडमिरल कटारी मेरे पास आए। मुझे यह सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि आखिर एडमिरल कटारी सुरक्षा मंत्री की उपेक्षा करके सीधे प्रधानमंत्री के पास चले गए। उनको इस प्रकार नहीं जाना चाहिए था और मैं समझता हूं कि वह गए भी नहीं हैं। जनरल थिमैया एक बार चले गए थे और उसके कारण कितना बवंडर खड़ा हुआ, यह आप जानते ही हैं। मैं नहीं समझता कि एडमिरल कटारी ने वही गलती की। और मेरा अनुमान है कि सुरक्षा मंत्री ने अपने प्रभाव का उपयोग किया और सदन से इस तथ्य को छिपाया गया। मैं समझता हूं कि यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है।

धीरे-धीरे देश में एक ऐसी हवा बनाई जा रही है, जिसमें लोकतंत्र कुंठित होता जा रहा है। सेना सहायता के काम में मदद करे, यह बड़ी प्रशंसा की बात लगती है। कहीं बाढ़ आ जाए तो सेना सहायता करे, कहीं लॉ एंड आर्डर की शक्तियों की सहायता के लिए सेना को बाजारों में मार्च कराया जाए, यह कानूनी है और हमारे संविधान के अंतर्गत इसकी स्वीकृति है। लेकिन इसमें इस बात का बीज निहित है कि जो सिविल अथॉरिटी है, वह धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है और हम ज्यादा से ज्यादा सेना के ऊपर निर्भर होते जा रहे हैं। भारत के पास पड़ोस में जो घटनाएं हो रही हैं, एशिया, अफ्रीका में लोकतंत्र जिस तरह से आहत होता जा रहा है, और हमारे देश में भी जैसी अधिनायकवादी शक्तियां सिर उठा रही हैं, उस अवस्था में सेना यदि इस प्रकार के अधिक काम करेगी तो मैं नहीं समझता कि यह देश के लोकतंत्र के भविष्य के लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा की शक्ति को बढ़ाया जाए। विदेशी आक्रमण को ध्यान में रखकर हम अपनी सैनिक सामर्थ्य में वृद्धि करें। सेना में यदि प्रांतीयता आती हुई दिखाई देती हो तो उसका निराकरण करें और सेना में जो जातियों के नाम पर सेनाओं के नाम रखे गए हैं, जैसे मराठा रेजीमेंट या जाट रेजीमेंट या सिख रेजीमेंट, मैं समझता हूं कि सेकुलर भारत में इन सांप्रदायिक नामों के लिए स्थान नहीं है। इन नामों को खत्म कर देना चाहिए और संप्रदाय के आधार पर सेना का संगठन नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।

शस्त्र निर्माण में आत्मनिर्भर बनें

उपाध्यक्ष महोदय, रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार करते समय आज सुरक्षा की दृष्टि से देश के सामने जो भयंकर संकट खड़ा हो गया है, उस पर थोड़ा सा विचार करना आवश्यक है।

इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, यह हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। अगर हम अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, विदेशी आक्रमण का मुकाबला नहीं कर सकते, तो फिर हमारी संपूर्ण विकास योजनाएं कोई अर्थ नहीं रखतीं। और इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि भारत की सुरक्षा के लिए आज एक संकट उत्पन्न हुआ है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे हमारे देश को चारों ओर से घेरने का प्रयत्न किया जा रहा है। सीमा के दो ओर पाकिस्तान उपस्थित है, जिसे अमरीका से आधुनिकतम शस्त्र प्राप्त हो रहे हैं और अमरीकी नेताओं की इस घोषणा के बावजूद कि वे हथियार भारत के विरुद्ध काम में नहीं लाए जाएंगे, पाकिस्तान के नेता और पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह इस बात के अपने इरादे को छुपाते नहीं हैं कि वे यदि हथियार प्राप्त कर रहे हैं तो भारत के विरुद्ध प्राप्त कर रहे हैं।

उधर पुर्तगाल बैठा हुआ है गोवा में अधिकार जमाकर। पाकिस्तान का और पुर्तगाल का गठबंधन है। पुर्तगाल के साथ पाकिस्तान का जो व्यापारिक समझौता हुआ है, उसमें गोवा को पुर्तगाल का एक ओवरसीज प्रोविंस माना गया है। पुर्तगाल नाटो का मेंबर है और पाकिस्तान भी सैनिक गठबंधनों में शामिल है। उधर सुदूर दक्षिण में मालद्वीप में ब्रिटिश अड्डा ब्रिटेन की रक्षा के लिए नहीं है। यदि कोई संकट खड़ा हुआ तो मालद्वीप भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

अभी तिब्बत में जो घटनाएं हुई हैं, उनसे हमारी उत्तरी सीमा भी अरक्षित हो गई है। चीन और भारत के बीच में तिब्बत के रूप में एक बफर राज्य था। वह समाप्त हो गया और १२०० मील की हमारी सीमा चीन से जाकर मिलती है। हम मित्रता चाहते हैं, यह बात ठीक है। हम शांतिप्रिय देश हैं। किसी देश के विरुद्ध हमारे आक्रमणात्मक इरादे नहीं हैं। लेकिन हमें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए। पाकिस्तान प्रति दिन सीमा पर आक्रमण करता है। हमारे

** रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान लोकसभा में ८ अप्रैल, १९५९ को भाषण।*

सुरक्षा मंत्री, जब उन्हें भाषण देने का मौका मिलता है कहते हैं, घोषणा करते हैं कि अगर भारत पर किसी ने आक्रमण किया, तो उसका मुंहतोड़ उत्तर दिया जाएगा। मेरा निवेदन है कि भारत की सीमा पर तो आक्रमण हो चुका है। काश्मीर का एक-तिहाई हिस्सा, जो कि वैधानिक रूप से भारत का अंग है, पाकिस्तान के कब्जे में है। तुकेर ग्राम में पाकिस्तानी सेना बैठी है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि तुकेर ग्राम हमारा है, मगर हम लड़ेंगे नहीं—क्यों नहीं लड़ेंगे? क्योंकि उसको वापस लेने के लिए हमको बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी।

आक्रमण हुआ तो क्या होगा?

सवाल यह है कि अगर हम पाकिस्तान से बड़ी लड़ाई नहीं करना चाहते तो कल अगर पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अचानक हमला कर दिया तो हमारी स्थिति क्या होगी? अभी तक सुरक्षा मंत्री ने इस संबंध में इस सदन को विश्वास में नहीं लिया कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई सैनिक शक्ति की दृष्टि से हम कहां पर खड़े हैं। क्या हम किसी आकस्मिक हमले का मुकाबला कर सकते हैं? दो-तीन हफ्ते मैदान में टिक सकते हैं? बाद में फिर अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप हो, हम अपने और मित्रों को मैदान में ले आएं, यह बात अलग है। परंतु प्रश्न यह है कि पहले दो-तीन हफ्ते क्या होगा?

इसके साथ इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे देश में विदेशों के जासूस काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी जासूस ऊंचे-ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। अभी दलाई लामा के भारत में आने की खबर जिस तरह से पेकिंग पहुंच गई, वह भी एक चिंता का कारण है। क्या हमारी इंटेलीजेंस सर्विस मजबूत है? कहीं उसमें कोई छिद्र तो नहीं है? उसमें अवांछनीय व्यक्तियों ने तो प्रवेश नहीं किया, जो अंदर से हमारे देश को खोखला बना दें। कभी बाहर से आक्रमण हो और अंदर पंचमार्गी सक्रिय हो जाएं, वह हमारी सुरक्षा के केंद्रों पर हमला करें, तोड़-फोड़ करें, उस समय भारत की क्या स्थिति होगी। इस संबंध में सुरक्षा मंत्री को प्रकाश डालना चाहिए। लेकिन इस संकट का मुकाबला करने के लिए देश को जिस ढंग से तैयार करने की आवश्यकता है, वह नहीं किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हमें राष्ट्र का सैनिकीकरण करना चाहिए—किसी पर आक्रमण के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए। प्रत्येक युवक और युवती को हमें सैनिक शिक्षा देनी चाहिए। उससे अनुशासन पैदा होगा, मिलकर काम करने की भावना जागेगी और संकट के समय भी हम उस सेना का—उस शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अभी विश्वविद्यालय से निकलनेवाले ग्रेजुएट्स को सामाजिक सेवा के लिए छह महीने के लिए गांवों में भेजा जाए, इस तरह के सुझाव सामने आ रहे हैं। मैं उनका विरोधी नहीं हूं, मगर मेरा निवेदन है कि हम अपने ग्रेजुएटों के लिए सैनिक शिक्षा अनिवार्य करने के संबंध में भी गंभीरता के साथ विचार करें।

इसके साथ ही हम शस्त्रों के निर्माण की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनें, इस बात की भी आवश्यकता है। यह ठीक है कि इस संबंध में हम रूस से या अमरीका से प्रतियोगिता नहीं कर सकते। हम एटम बम या हाईड्रोजन बम नहीं बना सकते, लेकिन जिन्हें ट्रैडीशनल वैपंस कहा जाता है, जो परंपरा से चले आनेवाले हथियार हैं, उनको हम अपने देश में कितना बनाते हैं और उनके लिए विदेशों का कितना मुंह जोहते हैं, इसका विचार किया जाना चाहिए। इस संबंध में हमारी जो आर्डिनेंस फैक्टरियां हैं, उनमें उत्पादन बढ़ रहा है, यह प्रसन्नता की बात है—और भी बढ़ना चाहिए,

लेकिन उन आर्डिनेंस की फैक्टरियों को हम सिविलियन काम के लिए लगाएं और सेना के लिए काम में आनेवाली चीजों के लिए हम विदेशों पर निर्भर रहें, मैं समझता हूं कि यह स्थिति ठीक नहीं है। आर्डिनेंस फैक्टरियों की सारी शक्ति सेना को शस्त्रास्त्र की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में लगनी चाहिए। इस संबंध में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि सेना को सिविलयन काम के लिए उपयोग करने की जो नीति है, उससे मैं सहमत नहीं हूं।

अभी एक प्रश्न हुआ है जिसमें हमारे उपमंत्री महोदय ने बताया कि अंबाला में सेना ने मकान बनाए, उसकी बड़ी प्रशंसा की गई। वह काम प्रशंसनीय हो सकता है। उसकी फिल्म्स भी बनाई गई। लेकिन उनसे पूछा गया कि क्या पठानकोट में ऐसे मकान बनाए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से यह बताना ठीक नहीं है। अगर पठानकोट के बारे में बताना ठीक नहीं है, तो अंबाला के बारे में इतना प्रचार क्यों किया गया? यह बात अलग नहीं है। अगर सेना को सिविलियन काम में लगाया गया, तो उसके अनुशासन पर प्रभाव पड़ेगा। सेना का काम है देश की रक्षा करना, सैनिक शिक्षण प्राप्त करना, उसमें निरंतर लगे रहना। हमारे देश में जन-बल की कमी नहीं है। मजदूर बड़ी संख्या में हैं मकान बनाने के लिए। हम उनका उपयोग कर सकते हैं। हमने रिपोर्ट में देखा कि इस बात की बड़ी प्रशंसा की गई है कि दिल्ली की जल-व्यवस्था टूट गई और सेना के दो सौ जवान लगा दिए गए। क्या ये दो सौ जवान पुलिस से नहीं आ सकते थे? क्या दिल्ली में कोई स्वयंसेवक संगठन नहीं थे, जिनकी सेवाएं इस बारे में ली जा सकती थीं? सेना को लाने की आवश्यकता क्या थी? जमशेदपुर में मजदूरों की हड़ताल को कुचलने के लिए सेना लाई गई। मैं समझता हूं कि यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। भारत के चारों तरफ जब सैनिक तानाशाहियों की स्थापना हो रही है, लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, तब सेना को अधिकाधिक सिविलियन काम में लाना एक ऐसी प्रवृत्ति का श्रीगणेश करना है, जो आगे चलकर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। मगर जनता के मन में यह भावना पैदा हो कि सिविलियन इंस्टीटूयशंस काम नहीं कर सकतीं और अगर संकट पैदा होगा, तो हमें सेना की ओर देखना चाहिए, मैं समझता हूं कि इसको निरुत्साहित करने की आवश्यकता है।

रेजिमेंटों का नामकरण नए सिरे से करें

एक बात और। अंग्रेज चले गए, उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर हमारी सेना का विभाजन किया था—सेनाओं के सांप्रदायिक नाम रखे थे। हम समझते थे असांप्रदायिक राज्य की स्थापना के बाद सेना के सांप्रदायिक नाम समाप्त कर दिए जाएंगे—जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, इस तरह का विभागीकरण नहीं होगा। हमारी सेना राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होनी चाहिए; और हृदय की भावनाओं की दृष्टि से उसमें राष्ट्रीय एकता है भी, लेकिन ये ऊपर के नाम देश में कोई स्वस्थ राष्ट्रीयता की भावना का निर्माण करने में सहायक नहीं हो सकते। मैं समझता हूं कि इन नामों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। देश के महापुरुषों के नाम पर हम इनके नाम रख सकते हैं, जिससे सांप्रदायिकता प्रकट न हो और सेना में सांप्रदायिकता के इस जहर के प्रवेश करने की किंचित् मात्र भी संभावना न रह जाए। लेकिन इन नामों का समर्थन किया जाता है। कहा जाता है कि ये नाम बहुत प्राचीन काल से चल रहे हैं। प्राचीन काल से हमारे देश की गुलामी भी चल रही थी, मगर हमने उसे खत्म कर दिया। प्राचीन काल से सांप्रदायिकता भी चल रही है, जिसके विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि राष्ट्र जीवन में सांप्रदायिकता

के लिए कोई स्थान न रहे तो सेना में इस प्रकार के सांप्रदायिक नाम—कम्यूनल नामेनक्लेचर नहीं होने चाहिए। उनसे हमको विदा लेने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैने आपसे जासूसी के बारे में कहा। अब स्थिति ऐसी है कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की एक इंटेलीजेंस सर्विस अलग है और होम मिनिस्ट्री की इंटेलीजेंस सर्विस अलग है और हमारी राज्य सरकारें अपनी अलग इंटेलीजेंस सर्विस रखती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तीनों में कोआर्डिनेशन कौन करता है—कोआर्डिनेशन है या नहीं। अगर कोआर्डिनेशन नहीं है, तो यह बड़ी चिंता की बात है और आवश्यकता इस बात की है कि जितनी भी हमारी गुप्तचर संस्थाएं हैं, विदेशी पंचमार्गियों के कार्यों पर नजर रखनेवाली जितनी संस्थाएं हैं, उनमें समन्वय होना चाहिए, जिससे वे पंचमार्गियों पर नजर रख सकें और संकट के समय अपनी सारी शक्ति इस प्रकार के जो हमारे रहस्य हैं, उनको प्रकट होने से रोक सकें। अभी इस संबंध में व्यवस्था ठीक नहीं है। मुझे पता है कि हमारे प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद में काश्मीर के सवाल के ऊपर भाषण कर रहे थे और वहां पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने भाषण दिया कि भारत की सेना जो झांसी में मौजूद है, वह पाकिस्तान की ओर बढ़ रही है। यह उनको खबर कैसे लगी?

सीमाएं असुरक्षित हैं

हमारी सेना पाकिस्तान की तरफ नहीं बढ़ रही थी और न इस बात का कोई कारण ही था। लेकिन हमारी सेना कवायद परेड करते समय कुछ पाकिस्तान की दिशा में जा रही थी १५-२० मील तक। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि गुप्तचरों का जाल बिछा हुआ है और ऊंचे-ऊंचे पदों तक वे पहुंच गए हैं। दलाई लामा की खबर जिस तरह से प्रकट हुई है, उससे लगता है कि हमारा जो कोड है, वह भी सुरक्षित नहीं है। सीमा से खबर भेजी गई नई दिल्ली को कि दलाई लामा भारत में आ गए हैं, मगर वह खबर नई दिल्ली आने से पहले ही पेकिंग पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? क्या नई दिल्ली में से निकली? प्रधानमंत्री कहते हैं, नई दिल्ली में से नहीं निकली। तो क्या सीमा पर से इसका रहस्योद्घाटन हुआ? तीसरी संभावना यह भी है कि सीमा से नई दिल्ली आने के बीच में जब वह ट्रांसमीटर से भेजी जा रही थी तो उसे इंटरसैप्ट कर लिया गया और अगर इंटरसैप्ट किया गया तो इसका अर्थ यह है कि जो हमारा कोड है, वह जिनको मालूम नहीं होना चाहिए उनको मालूम है। उन्होंने उसको डी-कोडिफाई कर लिया। अब स्थिति ऐसी नहीं जैसे कि हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है कि यह तो बड़ा डिप्लोमैटिक डेलिकेट सवाल है और इस संबंध में हम स्थगन प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव रद्द किया जा सकता है मगर इस खबर के रहस्योद्घाटन से हमारा जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है और हमारे जो रहस्य हैं, उनको वह रहस्य के रूप में नहीं रख सका, यह बात जरूर प्रकट हो गई। अगर इस स्टेट सिक्योरिटी को आज हम नहीं रख सकते हैं तो संकट के समय क्या होगा, इसकी चिंता करते हुए दिल दहलने लगता है।

मैं कोई आतंक की भावना पैदा नहीं करना चाहता और मैं समझता हूं कि अगर कोई संकट पैदा होगा तो सारा देश मिलकर उसका मुकाबला करेगा। यह बात अलग है कि मुट्ठी-भर लोग विदेशियों का साथ दें, मगर संपूर्ण देश बाहरी आक्रमण का सामना करने के लिए एक व्यक्ति के रूप में खड़ा रहेगा। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हमारी सुरक्षा की व्यवस्था पक्की होनी चाहिए। हमारी सीमाएं अनेक राज्य सरकारों की सीमाओं के साथ लगी हुई हैं और वे सरकारें उन

सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकती हैं क्योंकि उनके पास व्यक्ति नहीं हैं, पुलिस नहीं है, धन नहीं है। राजस्थान की सीमा असुरक्षित पड़ी है। आवश्यकता इस बात की है कि सीमाओं की रक्षा का प्रबंध केंद्रीय सरकार को लेना चाहिए। अगर हम वहां सेना नहीं रख सकते हैं तो हम एक स्पेशल पुलिस कांस्टेबलरी भरती करें, केंद्र की ओर से, जो सीमा की रक्षा करे। इससे देश में एक आत्मविश्वास की भावना पैदा होगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि सीमा पर रहनेवाले लोगों में भी यह विश्वास पैदा हो कि किसी भी आक्रमण का हिम्मत के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया जाएगा। इस वास्ते जरूरत इस बात की है कि इस सदन को विश्वास में लिया जाए कि भारत की सुरक्षा को जो नया खतरा पैदा हो गया है, उसका मुकाबला करने में हम पूरी तरह समर्थ हैं। देश की जनता में मनोबल जगाने के लिए, इस सदन को विश्वास दिलाने के लिए, इस बात की सबसे अधिक आवश्यकता है, और मैं चाहता हूं कि देश का और सुरक्षा मंत्रालय का ध्यान इस ओर जाए। धन्यवाद।

सेना भारतीयता की पहचान बने

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न किसी दल का या वर्ग का प्रश्न नहीं है। राजनैतिक दृष्टि से हमारे बीच में कोई भी मतभेद हो, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का और स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रश्न है, सारा भारत एक है, और किसी भी संकट का सामना हम सब पूर्ण शक्ति के साथ करेंगे। इस विषय में किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। जैसा अभी मेरे मित्र ने कहा, हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यह ठीक है कि हम राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, हमारे सामने विकास योजनाएं हैं, किंतु राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो संकट है, उसे भी हम अपनी दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते। आज परिस्थिति क्या है? हमारी ही गलती के कारण हमारी ही भूमि पर एक ऐसे राज्य का निर्माण हो गया है जो अमेरिकी शस्त्रों से लैस होकर हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए संकट का कारण बन गया है। हम उस पर आक्रमण करना नहीं चाहते। हमारी परंपरा भी किसी पर आक्रमण करने की नहीं रही है। लेकिन हम पर आक्रमण हो सकता है, और मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि भारत की भूमि पर आज आक्रमण हुआ है। काश्मीर का एक-तिहाई भाग और गोआ, ये भारतीय भूमि पर हमारी सार्वभौम सत्ता के विरुद्ध पाकिस्तान और पुर्तगाल के खुले आक्रमण के उदाहरण हैं। काश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के अधिकार में है वह वैधानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक, भौगोलिक सभी दृष्टियों से भारत का भाग है, किंतु आज उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। दूसरे शब्दों में उस पर पाकिस्तान का आक्रमण कायम है। यही स्थिति गोआ के बारे में है। हम भले ही किसी पर आक्रमण न करें किंतु अपनी भूमि पर से दूसरों के आक्रमण को हटाने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि पाकिस्तान और पुर्तगाल का गठबंधन हो गया है, और कभी-कभी ऐसी आशंका होती है कि भारत को चारों ओर से घेरने का प्रयास किया जा सकता है। उसके प्रतिकार के लिए, उसका सफलतापूर्वक सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमारी स्थिति सुदृढ़ होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर नए बजट में सुरक्षा के लिए जो ५० करोड़ रुपया अधिक दिया गया है, उसे मैं अधिक नहीं मानता। मगर आवश्यक हो तो सुरक्षा के लिए हमें इससे

** रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान लोकसभा में २४ और २५ जुलाई, १९५७ को भाषण।*

भी अधिक धन देने के लिए तैयार रहना चाहिए।

इस संबंध में मेरा एक निवेदन है। हम जो भी खर्चा करें, जो भी धन स्वीकृत करें, उसका ठीक तरह से सदुपयोग होना चाहिए। लेकिन एस्टीमेट्स कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उससे ऐसा मालूम होता है कि हम सुरक्षा के लिए स्वीकृत धन का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। आर्मी स्टोर्स के संबंध में जो एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया है कि पिछले पांच वर्षों में खाद्यान्न के बारे में इतना नुकसान हुआ है जो ३,१२,९२४ रुपए पर आता है, और मेडीकल स्टोर्स और ए.ओ.सी. स्टोर्स के बारे में भी जो हमारी क्षति हुई है, उसकी राशि भी काफी बड़ी है। ए.ओ.सी. स्टोर्स में पिछले चार साल में—१९५६-५७ को उसमें शामिल नहीं किया गया है—८,६०,४०,९१४ रुपए का सामान बर्बाद हुआ है। क्यों ऐसा हो गया? इसके अनेक कारण दिए जा सकते हैं। एस्टीमेट्स कमेटी ने स्वयं भी कई कारण बताए हैं जिनमें एक यह भी है कि स्टोर्स को रखने के लिए कोई ढकी हुई जगह नहीं है। लेकिन दूसरी ओर एस्टीमेट्स कमेटी का कहना है कि १५ लाख वर्ग फीट कवर्ड एकोमोडेशन ऐसी है जिसका उपयोग नहीं किया गया। करोड़ों रुपए का सामान एक ओर तो इसलिए बर्बाद हो रहा है कि ढकी हुई जगह नहीं है, दूसरी ओर ऐसे स्थान उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं जो ढके-मुंदे हैं। एक 'डिफेंस स्टोर्स एंक्वायरी कमेटी' कायम की जानी चाहिए जो इन सब बातों की जांच करे और इस बात की सावधानी बरते कि जो भी हम खर्च करें, उसका ठीक तरह से सदुपयोग हो और कम से कम बरबादी हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो मिलिटरी इंटेलीजेंस आर्गनाइजेशन है वह ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। हमारे यहां विदेशों के गुप्तचर हैं और वे सक्रिय हैं। हमारी सेना की गतिविधियों की छोटी-छोटी खबरें जिनके पास नहीं पहुंचनी चाहिए, पहुंच जाती हैं। मैं आपको दो उदाहरण दूंगा।

झांसी में हमारी छावनी है। जब हमारे प्रतिनिधि सुरक्षा परिषद में काश्मीर के बारे में बहस कर रहे थे, तो वहां जो हमारी सेना है वह कुछ कवायद, परेड के सिलसिले में बीना की तरफ गई और पंद्रह-सोलह मील का रास्ता उसने तै किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस समय झांसी में हमारी सेना यह हलचल कर रही थी, उसी समय पाकिस्तान के सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधि ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत की सेनाएं पाकिस्तान की ओर बढ़ रही हैं, और झांसी की जो हमारी सेना सामान्य हलचल कर रही थी, उसका उल्लेख किया। यह हमारे लिए बड़े संकट की सूचना है। झांसी की हमारी सेना हलचल करे और उसकी खबर पाकिस्तान को लग जाए और उसका उल्लेख सुरक्षा परिषद में किया जाए, यह साधारण बात नहीं है।

एक दूसरा उदाहरण भी मेरे पास है। अभी कुछ दिन हुए झांसी में वहीं के एक पोस्ट ऑफिस में झांसी के हमारे ब्रिगेडियर के नाम एक पार्सल रजिस्टर कराया गया और उस पर पोस्ट ऑफिस के ही किसी कर्मचारी से ब्रिगेडियर साहब का पता लिखाया गया, लेकिन जब वह पार्सल ब्रिगेडियर साहब के पास पहुंचा और खोला गया तो उसमें एक बम बरामद हुआ। मैं चाहूंगा कि सुरक्षा मंत्रालय इस संबंध में जानकारी प्राप्त करे, जांच करे। अगर हमारा मिलिटरी इंटेलीजेंस आर्गनाइजेशन विदेशी गुप्तचरों पर कड़ी नजर नहीं रख सकता तो मुझे आशंका है कि किसी भी संकट के समय हमारी सुरक्षा का पता जिनको नहीं लगना चाहिए, उनको लग जाएगा, और हमको बाद में हाथ मलकर पछताना पड़ेगा।

इस संबंध में मेरा सुझाव है कि हमारे सुरक्षा मंत्री विदेश मंत्रालय के साथ संबंध स्थापित करें,

गृह मंत्रालय के साथ संबंध स्थापित करें। गृह मंत्रालय का एक अलग गुप्तचर विभाग है। राज्यों के भी इंटेलीजेंस डिपार्टमेंट हैं। उन सबकी शक्तियों को और कार्यवाहियों को एक साथ चलाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से जितनी जल्दी प्रयत्न किया जाएगा, उतना ही अच्छा होगा।

इस संबंध में मुझे एक निवेदन और करना है। अंग्रेज चले गए, मगर हमारी सेनाओं का अभी भारतीयकरण नहीं हुआ। यह आवश्यक है कि हमारी जल सेना का, थल सेना का और नभ सेना का भारतीयकरण किया जाए। उसमें जो अभारतीय तत्व हैं, जिनकी निष्ठा संदिग्ध है, और किसी भी संकट के समय जो हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, उन तत्वों का हमें सेना के प्रत्येक भाग में से निराकरण कर देना चाहिए। हमारा जो डाकयार्ड है उसमें ११,००० अभारतीय काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि किसी संकट के समय उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है।

सेना को जातिवाद, दिशावाद से दूर रखें

मैं निवेदन कर रहा था कि हमारी सेना की सभी शाखाओं के स्वरूप और अंतरात्मा का भारतीयकरण होना चाहिए। मेरा अभिप्राय यह है कि हमारी सेनाओं का स्वरूप जैसा ऊपर से दिखाई देता है और जो भावनाएं हमारी सेनाओं के भीतर भरी जाती हैं, उन सब में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वे हमारी राष्ट्रीयता के अनुकूल हों। अंग्रेजों को विदा हुए दस साल हो गए, लेकिन अभी तक सेनाओं का जो सांप्रदायिक वर्गीकरण किया गया था, वह चल रहा है। कोई डोगरा रेजीमेंट है, कोई राजपूत रेजीमेंट है, कोई जाट रेजीमेंट है और कोई सिख रेजीमेंट है। हम सभी ने भारत को एक असांप्रदायिक राज्य के रूप में घोषित किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि संप्रदाय के आधार पर सेनाओं का वर्गीकरण करना क्या हमारे असांप्रदायिक राज्य के अनुकूल है?

रेल उपमंत्री श्री शाहनवाज खां : इन नामों के पीछे एक लंबा इतिहास है।

श्री वाजपेयी : इस इतिहास को मैं जानता हूं, मगर वह सारा इतिहास ऐसा है, जिसकी समाप्ति हमारे देश के विभाजन के रूप में हुई। अगर हम नहीं चाहते कि फिर से सांप्रदायिकता इस देश में पैदा हो, तो सेना की नामावली में से हमें उसका निराकरण कर देना चाहिए। मैं देखता हूं कि देश की स्वाधीनता के पश्चात् भी वही नाम जारी हैं। इनमें परिवर्तन करने में कौन-सी कठिनाई है, इसे समझने में मैं असमर्थ हूं। जो भी हमारी सेनाएं हैं, वे भारत की सेनाएं हैं—भारतीय सेनाएं हैं। उनका काम संपूर्ण भारत की रक्षा करना है। यदि हम उन्हें संप्रदाय के आधार पर बांटेंगे या जैसा कि कल हमारे एक मित्र ने सवाल खड़ा किया, उनमें उत्तर और दक्षिण का प्रश्न खड़ा किया जाएगा, तो हमारी राष्ट्रीय एकता, जिसकी हमारी सेनाएं प्रतीक हैं, छिन्न-भिन्न हो जाएगी और हमारी सेनाओं में भी, जिनके ऊपर हम सबको गर्व है, सांप्रदायिकता के कीटाणु घुस जाएंगे। यदि अपनी सेनाओं या रेजिमेंटों के नाम हमें रखना है, तो राजपूत रेजिमेंट के स्थान पर राणा प्रताप रेजिमेंट रखें, मराठा रेजिमेंट की जगह शिवाजी रेजिमेंट और तानाजी रेजिमेंट रखें, सिख रेजिमेंट की जगह रणजीत सिंह रेजिमेंट या हरिसिंह नलवा रेजिमेंट रखें। ये नाम ऐसे होने चाहिए जो वीरता का भी संचार करें और जिनसे सांप्रदायिकता की भावना भी पैदा न हो।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी आपसे निवेदन किया है कि कल हमारे एक मित्र ने उत्तर और दक्षिण का सवाल खड़ा किया था। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हो रहा था, तब भी इस प्रकार की भाषा बोली गई थी। हमारे देश में पहले से ही अनेक

वाद हैं—प्रांतवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद। अब एक नया वाद पैदा हो रहा है, जिसका नाम है दिशावाद। उत्तर और दक्षिण अलग-अलग दिशाओं के रूप में लिए जाते हैं। मैं बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि केवल दो ही दिशाएं नहीं होती हैं—दिशाएं आठ होती हैं। उत्तर और दक्षिण हैं, तो पूर्व और पश्चिम भी हैं। उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पूर्व और उत्तर-पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम भी दिशाएं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि उत्तर कहां समाप्त होता है और दक्षिण कहां शुरू होता है। राजनीति में ये झगड़े चल सकते हैं, मगर मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि सेनाओं को इन झगड़ों से अछूता रखना चाहिए। जब सेनाओं की भरती की जाती है, तो हम प्रांत या संप्रदाय का विचार नहीं करते। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिन प्रांतों के व्यक्तियों को अभी तक समान अवसर नहीं मिले हैं, उन्हें अवसर मिलना चाहिए और जो हमारे पिछड़े हुए भाई हैं उन्हें भी अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिए, किंतु हम सेना की भरती और सेना के स्वरूप पर दिशा या प्रांत की दृष्टि से विचार करें, इस दृष्टिकोण को मैं मूलतः गलत समझता हूं। काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और इसकी सेना हमारी राष्ट्रीय सेना है और यह संपूर्ण देश का संरक्षण करेगी।

सेना में प्रांतवाद न तलाशें

अगर हमारे किसी मित्र को यह आपत्ति है कि सेना में उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा हैं, तो उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधि के नाते मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि आप चाहें तो दस साल के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों की सेना में भरती बंद कर दीजिए। शायद मेरी इस बात से उत्तर प्रदेश के मेरे मित्र सहमत न होंगे, मगर इस संबंध में मेरा निवेदन केवल यही है कि यहां पर यह सवाल खड़ा न किया जाए कि सेना में किस प्रांत के कितने आदमी हैं। प्रश्न प्रांत का नहीं है, राष्ट्र की सुरक्षा का है। मैं समझता हूं कि अगर हम यह प्रयत्न करेंगे कि सेना में भी उसी जहर के कीटाणु प्रवेश कर जाएं, जिन्होंने हमारे संपूर्ण राष्ट्र-जीवन को जर्जर बना दिया है, तो मुझे इस देश के लिए कोई आशा दिखाई नहीं देती।

हमारी सेना में एक मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस है, जिसे एम.ई.एस. कहा जाता है। क्या काम है उसका? मुझे बताया गया है कि जो ठेकेदार हैं, उनके और सेना के बीच में मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस संपर्क स्थापित करने का काम करती है और जितने भी निर्माण के कार्य हैं, वे ठेकेदारों द्वारा होते हैं। ९८ फीसदी कार्य ठेकेदार करते हैं, इस तरह की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षा मंत्रालय इस बात पर गंभीरता के साथ विचार करेगा कि क्या मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस का निर्माण के कार्यों में और अधिक उपयोग किया जा सकता है? कल हमारे कुछ मित्रों ने इस बात की मांग की थी कि अंग्रेजों ने सेनाओं और जनता के बीच में दीवारें खड़ी कर दी थीं, वे दीवारें ढहा दी जानी चाहिए। मेरा निवेदन है कि सेनाओं की कार्यकुशलता—एफिशेंसी—बनाए रखते हुए और उनके अनुशासन—डिसिप्लिन—की रक्षा करते हुए यदि हम उनका उपयोग अपने निर्माण-कार्यों में करेंगे, तो मैं समझता हूं कि सेनाएं अनायास ही जनता के अधिक निकट आ जाएंगी। इस संबंध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

झांसी के किले का एक बुर्ज गिर गया और ठेकेदारों से जब उस बुर्ज को बनाने की बात की गई तो उन्होंने ८० हजार रुपए मांगे, लेकिन सेना के जवानों ने उस बुर्ज का निर्माण अपने परिश्रम से—अपने प्रयत्न से कर दिया। आज भी जब कोई व्यक्ति झांसी जाता है और रानी

लक्ष्मीबाई का किला देखता है, तो उसकी आंखें बुर्ज की ओर खिंच जाती हैं, जो कि हमारे जवानों के निर्माण का ज्वलंत प्रतीक बनकर खड़ा है। अगर हम अपनी सेना को—और विशेषकर मिलिटरी इंजीनियरिंग सर्विस को ऐसे कामों में लगा सकें तो हमारी बचत भी होगी। आजकल ठेकेदार जिस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे को बर्बाद करते रहते हैं, उसका भी अंत होगा और जनता के पैसे की रक्षा होगी; और साथ ही सेना और जनता को निकट लाने का हमारा उद्देश्य भी बहुत हद तक पूरा हो जाएगा।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

कल हमारे कुछ मित्रों ने भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कुछ बातें की थीं। यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि हमें अपने भूतपूर्व सैनिकों के लिए जैसी व्यवस्था करनी चाहिए, वह हम नहीं कर पाते हैं। अन्य देशों की तुलना में हमारी व्यवस्था बहुत कमजोर है। इसके लिए हमारी परिस्थितियां भी उत्तरदायी हैं, लेकिन भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास यदि हम ठीक ढंग से करना चाहते हैं, तो इस बात की आवश्यकता है कि जब सैनिक हमारी सेना में काम कर रहा है, हम उसे कोई ऐसी शिक्षा दें, जिसको वह बाद में जीवन-यापन का साधन बना सकें। हमारे भूतपूर्व सैनिक शिक्षक बन सकें, जीवन के और भी क्षेत्रों में उनकी सेवाओं का उपयोग हो सके, इस बात को ध्यान में रखकर, जब सेना में काम करते हैं, उसी समय सैनिक शिक्षा के साथ उनको इस दृष्टि से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि एक बार जब वे रिटायर हो गए, उन्होंने अवकाश प्राप्त कर लिया, तो उनको जीवन-यापन की सुविधाएं मिल सकें और वे अपना जीवन स्वाभिमान के साथ बिता सकें।

एक बात मुझे और कहनी है। हम अपनी सेना के लिए हथियारों को प्राप्त करने के लिए अभी तो विदेशों पर निर्भर रहते हैं। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि यह निर्भरता हमारे लिए वांछनीय नहीं है। शीघ्र से शीघ्र हमें आधुनिकतम शस्त्रों की दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए। सैनिक उद्योगों का विकास किया जाना चाहिए। हम नए से नए हथियारों का निर्माण करें, उनमें अपने सैनिकों को शिक्षा दें, इस बात की जरूरत है, और शीघ्र ही वह समय आए, जब हम कनवेंशनल आर्म्स—पुरानी परिपाटी के हथियारों—की दृष्टि से पूर्णतया आत्मनिर्भर हो जाएं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। जब अंग्रेज यहां राज करते थे उस वक्त यहां वायसरायेस कमिशंड आफिसर हुआ करते थे। अंग्रेज यहां से चले गए, वायसराय महोदय भी विदा हो गए, मगर सेना के ढांचे में इसके अतिरिक्त कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि 'वायसरायेस' नाम निकल गया, जूनियर कमिशंड आफिसर हो गए। अब स्थिति यह है कि हर एक प्लेटून में, हर एक कंपनी में, हर एक बैटेलियन में एक तो सीनियर कमिशंड आफिसर है और एक जूनियर कमिशंड आफिसर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षा मंत्रालय इस बात पर गंभीरता से विचार करे कि कार्यक्षमता को बनाए रखते हुए क्या अधिकारियों की संख्या में कमी कर सकना तथा खर्चे को बचा सकना संभव नहीं है?

इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है, धन्यवाद।

नजरबंदी और संकटकाल

अध्यादेश से क्या होगा?

महोदया, मैं निम्नलिखित संकल्प उपस्थित करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा ९ जून, १९८७ को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, १९८७ का निरनुमोदन करती है।"

महोदया, पहले तो यह अध्यादेश जारी ही नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे जारी किया गया, अनावश्यक रूप से जारी किया गया और अब इसे कानूनी जामा पहनाया जा रहा है, कानूनी रूप दिया जा रहा है, यह तो नितांत अनावश्यक है। जो वक्तव्य इस अध्यादेश के साथ, इस विधेयक के साथ दिया गया है उसके अनुसार यद्यपि पंजाब को और चंडीगढ़ को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, फिर भी वहां स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कानून और व्यवस्था की स्थिति निरंतर बिगड़ती रही। बिगड़ती स्थिति को रोकने के लिए पंजाब में राष्ट्रपति राज लागू किया गया। उसके बाद भी स्थिति संभलती हुई नहीं दिखाई दे रही है।

अध्यादेश जारी किया गया, जिसका मर्म है क्लाज १४ ए। पंजाब हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने उसे रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई। वहां से स्थगन आदेश प्राप्त हो गया। अंतिम फैसला क्या होगा, कोई नहीं जानता। लेकिन सरकार अंतिम फैसले के लिए रुकी हुई नहीं है। उन्होंने बीच में ९ जून को अध्यादेश जारी कर दिया। इस समय पंजाब में यह अध्यादेश लागू है। इसके अंतर्गत कार्रवाई हो रही है। क्या पंजाब की स्थिति में सुधार हुआ है? सरकार भी इसका उत्तर 'हां' में नहीं दे सकती।

सचमुच में इस अध्यादेश के द्वारा नजरबंदी कानून को और कठोर बनाने के लिए अधिकार लिए जा रहे हैं। नजरबंदी कानून एक स्वतंत्र देश में, लोकतंत्रवादी देश में, जहां का संविधान लिखा हुआ है और जिस संविधान में मूलभूत अधिकारों की अलग से गारंटी है, कितना उचित है, मैं इस बुनियादी सवाल को यहां नहीं उठा रहा हूं। यद्यपि यह सवाल जब-जब नजरबंदी कानून की अवधि बढ़ाई जाएगी या उसे और कठोर बनाया जाएगा, तो उठेगा। १९५० से यह बहस चल रही है कि किसी स्वतंत्र देश में किसी नागरिक को बिना कारण बताए गिरफ्तार करना और बिना

** राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में संशोधन विधेयक के अवसर पर राज्यसभा में २६ अगस्त, १९८७ को निरनुमोदन।*

मुकदमा चलाए जेल में रखना कितना ठीक है। संविधान में जब नजरबंदी का समावेश किया गया तब भारत के गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल थे। आज भी हमारे गृहमंत्री एक सरदार हैं। सरदार बूटा सिंह को तो इस सदन में आने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन यह बहस जारी है और बहस जारी रहेगी। हमारे श्री चिदंबरम् जी ने भी लोकसभा में भाषण करते हुए कहा :

"मैं विश्वास करता हूं कि एक दिन आएगा जब निरोधात्मक नजरबंदी के कानून का सहारा लिए बिना व्यक्तिगत आजादी और स्वतंत्रता पूर्ण रूप से लागू होगी।"

मैं उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। कम से कम भावनाओं के स्तर पर सहमत हैं कि नजरबंदी का कानून ठीक नहीं है और यह नहीं होना चाहिए। कोई एक समय ऐसा आएगा, जब इस काले कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह दिन कब आएगा?

महोदया, पंजाब में ऐसा भी समय था जब धारा १४(ए) आपरेशन में शामिल नहीं थी। अप्रैल १९८६ से ९ जून, १९८७ तक १४(ए) अस्तित्व में नहीं थी। क्या उस समय पंजाब की कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी? क्या पुलिस के काम में ऐसी कठिनाई पैदा हो गई थी जिसे पुलिस पूरा नहीं कर पा रही थी। यह ठीक है कि बरनाला सरकार भी काम कर रही थी तो यह कानून अस्तित्व में था, प्रभावी था। लेकिन जब हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया तो पंजाब में ऐसी स्थिति थी कि यह धारा १४(ए) व्यवहार में नहीं थी। अगर उस समय इसके बिना काम चल सका तो अब क्यों नहीं चल सकता? यह १४(ए) है क्या? अगर आप अध्यादेश के आधार पर जो विधेयक लाया जानेवाला है, उस पर दृष्टिपात करें तो कुल मिलाकर यह अध्यादेश दिनों का खेल है।

इसमें कहा गया है कि जो कानून चार हफ्ते के लिए है, वह चार महीने और दो हफ्ते के लिए होगा। जो धारा चार हफ्ते के लिए लागू थी, वह पांच महीने और हफ्ते के लिए लागू होगी और जो बारह महीने के लिए लागू थी, वह चौबीस महीने के लिए लागू होगी। क्या पंजाब की जनता, पंजाब की कानून और व्यवस्था, इतनी कम बिगड़ी हुई हालत में है कि इतने प्रतिबंधों पर ही निर्भर करती है? अगर विधेयक में १५ दिन से २० दिन कर दिया जाए तो क्या पुलिस सक्षम हो जाएगी? क्या हमारी कानून और व्यवस्था का तंत्र आतंकवाद को चुनौती देने में समर्थ हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के संशोधन के पीछे, इस विधेयक के पीछे चिंतन क्या है। पंजाब में आतंकवाद की समस्या काफी दिनों से चल रही है। उसका सामना करने के लिए कदम भी उठाए गए हैं। पंजाब और चंडीगढ़ को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। और भी कानून बने हैं। क्या कानून इसलिए प्रभावी नहीं हो रहे हैं कि पुलिस को १० दिन के अंदर कोई काम करना पड़ता है और जिसके लिए वे १५ दिन मांग रहे हैं और यह सदन १५ दिन देने भी जा रहा है? क्या यह बात इतनी सरल है? क्या यह दिनों का खेल है?

पंजाब में पुलिस को सशक्त बनाया गया है। पंजाब में पुलिस-बल को आधुनिक उपकरण दिए गए हैं। अब जिले से चंडीगढ़ सूचनाएं पहुंचने में देर नहीं होनी चाहिए। पूरे पंजाब को कार्यक्षेत्र बनाकर कार्यवाही हो रही है। क्या पुलिस को तुरंत सुविधाएं देने मात्र से पंजाब की सुलगी हुई आग को शांत किया जा सकता है? ऐसा लगता है कि जब-जब पंजाब की हालत बिगड़ती है और सरकार अपने को असहाय पाती है, निरुपाय पाती है, सरकार उस हालत का सामना करने में अपने को असमर्थ पाती है तो वह सदन के सामने, देश के सामने अधिक अधिकारों की मांग लेकर खड़ी हो जाती है। क्या अभी जो अधिकार हैं वे अपर्याप्त हैं? क्या उन अधिकारों का

समुचित उपयोग हो रहा है? क्या उनमें दिनों का फर्क करने मात्र से समस्या हल हो जाएगी?

महोदया, पंजाब के लिए सरकार ने जो अधिकार मांगे, हमने देने में संकोच नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी स्थिति क्या है? अभी तो चंडीगढ़ और पंजाब को ही उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। क्या गृह राज्य मंत्री सदन को विश्वास देंगे, मुझे विश्वास देंगे कि इनके अतिरिक्त और किसी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की नौबत नहीं आएगी? आतंकवादियों ने दिल्ली में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में उन्होंने सामूहिक हत्याएं कीं, उन्होंने चुन-चुनकर लोगों को मारा, लेकिन वे अभी तक पकड़े नहीं गए। किसी को नजरबंद भी नहीं किया गया। अगर ऐसा है तो आप नजरबंदी दस दिन से पंद्रह दिन बढ़ाकर क्या पाएंगे? आतंकवादी हरियाणा को लपेट में ले आए हैं। गंगानगर में दो पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है। आतंकवादी अपनी गतिविधियों का विस्तार करने में सफल हो रहे हैं और सरकार के पास इस अध्यादेश के अलावा कोई हथियार नहीं है। क्या सरकार के शस्त्रागार में कमी है? अगर नहीं है तो क्लीयर परसेप्शन नहीं है, राजनैतिक इच्छाशक्ति नहीं है और दूरदर्शिता के आधार पर, नीतिमत्ता के आधार पर पंजाब की समस्या को हल करने का कोई विकल्प नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी जब मांग करती है कि अगर पंजाब में पैरा मिलिटरी फोर्सेज स्थिति का नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हैं तो फौज की मदद लेने में संकोच नहीं होना चाहिए, तो आपत्ति की जाती है। कल मैंने एक लेख देखा, कम्युनिस्ट पार्टी और पंजाब के बड़े प्रतिष्ठित और सम्माननीय नेता हैं श्री सतपाल डांग। वे पंजाब में रहते हैं। वे गांव-गांव में घूम रहे हैं और आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी आतंकवादियों के खिलाफ पंजाब की जनता, जिनमें हिंदू-सिख शामिल हैं, उनको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो पंजाब में रहनेवालों की अनुभूति है, पंजाब में रहनेवाले किस तरह से अनुभव करते हैं, यह शायद बाकी देश के लोगों के लिए समझना कठिन है। श्री डांग अपने लेख में लिखते हैं कि "संभवतः राज्य में अर्धसैनिक बलों की संख्या पर्याप्त नहीं है। यदि ऐसा है, तो बटालियनों की मांग क्यों नहीं की जाती? यदि वे उपलब्ध नहीं हैं, तो सेना की मदद क्यों नहीं ली जाती? कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। न ही यह अंत है। अभी तक, सभी गुरुद्वारों पर कब्जा करने और उनके संसाधनों का हत्याओं के लिए इस्तेमाल करने की उग्रवादियों की योजना पर अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही।"

स्वर्ण मंदिर परिसर पर आतंकवादियों ने कब्जा जमा लिया है। बी ग्रेड के आतंकवादी परिसर में डेरा डालकर जमा हैं। जिनको ए ग्रेड आतंकवादी कहा जाता है वे स्वर्ण मंदिर में आते हैं, विचार-विनिमय करते हैं और दूसरे दिन की हत्याओं की योजना बनाते हैं और चले जाते हैं। अब खबरें आ रही हैं कि आतंकवादी अपने को आधुनिकतम शस्त्रों से लैस कर रहे हैं। इस तरह की आशंका पहले भी थी। क्या वे हेलीकाप्टर प्राप्त करने में सफल हुए हैं? क्या वे प्रक्षेपास्त्र प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं? आतंकवाद अब गुरिल्ला युद्ध का रूप लेने जा रहा है। क्या उसका सामना करने में इस तरह का अध्यादेश, इस तरह का विधेयक जो १० दिन से २० दिन, २० दिन से २५ दिन, २५ दिन से ३० दिन की बात करता है, समर्थ हो सकता है? महोदया, मेरा निवेदन है कि अधिक अधिकार लेने के बजाय जो अधिकार सरकार के पास हैं, उनका ठीक तरह से उपयोग करे।

आतंकवादियों के खिलाफ एक जबर्दस्त अभियान होना चाहिए। सारी शक्ति लगाकर वह

अभियान करे, उसमें आवश्यकता हो तो फौज की मदद ली जाए। मगर साथ ही साथ पंजाब में जो संवादहीनता की स्थिति है, वह समाप्त होनी चाहिए। सरकार यह बताए कि प्रकाश सिंह बादल किसलिए नजरबंद हैं? अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है तो मुकदमा चलाइए। उनसे हमारे मतभेद थे। वे संसद भवन में आए थे, विरोधी दलों के सदस्यों से मिले थे। हमने उनको काफी खरी-खोटी सुनाईं। मगर अब उन्हें जेल में रखने का क्या औचित्य है? कितने लोग पंजाब में नजरबंद हैं? ब्रिटेन में आतंकवादियों के खिलाफ मुकदमा चल सकता है। पंजाब से संबंधित आतंकवादियों को सजा दी जा सकती है, अमरीका में मुकदमा चल सकता है और उनको सजा दी जा सकती है, लेकिन जो आतंकवादी जोधपुर जेल में बंद हैं, इतने साल हो गए, उन पर अभी तक मुकदमा ही नहीं चला है। कौन निर्दोष है, कौन दोषी है, इसका निर्णय कैसे होगा? मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो यह बताएं कि पंजाब में कितने लोग नजरबंद हैं। यह भी बताएं कि किस आधार पर उन्हें नजरबंद किया गया है। श्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ क्या आरोप हैं? जो हिंसा का परित्याग करने के लिए तैयार हैं और जो भारत में संविधान के अंतर्गत देश की एकता और अखंडता के भीतर समस्या का समाधान चाहते हैं, उनसे बात करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बातचीत तब तक सफल नहीं होगी जब तक आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब देने के लिए यह जैसा अध्यादेश लेकर आप आए हैं, वैसा काफी नहीं है। इसके लिए एक नई स्ट्रेटेजी, एक नई रणनीति की जरूरत है, जिसकी सफलता के लिए जनता का सहयोग भी आवश्यक होगा। मगर एक बार अगर जनता के मन में यह विश्वास पैदा हो जाए कि आतंकवादियों को कुचलने के लिए आप तैयार हैं, उसके लिए जो भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी, आप उठाएंगे, तो लोगों का सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन जिस तरह का विधेयक आप लेकर आए हैं या जिस तरह का अध्यादेश आपने जारी किया, हम उसका विरोध करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते।

चर्चा का उत्तर

अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो रही है। मैंने जो आपत्तियां की थीं उनका सत्ता-पक्ष की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। शायद मंत्री महोदय पूरी बहस का जो उत्तर देनेवाले हैं, उसमें उन मुद्दों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैंने एक सीधा प्रश्न पूछा था कि अप्रैल सन् १९८६ से लेकर ९ जून, १९८७ के बीच में जब १४(ए) नहीं था, क्या इस कारण पंजाब की स्थिति और बिगड़ी? इसे लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरी बात जिस तरह अवधि बढ़ाई जा रही है ५ से १० दिन, १० से २० दिन यह पुलिस को अधिक समय देने के लिए, प्रशासन की सुविधा के लिए है, लेकिन अगर यह सच है कि प्रशासन को चुस्त किया गया है, पुलिस में फुर्ती आई है, प्रशासन की और पुलिस की सक्रियता बढ़ी है तो फिर समय बढ़ाने की बजाय सचमुच में समय कम किया जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं है और कुछ सदस्यों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कहीं हम प्रशासन और पुलिस की इनएफिशिएंसी को तो और बढ़ाने नहीं जा रहे हैं। मंत्री महोदय ने स्पष्ट किया कि एडवाइजरी बोर्ड काम कर रहा है। उसने बहुत से लोगों को पंजाब में छोड़ दिया मगर उन्हें तीन महीने जेल में रखने के बाद छोड़ा गया। अब उन्हें ६ महीने जेल में रखा जाएगा। प्रदेश की सरकार अंधाधुंध लोगों को पकड़ ले और वे जेल में पड़े रहें और जेल में पड़े-पड़े ऐसे लोगों के संपर्क में आएं, ऐसे तत्वों के संपर्क में आएं कि अगर

वे बाहर रहकर अपराध नहीं करते थे तो निकलने के बाद अपराध करने लगें, तो यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। क्या तीन महीनों के लिए किसी व्यक्ति की स्वाधीनता का अपहरण करना यह हमारे लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? अब उस अवधि को ६ महीने बढ़ाया जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि कठोर से कठोर कदम उठाएं, मगर ऐसे तौर-तरीके न अपनाएं जिससे नए आतंकवादी पैदा हों। डायरेक्टर जनरल रेबेरो से मेरी बात हुई। जब मैंने उनसे कहा कि क्या आप पंजाब में राष्ट्रपति शासन लंबे समय तक लागू करने का समर्थन करेंगे? तो रेबेरो ने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि नीचे के स्तर पर अगर जनता के प्रतिनिधि नहीं होते जो ज्यादतियों के विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते तो वहां पुलिस दल भी गलत रास्ते पर जा सकता है, क्योंकि हम उनको और अधिक अधिकार देने जा रहे हैं। क्या सचमुच में नए अधिकारों की जरूरत है?

अच्छा हुआ सरदार बूटा सिंह जी यहां पर आ गए हैं। जगदेवकलां में ६-७ अगस्त को एक सामूहिक हत्याकांड हुआ। ४ परिवारों के १२ व्यक्ति कत्ल कर दिए गए। वे एक ही संप्रदाय के थे। जहां तक हत्या का सवाल है, आतंकवादी संप्रदाय का कोई अंतर नहीं कर रहे हैं। उस दिन हम सब लोगों ने गृह मंत्री के साथ अपनी संवेदना प्रकट की थी। उनके परिवार को हत्या का शिकार बनना पड़ा है। लेकिन जगदेवकलां के बारे में मुझे एक बात पता लगी है कि वहां पुलिस पोस्ट थी। २५ जुलाई को वहां के नागरिकों ने पुलिस पोस्ट हटाने का विरोध किया। २७ जुलाई को पुलिस पोस्ट हटा दी गई। ६-७ अगस्त को सामूहिक हत्या की गई। यह कमी किस क़ानून से दूर होगी? यह समस्या आप कैसे हल करेंगे? जगदेवकलां के दो व्यक्ति उस हत्याकांड में शामिल थे, ऐसा शक किया जाता है। वे गिरफ्तार नहीं किए गए। मैं नहीं जानता, अब शायद गिरफ्तार हो गए हों। हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अमृतसर से जगदेवकलां गए। पंजाब में रेड एलर्ट था, रास्ते में कहीं पुलिस का पैट्रोल नहीं मिला। आतंकवादी उस गांव में ४५ मिनट घूमते रहे, नारे लगाते रहे और थोड़ी ही दूर पर जो पुलिस की चौकी थी, वह उस गांव से हटा ली गई। कहा था, हम थोड़ी दूर पर ही हैं, जरूरत हो तो बुला लेना। पुलिस नहीं आई।

यह विधेयक किस तरह से इन समस्याओं का समाधान करेंगे?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं फिर उस बात को दोहराना चाहता हूं कि आतंकवाद का उन्मूलन आवश्यक है, उसमें सारे सदन का सहयोग आपको मिलेगा और मिलता है। लेकिन जिस तरह से आप आतंकवाद का उन्मूलन कर रहे हैं, कहीं उससे नए आतंकवादी तो तैयार नहीं हो रहे हैं? अगर लोगों के मन में यह भाव पैदा होगा और पलेगा कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, कि उन्हें पुलिस की दया पर छोड़ दिया गया है, कि वे निर्दोष हैं या दोषी हैं, इसकी चिंता किए बिना उन्हें कठघरे में खड़ा किया जाता है, कि उन्हें संदेह की नजर से देखा जाता है, तो आतंकवाद को अलग-थलग करने और आतंकवादियों के खिलाफ बाकी के शेष समाज का सहयोग प्राप्त करने का आपका उद्देश्य कैसे प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय जवाब देते हुए, इन मुद्दों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।

अध्यादेशों में जल्दबाजी

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा २२ सितंबर, १९८० को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, १९८० (१९८० का अध्यादेश संख्या ११) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले १० महीनों में १९ अध्यादेश जारी किए गए। कल भी हमने एक अध्यादेश पर मुहर लगाई थी और आज दूसरा अध्यादेश विचार के लिए पेश है। संविधान अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है किंतु इस अधिकार का दुरुपयोग हो रहा है। संविधान की धाराओं के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय का यह दायित्व है कि वे स्वयं को संतुष्ट करें कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसमें अध्यादेश जारी करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इस समय जो अध्यादेश जारी किए गए हैं, वे राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर वनों के संरक्षण तक जाल फैलाते हैं। क्या वनों के संरक्षण का अध्यादेश रुक नहीं सकता था? क्या उसके लिए सरकार सदन की बैंठक के लिए थम नहीं सकती थी? लेकिन अध्यादेशों का राज्य है और पार्लियामेंट में प्रतिदिन एक अध्यादेश आता है। सचमुच में कल जो अध्यादेश पारित किया गया, उसके बाद नेशनल सेक्योरिटी आर्डिनेंस की जरूरत ही नहीं रहती। आपने जुडीशियल मजिस्ट्रेट के अधिकार एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दे दिए और सभी कानून अब इस सीमा में आ गए कि अगर एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो सरकार का अफसर होगा, समझता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध से रोकने के लिए जमानत मांगना जरूरी है, तो वह जमानत मांग सकता है। अगर ठीक जमानत न मिले तो गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहे तो वह भी कर सकता है। जमानत के नियम और कड़े बना दिए गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस की जरूरत क्या थी? २२ सितंबर, १९८० को देश में ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि जिससे सरकार की नींद हराम हो गई, उसने व्यक्तिगत स्वाधीनता पर हमला करने का फैसला कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पर जब धारानुसार बहस होगी तो यह प्रश्न उठेगा कि इस आर्डिनेंस के अंतर्गत जो डिफेंस ऑफ इंडिया की चर्चा की गई है, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की चर्चा की गई और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की चर्चा की गई है, इनमें फर्क क्या है। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से पूछा जा सकता है कि डिफेंस

---

* *राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के निरनुमोदन के अवसर पर लोकसभा में १० दिसंबर, १९८० को भाषण।*

ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में क्या फर्क है? अगर फर्क है तो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में क्या फर्क है? लेकिन अध्यादेश जल्दबाजी में लिखे जा रहे हैं और उससे भी ज्यादा जल्दबाजी में उन्हें लागू किया जा रहा है। सरकार संसद की बैठक के लिए भी रुकने को तैयार नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा दिखाई देता है कि हर मोर्चे पर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए यह किया जा रहा है।···(व्यवधान)

जब मैं यह कहता हूं कि मुझे दिखाई देता है तो मैं आपकी आंख से तो देख नहीं सकता। उपाध्यक्ष महोदय, ये चाहते हैं कि देखूं मैं मगर आंख इनकी हो।

उपाध्यक्ष महोदय, विफलताओं की चर्चा करने पर हमारे माननीय मित्र बौखला उठते हैं। अगर आप विफल नहीं हुए हैं और देश में सब कुछ ठीक है, कीमतें कम हो रही हैं और जरूरत की चीजें पर्याप्त मात्रा में बाजारों में उपलब्ध हैं, अगर जान-माल की पूरी हिफाजत है और शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी सकते हैं, हर जगह चैन की बंसी बज रही है और आनंद की गंगा बह रही है, तो फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की क्या जरूरत है? हमारे विरोधी मित्र दोनों पैंतरे एक साथ नहीं उठा सकते। अगर १० महीने में स्थिति सुधरी है तो यह अध्यादेश अनावश्यक है। यदि स्थिति सुधरी नहीं है, और अधिक बिगड़ी हुई है तो बिगड़ती स्थिति के खिलाफ लोग अपनी आवाज न उठा सकें, उनका गला दबाने के लिए आप यह अध्यादेश लाए हैं।

भारत यूनिवर्सल डिक्लेअरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का साझीदार है। उस डिक्लेअरेशन की धारा ९ के अनुसार किसी भी व्यक्ति को आरबीट्रेरीली अरैस्ट या डिटेन नहीं किया जा सकता। हमने भी अपने संविधान में धारा ५१(३) में यह कहा है कि हम इंटरनेशनल कानूनों का पालन करेंगे। लेकिन इस अध्यादेश के द्वारा हम उनका उल्लंघन कर रहे हैं। आज के समाचारपत्रों में इंटरनेशनल एमनेस्टी की एक रिपोर्ट छपी है। उन्होंने जब यह रिपोर्ट लिखी थी तो उनको पता नहीं था कि हिंदुस्तान में कितनी तेजी से स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा है कि प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड सप्लाई ऑफ असेंशियल कमोडिटीज में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की व्यवस्था है, वह उचित नहीं है। लेकिन अब जब वे नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस को देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि भारत जनाधिकारों के हनन के राजपथ पर कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था की थी कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बिना मुकदमा चलाए जेल में नहीं रखा जाएगा। लेकिन उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान में नजरबंदी का प्रबंध किया गया था। ऐसा लगता है कि जो प्रबंध अस्थायी था, अब उसको स्थायी बनाया जा रहा है। उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल ने पहली बार नजरबंदी का कानून पार्लियामेंट में पेश किया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि मुझे रातों को नींद नहीं आई। इतिहास अपने को दोहरा रहा है। आज सरदार जैल सिंह हमारे गृह मंत्री हैं, सरदार पटेल को कानून पेश करने से पहले रातों की नींद नहीं आई, लेकिन सरदार जैल सिंह की यह हालत है कि कानून पेश करने के बाद, अध्यादेश लाने के बाद इतने प्रसन्न हैं कि दिन में भी सोना शुरू कर दिया है।

व्यक्तिगत स्वाधीनता पर हमला, व्यक्तिगत स्वाधीनता को मर्यादित रखना युद्ध के काल में तो उचित हो सकता है, लेकिन शांति के काल में नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सोने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर भी हमला है।

डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह आपत्तिजनक नहीं है। गृह मंत्री यहां नहीं हैं। उन्हें ही इस आदेश

को लागू करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अब आ रहे हैं।

श्री वाजपेयी : व्यक्तिगत स्वाधीनता को अवरुद्ध करना कोई साधारण बात नहीं है। अगर सरकार इस परिणाम पर पहुंची है कि सामान्य कानून का उपयोग करके देश की परिस्थिति को काबू में नहीं रखा जा सकता है तो मानना पड़ेगा कि सरकार परिस्थिति पर काबू नहीं कर पा रही है। वह असाधारण अधिकार लेने जा रही है। इन असाधारण अधिकारों की क्या आवश्यकता है? आप विधेयक के उद्देश्यों पर प्रकाश डालनेवाला वक्तव्य देख लें। उससे किसी को संतोष नहीं हो सकता।

नजरबंद करने का अधिकार दिया जा रहा है जिला मजिस्ट्रेट को, पुलिस कमिश्नर को। दिल्ली में पुलिस कमिश्नर का राज है, दिल्ली में लोग नजरबद किए जा रहे हैं। आदेशों की नकलें मेरे पास हैं। पुलिस कमिश्नर को इतना समय नहीं है कि हर मामले पर गौर कर सकें, आजादी छीनने से पहले अपने को संतुष्ट कर सकें। साइक्लोस्टाइल किए हुए आदेश रखे हुए हैं, जिनमें केवल नाम भरे जाते हैं। पुलिस कमिश्नर को दस्तखत करने का भी वक्त नहीं है, दस्तखत भी साइक्लोस्टाइल कर दिए गए, एक कापी पर दस्तखत कर दिए, बाकी के सब साइक्लोस्टाइल किए गए दस्तखत से लोगों की आजादी छीनी जा रही है।

मीसा का उपयोग किसके खिलाफ हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग मीसा में १९ महीने बंद थे। जब मीसा आया तो यह आश्वासन दिया गया था कि इसका उपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं किया जाएगा, लेकिन हुआ क्या? गृह मंत्री महोदय भी यह आश्वासन देते हैं, मगर उस आश्वासन की कोई कीमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में विरोधी दल के नेता नजरबंद किए गए इस काले अध्यादेश के अंतर्गत। गुजरात में मूल्य-वृद्धि के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसमें भाग लेनेवाले गिरफ्तार किए गए। अगर उन्होंने कोई अपराध किया था तो उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। अगर वे शांति भंग के अपराधी हैं तो कानून उनकी खबर लेगा। लेकिन सबूत नहीं, प्रमाण नहीं, गवाह नहीं, दलील नहीं, वकील नहीं, अपील नहीं, अंग्रेजी राज के रौलेट एक्ट के जमाने को फिर से ताजा करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में इंदौर के जिला अधिकारी ने सिफारिश की कि कुछ लोग पेशेवर गुंडे हैं, हैब्यूचल अफेंडर्स हैं।...

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : मध्य प्रदेश में इनकी सरकार ने मीसा में लोगों को नजरबंद किया था। कौन सा परिपत्र भेजा था आपने, इस पर भी आप प्रकाश डालें।

श्री वाजपेयी : मैं प्रकाश भी डालूंगा और आपके ऊपर थोड़ा अंधेरा भी डालूंगा।

जिले के अफसरों ने सिफारिश की कि कुछ लोगों को नजरबंद कर देना चाहिए, क्योंकि वे गुंडे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने उस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि इंदौर में एक उपचुनाव होनेवाला था और उस उपचुनाव को जीतने के लिए गुंडों की मदद की जरूरत थी। मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हम व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीनने से पहले सौ बार सोचना चाहते हैं। अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सौ बार सोचना चाहते हैं तो केंद्र के गृह मंत्री को एक हजार बार तो सोचना चाहिए ही चाहिए। लेकिन वह सोचने के लिए तैयार नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में एक ऐसे व्यक्ति को नजरबंद किया गया है जिस पर आरोप

लगाया गया था कि तुम उस तारीख को अमुक कार्यवाही कर रहे थे, जबकि उस तारीख को वह जेल में था। अगर जेल में था तो वह अपराध कैसे कर रहा था, और अगर अपराध नहीं कर रहा था, तो नजरबंद कैसे हो सकता है।

एक माननीय सदस्य : आर.एस.एस. का बहुरूपिया होगा।

श्री वाजपेयी : कुछ उधर भी बैठे हैं, जरा होशियार रहिए। सरकार अदालतों के सामने जाने से कतराती क्यों है? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए अगर उसे २४ घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाएगा तो केरल में जिस तरह से राजन की हत्या हुई उस तरह से हत्याएं होंगी, भागलपुर में जिस तरह से आंखें निकाली गईं, उस तरह से आंखें निकाली जाने के प्रकरण होंगे। आखिर आप गिरफ्तार करते हैं तो आपके पास कोई सामग्री तो होती है, जिसके आधार पर आप नजरबंदी के आदेश देते हैं। अगर वह सामग्री और वे कारण किसी को नजरबंद करने के लिए काफी हैं तो वह आधार और वे कारण जिस व्यक्ति को नजरबंद किया जाता है, उसको बताने में क्यों आपत्ति होनी चाहिए? लेकिन मैं दिल्ली का आदेश पढ़कर सुना सकता हूं। एक आदेश में कहा गया है क्योंकि आप लगातार अपराध करते रहते हैं, इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब आपको नजरबंद किया जाएगा। क्या अपराध करनेवालों के खिलाफ आपके पास और कोई कानून नहीं है? क्या आप अपराधी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते? क्यों इंसाफ के तराजू पर सरकार अपने आपको तौलने के लिए तैयार नहीं है।

युद्धकाल में जब सीमाओं पर संकट हो, भारत की आजादी पर आंच आए, प्रादेशिक अखंडता खतरे में पड़ जाए, तब उस असाधारण परिस्थिति में व्यक्ति की स्वाधीनता को सीमित करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन उसके बारे में भी मैं कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने मीसा का जिस तरह से दुरुपयोग किया, उसको देखते हुए अब राष्ट्रीय संकट के समय भी हम इस सरकार को असाधारण अधिकार देने के बारे में कुछ कहने से पहले दो बार जरूर सोचना चाहेंगे। हम दूध के जले हैं, छाछ को भी फूंक-फूंककर पीना चाहते हैं। १९७१ में बंगला देश के संकट का लाभ उठाकर इस सदन में मीसा पास किया गया था। विरोधी दल ने कोई आपत्ति नहीं की थी। बाद में जब जयप्रकाश जी जैसे नेता को नजरबंद कर दिया गया था, तब भारत के एटार्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि अगर पुलिस गोली भी मार दे तो कोई एतराज नहीं कर सकता। उस पुराने इतिहास को क्या हम भूल सकते हैं? आज कौन सी नई परिस्थिति पैदा हो गई है? मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्यों आपको यह काला कानून बनाने की जरूरत महसूस हुई? लार्ड साइमंस ने कहा था, जिसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, गिरफ्तार करना तानाशाह का कानून है और वह गुलामों का तानाशाह है।"

यह नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस नहीं है, यह नेशनल स्लेवरी आर्डिनेंस है। हमको आपकी नीयत पर शक है। जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग आप कर रहे हैं, उसको देखते हुए हम ये असाधारण अधिकार आपके हाथ में नहीं दे सकते।

श्री रामप्यारे पनिका : मध्य प्रदेश में क्या हुआ था आपके राज में?

श्री वाजपेयी : ये बार-बार कह रहे हैं कि जनता पार्टी भी इसको लागू करना चाहती थी। आपको याद है कि जनता पार्टी के राज़ में एक बिल पेश किया गया था, लेकिन जनमत के दबाब से और पार्टी के दबाव से उस बिल को वापस लेना पड़ा था। हम देखना चाहते हैं कि कांग्रेस

पार्टी कितना जोर दिखाती है। मगर कांग्रेस पार्टी के मेंबर तो इमर्जेंसी की मांग कर रहे हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्री श्री बसंत साठे : यह बात सच नहीं है। वह कुर्सी के लोभ की वजह से वापस लिया गया था—फूट थी, इसलिए वापस लिया गया था।

श्री वाजपेयी : हमारे विरोधी यह भी नहीं समझ सकते कि जनता सरकार के खिलाफ कड़ाई करने की शिकायत नहीं है, शिकायत है ढिलाई करने की। हमने विरोधियों को नजरबंद नहीं किया।

श्री रामप्यारे पनिका : ढिलाई करनेवालों को जनता पसंद नहीं करती है। इसलिए उसने इन लोगों को हटा दिया।

श्री वाजपेयी : इसीलिए इन्होंने कड़ाई करने का फैसला किया है।

श्री रामप्यारे पनिका : जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप यह बिल लाया गया है।

श्री वाजपेयी : मैं जानना चाहता हूं कि इस बिल से जनता की कौन सी आकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं? आज देश में जन-असंतोष का जो दावानल सुलग रहा है, हजारों लोगों को नजरबंद करके भी आप उसे शांत नहीं कर सकते। दस महीने हो गए हैं, असम जल रहा है। फौज को बुलाकर असम की समस्या को हल नहीं किया जा सकता। किसानों को अगर उनकी फसल की उचित कीमत नहीं मिलेगी, तो वे आंदोलन करेंगे।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, प्लीज! व्यवधान डालनेवाले किसी भी सदस्य को यह जानना चाहिए, यदि वह वक्ता के बोलने में व्यवधान डालना चाहता है, श्री वाजपेयी को पहले झुकना होगा। तभी आप अपनी बातें रख सकते हैं। यदि वह नहीं झुकते तो आप उनके बोलने में व्यवधान नहीं डाल सकते। आप सब इतनी बार खड़े हो जाते हैं।

श्री वाजपेयी : आप जानते हैं, मैं झुक नहीं रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : तभी आप यहां से वहां चले गए हैं।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए पूरा अधिकार हैं। यदि किसान गन्ने की उचित कीमत मांगें, तीस रुपए क्विंटल की आवाज उठाएं···(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, किसानों को अधिकार है कि मिलों को अपना गन्ना बेचने से रोकें।

श्री बसंत साठे : रास्ता रोकना भी विरोध प्रदर्शन में आता है शायद।

श्री वाजपेयी : श्री बसंत साठे जानते हैं कि महाराष्ट्र में 'रास्ता रोको' आंदोलन में उनकी पार्टी के नेता भी शामिल हैं।

श्री बसंत साठे : एक भी नहीं।

श्री वाजपेयी : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगर किसानों से यह कहा जाएगा कि चीनी मिलों को गन्ना मत बेचो, तो ऐसा कहनेवाले नेताओं को नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस के अंतर्गत जेल भेज दिया जाएगा।···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्होंने किसानों को बाधा पहुंचाने के बारे में कहा था।

श्री वाजपेयी : इस आर्डिनेंस की धाराएं देखिए। इससे पहले एसेंशियल कमोडिटीज के नाम पर जो कानून बनाया गया, उसको उठाकर देखिए। यह 'डिफेंस ऑफ इंडिया' और 'सिक्योरिटी ऑफ इंडिया' इतना व्यापक है कि कोई गतिविधि इसमें से बचनेवाली नहीं है।

एक और विचित्र बात है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई विदेशों के साथ इस देश के संबंध बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी। मुझे लगता है कि अगर सचमुच कोई विदेशों के साथ संबंध बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वह सबसे पहले

गृहमंत्री, ज्ञानी जैल सिंह हैं, जो हर चीज में, हर उपद्रव में, हर अशांति में विदेशी हाथ देखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप विदेशी हाथ के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करते, तो वह कहते हैं कि विदेशी हाथ दिखाई नहीं देता है, कार्यवाही कैसे करें। अगर हाथ दिखाई नहीं देता है, तो वह विदेशी है या स्वदेशी, यह कैसे पता चला? जब गृहमंत्री ने मुरादाबाद में विदेशी हाथ होने की बात कही तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस बात का खंडन किया। पहले वह मौन धारण करके बैठी रहीं कि मुरादाबाद में कोई विदेशी हाथ है या नहीं, मगर उनके सहयोगी विदेशी हाथ की बात कहते रहे, सरकारी प्रवक्ता ने मुंह नहीं खोला। जब प्रधानमंत्री मुरादाबाद गईं तो कहने लगीं कि विदेशी हाथ नहीं है, विदेशी हस्तक्षेप है। यह कैसी सरकार है जो विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त करती है? मैं पूछना चाहता हूं कि 'फारेन हैंड' और 'फारेन इंटरफेयरेंस' में क्या फर्क है? अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए कहीं विदेशी हाथ की बात, कहीं विरोधियों को दोषी ठहराना, कहीं अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का हवाला देना, इस तरह की बातें की जाती रही हैं। मगर ये चीजें अब चल नहीं रही हैं।

आपकी आजादी पुलिस अफसर के हाथ में

दस महीने गुजार दिए यह कहकर कि जनता के राज में हालत इतनी खराब हो गई थी कि हम लोगों को ठीक करते-करते वक्त लगेगा। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि कितना वक्त लगेगा तो पूछनेवालों का मुंह बंद करने के लिए अब नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस ले आए। आप बोल नहीं सकते, आप मुंह नहीं खोल सकते, पुलिस अफसर के हाथ में आपकी आजादी होगी। पुलिस के कमिश्नर दिल्ली में सब जगह नहीं देख सकते। हालत यह होगी कि थानेदार तय करेगा कि किस व्यक्ति को नजरबंद किया जाए या न किया जाए। हमने इमर्जेंसी में देखा कि नजरबंद करने का डर दिखाकर लोगों से रिश्वत ली जाती थी, लोगों को आतंकित करने की कोशिश होती थी। सरकार उसी तरफ आगे बढ़ रही है।

जब आर्डिनेंस जारी किया गया तो यह कहा गया था, आप आर्डिनेंस को पढ़कर देखें, क्लॉज ९ (२) है, उसमें कहा गया था कि ऐडवाइजरी बोर्ड होगा। यह भी कहा गया कि ऐडवाइजरी बोर्ड का अध्यक्ष चीफ जस्टिस की सलाह से नियुक्त किया जाएगा और जो दो मेंबर होंगे, वह या तो सिटिंग जज होंगे या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। अब जो बिल आया है उसमें इसको बदल दिया गया है। मैं जानता हूं कि विधि मंत्री कहेंगे या गृह मंत्री कहेंगे ४४वें अमेंडमेंट के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन होना चाहिए था वह जनता सरकार ने नहीं किया, मगर आपने आर्डिनेंस जारी करने से पहले वह क्यों नहीं देखा।

आर्डिनेंस अलग है, बिल अलग है। कई प्रदेशों में एडवाइजरी बोर्ड बन गए हैं जो कंजर्वेशन ऑफ फारेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट के अंतर्गत बने हैं, प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक-मार्केटिंग एंड मेंटिनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज के अंतर्गत बने हैं, मगर नेशनल सिक्योरिटी बिल के अंतर्गत जो बोर्ड बनेंगे उनमें किसी भी एडवोकेट को, जिसकी दस साल तक की प्रैक्टिस होगी उसे सरकार नियुक्त कर देगी। चुन-चुनकर एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भरे जाएंगे। वैसे भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी इच्छा के जजों को लाने की कोशिश हो रही है। स्थान खाली पड़े हैं, यह कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट में एरियर्स बहुत हैं और इसलिए हम सिटिंग जज को इस काम के लिए खाली नहीं कर सकते। यदि ऐसा है तो आप जजों की

संख्या बढ़ा सकते हैं। लेकिन कल भी हमने देखा और आज फिर इस बात की चेष्टा हो रही है कि सरकार अदालत के सामने नहीं जाना चाहती। आर्डिनेंस और बिल के बीच में फर्क करके एक कमी का फायदा उठाकर कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, सरकार एडवाइजरी बोर्ड ऐसा बनाना चाहती है जिसमें उसकी इच्छा के लोग नियुक्त होकर जाएंगे। ऐसे एडवाइजरी बोर्ड में जब मामले जाएंगे वह मामले तय हो सकें, इसके लिए जिन्हें नजरबंद किया जाएगा, उन्हें वकीलों की सहायता पाने का अधिकार नहीं होगा। दिल्ली में ऐसे मामले हैं कि डिटेंशन आर्डर दिया गया, लेकिन डिटेंशन आर्डर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। जिसको आर्डर दिया गया वह अंग्रेजी जानता नहीं है। वकील की सलाह नहीं ले सकते। वह अपनी सफाई कैसे पेश करेगा? इसका मतलब एक ही है कि सारी सत्ता का केंद्रीयकरण, निरंकुश, स्वेच्छाचारी शासन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन, न्यायपालिका के अधिकारों पर आघात और देश में इस तरह का एक माहौल बनाना कि भारत की सुरक्षा खतरे में है और जब सुरक्षा खतरे में है तो व्यक्तिगत आजादी का क्या मतलब है?

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस बात का खंडन किया है और कहा है कि वह पाकिस्तान से किसी तरह की मुठभेड़ नहीं चाहती है, मैत्री संबंध और बढ़ाना चाहती है—मैं इस एलान का स्वागत करता हूं। आजकल रूस के नेता हमारे देश में आए हुए हैं। उनकी और हमारी मैत्री पुरानी है, काल की कसौटी पर खरी उतरी है, हमें उस मैत्री को और मजबूत करना चाहिए, लेकिन साथ ही उनसे यह भी कहना चाहिए, कि उन्होंने अफगानिस्तान में जो कुछ किया है वह ठीक नहीं है, और अगर वैसा ही पोलेंड में भी करने जा रहे हैं तो वह भी ठीक नहीं होगा।...(व्यवधान) लेकिन इस मामले को मैं यहां पर नहीं उठा रहा हूं। चीन के साथ हमारे संबंध सामान्य करने की बातचीत हो रही है। नेपाल और बंगला देश हमारे मित्र हैं। तो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा कहां है? देश के भीतर जरूर तनाव है। देश में सामाजिक तनाव बढ़ रहे हैं, देश में आर्थिक गैर-बराबरी बढ़ रही है। अगर देश में पिछड़ापन है, अगर सबके बराबर अधिकार नहीं हैं, अगर किसी वर्ग के साथ या किसी क्षेत्र के साथ पिछले ३३ वर्षों में हम न्याय नहीं कर पाए तो तनाव बढ़ेंगे। लेकिन उन तनावों को हल करने का तरीका जेलों के दरवाजे खोलना नहीं है, उसके लिए व्यक्तियों के दिलों के दरवाजे खोलने पड़ेंगे।

मेरा निवेदन है कि यह अध्यादेश भारत के संविधान की भावना के विपरीत है। यह आपके इस एलान को भी झुठलाता है कि आप जन-बल के आधार पर चुने गए हैं। यह आपके इस दावे का खोखलापन भी साबित करता है कि देश में सब कुछ ठीक है। यह खतरे की घंटी है। आज व्यक्तियों को नजरबंद करने का अधिकार लिया जा रहा है और कल आधारभूत अधिकारों को पूरी तरह से अपहृत करने की कोशिश की जाएगी। यह चोर-दरवाजे से इमर्जेंसी लाने की कोशिश नहीं है, बल्कि खुले दरवाजे से राजपथ पर चलकर तानाशाही आ रही है। मुझे दुख है कि यह काम गृहमंत्री जी को करना पड़ रहा है। मैंने उदाहरण दिया कि सरदार पटेल नजरबंदी का कानून लाने से पहले रातों को सोए नहीं थे, और ज्ञानी जैल सिंह के लिए दिन को भी सोना आसान हो जाएगा, जब हम सभी लोग जेलों में बंद हो जाएंगे। धन्यवाद।

मिनी मीसा : काला कानून

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा ५ अक्तूबर, १९७९ को प्रख्यापित चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश, १९७९ (१९७९ का अध्यादेश संख्या १०) का अनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश ५ अक्तूबर को जारी किया गया था। उस समय यहां काम-चलाऊ सरकार थी। हम आश करते थे कि वर्तमान सरकार एक नया शुभारंभ करेगी, लेकिन—

"प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः।"

सत्ता संभालते ही निवारक नजरबंदी जैसे काले कानून को आते देर नहीं लगी। पिछले तीन महीनों से यह अध्यादेश प्रभावी था। क्या इन तीन महीनों में इस अध्यादेश के द्वारा मूल्यों की वृद्धि पर नियंत्रण पाया जा सका? क्या मुनाफाखोरी रुकी और चोरबाजारी पर अंकुश लगा? क्या जमाखोरी समाप्त हो गई? मैं जानता हूं—वाणिज्य मंत्री यह कहेंगे कि राज्य सरकारों ने इस कानून पर अमल करने से इन्कार किया, लेकिन यह पूरा तथ्य नहीं है···(व्यवधान)

श्री विरधीचंद जैन (बाड़मेर) : यह बिल्कुल सही तथ्य है। मैं राजस्थान सरकार के बारे में कह रहा हूं—उन्होंने इसका पालन नहीं किया।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : आंध्र प्रदेश की सरकार इस पर ईमानदारी से अमल कर रही है।

श्री वाजपेयी : मैं दिल्ली की बात कहता हूं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में इस कानून पर अमल करने की जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन की नहीं थी, जो जनता पार्टी के हाथ में है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, क्योंकि इसका संबंध कानून और व्यवस्था से है।

दिल्ली में इस अध्यादेश के अंतर्गत ८ लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ व्यक्तियों पर चोरबाजारी का आरोप है, कुछ व्यक्तियों को खाद्य-तेलों की चोरबाजारी के आरोप में पकड़ा गया था और कुछ पर सट्टा करने के आरोप थे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आरोप इतने शिथिल थे, इतने लचर थे कि एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सब व्यक्तियों के आरोप एडमिनिस्ट्रेटर ने, जो

** चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अध्यादेश १९७९ के अनुमोदन के अवसर पर लोकसभा में १ और २ फरवरी, १९८० को वाद-विवाद।*

दिल्ली में लेफ्टीनेंट गवर्नर हैं, वापस ले लिए। वह केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त है...(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान तथा निकोबार आइलैंड्स) : उसे जनता पार्टी ने नियुक्त किया था।

श्री वाजपेयी : जनता पार्टी द्वारा नियुक्त अगर सभी अफसर गलत थे तो फिर इस कानून को अमल में लाने के लिए आपको हजारों अफसरों को निकालना पड़ेगा और मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत कर दी गई है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, चीफ इलैक्शन कमिश्नर भी उसने नियुक्त किया था? क्या उन्हें भी निकालने का इरादा है?

जो एक मामला दिल्ली में बचा था, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस तथ्य को देखें। वह मामला जब सलाहकार मंडल के सामने गया, जिसमें हाईकोर्ट के एक जज थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि इसमें नजरबंदी नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में इस अध्यादेश पर अमल नहीं किया गया, मगर उससे जिन बुराइयों का हम सामना करना चाहते हैं—इसमें दो राय नहीं हो सकतीं कि मुनाफाखोरी, जमाखोरी, चोरबाजारी—ये समाज विरोधी कृत्य हैं, जघन्य अपराध हैं, इनके खिलाफ कठोर कार्यवाही आवश्यक है, मगर कठोर कार्यवाही करने का तरीका क्या हो—इसके बारे में हमारे और आपके बीच में मतभेद है...(व्यवधान)

मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में भी इस कानून पर अमल किया गया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकदल की सरकार थी और केंद्र में भी उस समय लोकदल सत्तारूढ़ था...(व्यवधान)

अगर मुझे पर्याप्त समय दें, तो मैं हर एक का जवाब दे दूंगा, लेकिन आपकी घंटी बजने लगेगी और मेरी बोलती बंद हो जाएगी। ये लोग सदन में नए आए हैं। मैं उनके उत्साह को समझ सकता हूं मगर उत्साह के साथ थोड़ा संयम से काम लें, तो अच्छा होगा। आपको भी मौका मिलेगा और आप बोलिएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि आंध्र में इस अध्यादेश पर अमल किया गया या नहीं? अगर किया गया तो मूल्यों को स्थिर करने में उससे कितनी मदद मिली? उसके क्या आंकड़े हैं, सदन उनको जानना चाहेगा। मंत्री महोदय उन्हें एकत्रित करें। मुझे भी हैदराबाद में और आंध्र के अनेक भागों में चुनावों के दौरान जाने का मौका मिला है। मैं यह बताना चाहूंगा कि मूल्य वृद्धि में दिल्ली और आंध्र प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, शांति के काल में बिना मुकदमा चलाए किसी को नजरबंद रखना, यह उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता के खिलाफ है और इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। बैंकाक में इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स की एक बैठक हुई थी और भारत भी उसमें भागीदार था। उस बैठक में यह राय प्रकट की गई और मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं :

"राष्ट्र के जीवन के लिए खतरे की स्थिति में सार्वजनिक आपात्काल की अवस्था को छोड़कर सही दिमाग के किसी व्यक्ति को, किसी निश्चित अपराध के आरोप के अतिरिक्त, उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता और बिना मुकदमे के निरोधात्मक नजरबंदी कानून शासन के विरुद्ध होगा।"

श्री हरीश रावत : उस सम्मेलन में श्री राम जेठमलानी या उनके जैसे विचारोंवाले व्यक्तियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया होगा।

श्री वाजपेयी : आपको पता नहीं है, उस समय आपके ही प्रतिनिधि थे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कानून का राज्य हम बनाए रखना चाहते हैं और कानून के राज्य के चौखटे के भीतर ही किसी की व्यक्तिगत स्वाधीनता पर अंकुश लगना चाहिए। केवल डेमोक्रेटिक आइडियल की बात ही काफी नहीं है, प्रोसेस भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अभी श्रीमती मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है कि प्रोसीजर ऑफ लॉ के हिसाब से ही आजादी छीनी जाए, मगर वह प्रोसीजर भी फेयर होना चाहिए। इस विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, १९५५ को लॉ कमीशन की ४७वीं रिपोर्ट के अनुसार कठोर बनाया गया है। अब किसी व्यक्ति को ७ साल की सजा हो सकती है। लेकिन अब अनुभव किया जा रहा है कि यह सजा पर्याप्त नहीं है और कानून और कड़ा होना चाहिए। यदि ऐसा है तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन किया जा सकता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर रद्दोबदल जरूरी है, तो उसका सहारा लिया जा सकता है। हम उसमें आपकी मदद करेंगे क्योंकि चोरबाजारी, मुनाफाखोरी और कालाबाजारी रोकने का उद्देश्य एक पार्टी का उद्देश्य नहीं हो सकता, यह हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य है, मगर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर भी ध्यान देना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और इस संबंध में कहना चाहता हूं। मैं इसी सदन का पहले भी सदस्य था, बहुत से सदस्य नए आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, मगर हमको याद है कि जब मीसा का कानून बना था तो क्या आश्वासन दिए गए थे। हमने बिना बहस के सरकार को असीमित अधिकार दे दिए थे। राष्ट्रीय संकट की घड़ी थी। उस संकट की घड़ी में सदन या देश में विभाजन नहीं हो सकता था। सरकार का स्पष्ट आश्वासन था कि मीसा का उपयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं किया जाएगा, मगर एमर्जेंसी आई, हम लोग पकड़े गए और उसी मीसा में पकड़े गए।

श्री सी.पी.एन. सिंह (पडरौना) : स्पेशल कोर्ट क्रियेट करके आपने रूल ऑफ लॉ को तोड़ा है।

श्री वाजपेयी : हमने कोई राष्ट्र विरोधी काम नहीं किया था। किसी प्रधानमंत्री से त्यागपत्र मांगना देश विरोधी कृत्य नहीं था। अगर हमने अपराध किया था तो हमें अदालतों में जाने का अधिकार होना चाहिए था। यह अधिकार भी हमसे छीन लिया गया था। इसलिए हम ऐसे आश्वासन पर भरोसा नहीं कर सकते। पिछले तीन महीनों का अनुभव हमारे सामने है।

एक बात और भी है। जब वर्तमान सरकार गठित हुई तो इस सरकार ने एलान किया था कि वह बदले की भावना से काम नहीं करेगी, सहयोग की इच्छा प्रकट की गई थी। मगर पिछले १५ दिन में जो कुछ हुआ है, इस बात का सबूत है···(व्यवधान) अगर किसी नए सबूत की आवश्यकता है कि वर्तमान सरकार बदले की भावना को छोड़ने को तैयार नहीं है···(व्यवधान)

श्री सी.पी.एन. सिंह : कोई उदाहरण दीजिए।

श्री वाजपेयी : सी.बी.आई. आफिशियल श्री एन.के. सिंह का उदाहरण है।···(व्यवधान) वे मुझे उदाहरण देने को कह रहे हैं।

श्री सी.पी.एन. सिंह : श्री एन.के. सिंह पर पिछले ढाई वर्ष से केस चल रहा था।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : मान्यवर, अटलबिहारी वाजपेयी जी के दिल की बात उभरकर आ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के सामने एक विशेषाधिकार का प्रस्ताव है।

श्री वाजपेयी : वे चाहते थे कि मैं एक उदाहरण दूं। मैंने दे दिया। उन्हें व्यवधान न डालने दें। मैं उन्हें परेशानी में नहीं डालूंगा।

श्री एडुआर्डो फलेरियो (मरमागांव) : कृपया हमें परेशानी में न डालें। मिनी मीसा के बारे में क्या कहना है?

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश में, जो कानून का रूप ले रहा है, जाल बड़ी दूर-दूर तक फैलाया गया है। केवल चोरबाजारी, मुनाफाखोरी करनेवाले ही इसकी गिरफ्त में नहीं आएंगे, बल्कि ट्रेड यूनियन अधिकारों पर भी इससे प्रहार होगा। अगर मजदूर नेता, मजदूर की उचित मांगें मनवाने के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करेंगे तो उन पर आरोप लगाया जाएगा कि किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन में, उसकी आपूर्ति में, उसके वितरण में बाधा पैदा कर रहे हैं और वे अपने आपको जेल में पाएंगे।

श्री हरीश रावत : जनता पार्टी के शासन में सबसे ज्यादा उन्हें जेल में डाला गया। अब आप इस बारे में क्या कह रहे हैं?

श्री सी.पी. सिंह : इकॉनामिक रिव्यू में कहा गया है कि १९७९ में इंडस्ट्रियल अनरेस्ट मैक्सिमम हुआ है।

प्रो. मधु दंडवते : यदि इस सदन में स्वतंत्र बहस होने जा रही है, तो क्या ऐसे प्रतिष्ठित नेता को इस प्रकार टोका जाएगा? हमें यह जानने दें।

श्री सी.पी.एन. सिंह : महोदय, प्रो. मधु दंडवते हमारे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं आपकी सुरक्षा चाहता हूं। यह अनुमान है। किस नियम के अतंर्गत वे आरोप लगा सकते हैं?

श्री बापूसाहेब परुलेकर (रत्नागिरि) : किस नियम के अंतर्गत वे यह कह रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, प्लीज। माननीय सदस्य आपसे कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

श्री वाजपेयी : वे जो भी चाहें, मैं स्पष्टीकरण देने को तैयार हूं।

श्री सी.पी.एन. सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि इस सरकार द्वारा मजदूरों पर मुकदमा चलाया जाएगा। आप १९७८ से १९७९ तक के इकॉनामिक्स रिव्यू देखें, इस देश में सबसे अधिक औद्योगिक अशांति रही और जनता शासन के दौरान इसं देश का हानिकारक स्तर तक उत्पादन गिरा।

श्री वाजपेयी : वे क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं?

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, जब विधेयक सदन में पेश किया जा रहा था तो वाणिज्य मंत्री ने जो मुद्दे उठाए गए थे, उनका उत्तर देते हुए दो बातें कही थीं। उन्होंने कहा था कि कोफीपोसा है। उसमें भी नजरबंदी का प्रावधान है। पुरानी जनता सरकार ने उस कानून को रद्द नहीं किया और इस आधार पर वह इस कानून का औचित्य ठहराना चाहते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि इस कानून का संबंध चोरबाजारी, मुनाफाखोरी, जमांखोरी से है और इन बीमारियों का इलाज देश में हो सकता है, सबूत देश में प्राप्त किए जा सकते हैं, एशेंसियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत, अगर आवश्यक हो तो उसे मजबूत बनाकर, अपराधी के खिलाफ कोर्ट में सफलता से मुकदमे चलाकर उन्हें सजा दिलाई जा सकती है। कोफीपोसा में ऐसे लोगों को नजरबंद किया गया है, जिनके स्मलगर होने का संदेह है, लेकिन उस संदेह की पुष्टि के लिए देश में सबूत उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इस

आधार पर इस कानून को लाना सही नहीं ठहराया जा सकता।

दूसरी बात उन्होंने और भी गंभीर कही कि यह एक एनेबलिंग प्राविजन है। राज्य सरकारों को इसे अमल में लाना है। राज्य सरकारें अमल में लाएं, या न लाएं यह उनकी प्रादेशिक स्वायत्तता के अंतर्गत आता है। अगर वे अमल में नहीं लाएंगी तो जनता में अलोकप्रिय बनेंगी, लोगों का विश्वास खो देंगी···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : खो दिया है।

श्री वाजपेयी : नहीं खोया है। केरल में क्या हुआ है, यह भी मत भूलिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप अपनी बात करिए।

श्री वाजपेयी : हम आपकी बात कर रहे हैं। श्री प्रणव मुखर्जी ने एक छिपी हुई धमकी भी दी है :

"मैं विनम्रता और आदरपूर्वक स्मरण करवाना चाहूंगा···"

श्री ज्योतिर्मय बसु को वह रिमाइंड करवा रहे थे :

"कि उन्हें यह भूल जाना चाहिए कि केंद्र में कमजोर सरकार है। हम अपनी क्षमता जानते हैं कि कैसे आपनी क्षमता के अंदर एक राज्य सरकार को व्यवस्थाओं का पालन करने के लिए मनवा लें।"

श्री प्रणव मुखर्जी : अपनी क्षमताओं के अंदर।

श्री वाजपेयी : इनको आए हुए अभी जुम्मा-जुम्मा आठ दिन नहीं हुए हैं और इनको मालूम होना चाहिए कि यह फैड्रल पालिटी है, प्रादेशिक सरकारों के साथ, वे किसी भी रंग की हों, किसी भी रूप की हों, किसी भी ढंग की हों, जिनको जनता ने मत देकर सत्तारूढ़ किया है, उनके साथ आपको सह-अस्तित्व के आधार पर आचरण करने का अभ्यास करना होगा।

इस विधेयक में पुलिस कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि वे नजरबंदी का आदेश दे सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि इस अधिकार का दुरुपयोग किया जाएगा।

दिल्ली में एक नए पुलिस कमिश्नर आए हैं जो पिछली जनता सरकार में कुछ मुकदमों में फंसे हुए थे।

श्री सी.पी.एन. सिंह : झूठे मुकदमे थे। हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है उस पर। इसको प्रोसीडिंग्ज में से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री वाजपेयी : निर्णय के बारे में मैंने कुछ नहीं कहा। इतना ही कहा है कि उनकी सरकार के वक्त में वह अनेक मुकदमों में फंसे थे।

श्री सज्जन कुमार (बाह्य दिल्ली) : यह कहिए कि फंसाए गए थे।

श्री सी.पी.एन. सिंह : व्यवस्था के प्रश्न पर महोदय, माननीय सदस्य ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर आशंका जाहिर की है। क्या यह अनुज्ञेय है?

श्री रवींद्र वर्मा : उन्होंने ऐसा नहीं किया है। .

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है और व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सी.पी.एन. सिंह : उन्होंने कहा उनके खिलाफ झूठे मुकदमे थे, पुरानी सरकार ने इन मुकदमों को शुरू किया। माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं कि वे मुकदमे झूठे थे और

इसीलिए उच्च न्यायालय ने संबंधित व्यक्ति को छोड़ दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने निर्णय के बारे में कभी कुछ नहीं कहा।

जब इस सदन में एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, तो आप सभी मुद्दों को नोट कर लें जो वे उठा रहे हैं। आपको भी वक्त दिया जाएगा, पर्याप्त वक्त। और जब आपको मौका मिले या अपनी पार्टी की तरफ से जब आपको बोलने का मौका मिले, तो आप उनका जवाब दें। इससे आपको मदद मिलेगी, इससे मुझे भी मदद मिलेगी।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत मुकदमे क्यों लगाए, जो मुकदमे कोर्ट द्वारा खत्म हो गए, उनका जिक्र कर रहे हैं। इन्हीं के द्वारा गलत मुकदमे चलाए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको इस प्रस्ताव पर बोलने का मौका मिले, तो आप उनको जवाब दें। मान लें कि आप हर बार उठते हैं, तो जब-जब आप बोल रहे होंगे, तो इस तरफ का कोई सदस्य आपको टोके तो आपका ध्यान दूसरी ओर हो जाएगा।

श्री वाजपेयी : वे इस सदन में सही बहस नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इन्हें सुनें और सभी प्वाइंट नोट कर लें। जब आप बोलें तो आप उन्हें जवाब दें। यही संसदीय प्रक्रिया है।

श्री रवींद्र वर्मा : यह संभव नहीं है। मैं इसे व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठा सकता हूं।

श्री वाजपेयी : अगर ऐसा व्यक्ति दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के नाते आचरण करेगा और उसे नागरिकों की व्यक्तिगत स्वाधीनता छीनने का अधिकार दिया जाएगा तो इस बात की पूरी आशंका है कि⋯(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारा निवेदन है कि जोर से बोलकर हमको डराना चाहते हैं।

श्री वाजपेयी : मैं हार नहीं मान रहा। मैं हार नहीं मानूंगा। सवाल है कि क्या मुझे बोलने दिया जाएगा या नहीं। इस सवाल को एक बार में अंतिम रूप से तय हो जाने दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अगर इन्होंने नोटिस दिया है कि भिंडर के बारे में बोल सकते हैं, वरना नहीं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : क्या इनकी मंशा यह है कि डिबेट चलने न दी जाए?

श्री वाजपेयी : महोदय, या तो आप इन्हें नियंत्रित करें⋯(व्यवधान)

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, आपकी अपील के बावजूद वे नहीं सुन रहे।

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने दें। आप अपनी बारी में उन्हें जवाब दें। यह उचित होगा। हमारे पास वक्त नहीं है।⋯(व्यवधान)⋯आर्डर, आर्डर।

श्री वाजपेयी : इसे एकबारगी अंतिम रूप से तय हो जाने दें।

श्री बापूसाहेब परुलेकर : व्यवस्था के प्रश्न पर।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न है। आप सभी कृपया बैठ जाएं।⋯(व्यवधान)

श्री बापूसाहेब परुलेकर : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। आपने मेरा नाम लिया है, महोदय। मैं आपका ध्यान नियम २४९(१) की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो कहता है :

"जब सदन की कार्यवाही चल रही हो, तो किसी सदस्य को–

(२) बोल रहे किसी सदस्य को अव्यवस्थित अभिव्यक्ति से या शोर-शराबे या किसी अन्य अव्यवस्थित तरीके से टोकना नहीं चाहिए।" यहां सभी विरोधी मित्र अव्यवस्थित ढंग से व्यवहार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझसे कह रहे हैं, और उनकी तरफ अपनी उंगली नहीं उठाते।

श्री बापूसाहेब परुलेकर : यह कहता है कि कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य को बोलते वक्त अव्यवस्थित अभिव्यक्ति या शोर-शराबे या किसी अन्य तरीके से टोकेगा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस नियम को स्वीकार करता हूं और हम देखेंगे कि सदन का हर पक्ष इस नियम को विश्वास के साथ लागू करे।

श्री सी.पी.एन. सिंह : जनता पार्टी सहित।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि सभी पक्ष विश्वास के साथ इस नियम को लागू करें।

श्री सी.पी.एन. सिंह : यह प्रस्ताव कहता है :

"यह सदन कालाबाजारी निरोधक और अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति बरकरार रखने को ...(व्यवधान) अस्वीकार करता है।"

लेकिन माननीय सदस्य दिल्ली पुलिस और पुलिस आयुक्त की नियुक्ति के बारे में बोल रहे हैं। क्या यह प्रासंगिक है?

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि मेरे मित्रों ने इस विधेयक को नहीं पढ़ा है। इस विधेयक में लिखा गया है, क्लाज ३(२) में :

"निम्न अधिकारियों में से कोई भी अर्थात जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर जहां कहीं भी वे नियुक्त किए गए हों, यदि वे सब सैक्शन (१) के अनुसार संतुष्ट हैं, तो वे किसी व्यक्ति को नजरबंद करने के अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं।"

इसमें पुलिस कमिश्नर के आचरण की चर्चा हो सकती है।...(व्यवधान) इस बात की पूरी आशंका है कि कानून का उपयोग उन व्यापारियों के विरुद्ध किया जाएगा, जो सत्तारूढ़ दल से राजनीतिक मतभेद रखते हैं।

एक माननीय सदस्य : आपकी मदद करते हैं।

श्री वाजपेयी : हां, हां, जिन्होंने जनता पार्टी का समर्थन किया है या और किसी विरोधी दल का समर्थन किया है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी अधिकार दिए जा रहे हैं।...(व्यवधान)

मेरा निवेदन यह है कि सरकार को यह विधेयक वापस ले लेना चाहिए; और लोग आपके साथ हैं, आपको प्रचंड बहुमत मिला है, देश में आपकी आंधी आई है, छोटे-छोटे चोरबाजारियों के खिलाफ आप इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र ला रहे हैं?...(व्यवधान) व्यापारी सत्तारूढ़ दल के साथ हैं। अभी साप्ताहिक हिंदुस्तान में इसी सप्ताह के अंक में श्री बशेशरनाथ गोटेवाला का एक लेख आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सारे व्यापारी कांग्रेस के साथ हैं और वह श्रीमती इंदिरा गांधी को विजयी बनाने के लिए अपने दल-बल के साथ चिकमंगलूर भी गए थे। उन व्यापारियों को बुलाकर आप समझा सकते हैं, इस नई हवा का लाभ उठा सकते हैं, अगर सचमुच में यह व्यापारियों के खिलाफ है तो।

एक माननीय सदस्य : यह ब्लैक-मार्केटियर्स और होर्डर्स के खिलाफ है।

श्री वाजपेयी : क्या पार्लियामेंट के मेंबर ब्लैक-मार्केटिंग करते हैं?

विधि, न्याय एवं कंपनी मामलों के मंत्री श्री पी. शिवशंकर : मेरे मित्र ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मैं उनसे इसे वापस लेने का अनुरोध करूंगा।

श्री रवींद्र वर्मा : कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। वे एक सवाल पूछ रहे हैं।

श्री पी. शिवशंकर : वे यह नहीं कह सकते कि संसद सदस्य ब्लैक-मार्केटिंग करते हैं।

श्री वाजपेयी : मैंने यह नहीं कहा है। आप समझे नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उन्होंने यह कहा है तो अपने को भी इसमें शामिल करते हैं।

श्री पी. शिवशंकर : वे दूसरों को शामिल नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने क्या कहा है?

श्री वाजपेयी : मुझसे एक सवाल पूछा गया था। तब मैंने एक प्रति-सवाल पूछा कि क्या संसद सदस्य कालाबाजारी में लगे हैं? यह आपत्तिजनक नहीं है।

श्री पी. शिवशंकर : यह आपत्तिजनक है।

श्री वाजपेयी : मैंने यह नहीं कहा कि संसद सदस्य कालाबाजारी में लिप्त हैं। माननीय विधि मंत्री से ज्यादा सतर्कता और ज्यादा समझदारी की आशा है।

श्री पी. शिवशंकर : मैं ज्यादा सतर्क होने का प्रयास कर रहा हूं।

श्री वाजपेयी : संभव है, भाषा की वजह से वे मुझे समझ नहीं पाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को दोहराना चाहता हूं कि सरकार एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसे संशोधन करे, जिनसे ऐसे अपराधों में लगे हुए व्यक्तियों को कस्टडी में रखने का समय बढ़ाया जा सके तो उसका हम समर्थन करेंगे। सचमुच में जिस बात की सरकार रोकथाम करना चाहती है, वह बात यही है कि ऐसे लोग जल्दी से जमानत पर न छूटें। आप जानते हैं कि यदि कोई हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे पुलिस की कस्टडी में या जुडिशल कस्टडी में रखा जा सकता है और जब अदालत उसे छोड़े, तभी वह छूट सकता है। समाज-विरोधी कृत्य करनेवालों के बारे भी यही रवैया अपनाया जा सकता है। अगर आवश्यक हो, तो सामान्य कानून को कड़ा बनाया जाए, लेकिन इस सरकार के हाथ में, जो बदले की भावना से प्रेरित है, हम नजरबंदी कानून के अधिकार नहीं देना चाहते।...(व्यवधान) इसलिए मैं सदन से अपील करता हूं कि...(व्यवधान)

श्री सी.पी.एन. सिंह : शाह कमीशन, स्पेशल कोर्ट्स, क्या यह बदला नहीं था?

श्री वाजपेयी : हमने कमीशन बनाए थे। अपराधियों के लिए अदालत के दरवाजे खुले थे। हमने बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में बंद नहीं रखा, और आप वही करना चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने वह पाप किया है जो किसी ने नहीं किया है। जो पार्लियामेंट में चुनकर आया, उसको निकाल दिया और जेल में भेज दिया।

श्री वाजपेयी : इसकी शुरुआत भी पहले कांग्रेस के मित्रों ने की थी। एक चुने हुए मेंबर को पार्लियामेंट से निकाल दिया था। हम लोगों ने नहीं, पहले आपने ही निकाला था। माननीय सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम पुरानी बातें नहीं उखाड़ना चाहते हैं, हम नाइनटीन एटीज की चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं। क्या नाइनटीन एटीज की चुनौतियों का सामना करने का तरीका यह काला कानून है?

वैसे भी पुरानी सरकार को आप जाने में या अनजाने में बधाई दे रहे हैं। कम से कम आपको एक काम तो हमारा पसंद आया। मगर कामचलाऊ सरकार की नीयत पर हमको शक नहीं था। वह सत्ता का दुरुपयोग, करेगी इसकी आशंका नहीं थी। फिर भी हमने विरोध किया था, क्योंकि हमारे लिए यह सिद्धांत का प्रश्न है। लेकिन जहां तक आपकी नीयत का संबंध है, पिछले पंद्रह

दिनों में हमने जो कुछ देखा है, उसके कारण हम आपको यह अधिकार नहीं दे सकते।

मैं सदन से मांग करता हूं कि वह मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

"यह सदन कालाबाजारी निरोधक और अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति कायम रखने का अध्यादेश, १९७९ (अध्यादेश नं. १०, १९७९) को जिसे राष्ट्रपति ने ५ अक्तूबर, १९७९ को लागू किया, अस्वीकार करता है।"

चर्चा का उत्तर

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश को अस्वीकृत करने की मांग करते हुए मैंने जो तर्क उपस्थित किए थे और बाद में जिन तर्कों को मेरे बाद बोलनेवाले विपक्ष के सदस्यों ने पुष्ट किया था, उनका कोई समाधानकारक उत्तर हमारे वाणिज्य मंत्री नहीं दे सके। उन्होंने छींटाकशी लोकदल के सदस्यों पर की। उनका आरोप है कि लोकदल ने अपना रवैया बदल दिया है।

अध्यक्ष महोदय, लोकदल ने इसलिए अपना रवैया बदल दिया है, क्योंकि सरकार बदल गई है।...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लोकदल या दलदल?

श्री वाजपेयी : सरकार किसी कानून का दुरुपयोग करेगी या नहीं करेगी यह कसौटी है, जिस पर इस तरह के कानूनों को कसकर रखना होगा। किसी सरकार के आचरण के बारे में फैसला देने से पहले या भविष्य के बारे में फैसला देने से पहले उस सरकार के भूतकाल को देखना होगा ...(व्यवधान) अतः यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जो महानुभाव हमारे सामने बैठे हुए हैं उनका भूतकाल बड़ा भयानक है।...(व्यवधान)

आश्वासन देने के बाद एम.आई.एस.ए. का दुरुपयोग हुआ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जमाखोरी करनेवाले सब यही कहते हैं कि बड़ा भयानक भूतकाल है।

श्री वाजपेयी : यह कानून सरकारी अफसरों को व्यापक अधिकार देता है। कल भी मैंने इसका उल्लेख किया था और मंत्री महोदय यह कहकर नहीं बच सकते कि नजरबंदी कितने दिन की है, सिर्फ १२ दिन की है। फिर ऐडवाइजरी बोर्ड में जाएगा।

मैंने दिल्ली का एक उदाहरण दिया था। ८ गिरफ्तारियां की गईं। ७ तो एडमिनिस्ट्रेटर ने छोड़ दिए और आठवां मामला एडवाइजरी बोर्ड के सामने गया। उसने छोड़ दिया। मगर जो लोग १० दिन, १२ दिन या २० दिन जेल में रहे, अध्यक्ष महोदय, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी स्वाधीनता का अपहरण, समाज में निंदा का पात्र बनने का उनके लिए जो कलंक लगा, उसके लिए कौन दोषी है?

अब यह अधिकार दिया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या पुलिस कमिश्नर को? मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस कमिश्नर किसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही करेगा? वह स्वयं तो हर मामले को नहीं देख सकता। किसी थाने का सब-इंस्पेक्टर मामला लाएगा, किसी तहसील का अधिकारी मामला लाएगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस कमिश्नर उसके आधार पर नजरबंदी का आदेश देंगे। वह आदेश भले ही बाद में रद्द हो जाए, मगर व्यक्ति की स्वाधीनता चली जाएगी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सोचने की बात है। आप सब लोग माननीय सदन के सदस्य हैं, और सदन में इस तरह से बैठे-बैठे बात करते हैं, एक-दूसरे से वितंडावाद करते हैं, यह हमें शोभा नहीं देगा। आप बात सुनिए।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे सहमत हूं। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। कम से कम मैं जब बोल रहा हूं तब ऐसा नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, वह अपने लिए ही नहीं कह रहे हैं, यह सबके लिए है।

श्री वाजपेयी : मंत्री महोदय ने कहा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत जो मामले आते हैं, उनको निपटने में देर लगती है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया, राज्य सरकार पर दोषारोपण भी किया, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून भी किस के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रदेश सरकार का होगा या केंद्र सरकार का होगा? पुलिस कमिश्नर प्रादेशिक सरकार के अंतर्गत आएगा या केंद्रीय सरकार उसको सीधा निर्देश देगी?

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए प्रादेशिक सरकारों पर आपको विश्वास करके चलना पड़ेगा, प्रादेशिक सरकारों का आपको सहयोग लेना पड़ेगा। सहयोग लेने के लिए उचित वातावरण बनाना पड़ेगा। मंत्री महोदय ने सफाई दी है कि उन्होंने कोई धमकी नहीं दी। कहते हैं कि 'विद इन दि एरिया ऑफ कंपीटेंस' से होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह प्रिवेंटिव डिटेंशन का मामला है, इसमें राज्य सरकार को इस कानून पर अमल करने के लिए वह किस तरह से विद इन दि एरिया ऑफ कंपीटेंस में मजबूर कर सकते हैं। आप और क्षेत्रों में बदले की कार्यवाही करें, यह अलग बात है।

मैंने इस बात का भी कल उल्लेख किया था और मंत्री महोदय ने कोई उत्तर नहीं दिया कि चोरबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी करनेवालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो, इसमें दो राय नहीं, किंतु इस विधेयक को केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं रखा गया है। ट्रेड यूनियन-अधिकारों पर भी हमला करने की कोशिश की जा रही है। मजदूर अगर उचित बात के लिए भी हड़ताल करेंगे तो यह कहकर कि वह उत्पादन में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या यह आवश्यक है?

एक माननीय सदस्य : आप इसे ट्विस्ट कर रहे हैं।

श्री वाजपेयी : अगर मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, तोड़-मरोड़ रहा हूं तो श्री इंद्रजीत गुप्त ने इस संबंध में एक संशोधन दिया है, मंत्री महोदय उसको स्वीकार कर सकते हैं। जो हमारे मन में आशंका है, वह निराधार नहीं है। यह केवल इसलिए नहीं है कि सरकार आपके हाथ में आ गई है। आप इस विधेयक को सलेक्ट कमेटी में भेज सकते थे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में यह संशोधन किया जाए, इसके बारे में सरकारी पक्ष और प्रतिपक्ष बैठकर विचार-विनिमय कर सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अगर संशोधन करना आवश्यक है तो उसके बारे में भी सोचा जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बढ़ी हुई कीमतों को रोकने के लिए आपके पास नजरबंद करने के अलावा और कोई कारगर उपाय नहीं है। मेरा निवेदन है और वाणिज्य मंत्री इसको स्वीकार करें कि अगर किसी वस्तु का उत्पादन कम होता है और अभाव होता है तो कीमतें बढ़ती हैं, चोरबाजारी को भी प्रश्रय मिलता है, जमाखोरी करने की प्रवृत्ति बल पकड़ती है।

एक माननीय सदस्य : यही तो आपकी फिलॉसफी थी।

श्री वाजपेयी : यह फिलॉसफी की बात नहीं है, शुद्ध अर्थव्यवस्था की बात है, मगर उनको समझ में नहीं आता है।...(व्यवधान)

मेरा निवेदन है कि महंगाई को रोकने के लिए कुछ दूरगामी और तात्कालिक उपाय अपनाने पड़ेंगे। अगर तात्कालिक उपायों के लिए आपके पास नजरबंदी कानून ही शस्त्रागार में है तो मुझे भय है, उससे यह उद्देश्य सफल नहीं होगा।

जमाखोरी हो रही है या नहीं हो रही है, यह तय करने के लिए आपको पहले जमाखोरी करके कितना माल अपने पास रखा जा सकता है, इसकी सीमा तय करनी पड़ेगी। मुनाफाखोरी हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए चीजों के दाम भी तय करने पड़ेंगे। चीजों के दाम तय करते समय यह ध्यान रखना होगा कि अगर खुले बाजार में वे चीजें उपलब्ध नहीं होंगी तो आपको नागरिकों को वे चीजें जो दाम निर्धारित किए हैं, उन पर मुहैया करानी होंगी। अगर आप मुहैया नहीं कराएंगे और दाम निर्धारित भी हैं तो चीजें चोरबाजारी में चली जाएंगी और जो थोड़ी-बहुत मिलती हैं, वह भी नहीं मिलेंगी। ये आर्थिक प्रक्रिया बड़ी जटिल है, यह बात नहीं है।

श्री हरीश रावत : हम अपना काम जानते हैं।

श्री वाजपेयी : आप अभी आए हैं, अभी आप कुछ नहीं जानते।

श्री हरीश रावत : आप जो कुछ जानते हैं, वह पिछले साई सालों में प्रमाणित हो चुका है।

श्री सी.पी.एन. सिंह : माननीय, आप दुनिया-भर में घूमते-घूमते हिंदुस्तान को भूल गए हैं।

श्री वाजपेयी : मैं हिंदुस्तान को भले ही भूल जाऊं, हिंदुस्तान मुझे नहीं भूल सकता, और आपका सिर खाने के लिए मैं यहां मौजूद हूं।...(व्यवधान) मेरा निवेदन है कि अभी भी समय है। मंत्री महोदय इस मामले पर शांति से विचार करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि बुनियादी सवाल में कोई मतभेद नहीं है। जो सामाजिक अपराधी हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

आप अपोजीशन के इस ऑफर को क्यों नहीं मान लेते हैं कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आवश्यक संशोधन किए जाएं और एक ऐसा सर्वसम्मत हल निकाला जाए, जिसे सदन के सभी भागों का समर्थन प्राप्त हो? पुलिस रिपोर्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहे कि अभियुक्त को कस्टडी में रखा जाए, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। हमने इस आशय का संशोधन रखा है। हत्या के मामले में भी जुडिशियल कस्टडी का आदेश जुडिशियल मजिस्ट्रेट देता है, पुलिस कमिश्नर नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी नहीं। हमारे इस संशोधन को आप स्वीकार कर सकते हैं और ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं, जिस पर हम मिलकर चल सकते हैं, नहीं तो हमें रास्ता रोककर खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद।

तस्करों ने फिर तेजी पकड़ी

सभापति जी, मैं संकल्प पेश करता हूं : "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा १७ सितंबर, १९७४ को प्रख्यापित आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना (संशोधन) अध्यादेश, १९७४ (१९७४ का अध्यादेश सं. ११) का निरनुमोदन करती है।"

मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद ३५९ के खंड (१) के अधीन १६ नवंबर, १९७४ को जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश का निरनुमोदन करती है जिसके द्वारा अनुच्छेद १४, अनुच्छेद २१ और अनुच्छेद २२ के खंड (४), (५), (६) और (७) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम १९७१ के अधीन नजरबंदी आदेशों के संबंध में किसी न्यायालय में जाने के नागरिक अधिकारों को निलंबित किया गया है और आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अधीन नजरबंदी आदेशों के संबंध में उपर्युक्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी न्यायालय में लंबित कार्यवाहियों को भी निलंबित किया गया है।"

सभापति जी, आज के समाचारपत्रों में यह वृतांत प्रमुखता से प्रकाशित हुआ है कि देश के कई प्रमुख नगरों में तस्करों की गतिविधियां फिर से चालू हो गई हैं। समाचारपत्रों में कहा गया है कि कुछ सप्ताहों तक मंद रहने के बाद अनेक महत्वपूर्ण नगरों में तस्करों ने अपनी कार्यवाहियां फिर से तेज कर दी हैं। एक देशव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार कुछ लोगों की पकड़-धकड़ के भय से जो शेष तस्कर छिपे हुए थे, वे फिर से बाहर आ गए हैं और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है।

सभापति जी, तस्करी एक तरह से बर्फीले पहाड़ की तरह से है जिसका एक हिस्सा जितना दिखाई देता है उससे अधिक हिस्सा दिखाई नहीं देता। यह समझना गलत होगा कि केवल ५०० या ६०० व्यक्ति इस देश में तस्करी का सारा जाल बुनने में समर्थ हैं। सरकार ने कुछ तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया है। यह संशोधन एक अध्यादेश द्वारा किया गया है। जब संसद की बैठक नहीं चल रही थी, तब सरकार ने अध्यादेश जारी करने के अधिकार का उपयोग किया और उसके द्वारा सुरक्षा-अधिनियम में परिवर्तन किया। लेकिन

* *आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश पर लोकसभा में २ और ३ दिसंबर, १९७४ को निरनुमोदन।*

सभापति महोदय, यह परिवर्तन ही काफी नहीं हुआ। जो तस्कर सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए उनमें से कुछ अदालतों द्वारा छोड़े जाने लगे। सरकार ने इस बात पर विचार नहीं किया कि अदालतें तस्करों को क्यों छोड़ रही हैं। उसने सारा दोष अदालतों के मत्थे मढ़ने की कोशिश की और संविधान के अनुच्छेद ३५९ के अंतर्गत एक आदेश जारी करके जो तस्कर नजरबंद थे, उनके लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाने का रास्ता बंद कर दिया।

सभापति महोदय, ३ दिसंबर, १९७१ को देश में संकटकालीन स्थिति की घोषणा हुई थी। पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था। आज २ दिसंबर, १९७४ है। तीन वर्ष हो गए। हमने पाकिस्तान की जीती हुई जमीन वापस दे दी, कैदी लौटा दिए, शिमला और दिल्ली में बैठकर सामान्य स्थिति लाने के लिए समझौते किए। अब दोनों देशों के बीच व्यापार भी आरंभ हो गया है। आज संकटकालिक स्थिति बनाए रखने का क्या औचित्य है? लेकिन संकटकालिक स्थिति बनाए रखी जा रही है। उस स्थिति के अंतर्गत पहले तो तस्करों को एम.आई.एस.ए. में बंद किया जा रहा है और उसमें भी जब अदालतें न्याय की कसौटी पर कसकर कुछ मामलों में उनकी व्यक्तिगत स्वाधीनता वापस लौटा देती हैं तो सरकार ने राष्ट्रपति का आदेश जारी करके तस्करों को मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया।

मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम तस्करों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने के पक्ष में हैं। तस्करी एक राष्ट्रविरोधी कृत्य है। जो भी तस्करी करता है वह देश के प्रति गद्दारी का दोषी है। लेकिन गद्दारी के खिलाफ भी कानून के अंतर्गत कार्यवाही होगी। अभी देश में कानून का राज्य है, जंगल का राज्य नहीं है। मेरा आरोप है कि यह सरकार तस्करों के विरुद्ध सामान्य कानून के अंतर्गत कार्यवाही नहीं करना चाहती। सारा देश मांग कर रहा है कि तस्करों को खुली अदालत में पेश किया जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए। उनके विरुद्ध जो भी प्रमाण सरकार के पास हैं, उन्हें पेश किया जाए। वे तस्कर जिनके संरक्षण में तस्करी करते थे उन राजनीतिक नेताओं को, कस्टम और पुलिस के अफसरों को भी बेनकाब किया जाए और तस्कर कड़ी से कड़ी सजा के भागीदार बनाए जाएं। लेकिन सरकार उन्हें खुली अदालत में पेश करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन पर मुकदमा चलाने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। उन्हें आराम से नजरबंद करने के पक्ष में है।

तस्कर कब तक नजरबंद रहेंगे?

सभापति महोदय, आप तो वकील हैं, अभी-अभी यू.एन.ओ. से वापस आए हैं। ताजा दिल और दिमाग लेकर आए हैं। जरा इस मामले में भी अपना ताजा दिमाग काम में लाइए। नजरबंदी की जाती है किसी व्यक्ति को भविष्य में कोई काम करने से रोकने के लिए। नजरबंदी जो पुराने पाप हैं, उसके लिए सजा देने के लिए काम में नहीं लाई जाती। क्या केवल जो तस्कर पकड़े गए हैं उन्हें भविष्य में तस्करी करने से रोकना, इतना ही उद्देश्य है? क्या ६०० लोगों को पकड़ने से तस्करी बंद हो जाएगी? उन्होंने जो पुरानी तस्करी की थी जिसके लिए वह दोषी हैं, क्या उन्हें उसके लिए दंड नहीं मिलना चाहिए? उन्हें नजरबंद करने से उनके पुराने अपराध के लिए उन्हें दोष कैसे दिया जाएगा? लेकिन सरकार उन्हें सजा देना नहीं चाहती।

सभापति महोदय, तस्करों के विरुद्ध एम.आई.एस.ए. का प्रयोग सरकार की कानूनी कार्यवाही का, देश के सामान्य कानून के अंतर्गत होनेवाली कार्यवाही का एक मखौल है। तस्करी एक

अपराध है। सामान्य कानून के अंतर्गत उनसे निपटने की शक्ति सरकार में होनी चाहिए। अगर सामान्य कानून अपर्याप्त हैं तो उन कानूनों को मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए सरकार सदन में आ सकती है। यह सदन सरकार को तस्करी को समाप्त करने के लिए आवश्यक अधिकार देने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन राष्ट्रपति का आदेश निकाला गया है ३५९ के अंतर्गत। ३५९ तब तक चलेगी जब तक देश में आपातकालीन स्थिति रहेगी। आखिर आपत्तिकालीन स्थिति कब तक रहेगी? क्या तस्करी भी अब विदेशी आक्रमण है, जिसका सामना बिना एमर्जेंसी की घोषणा के नहीं हो सकता? अभी तो एमर्जेंसी चल रही है, मुझे शक है या तो सरकार अनिश्चित काल के लिए एमर्जेंसी बनाए रखना चाहती है या फिर कुछ दिन के लिए तस्करों को जेल में रखकर बाद में छोड़ देना चाहती है। अन्यथा एमर्जेंसी के अंतर्गत तस्करों को अदालत में जाने से रोकने का आदेश निकालने का कारण क्या है? जब एमर्जेंसी खत्म होगी, आदेश रद्द हो जाएगा, तस्कर अदालत में जा सकेंगे, तब सरकार क्या करेगी?

सभापति महोदय, लॉ कमीशन ने इस मामले में कई साल पहले विचार किया था और उसने ४७वीं रिपोर्ट में यह कहा था :

"हमने ध्यानपूर्वक इस सवाल पर विचार किया और ढिल्लों के केस में बहुमत के फैसले का सामान्य अभिप्राय और इस केस में बहुमत के लिए बोलनेवाले मुख्य न्यायाधीश सीकरी की प्रासंगिक टिप्पणी पर पर्याप्त विचार किया है। हमारा संतुलित विचार है कि समग्र रूप से, यह सलाह दी जा सकती है कि सरकार सातवीं अनुसूची की सूची नं. १ में आइटम नं. ९ की विषयवस्तु का विस्तार करने के लिए संवैधानिक संशोधन करे। इसी के अनुरूप हम सुझाव देते हैं कि सूची नं. १ के आइटम नं. ९ को इस प्रकार संशोधित किया जाए, ताकि वह निम्न हो जाए :

"सुरक्षा, विदेशी मामलों, भारत की सुरक्षा, कस्टम और एक्साइज शुल्क की प्रभावी वसूली या विदेशी मुद्रा के संरक्षण से संबंधित कारणों के लिए—निषेधात्मक नजरबंदी; ऐसे नजरबंद व्यक्ति।"

सरकार सोती रही, तस्करी होती रही

यह विधि आयोग का सुझाव था। सरकार इस सुझाव पर सोती रही, तस्करी चलती रही, देश की अर्थ-व्यवस्था को खोखला करती रही। १,००० करोड़ रु. से १,२०० करोड़ रु. तक की तस्करी प्रतिवर्ष देश में होती थी। पहले चोरी-छिपे सोना लाया जाता था। स्वर्ण नियंत्रण कानून लाकर सरकार ने छोटे-मोटे स्वर्णकारों को रोजी-रोटी से वंचित करने का काम तो किया, मगर जो सोने की तस्करी में लिप्त तस्कर थे उनके विरुद्ध उसने कठोर कार्यवाही नहीं की। यह ठीक है कि अब सोने की तस्करी कम हो गई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव बढ़ गया है। लेकिन सोने के अतिरिक्त अब कपड़ा आ रहा है, हीरे-जवाहरात आ रहे हैं, घड़ियां आ रही हैं, ट्रांजिस्टर आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो माल सरकार बरामद करती है, तस्करों के हाथ से पकड़ा जाता है, उसकी मात्रा बढ़ रही है। कीमत बढ़ रही है। १९७१ में ८.५० करोड़ का सामान पकड़ा गया, १९७२ में ११.५० करोड़ का, १९७३ में १४.५० करोड़ का और १९७४ के प्रथम आठ महीनों में १७.०० करोड़ रु. का सामान पकड़ा गया। जो सामान पकड़ा गया है, उससे वह सामान ज्यादा है जो पकड़ा नहीं गया।

सभापति जी, यह जो १७ करोड़ की बात कही गई है, इसमें ११.५० करोड़ रु. का कपड़ा

आया है, एक करोड़ रु. की घड़ियां हैं और कुल ढाई लाख रु. का सोना। यह तस्करी का नया पैटर्न है, नया ढंग है।

सभापति महोदय, तस्कर अपना रिजर्व बैंक चलाते हैं।

श्री मूलचद डागा (पाली) : यह बात आपको कैसे मालूम है?

श्री वाजपेयी : डागा जी, कुछ मामलों में हम अंतर्यामी हैं। ये बातें छिपी हुई नहीं हैं। एंटी-स्मगलिंग ऑपरेशन के लिए नियुक्त आफिसर श्री बाघ ने समाचारपत्रों को दी गई एक भेंट में यह बात स्वीकार की है कि तस्कर अपना रिजर्व बैंक चलाते हैं। बंबई के एक समाचारपत्र में उस रिजर्व बैंक का पता भी छपा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक उस पर छापा नहीं मारा है।

तस्करों की समानांतर सरकार

तस्करों का मामला इस सदन में इस साल बड़े विस्फोटक ढंग से तब उठा जब वित्त मंत्रालय के पुराने राज्य मंत्री, श्री गणेश ने समाचारपत्रों को एक भेंट में बताया कि तस्कर एक समानांतर सरकार चला रहे हैं, उनकी अपनी टेलीफोन व्यवस्था है, वे कस्टम अधिकारियों के टेलीफोन सुनते हैं, समाज में जिन्हें ऊंचा दर्जा मिला है उनसे उनके राजनैतिक संबंध हैं। बाद में कांग्रेस के डॉ. वी.के.आर.वी. राव ने एक ध्यान-दिलाओ सूचना के अंतर्गत इस विषय में एक वक्तव्य की मांग की थी। श्री गणेश ने यह भी कहा था कि वह तस्करों के खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। लेकिन जब सदन में यह मामला उठा, तो श्री गणेश का स्वर कुछ मंद हो गया। उन्होंने तीन तस्करों के नाम भी बताए। मैं श्री गणेश को बधाई देना चाहता हूं। अफसोस है कि आज जब इस मामले पर चर्चा हो रही है, तब वह इस सदन में नहीं हैं—इस सदन में ही नहीं हैं, वह वित्त मंत्रालय में भी नहीं हैं। उनका पत्ता कट गया है। उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए था, मगर उन्हें दंडित किया गया। क्या इसका कारण यह है कि श्री गणेश ने जो कुछ कहा, उसने सरकार को मुसीबत में डाल दिया? क्या इसका कारण यह है कि श्री गणेश के रहस्योद्‌घाटन में सरकार जनता के सामने कठघरे में खड़ी हो गई? उन्हें वित्त मंत्रालय से हटाया क्यों गया?

श्री ओम मेहता : उन्होंने श्रीगणेश किया था।

श्री वाजपेयी : मगर आपने गणेश का चूहा बना दिया। "विनायकं प्रकुर्वाणो रचयामास वानरम्": आपने गणेश को चूहा बनाकर दूसरे मंत्रालय में भेज दिया।

श्री ओम मेहता : वह तो चूहे पर सवारी करता है।

श्री वाजपेयी : और वही चूहा उनको दूसरे मंत्रालय में ले गया। वह चूहा उनकी राय से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री की राय से चलता है।

प्रश्न केवल कुछ तस्करों का नहीं है। प्रश्न व्यवस्था का है, व्यक्तियों का नहीं। हाजी मस्तान कुली था, वह करोड़पति कैसे बना? यूसफ को रंक से राजा किसने बनाया? मालिशवाला बखिया महाराज बखिया में कैसे बदला? छोटा सा नौकर, १९५० तक फेरीवाला के रूप में काम करनेवाला नारंग जो टूटे-फूटे बर्तन लेकर बदले में जर्मन सिलवर के बर्तन देकर अपनी रोटी चलाता था, आज लक्ष्मी-पुत्र कैसे हो गया? खाली पेट ललित महासेठ ललित में कैसे परिवर्तित हो गया? यह अनहोनी कैसे हुई? इस जादू के लिए जिम्मेदार कौन है?

प्रश्न यह है कि तस्करी कैसे जनमी, इसे किसने पाला, इसे किसने बढ़ाया, यह देशव्यापी कैसे बनी, इसकी मुट्ठी में सारी व्यवस्था किसने दी, इसके सिर पर समानांतर सरकार का सेहरा किसने

बांधा, इसके चरणों पर राजनेताओं को लोटने के लिए किसने विवश किया?

श्री एम. राजगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : माननीय सदस्य को ऐसा नहीं कहना चाहिए।

श्री वाजपेयी : बिना सरकारी सहयोग के, क्या बिना सरकारी अधिकारियों की सांठ-गांठ के तस्करी हो सकती है? नहीं हो सकती है। कस्टम्ज, एक्साइज, विदेशी मुद्रा नियंत्रण, आयकर अधिकारी, बिक्री-कर अधिकारी, पुलिस, गुप्तचर विभाग आदि सब इस सड़ांध में सने, और सबसे बड़ी बात यह कि तस्करों को राजनेताओं का प्रश्रय प्राप्त हुआ। संक्षेप में तस्करी बिना सरकारी अनुमति के चलनेवाला विदेशी व्यापार है। इस व्यापार के अनेक ढंग हैं। एक अंडर-इनवायसिंग है, दूसरा ओवर-इनवायसिंग है और तीसरा ढंग यह है कि विदेशों में रहनेवाले भारतीय अपने घरों को जो धन भेजते हैं, वह धन तस्करों के दलाल विदेशी मुद्रा के रूप में वहीं ले लेते हैं, और यहां रुपए के रूप में वह धन उनके घरवालों को पहुंचा दिया जाता है, रिजर्व बैंक उतनी विदेशी मुद्रा से वंचित होता है और ये तस्कर अपनी राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं। जो विदेशी पर्यटक यहां आते हैं, उनसे विदेशी मुद्रा अधिक रुपया देकर खरीदी जाती है और उससे यह तस्करी का काम चलता है। भारत से चोरी-छिपे प्राचीन मूर्तियां, शिला-लेख, ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं बाहर भेजी जाती हैं, और इस प्रकार जो विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, वह तस्करी के काम में प्रयुक्त की जाती है। तस्करी करनेवाली झूठी और जाली फर्मों के नाम पर, जो अस्तित्व में नहीं हैं, जो केवल कागज पर हैं, लाइसेंस स्कैंडल की तरह से किसी संसद-सदस्य को साथ लेकर, किसी मंत्री का अनुग्रह प्राप्त करके, लाइसेंस लेने में सफल हो जाते हैं। वे विदेशों में जाली फर्मों को माल भेजते हैं, वहां भी रुपया कमाते हैं और वहां भी विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं।

तस्करी कैसे रोकें?

सवाल यह है कि इस तस्करी को किस तरह से रोका जाए। अगर तस्करी के खिलाफ सरकार का अभियान एक वास्तविक अभियान होता, अगर सरकार ईमानदारी से तस्करी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने के लिए कमर कसती, तो हम उसका साथ देते। मगर हम इस अभियान पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा है, क्या केवल ६०० व्यक्ति तस्करी के काम में लगे हुए थे और क्या उन्हें नजरबंद करने मात्र से तस्करी बंद हो गई?

अभी मैं मोटर से मंगलोर से कन्नानोर तक गया था। रास्ते में कासरगोड़ पड़ता है। वह सारा इलाका समुद्री किनारे से लगा हुआ है। कासरगोड़ तस्करी का बड़ा केंद्र था। जब वहां के प्रमुख तस्कर, कलात्रा अब्दुल कादिर हाजी—हाजी अब्दुल्ला पकड़े गए…(व्यवधान)

श्री ओम मेहता : कौन अब्दुल्ला?

श्री वाजपेयी : श्री ओम मेहता चिंतित न हों। शेख अब्दुल्ला नहीं। ये दोनों काश्मीर से आते हैं और एक-दूसरे की चिंता करते हैं। जब वह पकड़े गए थे तो कासरगोड़ में थोड़े दिन सुनसान रहा, मगर फिर गतिविधियां शुरू हो गईं। वहां उनके प्लाटिनम सिनेमा और सेफायर सिनेमा बने हुए हैं। उनके पेट्रोल पंप हैं। साहित्यकारों के संघ का जब सम्मेलन हुआ तो वह उसमें रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन थे। जब उन्हें पकड़ा गया, तो उन्हें प्रेसवालों से मुलाकात करने का मौका भी दिया गया और तब उन्होंने कहा :

"भारत के राष्ट्रपति ने, जिन्होंने पिछले साल निर्यातकों में से एक होने के रूप में मुझे

सम्मानित किया, मुझे गिरफ्तारी का वारंट भिजवाया। यह मजाक है। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं और मेरी कमाई सभी ईमानदार साधनों से हुई है।"

आज केरल की सरकार उनकी बदौलत टिकी हुई है। केरल के गठबंधन में शामिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आंतरिक सुरक्षा अध्यादेश के संशोधन.प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति प्रणाली, विदेशी विनिमय और तस्करी की गतिविधियों पर रोक के प्रस्ताव पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चर्चा जारी रखेंगे।

तस्करों से संबंधों की जांच हो

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि कोर्ट के एक जज की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार-संपन्न आयोग बनाया जाए, जो राजनैतिक नेताओं तथा सरकारी अफसरों के साथ तस्करों की सांठ-गांठ की जांच करे।

आज प्रधानमंत्री और उनकी सरकार यह दावा कर रहे हैं कि तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही करके उन्होंने साहसपूर्ण कदम उठाया है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज इस सरकार ने तस्करों के अपराधों पर लीपा-पोती करने का काम किया है। १९७० से लेकर १९७४ तक की संसद की कार्यवाही इस बात की साक्षी है कि विरोधी दलों के सदस्यों ने राजनैतिक नेताओं के साथ तस्करों की सांठ-गांठ का सवाल बार-बार उठाया, और हर बार सरकार की ओर से टाल-मटोल करने वाले जवाब दिए गए, राजनैतिक नेताओं के आचरणों की जांच नहीं की गई, तस्करों के साथ रियायतें बरती गईं, उन्हें पासपोर्ट दिए गए, उन्हें 'पी' फार्म दिए गए, रिजर्व बैंक से उन्हें विदशी मुद्रा दी गई, और जो तस्कर गिरफ्तार भी किए जाते थे, वे जल्दी से जमानत पर छूट जाएं, इस तरह का प्रबंध किया जाता था।

मेरे सामने १ अप्रैल, १९७० की लोकसभा की कार्यवाही की रिपोर्ट है। श्री जार्ज फर्नांडीस का एक प्रश्न था—मैं उसको पढ़ रहा हूं :

"क्या हाजी मस्तान मिर्जा को १९६६ में बंबई के रीजनल पासपोर्ट अफसर ने पासपोर्ट देने से इन्कार किया था? क्या बाद में उसे पासपोर्ट दिया गया? किसकी सिफारिश पर? क्या सरकार को पता है कि इस समय मस्तान तस्करी के जुर्म में हिरासत में है? क्या सरकार उसका पासपोर्ट रद्द करेगी?"

उत्तर देनेवाले विदेश उपमंत्री, श्री सुरेन्द्रपाल सिंह थे। उनका उत्तर इस प्रकार था :

"१९६१ और १९६३ में हाजी मस्तान मिर्जा की पासपोर्ट की अर्जी नामंजूर कर दी गई थी। उसे ७ नवंबर, १९६६ को पासपोर्ट एक साल के लिए दिया गया—गुजरात के गर्वनर ने उसे अच्छे चरित्र का प्रमाणपत्र दिया, उसके आधार पर। २३ सितंबर, १९६९ को नई दिल्ली के राजस्व खुफियागिरी निदेशालय ने रपट दी थी कि मस्तान के घर से तस्करी का माल बंबई कस्टम अधिकारियों ने १९ जुलाई, १९६९ को बरामद किया है। उसे २० जुलाई को गिरफ्तार कर बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया।"

उस समय गुजरात के राज्यपाल श्री नित्यानंद कानूनगो थे। उन्होंने पासपोर्ट की सिफारिश करते हुए जो प्रमाणपत्र दिया, वह इस प्रकार है :

"मैं श्री हाजी मस्तान मिर्जा को बंबई के श्री अख्तर सैयद के माध्यम से बहुत अच्छे चारित्रिक इतिहासवाले एक भारतीय नागरिक के रूप में जानता हूं। वह अपने रिश्तेदारों की देखभाल के लिए

अदन जाना चाहते हैं। यह बहुत जरूरी है कि वह शीघ्र यात्रा करें, जिसके लिए आवश्यक कागजात उन्हें प्रदान किए जाएं।"

जब यह मामला मेरे मित्र, श्री मधु लिमये ने १८ मार्च को उठाया, तो सरकार की ओर से कहा गया कि जांच हो रही है। बाद में श्री कानूनगो ने कहा कि मेरे दस्तखत जाली बनाए गए हैं। तब सदन में यह मांग की गई कि अगर हाजी मस्तान मिर्जा ने जाली दस्तखत बनाए हैं, तो उस पर जालसाजी का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन बंबई के प्रैजीडेंसी मैजिस्ट्रेट ने फैसला किया…(व्यवधान)

श्री मधु लिमये (बांका) : और हाई कोर्ट ने उसकी ताकीद की।

श्री वाजपेयी : …कि वे दस्तखत जाली नहीं थे, बल्कि वे श्री कानूनगो के सही दस्तखत थे। एक कुख्यात तस्कर राज्यपाल से प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कैसे सफल हो गया?

इतना ही नहीं, हाजी मस्तान मिर्जा को विशेष कैटेगरी का टेलीफोन दिया गया। यह मामला भी २ अप्रैल, १९७० को श्री जार्ज फर्नांडीस ने उठाया। मैं उनका प्रश्न पढ़ना चाहता हूं :

"क्या यह सच है कि हाजी मस्तान नाम के आदमी को, जो कि वैतुल सरूर, ६१/१, वार्डन रोड, बंबई-२६ में रहता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में 'मुक्त श्रेणी (विशेष)' में टेलीफोन कनेक्शन (नं० ३५९३५८) दिया गया है? इस श्रेणी के लिए इसकी सिफारिश किन लोगों ने की थी? क्या बंबई टेलीफोन विभाग ने हाजी मस्तान की समाज सेवा के बारे में पूछताछ की? क्या यह सच है कि पहले एक बार उसे 'मुक्त श्रेणी' में फोन देने से इन्कार किया गया था?

बंबई टेलीफोन विभाग ने अपना फैसला क्यों बदला?"

उत्तर दिया उस समय के सूचना और प्रसारण मंत्री श्री शेरसिंह ने, जो इस प्रकार है :

"हां, सिफारिश इस लोगों ने की थी :

१ आदम आदिल एम.एल.ए.।

२ वी.एम. याज्ञिक, शराबबंदी मंत्री, महाराष्ट्र सरकार।

३ भगवानदास के. अशार, अध्यक्ष बी-वार्ड जिला कांग्रेस कमेटी।

४ टी.पी. करीमशा, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र मजदूर सभा, बंबई।

५ एम.ए. खटाल, म्यूनिसिपल कौंसिलर।…"

बड़ी-बड़ी विभूतियों इसमें शामिल हैं। जब इस मामले पर सदन में चर्चा हो रही थी।…(व्यवधान) तो कांग्रेस की तरफ से श्री नीतिराज सिंह चौधरी ने एक प्रश्न पूछा था। वह अभी तक मंत्रिमंडल में थे, अब नहीं हैं। उन्होंने एक प्रश्न यह पूछा था कि :

"क्या सरकार जानती है कि तस्करी को वे अफसर बढ़ावा देते हैं, जिनका काम इसे रोकना है?"

उन्होंने आगे कहा :

"बी.ओ.ए.सी. के गोल्ड केस में मूल रपट हमारे एक अफसर ने बदल दी और लगभग एक-चौथाई रपट फिर से लिख दी। मैं यह रपट पटल पर रखना चाहता हूं। यह ३२ पेज की रपट है।"

अध्यक्ष ने उस समय कहा कि इसे पटल पर रखना जरूरी नहीं है, सवाल पूछिए। तो उन्होंने फिर पूछा—

"मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेवेन्यू इंटेलिजेंस के डायरेक्टरों ने ३० नवंबर, १९६७ की

अपनी मूल रपट और एक छोटी रपट बदल दी थी और एक-चौथाई रपट फिर से लिख दी थी?"

इसका कोई जवाब नहीं मिला।

एक माननीय सदस्य : कौन से अखबार से पढ़ रहे हैं आप?

श्री वाजपेयी : यह अखबार वही है जिसकी बहुत चर्चा यहां हो चुकी है—प्रतिपक्ष। मगर केवल अखबार पर मैं निर्भर नहीं करता हूं। आप चाहें तो सदन की कार्यवाही से मैं पढ़कर सुना सकता हूं।

अगर राजनैतिक नेता तस्करों को संरक्षण देते रहेंगे, तस्कर उनके साथ मैत्री का दावा करते रहेंगे, अगर राजनैतिक नेताओं के चुनाव में तस्कर काम करते रहेंगे और उनसे सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्राप्त करते रहेंगे तो तस्करों के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही नहीं हो सकती है।

एक तस्कर है श्री कृष्णा बुध गावड़े, वह ६७ वर्ष के तस्कर हैं। वह अभी पकड़े गए हैं। बंबई के तस्कर हैं। उन्होंने हाइकोर्ट में अपनी नजरबंदी के खिलाफ एक रेप्रेजेंटेशन दी है और उस रेप्रेजेंट के साथ ही एक सर्टिफिकेट दिया है। वह सर्टिफिकेट दिया है श्री एच.आर. गोखले का। वह सर्टिफिकेट इस प्रकार है :

"मुझे यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि श्री के.बी. गावड़े ने मध्यावधि चुनाव के दौरान मेरे लिए काम किया। वह बहुत परिश्रमी और ईमानदार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि पिछले चुनावों के दौरान भी उनका सहयोग कितना जरूरी था। मैं उनके भले की कामना करता हूं।"

श्री मधु लिमये : क्या इंदिरा लहर में ऐसे लोगों की बनी रही?

श्री वाजपेयी : यह १९७१ के मध्यावधि चुनाव की बात है। चुनाव के तुरंत बाद यह सर्टिफिकेट दिया गया है। उस समय भी वह तस्करी में फंसे थे। दो वर्ष पूर्व कृष्णा गावड़े को कस्टमवालों ने नौका से तस्करी का माल उतारते हुए पकड़ने का प्रयास किया था। उसके सेवकों ने कस्टमवालों को मारपीट करके भगा दिया और वे दो लारी सामान लेकर भागने में सफल हुए। गावड़े पर हत्या का आरोप लगाया गया था, लेकिन वह साबित नहीं हो सका। पुलिस ने उसे साबित करने की कोशिश नहीं की। गावड़े छूट गया और विधि मंत्री के चुनाव में एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में प्रकट हो गया।

प्रश्न यह है कि तस्कर करोड़ों रुपए की संपत्ति एकत्र करने में कैसे सफल हुए? आप उनके महल देखिए, उनकी गाड़ियों की संख्या देखिए, भोग-विलास से भरा हुआ उनका जीवन देखिए, उनके स्वामित्व में चलनेवाले सिनेमाघर देखिए ...

एक माननीय सदस्य : स्वीमिंग पुल देखिए।

श्री वाजपेयी : और उसके नीचे लगा हुआ कांच देखिए, जिसके नीचे एक कमरा बना हुआ है।

श्री मधु लिमये : उसके नीचे मत जाइए।

श्री वाजपेयी : मैं नहीं जाता। लिमये जी जा सकते हैं। मेरे लिए मना है।

क्या इनकम टैक्सवालों का यह काम नहीं कि पूछें कि इतनी संपत्ति कहां से आई? रामू नारंग ने एक एंबेसेडर होटल ७६ लाख में खरीदा। क्या उससे पूछा गया कि यह धन कहां से आया? उसने बड़ी चालाकी से खरीदा, एस्टेट ड्यूटी बचाने में नारंग सफल हो गया। आय कर, सम्पत्ति कर, एस्टेट ड्यूटी कुछ नहीं दी, लेकिन क्या इनकम टैक्सवाले यह नहीं पूछ सकते थे

कि यह दौलत कहां से आई?

अब कल केरल के जिस तस्कर का नाम लिया गया वह बड़ा दानदाता है, जिसने मस्जिदें बनाई हैं, कासरगोड के पास एक बड़ी मस्जिद उसने खड़ी की है, उस मस्जिद में एक टॉवर लगा है। वहां नमाज़ पढ़ने कोई नहीं जाता। यह टॉवर लगा है समुद्र में आनेवाली नौकाओं को देखने के लिए। भारत सरकार ने स्मगलिंग पर एक डाक्यूमेंट्री बनाई है। उस डाक्यूमेंट्री में वह मस्जिद आ गई तो केरल में हंगामा खड़ा कर दिया गया।…(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मंदिर के लिए नहीं दिया?

श्री वाजपेयी : मंदिर के लिए भी दिया होगा। लेकिन वह मंदिर अगर डाक्यूमेंट्री में आ जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। मगर केरल की सरकार ने क्या किया? भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा बनाई गई डाक्यूमेंट्री का प्रदर्शन रोक दिया। तस्कर न केवल केरल की सरकार को चला रहे हैं, भारत सरकार को भी अपने हाथों में नचा रहे हैं।

पश्चिमी समुद्र का किनारा अरक्षित

आय कर विभाग का ही सवाल नहीं है, कस्टम के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। मैंने कहा था कि मंगलोर से कन्ननोर तक मैं गया। पश्चिमी समुद्र का सारा किनारा अरक्षित पड़ा है। क्या सेंट्रल रिजर्व पुलिस नहीं लगाई जा सकती? क्या बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन तस्करों के जाल को तोड़ने के काम में नहीं लगाई जा सकती? मैं तो समझता हूं कि आवश्यकता पड़े तो माल लेकर विदेश से जो नौकाएं आती हैं और हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था को छिन्न-विच्छिन करती हैं, उन नौकाओं को समुद्र में डुबाने के लिए जल-सेना का भी उपयोग किया जा सकता है। मगर बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स बिहार में काम आ सकती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस निरपराध लोगों को गोली का निशाना बनाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, तस्करों से लड़ने के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता।

अभी मीसा के अंतर्गत तस्कर पकड़े जा रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति का आदेश जारी कर दिया गया। हाई कोर्ट किसी तस्कर को तब छोड़ता है जब 'डिटेंशन' के 'ग्राउंड्स' या तो 'वेग' होते हैं या 'इंडेफिनेट' होते हैं। डिटेंशन के ग्राउंड्स वेग और इंडेफिनेट रखने के लिए दोषी कौन होते हैं? अफसरों की तस्करों के साथ सांठ-गांठ है। जान-बूझकर डिटेंशन के ग्राउंड्स में कमी रखी जाती है। फिर तो अदालत अपना काम करेगी। अगर ग्राउंड्स वेग हैं, अनिश्चित हैं तो अदालत संविधान के अंतर्गत उन्हें रिहा करेगी। उसे रोकने का तरीका राष्ट्रपति का आदेश जारी करना नहीं है। जो डिटेंशन में लेते हैं, उनके खिलाफ क्या कोई कार्यवाही की गई? किसी अफसर से पूछा गया कि ये ग्राउंड्स वेग क्यों थे? आधार अनिश्चित क्यों थे?

आज मीसा का क्या हाल हो गया है? सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया बिहार के छात्र नेता श्री रामबहादुर राय का। डिस्ट्रिक्स मजिस्ट्रेट ने उन पर यह आरोप लगा दिया कि यह गुजरात जैसा आंदोलन बिहार में भी करना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि गुजरात-जैसे आंदोलन का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि यह तो कॉमन-सेंस की बात है। तब फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा—कॉमन-सेंस तो आज बड़ी अनकॉमन हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को इसलिए रिहा कर दिया कि उसके ऊपर आरोप लगा था कि उसने अपनी दीवार से एंटी नक्सलाइट स्लोगन साफ कर दिए। क्या दीवार को साफ करना भी

जुर्म है? क्या इससे वह नक्सलपंथी साबित होता है? लेकिन उस आधार पर उसको नजरबंद किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। जस्टिस अय्यर का कहना है—अगर इस तरह से इन असाधारण अधिकारों को काम में लाया जाएगा तो एक्जीक्यूटिव की सबूत पेश करने की क्षमता और भी कम होगी। मैं जस्टिस अय्यर के निर्णय के एक अंश को उद्धृत करना चाहता हूं :

"सामान्य अपराध की सुनवाई के दौरान अदालत में आमतौर पर संतुष्टि के लिए जो आसान तरीका इस्तेमाल होता है, वह प्रजातांत्रिक जीवन शैली के लिए खतरा हो सकता है।"

श्री शमीम अहमद शमीम (श्रीनगर) : वह रीएक्शनरी जज मालूम होता है।

श्री वाजपेयी : ये जस्टिस केरल में मिनिस्टर थे। श्री कृष्ण अय्यर बड़े प्रगतिवादी हैं।

श्री शमीम अहमद शमीम : बाद में हो गए होंगे, रीएक्शनरी होते देर नहीं लगती।

श्री दिनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : ये अन-कमिडेट जज हैं।

श्री वाजपेयी : यह बात भी सदन को मालूम है कि जब हाजी मस्तान मिर्जा का मामला बंबई में एक मजिस्ट्रेट के सामने गया था तो हाजी मिर्जा मस्तान के पक्ष में जो वकील उसकी तरफ से पेश हुए थे—वे स्व. मोहन कुमारमंगलम् थे।...

श्री शमीम अहमद शमीम : वह वकील थे, इसलिए गए। अगर आप वकील होते तो आप भी गए होते।

श्री वाजपेयी : अगर यह बात गलत होती तो मुझे खुशी होती।

श्री दिनेन भट्टाचार्य : वह सही नहीं हैं। प्रतिक्रियावादी नहीं, गलत प्रतिक्रियावादी।

श्री एस.ए. शमीम : वकीलों ने विरोध किया था।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : आप दरअसल साबित क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?

श्री एस.ए. शमीम : मैं आप पर तस्करों से पैसा लेने का आरोप लगा रहा हूं। मैं आपको इसका विवरण दूंगा।

श्री वाजपेयी : सबूत के साथ बात कीजिए।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : वह तो अपनी व्यावसायिक सामर्थ्य के अनुरूप भी सामने नहीं आए हैं। यह एक तथ्य है। आप राजनीति करने की कोशिश में हैं।

श्री एम. गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : अब्दुल्ला को मस्तान ने पैसा दिया—क्या आपकी पार्टी वालों ने इस किस्म का कोई इल्जाम लगाया है?

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आज यह बात कही जा रही है कि जब हम मूलभूत अधिकारों की रक्षा की बात कहते हैं...(व्यवधान)

श्री राजा कुलकर्णी (बंबई, उत्तर-पूर्व) : किसके मूलभूत अधिकार?

श्री वाजपेयी : हर एक नागरिक के मूलभूत अधिकार। जब यह बात कही जाती है तो यह भी कहा जाता है कि तस्करों के खिलाफ सामान्य कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। अगर आवश्यक हो तो उस कानून को और मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन सरकार को इस बात की ब्लांक्ट पावर्स नहीं दी जा सकती। आज इन पावर्स का दुरुपयोग हो रहा है। कोई भी जिला मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को संदेह में पकड़ सकता है, स्मगलर बताकर हवालात में डाल सकता है।

अभी मथुरा का एक मामला मेरे पास आया है। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए कस्टम अधिकारी गए। २५ हजार रुपए मांगे। देने से इन्कार किया। इतने में गश्त लगाती हुई पुलिस वहां आ गई तो कस्टम के अफसर कागज छोड़कर भाग गए। वे सारे कागज मेरे पास हैं। इसमें

इंटेलीजेंस की रिपोर्ट भी शामिल है, इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखा है, वह भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को जो चिट्ठी लिखी है, वह भी शामिल है और, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहा गया है कि इस व्यक्ति पर शक है कि यह चोरी-छिपे आनेवाले सोने का व्यापार करता है। मगर रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि जब घर की तलाशी ली गई तो सोना नहीं मिला। मगर शक है। तो क्या शक पर आप पकड़ सकते हैं, शक पर हवालात में डाल सकते हैं, शक पर उसकी व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीन सकते हैं? क्या आपको सुबूत नहीं चाहिए? क्या अदालत के सामने दोषी प्रमाणित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? जब हम यह बात कहते हैं तो कहा जाता है कि विरोधी दलवाले तस्करों को बचा रहे हैं। इसीलिए मुझे राजनैतिक संबंधों की चर्चा करनी पड़ी और इसीलिए मैंने स्वर्गीय मोहन कुमारमंगलम् का नाम लिया। अगर वह गलत है तो मुझे खुशी है।

हम तस्करों को बचाना नहीं चाहते

आज जब हम मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ते हैं तो हम पर आरोप लगाया जाता है कि हम तस्करों को बचाना चाहते हैं। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं—हम तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के पक्ष में हैं, लेकिन यह आदेश उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। इसलिए हमने मांग की है कि एक उच्च अधिकार संपन्न आयोग बनाया जाए, जो तस्करों का संबंध राजनीतिक नेताओं के साथ, तस्करों का संबंध नौकरशाही के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ—इन संबंधों की जांच करे और फिर यह तय करे कि किस तरह से तस्करों से निबटने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा सकती है।

मैं अध्यादेशों की बात करता हूं, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों के खिलाफ हूं और मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री महोदय अध्यादेशों को रद्द हो जाने दें, आदेश को वापस लें और एक कंप्रीहेंसिव बिल लेकर आएं जिसमें सभी आर्थिक अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का समावेश हो। अभी तक किसी तस्कर की संपत्ति जब्त नहीं की गई है। जो पकड़े गए, यरवदा जेल में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं···

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : क्या आप संविधान में संपत्ति के संबंध में बदलाव लाने पर राजी होंगे?

श्री वाजपेयी : संविधान को पहले ही परिवर्तित कर चुके हैं, संसद से अधिकार पहले ही ले चुके हैं कि संसद सर्वोच्च है···(व्यवधान)

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन : मैं आपसे पूछ रहा हूं।

श्री वाजपेयी : आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं वित्त मंत्री नहीं हूं। मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं। बहुमत तो आपका है।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह मामला हमारी सहमति के लिए रुका है—क्या ये हर काम वही करते हैं जो हम पसंद करते हैं। हम जिस काम के लिए 'न' करते हैं, क्या ये उस काम को नहीं करते? हम तो कह रहे हैं कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट सभा-पटल पर रख दें, क्या आप तैयार हैं?

हम मांग कर रहे हैं कि कानून के अनुसार तस्करों की संपत्ति को जब्त करने का सरकार को अधिकार मिलना चाहिए और अगर सरकार इस तरह का अधिकार मांगने के लिए सदन में

आएगी तो हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन वित्त मंत्री महोदय कंसल्टेटिव कमेटी में बता चुके हैं, इसके लिए संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये किसी की संपत्ति नहीं लेंगे। उनसे संपत्ति ली जाएगी—चुनाव लड़ने के लिए, वही सौदे हो रहे हैं—नजरबंद तस्करों के साथ।

उपाध्यक्ष महोदय, जरा मैं पंजाब के बारे में भी बतला दूं। सरदार दरबारा सिंह जी ने अच्छी याद दिलाई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो राजनीतिक नेता तस्करी में फंसे हुए हैं, उनके बारे में मुझे मालूम है, मगर मैं बतलाऊंगा नहीं, क्योंकि यह पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। मगर चीफ मिनिस्टर उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कड़ी कार्यवाही हो और तस्करी की बात खुले।···(व्यवधान)

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : उन्होंने यह कहा है कि कोई आदमी बतलाए कि कौन मिनिस्टर हैं जो तस्करी करते हैं। उन्होंने इस बात को चैलेंज किया है।

श्री वाजपेयी : दरबारा सिंह, तब तो आप भी बतला सकते हैं।

श्री दरबारा सिंह : आपको सब बातों का ज्यादा पता है।

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय एडहाक, कामचलाऊ कदमों से तस्करी की गंभीर समस्या को हल करने का नाटक न खेलें। असाधारण अधिकार हरदम नहीं रहेंगे। तस्करी का हमें निर्मूलन करना है। इसके लिए प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए। यह अध्यादेश इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता।

अधिकारों का दुरुपयोग न हो

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक सरकार को असाधारण अधिकार देता है। लेकिन देश के सामने जो परिस्थिति है वह भी असाधारण है। इस परिस्थिति का सामना करने के लिए शासन को जो भी अधिकार चाहिए, यह सदन उन्हें देने में संकोच नहीं करेगा। प्रश्न इतना ही है कि जो अधिकार दिए जा रहे हैं, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इस मामले में पहले का अनुभव अच्छा नहीं है। अधिकार ऊंचे स्तर पर काम में नहीं लाए जाते, उनका उपयोग नीचे का शासनतंत्र करता है। कहीं-कहीं ज्यादती होने का डर है। आवश्यक है कि इसका पूरा प्रबंध किया जाए।

मेरे मित्र श्री इंद्रजीत गुप्त ने १७ ए का हवाला दिया है। मैं इस धारा का जो बी भाग है, उसकी ओर सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं।

"(बी) जहां राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकर ढंग से काम करने से रोकने के लिए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।"

सिक्योरिटी ऑफ दि स्टेट तो ठीक है। कोई व्यक्ति जो राष्ट्र की सुरक्षा के विरुद्ध कार्य करे, फिर किसी भी फिरके का हो, किसी भी दल का हो, उसके विरुद्ध कड़ाई से काम करना होगा। लेकिन पब्लिक आर्डर का इसमें समावेश करने की क्या आवश्यकता है? कहीं अगर जनसभा की गई, युद्ध-प्रयत्नों में सरकार को योगदान देने के लिए जनता का आह्वान किया गया और आवश्यकता पड़ने पर सरकार की आलोचना भी गई और आलोचना का अधिकार छीना नहीं जा सकता—यह ठीक है कि आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो जनता के मनोबल को कम न करे, तो ऐसा करनेवाले की क्या दशा होगी? यह तो कोई दावा नहीं कर सकता कि जिनके हाथों में युद्ध का संचालन करने का दायित्व है, वे सब ठीक ही काम करेंगे। उनको जो अंदाजा है, उसमें गलती हो सकती है, किस समय कौन सा कदम उठाना चाहिए इसके बारे में भूल हो सकती है, युद्ध-प्रयत्नों में जनता का सहयोग किस ढंग से लिया जाए, इसके बारे में अलग-अलग राय हो सकती है और ये राय लोकतंत्र में प्रकट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है कि शस्त्रों की झनकार में भी विवेक का स्वर रुद्ध नहीं होना चाहिए। शस्त्रों की झनकार में भी कानून की आवाज दबनी नहीं चाहिए।

** भारत सुरक्षा विधेयक पर लोकसभा में ४ दिसंबर, १९७१ को भाषण।*

अध्यक्ष महोदय, इस समय देश में जो वातावरण बना है उसको दृष्टिगत रखकर शासन यह आश्वासन दे कि जो अधिकार लिए जा रहे हैं, उनका दुरुपयोग नहीं होगा। थोड़ा-बहुत विवेक का उपयोग करने में गलती कहीं-कहीं हो सकती है लेकिन उसके लिए यह सुझाव अच्छा है कि संसद की एक कमेटी रहे, जिसे पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी भी कहा जा सकता है, जो इस कानून पर किस तरह से अमल किया जा रहा है, इस पर दृष्टि रख सकती है और अगर कोई सचमुच में शिकायत होती है, उसको देख सकती है।

मोर्चे पर लड़ाई और चुनावी लड़ाई

यह भी आवश्यक है कि सरकार इस बात पर अपना दिमाग स्थिर करे कि इस समय देश में जो उपचुनाव हो रहे हैं, वे बंद कर दिए जाएं। मोर्चे पर लड़ाई और इन उपचुनावों की लड़ाई साथ-साथ नहीं चल सकती। केवल उत्तर प्रदेश में नौ उपचुनाव होनेवाले हैं। उनमें अलग-अलग उम्मीदवार खड़े हैं। इस समय इन उपचुनावों में पार्टियों की लड़ाई आगे बढ़ाई जाए, मैं इसकी कोई तुक नहीं देखता हूं। हमें सारी शक्ति युद्ध-प्रयत्नों में लगानी चाहिए, सीटों को जीतने में नहीं। हमें देश को जिताना है। किसी एक-आध सीट पर किसी पार्टी के उम्मीदवार की विजय का प्रश्न नहीं है।

जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए और विरोधी दलों को साथ लेने के लिए उचित पग उठाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए सेंट्रल सिटिजंस कौंसिल की शाखाओं का राज्यों में निर्माण किया जा रहा है। उन सबमें विरोधी दलों को पूरी तरह साथ लेकर चलना चाहिए। एक पार्टी का मामला नहीं है। मगर अभी तक सेंट्रल सिटिजंस कौंसिल का जो ढांचा है वह विरोधी दलों में तो क्या, जनता में भी विश्वास पैदा नहीं करता है। मैं किसी का नाम लेकर नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सबका सहयोग लिया जाए। यह समय छोटी-छोटी बातों पर विचार करने का नहीं है। मुझे यह जानकर दुख हुआ कि दिल्ली में सेंट्रल सिटिजंस कौंसिल की जो शाखा बनाई गई है, उसमें दिल्ली के मेयर नहीं हैं। क्या दिल्ली के मेयर के बिना दिल्ली के नागरिकों की कोई समिति बन सकती है?

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : दो समितियां हैं—एक मेयर की और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की।

श्री वाजपेयी : और राज्यों में मुख्यमंत्रियों की समितियां बन रही हैं। दिल्ली में भी लोकतंत्र है। दिल्ली का शासन है। क्या यहां लेफ्टिनेंट गवर्नर की समिति बनेगी? यहां चीफ एक्जीक्यूटिव कौंसिलर की समिति क्यों नहीं बन सकती? और प्रदेशों में मुख्यमंत्रियों की समितियां बन रही हैं। हम उनके साथ हैं। हमने कोई शर्त नहीं लगाई है। हमें समिति में लिया जाए या नहीं, देश के प्रति अपने कर्तव्य को हम पूरा करेंगे। लेकिन जनता तो इस बात को जानना चाहेगी कि सब लोग युद्ध-प्रयत्नों में भाग ले सकें, इसके लिए कौन से तंत्र की रचना की जा रही है, सबका सहयोग लेने के लिए क्या किया जा रहा है? मेरा निवेदन है कि इस तरह की समितियां केंद्र और सब प्रदेशों में हों। सब दलों को साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : मेयर तो है, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग है—एम ए आर ई।

श्री वाजपेयी : स्पेलिंग तो एक ही है, लेकिन भावना जरा अलग है। यह भावना इस समय अलग कर देनी चाहिए।

युद्धकाल में कंट्रोल प्रणाली लागू करें

इस बिल में कहा गया है कि जो जमाखोरी करेंगे, भाव बढ़ाएंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। लेकिन कार्यवाही तभी हो सकती है, जब किसी चीज पर कंट्रोल लगा हो और वह चीज कंट्रोल-भाव से अधिक पर बेची जाए। मेरा निवेदन है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लड़ाई लंबी चलनेवाली है, बुनियादी आवश्यकता की चीजें नागरिकों को उचित दर पर मिल सकें, इसका प्रबंध सरकार अपने हाथ में ले। अगर जरूरत हो तो युद्ध के काल में कंट्रोल भी लगाए जा सकते हैं, लेकिन इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उन पर अमल ईमानदारी से होगा, वे जनता को राहत पहुंचाएंगे, परेशान नहीं करेंगे। मगर बुनियादी आवश्यकता की चीजें हर एक नागरिक को उचित दाम पर और पर्याप्त मात्रा में मुहैया कराने की जिम्मेदारी शासन की है और शासन इस जिम्मेदारी को ठीक तरह निबाहने के लिए आगे बढ़े। तब अगर कोई अनुचित मुनाफाखोरी और जमाखोरी करता है तो उसकी निंदा करनी चाहिए, उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

लेकिन इन सब बातों के लिए देश में एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है, और मुझे विश्वास है कि जब यह वातावरण ठीक तरह से बनेगा, तब हम विद्यार्थियों से अपील कर सकते हैं कि इस समय वे कानून हाथ में न लें, हम पूंजीपतियों से अपील कर सकते हैं कि वे अनुचित मुनाफाखोरी न करें, परिस्थिति का फायदा न उठाएं और मजदूरों से भी अपील की जा सकती है कि वे देश के लिए पूरा परिश्रम करें। इसके साथ जहां कानून आवश्यक है, वहां कानून का भी सहारा लिया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय यह आश्वासन दें कि जो कानून पास किया जा रहा है, उसका ठीक तरह से कार्यान्वयन किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, समय कम है। आप भी लंबा विवाद नहीं चाहते। लेकिन आप इस सुझाव पर विचार करें कि क्या दोनों सदनों की कोई कमेटी बनाई जा सकती है, जो इस कानून को अमल में लाने पर नजर रखे।

धन्यवाद।

आक्रामक को सबक मिलेगा

अध्यक्ष जी, हम एक राष्ट्रीय संकट की छाया में एकत्र हुए हैं। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर युद्ध थोप दिया है। बंगला देश में मुक्तिवाहिनी की निरंतर सफलता से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए इस भूखंड में अंतरराष्ट्रीय दबाव को आमंत्रित करने के लिए पाकिस्तान ने हमारी सुरक्षा, अखंडता और हमारी स्वाधीनता को चुनौती दी है। यह चुनौती भी है और अवसर भी है। हम अग्नि परीक्षा में से गुजर रहे हैं, कोई कारण नहीं है कि हम इस अग्नि परीक्षा से कुंदन बनकर न चमकें। कोई कारण नहीं है कि हम अपनी सीमा की सुरक्षा न करें और पाकिस्तान के शासकों को ऐसा पाठ पढ़ाएं, जिसे वह जिंदगी-भर न भुला सकें।

आज मैं पार्टी की ओर से बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। अब तो सारा देश एक पार्टी है। राजनीति के मतभेद भुलाकर, छोटी-छोटी चीजों को ताक पर रखकर, सारे देश को कंधे से कंधा लगाकर और कदम से कदम मिलाकर विजय के लिए आगे बढ़ना होगा। यह संघर्ष जितने बलिदान की मांग करेगा, वे बलिदान दिए जाएंगे, जितने अनुशासन का तकाजा होगा, यह देश उतने अनुशासन का परिचय देगा। कोई कारण नहीं है कि हम इस संकट की घड़ी में उस राष्ट्रीय संकल्प का परिचय न दें जो राष्ट्रीय संकल्प ऐसे अवसरों पर आवश्यक हुआ करता है।

अध्यक्ष जी, आप मुझे क्षमा करें, कोई यह न कहे कि मैं भावनाओं को उभारना चाहता हूं। युद्ध है, अगर सीमा पर आक्रमण है, तो देश की जनता को युद्ध के प्रयत्नों से जोड़ना होगा। हम उन्माद पैदा न करें, मगर लोगों की देशभक्ति को जगाकर हर एक में यह भाव भरना होगा कि जो काम वह कर रहे हैं, उसको ठीक तरह से करें, हर मोर्चे पर खड़े रहें, जवान सीमा पर मोर्चा संभालेगा और हम घरेलू मोर्चे को संभालेंगे, किसी तरह का उपद्रव नहीं होने देंगे, किसी तरह की सांप्रदायिक अशांति पैदा नहीं होने देंगे।

अध्यक्ष महोदय, माताएं जिस दिन के लिए बच्चों को जन्म देती हैं, आज वह दिन आ गया है। बहनें जिस दिन के लिए भाइयों के हाथों में राखी बांधती हैं, आज वह दिन आ गया है। अगर पाकिस्तान यह समझता है कि धोखे से हमला करके वह हमें गफलत में पकड़ सकता है तो यह

---

* संकटकाल की घोषणा और युद्ध की रणनीति पर विचार के दौरान लोकसभा में ४ दिसंबर, १९७१ को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

पाकिस्तान की भूल है। दुनिया ने देख लिया कि हमलावर कौन है और अब हमलावर को हमारे जवान मुंह-तोड़ उत्तर दे रहे हैं।

हम आशा करते हैं कि इतिहास को बदलने की इस घड़ी का दायित्व जिनके हाथों में है और प्रधानमंत्री जी इस संकट की घड़ी में देश को नेतृत्व देने के लिए सामने आ रही हैं, हम चाहते हैं कि यह देश विजयी हो और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक नए इतिहास का निर्माण करें।

मैं चाहता हूं—अध्यक्ष जी, इस आक्रमण के काल में यह पार्लियामेंट याहिया खां के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। पाकिस्तान में पार्लियामेंट नहीं है, पाकिस्तान की सरकार को जनता का समर्थन नहीं है, यहां जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं और दुनिया देख रही है, और आगे भी देखेगी कि इस देश में संकट की घड़ी में एक होकर प्रत्युत्तर देने की सामर्थ्य है।

मैं यह भी चाहूंगा कि युद्ध के प्रयत्नों में सभी को सहभागी बनाने के लिए योजनाएं तैयार की जाएं, अलग-अलग काम दिए जाएं और देश में ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि हम इस युद्ध में विजयी होकर निकलें।

आज संकट की घोषणा की गई है, इसका मैं समर्थन करूं यह तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं अपने मित्र गोपालन से सहमत नहीं हूं कि इसकी जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान ने युद्ध का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान ने अचानक हमला किया है, ऐसे अवसर पर हम किसी तरह की ढुल-मुल नीति दिखलाएं, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। संकट की स्थिति की घोषणा की गई है, यह सदन उसका पूरा समर्थन करेगा और भविष्य में भी देश के लिए जो कदम उठाए जाएंगे, देश की सुरक्षा के लिए और आक्रमण का मुंह-तोड़ उत्तर देने के लिए, उनमें यह सदन पूरा समर्थन देगा और सारा देश एक व्यक्ति के नाते इस चुनौती का उत्तर देने में कामयाब होगा। धन्यवाद।

निरंकुशता में वृद्धि का इरादा

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। संयुक्त प्रवर समिति के सदस्य के नाते मैंने तथा मेरे अन्य साथियों ने यह प्रयत्न किया था कि इस विधेयक का स्वरूप ऐसा बने, जिससे सरकार को दिए जानेवाले अधिकारों का दुरुपयोग न हो सके और संविधान द्वारा जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, उनकी रक्षा की जा सके। लेकिन हमें इसमें सफलता नहीं मिली।

संयुक्त प्रवर समिति को एक गधा सौंपा गया था और समिति का काम था उसको घोड़ा बनाना। लेकिन परिणाम यह निकला है कि वह खच्चर बन गया है। अब गृह मंत्रालय का भार ढोने के लिए तो खच्चर ठीक है, लेकिन अगर गृह मंत्री यह समझते हैं कि वह खच्चर पर बैठकर राष्ट्र की सर्वप्रभुता और अखंडता की लड़ाई लड़ लेंगे, तो मेरा उनके साथ विनम्र मतभेद है।

जिस परिस्थिति में यह विधेयक लाया गया है, उसको हमें स्मरण रखना होगा। मद्रास में एक पार्टी थी, जो भारत से पृथक होने की बात करती थी। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद ने उस पृथकता की चुनौती को ध्यान में रखकर एक कमेटी बनाई थी सर सी.पी. रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में। गृह मंत्री महोदय का दावा है कि उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार यह विधेयक लाया जा रहा है। गृह मंत्री भी यह स्वीकार करेंगे कि अब दक्षिण में इस तरह की राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती विद्यमान नहीं है। जिस दल ने स्वतंत्र तमिलनाडु का नारा लगाया था, उसने अपना वह विचार छोड़ दिया है। जनता के बहुमत के समर्थन से वह दल आज तमिलनाडु में सत्तारूढ़ है। अब गृह मंत्री महोदय के सामने कौन सा संकट है, जिसके निवारण के लिए वह ये असाधारण अधिकार लेना चाहते हैं?

जहां तक बागी नागाओं का सवाल है, जो भारत से पृथक होना चाहते हैं, उनके साथ भारत सरकार वार्ता कर रही है। बागियों के साथ वार्ता हो रही है और संसद को कहा जा रहा है कि सरकार को ऐसे अधिकार दिए जाएं जिनके अंतर्गत ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। अगर हमारी सरकार वार्ता का दृष्टिकोण अपनाना चाहती है तो इस प्रकार के अधिकार मांगने का कोई

** गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए प्रस्तुत विधेयक के विरोध में लोकसभा में १८ दिसंबर, १९६७ को भाषण।*

अर्थ नहीं है। स्पष्टतः ये अधिकार बागी नागाओं के खिलाफ काम में नहीं आएंगे, जिनके साथ वार्ता का दौर चल रहा है।

न ये असाधारण अधिकार जम्मू-काश्मीर में उस वर्ग के खिलाफ काम आएंगे, जो पाकिस्तान के साथ सांठ-गांठ कर रहा है और जम्मू-काश्मीर की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन लाना चाहता है। अभी-अभी भारत सरकार ने मिर्जा अफजल बेग पर लगाए हुए प्रतिबंध हटा लिए हैं। उन प्रतिबंधों के हटाने के बाद उन्होंने श्रीनगर में जो भाषण दिया है, वह शेष भारत के साथ काश्मीर के संबंधों को चुनौती देनेवाला भाषण है। क्या वह भाषण और उसमें उठाई गई मांगें देश की अखंडता के लिए, देश की सर्वप्रभुता के लिए संकट नहीं हैं? उसी संकट को ध्यान में रखकर उन्हें पकड़ा गया था, लेकिन आज भारत सरकार उन्हें छोड़ने की स्थिति तक आ गई है। शेख अब्दुल्ला पर लगे हुए प्रतिबंध भी ढीले कर दिए गए हैं, और अगर कुछ ही दिनों में शेख साहब पूरी तरह से रिहा हो जाएं, तो किसी को ताज्जुब नहीं करना चाहिए।

अगर यह बात उठनेवाली है—और उठ रही है कि भारत में काश्मीर का विलय अंतिम नहीं है, काश्मीर के सवाल को फिर से खोला जाए, उस पर पाकिस्तान, जम्मू-काश्मीर और भारत के लोग मिलकर चर्चा करें, तो क्या इस विधेयक के पारित होने के बाद सरकार ऐसे तत्वों पर बंधन लगाएगी? और अगर बंधन ही लगाना है, तो आज बंधन हटाने का क्या मतलब है?

यह विधेयक क्यों?

मैं बिना मुकदमा चलाए किसी को जेल में रखने के हक में नहीं हूं। व्यक्ति-स्वातंत्र्य का समादर होना चाहिए, लेकिन सरकार के दिमाग में जो दुविधा है, उसकी कथनी और करनी में जो अंतर है, इस विधेयक को लाने के पीछे उसका जो मंतव्य है, उसको समझने में मैं असमर्थ रहा हूं—शायद यह सदन भी असमर्थ है।

कहा जाता है कि अब आपातकाल की स्थिति समाप्त हो रही है, केवल सीमा-प्रदेशों में वह स्थिति बनाए रखी जाएगी और शेष भारत में अब आधारभूत अधिकारों को उपयोग में लाने का, और अगर उन पर आक्रमण होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार नागरिकों को वापस मिल जाएगा। लेकिन जिस समय आपातकालीन स्थिति थी और सरकार को अधिकार प्राप्त थे, उस समय सरकार ने कैसा आचरण किया? क्या श्रीनगर में प्लेबिसाइट फ्रंट को गैर-कानूनी घोषित करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है? अगर सरकार चाहे, तो क्या वह प्लेबिसाइट फ्रंट को गैर-कानूनी घोषित नहीं कर सकती? इस विधेयक के बिना भी वह अधिकार सरकार के पास आपातकालीन स्थिति के कारण है। लेकिन सरकार ने उस अधिकार का प्रयोग नहीं किया। फिर नए अधिकार मांगने की क्या आवश्यकता है?

हमें डर है कि इन अधिकारों का दुरुपयोग होगा। गृह मंत्री महोदय का दिमाग किस मनमाने ढंग से काम करता है, उन्होंने इसका भी एक संकेत दो दिन पहले दिया। कांग्रेस के माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पूछा था और गृह मंत्री महोदय ने कहा कि आर.एस.एस. सम सार्ट ऑफ पोलीटिकल आर्गनाइजेशन है—किसी तरह का राजनीतिक संगठन है, और हमने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों से कह दिया है कि वे उसमें न जाएं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसी भी संगठन को राजनैतिक घोषित करने का अधिकार सरकार को किसने दिया है?

गृह मंत्री श्री यशवंत राव चह्वाण : वह इनहेरेंट है।

श्री वाजपेयी : वाह! उत्तराधिकार से प्राप्त है।

मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी संगठन को राजनीतिक घोषित कर दे और अब सरकार यह अधिकार लेना चाहती है कि किसी भी संगठन को गैर-कानूनी घोषित कर दे। एक अधिकार तो इनहेरेंट है और दूसरा अधिकार वह संसद से लेना चाहती है।

श्री यशवंत राव चह्वाण : पोलीटिकल समझना अलग बात है और गैर-कानूनी डिक्लेयर करना अलग—उसके लिए ट्रिब्यूनल के सामने जाना होगा।

श्री वाजपेयी : सरकार ट्रिब्यूनल के सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। संबद्ध धारा में यह प्रवाइजो दिया गया है कि बिना ट्रिब्यूनल के सामने जाए तात्कालिक परिस्थिति को देखकर सरकार किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित कर सकती है।

श्री यशवंत राव चह्वाण : लेकिन बाद में जाना तो पड़ेगा।

श्री वाजपेयी : मैं उस पर बाद में आऊंगा।

आर.एस.एस. पर हाई कोर्टों का फैसला

सरकार ने यह फैसला किया है कि आर.एस.एस. को एक तरह का राजनीतिक दल समझा जाए, लेकिन क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि देश के दो हाई कोर्ट इस बारे में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ की गई कार्यवाही को रद्द कर चुके हैं? उपाध्यक्ष महोदय, क्या गृह मंत्री महोदय जानते हैं राजस्थान के हाई कोर्ट का फैसला? हाई कोर्ट का फैसला है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सांस्कृतिक संगठन है। उसमें भाग लेने के कारण किसी कर्मचारी को निकाला नहीं जा सकता। गृह मंत्री महोदय किस ट्रिब्यूनल की बात कर रहे हैं?

गृह मंत्री महोदय का दिमाग किस दिशा में काम कर रहा है इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। देश की अखंडता के लिए, देश की सर्वप्रभुता के लिए जो भी चुनौती है, उसका दृढ़ता के साथ सामना होना चाहिए। लेकिन अगर सरकार सामना नहीं कर पा रही है तो इसलिए नहीं कि उसके पास अधिकार नहीं है। सामना इसलिए नहीं कर पा रही है कि सरकार में दम नहीं है। 'बैकबोन ऑफ बनाना' एक अंग्रेजी कहावत है। इस सरकार की कमर जो है वह केले की तरह है। बागी नागाओं के साथ बातचीत, शेख अब्दुल्ला के साथ गुप्त वार्ता, मगर देश की सीमाओं के भीतर अपने विचारों के अनुसार जो भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, उनके प्रति सरकार की अधिकारों का दुरुपयोग करने की भेदभाव की नीति आज स्पष्ट हो गई।

इस विधेयक में कहा गया है कि अगर कोई देश के किसी भाग को भारत से अलग करने का प्रयत्न करेगा, कोई भारत से अलग होने की बात करेगा तो उस पर इस कानून को आपत्ति होगी और कोई अगर भारत के किसी भाग को दूसरे को देने की बात करेगा तो यह भी आपत्तिजनक होगा। लेकिन यह सरकार स्वयं भारत के भाग पड़ोसियों को दे रही है और इसके लिए संसद की सलाह लेना भी जरूर नहीं है। सरकारी अधिकारी मंत्रियों से परामर्श करके या बिना परामर्श किए भारत की भूमि का दान कर सकते हैं, वह इस कानून के अंतर्गत अवैध नहीं होगा। अब कहा जाता है कि भूमि मिलाना अगर सर्वप्रभुता की सीमा के अंतर्गत आता है तो अपनी भूमि किसी को दे देना यह भी सर्वप्रभुता का हिस्सा है। क्या सरकार इसके लिए यह व्यवस्था मानने के लिए भी तैयार नहीं है कि ऐसे समझौते, ऐसे अंतरराष्ट्रीय समझौते जिनमें भूमि देनी पड़ती है

वह संसद की सहमति के बिना कार्यान्वित नहीं होंगे?

लेकिन यह हमारे अधिकारियों को, मंत्रियों को छूट देता है देश की सर्वप्रभुता, अखंडता के खिलाफ काम करने के लिए। मगर यदि कोई दल ऐसा काम करेगा तो उसे गैर-कानूनी घोषित किया जा सकता है। हम नहीं चाहते कोई दल ऐसा काम करे। लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति खड़े होकर यह कहे कि जो एक-तिहाई भाग काश्मीर का पाकिस्तान के पास है, वह पाकिस्तान को देकर हमें समझौता कर लेना चाहिए तो क्या वह इस विधेयक के अंतर्गत दंड का भागी होगा? मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें।

मैं प्रधानमंत्री नेहरू की चर्चा नहीं करता। उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से यह ऑफर दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने नहीं माना तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन भविष्य में इस तरह का कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा, हम एक तिहाई काश्मीर पाकिस्तान को देकर उस पर से अपना दावा छोड़कर, समझौता करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, क्या यह विधेयक इस दिशा में सरकार के हाथ-पैर बांधता है? मेरे पास जो खबरें आ रही हैं, वह बड़ी चिंता पैदा करनेवाली हैं। दिल्ली में बैठे हुए शेख अब्दुल्ला से कुछ गुप्त बातें हो रही हैं और गृह मंत्री महोदय को भी उन गुप्त बातों का पता नहीं है।

शेख-प्रधानमंत्री में गुप्त पत्राचार?

अगर मेरी जानकारी गलत नहीं है तो शेख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री के बीच में कोई गुप्त पत्र-व्यवहार चल रहा है और उस पत्र-व्यवहार में शेख अब्दुल्ला को कुछ ऑफर दिए जा रहे हैं। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं, इस चर्चा में भाग लेते हुए कि जम्मू और काश्मीर को शेष भारत के साथ लाने की जो प्रक्रिया अब तक चल रही है, उस प्रक्रिया के आगे बढ़ने की गुंजाइश है, मगर उस प्रक्रिया में किसी को पीछे नहीं लौटने दिया जाएगा। किसी को घड़ी की सुई को पीछे घुमाने का अधिकार नहीं होगा। भारत की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी कि आप जम्मू और काश्मीर की घाटी को अधिक स्वायत्तता देकर सिक्किम या भूटान के उदाहरण के तौर पर शेख अब्दुल्ला के साथ किसी तरह का समझौता करें। अगर ऐसा समझौता किया गया तो क्या यह विधेयक सरकार को उस समझौते से रोकता है? नहीं रोकता।

गृह मंत्री महोदय ने अपने भाषण में बांटनेवाली शक्तियों की बात कही। उन्होंने कहा, विधेयक लाया जा रहा है बांटनेवाली शक्तियों के खिलाफ। कोई अगर भारत का हिस्सा भारत से अलग करना चाहे, तो मैं समझ सकता हूं। कोई अगर चीन या पाकिस्तान या किसी तीसरे को देना चाहे तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन यह जो बांटनेवाली शक्तियां हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कल्पना का जो राष्ट्रीय एकीकरण है, उसमें खतरा डालती है यह बात, हमारे दिमाग में संदेह पैदा करती है। राष्ट्रीय सर्वप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता और इसकी अभी तक सर्वमान्य परिभाषा नहीं हुई है। इसलिए हमने संयुक्त प्रवर समिति में कहा था, इंटीग्रिटी के आगे टेरिटोरियल इंटीग्रिटी जोड़ना चाहिए। लेकिन संविधान का हवाला देकर यह प्रस्ताव नहीं माना गया। मैं कहना चाहता हूं कि सेशन और सेशेसन को छोड़कर जो भी चुनौती पैदा होती है, उससे राजनीतिक स्तर पर निपटना होगा। गृह मंत्री महोदय भी मानते हैं कि खाली कानून से ऐसी शक्तियों से निपटारा नहीं हो सकता। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि फिर कानून में आप ऐसा अधिकार क्यों लेना चाहते हैं?

यह विधेयक खाली सेशन और सेसेशन तक सीमित रहना चाहिए। देश की सर्वप्रभुता और अखंडता के लिए आपकी कल्पना के अनुसार जो संकट पैदा होते हैं, उनका निवारण आप राजनीतिक स्तर पर करिए। कोई मच्छर को मारने के लिए तोप नहीं चलाया करता है। देश में भाषावाद, प्रांतवाद और छोटे-छोटे स्वार्थ अपने सिर उठा रहे हैं। अगर हमें लोकतंत्र में विश्वास है, देश की जनता में विश्वास है, जिस विश्वास की दुहाई राजभाषा विधेयक पर भाषण करते हुए वह दे रहे थे, वह लोकतंत्र में हमारा विश्वास, जनता में हमारी निष्ठा, इस प्रकार के संकटों का निवारण करने में समर्थ होनी चाहिए। उसके लिए सरकार को मनमाने अधिकार लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर गृह मंत्री इस विधेयक में और भी कुछ संशोधन करने को तैयार होंगे तब तो यह विधेयक हमें मान्य होगा अन्यथा, मैं यह मांग करूंगा कि यह विधेयक वापस लिया जाए, हमारा दल इस विधेयक को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। धन्यवाद।

संकट विकराल, अनुभूति नदारद

अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद ३५२ के अंतर्गत संविधान के निर्माताओं ने व्यवस्था की है कि विदेशी आक्रमण की स्थिति में और देश में आंतरिक उपद्रव की दशा में संकटकाल की स्थिति घोषित की जाए। उस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि यह संकटकाल की स्थिति दो महीने तक रहेगी, यदि संसद उसको बढ़ाने का निर्णय न करे। इससे संविधान के निर्माताओं की मंशा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने 'ग्रेव एमर्जेंसी' शब्द का उपयोग किया है, केवल संकट नहीं, गंभीर संकट का। विदेशी आक्रमण का संकट और देश में व्यापक उपद्रव का संकट और संविधान के निर्माताओं ने दो महीने का समय भी दिया है। यह कहा जा सकता है कि अभी जो संकटकाल की स्थिति लागू है, उसे संसद ने पुष्ट किया है। लेकिन क्या पांच वर्ष तक निरंतर संकटकाल की स्थिति बनाए रखना संविधान के निर्माताओं की मंशा के अनुकूल है? इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि देश के सामने संकट है। लेकिन हमें संकटों के साथ जीवित रहना सीखना होगा। हमें संकटों के साथ लोकतंत्री अधिकारों का उपभोग करने का अवसर देना होगा।

संकटकाल की स्थिति की घोषणा करके हम संविधान द्वारा प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को कुछ काल के लिए स्थगित कर देते हैं, कानून के सामने नागरिकों की बराबरी नहीं रहती, संपत्ति के अधिकार भी सीमित कर दिए जाते हैं, व्यक्तिगत स्वाधीनता संकुचित हो जाती है और बिना कारण बताए किसी नागरिक को नजरबंद कर उसे किसी बोर्ड के सामने पेश करना, यह भी संकटकाल की स्थिति में चल नहीं पाता। जब चीन ने आक्रमण किया तब संकटकाल की स्थिति की घोषणा की गई। सभी विरोधी दलों ने, सारे देश ने उसका समर्थन किया। लेकिन आज विरोध क्यों हो रहा है? गृह मंत्री महोदय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका एक ही कारण है कि देश के सामने संकट तो है, लेकिन संकट की अनुभूति नहीं है, खतरे तो हैं, लेकिन खतरों की प्रतीति नहीं है। और यह अनुभूति न शासन में है, न प्रशासन में है। न सत्तारूढ़ दल में है, न जनता में है। अब यदि संकट है, लेकिन संकट की अनुभूति नहीं है तो फिर कानून से संकट की स्थिति बनाए रखने का क्या लाभ होगा? देश का मनोविज्ञान बदल गया है और इस मनोविज्ञान को फिर से बदलने के लिए कदम उठाए बिना संकटकाल की स्थिति को जारी रखना ठीक नहीं होगा।

** संकटकाल की अवधि बढ़ाने के पुनर्प्रस्ताव पर लोकसभा में २६ जून, १९६७ को भाषण।*

क्या सामान्य कानून इस स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, जिसकी ओर संकेत करके गृह मंत्री महोदय अपने वचन से मुकर जाना चाहते हैं? मैं उन्हें वचन-भंग का दोषी ठहराता हूं। जिस दिन नई लोकसभा की बैठक आरंभ हुई, पहले ही दिन आकर उन्होंने घोषणा कर दी कि एक जुलाई से संकटकाल की स्थिति देश के केवल कुछ भागों तक सीमित रहेगी। कुछ सोच-समझकर उन्होंने घोषणा की थी। आज वह जिन संकटों की ओर इशारा कर रहे हैं, वे संकट नए नहीं हैं। वे संकट उस समय भी थे। हां, केवल एक ही नया संकट पैदा हो गया है। वह समझते थे कि विरोधी दलों का समर्थन संविधान में संशोधन करने के लिए वह प्राप्त कर लेंगे और विरोधी दल उनको अनुगृहीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या यह जरूरी है, हम सरकार की मदद करें?

गृह मंत्री श्री यशवंत राव चह्वाण : एमर्जेंसी के लिए।

श्री वाजपेयी : आपको हमें समझाना होगा कि देश में वस्तुतः संकट है और आप उस संकट का निराकरण करने के लिए अधिकार चाहते हैं, और किसी बात के लिए नहीं। क्या भारत सरकार चीनी आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए सन्नद्ध हो रही है? क्या हम १९६२ में की गई उस पावन प्रतिज्ञा को कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक एक-एक इंच भूमि को चीन के चंगुल से मुक्त नहीं कर लेंगे, पूरा करने जा रहे हैं? यदि सरकार उस भूमि को मुक्त करने के लिए कदम बढ़ाए तो हम संकटकाल की स्थिति का समर्थन करने को तैयार हैं। यदि सरकार एक-तिहाई जम्मू-काश्मीर को मुक्त करने के लिए आगे बढ़े तो हम इस सरकार को असाधारण अधिकार देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ करना नहीं चाहती, देश के प्रति किए गए संकल्पों पर पानी फेरना चाहती है और सरकार इसलिए अधिकार चाहती है कि एक आशंका है, नया आक्रमण होनेवाला है। क्या यह आशंका उस दिन नहीं थी जिस दिन सदन में घोषणा की गई थी कि एक जुलाई से संकटकाल की स्थिति को कुछ क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाएगा? यदि उस दिन यह कल्पना नहीं थी तो मैं कहूंगा कि यह सरकार की अदूरदर्शिता है, यह सरकार अपनी नाक से आगे देखने की क्षमता नहीं रखती। चीन और पाकिस्तान के आक्रमण का संकट उस समय भी था। वह संकट आज भी है। लेकिन किसी संभावित संकट की आशंका से हम अपने नागरिकों को अनंत काल तक मूलभूत अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते। जैसा अभी कहा गया, यदि देश पर कोई आक्रमण होगा तो सरकार पुनः संकटकाल की स्थिति घोषित कर सकती है। संविधान ने उसे अधिकार दिया है और उसे देश का स्वेच्छा से सहयोग मिलेगा। अगर कुछ तत्व उस मार्ग में बाधक बनेंगे तो हम उनका साथ नहीं देंगे। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन आज हमें राष्ट्र की सुरक्षा को लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ मिलाना होगा।

संकट देशव्यापी होता है, प्रदेशव्यापी नहीं

गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि कुछ क्षेत्रों में संकटकाल की स्थिति रहेगी, मूलभूत अधिकारों का स्थगन होगा और शेष भारत में पूरी छूट होगी।

अध्यक्ष महोदय, संकटकाल को कुछ क्षेत्रों तक सीमित रखने और शेष भारत को संकटकाल की स्थिति से निकालने के हम लोग मूलभूत रूप से विरोधी हैं। वह संकट कैसा है जो देश के एक भाग में है लेकिन दूसरे भाग में जिसकी अनुभूति नहीं होती, वह संकट कैसा है जो संपूर्ण देश पर नहीं है? क्या जम्मू-काश्मीर का संकट शेष भारत का संकट नहीं है? क्या असम पर

चीन का प्रहार सारे देश की प्रभुसत्ता पर, देश की अखंडता पर, देश की स्वाधीनता पर प्रहार नहीं है? यदि हम एक राष्ट्रीयता की कल्पना में विश्वास करते हैं और काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण राष्ट्र को कंधे से कंधा लगाकर खड़ा करना चाहते हैं तो संकटकाल को कुछ क्षेत्रों में सीमित रखने की कल्पना भ्रामक है। यह कभी घातक सिद्ध हो सकती है। इसका त्याग कर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारों के पास पर्याप्त अधिकार हैं। गृह मंत्री महोदय शायद संकट काल की स्थिति को जम्मू-काश्मीर, पंजाब, असम, नेफा और बंगाल तक सीमित रखना चाहते होंगे। चाहते होंगे का प्रयोग मैं जान-बूझकर कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना इरादा बताया नहीं है। कौन से सेंसिटिव एरियाज हैं? अगर वह क्षेत्र वही है जिनका मैं उल्लेख कर रहा हूं तो क्या यह सच नहीं है कि इन राज्यों की सरकारों के पास किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पहले से पर्याप्त अधिकार हैं? पब्लिक सेफ्टी और सिक्यूरिटी एक्ट है। क्या जम्मू-काश्मीर में अधिकार नहीं हैं सरकार के पास? क्या बिहार में पब्लिक सेफ्टी अधिकार काम नहीं कर रहा है? क्या पश्चिम बंगाल में पब्लिक सिक्यूरिटी एक्ट नहीं है? नेफा के लिए और नागालैंड के लिए यह सरकार पहले से विशेषाधिकार ले चुकी है। लेकिन इन अधिकारों के बाद क्या हो रहा है? ७ जून को जम्मू-काश्मीर में क्या हुआ? श्रीनगर में क्या हुआ? मैं उन घटनाओं में जाना नहीं चाहता, देश में संकट की स्थिति है। शासन के पास अधिकार भी हैं। मगर श्रीनगर में ७ जून को गिरजाघर जलाए गए। महिलाओं का अपमान किया गया। नेशनल कांफ्रेंस की एक जीप को आग लगा दी गई। किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई। आप अधिकार लें और कार्यवाही न करें, तो अधिकार लेना व्यर्थ है, और आप अधिकार लें और उनका दुरुपयोग करें तो अधिकार देना घातक है। दोनों दृष्टियों से देखिए, इन असाधारण अधिकारों की आवश्यकता नहीं है।

भारत सुरक्षा-अधिनियम का दुरुपयोग हुआ

क्या इस बात से इन्कार किया जा सकता है कि भारत सुरक्षा-अधिनियम का दुरुपयोग किया गया? जासूसों को पकड़ने की बात समझ में आ सकती है, मगर विद्यार्थी पकड़े गए, सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार किए गए, व्यापारियों को बंदी बनाया गया। महाराष्ट्र में एक प्रेम-विवाह को रोकने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स का उपयोग हुआ था। गृह मंत्री महोदय महाराष्ट्र से आते हैं, इसलिए इस घटना को भूले नहीं होंगे। जिनको अधिकार दिया उन्होंने अधिकारों का दुरुपयोग किया, इसलिए अब वे अधिकार लेने के अधिकारी नहीं हैं। जिन सीमावर्ती क्षेत्रों में गृह मंत्री महोदय आपतकाल की स्थिति सीमित करना चाहते हैं, वहां पर्याप्त अधिकार हैं। सामान्य कानून स्थिति का सामना करने में समर्थ होने चाहिए, और अगर वे समर्थ नहीं हैं तो फिर जो उस कानून का उपयोग करते हैं उनमें कोई दोष है या यदि कानून में स्वयं कोई दुर्बलता है, तो उसको भी दूर किया जा सकता है। हम इस प्रकार के किसी भी प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार होंगे कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का दमन या स्थगन किए बिना देश पर आनेवाले संकट का सामना किया जा सके। इसके लिए सरकार अधिकार चाहती है तो वह ठोस प्रस्ताव लेकर आए। उसके गुण व दोषों का विचार करके हम निर्णय करेंगे। लेकिन हम इस तरह के अधिकार देने के लिए तैयार नहीं हैं, जिन अधिकारों का शासन सदुपयोग नहीं कर सका और जो अधिकार आज की

स्थिति में आवश्यक भी नहीं दिखाई देते।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और; मैंने कहा कि देश पर संकट है। मगर संकट की अनुभूति नहीं है। यह अनुभूति देश में पैदा करनी होगी। नहीं तो आप जो भी कदम उठाएंगे, वह गलत समझा जाएगा। उसे राजनैतिक दृष्टि से विकृत रूप कर पेश किया जाएगा। आखिर सरकार अधिकार लेकर राज्य सरकारों के द्वारा ही उसको अमल में लाएगी। नक्सलबाड़ी का नाम बार-बार लिया जाता है। आज एमर्जेंसी है, विशेषाधिकार भी हैं लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार अगर उन विशेषाधिकारों का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं है तो गृह मंत्री महोदय क्या करेंगे? आखिर अधिकार जो लिए जाएंगे, उनका उपयोग राज्यों की सरकारों को करना होगा और राज्यों की सरकारें आज तैयार नहीं हैं।

गृह मंत्री महोदय को अभी यह बताना बाकी है कि कितने मुख्यमंत्रियों से उन्होंने विचार-विनिमय किया? कितने मुख्यमंत्री संकटकाल की स्थिति बनाए रखने के उनके प्रस्ताव से सहमत हैं। पहले मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा का बड़ा जोरदार हवाला दिया जाता था। आजकल गृह मंत्री महोदय मुख्यमंत्रियों की चर्चा नहीं करते। क्यों नहीं करते? आखिर मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं। उन्हें भी संकट की स्थिति की अनुभूति होनी चाहिए। उनके अनुसार कार्य करने की उनकी सिद्धता होनी चाहिए। अगर यह सिद्धता नहीं है तो नई दिल्ली में बैठकर असाधारण अधिकारों का उपयोग समस्याओं को सुलझाने के बजाय और उलझाएगा।

मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह फिर से विचार करें। अभी १ जुलाई में कुछ दिन बाकी हैं। संकटकाल की स्थिति खत्म कर दें और यदि फिर वास्तविक संकटकाल पैदा होता है तो सारा देश उनका समर्थन करेगा। अन्यथा वास्तविक संकटकाल में भी वह देश को जगा नहीं सकेंगे, लोगों का समर्थन नहीं पा सकेंगे। धन्यवाद।

संकटकाल का हथियार किसलिए?

महोदया, मैं इस विवाद का स्वागत करता हूं। इसलिए नहीं कि अपने प्रस्ताव के समर्थन में श्री भूपेश गुप्त ने जो कुछ कहा है मैं उस सबसे पूर्णतया सहमत हूं, बल्कि मैं इस विवाद का इसलिए स्वागत करता हूं क्योंकि इस विवाद से हमें एक बार फिर इस बात का मौका मिला है कि हम संकटकाल की स्थिति का···(व्यवधान)

श्री सी.डी. पांडे : विवाद का स्वागत करते हैं या प्रस्ताव का स्वागत करते हैं?

श्री वाजपेयी : आप समझ सकते हैं। इस संकटकाल की स्थिति के संबंध में, उसकी घोषणा के संबंध में, हमें अपने दृष्टिकोण को फिर से निर्धारित करना चाहिए। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि श्री भूपेश गुप्त ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में जो कुछ कहा है, उसमें बल है और यह सरकार का काम है कि सदन के सामने, देश के सामने, यह साबित करके दिखाए कि जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संकटकाल की घोषणा की गई थी, उन उद्देश्यों को पाने के लिए आज भी संकटकाल की स्थिति को बनाए रखने की आवश्यकता है। जब संकटकाल की स्थिति की घोषणा की गई तो वह एक दल की घोषणा नहीं थी, वह सारे राष्ट्र की घोषणा थी और उसको सभी दलों का समर्थन मिला था। लेकिन उस घोषणा के अनुरूप काम नहीं किए गए। हमने चीन को शत्रु कहा, मगर चीन के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान नहीं किया। हमने चीन के साथ कूटनीतिक संबंध नहीं तोड़े। हमने अपने राजदूत को, जो पेकिंग में थे, उन्हें शिष्टाचार का झूठा प्रदर्शन करने से भी नहीं रोका। जब पाकिस्तान और चीन में संधि हुई और संधि के द्वारा पाकिस्तान ने एक बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया, जिस संधि का हम सुरक्षा परिषद में विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमारे चीन स्थित प्रतिनिधि को कहा गया कि जब उस संधि पर दस्तखत किए जाएं तो वे उस अवसर पर मौजूद रहें। यह सलाह विदेश मंत्रालय ने उनको दी। जब चीन के प्रधानमंत्री कैरो गए, तो हमारे राजदूत से कहा गया कि वे हवाई अड्डे पर श्री चाऊ-एन-लाई का स्वागत करें। श्री चाऊ-एन-लाई को भारत की सीमा पार करके हवाई जहाज में उड़ने की इजाजत दी गई। वे पाकिस्तान आ रहे हैं, फिर उनको इजाजत दी जाएगी; और कहा जाता है कि यह शिष्टाचार है,

---

** संकटकाल की स्थिति की समाप्ति के संबंध में घोषणा पर पुनर्विचार के दौरान राज्यसभा में १४ फरवरी, १९६४ को भाषण।*

इसका हम पालन करेंगे। इन आचरणों से, सरकार की नीतियों से, जनता में यह आशंका पैदा हुई है कि संकटकाल की घोषणा करते हुए भी, सरकार उसके अनुरूप आचरण नहीं करना चाहती।

महोदया, सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि अगर शासन में और जनता में संकट की समान अनुभूति नहीं है, संकट की गंभीरता के संबंध में बराबर भावना नहीं है तो समझना चाहिए कि संकट की स्थिति बिगड़ रही है। यह स्थिति थी जब शासन में और जनता में इस संबंध में मनोभावना में कोई अंतर नहीं था। आज यह अंतर बढ़ गया है और लोग समझते हैं कि खाली घोषणाओं में संकटकाल है। अपनी नीतियों को अमल में लाने के लिए शासन में, शासन के चलाने के तरीकों में, मंत्रियों के व्यवहार में, कहीं भी संकटकाल नहीं है। यह स्थिति देश के लिए बड़ी खतरनाक है—सरकार समझे संकटकाल है, जनता समझे संकटकाल नहीं है। यह एक बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि सचमुच में फिर से संकट गंभीर हो गया तो हम जनता को संकट की सही अनुभूति कराकर उस संकट का सामना करने के लिए जिस तरह से देश को तैयार करना चाहेंगे, नहीं कर सकेंगे। आखिरकार संकटकाल की तीव्रता हर एक हृदय में प्रकट होनी चाहिए। यह तीव्रता घट गई है, शासन को उसका नोटिस लेना चाहिए। शासन यह भी बताए कि युद्ध-प्रयत्नों को जारी रखने में, अगर संकटकाल की घोषणा वापस कर ली गई तो कौन-सी बाधा पैदा होगी। जवानों की भरती हो रही है, फौज हमारी बढ़ाई जा रही है, हथियार बन रहे हैं, उनका उत्पादन बढ़ रहा है। युद्ध-प्रयत्नों में संकटकाल की स्थिति न रहने से कोई कठिनाई पैदा होती दिखाई नहीं देती। अगर सरकार को कोई आशंका है, कोई कठिनाई पैदा होनेवाली है तो सरकार को इसे स्पष्ट करना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले कहा कि संकटकाल की स्थिति को बनाए रखने का कौन सा कारण है, वह स्थितियां क्यों जारी रखनी चाहिए, इसको साबित करने का बोझा सरकार पर है, विरोधी दलों पर नहीं।

औद्योगिक अशांति क्यों?

एक बात और भी है। कहा जाता है कि हम औद्योगिक क्षेत्र में शांति बनाए रखना चाहते हैं और उस शांति को कायम रखने के लिए, शासन को असाधारण अधिकार चाहिए। मजदूरों ने इस बीच में शांति बनाए रखी है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन उस अनुपात में मालिकों ने औद्योगिक शांति बनाए रखने के समझौते का पूर्णतया पालन नहीं किया। क्या संकटकाल में जो मुनाफे होंगे उनमें से कुछ हिस्सा मजदूरों को मिलना चाहिए, इस मजदूरों की मांग को हम दबा देना चाहते हैं? क्या औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए दायित्व एकतरफा मजदूरों पर है, मालिकों पर नहीं है? शासन पर नहीं है? आज सरकारी कारखानों में क्या स्थिति हो रही है? कांग्रेस पार्टी से संबंधित एक मजदूर संगठन चलता है जो आजकल औद्योगिक शांति में विघ्न पैदा कर रहा है। इंदौर में क्या हो रहा है? आई.एन.पी.यू.टी. के नेता आपस में लड़ रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है और जिनके झगड़े से टैक्सटाइल मिलों में उत्पादन घट गया है। संकटकाल की स्थिति और उसकी घोषणा आई.एन.टी.यू.सी. के नेताओं को लड़ने से नहीं रोक सकती। भोपाल हैवी इलैक्ट्रिकल्स में वहां के सरकारी संचालकों ने अपने दो यूनियन बना रखे हैं। आई.एन.टी.यू.सी. वहां भी संकट पैदा कर रहा है। न सरकार उनको रोक सकती है न सरकार के असाधारण अधिकार उनकी कार्यवाहियों पर नियंत्रण लगा सकते हैं।

जगाधरी के गोपाल पेपर मिल में मजदूरों का विवाद चला था कि वहां मजदूरों का एक नया

संगठन बना है जो यह दावा करता है कि मजदूरों का बहुमत उनके साथ है। अगर मिल में स्वतंत्र चुनाव कराकर यह नहीं देखा जाता है कि बहुमत किसके साथ है, और अगर पंजाब के लेबर कमिश्नर उस मामले को हल भी करना चाहते हैं तो पंजाब के आई.एन.टी.यू.सी. के नेता जो पंजाब के कांग्रेस के भी नेता हैं, वे मिल के मैनेजमेंट पर और लेबर कमिश्नर पर दबाव डालते हैं कि आई.एन.टी.यू.सी. के अलावा किन्हीं मजदूर संगठनों के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। संसद के एक सदस्य इस समय अंबाला की जेल में पड़े हैं, क्योंकि उन्हें वहां धरना देना पड़ा। सरकार को जो असाधारण अधिकार मिले हैं, वे जगाधरी में गोपाल पेपर मिल के मजदूरों में संघर्ष करने की भावना को नहीं रोक सके।

उत्तर प्रदेश में डिफेंस ऑफ इंडिया रूल को लागू कर दिया गया कि अगर चीनी मिलों को गन्ना नहीं दिया जाएगा तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स में किसानों को मजबूर किया जाएगा, जिससे उनको गन्ना देना पड़े। बाद में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने इस अनिवार्यता को हटा दिया। लेकिन कृषि मंत्री महोदय यह जानते होंगे कि जरवल की मिल ने भी अभी तक गन्ना पैदा करनेवाले किसानों को लाखों रुपया नहीं दिया—गन्ना खरीद लिया, चीनी बना ली और वह चीनी बाजार में बेच भी दी, मगर किसानों को रुपया नहीं मिला। क्या डिफेंस ऑफ इंडिया रूल उस मिल के मालिक के खिलाफ काम में नहीं लाया जा सकता है? मगर कानून मालिकों के खिलाफ काम में नहीं लाया जा सका, आई.एन.टी.यू.सी. के नेताओं के खिलाफ काम में नहीं लाया जा सका, पार्लियामेंट के सदस्य चौधरी ब्रह्म प्रकाश के खिलाफ काम में नहीं लाया जा सका। छोटे-छोटे दुकानदार अगर मूल्य की सूची नहीं लटकाएं तो उन्हें डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में पकड़ा जा सकता है, मगर गुड़ में मुनाफा करने के लिए, कोयले में गोलमाल करने के लिए, चावल को दबाकर रखने के लिए सेंट्रल कोऑपरेटिव स्टोर्स के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाएगी।

चीन का हौआ?

कहा जाता है कि अगर संकटकाल की स्थिति खत्म हो गई तो चीन के साथ जुड़े हुए जो तत्व हैं, वे फिर से सक्रिय हो जाएंगे। कभी-कभी इन तत्वों की याद आ जाती है और संकट को जारी रखने के लिए याद आती है। अभी हमारे मित्र श्री भूपेश गुप्त ने बतलाया कि अधिकांश कम्युनिस्टों से संकट है तो उन्हें छोड़ा क्यों गया। इसके लिए सरकार की निंदा करनी चाहिए।

श्री सी.डी. पांडे : गलती हुई।

श्री वाजपेयी : पांडे जी कहते हैं कि गलती हुई। उनकी सरकार है। और उनकी सरकार इस तरह से गलती करती रहती है और वह सरकार का समर्थन करते रहते हैं और कहते हैं कि गलती हुई। गलती यह नहीं हुई है, शायद सरकार समझती है कि इन कम्युनिस्टों को जेल में रखने की आवश्यकता नहीं है और अगर रखने की आवश्यकता है तो नजरबंदी कानून के मुताबिक उसके लिए कारण बतलाना होगा और बोर्ड के सामने कैदी को ले जाना होगा। चाहे वह कम्युनिस्ट हो, चाहे वह पाकिस्तानी एजेंट हो, हम बिना मुकदमा चलाए नजरबंद रखने के खिलाफ हैं। सरकार को सबूत जुटाने होंगे, सरकार को सबूत प्रमाणित करने होंगे और अगर सरकार नहीं कर सकती है तो उसको थोड़ा सा खतरा मोल लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। इन कम्युनिस्टों को जेल में रखना चाहते हैं, इसलिए देश के साथ संकटकाल की स्थिति को बनाए रखने के लिए खिलवाड़

नहीं किया जा सकता। कम्युनिस्टों को जेल में रखना है, इसलिए संविधान में दिए गए मूलभूत अधिकारों को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। आखिर चीन का संकट लंबा चलनेवाला है और जब तक यह सरकार रहेगी तब तक चीन का संकट टलेगा, ऐसी मुझे कोई आशा दिखाई नहीं देती। हम मैकमोहन रेखा तक अपनी सेना भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। हम चीन से यहां तक कहने के लिए तैयार नहीं कि तुमने कोलंबो प्रस्तावों को नहीं माना और अब हम उससे बंधे हुए नहीं रहेंगे, हम तुमसे तब तक बात नहीं करेंगे जब तक तुम लद्दाख और नेफा को दौड़कर नहीं चले जाते। जब संकटकाल की घोषणा हुई तब चीना सेनाएं लद्दाख में थीं, तब तो घोषणा नहीं की गई। जब नेफा में घुस आईं, तब घोषणा की गई। वे अब नेफा से वापस चले गए हैं, अब संकटकाल की घोषणा की क्या जरूरत है?

अभी पाकिस्तान का हवाला दिया गया है। मैं समझता हूं कि ऐसी बेतुकी और अतर्कसंगत बातें नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को कोई अच्छा व्यक्ति बोलने के लिए खड़ा करना चाहिए। नागा विद्रोहियों की भी बात कही गई है। आप नागा विद्रोहियों के नेता फीजो को हिंदुस्तान में आने की छूट दे रहे हैं। किसने कहा कि फीजो को हिंदुस्तान में आने दीजिए? कोई सरकार किसी हत्यारे के साथ, किसी बागी के साथ समझौता नहीं करती, मगर यह सरकार फीजो को भारत बुला रही है और बिना शर्त बात करने के लिए आमंत्रण दे रही है। सदन में सरकार के प्रतिनिधि खड़े होकर कहते हैं कि हमें संकटकाल की जरूरत है, कम्युनिस्टों को भी पकड़ा गया है। प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों को भी पकड़ा गया है, भारतीय जनसंघ के सदस्यों को भी पकड़ा गया है। असाधारण अधिकार लेकर आप देश की रक्षा के काम को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि अपने राजनैतिक उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं।

मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे, जिनकी वजह से संकटकाल की स्थिति को बनाए रखने की आवश्यकता है। अगर वे हमें संतुष्ट नहीं कर सके तो हम इस प्रस्ताव का समर्थन करने नहीं जा रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी अपने बहुमत के बल पर देश में संकटकाल की अनुभूति बनाए नहीं रख सकती। इस सवाल पर सब दलों की सहमति प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए, नहीं तो इस समय संकटकाल की स्थिति हटा देनी चाहिए और फिर जब संकट गहरा हो जाएगा तब संकटकाल फिर से घोषित किया जा सकता है। इससे आसमान टूटनेवाला नहीं है। आपकी नीतियों में भी संकट का निवारण करने की कोई तीव्रता नहीं है, कोई दृढ़ता नहीं है।

एक सुझाव देकर मैं अपना भाषण खत्म कर दूंगा। अगर सचमुच चीनी आक्रमण के कारण आप संकटकाल की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं तो नेफा में, असम में, पश्चिम बंगाल में, जम्मू-काश्मीर में और पंजाब में संकटकाल की स्थिति कायम रखकर बाकी देश के अन्य भागों को संकटकाल की स्थिति से मुक्त करके बीच का रास्ता अपना सकते हैं। यह आपकी ईमानदारी को भी कसौटी पर कसेगा।

नजरबंदी कानून : निशाना जनसंघ

उपाध्यक्ष महोदय, नजरबंदी कानून की अवधि को तीन वर्ष के लिए बढ़ाने का विधेयक इस बात का ताजा प्रमाण है, ताजा उदाहरण है कि संकट के काल में सरकार जो असाधारण अधिकार प्राप्त कर लेती है, उन्हें फिर आगे जाकर छोड़ना नहीं चाहती है। परिस्थितियां बदल जाती हैं, किंतु सरकार अपने शस्त्रागार में जो हथियार इकट्ठे कर लेती है, उन्हें कम करने के लिए तैयार नहीं होती।

श्री दातार के भाषण से ऐसी कोई भी असाधारण परिस्थिति का परिचय नहीं मिलता जिसका सामना करने के लिए नजरबंदी कानून की आवश्यकता हो। और अगर उत्तरी सीमा पर चीन की कार्यवाही से कोई असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हुई भी है, तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि उसका निराकरण करने के लिए एक अलग विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं नहीं समझता, जब सरकार सीमा संबंधी प्रचार पर नियंत्रण लगाने के लिए एक अलग विधेयक लाने का विचार कर रही है और उसका संभव है समर्थन भी किया जाए, तो फिर इस नजरबंदी कानून की अवधि को बढ़ाने का क्या औचित्य है। इस चीज को अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा सका है। राज्य मंत्री महोदय ने यह भी दावा किया है कि इस विधेयक को राजनैतिक विरोध को समाप्त करने के लिए काम में नहीं लाया गया। मैं इस दावे का खंडन करना चाहता हूं और मेरा उनसे निवेदन है कि जिस प्रकार से यह नजरबंदी कानून पश्चिम बंगाल में पिछले तीन साल से भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम में लाया जा रहा है, इसके बारे में गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी इकट्ठी हो। १९५६ में हमारे भारतीय जनसंघ के तीन प्रमुख कार्यकर्ताओं को, १४ सितंबर को नजरबंद कर दिया गया। १९५८ में जनसंघ के संगठन मंत्री को नजरबंद किया गया और जिस तारीख को एक साल की नजरबंदी काटने के बाद वह जेल से छूटे, उसी तारीख को जो जनसंघ के दूसरे मंत्री थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो गिरफ्तारी के कारण दिए गए हैं, उनकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक कारण तो यह दिया गया है कि वे नेहरू-नून समझौते के खिलाफ प्रचार कर रहे थे। मैं नहीं समझता कि

** निषेधात्मक नजरबंदी कानून की अवधि बढ़ाने संबंधी विधेयक की प्रस्तुति के अवसर पर लोकसभा में २ दिसंबर, १९६० को भाषण।*

नेहरू-नून समझौते के खिलाफ प्रचार करना कोई नजरबंदी का कारण हो सकता है। आज सारा पश्चिम बंगाल नेहरू-नून समझौते को कार्यान्वित करने के खिलाफ एक आवाज से खड़ा हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या आप सारे बंगाल को इस नजरबंदी कानून में बंद करेंगे··(व्यवधान)

श्री स.मो. बनर्जी : जेलें इतनी नहीं हैं, वर्ना कर लें।

श्री वाजपेयी : केवल यही कारण उच्च न्यायालय में जाकर निराधार साबित न कर दिया जाए, इसलिए एक कारण और भी जोड़ दिया गया जिसको मैं अभी कोट करूंगा। श्री रामप्रसाद दास जो कि जनसंघ की ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी में भाग लेने के लिए नई दिल्ली आ रहे थे, उन्हें एक दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया और आरोप लगाया गया, मैं कोट करता हूं :

"कि ९ अक्तूबर, १९५८ को आपकी दिल्ली जाने की इच्छा है, और कि आप ऐसी योजनाएं गढ़ सकते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव डाल सकती हैं।"

श्री त्यागी : यह गंभीर आरोप है।

श्री वाजपेयी : मैं जानता हूं कि यह बड़ा गंभीर चार्ज है, किंतु क्या गृह मंत्री जी इस बात को अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकते हैं कि जनसंघ की ऑल इंडिया वर्किंग कमेटी में भाग लेने के लिए आनेवाला कोई व्यक्ति यहां आकर हमारे प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को खतरा पहुंचा सकता है, उनके जीवन के खिलाफ षडयंत्र कर सकता है? और अगर ऐसा कर सकता है तो केवल उसी को गिरफ्तार क्यों किया गया, पूरी वर्किंग कमेटी बैठी हुई थी, उसको आप गिरफ्तार कर सकते थे। अगर आप समझते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी के संबंध में हमारे दिल में इतना भी आदर नहीं है तो मेरा निवेदन है कि आप भारतीय जनसंघ पर प्रतिबंध लगा दीजिए और नहीं तो कम से कम हमें विश्वास में लेकर बताइए कि जनसंघ में कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री जी की हिफाजत नहीं चाहते हैं? हम पार्टी में उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे, उनको निकाल देंगे। षडयंत्र हमारे देश के प्रधानमंत्री के जीवन के खिलाफ हो और हमें बताया भी न जाए और फिर ताज्जुब की बात देखिए कि एक साल बाद वह व्यक्ति रिहा कर दिया गया। अगर वह कोई षडयंत्र कर रहा था तो आप अभी भी उसके खिलाफ मुकदमा चलाएं और उसको सजा दिलवाएं। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। आखिर में हाई कोर्ट में उसका मुकदमा गया और उसने कहा कि अमुक व्यक्ति को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। मगर हाई कोर्ट के निर्णय को नहीं माना गया। चार महीने तक उस व्यक्ति को जेल में बंद रखा गया, हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी। मैं हाई कोर्ट के फैसले की कुछ पंक्तियां, उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने रखना चाहता हूं। कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा :

"लगता है कि जनसंघ के एक के बाद एक सचिवों को गिरफ्तार किया गया और लंबी अवधि के लिए नजरबंद रखा गया, यद्यपि कुछ भी अप्रिय घटित नहीं हुआ लगता, हमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार नजरबंद लोगों को जितनी जल्दी संभव हो, छोड़ने के सवाल पर विचार करेगी।"

यह कलकत्ता हाई कोर्ट की सिफारिश है, मैं इसे फैसला नहीं कहूंगा। सरकार को चाहिए था कि इस सिफारिश का आदर करती, मगर हाई कोर्ट की इस सिफारिश के बाद भी उनको और चार महीने तक जेल में बंद करके रखा जाता है। बाद में उनको छोड़ा गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह नजरबंदी कानून का दुरुपयोग नहीं है? अगर आप समझते हैं कि देश में कोई ऐसे तत्व हैं जो देश की शांति को, देश की सुरक्षा को संकट में डालना चाहते हैं तो उन पर खुली अदालत में मुकदमा चलाएं, उनकी आपत्तिजनक कार्रवाइयों पर रोक लगाएं, मगर नजरबंदी कानून

की आड़ लेकर उन्हें उनके वैध कार्यों से रोकना, इसे कभी भी उचित नहीं कहा जा सकता। नजरबंदी कानून किसी भी व्यक्ति के खिलाफ लाया जाए, मैं उसके समर्थन में नहीं हूं, फिर चाहे वह शेख अब्दुल्ला हों या मास्टर तारा सिंह हों। बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को नजरबंद रखना ठीक नहीं है। और अगर देश में कोई ऐसे तत्व हैं, ऐसी शक्तियां हैं, जो देश की स्वतंत्रता को, देश की सुरक्षा को संकट में डालना चाहती हैं, जो विदेशों से धन या हथियार प्राप्त कर रही हैं, जो पंचमार्गियों के रूप में काम कर रही हैं, उनके लिए एक लॉ ऑफ ट्रीजन आप अलग से बना सकते हैं, गद्दारों के खिलाफ एक कानून आप अलग से बना सकते हैं। मगर नजरबंदी कानून और उसका इस तरह का राजनीतिक दुरुपयोग, इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता।

मैं गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में जनसंघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ यह एक्ट जिस तरह से काम में लाया गया है, उसकी वह जांच करें और हमें बताएं कि हमारे कार्यकर्ता वहां ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन केवल पुलिस की रिपोर्ट पर आप कार्यवाही करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने पुलिस रिपोर्ट का एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। पुलिस ने अपने ग्राउंड में लिख दिया कि अमुक दिन जनसंघ के कार्यालय में एक मीटिंग हुई थी, उसमें आपने भाषण दिया कि पश्चिम बंगाल से सब मुसलमानों को खदेड़ देना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता का कहना है कि उस दिन मैं मीटिंग में गया ही नहीं था और पश्चिम बंगाल जनसंघ के वाइस प्रेजीडेंट जो एक मुस्लिम सज्जन हैं, उनका कहना है कि मैं उस मीटिंग में था और ऐसी कोई बात नहीं कही गई। अब किसको सच माना जाए। ऐसी हालत में क्या केवल पुलिस रिपोर्ट पर आप किसी आदमी को एक साल के लिए नजरबंद कर देंगे?

मेरा निवेदन है कि नजरबंदी कानून के इस तरह के उदाहरण सरकार के इस दावे का खंडन करते हैं कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग नहीं करती। सरकार को चाहिए कि इस कानून की अवधि को बढ़ाने से पहले, वह इस बात का विचार करे, हमको समझाए, सदन को विश्वास में ले और बताए कि आखिर देश में ऐसी कौन-सी परिस्थिति है जिसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए नजरबंद करने का अधिकार उसे चाहिए। श्री दातार के भाषण से इस प्रकार की किसी स्थिति का संकेत नहीं मिलता। संभव है पंडित पंत इस संबंध में कोई प्रकाश डालें, लेकिन उन्हें भी मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि नजरबंदी कानून किसी को, किसी भी दल को, किसी भी पार्टी को खत्म करने का तरीका नहीं है। अगर आपको यही करना है तो उसके लिए आपको दूसरे तरीके अपनाने होंगे और उन तरीकों में जनता का विश्वास प्राप्त करना होगा। लोगों को नजरबंद करके कांग्रेस पार्टी अलोकप्रिय बनती जा रही है और जिन कांग्रेस के सदस्यों ने इस बिल का समर्थन किया है, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस की सरकार, इसलिए कि वे कांग्रेस के संगठन में उसका विरोध करते हैं, इस कानून के अंतर्गत उनको भी नजरबंद कर देगी। धन्यवाद।

निरंकुश बनाता है नजरबंदी कानून

अध्यक्ष महोदय, नजरबंदी कानून की अवधि को बढ़ाने के बारे में हम कोई विचार करें, हमारे सामने तीन सवाल प्रमुख रूप से खड़े होते हैं। पहला सवाल : क्या बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को जेल में रखना न्यायपूर्ण और उचित है? क्या वह लोकतंत्र की रूल ऑफ लॉ की भावना के अनुकूल है? दूसरा सवाल : क्या देश में ऐसी परिस्थिति है जिसका सामना करने के लिए सरकार को ऐसे असाधारण अधिकार दिए जाने चाहिए जैसे कि यह कानून प्रदान करता है? तीसरा सवाल : क्या पिछले सात साल का अनुभव यह बताता है कि सरकार ने इस कानून को सोच-समझकर काम में लिया है, जहां और जिस मात्रा में उसका उपयोग होना चाहिए था, वहीं और उसी मात्रा में उसका उपयोग किया है?

जहां तक सिद्धांत का सवाल है, कोई भी व्यक्ति इस बात को मानने से इन्कार करेगा कि बिना मुक़दमा चलाए किसी को नजरबंद करना या बिना कारण बताए किसी को गिरफ्तार करना यह लोकतंत्र की भावना के अनुकूल है। रूल ऑफ लॉ का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करने का उस समय तक अधिकार होना चाहिए, जब तक कि वह किसी सामान्य कानून का उल्लंघन नहीं करता। यही कारण है कि किसी भी सभ्य देश में बिना मुकदमा चलाए नजरबंद करने का कानून नहीं है। लोकतंत्र में ऐसे कानून के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। और सचमुच में यह कानून जो पिछले सात साल से हमारे देश में चल रहा है, लोकतंत्र की जड़ पर कुठाराघात है, नागरिक स्वाधीनताओं का दमन करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है, यह भारतीय गणतंत्र के माथे पर कलंक का टीका है। यह सरकार के लिए लांछन है और भारतीय जनता के लिए एक चुनौती है।

मैं सदन का समय उन बातों को दोहराने में नहीं लूंगा जो कभी स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू ने या आज के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थीं। सन् १९२९ में जब अंग्रेज यहां एक पब्लिक सिक्योरिटी बिल लाए, जिसका संबंध केवल विदेशियों से था और उसमें बिना मुकदमा चलाए नजरबंद करने की व्यवस्था की गई थी, तो विदेशियों के लिए लाए गए बिल को

** निषेधात्मक नजरबंदी कानून की अवधि बढ़ाने संबंधी विधेयक की प्रस्तुति के अवसर पर लोकसभा में १० दिसंबर, १९५७ को भाषण।*

भी स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू ने यह कहकर ठुकरा दिया था कि हम किसी को भी बिना मुकदमा चलाए नजरबंद करने के सुझाव का समर्थन नहीं कर सकते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सन् १९३६ में इस बात को स्वीकार किया था कि जो सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी व्यक्ति को नजरबंद करती है, उस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है।

कहा जा सकता है कि समय बदल गया है। कल के जो विरोधी थे, वे आज के शासक बन गए हैं। कुर्सियां बदल गई हैं मगर सिद्धांत नहीं बदल सकते। व्यक्तिगत स्वाधीनता आज भी उतनी ही अनमोल है और उस स्वाधीनता के अपहरण के लिए कोई भी कदम उठाया जाए, उसका उसी दृढ़ता से विरोध किया जाना चाहिए, जितना कि पराधीनता के काल में किया गया। विदेशी सरकार को माफ किया जा सकता है ऐसा कानून बनाने के लिए जो हमारी आजादी का आदर नहीं करती थी, मगर हम अपनी सरकार को स्वतंत्रता के काल में ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं दे सकते जो उस सरकार के लिए भी शोभाजनक नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि परिस्थिति बदल गई है। आज देश में कहीं ब्राह्मणों को मारने की धमकियां दी जा रही हैं, कहीं संविधान जलाने की बात कही जा रही है और कहीं पर भाषा का विवाद खड़ा हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये परिस्थितियां इतनी गंभीर हैं कि उनका सामना करने के लिए ऐसा कानून चाहिए? क्या आज देश में संकट की स्थिति है? क्या संकट की स्थिति मद्रास में घोषित की गई है?

यह हथियार किसलिए चाहिए?

आज देश में संकट की स्थिति नहीं है। पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति भी नहीं है, युद्ध विराम की स्थिति है, और हमारे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा मित्र है, पंचशील के मंत्र का जाप किया जाता है, शांति के कबूतर उड़ाए जाते हैं। फिर अगर संकट नहीं है तो किस कल्पित संकट का सामना करने के लिए यह हथियार तैयार किया जा रहा है? इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें कुछ तो विवाद चलेंगे ही! जहां अधिक बर्तन होते हैं, वहां वे खटकते ही हैं। इसके अतिरिक्त मद्रास में या पंजाब में जो भी परिस्थिति पैदा हो गई है, उसके लिए हमारी सरकार और सत्तारूढ़ दल अपने को उसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता। आज जो मद्रास में और तमिलनाडु में संविधान जलाने की बातें कह रहे हैं और ब्राह्मण को मारने की धमकियां दे रहे हैं, उन्हीं के समर्थन के बल पर और उन्हीं के सहयोग के बल पर आज कांग्रेस सत्ता के सिंहासन तक पहुंची है। चुनाव के दिनों में यही लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के मंच पर आकर भाषण दिया। उन्होंने मद्रास के आज के मुख्यमंत्री का खुला समर्थन किया। आज वह अपने समर्थन की कीमत मांग रहे हैं। कांग्रेस को दिए गए सहयोग का आज मूल्य मांग रहे हैं और इसलिए संविधान जलाने की बातें की जा रही हैं।

पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उसके लिए भी कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकती। उस आंदोलन के साथ किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन इस आंदोलन की पृष्ठभूमि में अगर हम जाकर विचार करें तो यह दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अकाली दल के साथ एक समझौता किया, बंद कमरे में बैठकर, उसी का यह परिणाम है कि आज पंजाब के हिंदू कांग्रेस के विरुद्ध खड़े हो गए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा और लाला अचिंत राम ने भी इसे स्वीकार किया कि आज पंजाब के हिंदुओं का कांग्रेस विश्वास खो बैठी है। यह विश्वास वह किसलिए खो बैठी है? भारतीय जनसंघ ने क्या उसके लिए कोई प्रयत्न किया? उसका कारण

यह है कि जिस ढंग से अकाली दल के साथ समझौता किया गया, उससे पंजाब के हिंदुओं के हृदय में यह बात घर कर गई है कि कांग्रेस उनकी उपेक्षा करती है। जो समझौता किया गया, उसकी कापी प्राप्त करने के लिए पंजाब के एक वीर नौजवान को अपनी जान हथेली पर रखकर भूख हड़ताल करनी पड़ी, तब कहीं वह तथाकथित रीजनल फार्मूला प्रकट किया गया। रीजनल फार्मूला का जो विरोध हो रहा है, उस विरोध को आप नजरबंदी कानून से दबा नहीं सकते। दमन आग में आहुति का काम करता है। अगर अंग्रेजों का दमन कांग्रेस को नहीं दबा सका तो कांग्रेस का दमन भी आज आर्यसमाज और उसके साथियों को नहीं दबा सकेगा। लोग लड़ते हैं और जेल जाते हैं, जब जेल के बाहर रहना उनके लिए असंभव हो जाता है।

पंजाब में ११३ को नजरबंद बनाया

पंजाब में ११३ व्यक्ति नजरबंदी बनाए गए। कल माननीय दातार साहब ने जिस तरह से आंकड़े दिए उसके बारे में मुझे आपत्ति है। कुल मिलाकर ११३ व्यक्ति नरजबंदी बनाए गए और उनमें से ८० आदमी एडवाइजरी बोर्ड ने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, क्योंकि उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए थे। मैं इस अवसर पर उन तमाम झूठे आरोपों को जिनका कि मेरे मित्रों ने जिक्र किया है, दोहराना नहीं चाहता। लेकिन रोहतक के श्री श्याम सुंदर कटियार का केस मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जिन पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने ९ अगस्त को रोहतक की एक सभा में भाषण किया, जबकि सचाई यह थी कि ९ अगस्त को वे जेल में बंद थे। फिर भाषण कैसे किया?

इसी तरह से दूसरा केस जिसमें वीर अर्जुन और प्रताप के संस्थापक और संचालक महाशय कृष्ण को भी नजरबंद किया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मई १९५६ में जालंधर की एक गुप्त बैठक में भाग लिया और जिस बैठक के बाद पंजाब में दंगे हुए। यह आरोप जब उन्होंने जेल में पढ़ा तो घरवालों को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मैं तो मई १९५६ में जालंधर गया ही नहीं। नजरबंदों की चिट्ठियां सेंसर होती हैं और वह चिट्ठी सेंसर ने पढ़ ली और उसको लेकर पंजाब सरकार के सचिवालय में खलबली मची। उन्होंने बाद में एक दूसरा करेक्शन दिया कि मैं १९५६ में जालंधर नहीं गया था ,बल्कि १९५७ में जालंधर गया था, यह करेक्शन तो उन्होंने दिया, लेकिन जो दंगेवाली बात थी उसको नहीं बदला और हकीकत यह है कि मई सन् १९५७ के बाद पंजाब में कोई दंगा नहीं हुआ। महाशय कृष्ण जी ने कहा कि मैं तो अगर किसी गुप्त बैठक में जाऊं भी तो वह गुप्त नहीं रह सकती, कारण मैं काफी ऊंचा सुनता हूं। मुझे अगर किसी को कोई बात सुनानी होगी तो मुझे इतनी जोर से बोलना पड़ेगा कि बैठक की सारी गुप्तता खत्म हो जाएगी। यह बात सब लोग जानते हैं, लेकिन यह बात शायद आपके गुप्तचर विभागवाले नहीं जानते; और उसका परिणाम यह है कि उनको जेल में रखा गया।

कल यहां पर एडवाइजरी बोर्ड की बड़ी तारीफ की गई थी। मैं पूछता हूं कि क्या कोई प्रांतीय सरकार एडवाइजरी बोर्ड कायम करने में इतनी देरी करेगी जितनी देर इस बारे में पंजाब गवर्नमेंट ने की, और जिसका कि नतीजा यह हुआ कि ६०-६० और ८०-८० दिन तक ऐसे लोगों को जेल में बंद रहना पड़ा जिनको कि एडवाइजरी बोर्ड ने छोड़ दिया। पंजाब के एडवाइजरी बोर्ड के जस्टिस खोसला ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एडवाइजरी बोर्ड से इस्तीफा क्यों दिया है? उनके इस्तीफे के कारणों पर जो आपका पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दे को हटाया जाना चाहिए। पंजाब में जिस तरीके से न्यायालयों के कामों में हस्तक्षेप किया जा रहा है, मेरा संदेह है, उसी के विरोध स्वरूप

उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अगर इस कारण नहीं दिया है तो माननीय गृह मंत्री इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करें। एडवाइजरी बोर्ड, जो नजरबंदी के कारण दिए जाते हैं, उनकी तह में नहीं जा सकता। वह अपंग है और प्रभावी नहीं है। मुझे फिर स्वगीय पंडित मोतीलाल नेहरू का वह भाषण याद आता है जो उन्होंने पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट पर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप एडवाइजरी बोर्ड दे दीजिए, चाहे प्रिवी कौंसिल दे दीजिए, लेकिन जब तक बहस करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक गवाहों को क्रास एक्गजामिन करने का अधिकार नहीं होगा, जब तक आरोप के मूल में जाने का अधिकार नहीं होगा तब तक प्रिवी कौंसिल या एडवाइजरी बोर्ड कुछ नहीं कर सकता।

इन परिस्थितियों में मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा कि इस नजरबंदी कानून का खुला दुरुपयोग किया गया है, यह सत्ताधीशों के हाथ में ऐसे अधिकार रखता है जिसमें लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह सकता।

मुझे यह कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि पंजाब में जो कुछ हुआ है, वह सारे देश के लिए चेतावनी है और हमारे गृह मंत्री महोदय को उसे चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। मेरा तो कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को इस नजरबंदी कानून के अतंर्गत पंजाब में गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जाना चाहिए तो वह व्यक्ति पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रताप सिंह कैरो हैं, जिन्होंने हिटलर की याद को ताजा कर दिया है। लेकिन उनकी तो पीठ थपथपाई जा रही है और उनकी प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं, और एक ऐसा कानून गढ़ा जा रहा है जिसको अगर उनके हाथ में रख दिया गया तो पंजाब के लोगों की स्वाधीनता समाप्त हुई समझो। किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जाए, मैं इसका समर्थक नहीं हूं, न सिद्धांत में और न व्यवहार में। मेरी समझ में जो देश के सामान्य कानून हैं, वे पर्याप्त हैं। अगर देश में कोई संकट की परिस्थिति पैदा होती है तो एमर्जेंसी घोषित कर दी जाए और अगर पार्लियामेंट नहीं है तो आप आर्डिनेंस ला सकते हैं। अगर सामान्य कानून प्रभावी नहीं हैं, पर्याप्त नहीं है तो आप उन कानूनों में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके का काला कानून लाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं एक बात और कहूंगा। कल हमारे गृह मंत्री महोदय ने कहा था कि अपराध कम हो रहे हैं और उसके उत्तर में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर श्री डांगे ने कहा था कि अपराध कम हो रहे हैं, इसका कारण नजरबंदी कानून नहीं है। कुछ दलों ने अपनी नीतियां बदल ली हैं और उसका नतीजा यह है कि अपराध कम हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये दोनों ही बातें ठीक हैं। इस बदली हुई परिस्थिति में इस पुराने कानून की अवधि को बढ़ाने का, और वह भी तीन वर्ष के लिए बढ़ाने का, कोई औचित्य नहीं है। सरदार पटेल एक वर्ष और बढ़ाने की बात लेकर आए थे। आज उसे तीन वर्ष के लिए बढ़ाया जा रहा है, यह अनावश्यक है। मैं समझता हूं कि अगर हम देश में राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोग का वातावरण पैदा करना चाहते हैं, तो उस सहयोग का आधार यह नजरबंदी कानून नहीं हो सकता। देश की योजनाएं आज सभी दलों के सहयोग की मांग करती हैं। मगर हमारे सिर पर नजरबंदी कानून की तलवार लटकाकर अगर आप सहयोग चाहते हैं, तो इस तरीके से राष्ट्र का निर्माण संभव नहीं है। अभी समय है, इस काले कानून को वापस लेकर सरकार इस बात का संकेत दे सकती है कि वह सचमुच में हमारा सहयोग चाहती है। धन्यवाद।

गृह

पुलिस हिरासत में हत्या

महोदय, दिल्ली में पुलिस की हिरासत में निर्दोष लोगों की हत्या की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली में विधानसभा नहीं है। संसद में ऐसे मामले उठते हैं। मैं उसी दिन यह मामला उठाना चाहता था, लेकिन क्षमा करें, मुझे अनुमति नहीं दी गई। जो कुछ हुआ, उसने अब तक हिरासत में होनेवाली मृत्यु की घटनाओं को मात कर दिया है। मैं एक समाचारपत्र से उद्धृत करना चाहता हूं :

"पुलिस की निर्मम पिटाई से ज्वालानगर, शाहदरा के एक युवक महेंद्र की आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में मृत्यु हो गई। इस घटना की वजह एक पुलिस कर्मचारी को चाकू लगना है। घटना की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं।"

बताया जाता है कि १६ अगस्त को जन्माष्टमी के दिन सर्कुलर रोड ज्वालानगर में एक पुलिस कर्मचारी कुछ लोगों के साथ बैठा शराब पी रहा था। शराब के नशे में आपस में गर्मागर्मी हुई और पुलिस कर्मचारी पर किसी ने चाकू चला दिया। इस घटना के कारण सर्कुलर रोड पर रहनेवाले लोगों पर आफत आ गई। १७ अगस्त को रात में पुलिस आई और ३९ लोगों को पकड़ ले गई। इनमें आठ महिलाएं भी थीं। थाने में सबकी बुरी तरह पिटाई की गई। महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पुलिस ने गोविंद और राकेश की इतनी पिटाई की कि उनके हाथ-पांव टूट गए। इनके हाथ-पांव पर पलस्तर चढ़ा हुआ है। लेकिन पुलिस को इससे संतोष नहीं हुआ। वह महेंद्र और रामकुमार नामक दो युवकों की खोज कर रही थी। उनका कहना था कि असली अपराधी यही दोनों हैं। इन दोनों को किसी भी तरह पकड़ ले आओ। महेंद्र के परिवारवालों पर इसके लिए अधिक पुलिस दबाव पड़ने लगा तो उसके पिता सीताराम खुद अपने बेटे को लेकर विवेक विहार थाने में गए और उसे थानेदार आर.के. त्यागी को सौंप दिया। वे रामकुमार को भी खोजकर ले आए। थाने में महेंद्र और रामकुमार की बेरहमी से पिटाई की गई। दोनों बेहोश हो गए तो उन्हें जनरल अस्पताल शाहदरा में भर्ती करा दिया गया, लेकिन उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वहां से जयप्रकाश नारायण अस्पताल भेज दिया गया। यहां महेंद्र की आज दोपहर बाद २ बजे मृत्यु हो गई। यह २५ अगस्त का समाचार है।

** दिल्ली पुलिस की हिरासत में निर्दोषों की हत्या पर राज्यसभा में २८ अगस्त, १९८७ को ध्यानाकर्षण।*

महोदय, यह ठीक है कि सारे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दे दिया गया है। कुछ पुलिसवालों के खिलाफ कार्यवाही भी हुई है। लेकिन प्रश्न यह कि आज जब अपराधियों से पूछताछ करने के साधन बहुत विकसित हो गए हैं, ऐसे किसी निर्दोष आदमी को पकड़ लेना और इस संदेह में कि उसने एक अपराध किया है, उसे इस तरह पीटना कि उसकी जान चली जाए, यह कहां तक उचित है? राजधानी दिल्ली को यह कहां तक शोभा देता है? इस तरह की और भी घटनाएं दिल्ली में होती रही हैं। दिल्ली सारे देश के सामने आदर्श रखती है। पुलिसवाला जन्माष्टमी के दिन शराब पीएगा और शराब पीकर वह जुआ खेलने जाएगा। और झगड़ा हो गया, चाकू लग गया तो जिसने चाकू मारा उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन बस्ती के सब लोगों को पकड़कर पिटाई की जाए, औरतों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, यह ऐसी घटना है जिससे दिल्ली की जनता बेचैन है। उसी दिन मैं मामला उठाना चाहता था। लेकिन महोदय, क्षमा करें, इस सदन में इस तरह का महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना भी बड़ा मुश्किल है। हमेशा ही, दिल्ली का मामला जब उठाना चाहते हैं तो सभापति और सभापति के आसन पर जो बैठे हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली में इसलिए विधानसभा नहीं दी गई है, क्योंकि यहां संसद की बैठक होती है। दिल्ली निवासियों का दुखड़ा हम कहां सुनाएं। मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रमेव जयते-भ्रमेव जयते

सभापति महोदय, गृह मंत्रालय की १९८२-८३ की रिपोर्ट मेरे सामने है। रिपोर्ट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि यह भारत की आंतरिक स्थिति के बारे में प्रतिवेदन नहीं है, बल्कि किसी कल्पना-लोक की कहानी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि "विधि व्यवस्था की स्थिति वर्ष के दौरान नियंत्रण में रही।" आगे कहा गया है कि "छात्र मोर्चा सामान्य तौर पर सामान्य रहा।" आगे कहा गया है कि "श्रम मोर्चे पर भी कपड़ा मजदूरों की हड़ताल को छोड़कर कोई असाधारण प्रवृत्ति नजर नहीं आई।" रिपोर्ट के अनुसार "सांप्रदायिक स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही।"

मैं जानना चाहता हूं कि यह किस देश का वर्णन है रिपोर्ट में? क्या यह रिपोर्ट हमारे देश की आंतरिक स्थिति के बारे में है? या यह किसी स्वप्न-संसार का चित्रण है? अगर देश में सब कुछ ठीक है और हमारा घर जैसा होना चाहिए था वैसा ही है, तो फिर चिंता की क्या बात है? लेकिन, चिंता सत्ता-पक्ष के सदस्यों के भाषणों में प्रकट हुई है। चिंता, प्रधानमंत्री के वक्तव्य भी बताते हैं। लेकिन उस चिंता का कोई भी प्रतिबिंब इस रिपोर्ट में नहीं है।

सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया है, "श्रमेव जयते।" मुझे लगता है कि गृह मंत्री का नारा है, "भ्रमेव जयते।" सच्चाई को सदन में रखने की आवश्यकता नहीं है। बिगड़ती हुई परिस्थिति पर पर्दा डालना जरूरी है। मैं नहीं समझता, इस तरह की रिपोर्ट किसी भी उद्देश्य को पूरा कर सकती है।

कौन इन्कार कर सकता है कि पंजाब में परिस्थिति गंभीर है। ४ अप्रैल को १२ स्थानों पर गोली चली, बीसियों व्यक्ति पुलिस की गोली से मारे गए, संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। पंजाब में हिंसा और हत्या का यह सिलसिला लंबे अर्से से चल रहा है। लेकिन, रिपोर्ट में क्या कहा गया है? पंजाब में 'इक्का-दुक्का' घटनाओं को छोड़कर कुल मिलाकर स्थिति शांतिपूर्ण रही। गृह मंत्री महोदय कह सकते हैं कि ४ अप्रैल की घटनाएं तो बाद में हुई हैं। लेकिन, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि पंजाब में अभी तक उग्रवादियों द्वारा ३० से अधिक लोग मारे जा चुके हैं? क्या वे अलग-अलग मारे गए हैं, इसलिए घटना इक्का-दुक्का हो गईं?

मुझे खुशी है कि पंजाब की सरकार ने ४ अप्रैल की घटनाओं की अदालती जांच कराने का

** गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर लोकसभा में ११ अप्रैल, १९८३ को भाषण और वाद-विवाद।*

फैसला कर लिया है। 'सांच को आंच क्या'। अगर, ४ अप्रैल को प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, गोली चलाई, इस तरह के आरोप हैं, तो प्रदर्शनकारियों के काम भी प्रकाश में आ जाएंगे। मेरे मित्र यहां बैठे हैं। श्री हरिकेश बहादुर और श्री भोगेंद्र झा, हम तीनों मिलकर मलेरकोटला और कूप-कलां गए थे। मुझे अफसोस है कि पंजाब की सरकार ने गृह मंत्री को गुमराह कर दिया है। पंजाब सरकार की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्री ने सदन को गुमराह कर दिया। पंजाब की सरकार गृह मंत्री को अंधेरे में रखती है और गृह मंत्री सदन को अंधेरे में रखते हैं। मलेरकोटला में भगदड़ से लोगों की मौतें नहीं हुई हैं। हम लोग अस्पताल में जाकर देखकर आए। मरनेवाले पुलिस की गोली से मरे हैं। चौराहे में भगदड़ के लिए जगह कहां थी? भगदड़ के लिए अवसर कहां था? मलेरकोटला की जनसंख्या कितनी है? उसमें से प्रदर्शन में कितने लोग भाग ले रहे थे? गोली चली तो लोग भागे होंगे। लेकिन, उस भगदड़ में पांच लोग मर गए, यह मनगढ़ंत है। जिन्हें पुलिस की गोली के घाव लगे हैं और जो अस्पताल में पड़े हैं, वे कौन हैं? कूपकलां में पुलिस ने किसानों के ट्रैक्टर जलाए और ट्रालियों को आग लगा दी। साइकिलें वहां अभी तक जली हुई पड़ी हैं। क्या किसान अपने ट्रैक्टरों को खुद आग लगाएंगे? वहां स्टेट बैंक को नहीं लूटा गया। वहां म्यूनिसिपैलिटी के ट्रक खड़े थे, उन्हें दियासलाई नहीं दिखाई गई। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसे नहीं तोड़ा गया। हमें गांववालों ने बताया और हम यह विश्वास करने के लिए तैयार हैं कि पुलिस ने स्वयं अपनी जीप में आग लगा दी, स्वयं चौकी को आग लगा दी।

एक कांग्रेस के उम्मीदवार जो श्री बरनाला के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़े थे, हमसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी आंखों से पुलिस को ट्रैक्टर और ट्रालियों में आग लगाते देखा है। क्या कांग्रेसवाले भी पंजाब में गलतबयानी करने लगे हैं? लेकिन, मुझे संतोष है कि आपने अदालती जांच का आदेश दे दिया है। मैं चाहता हूं कि जांच के टर्म्स ऑफ रेफरेंस कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए। कमीशन अगर इस बात को भी देख सके कि उग्रपंथियों के द्वारा जो लोग मारे गए हैं और हिंसा में संलग्न लोगों को सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही है, तो मैं समझता हूं कि कमीशन की नियुक्ति करने का और भी अधिक उपयोग होगा।

सभापति जी, मैं समझता हूं कि असम की घटनाओं की भी अदालती जांच होनी चाहिए। कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता कि असम में नरसंहार हुआ है, बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। आंदोलनकारी नेताओं ने सभी संसद सदस्यों को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर उन्होंने यह मांग की है कि संसद के सदस्य कत्लेआम के लिए जिम्मेदार ताकतों को बेनकाब करने के लिए जांच की मांग पर जोर दें। मैं जानता हूं असम को लेकर मेरी भी आलोचना होगी। मैं कटघरे में खड़ा होने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे भाषणों से असम में लोग भड़के। हमारे मित्र श्री एफ.एच. मोहसिन यहां नहीं हैं। वह मेरे भाषण का एक हिस्सा जो पत्र में प्रकाशित हुआ है, उसको लेकर यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि १८ तारीख को वाजपेयी का जोरहाट में जो भाषण हुआ, उसकी वजह से १७ तारीख को नेल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। नेल्ली का कत्लेआम १७ को हो गया, जोरहाट में मेरा भाषण १८ को हुआ। मैंने पंजाब और असम की सीमा की परिस्थिति की तुलना की थी¨(व्यवधान)

श्री पी. वेंकटसुबैया : उन्होंने नेल्ली के विषय में चर्चा की।

श्री वाजपेयी : उन्होंने नेल्ली के विषय में चर्चा नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरे नरसंहार का आरोप मुझ पर लगाया है।

श्री पी. वेंकटसुबैया : दुर्दैव जो आपके भाषण में था।

श्री वाजपेयी : मैंने अपना भाषण १८ को दिया। नेल्ली-नरसंहार १७ को हुआ। क्या इसका पूर्व प्रभाव हुआ?

गृह राज्य मंत्री श्री निहार रंजन लस्कर : इसका प्रभाव बाद में भी पड़ा।

श्री वाजपेयी : सभापति महोदय, लड़कों ने एक चुनौती दी है। मैं लड़कों के पत्र का एक हिस्सा पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"चुनाव लादने का परिणाम गांवों के जलने, हजारों जानों के जाने और संपत्ति के लूटे जाने के रूप में आया। जालसाजी की पूरी तैयारी के बाद, नरसंहार को पीछे से बलों द्वारा ढकने के लिए एक सोचा-समझा प्रयास अब किया गया है। हम सरकार को एक चुनौती देते हैं। १० फरवरी, १९८३ तक हिंसा राज्यस्तरीय हिंसा तक सीमित थी और कारण जानने के लिए कोई भी देख सकता है कि ११ फरवरी, १९८३ तक लादे गए चुनावों के लिए केवल तीन दिन बचे हैं, अचानक सामूहिक हिंसा फूट पड़ी। सरकार को ईमानदार, साहसी एवं उच्चस्तरीय खुफिया अधिकारियों का दल भेजना चाहिए तथा इस संदर्भ में विपक्षी दलों को भी सरकार द्वारा विश्वास में लिया जाना चाहिए। दल को चिमेरा की घटना और गोहपुर के हत्याकांड के पीछे की ताकतों को खोज निकालना चाहिए, जिससे ठीक उसी समय नेल्ली एवं अन्य स्थानों पर घटनाएं घटीं। एक बात और, राज्य पुलिस महानिरीक्षक (जांच) को इस जांच में कहीं भी साथ नहीं लिया जाना चाहिए। सचाई को उजागर करने के लिए यह एक पूर्व-शर्त है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक विशेष पार्टी का उम्मीदवार एक चुनाव सभा में एक हाथ में बंदूक एवं दूसरे में माइक पकड़े हुए था और वह ठीक समय पर हथियार उठाने के लिए भीड़ को उकसा रहा था। क्या ११ फरवरी, १९८३ ठीक समय था? गनी खान चौधरी ने विदेशियों से एक 'नया' असम बनाने का आग्रह किया है। क्या ११ फरवरी, १९८३ इस प्रक्रिया की शुरुआत है?

हमने केंद्रीय सरकार को एक चुनौती दी है। क्या रिकार्ड ठीक करने के लिए यह स्वीकार की जाएगी? केंद्र सरकार और चुनावों में भाग ले रही राजनैतिक 'पार्टियों' को ऐसी जांच करवाने का कोई विरोध नहीं करना चाहिए, यदि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके हाथ साफ हैं।"

सभापति महोदय, असम में ज्यादा से ज्यादा हिस्से फौज के हवाले किए जा रहे हैं। लेकिन शांति नहीं है। आंदोलनकारी नेताओं ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है। आंदोलन को स्थगित करने का जैसा स्वागत सरकार की ओर से होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ है। वह आंदोलन करें तब भी बुरे, यदि आंदोलन स्थगित करें तब भी वह बुरे हैं। मेरे मित्र श्री चित्त बसु मांग कर रहे हैं कि आंदोलनकारी नेताओं को वह दर्जा न दिया जाए, जो उन्हें दिया गया था। कौन सा दर्जा दिया गया था?

श्री चित्त बसु : रैस्पेक्टिबिलिटी।

श्री वाजपेयी : रैस्पैक्टेबिलिटी उन्हें मिलनी चाहिए।

श्री चित्त बसु : क्यों?

श्री वाजपेयी : यह तो हमारी राय है। जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे आप बात नहीं करेंगे?

मैं श्री संतोष मोहन देव के दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं कि आंदोलनकारी नेताओं से बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान सरकार के चलते असम में सामान्य स्थिति कायम नहीं हो सकती। मेरा निवेदन है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव इन्क्वायरी आर्डर की गई है, वह

पर्याप्त नहीं है। सारे असम के घटनाचक्र की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के किसी जज की अध्यक्षता में एक कमीशन बनना चाहिए।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : ठीक बात है।

श्री वाजपेयी : सांच को आंच क्या? हम जांच के लिए तैयार हैं। मेरे पास श्री अब्दुल गनी खान चौधरी के भाषण का एक टेप मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारा एक आदमी मारा जाएगा तो हम दो आदमी मारेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : मेरे पास भी आपके भाषणों के टेप हैं।

श्री वाजपेयी : सारे टेप कमीशन के सामने रख दो।

श्री इरा अनबरसु (चेंगलपट्टी) : आपके वक्तव्य का क्या हुआ, जब आपने कहा, 'ब्रह्मपुत्र में रक्त बहने दो!'

श्री वाजपेयी : मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने खंडन किया था। लेकिन श्री गनी खान चौधरी ने आरोप का खंडन नहीं किया। आरोप राज्यसभा में लगाया गया था।

प्रो. के.के. तिवारी (बक्सर) : उन्होंने भी खंडन किया है।

श्री वाजपेयी : उन्होंने खंडन नहीं किया है।

श्री इरा अनबरसु : यदि उन्होंने ऐसा कहा था, केवल उन लोगों को भगाने के लिए जो वहां हिंसा पैदा कर रहे थे।

श्री वाजपेयी : अब आप उनके वक्तव्य को सही कर रहे हैं।···(व्यवधान)

देश के सामने आज जैसा संकट है, वैसा पिछले ३५-३६ साल में पहले कभी नहीं था।

संकट केवल यह नहीं है कि न्यायपालिका की निष्पक्षता पर आंच आ रही है, प्रेस की स्वाधीनता को अवरुद्ध करने की कोशिश की जा रही है, संसद का अवमूल्यन कर दिया गया है, राज्यपाल केंद्र के हाथ की कठपुतली मात्र बनकर रह गए हैं। यह सरकार राज्यपालों के लिए किसी तरह की गाइड-लाइन तय करने में रुचि नहीं रखती। अगर गवर्नरों के लिए गाइड लाइन तय हो जाएगी तो गवर्नर सत्तारूढ़ दल के स्वार्थों का संवर्धन कैसे कर सकते हैं? इसलिए डिस्क्रीशन के नाम पर उन्हें मनमानी करने की छूट दो। मनमानी हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो सत्तारूढ़ दल के पक्ष में जाए, लाभ में जाए।

संकट केवल यह नहीं है कि आज सारी सत्ता दिल्ली में ही केंद्रित हो गई है और दिल्ली में एक परिवार के हाथों में केंद्रित हो गई है । संकट केवल यह नहीं है कि भ्रष्टाचार ने संस्थागत रूप ले लिया है।

ये संकट तो अपनी जगह हैं ही, इनके बारे में तो हमें गहराई से सोचना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा संकट यह है कि लोग भविष्य में अपना विश्वास खो रहे हैं, आनेवाले कल में उनकी आस्था डिग रही है, आशा के फूल मुरझा रहे हैं। निराशा, अविश्वास, आशंका, संदेह, भय दिल में डेरा जमा रहे हैं। क्या व्यक्ति, क्या समूह, क्या मैजारिटी, क्या माइनौरिटी, सब चिंताग्रस्त हैं। सबको लग रहा है कि सब बड़ी मुसीबत में हैं।

मैं इस बात को कुछ और स्पष्ट करना चाहूंगा। उस दिन श्री रामविलास पासवान बोल रहे थे। हरिजन और वनवासियों की वेदना को प्रकट करते समय उन्होंने ऐसी बातें कहीं, जो किसी भी हृदय को छू सकती हैं। लेकिन क्या यह विचित्र बात नहीं है कि बड़ी जातियों में, ऊंची जातियों में, सवर्णों में एक वर्ग ऐसा उभर रहा है, जो कह रहा है कि वनवासियों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स

को, शिड्यूल्ड ट्राइब्ज को कब तक सुविधाएं मिलेंगी? यह वर्ग केवल उभर नहीं रहा, मुखर हो रहा है।

श्री के.के. तिवारी : आपकी पार्टी का वर्ग है।

श्री वाजपेयी : सब हमारी पार्टी में हैं। सब अच्छे लोग उधर बैठे हैं, तो यह गड़बड़ क्यों हो रही है?...(व्यवधान)

तिवारी जी, मामला इतना सरल होता तो आप हल कर लेते। यह मामला पेचीदा है। अब आप टोका-टाकी मत कीजिए। जरा ध्यान से सुनिए।

मैं आरक्षण का पक्षधर रहा हूं

सभापति महोदय, आपको याद होगा कि गुजरात में मेडीकल कालेजों में आरक्षण के सवाल पर एक बड़ा आंदोलन हुआ था। मेरी आवाज आरक्षण के पक्ष में उठी थी—अलोकप्रियता मोल लेकर भी उठी थी। लेकिन जो डाक्टर मुझे मिलने के लिए आए, उन्होंने कहा कि अगर हमारे पुरखों ने कोई पाप किया है, तो हम उसकी सजा कब तक भुगतेंगे। आज परिगणित जातिवाले खिन्न हैं, परिगणित जनजातिवाले भी खिन्न हैं और सवर्णों को भी शिकायत हो रही है। आज हम एक विचित्र परिस्थिति में उलझ गए हैं।

सांप्रदायिक स्थिति इतनी बिगड़ गई है, मगर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट उसको भी कम बताने की कोशिश कर रही है। संसद के ४५ सदस्यों ने प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन में चेतावनी दी है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक, मुस्लिम माइनारिटी, प्रशासन की तटस्थता, इंपार्शियलिटी में अपना विश्वास खो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि उस पर जुल्म हो रहा है और उसको हमलावर, बागी और गद्दार के रूप में पेश किया जा रहा है।

"आज पीड़ितों को आक्रमणकारियों की तरह और विद्रोहियों की तरह तथा देशद्रोहियों की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है।"

अलग-अलग दलों के ४५ सदस्यों का किसी सवाल पर एक जगह आना एक महत्वपूर्ण घटना है। मुझे यह शिकायत जरूर है कि अगर मुसलमान संप्रदाय या मुस्लिम समुदाय की कोई शिकायतें हों, तो उन्हें सरकार के सामने रखने के लिए सब मुस्लिम सदस्यों का इकट्ठा होना जरूरी नहीं है। मुस्लिम सदस्य जिन पार्टियों में हों, क्या वे पार्टियां मुसलमानों के उचित हितों के लिए नहीं लड़ सकतीं? अगर मुसलमानों के सवाल पर मुसलमान संसद सदस्य इकट्ठा होंगे, तो क्या कल हिंदुओं के सवाल पर हिंदू सदस्य इकट्ठा नहीं होने लगेंगे? क्या इस देश में हिंदुओं को शिकायत नहीं है? क्या जम्मू-काश्मीर में हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है?

श्री मनीराम बागड़ी : पंजाब में भी।

श्री वाजपेयी : पंजाब में भी आज हिंदू दुखी हैं । क्या इसका तरीका यह होगा कि यह बताने के लिए कि हिंदुओं की भी शिकायतें हैं, हिंदू संसद सदस्य इकट्ठा हो जाएं?

मैंने वह मेमोरेंडम देखा है, जो ४५ संसद सदस्यों ने दिया है। उसमें कुछ बातें बहुत अच्छी दी गई हैं। उदाहरण के लिए कहा गया है कि अगर चौबीस घंटे में सांप्रदायिक दंगा बंद न हो तो कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। दंगा कोई भी करे, वह हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसको दृढ़ता से दबाना होगा। मुसलमानों का—मुसलमानों के एक वर्ग का—यह ख्याल है कि भारत में उसका कोई भविष्य नहीं है। दूसरी ओर हिंदुओं के एक वर्ग को लग रहा है कि मुसलमान फिर गलत रास्ते पर जा

रहे हैं—१९४७ के पूर्व का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। खाई बढ़ रही है। दोनों बातें तो सच नहीं हो सकतीं। मगर दोनों बातों पर विश्वास करनेवाले संख्या में बढ़ रहे हैं। यह किसकी विफलता है।

श्री मनीराम बागड़ी : सरकार की।

श्री वाजपेयी : उस दिन अध्यक्ष महोदय सदन में कह रहे थे कि हिंदू और सिख एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। आज दोनों शाखाओं में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। पंजाब में बहुत से हिंदू समझते हैं कि उनको धक्केशाही का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि सिखों के एक बड़े वर्ग का ख्याल है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।

फौज को फौज रहने दें

यह विश्वास का संकट कितना गहरा हो रहा है, इसका पता इस बात से लगता है कि सिक्यूरिटी फोर्सेज के बारे में भी अविश्वास की भावना जग रही है। मेरठ में पी.ए.सी. के व्यवहार के बारे में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मैं नहीं जानता कि उनमें कहां तक सच्चाई है, लेकिन मेरठ के मुसलमान मांग करते हैं कि हम पी.ए.सी. नहीं चाहते, यहां पर बोर्डर सिक्यूरिटी फोर्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस तैनात की जाए। पंजाब में अकाली मांग कर रहे हैं कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस को वहां से हटाओ। दूसरी ओर वहां पर हिंदू मांग कर रहे हैं कि हमें पंजाब की कांस्टेबुलरी पर भरोसा नहीं है।

असम में असम की पुलिस से बंगलाभाषी और बंगला देश से आए अन्य लोगों को शिकायत है जब कि असम में रहनेवाले पुराने लोगों को, जिन्हें असमिया कहा जाता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस से शिकायत है। असम में अभी सेंट्रल रिजर्व पुलिस और असम पुलिस में मुठभेड़ हो गई और लोग मारे गए। गनीमत है कि अभी तक फौज पर सबका भरोसा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह बार-बार फौज को सीमा की रक्षा के काम से हटाकर कानून और व्यवस्था बनाए रखने के काम में न लगाए। फौज की प्रतिष्ठा कायम रहनी चाहिए। लेकिन अगर आप बराबर उसका उपयोग करेंगे कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के काम में, तो एक दिन फौज भी आलोचना का निशाना बन जाएगी।

जिस राष्ट्रीय संकट की मैंने चर्चा की, उसके कुछ और भी उदाहरण हैं। केंद्र में बैठे हुए लोग यह समझ रहे हैं कि आज केंद्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और इसके विपरीत राज्य यह समझ रहे हैं कि उन्हें कम्यूनिसिपैलिटी बना दिया गया है। सत्तारूढ़ दल यह समझता है कि विरोधी दल का काम केवल आलोचना करना है और सरकार के काम में रोड़ें अटकाना है। विरोधी दल यह समझता है कि सरकार उनका आदर करना तो दूर रहा, उन्हें हर मामले में विश्वास में लेकर समस्याएं हल करने के लिए ठोस सहयोग के पक्ष में भी नहीं है।

आज किसी एक वर्ग का सवाल नहीं है, किसी एक दल का सवाल नहीं है, बल्कि बुनियादी सवाल है कि इस बढ़ते हुए अविश्वास के राष्ट्रीय संकट को कैसे दूर किया जाए? हिंदू और मुसलमान, हिंदू और सिख, सवर्ण और परिगणित जातियों के लोग, वनवासी और मैदानी इलाके के लोग, सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष—इनके बीच में बढ़ती हुई दरार को कैसे रोका जाए? गृह मंत्रालय पर गृह की जिम्मेदारी है। बिना अपने घर को ठीक किए हम आर्थिक प्रगति में तेजी नहीं ला सकते और न विश्व में अपना सम्मान ही बनाए रख सकते हैं। अभी तक जिन बातों को लेकर गृह-

कलह होती थी अब उनसे गृहदाह की नौबत आ गई है, किंतु गृह मंत्रालय नार्थ ब्लाक में निश्चिंत पड़ा है।...(व्यवधान)

आपने बहुत गलत मौके पर घंटी बजाई है। मैं तो अनुदान की मांगों की मंजूरी की बात करने जा रहा था, अब विरोध करना पड़ेगा। स्थिति यह है कि भगवान आसमान में, सब कुछ नियंत्रण की स्थिति हिंदुस्तान में और गृह मंत्री की रुचि अनुदान में। मैं पूछना चाहता हूं इस देश का क्या होगा?

कोड ऑफ एथिक्स

राष्ट्रीय एकात्मता परिषद की एक कमेटी बनी है जो कोड ऑफ एथिक्स बनाने जा रही है। राजनीतिक दल जरा अपने गरेबान में भी मुंह डालकर देखें। मुसलमानों के एक वर्ग ने फैसला किया कि मुल्क और मिल्लत को बचाने के लिए तहरीक की जाएगी और उसके नेता जनरल शाह नवाज खां ने प्रधानमंत्री से पत्र-व्यवहार किया। उस पत्र-व्यवहार में प्रधानमंत्री की कौन सी भावनाएं प्रकाश में आईं? मुल्क और मिल्लत की तहरीक इसलिए गलत नहीं है कि अगर एक संप्रदाय इकट्ठा होकर अपने संप्रदाय से संबंधित मांगों के लिए लड़ेगा तो फिर उससे दूसरे संप्रदाय में भी प्रतिक्रिया हो सकती है—इसलिए यह गलत नहीं है, बल्कि यह गलत इसलिए है कि उसका फायदा बी.जे.पी. उठाएगी। मैं प्रधानमंत्री के पत्र का एक अंश पढ़ना चाहता हूं :

"कोई भी सत्याग्रह, किसी भी तरह का और आपके विचारानुसार कितना भी शांतिपूर्ण हो, कांग्रेस पर सीधी चोट की तरह लिया जाएगा। बंगाल और त्रिपुरा में हमारे मुख्य विरोधी मार्क्सवादी हैं। लेकिन शेष भारत में यदि हम कमजोर होते हैं तो केवल जनसंघ, अब भाजपा, को लाभ होगा। क्या आप भाजपा एवं आर.एस.एस. के विचारों को नहीं जानते?"

मुसलमानों को शिकायतें हैं, उनकी बात मत करो। मुसलमान न्याय के लिए आवाज न उठाएं। यह नहीं कहा कि आपकी शिकायतों में कुछ गलत हैं, कुछ सही हैं। गलत शिकायतें आप दोहराइए मत, सही शिकायतों को दूर करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं।...(व्यवधान)

सभापति जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने यह पत्र नहीं लिखा है, तो मुझे बड़ी खुशी है। प्रधानमंत्री का पत्र मेरे पास तो नहीं है। सभापति जी, ४५ मुस्लिम सदस्यों ने एक मेमोरेंडम दिया है, वह भी मेरे पास नहीं है। मगर वह पूरा का पूरा अखबार में छपा हुआ है—उसको क्या उद्धृत नहीं किया जा सकता? यदि मैं आउट ऑफ कंटेंट्स में कोट कर रहा हूं तो आप उसको सही कंटेंट्स में रख दीजिए।

प्रो. के.के. तिवारी : मैं यह कर सकता हूं।

श्री वाजपेयी : गृह मंत्री महोदय कापी ला सकते हैं। मेरा निवेदन है कि सांप्रदायिकता से लड़ने का तरीका दूसरी सांप्रदायिकता को जगाना नहीं है। सांप्रदायिकता से लड़ा जा सकता है तो राष्ट्रवाद के आधार पर लड़ा जा सकता है और सेक्यूलरवाद के आधार पर लड़ा जा सकता है। हमारी निष्ठा ऐसी व्यवस्था में है जिसमें मजहब के आधार पर न तो भेदभाव किया जाएगा और न पक्षपात किया जाएगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : (भीलवाड़ा) : कब से हो गई आपकी ऐसी नीति?

श्री वाजपेयी : जब से आपको राजस्थान से दिल्ली भेज दिया गया।

सभापति जी, मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं—भ्रष्टाचार। इसकी बहुत चर्चा हो रही है।

अब तो सरकार भी मानने लगी है कि भ्रष्टाचार है। केवल यह कहकर इसे खत्म नहीं किया जा सकता कि यह ग्लोबल फिनोमिनन है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो लोकपाल बिल था—उसका क्या हुआ? लोकपाल बिल को लाने के लिए सरकार बंधी हुई है। १९६८ में लोकपाल विधेयक लाया गया था। बाद में लोकसभा भंग हो गई, तो वह विधेयक भी समाप्त हो गया। १९७१ में फिर लोकपाल बिल लाया गया, लेकिन वह १९७७ तक लटकता रहा। जनता सरकार ने जरूर कोशिश की थी कि उसको जल्दी से जल्दी और ईमानदारी से पास कर दिया जाए, लेकिनं वह सरकार ही टूट गई।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जनता सरकार की कोई कोशिश नहीं थी।

श्री वाजपेयी : अब इस सरकार को आए हुए तीन साल हो गए, वह लोकपाल बिल कहां है? कर्मचारियों के लिए विजिलेंस कमीशन बना हुआ है। विजिलेंस कमीशन की हर वर्ष की रिपोर्ट मेरे पास है। जब विजिलेंस कमीशन के बारे में पार्लियामेंट के सामने बिल आया तो उस समय के गृह मंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा ने कहा था—जो विजिलेंस कमिश्नर बनेगा, उसे बाद में रिटायर होने के बाद किसी सरकारी पद पर नहीं रखा जाएगा। लेकिन श्री सुबीमल दत्त बंगला देश के हाई कमिश्नर बना दिए गए। श्री आर.के. त्रिवेदी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिए गए। विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट सदन में चर्चा का विषय नहीं बनती। विजिलेंस कमीशन सेवाओं में फैले हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। कई महत्वपूर्ण मामलों में सरकार ने विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट को नहीं माना। विजिलेंस कमीशन ने कहा कि अफसरों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। कमीशन को लिखा कि सिफारिश बदल दीजिए। कमीशन ने फिर उन्हीं सिफारिशों को दोहराया, मामला टाल दिया गया, कार्यवाही खत्म कर दी गई।

हरिजनों को गाली तो मत दो

उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में सत्तारूढ़ दल के अनेक सदस्यों ने विरोधी दलों से सहयोग की बात कही है। सहयोग के साथ आरोप भी लगाए हैं।

गुजरात में जब आरक्षण का आंदोलन हुआ और आंदोलनकारी सड़कों पर निकल आए, सारे समाज की एकात्मता के लिए खतरा पैदा हुआ, तो क्या इस सदन में विरोधी दलों ने सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित नहीं किया?

अगर हम चाहते तो आरक्षण पर होनेवाले आंदोलन का दलगत लाभ के लिए प्रयोग कर सकते थे।···(व्यवधान) श्री मनीराम बागड़ी विरोध में किसी से कम नहीं हैं, मगर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने का सुझाव श्री मनीराम बागड़ी की ओर से ही आया था। जो सबसे उग्र विरोधी हैं, उनका भी दृष्टिकोण रचनात्मक है, इस पर जोर देने के लिए मैं यह कह रहा हूं।

असम में विदेशियों के सवाल को हल करने के लिए विरोधी दल त्रिपक्षीय वार्ता में बैठे हैं। आप शासन में हैं, सिरदर्द आपका है, असम में आग लगती है, तो लगे। मगर हम यह रवैया नहीं अपना सकते। हमें चिंता है, और इसीलिए इस समस्या का एक संतोषजनक हल निकालने के लिए विरोधी दल अपना सहयोग दे रहे हैं।

राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने के लिए सबके सम्मिलित प्रयत्न हों, यह आवश्यक है। मगर इसके लिए वातावरण कहां है? क्या प्रधानमंत्री के लिए यह जरूरी था कि अपने नए बीस-सूत्री कार्यक्रम को देश के सामने रखते हुए वह जनता सरकार की उपलब्धियों को घटाकर बताने की कोशिश करतीं? उन्होंने यहां तक कह दिया कि जनता सरकार के दो सालों में देश बिखरनेवाला था। जनता सरकार के दो सालों में खालिस्तान का नारा नहीं लगा था। उन दो सालों में मीनाक्षीपुरम् का कांड नहीं हुआ था।

श्री माधव राव सिंधिया : उस वक्त रैसपांसिबल अपोजीशन था।

श्री वाजपेयी : कैसा रैसपांसिबल अपोजीशन था, इसका भी हमें पता है। सरकारी पार्टी वहां पर अपोजीशन में है, वहां वह किस तरह रैसपांसिबल तरीके से व्यवहार कर रही है, यह भी हम देख रहे हैं।

---

* गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर लोकसभा में २४ मार्च, १९८२ को चर्चा के दौरान भाषण।

व्यवहार के मानदंड अलग-अलग नहीं हो सकते। अभी जम्मू-काश्मीर की चर्चा हो रही थी। लद्दाख और जम्मू के साथ जो भेदभाव हुआ है, उसके विरुद्ध हम भी आवाज उठाते रहे हैं। मगर क्या लद्दाख और किश्तवाड़ में हिंसात्मक आंदोलन को उभाड़ा जाएगा? कलकत्ता में सूचना मंत्रालय ने फिल्मोत्सव का आयोजन किया, मगर नेताजी सदन में हुल्लड़ मचाने के लिए सत्तारूढ़ दल का एक नौजवान दल उठा था। अगर हम ऐसा करते, तो हम ध्वंसात्मक हैं, हमारा लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। मगर लद्दाख में सरकारी दफ्तरों में आग लगेगी, कलकत्ता में बसें जलाई जाएंगी, क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ने के कारण किराए बढ़ाए गए, फिल्मोत्सव में आपके समर्थक नौजवान हुल्लड़ करेंगे, तब कोई उसकी निंदा भी नहीं करेगा।

१९४७ के बाद इस देश में लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हमने एक नेशनल कॉन्सेंसस इंवाल्व किया था। उस कॉन्सेंसस ने आज तक देश को एक रखा है। मुझे दुख है कि वह आम सहमति टूट रही है। दलित वर्ग आज अन्याय के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। मैं अपने हरिजन भाइयों की पीड़ा समझता हूं। मीनाक्षीपुरम् में उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमें जमीन नहीं दिला सकते, नौकरी नहीं दिला सकते, मगर कम से कम हमें गाली देकर बुलाना तो बंद कर दें। आज हम उन्हें गाली देकर बुलाना भी बंद नहीं कर सके हैं।

जनता पार्टी के राज्य में हरिजन भाइयों पर ज्यादतियां होती थीं, तो वे ज्यादतियां थीं। क्या आज वे ज्यादतियां नहीं हैं? क्या उस समय आपने उन ज्यादतियों से लाभ उठाने की कोशिश नहीं की? बेलछी और नारायणपुर की घटनाओं को लेकर आपने विरोधी दल की सरकारों को कठघरे में खड़ा कर दिया था। प्रधानमंत्री स्वयं नारायणपुर गई थीं। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि उत्तर प्रदेश में विरोधी दल की सरकार है, क्या आप राजनैतिक फायदा उठाने के लिए आई हैं?

प्रधानमंत्री का जवाब था—अगर हमारे विरोधी गलती करें तो हम फायदा क्यों न उठाएं। अब स्थिति बदल गई है।

कन्याकुमारी : खतरे की घंटी

मैं फिर कहना चाहता हूं कि हरिजन और वनवासियों के साथ न्याय के सवाल पर एक राष्ट्रीय मतैक्य की आवश्यकता है। गृह मंत्री नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल की बैठक इसी सवाल पर विचार करने के लिए बुलाएं। एक समयबद्ध कार्यक्रम तय किया जाना चाहिए। अभी वेंकटसुब्बैया जी नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल की चर्चा कर रहे थे। कब से उसकी बैठक नहीं हुई है? उसे बना दिया और अलमारी में सजा दिया। एक कमेटी ऑन कम्युनलिज्म बनाई गई है।⋯(व्यवधान) उसमें मैं नहीं हूं, चंद्रशेखर जी भी नहीं हैं। विरोधी दल से लिया गया था चह्वाण साहब को। अगर मैं गलती नहीं करता तो उस कमेटी ने क्या किया है? आंकड़े देकर आप सिद्ध कर सकते हैं कि सांप्रदायिक घटनाएं कम हो गई हैं, लेकिन कन्याकुमारी में जो कुछ हुआ है, वह खतरे की घंटी है। अभी तक देश के किसी भाग में ईसाई और हिंदुओं के बीच में इस तरह की कटुता पैदा नहीं हुई थी। मैं आरोप नहीं लगा रहा और प्रत्यारोप से इसका जवाब नहीं मिलेगा। आज किसी व्यक्ति का भविष्य दांव पर नहीं लगा है, किसी दल की तकदीर आज तय होने नहीं जा रही है, अगर कोई चीज दांव पर है तो देश की एकता और देश की अखंडता दांव पर है, देश की एकता और देश की अखंडता कैसे बचेगी?

सभापति जी, मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर एक ब्राड नेशनल कॉन्सेंसस इन्वाल्व करने की कोशिश होनी चाहिए। मगर इसके लिए जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी मर्यादा की रक्षा करनी होगी। राज्यपाल हमेशा ऐसे फैसले करें जो सत्तारूढ़ दल के हक में जाएं तो राज्यपाल की संस्था का सम्मान आप बनाए नहीं रख सकते। केरल में क्या हुआ और असम में क्या हुआ? असम की विधानसभा आपने भंग कर दी। मुझे भविष्य के लिए चिंता हो रही है। अब असम में आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। इसलिए अभी तक असम में विधानसभा को सस्पेंड किया जाता था, भंग नहीं किया जाता था। अभी वहां विदेशियों का सवाल तय नहीं हुआ है, लेकिन राज्यसभा में कहीं विरोधी दल का एक सदस्य न आ जाए इसलिए विधानसभा तोड़ दी। केरल की विधानसभा भी अभी कुछ दिन रह सकती थी। राज्यसभा के एक-एक सदस्य के लिए जो लड़ाई हो रही है, उसी से मेरे मन में आशंका पैदा हुई है कि कहीं संविधान के बुनियादी परिवर्तन की योजना तो नहीं बन रही? गृह मंत्री इसका खंडन करें।

मेरा निवेदन है कि पहले भी एक गवर्नर्स के सम्मेलन में राज्यपालों के लिए आचार-संहिता बनाने की बात कही गई थी। आप कह सकते हैं कि आप सरकार में थे तब यह क्यों नहीं किया, लेकिन हमें लोगों ने इसीलिए हटाया है कि आप हमसे कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। हम दल-बदल करने की बात कर रहे थे इसीलिए कानून नहीं बना, लेकिन आपको क्या आपत्ति है? मैं गोवा गया था। गोवा में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस (आई) का कोई प्रतिनिधि नहीं चुना गया था, सभी कांग्रेस (यू) के चुने गए थे और अब वहां पर सरकार है कांग्रेस (आई) की। रातों-रात उसका पुनर्जन्म हो गया। अगर गोवा में आपकी सरकार न होती तो क्या आसमान टूट जाता? मगर नहीं, एक असहिष्णुता की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। विरोधी दलों का सहयोग चाहते हैं, मगर चुनाव के लिए तैयार नहीं। मुझे दुख है, वेंकटसुब्बैया साहब ने दिल्ली के बारे में जो कुछ कहा है, दो साल हो गए यहां मेट्रोपोलिटन कौंसिल नहीं है, म्युनिसिपल कार्पोरेशन नहीं है।

दिल्ली का हाल बेहाल

सरकारी अफसर दिल्ली की जनता की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। कोई दुखड़ा सुनने वाला नहीं है। कहां जाएं, किससे आपबीती कहें। आज कहा जा रहा है कि दिल्ली के ढांचे के बारे में हमें नए सिरे से विचार करना होगा। दो साल तक विचार की प्रक्रिया क्यों बंद पड़ी थी? विचार चलने दीजिए और चुनाव भी कराइए। विशेषज्ञ समिति बन रही है, मगर उसकी टर्म्स ऑफ रिफ्रेंस क्लीयर नहीं है। श्री टाइटलर कह रहे थे कि हमने वायदा किया है कि हम असेंबली बनाएंगे—वायदा किया है तो पूरा करिए। वायदा किया है तो निभाना पड़ेगा। मगर विशेषज्ञ समिति के सामने कोई रिपोर्ट दाखिल करने की सीमा-रेखा तय नहीं की गई, समय-रेखा तय नहीं की गई।

कब तक विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट देगी? पुरानी दिल्ली के लिए आप कमेटी बना रहे हैं और बाकी दिल्ली के लिए? मैं भी दिल्ली से चुनकर आया हूं। मगर संसद सदस्य के नाते मुझे भी विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। उपराज्यपाल कांग्रेस पार्टी के पार्लियामेंट के मेंबरों को साथ लेकर इलाके का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उपराज्यपाल मेरे साथ नहीं आएंगे।

सभापति महोदय, दिल्ली का हाल क्या है? दिल्ली में बस सर्विस घाटे में चल रही है। १९७९-८० में १७ करोड़ रु. का घाटा हो गया, १९८१-८२ में ६० करोड़ रुपए का घाटा, जबकि बसें २,६२६ हैं, जिनकी कुल कीमत ४० करोड़ रुपए है और घाटा हो रहा है ६० करोड़ रु. का।

फिर भी यात्रियों को सुविधा नहीं है।

डेसू की क्या हालत है? १९७८ में जनरेशन में डेसू का हिंदुस्तान में दूसरा नंबर था। २०० मैगावाट एवरेज पर-डे, लेकिन अब १५० रह गया है। घाटा १९७९-८० में १३ करोड़ रुपया, १९८०-८१ में ३८ करोड़ रुपए, १९८१-८२ में ५० करोड़ रुपए। जून, १९८० से डेसू का कोई जनरल मैनेजर नहीं है। उस दिन मेरे मित्र श्री भगत जी ने यह सवाल उठाया था। दिल्ली केंद्र के अधीन है। दिल्ली में विधानसभा नहीं है। दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथारिटीज हैं। पार्लियामेंट में दिल्ली के मामले प्रतिबिंबित नहीं हो सकते हैं। एक जनरल मैनेजर नियुक्त करने में आप क्यों देरी कर रहे हैं? मगर दिल्ली की चिंता किसको है।

नतीजा यह है कि दिल्ली का राशन कम कर दिया गया है। १९७८ में २० किलो गेहूं पर-हैड मिलता था, १९८० में १२ किलो रह गया और १९८२ में १० किलो रह गया। मजदूरों को खाने के लिए गेहूं चाहिए, लेकिन मजदूरों को चावल दिया जा रहा है। कर्नाटक से शिकायत आ रही है कि वहां लोग चावल मांगते हैं, लेकिन गेहूं दिया जा रहा है। सरकार दावा करती है कि रिकार्ड प्रोडक्शन है, तो फिर राशन को कम करने की क्या जरूरत है?

मैंने सुना है कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह रिपोर्ट भेजी है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए अभी चुनाव नहीं कराए जा सकते। मैं चाहता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की रिपोर्ट को सदन के टेबल पर रखा जाए। दिल्ली में चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं? क्या इसलिए कि आपको पराजय की आशंका है?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह : हमारी जीत होगी।

श्री वाजपेयी : तो करा लो।

गढ़वाल में चुनाव नहीं होंगे। असम की १२ लोकसभा की सीटें खाली हैं। असम के मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि को निर्वाचित करने का मौका नहीं मिलेगा। चुनाव जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तथा पश्चिम बंगाल में होने हैं। सभापति महोदय, ये जानते हैं कि इन राज्यों में हालत अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए कर्नाटक को भी नत्थी किया जा रहा है और आंध्र में भी चुनाव की चर्चा चल पड़ी है।

श्री वेंकटसुब्बैया जब बोल रहे थे तो मैंने उन्हें टोका था। वे भी मुख्यमंत्री बनकर आंध्र जाना चाहते थे, हमारे साथी अंजैया साहब थे, केंद्र में भले थे, राज्य मंत्री थे, जब आंध्र जाने लगे तो मैंने पूछा, "आंध्र क्यों जा रहे हो?" कहने लगे, "हमारी तरक्की हो गई है।"

एक माननीय सदस्य : आपकी नजर लग गई।

श्री वाजपेयी : उस दिन मैंने कहा—तरक्की नहीं, टरक्की हो रही है।

उनको किस तरह से निकाल दिया गया? मुख्यमंत्री के पद की गरिमा नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री आपके ही दल का होगा, लेकिन मुख्यमंत्री को बेइज्जत करने में आप अगर अपने अधिकार का उपयोग करेंगे तो मुख्यमंत्री की संस्था को दुर्बल करेंगे। उन्हें हटाने का और भी तरीका हो सकता था। आंध्र की एक सभा में मैंने भाषण में कह दिया कि मुख्यमंत्री को चपरासी की तरह से हटाया जा रहा है। तो एक चपरासी ने मुझे प्रोटेस्ट-लैटर लिखा। उसने कहा—आप हमारी तुलना मुख्यमंत्री से कैसे कर रहे हैं? हम परमानेंट हैं, मुख्यमंत्री टेंपरेरी हैं। हमें कोई बिना-शो-कॉज-नोटिस के नहीं निकाल सकता। मुझे माफी मांगनी पड़ी। सामाजिक रूप से मैंने कहा—"मैंने चपरासियों का अपमान किया है, मैं माफी मांगता हूं।"

भ्रष्टाचार की बड़ी चर्चा हो रही है। जो सत्ता में हैं उन्हें जवाबदेह होना है। अंतुले को तब तक नहीं हटाया गया, जब अंतुले का मामला सदन में आया, अदालत ने अंतुले को हटाया। लेकिन भ्रष्टाचार केवल कानूनी मुद्दा नहीं है, उसका एक नैतिक पहलू भी है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और वहां की सरकारों के खिलाफ राष्ट्रपति और राज्यपालों को भ्रष्टाचार के अभियोग-पत्र दिए जा रहे हैं। मगर उन अभियोग-पत्रों के साथ केंद्र में क्या खिलवाड़ हो रहा है—इसका मैं एक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं।

विधायकों के सरकार पर आरोप

९ दिसंबर, १९८१ को एक अन-स्टार्स क्वेश्चन था, जिसका श्री वेंकटसुब्बैया ने जवाब दिया। वह मध्य प्रदेश के विधायकों द्वारा वहां की सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में था। श्री वेंकटसुब्बैया ने कहा :

"श्री सुंदरलाल पटवा तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में दिए गए आरोपों को निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा गया था, जो कुछ दिन पहले प्राप्त हो गई है और उनकी जांच की जा रही है।"

यह ९ दिसंबर, १९८१ का श्री वेंकटसुब्बैया का जवाब है। मगर ८ दिसंबर, १९८१ को गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह मध्य प्रदेश के दौरे पर गए। उनसे हवाई अड्डे पर किसी ने सवाल पूछा। सवाल यह था—"उस आरोप-पत्र का क्या हुआ?" ज्ञानी जी ने जो जवाब दिया, वह ऑल इंडिया रेडियो ने रिपोर्ट किया है, मैं बुलेटिन को उद्धृत कर रहा हूं :

"केंद्रीय गृह मंत्री श्री जैल सिंह ने खंडवा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए एक प्रश्न के उत्तर में कहा—प्रतिपक्ष द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह तथा उनकी सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए गए थे वे सब आरोप गलत और निराधार पाए गए।"

यह गृह मंत्री का जवाब है। ८ दिसंबर को यह रेडियो में आया कि ७ दिसंबर को उन्होंने खंडवा में यह जवाब दिया है और ९ दिसंबर को उनके ही सहयोगी, मगर कनिष्ठ सहयोगी, सदन में कहते हैं कि जांच जारी है। भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी का घरेलू मामला नहीं है।

कल बिहार के मंत्रिमंडल के खिलाफ एक लाख लोगों ने राज्यपाल के पास जाकर एक ज्ञापन दिया है। बिहार में ऐसे मुख्यमत्री हैं, जिन्होंने अपने खिलाफ अपने ही आदेश से मुकदमा वापस ले लिया है। उन पर जालसाजी का आरोप है। कौन जांच करेगा, मैं जानना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि एक सर्वसम्मत प्रक्रिया तय कर लीजिए जो सब दलों पर लागू होगी, सब समय के लिए होगी। यह खेल अब बहुत चल चुका है कि जब हम प्रतिपक्ष में थे, तब हम कुछ कहें और अब सत्ता में हैं तो कुछ कहें। आप भी प्रतिपक्ष में रह चुके हैं और फिर आ सकते हैं। कई प्रदेशों में आप आज भी प्रतिपक्ष में हैं। मगर लोकतंत्र को बचाना है तो पक्षपात का परित्याग करना होगा। एक अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सब लोगों को एकमत होना पड़ेगा और कोई आचार-संहिता बनानी पड़ेगी। क्या गृह मंत्री यह काम कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो जिस पद पर बैठे हैं उसके अनुरूप अपने को सिद्ध कर सकते हैं, अन्यथा इतिहास उनके बारे में यही लिखेगा कि उन्हें मौका मिला था, मगर उन्होंने मौका गंवा दिया।

आंखें फोड़नेवालों पर आंख दीजिए

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन एक्सप्रेस को बधाई देता हूं जिसने इस राक्षसी घटना को प्रकाश में लाकर एक ओर तो हमें शर्म के साथ सिर झुकाने के लिए मजबूर किया है, लेकिन दूसरी ओर इस जनहित का भी समर्थन किया है कि हमारे देश में १९८० में, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी के देश में, अभी भी इस तरह के अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें हम रोक नहीं पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए देश में एक जागरूक, स्वतंत्र और निर्भीक प्रेस की आवश्यकता है। शासन से गलतियां होंगी···(व्यवधान)

लोकतंत्र में शासन निरंकुश हो सकता है, अधिकारी अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर सकते हैं, आम आदमी ज्यादतियों का शिकार बनाया जा सकता है, लेकिन, शासन के भीतर बैक्स और बैलेसिस की एक व्यवस्था है, उसमें एक स्वतंत्र प्रेस का भी स्थान है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार में जो कुछ हो रहा है, उससे तो इस बारे में भी संदेह होता है कि क्या यहां प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाएगा?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार ने २३ अगस्त, १९८० को सभी जिला मजिस्ट्रेटों को एक सीक्रेट सर्कुलर भेजा है जिसमें उनसे कहा गया है कि समाचारपत्रों को इस तरह की खबरें न मिलने दी जाएं। अगर खबरें मिलने दी जाती हैं तो उन खबरों को बाहर भेजा जाने से रोका जाए। माननीय मंत्री इस बारे में जानकारी प्राप्त करें।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कोई दो राय नहीं है। संपूर्ण सदन ने इस घटना पर विरोध प्रकट किया है। हमें तथ्यों की जानकारी हासिल करके उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए।···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : मंत्री जी ने अपने बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि जिन अभागे लोगों की आंखें निकाली गईं और जो भागलपुर की जेल में थे, उनमें से एक व्यक्ति ने ६ जुलाई, १९८० को डिस्ट्रिक्ट जज, भागलपुर के यहां एक याचिका दाखिल की। मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि बिहार सरकार के ध्यान में यह मामला उस समय क्यों नहीं आया? यह सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है—सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशंस—उस फैसले में यह लिखा गया था, मैं उद्धृत

** बिहार के आंख-फोड़ कांड पर लोकसभा में १ सितंबर, १९८० को हुई बहस में हिस्सेदारी।*

कर रहा हूं :

"जिले के न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए सभी आदेश, यदि तुरंत आज्ञा पालन की स्थिति का वर्णन करते हैं, तुरंत आदेश का पालन होना चाहिए और कथित उप-अनुच्छेद में वर्णन के आधार पर एक रपट महानिरीक्षक को दी जानी चाहिए।"

इसमें आगे कहा गया है :

"जिलाधीश को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इस क्षमता में वह कार्यवाही-मुखिया न होकर एक न्यायालय-अधिकारी है और उसे कारागार के कार्यकारी के रूप में स्वतंत्र रूप से अवश्य कार्य करना चाहिए। ठीक तरह से जीने योग्य कैदियों के अधिकार बनाए रखने के लिए, हम संबंधित जिलाधीश को निर्देश देते हैं कि वह जिले की कारागार का सप्ताह में एक बार निरीक्षण करे, कैदियों से व्यक्तिगत रूप से शिकायत प्राप्त करे, और उनकी तुरंत जांच करे। यदि वह पूर्व निर्धारित आवश्यक कार्यों में व्यस्त है, अनुच्छेद ४२ उसको अधिकार देता है कि कारागार के निरीक्षण हेतु जाने के लिए वह अपने सहायक न्यायाधीश को नियुक्त करे। सबसे प्रमुख बात यह है कि उसे कैदियों से अलग-अलग मिलना चाहिए। यदि उन्हें कोई शिकायत है तो वार्डर्स तथा अन्य अधिकारियों की उपस्थिति रोकनी चाहिए, बचना चाहिए। स्वाभाविक न्याय के लिए उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच गोपनीय रहे जो कारागार-अधिकारियों को बदला लेने की ओर न बढ़ाए। प्रत्येक दौरे एवं जांच के परिणाम के रिकार्ड के लिए नियम कहता है। इससे उसे जांच करने तथा आदेश पारित करने का अधिकार मिलता है।"

६ जुलाई को एक शिकायत की गई, याचिका दाखिल की गई। जिस मजिस्ट्रेट के यहां याचिका दाखिल की गई थी, क्या वह मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जेल में गए? क्या उन्होंने हवालाती से पता लगाने का प्रयत्न किया कि उसके साथ क्या बीती है? क्या राज्य सरकार के नोटिस में यह बात नहीं लाई गई?

उसके बाद ३० जुलाई को फिर याचिकाएं दाखिल की गईं, जिसके बाद इंस्पेक्टर-जनरल प्रिजंस वहां पर गए। आई.जी. भागलपुर गए। वह कमिश्नर को मिले। उन्होंने डी.आई.जी. से बातचीत की। बातचीत के समय एस.पी. मौजूद थे। क्या इन सब अधिकारियों ने प्रदेश सरकार को अंधेरे में रखने का षडयंत्र किया था? अगर नहीं किया था, तो प्रदेश सरकार को इस बारे में जानकारी क्यों नहीं मिली?

उपाध्यक्ष महोदय, आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा। मगर जब सेसन जज के यहां याचिका दाखिल की गई, तो सेसन जज ने उसको चीफ मजिस्ट्रेट को भेज दिया। चीफ मजिस्ट्रेट ने अक्तूबर में पब्लिक प्रासीक्यूटर को भेज दिया और पब्लिक प्रासीक्यूटर ने पुलिस सुपरिंटेंडेंट को भेज़ दिया। नागरिकों की आंखें निकाल ली गईं। क्या ये 'आंख के बदले आंख' का न्याय नहीं है? क्या यह उन्नीसवीं सदी के कानून और इंसाफ को लागू करने की कोशिश नहीं की गई? वे अपराधी थे या नहीं, इसका फैसला अदालत में होना था। पुलिस का काम है कानून और व्यवस्था की रक्षा करना। लेकिन रक्षक भक्षक बन गए।

जिन लोगों की आंखें निकाल ली गई हैं, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा है कि अच्छा होता, मैं मार दिया जाता, गोली से उड़ा दिया जाता, एक क्षण में सारी पीड़ा समाप्त हो जाती, कौन जिंदगी-भर इस अंधेरी दुनिया में घूमेगा? कौन उसकी आंखें वापस लानेवाला है?

राज्य सरकार को पता नहीं, केंद्र को पता नहीं। हमें भी पता नहीं। हम भी अपनी गलती

मानते हैं। विरोधी दल भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लेकिन हमारा देश किधर जा रहा है? हमारा समाज और हमारा शासन कहां जा रहा है? हम एक बीमार मुल्क के वासी हो गए हैं। इस तरह की बर्बरता को यह कहकर ठीक ठहराया जा रहा है कि अपराध कम हो गए। दुनिया में जहां राजनीतिक विरोधियों को वनवास में भेज दिया जाता है, साइबेरिया के जंगलों में मरने के लिए भेज दिया जाता है, वहां भी आंखें निकालने का पाप नहीं किया जाता। इन लोगों की आंखों की ज्योति कौन वापस कर सकता है?

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है जुडिशल इनक्वायरी का आदेश देने में? कहा गया है सी.आई.डी. इस मामले की जांच कर रही है। सी.आई.डी. उसी एस्टब्लिशमेंट का हिस्सा है जो निर्मम हो गया है, निर्दय हो गया है, संवेदनाविहीन हो गया है। यह हमारा एस्टब्लिशमेंट है, मगर उसके भरोसे वह मामला छोड़ा नहीं जा सकता है।

इसमें जो बड़े अफसर शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? एस. पी. को अरेस्ट नहीं किया गया है, जबकि छोटे अफसर गिरफ्तार किए गए हैं—यह भी बताया है, क्योंकि इन्हें पता था कि सदन में हंगामा होगा। लेकिन इसमें बड़े अफसरों का रोल क्या है? और वह डॉक्टर—वह तथाकथित डॉक्टर कहां गया जो बुलाया जाता था और आंखों में तकुआ घुसेड़ता था, एसिड डालता था? उस डॉक्टर का पता नहीं है। बड़े अफसरों को क्यों छोड़ा जा रहा है? मेडिकल रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए। क्या कठिनाई है सरकार के सामने एक पार्लियामेंटरी कमेटी बनाने में?

ऐसी घटना फिर कभी न हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि शासन की मशीनरी को इस तरह झकझोर दिया जाए कि अब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो।

यह राज्य का मामला नहीं है। भारत एक देश के नाते सिगनेटरी है उस कोबेनेंट का, जिसमें टार्चर के खिलाफ हमने दुनिया को वचन दिया है कि हम अपने देश में टार्चर को अलाउ नहीं करेंगे। यह मत कहिए कि बिहार की एसेंबली ने कोई कमेटी बना दी है, अब पार्लियामेंट तस्वीर में नहीं आती। दुनिया में इस मामले को लेकर भारत की बेइज्जती होगी और अगर किसी ने पूछा यूनाइटेड नेशंस में, ह्यूमन राइट्स कमीशन में, तो हम क्या जवाब देंगे?

अधिक से अधिक गंभीरता से इस मामले को लिया जाना चाहिए। महालगी साहब ने ठीक ही कहा कि इसको राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। चाहिए तो यह था कि बिहार के मुख्यमंत्री कहते कि मेरे राज्य में यह घटना हो गई है, इस समय मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मैं इस्तीफा देता हूं। फिर आप उन्हें समझा-बुझाकर इस्तीफा वापस करा सकते थे। मगर उन्होंने इतना भी नहीं किया। यह आत्मचिंतन का समय है। हम चर्चा के अंक नहीं लेना चाहते। यह किसी अन्य राज्य में भी हो सकता है। यह सदन की जिम्मेदारी है कि वह देखे कि इस तरह की घटनाएं फिर न हों। हम जानना चाहते हैं कि सरकार इस मामले में क्या करने जा रही है? धन्यवाद।

मुसलिम कैरेक्टर का मतलब क्या है?

महोदय, गृह मंत्रालय की मांगों पर विचार करने से पहले मैं सीमा सुरक्षा दल के उन जवानों तथा अफसरों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने १९७१ के भारत-पाक युद्ध में और बंगला देश के मुक्ति-संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। इस संकट काल में सीमा सुरक्षा बल ने प्रशंसनीय कार्य करके दिखाया है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी पीठ ठोकें और जवानों के बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और उनके आवास की व्यवस्था की ओर समुचित ध्यान दें। मुझे ग्वालियर के निकट टेकनपुर में उनके प्रशिक्षण केंद्र में जाने का मौका मिला था। उनकी प्रशिक्षा का प्रबंध बहुत उत्तम है, लेकिन उनके बच्चों के पठन-पाठन और आवास के प्रबंध में कमी है, जिसकी ओर गृह मंत्रालय का ध्यान जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय को हमारा घरेलू मोर्चा संभालना है। गृह मंत्रालय संबंधी रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा गया है कि मोटे तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा, विधि शासन को बनाए रखना और उन्नत करना, सार्वजनिक व्यवस्था कायम रखने में राज्यों की सहायता करना, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करना तथा केंद्र और राज्यों के संबंध गृह मंत्रालय के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। स्पष्ट है कि देश की एकता की रक्षा गृह मंत्रालय का एक प्रमुख कर्तव्य है।

आज देश में विस्फोटक वातावरण है। असम में भाषा के सवाल पर व्यापक उपद्रव हुए और सरकार जन, धन और सम्मान की रक्षा करने के अपने प्राथमिक कर्तव्य का भी पालन नहीं कर सकी। आंध्र में जो व्यापक जन-आंदोलन हो रहा है, उसे कुचलने के लिए अनेक दमनकारी तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उससे वास्तविक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज सारे देश में एक असंतोष की लहर दौड़ रही है। सवालों को सड़कों पर लाकर हल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक छोटा सा कांड, एक साधारण-सा आंदोलन हिंसात्मक स्वरूप धारण कर लेता है। यह खेद का विषय है कि गृह मंत्रालय इस संबंध में अपने कर्तव्य का पालन करने में सफल नहीं हुआ है। यदि जनता की व्यथा का निराकरण करने में विलंब होगा, यदि असंतोष को एकत्र होने दिया जाएगा, यदि उचित मांगों पर तुरंत कार्यवाही नहीं की जाएगी तो फिर जनता का असंतोष ऐसा रूप लेकर फूटेगा जिसे स्वस्थ नहीं कहा जा सकता और जिससे लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए भी

---

* *गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर लोकसभा में २१ मार्च, १९७३ को वाद-विवाद।*

संकट पैदा हो सकता है। इसके लिए शासन के रवैए में बुनियादी परिवर्तन आवश्यक है।

कल इस विवाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, उर्दू को दूसरी राज भाषा बनाने, कई भागों में हुए दुर्भाग्यपूर्ण सांप्रदायिक दंगों की काफी चर्चा की गई। मेरी पार्टी का नाम भी घसीटकर हम पर अनर्गल आरोप लगाए गए। हमारा निश्चित मत है कि जहां सांप्रदायिक दंगा होता है वहां दंगा करने वाले, फिर वे किसी भी समाज के व्यक्ति हों, उनका दृढ़ता से दमन होना चाहिए। दंगों में जिनकी क्षति होती है, उनको पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। लेकिन दंगों के बुनियादी कारणों में भी जाना आवश्यक है। हम आशा करते थे कि पाकिस्तान का विभाजन हो गया, मजहब के आधार पर बना पाकिस्तान एक नहीं रह सका, स्वाधीन बंगला देश का आविर्भाव हुआ, अब भारत का भी वातावरण बदलेगा और मजहब के आधार पर संघर्ष या विशेषाधिकारों की मांग नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के विभाजन और बंगला देश की मुक्ति से हमने कोई पाठ नहीं सीखा। आज भी मजहब के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। अभी दिल्ली में १०-११ मार्च को एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें भाषण दिए गए। एक व्यक्ति ने कहा, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं : "जिस इंदिरा को हम तख्त पर बिठा सकते हैं उसे हम तख्ते पर भी बिठा सकते हैं।" यह भी कहा गया :

"सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।"

श्री फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में कहा गया है कि उनके नाम में 'ख' भी है और 'र' भी है और यदि दोनों को मिला दें तो 'खर' बनता है। उनके विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग किया गया। श्री नूरुल हसन को नमकहराम कहा गया; और वहां पर जानेवालों में शमीम साहब के नेता शेख अब्दुल्ला भी थे।

श्री एस.ए. शमीम (श्रीनगर) : आपके बाईं तरफ वाले श्री पीलू मोदी भी थे।

श्री वाजपेयी : मैं अपने दाएं-बाएं वालों से कोई मतलब नहीं रखता।

श्री एस.ए. शमीम : मेरा भी कोई नाता नहीं है, मैं अपना नेता आप हूं।

श्री वाजपेयी : आप अपने नेता भी हैं और अपने अनुयायी भी आप ही हैं। न इनका कोई नेता है और न इनके पीछे चलनेवाला कोई है।

श्री एस.ए. शमीम : इसीलिए दयानतदारी से बात करता हूं।

श्री इसहाक संभली (अमरोहा) : डॉ. फरीदी ने कहा है कि हम जनसंघ से को-ऑपरेशन लेंगे।

श्री वाजपेयी : डॉ. फरीदी ने यह भी कहा है कि जनसंघ को-ऑपरेशन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है⋯(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि आज देश का सांप्रदायिक वातावरण क्यों बिगड़ रहा है? आज मुस्लिम समाज में से एक वर्ग ऐसा क्यों निकल रहा है जो बंबई में खड़े होकर कहता है कि हम वंदेमातरम् कहने के लिए तैयार नहीं हैं। वंदेमातरम् इस्लाम का विरोधी नहीं है। क्या इस्लाम को माननेवाले जब नमाज पढ़ते हैं तो इस देश की धरती पर, इस देश की पाक जमीन पर सिर नहीं टेकते हैं?

श्री एस.ए. शमीम : खुदा के लिए।

श्री वाजपेयी : मगर सिर जमीन पर टेका जाता है। इस जमीन से पैदा हुआ अन्न हम खाते

हैं। यह जमीन आखिरी क्षणों में हमको अपनी बांहों में लपेट लेती है। क्या दुनिया के और देशों में राष्ट्रगीत नहीं है?

श्री एस.ए. शमीम : राष्ट्रगीत तो जनगणमन है।

श्री वाजपेयी : मैं यही आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूं।

श्री एस.ए. शमीम : कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके।

राष्ट्रगान क्या है, कौन सा है?

श्री वाजपेयी : कल भी आपने यही बात कही थी। मेरे पास संविधान परिषद की कार्यवाही है।

यह अध्यक्ष महोदय का दिया गया वक्तव्य है :

२४-१-१९५० : राष्ट्रगान के संबंध में वक्तव्य :

"अध्यक्ष महोदय : एक मुद्दा है जो विचार-विमर्श के लिए बाकी है, अर्थात राष्ट्रगान का सवाल। एक समय यह सोचा गया था कि इस विषय को सदन के समक्ष उठाया जा सकता है और सदन द्वारा प्रस्ताव के रूप में निर्णय लिया जा सकता है। यह कहा गया है कि प्रस्ताव के जरिए औपचारिक निर्णय लेने की जगह यह बेहतर है कि राष्ट्रगान के संबंध में मैं एक वक्तव्य दूं। इसी के मुताबिक मैं यह वक्तव्य दे रहा हूं।

"जन गण मन शब्द-संगतवाली रचना भारत का राष्ट्रगान है, जिसके शब्दों में सरकार मौके के अनुसार परिवर्तन को अधिकृत कर सकती है और वंदेमातरम् गीत जिसने भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में ऐतिहासिक भूमिका अदा की है, को जन गण मन के साथ ही आदर दिया जाएगा और इसके समान प्रतिष्ठा दी जाएगी ··· (प्रशंसा) मैं आशा करता हूं कि यह सदस्यों को संतुष्ट करेगा।"

अध्यक्ष महोदय, बंबई में झगड़ा प्रारंभ हुआ जब उर्दू मदरसों में पढ़नेवाले विद्यार्थियों ने २६ जनवरी को वंदेमातरम् कहे जाने पर खड़े होने से इन्कार कर दिया।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (कोजीकोड) : जब्र किया है।

श्री वाजपेयी : जब्र किसी पर नहीं किया जाता है।

श्री एस.ए. शमीम : कहा गया कि जो नहीं पढ़ेगा उसको मार डालेंगे। स्कूल बंद कर दिया गया···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष जी, क्या कोई कल्पना कर सकता था कि देश के···(व्यवधान)

श्री आर.एस. पांडेय (राजनंदगांव) : वंदेमातरम् मातृभूमि की प्रार्थना है।

श्री एस.ए. शमीम : अन्य गीत भी हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हारबर) : आप सहमत हों या न हों, यह कहने का लोकतांत्रिक तरीका है।

श्री वाजपेयी : ऐसे मुद्दों पर किसी को भी असहमत होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कल यह कहेंगे कि तिरंगा झंडा है, मगर हम तिरंगे झंडे के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम अल्लाह के आगे झुकते हैं। तिरंगे के आगे नहीं झुकेंगे। हिंदुस्तान में रहनेवाले हर आदमी को तिरंगे के सामने झुकना पड़ेगा··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, पेट्रयाटिज्म के अर्थ अलग-अलग नहीं होते हैं।

श्री एस.ए. शमीम : होते हैं अलग-अलग। आपका उसूल है कि मुसलमान पेट्रियाट नहीं

होते, जबकि हमारा उसूल है कि हिंदुस्तान में रहनेवाला हर पेट्रियाट है।

श्री वाजपेयी : अगर हमारा यह उसूल होता अध्यक्ष महोदय, तो पंडित प्रेमनाथ डोगरा की सीट पर जम्मू में जहां दो फीसदी मुसलमान हैं, हम एक मुसलमान को चुनकर जम्मू-काश्मीर की विधानसभा में नहीं भेजते। वहां कांग्रेस का एक कैंडीडेट हिंदू खड़ा था और यह प्रचार किया गया कि जनसंघ ने हिंदू की सीट मुसलमान को दे दी, फिर भी लोगों ने हमको वोट दिया है।

श्री एस.ए. शमीम : ऐसे बहुत से हिंदू मुस्लिम लीग में पाए जाएंगे।

श्री वाजपेयी : हिंदू मुस्लिम लीग में पाए जाएंगे? और आप भारतीय जनसंघ में पाए जाएंगे?

श्री एस.ए. शमीम : खुदा मुझे उससे पहले मौत दे दे।

अध्यक्ष महोदय : अरे, आप इतना गरम क्यों हो रहे हैं?

मुस्लिम लीग की जरूरत क्या है?

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि वंदेमातरम् के सवाल को लेकर जो दुर्भाग्यपूर्ण विवाद खड़ा हुआ है, इसको समाप्त किया जाए। मुस्लिम लीग ने इसे खड़ा किया है। और अध्यक्ष महोदय, यह लीग तक ही सीमित नहीं रहा, बंबई कारपोरेशन कांग्रेस पार्टी के जो लीडर थे श्री खंडवानी, उन्होंने भी उनका साथ दिया। अब प्रधानमंत्री कहती हैं कि बंबई कारपोरेशन में संप्रदायवादी शक्तियां जीत गई हैं, जिसका परिणाम हो रहा है, वहां दंगे हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम लीग के साथ केरल में सरकार बनाकर किसने सांप्रदायिकता को जिलाया है? आजाद हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग की जरूरत क्या है? पार्टियां ऐसी होनी चाहिए, जिनके दरवाजे सबके लिए खुले हों। भारत का हर नागरिक हर पार्टी में जा सके। लेकिन मुस्लिम लीग की निंदा करने के बजाय मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई जा रही है। वही मुस्लिम लीग जब वंदेमातरम् का विरोध करके बंबई में जीतती है तो प्रधानमंत्री को रंज होता है। जो बीज आपने बोए हैं, उनके कड़वे फल आपको चखने पड़ेंगे। मैं यह भी कहता हूं कि सांप्रदायिकता एक दुधारी तलवार की तरह से है। मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देकर आप दूसरे वर्ग की सांप्रदायिकता से नहीं लड़ सकते।

अब अलीगढ़ का मामला लाया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि अलीगढ़ को लेकर यह क्या बवाल मचाया जा रहा है सारे देश में? कहा जा रहा है, अलीगढ़ युनिवर्सिटी का मुस्लिम कैरेक्टर सुरक्षित रहना चाहिए। क्या मतलब है मुस्लिम कैरेक्टर का? मुसलमान केवल हिंदुस्तान में नहीं हैं, मुसलमान बंगला देश में हैं, मुसलमान दुनिया के और देशों में हैं। क्या उन सबके विश्वविद्यालयों का कैरेक्टर एक ही होगा? विश्वविद्यालय जिस मिट्टी पर बना है, उस मिट्टी का रंग विश्वविद्यालय पर चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? विश्वविद्यालय जिस समाज में काम करेगा, उस समाज की आशा और अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेगा या नहीं करेगा?

हां, कोई कहे कि वहां इस्लाम की पढ़ाई होनी चाहिए तो मुझे आपत्ति नहीं होगी। उसका प्रबंध है वहां। मुस्लिम थियोलॉजी के पठन-पाठन का प्रबंध अगर आवश्यक है तो वह भी किया जा सकता है। लेकिन उसे केवल माइनोरिटी का इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, यह स्वीकार नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के मुस्लिम कैरेक्टर का सवाल पैदा नहीं होता। हिंदुस्तान में हर एक विश्वविद्यालय स्वरूप में भारतीय होना चाहिए। यह बात जितनी अलीगढ़ पर लागू होती है, उतनी हिंदू विश्वविद्यालय पर लागू होती है। हर विश्वविद्यालय का स्वरूप भारतीय होना चाहिए।

अलग-अलग धर्मों, दर्शनों के पठन-पाठन का इंतजाम करें, इससे किसी को विरोध नहीं हो सकता।

हां, विश्वविद्यालय का एक जो पहलू है, उससे मेरा मतभेद है और वह यह है कि हर विश्वविद्यालय में सरकार अपना अधिकार बढ़ाने जा रही है...(व्यवधान)

श्री एस.ए. शमीम : माइनारिटी राइट्स क्या होते हैं?

श्री वाजपेयी : माइनारिटी राइट्स कुछ नहीं होते हैं। माइनारिटी राइट्स होते हैं, लैंगुएज के बारे में, माइनारिटी राइट्स होते हैं इस्लाम के अध्ययन के बारे में, माइनारिटी राइट्स यह नहीं कहते कि युनिवर्सिटी हिंदुस्तान में ऐसी बनेगी जिसमें सारे प्रोफेसर मुसलमान होंगे। इस सदन में खुली चर्चा हो कि मुस्लिम कैरेक्टर का मतलब क्या है...(व्यवधान)

श्री सरजू पांडे (गाजीपुर) : मगर अलीगढ़ में यही सपोर्ट करते हैं।

श्री इसहाक संभली : आप तो उसके लाइफ मेंबर होने जा रहे हैं।

श्री वाजपेयी : हम सपोर्ट नहीं करते हैं। अध्यक्ष जी, यह मौलाना साहब ऐसे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी में भी हैं, जमायेतुल-उलेमा में भी हैं। यह दोनों तरफ हैं। कम्युनिस्ट पार्टी इस्लाम नहीं मानती, मजहब नहीं मानती, मगर मौलाना साहब जमायेतुल-उलेमा के मौलाना भी हैं। यह दोनों रंग खेल रहे हैं।

श्री इसहाक संभली : आपको बेचैनी क्यों है?

श्री वाजपेयी : मुझे बचैनी नहीं है। मैं आपका असली रंग सामने रख रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालयों का लोकतंत्रीकरण होना चाहिए। अलीगढ़ में अगर एकेडेमिक काउंसिल नामिनेटेड है, तो गलत है।

श्री बी.पी. मौर्य (हापुड़) : अलीगढ़ का आखिर में होना चाहिए, पहले औरों का होना चाहिए।

श्री वाजपेयी : देखिए आगे-पीछे नहीं, हम तो मांग कर रहे हैं कि बनारस विश्वविद्यालय का विधेयक लाओ। आप जानते हैं कि हम मांग कर रहे हैं कि उसको लाइए। ऐकेडेमिक काउंसिल में नामिनेटेड मेंबर ज्यादा हैं, हों, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नामजद मेंबर ज्यादा हों, विजिटर को असाधारण अधिकार हों, हम इसके हक में नहीं हैं। विश्वविद्यालयों का लोकतंत्रीकरण हो और वह सब विश्वविद्यालयों पर लागू किया जाए। जो अलीगढ़ की वकालत कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि माइनारिटी कैरेक्टर या मुस्लिम की बात मत करिए, ऑटोनामी की बात करिए। यह आप नहीं कर रहे हैं।

अभी श्री नूरुल हसन अलीगढ़ युनिवर्सिटी गए थे, मगर अलीगढ़ युनिवर्सिटी में नूरुल हसन साहब को बोलने नहीं दिया गया। उनको खाना तक नहीं खाने दिया गया, उनकी कार पर जूते मारे गए। क्या मतभेद को प्रकट करने का यही तरीका है?

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि जो अलीगढ़ का मामला उठा रहे हैं वह इस बारे में मुस्लिम कैरेक्टर की व्याख्या करें। यह सदन और यह देश अपना आखिरी तौर पर इस बारे में दिमाग बना ले।

दूसरी चीज है उर्दू के बारे में। कल मौलाना इसहाक संभली ने कहा कि आज जनसंघ भी चुनाव जीतने के लिए उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा बनाने का समर्थन कर रहा है। यह उन्होंने कहां से सुना है?

श्री इसहाक संभली : आपने टाउन हॉल, मुरादाबाद में यह कहा।

श्री एस.ए. शमीम : और २५ तारीख को सात बजे शाम।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो अखबार में खबर छपी थी, वह टाउन हॉल की नहीं थी। वह खबर यह थी कि मैंने वर्कर्स मीटिंग में कहा। मैंने उसका खंडन किया। खंडन इस बात का किया है कि मैं उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाने के हक में हूं। मैं मानता हूं कि उर्दू भारत में पैदा हुई है, उर्दू भारत की भाषा है, उर्दू फलनी और फूलनी चाहिए। जम्मू और काश्मीर में उर्दू राजभाषा के स्थान पर भी प्रतिष्ठित है। किसी ने इसका विरोध नहीं किया है। लेकिन हम यह नहीं मानते कि उर्दू सारे मुसलमानों की भाषा है। हम यह भी नहीं मानते कि उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा है। उर्दू पढ़ने-पढ़ाने की पूरी सुविधा दी जाए, उर्दू में कोई पुस्तक लिखे उसको प्रोत्साहन दिया जाए, उर्दू में अगर दरख्वास्तें आएं तो जहां तक संभव हो उनका जवाब भी उर्दू में देने की कोशिश होनी चाहिए। और यह बात केवल उर्दू पर लागू नहीं होती, हमारे संविधान में लिखा है कि जहां जिस भाषा में पेटीशन दी जाए तो शासन द्वारा इंतजाम करने की कोशिश होनी चाहिए कि उसी में जवाब दिया जाए। अगर उर्दू के माध्यम से कोई पढ़ना चाहता है तो भी मुझे कोई एतराज नहीं है।

सवाल सिर्फ उर्दू का नहीं है

लेकिन उर्दू को राजभाषा बनाने का सवाल इतना सरल सवाल नहीं है। दूसरी राजभाषा बनाने की मांग के पीछे सांप्रदायिक कारण हैं, अलगाव की राजनीति काम कर रही है। आपको दूसरी राजभाषा बनाने के लिए एक नियम बनाना पड़ेगा। किसी प्रदेश में कौन सी भाषा बोलनेवाले कितने फीसदी हैं, तब वह भाषा राजभाषा बनाई जाए, यह आपको तय करना पड़ेगा। केवल उर्दू का सवाल नहीं है। असम में बंगला का भी सवाल है, पंजाब में हिंदी का भी सवाल है। क्या आप उर्दू के लिए एक नियम बना देंगे और दूसरी भाषाओं के लिए दूसरे नियम? यह नहीं हो सकता।

मेरा निवेदन है कि उर्दू को जिन कारणों से आंदोलन का विषय बनाया जा रहा है, उसमें उर्दू भाषा के विकास की भावना नहीं है। उर्दू के झंडे के तले सब मुसलमानों को एकत्रित करने और विभाजन के पूर्व की मुस्लिम लीगी राजनीति को पुनरुज्जीवित करने की भावना काम कर रही है। इससे हमारा मतभेद है। हमारा कहना यह है कि अगर आप राजभाषा बनाने का निर्णय करेंगे तो हर कार्यालय में छोटा पाकिस्तान बन जाएगा।

आखिर उत्तर प्रदेश में क्या सभी मुसलमान उर्दू बोलते हैं? क्या ब्रज में रहनेवाला मुसलमान ब्रज भाषा नहीं बोलता? क्या अवध में रहनेवाला मुसलमान अवधी नहीं बोलता? मगर मुस्लिम लीग के जो सदस्य केरल से चुनकर आए हैं, जो उर्दू बोल नहीं सकते, वे उर्दू की वकालत कर रहे हैं और समझते हैं कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। यही बात जिन्ना ने कही थी कि हिंदू और मुसलमान अलग हैं। हिंदुओं की भाषा अलग है, मुसलमानों की भाषा अलग है। मेरा निवेदन है कि यह दृष्टिकोण गलत है। इस दृष्टिकोण का आप परित्याग कर दें, फिर उर्दू के लिए शासन से जो सुविधाएं चाहिए, मिलेंगी। लेकिन उर्दू को राजनीति का हथियार न बनाएं।

मैं कांग्रेसी मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं। चुनावों में वोटों की लालसा स्वाभाविक है। प्रत्येक दल इसके लिए प्रयत्नशील है। लेकिन वोट से बड़ा देश हुआ करता है…(व्यवधान) फरीदी से पिछले चुनाव से पहले जो आपने गुप्त समझौता किया था, उसी का नतीजा सामने आ रहा है। जो पर्दे के पीछे वायदे किए गए हैं, वे पूरे नहीं किए गए, इसीलिए आज फरीदी जी बिगड़ रहे हैं। मेरा कहना है कि मुसलमानों और उर्दू के सवाल को आप पार्टी का सवाल न बनाएं, सब दल मिलकर बैठें और इसके संबंध में एक राष्ट्रीय नीति का निर्धारण

करें। नहीं तो पाकिस्तान बंट गया, बंगला देश स्वाधीन हो गया और हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग बढ़ रही है, हिंदुस्तान में फिरकापरस्ती बढ़ रही है। दीक्षित जी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। दीक्षित जी आज उस पद पर विराजमान हैं जिस पर कभी सरदार पटेल बैठते थे। उन्हें कुछ सरदार पटेल से प्रेरणा लेनी होगी, उन्हें राजाजी की राजनीतिक विलक्षणता से भी कुछ सीखना होगा। उन्हें पंत जी के धैर्य और प्रशासन-क्षमता का भी अनुकरण करना होगा। संकट की इस घड़ी में यदि गृह मंत्री के रूप में वह राष्ट्र की नौका को सीधा भंवर से निकालकर सुरक्षा और शांति के तट तक पहुंचा सके तब गृह मंत्री का पद सफल हो सकता है, अन्यथा आनेवाले संकटकाल में वह गृह मंत्रालय को तो भंवर में ले ही बैठेंगे, लेकिन साथ ही देश के लिए भी ऐसी कठिनाई पैदा करेंगे जो लोकतंत्र को भी खतरे में डाल सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे तो आपसे उर्दू बोलने की इजाजत है न?

श्री वाजपेयी : उर्दू मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। उर्दू की शायरी का तो मैं भी बहुत कायल हूं।

अध्यक्ष महोदय : जो भी गैर-शादीशुदा होता है, वह उर्दू की शायरी पर फिदा होता ही है।

संकटकालीन कानून वापस लो

उपाध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान के साथ १३ दिन के युद्ध के बाद भारत सरकार ने जो युद्ध विराम किया था, उसे चलते अब चार मास के ऊपर का समय बीत गया है। छुट-पुट घटनाओं को छोड़कर, पश्चिमी मोर्चे पर इस समय सब कुछ शांत है। बंगला देश के निर्माण के कारण हमारा पूर्वांचल भी सुरक्षित हो गया है। इस स्थिति में संकटकालीन परिस्थितियों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। जब शस्त्रों की झंकार रुक गई है तो मूलभूत अधिकारों की पुनर्स्थापना होनी चाहिए। नागरिकों के लिए अदालत के द्वार खुलने चाहिए। चुनाव के पूर्व सरकार स्वयं आपातकालीन स्थिति को सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित करने के लिए तैयार हो गई थी। अब तो आंशिक रूप से भी आपातकालीन स्थिति बनी रहे, इसका कोई कारण नहीं दिखाई देता।

उपाध्यक्ष जी, यह बड़े खेद का विषय है कि सरकार द्वारा स्पष्ट आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि जिन कार्यवाहियों के सामान्य कानून उपलब्ध हैं, उनके लिए भारत सुरक्षा अधिनियम का सहारा नहीं लिया जाएगा, राज्य सरकारों ने कर्मचारियों और मजदूरों के संघर्षों से निपटने के लिए भारत सुरक्षा अधिनियम का आसरा लिया है। इसी नई दिल्ली में, केंद्रीय सरकार की नाक के नीचे, खाद्य निगम के कर्मचारियों के संघर्ष को दबाने के लिए भारत सुरक्षा अधिनियम का उपयोग करने की घोषणा की गई थी। जब एक बार असाधारण अधिकार सरकार को प्राप्त हो जाते हैं तो वह सामान्य स्थिति में आने के लिए तैयार नहीं होती। सामान्य कानून किसी भी परिस्थिति का सामना करने में समर्थ हैं। मैं समझता हूं कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा को वापस लेने का समय आ गया है। गत वर्ष गृह मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा था—मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं :

"इसलिए, हर राजनीतिक दल को गंभीरता से यह सोचने की जरूरत है कि क्या लोकतंत्र में उसका विश्वास स्थायी है और हिंसक साधनों से लोकतंत्र को कमजोर करने की रणनीति मात्र नहीं है। क्या इस हिंसा और उसमें यकीन करनेवालों का सामना करने के लिए संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त सभी दल, अपने आप में लड़ने, एक-दूसरे पर आरोप लगाने की जगह, एकजुट नहीं हो सकते?"

** गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों के अवसर पर लोकसभा में २९ अप्रैल, १९७२ को वाद-विवाद।*

उनके इस भाषण में जो भावनाएं निहित हैं, वह आचरण में नहीं आईं। क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि सत्तारूढ़ दल ने भी पश्चिम बंगाल में उन्हीं तरीकों का उपयोग किया, जिन तरीकों की वे निंदा करते रहे हैं? जिन तरीकों से लड़ने के लिए सारे देश की जनता का आवाहन करते रहे हैं? कल कम्युनिस्ट पार्टी (दक्षिणपंथी) के प्रवक्ता श्री भोगेंद्र झा ने जो कुछ कहा, वह मेरे इस आरोप की पुष्टि करता है कि मार्क्सवादियों का सामना करने के लिए मार्क्सवादियों के ही हथकंडे अपनाए गए। मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं :

"अभी पिछले चुनाव के मौके पर पश्चिम बंगाल के मामले में हमारे मित्र ज्योति बसु बोल गए हैं। यह बात सही है कि एकतरफा बोल गए हैं, क्योंकि जो व्यवहार उनके दल के लोगों ने कुछ समय पहले किया था, वह व्यवहार, उसमें कुछ गलत है, उनके साथ भी हुआ।

मैं आशा करता था कि वह इस तरह के व्यवहार की निंदा करेंगे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया उसकी निंदा नहीं करें, बल्कि ऐसा आश्वासन देंगे आदि।"

श्री भोगेंद्र झा उस पार्टी से संबंधित हैं, जिसका सत्तारूढ़ दल से गठबंधन है।

श्री डी.एन. तिवारी (गोपालगंज) : गठबंधन नहीं है।

श्री वाजपेयी : श्री भोगेंद्र झा का कहना है कि बंगाल में कांग्रेस पार्टी ने भी साध्य को महत्व दिया, साधन को महत्व नहीं दिया। मैं नहीं समझता कि मार्क्सवादी पार्टी में और कांग्रेस पार्टी में क्या अंतर रह जाता है। क्या हिंसा उचित है? क्या राजनीतिक हिंसा के उत्तर में राजनीतिक प्रतिहिंसा ठीक है? इस तर्क को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या सांप्रदायिक हिंसा के उत्तर में सांप्रदायिक प्रतिहिंसा उचित नहीं है? क्या हिंसा के अलग-अलग मापदंड होंगे? एक ओर हिंसा को परित्याग करने की अपीलें और कुछ सीटों के लिए उन्हीं तरीकों को अपनाना—यह लोकतंत्र में अडिग आस्था का परिचायक नहीं है।

मैं कुछ सीटों की बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर सत्तारूढ़ दल यह तरीका न भी अपनाता तो भी पश्चिम बंगाल में उसकी विजय होती। परिस्थिति बदली हुई थी, बंगला देश के निर्माण ने और पाकिस्तान की पराजय ने लोगों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। लेकिन सत्तारूढ़ दल को न जनता पर विश्वास था और न अपनी विजय पर विश्वास था। इसलिए ऐसे तरीके अपनाए गए जिनका इस सदन में कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कोई हिम्मत के साथ कहे कि बंगाल में जो कुछ किया है, वह ठीक किया है।

श्री सतपाल कपूर : जनता ने ठीक किया है।

श्री वाजपेयी : जनता की बात मत करिए। अपनी बात करिए···(व्यवधान) बात केवल बंगाल की नहीं है। कल इस सदन में सत्तारूढ़ दल के एक वरिष्ठ सदस्य पं. द्वारिकानाथ तिवारी ने भाषण दिया था। वे केवल संसद के ही एक सम्मानित सदस्य नहीं हैं, सत्तारूढ़ दल में भी उनका एक महत्वपूर्ण स्थान है। मुझे उनके भाषण को पढ़कर एक ओर आनंद भी हुआ और दूसरी ओर दुख भी हुआ। आनंद इसलिए कि उन्होंने सत्य को बोलने का साहस दिखाया। लेकिन दुख इसलिए कि जो कुछ हम कहा करते थे और जिसे प्रचार कहकर टाला जाता था, वह प्रचार नहीं है, वह वास्तविकता है, और किसी एक दल के माथे पर नहीं, सारे देश के माथे पर कलंक है।

पं. द्वारिकानाथ तिवारी के शब्दों को भी मैं उद्धृत करना चाहता हूं :

"बिहार में चुनाव में पहले भी बोगस वोट पड़ते थे, इंपर्सोनेशन होता था। लेकिन अब बदले में जाने की बात नहीं है, आदमी नहीं जाता है, बूथ कैप्चर करके दो-चार-दस आदमी छापा मारते

हैं, यह बात हुई १९६९ में। मिडटर्म इलेक्शन में दस-बीस आदमियों ने बूथ को घेर लिया और जाकर छापा मार दिया और करप्शन इतना बढ़ा कि प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग अफसर को सौ दो सौ रुपया दे देते थे, वह चुप हो जाते थे।"

आगे श्री द्वारिकानाथ तिवारी ने भरे हृदय से कहा है, मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं :

"डिमोक्रैसी खतरे में है। मैं कह रहा था कि ७२ के चुनाव में इतना लार्ज स्केल पर हुआ कि इसकी इंक्वायरी करना जरूरी है ··· यहां तक हुआ कि प्रिजाइडिंग आफिसर ने पोलिंग बूथ कैप्चर करके बैलेट पेपर पर अपने से ठप्पा लगा दिया।"

इसी आशय के विचार बिहार के दूसरे वरिष्ठ सदस्य श्री विभूति मिश्र ने प्रकट किए हैं। वे इस समय सदन में नहीं हैं। उनका लेख आज नई दिल्ली से प्रकाशित एक प्रमुख दैनिक समाचारपत्र में छपा हुआ है। क्या ऐसी स्थिति में चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र कहा जा सकता है? जांच की मांग केवल विरोधी दल नहीं कर रहा है, जिनकी आत्मा जागृत है, जो लोकतंत्र के भविष्य के प्रति सचेत हैं—इस चुनाव में जो प्रवृत्तियां दिखाई गई हैं—उनके मन में चिंता होना स्वाभाविक है।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, लोकतंत्र मूल रूप में एक नैतिक व्यवस्था है। अगर खेल के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो लोकतंत्र पर से लोगों की आस्था उठने की आशंका है। मेरी मांग है और मैं इस मांग को दोहराना चाहता हूं कि एक सर्वदलीय संसदीय समिति का गठन होना चाहिए, जो भविष्य में चुनावों में इस तरह की अनियमितताओं को रोकने के सुझाव दे सके और इस चुनाव में जो अनियमितताएं हुई हैं, उनकी ठीक तरह से जांच कर सके। प्रश्न केवल एक पार्टी का नहीं है। पं. द्वारिकानाथ तिवारी ने कहा और हो सकता है इसमें सच्चाई हो, कि अगर बूथों पर कब्जा करने की घटना न होती तो शासक दल के सदस्य अधिक संख्या में आ सकते थे। कुछ भी हो, बूथों पर कब्जा रोकना जरूरी है। हम चाहते हैं कि इसकी गहराई में जाकर जांच करने के बाद भविष्य में कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इसका विचार होना चाहिए।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, राजस्थान में जिन परिस्थितियों में जनसंघ के कार्यकर्ता को पुलिस ने गोली मार दी, वह घटना हृदय-विदारक है। कल उसकी विधवा पत्नी का पत्र मुझे मिला है। श्री ओमप्रकाश राजौरिया, एडवोकेट, जो ग्वालियर म्युनिसिपल कार्पोरेशन के मेंबर थे, कांग्रेस के विरोध में धौलपुर में प्रचार के लिए गए। वह जीप पर बैठे थे, उनकी जीप पर झंडा लगा था। आधी रात को धौलपुर नगर के निकट रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। कहा गया कि उनको डाकू समझ कर गोली मार दी। जांच क्या होगी? जो पुलिस अफसर हत्या में शामिल हैं, उनको अभी तक हटाया नहीं गया है। उनकी पत्नी लिख रही हैं कि "हत्या को करीब डेढ़ माह हो चुका है, न तो हत्या करनेवालों को निलंबित करके गिरफ्तार ही किया गया और न कोई कार्यवाही हो रही है। दूसरी ओर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी श्री नारायण सिंह एस.पी. भरतपुर व राजाखेड़ा का थानेदार श्री राजवीर सिंह हमारे चश्मदीद गवाहों को रोजाना परेशान कर रहे हैं और उनसे कहते हैं कि सच्ची गवाही मत दो, हम कहें जैसे दो।"

मृत व्यक्ति वापस नहीं आ सकता, विधवा की सूनी मांग को सुहाग के सिंदूर से मंडित नहीं किया जा सकता, अनाथ बच्चों को पिता नहीं मिल सकता, लेकिन भविष्य में राजनीतिक द्वेष के आधार पर चुनाव में अपनी विजय सुरक्षित करने के लिए किसी के प्राणों का प्रदीप नहीं बुझाया

जाएगा, यह देश में गारंटी होनी चाहिए। कोई यह कहकर इस मामले को टालने की कोशिश न करे कि एक ही मामला हुआ है। एक मामला क्यों होना चाहिए? राजनीतिक हत्या का आश्रय क्यों लिया जाना चाहिए? उपाध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने गत वर्ष बहस का उत्तर देते हुए एक बात और कही थी। मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं :

"पूरे देश के लिए चिंता का दूसरा मुद्दा सिद्धांतहीन दलबदल है। अपनी 'बाडी पालिटिक' के इस मर्ज पर चिंता में हम भागीदार हैं और इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने को हम कृतसंकल्प हैं।"

साल-भर हो गया, अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। सरकार इस आधार पर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि विरोधी दलों की उसे सहमति प्राप्त नहीं हुई । क्या सारे कदम विरोधी दलों की राय से उठाए जाते हैं? जब कोई काम नहीं करना होता तो विरोधी दलों के मतभेद का फायदा उठाने की कोशिश की जाती है। सरकार को एकतरफा युद्धविराम से किसी ने नहीं रोका तो एकतरफा दलबदल के विरुद्ध कदम उठाने से किसने रोका है? बड़े कदम एकतरफा उठाए जा सकते हैं, छोटे कामों के लिए विरोधी दलों की सलाह जरूरी है। विरोधी दल अपना मंतव्य स्पष्ट कर चुके हैं कि दलबदल अवैध घोषित कर दिया जाना चाहिए। दल-बदलू को किसी निश्चित समय तक मंत्री नहीं बनाया जाएगा, इतना पर्याप्त नहीं है। मंत्री बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है। पिछले लोकसभा के चुनाव में जनता ने अनेक लोगों को ठुकरा दिया, आज वे किसी न किसी कमीशन के मेंबर बनकर जो वर्तमान संसद सदस्य हैं, उनसे भी ज्यादा गहरी छान रहे हैं। कभी-कभी उन्हें देखकर लगता है कि सदस्यता का तो कोई मूल्य ही नहीं है। चुनाव में हारकर किसी कमीशन का अध्यक्ष बन जाना कहीं ज्यादा अच्छा है।

उपाध्यक्ष जी, इस दलबदल में सत्तारूढ़ दल का निहित स्वार्थ है। चुनाव हो गए, भारी-भरकम विजय मिल गई···(व्यवधान) आपका स्वार्थ है, इसीलिए तो जनसंघ के सदस्यों को दो-दो लाख रुपया देकर खरीदने की कोशिश की गई। आप निष्पक्ष जांच करें, हम साबित करने के लिए तैयार हैं···(व्यवधान)

श्री बी.पी. मौर्य (हापुड़) : यह गलत बात है, यह गलत बात है।

श्री वाजपेयी : राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस दल के विधानसभा में सदस्यों की जितनी संख्या मध्य प्रदेश में थी, उसके हिसाब से एक अधिक व्यक्ति खड़ा कर दिया गया। वह उम्मीदवार बिना दल-बदल कराए जीत नहीं सकता था। वह मुख्यमंत्री सेठी का संबंधी था, वह पूंजीपति था। क्या सत्तारूढ़ दल जानता नहीं था कि वह बिना दल-बदल किए हुए, बिना ईमान का सौदा किए हुए नहीं आ सकता? मगर सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रयत्न किया गया एक सदस्य और खड़ा करके कि जनसंघ जो अपने बल पर एक सदस्य ला सकता था, उसके आने का दरवाजा रोका जाए। यह बात अलग है कि उस प्रयत्न में उनको सफलता नहीं मिली। दुनिया में हर कोई बिकाऊ नहीं होता। हर किसी की कीमत नहीं लगाई जा सकती। यही खेल उत्तर प्रदेश में किया गया। मेरा निवेदन है कि दल-बदल लोकतंत्र को दूषित कर रहा है, विकृत कर रहा है।

उपाध्यक्ष जी, आज चुनाव के बाद की जो स्थिति बनी है उसमें विरोधी दलों से यह आशा की जा रही है कि वे सहयोग करेंगे, पुनर्निर्माण में हाथ बटाएंगे। लेकिन युद्धकाल में जो सहयोग दिया गया उसका चुनाव जीतने के लिए जिस तरह से लाभ उठाया गया, यह देखकर सहयोग की

अपीलें आज कानों को अच्छी नहीं लगतीं।

उपाध्यक्ष जी, कल कुछ सदस्य कह रहे थे कि अगर प्रधानमंत्री को एक नेता कहा जाता है तो क्या आपत्ति की बात है, वाजपेयी जी ने भी तो इस सदन में कहा था कि प्रधानमंत्री एक नेता हैं। मेरा निवेदन है कि मैंने ऐसा नहीं कहा। उपाध्यक्ष जी, मैंने जो कुछ कहा, वह मैं सुनाता हूं। इस सदन की कार्यवाही है, मेरे हाथ का लिखा हुआ दस्तावेज नहीं है :

"हम आशा करते हैं कि इतिहास-घड़ी को बदलने का दायित्व जिन हाथों में है और प्रधानमंत्री जी संकट की घड़ी में देश को नेतृत्व देने के लिए सामने आ रही हैं। हम चाहते हैं कि यह देश विजयी हो, और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम एक नए इतिहास का निर्माण करें।"

इसमें एक नेता की बात नहीं है ...

कुछ माननीय सदस्य : इससे भी ज्यादा है।

श्री वाजपेयी : ज्यादा हो सकती है मगर एक नेता की बात नहीं है। मगर एक नेता की बात कह दी गई, ऑल इंडिया रेडियो से तथा समाचारपत्रों में भी छाप दी गई। हमने उसका खंडन नहीं किया। खंडन इसलिए नहीं किया कि युद्ध के समय हम देश को बांटना नहीं चाहते थे।

श्री बी.पी. मौर्य : वह आपकी महानता है।

श्री वाजपेयी : हमने तारीफ़ की, इसका हमें गम नहीं है। गम इस बात का है कि जिनकी तारीफ की, उन्होंने अपने को उस तारीफ के लायक सिद्ध नहीं किया।

उपाध्यक्ष जी, चुनाव में विजय प्राप्त करना एक बात है और अपने आचरण से महानता का परिचय देना दूसरी बात है। सफलता अलग होती है और महानता अलग होती है। मैं इस विवाद में ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात स्पष्ट है। अगर केंद्र और प्रदेश के संबंधों पर नए ढंग से विचार करने की बात की जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी से प्रधानमंत्री जी नहीं बच सकतीं। चुनाव में उन्होंने भाषण दिए जिनमें जनता से कहा गया कि अगर इस क्षेत्र का विकास चाहते हो तो मेरी पार्टी को वोट दो। क्या विरोधी दल को वोट देना एक जुर्म है? अगर जनता ने विरोधी दल को वोट दिया तो क्या बुरा किया? क्या इसकी यह सजा दी जाएगी कि उस क्षेत्र का विकास नहीं होगा? क्या यह देश की एकता को बनाए रखने का तरीका है?

श्री सतपाल कपूर : यह गलत बात है। मिसलीड करनेवाली बात है।

श्री वाजपेयी : आपकी ओर से उत्तर देनेवाले मौजूद हैं। उपाध्यक्ष जी, आज चुनाव के बाद यह मांग बढ़ रही है कि प्रदेशों को अधिक अधिकार मिलने चाहिए। ऑल इंडिया रेडियो का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे देखते हुए मुझे ऐसा संदेह है कि कल कोई मांग करेगा कि राज्य का अपना अलग रेडियो होना चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, आज सत्ता नई दिल्ली में केंद्रित हो गई है। लोकतंत्र के विकास के लिए यह ठीक नहीं है। सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केवल प्रदेशों तक ही सत्ता का विकेंद्रीकरण उचित नहीं है। सत्ता कारपोरेशन, जिला परिषद, पंचायत तक बंटनी चाहिए। आज पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका, कारपोरेशन, सब प्रादेशिक सरकार के हाथों की कठपुतली हैं। प्रादेशिक सरकारें केंद्र के हाथ की कठपुतली हैं। केंद्रीय सरकार और कोई नहीं है, खाली प्रधानमंत्री ही प्रधानमंत्री हैं।

मैं एक बात कहकर खत्म कर दूंगा। श्री जी.के. रेड्डी एक प्रमुख पत्रकार हैं, वह कहते हैं :

"केंद्र में सरकार की पूरी व्यवस्था ऐसी है कि नीतियों या व्यक्तियों के बारे में लगभग सभी

निर्णय प्रधानमंत्री को लेना होता है या अनुमोदित करना पड़ता है, जिनके पास सदा वक्त की कमी रहती है। परिणामस्वरूप, वह अंतिम क्षण तक निर्णयों का टालते रहने को बाध्य होती हैं, वह चाहे मंत्रिमंडल में परिवर्तन, राज्यपालों की नियुक्ति, सेनाध्यक्षों का चुनाव, राजदूतों की नियुक्ति या सरकार में केंद्रीय पदों पर वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति से संबंधित मामले हों।"

प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, आणविक शक्ति मंत्री हैं। सारी गुप्तचर एजेंसियां इकट्ठी हो गई हैं। मैं यह बात बलपूर्वक कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में गुप्तचर विभाग ने यह पता लगाया कि कांग्रेस पार्टी का कौन उम्मीदवार उपयुक्त हो सकता है और कौन कांग्रेसजन पार्टी के खिलाफ काम कर रहा है। इसके लिए भी गुप्तचर विभाग के लोगों से रिपार्ट मांगी गई।

कई माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार और उसके निराकरण के संबंध में चर्चा की है। अगर सेवाओं में से भ्रष्टाचार को निकालना है तो राजनीतिक नेताओं को आचरण का आदर्श रखना होगा। महाजनो येनः गतः स पंथाः। अगर गंगोत्री गंदी है, तो प्रयाग में गंगा पवित्र नहीं मिल सकती।

हरियाणा के मुख्यमंत्री के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए हैं क्या वे सप्रमाण नहीं हैं? क्या उन आरोपों के बारे में एटार्नी जनरल की राय नहीं मांगी जा सकती? मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि उस गंदगी में प्रधानमंत्री अपना नाम क्यों घसिटवाना चाहती हैं। आज इस सदन में कहा गया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नई दिल्ली को भी अपने भ्रष्टाचार से स्पर्श कर सकते हैं, इसलिए जांच नहीं हो रही है। मैं कहूंगा कि यह मामला एटार्नी जनरल को सौंप दिया जाए।

कल इस सदन में आंध्र के एक मंत्री के विरुद्ध भी आरोप लगाए गए हैं, और लगानेवाले विरोधी दल के नहीं थे, सत्तारूढ़ दल के थे। अब प्रधानमंत्री को शक्ति मिल गई है। अब यह भ्रष्टाचार का निर्मूलन करें, देश में लोकतंत्र को सफल बनाएं और स्वस्थ परंपराएं चलाएं। केवल चुनाव जीतना ही काफी नहीं है। चुनाव के साथ राष्ट्र और उसके भौतिक तथा नैतिक आधार को दृढ़ करने की आवश्यकता है। क्या हम उसके उपयुक्त स्वयं को सिद्ध कर सकेंगे?

गृह राज्य मंत्री श्री के.सी. पंत : महोदय, मैंने कल और आज बहस बहुत ध्यान से सुनी, और बहस सुनते हुए मुझे वे महान घटनाएं स्मरण हो आईं जिन्हें हमने गुजरे हुए वर्षों में देखा है। ये घटनाएं ऐतिहासिक घटनाएं थीं। आजादी के बाद एक राष्ट्र के रूप में हमने जिन सबसे कठिन चुनौतियों का सामना किया, वे उनमें से एक थीं। बंगला देश की सभी घटनाएं, जिन्हें दोहराने की मुझे जरूरत नहीं है, और हमारे देश में एक करोड़ शरणार्थियों की मौजूदगी ने एक राष्ट्र के रूप में हमारे और हमारे नेतृत्व के समक्ष निश्चित रूप से एक महान चुनौती प्रस्तुत की थी। महोदय, यह महान संतोष का विषय है कि यह देश इस परीक्षा में सफल रहा और अतिरिक्त आत्मविश्वास के साथ उभरा। श्री वाजपेयी को सुनते हुए, मैं यह सुनकर चकित रह गया, उन्होंने भी यह दोहराया जो विपक्ष के कई सदस्यों के कहने की प्रवृत्ति रही है कि हमने इस विजय के कारण चुनाव जीता। क्या वाजपेयी जी खुश होते यदि हम युद्ध हार जाते, ताकि जनसंघ जीत सके?

श्री वाजपेयी : ऐसा होता तो हम आपसे सहयोग नहीं करते। यह नियमों के विरुद्ध है।

श्री के.सी. पंत : मैंने सोचा कि उन्होंने मुझ पर नियमों के विरुद्ध वार किया है, और मैं उसका जवाब दे रहा था।

दिलों को जीतिए, इमारतों को नहीं

उपाध्यक्ष जी, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के भाषण सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। जंतर-मंतर रोड पर जो कुछ हुआ, वह तो निंदनीय है ही, लेकिन उसके औचित्य को सिद्ध करना, उसको सही बताना, वहां पर जो कुछ गुंडागर्दी की गई उसके समर्थन में इस सदन में भाषण देना, उस पाप को और ज्यादा ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना है। उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी वहां पर हुआ है, कोई भी ईमानदार कांग्रसी उसका समर्थन नहीं कर सकता। सदन के बाहर मैंने कई प्रमुख लोगों से बात की है, उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो कुछ हुआ है, वह नहीं होना चाहिए था। क्या हम इमारतों के लिए लड़ेंगे? एक तरफ सत्तारूढ़ दल दावा करता है कि जनता उसके साथ है, संसद में भारी-भरकम बहुमत है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसके पक्ष में निर्णय दे दिया है, लेकिन फिर भी वे जंतर-मंतर की इमारत के लिए लड़ रहे हैं! जो कानून बनानेवाले हैं, उन्होंने ही कानून को तोड़ा है! जो जनता से अनुशासन की आशा करते हैं, उन्होंने ही अनुशासनहीनता का निंदनीय प्रदर्शन किया है! जिन पर कानून और विधि का राज्य कायम करने की जिम्मेदारी है, उन्होंने ही उस कानून के राज्य के अंत का आरंभ किया है! क्या कोई इस बात का समर्थन कर सकता है?

मान लीजिए, कांग्रेस संगठन वहां गलत तरीके से बैठा था, लेकिन गलत तरीके से बैठनेवाले किराएदार को भी आज मकान मालिक निकाल नहीं सकता। उसके लिए अदालत से इजाजत लेनी होगी और उसके बाद भी वह काम पुलिस कर सकती है, लेकिन यहां तो आप जबर्दस्ती घुस गए और वरिष्ठ नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया⋯(व्यवधान)

श्री एच.के.एल. भगत : व्यवस्था के प्रश्न पर। जब अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव की इजाजत दी, तो उन्होंने पूर्णतः स्पष्ट कर दिया था कि उन स्थितियों, जिनकी परिणति जंतर-मंतर कांड में हुई, पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि वे सब जूडिस हैं। लेकिन श्री वाजपेयी सीधे-सीधे उन पर बोल रहे हैं। वे अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देशों के खिलाफ बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने यह भी कहा था कि यदि उन पर बहस हुई तो वे रोक देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी से आशा कर रहा हूं कि वे इस निर्देश का पालन करें, लेकिन

** जंतर-मंतर रोड पर हिंसात्मक प्रदर्शन पर लोकसभा में १६ नवंबर, १९७१ को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।*

मैं नहीं समझता कि इसका बहुतों ने पालन किया है। मैं यही अपेक्षा करता हूं कि सदस्यों को अपने वक्तव्यों में सम्मान और संयम बरतना चाहिए। इस भ्रम और रोष के माहौल में हमने कुछ बहुत रचनात्मक वक्तव्य सुने।

मैं इस मामले में सबसे सहयोग का आग्रह करता हूं।

श्री के.एस. छावड़ा (पाटन) : यह पक्ष नियमों का पालन करता है, जबकि वह पक्ष पालन नहीं करता है।

मूल्यों की कीमत पर इमारत पर कब्जा

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, तथ्यों को कैसे झुठलाया जा सकता है? क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है कि ७, जंतर-मंतर रोड पर पहले कांग्रेस संगठन का कब्जा था? आप यह कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उन्हें अपने आप वह दे देना चाहिए था, लेकिन अगर वहां पर उनका कब्जा नहीं था तो आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं थी, आप उनको हटाने के लिए वहां गए और उस कब्जे को हटाने में कांग्रेस संगठन के नेताओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। क्या आप चाहते हैं कि हम श्री सादिक अली की ईमानदारी पर शक करें? वह कल तक आपके साथ थे। उनको हमने कांग्रेस संगठन के नेता के रूप में देखा है, वह आजादी की लड़ाई के सेनानी के रूप में हमारे सामने आए और आज वह भूख-हड़ताल कर रहे हैं, और यहां उनका मजाक बनाया जा रहा है। अगर सत्तारूढ़ दल अपने दल के सहयोगियों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है तो अपने विरोधियों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

सत्तारूढ़ दल ने, जो संविधान में विश्वास नहीं करते, जिनकी लोकतंत्र में निष्ठा नहीं है, आज उन्हें इस सदन में खड़े होकर यह कहने का मौका दे दिया कि हम जो कुछ कर रहे हैं, वह ठीक कर रहे हैं। आज यह तर्क दिया जा रहा है कि कर्मचारियों ने हमको निमंत्रण दिया था कि आप इस भवन में आ जाइए और हम उनका निमंत्रण स्वीकार करके भवन में चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे घर में एक कर्मचारी है, वह गरीब आदमी है, उसको खरीदने की शक्ति उधर बैठे हुए महानुभाव रखते हैं। कहीं ये उसको अपनी तरफ लेकर उससे पत्र लिखवा लें तो मुझे डर है कि कहीं १, फिरोजशाह रोड पर भी ये लोग कब्जा न कर लें। यह कहना कि हम कर्मचारियों के निमंत्रण पर वहां गए थे—यह तर्क मालवीय जी दे रहे हैं, यह तर्क सत्तारूढ़ दल की तरफ से दिया जा रहा है, कोई भी एक सदस्य ऐसा खड़ा नहीं हुआ, मुझे दुख है, जो यह कहता कि जो कुछ हुआ, वह गलत हुआ, अत्यधिक उत्साह में हो गया, नहीं होना चाहिए था।

कल प्रधानमंत्री ने अपील की है देश की जनता से एकता की, कल प्रधानमंत्री ने अपील की है राजनैतिक दलों से सहयोग की—क्या यह सहयोग लेने का तरीका है? क्या यह इस देश की जनता में लोकतंत्र के लिए निष्ठा बनाए रखने का ढंग है? मालवीय जी मूल्यों की बात कह रहे थे—कौन से मूल्य? जबर्दस्ती किसी इमारत पर कब्जा कर लेना, यह किसी मूल्य की रक्षा करना नहीं है। यह देश में फासिस्टवाद का प्रारंभ है और याद रखिए, आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन जो दैत्य जगाया जा रहा है, वह आपको ही खाएगा। यह भस्मासुर जगाया जा रहा है, अलोकतंत्रवादियों के हाथों यह खेल खेला जा रहा है। कल तक हम सोचते थे कि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा हो रहा है और सारा सदन उसकी निंदा करता था, लेकिन अब तो भारत की राजधानी

में, केंद्रीय सरकार की नाक के नीचे, पुलिस को निष्क्रिय रखकर ऐसा हो रहा है।

कल पुलिस सक्रिय हो गई थी, अकालियों पर टीअर-गैस छोड़ने के समय पुलिस की निष्क्रियता कहां भाग गई? जब शांत सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का मौका आता है, तब दिल्ली की पुलिस शांति बनाए रखने की चिंता नहीं करती। विरोधी दलों के प्रदर्शनों के साथ पटेल चौक में क्या व्यवहार हुआ है वह सदन भूला नहीं है, देश भूला नहीं है। पुलिस हस्तक्षेप कर सकती थी, पुलिस जो जबर्दस्ती घुस गए थे, उनको रोक सकती थी, लेकिन पुलिस तो निष्क्रिय कर दी गई थी, कानून और व्यवस्था को अपंग बना दिया गया था और आज नैतिकता की आवाज भी सदन में सुनाई नहीं देती। एक आशा की किरण है। मैं नहीं जानता प्रधानमंत्री जी सदन में क्यों नहीं हैं, मैं नहीं जानता उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट की है या नहीं की है, लेकिन अखबारवाले कहते हैं, अखबारों में खबर छपी है और कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी मेरी बात हुई है, उन्हें भी यह अच्छा नहीं लगा है, लेकिन कोई बोलता नहीं, किसी आदमी की आवाज सुनाई नहीं देती। यह देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अखबारों ने लिखा है—ये कोई जनसंघ के अखबार नहीं हैं—

सत्ता का अहंकार—हिंदुस्तान टाइम्स।

लज्जाजनक कार्य—टाइम्स ऑफ इंडिया।

लज्जाजनक—इंडियन एक्सप्रेस।

मैं इंडियन एक्सप्रेस के एक अंश को यहां उद्धृत करना चाहता हूं, यह आज का ही अंक है :

"राजनीतिक गुंडों, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की उपेक्षा करते हुए कानून अपने हाथ में ले लिया, का कार्य वास्तव में सर्वोच्च न्यायिक अधिकरण की अवमानना है और इस शरारत को निरापद रूप से निकल जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती! दलों का लिहाज किए बगैर जनमत को इस हिंसा की निंदा करनी चाहिए। यदि निंदा नहीं की गई तो यह इस देश में कानून एवं व्यवस्था के अंत की शुरुआत होगी।"

उपाध्यक्ष महोदय, कितनी झूठी बात कही जा रही है कि जंतर-मंतर की रक्षा आर.एस.एस. वाले कर रहे हैं। इन्हें आर.एस.एस. वाले सभी जगह दिखाई देते हैं, कंस को हर जगह कृष्ण ही दिखाई देते थे। आर.एस.एस. वाले होते तो आप घुस नहीं सकते थे। मैं गया था जंतर-मंतर, तीन पार्लियामेंट के मेंबर श्री वीरेंद्र अग्रवाल वहां गए थे, उन्हें इंडीकेट के समर्थकों ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस के समर्थकों ने पीटा, उनको मारा-पीटा और उनका कोट फाड़ दिया।

जंतर-मंतर पर कांग्रेसियों का ट्विस्ट

अभी-अभी जंतर-मंतर पर ये घटना हुई है। वे लोग जिन्हें कांग्रेस का समर्थक कहा जा रहा है, उन्हें भी मैंने देखा था, वे जंतर-मंतर पर कब्जा करने के बाद ट्विस्ट कर रहे थे। ये ट्विस्ट करनेवाले कांग्रेस में कब आए? वे अपना ट्विस्ट नहीं कर रहे थे, वे कांग्रेस पार्टी का ट्विस्ट कर रहे हैं, वे लोकतंत्र का ट्विस्ट कर रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि भस्मासुर मत जगाइए, सत्ता के संघर्ष में भी कुछ मूल्यों की रक्षा करिए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप जंतर-मंतर छोड़ सकते हैं। आपने नं. ५ राजेंद्र प्रसाद रोड ले ली है। आप जो भी बिल्डिंग चाहें, ले सकते हैं। हुकूमत आपकी है। मगर सत्ता का दुरुपयोग करना, सत्ता के नशे में चूर होने का परिचय देना,

जनमत की खुली अवज्ञा करना, इस संकट की घड़ी में, मुझे लगता है, देश का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित नहीं है।

मैं भी प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूं कि वे अपने सहयोगियों से कहें कि वे जंतर-मंतर छोड़ दें। जब आप जनता के दिलों पर अधिकार कर रहे हैं तो आप इमारत के पीछे मत लड़िए। यह देश एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। सीमा पर संकट है। याह्या खां से लड़िए, सादिक अली से नहीं। बंगला देश मुक्त करिए, जंतर-मंतर रोड का भवन नहीं। लेकिन याह्या खां से निपटने में जिनके हाथ फूलते हैं, वे सादिक अली को भूख-हड़ताल करके अपनी जान देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यह गलती हुई है। इसका प्रायश्चित होना चाहिए। एक अपराध किया गया है, जिसके लिए क्षमा मांगी जानी चाहिए। लेकिन इसका औचित्य सिद्ध करके, झूठे आरोप लगाकर आर.एस.एस. को घुसेड़कर और यह कहकर कि मैं गया था आर.एस.एस. वालों को लेकर, इससे आपके अपराध की गुरुता कम नहीं होगी। मैं मानता हूं कि जो गलती की गई है, उसको अभी भी सुधारा जा सकता है और इस देश के वातावरण को बिगड़ने से रोका जा सकता है। धन्यवाद।

सत्ता को असीमित अधिकार न दें

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहूंगा। श्री रामनिवास मिर्धा जो विधेयक सदन के सामने पेश करना चाहते हैं, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सामान्य रीति से जब विधेयक पेश किया जाता है तो उसका विरोध नहीं होता है। लेकिन यह विधेयक जिस प्रकार का है, उसमें इसके सिवाय हमारे सामने कोई चारा नहीं है कि हम इस स्थिति में और इसी स्तर पर इसका विरोध करें। मेरे विरोध के कारण संवैधानिक हैं, प्रक्रिया-संबंधी हैं और राजनैतिक भी हैं। मेरा निवेदन है कि यह विधेयक असंवैधानिक है, लोकतंत्र-विरोधी है, जनाधिकारों पर कुठाराघात करनेवाला है और प्रतिपक्ष को कुचलने के लिए सत्ता के हाथ में असीमित अधिकार देने का प्रयत्न करता है। संविधान में नागरिकों को यह मूलभूत अधिकार मिला है कि वे शांतिपूर्ण रीति से एकत्र हो सकें और अपना संगठन और यूनियन बना सकें। मूलभूत अधिकारों के अंतर्गत भी नागरिकों को हक है कि वे शांतिपूर्वक एकजुट हो सकते हैं और कोई संगठन या समिति बना सकते हैं। यह हमारा मूलभूत अधिकार है। यह ठीक है कि संविधान ने इस अधिकार पर मर्यादाएं लगाई हैं। एक मर्यादा यह है कि अगर कोई संगठन राष्ट्र की सर्वप्रभुता, अखंडता के खिलाफ काम करे तो उसको अवैध घोषित किया जा सकता है। इसीलिए संसद ने अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट पास किया था, जिसका उद्देश्य था उन दलों को अवैध घोषित करना जो भारत के किसी भू-भाग को किसी विदेशी को सौंपना चाहते हैं। लेकिन अब संविधान के दायरे का उल्लंघन करके संगठन बनाने के मूलभूत अधिकार को कुचलने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। यह विधेयक संविधानसम्मत नहीं है। यह विधेयक असंवैधानिक है। इस सदन में और बाहर भी जब-जब सरकार से पूछा गया कि क्या वह किसी संगठन को गैर-कानूनी घोषित करने का विचार कर रही है, तो सरकारी प्रवक्ताओं ने उत्तर दिया—संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन आज संविधान को ताक में रखकर, एक सामान्य कानून लाकर संगठनों के अस्तित्व को समाप्त करने का षडयंत्र किया जा रहा है।

इस विधेयक के दो भाग हैं। एक-इंडियन पीनल कोड के १५३ (ए) में यह विधेयक संशोधन का। सदन की जानकारी के लिए मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहूंगा—आप मुझे इतना समय दें।

** अपराध कानून में संशोधन विधेयक के विरोध में लोकसभा में ३ सितंबर, १९७० को भाषण।*

१५३ (ए) इस प्रकार है :

"जो कोई भी शब्दों द्वारा लिखित या बोले गए या संकेतों द्वारा या दृष्टा प्रतिरूप द्वारा या अन्य किसी तरह से, धर्म, वर्ण, जाति, भाषा, समुदाय के आधार पर या अन्य किसी आधार पर विभिन्न धर्म, वर्ण या भाषायी समूहों या जाति या समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को प्रोत्साहित करता है या प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है, और जो सार्वजनिक शांति को भंग करता है या भंग करनेवाला है, को दंड दिया जाएगा जो तीन वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों एक साथ हो सकती है।"

इसका अर्थ यह है कि यह धारा व्यक्तियों पर लागू होगी, संगठनों पर नहीं। यदि कोई व्यक्ति घृणा का प्रचार करता है, विभिन्न संप्रदायों में, चाहे वह भिन्न भाषा बोलनेवाले हों या भिन्न धर्मों का अवलंबन करनेवाले हों, यदि वह तनाव पैदा करता है तो वह कानून के अनुसार दंडनीय है, उसे तीन साल तक की सजा दी जा सकती है। अभी तक यह कानून व्यक्तियों तक सीमित था, लेकिन अब इस कानून के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। पार्टियों को, चाहे वह राजनीतिक हों अथवा गैर-राजनीतिक हों तथा अन्य संगठनों को उसके दायरे में लाया जा रहा है और इसके साथ ही सरकार अधिकार ले रही है कि ऐसे संगठनों को अवैध घोषित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय, जब अनलॉफुल एक्टिविटीज बिल इस सदन में आया था, तो इस तरह की एक धारा उसमें थी। श्री यशवंत राव चह्वाण उस समय उस विधेयक का इस सदन में संचालन कर रहे थे। यह विधेयक सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। सेलेक्ट कमेटी में यह मत बना था जिसकी सदन ने भी बाद में पुष्टि की, कि वह संगठनों को गैर-कानूनी घोषित करने का विधेयक केवल उन्हीं संगठनों तक सीमित रहना चाहिए जो कि भारत के किसी भू-भाग को दूसरे देश को देना चाहते हैं, जो कि देश की अखंडता और सर्वप्रभुता के खिलाफ कार्यवाही करना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है, जिसमें यह विधेयक लाया जा रहा है? सदन को यह जानने का अधिकार है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अंतर्गत क्या प्ले बिसाइट फ्रंट जम्मू-काश्मीर को भारत से बाहर नहीं ले जाना चाहता?

नक्सलवादियों की गतिविधियां

इससे भी गंभीर बात आज देश के सामने और है। वह खतरा है नक्सलवादियों का, जो कि चीन के राष्ट्रपति को अपना राष्ट्रपति बता रहे हैं, जो चीन के पथ को अपना पथ बता रहे हैं, जो हथियार इकट्ठे कर रहे हैं, संविधान को तोड़ रहे हैं और राजनीतिक हत्याएं कर रहे हैं। आपको सुनकर ताज्जुब होगा और दुख भी होगा कि नक्सलवादियों की गतिवधियां हमारी सेनाओं में भी पहुंच गई हैं। थोड़े दिन पहले जल सेना के ३६ जहाजों पर नक्सलवादी पोस्टर लगे हुए पाए गए। जल सेना के इन जहाजों में हमारा आई.एन.एस. विक्रांत भी था। ये पोस्टर एक दिन में लगाए गए। ३६ जहाजों पर वे पोस्टर एक साथ लगे हुए पाए गए। क्या यह समझना चाहिए कि इन जहाजों पर काम करनेवाले कर्मचारियों में नक्सलवादियों ने प्रवेश किया है? उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की जा रही है? वायु सेना में भी नक्सलवादी घुस रहे हैं। इस बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है। समाचारों को दबाया जा रहा है। अभी हावड़ा हवाई अड्डे से भारत की वायु सेना का जो जहाज उड़ा था और जो बीच में टूटकर गिर गया, वह खबर छिपाई गई, वह खबर छपने नहीं दी गई, क्योंकि जहाज के टूटने का कारण सेबोटेज था, तोड़-फोड़ थी। मेरे पास

जो जानकारी है, उसके अनुसार अभी इंडियन एयर लाइंस कार्पोरेशन का जो विमान आसाम में ध्वस्त हुआ है, उसके पीछे भी नक्सलवादियों की गतिविधियों की शंका की जा रही है, संदेह किया जा रहा है।

आज देश की अखंडता, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक ढांचे को नक्सलवादियों से खतरा है। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था गृह मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में, कि नक्सलवादियों के खिलाफ कोई कानून बनाया जाएगा। वह कानून कहां है? नक्सलवादियों के खिलाफ कोई कानून नहीं है और अब ऐसा कानून बनाया जा रहा है जिसकी परिधि से कोई भी दल बचनेवाला नहीं है। हमारे डी.एम.के. के मित्र सावधान रहें, वे भी १५३-ए की पकड़ में आ सकते हैं। अकाली दल, शोषित दल, किसी भी दल···(व्यवधान)···आर.एस.एस. भी है और भारतीय जनसंघ भी है। ···(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश त्यागी (मुरादाबाद) : सिर्फ चाइनीज एजेंट को छोड़कर।···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : महाराष्ट्र में जिस शिव सेना के साथ सत्तारूढ़ कांग्रेस गठबंधन करके बैठी है, वह भी इसमें आ सकता है। प्रश्न यह है कि इस विधेयक के लाने का औचित्य क्या है? इस विधेयक को लाने के पहले प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय नेताओं की बैठक क्यों नहीं बुलाई? आखिर सांप्रदायिकता क्या है? कौन यह निर्णय करेगा कि कौन सांप्रदायिक है? मुस्लिम लीग सांप्रदायिक है या नहीं? उस मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन के फलस्वरूप मुस्लिम लीग को सारे देश में फैलानेवाले इस देश की अखंडता के खिलाफ साजिश करने के दोषी हैं या नहीं? क्या यह निर्णय करने का अधिकार केवल सरकार को दे दिया जाएगा—उस सरकार को जो कि अल्पमत सरकार है? यह मांग की गई थी कि सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिक दल कौन हैं, इसकी परिभाषा करने के लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बिठाया जाए। उस मांग को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि सरकार ऐसे अधिकार लेना चाहती है जिससे अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाना चाहती है।

मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन इस प्रकार का अधिकार सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो अधिकार दिया गया था उसका उपयोग नहीं किया गया, और जो अधिकार मांगे गए हैं, उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि यह विधेयक वापस लें, नहीं तो इस विधेयक को इस सदन को ठुकराना पड़ेगा, इसी स्टेज पर।

अब हिंदू मार नहीं खाएंगे

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं देश के विभिन्न भागों में हुए सांप्रदायिक उपद्रवों से उत्पन्न स्थिति पर विचार आरंभ करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं आज कुछ साफ-साफ बातें करना चाहता हूं। अब चिकनी-चुपड़ी बातें करने का वक्त नहीं रहा। परिस्थिति गंभीर है। देश की एकता दांव पर लगी है। सांप्रदायिकता के ज्वार में राष्ट्र की नौका डगमगा रही है। पानी हमारे सिर तक पहुंच गया है। आवश्यक है कि हम सारी परिस्थिति पर गंभीरता से सोचें और स्पष्टवादिता का आश्रय लेकर अपने विचार सदन के सामने रखें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक संयोग है कि भिवंडी महाराष्ट्र में है। यह भी एक संयोग है कि इस समय महाराष्ट्र में इंडिकेट की सरकार है। लेकिन इन संयोगों का वहां पर हुए सांप्रदायिक उपद्रवों से कोई सीधा संबंध नहीं है। भारत के किसी भी राज्य में भिवंडी हो सकता. है, किसी भी सरकार के अंतर्गत सांप्रदायिकता का दावानल फूट सकता है। बिहार के चायबासा में सांप्रदायिक उपद्रव हुआ था, पर बिहार में इंडिकेट की सरकार है। जब बिहार में राष्ट्रपति का शासन था, तब भी वहां ७० के करीब सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पश्चिमी बंगाल में जहां संयुक्त मोर्चे की सरकार सत्तारूढ़ थी, सांप्रदायिक उपद्रव हुए, जिनकी संख्या करीब २५ थी। कलकत्ते में, हावड़ा में, तैलानीपाड़ा में, जगतदल में सांप्रदायिकता की चिंगारियां भड़कीं, जान और माल का नुकसान हुआ। अभी १९ अप्रैल को मैसूर के चामराजनगर में छोटे-छोटे बच्चों के जुलूस पर ३०० गुंडों ने संगठित आक्रमण किया। चामराजनगर से पहले चिकमंगलूर में, रामनगर में, चेन्नापटना में दंगे हो चुके हैं। मैसूर में इस समय सिंडिकेट की सरकार है। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि सांप्रदायिक दंगे कहीं भी, कभी भी और किसी भी शासन के अंतर्गत हो सकते हैं। इसलिए अहमदाबाद में दंगा हो जाए तो गुजरात की सरकार को बलि का बकरा बनाया जाए, महाराष्ट्र में दंगा हो जाए तो महाराष्ट्र में 'इंडिकेट' का शासन है, उसकी खबर ली जाए—यह कुछ मात्रा में आवश्यक हो सकता है—लेकिन इससे समस्या हल होनेवाली नहीं।

गुजरात में सरकार ने भूलें की थीं, उनकी ओर हमने अपनी उंगली उठाई थी और भिवंडी में महाराष्ट्र सरकार ने जो गलतियां की हैं, उनका भी हम इस सदन में उल्लेख करेंगे। लेकिन

** देश में सांप्रदायिक तनाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के दौरान लोकसभा में १४ मई, १९७० को भाषण।*

मेरे कहने का अभिप्राय इतना ही है कि सांप्रदायिक दंगे पार्टी का प्रश्न नहीं है। आज देश की स्थिति ऐसी है कि कहीं भी उपद्रव हो सकता है, आज जनता की मनःस्थिति ऐसी है कि कहीं भी हिंसा, हत्या और अग्निकांड का आश्रय लेकर कानून और व्यवस्था को भंग किया जा सकता है। हमें इन दंगों को पार्टी का चश्मा उतारकर देखना होगा, और मैं चाहता हूं कि कामरेड डांगे चश्मे को उतारकर इन दंगों को देखें। मुझे खुशी है कि उन्होंने अपना चश्मा उतार लिया—दलगत स्वार्थों को अलग रखकर इस पर विचार करना होगा, वोटों की चिंता को छोड़कर राष्ट्र को बचाने की चिंता करनी होगी।

सांप्रदायिकता का सवाल

अहमदाबाद के दंगों के बाद जिन्होंने गुजरात सरकार के त्यागपत्र की मांग की थी, और उनमें मैं अपने संयुक्त समाजवादी मित्रों को शामिल नहीं करता, मेरा इशारा किधर है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए, आज वह महाराष्ट्र की सरकार से त्यागपत्र नहीं मांग रहे हैं। क्या अहमदाबाद में जो खून बहा था, वह खून था और भिवंडी में जो बहा है वह पानी है? क्या सांप्रदायिकता को नापने के अलग-अलग गज होंगे? क्या अहमदाबाद, भिवंडी और जलगांव में मरनेवाले भारतीय नहीं हैं? क्या इस राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न पर भी हम दलगत स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ सकते? हम देश की एकता का विचार करके नहीं चल सकते? यह विवाद इस बात को साबित करेगा कि यह सदन, इस सदन में जिन दलों को प्रतिनिधित्व मिला है, वे दल और उन दलों के प्रवक्ता इस महत्वपूर्ण समस्या पर कैसा दृष्टिकोण अपनाते हैं। हमें सच्चाई का सामना करना होगा। सच्चाई कितनी भी कठोर हो, कितनी भी भयानक हो, उसका उद्‌घाटन करना पड़ेगा। आज लाग-लपेट से काम नहीं चलेगा, किसी के पाप के ऊपर पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है।

पहला प्रश्न यह है कि इन दंगों का आरंभ कौन करता है···(व्यवधान), दूसरा प्रश्न यह है कि ये प्रारंभ क्यों किए जाते हैं, तीसरा प्रश्न यह है कि ये दंगे क्यों फैलते हैं और चौथा प्रश्न यह है कि इन दंगों को रोकने के लिए कौन से अल्पकालिक और दूरगामी उपाय किए जाने चाहिए?

दंगों को प्रारंभ कौन करता है इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट तैयार की है, वह मेरे पास है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस रिपोर्ट को टेबल पर रखने के लिए तैयार हूं। राष्ट्रीय एकात्मता परिषद की एक सब-कमेटी बनी थी, सांप्रदायिकता की समस्या पर विचार के लिए। श्री नाथ पई उस समिति के सदस्य थे। उसके लिए भारत सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें देश में डेढ़ साल में हुए प्रमुख दंगों के कारणों की जांच और उनका विवरण दिया गया था। उस काल में २३ दंगे हुए और गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार उन २३ दंगों में से २२ दंगों का प्रारंभ उन लोगों ने किया जो अल्पसंख्यक संप्रदाय के माने जाते हैं। यह रिपोर्ट अभी तक प्रकाश में नहीं आई है, मगर यह प्रकाश में आनी चाहिए।

इन २३ दंगों में कलकत्ता, नागपुर, औरंगाबाद, कटक तथा देश के कुछ और भागों के दंगे भी शामिल हैं, इलाहाबाद का मऊनाथ भंजन। मैं मानता हूं कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित है, लेकिन राज्य सरकारों की रिपोर्टें तथ्य पर आधारित होनी चाहिए, और तथ्य पुकार-पुकारकर कहते हैं कि इन दंगों को प्रारंभ करनेवाले हमारे कुछ मुसलमान मित्र थे।

जब मैं यह कहता हूं कि कुछ मुसलमान मित्र थे, तो मैं बाकी के मुसलमानों को अलग कर देता हूं। सब मुस्लिम संप्रदायी दंगे नहीं चाहते। मुसलमानों में देशभक्त भी हैं, मुसलमानों में अमनपसंद भी हैं। जो रोटी-रोजी के लिए मजदूरी करके बीवी-बच्चों का पालन करते हैं वे हिंसा, हत्या और अग्निकांडों से खेल नहीं खेलना चाहेंगे। मगर मुसलमानों में एक वर्ग जरूर है, और आज यह बात डंके की चोट पर कहने की जरूरत है, जो देश में सांप्रदायिकता लाना चाहते हैं। आज हम तथ्य पर पर्दा डालने की गलती न करें। एक वर्ग जरूर है जो दंगे की आग भड़काता है, जो चिंगारी लगाता है। यह बात मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, यह रिपोर्ट है।

इस रिपोर्ट के आने के बाद २ जून को इंदौर में दंगा हुआ, जहां मास्टर चंदगीराम के जुलूस को ३०० लोगों ने मुस्लिम मोहल्ले में रोकने की कोशिश की। यह भी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। उसके बाद जगतदल में दंगा हुआ, जहां श्रीदुर्गा और महावीरजी के जुलूस पर मस्जिद से पथराव किया गया। तत्पश्चात चायबासा में दंगा हुआ, जहां रामनवमी के जुलूस पर बम से हमला किया गया।

भिवंडी की शर्तें

अब मैं भिवंडी की तरफ आना चाहता हूं। भिवंडी बंबई से ३५ मील दूर है। भिवंडी में मुस्लिम बहुसंख्या है। कई सालों से भिवंडी नगरपालिका का अध्यक्ष एक हमारा मुस्लिम भाई होता आया है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। भिवंडी में गणेश-उत्सव को लेकर या शिवाजी जयंती को लेकर कुछ-कुछ तनाव हरदम पैदा होता रहता है। दो-तीन साल पहले जब से महाराष्ट्र के हमारे कांग्रेसी नेताओं ने शिवाजी जयंती समारोह में बड़े उत्साह से भाग लेने का संकल्प किया, भिवंडी के हमारे मुसिलम भाइयों का रवैया भी बदला। शायद उन्होंने सोचा होगा कि शिवाजी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी जयंती है, इसलिए हमको भी भाग लेना चाहिए। भिवंडी की जनता ने इसका स्वागत किया। लेकिन इस बार जयंती से कुछ दिन पहले भिवंडी के ३०-३५-३७ प्रमुख मुसलमानों ने शिवाजी जयंती जुलूस पर कुछ शर्तें लगाने की कोशिश की।

मुझे आश्चर्य है—और खेद भी—कि गृह मंत्री, श्री यशवंत राव चह्वाण ने, जो इस समय सदन में नहीं हैं—वह रोग-शैया पर हैं—राज्यसभा में यह कहा कि वे शर्तें ठीक थीं। उनको यह बात नहीं कहनी चाहिए थी। क्या कोई स्वाभिमानी समाज ये शर्तें मान सकता है? और वे शर्तें क्या थीं? एक शर्त तो यह थी कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के जुलूस में भगवा झंडा नहीं रहेगा। क्या भगवा झंडा शिवाजी महाराज का झंडा नहीं है? क्या तिरंगे से पहले इस देश में कोई झंडा नहीं था? क्या हम गांधी जी की कल्पना बिना तिरंगे के कर सकते हैं? सेंट्रल हाल में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो चित्र लगा हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि में तिरंगा है। अगर तिरंगे के बिना गांधी जी की कल्पना नहीं की जा सकती, तो भगवे झंडे के बिना शिवाजी महाराज की भी कल्पना नहीं की जा सकती।

फिर भगवे झंडे से मुसलमानों का क्या विरोध है? क्या इस्लाम कहता है कि भगवा रंग बुरा है? क्या कुरान में लिखा है कि भगवे रंग का विरोध करना चाहिए? देश की स्वाधीनता के बाद यदि कांस्टीटुएंट एसेंबली यह फैसला कर देती कि भारत का झंडा भगवा होना चाहिए, तो क्या भारत के मुसलमान बगावत करते? फिर भी भिवंडी में यह शर्त लगाई गई कि शिवाजी जयंती के जुलूस में भगवा झंडा नहीं रहना चाहिए। और शिवाजी महाराज का उत्तराधिकारी होने का दावा

करनेवाले श्री यशवंत राव चह्वाण कहते हैं कि ये शर्तें ठीक थीं। हिमालय की रक्षा के लिए आने वाले सह्याद्रि का कितना पतन हो गया! शिवाजी जयंती के जुलूस से शिवाजी महाराज के झंडे को अलग करने की मांग कभी नहीं मानी जा सकती। और मुझे खुशी है कि भिवंडी के चंद मराठियों ने इस मांग को मानने से इन्कार कर दिया।

दूसरी मांग यह रखी गई कि गुलाल न उड़ाया जाए। क्या आपत्ति है गुलाल पर? गुलाल अनुराग का प्रतीक है। अनुराग का रंग लाल होता है। जब हम आनंद में होते हैं तो गुलाल उड़ाते हैं। गुलाल का धार्मिक जुलूस से कोई संबंध नहीं है। जब मैं अहमदाबाद गया था, तो वहां एक लाख लोगों का जुलूस निकला और अहमदाबाद के लोगों ने मुझे गुलाल से लाल कर दिया। वह एक राजनैतिक दल का जुलूस था। अगर शिवाजी जयंती के जुलूस में थोड़ा सा गुलाल फेंक दिया जाए, तो क्या किसी को आपत्ति होनी चाहिए?

एक शर्त यह लगाई गई कि जुलूस किन रास्तों से जाएगा, यह हम तय करेंगे। दोनों पक्षों की जो बैठक बुलाई गई, उसमें नगर के अध्यक्ष नहीं आए। जिन प्रमुख मुसलमानों ने पत्रक निकाला था, वे भी नहीं आए। लेकिन बाद में कहा गया कि हम अपनी शर्तें वापस लेते हैं। अब मुझे लगता है कि शर्तों को वापस लेने का वह कदम एक नाटक था, एक जाल और धोखा था, जिसका उद्देश्य था हिंदुओं को असावधान करना और महाराष्ट्र की सरकार को गफलत में डालना। और उन लोगों का वह उद्देश्य पूरा हो गया।

नारे क्या थे?

अब कहा जाता है कि जुलूस में गड़बड़ इसलिए हुई कि जुलूस में भाग लेनेवाले कुछ लोगों ने अनधिकृत नारे लगाए। ये अनधिकृत (अनएथाराइज्ड) नारे क्या थे? कितने लोगों ने वे नारे लगाए? समाचारपत्रों से ज्ञात होता है कि मुट्ठी-भर लोगों ने लगाए। दस-पंद्रह हजार के जुलूस में कुछ लोग ऐसे निकल सकते हैं, जो निश्चित नारों से अलग नारे लगाएं। उन नारों के ऊपर रोष होना भी मैं समझ सकता हूं। जो चंद मुसलमान जुलूस में शामिल थे, वे उससे अलग हो सकते थे। अगर उन नारों पर बड़ी आपत्ति थी, तो वे दूसरे दिन भिवंडी में शांतिपूर्ण ढंग से हड़ताल करके अपना रोष प्रकट कर सकते थे। वह महाराष्ट्र सरकार के पास जाकर यह मांग कर सकते थे कि इस तरह के नारे लगानेवालों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने नारों का बहाना बनाकर जुलूस पर हमला कर दिया। जब जुलूस फिश मार्केट की संकरी सड़क पर गया… (व्यवधान)

श्री सीताराम केसरी (कटिहार) : वे नारे क्या थे?

श्री वाजपेयी : मुझे मालूम नहीं है। सरकार पता लगाए। जैसा कि मैंने अभी कहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि वे क्या नारे थे। लेकिन गलत नारे लगाए जाते हैं, इसलिए किसी को जुलूस पर हमला करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अहमदाबाद में भी गलत नारे लगे थे—"जो इस्लाम से टकराएगा, वह चूर-चूर हो जाएगा!" मगर उस जुलूस पर किसी ने हमला नहीं किया। किसी को कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

किंतु जुलूस पर हमला हुआ और उसके साथ भिवंडी शहर में जगह-जगह पर आग लगाई गई। हमला होना और आग लगाना एक साथ हुआ। …(व्यवधान) इस्माईल साहब पूछते हैं कि आग किसने लगाई? मैं बताना चाहता हूं कि आग हिंदू मोहल्लों में लगाई गई। मैं उन मोहल्लों

के नाम गिना सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यह स्पष्ट है कि जुलूस पर हमला करने की तैयारी थी और पहले से सामान इकट्ठा किया गया था। यह धारणा थी कि लोग जुलूस में चले जाएंगे और मोहल्लों को जलाकर खाक कर दिया जाएगा।

भिवंडी को अंधेरे में धकेला गया

पहले से ही तैयारी थी, इसके और भी प्रमाण हैं। दंगा करनेवालों ने पानी काट दिया, बिजली काटकर भिवंडी को अंधेरे में धकेल दिया, टेलीफोन के संबंध तोड़ दिए। आग बुझाने के लिए जो फायर ब्रिगेड के इंजन आए, उनको बम और पत्थर मारकर रोका गया। फायर ब्रिगेड का जो एक इंजन कल्याण से आया, उसको चलानेवाले की छाती में भाला मार दिया गया और वह इंजन भिवंडी में आग बुझाने के लिए नहीं जा सका। क्या ये काम बिना तैयारी के हो सकते हैं? जो हथियार पकड़े गए और जो भिवंडी के थाने में देखे जा सकते हैं, उनमें नए बने हुए भाले हैं और मालोटोव काकटेल हैं—बोतल में पेट्रोल भर दिया गया और ऊपर कपड़ा लगा दिया, कपड़े में आग लगाकर उस बोतल को फेंक दिया, वह बोतल गिरेगी, पेट्रोल फैलेगा और आग लग जाएगी। इस तरह सारा भिवंडी जलकर राख हो गया।

कांग्रेस के मित्र भी उस क्षति से नहीं बचे हैं। भिवंडी हथकरघों और पावरलूम के कारखानों का एक बड़ा केंद्र है। हमारे कांग्रेस के मित्र जो कारखाने चलाते हैं, वे भी राख में बदल गए हैं। एक डॉ. आचार्य बारह बेड अस्पताल चलाते थे और उनके ८८ फीसदी मरीज मुसलमान थे। उस अस्पताल को भी खाक कर दिया गया।

सवाल यह है कि महाराष्ट्र की सरकार ने इस संबंध में क्या किया? भिवंडी बंबई से ३५ मील दूर है। शहर में तनाव हो रहा है, कुछ प्रमुख नागरिकों ने शिवाजी जयंती के जुलूस के बारे में शर्तें लगाई हैं और उन शर्तों के कारण जनता का मानस उत्तेजित है, क्या महाराष्ट्र सरकार को यह पता नहीं था? क्या महाराष्ट्र सरकार उन ३५ या ३७ नागरिकों को जेल में बंद नहीं कर सकती थी? क्या महाराष्ट्र सरकार जुलूस के लिए प्रबंध नहीं कर सकती थी? गृह मंत्री, श्री चह्वाण ने कहा कि वहां पर पुलिस के सात सौ आदमी थे। क्या आपको मालूम है कि उन सात सौ आदमियों के पास बंदूकें नहीं थीं? बाद में बंबई से जो पुलिस भेजी गई, उसको भी बंदूकें नहीं दी गईं, उनके हाथ में बंदूकें नहीं थीं, लेकिन उनको गोली चलाने का आर्डर दिया गया। तो क्या वे चूर्ण की गोली चलाते? महाराष्ट्र सरकार को इस बात का जवाब देना होगा कि जो पुलिस वहां भेजी गई, उसके पास बंदूकें क्यों नहीं थीं? गोली चलाने का आदेश दिया गया, लेकिन गोली चलाने के लिए बंदूकें नहीं थीं।

स्वयं मुख्यमंत्री, श्री वसंत राव नाइक को बंबई से भिवंडी पहुंचने में चौबीस घंटे लगे। ७ तारीख को विरोधी दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री को टेलीफोन करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। फिर कल्याणराव पाटिल को, जो गृह विभाग में राज्यमंत्री हैं, टेलीफोन किया गया। कहा गया कि राज्य मंत्री महोदय निद्रा में निमग्न हैं। भिवंडी जल रहा था, वहां पर होलिका-दहन का दृश्य हो रहा था और महाराष्ट्र के मंत्री अक्षरशः सो रहे थे। क्या यह तरीका है सांप्रदायिकता से निपटने का?

मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि भिवंडी में फौज क्यों नहीं बुलाई गई? अगर जलगांव में फौज बुलाई जा सकती है, तो भिवंडी में क्यों नहीं? अगर जुलूस पर हमला होते ही फौज बुला ली जाती,

सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी जाती, जिन घरों के बारे में लोग बता रहे थे कि उनमें हथियार हैं, अगर उनकी तलाशी ली जाती, तो भिवंडी में जो दारुण दृश्य हमें देखना पड़ा है, वह दिखाई न देता। लेकिन महाराष्ट्र सरकार उदासीन रही, कर्तव्य-पालन में चूक गई, उसने शिथिलता से काम लिया, वह घातक उदासीनता की दोषी है।

भिवंडी के साथ जलगांव में भी दंगा हुआ। कहा जाता है कि वहां मुस्लिम मोहल्ले में कोई जुए का अड्डा चल रहा था। उस जुए के अड्डे से झगड़ा शुरू हुआ। पहाड़ में दंगा इसलिए हुआ कि मंदिर पर लगा हुआ भगवा ध्वज हटा लिया गया। हटानेवाले गुंडे थे। किस संप्रदाय के थे, यह कहने की आवश्यकता नहीं। पुलिस वहां मौजूद थी और पुलिस की मौजूदगी में मंदिर पर से झंडा उतार लिया गया। इसके बाद गोरेगांव में भी गड़बड़ हुई। ५ तारीख को गोरेगांव में एक ट्रक आया जिस पर लोग लदे हुए थे, जिन्होंने लोगों को डराया, धमकाया और कहा कि शिवाजी जयंती के दिन दंगा होगा। उनके खिलाफ भी पुलिस ने कार्यवाही नहीं की।

भिवंडी में दंगे पूर्व नियोजित थे। इसका एक और प्रमाण मैं लोकसत्ता से भी उद्धृत करना चाहता हूं। यह मराठी दैनिक है। हमारी पार्टी का अखबार नहीं है। अपने ११ मई के पत्र में उन्होंने एक समाचार दिया है। उनका विशेष प्रतिनिधि भिवंडी गया था। एक दुकानदार ने उसे बताया—पत्र मराठी में है, मैं उसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूं—एक दुकानदार ने बताया कि एक मोहल्ले में उसकी राशनिंग की दुकान है। उपद्रव आरंभ होने से एक दिन पूर्व ६ मई को एक विशेष संप्रदाय के लोगों ने ८ दिन का राशन एक बड़ी संख्या में उठाया। दुकानदार ने कहा कि इस प्रकार बहुत बड़ी संख्या में राशन उठाए जाने से मुझे लगा कि ७ तारीख को कुछ गड़बड़ होनेवाली है। स्पष्टतः राशन उठानेवालों को मालूम था कि ७ तारीख को भिवंडी में कुछ होगा।

गृह मंत्री के आंसू

सरकार ने दंगे आरंभ होने के बाद भी कैसा इंतजाम किया, इसका उदाहरण भी हमारे पत्रों ने प्रस्तुत किया है। श्री यशवंत राव चह्वाण भिवंडी गए। जाना चाहिए था। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। यद्यपि यह बात मुझे पसंद नहीं आई कि महाराष्ट्र में दंगा हो गया तो चह्वाण साहब रोने लगे और अहमदाबाद में दंगा हो गया तो उनकी आंख में आंसू नहीं आए। मैं उनकी वेदना समझ सकता हूं। मगर भारत के गृह मंत्री को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करनी चाहिए, केवल महाराष्ट्र के नेता के रूप में नहीं। जब वह भिवंडी गए थे, कहीं सभा कर रहे थे और जब सभा चल रही थी, पुलिस का इंतजाम था, तो उस सभा में एक व्यक्ति भागा-भागा आया यह कहते हुए—दौड़ो, दौड़ो, मुझे मार डालेंगे, १७-१८ लोग मेरी भाले से हत्या करने के लिए आए हैं। उन्होंने मेरे होटल में आग लगा दी है। जहां चह्वाण साहब बोल रहे थे, वहां से २० फुट की दूरी पर दिन-दहाड़े एक होटल में आग लग गई। यह ठीक है कि चह्वाण साहब दौड़े, चह्वाण साहब के साथ पुलिस भी दौड़ी। लेकिन तब तक होटल राख का ढेर बन चुका था।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और घटना है। शुक्रवार की रात को उपद्रव आरंभ हुआ। गुंडे इकट्ठे हो गए। उनके हाथ में बम थे, हथगोले थे, मोलोटोव काकटेल थी और लोगों ने फोन करके बुलाया पुलिस को। पांच पुलिसवाले गए और जब उन्होंने देखा कि दंगाई दो सौ हैं तो वह उलटे पैर भागे। भिवंडी की जनता ने अपनी आंखों से पुलिसवालों को भागते हुए देखा और जब किसी ने उनको रोका कि क्या हुआ, तो पुलिसवालों ने कहा कि हमारी भी तो जान है, क्या हम खाली लाठी लेकर

उनसे लड़ेंगे? हमारे हाथों में बंदूक होनी चाहिए। मुझे इस बात पर संदेह है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार सचमुच में इन सांप्रदायिक दंगों को फैलने से रोकना चाहती थी?

अब सवाल यह है कि ये दंगे क्यों आरंभ किए जाते हैं? मैं मानता हूं कि दंगों में हमारे मुसलमान भाइयों का नुकसान ज्यादा होता है। वह मरते भी ज्यादा हैं और उनके माल का भी नुकसान अधिक होता है। लेकिन गृहमंत्री महोदय राज्यसभा में यह बात कहें, यह उन्हें शोभा नहीं देता। अगर वह न कहते तो मैं इस बात का उल्लेख न करता। गृह मंत्री महोदय ने राज्यसभा में कहा कि भिवंडी में सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान हुआ है, बच्चे मरे हैं, औरतें मरी हैं। क्या केवल मुस्लिम मरे हैं? मैं कहना चाहता हूं, उनका बयान सत्य से परे है। ७ तारीख की रात को वहां हिंदू अधिक मरे। लेकिन अगर मान लीजिए कि बयान सत्य भी है तो क्या मरनेवालों की संख्या अब हम संप्रदाय के हिसाब से देना शुरू करेंगे? हमने समाचारपत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि मरनेवालों में यह मत बताओ कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है। मगर गृह मंत्री महोदय ने संतुलन खो दिया, विवेक को तिलांजलि दे दी और ऐसा बयान दिया जिसकी महाराष्ट्र में भीषण प्रतिक्रिया हो रही है। श्री चह्वाण के बयान से सारे महाराष्ट्र में एक असंतोष की लहर दौड़ गई है। हिंदू इसलिए नाराज हैं कि उन्होंने एक गलत बयान दिया और मुसलमान भाई इसलिए बिगड़े हैं कि उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था।

दंगों के तीन कारण

लेकिन प्रश्न यह है कि ये दंगें क्यों आरंभ किए जाते हैं? मैं चाहता हूं कि सदन इस पर विचार करे। मैं अभी तक किसी परिणाम पर नहीं पहुंचा हूं। दंगे आरंभ करते हैं मुसलमानों में से कुछ लोग; यह जानते हुए कि मरना पड़ेगा, यह जानते हुए कि संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। वह दंगे आरंभ क्यों करते हैं, इसके तीन कारण हो सकते हैं—एक कारण तो यह हो सकता है कि हमारे मुसलमान भाई इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि अब हिंदुस्तान में हमारे लिए जगह नहीं है, हिंदुस्तान में कोई हमारा मुस्तकबिल नहीं है, जिंदा रहने से अच्छा है कि हम लड़ते-लड़ते मर जाएं। एक कारण यह हो सकता है।

दूसरा कारण यह हो सकता है कि मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से संबंध रखते हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर दंगे करते हैं। पाकिस्तान हमें बदनाम करना चाहता है। आज पाकिस्तान से हिंदू निकाले जा रहे हैं। अगर भारत के मुसलमानों पर अत्याचार होगा तो पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध प्रचार करने का मौका मिलेगा।

और तीसरा तथा सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मालूम होता है वह यह है कि मुसलमानों के कुछ नेता नहीं चाहते कि मुसलमान अपने को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा का अंग बनाएं। वह नहीं चाहते कि मुसलमान राजनैतिक विचारधारा के आधार पर अलग-अलग दलों में जाएं। वे नहीं चाहते कि मुसलमान कम्युनिस्ट बनें, वह नहीं चाहते कि मुसलमान कांग्रेसी या जनसंघी बनें। वह यह चाहते हैं कि मुसलमान अलग-थलग रहें, कठमुल्ले मौलवी उनके नेता बने रहें और इसलिए लोगों को आग में झोंककर भी वे अपने नेतृत्व को प्रस्थापित करना चाहते हैं।...(व्यवधान)...हां, हां, मुस्लिम लीग ने यही किया था। उसी इतिहास की पुनरावृत्ति की जा रही है। हमें इन कारणों पर विचार करना पड़ेगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मुसलमान दंगे करते हैं या नहीं, यह विवाद का विषय नहीं है। यह गृह

मंत्रालय की रिपोर्ट है। आंकड़े बोलते हैं। आंकड़े जलते हैं। सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हमें इन कारणों पर विचार करना चाहिए।

दंगा : क्रिया और प्रतिक्रिया

एक प्रश्न और पैदा होता है। यह कहा जाता है कि मुसलमान भले ही दंगे शुरू करें, मान लीजिए अहमदाबाद में श्री जगन्नाथ मंदिर पर हमला हो गया तो लोगों ने बदला क्यों लिया? मान लीजिए, चाइबासा में रामनवमी के जुलूस पर बम फेंका गया तो हिंदू क्यों बिगड़े? मान लीजिए दो-चार मुसलमानों ने गड़बड़ की तो जो निर्दोष हैं, जिनकी गलती नहीं है, उनसे बदला क्यों लिया जाता है। मैं मानता हूं कि निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं मानता हूं प्रतिशोध की भावना अच्छी नहीं है। हम किसी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन क्या यह नियम केवल हिंदुओं पर लागू होगा? क्या यह नियम मुसलमानों पर लागू नहीं होगा? क्या रामनवमी के जुलूस पर बम फेंकना, यह कोई व्यक्तिगत झगड़ा है? क्या शिवाजी के जुलूस पर आक्रमण करना, यह कोई व्यक्तिगत झगड़ा है? और इस झगड़े के साथ ही जगह-जगह आग लगा दी गई। दो बातें हमें समझ लेनी चाहिए। कोई भी कारण हो, हमारे मुस्लिम बंधु अधिकाधिक संप्रदायवादी होते जा रहे हैं और मुस्लिम बंधुओं की प्रतिक्रिया के स्वरूप हिंदू अधिकाधिक उग्र होते जा रहे हैं। हिंदुओं को उग्र किसी ने बनाया नहीं। (व्यवधान)...अगर यह श्रेय आप हमें देना चाहते हैं तो हम लेने के लिए तैयार हैं। मगर इस देश में उपाध्यक्ष महोदय, अब हिंदू मार नहीं खाएंगे। ७००-८०० साल तक मार खाने की परंपरा थी। हिंदू शुरू नहीं करेंगे। हिंदू पहल नहीं करेंगे। हिंदू अपने हाथ से चिंगारी नहीं लगाएंगे।...(व्यवधान) हां, हां मैं एक भारतीय के नाते बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैंने प्रारंभ में निवेदन किया था कि जो लोग सांप्रदायिकता से लड़ना चाहते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को नजरअंदाज करके सांप्रदायिकता से नहीं लड़ा जा सकता। अगर मुस्लिम सांप्रदायिकता को आप बढ़ावा देंगे तो फिर दूसरी भावना भी भड़केगी। सांप्रदायिकता एक दुधारी तलवार की तरह से है, सांप्रदायिकता दोनों तरफ काटती है ...(व्यवधान)

डॉ. मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : भगवान का शुक्र है कि मैं हिंदू नहीं हूं।

श्री वाजपेयी : अगर आप हिंदू होतीं, तो हिंदू समाज के लिए लज्जा की बात होती ... (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हिंदू ऐसी बात नहीं करता, जैसी आप कर रहे हैं। यह बहुत गलत बात है, इस तरह से भाषण नहीं होना चाहिए।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : आज आप अपने असली रूप में बोल रहे हैं, बड़ी अशोभनीय भाषा का आपने प्रयोग किया है ... यह सांप्रदायिकता की भाषा है ... (व्यवधान)

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको चुप कर दें तो अच्छा होगा, वरना इनकी प्राइममिनिस्टर भी यहां नहीं बोल सकेंगी। हम भी देखेंगे कि वह कैसे बोलेंगी ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : गतिरोध पैदा कर रहे सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाएगा। वे श्री वाजपेयी के विचारों का खंडन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल उन्हें सुनें।

श्री रामावतार (पटना) : महिलाओं के बारे में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : रुकावट पैदा करना मुझे पसंद नहीं है। मैंने हमेशा सभी

सदस्यों को सुझाव दिया है कि चाहे कोई भी क्यों न बोल रहा हो, उसकी बात सुनी जानी चाहिए। मैंने खुद ऐसा महज इसलिए किया कि श्री वाजपेयी का ध्यान इस बात पर आकर्षित कर सकूं कि वह इस मौके को ऐसी बातें कहने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों को काफी गहराई से आहत करेंगी।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : यह तो विचारों का मामला है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं अपनी बात कहने के लिए एक सेकेंड का समय और चाहूंगी। (व्यवधान) मुझे अपना मंतव्य स्पष्ट करना आवश्यक लग रहा है...(व्यवधान)

श्री कंवरलाल गुप्त : इन रायट्स के लिए ये जिम्मेदार हैं।...(व्यवधान) हम आपकी इस मेंटेलिटी से एग्री नहीं करते हैं। यही मेंटेलिटी रायट्स के लिए जिम्मेदार है...(व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुझे यह कहने का पूरा हक है कि उनका वक्तव्य देश का माहौल बिगाड़नेवाला है। माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का मुझे पूरा अधिकार है कि यह महज मुसलमानों का सवाल नहीं है। यह सिखों, बौद्धों, जैनियों, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों का मामला भी है।...(व्यवधान) जैसे हरिजनों और पिछड़ी जातियों का भी है।

श्री वाजपेयी : मैं झुकनेवाला नहीं हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया है।

एक माननीय सदस्य : हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि वे सारे हिंदुओं की तरफ से बोलें।

श्री कंवरलाल गुप्त : प्रधानमंत्री को इस तरह से व्यवधान पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है...(व्यवधान)

श्री रवि राय : इस सदन में हम सब भारत के हैं, न हिंदू हैं, न मुसलमान हैं।

श्री एन.के.पी. साल्वे (बैतूल) : क्या किसी महिला सदस्य को इस तरह संबोधित करना बहादुरी का काम है। क्या आप ऐसा बर्ताव अपनी बहन के साथ करेंगे? मूल प्रश्न यह है कि अगर हम किसी विशेष उन्मुक्ति में रहते हैं तो क्या हम इस बात के लिए भी पूरी तरह आजाद हैं कि पूरी गरिमा और भद्रता के नियम को भी ताक पर धर दें। क्या वह एक महिला से यह कहने के अधिकारी हैं, जो उन्होंने कहा।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है...(व्यवधान)

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : महोदय, व्यवस्था के सवाल पर।

उपाध्यक्ष महोदय : वह बच नहीं रहे हैं। उन्हें अपना वक्तव्य खत्म कर लेने दीजिए। अच्छा ठीक है, व्यवस्था को लेकर आपका सवाल क्या है?

श्री धीरेश्वर कलिता : व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यह बहुत गंभीर मसला है, इससे हमारे देश में दंगे हो सकते हैं। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि उनके वक्तव्य का यह हिस्सा निकाल दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आपका विचार है। अब क्या बगैर तनाव में आए बहस जारी रखी जा सकती है? श्री वाजपेयी, कृपया निष्कर्ष प्रस्तुत करें।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ नहीं कहा है। यह पहला मौका नहीं है, जब मैं सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सदन का कोई मेंबर ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने भावनाओं को भड़कानेवाला भाषण दिया है...(व्यवधान)

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : मैं समझता हूं कि वाजपेयी जी कुछ जोश में आ गए हैं, लेकिन उनका वह मतलब नहीं था। माननीय सदस्य के लिए जो उन्होंने कहा था, मैं समझता हूं, उसे निकाल देना चाहिए।

श्री वाजपेयी : कुछ नहीं निकालना चाहिए।

श्री एस.ए. डांगे (बंबई, सेंट्रल दक्षिण) : मैं चाहता हूं कि यह शब्द बने रहने दिए जाएं। मैं कुछ भी निकाल देने के पक्ष में नहीं हूं। (व्यवधान) कोई यह कहे कि मैं हिंदू नहीं हूं और उसके बदले मैं यह कहूं कि आप हिंदू नहीं हैं यह अच्छी बात है, तो इसमें क्या आपत्ति है।···(व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह : हम सब भाई हैं—क्या हिंदू क्या मुसलमान। सब हिंदुस्तानी हैं।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि सदन इस बात पर गंभीरता से विचार करे कि मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर इस देश में सांप्रदायिकता से नहीं लड़ा जा सकता ···(व्यवधान)···अरे, चुप रहिए, देवी जी, मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिलाते आपको लज्जा नहीं आई···(व्यवधान)

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इंदिरा गांधी जी ने केरल में मुस्लिम लीग के साथ हाथ बढ़ाया ···(व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा गांधी : अब और भी साफ हो गया कि आप जनसंघ के साथ हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : आपने भी सरकार बनाने के लिए मुस्लिम लीग के साथ हाथ बढ़ाया है।···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, दो महिलाओं के झगड़े में मेरा क्या होगा?···(व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं एक महिला बतौर नहीं बोल रही हूं। मैं पूरी निष्ठा के साथ भारतीय राष्ट्र की तरफ से बोल रही हूं ···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : आप एक अल्पमत सरकार चला रही हैं। इस्तीफा दीजिए और बाहर जाइए। ···(व्यवधान)··· जिन्होंने अपनी पार्टी को ही तोड़ दिया है, नेशन की बात करती हैं।

मैं फिर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह कहने में कि हिंदू उग्र हो रहे हैं, मेरा उद्देश्य उनकी उग्रता का समर्थन करना नहीं था···(व्यवधान)···आप सुनिए, समझिए। अहमदाबाद में जाकर, जहां दंगे हुए थे, मैंने लोगों से कहा था कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। मेरे भाषण इस बात के साक्षी हैं। अपने आज के भाषण में भी मैंने अभी कहा था कि प्रतिशोध लेने का मैं समर्थन नहीं करता हूं। लेकिन परिस्थितियों से आंखें मूंदी नहीं जा सकती हैं। परिस्थिति यह है कि हमारे मुसलमान भाई अधिकाधिक संप्रदायवादी होते जा रहे हैं और हिंदू अधिकाधिक उग्र होते जा रहे हैं···(व्यवधान) आवश्यकता इस बात की है कि हम इन दोनों खतरों को समझें और उनका निराकरण करने का उपाय करें।

जहां कहीं दंगे होते हैं, जनसंघ का नाम घसीटा जाता है।···(व्यवधान)···रघुबर दयाल कमीशन की रिपोर्ट आ गई है कि रांची के दंगों में जनसंघ का कोई हाथ नहीं था।···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमने तीन घंटे दिए हैं। मैं आपको बाहर नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं सदन के समक्ष जरूर यह रख रहा हूं। आपने ४० मिनट ले ले लिए हैं। मैं सिर्फ आपका ध्यान इस तरफ दिला रहा हूं।

श्री कंवरलाल गुप्त : प्राइम मिनिस्टर से कहिए कि वे डिस्टर्ब न करें।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सांप्रदायिकता को वोटों का खेल बहुत

बना दिया गया है। मैं राजनीतिक दलों को चेतावनी देना चाहता हूं कि मुस्लिम संप्रदाय को बढ़ावा देकर अब आपको वोट भी नहीं मिलनेवाले हैं।...(व्यवधान)...केरल में मुस्लिम लीग... (व्यवधान)

श्री रणधीर सिंह : यह सब वोटों का ड्रामा है।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : केरल में मुस्लिम लीग के मुंह को सत्ता का स्वाद लग गया है। अभी मेरे मित्र श्री चंद्रजीत यादव सुल्तानपुर से आये हैं और वे कह रहे थे कि मुस्लिम मजलिस का जो उम्मीदवार है, उसे सभी मुसलमानों के वोट मिलने की संभावना है।...(व्यवधान)...

श्री चंद्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह आप गलत बात कह रहे हैं। आप हर चीज को गलत तरीके से पेश करते हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता को भी आप गलत तरीके से पेश करते हैं।...(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : अब आप मुकर रहे हैं, क्या यही आपकी नैतिकता है? कल आप ही ने यह कहा था।...(व्यवधान)

सांप्रदायिकता से कैसे लड़ा जाए?

प्रश्न यह है कि हम सांप्रदायिकता से किस तरह से लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनसंघ एक असांप्रदायिक राज्य के आदर्श में विश्वास करता है।...(व्यवधान)...यह हंसने की बात नहीं है। जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया, वे हमारे ऊपर आक्षेप करने का दुस्साहस न करें।

कांच के महल में बैठनेवाले दूसरों पर पत्थर फेंकने की हिमाकत न करें। इनकी सरकार मुस्लिम लीग के भरोसे टिकी है और हमको संप्रदायवादी बताते हैं? जो चुनाव में सांप्रदायिकता के आधार पर उम्मीदवार खड़े करते हैं, वे हमको संप्रदायवादी बताते हैं? जो भारत को रब्बात के सम्मेलन में ले जाकर अपमान का विषय बनाते हैं, वे हमें संप्रदायवादी बताते हैं?...(व्यवधान)

भारतीय जनसंघ ने कभी यह नहीं कहा कि देश में सांप्रदायिकता के आधार पर भेदभाव होना चाहिए। हम न भेदभाव चाहते हैं, न पक्षपात चाहते हैं। हमने संविधान की समान नागरिकता को स्वीकार किया है। भारतीय जनसंघ के दरवाजे भारत के सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। लेकिन अगर कोई मुसलमान जनसंघ में आता है तो दिल्ली में उसके खिलाफ पोस्टर लगाए जाते हैं कि वह एक काफिर हो गया है। जो भाषा मुस्लिम लीग बोलती थी मौलाना आजाद और अन्य राष्ट्रवादी मुसलमानों के खिलाफ, आज वही भाषा जनसंघ में आनेवाले मुसलमानों के खिलाफ बोली जा रही है। सांप्रदायिकता से लड़ने का यह तरीका नहीं है।...(व्यवधान)...मैं समाप्त करना चाहता हूं।

प्रश्न यह है कि सांप्रदायिक उपद्रवों से निबटने के लिए क्या किया जाए? कुछ तो दूरगामी उपाय हैं। हमें इस प्रश्न को राजनीति से निकालना होगा और राष्ट्रीय स्तर पर हल करना होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकात्मता परिषद का प्रारंभ किया था, लेकिन उसे मेरे दल के विरुद्ध प्रचार करने का एक हथियार बनाया गया। मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकात्मता परिषद का विस्तार किया जाए। आज उसमें संगठन कांग्रेस नहीं है, स्वतंत्र पार्टी नहीं है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी नहीं है...(व्यवधान)...प्रधानमंत्री ऐसा वातावरण पैदा करें कि देश के सभी राष्ट्रवादी दल मिलकर बैठें। ...(व्यवधान) और सांप्रदायिक समस्या के निराकरण के लिए ठोस उपाय अपनाएं।

यह भी आवश्यक है कि राष्ट्रीय एकात्मता परिषद में श्री एम.सी. चागला, श्री हमीद देसाई, डॉ. जीलानी और अनवर देहलवी जैसे राष्ट्रवादी नेता लिए जाएं। प्रधानमंत्री किसको लें, यह प्रधानमंत्री की कृपा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री मुस्लिम संप्रदायवादियों के बारे में कुछ कहने के लिए तैयार हैं? यह बात छिपी हुई नहीं है कि भिवंडी में तामीर-ए-मिल्लत ने वातावरण बिगाड़ा है। लेकिन क्या किसी ने तामीर-ए-मिल्लत का नाम लिया है? शिवसेना की आलोचना हो रही है, होनी चाहिए···(व्यवधान)···हमें भी लपेटा जा रहा है। लेकिन हम उसकी चिंता नहीं करते हैं। हम प्रधानमंत्री की कृपा से इस सदन में नहीं आए हैं, उनके बावजूद आए हैं। इस राष्ट्र की जनता का हम भी प्रतिनिधित्व करते हैं।···(व्यवधान) लेकिन जब किसी मुस्लिम संप्रदायवादी संगठन का सवाल आता है तो मुंह में ताले पड़ जाते हैं, सांप सूंघ जाता है। जमाएते-उल-उलेमा क्या कर रही है? जमाएते-इस्लामी क्या कर रही है? तामीर-ए-मिल्लत ने भिवंडी में क्या किया? लेकिन है कोई बोलने वाला?···(व्यवधान)

आवश्यकता इस बात की भी है कि जहां सांप्रदायिक दंगे हों, वहां अदालती जांच कराई जाए। अगर महाराष्ट्र की सरकार तुरंत अदालती जांच का आदेश दे देती तो भावनाएं थम सकती थीं। लेकिन विधानसभा में कहा गया कि मैजिस्ट्रेटी जांच कराएंगे और इसलिए लोगों को अदालती जांच का आदेश लेने के लिए आंदोलन करना पड़ा। जहां कहीं दंगा हो तो अदालती जांच करो और जो रिपोर्ट आए, उसकी सिफारिशें कार्यान्वित की जाएं।

मुझे शिकायत है कि महाराष्ट्र की सरकार ने ईंटिग्रेशन कौंसिल की सिफारिशों को लागू नहीं किया। वहां पर गुप्तचर विभाग को मजबूत नहीं बनाया गया। वहां पर दंगों को रोकने के लिए पुलिस तैयार नहीं की गई। रघुबर दयाल कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं, उनका क्या हो रहा है। अहमदाबाद में कमीशन बना, भिवंडी के लिए कमीशन बना है। लेकिन क्या इन सारे कमीशनों की सिफारिशें रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाएंगी? क्या हर सवाल को राजनीति की कसौटी पर कसा जाएगा? जब से कांग्रेस का विभाजन हुआ है, देश में संप्रदायवादियों और साम्यवादियों का गठनबंधन बढ़ गया है और उनको प्रधानमंत्री का वरदहस्त प्राप्त है। यह है संप्रदायवाद के बढ़ने का कारण।

मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों से कुछ नहीं कहता, मगर कांग्रेस में बैठे हुए जो देशभक्त हैं, और राष्ट्रपति के चुनाव में जिनकी आत्मा की आवाज जागी थी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता के सवाल को आप उसकी वास्तविकता में देखने के लिए तैयार हैं या नहीं? इसे एक राष्ट्रीय प्रश्न के रूप में हल करने के लिए तैयार हैं या नहीं? परिस्थिति गंभीर है, देश विनाश के कगार पर खड़ा है, वोटों की राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रश्न पर हमको सोचना चाहिए। अगर हमारी कोई गलती है तो हमें बताएं, हम अपनी गलती ठीक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन और दलों का क्या हाल है? हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने गरेबान में मुंह डालकर देखना होगा, और सांप्रदायिकता की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर हल करने के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाना होगा। जितनी देर होगी, यह समस्या बिगड़ेगी और फिर न इस देश में लोकतंत्र रहेगा, न समाजवाद स्थापित करने का आपका सपना पूरा होगा।

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : सभापति महोदय, श्रीमान! मैं वाद-विवाद में अपने अंक

बढ़ाने के लिए नहीं बोल रही हूं। ऐसा मैंने पहले भी कभी नहीं किया कि किसी माननीय सदस्य के बोलते समय व्यवधान पैदा करूं। ऐसा मैंने इसी अवसर पर किया, क्योंकि इससे एक तो मुझे गहरा आघात लगा, दूसरे यह जिम्मेदारी का एक बहादुरी भरा एहसास था। मेरे खयाल में माननीय सदस्य ने आज देश और देश के अल्पसंख्यकों के लिए बहुत गलत काम किया है। यह दरअसल इतना गंभीर मौका है और यह विषय इतना नाजुक है कि यह कोशिश करना और भी खतरनाक हो सकता है कि उनके कहे गए सूत्रों को उठा लिया जाए। ऐसा करने की मेरी कोई मंशा भी नहीं है। जहां तक दंगों के दूसरे मुद्दों और आंकड़ों का संबंध है, श्री शुक्ला बाद में जवाब देंगे।

श्री वाजपेयी ने इस मौके का इस्तेमाल मुख्यतः मुस्लिमों पर और आमतौर पर सभी अल्पसंख्यकों पर आक्रमण के लिए किया है। अपने हाथ उठाते हुए पुराने हिटलरी अंदाज में उन्होंने घोषणा कर डाली है। उस वक्त मौजूद होने की वजह से मुझे मालूम है कि उन्होंने क्या और किन शब्दों में कहा था।

श्री कंवरलाल गुप्त : आपने प्रशिक्षण लिया था।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैंने कैसा प्रशिक्षण लिया, यह देखना भारतीय जनता का काम है, आपका नहीं। मैं नहीं जानती कि श्री वाजपेयी ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने किसी चीज के लिए मुझे चुनौती दी है। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मैंने आज तक किसी चुनौती से मुंह नहीं मोड़ा है, और आज भी नहीं मोड़ूंगी। हमें भारतीय जनता का सामना करना चाहिए।

श्री वाजपेयी : प्रधानमंत्री को अपना आपा नहीं खोना चाहिए।

श्रीमती गांधी : मैं आपा नहीं खो रही हूं। मैं सिर्फ अपने दम पर पूरे जोर के साथ कुछ कह रही हूं। मुझे आपा खोने की आदत नहीं है।

श्री वाजपेयी : मैं भी तैयार हूं हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए।

श्रीमती गांधी : कृपया ऐसे बात मत कीजिए। महोदय, मैं इस बात की आदी हो चुकी हूं कि श्री वाजपेयी और उनकी पार्टी के लोग न सिर्फ मुझ पर आक्रमण करते हैं, बल्कि सार्वजनिक पर्चों में भी मुझे गरियाते हैं, जबकि देखा जाए तो उनमें मुझ पर आधारहीन आरोप ही मढ़े जाते हैं। लेकिन इस मौके पर उन्होंने मेरे एक साथी पर आरोप लगाया है। गृह मंत्री पर उन्होंने आरोप महज इसलिए लगाया है, क्योंकि वे पूरी साफगोई और अपने भीतर दबे दुख के साथ बोले। श्री वाजपेयी ने दरअसल इस सबमें से कुछ और ही निकालने की कोशिश की है। उन्होंने तो यह भी कोशिश की···(व्यवधान) श्री गुप्त, कृपया यह समझ लें कि मैं वही कहने जा रही हूं जो मुझे कहना था। आपने जो बीच में कहा, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है।···(व्यवधान) यह बात आपको अभी से जान लेनी चाहिए।

जो कुछ भिवंडी में हुआ है या दूसरे दंगों में हुआ, सब एक ही तरह से कह दिया गया, जो बहुत दुखद है। और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए हममें से कोई भी जिम्मेदारी लेने से जी चुराए। मैं तो निश्चित रूप से नहीं कर सकती। लेकिन मैं सोचती हूं कि हमें तथ्यों का सामना भी करना चाहिए। इन दंगों की शुरुआत किस वजह से हुई? यह सवाल श्री वाजपेयी ने पूछा था। क्या यह कोई छोटी-मोटी संख्या है जिसने एक पत्थर फेंका और दंगे शुरू हो गए। यह वह आदमी हो सकता है जिसने पहली हत्या की हो और दंगा भड़क उठा हो। या उन भाषणों के जरिए पैदा किया गया माहौल भी हो सकता है, जैसा आज यहां हम लोगों ने सुना। यह माहौल ही है जो गड़बड़ी की शुरुआत करता है।

और यह कोई नई चीज नहीं है। यह कोई पहली बार हुआ हो, ऐसा भी नहीं है। यह संयोग ही है कि आर.एस.एस. या जनसंघ से संबंधित लोग जहां कहीं जाते हैं, कुछ समय बाद ही वहां या उसके आसपास के इलाके में दंगा भड़क उठता है। यह एक संयोग हो सकता है, मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे लिए और उन लोगों के लिए भी जो इस पर गौर करते हैं, यह एक विचित्र संयोग है। मेरा खयाल है कि माननीय सदस्य को यह ठीक सलाह दी गई है कि इस परिस्थिति का परीक्षण करें और देखें कि ऐसा होता क्यों है?

किसी पर भी आरोप मढ़ देना बहुत आसान है। यह भी तो हो सकता था कि परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निबटा जाता। मैं नहीं कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता था। मैंने उसका अध्ययन भी नहीं किया, यही मुख्य वजह है कि मैं वहां जा रही हूं। संभव है, कुछ और ज्यादा किया जा सकता है वहां। दुनिया-भर में कहीं भी ऐसे हालत नहीं होते, जहां आप बेहतर एहतियात न बरत सकते हों। मुझे पता नहीं है कि सरकार के पास पूर्व सूचना क्या थी? लेकिन इस मामले में कोई शक नहीं कि जब से इस पार्टी विशेष को इस सदन और विधानसभा में कुछ सीटें मिली हैं, तब से इस जहरीले विषय को और खुले रूप में उठा रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने, श्री वाजपेयी के बोलते समय चिल्लाकर यह कहा कि उनकी कुछ टिप्पणियां निकाल देनी चाहिए, मुझे खुशी है कि उपसभापति ने उन्हें निकाला नहीं। मैं चाहूंगी कि ये टिप्पणियां रिकार्ड में बनी रहें, ताकि आनेवाली पीढ़ियां और देश की जनता यह देख सके कि दरअसल जनसंघ की सोच है क्या? वह जोरदार हिंदी नहीं, जिसका प्रदर्शन श्री वाजपेयी समय-समय पर करते रहे हैं। इन शब्दों के पीछे का सच क्या है? आज इन शब्दों के पीछे छिपा नंगा फासीवाद हमने देखा। यही तो था फासीवाद।

बहुत ज्यादा वक्त शिवाजी को दिया गया। ऐसा इस सदन में तो क्या, देश-भर में भी कोई नहीं होगा जो शिवाजी के प्रति आदर न रखता हो। लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल सांप्रदायिकता भड़काने के लिए करना, किसी भी तरह शिवाजी के प्रति न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता।

श्री वी. कृष्णमूर्ति : यह एक अपराध कर्म है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : सांप्रदायिकता, चाहे वह हिंदुओं की हो या मुस्लिमों की या फिर सिखों की, दुखद है। यह कहना भी सच नहीं है कि जब-जब यह भड़की है, हमने खेद जाहिर नहीं किया या इसके खिलाफ कड़े शब्दों में निंदा नहीं की। जब कभी किसी मुस्लिम संगठन या व्यक्ति ने भड़कीले शब्दों का इस्तेमाल किया, हमने उसकी निंदा की। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि बहुसंख्यक समुदाय के सदस्य की गलत बात की हम निंदा नहीं कर सकते। जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूं कि जिन इलाकों में बहुसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं, वहां उनकी खास जिम्मेदारी हो जाती है। वे सिर्फ लोग नहीं, बल्कि खास जिम्मेदारीवाले लोग हो जाते हैं। जहां भी कुछ लोग ज्यादा समर्थ हैं, उनकी जिम्मेदारी कमजोरों के प्रति हो जाती है। हमारे देश में हिंदू चूंकि मुसलमानों की अपेक्षा कहीं ज्यादा हैं, इसलिए मुसलमानों, ईसाइयों और दूसरे अल्पसंख्यकों के प्रति उनकी खास जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ जगहों पर दूसरे लोग बहुसंख्यक हैं...किसी स्थान विशेष पर सिख बहुसंख्यक हो सकते हैं, वहां उनकी जिम्मेदारी दूसरे अल्पसंख्यकों के प्रति बढ़ जाती है। वह हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी और कोई और भी। इसी तरह काश्मीर में मुसलमान बहुसंख्यक हैं। वहां इसी तरह उनकी जिम्मेदारी यह हो जाती है कि हिंदू शांति और सुरक्षा में रह सकें। यह जोरदार शब्द दरअसल यह घोषणा कर रहे हैं कि हिंदू इस सबके

लिए तैयार नहीं हैं। इससे देश का माहौल जहरीला हो गया है। अब हम जानते हैं कि इस तरह के विचार लोगों में भर रहे हैं। यह सच है कि सभी लोग एकदम सही नहीं होते, लेकिन ऐसे में जो सही लोग हैं, यह उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करें। यदि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि उन लोगों की मदद की जाए जो मुसीबत में हैं। हमें सोचना होगा कि कैसे भविष्य में ऐसे हादसे न दोहराए जाएं। लेकिन ऐसे अवसरों का इस्तेमाल लोगों पर आरोप मढ़ने के लिए करना एक तरह से अल्पसंख्यकों को आहत करना है। ऐसे में यदि दूसरी जगहों पर वे भी वही बर्ताव करने लगेंगे तो यह और भी गलत होगा।

हम सभी जानते हैं कि ऐसे हादसे छोटी-छोटी चीजों से शुरू हो जाते हैं। वे इतने बड़े तौर पर उसकी कल्पना ही क्यों करते हैं। अहमदाबाद में श्री वाजपेयी ने कहा था कि लोगों को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन मेरे लिए, उनका शेष भाषण इस रूप में प्रस्तुत हुआ, जैसे यह सिर्फ इस चीज को बढ़ावा दे रहे हों—हम यह सब नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है। इसका अर्थ है 'हम कानून अपने हाथों में लेंगे। हम कार्रवाई करेंगे। हमें कदम उठाने ही पड़ेंगे।' यह इसके सिवाय और क्या था?

श्री वाजपेयी : मैंने ऐसा नहीं कहा था।

श्रीमती इंदिरा गांधी : यही अर्थ था, भाषण सुनकर जो मैं निकाल पाई। यदि यह अर्थ नहीं था तो मैं उम्मीद करती हूं अब वह स्पष्ट करेंगे और लोगों से ऐसा न करने के लिए कहेंगे। और देखिए, उनके अपने आदमी ऐसा करते नहीं हैं।

श्री वाजपेयी : लेकिन कांग्रेस यह कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य ऐसा कर सकते हैं।

श्रीमती इंदिरा गांधी : जहां तक मैं समझ पाई हूं, वहां शोर बहुत था। हो सकता है, मैं गलत होऊं, लेकिन भाषण के तरीके से जहां तक मैं समझ पाई हूं, वह एक तरह का नोटिस प्रस्तुत कर रहे थे कि वह और उनकी पार्टी कुछ खास चीजें करने जा रही है। और इस प्रक्रिया का अगर यह अर्थ है कि दंगे हों और अल्पसंख्यकों की जान पर बन आए, तो यह बहुत खराब बात थी। वह इसी रास्ते पर हैं। यही कुछ मैं उनके भाषण से समझ पाई थी।

श्री मनोहरन : सारी मुसीबत यह है कि श्री वाजपेयी कुंवारे हैं।

श्रीमती इंदिरा गांधी : दुर्भाग्य से, उनकी पार्टी में विवाहित भी बहुत बेहतर नहीं हैं। दरअसल, वे बहुत ही खराब हैं।

जैसा कि मैंने कहा कि श्री वाजपेयी ने शिवाजी की स्मृति के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने तो हमारे पुराने दर्शन, परंपरा और धरोहर के साथ भी अन्याय किया है, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक परंपरा में अल्पसंख्यकों को अधिकारच्युत् करना कहीं नहीं आता। स्मृतियों में तो यह दर्ज है कि हमारे देश ने उन लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए, जो अपने देशों से दुखी थे। चाहे वे दूसरे धर्म के अनुयायी हों या फिर उनकी परंपराएं दूसरी हों, हम ऐसा करते हैं।

इसलिए माननीय सदस्य भारत का एक अलग ही विचार दुनिया के सामने रख रहे हैं। यह एक और खराब काम इस देश के लिए किया जा रहा है, जो दुनिया के सामने हमारा दर्शन और परंपरा रखता है˙˙यह विचार उस परंपरा के अनुरूप नहीं है। वास्तव में, जनसंघ˙˙(व्यवधान) मुझे आशा है श्री वाजपेयी यह नहीं सोचते कि मैं उन्हें इतना महत्व देती हूं˙˙(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : श्री मनोहरन को शिकायत हो सकती है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं इस पार्टी की आलोचना एक पार्टी बतौर नहीं कर रही हूं। लेकिन इसके दो पहलू प्रमुख हैं—पहला सांप्रदायिक पहलू और दूसरा और ज्यादा खतरनाक पहलू है—इतिहास को जान-बूझकर बिगाड़ना। यह किया जा रहा है। किताबें लिखी और छपवाई जा रही हैं, जिनमें हमारे जाने-पहचाने इतिहास में फेर-बदल की जा रही है। यह अत्यधिक खतरनाक चीज है हमारे लिए।

एक माननीय सदस्य : भारतीयकरण।

श्रीमती इंदिरा गांधी : एक सूत्र है, जिसका संदर्भ मैं पहले दे चुकी हूं। इसका संबंध उस माहौल से है जो इस सदन और देश में पैदा कर दिया गया। श्री वाजपेयी ने घोषणा कर डाली कि दंगे मुसलमानों ने शुरू किए। उन्होंने पूछा-क्यों? और फिर खुद ही जवाब भी दिया—क्यों कि वे महसूस करते हैं कि वे भारत में नहीं रह सकते। इसलिए वे यह जानलेवा लड़ाई छेड़ रहे हैं। यह उसी का असर है, कि मैं उनके भाषण से यह सब समझ पाई।

श्री वाजपेयी : एक कारण है···(व्यवधान)

श्रीमती इंदिरा गांधी : ठीक है, कारणों में से एक यह है···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : मैंने कहा था, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस पर आपत्ति की जा रही है···(व्यवधान)···

श्रीमती इंदिरा गांधी : कोई आपत्ति नहीं की जा रही है।

मैं चाहूंगी कि माननीय सदस्य अपनी ही पार्टी के कुछ सदस्यों के भाषण पढ़ें, जिन्होंने ठीक-ठीक यह कहा है कि मुसलमान भारत में तब तक नहीं रह सकते, जब तक उनका भारतीयकरण न हो जाए।

श्री वाजपेयी : अब मेरी बारी है प्रधानमंत्री को चुनौती देने की। वह ऐसा एक भी भाषण पेश करें, मैं जनसंघ के नेता के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार हूं।

श्री शशि भूषण : गोलवलकर जी और माननीय बलराज मधोक ने कहा है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : गोलवलकर जी ने कहा है···(व्यवधान)

वे कहते हैं कि वे आर.एस.एस. से अलग हैं। हम नहीं सोचते कि उनका कोई संबंध नहीं है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। मुझे बताया गया है, हालांकि मैं एकदम निश्चित नहीं हूं कि कुछ सदस्यों ने जनसंघ के सदस्य बतौर कई सरकारों में सहभागिता की है, वे आर.एस.एस. के सदस्य भी रहे हैं। मुझे लगता है कि कई भाषण ऐसे हैं, जिन्हें इसके उदाहरण बतौर प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्री वाजपेयी : एक भी दिखा दीजिए।

श्रीमती इंदिरा गांधी : एक क्यों, पूरी दिखा देंगे। हमारी नेशनल इंटेग्रेशन काउंसिल में सब आई थीं, सब पेश की गई थीं, सब दिखा देंगे।

श्री वाजपेयी : आप जनसंघ की बात करिए, जनसंघ की।

श्रीमती इंदिरा गांधी : किसकी?

श्री वाजपेयी : हम आपकी बात कर रहे हैं, जमीयते-उल-उलेमा की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप मुश्किल में फंस जाएंगी। जमीयते-उलेमा के नेता किस तरह के भाषण दे रहे हैं, आपने देखे हैं।

श्रीमती इंदिरा गांधी : कोई भी जो ऐसा भाषण दे हम उसका विरोध करते हैं, चाहे वह किसी भी जमीयत के हों या और किसी भी जमात या संस्था के हों। इसमें कोई शक की बात नहीं है, और न हम यह कहने से कभी झिझके हैं।

जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूं कि जब ऐसी चीजें मेरी जानकारी में लाई गई हैं, मैंने हमेशा निजी और सार्वजनिक सभाओं में उनका जिक्र किया है। किसी भी ऐसे अवसर पर मैंने सिर्फ एक पार्टी का नाम नहीं लिया है, अगर कोई दूसरी पार्टी भी वैसा कर रही हो।

एक छोटा सूत्र और है। माननीय सदस्य खुद को पुराना कांग्रेसी कहते हैं, लेकिन किसी भी अवसर पर वे कई उन कामों का जिक्र करने में झिझकते हैं जो उस वक्त किए गए थे, जब वह हमारे साथ थे।...(व्यवधान)

सुचेता जी शायद देरी से आईं। उन्हें यह मालूम नहीं है कि मैंने क्या कहा था। मेरी यह मंशा कतई नहीं कि मैं किसी खास घटना का जिक्र करूं।

डॉ. सुशीला नैयर (झांसी) : यह कहने का, आपका मतलब है क्या?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं तो ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन आप ऐसा करते हैं। आप स्वयं को जानते हैं। मैं सदन का वक्त जाया क्यों करूं। मैं तो सिर्फ सदन के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि वे जानते हैं कि मैं किस संदर्भ में बात कर रही हूं।

डॉ. सुशीला नैयर : राजनैतिक भाषण।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं भाषण कर रही हूं, और यहां दूसरों ने क्या किया था। श्री वाजपेयी ने क्या किया था? क्या वह राजनैतिक भाषण नहीं था?...(व्यवधान)

मैं उस स्थिति के बारे में बात कर रही हूं कि जब वह और गंभीर हो जाती है तो वही होता है जो भिवंडी या जलगांव में या अहमदाबाद में हुआ। यह सब उस माहौल की वजह से हुआ, जिसे तैयार किया गया था। मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूं, और मैं यह सोचती हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संसद के तमाम सदस्य और दरअसल समूचे भारतीय नागरिक इन चीजों के बारे में गहराई से विचार करें। इस बारे में आपको तमाम तथ्य दिए जाएंगे। चह्वाण जी ने तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि पहले दिन जानकारी मिली और फिर शुक्ला जी आपको वह सब जानकारी देंगे, जो हमें तब तक हासिल हो सकी है। लेकिन यह वक्त ऐसा नहीं है कि हम इन घटनाओं को अलग-थलग करके देखें, घटनाएं, जिन पर हम बहस करते हैं। यह वह वक्त है जब सोचना होगा कि इस तरह की सांप्रदायिक सोच, ऐसे भाषण, लेख जो अखबार में आ रहे हैं ...ऐसा माहौल बनाते हैं। खड़े होकर सिर्फ यह कह देने का कोई अर्थ नहीं है कि 'आप साबित करें कि हमने यह किया।'

श्री रामसेवक यादव : आप क्या करने जा रही हैं, जरा उस पर भी तो रोशनी डालें।

श्रीमती इंदिरा गांधी : वहां जो स्थिति है, उसके मुताबिक जो भी जरूरी होगा, वह कार्यवाही जरूर की जाएगी।

श्री रामसेवक यादव : आप क्या समझती हैं, यह भी तो सदन जाने।

पीलू मोदी : मैं प्रधानमंत्री की बात की प्रशंसा करता हूं लेकिन वह एक ही बात को बार-बार कहती चली जाती हैं। मैं जानना सिर्फ यह चाहता हूं कि सांप्रदायिक तनाव को कम करने या भूमिगत कर देने के लिए उनकी तरफ से क्या कुछ किया गया है?

श्रीमती इंदिरा गांधी : मुझे लगता है कि श्री मोदी पूरी तरह मेरी बात का मर्म समझने में

चूक गए। हम इसे भूमिगत नहीं कर देना चाहते। बल्कि मैं तो श्री वाजपेयी के भाषण की सराहना करती हूं कि पहली बार वे इस प्रश्न के संदर्भ में खुलकर सामने आए। हम इसे भूमिगत नहीं कर देना चाहते, हम तो इसे सतह पर लाना चाहते हैं। और हम इससे अपनी पूरी सामर्थ्य के मुताबिक लड़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता इसके खिलाफ लड़ने के लिए पूरी ताकत के साथ उठ खड़ी हो। यह कोई ऐसा मसला नहीं है कि उसे भाषणबाजी से ही सुलझा लिया जाए ···(व्यवधान) श्री मोदी को भारतीय जनता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं उसे उनसे कहीं अच्छी तरह से जानती हूं। मैं सदन का ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहती···(व्यवधान) मैं इस वक्त किसी को झुका नहीं रही हूं। श्री यादव ने पूछा है कि क्या कदम उठाए जाएंगे। इस संदर्भ में कदम कोई नए नहीं हैं। लोगों को नुकसान हुआ और हमें पहले देखना यह है कि तुरंत उन्हें क्या सहायता पहुंचाई जा सकती है और दीर्घकालीन कदम क्या उठाए जा सकते हैं। जांच पहले ही चल रही है और वह नतीजे सामने रखेगी भी, लेकिन मैं यह स्वीकार करूंगी कि मैं नहीं जानती कि इस तरह की जांच कितनी मददगार साबित होती है। बहरहाल, यह जरूरी भी है, और मैं खुश भी हूं कि वह जारी है। अब मदद के सवाल से हटकर हम सबको एकत्र होकर यह देखना होगा कि इस तरह के माहौल को पनपने से हम कैसे रोक सकते हैं। कैसे हम जनता तक पहुंच सकते हैं। गांव-दर-गांव और मोहल्ला-दर-मोहल्ला पड़ोसी भाव कैसे पैदा करें ··· वही अंतिम सुरक्षा होगी। देश का माहौल बदलने से ही इस तरह के दंगे और लोगों पर किए जा रहे निरर्थक आक्रमण रुक सकेंगे। इस बात का सवाल ही नहीं है कि जब किसी ने पत्थर फेंका है तो लोगों को गुस्सा क्यों नहीं आएगा। यह वह स्थिति है जहां आप बहुसंख्यक लोगों की पहचान करते हैं। अगर लोगों ने कुछ गलत किया है, तो किसी भी तरह अपराधी को पकड़ना चाहिए। सच तो यह है कि अपराधी तो पहले ही भाग जाते हैं और निर्दोष लोगों को लूटा जाता है, उनकी हत्याएं होती हैं।

भिवंडी एक चेतावनी! एक चुनौती!

अध्यक्ष महोदय, अच्छा होता अगर आप गृह मंत्री महोदय के बाद मुझे बोलने का मौका देते। मैं मानता हूं कि नियम १९३ के अंतर्गत जवाब का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यह विवाद काफी लंबे समय तक चला है। इसमें अनेक बातें ऐसी कही गई हैं, जिनके बारे में उत्तर देना आवश्यक हो गया है। लेकिन मैं आपकी व्यवस्था स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए लिखकर दिया, इसलिए आपको मौका दे रहा हूं।

श्री वाजपेयी : अभी गृह मंत्री महोदय उत्तर देनेवाले हैं। उस दिन गृह मंत्री महोदय सदन में नहीं थे, बीमार थे। शायद मैंने बड़ी कठोर भाषा में उनकी आलोचना की। लेकिन उस संबंध में मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। जब मैंने यह कहा था कि श्री यशवंत राव चह्वाण महाराष्ट्र के दंगों के समय रोए और गुजरात के दंगों के समय इस तरह से व्यथित नहीं हुए, तो शायद यह धारणा पैदा हुई, जो मैं पैदा नहीं करना चाहता था, कि श्री यशवंत राव चह्वाण स्वयं को केवल महाराष्ट्र का नेता समझते हैं और देश के अन्य भागों के प्रति उनके हृदय में कोई ममता या आत्मीयता नहीं है। मैं निवेदन कर रहा था कि सांप्रदायिकता की समस्या को पार्टी के दायरे से निकालकर देखना होगा। अहमदाबाद में दंगे हो गए, वहां सिंडिकेट का शासन है, इसलिए उन दंगों के लिए सिंडिकेट की निंदा की जाए, उन दंगों पर हम उतने व्यथित न हों, जितने महाराष्ट्र में हुए दंगों के लिए, जहां इंडिकेट का शासन है, वहां अधिक व्यथित हो जाएं···(व्यवधान)

श्री नंबियार (त्रिचुलापल्ली) : महोदय, व्यवस्था की दृष्टि से यह दूसरा वक्तव्य है या व्यक्तिगत व्याख्या?

श्री शिव नारायण : क्या आप इस सदन के मालिक हैं?

श्री वाजपेयी : और उसी संदर्भ में मैंने कहा था कि मेरी उस बात को गलत ढंग से नहीं देखा जाना चाहिए।

लेकिन केवल एक बात नहीं है, स्वयं प्रधानमंत्री महोदय ने मेरे भाषण को जान-बूझकर

** भिवंडी प्रसंग पर १४ मई के भाषण के बाद उठे मुद्दों पर ३० मई, १९७० को लोकसभा में वाद-विवाद।*

तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिश की है।

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, यह इनको किस बात के लिए विशेष समय मिल रहा है?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री ने कहा···

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी : महोदय, क्या आपको पहले से उनकी व्यक्तिगत सफाई की लिखित प्रति मिल गई है?

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी को क्या आपत्ति है?

श्रीमती इंदिरा गांधी : कोई आपत्ति नहीं है, मैं जानकारी चाहती थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी ने कहा कि वह व्यक्तिगत सफाई देना चाहते हैं। यह कोई वक्तव्य नहीं है। यह व्यक्तिगत सफाई है। मैंने इसकी अनुमति दी है। प्रधानमंत्री ने जानना चाहा है कि क्या इसकी कोई लिखित प्रति मुझे पहले मिली है। नहीं।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, आपने इजाजत दी है, जो गलतफहमियां मेरे भाषण के बारे में पैदा की गई हैं, उनको दूर करने का मुझे अधिकार है।

प्रधानमंत्री ने कहा :

"श्री वाजपेयी ने इस मौके का फायदा उठाया, मुख्यतः मुस्लिमों पर आक्रमण की तैयारी के रूप में उठाया है और मैं समझती हूं कि एक तरह से यह सभी अल्पसंख्यकों के खिलाफ उठाया गया कदम है।"

'ऑल माइनारिटीज' की कहीं इस विवाद में चर्चा नहीं आई है। यह माइनारिटीज कहां से आ गई? क्या मेरे भाषण में माइनारिटीज का उल्लेख है? अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने भाषण में सारे मुसलमानों को भी दोषी नहीं ठहराया। क्या इस सत्य को झुठलाया जा सकता है? मैंने अपने भाषण में जो कहा था, मैं उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप मेरे भाषण का अंश देखिए। क्या प्रधानमंत्री ने इसे सुना नहीं? मैंने कहा था कि सारा मुसलमान संप्रदाय दंगे नहीं चाहता—मुसलमानों में देशभक्त भी हैं, मुसलमानों में अमन-पसंद भी हैं। जो रोजी-रोटी के लिए मजदूरी करके अपने बीवी-बच्चों का पालन करते हैं वे हिंसा का, हत्या का और अग्निकांडों का खेल नहीं खेलना चाहते। मगर प्रधानमंत्री ने सारे मुसलमानों को लपेट दिया और सारे मुसलमान ही नहीं जैनों, बौद्धों को, सिखों को, हरिजनों और पिछड़े हुए वर्गों को, और इस तरह की धारणा पैदा करने की कोशिश की मानो मैं सारे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हूं और इस देश में अल्पसंख्यकों की अलंबरदार हैं, तो केवल प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री महोदया ने देखा होगा री फ्रैंक मोरेस का लेख : वह एक ईसाई हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की है 'एक्सप्लाइटिंग दि माइनारिटीज', परमात्मा के लिए अल्पसंख्यकों का एक्सप्लायटेशन मत करिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैं अपने भाषणों के द्वारा हिंदुओं को भड़काना चाहता था। क्या हिंदुओं को भड़काने के लिए मुझे यही जगह है?···(व्यवधान)

श्री शशि भूषण : आप सभी जगह फिरकापरस्ती की आग भड़काते हैं।

श्री वाजपेयी : क्या मैं इस सदन के बाहर भाषण नहीं देता? आपकी कृपा से मुझे सुनने के लिए हजारों लोग आते हैं। अभी मैं गृह मंत्री जी के चुनाव क्षेत्र में गया था—सतारा, शोलापुर, कराड़, अहमदनगर, और गृह मंत्री जी अपने गुप्तचर विभाग से जांच कराकर बताएं कि मेरे भाषण में क्या आपत्तिजनक बात थी? कभी मैंने तनाव पैदा करनेवाली बात नहीं कही। इससे बहुत से

मेंबरों को ताज्जुब हुआ होगा कि उस दिन सदन में मैं इस तरह का क्यों बोला। अध्यक्ष महोदय, मैं जान-बूझकर बोला। मैंने धमकी नहीं दी थी। मैं चेतावनी देना चाहता था। आप इस चेतावनी पर कान दीजिए। अगर यह लोकसभा इस चेतावनी को नहीं सुनेगी तो देश में दुष्परिणामों को नहीं रोका जा सकता। यह धमकी नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : यही बात है।

श्री वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, यह चेतावनी है। क्या मुस्लिम संप्रदायवाद के साथ समझौता करके हम हिंदू संप्रदायवाद को बढ़ने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। और इसलिए आप अगर लड़ने का फैसला करते हैं तो दोनों तरह की सांप्रदायिकता के साथ लड़ने का फैसला करिए, हम आपके साथ हैं। मगर उस दिन तामीरे-मिल्लत के बारे में प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं कहा। शिव सेना के बारे में वह मौन धारण करके बैठी रहीं। हमने बंबई में शिव सेना के साथ समझौता करने से इन्कार कर दिया। हम शिव सेना के साथ समझौता कर सकते थे और शिव सेना के नेता श्री बाल ठाकरे ने कहा था—अभी जाता जाता डोका मारला होता! ··· (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है।···(व्यवधान)

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है।

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं भी इनको जवाब देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन स्पेसिफिक मैटर्स पर दे दीजिए, उससे आगे कुछ नहीं कहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : प्रधानमंत्री क्यों बेचैन हो गईं, बोलने क्यों नहीं देतीं। बेचैन मत होइए, जरा सुनिए।

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई नियम आप मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो खामख्वाह बहस होगी। आपने श्री वाजपेयी को व्यक्तिगत सफाई की इजाजत दी, लेकिन मैं तो व्यक्तिगत सफाई का कोई वाक्य इसमें नहीं देखता। वह तो एक बहस का जवाब दे रहे हैं। अगर आपको जवाब का अधिकार देना है तो दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत सफाई वाली प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मुझे याद है, श्री वाजपेयी हमेशा इन चीजों के बारे में टोकते हैं। मैं तो कभी बोलता नहीं, क्योंकि मैं सदस्यों को मौका देना चाहता हूं···(व्यवधान) मैं कोई वाजपेयी से बदला नहीं ले रहा हूं, मैं हमेशा मौका देना चाहता हूं, लेकिन आखिर कोई प्रक्रिया तो होनी चाहिए। अगर उनका लिखित जवाब आ जाता, उसमें सफाई आ जाती और प्रक्रिया के अनुसार काम होता तो यह झंझट पैदा न होता। मैं कहना चाहता हूं कि नियमों का पालन होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। मैं इस वक्त तक देखता रहा ···

श्री वाजपेयी : आप मुझको बहस का जवाब देने का मौका दें। आपने उसकी इजाजत नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय : इसमें बहस की कोई बात नहीं है।

श्री वाजपेयी : बहस की बात कैसे नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दिया। लेकिन आपने अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया।

श्री एम.एल. सोंधी (नई दिल्ली) : महोदय, आप व्याख्या को लेकर मेरी बात पर ध्यान दें। इस पर मुझे संक्षेप में कुछ कहने का अवसर दें।

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे व्याख्या के पहले सूत्र का जवाब दे लेने दें।

श्री एम.एल. सोंधी : यह एक जुड़ा हुआ मसला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे बाद में सुनूंगा।

श्री एम.एल. सोंधी : जब भी व्यवस्था का सवाल उठाया गया है, आपने कुछ सदस्यों को बोलने का मौका दिया है। और अक्सर ऐसा तब हुआ है, जब श्री मधु लिमये ने व्यवस्था का सवाल उठाया है।

सभापति महोदय : आप ही अकेले ऐसे व्यक्ति होंगे जो लगातार इस तरह अड़े रहेंगे। यह आखिरी बार है, जब मैं इस सिर-दर्द से बचना चाहूंगा।

श्री एम.एल. सोंधी : यह टिप्पणी करने से पूर्व आप कृपया मुझे सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले मैं व्यवस्था के प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा।

श्री एम.एल. सोंधी : मैं सिर्फ अपने हक की बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं कहता हूं, कोई हक नहीं है। कृपया बैठ जाएं। पहले मुझे व्यवस्था के सवाल का जवाब देने दीजिए। यह समय की बर्बादी नहीं तो और क्या है! श्री मधु लिमये द्वारा उठाया गया व्यवस्था का सवाल वाजिब है। मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं उनकी बात पर गौर नहीं कर पाया। कृपया स्वयं की व्यक्तिगत सफाई तक ही सीमित रखें, बहस में प्रवेश न करें।

श्री वाजपेयी : डिबेट में कहां कर रहा हूं? मैंने कहा था कि भाषण में मैंने यह बात नहीं कही। प्रधानमंत्री ने मेरे मुंह में यह बात डाल दी। मैंने धमकी नहीं दी, मैंने चेतावनी देनी चाही थी। क्या यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है?...

अध्यक्ष महोदय : इसमें बहुत फर्क है, आप डिबेट में पड़ गए।

श्री वाजपेयी : डिबेट तो थोड़ा-बहुत होगा और अभी गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में अपना बयान दे दीजिए।

श्रीमती इंदिरा गांधी : मैं भी जवाब देना चाहती हूं।

श्री वाजपेयी : मैंने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है कि संप्रदायवाद के सवाल पर मेरे साथ ऑल इंडिया रेडियो पर एक पब्लिक बहस करें। इस देश की जनता तय करेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह पर्सनल एक्सप्लेनेशन थोड़े ही है।

श्री वाजपेयी : लेकिन जो बातें मैंने अपने भाषण में नहीं कहीं, उन बातों को दोहराना, जो तथ्य मैंने रखे उनका जवाब न देकर एक जुनून जगाना, स्वयं को अल्पसंख्यकों का अलंबरदार बनाने की कोशिश करना, यह समस्या से लड़ने का तरीका नहीं है। भिवंडी एक चेतावनी है, भिवंडी एक चुनौती है। और देश की जनता को इस चेतावनी को सुनना होगा, इस चुनौती को स्वीकार करना होगा, मगर इसकी पहली शर्त यह है कि सांप्रदायिक समस्या को दलगत राजनीति से निकालना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री यह करने के लिए तैयार हैं? उनका भाषण कहता है कि वह इसके लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने मेरे भाषण को गलत ढंग से पेश किया। धन्यवाद।

अंतरराज्यीय परिषद होनी चाहिए

अध्यक्ष महोदय, श्री यशवंत राव चह्वाण आज उस आसन पर विराजमान हैं जिस पर कभी सरदार वल्लभभाई पटेल बैठा करते थे। सरदार ने ५०० देसी रियासतों का एकीकरण करके भारत को विघटन से बचाया और आज इतिहास में सरदार भारतीय एकता के सूत्रधार के रूप में जाने जाते हैं। कभी-कभी मैं सोचता हूं—भावी इतिहासकार गृह मंत्री श्री यशवंत राव चह्वाण का वर्णन किन शब्दों में करेगा? आज देश विघटन के कगार पर खड़ा है, केंद्र को दुर्बल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। राज्यों को, जो स्वाधीनता के पहले प्रदेश थे, और मुख्यतया प्रशासन की सुविधा के लिए बनाए गए थे, आज उनको ऐसे अधिकारों से मंडित करने का प्रयत्न हो रहा है जो देश की एकता को सुदृढ़ करने में सहायक नहीं हो सकते। आवश्यकता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए, अखंडता के लिए जो चुनौतियां हैं, उन पर हम गहराई से विचार करें, उनके कारणों को ढूंढ़ें और बुद्धिमत्ता के साथ उनका उपचार करें।

अध्यक्ष महोदय, आंध्र की स्थिति बड़ी विस्फोटक है। तेलंगाना का मामला इतना बढ़ने दिया गया है कि वह अब काबू से बाहर जा रहा है। आश्चर्य की बात है कि गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी उस मामले को हल करने के लिए भेजे गए हैं। यह मामला अधिकारियों के बूते हल नहीं होगा। यह मामला अब रुपए-आना-पाई का भी सवाल नहीं है। तेलंगाना की जनता में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है। संपूर्ण आंध्र में यह भावना भरने की आवश्यकता है कि हमें मिलकर अपनी कठिनाइयों को हल करना है। प्रश्न राजनीतिक है। नेतृत्व राजनीतिक प्रश्न का राजनीतिक हल ढूंढ़ने में विफल रहा है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि आंध्र के मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र क्यों नहीं दे सकते हैं। आज आंध्र के मामले में कोई शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो जनता के मानस को छू सके, उसे झकझोरकर जगा सके—जो आत्महत्या के मार्ग पर बढ़ने वाले वहां के नौजवानों को परावृत कर सके। इसके लिए कोई ऐसा कदम उठाना होगा, जो जनता के विश्वास को फिर से स्थापित कर सके। जो तेलंगाना को पृथक करने की मांग कर रहे हैं, वे त्यागपत्र दे रहे हैं, मगर आंध्र में जो तेलंगाना को रखना चाहते हैं, वे कुर्सी से चिपके रहने की धारणा पैदा कर रहे हैं।

---

* *गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों के अवसर पर लोकसभा में ३१ मार्च, १९६९ को भाषण।*

अध्यक्ष महोदय, आज मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा है—अगर आप अपने प्रभाव और प्रतिष्ठा का उपयोग करके आंध्र की समस्या का हल निकाल सकें तो इस सदन और सारे देश को खुशी होगी। कांग्रेस का नेतृत्व आज कसौटी पर कसा जा रहा है। चुनौतियों को समझना होगा और दृढ़ता के साथ, लेकिन बुद्धिमत्ता के साथ प्रश्नों का हल निकालना होगा।

कुछ और भी संकट के स्थल हैं जिनकी ओर आज ही ध्यान देना जरूरी है। एक संकट पैदा हो रहा है—जम्मू में। गजेंद्र गडकर आयोग की रिपोर्ट आ गई है, उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में देर नहीं होनी चाहिए। कोई भी डॉ. गजेंद्र गडकर पर सांप्रदायिकता या संकीर्णता का आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन अगर उनकी सिफारिशों को ताक पर रखा जाएगा तो असंतोष घुमड़ेगा। असंतोष के निराकरण के लिए अगर त्वरित कदम नहीं उठाए गए तो असंतोष विस्फोटक का रूप ले लेगा। क्या वहां विस्फोटक परिस्थितियां पैदा हों, तब ही गृह मंत्रालय के अधिकारी जम्मू जाएंगे? क्या गृह मंत्री श्री चह्वाण मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लेकर आर्थिक विकास के असंतुलन के कारण जो कठिनाई पैदा हो रही है, उसके निराकरण के लिए कदम नहीं उठा सकते? क्या केंद्रीय नेतृत्व असहाय हो गया है? क्या सत्ता के संघर्ष ने प्रभावशाली कदम उठाने की उसकी क्षमता को कुंठित कर दिया है? यह देश के साथ न्याय करने का तरीका नहीं है।

विधानसभा में धरना!

अध्यक्ष महोदय, बेरी आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रश्न पर राजस्थान के विरोधी दल उत्तेजित हैं। कोई विधानसभा में धरना दे, यह मुझे पसंद नहीं है। दुर्भाग्य से मेरे दल के लोग भी उसमें शामिल हैं, लेकिन जो कमीशन सरकार ने कायम किया, जिस कमीशन की नियुक्ति के समय हाई कोर्ट को आश्वासन दिया गया था, वहां एडवोकेट जनरल ने आश्वासन दिया था कि कमीशन की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाएगा, अब उस कमीशन की सिफारिशों को मानने में आनाकानी की जा रही है। जनता को उत्तेजित होने का अवसर दिया जा रहा है। क्या गृह मंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाकर, विरोधी दलों के नेताओं को बुलाकर—इसके बारे में बातचीत नहीं कर सकते? श्री यशवंत राव चह्वाण केवल गृह मंत्री नहीं हैं, राष्ट्र की सीमाओं में इनका एक और भी स्थान है। अगर यह राजस्थान के मुख्यमंत्री को बुलाएंगे, वहां के विरोधी दलों के नेताओं को भी बुलाएंगे और मिलकर ऐसा प्रयत्न करें कि यह मामला तय होना चाहिए, वहां राजस्थान में कोई विस्फोटक परिस्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री भी मानेंगे और विरोधी दलों के नेताओं को भी हम उचित बात मनवाने के लिए तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज दोनों को मिलानेवाला कोई नहीं है। जोड़नेवाला कोई नहीं है, तोड़ने वाले हैं, भावनाओं को शांत करनेवाला कोई नहीं है, भड़कानेवाले हैं। केंद्र में बैठे हुए नेताओं को जैसे लकवा मार गया है। यह कहते हुए मुझे दुख होता है। किंतु सत्य कितना भी कटु हो, उसका उच्चारण करना होगा।

केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में गहराई से विचार होना चाहिए। हमारा संविधान संघात्मक है, यह अनेक बीमारियों की जड़ है। अगर संघात्मक संविधान में केंद्र और राज्यों में कुछ खींचातानी हो तो वह अस्वाभाविक नहीं है, किंतु उसका हल हमारे संविधान की परिधि में ही होना चाहिए। केंद्र में बैठी हुई सरकार का आचरण भी संविधानसम्मत होना चाहिए और राज्यों में शासन करनेवालों को भी संविधान को आधार बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या गत

दो वर्षों में केंद्र ने संविधान की भावना का, संविधान के अक्षरों का पालन किया है? क्या यह सच नहीं है कि केंद्र ने अलग-अलग स्थितियों में, अलग-अलग समय में, अलग-अलग मापदंड अपनाए हैं।

राज्यपालों के अधिकार

आज राज्यपालों के अधिकारों की चर्चा हो रही है और मुझे याद है कि गृह मंत्री श्री चह्वाण ने दो साल पहले जब मध्य प्रदेश का मामला उठाया था तब यह बात कही थी कि तीन धाराओं—धारा २३९ (२), २०० और ३५६ को छोड़कर, राज्यपालों को अन्य मामलों में डिस्क्रीशनरी पावर्स नहीं हैं। उन्होंने मि. सेरवाई को उद्धृत किया था, लेकिन क्या इस पर आचरण किया गया? अभी मध्य प्रदेश में एक प्रश्न पैदा हुआ था और मैं उस प्रश्न को इस सदन में उपस्थित करना चाहता हूं और चाहूंगा कि गृह मंत्री अपने उत्तर में स्पष्ट करें—ऐसा मुख्यमंत्री जो सदन का विश्वास खो चुका है, क्या राज्यपाल को यह सलाह दे सकता है कि विधानसभा भंग कर दी जाए? और क्या राज्यपाल वह सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे? मेरा उत्तर है नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री को जिसने सदन का विश्वास खो दिया है, गवर्नर को इस बात के लिए विवश करने का अधिकार नहीं है कि वह विधानसभा को भंग कर दे। लेकिन मैं गृह मंत्री चह्वाण की स्थिति जानना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश में दो साल पहले पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र ने विधानसभा में अल्पमत में रहने के बाद राज्यपाल को कहा कि विधानसभा भंग होनी चाहिए। यह मामला उस समय सदन में भी उठा था, और गृह मंत्री ने कहा था—जो मुख्यमंत्री सदन का विश्वास खो चुका है, अल्पमत में आ चुका है, उसको भी राय देने का अधिकार है और राज्यपाल को वह राय माननी होगी। लेकिन जब राजा नरेशचंद्र सिंह ने कहा तो यह नियम उन पर लागू नहीं हुआ···(व्यवधान)

श्री शिव नारायण (बस्ती) : वह सदन के चुने हुए सदस्य भी नहीं थे। वे सदन का सामना नहीं कर सकते थे। श्री वाजपेयी क्या चाहते हैं?

श्री वाजपेयी : कोई व्यक्ति चुना हुआ है या नहीं है, यह सवाल नहीं है। बिना चुना हुआ व्यक्ति भी ६ महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है···(व्यवधान)

मैं एक सीमित प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि राजा नरेश चंद्र सिंह का बहुमत नहीं था, लेकिन जिस मुख्यमंत्री का बहुमत नहीं होगा, क्या वह विधानसभा को भंग करने की मांग कर सकता है?

एक सदस्य : यह राज्यपाल तय करेंगे।

श्री वाजपेयी : यही मैं कह रहा हूं कि अलग-अलग राज्यपाल अलग-अलग ढंग के आचरण कर रहे हैं। बिहार में श्री भोला पासवान शास्त्री ने सलाह दी कि विधानसभा भंग कर दो तो विधानसभा भंग कर दी गई, लेकिन हरियाणा के राज्यपाल ने, विधानसभा में बहुमत होते हुए भी, राव वीरेंद्र सिंह के मंत्रिमंडल को बर्ख़ास्त कर दिया और मध्य प्रदेश में दल-बदल के आधार पर मंत्रिमंडल को कायम किया गया। गृह मंत्री इस पर यह न कहें कि विरोधी दल वाले भी दल-बदल कराते हैं। हम भी कराते हैं और आप भी कराते हैं, इस हालत में हम सभी निर्वसन हैं। लेकिन प्रश्न राजनीतिक दलों का नहीं है, प्रश्न संविधान की व्याख्या का है। राज्यपाल को किन मामलों में डिस्क्रीशनरी पावर होगी, यह आज तय करने का समय आ गया है। राज्यपाल धर्मवीर ने मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण के कुछ अंश पढ़ने से इनकार कर दिया। अभिभाषण

अनुच्छेद १७५ के अंतर्गत दिया जाता है। अनुच्छेद १७५ उन अनुच्छेदों में नहीं आता है, जिनमें कि गृह मंत्री ने कहा है कि गवर्नर को डिस्क्रीशनरी पावर है। लेकिन फिर भी गृह मंत्री ने श्री धर्मवीर का समर्थन किया है। और पंजाब के गवर्नर, श्री पावटे ने, जैसा मंत्रिमंडल ने अभिभाषण तैयार किया था, वैसा ही पढ़ दिया।

गृह-कार्य मंत्री श्री यशवंत राव चह्वाण : उन्होंने अपना डिस्क्रीशनरी इस्तेमाल किया होगा। ···(व्यवधान)

श्री वाजपेयी : क्या राज्यपाल अलग-अलग अपने-अपने डिस्क्रीशन निश्चित करेंगे? क्या यह उचित है? नहीं, अनुच्छेद १७५ में डिस्क्रीशन नहीं है। मैं फिर पढ़कर सुनाना चाहता हूं और गृह मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या कहा था। मैं चह्वाण साहब के शब्दों को ही उद्धृत कर रहा हूं। बड़े चुने हुए शब्द हैं। वे जब बोलते हैं तो बड़ी समझदारी से बोलते हैं और जब वे अलग-अलग भाषा में बोलते हैं, तब भी समझदारी से बोलते हैं। उन्होंने कहा था :

"इस बिंदु पर संविधान बहुत स्पष्ट है। तीन धाराओं को छोड़कर, प्रदेश का राज्यपाल संवैधानिक मुखिया है। मैंने महाराष्ट्र के महाधिवक्ता श्री शीर वाई द्वारा प्रकाशित संविधान के नवीनतम विद्वतापूर्ण अंक का संदर्भ दिया है और उन्होंने कहा है कि केवल तीन धाराओं के अधीन प्रदेश का राज्यपाल, राष्ट्रपति के अभिकर्ता (एजेंट) के रूप में काम करता है। वे धाराएं २३९ (२), २०० और ३५६ हैं। इन तीन धाराओं के अंतर्गत के अलावा राज्यपाल संवैधानिक मुखिया के रूप में कार्य करता है।"

आगे चह्वाण साहब कहते हैं :

"जब एक मुख्यमंत्री द्वारा एक राज्यपाल को सलाह दी जाती है, प्रश्न है कि राज्यपाल उसकी सलाह से बंधा हुआ है या नहीं? उसके लिए मेरा उत्तर है कि वह उस सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।"

मैं चाहता हूं कि···(व्यवधान)

श्री यशवंत राव चह्वाण : आखिरी सेंटेंस जरा पढ़ लीजिए।

श्री वाजपेयी : "जब एक मुख्यमंत्री द्वारा एक राज्यपाल को सलाह दी जाती है, प्रश्न है कि क्या राज्यपाल उसकी सलाह से बंधा हुआ है या नहीं? उसके लिए मेरा उत्तर है कि वह उस सलाह को स्वीकार करने के लिए बाध्य है।"

श्री चह्वाण : मैंने पराजित (डिफीटिड) कभी नहीं कहा।

श्री वाजपेयी : डिफीटेड कौन था? राजा नरेशचंद्र सिंह डिफीटेड नहीं थे। गृह मंत्री तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश न करें।

अगर कोई डिफीटेड था तो वे पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र थे, उन्हीं के संदर्भ में आपने बात कही थी।

मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक मसला उठा रहा हूं। पार्टी के दृष्टिकोण से मैं कोई मुद्दा जीतना नहीं चाहता हूं। जो अतीत में हो गया वह भुलाया जा सकता है, लेकिन भविष्य के लिए संविधान की व्याख्या स्पष्ट, दो-टूक और निर्विवाद होनी चाहिए। राज्यपाल धर्मवीर के लिए एक नियम और राज्यपाल पावटे के लिए दूसरा नियम नहीं चल सकता। पं. द्वारिका प्रसाद मिश्र को एक गज से नापना और राजा नरेशचंद्र सिंह को दूसरे गज से नापना, यह नहीं चल सकता है। यह संविधान की मर्यादा की रक्षा करने का तरीका नहीं है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि गृह

मंत्री एक इंटर स्टेट कौंसिल कायम करने के सुझाव को स्वीकार करने में क्यों असमर्थ हैं? इसकी व्यवस्था संविधान के निर्माताओं ने की है कि केंद्र और राज्यों का विवाद हो या राज्यों के आपसी मतभेद हों तो उसको हल करने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद हो सकती है। उसकी स्थापना संविधान के अंतर्गत ही होगी। आज अलग-अलग प्रदेशों में अलग-अलग रूप, अलग-अलग रंग और अलग-अलग रस की सरकारें चल रही हैं। हम एकदलीय शासन के युग से बहुदलीय शासन के युग में आ गए हैं। अब केंद्र को न केवल न्यायसंगत ही होना होगा, बल्कि उसे दिखाना भी होगा कि वह न्याय के आधार पर आचरण कर रहा है। साथ ही राज्यों को भी संविधान का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर एक इंटर स्टेट कौंसिल होगी, राष्ट्रपति उसकी नामजदगी करेंगे, वह विवादग्रस्त प्रश्नों पर चर्चा कर सकती है, उनके हल निकाल सकती है। मैं नहीं समझता कि गृह मंत्री को इंटर स्टेट कौंसिल बनाने में कौन सी आपत्ति है? हम इस बात को जानना चाहेंगे।

केंद्रीय कर्मचारियों के मुकदमे

मैं एक प्रश्न की और चर्चा करूंगा। वह केंद्रीय कर्मचारियों का प्रश्न है। उस दिन गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने यह घोषणा की थी कि कुछ दर्जन कर्मचारियों को छोड़कर बाकी सब काम पर ले लिए जाएंगे, इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मुझे पता लगा है कि कर्मचारी काम पर ले लिए गए हैं, लेकिन उनके मुकदमे वापस नहीं हुए हैं। अब अगर एक बार उनको काम पर लेने का फैसला कर लिया गया है तो फिर उनके खिलाफ ··· (व्यवधान)···अभी काम पर लिए नहीं गए हैं, लेकिन आदेश दिए जा रहे हैं। यदि ईमानदारी से उन आदेशों का पालन किया गया तो···(व्यवधान) स्थिति यह बनेगी कि कर्मचारी तो कार्यालय में रहेगा और उसका मुकदमा अदालत में रहेगा। मैं व्यवहार की कठिनाइयों को बता रहा हूं। आपने जिन कर्मचारियों को हटाया था और जिन पर मुकदमे चला रहे हैं, उनके सब्स्टीट्यूट भी रखे थे। अब उन कर्मचारियों को वापस लिया गया तो उनकी जगह पर काम करनेवाले जो सब्स्टीट्यूट हैं, उनको हटा दिया जाएगा और उन कर्मचारियों को अदालत में पेशियों पर जाना होगा। सरकार जब कोई कदम उठाती है तो इस तरह से उठाती है कि उसकी सारी शोभा ही नष्ट हो जाती है। अगर कोई कदम उठाना ही है तो उसको हिम्मत के साथ और विशालहृदयता के साथ उठाना चाहिए। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि चह्वाण साहब अपना हृदय विशाल नहीं बना सकते हैं, अगर चाहें तो। मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों के मामले वापस होने चाहिए। उनके अधिकतर मामले दफा १४४ तोड़ने के हैं। दफ्तर के भीतर दफा १४४ तोड़ी गई, इस तरह की बात भी कही जा सकती है। मैं अभी त्रिवेंद्रम गया था, केरल के कर्मचारी मुझसे मिले थे। केरल के कर्मचारी अभी काम पर वापस नहीं लिए गए हैं। आडिटर जनरल के दफ्तर में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके सामने नई कठिनाइयां पैदा की जा रही हैं। यहां गोल डाकखाने में जो स्थिति पैदा हुई थी, उसकी जानकारी गृह मंत्री को न हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए अगर आपने एक निर्णय लिया है तो एक कदम और बढ़कर निर्णय कीजिए कि हम सभी कर्मचारियों को वापस ले लेंगे। अगर किसी ने गंभीर अपराध किए हों तो उन पर विभागीय कार्यवाही हो सकती है, लेकिन पुलिस और मुकदमे के चंगुल से कर्मचारियों को बचाना जरूरी है। जिस भावना से कदम उठाए जा रहे हैं, उसका तकाजा यह है कि मुकदमों को भी वापस करने के बारे में फैसला किया जाए। यदि कोई हिंसा की घटना का

मामला हो और उसका प्रमाण हो, उसके लिए मैं नहीं कहता, लेकिन दफा १४४ तोड़ने के कारण जिनको मुकदमों में फंसाया गया है या आर्डिनेंस की दफा ५ में लिया गया है, उनके मुकदमे वापस लेने के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।

रांची के दंगों की जांच

एक बात कहकर समाप्त करूंगा। देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। जब कभी दंगे होते हैं तो मेरे दल का नाम उनसे जोड़ा जाता है। हमने मांग की थी कि रांची के दंगे की जांच की जाए। उसकी जांच हुई और जांच कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी है। जस्टिस रघुवर दयाल की अध्यक्षता में बने जांच कमीशन ने कहा है कि दंगे की पूर्वयोजना भारतीय जनसंघ ने नहीं बनाई। यह रिपोर्ट मध्यवर्ती चुनावों के पहले ही सरकार को मिल गई थी, लेकिन सरकार ने उस रिपोर्ट को दबाकर रखा, उसको प्रकाश में नहीं आने दिया। अब रिपोर्ट आ गई है तो किस क्षेत्र की ओर से इस पर आपत्ति की जा रही है, उसकी ओर मैं गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस सदन में एक माननीय सदस्य ने भाषण दिया कि जस्टिस रघुवर दयाल कमीशन की रिपोर्ट एकपक्षीय रिपोर्ट है, नौकरशाही की रिपोर्ट है। जनसंघ को कमीशन ने बरी कर दिया है, इसलिए यह पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट है, लेकिन यदि कमीशन हम पर लांछन लगाता तो रिपोर्ट सही हो जाती।

मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय देश के मानस को आंदोलित करनेवाले प्रश्नों पर स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहें। और एक प्रश्न यह है, कोई भी इससे मतभेद नहीं रखता, कि हमारा राज्य एक असांप्रदायिक राज्य होना चाहिए। हमारा राज्य ऐसा होना चाहिए जिसमें मजहब के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या सांप्रदायिकता का अर्थ यह है कि हम अपनी परंपरा से नाता तोड़ लें? क्या सांप्रदायिकता का अर्थ यह है कि हम अपनी संस्कृति से मुंह मोड़ लें?

प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भारत में बने हुए जहाज को समुद्र में उतारने के लिए गईं। उद्‌घाटन के अवसर पर उन्होंने एक नारियल तोड़ा। संप्रदायवादी अखबारों ने इस पर आपत्ति की कि एक असांप्रदायिक राज्य में, सेक्युलर स्टेट में, नारियल नहीं तोड़ा जा सकता। नारियल तोड़ना हिंदू पद्धति है, नारियल तोड़ना बंद करना चाहिए।

हमारे आदरणीय राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती में आए। जयंती में सरदार पटेल का एक चित्र लगा था। राष्ट्रपति ने उस चित्र को माला पहनाई और राष्ट्रपति उस चित्र के सामने वंदना की मुद्रा में खड़े रहे। कुछ अखबारों ने लिखा कि मुसलमान राष्ट्रपति को तस्वीर को माला पहनाकर तस्वीर के सामने हाथ बांधकर खड़े नहीं होना चाहिए। तस्वीर को माला पहनाना और माला पहनाकर करबद्ध प्रणाम करना यह हिंदू पद्धति है। मेरा निवेदन है कि यह पद्धति किसी विशेष उपासना-प्रणाली का हिस्सा नहीं है, बल्कि भारत की मिट्टी से निकली हुई संस्कृति का हिस्सा है, और इस संस्कृति से नाता नहीं तोड़ा जा सकता। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिन पर राजनीतिक दलों को, गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को भी स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहनी चाहिए।

एक बड़ी घटना हुई है, मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। हमारे डॉ. कर्ण सिंह पटना गए थे, मैं उनके भाषण के लिए उन्हें बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मुझे दुख है कि वहां यह बात कही गई कि छुआछूत यह हिंदू धर्म का हिस्सा है। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। छुआछूत एक पाप है। छुआछूत एक अभिशाप है। अस्पृश्यता एक कलंक है। जब तक यह

कलंक हमारे माथे से नहीं मिटेगा, हम दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़े नहीं हो सकते। और मैं नहीं समझता हिंदू शास्त्र कहते हैं कि अस्पृश्यता चलनी चाहिए। अगर शास्त्रों की कोई ऐसी व्याख्या हुई है तो वह गलत व्याख्या हुई है और हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं एक कदम आगे जाकर यह भी करने को तैयार हूं कि कल अगर परमात्मा आ जाए और कहे कि छुआछूत मानो तो मैं ऐसे परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मगर मैं जानता हूं परमात्मा ऐसा नहीं कह सकता और जो परमात्मा के भक्त बनते हैं, उनको भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

एलिया कमेटी की रिपोर्ट में क्या है?

अध्यक्ष महोदय, हमने हरिजनों की और वनवासियों की स्थिति की जांच के लिए श्री एलिया परीमल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी।···(व्यवधान)

श्री बी. शंकरानंद (चिलकोडी) : केवल हिंदुत्व ही छुआछूत को मानता है और संसार का कोई अन्य धर्म इसे नहीं मानता।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा विषय है, जिस पर वह बोल रहे हैं। कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें।

श्री वाजपेयी : परिगणित जातियों और जन-जातियों की स्थिति पर विचार करने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। श्री एलिया परीमल उसके अध्यक्ष थे। २६ जनवरी को, गणराज्य के दिन वह रिपोर्ट राष्ट्रपति को समर्पित कर दी गई। मगर उस रिपोर्ट ने अभी तक प्रकाश की रेखा नहीं देखी है। उस रिपोर्ट को सदन में क्यों नहीं रखा गया है, वह रिपोर्ट हमें क्यों नहीं दी गई? अगर सरकार उस पर विचार कर रही है तो रिपोर्ट को प्रकाशित करके भी सरकार उस पर विचार कर सकती है। लेकिन आदिवासियों और हरिजनों की स्थिति के संबंध में हमें विचार करना होगा। मैं गृह मंत्री जी से कहूंगा कि एकीकरण का प्रश्न केवल हिंदू-मुसलमान को जोड़ने का ही प्रश्न नहीं है, उत्तर और दक्षिण में एकीकरण का भी प्रश्न है, और जो हरिजन हैं, आदिवासी हैं, उन्हें राष्ट्रीय जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान देने का प्रश्न भी एकीकरण का प्रश्न है। राष्ट्रीय एकात्मता परिषद की एक विशेष बैठक हरिजनों और वनवासियों के प्रश्नों पर विचार करने के लिए होनी चाहिए। समाज के इस वर्ग को हमें विश्वास दिलाना होगा, आचरण और कृति से, कि हम उन्हें बराबर का हकदार समझते हैं और उन्हें बराबर का स्थान देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए अगर अंधविश्वास से लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। इसके लिए रूढ़ियों के ऊपर वज्रपात करना आवश्यक होगा तो हम करेंगे।

यह तर्क का युग है, विज्ञान का युग है। आध्यात्मिकता की रक्षा करते हुए मानव और मानव के बीच में जो भेद की दीवार खड़ी है उसको ढाना होगा, और इसके लिए एक राष्ट्रीय अभियान की आवश्यकता है; और इस अभियान का प्रारंभ गृह मंत्री के द्वारा होना चाहिए। मगर गृह मंत्री चतुराई से चुप रहते हैं, बोलते हैं तो बहुत थोड़ा बोलते हैं और जब देश उनसे पहल की आशा करता है तो वह थोड़ा सा झिझकते हैं। यह झिझक छोड़ देनी चाहिए और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। जो राष्ट्रीय प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर उन्हें सारे दलों का समर्थन मिलेगा। कम से कम हमारा समर्थन उन्हें मिलेगा, यह हम विश्वास दिलाते हैं।

जॉन स्मिथ के रहस्योद्घाटन

अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि मि. जॉन स्मिथ दिल्ली में थे। जॉन स्मिथ ने अपने बारे में कहा है कि वह सी.आई.ए. के एजेंट थे। अब उन्होंने रूस की नागरिकता स्वीकार ली है। यह तो समझ में आ सकता है कि जॉन स्मिथ अमरीका को बदनाम करने के लिए कुछ बातें कहें, लेकिन भारत की सेना के बड़े अफसरों का नाम लेकर उन्हें वह सी.आई.ए. से संबंधित बतलाएं, इसका कोई कारण समझ में नहीं आता।

यह रहस्योद्घाटन होने के बाद गृह मंत्रालय की या सुरक्षा मंत्रालय की किसी उच्चाधिकार समिति ने क्या इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया कि उस आरोप में कोई सच्चाई है? अगर अभी तक जांच नहीं की गई तो क्या गृह मंत्री महोदय इस तरीके की कोई जांच करने का विचार रखते हैं? अभी आटोबाइग्राफी के और भी अंश आने बाकी हैं, जितने अंश आए हैं, वे सनसनीखेज हैं और वे इस बात का इशारा देते हैं कि विदेशी जासूस हमारी सेना में, हमारे राजनैतिक जीवन-स्तर तक भी प्रवेश कर गए हैं।

जॉन स्मिथ ने एक बात और कही है कि राजनैतिक स्तर पर पाइक, प्लूटार्क और प्रधानमंत्री नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी का नाम लिया जाता है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सारे मामले को देखकर क्या गृह मंत्री जी कोई निजी जांच करने का विचार रखते हैं? अगर रखते हैं तो क्या उन्होंने क्या ठोस रूप में किसी प्रस्ताव पर विचार किया है? और क्या वह इस संबंध में सदन को विश्वास में लेने के लिए तैयार हैं?

** भारत में सी.आई.ए. की सक्रियता पर लोकसभा में २० नवंबर, १९६७ को ध्यानाकर्षण।*

अराजक तत्त्वों को केंद्र से प्रश्रय

सभापति महोदय, आम चुनाव के बाद देश के राजनीतिक मानचित्र में एक भारी परिवर्तन हुआ है। आठ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें काम कर रही हैं। जहां तक केंद्र का संबंध है, इस लोकसभा में भी सत्तारूढ़ दल का बहुमत इतना कम हो गया है कि संविधान में संशोधन करने के लिए अब उसे प्रतिपक्ष का समर्थन आवश्यक है।

गृह मंत्रालय को इस परिवर्तित परिस्थिति में देश के प्रति अपने दायित्व का पालन करना है। ध्यान रखना होगा कि गृह मंत्री या गृह मंत्रालय कोई ऐसा काम न करे, जिससे केंद्र और राज्यों के संबंध बिगड़ें, देश की एकता दुर्बल हो और जो तत्व देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, उन्हें बल मिले। श्री यशवंत राव चह्वाण सदन में नहीं हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वह सरदार बल्लभ भाई पटेल के आसन पर बैठे हैं। सरदार पटेल ने पांच सौ रियासतों का विलीनीकरण करके भारत को एक सूत्र में बांधा था। कहीं ऐसा न हो कि एक सूत्र में बंधा हुआ भारत गृह मंत्रालय की किसी गलती के कारण टुकड़ों में बिखर जाए।

मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री महोदय पंजाब के कुछ ऐसे तत्वों को प्रश्रय दे रहे हैं, जिनका पाकिस्तान के साथ तस्कर व्यापार करने में हाथ था और इसी कारण जिन्हें पंजाब के सत्तारूढ़ अकाली दल से अलग होना पड़ा है।

श्री चह्वाण कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के हितों का ध्यान रखना उनके लिए स्वाभाविक है, लेकिन जब दल के हितों और राष्ट्र के हितों में टक्कर हो और भारत का गृह मंत्री दल के हितों के ऊपर न उठ सके तो उसके हाथों राष्ट्र के हितों की रक्षा होना कठिन हो जाएगा।

स्वाधीनता के २० वर्ष बाद पंजाब में सब संप्रदायों के अलग-अलग उपासना-पद्धतियों के माननेवालों में भाईचारे का वातावरण बना है। जो काम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शासन पिछले २० साल में पंजाब में नहीं कर सका वह गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कर दिखाया। लेकिन गृह मंत्रालय ऐसे तत्वों को प्रश्रय दे रहा है, ऐसे तत्वों की पीठ थपथपा रहा है जो पंजाब के गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल को पलटना चाहते हैं और जो तत्व प्रश्रय देने लायक नहीं हैं।

मुझे यह जानकर भी बड़ा खेद हुआ है कि गृह मंत्री महोदय हरियाणा के गैर-कांग्रेसी

** गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर लोकसभा में ५ जुलाई, १९६७ को वाद-विवाद।*

मंत्रिमंडल से इसलिए नाराज हैं कि उस मंत्रिमंडल के मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ के प्रश्न पर प्रधानमंत्री की मध्यस्थता को मानने से इन्कार कर दिया। चंडीगढ़ पंजाब में जाए या हरियाणा में जाए या चंडीगढ़ संघप्रदेश रहे, मेरे लिए इससे बड़ा अंतर नहीं होता। जब तक चंडीगढ़ भारत में है, तब तक किसी को चिंता करने का कारण नहीं है। लेकिन यदि हरियाणा का मंत्रिमंडल, हरियाणा की सरकार प्रधानमंत्री को मध्यस्थ नहीं बनाना चाहती तो क्या इसे गृह मंत्री महोदय को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना चाहिए? क्या इसीलिए हरियाणा के मंत्रिमंडल को पलटने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से प्रयत्न किए जाने चाहिए। चह्वाण साहब आ गए हैं, इसलिए मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं...

गृह कार्य मंत्री श्री यशवंत राव चह्वाण : मैंने सुन लिया।

श्री वाजपेयी : वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस के हितों की चिंता करना उनके लिए स्वाभाविक है। लेकिन आज कांग्रेस के हित और राष्ट्र के हित एक नहीं रहे। कभी राष्ट्र के हितों में और दल के हितों में टक्कर हो सकती है और उस समय गृह मंत्री से आशा की जाती है कि वह पार्टी के छोटे हितों को अपने सामने नहीं रखेंगे।

दिल्ली में क्या हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है। दिल्ली की जनता ने जनसंघ को सेवा करने का अवसर दिया है। लेकिन दिल्ली के प्रशासन के मार्ग में बाधाएं पैदा की जा रही हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि उन बाधाओं को पैदा करने के लिए सीधे गृह मंत्रालय जिम्मेदार है, लेकिन मैं यह बात बिना कहे नहीं रह सकता कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत लॉ एंड आर्डर, विधि और व्यवस्था, यह केंद्र के अधीन रहना चाहिए था और राष्ट्रपति जी को अधिकार मात्र दिया गया था। लेकिन विधि और व्यवस्था के साथ सर्विसेज भी केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली हैं। हाउसिंग, भवन निर्माण का काम भी केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। क्या यह लेना जरूरी था? अब जिन विषयों में मेट्रोपोलिटन कौंसिल को अधिकार है, उनकी सेवाएं भी केंद्र के अधीन हैं। इस तरह से तो कोई प्रशासन नहीं चल सकता।

गृह मंत्रालय ने एक अच्छी बात की है कि अपने अधिकार दिल्ली प्रशासन को डेलीगेट कर दिए हैं। लेकिन दिल्ली प्रशासन को केवल गृह मंत्रालय से संपर्क नहीं करना पड़ता। शिक्षा के मामले में शिक्षा मंत्रालय से, परिवहन के मामले में ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से, स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय से, रेलवे के मामले में रेलवे के मंत्रालय से संपर्क रखना पड़ता है। क्या अन्य मंत्रालयों को इस बात के लिए तैयार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से गृह मंत्रालय ने अपने अधिकार दिल्ली प्रशासन को डेलीगेट कर दिए हैं, उसी तरह से अन्य मंत्रालय भी कर दें?

एक माननीय सदस्य : रेलवे का भी दे दिया जाए?

श्री वाजपेयी : रेलवे का सवाल नहीं है। मेरे मित्र पंजाब से चुनकर आए हैं। वह शायद यह बात नहीं समझते कि अगर दिल्ली में रेलों का विस्तार और विकास करना है, तो उसका कुल मिलाकर नियंत्रण तो रेलवे मंत्रालय के अधीन होगा, लेकिन उसके बारे में सुझाव देने का और उन सुझावों को अंतिम रूप से कार्यान्वित कराने का भार अगर दिल्ली प्रशासन को सौंप दिया जाए तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।...

एक माननीय सदस्य : वह तो है ही, सुझाव देने का अधिकार कौन छीनेगा?

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली की बात आते ही कांग्रेस के सदस्य कितने बेचैन हो जाते हैं? मैं उनका दर्द समझता हूं। दिल्ली हाथ से निकल गई तो उनका दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर यही तरीका रहा तो नई दिल्ली भी हाथ से जानेवाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति कौन सा रवैया अपनाता है, यह उन प्रदेशों में देखना होगा जहां कांग्रेसी विरोधी दल में बैठे हैं। हम विरोधी दल में बैठकर अच्छा आचरण करें, हमारा विरोध रचनात्मक हो, विधायक हो, यह आशा करना और उपदेश देना सरल है, किंतु जहां कांग्रेसी विरोधी दल में बैठे हैं, वहां उन्हें अपने उपदेश पर आचरण करके दिखाना होगा।

एक माननीय सदस्य : कर रहे हैं।

श्री वाजपेयी : नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के कांग्रेसी आज यह कह रहे हैं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को जनसंघी कहते हैं। इसी दिल्ली के अंदर गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल ऐसे तत्वों की पीठ थपथपा रहे हैं। अगर दिल्ली प्रशासन के आदेश से इरविन हॉस्पीटल के पास झोंपड़ियां हटाई जाती हैं तो यह प्रश्न खड़ा किया जाता है कि जिनकी झोंपड़ियां हटाई गईं, वह मुसलमान थे और जनसंघ सांप्रदायिक कारणों से झोंपड़ियां हटा रहा है। दिल्ली प्रशासन ने झोंपड़ियां हटाईं लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश से। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्री फखरुद्दीन अली अहमद से बात की, और मीर मुस्ताक अहमद से बात की, दिल्ली के और मुसलमान नेताओं से बात की। उनके समर्थन से, उनके सहयोग से झोंपड़ियां हटाने का निर्णय लिया गया। लेकिन राज्य मंत्री महोदय ने दिल्ली प्रशासन के ऊंचे अधिकारी को फोन किया कि ये झोंपड़ियां क्यों हटाई जा रही हैं और झोंपड़ियां हटाने से जो लोग बेघर हो रहे हैं, उन्हें श्री विजयकुमार मल्होत्रा के चुनाव क्षेत्र में क्यों नहीं बसाया जाता?

श्री विद्याचरण शुक्ल : बिल्कुल गलत है।

श्री वाजपेयी : मैं यह बात साबित करने के लिए तैयार हूं। राज्य मंत्री महोदय ऐसी हल्की बात न करें। उन्हें अपने आचरण के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। उन्होंने जिनको फोन किया, उनके पास उस समय जनसंघ के एक नेता भी बैठे थे। मैं यह आशा नहीं करता कि इस तरह की सांप्रदायिकता को गृह मंत्रालय में बैठकर कोई व्यक्ति पैदा करने की कोशिश करेगा।

मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं गृह मंत्रालय का। १९४७ में एक व्यक्ति पाकिस्तान चला गया। वह पाकिस्तान का नागरिक बन गया, मगर दिल्ली में छोड़ी गई संपत्ति पर कब्जा करने के लिए वापस आया। प्रशासन ने उसके विरुद्ध अदालत में शिकायत की। वह पकड़ा गया, जेल में डाला गया। पंजाब हाई कोर्ट ने ८ नवंबर, १९६५ को उस व्यक्ति को पाकिस्तानी नागरिक घोषित किया। उस व्यक्ति को आदेश दिया गया कि वह पाकिस्तान चला जाए। मगर गृह मंत्रालय ने उस व्यक्ति को भारत में रहने की इजाजत दी। इतना ही नहीं, गृह मंत्रालय ने उस व्यक्ति को दिल्ली वक्फ बोर्ड में नामजद कर दिया। दिल्ली के वक्फ बोर्ड में कोई पाकिस्तानी नामजद किया जा सकता है? क्योंकि दिल्ली के कुछ कांग्रेस के व्यक्ति उस व्यक्ति से संबंधित हैं, उन्होंने गृह मंत्रालय को एक पाकिस्तानी को वक्फ बोर्ड में नामजद करने के लिए तैयार कर लिया। क्या श्री चह्वाण इस मामले की जांच करने के लिए तैयार हैं? मुझे गलत आरोप लगाने की आदत नहीं है। मैं कभी ऐसी बात कहने में विश्वास नहीं करता जिस बात को प्रमाणों के आधार पर साबित

न किया जा सके। वह व्यक्ति आज भी दिल्ली में वक्फ बोर्ड का मेंबर है, यद्यपि पंजाब हाई कोर्ट उसे पाकिस्तानी नागरिक घोषित कर चुका है।

नक्सलबाड़ी की निंदा कीजिए

उपाध्यक्ष महोदय, नक्सलबाड़ी के बारे में कामरेड डांगे ने कहा कि वह किसानों का मामला है, जो कि भूमि की भूख में से पैदा हुआ है। मैं समझता हूं कि नक्सलबाड़ी की स्थिति का यह सही वर्णन नहीं है। भूमिहीनों में भूमि की भूख है। जनसाधारण में परिवर्तन की इच्छा है। स्वाधीनता के बीस वर्ष पश्चात जिन्हें समृद्धि में हिस्सा नहीं मिला, उनका बेचैन होना स्वाभाविक है। लेकिन पश्चिमी बंगाल का रास्ता खुला था कि वह नक्सलबाड़ी में बेदखली बंद कर देती। अगर भूमि बेकार पड़ी हुई है, अगर भूमि परती पड़ी हुई है तो उसके वितरण के लिए भी राज्य सरकार कदम उठा सकती थी। अगर विधानसभा की बैठक करना संभव नहीं था तो राज्य सरकार एक अध्यादेश जारी करके बेदखली को रोक सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नक्सलबाड़ी में जो कुछ हुआ है, उसकी निंदा किए बिना नहीं रहा जा सकता। वह केवल शांति और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। वहां तो राष्ट्रीय एकता के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया जा रहा है। अगर मामला भूमि सुधारों का है, तो पुलों को तोड़ने की क्या आवश्यकता है? अगर प्रश्न भूमिहीनों को भूमि देने का है, तो गण न्यायालय स्थापित करने की क्या आवश्यकता है? वह गण न्यायालय मुकदमे कर रहे हैं, वह मृत्युदंड दे रहे हैं। एक गण न्यायालय ने जिस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी, बाद में उसका सिर कटा हुआ पाया गया।

हम इस बात के हामी नहीं हैं कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में इस समय हस्तक्षेप करे, हम इस बात का समर्थन नहीं करते कि केंद्रीय सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का राज लागू करे। लेकिन पश्चिम बंगाल की स्थिति पर परदा डालने के प्रयत्नों को भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उससे सारे देश को परिचित होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम कांग्रेस सदस्यों के मन की ही कहें, तभी ठीक हैं? हम अपने ढंग से परिस्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं। किस समय कौन सा कदम उठाना चाहिए, इसके बारे में भी हमारा अपना अंदाज है। आप हमारे अंदाज से मतभेद रख सकते हैं।

डॉ. सुशीला नैयर (झांसी) : हम आपसे सहमत हैं इस बारे में।

श्री वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के एक संसद-सदस्य पर जो आक्रमण हुआ, उसको यह कहकर नजरअंदाज करने की कोशिश की गई कि हो सकता है कि वह आक्रमण गुंडों ने किया हो। उनकी घड़ी चली गई, फाउंटेन पेन चला गया। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कलकत्ता में दो जुलाई को चीन के विरुद्ध देश की जनता की भावना का प्रकटीकरण करने के लिए जो सभा की गई, तो उस सभा में विरोध प्रदर्शन करनेवाले कौन थे? कौन थे जिन्होंने सभा पर आक्रमण करने की कोशिश की? जो बम लेकर आए थे? वह सभा हमारी तरफ से की गई थी, अतः हमला करनेवाले हम नहीं हो सकते। हमला करनेवाले माओ-त्से-तुंग जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आज भारत की भूमि में कोई माओ-त्से-तुंग जिंदाबाद के नारे लगाए तो यह देश के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। कामरेड डांगे अमरीकी सेना आएगी, इसका हवाला दे रहे थे। देश में कुछ अमरीका के समर्थक हैं, यह बात भी कही जाती है। मगर जब पाकिस्तान और अमरीका ने सैनिक गठबंधन किया और सारे देश में अमरीकी नीति के विरुद्ध जनता ने रोष प्रकट

किया तो इस भारत भूमि में कोई ऐसा नहीं निकला, जिसने जॉनसन जिंदाबाद अथवा आइजनहॉवर जिंदाबाद के नारे लगाए हों। हम अपने देश में ऐसे तत्वों को प्रश्रय नहीं दे सकते।

ऐसे तत्वों के साथ हमारी लड़ाई राजनीतिक है और राजनीतिक लड़ाई हमको जीतनी होगी, लेकिन अगर गृह मंत्रालय मौजूदा गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल को गिराने की साजिश में शामिल होगा तो फिर उसका न्याय और अन्याय में विवेक करने का दृष्टिकोण धुंधला हो जाएगा और जाने या अनजाने में वह ऐसे तत्वों के हाथ में खेलेगा, जो तत्व अंततोगत्वा भारत के स्वरूप को, भारत की आत्मा को, भारत की प्रकृति को बदलना चाहते हैं।

आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर मतभेद हो सकता है, राजाओं को मिलनेवाली थैलियां चलती रहें या बंद कर दी जाएं, इस पर भी मतभेद हो सकता है, मगर इस सवाल पर कोई मतभेद नहीं होना चाहिए कि हम भारत को एक स्वतंत्र और सार्वभौमिकतासंपन्न राष्ट्र के नाते कायम रखना चाहते हैं। न हम चीन के पिछलग्गू बनेंगे, न हम वाशिंगटन के बाजारों में अपने राष्ट्र की इज्जत को नीलामी पर चढ़ने देंगे।

कामरेड डांगे ने माओ-त्से-तुंग की आलोचना की। वह इस समय सदन में नहीं हैं, अन्यथा मैं उनसे पूछता कि माओ-त्से-तुंग को किस जीवन-दर्शन ने पैदा किया है? वह जीवन-दर्शन हमें स्वीकार नहीं है। आर्थिक समता में हमारी निष्ठा है। शोषण समाप्त होना चाहिए। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि हमारा लोकतंत्र रहना चाहिए या नहीं, हिंसा का हमारे देश के भीतर परित्याग होना चाहिए या नहीं? मुझे दुख होता है जब कुछ कांग्रेस के सदस्य क्रांतिकारी बनने की कोशिश में वही भाषा अपनाते हैं, वही ढंग अपनाते हैं जिसका वह अंततोगत्वा विरोध करना चाहते हैं। कम्युनिस्ट बनकर कम्युनिज्म का विरोध नहीं हो सकता। शिव की पूजा करनेवाले भक्त का शिव बनना तो हमने सुना है, मगर कम्युनिज्म से घृणा करके कम्युनिस्ट बनने की दृश्यावली भारत में उपस्थित नहीं होनी चाहिए।

भविष्य की नीतियां बनाइए

हमारे काम करने का एक ढंग है। अगर राजाओं के प्रीवी पर्सों को बंद करना है तो भी राजाओं को देशद्रोही कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय एकता में जो योगदान दिया, उसकी प्रशंसा करते हुए हम भविष्य के लिए अपना पग बढ़ाएंगे। क्या सरदार पटेल के योगदान पर भी पानी फेरा जा रहा है? अगर हम राजाओं को गद्दार मान लें तो राजाओं की कथित गद्दारी के साथ समझौता करने वाले सरदार पटेल की प्रतिमा भी धुंधली हो जाती है। अगर बिड़ला बंधुओं के साम्राज्य के लिए हम बिड़लाओं को शैतान मान लें तो उन शैतानों को प्रश्रय देनेवाला २० साल का कांग्रेस शासन भी उज्ज्वल मुख लेकर नहीं निकल सकता है। इसलिए भविष्य के लिए नीतियां निर्धारित की जाएं। नीतियां प्रगतिशील होनी चाहिए। नीतियां जन-भावनाओं को पूर्ण करनेवाली होनी चाहिए। किंतु किसी व्यक्ति या वर्ग को गिराएं मत। देश के इतिहास पर कलंक का टीका मत लगाइए। काम करने के अपने ढंग पर कायम रहिए, उसको मत भूलिए। व्यक्ति में अच्छाइयां भी हैं। व्यक्ति की बुराइयों का विरोध, किंतु उसकी अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना, यह भारतीयता है, यह हमारी जीवन-पद्धति है। यह पद्धति कम्युनिज्म से टकराती है, इसलिए क्रांति के नाम पर इस पद्धति का परित्याग नहीं होना चाहिए।

श्री डी.सी. शर्मा (गुरदासपुर) : सरकार बनाने में आपकी पार्टी ने कम्युनिस्टों से सहयोग लिया।

श्री वाजपेयी : मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमने कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिलाया तो कम्युनिस्ट अलग पार्टी में हैं, मगर कांग्रेस में तो खुद ही कम्युनिस्ट घुसे हैं।

काश्मीर पर पुनर्विचार न करें

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। इस विवाद में चर्चा हुई है शेख अब्दुला को छोड़ने की। मेरा निवेदन है कि शेख अब्दुल्ला को छोड़ा जाए या न छोड़ा जाए, यह सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, जितना यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या जम्मू-काश्मीर के बारे में देश ने अब तक जो नीति अपनाई है, देश उस पर कायम रहना चाहता है? नई दिल्ली में एक चर्चा चल रही है, जम्मू-काश्मीर के सवाल पर पुनर्विचार करने के लिए बल दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि वह सब विषयों के लिए भारत का भाग नहीं रहना चाहिए, केवल तीन विषयों के लिए अगर जम्मू-काश्मीर भारत का भाग रहना स्वीकार कर ले तो फिर राजनैतिक समझौते के रूप में हमें वह स्थिति मान लेनी चाहिए। मैं इस प्रकार सोचने के तरीके के खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं—देश की जनता घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाना बर्दाश्त नहीं करेगी। काल के प्रवाह को लौटने नहीं दिया जाएगा। जम्मू-काश्मीर को भारत में रखने के लिए हमने जो बलिदान किया है, उस पर पानी फिरने न दिया जाएगा। अगर सही दिशा में प्रगति करनी है तो संविधान की धारा ३७० को खत्म कर दीजिए। शेख अब्दुल्ला भारत के नागरिक के नाते, भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहकर, भारत माता के सपूत के नाते जम्मू-काश्मीर की सेवा करना चाहते हैं तो उनकी सहायता की जा सकती है, लेकिन जब तक उनके विचार नहीं बदलते हैं, तब तक उन्हें रिहा करना एक खतरा मोल लेना है; और मुझे विश्वास है कि चतुर गृह मंत्री इस तरह का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। धन्यवाद।

मूल अधिकारों पर कुठाराघात

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को १५ मार्च, १९६२ तक जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाए।

विधेयक में जिन उद्देश्यों का स्पष्टीकरण किया गया है, उनसे ज्ञात होता है कि देश में सांप्रदायिक और विघटनकारी मनोवृत्तियों के निर्मूलन के लिए सरकार जो अनेक कदम उठाने जा रही है, उनमें से एक के अंतर्गत यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इसमें भारतीय दंड विधान की धारा १५६ का विस्तार किया गया है, जिससे मजहब, जाति, भाषा और संप्रदाय, इन सबका उसमें समावेश किया जा सके। परिभाषा को विस्तृत बनाया गया है और दंड के रूप में दो साल की जगह तीन साल की सजा की व्यवस्था की गई है।

गृह मंत्री महोदय ने विधेयक को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीय एकीकरण का उल्लेख किया, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने जो समिति बनाई है, उसके द्वारा लिए गए निर्णय की चर्चा की, मुख्यमंत्रियों ने जो फैसले किए हैं, उनका उल्लेख किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए रचनात्मक और भावात्मक कदम उठाने के साथ कुछ दंडात्मक कदम भी उठाने चाहिए। सचमुच में स्वतंत्रता के पंद्रहवें वर्ष में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हमने इन पंद्रह वर्षों में जो भी प्रयत्न किए हैं, यह उनकी विफलता का परिचायक है और इस विफलता के लिए वर्तमान शासन अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता और जो पार्टी इस शासन को चला रही है, वह भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

पंडित कृ.चं. शर्मा (हापुड़) : इसीलिए तो यह कानून लाया गया है।

श्री वाजपेयी : स्वतंत्रता के पंद्रहवें वर्ष में हम राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कदम उठाने जा रहे हैं। क्या हम यह स्पष्ट समझते हैं कि राष्ट्रीय एकीकरण से हमारा अभिप्राय क्या है? क्या राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या केवल कानून की, पुलिस की, दंड की समस्या है? इंडियन पेनल कोड का जो प्रावधान था, क्या वह पर्याप्त नहीं है? यदि दो साल के बजाए तीन साल की सजा दी गई तो क्या विघटनकारी मनोवृत्तियां सिर नहीं उठाएंगी? क्या केवल परिभाषा को विस्तृत करने से ही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा? मैं आशा करता था कि गृह मंत्री महोदय इस सदन के सामने

** भारतीय दंड विधान में विस्तार (संशोधन) विधेयक पर लोकसभा में ३० अगस्त, १९६१ को भाषण।*

ऐसे मामले रखेंगे, जिनसे साबित हो सके कि परिभाषा संकुचित और संकीर्ण थी और उसमें मजहब और भाषा का समावेश नहीं था, इसलिए इतने मामलों में सजा नहीं दी जा सकी, इसलिए विघटनकारी प्रवृत्तियां बढ़ गईं और राष्ट्रीय एकीकरण खतरे में पड़ गया। उन्होंने ऐसे कोई मामले नहीं रखे कि जिनमें परिभाषा के संकुचित होने के कारण दंड प्राप्त करनेवाले सजा नहीं पा सके। फिर इस परिभाषा को बढ़ाने का क्या लाभ है? क्या पुरानी परिभाषा के अंतर्गत मजहब के नाम पर मनुष्य-मनुष्य के बीच में भेदभाव करनेवाले, संघर्ष पैदा करनेवाले व्यक्ति को सजा नहीं मिल सकती थी? क्या पुराने विधान के अंतर्गत भाषा के नाम पर जाति और जाति के बीच में वैमनस्य उत्पन्न करनेवाले को दंडित नहीं किया जा सकता था? अगर इस सदन के सामने ऐसे मामले लाए जाते, जिनसे यह पता चलता कि सरकार सजा देना चाहती थी, लेकिन दे नहीं सकी, क्योंकि परिभाषा संकुचित थी और उसमें मजहब, भाषा, जाति इन सबका समावेश नहीं था, तो हम विधेयक की उपयोगिता को समझ सकते थे। लेकिन ऐसे कोई उदाहरण सदन के सामने नहीं लाए गए। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार जो संशोधन करने जा रही है, वे संशोधन आवश्यक नहीं हैं।

परिभाषा को विस्तृत करते हुए उसमें से स्पष्टीकरण को भी निकाल दिया गया है। मनुष्य-मनुष्य के संबंध अच्छे रहें, सांप्रदायिक सद्भावना रहे, मजहब का शोषण न किया जाए, जाति के आधार पर लोगों की हीनभावना को उत्तेजित न किया जाए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। लेकिन मैं गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि पुरानी धारा १५३ ए में जो स्पष्टीकरण है, उसको निकालने का क्या कारण है? अगर कोई ईमानदारी से यह मांग करे कि उन परिस्थितियों को दूर किया जाए, जिनसे सांप्रदायिकता पैदा होती है, तो इस नए संशोधन के अंतर्गत वह ऐसा काम नहीं कर सकता। नए संशोधन के अंतर्गत वह सजा का भागी होगा। आज हमारे देश में ऐसे कई तत्व मौजूद हैं, जिनके रहते देश में राष्ट्रीय एकीकरण असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। इस विषय में संसद में एक विधेयक भी पेश हुआ है।

देश में कुछ ऐसे पूजा के स्थान हैं जिनको पिछले हजार, पांच सौ वर्षों में दूसरे मजहब के माननेवालों ने उनके मूल उपासकों से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया, चाहे वह कृष्ण जन्म-स्थान हो, चाहे राम जन्म-स्थान हो, चाहे वह काशी-विश्वनाथ का मंदिर हो। उन परिस्थितियों में जाने की आवश्यकता नहीं है, मगर स्वतंत्रता के बाद यदि हम राष्ट्रीय एकीकरण चाहते हैं, तो क्या यह मांग करना एकीकरण के हित में नहीं है कि संप्रदायों के बीच में इस प्रकार के भेद पैदा करनेवाले, पुरानी कटुता को, बर्बरता और अत्याचारों की स्मृति को ताजा रखनेवाले जितने भी पूजा के स्थान हैं, फिर चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, अगर उनको खंडित और भ्रष्ट करके दूसरे संप्रदाय ने उन पर अपने पूजा के स्थान बनाए हैं, तो दोनों संप्रदाय मिलकर, बैठकर, परस्पर विचार-विनिमय करके, सद्भावना से उन पूजा के स्थानों को उनके मूल उपासकों को वापस कर दें। क्या सांप्रदायिक एकता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए यह आवश्यक न होगा?

यह ठीक है कि इस प्रश्न को यदि कोई संप्रदायों के संबंध बिगाड़ने के लिए उपयोग में लाता है, तो वह गलत है और उसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी से अगर कोई यह मांग करता है—जब डॉ. कैलाशनाथ काटजू गृह मंत्री थे, तो उन्होंने एक लेख में यह मांग की थी, जिसकी प्रतिक्रिया भी हुई थी, कि इस प्रकार के जितने भी पूजा के स्थान हैं, वे उनके मूल उपासकों को वापस कर देने चाहिए—अगर कोई वर्ग या संगठन ईमानदारी से यह अनुभव करता है तो स्पष्टीकरण को निकाल देने के बाद वह ऐसी मांग नहीं कर सकता। इस कानून को इतना व्यापक

बनाया जा रहा है कि यह नीयत की कसौटी पर नहीं कसा जाएगा, उद्देश्य नहीं देखा जाएगा, मंतव्य की परीक्षा नहीं की जाएगी और उसको इस कानून के अंतर्गत दंड का भागी बनना पड़ेगा।

जहां तक परिभाषा को व्यापक बनाने का सवाल है, मजहब के साथ भाषा भी लाई गई है। भाषा अभी हमारे देश में बड़े विवाद का विषय है—कुछ विवाद का विषय हो गई हैं और कुछ बना दी गई हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी और हिंदी का विवाद है। भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि १९६५ तक अंग्रेजी का स्थान हिंदी को ले लेना चाहिए, मगर संविधान के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर यह परिवर्तन नहीं किया गया। अब यदि यह मांग की जाए कि हिंदी को उसका योग्य स्थान मिलना चाहिए, राज-काज में, अंतरप्रांतीय व्यवहार में हिंदी प्रयुक्त होनी चाहिए, तो क्या वह इस नए संशोधन के अंतर्गत सजा का एक कारण बनेगी। पंजाब का भाषा-विवाद हम जानते हैं। असम की भाषा-समस्या हमारे सामने है। असम में बंगला को भी स्थान मिलना चाहिए, यह मांग इस संशोधन को स्वीकार करने के बाद नहीं की जा सकेगी। सवाल हिंदी का या बंगला का नहीं है, यदि कोई ईमानदारी से यह समझता है कि अंग्रेजी कायम रहनी चाहिए कयामत तक, तो मैं उससे मतभेद जरूर रखूंगा, लेकिन मैं उसको उसके विचारों के प्रचार की पूरी छूट देना चाहूंगा। लेकिन आपने तो भाषा के सवाल पर एक ऐसा संशोधन रख दिया है कि भाषा के विवाद में अपनी प्रामाणिक राय प्रकट करना भी जुर्म के अंतर्गत आ सकता है। आप कहेंगे कि सामान्यतः इसे लागू नहीं किया जाएगा जब तक संघर्ष पैदा न हो, जब तक उससे संप्रदायों के बीच में कटुता पैदा न होगी, तब तक वह इस संशोधन की परिधि में लाया नहीं जाएगा। लेकिन मैं देखता हूं कि कटुता पैदा हो जाती है, कभी कटुता पैदा की जाती है। परंतु अगर शांति और व्यवस्था भंग होती है तो उसके लिए इंडियन पेनल कोड में अलग विधान हैं, उनके अंतर्गत सजा दी जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेता है, किसी के जीवन को, किसी की संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए अलग सजा की व्यवस्था है। क्या इस परिभाषा को विस्तृत बनाने में इस बात की आशंका नहीं है कि इसका दुरुपयोग किया जाएगा?

अध्यक्ष महोदय, चुनाव के छह महीने पहले इस प्रकार का अनावश्यक संशोधन करना, सरकार के हाथ में ऐसे व्यापक अधिकार देना, जिनका दुरुपयोग हो सके, किसी भी दृष्टि से वांछनीय नहीं। राज्य मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्रियों के किसी सम्मेलन की, और उसमें हुए फैसलों की चर्चा की थी। जहां तक समाचारपत्रों से पता लगता है, मुख्यमंत्रियों ने यह फैसला किया है कि अगर कोई यह मांग करेगा कि वह भारत के किसी हिस्से को भारत से अलग करना चाहता है, तो यह भी जुर्म होगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कार्यवाही या निर्णय की एक प्रति सदन के पटल पर रखी गई थी।

गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री : हां।

अध्यक्ष महोदय : यह सदन के पटल पर रखी गई थी और माननीय सदस्यों को इसकी प्रति दी गई थी। वे इसकी प्रतिलिपि चाहते थे। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि सब कुछ समाचार पत्रों में आ चुका है, तो प्रतिलिपियां क्यों दी जाएं। प्रतिलिपियां भी वितरित की गई थीं।

श्री वाजपेयी : उसमें यह निर्णय किया गया है, अगर भारत से किसी भाग को अलग करने की मांग की जाएगी तो वह अपराध होगा, लेकिन यह चीज अभी लागू नहीं होगी, आम चुनावों के बाद लागू की जाएगी।

श्री गोरे (पूना) : वह क्या है जो मद्रास में मुख्यमंत्री ने कहा?

श्री वाजपेयी : क्योंकि उनको यह आशंका है कि उनके ऊपर आरोप लगाया जाएगा कि आम चुनाव में विरोधी दलों के मार्ग में असुविधा उत्पन्न करने के लिए शायद कानून बनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि देश के किसी भाग को देश से अलग करने की मांग करना बड़ा भारी जुर्म है। लेकिन अगर आम चुनाव को दृष्टि में रखकर उसको लागू करना रोका जा सकता है...

श्री त्यागी : क्या यह तथ्य है? मैं सुनिश्चित करना चाहूंगा। क्या उन्होंने निर्णय लिया है कि चुनाव होने तक इस निर्णय को स्थगित रखना चाहिए?

श्री वाजपेयी : इसकी पुष्टि माननीय मंत्री महोदय से की जा सकती है। यही समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को मौका मिलेगा।

श्री त्यागी : मैंने स्पष्टीकरण चाहा था।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार का व्यवधान ...

श्री त्यागी : काफी गंभीर आरोप है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री वाजपेयी सिर्फ यह कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि जहां तक भारत के किसी क्षेत्र को भारत से अलग करने की मांग को एक अपराध बनाने का संबंध है, उसे चुनाव पूर्ण होने तक लागू नहीं किया जा सकता।

श्री त्यागी : क्या ऐसा है?

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा। आप इंतजार क्यों नहीं कर सकते? क्या मुझे तत्काल एक के बाद एक वक्तव्य की छानबीन करनी चाहिए? जल्दी क्या है? क्या एक अनुभवी सांसद इस प्रकार व्यवधान पैदा करते रहेंगे? उन्हें कहने दें। यदि यह झूठ है, यदि यह गलत है, तो इसका जवाब दिया जाएगा।

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि जो भी मुख्यमंत्रियों द्वारा निर्णय किए गए हैं, यदि वे किसी एक प्रांत में वहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए या आम चुनाव को दृष्टि में रखकर स्थगित किए जा सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि इंडियन पेनल कोड में जो नए संशोधन किए जा रहे हैं, उनके संबंध में भी लोकमत जानने का प्रयत्न न किया जाए। अंततोगत्वा सांप्रदायिकता, जातीयता या भाषावाद का निराकरण कानून से या पुलिस के डंडे से नहीं हो सकता। इसके लिए तो लोगों के दिलों और दिमागों में जो संकीर्णता अनेक कारणों से प्रविष्ट हो गई है, उसको दूर करना होगा, और यह आवश्यक है कि हम इस संबंध में जनमत का जागरण करें। इन संशोधनों के जो भी अर्थ हो सकते हैं उनके बारे में हम लोगों को बतलाएं, उन्हें शिक्षित करें, जिससे जाने में या अनजाने में इन नए संशोधनों का उल्लंघन करके वे सजा के भागी न बनें, और इसके द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हम जनमत का प्रशिक्षण करें। केवल मुख्यमंत्रियों की राय से जनमत को शिक्षित करने की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। गृह मंत्री महोदय ने अभी माना है कि हमें और भी रचनात्मक, विधायिक कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए सर्वदलीय सम्मेलन की योजना की जा रही है। मैं समझता हूं कि सम्मेलन केवल जनमत के जागरण और प्रशिक्षण के लिए ही हो। अतः मेरे संशोधन को स्वीकार करने में शासन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे दोनों उद्देश्य पूरे होंगे। हम इस विधेयक में जो परिभाषा विस्तृत कर रहे हैं और दंड में वृद्धि कर रहे हैं तथा मजहब के साथ जाति, संप्रदाय, भाषा आदि का जो समावेश कर रहे हैं, उनके बारे

में भी लोगों को जानकारी होगी। उनके दिल और दिमाग तैयार होंगे उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जिनके बिना राष्ट्रीय एकीकरण नहीं हो सकता।

मेरा संशोधन इस आरोप का भी खंडन करेगा कि शासन आम चुनाव को दृष्टि में रखकर कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहा है जिनसे विरोधी दलों के मार्ग में कठिनाइयां पैदा की जा सकेंगी, क्योंकि हम इस संशोधन को पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का जो संशोधन किया जा रहा है, उससे अलग करके नहीं देख सकते। हमने परिभाषा व्यापक कर दी। भाषा, जाति, संप्रदाय आदि के नाम पर अगर कोई भावनाएं उभारेगा, चाहे ईमानदारी से ही उभारे, वह दंडनीय होगा और वह दंड उसे जेल के रूप में भुगतना पड़ सकता है। अगर वह जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है तो उसको अपने प्रतिनिधित्व से भी हाथ धोना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ऐसा कोई भी निर्णय करने से पूर्व शासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अभी चुनाव में छह महीने बाकी हैं। जो अधिकार शासन को अब तक थे वे विघटनकारी मनोवृत्तियों का सामना करने के लिए पूर्ण समर्थ थे, मगर यह शासन उनका उपयोग नहीं कर सका। इसलिए नए अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिनमें शासन इस प्रकार के अधिकारों का दुरुपयोग करने का दोषी सिद्ध हुआ है।

मैं एक उदाहरण देकर समाप्त कर दूंगा। अभी दिल्ली में एक मुस्लिम सम्मेलन हुआ था, और कांग्रेस ने, कम्युनिस्ट पार्टी ने, प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी ने अपने मुस्लिम सदस्यों को इस बात की अनुमति दे दी कि वे उसमें जाकर भाग लें। वे पहले कांग्रेसी हैं या मुस्लिम हैं? वे पहले मुसलमान हैं या भारतीय हैं, इसकी चिंता किए बिना इस तरह की अनुमति दे दी गई। वह सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ये आरोप लगाए गए कि मुस्लिम संप्रदायवालों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है, उनके साथ संगठित रूप से शासन में, शिक्षा में, वाणिज्य में, व्यापार में भेदभाव किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि उस सम्मेलन में दिए गए भाषणों से, उसमें किए गए निर्णयों से देश में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला या नहीं मिला? गृह मंत्री महोदय इस संबंध में स्पष्ट उत्तर दें। और अगर उस सम्मेलन से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला तो फिर उसके संयोजकों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये इंडियन पेनल कोड की धाराएं क्यों तिजोरी में बंद करके रखी गईं?

अब एक हिंदू सम्मेलन की बात हो रही है। हिंदू सम्मेलन से हम सहमत नहीं हैं। भारतीय जनसंघ ने निर्णय किया है कि हिंदू सम्मेलन नहीं होना चाहिए। इस हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता नहीं है। मगर हमारे गृह मंत्री महोदय ने एक प्रच्छन्न धमकी दी है कि सरकार ऐसे सम्मेलनों को करने की इजाजत दे या न दे, इस पर वह गंभीरता से विचार कर रही है, और सम्मेलन के संयोजकों के कान में यह बात कही जा रही है कि अगर आप हिंदू सम्मेलन करेंगे तो हो सकता है कि सरकार इस पर रोक लगा दे, हो सकता है सरकार आपको पकड़कर जेल में बंद कर दे। हो सकता है कि यह नया संशोधन उस प्रस्तावित हिंदू सम्मेलन के संयोजक के खिलाफ काम में लाया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुस्लिम सम्मेलन से सांप्रदायिकता नहीं बढ़ी? उस सम्मेलन में यह आरोप लगाया गया था कि इस देश की बहुसंख्यक सरकार एक संप्रदाय के लोगों के साथ भेदभाव का बरताव करती है, और शासन के एक भूतपूर्व मंत्री ने जाकर उस सम्मेलन में भाषण दिया जिसमें उन्होंने अपनी सरकार पर आरोप लगाया कि उनके शासन में एक संप्रदाय के साथ भेदभाव बरता जा रहा है। क्या उन आरोपों का खंडन करने के लिए इस प्रकार का सम्मेलन करना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना होगा? क्या सरकार सांप्रदायिकता को नापने के लिए दो मापदंड रखकर

सांप्रदायिकता का निराकरण कर सकती है? क्या एक संप्रदाय की पृथकता की भावना को बढ़ावा देकर देश में राष्ट्रीय एकीकरण किया जा सकता है? मगर उस संप्रदाय के वोट चाहिए, केवल कांग्रेस को ही नहीं और पार्टियों को भी वोट चाहिए। इसलिए उस संप्रदाय की सांप्रदायिकता को छिपाया जाता है, उसके संयोजकों के खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं करेगी। मगर अगर उसके जवाब में, उसमें लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए कोई सम्मेलन किया जाएगा तो फिर वह सरकार—सांप्रदायिकता जगाई जा रही है का हौआ खड़ा करेगी और अभी जो अधिकार प्राप्त किए जा रहे हैं, उनका दुरुपयोग किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि सांप्रदायिकता का निराकरण कानून से, पुलिस के डंडे से नहीं हो सकता। इसके लिए शासन को चलानेवाली पार्टी को अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। यह बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक की भाषा समाप्त हो जानी चाहिए।

भारतीय जनसंघ एक असांप्रदायिक राज्य का हामी है। हम ऐसे राज्य के हामी हैं, जिसमें मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जनसंघ के दरवाजे देश के हर एक नागरिक के लिए खुले हैं। किंतु उसका अर्थ यह नहीं है कि अगर कोई सांप्रदायिक आधारों पर मांग करेगा, अगर अल्पसंख्यकों के नाम पर इस देश में पृथक अधिकार मांगे जाएंगे, विशेष सुविधाएं मांगी जाएंगी, कोई केंद्र का मंत्री यह मांग करेगा कि एक संप्रदाय के लिए सर्विसेज में अलग सुरक्षित स्थान होने चाहिए और फिर वह भाषण करते हुए धमकी देगा कि अगर इस संप्रदाय को संतुष्ट न किया गया तो भारत स्पेन हो जाएगा ...

श्री त्यागी : सेंटर का मंत्री?

श्री वाजपेयी : जी हां, केंद्र के एक मंत्री श्री हुमायुं कबिर ने हुबली सम्मेलन में भाषण करते हुए कहा था कि यदि इस संप्रदाय की समस्या को हल नहीं किया गया तो भारत स्पेन बन जाएगा, भारत में गृहयुद्ध हो जाएगा। आप देखें कि यह केंद्र के एक मंत्री का भाषण है। यह तो गृहयुद्ध के लिए आमंत्रण है, यह तो लोगों को भड़काना और उकसाना है, मगर इसके लिए इंडियन पेनल कोड की धाराएं काम में नहीं लाई जाएंगी, वे तो हमारे लिए गढ़ी जा रही हैं। आज कांग्रेस शासन सांप्रदायिकता का एक हौवा खड़ा करके अपनी असफलताओं की ओर से जनता का ध्यान हटाना चाहता है। अगर शासन वास्तव में इस विधेयक की आवश्यकता समझता है तो उसे जनमत जानने के लिए हमारे प्रस्ताव का स्वागत करना चाहिए। यदि शासन हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहता तो वह अपनी ओर से प्रस्ताव ला सकता है कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सामने भेजा जाए, ताकि उसमें बैठकर इस सदन में जिन दलों का प्रतिनिधित्व है, उन दलों के प्रतिनिधि इस परिभाषा को व्यापक करने के प्रश्न पर विचार कर सकें।

एक माननीय सदस्य : इसमें बड़ा समय लगेगा।

श्री वाजपेयी : हमारे मित्र कहते हैं कि बहुत समय लगेगा। लेकिन अगर १५ साल में देश टुकड़े-टुकड़े नहीं हो गया तो एक-दो महीने में देश टुकड़े-टुकड़े होनेवाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि या तो जनमत को जानने के लिए इस विधेयक को प्रचारित किया जाए या उसे एक सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए; और यह प्रस्ताव शासन की ओर से आना चाहिए। अगर इन दोनों बातों की उपेक्षा की गई तो आम चुनावों को ध्यान में रखते हुए व्यापक अधिकार प्राप्त करने के इस प्रयत्न को प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। धन्यवाद।

केंद्र-शासित प्रदेशों की उपेक्षा

अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री के पद पर श्री शास्त्री जी की नियुक्ति का स्वागत करता हूं। मराठी में एक कहावत है, 'मूर्ति लहान पण कृति मोठी', जिसका अर्थ यह है कि यद्यपि उनकी मूर्ति छोटी है किंतु उनका कृतित्व बड़ा है, और हमें आशा करनी चाहिए कि सरदार पटेल और पंडित पंत की परंपरा में शास्त्री जी देश के आंतरिक प्रबंध को भलीभांति चलाने में समर्थ होंगे।

गृह मंत्रालय के ऊपर विशेष रूप से राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का, राष्ट्रीय सामर्थ्य की अभिवृद्धि का भार है। आज राष्ट्रीय एकता के लिए अनेक संकट खड़े हो रहे हैं। मैं उनकी चर्चा बाद में करूंगा। उससे पहले केंद्र के अधीन जो केंद्र-प्रशासित प्रदेश हैं : दिल्ली, हिमाचल, त्रिपुरा और मणिपुर, मैं उनके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय पर इतना भार है कि वह केंद्र-प्रशासित क्षेत्रों के साथ न्याय नहीं कर पाता। इन प्रदेशों में राज्य सरकारें नहीं हैं। विधान सभाएं भी नहीं हैं। केवल संसद को ही उनके हितों का प्रतिनिधित्व करना है, उनका संरक्षण करना है। किंतु संसद के सामने भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्याएं इतनी विपुल मात्रा में रहती हैं कि इन छोटे प्रदेशों के हित उसकी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में, मणिपुर में वहां की जनता आज के प्रशासन के ढांचे से पूर्णतया संतुष्ट नहीं है। स्वर्गीय पंत जी ने आश्वासन दिया था कि उनके प्रशासनिक अधिकार बढ़ाने के संबंध में विचार किया जाएगा। किंतु अभी तक कोई ठोस योजना सरकार की ओर से उपस्थित नहीं की गई। यदि हम दिल्ली का विचार करें तो हमें और भी निराशा होती है। केंद्रीय शासन दिल्ली में अवस्थित है। संसद भी दिल्ली में काम करती है। मगर दिल्ली के हितों की उपेक्षा की जाती है, और दिया तले अंधेरा वाली कहावत चरितार्थ होती है। मेरा सुझाव है कि केंद्र में एक राज्य मंत्री या उपमंत्री केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की अलग से देखभाल का भार अपने ऊपर संभाले और इस बात की व्यवस्था करें कि केंद्र-प्रशासित क्षेत्रों की उपेक्षा न होने पाए।

दिल्ली में विधानसभा नहीं है, किंतु जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए शासन ने कुछ समितियों का निर्माण किया है, जो अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन नहीं कर रही हैं। कुछ सलाहकार समितियां हैं, इंडस्ट्रियल एडवायजरी बोर्ड हैं, पब्लिक रिलेशंस कमेटी हैं, किंतु उनका

** गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों पर विचार के दौरान लोकसभा में २७ मार्च, १९६१ को भाषण।*

निर्माण ऐसे ढंग से किया गया है कि उसमें जनमत का ठीक तरह से प्रतिनिधित्व नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता, दिल्ली का कारपोरेशन है, जनता के मताधिकार से चुना हुआ है। यदि हम कोई सलाहकार समितियां निर्मित करते हैं तो उनमें उन सभी दलों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए जो कारपोरेशन में बड़ी मात्रा में जनता द्वारा निर्वाचित करके भेजे गए हैं, और यदि शासन इस प्रकार की समितियों का निर्माण नहीं कर सकता, तो अच्छा हो दिखावे के लिए ये जो समितियां बनाई गई हैं, जिनके पीछे जनता का समर्थन नहीं है, उन्हें भंग कर दिया जाए।

मैं यह भी समझने में असमर्थ हूं कि अभी तक नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को लोकतांत्रिक स्वरूप क्यों प्रदान नहीं किया गया? जो मेंबर काम कर रहे हैं, सरकार द्वारा नामजद हैं, वे कितने उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से काम करते हैं, इसका परिचय उस दिन मिला जब नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में बजट पेश किया जानेवाला था और कमेटी की मीटिंग में कोरम नहीं था। टेलीफोन खटकते रहे, बजट के कागज अफसरों को बांट दिए गए, मगर मेंबर नदारद। इसलिए बैठक स्थगित कर दी गई। नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी की यह स्थिति लज्जाजनक है। केंद्रीय सरकार को चाहिए कि इस म्युनिसिपल कमेटी को भंग करे।

जब दिल्ली में राज्यसभा में एक प्रतिनिधि चुना जाना था तब इलैक्टोरल कॉलिज के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था, और उस समय गृह मंत्री जी से यह अनुरोध किया गया था कि ये जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं इलैक्टोरल कॉलिज के लिए, इनको नई दिल्ली की म्युनिसिपैलिटी के रूप में काम करने की अनुमति होनी चाहिए। किंतु वे निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचन तक काम करते रहे, बाद में घर भेज दिए गए और नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में सरकार द्वारा नामजद लोग बैठे हैं। यह लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है।

दिल्ली में मकानों की कमी

दिल्ली में मकानों की बड़ी कमी है। शासन ने ३४ हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है, मगर उसमें मकानों के निर्माण का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। अब स्थिति यह है कि न तो सरकार खुद मकान बनाती है और न दूसरों को मकान बनाने देती है, और इसका नतीजा यह हो रहा है कि अनधिकृत रूप से मकान खड़े हो रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, कानून को भंग करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिल रहा है। उस दिन हमारे एक मंत्री जी ने जो घोषणा की कि सरकार ने जो भूमि अपने हाथ में ली है, उसका सरकार विकास करेगी और फिर उसको नीलाम कर देगी। अगर भूमि नीलाम की जाएगी तो जिन्हें मकानों का अभाव है, जिन्हें महीने में बंधी-बंधाई तनख्वाह मिलती है वे तो नीलाम में ऊंची बोली बोलकर जमीन प्राप्त नहीं कर सकते। मैं नहीं समझता कि सरकार जमीन का अधिग्रहण करे, जनता के धन से उसका विकास करे और फिर उसको नीलाम कर दे ऊंची बोली पर। होना तो यह चाहिए कि सरकार सस्ते मकान बनाए जो नीचे के वर्ग के लिए और मध्य वर्ग के लिए दिए जाएं, जिससे उनके रहने की कठिनाइयों का हल हो सके।

अभी ३९ हजार केंद्रीय कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें दिल्ली में मकान नहीं मिले हैं। मिंटो रोड पर कुछ मकान लिए गए हैं, चार साल पहले कह दिया गया है कि ये मकान रहने लायक नहीं हैं, किंतु अब कहा जाता है कि नहीं, ये मकान रहने लायक हैं। मैं नहीं समझता कि मंत्रालय किस नीति के अनुसार काम करता है।

दिल्ली में इस प्रकार का एक निर्णय हुआ था कि नया दफ्तर नहीं खोला जाएगा। दिल्ली की भीड़-भाड़ को कम किया जाएगा और जो दफ्तर दिल्ली में रखना आवश्यक नहीं है, उनको दिल्ली से बाहर भेज दिया जाएगा। मगर अभी तक इस संबंध में कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है और दिल्ली की भीड़ बढ़ती जा रही है और भीड़ के साथ उत्पन्न होनेवाली न्याय की, शांति की, लॉ एंड आर्डर की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। इस संबंध में गृह मंत्रालय का प्रबंध कम से कम दिल्ली के संबंध में, अच्छा नहीं है।

पुलिस की संख्या बढ़ रही है किंतु अपराधों की संख्या भी बढ़ रही है, दोनों दिशाओं में बराबर तरक्की हो रही है। अभी तक अपराधों का वैज्ञानिक दृष्टि से पता लगाने में कोई प्रगति नहीं की गई है। मैं पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री इस बात का उत्तर दें कि भारत की राजधानी में पिछले साल-दो साल से लगातार बम विस्फोट की घटनाएं हो रही हैं, मगर अभी तक किसी अपराधी को पकड़ा नहीं गया। किसी को सजा नहीं दी गई। इन बम विस्फोट की घटनाओं के पीछे कोई सुनियोजित षडयंत्र मालूम पड़ता है। जब हमारे प्रधानमंत्री ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सम्मेलन में भाग लेने जाते हैं तब बम विस्फोट की घटनाएं होती हैं। जब ब्रिटेन की महारानी भारत में आईं, उस समय भी ये घटनाएं हुईं। ऐसा लगता है कि देश की राजधानी में कुछ तत्व सक्रिय हैं, जो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत को बदनाम करना चाहते हैं, भारत की प्रतिष्ठा को गिराना चाहते हैं। अगर शासन बम विस्फोट करनेवालों का पता नहीं लगा सकता तो मैं नहीं समझता, शासन का इंटैलीजेंस विभाग किसलिए है। लेकिन कभी-कभी मुझे शक होता है कि सरकार पता तो लगा लेती है, मगर बताती नहीं है। शायद इसलिए नहीं बताती कि बताना 'जनहित' में नहीं है। यह तो एक रटा-रटाया उत्तर है जो दे दिया जाता है। मगर शायद यह सत्तारूढ़ दल के ही हित में नहीं है कि इस प्रकार के तथ्य बाहर आने दिए जाएं। मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की नीति से देश की सुरक्षा के लिए आंतरिक रूप से जो संकट पैदा हो गया है, उसका निबटारा नहीं किया जा सकता।

विदेशी जासूसों की भरमार

भारत में आज विदेशी जासूस बड़ी संख्या में सक्रिय हैं। केवल रूस और चीन के जासूस ही नहीं, पाकिस्तान के जासूस भी बड़ी संख्या में भारत में हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया था कि विदेश मंत्रालय के, सुरक्षा मंत्रालय के, योजना आयोग के कुछ रहस्यों को, और राष्ट्रों को देने के संबंध में हमारे कर्मचारी पकड़े गए हैं। इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए गृह मंत्रालय कौन सा कदम उठा रहा है। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। विदेशी दूतावासों में जो भारतीय कर्मचारी काम करते हैं, क्या उनके लिए हम यह नियम नहीं बना सकते कि विदेशी दूतावास अपने कर्मचारियों को भारत सरकार की राय से भरती करें। आज वे जिसे चाहें भरती कर सकते हैं। वे चाहे जिस प्रेस में छपाई का काम करा सकते हैं। छपाई का काम कम होता है, लेकिन उसके लिए दाम ज्यादा दिए जाते हैं। वह जितना बड़ा विज्ञापन चाहें दे सकते हैं। क्या गवर्नमेंट प्रेस में प्रकाशन का काम नहीं करा सकते हैं? क्या उनके विज्ञापन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम से नहीं दिए जा सकते? हमें यह मानना चाहिए कि अभी हमने देश में वह स्थिति पैदा नहीं की है कि भारत की भूमि में उत्पन्न होनेवाला प्रत्येक नागरिक देशभक्त होगा और कोई भी उसे किसी भी कीमत पर खरीद नहीं सकेगा। अभी वह दिन आना दूर है और इसलिए

आवश्यक होना चाहिए कि हम पंचमार्गी तत्वों पर नजर रखें, साथ ही सरकार के विदेश एवं सुरक्षा मंत्रालयों में जो कर्मचारी काम करते हैं और जिन्हें गुप्त रहस्यों से परिचित होना पड़ता है, उनके मित्र-संबंधियों पर भी दृष्टि रखी जानी चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्रीय कर्मचारियों के साथ भी अभी तक न्याय नहीं कर सका है। कुछ सदस्यों ने बताया कि सात सौ से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी तक नौकरी पर वापस नहीं लिए गए हैं। और एक बिल लाने की बात हो रही है, जिससे हड़ताल के अधिकार को प्रतिबंधित किया जाएगा। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को लाने के संबंध में पुनर्विचार करें। हड़ताल का अधिकार एक लोकतांत्रिक अधिकार है और काम के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप काम का अधिकार स्वीकार करते हैं, काम बंद करने का अधिकार भी आपको स्वीकार करना होगा। हां, हम परिस्थितियां ऐसी पैदा करें कि जिनमें हड़ताल करने की नौबत ही न आए।

व्हिटले काउंसिल्स बनाने की घोषणा की गई थी, मगर अभी तक उनकी रूपरेखा सामने नहीं आई। केंद्रीय कर्मचारियों की शिकायतों और मांगों पर विचार करने के लिए कोई 'नेगोशिएटिंग मशीनरी' नहीं है। इस स्थिति में ऐसे लोगों को जो कर्मचारियों की मांगों का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए, उनको बल मिलता है। हमें आशा करनी चाहिए कि व्हिटले काउंसिलों के निर्माण के संबंध में शीघ्रता से घोषणा की जाएगी और उनको अंतिम रूप देने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को विश्वास में लिया जाएगा।

सांप्रदायिकता फिर पनप रही है

जहां तक देश में विघटनकारी शक्तियों के सिर उठाने का सवाल है, कोई इस बात से इन्कार नहीं कर सकता कि हम धीरे-धीरे उसी सांप्रदायिकता के वातावरण की ओर खिंचे जा रहे हैं जिस पर हमने विजय प्राप्त की थी और आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राष्ट्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। लेकिन जैसा मैंने एक विवाद में कहा था, केवल सांप्रदायिकता की निंदा करना पर्याप्त नहीं होगा। हम इस बात का विचार करें कि जिस 'टू नेशन थ्यूरी' के अंतर्गत, जिस दो राष्ट्रों के सिद्धांत के अंतर्गत, देश का विभाजन हुआ था, क्या हमने देश की स्वतंत्रता के बाद उस स्थिति की समाप्ति के लिए कोई रचनात्मक, विधायक कदम उठाए हैं। सभी संप्रदाय सामाजिक क्षेत्र में एक-सा जीवन व्यतीत करें और समान त्योहार मनाएं, क्या हमने इसके लिए प्रयत्न किया है? अगर हम सांप्रदायिकता को नापने के लिए दो गज अपनाएंगे, तो सांप्रदायिकता का निराकरण नहीं हो सकेगा।

अभी कांग्रेस की एक महिला सदस्या शिकायत कर रही थीं कि असम में जो उपद्रव हुए, उनकी अभी तक अदालती जांच नहीं हुई। गृह मंत्री जी को और गृह मंत्रालय को इसका जवाब देना चाहिए। जबलपुर कांड की जांच की जा रही है और होनी चाहिए। मगर असम के उपद्रवों की जांच न करने का कारण क्या है? यदि हम समझते हैं कि परदा डालकर सच्चाई को छिपाया जा सकेगा तो यह सांप्रदायिकता से लड़ने का तरीका नहीं है। हमें इस पर भी विचार करना है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाली जो बात है, वह हम कब तक देश में चलने देना चाहते हैं। देश में कौन बहुसंख्यक है और कौन अल्पसंख्यक है? जब तक हम राजनीति के क्षेत्र में यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की भावना को जिंदा रखेंगे, राष्ट्रीय एकता कभी पैदा नहीं होगी।

हिंदुओं में भी तो उपासना की अनेक पद्धतियां हैं। आर्यसमाजी हैं, जैन हैं, सिख हैं, शाक्त हैं, शैव हैं और सनातनधर्मी हैं। आज की कसौटी पर क्या वे अल्पसंख्यक नहीं हैं। अभी पंजाब में कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि जालंधर डिविजन में हिंदु अल्पसंख्यक हैं और उनके हितों की रक्षा नहीं हो रही है।

एक बड़े नेता से मैं मिला। मैंने उनके सामने पंजाब के हिंदुओं की कठिनाइयां रखीं तो वह कहने लगे कि आप चिंता मत करिए। पंजाबी सूबा बन जाएगा तो आपकी सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। मैंने कहा कि यह बात मेरी समझ में नहीं आई—तो वह कहने लगे कि पंजाबी सूबा बन जाएगा तो उस पंजाबी सूबे में हिंदू माइनारिटी में रह जाएंगे और अगर हिंदू माइनारिटी में रह जाएंगे तो सरकार उनकी चिंता करेगी। जब तक वह मेजारिटी में हैं, तब तक उनकी चिंता नहीं होगी!

रिलीजस माइनारिटी क्या है?

मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर रिलीजस माइनारिटी का क्या मतलब है? मैं भाषाई अल्पसंख्यकों को समझ सकता हूं। यदि महाराष्ट्र में कोई कन्नड़ बोलनेवाले हों और उन्हें प्राइमरी स्कूल में भी अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार न हो तो केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। किसी को अपना मजहब मानने में कोई कठिनाई हो तो उसे दूर कर दिया जाए, मगर यह रिलीजस माइनारिटी की परिकल्पना और वह भी राजनीति में; मेरी समझ में नहीं आती, और अगर हम इसको बनाए रखना चाहते हैं तो हम राष्ट्रीय एकता की बातें कितनी भी करें, हम दरअसल राष्ट्रीय एकता पैदा नहीं होने देना चाहते।

हम भूल जाएं कि कौन मेजारिटी में है और कौन माइनारिटी में है। हम सब भारत की संतान हैं। हमने देश में एक असांप्रदायिक राज्य काम करने का निर्णय लिया हुआ है। मजहब एक व्यक्तिगत चीज है। उसका कौमियत के साथ कोई संबंध नहीं है। मगर आज माइनारिटी के नाम पर, माइनारिटी की भाषा के नाम पर एक पृथकता की मनोवृत्ति को पैदा किया जा रहा है। यह पृथकता की मनोवृत्ति अगर हम समय रहते दबाएंगे नहीं, तो यह हमारे राष्ट्रीय कलेवर को जर्जर कर देगी और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के हमारे प्रयत्न कभी सफल नहीं होंगे।

मैं चाहता हूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इस संबंध में कोई रचनात्मक और विधायक नीतियां अपनाए। पुलिस की कार्यवाहियों से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह समस्या दिमागों को, दिलों को ठीक करने की है। देश में एक संस्कृति विकसित करने की है। किसी संप्रदाय को दोष देने से भी काम नहीं चलेगा। हां, अगर कोई दंगे होते हैं, सांप्रदायिक भावनाओं को उभारा जाता है तो उसकी निंदा होनी चाहिए। जो ऐसा काम करते हैं, उनको दंड दिया जाना चाहिए।

जबलपुर कांड के संबंध में दिल्ली के 'अलजमैयत' और 'नई दुनिया' ने क्या-क्या लिखा? क्या गृह मंत्रालय की नजर दिल्ली के इन संप्रदायवादी पत्रों पर नहीं जाती है? दिल्ली में सांप्रदायिक उपद्रव नहीं हुए तो इसके लिए दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है, यह गृह मंत्रालय नहीं। उर्दू के कुछ संप्रदायवादी पत्रों ने जबलपुर की आग को दिल्ली में भी फैलाने में कोई कोर-कसर उठा नहीं रखी। मेरे पास उनकी कटिंग्ज मौजूद हैं, लेकिन समय न होने के कारण मैं उनको पढ़ना नहीं चाहता···

एक माननीय सदस्य : हिंदी के पत्रों ने भी किया है।

श्री वाजपेयी : दिल्ली के किसी हिंदी पत्र ने नहीं किया। अगर हिंदी के पत्रों ने भी किया है तो उसकी भी निंदा होनी चाहिए। उसकी निंदा हो भी रही है। जबलपुर के एक हिंदी समाचारपत्र 'युगधर्म' जिसमें कि एक छोटी सी खबर छपी थी, उसको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी उसके पीछे पड़ी हुई है। मगर मैं कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में, बंबई में मुस्लिम संप्रदायवादी पत्रों ने जबलपुर के दंगों को जिस तरह से चित्रित किया, क्या किसी ने उसकी आज्ज तक निंदा की है? उनकी कोई निंदा नहीं करता। सब दलों में एक संप्रदाय को खुश करने की होड़ लगी हुई है। अभी प्रजा-समाजवादी दल के एक प्रवक्ता कह रहे थे कि संप्रदायवादी पार्टियों पर रोक लगा देनी चाहिए। मैं इस रोक का समर्थन करता हूं, मगर आप केरल में संप्रदायवादियों के साथ गठबंधन करते हैं और संसद में खड़े होकर संप्रदायवादियों पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं, ये दोनों चीजें साथ-साथ नहीं हो सकतीं। अगर सांप्रदायिकता के साथ लड़ना है तो फिर इस तरह कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप वास्तव में संप्रदायवाद को पनपने नहीं देना चाहते तो सांप्रदायिकता फिर किसी की भी हो, उससे आपको लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, अन्यथा संप्रदायिकता का निर्मूलन नहीं हो सकता। धन्यवाद।

□□□

निर्देशिका

झ

ट

ठ

ड

त

द

ध

न

प

फ

ब

भ

म

य

र

ल

व

□

लम्बी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे आना जरूरी है।

" क्या हार में क्या जीत में
किंचित नहीं भयभीत मैं,
कर्तव्य पथ पर जो भी मिला
यह भी सही वो भी सही
वरदान नहीं मांगूंगा,
हो कुछ पर हार नहीं
मानूंगा "

अटल बिहारी वाजपेयी,

डॉ. ना.मा. घटाटे

इन ग्रंथों के संपादक डॉ. नारायण माधव घटाटे इन दिनों विधि आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय संविधान की सेवा कर रहे हैं; इससे पूर्व डॉ. घटाटे पिछले ३० वर्षों से उच्चतम न्यायालय में वकालत करते रहे हैं।

डॉ. घटाटे ने स्नातक की उपाधि नागपुर विश्वविद्यालय से एल-एल.बी. दिल्ली विश्वविद्यालय से, स्नातकोत्तर और पी-एच.डी. की उपाधि विदेशी क्षेत्र अध्ययन विभाग, अमेरिकन विश्वविद्यालय, वाशिंगटन से प्राप्त कीं। अमेरिका में अध्ययन के दौरान विश्वविद्यालय के विदेशी क्षेत्र अध्ययन विभाग में सलाहकार और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विविध विषयों के अध्यापक भी रहे।

श्री घटाटे ने स्नातकोत्तर शोधप्रबंध 'चीन-बर्मा सीमा विवाद' पर और पी-एच.डी. शोधप्रबंध 'भारतीय विदेश नीति में निरस्त्रीकरण' विषय पर लिखा। वे संविधान, अंतरराष्ट्रीय संबंध और सम-सामयिक विषयों पर कई शोध-लेख लिख चुके हैं।

उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता रहे डॉ. घटाटे ने १९७५ के आपातकाल के दौरान नजरबंद सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं की ओर से पैरवी की। डॉ. घटाटे १९७३ से १९७७ तक भारतीय जनसंघ और १९८८ से भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे हैं।

डॉ. घटाटे ने 'मेरी संसदीय यात्रा' से पूर्व अटलजी के संसदीय भाषणों पर केंद्रित 'संसद में तीन दशक' और 'फोर डिकेड्स इन पार्लियामेंट' पुस्तकों का भी संपादन किया। इनके अतिरिक्त 'भारत-सोवियत संधि : प्रतिक्रियाएँ और विचार', 'बँगलादेश : संघर्ष और परिणाम' और 'आपातकाल हटाओ' शीर्षक पुस्तकों का सफल लेखन-संपादन किया है।

"कल जो बहुत से भाषण हुए उनमें एक भाषण श्री वाजपेयी का भी हुआ। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि बोलने के लिए वाणी होनी चाहिए, लेकिन चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों चाहिए। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ।"

—जवाहरलाल नेहरू (२८.८.१९५८)

"श्री वाजपेयी तमाम अँधेरे के बीच रोशनी की एक किरण हैं। वह राजनीति से ऊपर मानवीय मर्यादा को महत्त्व देते हैं।"

—चंद्रशेखर (३.३.१९९३)

"श्री वाजपेयी के भाषणों में केवल वाद-विवाद के लिए तर्क नहीं होते, उसके पीछे ठोस और गहन सोच भी होती है।"

—के.आर. नारायणन (१७.८.१९९४)

"श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारे जीवन के सबसे प्रमुख संसद्‌विज्ञों में से एक हैं। उनकी पैनी नजर और हाजिर-जबावी तो जैसे संसद् में बहस के लिए ही बनी है।"

—पी.वी. नरसिंह राव (१७.८.१९९४)

"श्री वाजपेयी किसी के बारे में पराएपन की भावना नहीं रखते, इसी कारण सब उन्हें अपना मानते हैं। उनके विचार भूत, वर्तमान और भविष्य के बीच की एक कड़ी के रूप में हैं।"

—शिवराज पाटिल (१७.८.१९९४)

"लोकतंत्र इक्यावन बनाम उनचास का खेल नहीं है। लोकतंत्र मूल रूप से एक नैतिक व्यवस्था है।"

—अटल बिहारी वाजपेयी

लेखक की अन्य पुस्तकें

ISBN 81-7315-277-2

प्रभात प्रकाशन

ISO 9001 : 2008 प्रकाशक

www.prabhatbooks.com

₹ 750/-